


# निदेशक सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ ।



## त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 भाग-3

वाउचर विहीन/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में 30/03/20 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है, कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की धनराशि को उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में व्यय को वाउचर/प्रमाणक विहीन मानते हुए आपत्ति में अंकित कुल धनराशि ₹0 218250.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से तथा ग्राम सचिव श्री अमर बहादुर तिवारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-168**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में दिनांक 20.03.2020 में ₹126085.00 0 गोयल पाइप फिटिंग मात्र अंकित कर व्यय दर्शित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 01- उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर्स कार्य पत्रावलियां आडिट में प्रस्तुत नहीं की गईं जिससे/सम्बन्धित जांच एवं व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- पत्रावली के अभाव में उक्त कार्यों की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0, कार्य कराए जाने की तिथि, निर्माण कार्य एजेंसी तथा बिल/वाउचर/डिलिवरी चालान आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।
- 03- कार्य कराए जाने के स्थान का नाम एवं फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 04- व्यय वाउचर के अभाव में इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार एवं टीडीएस कटौता आदि की जानकारी भी नहीं हो का जा सकी।

वाउचर विहीन/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में 30/03/20 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की धनराशि की उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में व्यय को वाउचर/प्रमाणक विहीन मानते हुए आपत्ति में अंकित कुल धनराशि ₹0 126085.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से तथा ग्राम सचिव श्री अमर बहादुर तिवारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-169**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में दिनांक 26.03.2020 को न्यू कलर हाउस एवं सेनेटरी वेयर अंकित कर ₹0 68450.00 का व्यय दर्शित किया गया है परंतु इसके सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 01- उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचर्स कार्य पत्रावलियां आडिट में प्रस्तुत नहीं की गईं जिससे/सम्बन्धित जांच एवं व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- पत्रावली के अभाव में उक्त कार्यों की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0, कार्य कराए जाने की तिथि, निर्माण कार्य एजेंसी तथा बिल/वाउचर/डिलिवरी चालान आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।
- 03- कार्य कराए जाने के स्थानों का नाम एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 04- कायाकल्प योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों के सम्बन्ध में सरकार एवं शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की जानकारी व्यय वाउचर्स/पत्रावलियों के अभाव में नहीं हो सकी।

वाउचर विहीन/प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय

वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में 30 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की धनराशि की उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में व्यय को वाउचर/प्रमाणक विहीन मानते हुए आपत्ति में अंकित कुल धनराशि **₹0 68450.** की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से तथा ग्राम सचिव श्री अमर बहादुर तिवारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-170

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार लाइट लगवाई पर ₹0 187200.00 व्यय दर्शित किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	दिनांक	आनलाइन/कैशबुक के अनुसार विवरण	धनराशि ₹0	अन्य
1	14.08.2019	लाइट	93600.00	
2	20.08.2019	लाइट	93600.00	
		<b>योग-</b>	<b>187200.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 01- उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचर्स कार्य पत्रावलियां आडिट में प्रस्तुत नहीं की गईं जिससे/सम्बन्धित जांच एवं व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- पत्रावली के अभाव में उक्त कार्यों की कार्य योजना का नाम, कोटेशन/टेण्डर, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।
- 03- लाइट लगवाए जाने के स्थानों का नाम एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 04- किस वेंडर/फर्म/एजेंसी द्वारा कार्य कराया गया है कैशबुक में दर्शित नहीं रहा। इसकी भी जानकारी व्यय वाउचर के अभाव में नहीं की जा सकी।

वाउचर/प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में 30 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की धनराशि की उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में व्यय को वाउचर/प्रमाणक विहीन मानते हुए आपत्ति में अंकित कुल धनराशि **₹0 187200.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से तथा ग्राम सचिव श्री अमर बहादुर तिवारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 171

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में ईंट क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है, परंतु इसके सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	दिनांक	आनलाइन/ कैशबुक के अनुसार विवरण	धनराशि ₹0	अन्य
1	20.11.2019	ब्रिक	90222.00	
2	02.12.2019	ब्रिक	18348.00	
3	27.02.2020	संजय ब्रिक फिल्ड	83191.00	
4	27.02.2020	संजय ब्रिक फिल्ड	52668.00	

5	19.03.2020	अतुल ईट	13475.00	
		<b>योग-</b>	<b>257904.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचर्स कार्य पत्रावलियां आडिट में प्रस्तुत नहीं की गईं जिससे सम्बन्धित जांच एवं व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- पत्रावली के अभाव में उक्त कार्यों की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0, कार्य कराए जाने की तिथि, निर्माण कार्य एजेंसी तथा बिल/वाउचर/डिलिवरी चालान आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।
- 03- कार्य कराए जाने के स्थानों का नाम जिनमें उक्त ईट प्रयुक्त हुई केशबुक में अंकित नहीं रहा एवं सम्बन्धित तीन स्टेप के फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 04- उक्त क्रय के सापेक्ष कोई मजदूरी केशबुक में खारिज कार्य का उल्लेख करते हुए खारिज नहीं की गई है ऐसी स्थिति में सामग्री का उपयोग आदि की जानकारी एवं जांच नहीं हो सकी।
- 05- कायाकल्प योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों के सम्बन्ध में सरकार एवं शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की जानकारी व्यय वाउचर्स/पत्रावलियों के अभाव में नहीं हो सकी।

वाउचर विहीन/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की धनराशि की उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में व्यय को वाउचर/प्रमाणक विहीन मानते हुए आपत्ति में अंकित कुल धनराशि **₹0 257904.00** की वसूली ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से तथा ग्राम सचिव श्री अमर बहादुर तिवारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-172**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि केशबुक में दिनांक **12.02.2020** में **₹0 478000.00** जे0 के0 ट्रेडर्स के खाते में स्थानांतरित किया गया है। केशबुक एवं व्यय वाउचर आडिट आनलाइन आदि कहीं भी किसी सामग्री अथवा कार्य का नाम अंकित नहीं किया गया है कि यह धनराशि जे0 के0 ट्रेडर्स को क्यों भुगतान की गई है। स्थानान्तरित धनराशि से ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गई है। वाउचर विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की धनराशि की उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में व्यय को वाउचर/प्रमाणक विहीन मानते हुए आपत्ति में अंकित कुल धनराशि **₹0 478000.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र मौर्य से तथा ग्राम सचिव श्री अमर बहादुर तिवारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-173-** ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शित किया गया है परंतु इसके सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	दिनांक	आनलाइन/ केशबुक के अनुसार विवरण	धनराशि ₹0	अन्य
1	28.11.2019	स्टेशनरी	5200.00	
2	26.02.2020	व्हाइट बोर्ड	33600.00	

3	27.02.2020	विकास हार्डवेअर	13440.00	
4	28.02.2020	मिट्टी कारटेज	30686.00	
5	11.03.2020	पेपर	6400.00	
6	19.03.2020	प्रकाश बिल्डिंग	14895.00	
		योग-	<b>104221.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचर्स कार्य पत्रावलियां आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे सम्बन्धित जांच एवं व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- क्रमांक 2 से 5 के विवरण में दर्शित सामग्री किस कार्य पर प्रयोग की गई कोई भी जानकारी आनलाइन केशबुक में नहीं दी गई है। नियम विरुद्ध विवरणहीन व्यय दर्शित कर एवं आहरित धन का दुरुपयोग कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गई है।

वाउचर विहीन/प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की धनराशि की उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में व्यय को वाउचर/प्रमाणक विहीन मानते हुए आपति में अंकित कुल धनराशि **रु० 104221.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से तथा ग्राम सचिव श्री अमर बहादुर तिवारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(71)-ग्राम पंचायत - ताहापुर विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर प्रस्तर-174**

ग्राम पंचायत ताहापुर विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में निम्न गबन/अनियमितता एवं दुरुपयोग के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की आडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु० 112000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०आडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु० 112000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अंगद यादव, श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डेय, रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री दयाराम वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-175**

ग्राम पंचायत ताहापुर की आडिट वर्ष 2019-20 में पाया गया कि केशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शित किया गया है परंतु इसके सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	दिनांक	आनलाइन/ केशबुक के अनुसार विवरण	धनराशि रु०	अन्य
1	01.04.2019	खडंजा निर्माण मटिरियल कास्ट	43034.00	
2	16.04.2019	खडंजा निर्माण मटिरियल कास्ट	40800.00	
3	16.04.2019	खडंजा निर्माण मटिरियल कास्ट	51000.00	

4	16.05.2019	खडंजा निर्माण मटेरियल कास्ट	147530.00	
5	16.05.2019	खडंजा निर्माण मटेरियल कास्ट	5400.00	
6	16.05.2019	खडंजा निर्माण मटेरियल कास्ट	24750.00	
7	15.06.2019	खडंजा निर्माण मटेरियल कास्ट	34830.00	
8	15.06.2019	खडंजा निर्माण मटेरियल कास्ट	23970.00	
		<b>योग-</b>	<b>371314.00</b>	

- 01- उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचर्स कार्य पत्रावलियां आडिट में प्रस्तुत नहीं की गईं जिससे/सम्बन्धित जांच एवं व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- पत्रावली के अभाव में उक्त कार्यों की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0, सामग्री क्रय/एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।
- 03- कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित तीन स्टेप के फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 04- खडंजा निर्माण पर मात्र मटेरियल कास्ट पर भुगतान दर्शित है। खडंजा निर्माण के सापेक्ष कोई मजदूरी कैशबुक में खारिज नहीं की गई है ऐसी स्थिति में सामग्री का दुरुपयोग किया गया है।

वाउचर विहीन/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है, कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की गई धनराशि को उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में व्यय को वाउचर/प्रमाणक विहीन मानते हुए आपत्ति में अंकित कुल धनराशि **₹0 371314.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री दयाराम वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री अंगद यादव से बराबर हिस्सों किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-176

ग्राम पंचायत ताहापुर की आडिट वर्ष 2019-20 में पाया गया कि आनलाइन/कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शित किया गया है परंतु इसके सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	दिनांक	आनलाइन/ कैशबुक के अनुसार विवरण	धनराशि ₹0	अन्य
1	01.04.2019	हैण्डपम्प मरम्मत मटेरियल कास्ट	20600.00	
2	01.04.2019	हैण्डपम्प मरम्मत मटेरियल कास्ट	13351.00	
3	10.05.2019	हैण्डपम्प मरम्मत मटेरियल कास्ट	36130.00	
4	10.05.2019	हैण्डपम्प मरम्मत मटेरियल कास्ट	16425.00	
5	08.08.2019	हैण्डपम्प मरम्मत मटेरियल कास्ट	9600.00	<b>96106.00</b>
6	17.01.2020	जी0पी0 में हैण्डपम्प रिबोर कार्य	78742.00	
7	04.02.2020	एच0पी0 रिबोर कार्य	31500.00	
8	09.03.2020	जी0पी0 में हैण्डपम्प रिबोर कार्य	28304.00	<b>138546.00</b>
		<b>योग-</b>	<b>234652.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

01- उक्त व्ययों से

- सम्बन्धित व्यय वाउचर्स आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- कार्य कराए जाने के स्थान आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 03- हैण्डपम्प मरम्मत के उक्त विवरण से स्पष्ट है हैण्डपम्प की मरम्मत पर बिना किसी मानक के मनमाना व्यय दर्शित किया गया है। जैसे हैण्डपम्प रिबोर पर उक्त सारणी के क्रमांक 6 पर ₹0 78742.00 व्यय किया दर्शित है जिसकी पत्रावली के अभाव में पूर्ण जांच नहीं की जा सकी।
- 04- हैण्डपम्प मरम्मत के पश्चात् प्राप्त निष्प्रयोज्य बहुमूल्य पार्ट का हिसाब नहीं रखा गया है जिसके हैण्डपम्प के खराब होने की भी पुष्टि नहीं होती है।
- 05- हैण्डपम्प मरम्मत पर केवल मटेरियल कास्ट पर व्यय दर्शित है। उक्त रिबोर कार्य के सापेक्ष कोई मजदूरी कैशबुक में खारिज नहीं की गई है ऐसी स्थिति में सामग्री का दुरुपयोग किया गया है।

वाउचर विहीन/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ **आपत्ति** में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में 30/04/20 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है, कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की धनराशि को उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में व्यय को वाउचर/प्रमाणक विहीन मानते हुए **आपत्ति** में अंकित कुल धनराशि **₹0 234652.00 में से ₹0 117326.00** की वसूली ग्राम प्रधान श्री दयाराम वर्मा से, ₹0 48053.00 की वसूली ग्राम सचिव श्री अंगद यादव से तथा ₹0 69273.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-177**

ग्राम पंचायत **ताहापुर** की आडिट वर्ष **2019-20** में पाया गया कि आनलाइन/कैशबुक में निम्न प्रकार एलईडी निर्माण मटेरियल कास्ट पर ₹132000.00 0 व्यय दर्शित किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	दिनांक	आनलाइन/कैशबुक के अनुसार विवरण	धनराशि ₹0	अन्य
1	12.07.2019	एलईडी निर्माण मटेरियल कास्ट	54000.00	
2	12.07.2019	एलईडी निर्माण मटेरियल कास्ट	78000.00	
		<b>योग-</b>	<b>132000.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-किस वेंडर/फर्म को एलईडी निर्माण मटेरियल कास्ट का भुगतान किया गया इसके मजदूरी भुगतान का विवरण कैशबुक में अंकित नहीं रहा। प्रमाणकों के अभाव में इसकी जांच एवं पुष्टि भी नहीं की जा सकी।
- 3-उक्त एल0ई0डी0 बल्ब मरम्मत की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। किस वेंडर से क्रय है इसका भी विवरण कैशबुक में दर्शित नहीं किया गया है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं।
- 5-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट/ एल0ई0डी0 बल्ब का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 6-उक्त एल0ई0डी0 शासनादेश में उल्लिखित मानक अनुरूप सार्वजनिक स्थानों पर लगवाई गई थी अथवा इसका व्यक्तिगत उपयोग नहीं किया गया था कि जांच एवं पुष्टि भी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी।

वाउचर विहीन/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ **आपत्ति** में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में 30/04/20 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों

के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है, कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की धनराशि को उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में व्यय को वाउचर/प्रमाणक विहीन मानते हुए आपत्ति नें अंकित कुल धनराशि **₹0 132000.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री दयाराम वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री अंगद यादव से बराबर हिस्सों किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-178**

ग्राम पंचायत ताहापुर की आडिट वर्ष **2019-20** में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	आनलाइन/कैशबुक के अनुसार विवरण	धनराशि ₹0	अन्य
15.04.2019	ह्यूम पाइप निर्माण मटेरियल कास्ट	30196.00	
12.07.2019	ह्यूम पाइप निर्माण मटेरियल कास्ट	65000.00	
12.07.2019	ह्यूम पाइप निर्माण मटेरियल कास्ट	65000.00	<b>160196.00</b>
17.01.2020	जी0पी0 में ह्यूम पाइप लगवाई कार्य	125000.00	<b>125000.00</b>
	योग-	<b>285196.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावतियां व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- किस वेंडर फर्म/को एलईडी निर्माण मटेरियल कास्ट का भुगतान किया गया इसका विवरण कैशबुक नें अंकित नहीं रहा। प्रमाणकों के अभाव में इसकी जांच एवं पुष्टि भी नहीं की जा सकी।
- 03- बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।
- 06- कार्य की फोटो तीन स्टेप की प्राप्त नहीं रही।
- 07- ह्यूम पाइप निर्माण पर केवल मटेरियल कास्ट पर व्यय दर्शित है। उक्त कार्य के सापेक्ष कोई मजदूरी कैशबुक में खारिज नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में सामग्री का दुरुपयोग किया गया है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है, कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की धनराशि को उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में **₹0 285196.00** में से **₹0 142598.00** की वसूली ग्राम प्रधान श्री दयाराम वर्मा से, **₹0 80098.00** की वसूली ग्राम सचिव श्री अंगद यादव से तथा **₹0 62500.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-179**

ग्राम पंचायत ताहापुर की आडिट वर्ष **2019-20** में पाया गया कि दिनांक 22.01.2020 को **₹0 250000.00** प्राथमिक पाठशाला में टाइल्स लगवाई कार्य पर तथा दिनांक 17.02.2020 में **₹0 136000.00** प्राथमिक पाठशाला में इण्टरलाकिंग कार्य पर व्यय दर्शित कर कुल **₹0 386000.00** का भुगतान किया गया है। जिसकी जांच में निम्न आपत्तियां पाई गई-

- 01- उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचर्स एवं कार्य पत्रावलियां आडिट में प्रस्तुत नहीं की गईं जिसके कारण व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- पत्रावली के अभाव में उक्त कार्यों की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, तकनीक एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।
- 03- कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित तीन स्टेप के फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।

- 04- उक्त विद्यालय में कायाकल्प योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों के सम्बन्ध में सरकार एवं शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की जानकारी व्यय वाउचर्स एवं कार्य पत्रावलियों के अभाव में नहीं हो सकी।
- 05- किसी कार्य पर 250000.00 एवं 136000.00 के व्यय जो सम धनराशि के गुणांक में हैं कार्य पर भुगतान किया गया है जो संदिग्ध है।

वाउचर विहीन/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है, कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की धनराशि को उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में व्यय को वाउचर/प्रमाणक विहीन मानते हुए आपत्ति में अंकित कुल धनराशि ₹0 386000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री दयाराम वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डेय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-180**

ग्राम पंचायत ताहापुर की आडिट वर्ष 2019-20 में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार इण्टरलाकिंग निर्माण मटेरियल कास्ट पर व्यय दर्शित किया गया है परंतु इसके सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	दिनांक	आनलाइन/ कैशबुक के अनुसार विवरण	धनराशि रु0	अन्य
1	14.08.2019	इण्टरलाकिंग निर्माण मटेरियल कास्ट	139840.00	
2	14.08.2019	इण्टरलाकिंग निर्माण मटेरियल कास्ट	104500.00	
3	14.08.2019	इण्टरलाकिंग निर्माण मटेरियल कास्ट	29916.00	
4	14.08.2019	इण्टरलाकिंग निर्माण मटेरियल कास्ट	38418.00	
5	14.08.2019	इण्टरलाकिंग निर्माण मटेरियल कास्ट	24608.00	
6	24.08.2019	इण्टरलाकिंग निर्माण मटेरियल कास्ट	21288.00	
		योग-	<b>358570.00</b>	

- 01- उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचर्स कार्य पत्रावलियां आडिट में प्रस्तुत नहीं की गईं जिससे सम्बन्धित जांच एवं व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- पत्रावली के अभाव में उक्त कार्यों की कार्य योजना, कोटेशन/टेंडर, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0, सामग्री क्रय/एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।
- 03- कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित तीन स्टेप के फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 04- उक्त विवरण से स्पष्ट है कि इण्टरलाकिंग निर्माण पर मात्र मटेरियल कास्ट पर भुगतान दर्शित है। इण्टरलाकिंग निर्माण के सापेक्ष कोई मजदूरी कैशबुक में खारिज नहीं की गई है ऐसी स्थिति में सामग्री का दुरुपयोग किया गया है।

वाउचर विहीन/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है, कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की गई धनराशि को उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में व्यय को वाउचर/प्रमाणक विहीन मानते हुए आपत्ति में अंकित कुल धनराशि ₹0 358570.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री दयाराम वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री अंगद यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर-181

ग्राम पंचायत ताहापुर की आडिट वर्ष 2019-20 में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार प्रशासनिक मद पर व्यय दर्शित किया गया है परंतु इसके सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	दिनांक	आनलाइन/ कैशबुक के अनुसार विवरण	धनराशि रु0	अन्य
1	17.01.2020	प्रशासनिक व्यय	18256.00	
2	05.03.2020	ग्राम पंचायत में प्रशासनिक मद पर व्यय	18460.00	
3	09.03.2020	ग्राम पंचायत में प्रशासनिक मद पर व्यय	18460.00	
		<b>योग-</b>	<b>55176.00</b>	

01- उक्त प्रशासनिक व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचर्स कार्य पत्रावतियां आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे/सम्बन्धित जांच एवं व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

02- किन मदों पर उक्त धनराशि व्यय की गई कार्य पत्रावली के अभाव में इसकी जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी।

वाउचर विहीन/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है, कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की गई धनराशि को उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में व्यय को वाउचर/प्रमाणक विहीन मानते हुए आपत्ति में अंकित कुल धनराशि रु0 55176.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री दयाराम वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डेय से बराबर हिस्सों किया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर-182

ग्राम पंचायत ताहापुर की आडिट वर्ष 2019-20 में पाया गया कि दिनांक 16.05.2019 में रु0 62730.00 सोख्ता मटेरियल कास्ट पर व्यय दर्शित है। उक्त व्यय से सम्बन्धित वाउचर्स आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके कारण व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली के अभाव में उक्त कार्यों की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में रकोई जांच नहीं का जा सकी। सोख्ता निर्माण कार्य पर मात्र मटेरियल कास्ट पर भुगतान दर्शित है। इसके सापेक्ष कोई मजदूरी कैशबुक में खारिज नहीं की गई है ऐसी स्थिति में सामग्री का दुरुपयोग किया गया है।

उक्त वाउचर विहीन/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है, कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की धनराशि को उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में व्यय को वाउचर/प्रमाणक विहीन मानते हुए आपत्ति में अंकित कुल धनराशि रु0 62730.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री दयाराम वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री अंगद यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर-183

ग्राम पंचायत ताहापुर की आडिट वर्ष 2019-20 में पाया गया कि दिनांक 22.01.2020 में रु 127500.00 जी0पी0 में बेंच लगवाई कार्य पर व्यय दर्शित है। व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर्स आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली के अभाव में उक्त कार्यों की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, तकनीकी एवं वित्तीय

स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी। । इसके लगवाए जाने के स्थान आदि की जांच एवं पुष्टि भी व्यय वाउचर के अभाव में नहीं किया जा सका।

उक्त वाउचर विहीन/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ **आपत्ति** में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में 30/09/2011 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है, कि उक्त नियम विरुद्ध/वाउचर विहीन व्यय की धनराशि को उनसे भुगतान करने की अपेक्षा क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में व्यय को वाउचर/प्रमाणक विहीन मानते हुए **आपत्ति** में अंकित कुल धनराशि **रु0 127500.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री दयाराम वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डेय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(72)-ग्राम पंचायत - हाजीपुर विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर-184

ग्राम पंचायत हाजीपुर, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने के निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

03- 01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 220000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 220000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार, रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान विमल कुमार से इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(73)-ग्राम पंचायत - हरिपालपुर विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर-185

ग्राम पंचायत हरिपालपुर, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने के निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

04- 01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 282000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 282000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री मती रीमा देवी, रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री राम आसरे से इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(74)-ग्राम पंचायत - भदोई विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर-186

ग्राम पंचायत **भदोई**, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने के निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01- 01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 589000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश **संख्या** 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 589000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डेय, एवं ग्राम प्रधान श्री मती मंजू देवी से इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(75)-ग्राम पंचायत - **आशीपुर** विकास खण्ड- **जलालपुर** जनपद - **अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर-187**

ग्राम पंचायत **आशीपुर**, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने के निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 38000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश **संख्या** 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 38000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री मती कमिता यादव, एवं ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र वर्मा से इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-188**

ग्राम पंचायत की आडिट में टाइल्स निर्माण कार्य की जांच में पाया गया कि दिनांक 13.02.2020 में प्रा0वि0 आशीपुर में टाइल्स निर्माण पर जे0के0 ट्रेडर्स को रु0 277000.00 का भुगतान किया गया है। जिसकी जांच न निम्न अनियमितताएं पाई गई है:-

01- उक्त कार्य पर जे0के0 ट्रेडर्स दोस्तपुर रोड सोनगांव अम्बेडकर नगर के बिल आफ सप्लाइ क्रमांक **संख्या** 61 दिनांक 06.02. के आधार पर किया गया 2020 है। बिल पर मात्र प्रा0वि0 में टाइल्स सप्लाइ एवं मजदूरी भुगतान अंकित करते हुए रु 277000.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार 13.02. को कर दिया गया 2020 है। बिल पर मदवार विवरण , मात्रा , ब्रांड तथा मजदूरी आदि की मदवार धनराशि कुछ भी अंकित नहीं है भुगतान नियम विरुद्ध एवं अमान्य बिल के आधार पर किया गया है।

02- उक्त कार्य की एम 0बी0सहित पूर्ण पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे सम्बन्धित जांच एवं व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

07- उक्त कार्य पर मात्र टाइल्स सप्लाइ की गई है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट हो जाता है कार्य अन्य सामग्री के अभाव में हुआ ही नहीं बल्कि मिलीभगत कर सामग्री अथवा उक्त धनराशि का के भुगतान में भारी अनियमितता करके अपहरण किया गया है।

नियमों के विपरीत किए गए व्यय/भुगतान हेतु प्राप्त बिल आडिट में अमान्य पाये गये जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान, ग्राम सचिव एवं जिम्मेदार अधिकारी से की गई है। अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त रु0 277000.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान

श्री शैलेन्द्र, ग्राम सचिव श्रीमती कमिता यादव से बराबर हिस्सों में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-189**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट/सोलर लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	कैशबुक में दर्शित विवरण	धनराशि रु0
14.06.2019	स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्मत क्रय हेतु एमएस कांस्ट्रक्शन को भुगतान	99750.00
14.06.2019	स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्मत क्रय हेतु एमएस कांस्ट्रक्शन को भुगतान	99750.00
	योग-	199500.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्मत / सोलर मरम्मत की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं।
- 4-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।
- 5-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 06-उक्त प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत लगवाए जाने से स्थानों के नाम एवं फोटो आदि भी आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

01- अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित 1अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु0 199500.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री शैलेन्द्र वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री मती कमिता यादव से बराबर हिस्सों में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(76)-ग्राम पंचायत - सुरहुरपुर विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर

**प्रस्तर-190**

ग्राम पंचायत सुरहुरपुर , विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने के निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01- 01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 6000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 6000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री शशिकपूर, एवं ग्राम प्रधान श्री

मती आशा देवी से इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(77)-ग्राम पंचायत - गौराकमाल विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर प्रस्तर-191

ग्राम पंचायत गौराकमाल, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने के निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल ₹0 28000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय ₹. 28000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप कुमार एवं श्री मती कमिता यादव, एवं ग्राम प्रधान श्री रामकुबेर सेइसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-192**

ग्राम पंचायत की आडिट में टाइल्स निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि दिनांक 07.03.2020 में प्रा०वि० गौरा कमाल में टाइल्स निर्माण पर जे०के० ट्रेडर्स को ₹0 360000.00 का भुगतान किया गया है। जिसकी पत्रावली की जांच न निम्न अनियमितताएं पाई गई है:-

01-उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियंता द्वारा दिनांक 20.02.2020 को एवं वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 22.02.2020 को ₹0 360000.00 की प्रदान की गई है। स्पष्ट करना है कि इस्टीमेट में सर्व प्रथम कुल लागत (358995.43+12प्रतिशत जी एस टी 43079.45=402075.00) 402075.00 आंकलित की गई है। परंतु इस्टीमेट के इसी पृष्ठ पर 402075.00 के स्थान पर इसके विरुद्ध (358995.43b - 10प्रतिशत सी पी 35899.58.00=323096.00+12प्रतिशत जी एस टी 38871.54=361867.76 या 362000.00 पुनः आंकलित किया गया। परंतु इस आगणन को भी कलम से काटकर सहायक अभियंता द्वारा ₹0 360000.00 की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके आधार पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ₹0 360000.00 प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है। उल्लेखनीय है कि किसी कार्य के इस्टीमेट की धनराशि को दो बार बदल कर तीसरी बार भी आगणित धनराशि को बदलकर स्वीकृत करने कारण आडिट में स्पष्ट नहीं हो सका। यह स्थिति स्थापित विधिक व्यवस्थाओं के विपरीत है।

02-उल्लेखनीय है कि संलग्न इस्टीमेट की धनराशियों में की गई काटपीट एवं बदलाव अत्यंत ही लापरवाहीपूर्ण है। जबकि किसी भी प्रकार के हिसाब में कटिंग/ओवर राइटिंग उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 185 के विपरीत है।

03-उक्त इस्टीमेट की कुल धनराशि ₹0 360000.00 जे०के० ट्रेडर्स दोस्तपुर सोनगाव को उसके बिल क्रमांक 72 दिनांक 06.03.2020 के आधार पर किया गया है। बिल मात्र टाइल्स सप्लाइ अंकित करते हुए निर्गत है। बिल पर सामग्री का मदवार विवरण यथा मद का नाम, मात्रा, दर, ब्रांड नाम आदि अंकित नहीं किया गया था। भुगतान नियम विरुद्ध एवं अमान्य बिल के आधार पर किया गया है

04-जी एस टी नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप पर बिल आफ सप्लाइ की रसीद भी प्राप्त नहीं रही। उक्त भुगतानित ₹0 360000.00 में ₹0 38772.00 की जी एस टी भी शामिल है। जबकि जी एस टी सामग्री सेवा मूल्य में शामिल नहीं की जा सकती है इसे अलग/ से बिल पर दर्शाए जाने की अनिवार्यता है एवं बिल आफ सप्लाइ पर जी एस टी का भुगतान जी एस टी नियमों के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है कि उक्त भुगतान राजकीय क्षति है।

05-उक्त कार्य की एम०बी० आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे सम्बन्धित जांच एवं व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

06-उक्त कार्य पर मात्र टाइल्स सप्लाइ की गई है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट हो जाता है कार्य अन्य सामग्री के अभाव में हुआ ही नहीं बल्कि मिलीभगत कर सामग्री अथवा उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है।

07-निविदा का प्रकाशन दिनांक नें अवध नगरी समाचार पत्र में किया गया है जबकि तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति 14.02.2020 क्रमशः दिनांक 20.02.2020 तथा दिनांक 22.02.2020 को प्राप्त है। निविदा का प्रकाशन तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के पूर्व किया जाना नियम विरुद्ध एवं विधि द्वारा स्थापित विधिक व्यवस्था का उल्लंघन है।

08-ईग्राम स्वराज साइट पर प्राप्त कैशबुक में उक्त धनराशि रूके 360000.00 0 भुगतान का दो बार लेखा पारित किया गया है। दिनांक में वाउचर 05.03.2020संख्या एफ एफ सी /2019-20/P/20 से तथा दिनांक में 06.03.2020वाउचर संख्या एफ एफ सी /2019-20/P/21 से। जो ईग्राम स्वराज साइट पर कैशबुक में की जा रही लापरवाहीपूर्ण फिडिंग को दर्शाती है।

नियमों के विपरीत वाउचर/प्रमाणक के आधार पर किए गए व्यय आडिट में अमान्य पाये गये जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान, ग्राम सचिव एवं जिम्मेदार अधिकारी से की गई है। अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त रू0 360000.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम कुबेर, ग्राम सचिव श्रीमती कमिता यादव, जेई आर0ई0डी0 श्री एस0के0 मिश्रा से बराबर हिस्सों में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर-193

हरीराम के खेत से पंचायत भवन तक मिट्टी खड़जा निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य पर कैशबुक के अनुसार रू0 87321.00 की ईट वर्मा ब्रिक फिल्ड से दिनांक 07.03.2020 में तथा मजदूरी की भुगतान दिनांक 09.03.2020 में रू0 27288.00 का किया जाना दर्शित है। जिसमें निम्नआपतियां पाई गई:-

01- उक्त कार्य पर मजदूरी हेतु नकद आहरित धनराशि रूमें 27288.00 0 से कारटेज भुगतान रू कैशबुक में दर्शित 12000.00 0 किया गया है परंतु किसको भुगतान किया गया इसका विवरण कैशबुक में नहीं दिया गया है और इसकी रसीद भी प्रस्तुत नहीं की गई जबकि ट्राली कारटेज का भुगतान अलग से एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से किया जाना था।

02- उक्त कार्य पर 15490 ईट रू0 5700.00 प्रति हजार के स्थान पर रू0 5985.00 प्रति हजार की दर से की गई है। इस प्रकार 285 रू0 प्रति हजार की दर से 15490 ईट के लिए रू0 4415.00 का अधिक का भुगतान किया गया है।

इस प्रकार पर उक्त कार्य पर कुल अनियमित एवं अधिक भुगतानित रू0 (12000+4415=16415.00) 16415.00 के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त रू0 16415.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम कुबेर, ग्राम सचिव श्रीमती कमिता यादव, जेई आर0ई0डी0 श्री एस0के0 मिश्रा से बराबर हिस्सों में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर-194

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में रामगढ़ रोड से पंचायत भवन तक मिट्टी खड़जा निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि कैशबुक के अनुसार वर्मा ब्रिक फिल्ड से उक्त कार्य पर निम्न प्रकार ईट क्रय एवं मजदूरी का भुगतान किया गया दर्शित है:-

क्र0	दिनांक	फर्म का नाम	मात्रा/दर	मूल्य	टीडीएस कटौती	शुद्ध भुगतान
01	15.06.2019	वर्मा ब्रिक फिल्ड	22000/5100	122000.00	2547.00	109653.00
02	03.07.2019	„	5560/5100	28356.00	644.00	27712.00
		„			3191.00	
03	07.03.2020	„	15060/5985	90134.00	---	90134.00
04	09.03.2020	उक्त कार्य पर मजदूरी एवं कारटेज भुगतान		57534.00		57534.00 (23500+34034=57534.00)
					योग-	285033.00

उक्त कार्य की पत्रावली जांच में निम्नआपत्तियां पाई गई:-

- 01- विवरण क्रमांक एवं 02 पर अंकित 01 वर्मा ब्रिक फिल्ड से ईट क्रय बिलों से रू स्रोत पर कर कटौती की गई है 3191.00 0 परंतु राजकीय कोष जमा नहीं किया गयाहै।
- 02- विवरण से स्पष्ट है कि ईट क्रय 15.06.2020 से लेकर 09.03.2020 तक किया गया है। अंतिम क्रय के बिल की तिथि 04.03.2020 है। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से लेकर वित्तीय वर्ष के अंत तक एक कार्य पर विना किसी कारण क्रय किया गया है जो कार्य पर अनियमित भुगतान की ओर संकेत करता है।
- 03- मजदूरी का भुगतान 09.03.2020 को रू0 34034.00 तथा टाली कार्टेज का भुगतान रू0 23500.00 का किया गया है परंतु मस्टररोल एवं कारटेज का व्यय प्रमाणक आडिट में अप्राप्त रहा अतः कार्य के कराने की अवधि अज्ञात रही।
- 04- उक्त कार्य पर ईट का क्रय पी 0डब्ल्यू दर रू0 5700.00 प्रतिहजार के स्थान पर रू0 285 प्रतिहजार से .अधिक रू0 की दर से किया गया 5985.00है। इस प्रकार 15060.00 ईट के लिए रू. 4292.00 का अधिक भुगतान किया गया है।
- 05- उक्त कार्य पर कारटेज का भुगतान मजदूरी हेतु नकद आहरित धनराशि रू0. 57534.00 में से रू. 023500.00 कैशबुक में अंकित किया गया है परंतु किसको भुगतान किया गया इसका विवरण न तो कैशबुक में दिया गया है और न ही इसकी रसीद ही आडिट में प्रस्तुत की गई। जबकि टाली कारटेज का भुगतान रू0 23500.00 अलग से एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना था।

नियमों के विपरीत वाउचर/प्रमाणक के आधार पर किए गए व्यय आडिट में अमान्य पाये गये जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(ख) एवं विना व्यय प्रमाणक 8 के खण्ड 8(क) एवं 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान, ग्राम सचिव एवं जिम्मेदार अधिकारी से की गई है। अतः 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त रू0 285033.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम कुबेर, ग्राम सचिव प्रदीप कुमार दूबे, श्रीमती कमिता यादव एवं जेई आर0ई0डी0 श्री एस0के0 मिश्रा से बराबर हिस्सों में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-195

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक के अनुसार निम्न विवरणानुसार विभिन्न मदों पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्नआपत्तियां पाई गई हैं-

दिनांक	मैनुअल कैशबुक में मद का नाम	धनराशि रू0	ईग्राम स्वराज की कैशबुक में
22.05.2019	समर सेबुल कार्य पर भुगतान	47106.00	समरसेबुल कास्ट
03.07.2019	पंचायत भवन पर विददुती करण कार्यक्रम पर भुगतान	15500.00	समर सेबुल कार्य पर भुगतान
03.07.2019	पंचायत भवन हेतु आलमारी कुर्सी आदि	19800.00	पंचायत भवन मटेरियल मरम्मत कास्ट
03.07.2019	पंचायत भवन हेतु मेज कुर्सी आदि	17850.00	पंचायत भवन पर समरसेबुल
	योग-	100256.00	

01- उक्त व्यय के वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए। उक्त व्ययों के क्रमांक 02,03, एवं 04 के भुगतान नकद किया गया है जबकि इनका भुगतान एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से किया जाना था।

02-समरसेबुल कहां तथा किस फर्म/दुकान से लगवाए गए व्यय प्रमाणकों के अभाव में जानकारी नहीं हो सकी।

03- मैनुअल कैशबुक में एवं ई ग्राम स्वराज की कैशबुक में मद का नाम भिन्न-भिन्न अंकित है।

02- नियमों के विपरीत वाउचर/प्रमाणक के आधार पर किए गए व्यय आडिट में अमान्य पाये गये जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(ख) एवं 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान, ग्राम सचिव एवं जिम्मेदार अधिकारी से की गई है। अतः 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256

के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त रु0 100256.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम कुबेर, ग्राम सचिव श्री प्रदीप कुमार दूबे, श्रीमती कमिता यादव, जेई आर0ई0डी0 श्री एस0के0 मिश्रा से बराबर हिस्सों में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(78)-ग्राम पंचायत - बैरागल विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर-196

ग्राम पंचायत बैरागल, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने के निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01- 01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 615000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 615000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री मती शशिकपूर एवं ग्राम प्रधान श्री जसवंत सिंह से इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(79)-ग्राम पंचायत - धवरूआ विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर-197

ग्राम पंचायत धवरूआ, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने के निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01- 01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 693000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 693000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अंगद कुमार, श्री दुर्गा प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्री मती फूलमती से इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(80)-ग्राम पंचायत - सल्लाहपुर अकबालपुर विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर-198

ग्राम पंचायत सल्लाहपुर अकबालपुर, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने के निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01- 01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 1007000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था

में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 1007000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद, एवं ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार सेइसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

**(81)-ग्राम पंचायत - खलिशपुक मटौली विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर प्रस्तर-199**

ग्राम पंचायत **खलिशपुक मटौली**, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने के निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01- 01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 424000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 424000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश वर्मा, एवं ग्राम प्रधान श्री मती वंदना पाण्डेय सेइसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

**(82)-ग्राम पंचायत - गुवावा जमालपुर विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर प्रस्तर-200**

ग्राम पंचायत **गुवावा जमालपुर**, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने के निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01- 01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 587000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 587000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अंगद यादव, एवं ग्राम प्रधान श्री महेंद्र प्रताप सेइसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

**(83)-ग्राम पंचायत - गुवापाकड़ विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर प्रस्तर-201**

ग्राम पंचायत **गुवापाकड़**, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने के निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

01- 01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 84000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत

नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 84000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री सुनील सोनकर , एवं ग्राम प्रधान श्री बाबूराम सेइसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

**(84)-ग्राम पंचायत - उसरहा विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर प्रस्तर-202**

ग्राम पंचायत उसरहा, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना कर किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने के निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

**01-** ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
21.12.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	18245.00	
	योग-	<b>18245.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1- हैण्डपम्प मरम्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

02- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आड़ू से अथवा बिना आड़ू के मरम्मत करारक नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि प्रतिवेदन प्राप्त के 60 दिन के अंदर समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण आडिट के समक्ष सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाय। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती सुषमा एवं ग्राम सचिव श्री आंकार नाथ यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(85)-ग्राम पंचायत - अजानपारा विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर प्रस्तर-203**

ग्राम पंचायत अजानपारा, विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों के विपरीत व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने के निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

**01-** 01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 262000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 262000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री सुनील सोनकर , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री मती गीता यादव से इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

**(86)-ग्राम पंचायत - लखनिया विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर प्रस्तर-204**

ग्राम-पंचायत लखनिया की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में हैण्डपंप रिबोर पर निम्न प्रकार का व्यय दर्शाया गया है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	फार्म जिसको भुगतान हुआ
1-	04-04-2019	30,100.00	जय ट्रेडर्स को भुगतान किया गया
2-	20-06-2019	30,100.00	जय ट्रेडर्स को भुगतान किया गया
	योग-	<b>60,200.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में निम्न गंभीर आपत्तिया प्रकाश में ई है:-

- 1- पंचायती राज अनुभाग -3 के शासनादेश सं० 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19-06-2017 के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची एवं मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 2- इस सन्दर्भ में जल प्रबंधन समिति की अनुसंशा को भी कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहने से पुष्टि नहीं किया जा सका।
- 3- हैंडपंप रिबोर से सम्बंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से कार्य के एस्टीमेट, हैंडपंप खराब होने की सुचना जल निगम द्वारा अप्रोच्य होने का प्रमाणन पर टिप्पड़ी नहीं की जा सकी।
- 4- लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बंधित किसी प्रकार का व्यय प्रमाणन भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष में उपरोक्त विवरणानुसार रिबोर मरम्मत पर व्यय केशबुक में दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणन, ग्राम सभा का प्रस्ताव, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं कराया गया है। अतः उपरोक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशी का अपहरण किया गया है जो ग्राम पंचायत के वित्त एव लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है उक्त धनराशि की वशूली ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी एवं पंचायत सचिव श्री प्रवीन कुमार वर्मा से सत्युक्त रूप से अध्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

**(87)-ग्राम पंचायत - वाजिदपुर विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर प्रस्तर-205**

ग्राम- वाजिदपुर की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में हैंडपंप रिबोर पर निम्न प्रकार का व्यय दर्शाया गया है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	फार्म जिसको भुगतान हुआ
3-	15-07-2019	30,196.00	मेसर्स ओम ट्रेडर्स को भुगतान किया
4-	15-07-2019	30,196.00	मेसर्स ओम ट्रेडर्स को भुगतान किया
5-	15-07-2019	29,916.00	मेसर्स ओम ट्रेडर्स को भुगतान किया
	योग-	<b>90,308.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में निम्न गंभीर आपत्तिया प्रकाश में ई है:-

- 5- पंचायती राज अनुभाग -3 के शासनादेश सं० 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19-06-2017 के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची एवं मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 6- इस सन्दर्भ में जल प्रबंधन समिति की अनुसंशा को भी कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहने से पुष्टि नहीं किया जा सका।
- 7- हैंडपंप रिबोर से सम्बंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से कार्य के एस्टीमेट, हैंडपंप खराब होने की सुचना जल निगम द्वारा अप्रोच्य होने का प्रमाणन पर टिप्पड़ी नहीं की जा सकी।
- 8- लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बंधित किसी प्रकार का व्यय प्रमाणन भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष में उपरोक्त विवरणानुसार रिबोर मरम्मत पर व्यय केशबुक में दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणन, ग्राम सभा का प्रस्ताव, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं कराया गया है। अतः उपरोक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशी का अपहरण किया गया है जो ग्राम पंचायत के वित्त एव लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है। उक्त धनराशि की वशूली ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता एवं पंचायत सचिव श्रीमती मिथिलेश से सत्युक्त रूप से अध्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

**(88)-ग्राम पंचायत - ज्योतिपुर समैसा विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर प्रस्तर-206**

ग्राम- ज्योतिपुर समैसा की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में हैंडपंप रिबोर पर निम्न प्रकार का व्यय दर्शाया गया है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	फार्म जिसको भुगतान हुआ
6-	18-04-2019	30,600.00	मेसर्स अखिलेश्वर चौधरी को भुगतान किया
7-	24-04-2019	30,159.00	मेसर्स अखिलेश्वर चौधरी को भुगतान किया

8-	14-08-2019	29,800.00	मेसर्स अखिलेश्वर चौधरी को भुगतान किया
9-	14-08-2019	29,450.00	मेसर्स अखिलेश्वर चौधरी को भुगतान किया
योग-		<b>1,20,009.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में निम्न गंभीर आपत्तिया प्रकाश में ई है:-

- 9- पंचायती राज अनुभाग -3 के शासनादेश स० 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19-06-2017 के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची एवं मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 10- इस सन्दर्भ में जल प्रबंधन समिति की अनुसंशा को भी कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहने से पुष्टि नहीं किया जा सका।
- 11- हैंडपंप रिबोर से सम्बंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से कार्य के एस्टीमेट, हैंडपंप खराब होने की सुचना जल निगम द्वारा अप्रोज्य होने का प्रमाणन पर टिप्पड़ी नहीं की जा सकी।
- 12- लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बंधित किसी प्रकार का व्यय प्रमाणन भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष में उपरोक्त विवरणानुसार रिबोर मरम्मत पर व्यय केशबुक में दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणन, ग्राम सभा का प्रस्ताव, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं कराया गया है। अतः उपरोक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जो ग्राम पंचायत के वित्त एव लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है। उक्त धनराशि रु- 1,20,009.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अमरजीत एवं पंचायत सचिव श्रीमती कविता यादव से सय्युक्त रूप से अध्यावधि किया जाना अपेक्षित है ।

**(89)-ग्राम पंचायत - नगपुर विकास खण्ड- जलालपुर जनपद - अम्बेडकरनगर प्रस्तर-207**

ग्राम पंचायत नगपुर विकास खण्ड जलालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में नियमों एवं शासनादेशों के विपरीत व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत कर जांच न कराए जाने के निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

आडिट में पाया गया कि निम्न ईट भट्ठों/फर्मों से विभिन्न तिथियों में निर्धारित दर से अधिक दर पर ईट/सीमेंट ईट क्रय किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

केशबुक/बिल में भुगतान का दिनांक	आपूर्ति कर्ता फर्म/ईट भट्ठे का नाम	खरीद मात्रा/दर प्रति हजार	मूल्य	वस्तु/सेवा की कीमत(पी0डब्ल्यू0डी0) के अनुसार मात्रा/दर प्रति हजार	मूल्य	अंतर की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
13.01.2020/04.08.2019	भूलापुर इमामबाड़े से अबुल हसन के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु गौतम कांटेक्टर इण्टरलाकिंग ईट उद्दोग महमदपुर हमजा से ईट क्रय	6353/24.67	156728.00	6353/22	139766.00	16962.00
अप्राप्त/08.09.2019	हनुमान मंदिर परिसर में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु गौतम कांटेक्टर इण्टरलाकिंग ईट उद्दोग महमदपुर हमजा से ईट क्रय	11000/23	253000.00	11000/22	242000.00	11000.00

		409728.00	381766.00	27962.00
--	--	-----------	-----------	----------

आडिट में पाया गया कि पी0डब्ल्यू0डी0 दर सूची (एस.ओ.आर.) के अनुसार 01.07.2019 से इण्टरलाकिंग ईट की दर रु. 22.00 निर्धारित है, परंतु ग्राम पंचायत में जूनियर इंजिनियर लघु सिंचाई विभाग, श्री विक्रमजीत वर्मा द्वारा उक्त विवरण के अनुसार इनकी एम0बी0 क्रमशः रु0 24.67 एवं 23.00 प्रति इण्टरलाकिंग ईट की गई है। जिसके आधार पर भुगतान करके रु. 27962.00 से ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गई है। पूछने पर बताया गया कि पहले से एम.बी.(मापी) में जी एस टी . की एम0बी0 कर दिए जाने के कारण इसका भुगतान किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों में दर विश्लेषण, निर्धारण एवं प्राप्त बिलों की जानकारी के आधार पर एम0बी0 किए जाने आदि की जिम्मेदारी तकनीकी अधिकारी के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तैनात जूनियर इंजिनियर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/लघु सिंचाई विभाग को सौंपी गई है। अतः इस अधिक एवं अनियमित भुगतान के लिए जूनियर इंजिनियर लघु सिंचाई श्री विक्रमजीत वर्मा जिम्मेदार हैं।

अतः उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में **जे.ई.एम.आई. श्री विक्रमजीत वर्मा से उक्त रु0 27962.00 की ब्याज सहित वसूली** इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमर बहादुर तिवारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-208

02-ग्राम पंचायत नगपुर की आडिट वर्ष 2019-20 में पाया गया कि सुपर ईट भट्टा भगवानपुर जलालपुर द्वारा दिनांक 13.01.2020 में रु0 25505.00 मूल्य की एस0ओ0बी0 ईट आपूर्ति ग्राम पंचायत में की गई है। जिसमें रु0 2643.00 की जी एस टी . अलग से लगाकर भुगतान लिया गया है। यह फर्म केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम 2017 के अध्याय-2 के नियम 5 (1f) के अनुसार कम्पोजीशन स्कीम के अन्तर्गत कम्पोजीशन टैक्सबल पर्सन है जो आपूर्ति पर कर लेने योग्य नहीं है। परन्तु रु. 2643.00 का जी एस टी . भुगतान जे.ई.एम.आई. श्री विक्रमजीत वर्मा की एम.बी.(मापी) के आधार पर किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों में दर विश्लेषण, निर्धारण आदि की जिम्मेदारी तकनीकी अधिकारी के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तैनात जूनियर इंजिनियर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को सौंपी गई है। उक्त भुगतान के सम्बन्ध में पूछने पर बताया गया कि पहले से एम.बी.(मापी) में जी एस टी . की मापी कर दिए जाने के कारण इसका भुगतान किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में श्री विक्रमजीत वर्मा से विभागीय अधिकारियों के माध्यम से स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में रु0 2643.00 की ब्याज सहित वसूली श्री विक्रमजीत वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

#### (90) ग्राम पंचायत- बिजली पंडौली, विकास खण्ड - जहांगीरगंज, जनपद- अम्बेडकरनगर

#### प्रस्तर- 209

केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइंस एवं विभिन्न शासनादेशों के अनुसार ग्राम पंचायत में सितम्बर,2019 से सभी भुगतान पी० एफ० एम० एस० के द्वारा होगा |इसके अनुसार मजदूरों की मजदूरी उनके खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी |

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय कार्यों पर मजदूरी सम्बंधित मजदूरों के खातों में न भेजकर किसी एक ही मजदूर के खाते में भेज दी गयी है जो गंभीर वित्तीय अनियमिता है ,कैशबुक के अनुसार इसका विवरण

निम्नवत है -

क्र.सं.	कार्य का नाम	दिनांक	एक ही व्यक्ति के खाते में प्रेषित धनराशि(रु० में )
1-	अमित वर्मा के घर से जय कारन के घर तक खडंजा निर्माण	07/12/2019	23803.00
2-	गंगाराम के घर से कमलेश के घर तक खडंजा निर्माण	07/12/2019	35724.00
3-	पुकार के घर से डीह स्थान तक नाली निर्माण	20/12/2019	11946.00
4-	प्रा० वि० बिजली पंडौली में फर्श मरम्मत	18/01/2020 18/01/2020	11700.00 11700.00
5-	मेनरोड से पूरब पुलिया तक खडंजा मरम्मत	21/03/2020 21/03/2020	13500.00 13500.00

	21/03/2020	13500.00
	21/03/2020	13500.00
<b>कुल योग</b>		<b>148873.00</b>

इस प्रकार कतिपय मजदूरों की मजदूरी रु०-148873.00 उनके खातों में न भेजकर किसी एक व्यक्ति (मजदूर)के खाते में भेजकर भुगतान करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है ,जिसके लिए सेक्रेटरी,ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान उत्तरदायी हैं ,इसलिए इसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित रहा।फलतः रु० 148873.00 का आधा रु० 74437.00 ग्राम प्रधान श्री श्रीराम पाण्डेय से एवं रु० 74437.00 सेक्रेटरी,ग्राम पंचायत श्री जीतेंद्र सिंह से ब्याज सहित वसूल करके ग्राम निधि खाते में जमा किया जाना अपेक्षित रहा ।

**(91) ग्राम पंचायत- फतेपुरखास, विकास खण्ड - जहांगीरगंज, जनपद- अम्बेडकरनगर प्रस्तर- 210.**

1-पंचायत राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है -"ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ,ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किये सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें ।"परन्तु लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,मस्टररोल ,टैंडर पत्रावली,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि )एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे ।टैंडर पत्रावली/जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि फर्म सम्बंधित कार्य करने में सक्षम है कि नहीं एवं अपना जी एस टी समय से जमा कर रहा है कि नहीं।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कार्यों पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है -

क्र.सं .	कार्य का नाम	दिनांक	मद/फर्म का नाम	धनराशि (रु०)
1-	हैण्डपम्प मरम्मत(4 नग )	13/06/2019	अभिनव कांटेक्टर	18600.00
	हैण्डपम्प मरम्मत(3 नग )	15/06/2019	दान मशीनरी स्टोर	19950.00
	हैण्डपम्प मरम्मत(4 स्थान नहीं लिखा है )	13/12/2019	में० एम० आई० इंटरप्राईसेस	19950.00
			<b>कुल योग</b>	<b>58500.00</b>
2-	सोलर लाईट मरम्मत	03/07/2019	में० सुमन ट्रेडर्स	14386.00
			<b>कुल योग</b>	<b>14386.00</b>
3-	प्रशासनिक व्यय एवं भूसा क्रय	28/06/2019	प्रधान नकद	10000.00
			<b>कुल योग</b>	<b>10000.00</b>
			<b>महायोग</b>	<b>82886.00</b>

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखापरीक्षा में सम्बंधित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,आदि )अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है ।पुनः हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में जल निगम की प्रतीक्षा सुची , जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का पर्यवेक्षण व निरीक्षण पत्रावली,जल प्रबंधन समिति की संस्तुति ,परिसंपत्ति रजिस्टर एवं अप्रयुक्त पुरानी सामग्री का डेड स्टॉक रजिस्टर एवं उसकी नीलामी की कार्यवाही आदि अप्रस्तुत रही। परिसंपत्ति रजिस्टर एवं नेडा से क्रय प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने से सोलर लाईट की स्थापना एवं इसकी गारण्टी प्रमाणपत्र की जाँच नहीं हो सकी ,जबकि नेडा से क्रय लाईट की 5 वर्षकी गारंटी होती है ।प्रशासनिक व्यय सामग्री एवं भूसा का भुगतान सम्बंधित फर्म/व्यक्ति को सीधे किया जाना चाहिए था ,नकद भुगतान नियम विरुद्ध है ।स्पष्टीकरण अपेक्षित है। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं(ख) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी,ग्राम पंचायतसे की जाएगी ।"इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु०-82886.00वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं ।अतः उक्त धनराशि रु०-82886.00की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु० -41443.00 ग्राम प्रधान श्री चन्द्रविजय से तथा रु०-41443.00सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अंकुर शर्मासे ) किया जाना अपेक्षित है ।**प्रस्तर- 211.**

पंचायत राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है -"ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ,ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किवे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें ।"परन्तु लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,मस्टररोल ,टेंडर पत्रावली,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि )एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे ।टेंडर पत्रावली/जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि फर्म सम्बंधित कार्य करने में सक्षम है कि नहीं एवं अपना जी एस टी समय से जमा कर रहा है कि नहीं।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा इंटरलाकिंग के निम्न कार्यों पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है -

क्र.सं .	कार्य का नाम	दिनांक	मद/फर्म का नाम	धनराशि (रु०)
1-	कमला के घर से भगवानदास गुप्ता के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	31/07/2019 31/07/2019	मजदूरी सामग्री/देव ट्रेडर्स <b>कुल योग</b>	22386.00 153178.00 <b>175564.00</b>
2-	हैण्डपम्प से रामवृक्ष के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	31/07/2019 31/07/2019	मजदूरी सामग्री/देव ट्रेडर्स <b>कुल योग</b>	23296.00 163141.00 <b>186439.00</b>
3-	हीरा गुप्ता के घर से वकील के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	31/07/2019 31/07/2019	मजदूरी सामग्री/देव ट्रेडर्स <b>कुल योग</b>	21101.00 145152.00 <b>166253.00</b>
4-	लालमन के खेत से मो० अजीम की मडई तक इंटरलाकिंग कार्य	02/08/2019 02/08/2019	मजदूरी सामग्री/देव ट्रेडर्स <b>कुल योग</b>	20969.00 144032.00 <b>165001.00</b>
5-	पिच रोड से सोनू के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	02/08/2019 02/08/2019	मजदूरी सामग्री/देव ट्रेडर्स <b>कुल योग</b>	32162.00 215874.00 <b>248036.00</b>
6-	इंटरलाकिंग से रामजतन के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	02/08/2019 02/08/2019	मजदूरी सामग्री/देव ट्रेडर्स <b>कुल योग</b>	30238.00 195785.00 <b>226023.00</b>
7-	भागवत के घर से सी० सी० रोड तक इंटरलाकिंग कार्य	26/12/2019	सामग्री/देव ट्रेडर्स <b>कुल योग</b>	201454.00 <b>201454.00</b>
8-	सुरेन्द्र के बाग से राम आसरे के बाग तक इंटरलाकिंग कार्य	15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	मजदूरी सामग्री/मै० शर्मा ट्रेडर्स सीमेंट की ईट/देव ट्रेडर्स <b>कुल योग</b>	9420.00 24154.00 139497.00 <b>173071.00</b>
9-	प्रा० वि० फतेपुरखास के प्रांगण में इंटरलाकिंग कार्य	15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	सीमेंट की ईट/देव ट्रेडर्स ईट/संतोष ब्रिक फील्ड सामग्री/मै० शर्मा ट्रेडर्स मजदूरी <b>कुल योग</b>	100733.00 15422.00 9079.00 54295.00 <b>179529.00</b>
10-	पिच रोड से प्रा० वि० के गेट तक इंटरलाकिंग कार्य	15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	ईट/संतोष ब्रिक फील्ड मजदूरी सामग्री/मै० शर्मा ट्रेडर्स ईट/संतोष ब्रिक फील्ड सीमेंट की ईट/देव ट्रेडर्स <b>कुल योग</b>	48828.00 3912.00 18737.00 48837.00 148285.00 <b>268599.00</b>

11-	राधेश्याम के घर से इंद्रकला के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020	सीमेंट की ईट/देव ट्रेडर्स ईट/संतोष ब्रिक फील्ड मजदूरी <b>कुल योग</b>	174455.00 51231.00 1092.00 <b>226778.00</b>
12-	रामधारी के घर से हरी कृष्ण के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020	सीमेंट की ईट/देव ट्रेडर्स टेंडर मजदूरी ईट/संतोष ब्रिक फील्ड मजदूरी <b>कुल योग</b>	127625.00 5000.00 11102.00 40435.00 2548.00 <b>186710.00</b>
			<b>महायोग</b>	<b>2403455.00</b>

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखापरीक्षा में सम्बंधित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, कार्यपूति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि ) अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है। उक्त कार्य संख्या (1)से (6) तक की इंटरलाकिंग में ईट एवं बिल्डिंग मैटेरिअल पर व्यय नहीं है, अतः बिना ईट एवं बिल्डिंग मैटेरिअल के कार्य करना फर्जी प्रतीत होता है, स्पष्टीकरण अपेक्षित है। कार्य सं० (7) में केवल सीमेंट ईट पर व्यय है, अतः बिना मजदूरी, ईट एवं बिल्डिंग मैटेरिअल के कैसे कार्य कर लिया गया है? इस प्रकार कार्य सं० -7 पर व्यय फर्जी एवं वित्तीय अपहरण है। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं (ख) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी, ग्राम पंचायतसे की जाएगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू०- **2403455.00** वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू०-**2403455.00** की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू० -**1201728.00** ग्राम प्रधान श्री चन्द्रविजय से तथा रू०-**1201728.00** सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अंकुर शर्मा से) किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 212.**

पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है - "ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, मस्टररोल, टेंडर पत्रावली, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। टेंडर पत्रावली/जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि फर्म सम्बंधित कार्य करने में सक्षम है कि नहीं एवं अपना जी एस टी समय से जमा कर रहा है कि नहीं। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा नाली निर्माण, कूप मरम्मत आदि निम्न कार्यों पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है -

क्र.सं.	कार्य का नाम	दिनांक	मद/फर्म का नाम	धनराशि (रू०)
1-	कूप मरम्मत (राम अनुज एवं मनोज लाल के घर)	04/07/2019 05/07/20219 05/07/20219	मजदूरी बिल्डिंग मैटेरिअल/मै० शर्मा बिल्डिंग मैटेरिअल ईट /संतोष ब्रिक फील्ड <b>कुल योग</b>	8575.00 20574.00 27048.00 <b>56197.00</b>
2-	गोविन्द के घर से गड्ढे तक नाली निर्माण	04/07/2019 05/07/20219	मजदूरी बिल्डिंग मैटेरिअल/मै० शर्मा बिल्डिंग मैटेरिअल	3375.00 11704.00

		05/07/20219	ईट /संतोष ब्रिक फील्ड <b>कुल योग</b>	5930.00 <b>21009.00</b>
3-	प्रा० वि० जगदीशपुर में नाली निर्माण	21/12/2019 21/12/2019 21/12/2019	ईट /संतोष ब्रिक फील्ड मजदूरी बिल्डिंग मैटेरिअल/में० शर्मा बिल्डिंग मैटेरिअल <b>कुल योग</b>	13089.00 8666.00 29315.00 <b>51070.00</b>
4-	भागवत के घर से हरीराम के घर तक नाली निर्माण	26/12/2019 26/12/2019	सामग्री/देव ट्रेडर्स मजदूरी <b>कुल योग</b>	74140.00 17771.00 <b>91911.00</b>
5-	कैशबुक में कार्य का नाम नहीं लिखा गया है	15/01/2020	मजदूरी <b>कुल योग</b>	19929.00 <b>19929.00</b>
			<b>महायोग</b>	<b>240116.00</b>

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखापरीक्षा में सम्बंधित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,कार्यपूति प्रमाणपत्र ,स्टाक रजिस्टर,टेंडर/कोटेशन पत्रावली आदि )अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है | कार्य सं०-4 में बिना ईट के नाली निर्माण दर्शित है जो संभव नहीं है ,अतः बिना कार्य के ही फर्जी ढंग से आहरण करके वित्तीय अपहरण किया गया है |पुनः कार्य सं०-5 में न तो कार्य का नाम ही है और न ही कोई सामग्री है ,अतः आहरण अकारण है जिसकी वसूली होनी चाहिए | पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं(ख) के अनुसार “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी,ग्राम पंचायतसे की जाएगी |”इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू०- **240116.00**वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं |अतः उक्त धनराशि रू०-**240116.00**की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू० -**120058.00**ग्राम प्रधान श्री चन्द्रविजय से तथा रू०-**120058.00**सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अंकुर शर्मासे ) किया जाना अपेक्षित है |**प्रस्तर- 213.**

पंचायत राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है -”ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ,ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किवे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें |”परन्तु लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,मस्टररोल ,टेंडर पत्रावली,कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि )एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे |टेंडर पत्रावली/जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि फर्म सम्बंधित कार्य करने में सक्षम है कि नहीं एवं अपना जी एस टी समय से जमा कर रहा है कि नहीं|लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा टाइल्स एवं रंगाई- पोताई के निम्न कार्यों पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है -

क्र.सं	कार्य का नाम	दिनांक	मद/फर्म का नाम	धनराशि (रू०)
1-	प्रा० वि० फतेपुर में टाइल्स कार्य	06/02/2020 06/02/2020	सामग्री/में० खान ब्रदर्स,मामपुर मजदूरी <b>कुल योग</b>	75691.00 3534.00 <b>79225.00</b>
2-	प्रा० वि० फतेपुर के अतिरिक्त कक्ष में टाइल्स कार्य	06/02/2020 06/02/2020	सामग्री/में० खान ब्रदर्स,मामपुर मजदूरी <b>कुल योग</b>	115711.00 9540.00 <b>118251.00</b>

3-	प्रा० वि० फतेपुर में रंगाई पोताई कार्य	24/02/2020	मजदूरी	10132.00
		24/02/2020	सामग्री/में० खान ब्रदर्स,मामपुर	191124.00
		24/02/2020	मजदूरी	29692.00
		02/03/2020	मजदूरी	25628.00
			<b>कुल योग</b>	<b>256576.00</b>
			<b>महायोग</b>	<b>454052.00</b>

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखापरीक्षा में सम्बंधित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र ,स्टाक रजिस्टर,टैंडर/कोटेशन पत्रावली आदि )अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है | पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं(ख) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी,ग्राम पंचायतसे की जाएगी |"इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू०- 454052.00वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं |अतः उक्त धनराशि रू०-454052.00की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू० -227026.00 ग्राम प्रधान श्री चन्द्रविजय से तथा रू०-227026.00सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अंकुर शर्मा से ) किया जाना अपेक्षित है |

**(92) ग्राम पंचायत- विश्वनाथपुर, विकास खण्ड - जहांगीरगंज, जनपद- अम्बेडकरनगर प्रस्तर- 214.**

पंचायत राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है -"ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ,ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किवे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें |"परन्तु लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,मस्टररोल ,टैंडर पत्रावली,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि )एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे |टैंडर पत्रावली/जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि फर्म सम्बंधित कार्य करने में सक्षम है कि नहीं एवं अपना जी एस टी समय से जमा कर रहा है कि नहीं|लेखा परीक्षा में प्रस्तुत केशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कार्यों पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है -

क्र.सं	कार्य का नाम	दिनांक	मद/फर्म का नाम	धनराशि (रू०)
1-	प्रा० वि० विश्वनाथपुर में बाउंड्रीवाल का निर्माण	19/02/2020	सामग्री/में० देव ट्रेडर्स	199149.00
		29/02/2020	मजदूरी	39104.00
		05/03/2020	सामग्री/में० देव ट्रेडर्स	121099.00
		19/03/2020	मजदूरी	46788.00
			<b>कुल योग</b>	<b>406140.00</b>
2-	मेन खडंजा से प्रा० वि० तक इंटरलाकिंग कार्य	05/03/2020	सामग्री/में० देव ट्रेडर्स	206739.00
		05/03/2020	मजदूरी	20760.00
			<b>कुल योग</b>	<b>227499.00</b>
3-	उ० प्रा० वि० विश्वनाथपुर में कायाकल्प कार्य (कार्य का नाम केशबुक में नहीं है )	05/03/2020	सामग्री/में० देव ट्रेडर्स	204583.00
		05/03/2020	मजदूरी	11921.00
			<b>कुल योग</b>	<b>216504.00</b>
4-	विश्वनाथपुर इंटरलाकिंग से आशीष के घर तक खडंजा निर्माण कार्य	19/03/2020	ईटा/संतोष ब्रिक फील्ड	104575.00
		31/03/2020	सामग्री/में० देव ट्रेडर्स	83161.00
		31/03/2020	मजदूरी	3276.00
			<b>कुल योग</b>	<b>191012.00</b>

5-	जू० वि० विश्वनाथपुर में शौचालय मरम्मत कार्य	31/03/2020	सामग्री/में० देव ट्रेडर्स	148079.00
		31/03/2020	अज्ञात सामग्री/अभिनव ट्रेडर्स	19600.00
		31/03/2020	मजदूरी	18421.00
			<b>कुल योग</b>	<b>186100.00</b>
			<b>महायोग</b>	<b>1227255.00</b>

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखापरीक्षा में सम्बंधित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, मस्टररोल ,टेंडर पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि )अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है |इसके अतिरिक्त उक्त कार्यों पर निम्नआपत्तियां पायी गयी हैं --

- 1-कार्य सं०-1 जो बाउंड्रीवाल निर्माण है बिना ईटा के कैसे बन गया है ?चूँकि यह कार्य 2.5 लाख से अधिक एवं 5 लाख से कम है ,अतः इसकी तकनीकी स्वीकृति ए० ई० स्तर से तथा वित्तीय-प्रशासनिक स्वीकृति डी० पी० आर० ओ० द्वारा होनी चाहिए जो लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही |इस कार्य में सामग्री बिना टेंडर की प्रक्रिया किये ही क्रय की गयी है जो वित्तीय नियमों के विपरीत है |
- 2-कार्य सं०-2,3 जो इंटरलाकिंग और कायाकल्प कार्य है, बिना ईटा के कैसे हो गया है ?
- 3-कार्य सं०-4 जो खडंजा निर्माण है ,में ईटा के अलावा कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है जो देव ट्रेडर्स से क्रय की गयी है ,अतः यह व्यय अनावश्यक जो वसूल होना चाहिए |
- 4-कार्य सं०-5 में ईटा का प्रयोग नहीं है एवं अभिनव ट्रेडर्स से कौन सी सामग्री क्रय है, अज्ञात है |स्पष्टीकरण अपेक्षित है |

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं(ख) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी, ग्राम पंचायतसे की जाएगी |"इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू०-1227255.00 वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं |अतः उक्त धनराशि रू०-1227255.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू० - 613628.00 ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम मिश्रा से तथा रू०-613628.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अंकुर शर्मासे ) किया जाना अपेक्षित है

#### प्रस्तर- 215.

पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है -"ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ,ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किये सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें |"परन्तु लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, मस्टररोल ,टेंडर पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि )एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे |टेंडर पत्रावली/जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि फर्म सम्बंधित कार्य करने में सक्षम है कि नहीं एवं अपना जी एस टी समय से जमा कर रहा है कि नहीं|लेखा परीक्षा में प्रस्तुत केशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कार्यों पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है -

क्र.सं	कार्य का नाम	दिनांक	मद/फर्म का नाम	धनराशि (रू०)
1-	हैण्डपम्प मरम्मत (केशबुक में स्थान का नाम नहीं है )	24/07/2019	प्रधान नकद	19900.00
		28/11/2019	में० एम० आई० इंटरप्राइजेज,मकोड़या	19950.00
		28/11/2019	में० एम० आई० इंटरप्राइजेज,मकोड़या	19950.00
		23/01/2020	में० डान मशीनरी स्टोर ,नरियांव	18980.00
		23/01/2020	में० डान मशीनरी स्टोर ,नरियांव	18980.00
			<b>कुल योग</b>	<b>97760.00</b>

2-	सोलर लाईट मरम्मत(कैशबुक में स्थान का नाम नहीं है )	03/03/2020	में० सुमन ट्रेडर्स कुल योग	19374.00 19374.00
3-	प्रशासनिक व्यय एवं भूसा क्रय	22/07/2019	प्रधान नकद कुल योग	10000.00 10000.00
			महायोग	127134.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखापरीक्षा में सम्बंधित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,आदि )अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है। पुनः हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में जल निगम की प्रतीक्षा सुची , जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का पर्यवेक्षण व निरीक्षण पत्रावली,जल प्रबंधन समिति की संस्तुति ,परिसंपत्ति रजिस्टर एवं अप्रयुक्त पुरानी सामग्री का डेड स्टॉक रजिस्टर एवं उसकी नीलामी की कार्यवाही आदि अप्रस्तुत रही। परिसंपत्ति रजिस्टर एवं नेडा से क्रय प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने से सोलर लाईट की स्थापना एवं इसकी गारण्टी प्रमाणपत्र की जाँच नहीं हो सकी ,जबकि नेडा से क्रय लाईट की 5 वर्षकी गारंटी होती है। हैण्डपम्प मरम्मत(दिनांक-24/07/2019), प्रशासनिक व्यय सामग्री एवं भूसा का भुगतान सम्बंधित फर्म/व्यक्ति को सीधे किया जाना चाहिए था ,नकद भुगतान नियम विरुद्ध है। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं(ख) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी,ग्राम पंचायतसे की जाएगी।"इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू०- 127134.00वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू०-127134.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू० - 63567.00 ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम मिश्रा से तथा रू०-63567.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अंकुर शर्मासे ) किया जाना अपेक्षित है।

**(93) ग्राम पंचायत- मल्लपुर मजगवां, विकास खण्ड - जहांगीरगंज, जनपद- अम्बेडकरनगर प्रस्तर- 216.**

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण - आहरण पत्रावली / व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा यह भी कि खंड 8 क एवं ख के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/उचित व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि गबन होगी जो अधिभार योग्य है। इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी" और वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा ढक्कन सहित नालीनिर्माण,प्राइमरी विद्यालय मजगवा में टाइल्स कार्य एवं मरम्मत ,खनजा मरम्मत पर रू.449636.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है --

क्रमसं.	कार्य का नाम	मद का विवरण	धनराशि(रू)	दिनांक
1-	अम्बिका के घर से गड़ढेतक ढक्कनसहित नाली निर्माण	1-मजदूरी 2-सामग्री(में. सिरताज कंस्ट्रक्शनएंड जनरल आर्डर सप्लायर ) 3-ईट  <b>कुल योग</b>	8736.00 153119.00 विवरण नहीं  <b>161855.00</b>	08/01/2020 02/01/2020 ----- -----
2-	प्राइमरी विद्यालय मजगवा में टाइल्स कार्य एवं मरम्मत	1-मजदूरी 2-सामग्री क्रय (में. सिरताज कंस्ट्रक्शनएंड जनरल आर्डर सप्लायर )  <b>कुल योग</b>	विवरण नहीं 55966.00 <b>55966.00</b>	----- 08/01/2020 -----
3-	खनजा मरम्मत कार्यों का विवरण --	1-मजदूरी	47320.00	02/08/19

4-	1-अश्विनी के घर से डिहवा स्थान तक	2-ईट क्रय(माँ विन्ध्वसिनी ईट उद्योग)	48195.00	02/08/19
	2-त्रिवेणी के घर से कल्लू के खेत तक	1-मजदूरी 2-ईट क्रय	47320.00 विवरण नहीं	05/08/19 ----
	3-पिचरोड से राकेश के घर तक	1-मजदूरी 2-ईट	47138.00 विवरण नहीं	13/08/19 -----
	4-दूधनाथ के घर से लालजी के घर तक	1-मजदूरी 2-ईट	विवरण नहीं 41842.00	--- 14/01/2020
		<b>कुल योग</b>	<b>231815.00</b>	-----
	<b>महायोग</b>	<b>449636.00</b>		

उक्त व्यय का व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से किया गया व्यय वित्तीय अपहरण है जिसके लिए ग्रामप्रधान श्रीमती किरन मिश्रा एवं ग्राम सचिव श्री अंकुर शर्मा समान रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली समान मात्रा में ग्रामप्रधान एवं सचिव से करके खाता में जमा कराया जाना चाहिए।

उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व कार्यपूति प्रमाणपत्र -इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ /प्राक्कलन/ मानचित्र के अनुसार किया गया है- के देने का उल्लेख करती है।

आलोच्य वर्ष 2019-20 में आपति सं०-1 में उल्लिखित कार्यों -खनंजा मरम्मत (चारो कार्य ) एवं बन्दनाली तथा टाइल्स कार्य का कार्यपूति प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा अप्रस्तुत रहने से किये गये कार्यों के होने की नियमतः पुष्टि नहीं होती है।

पुनश्च, आपति सं०-1 में उल्लिखित कार्यों में निम्न सामग्री/मजदूरी का कैशबुक में विवरण नहीं है :-

- 1-त्रिवेणी के घर से कल्लू के खेत तक खनंजा मरम्मत पर -----ईट का प्रयोग/विवरण नहीं है।
- 2-पिच रोड से राकेश के खेत तक खनंजा मरम्मत पर -----ईट का प्रयोग/विवरण नहीं है।
- 3-दूधनाथ के घर से लालजी के घर तक खनंजा मरम्मत पर ----मजदूरी का प्रयोग/विवरण नहीं है।
- 4-अम्बिका के घर से गडढे तक बंदनाली निर्माण पर -----ईट का प्रयोग/विवरण नहीं है।
- 5-प्रा० वि० मल्लपुर मजगवा में टाइल्स कार्य पर -----मजदूरी का प्रयोग/विवरण नहीं है।

उक्त विवरण से प्रश्न उठता है कि किस प्रकार बिना ईट के प्रयोग के खनंजा मरम्मत एवं बिना मजदूरी के टाइल्स कार्य और खनंजा मरम्मत कार्य कैसे किया जा सकता है। अस्तु वास्तव में कोई कार्य न होने की पुष्टि होती है और उक्त कार्यों पर किया गया अन्य व्यय रू० 354121.00 वित्तीय दुरुपयोग है जिसकी वसूली ग्राम एवं सचिव से होनी चाहिए।

**सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना व्यय किया जाना-** पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 3107.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में बिंदु 4क में यह स्पष्ट उल्लेख है कि रू.50 हजार की सीमा तक की कार्य-योजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा. बाद में पंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2ब के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है. ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पं. के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इसे 2 लाख की सीमा के अन्दर ही रखा जाये.

- टेकनिकल परीक्षण- 2 से 2.5लाख तक- जेई आरईएस / जेई एम आई / जेई जिला पंचायत / जेई मंडी परिसद द्वारा किया जायेगा

2.5 लाख से ऊपर -अभियंता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है .

- वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति- 2लाख तक ग्रामपंचायत स्वयं, 2,00 लाख से 2.5 लाख तक एडीओ पी, 2.5 से 5 लाख तक डी पी आर ओ और 5 लाख से 10 लाख तक डी एम , 10 लाख से ऊपर जिला पंचायत।

ग्राम पंचायत की कैशबुक के अनुसार खनंजा मरम्मत कार्यों(आपति सं०1में वर्णित चारो कार्यों ) , बन्दनाली निर्माण एवं टाइल्स कार्य (आपति सं०1 में वर्णित ) पर कुल रू.449636.00 व्यय किया गया है जबकि लेखापरीक्षा में इन कार्यों की कार्ययोजना, वर्क आई0 डी0 , तकनीकी स्वीकृति प्रपत्र, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति अप्रस्तुत रहा,जिससे किया गया कार्य बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति लिए

ही मनमाने ढंग से किया गया है जो नियमानुसार वित्तीय दुरुपयोग है। इसके लिए ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव समान रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से उक्त धनराशि की वसूली करके खाता में जमा किया जाना अपेक्षित रहा।

14वें वित्त एवं राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी कार्य के करने के लिए कार्य का सक्षम अधिकारी द्वारा प्राक्कलन, एम0 बी 0, एस्टीमेट बनाया जायेगा।

आलोच्य वर्ष 2019-20 में विवेचित कार्यों-खनंजा मरम्मत के चारों कार्यों

(आपत्ति सं.-1में वर्णित), बंदनाली निर्माण एवं टाइल्स कार्य

(आपत्ति सं.-1 में वर्णित) का लेखा परीक्षा में अन्य संगत अभिलेख--प्राक्कलन, एम0 बी0, एस्टीमेट, कार्य पत्रावली, मस्टररोल, मस्टररोल बुक, आदि अप्रस्तुत रहने से किया गया कार्य उक्त गाइडलाइंस के विपरीत पाया गया जिसका उत्तरदायित्व ग्राम सचिव एवं ग्राम प्रधान का है।

स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहने से क्रय, उपभोग एवं अवशेष सामग्री की स्थिति अज्ञात रही। स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत करके पुष्टि कराना अपेक्षित रहा।

परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि उक्त कार्य (परिसम्पत्ति) पहले हुआ है कि नहीं और यदि उक्त परिसम्पत्ति सृजित है तो कितने वर्ष बाद उसकी मरम्मत की जा रही है जिससे खनंजा मरम्मत के कार्यों की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि अपेक्षित है।

डेडस्टाक रजिस्टर लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त निष्प्रयोज्य सामग्री का विवरण तथा उसकी नीलामी की स्थिति अज्ञात रही। प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा। उक्त व्यय का व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से किया गया व्यय वित्तीय अपहरण है जिसके लिए ग्रामप्रधान श्रीमती किरन मिश्रा एवं ग्राम सचिव श्री अंकुर शर्मा समान रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली समान मात्रा में ग्रामप्रधान एवं सचिव से करके खाता में जमा कराया जाना चाहिए।

#### प्रस्तर- 217

उ० प्र० पंचायतराज नियमावली -1947 के नियम -199 एवं 14वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन्स के अनुसार खाते से किये गये प्रत्येक लेन-देन का विवरण प्रतिदिन कैशबुक(रूपपत्र -6) में लिखा जाएगा और इसका सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण किया जाएगा।

आलोच्य वर्ष 2019-20 में दिनांक 02/01/2020 को ₹०-10416.00 एवं दिनांक 08/01/2020 को ₹.2800.00 कुल ₹.13216.00 का ग्रामपंचायत द्वारा आहरण किया गया लेकिन इसका विवरण कैशबुक में नहीं लिखा गया कि किस हेतु धन का आहरण किया गया है। अतः उक्त आहरण वित्तीय अपहरण है जिसकी ग्राम प्रधान एवं सचिव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली करके खाता में जमा किया जाना चाहिए।

#### प्रस्तर- 218

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण - आहरण पत्रावली / व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा यह भी कि खंड 8 क एवं ख के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/उचित व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि गबन होगी जो अधिभार योग्य है। इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी" और वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपंप मरम्मत एवं स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर कुल ₹.260128.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है -

क्र० सं०	दिनांक	कार्य का नाम	फर्म का नाम	व्यय धनराशि
1	22/07/19	हैण्डपंप मरम्मत	नकद	₹. 5000.00
2	22/07/19	हैण्डपंप मरम्मत		₹. 5000.00
3	22/07/19	हैण्डपंप मरम्मत	एस.कुमार कंस्ट्रक्शन	₹.19600.00
4	22/07/19	हैण्डपंप मरम्मत	एस.कुमार कंस्ट्रक्शन	₹.9800.00
5	30/07/19	हैण्डपंप मरम्मत	एस.कुमार कंस्ट्रक्शन	₹.26500.00
6	30/07/19	हैण्डपंप मरम्मत	मिष्ठी इंटरप्राइजेज	₹.31500.00

7	13/08/19	हैण्डपंप मरम्मत	मिष्ठी इंटरप्राइजेज	रू.9828.00
8	03/12/19	हैण्डपंप मरम्मत	मिष्ठी इंटरप्राइजेज	रू.19400.00
9	03/12/19	हैण्डपंप मरम्मत	एस.कुमार कंस्ट्रक्शन	रू.19950.00
10	07/03/2020	हैण्डपंप मरम्मत	एस.कुमार कंस्ट्रक्शन	रू.19950.00
<b>कुल योग</b>				<b>रू.166528.00</b>
1	29/07/19	स्ट्रीट लाइट मरम्मत	एस.कुमार कंस्ट्रक्शन	रू.93600.00
<b>महायोग</b>				<b>रू.260128.00</b>

उक्त व्यय(रू.260128.00 ) का व्ययप्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से किया गया व्यय वित्तीय अपहरण है जिसके लिए ग्रामप्रधान श्रीमती किरन मिश्रा एवं ग्राम सचिव श्री अंकुर शर्मा समान रूप से उत्तरदायी है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली समान मात्रा में ग्रामप्रधान एवं सचिव से करके खाता में जमा कराया जाना चाहिए ।

### अ

वर्ष लेखा परीक्षा में रू.-166528.00 हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय किया गया है। इस सन्दर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र एवं कार्यपूति प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपंप खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया और मरम्मत का कार्य वास्तव में हुआ की नहीं। उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 3 के आदेश संख्या -27/2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी को तीन दिन के अन्दर दूर किया जाना अनिवार्य है अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही का निर्देश है, इसका पालन किया गया है या नहीं, की जाँच नहीं की जा सकी। डेड स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही। स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा जिससे क्रय सामग्री, उपभोग सामग्री, एवं अवशेष सामग्री अज्ञात रही।

पंचायत लेखा मैनु. के अध्याय 5 के बिंदु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिए शा.सं.-4430/33-1-99/एस पी. आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बंधित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी / अनुमोदन / संस्तुति करना है। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया है।

इसके अलावा वर्क आई .डी ., कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, जलनिगम की सूची आदि अप्रस्तुत रहा।

उक्त हैण्डपंप मरम्मत कार्य पर मजदूरी पर कोई व्यय नहीं है जबकि क्रय सामग्री के प्रयोग हेतु मजदूरी व्यय जरूरी है नहीं तो क्रय फर्जी प्रमाणित हो जाएगा। आपूर्तिकर्ता फर्मों को हैण्डपंप मरम्मत करवाने का अधिकारपत्र/लाइसेंस भी नहीं है।

अतः उक्त आपत्तियों के दृष्टिगत किया गया हैण्डपंप मरम्मत फर्जी एवं अवास्तविक प्रतीत होता है फलतः इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से समान रूप से करके खाता में जमा किया जाना चाहिए।

### ब

**नकद भुगतान नहीं** - ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिंदु 5 के अनुसार रुपये 2000.00 से अधिक के भुगतान अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से होना सुनिश्चित किया गया है।

वित्तपथ भंडार क्रय नियम के बिंदु 17 ग के अनुसार रुपये 2000/- से अधिक के भुगतान अकाउंट पेयी चेकद्वारा किये जाने के निर्देश है।

वित्त पथ 2011 आहरण वितरण अधिकारी के कार्य के बिंदु 3 के व्यय भुगतान सम्बन्धी प्रकार्य एवं शासनादेश संख्या ए-1/1450/दस -96-10(11)-93 दिनांक 23.07.1996 के अनुसार निजी संस्थाओं, व्यक्तियों तथा पार्टियों को रुपये 2000/- से अधिक नकद भुगतान नहीं किया जाना है,

पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट (अमेंडमेंट ) 2017 के अनुसार ऑल वेजेस शैल बी पैड ओन्ली बाइ चेक

ग्राम पंचायत में दिनांक 22/07/19 को हैण्डपंप मरम्मत कार्य पर रू0 10000.00 ग्राम प्रधान द्वारा नकद आहरित करके कैशबुकमें व्यय दर्शित किया है जो उक्त नियमो उल्लंघन है। अतः उक्त धनराशि रू0 10000.00 ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा समान रूप से खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

### स

**एल इ डी स्ट्रीट लाइट** - पंचायत राज अनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.6.2018 के के गाइड लाइन के अनुसार एल ई डी स्ट्रीट लाइट स्थापित किये जाने पर ग्राम पंचायत और और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के मध्य विद्युत् कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किया जाना जरूरी है।

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के द्वारा रु-93600.00 का विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट मरम्मत का कार्य कराया गया है लेकिन ग्राम प्रधान / सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के मध्य विद्युत् कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने सम्बन्धी पत्रावली अप्रस्तुत रही और फाइल में फोटो और मरम्मत प्रमाणपत्र भी संलग्न नहीं रहे. उचित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है.

एल ई डी स्ट्रीट लाइट के सन्दर्भ में वाट एवं उसके सापेक्ष क्रय दर का निर्धारण में DM की समिति से किया जानेवाली स्वीकृति सम्बन्धी पत्रावली भी लेखा परिक्षण में प्रस्तुत नहीं रही.

परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्रस्तुत रहने से उक्त स्ट्रीट लाइट की स्थापना का समय ,स्थान और मरम्मत की आवश्यकता अज्ञात रही | स्टाक रजिस्टर अप्रस्तुत रहने से क्रय,उपभोग एवं अवशेष सामग्री अज्ञात रही |परिसम्पत्ति एवं स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा |

इस प्रकार किया गया स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य नियम विरुद्ध एवं अवास्तविक है जिसकी ग्राम प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

#### **प्रस्तर- 219**

**आयकर कटौती** - आयकर अधिनियम 1961 (यथा संसोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत्र पर आयकर की कटौती किये जाने उपरांत ही भुगतान किया जाने का प्रावधान है. आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयांतर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखाशीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे. ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर “ न काटे गए आयकर की धनराशि” के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माने भी किया जा सकता है. 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2प्रतिशत दर से सुनिश्चित की गयी है.

**जी.एस.टी टीडीएस कटौती** - जी एस टी एक्ट 2017 की धारा 51 के अनुसार 2प्रतिशत की दर से(2.5 लाख से ऊपर की बिलों से) स्रोत्र पर कटौती व्यवस्था उत्तर प्रदेश में 1.10.2018 से प्रभावी है, के अनुसार टी ए एन /पी ए एन आधारित जी एस टी n नम्बर अनिवार्य है. इस आधारित टीडीएस की कटौती आहरण वितरण अधिकारी व लेखाकारों के द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है.

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु कुल रु0 455650.00 ( ईट क्रय रु0- 90037.00,बिल्डिंग मैटीरियल्स रु0-209085.00 एवं हैण्डपंप मरम्मत सामग्री रु.156528.00 ) की सामग्री क्रय की गयी और फर्मों को भुगतान बिना आयकर और जी एस टी /टी डी एस की स्रोत्र पर ही कटौती किये ही कर दिया गया जिससे रु0-10343.00 आयकर(2.27 प्रतिशत) एवं रु0-00.00 जी एस टी/ टी डी एस की राजकीय क्षति की गयी है।इस राजकीय क्षति(रु0-10343.00) की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से समान रूप से करके संबंधित लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा |

#### **(94) ग्राम पंचायत- बड़ागाँव, विकास खण्ड - जहांगीरगंज, जनपद- अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर- 220**

1 ग्राम पंचायत बड़ागाँव की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद ( सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को दिनांक 07-09-2020, 05-10-2020, 23-01-2021 व 30-03-2021 तथा खंड विकास अधिकारी जहांगीरगंज को दिनांक 23-01-2021 को लिखे गए पत्र की प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न) लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

4वा एसएफसी135788.00

दिनांक	धनराशि	विवरण
02.04.2019	4500.00	प्रशासनिक व्यय
10.01.2020	73500.00	मानदेय अप्रैल,18 से दिसंबर,2019
23.04.2019	1708.00	डोंगल पर व्यय
30.03.2020	18230.00	हैण्डपंप मरम्मत
30.03.2020	19650.00	हैण्डपंप मरम्मत
30.03.2020	18200.00	हैण्डपंप मरम्मत

135788.00

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त योग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस दश में दर्शित किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकती। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदिदर्शायेगएव्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा., उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 135788.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती शबनम खान एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अंकुर शर्मा से कार्य कालानुसार किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 221

2 ग्राम पंचायत बड़ागाँव की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद ( सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) को दिनांक 07-09-2020, 05-10-2020, 23-01-2021 व 30-03-2021 तथा खंड विकास अधिकारी जहांगीरगंज को दिनांक 23-01-2021 को लिखे गए पत्र की प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न) लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा चौदहवें वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

दिनांक	धनराशि	विवरण
18.01.2020	20566.00	मजदूरी का भुगतान
18.01.2020	18282.00	मजदूरी का भुगतान
18.01.2020	28299.00	मजदूरी का भुगतान
18.01.2020	21476.00	मजदूरी का भुगतान
18.01.2020	26936.00	मजदूरी का भुगतान
19.03.2020	29100.00	सामग्री का भुगतान
19.03.2020	6510.00	ईंट क्रय
19.03.2020	9192.00	मजदूरी का भुगतान
19.03.2020	33656.00	सामग्री का भुगतान
19.03.2020	5208.00	ईंट क्रय
19.03.2020	9020.00	मजदूरी का भुगतान
19.03.2020	63245.00	सामग्री का भुगतान
19.03.2020	16275.00	ईंट क्रय
19.03.2020	20568.00	मजदूरी का भुगतान
19.03.2020	14052.00	सामग्री का भुगतान
19.03.2020	4296.00	ईंट क्रय
19.03.2020	4692.00	मजदूरी का भुगतान
22.10.2019	19480.00	हैन्डपम्प मरम्मत

28.12.2019	12369.00	ईट क्रय
28.12.2019	65520.00	सामग्री का भुगतान
28.12.2019	32319.00	ईट क्रय
28.12.2019	146666.00	सामग्री का भुगतान
28.12.2019	12369.00	ईट क्रय
28.12.2019	93934.00	ईट क्रय
28.12.2019	98154.00	ईट क्रय
30.03.2020	40320.00	हैन्डपम्प रीबोर
	852504.00	

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, केशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्त एवं भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है। तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त योग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस दश में दर्शित किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामप्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा. उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 852504.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन आधी-आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती शबनम खान एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अंकुर शर्मा से कार्यकालानुसार किया जाना अपेक्षित है।

**(95) ग्राम पंचायत- सहाबुद्दीनपुर, विकास खण्ड - जहांगीरगंज, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 222 .**

1 ग्राम पंचायत सहाबुद्दीनपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद ( सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को दिनांक 07-09-2020, 05-10-2020, 23-01-2021 व 30-03-2021 तथा खंड विकास अधिकारी जहांगीरगंज को दिनांक 23-01-2021 को लिखे गए पत्र की प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न) लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

दिनांक	धनराशि	विवरण
10.01.2020	24500.00	मानदेय जून से दिसंबर
11.06.2019	17500.00	मानदेय
11.06.2019	19880.00	हैन्डपम्प मरम्मत
19.03.2020	23378.00	सामग्री का भुगतान
19.03.2020	28728.00	मजदूरी का भुगतान
25.02.2020	162356.00	सामग्री का भुगतान
31.07.2019	1875.00	प्रशासनिक व्यय
31.07.2019	11967.00	प्रशासनिक व्यय
	290184.00	

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, केशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर,

डायरेक्टरी ऑफ वार्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त योग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस दश में दर्शित किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकती। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदिदर्शायेगएव्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा.; उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 290184.00गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती चिंता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्री विपुल सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर- 223

2 ग्राम पंचायत शहाबुद्दीनपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद ( सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को दिनांक 07-09-2020, 05-10-2020, 23-01-2021 व 30-03-2021 तथा खंड विकास अधिकारी जहांगीरगंज को दिनांक 23-01-2021 को लिखे गए पत्र की प्रति कार्यालय प्रति के साथ संलग्न) लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा चौदहवें वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

दिनांक	धनराशि	विवरण
22.02.2020	71056.00	सामग्री का भुगतान
22.02.2020	113847.00	सामग्री का भुगतान
24.02.2020	26546.00	मजदूरी का भुगतान
24.10.2019	175677.00	सामग्री का भुगतान
24.10.2019	170210.00	सामग्री का भुगतान
24.10.2019	30449.00	ईंट क्रय
24.10.2019	112785.00	सामग्री का भुगतान
24.10.2019	30301.00	ईंट क्रय
24.10.2019	110866.00	सामग्री का भुगतान
27.11.2019	24765.00	मजदूरी का भुगतान
27.11.2019	24076.00	मजदूरी का भुगतान
27.11.2019	19864.00	मजदूरी का भुगतान
27.11.2019	19318.00	मजदूरी का भुगतान
27.11.2019	93297.00	सामग्री का भुगतान
27.11.2019	28131.00	ईंट क्रय
27.11.2019	17758.00	मजदूरी का भुगतान
27.11.2019	77094.00	सामग्री का भुगतान
27.11.2019	16780.00	ईंट क्रय
27.11.2019	11947.00	मजदूरी का भुगतान
27.11.2019	24947.00	मजदूरी का भुगतान
27.11.2019	170667.00	सामग्री का भुगतान
29.12.2019	4000.00	प्रशासनिक व्यय

1374381.00

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, केशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है। तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त योग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस दश में दर्शित किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा.; उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 1374381.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती चिंता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्री विपुल सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

**(96) ग्राम पंचायत- आमा , विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 224**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की केश बुक में दिनांक-14.02.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय / स्थानान्तरण रु. 32251.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राजीव यादव एवं ग्राम सचिव श्री अनिल कुमार यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(97) ग्राम पंचायत- तिवारीपुर विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 225.**

ग्राम पंचायत तिवारीपुर विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु०
03.04.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु बलराम ट्रेडर्स	17100.00
09.05.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु बलराम ट्रेडर्स	14300.00
09.05.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु बलराम ट्रेडर्स	8100.00
01.07.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु बलराम ट्रेडर्स	13200.00
17.07.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु बलराम ट्रेडर्स	15680.00
23.07.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु बलराम ट्रेडर्स	14860.00
01.08.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु बलराम ट्रेडर्स	16900.00
18.11.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु बलराम ट्रेडर्स	76571.00
21.11.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु बलराम ट्रेडर्स	19860.00
19.02.2020	हैण्डपम्प मरम्त हेतु बलराम ट्रेडर्स	18600.00
19.02.2020	हैण्डपम्प मरम्त हेतु बलराम ट्रेडर्स	11200.00

30.10.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	19710.00
14.11.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	19860.00
16.11.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	19740.00
	<b>योग</b>	<b>290881.00</b>

उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्त का कार्य करते हैं अथवा नहीं, इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी/अथवा बिना आइडी के मरम्त कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री आलोक तिवारी एवं ग्राम सचिव श्री रामजीत से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 226.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्त पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
08.04.2019	स्ट्रीट लाइट/ सोलर मरम्त हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	13600.00
30.10.2019	स्ट्रीट लाइट/ सोलर मरम्त हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	19265.00
16.11.2019	स्ट्रीट लाइट/ सोलर मरम्त हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	19875.00
16.11.2019	स्ट्रीट लाइट/ सोलर मरम्त हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	<b>19540.00</b>
20.11.2019	स्ट्रीट लाइट/ सोलर मरम्त हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	<b>19990.00</b>
29.04.2019	स्ट्रीट लाइट/ सोलर हेतु बलराम ट्रेडर्स	<b>16250.00</b>
29.04.2019	स्ट्रीट लाइट/ सोलर हेतु बलराम ट्रेडर्स	<b>16300.00</b>
01.07.2019	स्ट्रीट लाइट/ सोलर हेतु बलराम ट्रेडर्स	<b>26800.00</b>
		<b>151620.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्त / सोलर मरम्त की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं। 4-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से मरम्त कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री आलोक तिवारी एवं ग्राम सचिव श्री रामजीत से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 227**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
03.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय एम0के0 ट्रेडर्स	21825.00

03.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय एम0के0 ट्रेडर्स	20385.00
02.08.2019	ह्यूम पाइप क्रय एम0के0 ट्रेडर्स	25900.00
		<b>68110.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री आलोक तिवारी एवं ग्राम सचिव श्री रामजीत से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 228**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-11.02.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. **26560.00** दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री आलोक तिवारी एवं ग्राम सचिव श्री रामजीत से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(98) ग्राम पंचायत- दरवन विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर- 229.**

ग्राम पंचायत दरवन विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

1-ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
27.07.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	13800.00	
17.07.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	14970.00	
05.08.23019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	18020.00	
04.03.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	30000.00	
13.03.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	29113.00	
19.03.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	20000.00	
	योग-	<b>125903.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-हैण्डपम्प मरम्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आड़ड़ी से अथवा बिना आड़ड़ी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती निशा वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री रामजीत से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 230.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
21.05.2019	स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्त क्रय हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	46300.00
05.08.2019	स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्त क्रय हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	19500.00
14.08.2019	स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्त क्रय हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	18250.00
14.11.2019	स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्त क्रय हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	9925.00
		93975.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्त का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्त / सोलर मरम्त की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं।
- 4-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आड़ड़ी से मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।
- 5-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 6-एम0के0 ट्रेडर्स से ग्राम पंचायत में सभी प्रकार की सामग्रियों का क्रय सामग्री क्रय में भारी अनियमितता को दर्शाता है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती निशा वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री रामजीत से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 231.**

3--ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु हयूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
03.08.2019	हयूम पाइप क्रय हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	11500.00
03.08.2019	हयूम पाइप क्रय हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	110400.00
27.01.2020	हयूम पाइप क्रय हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	41600.00
27.01.2020	हयूम पाइप क्रय हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	13500.00
17.07.2019	हयूम पाइप क्रय हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	108000.00
	योग-	285000.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती निशा वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री रामजीत से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 232**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की केश बुक में दिनांक-13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 59850.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती निशा वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री रामजीत से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 233**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न विवरणानुसार पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	राम उजागिर के घर से पारस निषाद के घर तक सीसी रोड निर्माण	04.01.2020	129422.00 सामग्री क्रय	शून्य
		07.01.2020	34528.00 ईंट क्रय	
			163950.00	
02	ओम प्रकाश के घर से राम उजागिर के घर तक सीसी रोड	07.01.2020	34528.00 ईंट क्रय	शून्य
		16.01.2020	130196.00 सामग्री क्रय	
			164724.00	
	योग-		328674.00	

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती निशा वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री रामजीत से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(99) ग्राम पंचायत- चन्दैनी विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 234**

ग्राम पंचायत चन्दैनी विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
03.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु अवध कान्सट्रक्शन	27480.00	
09.12.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु अन्नू ट्रेडर्स	19490.00	
27.01.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	9700.00	
16.03.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	19990.00	
	योग-	76650.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

- 1-हैण्डपम्प मरम्मत व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री सत्य नारायन एवं ग्राम सचिव श्री विश्व नाथ पटेल से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 235**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 26459.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री सत्य नारायन एवं ग्राम सचिव श्री विश्व नाथ पटेल से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(100) ग्राम पंचायत- हरिनाथपुर विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 236.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-11.02.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 33279.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रमा शंकर एवं ग्राम सचिव श्री उपेन्द्र सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(101) ग्राम पंचायत- टिकरी विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर प्रस्तर- 237.**

ग्राम पंचायत टिकरी विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
13.06.2019	स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्त क्रय हेतु जान ट्रेडर्स	7000.00
27.06.2019	स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्त क्रय हेतु जान ट्रेडर्स	7000.00
08.08.2019	स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्त क्रय हेतु जान ट्रेडर्स	16500.00
08.08.2019	स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्त क्रय हेतु जान ट्रेडर्स	17000.00
14.08.2019	स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्त क्रय हेतु जान ट्रेडर्स	18640.00
13.12.2019	स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्त क्रय हेतु जान ट्रेडर्स	7360.00
16.12.2019	स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्त क्रय हेतु जान ट्रेडर्स	7280.00
	योग-	80780.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्त का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्त / सोलर मरम्त की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं।

4-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

5-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

6-जान ट्रेडर्स से ग्राम पंचायत में सभी प्रकार की सामग्रियों का क्रय सामग्री क्रय में भारी अनियमितता को दर्शाता है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मदन लाल एवं ग्राम सचिव श्री मती नेहा सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 238.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु डस्टबिन एवं सफाई किट क्रय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
08.07.2019	सफाई किट क्रय हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	11500.00
01.08.2019	सफाई किट क्रय हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	11500.00
12.07.2019	डस्टबिन क्रय हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	68400.00
		91400.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट/ सफाई किट/ इस्टबिन बिक्री का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकती। इसकी पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

6-उक्त ट्रेडर्स द्वारा ग्राम पंचायत में सभी प्रकार की सामग्रियों, सेवा की आपूर्ति क्रय में भारी अनियमितता को दर्शाता है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मदन लाल एवं ग्राम सचिव श्री मती नेहा सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 239.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-11.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 28881.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मदन लाल एवं ग्राम सचिव श्री मती नेहा सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **(102) ग्राम पंचायत- लोकापुर विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर- 240.**

ग्राम पंचायत लोकापुर विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-11.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 40449.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम प्रकाश पाण्डेय एवं ग्राम सचिव श्री मती नेहा सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **(103) ग्राम पंचायत- आशाजीतपुर अहिरान विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर- 241.**

ग्राम पंचायत आशाजीतपुर अहिरान विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-11.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 31899.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम उजागिर एवं ग्राम सचिव श्री मती नेहा सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(104) ग्राम पंचायत- पिलखावां विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 242.**

ग्राम पंचायत पिलखावां विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-11.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 20848.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री दुर्गा प्रसाद एवं ग्राम सचिव श्री मती मिथिलेश से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(105) ग्राम पंचायत- नंदपुर विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 243.**

ग्राम पंचायत नंदपुर विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-11.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 25496.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री शिव शंकर विशवकर्मा एवं ग्राम सचिव श्री मती मिथिले से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(106) ग्राम पंचायत- नरसिंहपुरदासपुर विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 244**

ग्राम पंचायत नरसिंहपुरदासपुर विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

1-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-11.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 30163.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री भवानी प्रसाद सिंह एवं ग्राम सचिव श्री राजशेखर सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(107) ग्राम पंचायत- खड़हरा विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 245**

ग्राम पंचायत खड़हरा विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

29.05.19	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु जय मां दुर्गे ट्रेडर्स को भुगतान	11500.00
10.06.19	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु जय मां दुर्गे ट्रेडर्स को भुगतान	12600.00
10.06.19	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु जय मां दुर्गे ट्रेडर्स को भुगतान	12400.00
08.08.19	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु जय मां दुर्गे ट्रेडर्स को भुगतान	14900.00
16.12.19	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु जय मां दुर्गे ट्रेडर्स को भुगतान	21700.00
01.01.2020	4 हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु जय मां दुर्गे ट्रेडर्स को भुगतान	125564.00
07.03.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु जय मां दुर्गे ट्रेडर्स को भुगतान	18500.00
	योग-	<b>217164.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-हैण्डपम्प मरम्मत व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के विपरीत कार्य किया गया है।

शासनादेश के विपरीत एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय एवं ग्राम सचिव श्री मती सरिता शुक्ला से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 246.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
29.05.19	सोलर मरम्मत हेतु राज ट्रेडर्स को भुगतान	13500.00
03.07.19	स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु राज ट्रेडर्स को भुगतान	91600.00
08.08.19	स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु राज ट्रेडर्स को भुगतान	170000.00
	योग-	275100.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

01-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

02-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

03-उक्त स्ट्रीट लाइटों क्रय शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-48/2018, दिनांक 13 जून 2018 के विपरीत किया गया है।

04-शासनादेश संख्या 33/2017/977/45-वि(अ0उ0सो0वि)-2017, दिनांक 29 अगस्त 2017 के प्रस्तर 3 के अनुसार उक्त सोलर मरम्मत की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म/नेडा की होती है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं।

05-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

06-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त कार्य शासनादेश के विपरीत तथा व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय एवं ग्राम सचिव श्री मती सरिता शुक्ला से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 247.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
13.12.19	ह्यूम पाइप क्रय हेतु 10के0 ट्रेडर्स	28425.00
		28425.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय एवं ग्राम सचिव श्री मती सरिता शुक्ला से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 248.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	बलदेव इण्टर कालेज के पास पक्की नाली मरम्मत कार्य	08.08.2019	11760.00 ईंट क्रय 35000.00 सामग्री क्रय	शून्य
	योग-		46760.00	

- 1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय एवं ग्राम सचिव श्री मती सरिता शुक्ला से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 249.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 29177.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30.04.2019 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय एवं ग्राम सचिव श्री मती सरिता शुक्ला से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(108) ग्राम पंचायत- खेमापुर विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर प्रस्तर- 250.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 51409.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30.04.2019 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती प्रीती सिंह एवं ग्राम सचिव श्री अनिल कुमार यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(109) ग्राम पंचायत- विकवाजीतपुर विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर प्रस्तर- 251.**

ग्राम पंचायत विकवाजीतपुर विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु.26179.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30.04.2019 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री प्रदीप सिंह एवं ग्राम सचिव श्री अनिल कुमार यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(110) ग्राम पंचायत- बीबीपुर रण्डौली, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर प्रस्तर- 252**

ग्राम पंचायत बीबीपुर रण्डौली की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार प्रा0 वि0 सखौना पीरपुर में मिट्टी पटाई कार्य पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	कैशबुक में दर्शित व्यय विवरण	धनराशि रु0
04.06.2019	मिट्टी पटाई कार्य पर व्यय	30000.00
11.06.2019	मिट्टी पटाई कार्य पर व्यय	42000.00
12.06.2019	मिट्टी पटाई कार्य पर व्यय दीप्ती इण्टर प्राइजेज को भुगतान	81396.00
29.06.2019	मिट्टी पटाई कार्य पर व्यय	44450.00
		197846.00

01-उक्त विवरण में एक ही विद्वालय में पटाई गई इतनी अधिक मिट्टी की रसीद/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत पत्रावली में प्राप्त नहीं रहा। आडिट के दौरान मांगे जाने पर प्रस्तुत भी नहीं किया जा सका। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।



लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-11.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 22125.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राजेश एवं ग्राम सचिव श्री अनोद कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(115) ग्राम पंचायत- हुसेनपुर हीडी विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर प्रस्तर- 258**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-11.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 38823.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती नीलम एवं ग्राम सचिव श्री अनोद कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(116) ग्राम पंचायत- पीठापुर सरैया विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर प्रस्तर- 259**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-11.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 32306 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती उर्मिला एवं ग्राम सचिव श्री मती सरिता शुक्ला से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(117) ग्राम पंचायत- बरहा नियामतचक , विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर प्रस्तर- 260**

1-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-20.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 22452.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती गिरिशा कुमारी एवं ग्राम सचिव श्री पंकज मोहन मिश्रा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 261**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
13.12.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	31591.00	
13.12.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	31591.00	
	योग-	63182.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-हैण्डपम्प मरम्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री, निर्माण कार्य आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-एक ही तिथि में भुगतान एवं तीन हैण्डपम्प रिबोर पर एक ही प्रकार के कल-पुर्जों की खराबी होने पर ही तीनों पर समान धनराशि का भुगतान किया जा सकता है जो संभव नहीं है। भुगतान में गंभीर अनियमितता की गई है।

अतः शासनादेश के विपरीत एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए एवं अन्य आपत्तियों के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती गिरिशा कुमारी एवं ग्राम सचिव श्री पंकज मोहन मिश्रा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(118) ग्राम पंचायत- कुड़िया चितौना, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 262**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-10.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 37406.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री दल श्रृंगार एवं ग्राम सचिव श्री अनिल कुमार सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 263**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार प्राथमिक विद्यालय कुड़िया चितौना में टाइल्स कार्य दर्शाकर निम्न प्रकार भुगतान किया गया है:-

दिनांक	फर्म का नाम	मजदूरी पर व्यय	फर्म को भुगतान
20.02.2020	शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	शून्य	36994.00
20.02.2020	शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	शून्य	190000.00
	योग-	शून्य	226994.00

01-उक्त विवरण में एक ही तिथि में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित आडिट में प्रस्तुत उक्त कार्य शासनादेश एवं व्यय प्रमाणक नियमों के विपरीत पाए गए। अनियमित टेण्डर के आधार पर भुगतान किया जाना नियम विरुद्ध है।

02-उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया शासन के मजदूरी सृजन उद्देश्य के विपरीत तथा क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त अनियमित कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (ख) के विपरीत है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः उक्त के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री दल श्रृंगार एवं ग्राम सचिव श्री अनिल कुमार सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(119) ग्राम पंचायत- बेनीपुर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 264**

01-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-11.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 35122.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता

स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती शारदा देवी एवं ग्राम सचिव श्री अनिल कुमार सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 265**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
02.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु सिंह कान्सट्रक्शन को भुगतान	57000.00
03.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु सिंह कान्सट्रक्शन को भुगतान	22000.00
08.01.2020	ह्यूम पाइप क्रय हेतु सिद्धीदात्री कृषि उद्दयोग को भुगतान	22500.00
	योग-	130840.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती शारदा देवी एवं ग्राम सचिव श्री अनिल कुमार सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(120) ग्राम पंचायत- चिउटीपारा, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 266**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-05.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 47542.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती सरोजा देवी एवं ग्राम सचिव श्री अनिल कुमार सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 267**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार प्रा0 वि0 चिउटीपारा में मिट्टी पटाई कार्य पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	कैशबुक में दर्शित व्यय विवरण	धनराशि रु0
12.04.2019	मिट्टी पटाई कार्य पर व्यय	30975.00
12.04.2019	मिट्टी पटाई कार्य पर व्यय	33268.00
	योग-	64243.00

01-उक्त विवरण में एक ही विद्यालय में पटाई गई इतनी अधिक मिट्टी की रसीद/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत पत्रावली में प्राप्त नहीं रहा। आडिट के दौरान मांगे जाने पर प्रस्तुत भी नहीं किया जा सका। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती सरोजा देवी एवं ग्राम सचिव श्री अनिल कुमार सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 268**

03-ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न विवरणानुसार प्राथमिक विद्यालय चिउटीपारा में टाइल्स कार्य दर्शाकर निम्न प्रकार भुगतान किया गया है:-

दिनांक	फर्म का नाम	मजदूरी पर व्यय	फर्म को भुगतान
06.03.2020	शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	शून्य	161563.00
	योग-	शून्य	161563.00

01-उक्त विवरण में एक ही तिथि में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित आडिट में प्रस्तुत उक्त कार्य शासनादेश एवं व्यय प्रमाणक नियमों के विपरीत पाए गए। अनियमित टेण्डर के आधार पर भुगतान किया जाना नियम विरुद्ध है।

02-उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया शासन के मजदूरी सृजन उद्देश्य के विपरीत तथा क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त अनियमित कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (ख) के विपरीत है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः उक्त के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती सरोजा देवी एवं ग्राम सचिव श्री अनिल कुमार सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 269**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
10.02.2020	शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	31391.00	
10.02.2020	शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	31391.00	
10.02.2020	शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	31391.00	
	योग-	94173.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1- हैण्डपम्प मरम्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री, निर्माण कार्य आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3- एक ही तिथि में भुगतान एवं तीन हैण्डपम्प रिबोर पर एक ही प्रकार के कल-पुर्जों की खराबी होने पर ही तीनों पर समान धनराशि का भुगतान किया जा सकता है जो संभव नहीं है। भुगतान में गंभीर गड़बड़ी की गई है।

शासनादेश के विपरीत एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती सरोजा देवी एवं ग्राम सचिव श्री अनिल कुमार सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(121) ग्राम पंचायत- गौरा बसन्तपुर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर

**प्रस्तर- 270**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-05.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 32518.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30.09.2010 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती मुन्द्रा एवं ग्राम सचिव श्री अनिल कुमार सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 271**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार प्रा0 वि0 कुर्मी डीहा में मिट्टी पटाई कार्य पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	कैशबुक में दर्शित व्यय विवरण	धनराशि रु0
29.09.2019	मिट्टी पटाई कार्य पर व्यय	4819.00
03.07.2019	मिट्टी पटाई कार्य पर व्यय	75348.00
03.07.2019	मिट्टी पटाई कार्य पर व्यय दीप्ती इण्टर प्राइजेज को भुगतान	70123.00
	योग-	150290.00

01-उक्त विवरण में एक ही विद्वालय में पटाई गई इतनी अधिक मिट्टी की रसीद/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत पत्रावली में प्राप्त नहीं रहा। आडिट के दौरान मांगे जाने पर प्रस्तुत भी नहीं किया जा सका। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30.09.2010 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती मुन्द्रा एवं ग्राम सचिव श्री अनिल कुमार सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 272.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में प्रायः एक ही तिथि में इण्टरलॉकिंग ईट क्रय दर्शित किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	
14.01.2020	जय दुर्गा स्पन पाइप एण्ड इण्टरलॉकिंग को भुगतान	126542.00	
16.01.2020	जय दुर्गा स्पन पाइप एण्ड इण्टरलॉकिंग को भुगतान	164228.00	
	योग-	290870.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-1-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक एवं भुगतान आडिट में अनियमित पाये गए। उक्त क्रयों के सापेक्ष नियमांतर्गत कोई टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया है।

2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत के कार्य से लेकर स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्मत का कार्य, ह्यूम पाइप बिक्री का कार्य, इण्टरलॉकिंग का कार्य, बिल्डिंग मटेरियल बिक्री का कार्य तथा टाइल्स लगाने का कार्य अर्थात् ठेकेदार एवं बिक्रेता का कार्य एक साथ करते हैं। प्रमाणकों के अभाव में इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-ठेके से कार्य कराया जाना ग्राम पंचायतों में चालू योजनाओं के मजदूरी सृजन के उद्देश्यों के विपरीत है।

अनियमित व्यय प्रमाणकों के आधार पर किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अन्तर्गत वसूली योग्य माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः 30.09.2010 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती मुन्द्रा एवं ग्राम सचिव श्री अनिल कुमार सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(122) ग्राम पंचायत- आंतडीह विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 273**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-05.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 54900.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30/04/2020 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती कुसुम एवं ग्राम सचिव श्री उपेन्द्र सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(123) ग्राम पंचायत- नकटहा, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 274**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु 1009000.00 मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 1009000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रामसमुझ एवं ग्राम सचिव श्री अमरजीत वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 275**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 24035.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30/04/2020 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रामसमुझ एवं ग्राम सचिव श्री अमरजीत वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(124) ग्राम पंचायत- पियारेपुर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 276**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु 1339000.00 मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 1339000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री विश्वनाथ पटेल एवं ग्राम प्रधान श्री खुशी राम से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 277**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 31343.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30/04/2017 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री विश्वनाथ पटेल एवं ग्राम प्रधान श्री खुशी राम से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(125) ग्राम पंचायत- माधवपुर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 278**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 11.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 39188.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30/04/2017 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री आलमगीर एवं ग्राम सचिव श्री मती सरिता शुक्ला से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 279**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल **₹ 1235000.00** व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 1235000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री आलमगीर एवं ग्राम सचिव श्री मती सरिता शुक्ला से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 280**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु०	अन्य
10.04.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	18080.00	
07.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	19000.00	
08.08.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	19950.00	
16.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	18350.00	
16.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	18200.00	
07.03.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	26900.00	
31.03.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु बलराम ट्रेडर्स को भुगतान	32000.00	
	योग	152480.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 1- हैण्डपम्प मरम्मत व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत/ ह्यूम पाइप बिक्री, निर्माण कार्य आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के विपरीत कार्य किया गया है।

शासनादेश के विपरीत एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री आलमगीर एवं ग्राम सचिव श्री मती सरिता शुक्ला से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 281**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
10.04.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	14920.00
04.07.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	17500.00
04.07.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	17100.00
08.08.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	48000.00
08.08.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु सिंह कान्सट्रक्शन को भुगतान	60800.00
	योग-	158320.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्त का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्त / सोलर मरम्त की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं।
- 4-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।
- 5-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 6-ग्राम पंचायत में उक्त भुगतान एक साथ बिना किसी उचित कारण एवं अभिलेख के किए गए हैं कि इनकी स्थापना कब तथा मरम्त कितनी बार पूर्व में कराई जा चुकी है, जो भारी अनियमितता को दर्शाता है। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री आलमगीर एवं ग्राम सचिव श्री मती सरिता शुक्ला से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 282**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु हयूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
28.05.2019	हयूम पाइप क्रय हेतु हेतु शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	19980.00
04.07.2019	हयूम पाइप क्रय हेतु हेतु शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	26500.00
08.08.2019	हयूम पाइप क्रय हेतु हेतु शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	61804.00
08.08.2019	हयूम पाइप क्रय हेतु हेतु शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	20000.00
08.08.2019	हयूम पाइप क्रय हेतु हेतु शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	61800.00

16.01.2020	ह्यूम पाइप क्रय हेतु हेतु शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	96600.00
07.03.2020	ह्यूम पाइप क्रय हेतु हेतु शिव कान्सट्रक्शन को भुगतान	22312.00
30.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु हेतु बजरंग ट्रेडर्स को भुगतान	28500.00
08.80.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु हेतु सिंह कान्सट्रक्शन को भुगतान	20000.00
	योग-	357496.00

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

4- ह्यूम पाइप लगवाई हेतु एम0के0 ट्रेडर्स को भुगतान किया गया दर्शित है जबकि इसका भुगतान मजदूरों को किया जाना चाहिए था।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री आलमगीर एवं ग्राम सचिव श्री मती सरिता शुक्ला से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(126) ग्राम पंचायत- मूसेपुर गिरण्ट विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर प्रस्तर- 283.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की केश बुक में दिनांक- 11.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 30615.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मदन लाल एवं ग्राम सचिव श्री मती सरिता शुक्ला से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 284.**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 929000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 929000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मदन लाल एवं ग्राम सचिव श्री मती सरिता शुक्ला से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 285**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
24.04.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु जान ट्रेडर्स को भुगतान	11800.00	
27.05.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु जान ट्रेडर्स को भुगतान	19020.00	
08.08.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु जान ट्रेडर्स को भुगतान	18520.00	

27011.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु ज्ञान ट्रेडर्स को भुगतान	19960.00	
21.02.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु ज्ञान ट्रेडर्स को भुगतान	31591.00	
	योग-	100891.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-हैण्डपम्प मरम्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री, निर्माण कार्य आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के विपरीत कार्य किया गया है।

शासनादेश के विपरीत एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मदन लाल एवं ग्राम सचिव श्री मती सरिता शुक्ला से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 286.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
13.05.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु हेतु ज्ञान ट्रेडर्स को भुगतान	20000.00
27.05.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु हेतु ज्ञान ट्रेडर्स को भुगतान	44250.00
15.06.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु हेतु ज्ञान ट्रेडर्स को भुगतान	20000.00
19.06.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु हेतु ज्ञान ट्रेडर्स को भुगतान	16692.00
19.06.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु हेतु ज्ञान ट्रेडर्स को भुगतान	3108.00
05.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु हेतु ज्ञान ट्रेडर्स को भुगतान	19800.00
15.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु हेतु ज्ञान ट्रेडर्स को भुगतान	39587.00
22.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु हेतु ज्ञान ट्रेडर्स को भुगतान	12726.00
09.12.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु हेतु ज्ञान ट्रेडर्स को भुगतान	122292.00
	<b>योग-</b>	<b>298455.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

4- ह्यूम पाइप लगवाई हेतु एम0के0 ट्रेडर्स को भुगतान किया गया दर्शित है जबकि इसका भुगतान मजदूरों को किया जाना चाहिए था।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मदन लाल एवं ग्राम सचिव श्री मती सरिता शुक्ला से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 287**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
29.06.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु सिंह कान्सट्रक्शन को भुगतान	13500.00
12.07.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु ज्ञान ट्रेडर्स को भुगतान	102000.00
03.08.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु ज्ञान ट्रेडर्स को भुगतान	80000.00
	<b>योग-</b>	<b>195500.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्त का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्त / सोलर मरम्त की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं।

4-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आडूडी से मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

5-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

6-ग्राम पंचायत में उक्त भुगतान एक साथ बिना किसी उचित कारण एवं अभिलेख के किए गए हैं कि इनकी स्थापना कब तथा मरम्त कितनी बार पूर्व में कराई जा चुकी है, जो भारी अनियमितता को दर्शाता है। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मदन लाल एवं ग्राम सचिव श्री मती सरिता शुक्ला से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(127) ग्राम पंचायत- चककोडरा विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 288**

ग्राम पंचायत चककोडरा विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-10.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 28826 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती सीतापती एवं ग्राम सचिव श्री मती सरिता शुक्ला से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(128) ग्राम पंचायत- नरहरिया करमपुर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 289**

ग्राम पंचायत नरहरिया करमपुर विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-



**(132) ग्राम पंचायत- पीठापुर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 293**

ग्राम पंचायत पीठापुर विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-05.02..2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु 25101.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री केशरी सिंह एवं ग्राम सचिव श्री प्रशांत पटेल से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(133) ग्राम पंचायत- मथानी, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 294**

ग्राम पंचायत मथानी विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-23.12.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 69770.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती शांति देवी एवं ग्राम सचिव श्री उपेन्द्र सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(134) ग्राम पंचायत- सरखने किशनीपुर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 295**

ग्राम पंचायत सरखने किशनीपुर विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-23.12.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 16110.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री वीरेन्द्र प्रताप एवं ग्राम सचिव श्री विश्वनाथ पटेल से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(135) ग्राम पंचायत- हारेपुर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 296**

ग्राम पंचायत हारेपुर विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 20208.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि वाउचर/व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती फूलकुमारी एवं ग्राम सचिव श्री चंचल रेड्डी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 297**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 2291000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 2291000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती फूलकुमारी एवं ग्राम सचिव श्री चंचल रेड्डी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(136) ग्राम पंचायत- खरगपुर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर- 298**

ग्राम पंचायत खरगपुर विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 32497.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि वाउचर/व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रोहित एवं ग्राम सचिव श्री अखलेश कुमार गौड़ से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 299**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 149000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 149000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रोहित एवं ग्राम सचिव श्री अखलेश कुमार गौड़ से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(137) ग्राम पंचायत- आदमपुर तिन्दौली, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर- 300**

ग्राम पंचायत आदमपुर तिन्दौली विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 35348.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि वाउचर/व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30/04/2019 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री बट्टी प्रसाद सिंह एवं ग्राम सचिव श्री विश्वनाथ पटेल से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 301.**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 887000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 887000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री बट्टी प्रसाद सिंह एवं ग्राम सचिव श्री विश्वनाथ पटेल से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(138) ग्राम पंचायत- खजूरडीह, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर- 302**

ग्राम पंचायत खजूरडीह विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 11.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 33703.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि वाउचर/व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30/04/2019 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रामचरन एवं ग्राम सचिव श्री विश्वनाथ पटेल से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 303**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 680000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 680000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रामचरन एवं ग्राम सचिव श्री विश्वनाथ पटेल से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(139) ग्राम पंचायत- रसलपारा, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर- 304**

ग्राम पंचायत रसलपारा विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

1-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 2.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 32979.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि वाउचर/व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रन नारायण तिवारी एवं ग्राम सचिव श्री पंकज मोहन मिश्रा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 305.**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 203000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 203000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रन नारायण तिवारी एवं ग्राम सचिव श्री पंकज मोहन मिश्रा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 306.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार आडिट आनलाईन प्राप्त कैशबुक में पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान विवरणहीन व्यय दर्शित है:-

दिनांक	चेक सं०	विवरण	धनराशि रु०
28.06.2019	88215	पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	114000.00
29.06.2019	88216	पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	114000.00
03.07.2019	88231	पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	114000.00
		योग-	342000.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- कैशबुक में पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान किस लिए भुगतान किया गया कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है जो अत्यंत ही लापवाहीपूर्ण है।
- 2-पी कुमार ट्रेडर्स बैंड फर्म है अथवा नहीं बिल/वाउचर अप्राप्त होने के कारण नहीं हो पाई ।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रन नारायण तिवारी एवं ग्राम सचिव श्री पंकज मोहन मिश्रा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(140) ग्राम पंचायत- अंगवल, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 307**

ग्राम पंचायत अंगवल विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

1-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 10.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 36630.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि वाउचर/व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता

स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती शीला मौर्या एवं ग्राम सचिव श्री चंचल रेड्डी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 308.**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल ₹0 1037000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय ₹. 1037000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती शीला मौर्या एवं ग्राम सचिव श्री चंचल रेड्डी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 309**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि ₹0
04.06.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्त क्रय हेतु शिव कांस्ट्रक्शन	17200.00
04.06.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्त क्रय हेतु शिव कांस्ट्रक्शन	30100.00
		47300.00

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

- 1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्त का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्त / सोलर मरम्त की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं।
- 5-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 06-लगवाए जाने से स्थानों के नाम एवं फोटो आदि भी आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि ₹0 47300.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती शीला मौर्या एवं ग्राम सचिव श्री चंचल रेड्डी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 310.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि ₹0	अन्य
04.06.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु शिव कांस्ट्रक्शन	15200.00	

04.06.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु शिव कांस्ट्रक्शन	13300.00	
08.07.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु शिव कांस्ट्रक्शन	22250.00	
12.02.2020	हैण्डपम्प मरम्त हेतु सिंह कांस्ट्रक्शन	17510.00	
12.02.2020	हैण्डपम्प मरम्त हेतु सिंह कांस्ट्रक्शन	18700.00	
	योग-	<b>86960.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

01-हैण्डपम्प मरम्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्त का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी। एक साथ कई स्थानों के लिए

3- मरम्त कराए जाने से स्थानों के नाम एवं फोटो आदि भी आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रु0 86960.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती शीला मौर्या एवं ग्राम सचिव श्री चंचल रेड्डी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(141) ग्राम पंचायत- जगदीशपुर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 311**

ग्राम पंचायत जगदीशपुर विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

1-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 10.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 35780.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि वाउचर/व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल रु0 35780.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री संत प्रसाद एवं ग्राम सचिव चंचल रेड्डी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-312.**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 78000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 78000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री संत प्रसाद एवं ग्राम सचिव चंचल रेड्डी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 313.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि डोंगल सिस्टम लागू होने के पूर्व कैशबुक में निम्न प्रकार शिव कांस्ट्रक्शन को बिना सामग्री एवं सेवा का विवरण कैशबुक में दर्शाए सीधे भुगतान किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
28.06.2019	प्रभा कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	15000.00	
28.06.2019	प्रभा कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	107025.00	

28.06.2019	प्रभा कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	30400.00	
28.06.2019	प्रभा कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	60200.00	
28.06.2019	प्रभा कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	38000.00	
18.07.2019	प्रभा कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	34200.00	
29.07.2019	प्रभा कांस्ट्रक्शन/बजरंग ट्रेडर्स को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	66800.00	
	<b>योग-</b>	<b>351625.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरणहीन व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-कहीं भी आशय का विवरण अंकित नहीं किया गया है कि उक्त वेंडर/फर्म द्वारा किस प्रकार की सामग्री एवं सेवा की आपूर्ति किस कार्य पर की गई है। प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी जानकारी नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

03-एक ही तिथि में एक फर्म को 5 बार अथवा कई बार भुगतान किए जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

04-डॉंगल सिस्टम के पूर्व सभी धनराशियां प्रायः किसी फर्म के नाम एकमुश्त आहरित कर ली गई हैं जिनके कार्यों का कोई विवरण नहीं दिया गया है।

05-क्रमांक 07 पर एक चेस से प्रभा कांस्ट्रक्शन/बजरंग ट्रेडर्स को एक साथ भुगतान दिखाया गया है जो संभव नहीं है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि किसी कार्य पर व्यय न कर फर्मों से मिलीभगत कर सीधे गबन कर ली गई है। व्यय पत्रावली/वाउचर विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रु0 351625.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री संत प्रसाद एवं ग्राम सचिव चंचल रेड्डी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 314.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि डॉंगल सिस्टम लागू होने के पूर्व केशबुक में निम्न प्रकार शिव कांस्ट्रक्शन एवं बजरंग ट्रेडर्स को बिना सामग्री एवं सेवा का विवरण केशबुक में दर्शाए सीधे भुगतान किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
10.06.2019	शिव कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	18200.00	
28.06.2019	शिव कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	35150.00	
08.08.2019	शिव कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	15400.00	
09.08.2019	शिव कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	13200.00	
10.06.2019	शिव कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	24450.00	
08.08.2019	बजरंग ट्रेडर्स को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	22200.00	
09.08.2019	बजरंग ट्रेडर्स को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	22323.00	
14.08.2019	बजरंग ट्रेडर्स को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	33000.00	
	<b>योग-</b>	<b>183923.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरणहीन व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-कहीं भी आशय का विवरण अंकित नहीं किया गया है कि उक्त वेंडर/फर्म द्वारा किस प्रकार की सामग्री एवं सेवा की आपूर्ति किस कार्य पर की गई है। प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी जानकारी नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

03-एक ही तिथि में एक फर्म को 5 बार अथवा कई बार भुगतान किए जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

04-डॉंगल सिस्टम के पूर्व सभी धनराशियां प्रायः किसी फर्म के नाम एकमुश्त आहरित कर ली गई हैं जिनके कार्यों का कोई विवरण नहीं दिया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि किसी कार्य पर व्यय न कर फर्मों से मिलीभगत कर सीधे गबन कर ली गई है। व्यय पत्रावली/वाउचर विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि ₹0 183923.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री संत प्रसाद एवं ग्राम सचिव चंचल रेड्डी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(142) ग्राम पंचायत- चांदपुर महमूदपुर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर प्रस्तर-315**

ग्राम पंचायत चांदपुर महमूदपुर विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

1-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 230571.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि वाउचर/व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल रु0 230571.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम सरन एवं ग्राम सचिव श्री चंचल रेड्डी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 316.**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 164000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 164000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम सरन एवं ग्राम सचिव श्री चंचल रेड्डी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 317.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि डोंगल सिस्टम लागू होने के पूर्व कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न फर्मों को बिना सामग्री एवं सेवा का विवरण कैशबुक में दर्शाए सीधे भुगतान किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
17.06.2019	शिव कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	19300.00	
28.06.2019	दीप्ति इण्टरप्राइजेज को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	20300.00	
28.06.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	29650.00	
29.06.2019	एम0के0 ट्रेडर्स को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	46350.00	
29.06.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	44800.00	
29.06.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	40450.00	
03.07.2019	प्रभा कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	33350.00	
03.07.2019	प्रभा कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	37550.00	
03.07.2019	प्रभा कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	58950.00	
05.07.2019	जे0के0 ट्रेडर्स को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	13800.00	

12.07.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	11200.00	
15.07.2019	सिंह कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	16650.00	
15.07.2019	सिंह कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	11400.00	
25.07.2019	दीप्ति इण्टरप्राइजेज को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	15200.00	
25.07.2019	दीप्ति इण्टरप्राइजेज को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	22250.00	
26.07.2019	सिंह कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	23850.00	
07.08.2019	दीप्ति इण्टरप्राइजेज को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	27000.00	
	<b>योग-</b>	<b>472050.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरणहीन व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-कैशबुक अथवा किसी अन्य प्रमाणकों में कहीं भी इस आशय का विवरण अंकित नहीं किया गया है कि उक्त वेंडर/फर्म द्वारा किस प्रकार की सामग्री एवं सेवा की आपूर्ति किस-किस कार्य पर की गई है। प्रमाणकों के अभाव में भी इसकी जानकारी नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

03-एक ही तिथि में एक फर्म को कई बार भुगतान किए जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया। यह स्थिति भारी गड़बड़ी का दृश्योत्पन्न है।

04-डॉंगल सिस्टम के पूर्व सभी धनराशियां प्रायः किसी फर्म के नाम एकमुश्त आहरित कर ली गई हैं जिनके कार्यों का कोई विवरण नहीं दिया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि किसी कार्य पर व्यय न कर फर्मों से मिलीभगत कर सीधे गबन कर ली गई प्रतीत होती है। व्यय पत्रावली/वाउचर विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रु0 472050.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम सरन एवं ग्राम सचिव श्री चंचल रेड्डी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(143) ग्राम पंचायत- डोमनेपुर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 318**

ग्राम पंचायत डोमनेपुर विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

1-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 10.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 29721.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि वाउचर/व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल रु0 29721.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री अजय कुमार एवं ग्राम सचिव श्री चंचल रेड्डी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 319.**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 54000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 54000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती

राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री अजय कुमार एवं ग्राम सचिव श्री चंचल रेड्डी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 320.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि डोंगल सिस्टम लागू होने के पूर्व कैशबुक में निम्न प्रकार अवध कांस्ट्रक्शन को बिना सामग्री एवं सेवा का विवरण कैशबुक में दर्शाए सीधे भुगतान किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
24.04.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	12250.00	
13.05.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	211960.00	
13.05.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	183355.00	
27.05.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	478480.00	
18.07.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	35000.00	
	<b>योग-</b>	<b>921045.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरणहीन व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-कैशबुक अथवा किसी अन्य प्रमाणकों में कहीं भी इस आशय का विवरण अंकित नहीं किया गया है कि उक्त वेंडर/फर्म द्वारा किस प्रकार की सामग्री एवं सेवा की आपूर्ति किस-किस कार्य पर की गई है। प्रमाणकों के अभाव में भी इसकी जानकारी नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

03-एक ही तिथि में एक फर्म को कई बार भुगतान किए जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया। यह स्थिति भारी गड़बड़ी का द्योतक है।

04-डोंगल सिस्टम के पूर्व सभी धनराशियां प्रायः किसी फर्म के नाम एकमुश्त आहरित कर ली गई हैं जिनके कार्यों का कोई विवरण नहीं दिया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि किसी कार्य पर व्यय न कर फर्मों से मिलीभगत कर सीधे गबन कर ली गई प्रतीत होती है। व्यय पत्रावली/वाउचर विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रु0 921045.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री अजय कुमार एवं ग्राम सचिव श्री चंचल रेड्डी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(144) ग्राम पंचायत- सबना, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 321**

ग्राम पंचायत सबना विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

1-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 05.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 56140.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि वाउचर/व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल रु0 56140.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती पियारी देवी एवं ग्राम सचिव श्री पंकज मोहन मिश्रा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 322.**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 362000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 362000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती पियारी देवी एवं ग्राम सचिव श्री पंकज मोहन मिश्रा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 323.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि डोंगल सिस्टम लागू होने के पूर्व कैशबुक में निम्न प्रकार अवध कांस्ट्रक्शन को बिना सामग्री एवं सेवा का विवरण कैशबुक में दर्शाए सीधे भुगतान किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
03.05.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	56773.00	
16.05.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	5000.00	
31.05.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	20000.00	
10.06.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	80000.00	
18.06.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	20000.00	
02.07.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	19000.00	
02.07.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	100000.00	
02.07.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	114000.00	
03.07.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	29029.00	
09.07.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	114000.00	
22.07.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	21305.00	
	<b>योग-</b>	<b>579107.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरणहीन व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-कैशबुक अथवा किसी अन्य प्रमाणकों में कहीं भी इस आशय का विवरण अंकित नहीं किया गया है कि उक्त वेंडर/फर्म द्वारा किस प्रकार की सामग्री एवं सेवा की आपूर्ति किस-किस कार्य पर की गई है। प्रमाणकों के अभाव में भी इसकी जानकारी नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

03-उक्त विवरण से स्पष्ट है कि एक ही तिथि में एक ही फर्म को कई बार विवरणहीन भुगतान किया गया जिसका कोई औचित्य नहीं पाया गया। यह स्थिति भारी गड़बड़ी का द्योतक है।

04-डोंगल सिस्टम के पूर्व सभी धनराशियां प्रायः उक्त फर्म के नाम एकमुश्त आहरित कर ली गई हैं जिनके कार्यों का कोई विवरण नहीं दिया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान किया गया है। उक्त धनराशि किसी कार्य पर व्यय न कर फर्मों से मिलीभगत कर सीधे गबन कर ली गई प्रतीत होती है। व्यय पत्रावली/वाउचर विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रु0 579107.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती पियारी देवी एवं ग्राम सचिव श्री पंकज मोहन मिश्रा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(145) ग्राम पंचायत- रानीपुर मोहन, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर

**प्रस्तर- 324**

ग्राम पंचायत रानीपुर मोहन विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-10.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय .स्थानान्तरण रु/ 44068.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री शेष नाथ त्रिपाठी एवं ग्राम सचिव श्री मती सरिता शुक्ला से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(146) ग्राम पंचायत- रामपुर बनेथू , विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर

**प्रस्तर- 325.**

ग्राम पंचायत रामपुर बनेथू विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
11.06.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु अन्नू ट्रेडर्स	15978.00
20.06.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु अन्नू ट्रेडर्स	11100.00
12.07.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु अन्नू ट्रेडर्स	30900.00
01.07.2019	हैण्डपम्प मरम्त बी0के0 ट्रेडर्स	16950.00
08.07.2019	हैण्डपम्प मरम्त शिव कन्सट्रक्शन	16350.00
25.11.2019	हैण्डपम्प मरम्त शिव कन्सट्रक्शन	19970.00
29.01.2020	हैण्डपम्प मरम्त सिंह कन्सट्रक्शन	11600.00
	<b>योग</b>	<b>142248.00</b>

उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। एक साथ कई स्थानों के लिए एक आडूडी से मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम अवतार पाल एवं ग्राम सचिव श्री रामजीत एसे बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 326.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
19.07.2019	स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु शिव कन्सट्रक्शन	46500.00

20.07.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्त हेतु शिव कन्सट्रक्शन	19500.00
30.07.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्त हेतु सिंह कन्सट्रक्शन	16800.00
01.07.2019	सोलर मरम्त सिंह कन्सट्रक्शन	18600.00
30.07.2019	सोलर मरम्त सिंह कन्सट्रक्शन	19500.00
28.11.2019	सोलर मरम्त सिंह कन्सट्रक्शन	19640.00
	<b>योग</b>	<b>140540.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्त / सोलर मरम्त की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं। 4-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से मरम्त कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

अतः उक्त आपतियों के अधीन एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम अवतार पाल एवं ग्राम सचिव श्री रामजीत से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 327.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
11.06.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु शिव कन्सट्रक्शन	20760.00
11.06.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु शिव कन्सट्रक्शन	21555.00
17.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु सिंह कन्सट्रक्शन	41250.00
21.02.2020	ह्यूम पाइप क्रय एम0के0 ट्रेडर्स	26250.00
	<b>योग</b>	<b>109815.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम अवतार पाल एवं ग्राम सचिव श्री रामजीत से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 328.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-11.02.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 31534.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता

स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30/04/2019 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम अवतार पाल एवं ग्राम सचिव श्री रामजीत से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(147) ग्राम पंचायत- बलईपुर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 329.**

ग्राम पंचायत बलईपुर विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल ₹0 241000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 241000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश कुमार गौड़ , एवं ग्राम प्रधान श्री मती ममता दूबे से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 330.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 10.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 42080.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30/04/2019 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश कुमार गौड़ , एवं ग्राम प्रधान श्री मती ममता दूबे से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 331.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न तिथियों में विवरणहीन व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
03.06.2019	बजरंग ट्रेडर्स	19200.00	
03.06.2019	सहाय ट्रेडर्स	27780.00	
04.06.2019	बजरंग ट्रेडर्स	19500.00	
04.06.2019	बजरंग ट्रेडर्स	19500.00	
02.07.2019	आदर्श ट्रेडर्स	93000.00	
16.07.2019	देव ब्रिक फिल्ड	154500.00	
16.07.2019	बजरंग ट्रेडर्स	19500.00	
16.07.2019	बजरंग ट्रेडर्स	54000.00	
16.07.2019	मां दुर्गा टेडर्स	19900.00	
17.07.2019	आदर्श ट्रेडर्स	138000.00	

29.07.2019	आदर्श ट्रेडर्स	93000.00	
	<b>योग</b>	657880.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1-उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त वेंडर/फर्म द्वारा ग्राम पंचायत में कौन सा कार्य कराया गया केशबुक में विवरण अंकित नहीं किया गया था। प्रमाणकों के अभाव में भी इसकी जानकारी नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3-केवल फर्म को भुगतान किया गया है मजदूरी भुगतान का विवरण भी अप्राप्त रहा अतः वांछित जानकारी नहीं की जा सकी कि उक्त मटेरियल का उपभोग बिना मजदूरी व्यय के कैसे संभव हो सका।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश कुमार गौड़ , एवं ग्राम प्रधान श्री मती ममता दूबे से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(148) ग्राम पंचायत- अटवई, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 332**

ग्राम पंचायत अटवई विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 328000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 328000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री आनंद पाण्डेय, एवं ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 333.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की केश बुक में दिनांक- 13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 42626.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री आनंद पाण्डेय, एवं ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(149) ग्राम पंचायत- मंशापुर , विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 334**

ग्राम पंचायत मंशापुर विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 05.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 54341.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती श्यमा देवी एवं ग्राम सचिव श्री आनंद पाण्डेय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(150) ग्राम पंचायत- मौरापारा, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 335**

ग्राम पंचायत **मौरापारा** विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 1853000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 1853000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री हरिशंकर वर्मा, एवं ग्राम प्रधान श्री अनिरुद्ध कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 336.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 42619.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री हरिशंकर वर्मा, एवं ग्राम प्रधान श्री अनिरुद्ध कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(151) ग्राम पंचायत- मरथुआ सरैया, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 337**

ग्राम पंचायत **मरथुआ सरैया** विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 233000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 233000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री साधु सरन, एवं ग्राम प्रधान श्री मती रीना यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 338.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 61662.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री साधु सरन, एवं ग्राम प्रधान श्री मती रीना यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 339.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर कैशबुक में विवरणहीन व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
14.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु अवध कांसट्रक्शन को भुगतान	32500.00	
10.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु अवध कांसट्रक्शन को भुगतान	32500.00	
10.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु अवध कांसट्रक्शन को भुगतान	32500.00	
10.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु अवध कांसट्रक्शन को भुगतान	25230.00	
10.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु अवध कांसट्रक्शन को भुगतान	27440.00	
	<b>योग-</b>	<b>150170.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-हैण्डपम्प मरम्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री, निर्माण कार्य आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक दिन में भुगतान करके एवं वाउचर तथा आइडी सूचना विहीन मरम्मत कराकर शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के विपरीत कार्य किया गया है।

शासनादेश के विपरीत एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल रु0 150170.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री साधु सरन, एवं ग्राम प्रधान श्री मती रीना यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(152) ग्राम पंचायत- बंदनडीह , विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 340**

ग्राम पंचायत बंदनडीह विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की आडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 316000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम

विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंत: उक्त कुल व्यय रु. 316000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश कुमार गौड़, एवं ग्राम प्रधान श्री मती आशा देवी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 341.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 28160.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु0 28160.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश कुमार गौड़, एवं ग्राम प्रधान श्री मती आशा देवी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(153) ग्राम पंचायत- दुर्गपुर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 342**

ग्राम पंचायत दुर्गपुर विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 255000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंत: उक्त कुल व्यय रु. 255000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री साधु सरन, एवं ग्राम प्रधान श्री मती लालिमा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 343**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 11.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 30900.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु0 30900.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री साधु सरन, एवं ग्राम प्रधान श्री मती लालिमा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(154) ग्राम पंचायत- पतौना, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 344**

ग्राम पंचायत पतौना विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 1023000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 1023000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री जगदम्बा शुक्ला , एवं ग्राम प्रधान श्री विनोद सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 345.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 18.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 32785.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु0 32785.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री जगदम्बा शुक्ला , एवं ग्राम प्रधान श्री विनोद सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(155) ग्राम पंचायत- पांती, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 346**

ग्राम पंचायत पांती विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 1167000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 1167000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री जगदम्बा शुक्ला, एवं ग्राम प्रधान श्री मती साधना सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 347.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 10.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 48691.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु0 48691.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री जगदम्बा शुक्ला, एवं ग्राम प्रधान श्री मती साधना सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 348.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर कैशबुक में विवरणहीन व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	कैशबुक विवरण	धनराशि रु0	अन्य
14.08.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	19500.00	
14.08.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	18500.00	
21.10.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	33700.00	
21.10.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	33700.00	
21.10.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	33700.00	
21.10.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	33700.00	
21.10.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	33700.00	
21.10.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	33700.00	
19.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	19640.00	
07.12.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	19980.00	
23.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	6447.00	
24.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	3640.00	
24.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	3640.00	
24.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	4554.00	
24.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	9464.00	
24.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	9464.00	
20.02.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	32300.00	
20.02.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	34587.00	
25.02.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	9600.00	
16.03.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	32100.00	
16.03.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	32100.00	
31.03.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	10500.00	
	<b>योग-</b>	<b>468216.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। सभी व्यय विवरणहीन हैं। कैशबुक में मरम्मत/रिबोर के स्थानों का विवरण नहीं दिया गया है।

2-व्यय प्रमाणकों के अभाव में सम्बन्धित फर्म की जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-एक ही फर्म को भुगतान किए जाना भारी मिलीभगत को प्रमाणित करता है। इसकी जांच भी अपेक्षित है।

3-विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन व्यय के कारण शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के अनुरूप ही कार्य कराए जाने की जानकारी नहीं हो पाई।

4-एक ही तिथि में कई-कई हैण्डपम्प का एक साथ खराब दर्शाकर मरम्मत/रिबोर कराया जाना एवं एक तिथि में भुगतान का किया जाना व्यय को काल्पनिक प्रमाणित करते हैं।

05-रु0 468216.00 केवल हैण्डपम्प पर व्यय कर दिया गया है जो कुल व्यय का लगभग 26 प्रतिशत है जो काल्पनिक हैण्ड पम्प मरम्मत की पुष्ट करता है।

शासनादेश के विपरीत एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल रु0 468213.00

ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री जगदम्बा शुक्ला, एवं ग्राम प्रधान श्री मती साधना सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 349.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर विवरणहीन व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	कैशबुक विवरण	धनराशि रु0
19.11.2019	ह्यूम पाइप पर क्रय का भुगतान	17930.00
06.12.2019	ह्यूम पाइप पर क्रय का भुगतान	24476.00
28.02.2020	ह्यूम पाइप पर क्रय का भुगतान	12800.00
30.03.2020	ह्यूम पाइप पर क्रय का भुगतान	19020.00
	<b>योग-</b>	<b>74226.00</b>

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- व्यय प्रमाणकों के अभाव में सम्बन्धित फर्म की जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु0 74226.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री जगदम्बा शुक्ला, एवं ग्राम प्रधान श्री मती साधना सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(156) ग्राम पंचायत- घाघूपुर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 350**

ग्राम पंचायत घाघूपुर विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 317000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 317000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री हरिवंश वर्मा, एवं ग्राम प्रधान श्री मती किरण देवी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 351.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 11.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 23444.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु0 23444.00 की

ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री हरिवंश वर्मा, एवं ग्राम प्रधान श्री मती किरण देवी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 352.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
10.05.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु अन्नू ट्रेडर्स को भुगतान	11150.00	
01.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु अन्नू ट्रेडर्स को भुगतान	18750.00	
01.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु अन्नू ट्रेडर्स को भुगतान	15350.00	
01.70.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु अन्नू ट्रेडर्स को भुगतान	11350.00	
01.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु अन्नू ट्रेडर्स को भुगतान	13950.00	
01.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु अन्नू ट्रेडर्स को भुगतान	18550.00	
16.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु जान ट्रेडर्स को भुगतान	<b>18150.00</b>	
	<b>योग-</b>	<b>107250.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1- हैण्डपम्प मरम्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री, निर्माण कार्य आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3- पत्रावली के अभाव में शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के अनुपालन की पुष्टि नहीं की जा सकी।

शासनादेश के विपरीत एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल रु0 107250.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री हरिवंश वर्मा, एवं ग्राम प्रधान श्री मती किरण देवी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(157) ग्राम पंचायत- हरिश्चन्द्रपुर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 353**

ग्राम पंचायत हरिश्चन्द्रपुर विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 253000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 253000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री आनंद पाण्डेय , एवं ग्राम प्रधान श्री इन्द्रसेन सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 354.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 05.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 43592.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु0 43592.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री आनंद पाण्डेय , एवं ग्राम प्रधान श्री इन्द्रसेन सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 355.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
24.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु एम0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	19062.00	
24.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु एम0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	17060.00	
14.08.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु एम0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	19800.00	
14.08.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु एम0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	23450.00	
02.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु एम0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	19850.00	
06.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु एम0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	19850.00	
	योग-	<b>119072.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1- हैण्डपम्प मरम्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री, निर्माण कार्य आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3- पत्रावली के अभाव में शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के अनुपालन की पुष्टि नहीं की जा सकी।

शासनादेश के विपरीत एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल रु0 119072.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री आनंद पाण्डेय , एवं ग्राम प्रधान श्री इन्द्रसेन सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 356.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
14.08.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु एम0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	31500.00
15.11.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु एम0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	78795.00
16.11.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु एम0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	19270.00
16.11.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु एम0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	19540.00
	योग-	<b>149105.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्मत / सोलर मरम्मत की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं।

4-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5-ग्राम पंचायत में उक्त भुगतान एक साथ बिना किसी उचित कारण एवं प्रमाणक के किए गए हैं कि इनकी स्थापना कब तथा मरम्मत कितनी बार पूर्व में कराई जा चुकी है, जो भारी अनियमितता को दर्शाता है। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल रु0 149105.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 357.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप दिनांक 27.01.2020 को रु0 57500.00 की एम0के0 ट्रेडर्स से क्रय दर्शित की गई है। क्रय के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु0 57500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री आनंद पाण्डेय , एवं ग्राम प्रधान श्री इन्द्रसेन सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(158) ग्राम पंचायत- सारंगपुर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर- 358**

ग्राम पंचायत सारंगपुर विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 629000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों

का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 629000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री हरिशंकर वर्मा , एवं ग्राम प्रधान श्री मती रीना वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 359.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 69451.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु0 69451.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री हरिशंकर वर्मा , एवं ग्राम प्रधान श्री मती रीना वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 360.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
10.05.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु अन्नू ट्रेडर्स को भुगतान	15000.00
15.05.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु अन्नू ट्रेडर्स को भुगतान	16350.00
15.05.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु अन्नू ट्रेडर्स को भुगतान	9875.00
20.06.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु अन्नू ट्रेडर्स को भुगतान	10000.00
28.06.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु अन्नू ट्रेडर्स को भुगतान	15600.00
01.07.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु अवध कांस्ट्रक्शन को भुगतान	10000.00
01.07.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु अवध कांस्ट्रक्शन को भुगतान	10000.00
	योग	<b>86825.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्त का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्त / सोलर मरम्त की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं।

4-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5-ग्राम पंचायत में उक्त भुगतान एक साथ बिना किसी उचित कारण एवं प्रमाणक के किए गए हैं कि इनकी स्थापना कब तथा मरम्त कितनी बार पूर्व में कराई जा चुकी है, जो भारी अनियमितता को दर्शाता है। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल रु0 **86825.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री हरिशंकर वर्मा , एवं ग्राम प्रधान श्री मती रीना वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(159) ग्राम पंचायत- अशरफपुर बरवा, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर

प्रस्तर- 361

ग्राम पंचायत अशरफपुर बरवा विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 1709000 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 1709000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रभान मिश्रा, एवं ग्राम प्रधान श्री अब्दुल अंसारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 362.

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 46065.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु0 46065.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रभान मिश्रा, एवं ग्राम प्रधान श्री अब्दुल अंसारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 363.

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
01.06.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु बलराम ट्रेडर्स को भुगतान	22000.00
03.07.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु सिंह कांस्ट्रक्शन को भुगतान	51000.00
	योग	73000.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्त का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्त / सोलर मरम्त की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं।

4-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5-ग्राम पंचायत में उक्त भुगतान एक साथ बिना किसी उचित कारण एवं प्रमाणक के किए गए हैं कि इनकी स्थापना कब तथा मरम्त कितनी बार पूर्व में कराई जा चुकी है, जो भारी अनियमितता को दर्शाता है। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल रु0 73000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रभान मिश्रा, एवं ग्राम प्रधान श्री अब्दुल अंसारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(160) ग्राम पंचायत- महरूआ गोला, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 364**

ग्राम पंचायत महरूआ गोला विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 776000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 776000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री साधु सरन , एवं ग्राम प्रधान श्री मती कोमल पाण्डेय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 365.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 57832.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु0 57832.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री साधु सरन , एवं ग्राम प्रधान श्री मती कोमल पाण्डेय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 366.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
06.04.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु आदर्श ट्रेडर्स को भुगतान	12500.00	
06.04.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु वी0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	19500.00	
18.04.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु सहाय ट्रेडर्स को भुगतान	19900.00	
23.04.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु सहाय ट्रेडर्स को भुगतान	19050.00	
24.04.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु सहाय ट्रेडर्स को भुगतान	19800.00	
06.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु शिव कांस्ट्रक्शन को भुगतान	19500.00	
12.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु आदर्श ट्रेडर्स को भुगतान	19980.00	
29.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु शिव कांस्ट्रक्शन को भुगतान	10000.00	
29.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु आदर्श ट्रेडर्स को भुगतान	14540.00	
03.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु एम0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	19800.00	
05.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु बजरंग ट्रेडर्स को भुगतान	15300.00	
05.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु बजरंग ट्रेडर्स को भुगतान	15000.00	

05.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु बजरंग ट्रेडर्स को भुगतान	32200.00	
16.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु सहाय ट्रेडर्स को भुगतान	19700.00	
17.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु एम0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	21671.00	
	योग	278441.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-हैण्डपम्प मरम्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री, निर्माण कार्य आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-पत्रावली/वाउचर के अभाव में शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के अनुपालन की पुष्टि नहीं की जा सकी।

04-माह अप्रैल 2019 में चार हैण्डपम्प, माह जून 2019 में चार हैण्डपम्प तथा जुलाई में 5 हैण्डपम्प की एक साथ खराब दिखाकर मरम्मत पर एक साथ व्यय किया जाना भारी अनियमितता का द्योतक है।

शासनादेश के विपरीत एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल ₹0 278441.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री साधु सरन , एवं ग्राम प्रधान श्री मती कोमल पाण्डेय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 367.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर विवरणहीन व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	कैशबुक विवरण	धनराशि ₹0
03.06.2019	ह्यूम पाइप क्रय का एम0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	26000.00
04.06.2019	ह्यूम पाइप क्रय का विवेकानंद कांस्ट्रक्शन को भुगतान	26000.00
16.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय का बजरंग ट्रेडर्स को भुगतान	128000.00
16.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय का बजरंग ट्रेडर्स को भुगतान	60900.00
	<b>योग-</b>	<b>240900.00</b>

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- व्यय प्रमाणकों के अभाव में सम्बन्धित फर्म की जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹0 240900.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री साधु सरन , एवं ग्राम प्रधान श्री मती कोमल पाण्डेय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 368.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार महरूआगोला विद्यालय में टाइल्स कार्य दर्शाकर निम्न प्रकार भुगतान किया गया है:-

दिनांक	फर्म का नाम	मजदूरी पर
15.01.2020	जय भैरवी ट्रेडर्स को टाइल्स कार्य हेतु भुगतान	152160.00
15.01.2020	जय भैरवी ट्रेडर्स को टाइल्स कार्य हेतु भुगतान	178253.00
	<b>योग</b>	<b>330413.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त व्ययों से सम्बन्धित पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

02-उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान नहीं की गई है जिससे कार्य का होना प्रमाणित नहीं किया जा सका।

अतः उक्त अनियमित कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के विपरीत है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः उक्त के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹0 330413.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री साधु सरन , एवं ग्राम प्रधान श्री मती कोमल पाण्डेय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(161) ग्राम पंचायत- औरंगनगर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 369**

ग्राम पंचायत औरंगनगर विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल ₹0 511000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 511000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री साधु सरन, एवं ग्राम प्रधान श्री कहकशा नाहिद से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 370.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 05.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 100029.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹0 100029.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री साधु सरन, एवं ग्राम प्रधान श्री कहकशा नाहिद से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 371.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार औरंगनगर पी0एस0 में टाइल्स कार्य दर्शाकर निम्न प्रकार भुगतान किया गया है:-

दिनांक	फर्म का नाम	मजदूरी पर व्यय	
03.03.2020	सीमेंट, मोरंग, बोर्ड, टाइल्स एवं पेंट क्रय पी0एस0 औरंगनगर टाइल्स कार्य	214479.00	
03.03.2020	सीमेंट, मोरंग, बोर्ड, टाइल्स एवं पेंट क्रय पी0एस0 औरंगनगर टाइल्स कार्य	205924.00	

03.03.2020	सीमेंट, मोरंग, बोर्ड, टाइल्स एवं पेंट क्रय पी0एस0 औरंगनगर टाइल्स कार्य	101272.00	
03.03.2020	ब्रिक क्रय पी0एस0 औरंगनगर टाइल्स कार्य	10332.00	
03.03.2020	ब्रिक क्रय पी0एस0 औरंगनगर टाइल्स कार्य	9576.00	
03.03.2020	लेबर टाइल्स कार्य	24710.00	
	<b>योग</b>	<b>566293.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त व्ययों से सम्बन्धित पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

02-उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान नहीं की गई है जिससे कार्य का होना प्रमाणित नहीं किया जा सका।

03-सभी क्रय एवं भुगतान 03.03.2020 में किया जाना कार्य एवं क्रय में भारी अनियमितता का द्योतक है।

अतः उक्त अनियमित कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के विपरीत है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः उक्त के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹0 566293.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री साधु सरन, एवं ग्राम प्रधान श्री कहकशा नाहिद से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर- 372.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि ₹0
25.04.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु आदर्श ट्रेडर्स को भुगतान	18430.00
03.05.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु आदर्श ट्रेडर्स को भुगतान	19500.00
16.05.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु आदर्श ट्रेडर्स को भुगतान	19900.00
16.05.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु वी0क0 ट्रेडर्स को भुगतान	17200.00
12.07.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु आदर्श ट्रेडर्स को भुगतान	25000.00
	<b>योग</b>	<b>100030.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्त का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्त / सोलर मरम्त की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं।

4-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5-ग्राम पंचायत में उक्त भुगतान एक साथ बिना किसी उचित कारण एवं प्रमाणक के किए गए हैं कि इनकी स्थापना कब तथा मरम्त कितनी बार पूर्व में कराई जा चुकी है, जो भारी अनियमितता को दर्शाता है। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

6-स्ट्रीट लाइट की स्थिति में बिजली संयोजन की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल ₹0 100030.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री साधु सरन, एवं ग्राम प्रधान श्री कहकशा नाहिद से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 373.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में प्रायः एक ही तिथि में इण्टरलॉकिंग ईट क्रय दर्शित किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
		मटेरियल
11.03.2020	अमानत के घर से हबीबुल्ला के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	133350.00
13.03.2020	हबीबुल्ला के घर से महाबीर के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	123627.00
15.03.2020	राम आसरे साहू के घर से बेचू के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	210000.00
15.03.2020	मोहम्मद के घर से सलाउद्दीन के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	250000.00
	योग	716977.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-1-

- 1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में उपलब्ध नहीं कराए गए।
- 2- इण्टरलॉकिंग ईट निर्माता फर्म से क्रय है अथवा नहीं पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक के आभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी।
- 3-मात्र चार दिन के अंदर उक्त 3 कार्य पर एक साथ सामान क्रय करके कार्य कराया जाना एवं मजदूरी का भुगताना किया जाना संभव नहीं है।

वाउचर/मस्टररोल/व्यय प्रमाणक विहीन किया गया उक्त व्यय रु0 716977.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत वसूली योग्य माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु0 716977.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री साधु सरन, एवं ग्राम प्रधान श्री कहकशा नाहिद से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(162) ग्राम पंचायत- सुगौटी, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 374**

ग्राम पंचायत सुगौटी विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि डोंगल सिस्टम लागू होने के पूर्व कैशबुक में निम्न प्रकार वाउचर विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शाकर अनियमित सीधे भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
29.05.2019	मजदूरी, अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	40000.00	
29.06.2019	मजदूरी, अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	137600.00	
29.06.2019	मजदूरी, अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	79275.00	
02.07.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	148200.00	
14.08.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	90562.00	
14.08.2019	चौधरी ब्रिक्स, जयदुर्गा ह्यूमपाइप, मजदूरी का भुगतान	83254.00	
14.08.2019	मजदूरी, सुपरसिंह ब्रिक्स फिल्ड, चौधरी ब्रिक्स फिल्ड, जयदुर्गा स्पन पाइप को भुगतान	190095.00	
14.08.2019	मजदूरी, चौधरी बिल्डिंग मटेरियल, जयदुर्गा स्पन पाइप को भुगतान	48228.00	
	योग-	817214.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 1-उक्त विवरणहीन व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-कैशबुक अथवा किसी अन्य प्रमाणकों में कहीं भी इस आशय का विवरण अंकित नहीं किया गया है कि उक्त वेंडर/फर्म द्वारा किस प्रकार की सामग्री एवं सेवा की आपूर्ति किस-किस कार्य पर की गई है। प्रमाणकों के अभाव में भी इसकी जानकारी नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

03-उक्त विवरण से स्पष्ट है कि एक ही चेक से कई फर्मों एवं कार्यों पर भुगतान दर्शित किया गया है जो न तो संभव है और न नियम संगत ही है।

04-डॉंगल सिस्टम के पूर्व सभी धनराशियां प्रायः उक्त फर्म के नाम एकमुश्त आहरित कर ली गई हैं जिनके कार्यों का कोई विवरण नहीं दिया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिना कार्य का नाम दर्शाए सीधे फर्मों एवं कार्यों भुगतान दर्शित किया गया है। उक्त धनराशि किसी कार्य पर व्यय न कर फर्मों से मिलीभगत कर सीधे गबन कर ली गई प्रतीत होती है। व्यय पत्रावली/वाउचर विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने एवं अन्य अंकित **आपतियों** के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रु0 817214.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मोहम्मद नसीम एवं ग्राम सचिव श्री पंकज मोहन मिश्रा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 375.**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 524000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 524000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मोहम्मद नसीम एवं ग्राम सचिव श्री पंकज मोहन मिश्रा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 376.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 52117.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि वाउचर/व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल रु0 52117.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मोहम्मद नसीम एवं ग्राम सचिव श्री पंकज मोहन मिश्रा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(163) ग्राम पंचायत- शाहपुर परासी, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 377**

ग्राम पंचायत शाहपुर परासी विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि डॉंगल सिस्टम लागू होने के पूर्व कैशबुक में निम्न प्रकार वाउचर विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शाकर अनियमित सीधे भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
04.04.2019	प्रधान मानदेय	61900.00	

12.04.2019	चौधरी बिल्डिंग मटेरियल	87921.00	
03.06.2019	उमंग इण्टरप्राइजेज	23360.00	
02.07.2019	ईश्वर चन्द्र	30000.00	
06.07.2019	ज्ञान ट्रेडर्स	12150.00	
19.07.2019	आलोक पाण्डेय	20384.00	
23.07.2019	एम0के0 ट्रेडर्स	124400.00	
07.08.2019	प्रधान मानदेय	21000.00	
	<b>योग-</b>	<b>381115.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरणहीन व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-कैशबुक अथवा किसी अन्य प्रमाणकों में कहीं भी इस आशय का विवरण अंकित नहीं किया गया है कि उक्त वेंडर/फर्म द्वारा किस प्रकार की सामग्री एवं सेवा की आपूर्ति किस-किस कार्य पर की गई है। प्रमाणकों के अभाव में इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

03-उक्त विवरण से स्पष्ट है कि विवरणहीन कैशबुक में फर्मों के लगातार भुगतान दर्शित किया गया है जिस पर मजदूरी का कोई व्यय दर्शित नहीं है, जो नियम विरुद्ध है।

04-डॉंगल सिस्टम के पूर्व सभी धनराशियां प्रायः उक्त फर्म के नाम एकमुश्त आहरित कर ली गई प्रतीत होती हैं जिनके कार्यों का कोई विवरण नहीं दिया गया है और नहीं व्यय वाउचर प्राप्त किया जा सका है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिना कार्य का नाम दर्शाए सीधे फर्मों एवं व्यक्तिगत भुगतान दर्शित किया गया है। उक्त धनराशि किसी कार्य पर व्यय न कर फर्मों से मिलीभगत कर सीधे गबन कर ली गई प्रतीत होती है। व्यय पत्रावली/वाउचर विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने एवं अन्य अंकित आपत्तियों के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि ₹0 381115.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री आशीष कुमार एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 378.**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल ₹0 390000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी0 सी0 लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे0प0ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय ₹. 390000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री आशीष कुमार एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 379.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 30144.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि वाउचर/व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल ₹0 30144.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री आशीष कुमार एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(164) ग्राम पंचायत- फत्तेपुर बेलाबाग, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर

**प्रस्तर- 380**

ग्राम पंचायत फत्तेपुर बेलाबाग विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01- ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि डोंगल सिस्टम लागू होने के पूर्व कैशबुक में निम्न प्रकार वाउचर विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शाकर अनियमित सीधे भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
31.05.2019	सेनेटरी, अमित कम्प्यूटर, कृष्ण कुमार	23150.00	
12.07.2019	शिव बाबा ब्रिक फिल्ड, अवध कांस्ट्रक्शन, मजदूरी	184863.00	
1207.2019	शिव बाबा ब्रिक फिल्ड, अवध कांस्ट्रक्शन, जितेन्द्र कुमार	35510.00	
15.07.2019	अवध कांस्ट्रक्शन को बिना कार्य दर्शाए सीधे भुगतान	20000.00	
	<b>योग-</b>	<b>263523.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरणहीन व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-कैशबुक अथवा किसी अन्य प्रमाणकों में कहीं भी इस आशय का विवरण अंकित नहीं किया गया है कि उक्त वेंडर/फर्म द्वारा किस प्रकार की सामग्री एवं सेवा की आपूर्ति किस-किस कार्य पर की गई है। प्रमाणकों के अभाव में भी इसकी जानकारी नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

03-उक्त विवरण से स्पष्ट है कि एक ही चेक से कई फर्मों एवं कार्यों पर भुगतान दर्शित किया गया है जो न तो संभव है और न नियम संगत ही है।

04-डोंगल सिस्टम के पूर्व सभी धनराशियां प्रायः उक्त फर्म के नाम एकमुश्त आहरित कर ली गई हैं जिनके कार्यों का कोई विवरण नहीं दिया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिना कार्य का नाम दर्शाए सीधे फर्मों एवं कार्यों भुगतान दर्शित किया गया है। उक्त धनराशि किसी कार्य पर व्यय न कर फर्मों से मिलीभगत कर सीधे गबन कर ली गई प्रतीत होती है। व्यय पत्रावली/वाउचर विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने एवं अन्य अंकित आपत्तियों के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रु0 263523.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री कृष्णा कुमार एवं ग्राम सचिव श्री अमरजीत वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 381.**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 1702000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 1702000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री कृष्णा कुमार एवं ग्राम सचिव श्री अमरजीत वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 382.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 28107.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि वाउचर/व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30.06.2019 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल रु0 28107.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री कृष्णा कुमार एवं ग्राम सचिव श्री अमरजीत वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(165) ग्राम पंचायत- बरामदपुर लोहरा, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 383**

ग्राम पंचायत बरामदपुर लोहरा विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि डोंगल सिस्टम लागू होने के पूर्व कैशबुक में निम्न प्रकार वाउचर विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शाकर अनियमित सीधे भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
30.06.2019	बजरंग ट्रेडर्स	19500.00	
30.06.2019	बजरंग ट्रेडर्स	17500.00	
13.06.2019	एमके ट्रेडर्स	39000.00	
05.06.2019	एमके ट्रेडर्स	23150.00	
25.06.2019	एमके ट्रेडर्स	25210.00	
01.07.2019	बजरंग ट्रेडर्स	134400.00	
02.07.2019	अन्नू ट्रेडर्स	51900.00	
05.07.2019	शिव कांस्ट्रक्शन	40000.00	
05.07.2019	एमके ट्रेडर्स	35220.00	
05.07.2019	शिव कांस्ट्रक्शन	52000.00	
05.07.2019	मजदूरी	18200.00	
05.07.2019	सफाई किट	14500.00	
05.07.2019	शिव कांस्ट्रक्शन	65000.00	
11.07.2019	एमके ट्रेडर्स	49150.00	
12.07.2019	बजरंग ट्रेडर्स	44800.00	
19.07.2019	अन्नू ट्रेडर्स	8500.00	
19.07.2019	अन्नू ट्रेडर्स, मजदूरी	98970.00	
19.07.2019	अन्नू ट्रेडर्स	41600.00	
08.08.2019	शिव कांस्ट्रक्शन	18570.00	
13.08.2019	अन्नू ट्रेडर्स	51000.00	
14.08.2019	अन्नू ट्रेडर्स	19500.00	
	योग-	867670.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरणहीन व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-कैशबुक अथवा किसी अन्य प्रमाणकों में कहीं भी इस आशय का विवरण अंकित नहीं किया गया है कि उक्त वेंडर/फर्म द्वारा किस प्रकार की सामग्री एवं सेवा की आपूर्ति किस-किस कार्य पर की गई है। प्रमाणकों के अभाव में भी इसकी जानकारी नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

03-उक्त विवरण से स्पष्ट है कि एक ही चेक से कई फर्मों एवं कार्यों पर भुगतान दर्शित किया गया है जो न तो संभव है और न नियम संगत ही है।

04-डॉंगल सिस्टम के पूर्व सभी धनराशियां प्रायः उक्त फर्मों के नाम एकमुश्त आहरित कर ली गई हैं जिनके कार्यों का कोई विवरण नहीं दिया गया है।

05-विवरण से स्पष्ट है कि एक ही तिथि में, एक ही माह में तथा प्रायः एक या दो फर्मों को बिना किसी कार्य के दर्शाए एवं मजदूरी भुगतान किए अनियमित भुगतान किया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिना कार्य का नाम दर्शाए सीधे फर्मों एवं कार्यों भुगतान दर्शित किया गया है। उक्त धनराशि किसी कार्य पर व्यय न कर फर्मों से मिलीभगत कर सीधे गबन कर ली गई प्रतीत होती है। व्यय पत्रावली/वाउचर विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने एवं अन्य अंकित **आपत्तियों** के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रु0 867670.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती शुभावती गुप्ता एवं ग्राम सचिव श्री राजशेखर सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 384.**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 1256000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 1256000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती शुभावती गुप्ता एवं ग्राम सचिव श्री राजशेखर सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 385.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 05.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 51933.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि वाउचर/व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल रु0 51933.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती शुभावती गुप्ता एवं ग्राम सचिव श्री राजशेखर सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(166) ग्राम पंचायत- प्रतापपुर चमुरखा, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर- 386.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 12.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 263364.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि वाउचर/व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल रु0 263364.00 की ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अमरजीत वर्मा , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री मती शशि सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

**(167) ग्राम पंचायत- कोडरा, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 387**

ग्राम पंचायत कोडरा विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 172000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 172000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री सुधीर कुमार, रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रामबहाल से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 388.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 36997.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि वाउचर/व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल रु0 36997.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री सुधीर कुमार, रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रामबहाल से किया जाना अपेक्षित है।

**(168) ग्राम पंचायत- खजावां, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 389.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 48503.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि वाउचर/व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल रु0 48503.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती इन्द्रावती यादव एवं ग्राम सचिव श्री अनोद कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(169) ग्राम पंचायत- सेमरी, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 390**

ग्राम पंचायत सेमरी विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल ₹0 1330000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 1330000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रभान मिश्रा, रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री रामानंद यादव से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 391.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 10.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 74672.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि वाउचर/व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल रु० 74672.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रामानंद यादव एवं ग्राम सचिव श्री इन्द्रभान मिश्रा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 392.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु०
10.05.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्त हेतु अन्नू ट्रेडर्स को भुगतान	16000.00
10.06.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्त हेतु मां दुर्गा ट्रेडर्स को भुगतान	19050.00
31.07.2019	स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतु शिव कांस्ट्रक्शन को भुगतान	198000.00
31.07.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्त हेतु शिव कांस्ट्रक्शन को भुगतान	19980.00
08.08.2019	सोलर मरम्मत हेतु शिव कांस्ट्रक्शन को भुगतान	60000.00
08.08.2019	सोलर मरम्मत हेतु सिंह कांस्ट्रक्शन को भुगतान	60000.00
11.12.2019	सोलर मरम्मत हेतु शिव कांस्ट्रक्शन को भुगतान	16500.00
16.12.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्त हेतु एमके ट्रेडर्स को भुगतान	19905.00
18.12.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्त हेतु एमके ट्रेडर्स को भुगतान	19590.00
16.01.2020	स्ट्रीट लाइट मरम्त हेतु एमके ट्रेडर्स को भुगतान	16370.00
	<b>योग-</b>	<b>445395.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्त का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्त / सोलर मरम्त की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं।

5-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

06-लगवाए जाने से स्थानों के नाम एवं फोटो आदि भी आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

07-एक ही दिन में अलग-अलग फर्मों को भुगतान किया गया है जबकि पत्रावली के अभाव में टेंडर, इस्टीमेट, एमबी आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

व्यय पत्रावली/वाउचर विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने एवं अन्य अंकित आपत्तियों के सम्बन्ध में 30.09.2019 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि ₹0 445395.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रामानंद यादव एवं ग्राम सचिव श्री इन्द्रभान मिश्रा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 393 .**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि ₹0
18.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु वीके ट्रेडर्स को भुगतान	71875.00
02.01.2020	ह्यूम पाइप क्रय हेतु एमके ट्रेडर्स को भुगतान	71875.00
07.03.2020	ह्यूम पाइप क्रय हेतु शिव कांस्ट्रक्शन को भुगतान	24210.00
	योग-	167960.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-उक्त वैंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।
- 04-पत्रावली के अभाव में इसके इस्टीमेट, टेंडर, एमबी आदि की जानकारी एवं जांच नहीं हो सकी।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30.09.2019 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी उक्त धनराशि ₹0 167960.00 की ग्राम-प्रधान श्री रामानंद यादव एवं ग्राम सचिव श्री इन्द्रभान मिश्रा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 394.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि ₹0	अन्य
03.05.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु अन्नू ट्रेडर्स	15080.00	
05.07.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु मां दुर्गा ट्रेडर्स	18200.00	
05.07.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु मां दुर्गा ट्रेडर्स	18800.00	
05.08.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु बलराम ट्रेडर्स	16500.00	
06.08.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु मां दुर्गा ट्रेडर्स	19500.00	
06.08.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु मां दुर्गा ट्रेडर्स	32902.00	
08.08.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु जान ट्रेडर्स	20000.00	
19.12.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु बलराम ट्रेडर्स	31905.00	
02.01.2020	हैण्डपम्प मरम्त हेतु एमके ट्रेडर्स	15380.00	
08.01.2020	हैण्डपम्प मरम्त हेतु मां दुर्गा ट्रेडर्स	20200.00	
08.01.2020	हैण्डपम्प मरम्त हेतु मां दुर्गा ट्रेडर्स	20500.00	

12.03.2020	हैण्डपम्प मरम्त हेतु मां दुर्गा ट्रेडर्स	20400.00	
12.03.2020	हैण्डपम्प मरम्त हेतु मां दुर्गा ट्रेडर्स	20600.00	
30.03.2020	हैण्डपम्प मरम्त हेतु बलराम ट्रेडर्स	11000.00	
	<b>योग-</b>	<b>280967.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- हैण्डपम्प मरम्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- उक्त वेडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्त का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 03- मरम्त के स्थानों के नाम एवं फोटो आदि भी आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 04- एक ही तिथि में कई वेडर के तथा कई बार भुगतान का औचित्य नहीं पाया गया।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30/03/2019 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि ₹0 280967.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रामानंद यादव एवं ग्राम सचिव श्री इन्द्रभान मिश्रा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(170) ग्राम पंचायत- रामनगर जमदरा, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 395**

ग्राम पंचायत रामनगर जमदरा विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की आडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल ₹0 109000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०आडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय ₹. 109000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार गौतम, एवं ग्राम प्रधान श्री मती मंजू वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 396.**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की केश बुक में दिनांक- 13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 18916.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30/03/2019 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार गौतम, एवं ग्राम प्रधान श्री मती मंजू वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(171) ग्राम पंचायत- बजदहा, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 397**

ग्राम पंचायत बजदहा विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 203000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 203000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अमरजीत वर्मा , एवं ग्राम प्रधान श्री मती दुर्गावती से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 398

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 19854.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अमरजीत वर्मा , एवं ग्राम प्रधान श्री मती दुर्गावती से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 399

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
08.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु शशांक ट्रेडर्स को भुगतान	48410.00
18.07.2019	ह्यूम पाइप लगवाई हेतु शशांक ट्रेडर्स को भुगतान	41200.00
	योग-	89610.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।
- 4- ह्यूम पाइप लगवाई हेतु शशांक ट्रेडर्स को भुगतान किया गया दर्शित है जबकि इसका भुगतान मजदूरों को किया जाना चाहिए था।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अमरजीत वर्मा , एवं ग्राम प्रधान श्री मती दुर्गावती से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(172) ग्राम पंचायत- टीकमपारा, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर

#### प्रस्तर- 400

ग्राम पंचायत टीकमपारा विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल ₹0 104000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 104000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अमरजीत वर्मा, एवं ग्राम प्रधान श्री विजय बहादुर से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 401**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 53228.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अमरजीत वर्मा, एवं ग्राम प्रधान श्री विजय बहादुर से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 402**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
18.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु शशांक ट्रेडर्स को भुगतान	24720.00
18.07.2019	ह्यूम पाइप लगवाई हेतु शशांक ट्रेडर्स को भुगतान	46140.00
07.03.2020	ह्यूम पाइप लगवाई हेतु एम0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	46875.00
13.03.2020	ह्यूम पाइप लगवाई हेतु एम0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	71875.00
	<b>योग-</b>	<b>189610.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप प्रमाणक विहीन क्रय दर्शाना वसूली योग्य है।

4- ह्यूम पाइप लगवाई हेतु शशांक एवं एम0के0 ट्रेडर्स को भुगतान किया गया दर्शित है जबकि इसका भुगतान मजदूरों को किया जाना चाहिए था।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त कुल धनराशि रु0 189610.00

की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अमरजीत वर्मा, एवं ग्राम प्रधान श्री विजय बहादुर से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(173) ग्राम पंचायत- बसन्तपुर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 403**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की केश बुक में दिनांक- 10.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 54652.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री राजशेखर सिंह, एवं ग्राम प्रधान श्री जयराम यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(174) ग्राम पंचायत- हैदराबाद, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 404**

ग्राम पंचायत हैदराबाद विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01- मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 3723000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 3723000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, एवं ग्राम प्रधान श्री कृष्ण प्रताप सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 405**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की केश बुक में दिनांक- 13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 40498.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, एवं ग्राम प्रधान श्री कृष्ण प्रताप सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 406**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
02.08.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	11440.00
02.08.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	67500.00

02.08.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	67500.00
02.08.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	63000.00
	योग-	209440.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्त / सोलर मरम्त की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं।
- 4-एक साथ एक ही तिथि दिनांक 02.08.2021 को चार बार भुगतान दर्शाकर बिना किसी कार्य योजना के नियम विरुद्ध कार्य किया गया है तथा धन का अपहरण किया गया है।
- 5-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 6-ग्राम पंचायत में उक्त भुगतान एक साथ बिना किसी उचित कारण एवं अभिलेख के किए गए हैं कि इनकी स्थापना कब तथा मरम्त कितनी बार पूर्व में कराई जा चुकी है, जो भारी अनियमितता को दर्शाता है। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रु0 209440.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, एवं ग्राम प्रधान श्री कृष्ण प्रताप सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(175) ग्राम पंचायत- गोसरपुर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 407**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 10.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 21694.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री राजशेखर सिंह, एवं ग्राम प्रधान श्री मती पुष्पा निषाद से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(176) ग्राम पंचायत- सिझौलिया, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर-408**

ग्राम पंचायत सिझौलिया विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01- मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 142000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 142000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं

हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, एवं ग्राम प्रधान श्री मती विमलेश से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 409**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 10.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 32074.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, एवं ग्राम प्रधान श्री मती विमलेश से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(177) ग्राम पंचायत- खेवार, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 410**

ग्राम पंचायत खेवार विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 1142000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 142000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, एवं ग्राम प्रधान श्री मती रीमा सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 411**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 10.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 74192.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, एवं ग्राम प्रधान श्री मती रोमा सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 412**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
01.06.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	63000.00
01.06.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	67500.00
01.06.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	67500.00

18.07.2019	स्ट्रीट लाइट /सोलर क्रय/मरम्त हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	14560.00
	योग-	212560.00

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्त / सोलर मरम्त की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं।

5-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

6-ग्राम पंचायत में उक्त भुगतान एक साथ बिना किसी उचित कारण एवं अभिलेख के किए गए हैं कि इनकी स्थापना कब तथा मरम्त कितनी बार पूर्व में कराई जा चुकी है, जो भारी अनियमितता को दर्शाता है। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

07-एक ही तिथि में सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त पर किये गये उक्त व्यय में भारी अनियमितता की गई है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि ₹0 212560.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, एवं ग्राम प्रधान श्री मती रोमा सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 413

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु हयूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि ₹0
5.08.2019	हयूम पाइप क्रय हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	71500.00
5.08.2019	हयूम पाइप क्रय हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	59470.00
05.08.2019	हयूम पाइप क्रय हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	55500.00
5.08.2019	हयूम पाइप क्रय हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	23820.00
08.08.2019	हयूम पाइप क्रय हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	21840.00
	योग-	232130.00

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित एक तिथि में किए गए व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ हयूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के एक ही तिथि में किए गए उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु प्रमाणक विहीन क्रय दर्शाना वसूली योग्य है।

4-हयूम पाइप लगावाई हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान किया गया दर्शित है जबकि इसका भुगतान मजदूरों को किया जाना चाहिए था।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त कुल धनराशि ₹0 232130.00

की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, एवं ग्राम प्रधान श्री मती रोमा सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 414**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
09.08.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	33000.00	
09.08.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	33000.00	
09.08.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	33000.00	
09.08.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	33000.00	
	योग-	132000.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

- 1- एक ही तिथि, एक ही फर्म एवं एक ही धनराशी रु0 33000.00 से चार हैण्डपम्प मरम्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री, निर्माण कार्य आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3- एक ही तिथि, एक ही फर्म एवं एक ही धनराशी रु0 33000.00 से चार हैण्डपम्प मरम्त पर प्रमाणक विहीन व्यय जानबूझकर दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। इस प्रकार के व्यय में किसी भी राजकीय नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, एवं ग्राम प्रधान श्री मती रोमा सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(178) ग्राम पंचायत- जिवधरपुर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 415**

ग्राम पंचायत जिवधरपुर विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 100000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 100000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री पंकज मोहन मिश्रा, एवं ग्राम प्रधान श्री मती इंदु देवी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 416**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 13.12.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 35184.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री पंकज मोहन मिश्रा, एवं ग्राम प्रधान श्री मती इंदु देवी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 417**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
5.06.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु सिंह कान्सट्रक्शन को भुगतान	30500.00
29.06.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु सिंह कान्सट्रक्शन को भुगतान	61000.00
30.10.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु सिंह कान्सट्रक्शन को भुगतान	70296.00
17.02.2020	ह्यूम पाइप क्रय हेतु सिद्धिदात्री कृषि उद्दोग को भुगतान	45158.00
	योग-	206954.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1-उक्त विवरण में दर्शित एक तिथि में किए गए व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-उक्त वैंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के एक ही तिथि में किए गए उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु प्रमाणक विहीन क्रय दर्शाना वसूली योग्य है।
- 4-ह्यूम पाइप लगावाई हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान किया गया दर्शित है जबकि इसका भुगतान मजदूरों को किया जाना चाहिए था।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त कुल धनराशि रु0 206954.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री पंकज मोहन मिश्रा, एवं ग्राम प्रधान श्री मती इंदु देवी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(179) ग्राम पंचायत- घरवासपुर चौबे, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 418**

ग्राम पंचायत घरवासपुर चौबे विकास खण्ड कटेहरी की आडिट वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार गबन/अपहरण एवं अनियमितता के गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

01-मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 960000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 960000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश कुमार गौड़ , एवं ग्राम प्रधान श्री आलोक तिवारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 419**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक- 05.02.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 27602.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश कुमार गौड़ , एवं ग्राम प्रधान श्री आलोक तिवारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 420**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक का मिलान बैंक स्टेटमेंट से करते समय पाया गया कि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 06.04.2019 को रु0 94100.00 अंश पोल्ट्री फार्म को भुगतान किया गया है जबकि कैशबुक में इसे अंश बिल्डिंग मटेरियल को भुगतान दर्शाया गया है जो कूटकरण है। उक्त के सम्बन्ध में और आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म पोल्ट्री फार्म है तो निर्माण सामग्री की आपूर्ति किस प्रकार किया। वाउचर/प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-इग्राम स्वराज में यह भुगतान चेक संख्या 000068 से दर्शाया गया है जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार इसका भुगतान चेक संख्या 250 से किया गया अंकित है। आडिट में प्राप्त सूचनाएं भारी अनियमितता की पुष्टि में प्रयाप्त हैं।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि क्यों न इसका वसूली की जाय। स्पष्टीकरण न देने अथवा असंतोषजनक की स्थिति में उक्त कुल धनराशि रु0 94100.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान आलोक तिवारी एवं ग्राम सचिव श्री अखिलेश गौड़ से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(180) ग्राम पंचायत- सुरजपुर, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर- 421**

1-ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
02.04.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	11415.00	
14.05.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	11850.00	
01.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	16150.00	
01.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	13150.00	
29.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु ज्ञान ट्रेडर्स	13700.00	
28.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु एम0के0 ट्रेडर्स	21350.00	
21.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	13460.00	
19.02.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	9000.00	
09.03.2019	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	10800.00	
	योग-	120875.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-हैण्डपम्प मरम्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री, निर्माण कार्य आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के विपरीत कार्य किया गया है।

शासनादेश के विपरीत एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती सुशीला देवी एवं ग्राम सचिव श्री मती ,विमलेश से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 422-**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
02.04.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	10860.00
02.04.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	21720.00
01.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	22500.00
27.06.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु जय दुर्गा स्पन पाइप	51660.00
	योग-	106740.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती सुशीला देवी एवं ग्राम सचिव श्री मती ,विमलेश से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 423**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
26.06.2019	स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्त क्रय हेतु जान ट्रेडर्स	11150.00
29.06.2019	स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्त क्रय हेतु जान ट्रेडर्स	11000.00
21.11.2019	स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्त क्रय हेतु जान ट्रेडर्स	4150.00
21.11.2019	स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्त क्रय हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	12000.00
21.11.2019	स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्त क्रय हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	10000.00

01.07.2019	स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्त क्रय हेतु अवध कान्सट्रक्शन को भुगतान	15350.00
	योग-	63650.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्त / सोलर मरम्त की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं।

4-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से मरम्त कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

5-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

6-ज्ञान ट्रेडर्स से ग्राम पंचायत में सभी प्रकार की सामग्रियों का क्रय सामग्री क्रय में भारी अनियमितता को दर्शाता है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती सुशीला देवी एवं ग्राम सचिव श्री मती ,विमलेश से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(181) ग्राम पंचायत- धर्मापुरमुबारकपट्टी, विकास खण्ड- कटेहरी, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 424**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-11.02.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 55956.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मोहम्मद समीम एवं ग्राम सचिव श्री अनिल कुमार यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(182) ग्राम पंचायत - लाडिलापुर विकास क्षेत्र - रामनगर जनपद - अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर 425-**

आहरण पत्रावली / व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा यह भी कि खंड 8 क एवं ख के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/उचित व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि गबन होगी जो अधिभार योग्य है। इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी" और वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा रु019500.00 (दिनांक- 04/12/2019 ) व्यय किया गया है जिसका विवरण कैशबुक में नहीं दर्शित है फलतः इसका व्ययप्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से किया गया व्यय वित्तीय अपहरण है जिसके लिए ग्रामप्रधान श्री ज्ञानचंद यादव एवं ग्राम सचिव श्री अलोक उपाध्याय समान रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली समान मात्रा में ग्रामप्रधान एवं सचिव से करके खाता में जमा कराया जाना चाहिए। **प्रस्तर 426-**

आहरण पत्रावली / व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण

दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा यह भी कि खंड 8 क एवं ख के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/उचित व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि गबन होगी जो अधिभार योग्य है। इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी" और वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा.

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपंप मरम्मत पर कुल ₹.276375.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है -

क्र० सं०	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म का नाम	धनराशि (₹ में )
1 -	18/04/19	हैण्डपंप मरम्मत	अज्ञात	15500.00
2 -	22/04/19	हैण्डपंप मरम्मत	अज्ञात	17725.00
3 -	04/05/19	हैण्डपंप मरम्मत	अज्ञात	12200.00
4 -	10/05/19	हैण्डपंप मरम्मत	अज्ञात	17400.00
5 -	21/05/19	हैण्डपंप मरम्मत	अभिनव कांटेक्टर	18800.00
6 -	07/06/19	हैण्डपंप मरम्मत	अभिनव कांटेक्टर	17800.00
7 -	07/06/19	हैण्डपंप मरम्मत	अभिनव कांटेक्टर	14525.00
8 -	17/06/19	हैण्डपंप मरम्मत	लालेंद्र कांटेक्टर	15600.00
9 -	27/06/19	हैण्डपंप मरम्मत	अभिनव कांटेक्टर	15500.00
10 -	23/07/19	हैण्डपंप मरम्मत	अभिनव कांटेक्टर	19850.00
11 -	08/08/19	हैण्डपंप मरम्मत	बिन्देश्वरी कांटेक्टर	15540.00
12 -	04/08/19	हैण्डपंप मरम्मत	अभिनव कांटेक्टर	18750.00
13 -	08/11/19	हैण्डपंप मरम्मत	अभिनव कांटेक्टर	19450.00
14 -	23/01/2020	हैण्डपंप मरम्मत	अभिनव कांटेक्टर	18650.00
15 -	10/02/2020	हैण्डपंप मरम्मत	अज्ञात	19610.00
16 -	09/03/2020	हैण्डपंप मरम्मत	अज्ञात	19475.00
			<b>कुल योग</b>	<b>276375.00</b>

उक्त व्यय(₹.276375.00 ) काव्ययप्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से किया गया व्यय वित्तीय अपहरण है जिसके लिए ग्रामप्रधान श्री ज्ञानचंद एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय समान रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इसकी वसूली समान मात्रा में ग्रामप्रधान एवं सचिव से करके खाता में जमा कराया जाना चाहिए।

वर्ष लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ₹-276375.00 हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय किया गया है। इस सन्दर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपंप खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया और मरम्मत का कार्य वास्तव में हुआ की नहीं। उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 3 के आदेश संख्या -27/2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी को तीन दिन के अन्दर दूर किया जाना अनिवार्य है अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही का निर्देश है, इसका पालन किया गया है या नहीं, की जाँच नहीं की जा सकी। डेड स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही। स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा जिससे क्रय सामग्री, उपभोग सामग्री, एवं अवशेष सामग्री अज्ञात रही।

पंचायत लेखा मैनु. के अध्याय 5 के बिंदु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिए शा.सं.-4430/33-1-99/एस पी. आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बंधित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी / अनुमोदन / संस्तुति करना है। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। इसके अलावा वर्क आई .डी ., कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, जलनिगम की सूची आदि अप्रस्तुत रहा। उक्त हैण्डपंप मरम्मत कार्य पर मजदूरी पर कोई व्यय नहीं है जबकि क्रय सामग्री के प्रयोग हेतु मजदूरी व्यय

जरूरी है नहीं तो क्रय फर्जी प्रमाणित हो जाएगा | आपूर्तिकर्ता फर्मों को हैण्डपंप मरम्मत करवाने का अधिकारपत्र/लाइसेंस भी नहीं है | अतः उक्त आपत्तियों के दृष्टिगत किया गया हैण्डपंप मरम्मत फर्जी एवं अवास्तविक प्रतीत होता है फलतः इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से समान रूप से करके खाता में जमा किया जाना चाहिए |

**(183) ग्राम पंचायत - मकरही विकास क्षेत्र - रामनगर जनपद - अम्बेडकरनगर प्रस्तर 427-**

आहरण पत्रावली / व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा यह भी कि खंड 8 क एवं ख के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/उचित व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि गबन होगी जो अधिभार योग्य है | इस धनराशी की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी" और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा.

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा ₹ 71870.00 ( दिनांक-19/05 /2019 को ₹. 36000.00 पंचायत भवन एवं खेल मैदान में ट्रैक्टर ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई और दिनांक-03/06/2019 को ₹.35870.00 विधानसभा चुनाव में आदर्श बूथ बनाने में ) व्यय किया गया है जिसका व्ययप्रमाणक/ बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से किया गया व्यय वित्तीय अपहरण है जिसके लिए ग्रामप्रधान श्रीमति ध्रुवतारा देवी एवं ग्राम सचिव श्री रवीन्द्रदेव समान रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इसकी वसूली समान मात्रा में ग्रामप्रधान एवं सचिव से करके खाता में जमा कराया जाना चाहिए | ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिंदु 5 के अनुसार रुपये 2000.00 से अधिक के भुगतान अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से होना सुनिश्चित किया गया है। वित्तपथ भंडार क्रय नियम के बिंदु 17 ग के अनुसार रुपये 2000/- से अधिक के भुगतान अकाउंट पेयी चेकद्वारा किये जाने के निर्देश है। वित्त पथ 2011 आहरण वितरण अधिकारी के कार्य के बिंदु 3 के व्यय भुगतान सम्बन्धी प्रकार्य एवं शासनादेश संख्या A-1/1450/दस -96-10(11)-93 दिनांक 23.07.1996 के अनुसार निजी संस्थाओं, व्यक्तियों तथा पार्टियों को रुपये 2000/- से अधिक नकद भुगतान नहीं किया जाना है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट (अमेंडमेंट ) 2017 के अनुसार ऑल वेजेस शैल बी पैड ओन्ली बाइ चेक

ग्राम पंचायत में दिनांक 03-06-2019 को विधानसभा चुनाव में आदर्श बूथ हेतु ₹ 35870 .00 एवं दिनांक -19 -05-2019 को ट्रैक्टर ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई हेतु ₹ 36000 .00 ग्राम प्रधान द्वारा नकद आहरित करके कैशबुकमें व्यय दर्शित किया है जो उक्त नियमों का पूर्णतया उल्लंघन है, जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव समान रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से इसकी वसूली एवं खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान / धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में मार्गदर्शक सिद्धांत का निर्धारण किया गया है इस सम्बन्ध में पंचायतीराज अनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03-2015 दिनांक 31 जुलाई 15 के पंचायत राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशि के उपभोग की गाइडलाइन के बिंदु-4 के अनुसार ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथा आवश्यकता स्वयं की तथा उन्हें अपनी परिसंपत्तियों यथा पंचायत भवन, स्कूल भवन, अन्य सामुदायिक भवन, सार्वजनिक मार्गों, प्रकाश व्यवस्था, एवं अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों के रखरखाव पर अवश्य व्यय किया जाए तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग नए निर्माण कार्यों पर किया जायेगा. ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक के अनुसार दिनांक 03-06-2019 को विधानसभा चुनाव में आदर्श बूथ बनाने में ₹-35870.00 व्यय किया गया है जिसपर निम्न आपत्तियां हैं -----

-जून 2019 में कोई विधान सभा चुनाव नहीं हुआ था ,अतः दर्शित व्यय सत्य नहीं है |

-उक्त गाइडलाइंस एवं शासनादेश के अनुसार चुनाव में आदर्श बूथ बनाना अनुदान का डायवर्जन एवं दुरुपयोग है क्योंकि गाइडलाइंस में इस मद में व्यय का प्रावधान नहीं है | अतः किया गया व्यय ₹-35870 .00 मनमाना एवं फर्जी है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान एवं सचिव से करके सम्बंधित खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है |

**प्रस्तर 428**

पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03-2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में बिंदु 4क में यह स्पष्ट उल्लेख है कि ₹.50 हजार की सीमा तक की कार्य-योजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा. बाद में पंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2ब के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है. ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशि के अनुसार वित्तीय और

प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पं. के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इसे 2 लाख की सीमा के अन्दर ही रखा जाये.

- टेकनिकल परीक्षण- 2 से 2.5लाख तक- जेई आर ई एस / जेई एम आई / जेई जिला पंचायत / जेई मंडी परिसद द्वारा किया जायेगा

2.5 लाख से ऊपर -अभियंता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है .

- वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति- 2लाख तक ग्रामपंचायत स्वयं, 2,00 लाख से 2.5 लाख तक ए डी ओ पी , 2.5 से 5 लाख तक डी पी आर ओ और 5 लाख से 10 लाख तक डीएम , 10 लाख से ऊपर जिला पंचायत |

ग्राम पंचायत की कैशबुक के अनुसार दिनांक 19-05-2019 को ₹0 36000.00 पंचायत भवन एवं गाँव में खेल के मैदान में ट्रक्टर ट्राली से मिट्टी पटाई के भुगतान हेतु ग्राम प्रधान द्वारा धन का नकद अहरण करके व्यय किया गया है जबकि लेखापरीक्षा में इस कार्य की कार्ययोजना, वर्क आई0 डी0 , तकनीकी स्वीकृति प्रपत्र, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति अप्रस्तुत रहा,जिससे किया गया कार्य बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति लिए ही मनमाने ढंग से किया गया है जो नियमानुसार वित्तीय दुरुपयोग है। इसके लिए ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से उक्त धनराशि ₹0 36000.00 की वसूली करके खाता में जमा किया जाना अपेक्षित रहा 14वें वित्त एवं राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी कार्य के करने के लिए कार्य का सक्षम अधिकारी द्वारा प्राक्कलन,एम0 बी 0 ,एस्टीमेट बनाया जायेगा |

आलोच्य वर्ष 2019-20 में विवेचित कार्यो-पंचायत भवन एवं खेल मैदान में ट्रैक्टर ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई(₹0 36000.00 )का लेखा परीक्षा में अन्य संगत अभिलेख--प्राक्कलन,एम0 बी0 ,एस्टीमेट,कार्य पत्रावली,मस्टररोल,मस्टररोल बुक,चेकबुक काउंटरफाइल आदि अप्रस्तुत रहने से किया गया कार्य उक्त गाइडलाइंस के विपरीत पाया गया जिसका उत्तरदायित्व ग्राम सचिव एवं ग्राम प्रधान का है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान एवं सचिव से करके सम्बंधित खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है |

**(184) ग्राम पंचायत - परमेश्वरपुर विकास क्षेत्र - रामनगर जनपद - अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर 429-**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राजवित्त खाते से हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि ₹0	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
1	17.02.2020	16660.00	चतुर्थ राजवित्त	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
2	28.02.2020	11102.00	चतुर्थ राजवित्त	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
3	16.03.2020	19670.00	चतुर्थ राजवित्त	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
4	30.03.2020	16660.00	चतुर्थ राजवित्त	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
5	30.03.2020	19890.00	चतुर्थ राजवित्त	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
6	30.03.2020	19990.00	चतुर्थ राजवित्त	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
	<b>योग-</b>	<b>103972.00</b>			

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 1- हैण्डपम्प मरम्मत व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- भुगतान प्राप्तकर्ता वेडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

इस प्रकार उक्त पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ( योग ₹- 103972.00 ) पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली श्री अरुण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री अभिषेक ग्राम प्रधान से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

## प्रस्तर 430

2-सा0आ0सं0-(16)

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में विभिन्न तिथियों में निम्न विवरणानुसार चतुर्थ राजवित खाते से **मेंटेनेंस वर्क कास्ट** मद पर व्यय/स्थानान्तरण दर्शित किया गया है।

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि रु0	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
1	03.07.2019	59570.00	14 वाँ वित्त आयोग	मेंटेनेंस वर्क कास्ट	अनुपलब्ध
2	05.08.2019	111410.00	14 वाँ वित्त आयोग	मेंटेनेंस वर्क कास्ट	अनुपलब्ध
3	14.08.2019	19110.00	14 वाँ वित्त आयोग	मेंटेनेंस वर्क कास्ट	अनुपलब्ध
	<b>योग-</b>	<b>190090.00</b>			

उक्त व्यय **योग रु0- 190090.00** की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। व्यय का मद स्पष्ट नहीं है केवल अन्य व्यय (Other Expences) से व्यय की प्रासंगिकता की जाँच नहीं की जा सकी सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय विवरण व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है अधिभार योग्य है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 19475 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली श्री अरुण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री अभिषेक ग्राम प्रधान से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

## प्रस्तर 431

3-सा0आ0सं0-(17)

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार 14 वाँ वित्त आयोग से अन्य व्यय मद पर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि रु0	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
1	29.11.2019	76600.00	14 वाँ वित्त आयोग	अन्य व्यय	अनुपलब्ध
	<b>योग-</b>	<b>76600.00</b>			

उक्त विवरण में दर्शित व्ययों ( **योग रु- 76600.00** ) से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली श्री अरुण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री अभिषेक ग्राम प्रधान से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

## प्रस्तर 432

4-सा0आ0सं0-(15)

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार चतुर्थ राजवित्त आयोग खाते से खडपजा मरम्मत कार्य पर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि रु0	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
1	01.07.2019	125312.00	चतुर्थ राजवित्त आयोग	खडपजा मरम्मत कार्य	अनुपलब्ध
2	01.01.2020	44305.00	चतुर्थ राजवित्त आयोग	खडपजा मरम्मत कार्य	अनुपलब्ध
3	01.01.2020	30169.00	चतुर्थ राजवित्त आयोग	खडपजा मरम्मत कार्य	अनुपलब्ध
4	10.03.2020	81802.00	चतुर्थ राजवित्त आयोग	खडपजा मरम्मत कार्य	अनुपलब्ध

5	12.03.2020	56966.00	चतुर्थ राजवित्त आयोग	खडपजा मरम्मत कार्य	अनुपलब्ध
	<b>योग-</b>	<b>338554.00</b>			

उक्त विवरण में दर्शित व्ययों ( योग रु- 338554.00 ) से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली श्री अरुण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री अभिषेक ग्राम प्रधान से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(185) ग्राम पंचायत - माडरमऊ विकास क्षेत्र - रामनगर जनपद - अम्बेडकरनगर प्रस्तर 433-**

**1-सा0आ0सं0-(18)**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न तिथियों में 14 वॉ वित्त आयोग खाते से हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि रु0	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
1	11.07.2019	19650.00	14 वॉ वित्त आयोग	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
2	11.07.2019	19500.00	14 वॉ वित्त आयोग	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
3	16.07.2019	16510.00	14 वॉ वित्त आयोग	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
4	25.08.2019	19950.00	14 वॉ वित्त आयोग	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
4	29.11.2019	19980.00	14 वॉ वित्त आयोग	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
	<b>योग-</b>	<b>95590.00</b>			

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 02- हैण्डपम्प मरम्मत व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 03- भुगतान प्राप्तकर्ता वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 04- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

इस प्रकार उक्त पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ( योग रु- 95590.00 ) पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती शीला देवी, ग्राम प्रधान, श्री अरुण कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 434**

**2-सा0आ0सं0-(15)**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राजवित्त खाते से हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि रु0	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
1	27.01.2020	19980.00	चतुर्थ राजवित्त	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
2	27.01.2020	19985.00	चतुर्थ राजवित्त	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
3	26.02.2020	17940.00	चतुर्थ राजवित्त	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध

4	12.03.2020	19960.00	चतुर्थ राजवित्त	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
5	25.03.2020	19890.00	चतुर्थ राजवित्त	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
6	25.03.2020	19960.00	चतुर्थ राजवित्त	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
	<b>योग-</b>	<b>117715.00</b>			

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 4- हैण्डपम्प मरम्मत व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 5- भुगतान प्राप्तकर्ता वैडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 6- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

इस प्रकार उक्त पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ( योग रु- 117715.00 ) पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती शीला देवी, ग्राम प्रधान, श्री अरुण कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर 435

3-सा0आ0सं0-(16)

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राजवित्त खाते से निम्न विवरणानुसार अन्य व्यय मद में व्यय/स्थानान्तरण दर्शित किया गया है।

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि रु0	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
1	25.04.2019	18375.00	चतुर्थ राजवित्त आयोग	अन्य व्यय	अनुपलब्ध
2	03.06.2019	5000.00	चतुर्थ राजवित्त आयोग	अन्य व्यय	अनुपलब्ध
3	13.06.2019	5000.00	चतुर्थ राजवित्त आयोग	अन्य व्यय	अनुपलब्ध
4	04.06.2019	5215.00	चतुर्थ राजवित्त आयोग	अन्य व्यय	अनुपलब्ध
5	22.07.2019	3500.00	चतुर्थ राजवित्त आयोग	अन्य व्यय	अनुपलब्ध
	13.08.2019	2525.00	चतुर्थ राजवित्त आयोग	अन्य व्यय	अनुपलब्ध
	<b>योग-</b>	<b>39615.00</b>			

उक्त व्यय योग रु-39615.00 की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। व्यय का मद स्पष्ट नहीं है केवल अन्य व्यय से व्यय की प्रासंगिकता की जाँच नहीं की जा सकी सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय विवरण व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है अधिभार योग्य है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती शीला देवी, ग्राम प्रधान, श्री अरुण कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर 436

4-सा0आ0सं0-(19)

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार 14 वॉ वित्त आयोग से खडपजा मरम्मत कार्य व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि रु०	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
1	13.08.2019	84754.00	14 वाँ वित्त आयोग	खडण्जा मरम्मत कार्य	अनुपलब्ध
5	योग-	84754.00			

उक्त विवरण में दर्शित व्ययों ( योग रु- 84754.00 ) से सम्बन्धित व्यय पत्रावतियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती शीला देवी, ग्राम प्रधान, श्री अरुण कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर 437

5-सा०आ०सं०-(17)

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार चतुर्थ राजवित्त आयोग से खडण्जा मरम्मत कार्य व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि रु०	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
1	13.08.2019	81766.00	चतुर्थ राजवित्त आयोग	खडण्जा मरम्मत कार्य	अनुपलब्ध
5	योग-	81766.00			

उक्त विवरण में दर्शित व्ययों ( योग रु- 81766.00 ) से सम्बन्धित व्यय पत्रावतियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती शीला देवी, ग्राम प्रधान, श्री अरुण कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(186) ग्राम पंचायत - अमोला बुजुर्ग विकास क्षेत्र - रामनगर जनपद - अम्बेडकरनगर

#### प्रस्तर 438-

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न तिथियों में 14 वाँ वित्त आयोग खाते से हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि रु०	खाता	भुगतान प्राप्तकर्ता	मद	व्यय प्रमाणक
1	23.04.2019	27230.00	14 वाँ वित्त आयोग	अवध ट्रेडर्स	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
2	11.06.2019	14784.00	14 वाँ वित्त आयोग	अवध ट्रेडर्स	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
3	18.07.2019	18700.00	14 वाँ वित्त आयोग	अवध ट्रेडर्स	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
4	23.07.2019	16650.00	14 वाँ वित्त आयोग	अवध ट्रेडर्स	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
4	28.10.2019	18750.00	14 वाँ वित्त आयोग	अवध ट्रेडर्स	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
	योग-	96114.00				

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 05- हैण्डपम्प मरम्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 06- भुगतान प्राप्तकर्ता वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 07- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

इस प्रकार उक्त पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय योग रु- 96114.00 पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती इसरतजहाँ, ग्राम प्रधान से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

सा0आ0सं0-(20)

**प्रस्तर 439**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राजवित खाते से हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि रु0	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
1	16.01.2020	16690.00	चतुर्थ राजवित	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
2	28.02.2020	18700.00	चतुर्थ राजवित	हैण्डपम्प मरम्मत	अनुपलब्ध
	<b>योग-</b>	<b>35390.00</b>			

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 7- हैण्डपम्प मरम्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 8- भुगतान प्राप्तकर्ता वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 9- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

इस प्रकार उक्त पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय योग रु- 35390.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती इसरतजहाँ, ग्राम प्रधान से बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है सा0आ0सं0-(19)

**(187) ग्राम पंचायत - भगवानपुर मंझरिया विकास क्षेत्र - रामनगर जनपद -अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर 440-**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में दिनांक- 07.06.2019 को चतुर्थ राजवित आयोग खाते से तालाब भराई कार्य पर व्यय रुपया- 30100.00 दर्शित है, जिसका व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत पत्रावली में प्राप्त नहीं रहा। आडिट के दौरान मांगे जाने पर प्रस्तुत भी नहीं किया जा सका। कार्य पत्रावली / व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(188) ग्राम पंचायत- आलमपुर धनौरा विकास खण्ड- टांडा जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 441.**

ग्राम पंचायत आलमपुर धनौरा विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है: -

ग्राम पंचायत आलमपुर धनौरा की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
12.06.2019	5 नग हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	14750.00	
06.06.2019	5 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु आर.के.ट्रेडर्स	15050.00	
25.06.2019	1 नग हैण्डपम्प मरम्मत हेतु विवरणहीन	4200.00	
05.07.2019	6 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	21500.00	
18.07.2019	5 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	16250.00	
24.07.2019	5 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	16250.00	
25.10.2019	5 नग हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	12515.00	
20.11.2019	5 नग हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	19550.00	
25.11.2019	5 हैण्डपम्प रिबोर हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	11505.00	
14.01.2020	3 नग हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	11500.00	
07.03.2020	5 नग हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	17620.00	
23.07.2019	1 नग हैण्डपम्प रिबोर हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	29500.00	
20.11.2019	1 नग हैण्डपम्प रिबोर हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	29550.00	
27.01.2020	1 नग हैण्डपम्प रिबोर हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	29950.00	
		<b>249690.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1- हैण्डपम्प मरम्मत व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

4- प्रिया साफ्ट में मूल कैश बुक से पूर्व भुगतान तिथि अंकित है। भिन्न-भिन्न तिथि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. **249690.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री गंगा राम एवं ग्राम सचिव कु.माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 442.**

ग्राम पंचायत आलमपुर धनौरा की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
23.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	14140.00
23.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	33000.00
13.12.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	35000.00
	योग-	<b>82140.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹० 82140.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री गंगा राम एवं ग्राम सचिव कु.माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 443.**

ग्राम पंचायत की आलमपुर धनौरा की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु स्ट्रीट लाइट क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि ₹0
20.11.2019	स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु आर.के. यादव	61500.00
07.12.2019	स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु सौरभ ट्रेडर्स	24600.00
	योग-	86100.00

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-सौरभ ट्रेडर्स से ग्राम पंचायत में सभी प्रकार की सामग्रियों का क्रय सामग्री क्रय में भारी अनियमितता को दर्शाता है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹० 86100.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री गंगा राम एवं ग्राम सचिव कु.माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 444.**

ग्राम पंचायत आलमपुर धनौरा की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु बेन्च क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि ₹0
23.07.2019	बेन्च क्रय हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	96000.00
13.12.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	83200.00
	योग-	179200.00

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म बेन्च / ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु० 179200.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री गंगा राम एवं ग्राम सचिव कु.माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 445.**

ग्राम पंचायत आलमपुर धनौरा में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार रु0 509418.00मजदूरी एव रु. 133677.00 सामग्री कुल रु० 643095.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु.643095.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री गंगा राम एवं ग्राम सचिव कु.माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(189) ग्राम पंचायत- आलमपुर शेखपुर विकास खण्ड- टांडा जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 446.**

ग्राम पंचायत आलमपुर शेखपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 287000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 287000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु० 287000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री गंगाराम गुप्ता, एवं ग्राम प्रधान श्री मती सुमन से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(190) ग्राम पंचायत- बड़ागाँव ब्राह्मपुर, विकास खण्ड- टांडा जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 447.**

ग्राम पंचायत बड़ागाँव ब्राह्मपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है: -

ग्राम पंचायत बड़ागाँव ब्राह्मपुर की वर्ष 2019-20 की केश बुक/आनलाईन आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
23.04.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	8350.00	
04.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29450.00	
10.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	11150.00	
10.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	26150.00	
14.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	28150.00	
02.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29250.00	

11.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	12740.00	
24.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29650.00	
31.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	11250.00	
31.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	20500.00	
01.08.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	11200.00	
15.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29500.00	
23.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29500.00	
27.11.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19840.00	
27.11.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	18840.00	
13.12.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	20890.00	
13.12.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	11250.00	
20.12.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19275.00	
20.12.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19225.00	
15.02.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29610.00	
15.02.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19890.00	
05.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19840.00	
	<b>योग -</b>	<b>455500.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1- हैण्डपम्प मरम्मत एव रिबोर पर रु. 455500.00 के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2 - प्रिया साफ्ट की कैश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये हैं।
- 3- हैण्डपम्प मरम्मत एव रिबोर से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत नहीं रहा कि किन-किन स्थानों पर रिबोर एव मरम्मत कराया गया। व्यय की पुष्टि में विवरण के साथ रिबोर हैण्डपम्प हेतु डिमांड , तकनीकी रिपोर्ट, स्टीमेट एम्.बी.आदि की प्रस्तुतीकरण अपेक्षित है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु० 455500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री अमरेश पटेल एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 448.**

ग्राम पंचायत बड़ागाँव ब्राह्मपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक- 13.12.2019 को कुल रु० 40000.00 बेंच क्रय में व्यय किया गया है, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। एक ही तिथि में दो बार बेंच क्रय करके भुगतान के औचित्य का स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 40000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री अमरेश पटेल एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 449.**

ग्राम पंचायत बड़ागाँव ब्राह्मपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट आनलाईन कैशबुक/कैश बुक में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्युम पाईप अवस्थापना पर रु० 111283.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु०
--------	-------	------------

02.07.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान	29250.00
18.07.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान	32500.00
24.07.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान	32033.00
01.08.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान	17500.00
	<b>योग-</b>	<b>111283.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित ह्युम पाईप क्रय पर रु. **111283.00** के व्ययों से सम्बन्धित बाउचर /व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त बाउचर /व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. **111283.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री अमरेश पटेल एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 450.**

ग्राम पंचायत की बड़ागाँव ब्राह्मपुर की वर्ष 2019-20 की ऑडिट में कैश बुक/आनलाईन कैश बुक में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु स्ट्रीट लाइट क्रय एवं सोलर मरम्मत पर रु० 127000.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु०	अन्य
31.07.2019	सोलर मरम्मत	28600.00	एसएफसी
03.11.2019	विशिष्ट स्थानों पर स्ट्रीट लाइट स्थापना	98400.00	FFC
	<b>योग-</b>	<b>127000.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर रु० 127000.00 के व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावतियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-स्ट्रीट लाइट के क्रय एवं स्थापना के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत नहीं रहा कि स्ट्रीट लाइट कहाँ-कहाँ तथा किन-किन स्थानों पर अवस्थापित तथा मरम्मत की गयी। विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

3- सोलर मरम्मत कहाँ -कहाँ तथा कितने सोलर मरम्मत किये गये तथा वे कब स्थापित किये गये थे। विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. **127000.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री अमरेश पटेल एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 451.**

ग्राम पंचायत बड़ागाँव ब्राह्मपुर की वर्ष-2019-20 की ऑडिट में कैश बुक/आनलाईन कैश बुक में पाया गया कि इंटर लॉकिंग कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार केवल सामग्री पर रु. 333490.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	अन्य	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	सीमेंट ब्रिक		06.01.2020	132225.00	-----
02	करिया के घर से त्रिवेणी के घर तक		06.01.2020	48750.00	-----
03	राम सागर के घर से प्रहलाद के घर तक		06.01.2020	92612.00	-----
04	राम सागर के घर से प्रहलाद के घर तक		09.01.2020	22156.00	-----
05	करिया के घर से प्रहलाद के घर तक		09.01.2020	10951.00	-----
06	संत राम के घर शंकर के घर तक		09.01.2020	26796.00	-----

	योग-	333490.00	-----
--	------	-----------	-------

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय रु. 333490.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त विवरण से स्पष्ट है कि केवल सामग्री (इंटर लॉकिंग ब्रिक क्रय) भुगतान की गयी है। उक्त कार्यों पर मजदूरी भुगतान नहीं की गयी है। किन्तु बार-बार मौखिक एवं लिखित मांग किये जाने के बावजूद उक्त से सम्बन्धित व्यय पत्रावली /बाउचर स्टीमेट, एम. बी. एवं मास्टर रोल आदि प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त की जाँच व पुष्टि नहीं हो सका। उक्त प्रपत्र प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 333490.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री अमरेश पटेल एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 452.**

ग्राम पंचायत बड़ागाँव ब्राह्मपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक/आनलाईन कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक- 02.12.2019 को रु. 141216.00 की ईट नहर से राकेश यादव के घर के तक खडन्जा मरम्मत हेतु क्रय दर्शित है तथा उक्त कार्य पर कोई मजदूरी भुगतान नहीं की गयी है केवल ईट क्रय पर व्यय रु. 141216.00 दर्शित है, किन्तु बार-बार मौखिक एवं लिखित मांग किये जाने के बावजूद उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय बाउचर, मास्टर रोल एम. बी. स्टीमेट आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 141216.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री अमरेश पटेल एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 453.**

ग्राम पंचायत बड़ागाँव व ब्राह्मपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक/आनलाईन कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-19.07.2019 एवं 19.07.19 को क्रमशः रु. 84450.00 की सामग्री एवं रु 21740.00 मजदूरी राम सागर घर से शंकर के घर तक नाली एवं पटिया निर्माण पर कुल व्यय रु. 106190.00 दर्शित है, किन्तु बार-बार मौखिक एवं लिखित मांग किये जाने के बावजूद उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय बाउचर, मास्टर रोल एम. बी. स्टीमेट आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 106190.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री अमरेश पटेल एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 454**

ग्राम पंचायत बड़ागाँव ब्राह्मपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक/आनलाईन कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक- 24.07.2019 एवं 29.07.20 को क्रमशः रु. 63189.00 एवं रु. 80325.00 कुल रु.143514.00 की सामग्री एवं दिनांक-23.07.19 एवं दिनांक- 24.07.19 क्रमशः रु. 26754.00 एवं रु.12740.00 कुल रु. 39494.00 मजदूरी, खुशी राम के घर से नाउसांडा सरहद तक खडन्जा निर्माण पर कुल व्यय रु. 183008.00 दर्शित है, किन्तु बार-बार मौखिक एवं लिखित मांग किये जाने के बावजूद उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय बाउचर, मास्टर रोल एम. बी. स्टीमेट आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत

निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹. 183008.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री अमरेश पटेल एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 455.**

ग्राम पंचायत बड़ागाँव ब्राह्मपुर में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी पर कुल व्यय रु. 137000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 137000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इस धनराशि रु. 137000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री रविन्द्र देव यादव , ग्राम प्रधान श्री अमरेश पटेल ,रोजगार सेवक एव तकनीकी सहायक से बराबर-बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(191) ग्राम पंचायत- बड़डूपुर                      विकास खण्ड- टांडा                      जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 456.**

ग्राम पंचायत बड़डूपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत बड़डूपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
15.04.2019	5 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मेसर्स मंशाराम कन्सट्रक्शन	16350.00	
04.06.2019	5 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मेसर्स मंशाराम कन्सट्रक्शन	18550.00	
07.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मेसर्स मंशाराम कन्सट्रक्शन	17500.00	
06.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मेसर्स मंशाराम कन्सट्रक्शन	10150.00	
15.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मेसर्स मंशाराम कन्सट्रक्शन	25150.00	
15.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मेसर्स मंशाराम कन्सट्रक्शन	16250.00	
15.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मेसर्स मंशाराम कन्सट्रक्शन	8150.00	
25.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मेसर्स मंशाराम कन्सट्रक्शन	29500.00	
25.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मेसर्स मंशाराम कन्सट्रक्शन	19250.00	
31.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मेसर्स मंशाराम कन्सट्रक्शन	23450.00	
07.11.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु अंश ट्रेडर्स	19750.00	
07.11.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु अंश ट्रेडर्स	11360.00	
28.11,2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मेसर्स मंशाराम कन्सट्रक्शन	12800.00	
	<b>योग-</b>	<b>260570.00</b>	
28.11.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मेसर्स मंशाराम कन्सट्रक्शन	12810.00	
06.12.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु अंश ट्रेडर्स	19500.00	
09.04.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु मेसर्स मंशाराम कन्सट्रक्शन	29550.00	
09.04.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु मेसर्स मंशाराम कन्सट्रक्शन	29450.00	
07.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु मेसर्स मंशाराम कन्सट्रक्शन	29450.00	
02.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु मेसर्स मंशाराम कन्सट्रक्शन	29450.00	
06.12.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु अंश ट्रेडर्स	29500.00	
	<b>योग-</b>	<b>147400.00</b>	
	<b>कुल योग -</b>	<b>407970.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1-हैण्डपम्प मरम्मत पर रु.260570.00 एव रिबोर पर रु.147400.00 कुल रु.407970.00 के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।
- 4-प्रिया साफ्ट में मूल कैश बुक से पूर्व भुगतान तिथि अंकित है |भिन्न-भिन्न तिथि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है | व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 407970.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री दुनमुन एवं ग्राम सचिव श्री गंगाराम गुप्ता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 457.**

ग्राम पंचायत बड़डूपुर की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
23.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु लाल चंद्र वर्मा को भुगतान	39494.00
23.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु अंश ट्रेडर्स को भुगतान	21000.00
	योग-	<b>60494.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरामत /स्ट्रीट लाइट मरम्मत/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.60494.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री दुनमुन एवं ग्राम सचिव श्री गंगाराम गुप्ता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 458.**

ग्राम पंचायत की बड़डूपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु स्ट्रीट लाइट क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
12.07.2019	स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु मेसर्स पी.कुमार ट्रेडर्स 5 दर 6150.00	30750.00
25.06.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु मंशाराम कॉन्सट्रक्शन को भुगतान	18150.00
06.07.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु मंशाराम कॉन्सट्रक्शन को भुगतान	16150.00
	योग-	<b>65050.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1-उक्त विवरण में दर्शित स्ट्रीट लाइट क्रय रु.30750.00 एव मरम्मत पर रु.34300.00 कुल रु. 65050.00 के व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-स्ट्रीट लाइट के मरम्मत के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत नहीं रहा कि मंशाराम कॉन्सट्रक्शन द्वारा मरम्मत की जाने वाली स्ट्रीट लाइट कब क्रय की गयी थी तथा कब और कहाँ-कहाँ अवस्थापित की गयी तथा किन-किन स्थानों पर मरम्मत की गयी । विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है ।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹. 65050.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री दुनमुन एवं ग्राम सचिव श्री गंगाराम गुप्ता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 459.**

ग्राम पंचायत बड़डूपुर की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु बेन्च क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
01.01.2020	बेन्च क्रय हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	80000.00
30.12.2019		
	योग-	<b>80000.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म बेन्च / ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है । अन्यथा कि स्थिति में ₹. 80000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री दुनमुन एवं ग्राम सचिव श्री गंगाराम गुप्ता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 460.**

ग्राम पंचायत बड़डूपुर में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार रु0 473564.00 मजदूरी व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु.473564.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में धनराशि ₹. 473564.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री दुनमुन एवं ग्राम सचिव श्री गंगाराम गुप्ता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(192) ग्राम पंचायत- बलरामपुर

विकास खण्ड- टांडा

जनपद- अम्बेडकरनगर

प्रस्तर-461.

ग्राम पंचायत बलरामपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत बलरामपुर की वर्ष 2019-20 की कैश बुक/आनलाईन आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
15.04.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	31557.00	
15.04.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	31264.00	
06.05.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	8150.00	
13.05.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	21012.00	
29.05.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	7349.00	
10.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	33189.00	
31.10.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	15200.00	
06.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29550.00	
06.11.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	18405.00	
06.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29450.00	
06.11.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19870.00	
06.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29550.00	
06.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29450.00	
06.11.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19500.00	
04.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19530.00	
06.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19840.00	
15.03.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29587.00	
15.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19420.00	
15.03.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29650.00	
15.03.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29650.00	
31.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19540.00	
	<b>योग -</b>	<b>490713.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

- 1- हैण्डपम्प मरम्मत एव रिबोर पर रु. 490713.00 के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2 -प्रिया साफ्ट की कैश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये हैं ।
- 3- हैण्डपम्प मरम्मत एव रिबोर से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत नहीं रहा कि किन-किन स्थानों पर रिबोर एव मरम्मत कराया गया। व्यय की पुष्टि में विवरण के साथ रिबोर हैण्डपम्प हेतु डिमांड ,तकनीकी रिपोर्ट,स्टीमेट एम्.बी.आदि की प्रस्तुतीकरण अपेक्षित है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 490713.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती पूनम पाण्डेय एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है ।

#### **प्रस्तर- 462.**

ग्राम पंचायत बलरामपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-14.11.2019 को रु.80000.00 बैंच स्थापना तथा दिनांक-15.03.2020 को रु.67600.00 एव दिनांक- 15.03.2020 को रु.78000.00 ग्राम पंचायत के प्राथमिक और जूनियर विद्यालय में क्लास रूम हेतु बेन्च क्रय में व्यय किया गया है । ग्राम पंचायत में रु. 80000.00 बेन्च स्थापना एव रु.

145000.00 क्लास रूम बेन्च, कुल व्यय रु.225600.00 दर्शित है, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। एक ही तिथि में दो बार अलग-अलग क्लास रूम बैच क्रय करके, अनियमित (संभवतः टैंडर न कर) भुगतान करने के औचित्य का स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 225600.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती पूनम पाण्डेय एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 463.**

ग्राम पंचायत बलरामपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट आनलाईन कैशबुक/कैश बुक में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्युम पाईप क्रय एव अवस्थापना पर रु.129180.00 व्यय दर्शित है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
03.07.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान	40750.00
31.10.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान	45050.00
26.03.2020	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान	43380.00
	<b>योग-</b>	<b>129180.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित ह्युम पाईप क्रय एव अवस्थापना पर रु.129180.00 के व्ययों से सम्बन्धित बाउचर /व्यय प्रमाणक बार-बार मौखिक एव लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त बाउचर /व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.129180.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती पूनम पाण्डेय एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 464.**

ग्राम पंचायत की बलरामपुर की वर्ष 2019-20की आडिट में कैश बुक/आनलाईन कैश बुक में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु स्ट्रीट लाइट क्रय/स्थापना पर रु.184500.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
15.11.2019	स्ट्रीट लाइट क्रय/स्थापना	92250.00	FFC
15.11.2019	स्ट्रीट लाइट क्रय/स्थापना	92250.00	FFC
	<b>योग-</b>	<b>184500.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित स्ट्रीट लाइट क्रय पर रु. 184500.00 के व्ययों से सम्बन्धित बाउचर/व्यय पत्रावलियां बार-बार मौखिक एव लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-स्ट्रीट लाइट के क्रय एव स्थापना के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत नहीं रहा कि स्ट्रीट लाइट कहाँ-कहाँ तथा किन-किन स्थानों पर अवस्थापित की गयी तथा बिजली संयोजन की अनुमति ली गयी या नहीं। विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

3- प्रिया साफ्ट की कैश बुक में वेंडर/फर्म के नाम अंकित नहीं किये गये हैं। ग्राम पंचायत में एक ही तिथि/दिनांक में अलग-अलग दो बार स्ट्रीट लाइट क्रय के औचित्य का स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत

निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 184500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती पूनम पाण्डेय एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 465.**

ग्राम पंचायत बलरामपुर की वर्ष-2019-20 की ऑडिट में कैश बुक/आनलाईन कैश बुक में पाया गया कि इंटर लाकिंग कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार इंटर लाकिंग ब्रिक, सामग्री एवं मजदूरी पर रु. 389851.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण		दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	पक्की सड़क से राजमनी के घर तक इंटर लाकिंग कार्य	सीमेंट ब्रिक्स	07.11.2019	133120.00	-----
		सामग्री	07.11.2019	37200.00	-----
		<b>योग-</b>		170320.00	-----
02	पक्की सड़क से बाबूलाल के घर तक इंटर लाकिंग कार्य	सीमेंट ब्रिक्स	07.11.2019	148252.00	-----
		सामग्री	07.11.2019	41431.00	-----
			21.03.2020	-----	14014.00
			21.03.2020	-----	15834.00
		<b>योग-</b>		189683.00	29848.00
	01 + 02	<b>कुल योग-</b>		170320.00+219531.00 = <b>389851.00</b>	

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावतियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय रु. 389851.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्रमांक-01 पर केवल सामग्री (इंटर लाकिंग ब्रिक एवं सामग्री क्रय) भुगतान की गयी है तथा कोई मजदूरी भुगतान नहीं की गयी है। क्रमांक-02 पर रु.189683.00 इंटर लाकिंग ब्रिक एवं सामग्री तथा रु.29848.00 मजदूरी व्यय दर्शित है। क्रमांक-01 एवं क्रमांक-02 के कार्यों पर कुल व्यय रु.389851.00 दर्शित है। किन्तु बार-बार मौखिक एवं लिखित मांग किये जाने के बावजूद उक्त से सम्बन्धित व्यय पत्रावली /बाउचर स्टीमेट,एम. बी.एव मस्टर रोल आदि प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त व्यय रु.389851.00 की जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। उक्त प्रपत्र प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 389851.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती पूनम पाण्डेय एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 466.**

ग्राम पंचायत बलरामपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक/आनलाईन कैश बुक की जांच में पाया गया कि प्रधान मानदेय निम्न विवरणानुसार रु. 77000.00 व्यय दर्शित है -

क्रमांक	दिनांक	विवरण	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान	धनराशि	अन्य
1	18.04.2019	प्रधान मानदेय	पूनम पाण्डेय चेक न. 333	10500.00	4 <sup>th</sup> एसएफसी
2	24.04.2019	प्रधान मानदेय	पूनम पाण्डेय 340	10500.00	4 <sup>th</sup> एसएफसी
3	10.05.2019	प्रधान मानदेय	पूनम पाण्डेय 342	3500.00	4 <sup>th</sup> एसएफसी
4	20.06.2019	प्रधान मानदेय	पूनम पाण्डेय 377	7000.00	4 <sup>th</sup> एसएफसी
5	28.06.2019	प्रधान मानदेय	पूनम पाण्डेय 378	3500.00	4 <sup>th</sup> एसएफसी
6	28.03.2020	प्रधान मानदेय	पीएफएमएस R032002018222	42000.00	अप्रैल 19 से मार्च 2020 तक 4 <sup>th</sup> एसएफसी
			<b>योग-</b>	77000.00	

1-उक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्रमांक 1 से 5 तक का व्यय पूर्व वित्तीय वर्ष 2018-19 का रु.35000.00 प्रधान मानदेय 5 चेकों के माध्यम किया गया है, जबकि क्रमांक 6 पर व्यय मानदेय पीएफएमएस के द्वारा 42000.00 भुगतान किया गया दर्शित है। उक्त मानदेय व्यय रु. 77000.00 से सम्बन्धित प्रधान मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त मानदेय के सम्बन्ध में बार-बार मौखिक एवं

लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद आडिट में पूर्व वित्तीय वर्ष का रु. 35000.00 मानदेय भुगतान से सम्बन्धित मानदेय रजिस्टर/रसीद एव पूर्व वर्ष की कैश बुक प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण यह पुष्टि नहीं हो सका कि पुनः तो भुगतान नहीं हो रहा है। उक्त व्यय की पुष्टि हेतु मानदेय रजिस्टर/पूर्व वर्ष की कैश बुक एव 6 माह से पूर्व के भुगतान हेतु सहायक विकास अधिकारी(प.) के अनुमति पत्र की प्रस्तुतीकरण अपेक्षित है।

अतः उक्त बाउचर / व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 77000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती पूनम पाण्डेय एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 467.**

ग्राम पंचायत बलरामपुर में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी पर कुल व्यय रु. 126000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 126000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इस धनराशि रु. 126000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री रविन्द्र देव यादव , ग्राम प्रधान श्री मती पूनम पाण्डेय ,रोजगार सेवक एव तकनीकी सहायक से बराबर-बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(193) ग्राम पंचायत- बसन्तपुर विकास खण्ड- टांडा जनपद- अम्बेडकरनगर

**प्रस्तर- 468.**

ग्राम पंचायत बसन्तपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 479000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 479000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री रामजीत यादव, रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री मती रीता वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 469.**

02-आडिट में पाया गया कि निम्न ईट भट्टों से विभिन्न तिथियों में निम्न प्रकार से निर्धारित दर से अधिक दर पर ईट क्रय दर्शित है, जिसका विवरण है:-

कैशबुक/बिल में भुगतान का दिनांक	आपूर्ति कर्ता फर्म/ईट भट्टे का नाम	खरीद मात्रा/दर प्रति हजार	मूल्य	वस्तु/सेवा की कीमत (पी0डब्ल्यू0डी0) के अनुसार मात्रा/दरप्रति हजार	मूल्य	अंतर की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7

20.04.2019	प्रधानमंत्री सड़क से संतोष के चक तक खड़जा कार्य/पवन ब्रिक फिल्ड	16000/5100	81600	16000/4900	78400	3200
20.04.2019	प्रधानमंत्री सड़क से संतोष के चक तक खड़जा कार्य/पवन ब्रिक फिल्ड	10000/5100	51000	10000/4900	49000	2000
01.02.2020	सुलेमनपुर पिच रोड से पुष्पा शर्मा के दरवाजे तक खड़जा कार्य/आयुष ब्रिक फिल्ड	1566/5985	9373	1566/5700	8926	447
04.02.2020	पिच रोड से यदुनाथ के घर तक खड़जा कार्य/आयुष ब्रिक फिल्ड	9000/5985	53865	9000/5700	51300	2565
12.02.2020	पिच रोड से राम सूरत के घर तक खड़जा कार्य/आयुष ब्रिक फिल्ड	1773/5985	10611	1773/5700	10106.00	505
			206449		197732	8717

आडिट में पाया गया कि पी0डब्ल्यू0डी0 दर सूची (एस.ओ.आर.) के अनुसार 30.06.2019 तक ईट की प्रथम श्रेणी एवं एस0ओ0बी0 श्रेणी की दर क्रमशः रु. 5250 एवं 4900 तथा दिनांक 01.07.2019 से क्रमशः रु. 6200 एवं 5700 निर्धारित है, परंतु ग्राम पंचायत में उक्त प्रकार से अधिक दर पर भुगतान करके रु. 8717.00 से ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गई है। अतः उक्त के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के माध्यम से उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत स्पष्टीकरण आवश्यक है। असंतोषजनक स्पष्टीकरण की दशा में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव रामजीत यादव से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 470.**

ग्राम पंचायत बसन्तपुर की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
17.07.2019	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	57300.00	
28.06.2019	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	29300.00	
02.07.2019	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	24700.00	
	योग-	111300.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

01-हैण्डपम्प मरम्त व्यय से सम्बन्धित सामान खरीद, लगवाई के वाउचर एवं स्थान से सम्बन्धित विवरण आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

02-इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर की आइडी शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 Sके प्रस्तर 5 के अनुरूप उपलब्ध नहीं रही।

वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 111300.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती रीता वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री रामजीत यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 471.**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि दिनांक 31.12.2019 में भुगतान बाबत पा0 वि0 विद्यालय भगवानपुर में टाइल्स लगाने का कार्य रु0 70778.00 एवं 85350.00 का वाउचर आडिट में उपलब्ध नहीं कराया जा सका। कैशबुक में फर्म का नाम भी अंकित नहीं किया गया था कि किसको भुगतान किया गया है। वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में कुल रु0 156128.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती रीता वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री रामजीत यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(194) ग्राम पंचायत- बेलासपुर

विकास खण्ड- टांडा

जनपद- अम्बेडकरनगर

प्रस्तर- 472.

ग्राम पंचायत बेलासपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत बेलासपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
16.04.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	11350.00	
11.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु मंशाराम कॅन्सट्रक्शन को भुगतान	29485.00	
11.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मंशाराम कॅन्सट्रक्शन को भुगतान	11150.00	
13.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु जेकंसट्रक्शन.डी .	11150.00	
17.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	16500.00	
01.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	16500.00	
10.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	22500.00	
31.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मंशाराम कॅन्सट्रक्शन को भुगतान	20150.00	
19.12.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु जेकंसट्रक्शन.डी .	29981.00	
18.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मंशाराम कॅन्सट्रक्शन को भुगतान	13750.00	
22.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	19926.00	
	योग -	202442.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-हैण्डपम्प मरम्मत एव रिबोर पर रु. 202442.00के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइ डी से अथवा बिना आइ डी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

4-प्रिया साफ्ट की कैश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये हैं ।

अतः उक्त कार्य व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 202442.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती शायरा एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 473.

ग्राम पंचायत की बेलासपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर रु. 16550.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
28.10.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	16550.00
	योग -	16550.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर रु. 16550.00 के व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-स्ट्रीट लाइट मरम्मत के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत नहीं रहा कि वर्मा ट्रेडिंग कंपनी द्वारा मरम्मत की जाने वाली स्ट्रीट लाइट कहाँ-कहाँ तथा किन-किन स्थानों पर की गयी । विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

अतः उक्त कार्य पर व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 16550.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती शायरा एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 474.**

ग्राम पंचायत बेलासपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-18.07.2019 में क्रमशः रु.63600.00 एवं रु.42400.00कुल रु. 106000.00 का सुपर इंटर प्राइजेज से इंटर लाकिंग ईट क्रय कर व्यय किया गया है,किन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । टेंडर प्रक्रिया से बचने हेतु एक ही तिथि में एक ही फर्म से एक ही कार्य पर दो बार क्रय दर्शित किया गया है ।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.106000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती शायरा एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 475.**

ग्राम पंचायत बेलासपुर में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी एव सामग्री पर रु.244000.00 व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 244000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में धनराशि रु. 244000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती शायरा एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(195) ग्राम पंचायत- भुवालपुर**

**विकास खण्ड- टांडा**

**जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 476.**

ग्राम पंचायत भुवालपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत **भुवालपुर** की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
21.05.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु मेसर्स वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	29455.00	
02.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु मेसर्स वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	29820.00	
06.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु मेसर्स वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	30885.00	
06.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु मेसर्स वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	29780.00	
30.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु मेसर्स वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	21500.00	
	योग-	141440.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-हैण्डपम्प रिबोर व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प रिबोर का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-व्यय धनराशि के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के रिबोर कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹ 141440.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम जनम वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री कृष्ण कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 477**

ग्राम पंचायत भुवालपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाईप पर रु. 40500.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
24.12.2019	ह्यूम पाईप क्रय हेतु मेसर्स वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान	40500.00
	योग -	40500.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित ह्यूम पाईप क्रय पर रु. 40500.00 के व्ययों से सम्बन्धित बाउचर /व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त बाउचर /व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹. 40500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम जनम वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री कृष्ण कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 478**

ग्राम पंचायत भुवालपुर की मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 124000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 124000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹० 124000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार वर्मा, ग्राम प्रधान श्री राम जनम वर्मा, रोजगार सेवक एवं तकनीकी सहायक से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(196) ग्राम पंचायत- बिहरा

विकास खण्ड- टांडा

जनपद- अम्बेडकरनगर

#### **प्रस्तर- 479.**

ग्राम पंचायत बिहरा विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत बिहरा की वर्ष-2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
1	29.04.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	29650.00	
2	07.6.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु जेकान्स्ट्रक्शन.डी.	29600.00	
3	09.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	29650.00	
4	19.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	29600.00	
5	09.12.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु जेकान्स्ट्रक्शन.डी.	29750.00	
6	09.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	29600.00	
7	30.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर पीकुमार.	29640.00	
8	20.02.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	29650.00	
9	20.04.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	11150.00	
10	30.04.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मंशाराम कान्स्ट्रक्शन	22150.00	
11	04.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	14570.00	
12	14.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु जेकान्स्ट्रक्शन.डी.	13200.00	
13	28.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु जेकान्स्ट्रक्शन.डी.	15500.00	
14	05.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु जेकान्स्ट्रक्शन.डी.	16500.00	
15	19.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	17250.00	
16	31.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मंशाराम कान्स्ट्रक्शन	20150.00	
17	09.12.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु अंश ट्रेडर्स	19835.00	
18	17.12.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	19850.00	
19	21.01.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	19500.00	
20	21.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु जेकान्स्ट्रक्शन.डी.	18500.00	
21	05.03.2020.	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	18650.00	
22	05.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	19921.00	
		<b>योग -</b>	<b>483716.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-हैण्डपम्प रिबोर पर रु.236990.00 एवं हैण्डपम्प मरम्मत पर रु.246726.00 कुल रु. 483716.00 व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रघुवर प्रसाद एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 480**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
07.06.2019	स्ट्रीट लाइटकान्स्ट्रक्शन.डी.सोलर मरम्मत क्रय हेतु जे/	18400.00
30.07.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	28600.00
21.01.2020	स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु जेकान्स्ट्रक्शन.डी.	18500.00

	<b>योग-</b>	<b>65500.00</b>
--	-------------	-----------------

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित रु.65500.00 के व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्मत / सोलर मरम्मत की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं।

4-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

5-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

6-एम0के0 ट्रेडर्स से ग्राम पंचायत में सभी प्रकार की सामग्रियों का क्रय सामग्री क्रय में भारी अनियमितता को दर्शाता है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रघुवर प्रसाद एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(197) ग्राम पंचायत- बिहरोजपुर**

**विकास खण्ड- टांडा**

**जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 481.**

ग्राम पंचायत बिहरोजपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत बिहरोजपुर की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
11.06.2019	8 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	26150.00	
28.06.2019	01 हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29450.00	
15.10.2019	01 हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29550.00	
28.11.2019	06 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मंशाराम कंसट्रक्शन	19300.00	
28.11.2019	06 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मंशाराम कंसट्रक्शन	19900.00	
02.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत रिबोर मंशाराम कंसट्रक्शन	29950.00	
02.03.2020	06 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मंशाराम कंसट्रक्शन	19990.00	
27.03.2020	06 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19921.00	
	<b>योग-</b>	<b>194211.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-हैण्डपम्प मरम्मत व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत/ ह्यूम पाइप बिक्री, निर्माण कार्य आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के विपरीत कार्य किया गया है।

शासनादेश के विपरीत एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती मीरा देवी एवं ग्राम सचिव धीरेन्द्र कुमार पासवान से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 482**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
14.01.2020	ह्यूम पाइप क्रय हेतु	42000.00
	योग	42000.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती मीरा देवी एवं ग्राम सचिव धीरेन्द्र कुमार पासवान से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 483**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ठेला सफाई किट एवं इस्टबिन क्रय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
28.01.2020	ठेला सफाई किट क्रय हेतु भुगतान	25000.00
10.03.2020	इस्टबिन क्रय हेतु भुगतान	80000.00
10.03.2020	इस्टबिन क्रय हेतु भुगतान	80000.00
21.03.2020	RCC बेन्च	80000.00
21.03.2020	RCC बेन्च	80000.00
	योग-	355000.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट/ निर्माण कार्य/ सफाई किट/ इस्टबिन बिक्री का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इसकी पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।
- 3-उक्त ट्रेडर्स द्वारा ग्राम पंचायत में सभी प्रकार की सामग्रियों, सेवा की आपूर्ति क्रय में भारी अनियमितता को दर्शाता है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में

समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती मीरा देवी एवं ग्राम सचिव धीरेन्द्र कुमार पासवान से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(198) ग्राम पंचायत- ब्राह्मपुर कुसमा विकास खण्ड- टांडा जनपद- अम्बेडकरनगर प्रस्तर- 484**

ग्राम पंचायत ब्राह्मपुर कुसमा विकास खण्ड- टांडा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत ब्राह्मपुर कुसमा की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
12.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत 06 अदद हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	22250.00	4thएसएफसी
12.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत 04 अदद हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	18150.00	4thएसएफसी
06.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत 06 अदद हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	20500.00	4thएसएफसी
22.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत 10 अदद हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	26550.00	4thएसएफसी
02.08.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	29550.00	4thएसएफसी
07.11.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	19910.00	FFC
07.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर 01अदद हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	29530.00	FFC
	योग-	<b>166440.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 1-हैण्डपम्प मरम्मत एव रिबोर पर रु. **166440.00** के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइ डी से अथवा बिना आइ डी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।
- 4-प्रिया साफ्ट की कैश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये है ।

अतः उक्त कार्य व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. **166440.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री अखिलेश वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री विक्रम सागर से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 485**

ग्राम पंचायत की ब्राह्मपुर कुसमाकी वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु स्ट्रीट लाइट क्रय एव अवस्थापना पर रु. 123000.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
01.08.2019	स्ट्रीट लाइट क्रय एव अवस्थापना हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	61500.00
02.08.2019	स्ट्रीट लाइट क्रय एव अवस्थापना हेतु अंश ट्रेडर्स को भुगतान	61500.00
	योग	123000.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 1-उक्त विवरण में दर्शित स्ट्रीट लाइट क्रय एव अवस्थापना पर रु.123000.00 के व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-स्ट्रीट लाइट अवस्थापना के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत नहीं रहा कि सौरभ ट्रेडिंग कंपनी एव अंश ट्रेडर्स द्वारा अवस्थापित स्ट्रीट लाइट कहाँ-कहाँ तथा किन-किन स्थानों पर की गयी । विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

अतः उक्त कार्य पर व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹. 123000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री अखिलेश वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री विक्रम सागर से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 486**

ग्राम पंचायत ब्राह्मपुर कुसमा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-24.07.2019 में उच्च प्रा.वि.ब्राह्मपुर कुसमा में समरसेबुल, पानी की टंकी व प्लम्बरिंग कार्य का भुगतान रु. 45150.00 रामजनम के खाते में स्थानांतरित कर सीधे गबन किया गया है यह धनराशि समरसेबुल, पानी की टंकी व प्लम्बरिंग आदि का भुगतान किसी फर्म को न कर व्यक्तिगत खाते में भुगतान करना वित्तीय नियमों के विपरीत है साथ ही साथ ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के खण्ड 5 के विपरीत है | यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹. 45150.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री अखिलेश वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री विक्रम सागर से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 487**

ग्राम पंचायत ब्राह्मपुर कुसमा में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी एवं सामग्री पर रु.661000.00 व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 661000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में धनराशि रु. 661000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अखिलेश वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री विक्रम सागर से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(199) ग्राम पंचायत- चन्दौली**

**विकास खण्ड- टांडा**

**जनपद- अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर- 488**

ग्राम पंचायत चन्दौली विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत चन्दौली दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 1128000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 1128000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 1128000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री गंगा राम गुप्ता, एवं ग्राम प्रधान श्री प्रेम चंद से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 489**

ग्राम पंचायत दानपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत दानपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
25.04.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	22500.00	
25.04.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	29600.00	
29.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु जे.डी.कंस्ट्रक्शन	11250.00	
02.08.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी	22500.00	
04,12.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु जे.डी.कंस्ट्रक्शन	19820.00	
04,12.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/ हेतु जे.डी.कंस्ट्रक्शन	11970.00	
17.02.2020	हैण्डपम्प मरम्मत/ पी.कुमार	11150.00	
09.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत मंशाराम कंसट्रक्शन	19700.00	
	<b>योग -</b>	<b>148490.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

1-हैण्डपम्प मरम्मत एव रिबोर पर रु.148490.00 के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइ डी से अथवा बिना आइ डी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। एक ही तिथि में एक ही वेंडर /फर्म को दो बार अलग-अलग भुगतान के औचित्य का भी स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

4-प्रिया साफ्ट की कैश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये हैं ।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.148490.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री नन्द लाल एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 490**

ग्राम पंचायत की दानपुरकी वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर रु. 47100.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
16.11.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु जे.डी.कंस्ट्रक्शन को भुगतान	18500.00
12.12.2019	स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	28600.00
	<b>योग -</b>	<b>47100.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर रु.47100.00 के व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-स्ट्रीट लाइट/सोलर के मरम्मत के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत नहीं रहा कि जे.डी.कंस्ट्रक्शन एव वर्मा ट्रेडिंग कंपनी द्वारा मरम्मत की जाने वाली स्ट्रीट लाइट/सोलर कहाँ-कहाँ तथा किन-किन स्थानों पर मरम्मत की गयी । विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है ।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹.47100.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री नन्द लाल एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 491**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल ₹0 271000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय ₹. 271000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹.271000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार वर्मा, ग्राम प्रधान श्री नन्द लाल, रोजगार सेवक एव तकनिकी सहायक से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(201) ग्राम पंचायत- दशरथपुर, विकास खण्ड- टांडा जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 492**

ग्राम पंचायत दशरथपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल ₹0 314132.00.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय ₹. 314132.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री जीतेन्द्र सिंह , एवं ग्राम प्रधान श्री रामजीत यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(202) ग्राम पंचायत- दौलतपुर एकसारा, विकास खण्ड- टांडा, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर-493**

ग्राम पंचायत दौलतपुर एकसारा विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत दौलतपुर एकसारा की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि ₹0	अन्य
19.12.2019	हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	19920.00	
19.12.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	19750.00	
19.12.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	29605.00	
30.01.2020	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	5310.00	
	<b>योग -</b>	<b>74585.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-हैण्डपम्प मरम्मत एव रिबोर पर रु.74585.00 के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइ डी से अथवा बिना आइ डी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। एक ही तिथि में एक ही वेंडर /फर्म को दो बार अलग-अलग भुगतान के औचित्य का भी स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

4-प्रिया साफ्ट की केश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये हैं ।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.74585.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती नीलम एवं ग्राम सचिव श्री इंद्र कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 494.**

ग्राम पंचायत दौलतपुर एकसाराकी आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
19.12.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान	30000.00
	योग-	30000 .00

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरामत /स्ट्रीट लाइट मरम्त/ वाईट बोर्ड/ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.30000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती नीलम एवं ग्राम सचिव श्री इंद्र कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 495**

ग्राम पंचायत की दौलतपुर एकसारा की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु स्ट्रीट लाइट क्रय पर रु. 61500.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
19.12.2019	स्ट्रीट लाइट क्रय एव स्थापना हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	61500.00
	योग -	61500.00

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित स्ट्रीट लाइट क्रय पर रु.61500.00 के व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-स्ट्रीट लाइट के क्रय एव स्थापना के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत नहीं रहा कि अंश ट्रेडर्स द्वारा क्रय की जाने वाली स्ट्रीट लाइट कहाँ-कहाँ तथा किन-किन स्थानों पर अवस्थापित की गयी । विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है ।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹.61500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती नीलम एवं ग्राम सचिव श्री इंद्र कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 496.**

ग्राम पंचायत दौलतपुर एकसारा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-18.12.2019 एवं 18.01.2020 क्रमशः:रु.120000.00 एवं रु.80000.00 कुल रु.200000.00 प्रा. विद्यालय की रंगाई पुताई में व्यय किया गया है,किन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । एक ही तिथि में दो बार रामतीरथ कांटेक्टर को भुगतान के औचित्य का स्पष्टीकरण अपेक्षित है ।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹.200000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती नीलम एवं ग्राम सचिव श्री इंद्र कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 497.**

ग्राम पंचायत दौलतपुर एकसारा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-26.11.19 एवं 26.11.19 क्रमशः: रु० 400000.00 एवं रु० 40000.00 कुल रु० 80000.00 बेंच क्रय में व्यय किया गया है,किन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । एक ही तिथि में दो बार जे. डी. कॅन्सट्रक्शन से बेंच क्रय करके भुगतान के औचित्य का स्पष्टीकरण अपेक्षित है ।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु० 80000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती नीलम एवं ग्राम सचिव श्री इंद्र कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(203) ग्राम पंचायत- धौरहरा**

**विकास खण्ड- टांडा**

**जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 498**

ग्राम पंचायत धौरहरा विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
20.06.2019	समरसेबुल /प्लम्बरिंग विजय इंटरप्राइजेज	53300.00	
29.06.2019	01हैण्डपम्प रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	29700.00	
31.12.2019	01हैण्डपम्प रिबोर हेतु विकास ट्रेडिंग कम्पनी	29605.00	
07.01.2020	06हैण्डपम्प रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	29640.00	
24.02.2020	09अदद नल मरम्मत वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	29617.00	
28.11.2019	4हैण्डपम्प मरम्मत वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	13010.00	
18.12.2019	04हैण्डपम्प मरम्मत वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	19935.00	
	योग-	<b>204807.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-हैण्डपम्प मरम्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री, निर्माण कार्य आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्त कराकर शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के विपरीत कार्य किया गया है।

शासनादेश के विपरीत एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री भगवत एवं ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र कुमार पासवान से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 499**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
24.01.2020	ह्यूम पाइप क्रय हेतु लाल चन्द्र वर्मा	48000.00
	योग-	48000.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्त/स्ट्रीट लाइट मरम्त/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री भगवत एवं ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र कुमार पासवान से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 500**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु RCC बेन्च क्रय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
20.03.2020	RCC बेन्च	64000.00
	योग-	64000.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म का नाम कैश बुक में अंकित नहीं रहा | प्रमाणकों के अभाव में फार्म के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-व्यय प्रमाणको /पत्रावली के अभाव में इनकी स्थापना के सही होने कि पुष्टि नहीं कि जा सकी |

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री भगवत एवं ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र कुमार पासवान से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 501**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	सामग्री क्रय विवरण	धनराशि	मजदूरी पर व्यय
01	राम जगत नरायन के घर से राम नरायन के घर तक मिट्टी निर्माण खडन्जा /	17.07.19	ईट क्रय आरती ईट उद्योग	96390.00	शून्य
02	जगत नरायन के घर से राम दयाल के घर तक खडन्जा मरम्मत	06.08.19	ईट क्रय आरती ईट उद्योग	19304.00	शून्य
03	कालीजी के स्थान से पिच रोड तक खडन्जा मरम्मत	06.08.19	ईट क्रय आरती ईट उद्योग	36778.00	शून्य
04	भागीरथी के घर से मयाराम के घर होते हुए रामअजोर के खेत तक नाली निर्माण	31.12.19	ईटक्रयआरती ईट उद्योग आरमटेरियल बिल्डिंग.के.	27342.00 15856.00	शून्य
05	हाइवे से सुरजीत के खेत तक खडन्जा निर्माण	31.12.19	ईट क्रय आरती ईट उद्योग	72418.00	शून्य
06	जयराम के घर से धर्मराज के बड़दौर होते हुए जैनु के घर तक खडन्जा निर्माण	06.01.20 07.01.20	ईटक्रयआरती ईट उद्योग ईटक्रयआरती ईट उद्योग	83790.00 26932.00	शून्य
07	मीरा सोनकर के मड़ई से मनीराम दास बाबा के स्थान तक खडन्जा निर्माण	07.01.20	ईट क्रय आरती ईट उद्योग	86184.00	शून्य
08	राम सकल के खेत से रामचेत के खेत तक खडन्जा निर्माण	21.01.20	ईट क्रय आरती ईट उद्योग	96957.00	शून्य
<b>योग-</b>				<b>561951.00</b>	

- 1-उक्त विवरणरहे में दर्शित कार्यों पर व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियों में आरती ईट उद्योग का अहस्ताक्षरित बिल प्राप्त रहा | आडिट में प्रस्तुत अपूर्ण पत्रावली के आभाव में व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-ऑडिट के समय संज्ञान में आया कि उक्त ईट भट्ठा कई सालों से बंद पड़ा है तथा प्रधान का है।
- 3 -उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।
- 4-उपरोक्त विवरण के आधार पर क्रय एवं भुगतान अनियमित पाया गया |

अतः अनियमित अमान्य बिल एव अधूरी पत्रावली के आधार पर किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (ख) के अन्तर्गत वसूली योग्य है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री भगवत एवं ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र कुमार पासवान से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(204) ग्राम पंचायत- फरीदपुर कुतुब, विकास खण्ड- टांडा जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 502**

ग्राम पंचायत फरीदपुर कुतुब विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत फरीदपुर कुतुब की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
10.04.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु हिंदुस्तान कंसट्रक्शन को भुगतान	41300.00	FFC
02.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु हिंदुस्तान कंसट्रक्शन को भुगतान	29500.00	FFC
05.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	29650.00	4 <sup>TH</sup> एसएफसी
06.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी	29500.00	FFC
	<b>योग-</b>	<b>129950.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

1-हैण्डपम्प मरम्मत एव रिबोर पर रु.129950.00 के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइ डी से अथवा बिना आइ डी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

4-प्रिया साफ्ट की कैश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये है ।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 129950.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती शबनम एवं ग्राम सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 503**

ग्राम पंचायत की फरीदपुर कुतुब की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर रु. 61500.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
28.10.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्मत मजदूरी व सामग्री हेतु हिंदुस्तान कंसट्रक्शन	61500.00
	<b>योग -</b>	<b>61500.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित स्ट्रीट लाइट मरम्मत मजदूरी व सामग्री पर रु. 61500.00 के व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-स्ट्रीट लाइट मरम्मत मजदूरी के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत नहीं रहा कि हिंदुस्तान कंसट्रक्शन द्वारा मरम्मत की जाने वाली स्ट्रीट लाइट/ सोलर कहाँ-कहाँ तथा किन-किन स्थानों पर की गयी । विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 61500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती शबनम एवं ग्राम सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 504**

ग्राम पंचायत फरीदपुर कुतुब की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-25.11.2019 में रु.80000.00 बेन्च अवस्थापन में व्यय किया गया है,किन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 80000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती शबनम एवं ग्राम सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 505**

ग्राम पंचायत फरीदपुर कुतुब में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी एवं सामग्री पर रु.1241000.00 व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु1241000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में धनराशि रु. 1241000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती शबनम एवं ग्राम सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **(205) ग्राम पंचायत- फरीदपुर कला, विकास खण्ड- टांडा जनपद- अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर-506**

ग्राम पंचायत फरीदपुर कला विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत फरीदपुर कला की वर्ष 2019-20 की कैश बुक/आनलाईन आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
03.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु जे कंसट्रक्शन.डी.	18475.00	FFC
23.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी	28285.00	FFC
29.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु जे कंसट्रक्शन.डी.	20250.00	FFC
29.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु जे कंसट्रक्शन.डी.	18500.00	FFC
13.08.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी	4600.00	FFC
31.10.2019	हैण्डपम्प स्थानों पर 7मरम्मत हेतु	24450.00	FFC
19.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29840.00	FFC
27.01.2020	हैण्डपम्प मरम्मत विभिन्न स्थानों हेतु	18500.00	FFC
	<b>योग-</b>	162900.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

1-हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर पर रु. 162900.00 के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2 -प्रिया साफ्ट की कैश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये हैं ।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 162900.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री लक्ष्मी प्रसाद एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है ।

#### **प्रस्तर-507**

ग्राम पंचायत फरीदपुर कला की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-30.11.2019 को रु.40000.00 बैंच स्थापना में व्यय किया गया है, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। एक ही तिथि में दो बार बैंच क्रय करके भुगतान के औचित्य का स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

अन्यथा कि स्थिति में रु. 40000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री लक्ष्मी प्रसाद एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 508**

ग्राम पंचायत फरीदपुर कला की वर्ष 2019-20 की आडिट आनलाईन कैशबुक/कैश बुक में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्युम पाईप अवस्थापना पर रु. 49080.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
02.07.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान	49080.00
	योग-	49080.00

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित ह्युम पाईप क्रय पर रु. 49080.00 के व्ययों से सम्बन्धित बाउचर /व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त बाउचर /व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 49080.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री लक्ष्मी प्रसाद एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 509**

ग्राम पंचायत की फरीदपुर कला की वर्ष 2019-20की आडिट में कैश बुक/आनलाईन कैश बुक में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु स्ट्रीट लाइट क्रय एव मरम्मत पर रु. 47650.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
03.06.2019	स्ट्रीट लाइट सामग्री क्रय मरम्मत हेतु जे कंसट्रक्शन.डी.	14500.00	FFC
13.08.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्मत वर्मा ट्रेडिंग कंपनी	33150.00	FFC
	योग -	47650.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर रु. 47650.00 के व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-स्ट्रीट लाइट के मरम्मत के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत नहीं रहा कि स्ट्रीट लाइट कहाँ-कहाँ तथा किन-किन स्थानों पर मरम्मत की गयीसाथ ही या भी ज्ञात नहीं हो सका की उक्त वेंडर/फर्म मरम्मत करती है या नहीं। विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 47650.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री लक्ष्मी प्रसाद एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 510**

ग्राम पंचायत फरीदपुर कला की वर्ष-2019-20 की ऑडिट में कैश बुक/आनलाईन कैश बुक में पाया गया कि कमला पंडित के घर से रामकुमार के घर तक सी.सी.रोड निर्माण हेतु निम्न विवरणानुसार सामग्री एवं मजदूरी पर रु. 164617.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	फर्म /बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	कमला पंडित के घर से रामकुमार के घर तक सीरोड.सी.	डीब्रिक फील्ड .के .	08.08.2019	34578.00	-----
		वर्मा टेंट हाउस		45760.00	-----
		वर्मा टेंट हाउस		67045.00	-----
				-----	17234.00
		कुल योग	147383.00	17234.00	
				164617.00	

1-उक्त विवरण में दर्शित कुल व्ययों रु.164617.00 से सम्बन्धित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्मा टेन्ट हाउस से रु.45760.00 एव रु.67045.00 की सी.सी.रोड निर्माण हेतु सामग्री (सीमेंट,गिट्टी एव बालू) क्रय गयी है, व्यय बाउचर प्रस्तुत न किये जाने के कारण वर्मा टेन्ट हाउस का जी एस टी /Cजी एस टी रजिस्ट्रेशन नंबर ज्ञात न हो सका | जी एस टी नंबर ज्ञात न होने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि वर्मा टेन्ट हाउस सीमेंट,बालू एव गिट्टी आदि सामानों की बिक्री करते हैके नहीं | किन्तु बार-बार मौखिक एव लिखित मांग किये जाने के बावजूद उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय बाउचर,मस्टर रोल एम. बी. स्टिमेंट आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु० 164617.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री लक्ष्मी प्रसाद एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है ।

**प्रस्तर- 511**

ग्राम पंचायत फरीदपुर कला की आडिट में कैशबुक/ आनलाईन कैशबुक में पाया गया कि सी.सी.रोड निर्माण हेतु निम्न विवरणानुसार सामग्री एवं मजदूरी पर रु० 286453.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	फर्म /बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	राज कुमार घर से पूरन के घर तक सी रोड.सी. निर्माण		08.08.2019	94912.00	14546.00 31902.00
02	पूरन के घर से लक्ष्मी प्रसाद के घर तक सी रोड निर्माण.सी.		16.02.2020	101247.00	-----
			20.03.2020	13007.00	-----
			20.03.2020	7501.00	23338.00
			<b>योग</b>	<b>216667.00</b>	<b>69786.00</b>
			<b>कुल योग</b>	<b>286453.00</b>	

1-उक्त विवरण में दर्शित रु.216667.00 सामग्री एव रु. 69786.00 मजदूरी कुल रु. 286453.00 सी.सी.रोड निर्माण हेतु व्यय दर्शित है किन्तु बार-बार मौखिक एव लिखित मांग किये जाने के बावजूद उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय बाउचर,मस्टर रोल एम. बी. स्टिमेंट आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 286453.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री लक्ष्मी प्रसाद एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है ।

**प्रस्तर- 512**

ग्राम पंचायत फरीदपुर कला में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी पर कुल व्यय रु. 473000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 473000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इस धनराशि रु. 473000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार वर्मा, ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मी प्रसाद,रोजगार सेवक एव तकनीकी सहायक से बराबर-बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 513**

ग्राम पंचायत फरीदपुर कला में वर्ष 2019.20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक-11.02.2020 को बैंक स्टेटमेंट में सियाराम को रु. 12000.00 कैश (नकद )भुगतान चेक संख्या 46477से किया गया है, जबकि डोंगलसिस्टम के अंतर्गत चेक के माध्यम से नकद भुगतान पूर्णतया प्रतिबंधित है | यह भुगतान किसलिए किया गया है |उक्त व्यय का कैश बुक में अंकन नहीं है और न ही पुष्टि में बाउचर उपलब्ध कराये गये |

अतः उक्त बाउचर एव विवरणहीन अनियमित नकद भुगतान ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 12000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री लक्ष्मी प्रसाद एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है ।

**(206) ग्राम पंचायत- घूरनपुर  
प्रस्तर-514**

**विकास खण्ड- टांडा**

**जनपद- अम्बेडकरनगर**

ग्राम पंचायत घूरनपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत घूरनपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
07.05.2019	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी एव सामग्री हेतु सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी	22150.00	
11.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी एव सामग्री हेतु सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी	18900.00	
19.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी एव सामग्री हेतु सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी	4900.00	
05.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु मंशाराम कंसट्रक्शन	29550.00	
12.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु मंशाराम कंसट्रक्शन	4550.00	
28.10.2019	हैण्डपम्प मरम्मत 06 नग हेतु अंश ट्रेडर्स	19780.00	
28.10.2019	हैण्डपम्प मरम्मत 05 नग हेतु अंश ट्रेडर्स	17180.00	
18.11.2019	हैण्डपम्प मरम्मत लक्ष्मी इंटर प्राइजेज	19650.00	
18.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर लक्ष्मी इंटर प्राइजेज	29425.00	
28.01.2020	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी एव सामग्री हेतु सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी	18840.00	
28.01.2020	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी एव सामग्री हेतु सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी	19840.00	
05.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी एव सामग्री हेतु सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी	19840.00	
	<b>योग-</b>	<b>224605.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

1-हैण्डपम्प मरम्मत एव रिबोर पर रु. 224605.00 के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइ डी से अथवा बिना आइ डी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। एक ही तिथि में एक ही वेंडर /फर्म को दो बार अलग-अलग भुगतान के औचित्य का भी स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

4-प्रिया साफ्ट की कैश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये हैं ।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 224605.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती निर्मला एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 515

ग्राम पंचायत की घूरनपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु बेन्च अवस्थापना पर रु. 182000.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
20.02.2020	बेन्च क्रय हेतु सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान	64000.00
26.02.2020	बेन्च क्रय हेतु ए.के. इंटर प्राइजेज को भुगतान	78000.00
31.03.2020	बेन्च क्रय हेतु ए.के. इंटर प्राइजेज को भुगतान	40000.00
	योग -	182000.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित बेन्च क्रय पर रु. 182000.00के व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.182000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती निर्मला एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 516

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 229000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 229000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 229000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती निर्मला एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव,रोजगार सेवक एव तकनिकी सहायक से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(207) ग्राम पंचायत- इस्माइलपुर बल्दहा,

विकास खण्ड- टांडा

जनपद- अम्बेडकरनगर

प्रस्तर- 517

ग्राम पंचायत इस्माइलपुर बेल्दहा विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत इस्माइलपुर बेल्दहा की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
04.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर हेतु आर.के ट्रेडर्स	29560.00	
04.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु आर.के ट्रेडर्स	20650.00	
07.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत व सामग्री हेतु आर.के ट्रेडर्स	30500.00	
04.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत व सामग्री हेतु आर.के ट्रेडर्स	29750.00	
17.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	29250.00	
26.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत व सामग्री हेतु आर.के ट्रेडर्स	16250.00	
13.08.2019	हैण्डपम्प मरम्मत व सामग्री हेतु आर.के ट्रेडर्स	29450.00	
11.10.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	29735.00	
11.10.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	18705.00	
11.10.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	19860.00	
05.12.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु आर.के ट्रेडर्स	29450.00	
19.12.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु आर.के ट्रेडर्स	29450.00	
02.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु आर.के ट्रेडर्स	58900.00	
18.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु आर.के ट्रेडर्स	29560.00	
10.02.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु आर.के ट्रेडर्स	29550.00	
27.02.2020	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी हेतु आर.के ट्रेडर्स	6370.00	
07.03.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु आर.के ट्रेडर्स	29450.00	
13.03.20	हैण्डपम्प मरम्मत व मजदूरी सामग्री हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	19581.00	
	<b>योग-</b>	<b>450021.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-हैण्डपम्प मरम्मत एव रिबोर पर रु.450021.00 के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइ डी से अथवा बिना आइ डी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। एक ही तिथि में एक ही वेंडर /फर्म को दो बार अलग-अलग भुगतान के औचित्य का भी स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

4-प्रिया साफ्ट की कैश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये हैं ।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.450021.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री लक्ष्मी नारायण एवं ग्राम सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 518

ग्राम पंचायत इस्माइलपुर बेल्दहा की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ट्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
--------	-------	------------

19.12.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु आर.के.ट्रेडर्स को भुगतान (सार्वजनिक स्थानों पर )	58146.00
18.01.2020	ह्यूम पाइप क्रय हेतु आर.के.ट्रेडर्स को भुगतान (सार्वजनिक स्थानों पर )	58608.00
	योग-	116754.00

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरामत /स्ट्रीट लाइट मरम्मत/ वाईट बोर्ड/ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹116754.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री लक्ष्मी नारायण एवं ग्राम सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 519**

ग्राम पंचायत की इस्माइलपुर बेल्दहा की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु स्ट्रीट लाइट क्रय पर ₹ 82000.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि ₹0
28.10.2019	स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्मत मजदूरी व सामग्री हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	49400.00
28.10.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्मत मजदूरी हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	32600.00
	योग -	82000.00

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित स्ट्रीट लाइट/सोलर मरम्मत मजदूरी व सामग्री पर ₹.82000.00 के व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-स्ट्रीट लाइट / सोलर मरम्मत मजदूरी के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत नहीं रहा कि वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा मरम्मत की जाने वाली स्ट्रीट लाइट / सोलर कहाँ-कहाँ तथा किन-किन स्थानों पर की गयी। विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹.82000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री लक्ष्मी नारायण एवं ग्राम सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 520**

ग्राम पंचायत इस्माइलपुर बेल्दहा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-13.12.2019 एवं 19.12.2019 क्रमशः ₹.32000.00 एवं ₹.80000.00 कुल ₹.112000.00 बेन्च अवस्थापन में व्यय किया गया है, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹112.000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री लक्ष्मी नारायण एवं ग्राम सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-521**

ग्राम पंचायत इस्माइलपुर बेल्दहा में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी पर रु.211000.00 व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/ पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101)43/(09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु.211000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा / पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में धनराशि रु० 211000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री लक्ष्मी नरायन एवं ग्राम सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(208) ग्राम पंचायत- जगन्नाथपुर, विकास खण्ड- टांडा जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर-522**

ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
29.07.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु मंशाराम कंसट्रक्शन	22500.00	
29.07.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु अंश ट्रेडर्स	24500.00	
25.11.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु अंश ट्रेडर्स	19650.00	
02.03.2020	हैण्डपम्प मरम्त हेतु अंश ट्रेडर्स	19500.00	
07.03.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु पी.कुमार ट्रेडर्स	29450.00	
	योग-	<b>115600.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-व्यय धनराशि के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत करारक नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 115600.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री शकुन्तला देवी एवं ग्राम सचिव श्री कृष्ण कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 523**

ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ह्यूम पाईप / सामग्री एवं मजदूरी पर रु. 451041.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	फर्म का नाम	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	मनीष के घर से मोहम्मद के घर तक नाली निर्माण	अंश ट्रेडर्स	19.06.2019	4800.00	8007.00
02	ग्राम पंचायत जल निकासी हेतु	अंश ट्रेडर्स	19.07.2019	24150.00	-----
03	पक्की सड़क से रामपुरी के घर तक खडन्जा मरम्मत	अंश ट्रेडर्स	29.07.2019	11338.00	-----

04	ओंकार के घर से अमीन के घर तक नाली निर्माण	अंश ट्रेडर्स	04.03.2020	115248.00	37034.00
05	शोभाराम के घर से नाला तक नाली निर्माण	अंश ट्रेडर्स	05.03.2020	132600.00	5460.00
06	राजू राजभर के घर से शोभाराम के घर तक नाली निर्माण	अंश ट्रेडर्स	30.03.2020	102900.00	9504.00
			योग-	391036.00	60005.00
			कुल योग	451041.00	

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 451041.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री शकुन्तला देवी एवं ग्राम सचिव श्री कृष्ण कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 524**

ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु बेन्च अवस्थापना पर रु. 80000.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
24.12.2019	बेन्च क्रय हेतु अंश ट्रेडर्स को भुगतान	80000.00
	योग -	80000.00

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित बेन्च क्रय पर रु. 80000.00 के व्ययों से सम्बन्धित बाउचर /व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त बाउचर /व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 80000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री शकुन्तला देवी एवं ग्राम सचिव श्री कृष्ण कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 525**

ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर की मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की आडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 2449000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०आडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 2449000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 2449000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री शकुन्तला देवी एवं ग्राम सचिव श्री कृष्ण कुमार वर्मा ,रोजगार सेवक एव तकनिकी सहायक से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(209) ग्राम पंचायत- जनार्दनपुर,

विकास खण्ड- टांडा

जनपद- अम्बेडकरनगर

प्रस्तर- 526

ग्राम पंचायत जनार्दनपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत जनार्दनपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
04.06.2019	हैण्डपम्प /रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	29350.00	
05.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी	21500.00	
21.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु पी. कुमार ट्रेडर्स	26000.00	
22.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु पी. कुमार ट्रेडर्स	29500.00	
29.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु पी. कुमार ट्रेडर्स	29500.00	
21.11.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु	19450.00	
21.11.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु	29550.00	
21.11.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु	29550.00	
21.11.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु	9750.00	
23.11.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु	29650.00	
23.11.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु	21570.00	
23.11.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु	29650.00	
01.01.2020	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु	20070.00	
15.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु	29650.00	
20.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत / रिबोर हेतु	13980.00	
20.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर हेतु	11380.00	
	<b>योग -</b>	<b>380100.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 1-हैण्डपम्प मरम्मत एव रिबोर पर रु० 380100.00 के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइ डी से अथवा बिना आइ डी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।
- 4-प्रिया साफ्ट की कैश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये हैं ।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 380100.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मिठाई लाल एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 527**

ग्राम पंचायत जनार्दनपुर की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
01.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु पी. कुमार को भुगतान	45600.00
05.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु सौरभ ट्रेडर्स को भुगतान	48750.00
	<b>योग-</b>	<b>94350.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरामत /स्ट्रीट लाइट मरम्मत/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹. 94350.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मिठाई लाल एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 528**

ग्राम पंचायत की जनार्दनपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर ₹. 17000.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
12.07.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु मेसर्स जे.डी.कॉन्सट्रक्शन	17000.00
	योग-	17000,00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर ₹.17000.00 के व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-स्ट्रीट लाइट के मरम्मत के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत नहीं रहा कि जे. डी. कॉन्सट्रक्शन द्वारा मरम्मत की जाने वाली स्ट्रीट लाइट कब क्रय की गयी थी तथा कब और कहाँ-कहाँ अवस्थापित की गयी तथा किन-किन स्थानों पर मरम्मत की गयी । विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है ।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹.17000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मिठाई लाल एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 529**

ग्राम पंचायत जनार्दनपुर की लेखा परीक्षा में प्रिय सॉफ्ट की कैश बुक की जांच में पाया गया कि मोहब लाल यादव के घर से कमला यादव के घर तक पडन्जासे खडन्जामरम्मत पर ₹.118772.00 ईट एव ₹. 66248.00 मजदूरी कुल ₹. 185020.00 व्यय किया गया दर्शित है । उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है । अन्यथा कि स्थिति में ₹. 185020.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मिठाई लाल एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 530**

ग्राम पंचायत जनार्दनपुर में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार रु0 254800.00 मजदूरी एव रु.59320.0ईट क्रय पर कुल व्यय रु. 314120.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र०

के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षेत्र/ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु.314120.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में धनराशि रु. 314120.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मिठाई लाल एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(210) ग्राम पंचायत- करमपुर बरसांवा, विकास खण्ड- टांडा जनपद- अम्बेडकरनगर

**प्रस्तर- 531**

ग्राम पंचायत करमपुर बरसांवा विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत करमपुर बरसांवा की वर्ष 2019-20 की आनलाईन आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
02.08.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी	59250.00	
	<b>योग-</b>	59250.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-हैण्डपम्प रिबोर पर रु. 59250.00 के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। किन्तु बार-बार मौखिक एवं लिखित मांग किये जाने के बावजूद उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय बाउचर,मस्टर रोल एम. बी. स्टीमेट डिमाण्ड आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

2-उक्त व्यय में बैंक स्टेटमेंट में अलग-अलग दो बार 2.8.19 एवं 2.8.19 को क्रमशः रु.29600.00 एवं रु. 29650.00 वर्मा ट्रेडिंग को भुगतान किया गया है जबकि केश बुक में एक बार में ही रु. 59250.00 का भुगतान दर्शित है ।

3 -प्रिया साफ्ट की केश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये है ।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम प्रधान एवं सचिव से यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि उक्त नियम विरुद्ध/ बाउचर विहीन व्यय की धनराशि को उनसे भुगतान करने कि अपेक्षा न की जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में रु. 59250.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती ललिता एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी,श्री मती नीलम वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 532**

ग्राम पंचायत करमपुर बरसांवा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में केश बुक/आनलाईन केश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक- 12.12.2019 को इंडिया मार्का हैन्ड पम्प की चौकी निर्माण पर कुल व्यय रु. 43800.00 दर्शित है, किन्तु बार-बार मौखिक एवं लिखित मांग किये जाने के बावजूद उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय बाउचर,मस्टर रोल एम. बी. स्टीमेट आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 43800.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती ललिता एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी,श्री मती नीलम वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 533**

दिनांक 11.07.2019 को प्रधान मानदेय रु0 63000.00 का भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि में पूर्व में दिये गये मानदेय से सम्बन्धित रजिस्टर आडिट में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः यह जानकारी नहीं हो पायी कि पूर्व में कब तक का भुगतान हो चुका था। भुगतान एक साथ कई महीनों का किया जाना नियम विरुद्ध है। छह माह के पश्चात यदि भुगतान किया जाय तो उसकी स्वीकृति विलम्ब के

कारण सहित सहायक विकास अधिकारी पंचायत से लिया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त मानदेय भुगतान से सम्बन्धित कोई मानदेय रजिस्टर /बाउचर /व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः उक्त व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹. 63000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती ललिता एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी, श्री मती नीलम वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 534**

ग्राम पंचायत करमपुर बरसांवा में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी पर कुल व्यय रु. 1203000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 1203000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इस धनराशि रु. 1203000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती ललिता एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी, श्री मती नीलम वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(211) ग्राम पंचायत- कटरिया,

विकास खण्ड- टांडा

जनपद- अम्बेडकरनगर

**प्रस्तर- 535**

ग्राम पंचायत कटरिया विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 1291000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 1291000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु० 1291000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी, ग्राम प्रधान श्री मती कन्या कुमारी, रोजगार सेवक एव तकनिकी सहायक से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(212) ग्राम पंचायत- केशवपुर,

विकास खण्ड- टांडा

जनपद- अम्बेडकरनगर

**प्रस्तर- 536**

ग्राम पंचायत केशवपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत केशवपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु हयूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
16.01.2020	हयूम पाइप क्रय हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स	22900.00
29.01.2020	हयूम पाइप क्रय हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स	19500.00
26.03.2020	हयूम पाइप क्रय हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स	11100.00

22.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स	10750.00
	<b>योग-</b>	<b>64250.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त वेंडर/फर्म को अवैध बताया गया, प्रमाणक के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹. 64250.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रामजीत एवं ग्राम सचिव श्री कृष्ण कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(213) ग्राम पंचायत- खूखूतारा,**

**विकास खण्ड- टांडा**

**जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 537**

ग्राम पंचायत खूखूतारा विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत खूखूतारा की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि	अन्य
15.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी एव सामग्री हेतु मंशाराम कंसट्रक्शन	26050.00	
22.10.2019	हैण्डपम्प रिबोर एव सामग्री हेतु अंश ट्रेडर्स	29815.00	
19.10.2019			
22.10.2019	हैण्डपम्प रिबोर एव सामग्री हेतु अंश ट्रेडर्स	29615.00	
19.06.2019			
10.02.2020	हैण्डपम्प मरम्मत एव सामग्री हेतु सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी	19450.00	
09.02.2020			
10.02.2020	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु अंश ट्रेडर्स	19840.00	
09.02.2020			
10.02.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी	10630.00	
09.02.2020			
05.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी	19840.00	
10.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत ए.के. इंटर प्राइजेज	1753.00	
	<b>योग -</b>	<b>156993.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-हैण्डपम्प मरम्मत एव रिबोर पर ₹. 156993.00 के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइ डी से अथवा बिना आइ डी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। एक ही तिथि में एक ही वेंडर /फर्म को दो बार अलग-अलग भुगतान के औचित्य का भी स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

4-प्रिया साफ्ट की कैश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये हैं।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 156993.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री आनन्द सिंह एवं ग्राम सचिव रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 538**

ग्राम पंचायत की खूख्तारा की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु बेन्च अवस्थापना पर रु. 182000.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
16.03.2020	बेन्च क्रय हेतु आर..के. ट्रेडर्स को भुगतान	83200.00
	योग -	83200.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित बेन्च क्रय पर रु. 83200.00 के व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 83200.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री आनन्द सिंह एवं ग्राम सचिव रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 539**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 813000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 813000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 813000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री आनन्द सिंह एवं ग्राम सचिव रविन्द्र देव यादव, रोजगार सेवक एवं तकनीकी सहायक से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(214) ग्राम पंचायत- लालापुर,

विकास खण्ड- टांडा

जनपद- अम्बेडकरनगर

**प्रस्तर- 540**

ग्राम पंचायत लालापुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत लालापुर की वर्ष-2019-20 आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	बुद्धू के घर से अशोक के घर तक	06.06.2019	63800.00 इंटरलाकिंग ईट क्रय	17500.00
		05.07.2019	13200.00 इंटरलाकिंग ईट क्रय	
		06.07.2019	23346.00 सामग्री (बालू,सीमेंट)	

			100346.00	
02	अशोक के घर से चौकीदार के घर तक	05.07.2019 06.07.2019 06.07.2019	101600.00 इंटरलाकिंग ईट क्रय 27500.00 इंटरलाकिंग ईट क्रय 34947.00 सामग्री (बालू,सीमेंट)	22900.00
	योग-		164047.00	
	कुल योग-		264393.00	40400.00
			304793.00	

1-उक्त विवरण में दर्शित रु.264393.00 सामग्री एवं रु. 40400.00 मजदूरी कुल रु. 304793.00 के व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त कार्य पर प्रयुक्त मास्टर रोल ,स्टीमेट एवं एम्.बी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया,जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्टीमेट एवं एम्.बी भी प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 304793.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम जतन एवं ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र कुमार पासवान से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 541**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 42224.00 मजदूरी व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 42224.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 42224.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम जतन एवं ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र कुमार पासवान से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(215) ग्राम पंचायत- मदारपुर, विकास खण्ड- टांडा जनपद- अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर- 542**

ग्राम पंचायत मदारपुर विकास खण्ड- टांडा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत मदारपुर की वर्ष 2019-20 की मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 709000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 709000.00.की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 709000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी , ग्राम प्रधान श्री मती सबाना परवीन, रोजगार सेवक एवं तकनिकी सहायक से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(216) ग्राम पंचायत- महवारी, विकास खण्ड- टांडा जनपद- अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर- 543**

ग्राम पंचायत महुवारी विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत महुवारी की मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की आडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल ₹0 579000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०आडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 579000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 579000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी, ग्राम प्रधान श्री मायाराम, रोजगार सेवक एव तकनिकी सहायक से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(217) ग्राम पंचायत- मीठेपुर, विकास खण्ड- टांडा जनपद- अम्बेडकरनगर

**प्रस्तर- 544**

ग्राम पंचायत मीठेपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत मीठेपुर की आडिट में पाया गया कि निम्न ईट भट्ठों/फर्मों से विभिन्न तिथियों में निम्न प्रकार ईट क्रय दर्शित है, जिसका विवरण है:-

कैशबुक भुगतान दिनांक	में का	आपूर्ति कर्ता फर्म/ईट भट्ठे का नाम	मात्रा/दर/मूल्य	वस्तु/सेवा की कीमत(पी०डब्ल्यू०डी०) के अनुसार मात्रा/दर/मूल्य	अंतर की धनराशि	अन्य
18.10.2019		आयूष ब्रिक फिल्ड	1270/6510/8268	1270/6200/7874.00	394.00	
19.10.2019		अंश ट्रेडर्स	1536/26/39936.00	1536/22/33792	6144.00	
			48204.00	41666.00	6538.00	

आडिट में पाया गया कि पी०डब्ल्यू०डी० दर सूची (एस.ओ.आर.) के अनुसार ईट की प्रथम श्रेणी की दर दिनांक 01.07.2019 से क्रमशः रु. 6200 निर्धारित है, परंतु ग्राम पंचायत में उक्त प्रकार से अधिक दर पर भुगतान किया गया है। इस प्रकार रु. 6538.00 से ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गई है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के माध्यम से स्पष्टीकरण आवश्यक है। असंतोषजनक स्पष्टीकरण की दशा में उक्त धनराशि रु० 6538.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मती उषा एवं सचिव श्री रामजीत यादव से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 545**

ग्राम पंचायत मीठेपुर की आडिट में पाया गया कि कैशबुक दिनांक 23-07-2019 में रु० 78316.00 का भुगतान पाथमिक पाठशाला में रंगाई पुताई का कार्य दर्शित कर किया गया है। भुगतान से सम्बन्धित वाउचर/मस्टररोल/व्यय पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त कार्य वाउचर/मस्टररोल/व्यय पत्रावली विहीन कुल व्यय रु० 78316.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मती उषा एवं सचिव श्री रामजीत यादव से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 546**

ग्राम पंचायत मीठेपुर की आडिट में पाया गया कि दिनांक 12.02.2020 में इण्टरलाकिंग लगाने के कार्य पर भुगतान रु० 220855.00 का वाउचर आडिट में उपलब्ध नहीं कराया जा सका। कैशबुक में फर्म का नाम भी अंकित नहीं किया गया था कि किसको भुगतान किया गया है। वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न

किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मती उषा एवं सचिव श्री रामजीत यादव से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 547**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 646000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 646000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री रामजीत यादव , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री मती उषा से किया जाना अपेक्षित है।

**(218) ग्राम पंचायत- मुजाहिदपुर**

**विकास खण्ड- टांडा**

**जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 548**

ग्राम पंचायत मुजाहिदपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत मुजाहिदपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
28.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	8750.00	
03.08.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/ हेतु	4958.00	
05.10.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु माँ लक्ष्मी इंटर प्राइजेज	19845.00	
05.10.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु माँ लक्ष्मी इंटर प्राइजेज	19530.00	
25.10.2019	हैण्डपम्प /रिबोर हेतु माँ लक्ष्मी इंटर प्राइजेज	29500.00	
25.10.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु माँ लक्ष्मी इंटर प्राइजेज	29700.00	
08.01.2020	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु आर। के। ट्रेडर्स	19775.00	
21.02.2020	हैण्डपम्प मरम्मत/ हेतु सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी	9075.00	
21.02.2020	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु	14340.00	
	<b>योग -</b>	<b>155433.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 1-हैण्डपम्प मरम्मत एव रिबोर पर रु.155433.00 के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइ डी से अथवा बिना आइ डी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।
- 4-प्रिया साफ्ट की कैश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये है ।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.155433.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री लालमन एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 549**

ग्राम पंचायत मुजाहिदपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में केश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-05.03.20 को प्रा. विद्यालय की रंगाई पुताई में रु. 59290.00 व्यय किया गया है, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 59290.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री लालमन एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 550**

ग्राम पंचायत मुजाहिदपुर में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल व्यय रु. 419668.00.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 419668.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में धनराशि रु. 419668.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री लालमन एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(219) ग्राम पंचायत- मोहिउद्दीनपुर, विकास खण्ड- टांडा जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 551**

ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनपुर की वर्ष 2019-20 की आनलाईन आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
15.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु/	59000.00	एफ एफ सी
22.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु/	29500.00	एफ एफ सी
22.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु/	59000.00	एफ एफ सी
06.12.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु/	29500.00	एफ एफ सी
06.12.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	11150.00	एफ एफ सी
06.12.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	19500.00	एफ एफ सी
06.12.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु/	29500.00	एफ एफ सी
07.12.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु/	29650.00	एफ एफ सी
07.12.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु/	29650.00	एफ एफ सी
17.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु/	29650.00	एफ एफ सी
12.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत	19840.00	4 वा एसएफसी
26.03.20	हैण्डपम्प मरम्मत	22100.00	4 वा एसएफसी
	<b>योग-</b>	<b>368040.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-हैण्डपम्प मरम्मत एव रिबोर पर रु. 368040.00 के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2 -प्रिया साफ्ट की कैश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये हैं ।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में **₹. 368040.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री चन्द्र शेखर एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 552**

ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट आनलाईन कैशबुक में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्युम पाईप अवस्थापना पर **₹. 296500.00** व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि <b>₹0</b>
02.07.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान	65000.00
15.07.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान	47500.00
15.07.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान	76000.00
15.07.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान	43000.00
07.12.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान	65000.00
	योग-	296500.00

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित ह्युम पाईप क्रय पर **₹. 296500.00** के व्ययों से सम्बन्धित बाउचर /व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त बाउचर /व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में **₹. 296500.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री चन्द्र शेखर एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 553**

ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-07.12.19 को क्रमशः **₹.64000.00** एवं **₹.96000.00** कुल **₹.160000.00** बैंच क्रय में व्यय किया गया है, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । एक ही तिथि में दो बार बैंच क्रय करके भुगतान के औचित्य का स्पष्टीकरण अपेक्षित है ।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में **₹. 160000.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री चन्द्र शेखर एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 554**

ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-05.07.19 को **₹.21500.00** समरसेबुल अवस्थापना में व्यय किया गया है, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के

अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹. 21500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री चन्द्र शेखर एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 555**

ग्राम पंचायत की मोहिउद्दीनपुर की वर्ष 2019-20की आडिट आनलाईन कैशबुक में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु स्ट्रीट लाइट क्रय एव मरम्मत पर रु. 129750.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
07.12.2019	स्ट्रीट लाइट क्रय एव स्थापना हेतु	92250.00
07.12.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्मत	37500.00
	योग -	129750.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर रु. 129750.00 के व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-स्ट्रीट लाइट के क्रय एव स्थापना के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत नहीं रहा कि स्ट्रीट लाइट कहाँ-कहाँ तथा किन-किन स्थानों पर अवस्थापित तथा मरम्मत की गयी। विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹. 129750.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री चन्द्र शेखर एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 556**

ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक आनलाईन की जांच में पाया गया कि दिनांक-22.07.19 को रु.16500.00 हैन्डपम्प चौकी निर्माण में व्यय किया गया है, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹. 16500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री चन्द्र शेखर एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 557**

ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनपुर की आडिट आनलाईन कैशबुक में पाया गया कि कूप मरम्मत हेतु निम्न विवरणानुसार सामग्री एवं मजदूरी पर रु. 49475.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	केलाश के घरके पास कूप मरम्मत हेतु ईट क्रय	23.07.2019	22700.00	-----
02	मजदूरी	23.07.2019		13975.00
03	मटेरियल केलाश के घर के पास	03.08.2019	12800.00	-----
		योग-	35500.00	13975.00
		कुल योग-	49475.00	

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत

निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में **₹. 49475.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री चन्द्र शेखर एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 558**

ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक अनलाईन की जांच में पाया गया कि दिनांक-06.06.19 को ₹.45600.00 डस्ट बिन में व्यय किया गया है, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । एक ही तिथि में दो बार बेंच क्रय करके भुगतान के औचित्य का स्पष्टीकरण अपेक्षित है ।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में **₹. 45600.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री चन्द्र शेखर एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 559**

ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनपुरकी आडिट में पाया गया कि आनलाईन कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में प्रा.वि.पर वाईट बोर्ड क्रय पर ₹. 24000.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि ₹0
28.03.2020	वाईट बोर्ड क्रय हेतु	9000.00
28.03.2020	वाईट बोर्ड क्रय हेतु	15000.00
	योग-	<b>24000.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में **₹. 24000.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री चन्द्र शेखर एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 560**

ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक- 02.07.19 को ₹.24500.00 प्रधान मानदेय में व्यय किया गया है, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर, मानदेय रजिस्टर /रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में **₹. 24500.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री चन्द्र शेखर एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 561**

ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-17.01.2020 को क्रमशः ₹.5534.00 एवं ₹.5534.00 प्रशासनिक व्यय एव दिनांक-11.12.9019 ₹.11500.00 स्टेशनरी पर, कुल ₹.22568.00 प्रशासनिक एव स्टेशनरी में व्यय किया गया है, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । एक ही तिथि में दो बार प्रशासनिक व्यय पर भुगतान के औचित्य का स्पष्टीकरण अपेक्षित है ।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 22568.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री चन्द्र शेखर एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 562**

ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनपुर में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी पर कुल व्यय रु. 809000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 809000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इस धनराशि रु. 809000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री चन्द्र शेखर एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय,रोजगार सेवक एव तकनीकी सहायक से बराबर-बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(220) ग्राम पंचायत- मुकुन्दपुर, विकास खण्ड- टांडा जनपद- अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर- 563**

ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर कि वर्ष 2019-20 कि लेखा परीक्षा में दुर्जन के घर से सुखदेव के घर तक नाली मरम्मत व पटिया निर्माण कार्य पर रुपये 68759.00 की सामग्री व रु.16212.00 की मजदूरी व्यय की गयी दर्शित है | जाँच में कार्य पत्रावली में निम्न कमियाँ पायी गयी है :-

- 1- कैश बुक में दिनांक 02.08.19 को रु.18639.00 ईट क्रय हेतु भुगतान दर्शित है,किन्तु पत्रावली में संलग्न महमूद अयाज एण्ड सन्स ईट भट्ठा का टैक्स इनवाइस नंबर 202 लगा है | जो विवरणहीन और सादा संलग्न है |
- 2-उक्त कार्य पर सामग्री क्रय हेतु रु.50120.00का भुगतान जे.के. ट्रेडर्स को दिनांक-30.07.19 में दर्शित है | पत्रावली में बिल/टैक्स इनवाइस अप्राप्त रहा |
- 3-उक्त कार्य पर दिनांक 30.07.19 में भुगतानित मजदूरी रु.16212.00 की पुष्टि में पत्रावली में मास्टर रोल अप्राप्त रहा |
- 4- एम्.बी. की जाँच में पाया गया कि उक्त व्यय के सापेक्ष रु. 68759.00 की सामग्री एवं रु.16343.00 की मजदूरी की एम्.बी. की गयी है, परन्तु जे.ई.द्वारा भुगतान बिलों/मस्टर रोलों का न संज्ञान लिया गया है और न ही अभिलेखों / प्रमाणको पर अंकन ही किया गया है |

अतः बाउचरविहीन एवं विवरणहीन उक्त दर्शित कुल व्यय रु.84971.00 ग्राम पंचायत में वित्त एव प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अंतर्गत राजकीय धन का गबन है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रावती, ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र कुमार पासवान तथा जे.ई एम.आई. श्री हृदय नरायन राम से सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में उक्त प्रधान,सेवक/कर्मचारियों से बराबर-बराबर हिस्सों में वसूली की जानी अपेक्षित है |

#### **प्रस्तर- 564**

ग्राम पंचायत मुकुंदपुर में वित्तीय वर्ष 2019-20 में बच्चू लाल के शौचालय से सी.सी.रोड तक मिट्टी/खडन्जा निर्माण कार्य पर रु. 34216.00 की प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति है जिसमे रु. 26754.00 सामग्री तथा रु. 7462.00 मजदूरी है | उक्त पत्रावली में महमूद अयाज एण्ड सन्स ईट भट्ठा का अनियमित बिल/टैक्स इनवाइस का नंबर 203 तिथि विहीन सादा बिल पत्रावली में संलग्न है | उक्त बिल पर कोई धनराशि आदि अंकित नहीं है | कैश बुक मे दिनांक 02.08.19 को ईट का मूल्य रु. 23273.00 तथा दिनांक - 30.07.19 को मजदूरी रु. 7462.00 भुगतान दर्शित है | पत्रावली में मस्टररोल संलग्न नहीं रहा| अतः बाउचरविहीन एवं विवरणहीन/अनियमित उक्त दर्शित कुल व्यय रु.30735.00 ग्राम पंचायत में वित्त एव प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 ख के अंतर्गत राजकीय धन का गबन है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रावती, ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र कुमार पासवान तथा जे.ई एम.आई. श्री हृदय नरायन राम से सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में उक्त प्रधान, सेवक/कर्मचारियों से बराबर-बराबर हिस्सों में वसूली की जानी अपेक्षित है |

**प्रस्तर- 565**

ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर कि वर्ष 2019-20 कि लेखा परीक्षा में पत्रावलियों एव केश बुक की जांच में पाया गया कि हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्न प्रकार व्यय किया गया है --

दिनांक	विवरण	धनराशि	अन्य
15.04.19	8 हैण्ड पम्प मरम्मत रु.2950 प्रति की दर से	23600.00	सौरभ ट्रेडर्स
30.04.19	8 हैण्ड पम्प मरम्मत रु.3250 प्रति की दर से	26000.00	पीट्रेडर्स कुमार .
21.05.19	9 हैण्ड पम्प मरम्मत रु.2950 प्रति की दर से	26550.00	सौरभ ट्रेडर्स
01.06.19	8 हैण्ड पम्प मरम्मत रु.2818.75प्रति की दर से	22550.00	सौरभ ट्रेडर्स
18.06.19	8 हैण्ड पम्प मरम्मत रु.2950 प्रति की दर से	23600.00	सौरभ ट्रेडर्स
12.07.19	7 हैण्ड पम्प मरम्मत रु.2950 प्रति की दर से	20650.00	मंशा राम का.
31.07.19	8 हैण्ड पम्प मरम्मत रु.2950 प्रति की दर से	23600.00	अंश ट्रेडर्स
13.08.19	6 हैण्ड पम्प मरम्मत रु.3725. प्रति की दर से	22350.00	सौरभ ट्रेडर्स
07.11.19	9 हैण्ड पम्प मरम्मत रु.2944.44 प्रति की दर से	26500.00	सौरभ ट्रेडर्स
07.11.19	6 हैण्ड पम्प मरम्मत रु.3306.67 प्रति की दर से	19840.00	सौरभ ट्रेडर्स
07.12.19	6 हैण्ड पम्प मरम्मत रु.3196. प्रति की दर से	19177.00	अंश ट्रेडर्स
19.02.20	6 हैण्ड पम्प मरम्मत रु.3330. प्रति की दर से	19980.00	आरट्रेडर्स .के .
09.03.20	9 हैण्ड पम्प मरम्मत रु.1778. प्रति की दर से	16000.00	गौरव ट्रेडर्स
09.03.20	9 हैण्ड पम्प मरम्मत रु.3200. प्रति की दर से	28800.00	एट्रेडर्स.के .
योग	107	319197.00	

उक्त हैण्डपम्प मरम्मत केश बुक कि जांच में निम्न अनियमितताये /आपत्तियाँ पाई गयी है :-

1. उक्त हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में व्यय बाउचर /पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी ।
2. केश बुक में अंकित विवरणों में एक साथ एव एक ही तिथि में 6 हैण्डपम्पों से लेकर 9 हैण्डपम्पों की मरम्मत एक साथ एक ही धनराशि एव समान खराबी दर्शाते हुए हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामान स्पेयर परत का लगाया जाना मिली भगत कर उक्त व्यय के अनियमित होने एव समस्त धनराशि का गबन / अपहरण किये जाने का प्रमाण है ।
3. अवर अभियंता द्वारा 9 हैण्ड पम्पों का एक ही प्रकार की कमी दर्शाते हुए एक ही प्रकार के मरम्मत सामानों की क्रय की एम. बी. करके राजकीय धनराशि के अपहरण कराए जाने का प्रमाण है।
4. शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक रिबोर/मरम्मत हेतु अलग -अलग आई. डी. दर्शाई जाएगी परंतु केश बुक में किसी भी मरम्मत के पूर्व इसके अनुपालन में आई.डी. नहीं दर्शायी गयी है ।
5. हैण्डपम्प मरम्मत से प्राप्त अवशेष सामानों कि भी जानकारी अप्राप्त रही ।

अतः बाउचरविहीन एवं विवरणहीन उक्त दर्शित कुल व्यय रु. 319197.00 ग्राम पंचायत में वित्त एव प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अंतर्गत राजकीय धन का गबन है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रावती, ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र कुमार पासवान तथा जे.ई एम.आई. श्री हृदय नारायण राम से सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में उक्त प्रधान,सेवक/कर्मचारियों से बराबर-बराबर हिस्सों में वसूली की जानी अपेक्षित है ।

**प्रस्तर- 566**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु.537922.00 मजदूरी पर एवं रु.88158.00 सामग्री पर व्यय किया गया दर्शित है |व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई मूल पत्रावली/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया |ग्राम सचिव से बार -बार पत्रावली /अभिलेख मांगे जाने पर रोजगार सेवक को अभिलेख देने हेतु निर्देशित किया गया,परन्तु रोजगार सेवक द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया । यह स्थिति शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक 806/ सम्प्रेक्षा / क्षे०प० ऑडिट/ दिनांक-05-08-2011 के विपरीत है। अंतः पत्रावली / व्यय प्रमाणक विहीन कुल व्यय रु. 6.26080 लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी |मनरेगा / पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमो, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में

इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री धीरेन्द्र कुमार पासवान ,तकनिकी सहायक, रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री मती इन्द्रावती से किया जाना अपेक्षित है।

**(221) ग्राम पंचायत- नसरुल्लाहपुर, विकास खण्ड- टांडा**

**जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 567**

ग्राम पंचायत नसरुल्लाहपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत नसरुल्लाहपुर की वर्ष 2019-20 की आनलाईन आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
12.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29500.00	
12.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	32200.00	
13.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19500.00	
13.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29650.00	
19.12.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29460.00	
07.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29550.00	
07.01.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19820.00	
05.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19840.00	
05.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19840.00	
	<b>योग-</b>	<b>229360.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-हैण्डपम्प मरम्मत एव रिबोर पर रु. 229360.00 के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। किन्तु बार-बार मौखिक एव लिखित मांग किये जाने के बावजूद उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय बाउचर,मस्टर रोल एम. बी. स्टीमेट डिमाण्ड आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

2 -प्रिया साफ्ट की कैश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये हैं ।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 229360.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती विमलेश एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है ।

**प्रस्तर- 568**

ग्राम पंचायत नसरुल्लाहपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-19.12.2019 को क्रमशःरु.80000.00 में प्रा.वि. के क्लास रूम हेतु बैंच क्रय/स्थापना में व्यय किया गया है,किन्तु बार-बार मौखिक एव लिखित रूप से मांग किये जाने के बावजूद उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः

उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

अन्यथा कि स्थिति में रु.80000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती विमलेश एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है ।

**प्रस्तर- 569**

ग्राम पंचायत नसरुल्लाहपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट आनलाईन कैशबुक में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्युम पाईप क्रय पर रु. 57872.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
14.02.2020	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान	57872.00
	<b>योग-</b>	57872.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित ह्युम पाईप क्रय पर रु57872.00 के व्ययों से सम्बन्धित बाउचर /व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-प्रिया साफ्ट की कैश बुक में फर्म/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये हैं ।

अतः उक्त बाउचर /व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 57872.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती विमलेश एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है ।

#### **प्रस्तर- 570**

ग्राम पंचायत नसरुल्लाहपुर की आडिट में कैशबुक/ आनलाईन कैशबुक में पाया गया कि नसरुल्लाहपुर में खडन्जा मरम्मत,/ निर्माण,नाली निर्माण हेतु निम्न विवरणानुसार सामग्री एवं मजदूरी पर रु. 105794.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	फर्म /बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	दीपू के घर से तालब तक नाली निर्माण		07.02.2020	47848.00	-----
			07.02.2020	57946.00	-----
			<b>योग</b>	105794.00	

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त विवरण से स्पष्ट है कि इस कार्य पर मजदूरी भुगतान नहीं की गयी है केवल सामग्री क्रय की गयी है । अंत स्पष्ट है कि सामग्री क्रय स्टाक की धनराशि का गबन किया गया तथा ग्राम पंचायत को उक्त धनराशि रु. 105794.00 से हानि पहुंचाई गयी ।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 105794.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती विमलेश एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है ।

#### **प्रस्तर- 571**

ग्राम पंचायत नसरुल्लाहपुर में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी पर कुल व्यय रु. 1096000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 1096000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इस धनराशि रु. 1096000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती विमलेश एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव, रोजगार सेवक एवं तकनीकी सहायक से बराबर-बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है ।

(222) ग्राम पंचायत- रसूलपुर हरिजन,

विकास खण्ड- टांडा

जनपद- अम्बेडकरनगर

प्रस्तर- 572

ग्राम पंचायत रसूलपुर हरिजन विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 109200.00.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 109200.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप कुमार वर्मा, एवं ग्राम प्रधान श्री मती चन्द्र कला से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(223) ग्राम पंचायत- रसूलपुर मुबारकपुर,

विकास खण्ड- टांडा

जनपद- अम्बेडकरनगर

प्रस्तर- 573

ग्राम पंचायत रसूलपुर मुबारकपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

-ग्राम पंचायत रसूलपुर मुबारकपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
01.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	18500.00	
01.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी	19400.00	
29.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु जे.डी.कंस्ट्रक्शन	14500.00	
28.09.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी	19805.00	
24.10.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु जे.डी.कंस्ट्रक्शन	11730.00	
25.11.2019	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी नाली चौकी निर्माण	33550.00	
06.01.2020	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु विकास ट्रेडर्स	19075.00	
30.01.2020	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु विकास ट्रेडर्स	5310.00	
	<b>योग -</b>	<b>141870.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

- 1-हैण्डपम्प मरम्मत एव रिबोर पर रु.141870.00 के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइ डी से अथवा बिना आइ डी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। एक ही तिथि में एक ही वेंडर /फर्म को दो बार अलग-अलग भुगतान के औचित्य का भी स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

4-प्रिया साफ्ट की केश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये है ।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त

साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹.141870.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान इशरत जहाँ एवं ग्राम सचिव श्री इन्द्र कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 574**

ग्राम पंचायत रसूलपुर मुबारकपुर की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में प्रा.वि.पर वाईट बोर्ड क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
01.07.2019	वाईट बोर्ड क्रय हेतु गौरव ट्रेडर्स को भुगतान	15000.00
05.07.2019	वाईट बोर्ड क्रय हेतु गौरव ट्रेडर्स को भुगतान	15000.00
	योग-	30000 .00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरामत /स्ट्रीट लाइट मरम्त/ वाईट बोर्ड बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹. 30000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान इशरत जहाँ एवं ग्राम सचिव श्री इन्द्र कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 575**

ग्राम पंचायत की रसूलपुर मुबारकपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु स्ट्रीट लाइट क्रय पर रु. 123000.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
16.11.2019	स्ट्रीट लाइट क्रय एव स्थापना हेतु अंश ट्रेडर्स	61500.00
12.12.2019	स्ट्रीट लाइट क्रय एव स्थापना हेतु अंश ट्रेडर्स	61500.00
	योग -	123000.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित स्ट्रीट लाइट क्रय पर रु.123000.00 के व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-स्ट्रीट लाइट के क्रय एव स्थापना के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत नहीं रहा कि अंश ट्रेडर्स द्वारा क्रय की जाने वाली स्ट्रीट लाइट कहाँ-कहाँ तथा किन-किन स्थानों पर अवस्थापित की गयी । विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है ।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹. 123000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान इशरत जहाँ एवं ग्राम सचिव श्री इन्द्र कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 576**

ग्राम पंचायत रसूलपुर मुबारकपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-26.02.20 एवं 26.02.20 क्रमशः रु.106449.00 एवं रु.15005.00 कुल रु.121454.00 प्रा. विद्यालय की रंगाई पुताई में व्यय किया गया है, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । एक ही तिथि में दो बार रामतीरथ कांटेक्टर को भुगतान के औचित्य का स्पष्टीकरण अपेक्षित है ।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 121454.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान इशरत जहाँ एवं ग्राम सचिव श्री इन्द्र कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 577**

ग्राम पंचायत रसूलपुर मुबारकपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-26.11.19 एवं 26.11.19 क्रमशः रु.400000.00 एवं रु.40000.00 कुल रु. 80000.00 बैंच क्रय में व्यय किया गया है, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । एक ही तिथि में दो बार जे. डी. कॅन्सट्रक्शन से बैंच क्रय करके भुगतान के औचित्य का स्पष्टीकरण अपेक्षित है ।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 80000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान इशरत जहाँ एवं ग्राम सचिव श्री इन्द्र कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-578**

ग्राम पंचायत रसूलपुर मुबारकपुर में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी पर कुल व्यय रु. 74802.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु.74802.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में धनराशि रु. 74802.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान इशरत जहाँ एवं ग्राम सचिव श्री इन्द्र कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(224) ग्राम पंचायत- रायपुर,

विकास खण्ड- टांडा

जनपद- अम्बेडकरनगर

**प्रस्तर- 579**

ग्राम पंचायत रायपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत रायपुर की वर्ष 2019-20 की आनलाईन आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि	अन्य
07.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	18500.00	
06.08.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	20150.00	
08.10.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	22150.00	
30.10.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	22150.00	
29.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29550.00	
29.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29550.00	
24.02.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19960.00	
10.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19950.00	
	<b>योग-</b>	<b>181960.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-हैण्डपम्प मरम्मत एव रिबोर पर रु. 181960.00 के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। किन्तु बार-बार मौखिक एव लिखित मांग किये जाने के बावजूद उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय बाउचर,मस्टर रोल एम. बी. स्टीमेट डिमाण्ड आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

2 -प्रिया साफ्ट की कैश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये हैं ।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 181960.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम जी एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है ।

#### **प्रस्तर- 580**

ग्राम पंचायत रायपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-16.10.2019 को क्रमशः रु.48000.00 बेंच क्रय/स्थापना में व्यय किया गया है, किन्तु बार-बार मौखिक एव लिखित रूप से मांग किये जाने के बावजूद उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

अन्यथा कि स्थिति में रु. 48000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम जी एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है ।

#### **प्रस्तर- 581**

ग्राम पंचायत रायपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट आनलाईन कैशबुक में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्युम पाईप क्रय पर रु. 48676.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
08.10.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान	24338.00
30.10.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान	24338.00
	<b>योग-</b>	<b>48676.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित ह्युम पाईप क्रय पर रु 48676.00 के व्ययों से सम्बन्धित बाउचर /व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-प्रिया साफ्ट की कैश बुक में फर्म/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये हैं ।

अतः उक्त बाउचर /व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 48676.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम जी एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है ।

#### **प्रस्तर- 582**

ग्राम पंचायत रायपुर की आडिट में कैशबुक/ आनलाईन कैशबुक में पाया गया कि रायपुर में खडन्जा मरम्मत, हेतु निम्न विवरणानुसार सामग्री एवं मजदूरी पर रु. 72418.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	फर्म के स्टेटमेंट बैंक/ अनुसार	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
---------	------------	--------------------------------	--------	------------------	----------------

01	रामनारायन के खेत से सुरेश के खेत तक खड़जा मरम्मत		24.03.2020	72418.00	-----
			योग	72418.00	

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त विवरण से स्पष्ट है कि इस कार्य पर मजदूरी भुगतान नहीं की गयी है केवल सामग्री क्रय की गयी है। अंत स्पष्ट है कि सामग्री क्रय स्टाक की धनराशि का गबन किया गया तथा ग्राम पंचायत को उक्त धनराशि रु. 72418.00 से हानि पहुंचाई गयी।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 72418.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम जी एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 583**

ग्राम पंचायत रायपुरकी वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक/आनलाईन कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक- 02.07.2019 रु.35619.00 एवं 02.07.19 को रु. 23545.00 कुल रु.59164.00 की सामग्री एव दिनांक-29.06.2019 को रु 14952.00 मजदूरी राम दुलार घरसे विजय के खेत तक नाली निर्माण पर कुल व्यय रु. 74116.00 दर्शित है, किन्तु बार-बार मौखिक एव लिखित मांग किये जाने के बावजूद उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय बाउचर,मस्टर रोल एम. बी. स्टिमेट आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 74116.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम जी एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 584**

ग्राम पंचायत रायपुर में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी पर कुल व्यय रु. 399000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 399000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इस धनराशि रु. 399000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम जी एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार, रोजगार सेवक एव तकनीकी सहायक से बराबर-बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(225) ग्राम पंचायत- सदरपुर, विकास खण्ड- टांडा जनपद- अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर- 585**

ग्राम पंचायत सदरपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत सदरपुर की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर रु. 52800.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु०	अन्य
28.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु विजय इंटर प्राइजेज	29650.00	

26.02.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु अंश ट्रेडर्स	11650.00	
10.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु अंश ट्रेडर्स	11500.00	
	योग-	<b>52800.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-व्यय धनराशि के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत करारक नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. **52800.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री लाल जी एवं ग्राम सचिव श्री विमल कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 586**

ग्राम पंचायत सदरपुर की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार सामग्री एवं मजदूरी पर रु. 191974.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	फर्म का नाम	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	प्रा.विद्यालय पेठिया में टाइल्स कार्य	सुपर बिल्डिंग मटेरियल	13.02.2020	36112.00	-----
02	प्रा.विद्यालय पेठिया में टाइल्स कार्य	अनन्या मार्बल	13.02.2020	124978.00	-----
03	प्रा.विद्यालय पेठिया में टाइल्स कार्य मस्टर रोल	-----	13.02.2020	-----	30884.00
				161090.00	30884.00
	कुल योग-			<b>191974.00</b>	

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-पत्रावली के अभाव में यह भी अज्ञात रहा कि काया कल्प योजना के अंतर्गत जारी शासनादेश के अनुरूप सम्बंधित विद्यालय से उक्त कार्य का मांग पत्र प्राप्त हुआ था अथवा नहीं ?

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. **191974.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री लाल जी एवं ग्राम सचिव श्री विमल कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 587**

ग्राम पंचायत सदरपुर की मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 970000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 970000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

अन्यथा कि स्थिति में ₹. 970000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री लाल जी एवं ग्राम सचिव श्री विमल कुमार वर्मा, रोजगार सेवक एव तकनिकी सहायक से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(226) ग्राम पंचायत- सैदपुर रज्जीपुर, विकास खण्ड- टांडा जनपद- अम्बेडकरनगर प्रस्तर- 588**

ग्राम पंचायत सैदपुर रज्जीपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत सैदपुर रज्जीपुर की वर्ष 2019-20 की आनलाईन आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
02.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी	58500.00	
02.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कंपनी	33500.00	
16.10.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19510.00	
25.12.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29550.00	
25.12.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29400.00	
12.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19840.00	
	<b>योग-</b>	<b>190300.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-हैण्डपम्प मरम्मत एव रिबोर पर रु. 190300.00 के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। किन्तु बार-बार मौखिक एव लिखित मांग किये जाने के बावजूद उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय बाउचर,मस्टर रोल एम. बी. स्टीमेट डिमाण्ड आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

2 -प्रिया साफ्ट की कैश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये है ।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹. 190300.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री कृष्णा नन्द एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है ।

**प्रस्तर- 589**

ग्राम पंचायत सैदपुर रज्जीपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-28.02.2020 को क्रमशःरु.78000.00 में प्रा.वि. के क्लास रूम हेतु बेंच क्रय/स्थापना में व्यय किया गया है,किन्तु बार-बार मौखिक एव लिखित रूप से मांग किये जाने के बावजूद उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

अन्यथा कि स्थिति में ₹. 78000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री कृष्णा नन्द एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है ।

**प्रस्तर- 590**

ग्राम पंचायत सैदपुर रज्जीपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट आनलाईन कैशबुक में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्युम पाईप अवस्थापना पर रु. 44100.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
--------	-------	------------

02.07.2019	हयुम पाईप क्रय हेतु भुगतान वर्मा ट्रेडिंग कंपनी	59000.00
31.07.2019	हयुम पाईप क्रय हेतु भुगतान	26250.00
	<b>योग-</b>	<b>85250.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित हयुम पाईप क्रय पर रु. 85250.00 के व्ययों से सम्बन्धित बाउचर /व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त बाउचर /व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 85250.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री कृष्णा नन्द एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 591**

ग्राम पंचायत सैदपुर रज्जीपुर की आडिट में केशबुक/ आनलाईन केशबुक में पाया गया कि सैदपुर रज्जीपुर में खडन्जा मरम्मत, निर्माण, नाली निर्माण हेतु निम्न विवरणानुसार सामग्री एवं मजदूरी पर रु. 176862.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	फर्म /बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	हिथुरी माइनर से पंचम के खेत तक खडन्जा मरम्मत	अनुराग ब्रिक फिल्ड /कृष्णानन्दनगद आहरण	04.07.2019	90847.00	24752.00
02	कमलचन्द के घर से सालिकराम के घर तक खडन्जा निर्माण और नाली	अनुराग ब्रिक फिल्ड /कृष्णानन्दनगद आहरण	04.07.2019	35475.00	25788.00
			योग-	126322.00	50540.00
			<b>कुल योग-</b>	<b>176862.00</b>	

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त विवरण से स्पष्ट है कि पहले मजदूरी भुगतान की गयी है सामग्री बाद में क्रय की गयी है। मूल केश बुक, व्यय पत्रावली /बाउचर स्टीमेट, एम. बी. एव मस्टरोल आदि प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त की जाँच व पुष्टि नहीं हो सका। उक्त प्रपत्र प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 176862.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री कृष्णा नन्द एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 592**

ग्राम पंचायत सैदपुर रज्जीपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में केश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-26.01.2020 को रु. 47624.00 ईट एव रु. 56700.00 सामग्री एव रु. 32802.00 मजदूरी जयराम के घर से हीरालाल के घर तक खडन्जा मरम्मत एव नाली निर्माण व पटिया निर्माण पर कुल व्यय रु. 137126.00 दर्शित है, किन्तु बार-बार मौखिक एव लिखित मांग किये जाने के बावजूद उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय बाउचर, मस्टर रोल एम. बी. स्टीमेट आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 137126.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री कृष्णा नन्द एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 593**

ग्राम पंचायत सैदपुर रज्जीपुर में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी पर कुल व्यय रु. 520000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 520000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इस धनराशि रु. 520000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री कृष्णा नन्द एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव, रोजगार सेवक एव तकनीकी सहायक से बराबर-बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है ।

**(227) ग्राम पंचायत- उत्तरेथू, विकास खण्ड- टांडा जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 594**

ग्राम पंचायत उत्तरेथू विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत उत्तरेथू की आडिट में पाया गया कि पंचायत भवन की मरम्मत एवं रंगाई पुताई पर निम्न प्रकार व्यय किया गया है:-

बिल क्रमांक दिनांक	कैशबुक में भुगतान दिनांक	विवरण	धनराशि रु0		अन्य विवरण
			मटेरियल क्रय	मजदूरी भुगतान	
04.06.2019	04.06.2019	मजदूरी भुगतान	---	9000.00	मस्टररोल में कार्य कराए जाने की तिथि से 26.05.2019 04.06.2019
04.06.2019	04.06.2019	मजदूरी भुगतान	----	18200.00	मस्टररोल में कार्य कराए जाने की तिथि से 26.05.2019 04.06.2019
17.10.2019	17.10.2019	मजदूरी भुगतान	-----	20340.00	मस्टररोल में कार्य कराए जाने की तिथि से 19.07.2019 01.08.2019
03.09.2019/104	19.10.2019	विश्वकर्मा फेब्रिकेटर इंजिनियरिंग वर्क्स के स्टीमेट पर लोह का दरवाजा एवं खिड़की क्रय का भुगतान	95813.00 +40000) (55813	---	एवं नकद हजार 40000.00 से डॉंगल 55813.00 भुगतान। वर्ष के दौरान के 40000.00 प्राप्त प्रमाण कोई का भुगतान रहा। नहीं
067 03.09.2019/	19.10.2019	चौरसिया ट्रेडिंग कम्पनी से वालपुट्टी ,तारपीन,वाटरपेंट , आदि पेंटिंग ,प्राइमर	55833.00	----	-----
/96 03.09.2019	19.10.2019	निर्माण सामग्री क्रय	15488.00	----	-----
			<b>167134.00</b>	<b>47540.00</b>	<b>कुलभुगतान214674.00-</b>

उक्त कार्य में किए गए भुगतान में निम्न भारी अनियमितताएं पाई गई:-

01-उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मस्टर रोल में कार्य कराए जाने की तिथि 26.05.2019 से 04.06.2019 एवं 19.07.2019 से 01.08.2019 के पश्चात मटेरियल क्रय किया गया दर्शित है जो विवरण में अंकित बिल तिथि से स्पष्ट है। अतः स्पष्ट है कि कार्य पर काल्पनिक भुगतान किया गया है।

02-मस्टर रोल तिथि 26.05.2019 से 04.06.2019 के अनुसार कुल मजदूरी ₹0 25200.00 है परंतु भुगतान 2000.00 से अधिक ₹0 27200.00 का किया गया है।

03-एम0बी0 के अनुसार मटेरियल की एम0बी0 ₹0 56238.00 की है। परंतु भुगतान मात्र ₹0 45540.00 का किया गया है जो एम0बी0 को काल्पनिक एवं कार्य के पूर्व किये जाने कि पुष्टि करता है। क्योंकि एम0बी0 में सेविंग आदि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही कार्य के प्रारंभ, समाप्ति एवं एम0बी0 की तिथि ही अंकित की गई है। जो निर्धारित नियमों का पूर्णतया उल्लंघन है।

04- विश्वकर्मा फेब्रिकेटर इंजिनियरिंग वर्क्स के स्टीमेट के आधार पर लोह का दरवाजा एवं खिड़की क्रय का भुगतान किया गया है। जिसमें ₹0 95813.00 के विरुद्ध ₹0 40000.00 का भुगतान एडवांस के रूप में तथा ₹0 55813.00 डोंगल से भुगतान दर्शित है। ₹0 40000.00 के भुगतान का कोई प्रमाण आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। स्टीमेट के आधार पर क्रय नियम विरुद्ध है।

05- विश्वकर्मा फेब्रिकेटर इंजिनियरिंग वर्क्स के स्टीमेट के आधार पर लोह का दरवाजा एवं खिड़की क्रय का भुगतान रसीद में दरवाजा का वजन 8.50 क्विंटल एवं दर 8700.00 ₹0 प्रति क्विंटल दर्शाया गया है जबकि खिड़की का वजन एवं दर कुछ भी अंकित नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त तिथि में लोहा फेब्रिकेशन सामान की दर अधिकतम 5700.00 प्रति क्विंटल था जबकि ₹0 8700.00 में क्रय दर्शित है।

06-उक्त कार्य पर कुल मटेरियल की एम0बी0 ₹0 131578.00 की है परंतु भुगतान ₹0 167134.00 का किया गया है जो ₹0 35556.00 से अधिक एवं वसूली योग्य है।

07-कार्य योजना केवल पंचायत भवन मरम्मत की थी, परंतु उक्त पर ₹0 55833.00 की रंगाई एवं पुताई का कार्य भी कराया गया है जो नियम विरुद्ध एवं वसूली योग्य है।

08-मस्टर रोल से नकद मजदूरी का भुगतान किया गया है परंतु भुगतान प्राप्ति की पुष्टि में मस्टररोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं कराए गए हैं अतः मजदूरी भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी।

09-उक्त कार्य हेतु तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र पर कोई तिथि अंकित नहीं पाई गई जो निर्माण कार्य नियमों के विपरीत है।

उक्त विवरण के आधार पर अंकित आपतियों से स्पष्ट है कि भुगतान अनियमित एवं फर्जी बिल के आधार पर करके ₹0 167134.00 का अपहरण किया गया है तथा ₹0 47540.00 का अनियमित भुगतान किया गया है। प्रस्तुत व्यय प्रमाणक नियमों के विपरीत एवं अमान्य हैं। अतः उक्त के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव एवं जे.ई.आर.ई.डी. तत्कालीन से उचित माध्यम स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त कुल गबन की धनराशि ₹0 167134.00 एवं नियम विरुद्ध व्यय ₹0 47540.00 कुल ₹0 214674.00 की वसूली ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (ख) एवं 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत ग्राम प्रधान श्री मती रंजना देवी, ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी एवं जे.ई.आर.ई.डी तत्कालीन से किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 595**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि केशबुक में दिनांक 06.07.2019 नें ₹0 88800.00 हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है जिसके सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1- हैण्डपम्प मरम्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

3- एक ही तिथि में भुगतान एवं तीन हैण्डपम्प रिबोर पर एक ही प्रकार के कल-पुर्जों की खराबी होने पर ही तीनों पर समान धनराशि का भुगतान किया जा सकता है जो संभव नहीं है। भुगतान में गंभीर अनियमितता की गई है।

अतः शासनादेश के विपरीत एवं व्यय वाउजर/पत्रावली विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए एवं अन्य आपतियों के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹0 88800.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती रंजना देवी एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 596**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न तिथियों में दौलतपुर में जयराम के घर से परशूधारी के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य पर निर्माण सामग्री क्रय की गई एवं लगवाई गई दर्शित है, जिसका विवरण एवं आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

दिनांक	कैशबुक में अंकित विवरण	धनराशि रु0	अन्य
24.11.2019	दौलतपुर में जयराम के घर से परशुधारी के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य पर ईट क्रय	101036.00	
24.11.2019	उक्त कार्य पर ईट क्रय हेतु का भुगतान	31322.00	
24.11.2019	उक्त कार्य पर निर्माण सामग्री क्रय	22798.00	
24.11.2019	उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	21686.00	
	<b>योग-</b>	<b>176842.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

01- उक्त विवरण में दर्शित सम्बन्धित भुगतान की वाउचर/पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई।

02- उक्त क्रयों के सापेक्ष नियमांतर्गत कोई टेण्डर/कोटेशन आदि के आमंत्रण का कोई प्रमाण आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण सम्बन्धित जांच नहीं की जा सकी।

नियमों के विपरीत बिना व्यय वाउचर/प्रमाणक के किए गए उक्त व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान, ग्राम सचिव एवं जिम्मेदार अधिकारी से की गई है। अतः 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त रु0 176842.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती रंजना देवी एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 597**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 803000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 803000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती रंजना देवी एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी, रोजगार सेवक से किया जाना अपेक्षित है।

(228) ग्राम पंचायत- देईपुर,

विकास खण्ड- टांडा

जनपद- अम्बेडकरनगर

#### **प्रस्तर- 598**

ग्राम पंचायत देईपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 494000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 494000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार वर्मा , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री धनराज से किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 599**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि डिंगुरपुर में इन्द्रसेन विश्वकर्मा के घर से सहादतअली के घर तक मिट्टी खड़जा कार्य पर दिनांक 14.10.2019 में रु0 66852.00 की ईट क्रय का भुगतान अनरसा देवी ईट भट्ठा को किया गया है तथा दिनांक 02.11.2019 में रु0 21112.00 की मजदूरी का भुगतान किया गया है। अर्थात् उक्त कार्य पर कुल रु0 87964.00 का भुगतान किया गया कैशबुक में दर्शित है। उक्त कार्य पर निम्न आपत्तियां पाई गई-

- 1-उक्त कार्य हेतु तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र पर कोई तिथि नहीं अंकित पाई गई।
- 2-उक्त कार्य पर कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया है जो भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत अनिवार्य है।
- 3-अनरसा देवी ईट भट्ठा द्वारा बिल/कैशमेमों जारी किया गया है जो जी0एस0टी0 नियमों के अंतर्गत नियमानुसार नहीं है।
- 4-ईट क्रय के बिल की तिथि लगभग एक वर्ष पूर्व 03.10.2018 अंकित हैं, जबकि कार्य 29.08.2019 से 07.09.2019 के बीच कराया गया मस्टररोल में दर्शित है।
- 5-कार्य पर प्रयुक्त मस्टररोल में कार्य कराए जाने की अवधि 29.08.2019 से 07.09.2019 अंकित है। ईट क्रय के बिल की तिथि यदि 03.10.2018 के स्थान पर 03.10.2019 भी माना जाय तो भी ईट क्रय कार्य समाप्ति के बाद किया गया है पुष्ट है, जो कार्य पर प्रयुक्त नहीं हो सकता हैं क्योंकि कार्य पहले ही समाप्त हो चुका है।
- 6-कार्य पर प्रयुक्त मस्टररोल की जांच में पाया गया कि मजदूरी प्राप्ति की पुष्टि में किसी भी मजदूर का हस्ताक्षर भी नहीं कराया गया है।
- 7-इस्टीमेट एवं एम0बी0 पर कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई तिथि अंकित नहीं की गई है जो व्ययों के सम्बन्ध में अनिवार्य है।  
उक्त आपतियों से स्पष्ट है कि भुगतान अनियमित एवं फर्जी बिल के आधार पर करके धन का अपहरण किया गया है। विवरण से स्पष्ट है कि कार्य पर प्रस्तुत समस्त व्यय प्रमाणक नियमों के विपरीत एवं अमान्य हैं। अतः उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव एवं जे.ई.आर.ई.डी. तत्कालीन से उचित माध्यम स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि ₹0 87964.00 की वसूली ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत गबन एवं वसूली योग्य है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान, ग्राम सचिव एवं जिम्मेदार अधिकारी से की गई है। ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री धनराज , ग्राम सचिव श्री कृष्ण कुमार वर्मा एवं जे.ई.आर.ई.डी तत्कालीन से किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 600**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि देईपुर में राज किशोर पाठक के खेत के पास खड़जा से आदर्श भारती स्कूल तक मिट्टी खड़जा कार्य पर दिनांक 14.10.2019 में ₹0 59850.00 एवं दिनांक 14.10.2019 में ₹0 62399.00 की ईट क्रय का भुगतान अनरसा देवी ईट भट्ठा को किया गया है। उक्त कार्य पर दिनांक 27.12.2019 में ₹0 29666.00 की मजदूरी का भुगतान किया गया दर्शित है। अर्थात् उक्त कार्य पर कुल ₹0 151645.00 का भुगतान किया गया केशबुक में दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य एवं भुगतान में निम्न आपतियां पाई गई-

- 1-उक्त कार्य हेतु तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र पर कोई तिथि अंकित नहीं पाई गई जो निर्माण कार्य नियमों के विपरीत है।
- 2-उक्त कार्य पर निविदा आमंत्रित नहीं की गई है जो भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन है।
- 3-अनरसा देवी ईट भट्ठा द्वारा जो बिल/कैशमेमों जारी किया गया है वह जी0एस0टी0 नियमों के अंतर्गत नियमानुसार नहीं है। बिल आफ सप्लाई एवं टैक्स इनवायस के स्थान पर बिल/कैशमेमों का प्रयोग किया गया है जो जीएसटी लागू होने के बाद से समाप्त किए जा चुके हैं।
- 4-उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ईट का क्रय कार्य की समाप्ति के पश्चात किया गया है। उक्त कार्य दिनांक 10.09.2019 से 20.09.2019 के बीच कराया गया मस्टररोल में दर्शित है।
- 5-कार्य पर प्रयुक्त मस्टररोल में कार्य कराए जाने की अवधि 10.09.2019 से 20.09.2019 अंकित है। जबकि ईट क्रय के बिलों की तिथि 14.10.2019 है जो कार्य समाप्ति के बाद की तिथि है। अतः पुष्ट है कि ईट का प्रयोग कार्य पर नहीं किया गया है क्योंकि कार्य समाप्ति के पश्चात क्रय किये जाने के कारण यह कार्य पर प्रयुक्त नहीं हो सकता हैं।
- 6-कार्य पर प्रयुक्त मस्टररोल की जांच में पाया गया कि मजदूरी प्राप्ति की पुष्टि में किसी भी मजदूर का हस्ताक्षर मस्टररोल पर नहीं कराया गया है।
- 7-इस्टीमेट एवं एम0बी0 पर कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई तिथि अंकित नहीं की गई है जो निर्माण कार्य नियमों के विपरीत है।  
उक्त आपतियों से स्पष्ट है कि भुगतान अनियमित एवं फर्जी बिल के आधार पर करके धन का अपहरण किया गया है। विवरण से स्पष्ट है कि कार्य पर प्रस्तुत समस्त व्यय प्रमाणक नियमों के विपरीत एवं अमान्य हैं। अतः उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव एवं जे.ई.आर.ई.डी. तत्कालीन से उचित माध्यम स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि ₹0 151645.00 की वसूली ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत गबन एवं वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान, ग्राम सचिव एवं जिम्मेदार अधिकारी से की गई है। ग्राम प्रधान श्री धनराज , ग्राम सचिव श्री कृष्ण कुमार वर्मा एवं जे.ई.आर.ई.डी तत्कालीन से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 601**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि देईपुर में रामजगत पाल के घर से राम जगत वर्मा के घर तक मिट्टी खड़जा कार्य पर दिनांक 10.01.2020 में ₹0 60368.00 की ईट क्रय का भुगतान अनरसा देवी ईट भट्ठा को किया गया है। उक्त कार्य पर दिनांक 13.01.2020 में ₹0 30030.00 की मजदूरी का भुगतान किया गया दर्शित है। अर्थात् उक्त कार्य पर कुल ₹0 90398.00 का भुगतान किया गया कैशबुक में दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य एवं भुगतान में निम्नआपत्तियां पाई गई-

- 1-उक्त कार्य हेतु तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र पर कोई तिथि अंकित नहीं पाई गई जो निर्माण कार्य नियमों के विपरीत है।
- 2-उक्त कार्य पर निविदा आमंत्रित नहीं की गई है जो भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन है।
- 3-कार्य पर प्रयुक्त मस्टररोल में कार्य कराए जाने की कोई अवधि अंकित नहीं की गई है जो घोर लापरवाही एवं प्रशासकीय नियंत्रण की शिथिलता को इंगित करता है।

4-अनरसा देवी ईट भट्ठा द्वारा जो बिल/कैशमेमों जारी किया गया है वह जी0एस0टी0 नियमों के अंतर्गत नियमानुसार नहीं है। बिल आफ सप्लाई एवं टैक्स इनवायस के स्थान पर बिल/कैशमेमों का प्रयोग किया गया है जो जीएसटी लागू होने के बाद से समाप्त किए जा चुके हैं। इस बिल पर तिथि भी अंकित नहीं है।

5-कार्य पर प्रयुक्त मस्टररोल की जांच में पाया गया कि मजदूरी प्राप्ति की पुष्टि में किसी भी मजदूर का हस्ताक्षर मस्टररोल पर नहीं कराया गया है।

6-इंस्टीमेट एवं एम0बी0 पर कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई तिथि अंकित नहीं की गई है जो निर्माण कार्य नियमों के विपरीत है।

उक्तआपत्तियों से स्पष्ट है कि भुगतान अनियमित एवं फर्जी बिल के आधार पर करके धन का अपहरण किया गया है। विवरण से स्पष्ट है कि कार्य पर प्रस्तुत समस्त व्यय प्रमाणक नियमों के विपरीत एवं अमान्य हैं। अतः उक्त के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव एवं जे.ई.आर.ई.डी. तत्कालीन से उचित माध्यम स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि ₹0 90398.00 की वसूली ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(ख) एवं 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत गबन एवं वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान, ग्राम सचिव एवं जिम्मेदार अधिकारी से की गई है। ग्राम प्रधान श्री धनराज , ग्राम सचिव श्री कृष्ण कुमार वर्मा एवं जे.ई.आर.ई.डी तत्कालीन से किया जाना अपेक्षित है।

**(229) ग्राम पंचायत- एनवां, विकास खण्ड- टांडा**

**जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 602**

ग्राम पंचायत एनवां विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय एनवा खास परिसर में टाइल्स स्थापना, रंगाई पोताई एवं फर्श कार्य पर निम्न प्रकार भुगतान किया गया कैशबुक में दर्शित है:-

कैशबुक दिनांक	कैशबुक में अंकित विवरण	धनराशि ₹0	अन्य
07.01.2020	उच्च प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स एवं पेटिंग में मजदूरी पर व्यय कार्यावधि 12.05.2019 से 05.06.2019 तक।	85666.00	
07.01.2020	उक्त कार्य पर निर्माण सामग्री क्रय 08.05.2019	112149.00	
24.11.2019	उच्च प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स एवं पेंट पर व्यय 08.05.2019	188015.00	
	<b>योग-</b>	<b>385830.00</b>	

उक्त कार्य एवं भुगतान में निम्न अनियमितताएं पाई गई

01-उक्त कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति दिनांक 15.11.2019 को प्रदान की गई है एवं प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति दिनांक 07.12.2019 को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रदान की गई है जबकि मस्टररोल एवं एम0बी0 में उक्त कार्य की अवधि सात माह पूर्व 12.05.2019 से 05.06.2019 दर्शाई गई है तथा 10.06.2019 को एमबी की तिथि अंकित की गई है। सारणी के विवरण से स्पष्ट है कि उक्त कार्य का मटेरियल क्रय भी तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के सात माह पूर्व दिनांक 08.05.2019

को ही कर लिया गया दर्शित है। स्पष्ट है कि तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के पूर्व कार्य पर पूर्ण व्यय कर कार्य एवं व्यय में भारी अनियमितता की गई है।

02-उक्त कार्य पर कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया है जो भण्डार क्रय नियमों के विपरीत है।

03-कार्य पर प्रयुक्त मस्टररोल में मात्र प्रधान का हस्ताक्षर प्राप्त रहा जो अत्यंत ही लापरवाहीपूर्ण है।

04-कार्य के कराए जाने से सम्बन्धित किसी भी स्टेप की फोटो कार्य पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गई।

05-शासनादेश के अनुरूप अनिवार्य की गई विधालय की ओर से कराए जाने वाले कार्य की डिमांड पत्रावली के साथ आडिट में प्रस्तुत नहीं रही।

06-सहायक विकास अधिकारी पंचायत का शिथिल नियंत्रण एवं त्रैमासिक निरीक्षण का न किया जाना भी उक्त अनियमितता का कारण है।

उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि भुगतान अनियमित एवं मनमाने ढंग से करके धन का अपहरण किया गया है। कार्य पश्चात प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गई है जो भारी मिलीभगत को इंगित करता है। अतः उक्त के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, जे.ई.आर.ई.डी. एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत तत्कालीन से उचित माध्यम से स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रु0 385830.00 की वसूली ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल एवं 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा वर्मा, ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी, जे.ई.आर.ई.डी श्री हृदय नारायण एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री योगेन्द्र नाथ सिंह तत्कालीन से समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 603**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 213000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 2,13,000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी, रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री मती रेखा वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-604**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट एवं ह्यूमपाइप क्रय-मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

कैशबुक दिनांक	बिल संख्या एवं दिनांक	कैशबुक में दर्शित विवरण	धनराशि रु0
16.02.2020	206/14.02.2020	सोलर लाइट लाइट एवं स्ट्रीट लाइट मरम्त हेतु प्रदीप ट्रेडर्स को भुगतान	62500.00
16.02.2020	207/14.02.2020	सोलर लाइट लाइट एवं स्ट्रीट लाइट मरम्त हेतु प्रदीप ट्रेडर्स को भुगतान	9950.00
05.01.2020	212/10.12.2019	ह्यूमपाइप क्रय का प्रदीप ट्रेडर्स को भुगतान	92783.00
23.02.2020	214/10.02.2020	ह्यूमपाइप क्रय का प्रदीप ट्रेडर्स को भुगतान	135054.00
13.12.2019	473/10/12/2019	आरसीसी बेंच क्रय का प्रदीप ट्रेडर्स को भुगतान	80000.00
02.01.2020	485/20.12.2019	ह्यूमपाइप क्रय का प्रदीप ट्रेडर्स को भुगतान	77818.00
		योग-	<b>458105.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

01 उक्त फर्म/वेंडर-सोलर मरम्मत, स्ट्रीट लाइट मरम्मत /ह्यूम पाइप बिक्री, आरसीसी बेंच बिक्री का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

02-उक्त फर्म का रजिस्ट्रेशन कैंसिल बताया गया जो जांच में सही पाया गया। स्पष्ट है कि फर्म द्वारा अनधिकृत रूप से मिलीभगत कर सामग्री आपूर्ति की गई है तथा धन का अपहरण किया गया है।

03- उक्त वेंडर के बिल पर अथवा अन्य किसी प्रकार से तक साल 5 निःशुल्क मरम्मत की को गारंटी नहीं दी गई है।

04अनुसार के शासनादेश- स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

05अंतर्गत के व्यवस्था प्रकाश उक्त- लगवाए जाने से स्थानों के नाम एवं फोटो आदि भी आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

06-उक्त सामग्री प्रयोग के व्यय विवरण के सम्बन्ध में भी बिलों के विवरण एवं कैशबुक विवरण में साम्यता नहीं है जो अनियमित क्रय को प्रमाणित करता है।

07-विवरण में अंकित बिलों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रदीप ट्रेडर्स के बिल फरवरी 20 में 206 एवं 207 निर्गत है जबकि इसके पहले ही अक्टूबर एवं दिसम्बर में क्रमशः 212, 214, 473 एवं 485 आदि निर्गत किए जा चुके थे। स्पष्ट है कि बिल अनियमित प्राप्त किए गए हैं।

अतः उक्तआपत्तियों के अधीन ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (ख) एवं 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान, ग्राम सचिव एवं जिम्मेदार अधिकारी से की गई है। अतः 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में **उक्त रु0 458105.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी** श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी, रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री मती रेखा वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

(230) ग्राम पंचायत- ममरेजपुर,

विकास खण्ड- टांडा

जनपद- अम्बेडकरनगर

प्रस्तर- 605

ग्राम पंचायत ममरेजपुर विकास खण्ड- टाण्डा की वर्ष- 2019-20 की आडिट में निम्न प्रकार से गंभीर अपहरण, गबन, अनियमितता एवं दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि प्राथमिक विद्यालय ओदरा में इण्टरलाकिंग कार्य पर निम्न प्रकार कैशबुक में व्यय दर्शित किया गया है:-

बिल दिनांक	क्रमांक	कैशबुक में भुगतान दिनांक	विवरण	धनराशि रु0		अन्य विवरण
				मटेरियल क्रय	मजदूरी भुगतान	
01		02	03	04	05	06
274/04.10.2019		25.10.2019	इण्टरलाकिंग ईट क्रय अंश ट्रेडर्स	171240.00	---	---
275/04.10.2019		25.10.2019	बालू क्रय अंश ट्रेडर्स	12390.00	---	----
-----		20.01.2020	मस्टररोल से मजदूरी का भुगतान	-----	21476.00	कार्य कराए जाने की तिथि- 05.09.2019 से 19.09.2019 तक
162/-----		21.02.2020	ईट क्रय नेशनल ईट उद्दोग	24894.00		कुल भगतान रु0 24894.00 जबकि बिल की धनराशि रु0 39937.00 है।
				208524.00	21476.00	कुल योग-230000.00

उक्त कार्य में किए गए भुगतान में निम्न भारी अनियमितताएं पाई गई:-

01-उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मस्टर रोल में कार्य कराए जाने की तिथि 05.09.2019 से 19.09.2019 के पश्चात मटेरियल क्रय दिनांक 04.10.2019 में किया गया दर्शित है जो विवरण में अंकित बिल तिथि से स्पष्ट है। अतः स्पष्ट है कि कार्य पर काल्पनिक भुगतान किया गया है क्योंकि बिना मटेरियल के कार्य का कराया जाना संभव नहीं है।

02-नेशनल ईट उद्दोग से ईट क्रय के बिल के अनुसार कुल ईट 6673 रु0 39937.00 में जीएसटी सहित क्रय है। उक्त की तिथि विहीन एमबी आडिट में प्राप्त रही है। कैशबुक के अनुसार रु0 39937.00 के विरुद्ध भुगतान मात्र रु0 28494.00 का दर्शित है जो

रु0 11443.00 से कम है। एमबी एवं बिल से कम भुगतान का कोई कारण अंकित नहीं है। अतः स्पष्ट है कि एमबी एवं भुगतान काल्पनिक एवं मनमाने ढंग से किया गया है। उक्त बिल पर कोई तिथि भी अंकित नहीं है।

03-मस्टर रोल से नकद मजदूरी का भुगतान रु0 21476.00 का किया गया है परंतु भुगतान प्राप्ति की पुष्टि में मस्टररोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं कराए गए हैं अतः मजदूरी भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकती।

04-उक्त कार्य हेतु तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र पर अप्राप्त रहा। प्रस्तुत इस्टीमेट में कहीं भी कोई तिथि एवं किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाए गए।

05-उक्त कार्य की फोटो भी आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई।

06-उक्त कार्य पर निविदा आमंत्रित से सम्बन्धित कोई प्रमाण आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया है जो भण्डार क्रय नियमों के विपरीत है।

07-अंश ट्रेडर्स के बिल नं0 274 दिनांक 04.10.2019 में रु0 37458.00 तथा नेशनल ईट उद्दोग के बिल नं0 162 जो तिथि विहीन है, में रु0 1901.00 की जी0एस0टी चार्ज की गई है जबकि सम्बन्धित फर्म समाधान योजना में होने के कारण जी0एस0टी चार्ज नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार कुल रु0 39359.00 की अनियमित जी0एस0टी का भुगतान कर ग्राम निधि को हानि पहुंचाई गई है।

उक्त विवरण के आधार पर अंकित आपत्तियों से स्पष्ट है कि भुगतान अनियमित एवं फर्जी व्यय प्रमाणकों के आधार पर करके रु0 230000.00 का अपहरण किया गया है। प्रस्तुत व्यय प्रमाणक एवं क्रय नियमों के विपरीत एवं अमान्य हैं। अतः उक्त के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव एवं जे.ई.आर.ई.डी. तत्कालीन से उचित माध्यम स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त कुल गबन की धनराशि रु0 230000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (ख) एवं 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत ग्राम प्रधान श्री अमित कुमार, ग्राम सचिव श्री विमल कुमार वर्मा एवं जे.ई.आर.ई.डी तत्कालीन से किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 606**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 335000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 335000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकती। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अमित कुमार, ग्राम सचिव श्री विमल कुमार वर्मा, रोजगार सेवक से किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 607**

आडिट में पाया गया कि कैशबुक दिनांक 21.02.2020 में अंश ट्रेडर्स से रु0 72739.00 की इण्टरलाकिंग ईट क्रय की गई है जिसकी दर रु0 25.96 प्रति ईट बिल में लगाया गया है। पी0डब्ल्यू0डी0 दर सूची (एस.ओ.आर.) के अनुसार दिनांक 01.07.2019 से इण्टरलाकिंग ईट की दर रु0 22.00 प्रति ईट निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार उक्त का मूल्य रु0 61644.00 होता है, परंतु ग्राम पंचायत में रु0 3.96 से अधिक दर पर भुगतान करके रु. 11095.00 से ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गई है। अतः उक्त के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के माध्यम से 30प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत स्पष्टीकरण आवश्यक है। असंतोषजनक स्पष्टीकरण की दशा में इसकी ब्याज सहित वसूली जे.ई.आर.ई.डी तत्कालीन श्री हृदय नारायण से किया जाना अपेक्षित है क्योंकि दर निर्धारण एवं जांच की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है।

#### **प्रस्तर- 608**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट एवं ह्यूमपाइप क्रय-मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

कैशबुक दिनांक	कैशबुक में दर्शित विवरण	धनराशि रु0
15.04.2019	स्ट्रीट लाइट क्रय का भुगतान मे0 रामजनम वर्मा	30750.00
15.04.2019	स्ट्रीट लाइट क्रय का भुगतान मे0 रामजनम वर्मा	92250.00
26.07.2019	स्ट्रीट लाइट क्रय का भुगतान मे0 रामजनम वर्मा	30750.00

01.11.2019	स्ट्रीट लाइट क्रय का अंश ट्रेडर्स को भुगतान	61500.00
	योग-	215250.00

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01-उक्त फर्म स्ट्रीट लाइट के बिक्री का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती।
- 02- उक्त वेंडर के बिल पर अथवा अन्य किसी प्रकार से निःशुल्क मरम्मत की कोई गारंटी नहीं दी गई है।
- 03-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकती।
- 04-उक्त प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत लगवाए जाने से स्थानों के नाम एवं फोटो आदि भी आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 05-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों की पुष्टि नें व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए।

अतः उक्त आपतियों के अधीन ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत गबन एवं वसूली योग्य है। अतः 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सक्षम अधिकारियों के माध्यम से स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त रू0 215250.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अमित कुमार, ग्राम सचिव श्री विमल कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(231) ग्राम पंचायत-अमियाबावनपुर, विकास खण्ड-टाण्डा, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 609**

ग्राम पंचायत अमिया बावन की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रू0	अन्य
06.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान	29530.00	
01.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान	29500.00	
	हैण्डपम्प रिबोर हेतु सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान	29500.00	
06.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान	29650.00	
18.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	29500.00	
18.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	19500.00	
23.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान	29500.00	
23.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	15000.00	
25.11.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	11550.00	
26.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	59300.00	
30.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	26500.00	
18.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान	29950.00	
22.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	29950.00	
29.01.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान	11650.00	
29.01.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	29650.00	
10.02.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	13224.00	
19.02.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान	11400.00	
	<b>योग-</b>	<b>434554.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01-हैण्डपम्प रिबोर / मरम्मत व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।
- 02-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकती। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकती।

03-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के विपरीत कार्य किया गया है।

शासनादेश के विपरीत एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹. 434554.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रना सिंह एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 610**

ग्राम पंचायत अमिया बावन की वर्ष-2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि ₹0
28.11.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु पी0कुमार ट्रेडर्स	61500.00
	<b>योग-</b>	<b>61 500.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

01-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

02-उक्त वेंडर/फर्म स्ट्रीट लाइट मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

03-उक्त स्ट्रीट लाइटों क्रय शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-48/2018, दिनांक 13 जून 2018 के विपरीत किया गया है।

04-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

05-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

06-एक ही तिथि में किए गए उक्त भुगतान विना किसी कार्य योजना के पूर्णतया अनियमित एवं वसूली योग्य हैं।

अतः उक्त कार्य शासनादेश के विपरीत तथा व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹.61500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रना सिंह एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 611**

ग्राम पंचायत अमिया बावन की वर्ष-2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि ₹0
02.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु पी. कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	53750.00
02.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु पी. कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	53750.00
02.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान	32500.00
04.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु पी. कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	21500.00
05.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु पी. कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	21500.00
11.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु पी. कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	12900.00
11.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान	40000.00
25.11.2019	ह्यूम पाइप क्रय .....	77979.00
21.01.2020	ह्यूम पाइप क्रय हेतु पी. कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	28350.00
	<b>योग-</b>	<b>302229.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 302229.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रना सिंह एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर- 612

ग्राम पंचायत अमिया बावन की वर्ष-2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार सामग्री एवं मजदूरी व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	सी.सी.रोड से जंग बहादुर के घर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण	04.04.2019	शून्य	रु. 26000.00
02	कृष्ण नाथ के घर से सुफ्न के घर तक बंद नाली निर्माण	25.11.2019	रु. 56204.00 सीमेंट, बालू	शून्य
03	कृष्ण नाथ के घर से सुफ्न के घर तक बंद नाली निर्माण	09.12.2019	रु. 9990.00 ईट	शून्य
04	पप्पू पंडित के घर से मेन नाली तक बंद नाली निर्माण	25.11.2019	रु. 42121.00 सीमेंट, बालू	शून्य
05	” ” ” ”	30.11.2019	रु. 7713.00 ईट	शून्य
06	ओम प्रकाश के घर से बच्चू लाल के घर तक बंद नाली निर्माण	25.11.2019	रु. 72453.00 बालू सीमेंट	शून्य
07	” ” ” ”	30.11.2019	रु. 11295.00 ईट	शून्य
08	बच्चू लाल के घर से नाला तक बंद नाली निर्माण कार्य	25.11.2019	रु. 64708.00 बालू सीमेंट	शून्य
09	” ” ” ”	30.11.2019	रु. 9758.00 ईट	शून्य
10	राम प्रकाश के घर से ओम प्रकाश के घर तक बंद नाली निर्माण	26.11.2019	रु. 67877.00 बालू सीमेंट	शून्य
11	” ” ” ”	30.11.2019	रु. 10299.00 ईट क्रय	शून्य
	<b>योग-</b>		<b>रु. 352418.00</b>	<b>रु. 26000.00</b>
		कुल योग -	<b>. 378418.00</b>	

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां(कार्य योजना,स्टीमेट,एम.बी./मास्टररोल / व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.378418.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रना सिंह एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर- 613

- ग्राम पंचायत अमिया बावन की वर्ष-2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार प्रधान मानदेय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि	अन्य
23.07.2019	प्रधान मानदेय मार्च 2019 से जुलाई 2019 तक	17500.00	
29.01.2020	प्रधान मानदेय सितम्बर 2018 से मार्च 2019 तक	24500.00	

16.03.2020	प्रधान मानदेय अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक	42000.00	उक्त
	योग-	84000.00	

विवरणानुसार प्रधान मानदेय पर दर्शित व्यय कि जाँच में निम्न कमियां पायी गयी :-

1-क्रमांक 1 एवं 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रधान मानदेय अप्रैल 2019 से जुलाई 2019 तक कुल 04 माह का दो बार दिया गया है जो राजकीय धन का अपहरण है |

2-मानदेय वितरण के विवरण से स्पष्ट है कि अनियमित रूप से वर्ष 2018 का मानदेय बाद में तथा वर्ष 2019 का मानदेय पहले मनमाना ढंग से किया गया है |

3-लेखा परीक्षा में मानदेय रजिस्टर /मानदेय प्राप्त रसीद अप्रस्तुत रहने के कारण अवशेष मानदेय के सही होने कि जानकारी नहीं हो सकी ,साथ ही साथ यह भी जानकारी नहीं हो सकी कि कब तक का मानदेय दिया जा चुका था |

मानदेय का एक ही अवधि के लिए दोहरा भुगतान किया जाना तथा पुष्टि में मानदेय रजिस्टर /व्यय बाउचर विहीन व्यय किया जाना ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः मानदेय रजिस्टर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 84000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री रना सिंह एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(232) ग्राम पंचायत-अरसावां, विकास खण्ड-टाण्डा, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 614**

मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत अरसावां की ऑन लाईन जाँच में पाया गया कि भुआल के खेत से समीर के खेत तक मिट्टी / .खडन्जा निर्माण हेतु काका ईट उद्योग ऐनवा टांडा के बिल स052 दिनांक 18.03.19 का दुबारा प्रयोग कर रु.101650.00 का दिनांक - 22.08.19 को भुगतान किया गया है | जो अनियमित एवं वसूली योग्य है | सचिव से पूछने पर बताया कि बिल नम्बर गलत अंकित हो गया है, परन्तु मूल बिल प्रस्तुत नहीं किया जा सका |अंत ग्राम प्रधान व् ग्राम सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना :अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि की वसूली सचिव श्री राकेश कुमार यादव व ग्राम प्रधान श्री राम बचन से बराबर बराबर हिस्सों-में किया जाना अपेक्षित है।

**(233) ग्राम पंचायत-भडसारी, विकास खण्ड-टाण्डा, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 615**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 591000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली/लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक -04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षाक्षे/०प०ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक,डेबुक व आयुक्त अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। .अंत: उक्त कुल व्यय रु 591000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायत ी राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मती प्रमिलापंचायतअधिकारी , रोजगार सेवक एवं सचिव श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 616**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
04.06.2019	अरुण द्वारा नकद आहरित एवं पशुआश्रय स्थल पर छप्पर छवाने पर व्यय दर्शित	24500.00	
04.06.2019	प्रमीला द्वारा नकद आहरित इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्त का भुगतान	21750.00	
18.07.2019	अरुण द्वारा नकद आहरित एवं पशुआश्रय स्थल पर जे0सी0बी0 चलाने पर व्यय दर्शित	25000.00	

29.07.2019	अरुण द्वारा नकद आहरित एवं पशुआश्रय स्थल पर पलम्बरिंग आदि का भुगतान पर व्यय दर्शित	12300.00	
13.08.2019	अरुण द्वारा नकद आहरित एवं गौसाला स्थल तक खडंजा मरम्मत हेतु राबिस क्रय पर व्यय दर्शित	14400.00	
13.08.2019	प्रमीला द्वारा नकद आहरित गौसाला में समतलीकरण खुदाई आदि का जेसीबी को भुगतान पर व्यय दर्शित	20000.00	
	योग-	<b>200006.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

01-प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा बारी-बारी से नकद आहरण कर बिना किसी प्रमाणक के विभिन्न कार्य हेतु नकद भुगतान ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के खण्ड 5 के विपरीत है जिसमें ₹0 2000.00 से अधिक के भुगतान को एकाउण्ट पेई चेक से ही किए जाने को अनिवार्य किया गया है। अतः उक्त व्यय नियम विरुद्ध एवं वसूली योग्य है।

02-उक्त के व्यय वाउचर भी आडिट में उपलब्ध नहीं कराए जा सके जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि ₹0 200006.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती प्रमिला एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### (234) ग्राम पंचायत- अशरफपुर, विकास खण्ड-टाण्डा, जनपद- अम्बेडकरनगर

##### प्रस्तर- 617

ग्राम पंचायत अशरफपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि ₹0	अन्य
05.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29560.00	
17.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29550.00	
15.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	32500.00	
23.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	26250.00	
24.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	17600.00	
	<b>योग -</b>	<b>135460.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर पर ₹.135460.00 के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइ डी से अथवा बिना आइ डी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

4-प्रिया साफ्ट की कैश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये हैं ।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹.135460.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री अभिषेक वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

##### प्रस्तर- 618

ग्राम पंचायत की अशरफपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर रु. 61500.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
12.07.2019	स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु	61500.00
	योग-	61500,00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित स्ट्रीट लाइट क्रय पर रु.61500.00 के व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-स्ट्रीट लाइट के क्रय के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत नहीं रहा कि क्रय की गयी स्ट्रीट लाइट कहाँ-कहाँ अवस्थापित की गयी। क्रय के सापेक्ष स्टाक रजिस्टर भी अप्रस्तुत रहा। स्टाक रजिस्टर एवं विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.61500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री अभिषेक वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 619**

दिनांक-15.07.2019 एवं दिनांक-26.07.2019 को क्रमशः तिरुपति केखेत से रामरूप के घर तक खडन्जा निर्माण एवं मुन्ना साहब के बाग से इन्द्रसेन के खेत तक खडन्जा मरम्मत हेतु ईट क्रय क्रमशः रु.147856.00 एवं रु.75290.00 कुल रु.223146.00 का भुगतान B.K.B ब्रिक फील्ड के पक्ष में किया गया कैश बुक में दर्शित है। उक्त क्रय से सम्बन्धित बाउचर व्यय प्रमाणक/लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। बाउचर व्यय प्रमाणक विहीन व्यय/ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय बाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.223146.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री अभिषेक वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 620**

ग्राम पंचायत अशरफपुर मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार रु.292281.60 सामग्री एवं रु .227934.00 कुल रु .520215.60 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई मूल व्यय प्रमाणक पत्रावली/लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेशसंख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षाक्षे/०प०ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख रखाव भी नहीं किया गया- है। अतः उक्त कुल व्यय रु 520215.60 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायत ी राजसंस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु .520215.60 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री अभिषेक वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **(235) ग्राम पंचायत- चितवई, विकास खण्ड-टाण्डा, जनपद- अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर- 621**

ग्राम पंचायत चितवई की मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 840000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली/लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेशसंख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षाक्षे/०प०ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख रखाव भी नहीं किया गया- है। अतः उक्त कुल व्यय रु 840000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायत ी राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

अन्यथा कि स्थिति में रु .840000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री मती नीलम वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री मती शायदा, रोजगार सेवक एव तकनीकी सहायक से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(236) ग्राम पंचायत- दहियावर, विकास खण्ड-टाण्डा, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 622**

ग्राम पंचायत दहियावर की मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 533000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली/लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेशसंख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षाक्षे/०प०ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख रखाव भी नहीं किया गया-है। अंतः उक्त कुल व्यय रु 533000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायत राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु .533000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास श्री इन्द्रसेन /पंचायतअधिकारी , ग्राम प्रधान श्री सीताराम ,रोजगार सेवक एव तकनीकी सहायक से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(237) ग्राम पंचायत- जोतजैना, विकास खण्ड-टाण्डा, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 623**

ग्राम पंचायत जोतजैना की वर्ष 2019-20 की आनलाईन आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
08.04.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु जे.डी.कंसट्रक्शन	22500.00	
12.04.2019	हैण्डपम्प हेतु मरम्मत जे.डी.कंसट्रक्शन	12820.00	
12.04.2019	हैण्डपम्प /रिबोर हेतु जे.डी.कंसट्रक्शन	29320.00	
23.04.2019	हैण्डपम्प /रिबोर हेतु वर्मा ट्रेडिंग	29460.00	
23.04.2019	हैण्डपम्प मरम्मत वर्मा ट्रेडिंग	13558.00	
04.05.2019	हैण्डपम्प रिबोर जे.डी.कंसट्रक्शन	29520.00	
04.05.2019	हैण्डपम्प /रिबोर हेतु जे.डी.कंसट्रक्शन	16650.00	
07.05.2019	हैण्डपम्प सामग्री/मरम्मत हेतु वर्मा ट्रेडिंग	26125.00	
13.05.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मंशा राम	16200.00	
23.05.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु जे.डी.कंसट्रक्शन	11250.00	
28.05.2019	हैण्डपम्प रिबोर जे.डी.कंसट्रक्शन	23450.00	
07.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	26150.00	
02.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	18500.00	
04.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर	29850.00	
02.08.2019	हैण्डपम्प मरम्मत मंशाराम	27500.00	
02.08.2019	हैण्डपम्प मरम्मत मंशाराम	20150.00	
02.08.2019	हैण्डपम्प मरम्मत वर्मा ट्रेडिंग	23150.00	
01.10.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	22490.00	
14.10.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	22150.00	
16.10.2019	हैण्डपम्प रिबोर	29550.00	
22.10.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	11360.00	
25.10.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	19240.00	
21.11.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	19370.00	
21.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर	29150.00	
13.12.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	13850.00	
13.12.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	15550.00	

07.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर	29635.00	
07.01.2020	हैण्डपम्प मरम्मत	19948.00	
15.02.2020	हैण्डपम्प रिबोर	29550.00	
15.02.2020	हैण्डपम्प मरम्मत	23330.00	
	योग-	667326.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-हैण्डपम्प मरम्मत एव रिबोर पर रु. 667326.00 के व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2 -प्रिया साफ्ट की कैश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम अंकित नहीं किये गये हैं ।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 667326.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम नवल एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 624**

ग्राम पंचायत जोतजैना की वर्ष 2019-20 की आडिट आनलाईन कैशबुक में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्युम पाईप अवस्थापना पर रु. 299668.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
16.04.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान लाल चन्द	29150.00
16.04.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान लाल चन्द	48750.00
13.05.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान राम नेवाल (प्रधान)	5096.00
13.05.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान राम नेवाल (प्रधान)	10192.00
18.06.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान TANFAI	31800.00
01.07.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान लाल चन्द	19500.00
18.07.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान पी.कुमार	26000.00
18.07.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान पी.कुमार	21500.00
18.07.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान पी.कुमार	48750.00
24.07.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान पी.कुमार	32500.00
08/09.03.2020	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान	26430.00
	योग-	<b>299668.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित ह्युम पाईप क्रय पर रु. 299668.00 के व्ययों से सम्बन्धित बाउचर /व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-दिनांक-13.05.19 को रु. 5096.00 एव रु. 10192.00 फर्म/दुकान को भुगतान न कर ह्युम पाईप क्रय हेतु प्रधान को नकद भुगतान किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के खण्ड 5 का उलंघन है ।

अतः उक्त बाउचर /व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 299668.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम नवल एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 625**

ग्राम पंचायत जोतजैना की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-13.12.19,दिनांक-14.12.19,दिनांक-21.11.19.एव दिनांक-08.03.2020 को क्रमशःरु.64000.00, रु.56000.00,रु.80000.00 एव रु.64000.00 कुल

रु. 264000.00 बैच क्रय में व्यय किया गया है, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.264000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम नवल एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 626**

ग्राम पंचायत की जोतजैनाकी वर्ष 2019-20की आडिट आनलाईन कैशबुक में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु स्ट्रीट/सोलर लाइट क्रय एव मरम्मत पर रु. 198400.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
13.05.2019	मंशाराम मरम्मत स्ट्रीट / सोलर लाईट	34450.00
26/29.06.2019	जे.डी.कंसट्रक्शन सोलर एव लाइट मरम्मत	18500.00
04/06.07.2019	मंशाराम मेट.स्ट्रीट लाईट	18450.00
24/30.07.2019	वर्मा ट्रेडिंग स्ट्रीट लाईट मरम्मत	28600.00
23/24.12.2019	स्ट्रीट लाईट क्रय	98400.00
	योग-	198400.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर रु. 198400.00 के व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचर/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-स्ट्रीट लाइट के क्रय एव मरम्मत के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत नहीं रहा कि स्ट्रीट लाइट कहाँ-कहाँ तथा किन-किन स्थानों पर अवस्थापित तथा मरम्मत की गयी । विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है ।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 198400.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम नवल एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 627**

ग्राम पंचायत जोतजैना की आडिट आनलाईन कैशबुक में पाया गया कि कूप मरम्मत हेतु निम्न विवरणानुसार सामग्री एवं मजदूरी पर रु. 235448.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	कुलमटेरियल/ सामग्री क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	मकदूम नगर में प्रमोद के खेत सामने कूप मरम्मत	22.05.2019	-----	10244.00
		30.05.2019	31317.00	-----
		13.06.2019	27841.00	-----
		योग-	59218.00	10244.00
02	मस्जिद के पास कूप मरम्मत	22.01.2020	23968.00	8610.00
			4902.00	-----
		योग-	28870.00	8610.00
03	श्रीराम के घर के पास कूप मरम्मत	03.03.2020	24395.00	45346.00
			36395.00	-----
		08.03.2020	-----	22400.00
		योग-	60760.00	67746.00

	कुल योग-	148848.00	86600.00
	क्रमांक 1.2.3 का सम्पूर्ण योग-	235448.00	

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचर/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 235448.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम नवल एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 628**

ग्राम पंचायत जोतजैना की आडिट आनलाईन केशबुक में पाया गया कि इंटर इंटरलाकिंग हेतु निम्न विवरणानुसार सामग्री एवं मजदूरी पर रु. 361450.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	कुलमटेरियल/ सामग्री क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	मेही लाल के घर से फैज मोहम्मद के घर तक इंटर लाकिंग	08.03.2020	64900.00	18102.00
		08.03.2020	17177.00	-----
			43093.00	-----
			13430.00	-----
	योग-		138600.00	18102.00
02	फैज मोहम्मद के घर से जमुई के घर तक इंटर लाकिंग कार्य	08.03.2020	90860.00	17836.00
			96052.00	-----
	योग-		186912.00	17836.00
	कुल योग-		325512.00	35938.00
		क्रमांक 1.2. का सम्पूर्ण योग-	361450.00	

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 361450.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम नवल एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 629**

ग्राम पंचायत जोतजैना की आडिट आनलाईन केशबुक में पाया गया कि खड़जा निर्माण कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार सामग्री एवं मजदूरी पर रु. 368913.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	कुलमटेरियल/ सामग्री क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	गंगाराम के घर से आत्माराम के घर तक खड़जा निर्माण कार्य	22.01.2020	134542.00	49140.00
	योग-		134542.00	49140.00
02	आत्माराम के क घर से रामसूरत के घर तक खड़जा निर्माण कार्य	22.01.2020	135727.00	49504.00
	योग-		135727.00	49504.00

	कुल योग-	270269.00	98644.00
	क्रमांक 1.2. का सम्पूर्ण योग-	368913.00	

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 368913.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम नवल एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर- 630**

ग्राम पंचायत जोतजैना की आडिट आनलाईन कैशबुक में पाया गया कि नाली एव पटिया निर्माण कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार सामग्री एवं मजदूरी पर रु. 175245.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	कुलमटेरियल/ सामग्री क्रय	मजदूरी
01	घिरऊ यादव के घर से मेन रोड तक नाली एव पटिया निर्माण कार्य	02.01.2020	-----	26166.0
		07.01.2020	81475.00	-----
		09.01.2020	30486.00	-----
		03.01.2020	37118.00	-----
	योग-		149079.00	26166.0
			175245.00	

1- उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 175245.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम नवल एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर- 631**

ग्राम पंचायत जोतजैना की आडिट आनलाईन कैशबुक में पाया गया कि खड़जा मरम्मत कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार सामग्री एवं मजदूरी पर रु. 50225.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	कुलमटेरियल/ सामग्री क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	राम समुझ के घर से त्रिभुवन के खेत तक खड़जा मरम्मत कार्य	06.05.2019	25725.00	-----
		26.04.2019	-----	4900.00
		30.04.2019	-----	9800.00
		30.04.2019	-----	9800.00
	योग-		25725.00	24500.00
	कुल योग-		50225.00	

1- उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित बाउचर /व्यय पत्रावलियां आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- बैंक स्टेट मेंट के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि सामग्री भुगतान हेतु प्रधान को नगद किया गया है जबकि फर्म/वेंडर के खाते में किया जाना चाहिए था। अंतःभुगतान अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 50225.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम नवल एवं ग्राम सचिव श्री अजय कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर- 632**

ग्राम पंचायत जोतजैनामें मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी पर कुल व्यय रु .124000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली/लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेशसंख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षाक्षे/०५०ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख रखाव भी नहीं किया गया-है। अंतः उक्त कुल व्यय रु 124000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायत की राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इस धनराशि रु .124000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास श्री अजय कुमार वर्मा /पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान श्री राम नवल ,रोजगार सेवक एवं तकनीकी सहायक से बराबर बराबर हिस्सों में किया जाना-अपेक्षित है।

### **(238) ग्राम पंचायत- काजीपुर, विकास खण्ड-टाण्डा, जनपद- अम्बेडकरनगर**

### **प्रस्तर- 633**

ग्राम पंचायत काजीपुर की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार सामग्री एवं मजदूरी पर रु. 61182.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	फर्म का नाम	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	प्रा.वि.दरियापर की रंगाई पुताई पर व्यय		27.03.2020	-----	5460.00
02	प्रा.वि.दरियापर की रंगाई पुताई पर व्यय		27.03.2020	-----	11250.00
03	प्रा.वि.दरियापर की रंगाई पुताई पर व्यय	अंशिका ट्रेडर्स	27.03.2020	24122.00	4550.00
04	प्रा.वि.दरियापर की रंगाई पुताई पर व्यय		27.03.2020	-----	4550.00
05	प्रा.वि.दरियापर की रंगाई पुताई पर व्यय		27.03.2020	-----	11250.00
		योग-		24122.00	37060.00
		कुल योग-		61182.00	

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त कार्य पर सामग्री रु. 24122.00 के सापेक्ष मजदूरी रु. 37060.00 का भुगतान अधिक किया जाना तथा स्टीमेट ,एम्.बी. एवं प्रा. वि. की डिमांड को बार -बार मांगे जाने पर प्रस्तुत न करना व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के

अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.61182.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री जीतेन्द्र कुमार एवं ग्राम सचिव श्री मती नीलम वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 634**

ग्राम पंचायत काजीपुर की मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 230000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली/लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षाक्षे/०प०ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रखरखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु :230000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायत राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु .230000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री जीतेन्द्र कुमार एवं ग्राम सचिव श्री मती नीलम वर्मा ,रोजगार सेवक एव तकनिकी सहायक से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(239) ग्राम पंचायत- खेतापुर, विकास खण्ड-टाण्डा, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 635**

ग्राम पंचायत खेतापुर की वर्ष 2019-20 की कैश बुक/आनलाईन आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
15.04.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	31100.00	एफ एफ सी
02.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	15200.00	एफ एफ सी
28.10.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	29900,00	एफ एफ सी
28.10.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	18560.00	एफ एफ सी
28.10.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	14980.00	एफ एफ सी
28.10.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19850.00	एफ एफ सी
15.12.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19850.00	एफ एफ सी
16.02.2020	हैण्डपम्प मरम्मत विभिन्न स्थानों हेतु	19840.00	एफ एफ सी
04.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19840.00	एफ एफ सी
<b>योग-</b>		<b>189120.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-हैण्डपम्प मरम्मत एव रिबोर पर रु. 189120.00 के व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2 -प्रिया साफ्ट की कैश बुक में भुगतान किये गये फर्म्स/वेंडर के नाम भी अंकित नहीं किये गये है ।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 189120.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री सलीम अली एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है

**प्रस्तर- 636**

ग्राम पंचायत की खेतापुर की वर्ष 2019-20की ऑडिट में कैश बुक/आनलाईन कैश बुक में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु स्ट्रीट लाइट क्रय एव मरम्मत पर रु. 183600.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
29.05.2019	स्ट्रीट लाइट क्रय एव स्थापना हेतु अंकित इंटर प्राइजेज	15750.00	एफ एफ सी
30.05.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्मत जे. डी. कंस्ट्रक्शन	17250.00	एफ एफ सी

28.10.2019	सोलर/स्ट्रीट लाइट मरम्मत	57600.00	एफ एफ सी
28.10.2019	सोलर/स्ट्रीट लाइट मरम्मत	58800.00	एफ एफ सी
28.10.2019	सोलर/स्ट्रीट लाइट मरम्मत	34200.00	एफ एफ सी
		183600.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर रु. 183600.00 के व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-स्ट्रीट लाइट के क्रय एव स्थापना के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत नहीं रहा कि स्ट्रीट लाइट कहाँ-कहाँ तथा किन-किन स्थानों पर अवस्थापित तथा मरम्मत की गयी। विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

अतः उक्त व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 183600.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री खलीक अहमद एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है

### **प्रस्तर- 637**

ग्राम पंचायत खेतापुर की वर्ष 2019-20 की आडिट आनलाईन कैशबुक/कैश बुक में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्युम पाईप अवस्थापना पर रु. 44100.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
02.07.2019	ह्युम पाईप क्रय हेतु भुगतान	44100.00
	<b>योग-</b>	<b>44100.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित ह्युम पाईप क्रय पर रु. 44100.00 के व्ययों से सम्बन्धित बाउचर /व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त बाउचर /व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 44100.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री खलीक अहमद एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है

### **प्रस्तर- 638**

ग्राम पंचायत खेतापुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-28.10.2019 को क्रमशः रु.40000.00 एवं रु.40000.00 कुल रु.80000.00 बेंच क्रय में व्यय किया गया है, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। एक ही तिथि में दो बार बेंच क्रय करके भुगतान के औचित्य का स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

अतः उक्त कार्य पत्रावलि/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

अन्यथा कि स्थिति में रु. 80000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री खलीक अहमद एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है

### **प्रस्तर- 639**

ग्राम पंचायत खेतापुर की वर्ष-2019-20 की आडिट में कैश बुक/आनलाईन कैश बुक में पाया गया कि प्रा.वि.में शौचालय/मूत्रालय निर्माण हेतु निम्न विवरणानुसार सामग्री एवं मजदूरी पर रु. 78678.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	फर्म /बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक	कुल मटेरियल क्रय मजदूरी पर व्यय	
01	प्रा.वि.में शौचालय/मूत्रालय निर्माण में मजदूरी	खलीक अहमद (प्रधान)	31.05.2019	15652.00
02	प्रा.वि.में शौचालय/मूत्रालय निर्माण में सामग्री	एकता ट्रेडर्स	11.06.2019	30160.00
03	प्रा.वि.में शौचालय/मूत्रालय निर्माण में सामग्री	किसान बिल्डिंग मटेरियल	13.06.2019	11149.00
04	प्रा.वि.में शौचालय/मूत्रालय निर्माण में सामग्री	एल. एन. सी. ब्रिक	19.06.2019	21717.00
		योग-	63026.00	15652.00
		<b>कुल योग-</b>	<b>78678.00</b>	

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त विवरण से स्पष्ट है कि पहले मजदूरी भुगतान की गयी है सामग्री बाद में क्रय की गयी है। मूल कैश बुक, व्यय पत्रावली/बाउचर स्ट्रीट, एम. बी. आदि प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त की जाँच व पुष्टि नहीं हो सका। उक्त प्रपत्र प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. **78678.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री खलीक अहमद एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है

#### **प्रस्तर- 640**

ग्राम पंचायत खेतापुर की वर्ष-2019-20 की ऑडिट में कैश बुक/आनलाईन कैश बुक में पाया गया कि प्रा.वि.में खेतापुर में खडन्जा निर्माण हेतु निम्न विवरणानुसार सामग्री एवं मजदूरी पर रु. **196100.00** व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	फर्म /बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक	कुल मटेरियल क्रय मजदूरी पर व्यय	
01	प्रा.वि.में बूथसे कमरों तक खडन्जा निर्माण में मजदूरी	खलीक अहमद (प्रधान)	22.04.2019	20748.00
02	पिच रोड से बूथ तक खडन्जा निर्माण में मजदूरी	खलीक अहमद (प्रधान)	22.04.2019	31304.00
03	पिच रोड से बूथ तक खडन्जा निर्माण में सामग्री	किसान बिल्डिंग मटेरियल	26.04.2019	85947.00
04	प्रा.वि.में बूथसे कमरों तक खडन्जा निर्माण में सामग्री	एल. एन. सी. ब्रिक	26.04.2019	58101.00
		योग-	144048.00	52052.00
		<b>कुल योग-</b>	<b>196100.00</b>	

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त विवरण से स्पष्ट है कि पहले मजदूरी भुगतान की गयी है सामग्री बाद में क्रय की गयी है। मूल कैश बुक, व्यय पत्रावली/बाउचर स्ट्रीट, एम. बी. आदि प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त की जाँच व पुष्टि नहीं हो सका। उक्त प्रपत्र प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. **196100.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री खलीक अहमद एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है

#### **प्रस्तर- 641**

ग्राम पंचायत खेतापुरकी आडिट में पाया गया कि कैश बुक/आनलाईन कैश बुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में प्रा.वि.मे वाईट बोर्ड क्रय पर रु. 15000 .00 व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
19.03.2020	वाईट बोर्ड क्रय हेतु	15000.00
	योग-	15000 .00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 15000 .00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री खलीक अहमद एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है

#### **प्रस्तर- 642**

ग्राम पंचायत खेतापुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक/आनलाईन कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-03.11.2019 एव 23.01.20 को क्रमशः रु. 27231.00 की ईट एव रु. 7826.00 मजदूरी कर्मराज के घर के पास सोलिंग निर्माण पर कुल व्यय रु. 35057.00 दर्शित है, किन्तु बार-बार मौखिक एव लिखित मांग किये जाने के बावजूद उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय बाउचर,मस्टर रोल एम. बी. स्टिमेट आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.35057 .00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री खलीक अहमद एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है

#### **प्रस्तर- 643**

ग्राम पंचायत खेतापुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक/आनलाईन कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-03.11.2019 एव 23.01.20 को क्रमशः रु. 104958.00 की सामग्री एव रु. 20524.00 मजदूरी अखिलाक के घर से जलालउद्दीन के घर तक नाली मरम्मत एव पटिया निर्माण पर कुल व्यय रु. 125482.00 दर्शित है, किन्तु बार-बार मौखिक एव लिखित मांग किये जाने के बावजूद उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय बाउचर,मस्टर रोल एम. बी. स्टिमेट आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.125482.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री खलीक अहमद एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है

#### **प्रस्तर- 644**

ग्राम पंचायत खेतापुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक/आनलाईन कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-03.11.2019 एव 23.01.20 को क्रमशः रु. 32250.00 की सामग्री एव रु 7378.00 मजदूरी शकील के घर से वाहिद के घर तक नाली मरम्मत एव पटिया निर्माण पर कुल व्यय रु. 39628.00 दर्शित है, किन्तु बार-बार मौखिक एव लिखित मांग किये जाने के बावजूद उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय बाउचर,मस्टर रोल एम. बी. स्टिमेट आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.39628.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री खलीक अहमद एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है

#### **प्रस्तर- 645**

ग्राम पंचायत खेतापुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक/आनलाईन कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-03.11.2019 एव 23.01.20 को क्रमशः रु. 14820.00 की सामग्री एव रु. 5754.00 मजदूरी राम मिलन के घर से संतराम यादव के घर तक बंद नाली निर्माण पर कुल व्यय रु. 20574.00 दर्शित है, किन्तु बार-बार मौखिक एव लिखित मांग किये जाने के बावजूद उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय बाउचर,मस्टर रोल एम. बी. स्टिमेट आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.20574.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री खलीक अहमद एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है

#### **प्रस्तर- 646**

ग्राम पंचायत खेतापुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक/आनलाईन कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-03.11.2019 एव 23.01.20 को क्रमशः रु. 25735.00 (ईंट) की सामग्री एव रु. 7280.00 मजदूरी अगनू के घर से जवाहिर के घर तक खडन्जा निर्माण पर कुल व्यय रु. 33015.00 दर्शित है, किन्तु बार-बार मौखिक एव लिखित मांग किये जाने के बावजूद उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय बाउचर,मस्टर रोल एम. बी. स्टिमेट आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.33015.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री खलीक अहमद एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है

#### **प्रस्तर- 647**

ग्राम पंचायत खेतापुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक/आनलाईन कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक- 12.02.20 को रु. 93371.00 की (टाइल्स),रु. 10269.00 ब्रिक ब्लास्ट सामग्री एव रु. 21406.00 मजदूरी प्रा. वि.खेतापुर के कार्याकल्प मिशनके अंतर्गत टाइल्स फिटिंग हेतु कुल व्यय रु. 125046.00 दर्शित है, किन्तु बार-बार मौखिक एव लिखित मांग किये जाने के बावजूद उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय बाउचर,मस्टर रोल एम. बी. स्टिमेट डिमाण्ड आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.125046.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री खलीक अहमद एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है

#### **प्रस्तर- 648**

ग्राम पंचायत खेतापुर में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी पर कुल व्यय रु. 356000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली/लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेशसंख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षाक्षे/०प०ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख रखाव भी नहीं किया गया-है। अतः उक्त कुल व्यय रु 356000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायत ती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इस धनराशि रु .356000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री खलीक अहमद एवं ग्राम सचिव श्री रविन्द्र देव यादव,रोजगार सेवक एव तकनीकी सहायक से बराबर बराबर हिस्सों में-किया जाना अपेक्षित है।

**(240) ग्राम पंचायत- महेशपुर, विकास खण्ड-टाण्डा, जनपद- अम्बेडकरनगर**

#### **प्रस्तर- 649**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 1551732.00मजदूरी एव रु.36972.00सामग्री कुल रु .1588705.00 व्यय किया गया दर्शित है । उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली/लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेशसंख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक:

806/सम्प्रेक्षाक्षे/0प0ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख रखाव भी नहीं किया गया- है। अंतः उक्त कुल व्यय रू 1588705.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायत ी राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगतनियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास श्री रामजीत यादव / पंचायतअधिकारी , एवं ग्राम प्रधान श्री मती नगमा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(241) ग्राम पंचायत- मखदूमसराय, विकास खण्ड-टाण्डा, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 650**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रू0 597000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली/लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेशसंख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक -04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षाक्षे/0प0ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक, डेबुक व आयव्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रू 597000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायत ी राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास श्री इन्द्रसेन/पंचायतअधिकारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री मती फूल देवी से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 651**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रू0	अन्य
16.07.2019	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान	20150.00	
02.08.2019	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान	16200.00	
05.03.2020	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान	21000.00	
05.03.2020	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	29450.00	
	योग-	86800.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

01-हैण्डपम्प मरम्मत व्यय से सम्बन्धित सामान खरीद, लगवाई आदि के वाउचर एवं स्थान से सम्बन्धित विवरण आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

02-इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर की आइडी शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के अनुरूप उपलब्ध नहीं रही।

03-हैण्डपम्प की तकनीकी खराबी आदि की रिपोर्ट एवं मरम्मत/रिबोर के स्थान का की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। मरम्मत/रिबोर रजिस्टर भी आडिट में अप्राप्त रहा जिससे इसके पूर्व के मरम्मत/रिबोर की अवधि की जानकारी नहीं हो पाई।

उक्त वाउचर विहीन एवं अन्य प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती फूल देवी एवं ग्राम सचिव श्री इन्द्रसेन से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(242) ग्राम पंचायत- नैपुरा, विकास खण्ड-टाण्डा, जनपद- अम्बेडकरनगर**

**प्रस्तर- 652**

ग्राम पंचायत नैपुरा की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न विवरणानुसार इंटर लॉकिंग हेतु सीमेंट ईट, सामग्री एवं मजदूरी पर रू. 667378.00 व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक/व्यय विवरण	फर्म का नाम	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय

01	पप्पू के घर से राम लहन के घर तक इंटर लाकिंग में लगे सीमेंट ईट सीमेंट ,मोरंग का भुगतान	अंश ट्रेडर्स	17.07.2019	90000.00	
		डी.के.ब्रिकफिल्ड	19.07.2019	54000.00	
		अंश ट्रेडर्स	22.07.2019	15450.00	
		वर्मा खाद	24.07.2019	54000.00	
		भण्डार	24.07.2019	10530.00	19894.00
		योग		223980.00	19894.00
02	राम लहन के घर से कपिल देव के घर तक इंटर लाकिंग में लगे सीमेंट ईट	अंश ट्रेडर्स	17.07.2019	90000.00	
			19.07.2019	51000.00	
		डी.के.ब्रिकफिल्ड	22.07.2019	15332.00	
		अंश ट्रेडर्स	24.07.2019	-----	
		सीमेंट ,मोरंग का भुगतान	वर्मा खाद	24.07.2019	10530.00
		भण्डार	योग	166862.00	19712.00
03	सभाजीत के बाग से छोटे लाल के बाग तक इंटर लाकिंग में लगे सीमेंट ईट	अंश ट्रेडर्स	19.07.2019	90000.00	-----
	मोजई के बाग से राम शकल के बाग तक इंटर लाकिंग में लगे सीमेंट ईट	अंश ट्रेडर्स	24.07.2019	90000.00	-----
				56880.00	-----
			योग	146880.00	-----
		कुल योग		<b>627722.00</b>	<b>39606.00</b>
		सम्पूर्ण योग		667378.00	

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-अंश ट्रेडर्स,डी.के ब्रिक फिल्ड एव वर्मा खाद भंडार का प्रमाणकों के अभाव में इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-सभाजीत के बाग से छोटे लाल के बाग तक इंटर लाकिंग में लगे सीमेंट ईट एव मोजई के बाग से राम शकल के बाग तक इंटर लाकिंग में लगे सीमेंट ईट क्रमशःरु.90000.00 एव रु. 146880.00 अंश ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है किन्तु उक्त इंटर लाकिंग सीमेंट ईट क्रय के सापेक्ष कोई मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। व्यय की पुष्टि हेतु पत्रावली/व्यय प्रमाणक,स्टीमेट एम्.बी एव स्टाक रजिस्टर आदि प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.667378.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री सूर्यभान वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री रामजीत यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर- 653**

ग्राम पंचायत नैपुरा की मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 557000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली/लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेशसंख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षाक्षे/०प०ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख रखाव भी नहीं किया गया-है।अतः उक्त कुल व्यय रु 557000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायत राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

अन्यथा कि स्थिति में रु .557000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री सूर्यभान वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री रामजीत यादव, रोजगार सेवक एव तकनिकी सहायक से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(243) ग्राम पंचायत- पिपरी सैदपुर, विकास खण्ड-टाण्डा, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 654**

ग्राम पंचायत पिपरी सैदपुर की वर्ष 2019-20 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
12.06.2019	6 नग हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	19350.00	
02.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	29172.00	
05.07.2019	7 नग हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	21500.00	
06.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	29500.00	
09.12.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	29650.00	जबकि प्रिया साफ्ट में भुगतान 8.12.19 अंकित है
09.12.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	29650.00	जबकि प्रिया साफ्ट में भुगतान 8.12.19 अंकित है
13.12.2019	3 नग हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	11250.00	
16.12.2019	6 नग हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	19860.00	जबकि प्रिया साफ्ट में भुगतान 15.12.19अंकित है
18.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	29950.00	
19.02.2020	4 नग हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी	11950.00	जबकि प्रिया साफ्ट में भुगतान 15.02.20अंकित है
	योग-	<b>231832.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-हैण्डपम्प मरम्मत व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

4-प्रिया साफ्ट में मूल कैश बुक से पूर्व भुगतान तिथि अंकित है |भिन्न-भिन्न तिथि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है |

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 231832.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मायाराम एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 655**

ग्राम पंचायत पिपरी सैदपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की मूल कैश बुक में दिनांक-16.12.2019 (प्रिया साफ्ट में दिनांक-15.12.2019 अंकित) में स्टेशनरी क्रय पर रु. 11500.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा | व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं किया जा सका। उचित व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

बाउचर/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः बाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.11500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मायाराम एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 656**

ग्राम पंचायत पिपरी सैदपुर की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
02.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	65000.00
10.12.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु सौरभ ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	63801.00
	योग-	<b>128801.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 128801.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मायाराम एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 657**

ग्राम पंचायत पिपरी सैदपुर की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक/व्यय विवरण	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
01 रामजीत के घर से रामचेत के घर तक खडन्जा निर्माणकार्य हेतु ईट क्रय भुगतान मनीष ब्रिक फिल्ड को	26.12.2019	117071.00 ईट (सामग्री)	शून्य
02 सभाजीत के घर से रामचेत के घर तक खडन्जा निर्माणकार्य हेतु ईट क्रय भुगतान मनीष ब्रिक फिल्ड को	26.03.2020	14000.00 ईट	शून्य
योग-		<b>131071.00</b>	

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

3-स्टाक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा ,जिससे क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.131071.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मायाराम एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर- 658**

ग्राम पंचायत पिपरी सैदपुर की वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार अमिया माइनर के खुदाई व सफाई पर मजदूरी तथा सभाजीत के घर से रामचेत के घर तक नाली निर्माण (सामग्री) पर कुल रु0 945000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में

कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली/लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षाक्षे/०प०ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख रखाव भी नहीं किया गया है। अंत: उक्त कुल व्यय रु . 945000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायत राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त रु.945000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मायाराम एवं ग्राम सचिव कु. माण्डवी उपाध्याय एव रोजगार सेवक से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(244) ग्राम पंचायत- पियारेपुर, विकास खण्ड-टाण्डा, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 659**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 774000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली/लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेशसंख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक -04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षाक्षे/०प०ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आयव्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंत: उक्त कुल व्यय रु 774000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायत राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास श्री / विक्रम सागरपंचायतअधिकारी , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री विजय बहादुर से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 660**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
26.04.2019	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान	38350.00	
15.07.2019	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान	32500.00	
07.10.2019	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान	23325.00	
06.03.2020	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान	12000.00	
31.07.2019	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	96968.00	
19.10.2019	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	28740.00	
19.10.2019	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	29760.00	
19.10.2019	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	29685.00	
19.10.2019	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	29775.00	
20.02.2020	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	29533.00	
	<b>योग-</b>	<b>350636.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

01-हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर व्यय से सम्बन्धित वाउचर एवं स्थान से सम्बन्धित विवरण आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

02-इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर की आइडी शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के अनुरूप उपलब्ध नहीं रही।

03-हैण्डपम्प की तकनीकी खराबी आदि की रिपोर्ट एवं मरम्मत/रिबोर के स्थान का की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। मरम्मत/रिबोर रजिस्टर भी आडिट में अप्राप्त रहा जिससे इसके पूर्व के मरम्मत/रिबोर की अवधि की जानकारी नहीं हो पाई।

04-माह जुलाई में एक साथ 04 हैण्डपम्प तथा माह अक्टूबर 2019 में एक साथ 04 हैण्डपम्प रिबोर कराने एवं भुगतान किए जाने का कोई औचित्य नहीं रहा। इनसे प्राप्त पुराने अवशेष स्टॉक का भी कोई लेखा जोखा नहीं दिया जा सका। व्यय पत्रावली के अभाव में पूर्व के मरम्मत/रिबोर की अवधि की जानकारी नहीं हो पाई।

उक्त वाउचर विहीन एवं अन्य प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में

रु0 350636.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री विजय बहादुर एवं ग्राम सचिव श्री विक्रम सागर से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(245) ग्राम पंचायत- सलारपुर, विकास खण्ड-टाण्डा, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 661**

ग्राम पंचायत सलारपुर की वर्ष 2019-20 की मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 375000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली/लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेशसंख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षाक्षे/०प०ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख रखाव भी नहीं किया गया- है। अंतः उक्त कुल व्यय रु 375000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायत की राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु ..375000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास श्री / रामजीत यादवपंचायतअधिकारी , एवं ग्राम प्रधान श्री एहलाकरहमान से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(246) ग्राम पंचायत- ताजपुर, विकास खण्ड-टाण्डा, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 662**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 215124.00 मजदूरी व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली/ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेशसंख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षाक्षे/०प०ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख रखाव भी नहीं किया गया- है। अंतः उक्त कुल व्यय रु 215124.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायत की राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगतनियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी/पंचायतअधिकारी , एवं ग्राम प्रधान श्री कमलेश से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(247) ग्राम पंचायत- त्रिलोकपुर, विकास खण्ड-टाण्डा, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 663**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 128310.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली/लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेशसंख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षाक्षे/०प०ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख रखाव भी नहीं किया गया- है। अंतः उक्त कुल व्यय रु 128310 .00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायत की राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मती वन्दनाकुमारी एवं ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र कुमार पासवान से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**(248) ग्राम पंचायत- तुलसीपुर, विकास खण्ड-टाण्डा, जनपद- अम्बेडकरनगर  
प्रस्तर- 664**

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 533000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली/लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक -04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षाक्षे/०प०ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आयव्ययक अभिलेखों का रख- रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु 533000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायत की राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री कृष्ण कुमार वर्मा , रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्री मती अर्चना से किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर- 665**

ग्राम पंचायत की आडिट नें पाया गया कि दिनांक 25.06.2019 में अर्चना देवी को तथा दिनांक 16.07.2019 में गिरीशचन्द्र को इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत का नकद भुगतान क्रमशः ₹0 15288.00 एवं 23296.00 कुल ₹0 38584.00 का किया गया है। उक्त व्यक्ति न तो वर्क कांट्रैक्टर हैं और न ही फर्म। अतः इनको नकद भुगतान किया जाना पूर्णतया अनियमित एवं धन का गबन है। इससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक भी आडिट में उपलब्ध नहीं कराए गये। यह स्थिति ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के खण्ड 5 एवं अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के विपरीत है जिसमें क्रमशः ₹0 2000.00 से अधिक के भुगतान को एकाउण्ट पेई चेक से ही किए जाने को अनिवार्य किया गया है तथा प्रमाणक विहीन व्यय को गबन माना गया है। अतः उक्त व्यय नियम विरुद्ध एवं वसूली योग्य है।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि ₹0 38584.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती अर्चना एवं ग्राम सचिव श्री कृष्ण कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर- 666**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट एवं ह्यूमपाइप क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

कैशबुक दिनांक	कैशबुक में दर्शित विवरण	धनराशि ₹0
01.05.2019	प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट क्रय का पी कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	43050.00
01.05.2019	पी कुमार ट्रेडर्स को ह्यूम पाइप का भुगतान	12000.00
10.12.209	पी कुमार ट्रेडर्स को इण्डिया मार्का 2 हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान	10550.00
17.01.2020	आरसीसी बेंच क्रय का पी कुमार ट्रेडर्स को भुगतान	80000.00
11.03.2020	पी कुमार ट्रेडर्स को ग्राम पंचायत के विद्दालय में हवाइट बोर्ड का भुगतान	67500.00
20.03.2020	पी कुमार ट्रेडर्स को ग्राम पंचायत के प्रा0 विद्दालय में बाउंड्रीवाल, रंगाई पुताई एवं हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान	12100.00
	योग-	<b>225200.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01-उक्त वेंडर/फर्म -सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत/ह्यूम पाइप बिक्री, आरसीसी बेंच बिक्री का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02-उक्त फर्म का रजिस्ट्रेशन कैंसिल बताया गया जो जांच में सही पाया गया। स्पष्ट है कि फर्म द्वारा अनधिकृत रूप से मिलीभगत कर सामग्री आपूर्ति की गई है तथा धन का अपहरण किया गया है।
- 03- उक्त वेंडर के बिल पर अथवा अन्य किसी प्रकार से 5साल तक निःशुल्क मरम्मत की को गारंटी नहीं दी गई है।
- 04-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 05-उक्त प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत लगवाए जाने से स्थानों के नाम एवं फोटो आदि भी आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 06-उक्त क्रय पूर्व कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया की जानकारी पत्रावली के अभाव में नहीं की जा सकी।

अतः उक्त आपत्तियों के अधीन ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 (2) के अन्तर्गत अनियमित एवं वसूली योग्य है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान, ग्राम सचिव एवं जिम्मेदार अधिकारी से की गई है। अतः 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त ₹0 225200.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री मती अर्चना एवं ग्राम सचिव श्री कृष्ण कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

## **प्रारूप-4**

## **वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20**

## जनपद-अमेठी

## मण्डल-अयोध्या

ग्राम पंचायत का नाम - हेरुआ

विकास खण्ड- जामों

वर्ष - 2018-19

जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या - 01

ग्राम पंचायत हेरुआ के वित्तीय वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर पर कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार निम्नलिखित व्यय दर्शाये गये हैं-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	04.06.2018	000057	3110.00
2	04.06.2018	000058	15580.00
3	04.06.2018	000059	3110.00
4	04.06.2018	000060	16790.00
5	04.06.2018	000062	27946.00
6	13.06.2018	000061	27436.00
7	12.03.2019	000047	1310.00
8	27.03.2019	000050	3000.00
		योग	98282.00

उपर्युक्त विवरण के अनुसार आहरित कर व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली में निम्नांकित अनियमितताएं एवं आपत्तियां पायी गयी जो निम्नलिखित हैं-

1. हैण्डपम्प के लाभार्थी के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. स्टाक रजिस्टर न प्रस्तुत करने के कारण डेड स्टाक की स्थिति अज्ञात रही।
3. उक्त व्यय का जल प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृत/संस्तुति नहीं ली गयी है साथ ही कराये गये फोटो भी अप्रस्तुत रहा।
4. कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहा जिससे सिद्ध होता है कि व्यय की गयी धनराशि केवल कैशबुक में अंकित मात्र है।
5. पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-03-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के सम्बन्ध में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0/आर0ई0डी0/मण्डी परिषद/जिला पंचायत/डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा का परिपालन नहीं किया गया।
6. कार्य की तकनीकी स्वीकृत एवं वित्तीय स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही उक्त आपत्ति का निस्तारण किया जाना चाहिये।
7. हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्यय की गयी धनराशि पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 तथा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के खण्ड 8क एवं 8ख साथ ही नियम संख्या 204 एवं 205 तथा नियम 256 अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है। अतः रू. 98282.00 की आधी राशि रू. 49141.00 सचिव फैंजल अंसारी तथा आधी राशि रू. 49141.00 ग्राम प्रधान श्रीमती अनवरी से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

प्रस्तर संख्या - 02

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में जूनियर हाईस्कूल में टाइल्स एवं पेंटिंग से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	16.07.2018	000064	63700.00
2	16.07.2018	000065	98800.00
3	16.07.2018	000072	31625.00
4	24.07.2018	000066	49700.00
5	24.07.2018	000067	81134.00
6	24.07.2018	000073	47000.00
7	24.07.2018	000074	19906.00
		योग	391865.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की

धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु 391865.00 की आधी राशि रु 195932.00 सचिव फैजल अंसारी तथा आधी राशि रु. 195932.00 ग्राम प्रधान श्रीमती अनवरी से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**प्रस्तर संख्या - 03**

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में प्राथमिक पाठशाला हेरूआ में शौचालय निर्माण से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	01.02.2019	000078	61200.00
2	01.02.2019	000079	18375.00
3	01.02.2019	000080	44647.00
4	06.03.2019	000075	64700.00
		योग	188922.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु 188922.00 की आधी राशि रु 94461.00 सचिव फैजल अंसारी तथा आधी राशि रु. 94461.00 ग्राम प्रधान श्रीमती अनवरी से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**ग्राम पंचायत का नाम - गौतमपुर      विकास खण्ड- जामों      वर्ष - 2018-19      जनपद - अमेठी**

**प्रस्तर संख्या - 04**

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में नाली निर्माण व मजदूरी से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	05.01.2019	000177	9880.00
2	05.01.2019	000178	29515.00
3	05.01.2019	000179	17910.00
4	05.01.2019	000174	4900.00
5	05.01.2019	000175	9265.00
6	05.01.2019	000176	15600.00
7	22.03.2019	000152	6650.00
8	22.03.2019	000154	16177.00
		योग	109817.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु 109817.00 की आधी राशि रु 54908.50 सचिव फैजल अंसारी तथा आधी राशि रु. 54908.50 ग्राम प्रधान श्री कल्पनाथ से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**प्रस्तर संख्या - 05**

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	23.03.2019	000157	11025.00
2	23.03.2019	000158	23000.00
3	23.03.2019	000159	66908.00
4	23.03.2019	000160	17792.00
		योग	118725.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु 118725.00 की आधी राशि रु 59362.50 सचिव फैजल अंसारी तथा आधी राशि रु. 59362.50 ग्राम प्रधान श्री कल्पनाथ से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**ग्राम पंचायत का नाम - सूखीबाजगढ़ विकास खण्ड- जामों वर्ष - 2018-19 जनपद - अमेठी**  
**प्रस्तर संख्या - 06**

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	09.01.2019	000147	199720.00
		योग	199720.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु 199720.00 की आधी राशि रु 99860.00 सचिव राम कुमार तथा आधी राशि रु. 99860.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सविता सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**प्रस्तर संख्या - 07**

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में खड़न्जा निर्माण कार्य से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	06.12.2018	000146	199700.00
2	09.03.2019	000143	117232.00
		योग	316932.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु 316932.00 की आधी राशि रु 158466.00 सचिव राम कुमार तथा आधी राशि रु. 158466.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सविता सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**ग्राम पंचायत का नाम - बाजगढ़ी विकास खण्ड- जामों वर्ष - 2018-19 जनपद - अमेठी**  
**प्रस्तर संख्या - 08**

ग्राम पंचायत बाजगढ़ी के वित्तीय वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर पर कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार निम्नलिखित व्यय दर्शाये गये हैं-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	22.12.2018	000204	52920.00
2	07.02.2019	000199	20300.00
3	15.03.2019	000206	13375.00
4	22.03.2019	000201	42000.00
		योग	128595.00

उपर्युक्त विवरण के अनुसार आहरित कर व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली में निम्नांकित अनियमितताएं एवं आपत्तियां पायी गयी जो निम्नलिखित हैं-

1. हैण्डपम्प के लाभार्थी के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. स्टाक रजिस्टर न प्रस्तुत करने के कारण डेड स्टाक की स्थिति अज्ञात रही।
3. उक्त व्यय का जल प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृत/संस्तुति नहीं ली गयी है साथ ही कराये गये फोटो भी अप्रस्तुत रहा।
4. कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहा जिससे सिद्ध होता है कि व्यय की गयी धनराशि केवल कैशबुक में अंकित मात्र है।
5. पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-03-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के सम्बन्ध में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0आर0ई0डी0/मण्डी परिषद/जिला पंचायत/डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा का परिपालन नहीं किया गया।
6. कार्य की तकनीकी स्वीकृत एवं वित्तीय स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही उक्त आपत्ति का निस्तारण किया जाना चाहिये।
7. हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्यय की गयी धनराशि पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 तथा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के खण्ड 8क एवं 8ख साथ ही नियम संख्या 204 एवं 205 तथा नियम 256 अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है। अतः रु. 128595.00 की आधी राशि रु. 64297.50 सचिव शिशिर श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 64297.50 ग्राम प्रधान श्री कल्लू से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

#### प्रस्तर संख्या - 09

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में पूर्व माध्यमिक पाठशाला शौचालय मरम्मत से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	11.12.2018	000178	51400.00
2	11.12.2018	000167	24325.00
		योग	75725.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु. 75725.00 की आधी राशि रु. 37862.50 सचिव शिशिर श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 37862.50 ग्राम प्रधान श्री कल्लू से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

#### प्रस्तर संख्या - 10

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में पूर्व माध्यमिक पाठशाला में रसोईघर मरम्मत से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	12.12.2018	000176	16536.00
2	12.12.2018	000174	14500.00
3	12.12.2018	000175	36890.00
4	12.12.2018	000177	37325.00
		योग	105251.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु. 105251.00

की आधी राशि रु 56625.50 सचिव शिशिर श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 56625.50 ग्राम प्रधान श्री कल्लू से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**ग्राम पंचायत का नाम - बरौलिया विकास खण्ड- जामों वर्ष - 2018-19 जनपद - अमेठी**

**प्रस्तर संख्या - 11**

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में नाली निर्माण से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	03.11.2018	000370	96184.00
2	12.11.2018	000339	56000.00
3	12.11.2018	000371	63772.00
4	12.11.2018	000374	53416.00
5	13.11.2018	000323	46430.00
		योग	315802.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु 315802.00 की आधी राशि रु 157901.00 सचिव शिशिर श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 157901.00 ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**प्रस्तर संख्या - 12**

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	05.03.2019	000398	150833.00
2	05.03.2019	000394	38161.00
3	05.03.2019	000400	110725.00
4	05.03.2019	000395	42708.00
5	05.03.2019	000391	16811.00
6	05.03.2019	000392	16536.00
7	05.03.2019	000396	152802.00
8	05.03.2019	000405	20300.00
		योग	548876.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु 548876.00 की आधी राशि रु 274438.00 सचिव शिशिर श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 274438.00 ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**ग्राम पंचायत का नाम - आदिलपुर विकास खण्ड- जामों वर्ष - 2018-19 जनपद - अमेठी**

**प्रस्तर संख्या - 13**

ग्राम पंचायत आदिलपुर के वित्तीय वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर पर कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार निम्नलिखित व्यय दर्शाये गये हैं-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
-----	--------	------------	-----------------------------

1	04.02.2019	000244	28966.00
2	06.02.2019	000213	28966.00
3	06.02.2019	000214	28966.00
4	06.02.2019	000215	28966.00
		योग	115864.00

उपर्युक्त विवरण के अनुसार आहरित कर व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली में निम्नांकित अनियमितताएं एवं आपत्तियां पायी गयी जो निम्नलिखित हैं-

1. हैण्डपम्प के लाभार्थी के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. स्टाक रजिस्टर न प्रस्तुत करने के कारण डेड स्टाक की स्थिति अज्ञात रही।
3. उक्त व्यय का जल प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृत/संस्तुति नहीं ली गयी है साथ ही कराये गये फोटो भी अप्रस्तुत रहा।
4. कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहा जिससे सिद्ध होता है कि व्यय की गयी धनराशि केवल कैशबुक में अंकित मात्र है।
5. पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-03-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के सम्बन्ध में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0/आर0ई0डी0/मण्डी परिषद/जिला पंचायत/डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा का परिपालन नहीं किया गया।
6. कार्य की तकनीकी स्वीकृत एवं वित्तीय स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही उक्त आपत्ति का निस्तारण किया जाना चाहिये।
7. हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्यय की गयी धनराशि पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 तथा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के खण्ड 8क एवं 8ख साथ ही नियम संख्या 204 एवं 205 तथा नियम 256 अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है। अतः रू. 115864.00 की आधी राशि रू. 57932.00 सचिव फैजल अंसारी तथा आधी राशि रू. 57932.00 ग्राम प्रधान श्री बरसाती से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

#### प्रस्तर संख्या - 14

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में प्राथमिक पाठशाला बाउण्ड्रीवाल मरम्मत से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	04.02.2019	000241	41475.00
2	04.02.2019	000242	77248.00
3	04.02.2019	000243	67128.00
		योग	185851.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रू. 185851.00 की आधी राशि रू. 92925.50 सचिव फैजल अंसारी तथा आधी राशि रू. 92925.50 ग्राम प्रधान श्री बरसाती से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

#### प्रस्तर संख्या - 15

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में खड़न्जा मरम्मत तथा नाली निर्माण से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	20.02.2019	000271	35118.00
2	25.02.2019	000272	48475.00
3	25.02.2019	000273	79222.00

4	26.02.2019	000219	48000.00
5	27.02.2019	000223	50000.00
		योग	260815.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु 260815.00 की आधी राशि रु 130407.50 सचिव फैजल अंसारी तथा आधी राशि रु. 130407.50 ग्राम प्रधान श्री बरसाती से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**ग्राम पंचायत का नाम- ऐंठी विकास खण्ड-जामों वर्ष-2018-19 जनपद - अमेठी**  
**प्रस्तर संख्या - 16**

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में खड़जा निर्माण से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	14.08.2018	000394	102000.00
2	14.08.2018	000397	108045.00
3	14.08.2018	000400	113190.00
4	14.08.2018	000401	77175.00
5	14.08.2018	000402	50575.00
		योग	450985.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु 450985.00 की आधी राशि रु 225492.50 सचिव शिशिर श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 225492.50 ग्राम प्रधान श्री शेरअली से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**प्रस्तर संख्या - 17**

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	16.08.2018	000403	21213.00
2	16.08.2018	000404	94453.00
3	16.08.2018	000407	20625.00
4	16.08.2018	000440	21175.00
5	16.08.2018	000441	24500.00
6	16.08.2018	000442	195038.00
7	16.08.2018	000443	21450.00
8	16.08.2018	000444	26675.00
		योग	423129.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु

423129.00 की आधी राशि रु 211564.50 सचिव शिशिर श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 211564.50 ग्राम प्रधान श्री शेरअली से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**ग्राम पंचायत का नाम - बीरीपुर**

**विकास खण्ड- जामों वर्ष - 2018-19**

**जनपद - अमेठी**

**प्रस्तर संख्या - 18**

ग्राम पंचायत बीरीपुर के वित्तीय वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर पर केशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार निम्नलिखित व्यय दर्शाये गये हैं-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	05.01.2019	000167	19925.00
2	05.01.2019	000166	19653.00
3	08.12.2018	000146	19880.00
4	03.12.2018	000152	13605.00
	योग		73063.00

उपर्युक्त विवरण के अनुसार आहरित कर व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली में निम्नांकित अनियमितताएं एवं आपत्तियां पायी गयी जो निम्नलिखित हैं-

1. हैण्डपम्प के लाभार्थी के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. स्टॉक रजिस्टर न प्रस्तुत करने के कारण डेड स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही।
3. उक्त व्यय का जल प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृत/संस्तुति नहीं ली गयी है साथ ही कराये गये फोटो भी अप्रस्तुत रहा।
4. कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहा जिससे सिद्ध होता है कि व्यय की गयी धनराशि केवल केशबुक में अंकित मात्र है।
5. पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-03-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के सम्बन्ध में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0आर0ई0डी0/मण्डी परिषद/जिला पंचायत/डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा का परिपालन नहीं किया गया।
6. कार्य की तकनीकी स्वीकृत एवं वित्तीय स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही उक्त आपत्ति का निस्तारण किया जाना चाहिये।
7. हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्यय की गयी धनराशि पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 तथा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के खण्ड 8क एवं 8ख साथ ही नियम संख्या 204 एवं 205 तथा नियम 256 अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है। अतः रु. 73063.00 की आधी राशि रु. 36531.50 सचिव फैजल अंसारी तथा आधी राशि रु. 36531.50 ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र कुमार से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**प्रस्तर संख्या - 19**

केशबुक में विभिन्न तिथियों में खड़न्जा निर्माण से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	27.01.2019	000181	10325.00
2	02.02.2019	000177	16800.00
3	02.02.2019	000176	61166.00
4	05.02.2019	000180	68572.00
5	05.02.2019	000179	35524.00
6	05.02.2019	000182	24473.00
7	05.02.2019	000183	158145.00
	योग		375005.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक

होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु 375005.00 की आधी राशि रु 187502.50 सचिव फैजल अंसारी तथा आधी राशि रु. 187502.50 ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र कुमार से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**ग्राम पंचायत का नाम - जामों विकास खण्ड- जामों वर्ष - 2018-19 जनपद - अमेठी**

**प्रस्तर संख्या - 20**

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में खड़न्जा निर्माण से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	04.05.2018	000276	168693.00
2	04.05.2018	000277	131343.00
3	04.05.2018	000281	55979.00
4	04.05.2018	000275	42655.00
5	04.05.2018	000282	21350.00
6	10.09.2018	000380	93008.00
7	10.09.2018	000381	63912.00
8	10.09.2018	000364	21350.00
9	10.09.2018	000389	120973.00
		योग	825263.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु 825263.00 की आधी राशि रु 412631.50 सचिव शिशिर श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 412631.50 ग्राम प्रधान श्री कमलेश कुमारी से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**ग्राम पंचायत का नाम - कल्यानपुर विकास खण्ड- जामों वर्ष - 2018-19 जनपद - अमेठी**

**प्रस्तर संख्या - 21**

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	11.02.2019	000160	18700.00
2	11.02.2019	000161	18000.00
3	11.02.2019	000162	90300.00
4	11.02.2019	000163	10500.00
5	11.02.2019	000164	18700.00
6	11.02.2019	000166	18000.00
7	11.02.2019	000173	90300.00
8	11.02.2019	000182	10500.00
		योग	275000.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु

275000.00 की आधी राशि रु 137500.00 सचिव राम कुमार तथा आधी राशि रु. 137500.00 ग्राम प्रधान श्री वंशीधर से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**ग्राम पंचायत का नाम - हरदों**

**विकास खण्ड- जामों वर्ष - 2018-19**

**जनपद - अमेठी**

**प्रस्तर संख्या - 22**

ग्राम पंचायत हरदों के वित्तीय वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर पर केशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार निम्नलिखित व्यय दर्शाये गये हैं-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	20.07.2018	000255	20000.00
2	08.08.2018	000251	32650.00
3	02.08.2018	000226	21000.00
4	20.09.2018	000224	21000.00
5	03.10.2018	000227	23700.00
6	06.03.2019	000222	30710.00
		योग	149060.00

उपर्युक्त विवरण के अनुसार आहरित कर व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली में निम्नांकित अनियमितताएं एवं आपतियां पायी गयीं जो निम्नलिखित हैं-

1. हैण्डपम्प के लाभार्थी के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. स्टॉक रजिस्टर न प्रस्तुत करने के कारण डेड स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही।
3. उक्त व्यय का जल प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृत/संस्तुति नहीं ली गयी है साथ ही कराये गये फोटो भी अप्रस्तुत रहा।
4. कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहा जिससे सिद्ध होता है कि व्यय की गयी धनराशि केवल केशबुक में अंकित मात्र है।
5. पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-03-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के सम्बन्ध में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0/आर0ई0डी0/मण्डी परिषद/जिला पंचायत/डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा का परिपालन नहीं किया गया।
6. कार्य की तकनीकी स्वीकृत एवं वित्तीय स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही उक्त आपति का निस्तारण किया जाना चाहिये।
7. हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्यय की गयी धनराशि पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 तथा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के खण्ड 8क एवं 8ख साथ ही नियम संख्या 204 एवं 205 तथा नियम 256 अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है। अतः रु. 149060.00 की आधी राशि रु. 74530.00 सचिव शिशिर श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 74530.00 ग्राम प्रधान श्री चन्द्रभान से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**प्रस्तर संख्या - 23**

केशबुक में विभिन्न तिथियों में नाली निर्माण से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	05.03.2019	000206	10850.00
2	05.03.2019	000200	72572.00
3	05.03.2019	000209	57600.00
		योग	141022.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र केशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु

141022.00 की आधी राशि रु 70511.00 सचिव शिशिर श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 70511.00 ग्राम प्रधान श्री चन्द्रभान से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**ग्राम पंचायत का नाम - मूँधी विकास खण्ड- जामों वर्ष - 2018-19 जनपद - अमेठी**

**प्रस्तर संख्या - 24**

ग्राम पंचायत हरदों के वित्तीय वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर पर कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार निम्नलिखित व्यय दर्शाये गये हैं-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	06.02.2019	000207	18473.00
2	08.03.2019	000274	35000.00
3	08.03.2019	000243	21315.00
4	08.03.2019	000206	28875.00
	योग		103663.00

उपर्युक्त विवरण के अनुसार आहरित कर व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली में निम्नांकित अनियमितताएं एवं आपत्तियां पायी गयी जो निम्नलिखित हैं-

1. हैण्डपम्प के लाभार्थी के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. स्टॉक रजिस्टर न प्रस्तुत करने के कारण डेड स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही।
3. उक्त व्यय का जल प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृत/संस्तुति नहीं ली गयी है साथ ही कराये गये फोटो भी अप्रस्तुत रहा।
4. कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहा जिससे सिद्ध होता है कि व्यय की गयी धनराशि केवल कैशबुक में अंकित मात्र है।
5. पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-03-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के सम्बन्ध में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0आर0ई0डी0/मण्डी परिषद/जिला पंचायत/डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा का परिपालन नहीं किया गया।
6. कार्य की तकनीकी स्वीकृत एवं वित्तीय स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही उक्त आपत्ति का निस्तारण किया जाना चाहिये।
7. हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्यय की गयी धनराशि पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 तथा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के खण्ड 8क एवं 8ख साथ ही नियम संख्या 204 एवं 205 तथा नियम 256 अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है। अतः रु. 103663.00 की आधी राशि रु. 51831.50 सचिव शिशिर श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 51831.50 ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**प्रस्तर संख्या - 25**

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में खड़न्जा निर्माण कार्य से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	05.12.2018	000286	40555.00
2	30.12.2018	000156	25530.00
	योग		66085.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु 66085.00 की आधी राशि रु 33042.00 सचिव शिशिर श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 33042.00 ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**प्रस्तर संख्या - 26**

ग्राम पंचायत सिरखिरी के वित्तीय वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर पर केशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार निम्नलिखित व्यय दर्शाये गये हैं-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	10.12.2018	000100	20700.00
2	10.12.2018	000106	19200.00
3	01.03.2019	000108	52000.00
		योग	91900.00

उपर्युक्त विवरण के अनुसार आहरित कर व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली में निम्नांकित अनियमितताएं एवं आपत्तियां पायी गयी जो निम्नलिखित हैं-

1. हैण्डपम्प के लाभार्थी के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. स्टॉक रजिस्टर न प्रस्तुत करने के कारण डेड स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही।
3. उक्त व्यय का जल प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृत/संस्तुति नहीं ली गयी है साथ ही कराये गये फोटो भी अप्रस्तुत रहा।
4. कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहा जिससे सिद्ध होता है कि व्यय की गयी धनराशि केवल केशबुक में अंकित मात्र है।
5. पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-03-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के सम्बन्ध में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0/आर0ई0डी0/मण्डी परिषद/जिला पंचायत/डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा का परिपालन नहीं किया गया।
6. कार्य की तकनीकी स्वीकृत एवं वित्तीय स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही उक्त आपत्ति का निस्तारण किया जाना चाहिये।
7. हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्यय की गयी धनराशि पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 तथा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के खण्ड 8क एवं 8ख साथ ही नियम संख्या 204 एवं 205 तथा नियम 256 अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है। अतः रु. 91900.00 की आधी राशि रु. 45950.00 सचिव राम कुमार तथा आधी राशि रु. 45950.00 ग्राम प्रधान श्रीमती केवला से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**प्रस्तर संख्या - 27**

केशबुक में विभिन्न तिथियों में इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित आहरण एवम् किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	19.03.2019	000109	159969.00
2	19.03.2019	000110	21875.00
3	19.03.2019	000111	49300.00
		योग	231144.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र केशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु. 231144.00 की आधी राशि रु. 115572.00 सचिव राम कुमार तथा आधी राशि रु. 115572.00 ग्राम प्रधान श्रीमती केवला से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**ग्राम पंचायत का नाम - चिटहुला विकास खण्ड- जामों वर्ष - 2018-19 जनपद - अमेठी**

**प्रस्तर संख्या - 28**

ग्राम पंचायत चिटहुला के वित्तीय वर्ष 2018-19 के केशबुक में स्ट्रीटलाइट के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण अंकित है-

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	व्यय की गयी धनराशि
1	31.01.2019	000172	156250.00
2	31.01.2019	000171	156250.00
		योग-	312500.00

उपरोक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश में आई हैं-

1. प्रस्तुत किये गये कार्ययोजना में स्ट्रीटलाइट स्थलवार विवरण नहीं है।
2. कार्य के प्रस्ताव में स्ट्रीट लाइट का कोई विवरण नहीं दिया गया है।
3. लाभार्थियों के नाम विद्युत विभाग द्वारा विद्युत बिल प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही कार्यवाही रजिस्टर भी अप्रस्तुत रहा।
4. स्ट्रीट लाइट का फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. स्ट्रीट लाइट की सामग्री 'नेडा' से की जानी चाहिये जो कि नहीं की गयी है।

व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्यय की गयी धनराशि पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 तथा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के खण्ड 8क एवं खण्ड 8ख साथ ही नियम संख्या 204 एवं 205 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है। रु. 312500.00 की आधी राशि रु.156250.00 सचिव राम कुमार तथा आधी राशि रु. 156250.00 ग्राम प्रधान श्री श्यामपता से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

#### प्रस्तर संख्या - 29

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित आहरण एवम् किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	31.01.2019	000139	180000.00
2	31.01.2019	000165	200000.00
3	26.02.2019	000173	109750.00
		योग	2489750.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु 489750.00 की आधी राशि रु 244875.00 सचिव राम कुमार तथा आधी राशि रु. 244875.00 ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामपता से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

#### ग्राम पंचायत का नाम - पूरबगौरा विकास खण्ड- जामों वर्ष - 2018-19

जनपद - अमेठी

#### प्रस्तर संख्या - 30

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	01.11.2018	000171	16800.00
2	01.11.2018	000173	16800.00
3	01.11.2018	000170	98500.00
4	28.01.2019	000182	91875.00
5	01.02.2019	000180	132500.00
6	01.02.2019	000172	98500.00
7	01.02.2019	000181	49900.00
		योग	504875.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की

धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु 504875.00 की आधी राशि रु 252437.50 सचिव राम कुमार तथा आधी राशि रु. 252437.50 ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

ग्राम पंचायत का नाम - गौराविकास खण्ड- जामों वर्ष - 2018-19

जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या - 31

ग्राम पंचायत चिटहूला के वित्तीय वर्ष 2018-19 के कैशबुक में स्ट्रीटलाइट के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण अंकित हैं-

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	व्यय की गयी धनराशि
1	25.02.2019	000343	170391.00
2	02.03.2019	000271	156250.00
		योग-	326641.00

उपरोक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश में आई हैं-

1. प्रस्तुत किये गये कार्ययोजना में स्ट्रीटलाइट स्थलवार विवरण नहीं है।
2. कार्य के प्रस्ताव में स्ट्रीट लाइट का कोई विवरण नहीं दिया गया है।
3. लाभार्थियों के नाम विद्युत विभाग द्वारा विद्युत बिल प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही कार्यवाही रजिस्टर भी अप्रस्तुत रहा।
4. स्ट्रीट लाइट का फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. स्ट्रीट लाइट की सामग्री 'नेडा' से की जानी चाहिये जो कि नहीं की गयी है।
6. व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्यय की गयी धनराशि पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 तथा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के खण्ड 8क एवं खण्ड 8ख साथ ही नियम संख्या 204 एवं 205 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है। रु. 326644.00 की आधी राशि रु.163320.50 सचिव राम कुमार तथा आधी राशि रु. 163320.50 ग्राम प्रधान श्री सुखपता से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

प्रस्तर संख्या - 32

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में खड़न्जा निर्माण कार्य से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित हैं-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	09.01.2019	000309	10850.00
2	09.01.2019	000306	42400.00
3	27.01.2019	000313	120300.00
4	21.01.2019	000396	87620.00
5	21.01.2019	000397	29750.00
6	21.01.2019	000393	12775.00
7	21.01.2019	000394	87450.00
8	21.01.2019	000395	13825.00
9	03.03.2019	000281	187000.00
10	07.03.2019	000294	144160.00
11	07.03.2019	000295	25550.00
12	25.03.2019	000284	188000.00
		योग	949680.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु 949680.00 की आधी राशि रु 474840.00 सचिव राम कुमार तथा आधी राशि रु. 474840.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सुखपता से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

ग्राम पंचायत का नाम - दूरामऊ

विकास खण्ड- जामों वर्ष - 2018-19

जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या - 33

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में प्राथमिक पाठशाला के बाउण्ड्री निर्माण से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	16.10.2018	000202	42454.00
2	16.10.2018	000204	96303.00
3	30.10.2018	000228	119952.00
4	30.10.2018	000229	181296.00
5	30.10.2018	000230	40250.00
6	28.11.2018	000231	60200.00
7	28.11.2018	000232	53668.00
8	28.11.2018	000233	34935.00
9	08.02.2019	000211	91105.00
10	08.02.2019	000212	28560.00
11	13.02.2019	000205	27139.00
12	13.02.2019	000225	49608.00
13	13.02.2019	000226	97104.00
14	13.02.2019	000237	42056.00
15	13.02.2019	000209	87016.00
		योग	1051646.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु 1051646.00 की आधी राशि रु 525823.00 सचिव शिशिर श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 525823.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

ग्राम पंचायत का नाम- नेवादाकनू विकास खण्ड-संग्रामपुर वर्ष-2018-19 जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या - 34

ग्राम पंचायत नेवादाकनू के वित्तीय वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर पर कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार निम्नलिखित व्यय दर्शाये गये हैं-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	03.10.2018	000198	24955.00
2	03.10.2018	000197	24955.00
3	03.10.2018	000196	24955.00
4	03.10.2018	000195	24955.00
5	09.10.2018	000202	24955.00
6	09.10.2018	000203	24955.00
7	09.10.2018	000201	24955.00
8	09.10.2018	000200	24955.00
9	15.10.2018	000205	24955.00
10	15.10.2018	000204	24955.00
11	15.10.2018	000206	24955.00
12	16.10.2018	000207	24955.00
13	16.10.2018	000209	24955.00
14	16.10.2018	000208	24955.00
15	13.11.2018	000232	20000.00
16	13.11.2018	000231	20000.00
17	05.11.2019	000251	20000.00
18	05.11.2019	000250	20000.00
19	15.03.2019	000259	20000.00
20	15.03.2019	000261	20000.00
		योग	469370.00

उपर्युक्त विवरण के अनुसार आहरित कर व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली में निम्नांकित अनियमितताएं एवं आपत्तियां पायी गयी जो निम्नलिखित हैं-

1. हैण्डपम्प के लाभार्थी के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. स्टाक रजिस्टर न प्रस्तुत करने के कारण डेड स्टाक की स्थिति अज्ञात रही।
3. उक्त व्यय का जल प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृत/संस्तुति नहीं ली गयी है साथ ही कराये गये फोटो भी अप्रस्तुत रहा।
4. कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहा जिससे सिद्ध होता है कि व्यय की गयी धनराशि केवल कैशबुक में अंकित मात्र है।
5. पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-03-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के सम्बन्ध में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0/आर0ई0डी0/मण्डी परिषद/जिला पंचायत/डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा का परिपालन नहीं किया गया।
6. कार्य की तकनीकी स्वीकृत एवं वित्तीय स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही उक्त आपत्ति का निस्तारण किया जाना चाहिये।
7. हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्यय की गयी धनराशि पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 तथा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के खण्ड 8क एवं 8ख साथ ही नियम संख्या 204 एवं 205 तथा नियम 256 अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है। अतः रु. 469370.00 की आधी राशि रु. 234658.00 सचिव योगेश चन्द्र श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 234658.00 ग्राम प्रधान श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

#### प्रस्तर संख्या - 35

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	20.12.2018	000219	176301.00
2	20.12.2018	000444, 000445	174576.00
3	20.12.2018	000242, 000243	225639.00
4	20.12.2018	000237, 000238	243252.00
5	31.12.2018	000247, 000248	265047.00
6	27.2.2018	000254, 000255	244600.00
7	27.2.2018	000256, 000257	165363.00
8	25.03.2018	000274, 000275, 000276, 000277	220595.00
9	25.03.2018	000281	211910.00
		योग	1927283.00

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु. 1987283.00 की आधी राशि रु. 963641.50 सचिव योगेश चन्द्र श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 963641.50 ग्राम प्रधान श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

#### ग्राम पंचायत का नाम- सरैयाकनू विकास खण्ड-संग्रामपुर वर्ष-2018-19 जनपद - अमेठी

#### प्रस्तर संख्या - 36

ग्राम पंचायत सरैयाकनू के वित्तीय वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर पर कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार निम्नलिखित व्यय दर्शाये गये हैं-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	13.12.2018	000413	19796.00
2	18.12.2018	000414	19955.00
3	21.12.2018	000416	30755.00
4	21.12.2018	000417	30755.00

5	21.12.2018	000415	30755.00
6	03.01.2019	000419	30755.00
7	03.01.2019	000287	30755.00
8	03.01.2019	000418	30755.00
9	03.01.2019	000286	30755.00
10	03.01.2019	000420	30755.00
11	07.03.2019	000302	19957.00
12	07.03.2019	000303	20000.00
13	07.03.2019	000304	20000.00
14	08.03.2019	000305	19956.00
15	15.03.2019	000301	30755.00
		योग	396459.00

उपर्युक्त विवरण के अनुसार आहरित कर व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली में निम्नांकित अनियमितताएं एवं आपत्तियां पायी गयी जो निम्नलिखित हैं-

1. हैण्डपम्प के लाभार्थी के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. स्टॉक रजिस्टर न प्रस्तुत करने के कारण डेड स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही।
3. उक्त व्यय का जल प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृत/संस्तुति नहीं ली गयी है साथ ही कराये गये फोटो भी अप्रस्तुत रहा।
4. कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहा जिससे सिद्ध होता है कि व्यय की गयी धनराशि केवल कैशबुक में अंकित मात्र है।
5. पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-03-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के सम्बन्ध में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0/आर0ई0डी0/मण्डी परिषद/जिला पंचायत/डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा का परिपालन नहीं किया गया।
6. कार्य की तकनीकी स्वीकृत एवं वित्तीय स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कार्यपूति प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही उक्त आपत्ति का निस्तारण किया जाना चाहिये।
7. हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्यय की गयी धनराशि पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 तथा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के खण्ड 8क एवं 8ख साथ ही नियम संख्या 204 एवं 205 तथा नियम 256 अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है। अतः रु. 396459.00 की आधी राशि रु. 198229.50 सचिव योगेश चन्द्र श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 198229.50 ग्राम प्रधान श्री धुरवराज से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

#### प्रस्तर संख्या - 37

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित आहरण एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से दर्शित है-

क्र	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	12.02.2019	000291	42835.00
2	12.02.2019	000292	27695.00
3	19.03.2019	000317	222483.00
4	19.03.2019	000315	123971.00
5	22.03.2019	000318	26470.00
6	30.03.2019	000288	178410.00
		योग	

उपर्युक्त विवरण के अन्तर्गत किये गये आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक सम्पत्ति रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। फलतः व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण यह मात्र कैशबुक अंकित होना प्रतीत होता है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 405, 404, 456 की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः रु 621864.00 की आधी राशि रु 310932.00 सचिव योगेश चन्द्र श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 310932 ग्राम प्रधान श्री धुरवराज से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

## प्रस्तर संख्या - 38

ग्राम पंचायत सोनारीकनू के वित्तीय वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर पर कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार निम्नलिखित व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	01.11.2018	000270	20000.00
2	01.11.2018	000273	28210.00
3	01.11.2018	000274	20000.00
4	01.11.2018	000275	20000.00
5	01.11.2018	000272	28210.00
6	01.11.2018	000271	28210.00
7	30.11.2018	000278	20000.00
8	30.11.2018	000279	20000.00
9	30.11.2018	000280	20000.00
10	30.11.2018	000281	20000.00
11	30.11.2018	000282	20000.00
12	30.11.2018	000250	28010.00
13	04.01.2019	000315	28214.00
14	20.02.2019	000316	28214.00
15	20.02.2019	000254	28010.00
16	22.02.2019	000290	20000.00
17	22.02.2019	000291	20000.00
18	22.02.2019	000292	20000.00
19	22.02.2019	000293	20000.00
20	22.02.2019	000294	20000.00
		योग-	457078.00

उपर्युक्त विवरण के अनुसार आहरित कर व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली में निम्नांकित अनियमितताएं एवं आपत्तियां पायी गयी जो निम्नलिखित हैं-

1. हैण्डपम्प के लाभार्थी के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. स्टाक रजिस्टर न प्रस्तुत करने के कारण डेड स्टाक की स्थिति अज्ञात रही।
3. उक्त व्यय का जल प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृत/संस्तुति नहीं ली गयी है साथ ही कराये गये फोटो भी अप्रस्तुत रहा।
4. कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहा जिससे सिद्ध होता है कि व्यय की गयी धनराशि केवल कैशबुक में अंकित मात्र है।
5. पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-03-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के सम्बन्ध में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0/आर0ई0डी0/मण्डी परिषद/जिला पंचायत/डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा का परिपालन नहीं किया गया।
6. कार्य की तकनीकी स्वीकृत एवं वित्तीय स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही उक्त आपत्ति का निस्तारण किया जाना चाहिये।
7. हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्यय की गयी धनराशि पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 तथा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के खण्ड 8क एवं 8ख साथ ही नियम संख्या 204 एवं 205 तथा नियम 256 अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है। अतः रु. 457078.00 की आधी राशि रु 228539.00 सचिव श्री योगेश चन्द्र श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 228539.00 ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम पाण्डेय से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

## प्रस्तर संख्या - 39

कैशबुक में अंकित खड़न्जा मरम्मत एवं उस पर मजदूरी व्यय से सम्बन्धित विवरण इस प्रकार दर्शित है-

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	आहरित/व्यय धनराशि
1	30.01.2019	000311, 000312	130675.00
2	07.01.2019	000309, 000310	134645.00
3	18.03.2019	000334	4484.00
4	18.03.2019	000333	19050.00

उपर्युक्त अंकित आहरण एवं व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टॉक एवं सम्पत्ति रजिस्टर तथा तत्सम्बन्धी पत्रावली अप्रस्तुत रही जो कि वसय को अप्रमाणित एवं अपुष्ट सिद्ध करते हैं साथ ही स्पष्ट होता है कि काल्पनिक एवं कैशबुक में अंकित मात्र है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 204, 205 एवं 256 की धारा - 27 के अन्तर्गत यह शासकीय धन के अपहरण एवं गबन की श्रेणी में आता है जो वसूली योग्य है। अतः रु. 288857.00 की आधी धनराशि रु. 144427.00 सचिव श्री योगेश चन्द्र श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 144427.00 ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम पाण्डेय से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**ग्राम पंचायत का नाम- सहजीपुर विकास खण्ड-संग्रामपुर वर्ष-2018-19 जनपद - अमेठी**  
**प्रस्तर संख्या - 40**

ग्राम पंचायत सहजीपुर के वित्तीय वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर पर कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार निम्नलिखित व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	01.11.2018	000194	19996.00
2	01.11.2018	000203	19988.00
3	01.11.2018	000204	19985.00
4	01.11.2018	000205	19873.00
5	01.11.2018	000206	19987.00
6	02.11.2018	000208	24955.00
7	02.11.2018	000209	24955.00
8	02.11.2018	000210	24955.00
9	02.11.2018	000252	24955.00
10	02.11.2018	000253	24955.00
11	02.11.2018	000254	24955.00
12	02.02.2019	000262	19995.00
13	02.02.2019	000263	19983.00
14	02.02.2019	000264	19993.00
15	02.02.2019	000265	19993.00
16	02.02.2019	000266	19891.00
17	18.03.2019	000289	25955.00
18	18.03.2019	000290	24955.00
		योग-	400324.00

उपर्युक्त विवरण के अनुसार आहरित कर व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली में निम्नांकित अनियमितताएं एवं आपत्तियां पायी गयी जो निम्नलिखित हैं-

1. हैण्डपम्प के लाभार्थी के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. स्टॉक रजिस्टर न प्रस्तुत करने के कारण डेड स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही।
3. उक्त व्यय का जल प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृत/संस्तुति नहीं ली गयी है साथ ही कराये गये फोटो भी अप्रस्तुत रहा।
4. कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहा जिससे सिद्ध होता है कि व्यय की गयी धनराशि केवल कैशबुक में अंकित मात्र है।
5. पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-03-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर के सम्बन्ध में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0/आर0ई0डी0/मण्डी परिषद/जिला पंचायत/डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा का परिपालन नहीं किया गया।
6. कार्य की तकनीकी स्वीकृत एवं वित्तीय स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही उक्त आपत्ति का निस्तारण किया जाना चाहिये।
7. हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्यय की गयी धनराशि पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 तथा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के खण्ड 8क एवं 8ख साथ ही नियम संख्या 204 एवं 205 तथा नियम 256 अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है। अतः रु. 400324.00 की आधी राशि रु 200162.00 सचिव श्री योगेश चन्द्र श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 200162.00 ग्राम प्रधान श्री श्याम बहादुर से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**प्रस्तर संख्या - 41**

कैशबुक में अंकित खड्जा मरम्मत एवं उस पर मजदूरी व्यय से सम्बन्धित विवरण इस प्रकार दर्शित है-

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	आहरित/व्यय धनराशि
1	02.01.2019	551292	77560.00
2	02.01.2019	551295	150362.00
3	05.02.2019	000267	146864.00
4	05.02.2019	000269	144060.00
5	05.02.2019	000270	27035.00
6	05.02.2019	000271	145320.00
7	05.02.2019	000272	38915.00
8	25.02.2019	000268	38390.00
9	26.02.2019	000273	6310.00
10	26.02.2019	000275	17200.00
11	26.02.2019	000277	31950.00
12	26.02.2019	000279	44392.00
13	01.03.2019	000274	31950.00
14	01.03.2019	000278	49392.00
15	01.03.2019	000280	31950.00
16	01.03.2019	000281	8280.00
17	18.03.2019	000283	68100.00
18	18.03.2019	000285	34400.00
19	18.03.2019	000287	29055.00
		योग-	1091923.00

उपर्युक्त अंकित आहरण एवं व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टॉक एवं सम्पत्ति रजिस्टर तथा तत्सम्बन्धी पत्रावली अप्रस्तुत रही जो कि वसय को अप्रमाणित एवं अपुष्ट सिद्ध करते हैं साथ ही स्पष्ट होता है कि काल्पनिक एवं कैशबुक में अंकित मात्र है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 204, 205 एवं 256 की धारा - 27 के अन्तर्गत यह शासकीय धन के अपहरण एवं गबन की श्रेणी में आता है जो वसूली योग्य है। अतः रु. 1091923.00 की आधी धनराशि रु. 545961.50 सचिव श्री योगेश चन्द्र श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 545961.50 ग्राम प्रधान श्री श्यामबहादुर से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

**ग्राम पंचायत का नाम- संग्रामपुर विकास खण्ड-संग्रामपुर वर्ष-2018-19 जनपद - अमेठी**

**प्रस्तर संख्या - 42**

ग्राम पंचायत सहजीपुर के वित्तीय वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर पर कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार निम्नलिखित व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	आहरित कर व्यय की गयी धनराशि
1	02.11.2018	000325	19899.00
2	13.12.2018	000331	19946.00
3	13.12.2018	000332	19921.00
4	13.12.2018	000333	19883.00
5	07.01.2019	000345	29671.00
6	07.01.2019	000344	29671.00
7	07.01.2019	000343	29671.00
8	07.01.2019	000341	29671.00
9	07.01.2019	000346	29671.00
10	07.01.2019	000342	29671.00
11	17.01.2019	000349	19966.00
12	17.01.2019	000350	19920.00
13	22.02.2019	000392	19911.00
14	22.02.2019	000360	24955.00
15	22.02.2019	000359	24955.00
16	12.03.2019	000422	19957.00
17	12.03.2019	000405	19967.00
18	27.03.2019	000410	29671.00
19	31.03.2019	000424	19922.00
20	31.03.2019	000421	19936.00
		योग-	476835.00

उपर्युक्त विवरण के अनुसार आहरित कर व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली में निम्नांकित अनियमितताएं एवं आपत्तियां पायी गयी जो निम्नलिखित है-

1. हैण्डपम्प के लाभार्थी के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. स्टॉक रजिस्टर न प्रस्तुत करने के कारण डेड स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही।
3. उक्त व्यय का जल प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृत/संस्तुति नहीं ली गयी है साथ ही कराये गये फोटो भी अप्रस्तुत रहा।
4. कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहा जिससे सिद्ध होता है कि व्यय की गयी धनराशि केवल कैशबुक में अंकित मात्र है।
5. पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-03-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के सम्बन्ध में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0/आर0ई0डी0/मण्डी परिषद/जिला पंचायत/डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा का परिपालन नहीं किया गया।
6. कार्य की तकनीकी स्वीकृत एवं वित्तीय स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कार्यपूति प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही उक्त आपत्ति का निस्तारण किया जाना चाहिये।
7. हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्यय की गयी धनराशि पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 तथा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के खण्ड 8क एवं 8ख साथ ही नियम संख्या 204 एवं 205 तथा नियम 256 अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत शासकीय धनराशि के अपहरण/गबन के प्रयास की श्रेणी में आता है। अतः रु. 476935.00 की आधी राशि रु 238417.50 सचिव श्री योगेश चन्द्र श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 238417.50 ग्राम प्रधान श्रीमती वन्दना से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

#### प्रस्तर संख्या - 43

कैशबुक में अंकित इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित विवरण इस प्रकार दर्शित है-

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	आहरित/व्यय धनराशि
1	07.03.2019	000398	42275.00
2	08.03.2019	000403	25850.00
3	14.03.2019	000395	67759.00
4	14.03.2019	000393	232200.00
5	16.03.2019	000425	66488.00
6	16.03.2019	000399	35820.00
7	16.03.2019	000400	34016.00
8	16.03.2019	000401	131580.00
9	16.03.2019	000433	133794.00
		योग-	1545565.00

उपर्युक्त अंकित आहरण एवं व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टॉक एवं सम्पत्ति रजिस्टर तथा तत्सम्बन्धी पत्रावली अप्रस्तुत रही जो कि वसूली को अप्रमाणित एवं अपुष्ट सिद्ध करते हैं साथ ही स्पष्ट होता है कि काल्पनिक एवं कैशबुक में अंकित मात्र है। अतः पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 204, 205 एवं 256 की धारा - 27 के अन्तर्गत यह शासकीय धन के अपहरण एवं गबन की श्रेणी में आता है जो वसूली योग्य है। अतः रु. 1545565.00 की आधी धनराशि रु. 772787.50 सचिव श्री योगेश चन्द्र श्रीवास्तव तथा आधी राशि रु. 772787.50 ग्राम प्रधान श्रीमती वन्दना से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाय।

#### ग्राम पंचायत का नाम- नेवादाकनू विकास खण्ड-संग्रामपुर वर्ष-2019-20 जनपद - अमेठी

#### प्रस्तर संख्या - 44

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के अंकड़े निम्नवत् हैं-

क्रम	मद	वर्ष	व्यय
1	ग्राम निधि	2019-20	1349609.00
2	मनरेगा	2019-20	274092.00
		योग	1623701.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों के अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोष बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियों मस्टररोल माप पुस्तिकाएं सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किये गये व्यय कुल धनराशि रु. 1623701.00 की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर भाग में वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम- सरैयाबड़गाँव विकास खण्ड-संग्रामपुर वर्ष-2019-20 जनपद - अमेठी**  
**प्रस्तर संख्या - 45**

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज एवं मनरेगा पोर्टल पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आँकड़े निम्नवत् हैं-

क्रम	मद	वर्ष	व्यय
1	मनरेगा	2019-20	397000.00
2	ग्राम निधि	2019-20	105543.00
	योग		1302543.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों के अन्देखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोष बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलिआ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाए, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किये गये व्यय कुल धनराशि रु. 1302543.00 की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर भाग में वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम- सहजीपुर विकास खण्ड-संग्रामपुर वर्ष-2019-20 जनपद - अमेठी**  
**प्रस्तर संख्या - 46**

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आँकड़े निम्नवत् हैं-

क्रम	मद	वर्ष	व्यय
1	ग्राम निधि	2019-20	2441095.00
2	मनरेगा	2019-20	487760.00
	योग		2928855.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों के अन्देखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोष बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलिया, मस्टररोल, माप पुस्तिकाए, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किये गये व्यय कुल धनराशि रु. 2928855.00 की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर भाग में वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम- सोनारीकनू विकास खण्ड-संग्रामपुर वर्ष-2019-20 जनपद - अमेठी**  
**प्रस्तर संख्या - 47**

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आँकड़े निम्नवत् हैं-

क्रम	मद	वर्ष	व्यय
1	ग्राम निधि	2019-20	2118025.00
2	मनरेगा	2019-20	1522940.00
	योग		3640965.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों के अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षण हेतु संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोष बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलिया, मस्टररोल, माप पुस्तिकाए, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किये गये व्यय कुल धनराशि रु. 3640965.00 की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर भाग में वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम- संग्रामपुर विकास खण्ड-संग्रामपुर वर्ष-2019-20 जनपद - अमेठी**  
**प्रस्तर संख्या -48**

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आँकड़े निम्नवत् हैं-

क्रम	मद	वर्ष	व्यय
1	ग्राम निधि	2019-20	3274420.00
2	मनरेगा	2019-20	361452.00
	योग		

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों के अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षण हेतु संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोष बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलिया, मस्टररोल, माप पुस्तिकाए, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किये गये व्यय कुल धनराशि रु. 3635872.00 की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर भाग में वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम- सरैयाकनू विकास खण्ड-संग्रामपुर वर्ष-2019-20 जनपद - अमेठी**  
**प्रस्तर संख्या - 49**

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आँकड़े निम्नवत् हैं-

क्रम	मद	वर्ष	व्यय
1	मनरेगा	2019-20	388000.00
2	ग्राम निधि	2019-20	1753904.00
	योग		2141904.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों के अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षण हेतु संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोष बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलिया, मस्टररोल, माप पुस्तिकाए, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किये गये व्यय कुल धनराशि रु. 2141904.00 की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर भाग में वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम- तारापुर विकास खण्ड-संग्रामपुर वर्ष-2019-20 जनपद - अमेठी**  
**प्रस्तर संख्या - 50**

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज एवं मनरेगा पोर्टल पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आँकड़े निम्नवत् हैं-

क्रम	मद	वर्ष	व्यय
1	मनरेगा	2019-20	201000.00
2	ग्राम निधि	2019-20	1373049.00
	योग		1574049.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों के अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोष बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलिया, मस्टररोल, माप पुस्तिकाए, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किये गये व्यय कुल धनराशि रु. 1574049.00 की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर भाग में वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम- करौंदी विकास खण्ड-संग्रामपुर वर्ष-2019-20 जनपद - अमेठी**  
**प्रस्तर संख्या - 51**

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज एवं मनरेगा पोर्टल पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आँकड़े निम्नवत् हैं-

क्रम	मद	वर्ष	व्यय
1	मनरेगा	2019-20	430000.00
2	ग्राम निधि	2019-20	2135590.00
	योग		2565590.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों के अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोष बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ मस्टररोल, माप पुस्तिकाए, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किये गये व्यय कुल धनराशि रु. 2565590.00 की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर भाग में वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम- भौंसिनपुर विकास खण्ड-संग्रामपुर वर्ष-2019-20 जनपद - अमेठी**  
**प्रस्तर संख्या - 52**

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज एवं मनरेगा पोर्टल पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आँकड़े निम्नवत् हैं-

क्रम	मद	वर्ष	व्यय
------	----	------	------

1	ग्राम निधि	2019-20	4081251.00
2	मनरेगा	2019-20	1852226.00
	योग		5933477.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों के अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोष बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलिया, मस्टररोल, माप पुस्तिकाए, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किये गये व्यय कुल धनराशि रु. 5933477.00 की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर भाग में वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम- पुन्नपुर**                      **विकास खण्ड-संग्रामपुर**                      **वर्ष-2019-20**                      **जनपद - अमेठी**  
**प्रस्तर संख्या - 53**

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज एवं मनरेगा पोर्टल पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आँकड़े निम्नवत् हैं-

क्रम	मद	वर्ष	व्यय
1	मनरेगा	2019-20	591000.00
2	ग्राम निधि	2019-20	1254538.00
	योग		1845538.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों के अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोष बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलिया, मस्टररोल, माप पुस्तिकाए, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किये गये व्यय कुल धनराशि रु. 1845538.00 की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर भाग में वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम- मिश्रौली बड़गांव**                      **विकास खण्ड-संग्रामपुर**                      **वर्ष-2019-20**                      **जनपद - अमेठी**  
**प्रस्तर संख्या - 54**

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आँकड़े निम्नवत् हैं-

क्रम	मद	वर्ष	व्यय
1	ग्राम निधि	2019-20	2027388.00
2	मनरेगा	2019-20	631000.00
	योग		2658388.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों के अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोष बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलिया, मस्टररोल, माप पुस्तिकाए, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण

व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किये गये व्यय कुल धनराशि रु. 2658388.00 की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर भाग में वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम- पूरे मुहीबशाह विकास खण्ड-संग्रामपुर वर्ष-2019-20 जनपद - अमेठी**  
**प्रस्तर संख्या - 55**

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज एवं मनरेगा पोर्टल पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आँकड़े निम्नवत् हैं-

क्रम	मद	वर्ष	व्यय
1	ग्राम निधि	2019-20	2641306.00
2	मनरेगा	2019-20	1191000.00
	योग		3832306.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों के अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें एवं खण्ड 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोष बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ मस्टररोल, माप पुस्तिकाएँ, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किये गये व्यय कुल धनराशि रु. 3832306.00 की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर भाग में वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम- मधुपुर खादरी विकास खण्ड-संग्रामपुर वर्ष-2019-20 जनपद - अमेठी**  
**प्रस्तर संख्या - 56**

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आँकड़े निम्नवत् हैं-

क्र	मद	वर्ष	व्यय
1	मनरेगा	2019-20	216000.00
2	ग्राम निधि	2019-20	1102889.00
	योग		1318889.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों के अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें एवं खण्ड 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोष बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएँ, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किये गये व्यय कुल धनराशि रु. 1318889.00 की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर भाग में वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम- शुकुलपुर विकास खण्ड-संग्रामपुर वर्ष-2019-20 जनपद - अमेठी**  
**प्रस्तर संख्या - 57**

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आँकड़े निम्नवत् हैं-

क्र	मद	वर्ष	व्यय
1	ग्राम निधि	2019-20	891104.00
2	मनरेगा	2019-20	544000.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों के अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें एवं खण्ड 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोष बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियों मस्टररोल, माप पुस्तिकाएँ, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किये गये व्यय कुल धनराशि रु. 1435104.00 की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर भाग में वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम- ऐंधी विकास खण्ड-जामों वर्ष-2019-20 जनपद - अमेठी**  
**प्रस्तर संख्या - 58**

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ग्राम निधि से रु. 4393336.00 और मनरेगा से रु. 20801000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों को लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांग जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित सम्पूर्ण व्यय नियमों की अनदेखी करके किये गये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया सम्पूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें एवं खण्ड 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, माप पुस्तिका एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन आंकलित किया जाता है जो अधिभार के योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन किये गये सम्पूर्ण व्यय रु. 25194336.00 की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदारी तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री शिशिर श्रीवास्तव एवं ग्राम प्रधान श्री अलीशेर से बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम- हेरूआविकास खण्ड-जामों वर्ष-2019-20 जनपद - अमेठी**  
**प्रस्तर संख्या - 59**

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ग्राम निधि से रु. 517714.00 और मनरेगा से रु. 2683000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों को लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांग जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित सम्पूर्ण व्यय नियमों की अनदेखी करके किये गये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया सम्पूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें एवं खण्ड 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, माप पुस्तिका एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन आंकलित किया जाता है जो अधिभार के योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन किये गये सम्पूर्ण व्यय रु. 3200714.00 की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदारी तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री फैजल अंसारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अनवरी से बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम- पूरबगौरा विकास खण्ड-जामों वर्ष-2019-20 जनपद - अमेठी**  
**प्रस्तर संख्या -60**







**1, ग्राम पंचायत -खेवली विकास खण्ड-बीकापुर अयोध्यावर्ष-2019-20**

**प्रस्तर 1--**हैडपंप मरम्मत पर व्यय:- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में हैडपंप मरम्मत पर व्यय देखा गया है जैसे-

क्रम संख्या	तिथि	चेक संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	9-7-19	84050	19280.00	मनोज इंटर प्राइजेज
2	29-07-19	84051	35000.00	मनोज इंटर प्राइजेज
3	1-08-19	84059	30105.00	मनोज इंटर प्राइजेज
4	17-12-19	पीएफएमएस	18670.00	मनोज इंटर प्राइजेज
	.योग		103055.00	

(क) हैडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है। हैडपंप रिबोर कार्य को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल नहीं किया गया। हैडपंप रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लस एंव एक्शन साफ्ट पर न तो कोई आई०डी०जनरेट करायी गयी और न एम एसेट पर फोटोएंव जियो टैगिंग करायी गयी। अतः हैडपंप मरम्मत/रिबोर में जल निगम कि मार्गदर्शिका का पालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28 सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05 का उलंघन है ।

(ख) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर हैडपंप मरम्मत/रिबोर का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. ग्राम पंचायतों में वित्त एंव लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के खण्ड 7 खण्ड 8(क) का उलंघन किया गया

(ग) मरम्मत/रिबोर कराये गए हैडपंपों सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में मरम्मत की गई हैडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जाँच नहीं हो सकी। हैडपंप मरम्मत की कार्यदायी संस्थाओ का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, उनकी बैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे तत्सम्बन्धी समीक्षा नहीं हो पाई।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रूपया 103055.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो में श्री रविकुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती उर्मिलादेवी (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

**(सामान्यआपत्ति 20)**

**प्रस्तर 2-**

हयूम पाइप क्रय:- ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह जात हुआ कि दिनांक 30-07-2019 चेक नं० 84053 धनराशि 71140.00 हयूम पाइप क्रय हेतु धनवन्तरि क्रंकीट को भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा में दिखाये गये व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है।

(क) हयूम पाइप स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08 कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 2018 का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में हयूम पाइप स्थापना का स्टीमेट वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग)हयूम पाइप क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के खण्ड (4) खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1- 864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) हयूम पाइप क्रय का व्यय वाउचर, डिलीवरी चालान एम०बी० कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया अतः ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के खण्ड 7खण्ड 8(क) खण्ड-11 का उलंघन किया गया।

(ड) हयूम पाइप की स्थापना किस स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा नहीं किया गया

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 71140.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो में श्रीमती उर्मिला देवी (ग्राम प्रधान) एवंश्री रवि कुमार(सचिव) से किया जाना अपेक्षित है । (सामान्यआपत्ति संख्या 21)

**प्रस्तर 3-**

आर०सी०सी० बेंच क्रय पर व्यय:- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित तिथियों में आर०सी०सी० बेंच क्रय पर व्यय दिखाया गया है।

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या/पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	16-3-20	पीएफएमएस	96000.00	धनवन्तरि कंक्रीट
2	16-3-20	पीएफएमएस	96000.00	धनवन्तरि कंक्रीट
3		योग-	192000.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं

(क)-आर०-आर०सी० स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र 08 कार्ययोजना लेखा परीक्षा नहीं किया गया। अतः उ० प्र० पंचायती राज नियमावली राज नियमावली 1947 के नियम 36 नियम 218(क) का उलंघन किया गया।

(ख)आर०आर०सी०बेंच का स्टीमेंट, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) आर०सी०सी० क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -07 के खण्ड (4) खण्ड5(4) खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) आर०आर०सी० क्रय का व्यय वाउचर डिलीवरी चालान एम०बी० कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के खण्ड 7खण्ड 8(क) खण्ड 114 का उलंघन किया गया।

(ङ) आर०आर०सी० स्थापना किन स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 192000.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ङ), एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से में श्रीमती उर्मिलादेवी (ग्राम प्रधान) एवं श्री रवि कुमार (सचिव) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्यआपत्ति संख्या 22)

## 2, ग्राम पंचायत - गुन्धौर विकास खण्ड-बीकापुर अयोध्यावर्ष-2019-20

प्रस्तर4- हैंडपंप मरम्मत पर व्यय:- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या/पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	11-4-19	340	15565.00	आर0 एम0ट्रेडर्स
2	27-6-19	362	27510.00	आर0 एम0ट्रेडर्स
3	11-7-19	373	15300.00	अभिनव ट्रेडर्स
4	24-7-19	374	28900.00	आर0 एम0ट्रेडर्स
5	31-10-19	पीएफएमएस	49100.00	अभिनव ट्रेडर्स
6	12-12-19	पीएफएमएस	29620.00	वीरेन्द्र
7	28-1-20	पीएफएमएस	19900.00	अभिनव ट्रेडर्स
8	12-3-20	पीएफएमएस	36726.00	लक्ष्मी ट्रेडर्स
9	24-3-20	पीएफएमएस	25800.00	वीरेन्द्र
10	30-3-20	पीएफएमएस	34600.00	अभिनव ट्रेडर्स
		योग	283021.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं

(क) हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है। हैंडपंप रिबोर कार्य को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल नहीं किया गया। हैंडपंप रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर न तो वर्क आई.डी. जनरेट करायी गयी और न ही एम एसेट पर फोटोएवं जियो टैगिंग करायी गयी है। अतः हैंडपंप मरम्मत /रिबोर में जल निगम कि मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05 का उलंघन है।

(घ) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत/ रिबोर का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत, व्यय प्रमाणक एवं एमबी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), का उल्लंघन किया गया।

(ङ) मरम्मत/रिबोर कराये गए हैंडपंपों सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जांच नहीं हो सकी। हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, उनकी वैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे तत्समम्बन्धी समीक्षा नहीं हो पाई।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 283021.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ङ), एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्रीमती फिरता देवी (ग्राम प्रधान) एवं श्री चन्द्रिका चौबे (सचिव) से किया जाना अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति संख्या 01)

#### प्रस्तर 5-

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि विवरण हीन मद में निम्न तिथियों में एम०एस० इंटर प्राइजेज फर्म को भुगतान दिखाकर करके राजकीय धनराशि का अपहरण कर लिया गया। जिसका विवरण निम्न है।

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1	1	348	85000	एस०एस०इन्टर प्राइजेज
2	1	350	85000	एस०एस०इन्टर प्राइजेज
		योग	170000.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

- (क) (क) ग्राम पंचायत की कुल धनराशि रूपया 170000.00 का भुगतान एकाउंटपेयी चेक के बजाय बियरर चेक से करके बिना मद का उल्लेख किये ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 05(5) का उल्लंघन किया गया।
- (ख) ग्राम पंचायत की कुल धनराशि रूपया 170000.00 के व्यय संबंधी व्यय वाउचर क्रय सामग्री की डिलवरी चालान एम०बी०कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 8(क) खण्ड -11 का उल्लंघन किया जाय।
- (ग) ग्राम पंचायत को प्राप्त राजकीय अनुदान अनुदान का व्यय एकाउंटपेयी चेक द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए था परन्तु बेयरर चेक से भुगतान करके ग्राम पंचायत में क्रय एवं कार्यों पर व्यय में वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का पालन नहीं किया गया इससे ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा के अध्याय 05(3) का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 170000.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ङ) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्रीचन्द्रिका चौबे (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती फिरता देवी(ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 02)

#### प्रस्तर 6-

लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तिथियों में कूड़ादान क्रय पर व्यय दिखाया गया है -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1	12-3-20		72348.00	लक्ष्मी ट्रेडर्स
2	12-3-20		40279.00	लक्ष्मी ट्रेडर्स
3	24-3-20		72348.00	लक्ष्मी ट्रेडर्स
4		योग	184975.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

- (क) कूड़ादान क्रय की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) कूडादान क्रय की स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) कूडादान की आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण की पुष्टि में कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस, दैनिक समाचार पत्र की कटिंग, पंजीकृत फर्मों/ ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नकों सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म, धरोहर धनराशि की रसीद (उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 में निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7), फर्मों के तुलनात्मक चार्ट, स्वीकृत फर्म को सामाग्री आपूर्ति का आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि कूडादान क्रय में पारदर्शी नियमों का पालन नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया। (घ) कूडादान क्रय का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 184975.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्रीचन्द्रिका चौबे (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती फिरता देवी (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 03)

#### प्रस्तर 7-

ह्यूम पाइप क्रय:- ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित तिथियों में चेक एवं पीएफएमएस द्वारा ह्यूम पाइप क्रय हेतु धनवन्तरि कंफ्रीट का भुगतान किया गया।

क्रम संख्या	तिथि	चेक संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	26-4-19	352	97755.00	धनवन्तरि कंफ्रीट
2	26-4-19	351	97755.00	धनवन्तरि कंफ्रीट
3	22-5-19	360	97755.00	धनवन्तरि कंफ्रीट
4	30-7-19	384	97755.00	धनवन्तरि कंफ्रीट
5	30-7-19	383	97755.00	धनवन्तरि कंफ्रीट
6	30-7-19	385	48877.00	धनवन्तरि कंफ्रीट
7	11-12-19		97755.00	धनवन्तरि कंफ्रीट
8	23-1-20	पीएफएमएस	97755.00	धनवन्तरि कंफ्रीट
9	23-1-20	पीएफएमएस	97755.00	धनवन्तरि कंफ्रीट
10	30-3-20	पीएफएमएस	97755.00	धनवन्तरि कंफ्रीट
		योग	928672.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) ह्यूम पाइप स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में ह्यूम पाइप स्थापना का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) ह्यूम पाइप हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) ह्यूम पाइप व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया।

(ड) ह्यूम पाइप की स्थापना किन स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रूपया 928672.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री चन्द्रिका चौबे (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती फिरता देवी (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 8-**

आर०सी०सी० बेंच क्रय पर व्यय:-लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न लिखित तिथियों में आर०सी०सी० बेंच क्रय पर व्यय दिखाया गया है।

क्रम संख्या	तिथि	चेक संख्या	धनराशि रूपये	फर्म का नाम
1-	2-5-19	355	93500.00	एस०एस०इन्टरप्राइजेज
2	2-5-19	354	93500.00	एस०एस०इन्टरप्राइजेज
3	22-5-19	361	93500.00	एस०एस०इन्टरप्राइजेज
4	12-6-19	363	93500.00	एस०एस०इन्टरप्राइजेज
5	17-2-20	पीएफएमएस	96000.00	लक्ष्मी ट्रेडर्स
		योग	470000.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं -

(क) आर. सी. सी. बेंच स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में आर. सी. सी. बेंच स्थापना का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) आर. सी. सी. बेंच क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) आर. सी. सी. बेंच क्रय का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया।

(ङ) आर. सी. सी. बेंच की स्थापना किन स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रूपया 470000.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री चन्द्रिका चौबे (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती फिरता देवी (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्यआपत्ति 05)

**3, ग्राम पंचायत - चौरै चन्दौली विकास खण्ड-बीकापुर अयोध्यावर्ष-2019-20****प्रस्तर 9-**

(01) हैंडपंप मरम्मत पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या/पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	11-6-19		19970.00	अम्बिका प्रसाद कान्सट्रक्शन एण्ड जनरल सप्लायर्स
2	11-6-19		19930.00	अम्बिका प्रसाद कान्सट्रक्शन एण्ड जनरल सप्लायर्स
3	21-6-19		10250.00	दूबे हार्डबेयर
4	21-6-19		14250.00	दूबे हार्डबेयर
5	30-7-19		32086.00	मनोज इन्टर प्राइजेज
6	30-7-19		31838.00	अम्बिका प्रसाद कान्सट्रक्शन एण्ड जनरल सप्लायर्स
7	30-7-19		32364.00	अम्बिका प्रसाद कान्सट्रक्शन एण्ड जनरल सप्लायर्स
8	30-7-19		31500.00	अम्बिका प्रसाद कान्सट्रक्शन एण्ड जनरल सप्लायर्स
9	7-2-20		18500.00	दूबे हार्डबेयर
		योग	210688.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं

- (क) हैंड पम्प मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है। हैंड पम्प रिबोर कार्य को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल नहीं किया गया। हैंडपम्प रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान एवं एक्शन साँफ्ट पर न तो वर्क आई०डी० जनरेट करायी गयी और न ही एम एसेट पर फोटो एवं जियो टैगिंग करायी गयी है अतः हैंडपम्प मरम्मत/रिबोर में जल निगम कि मार्ग दर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितम्बर2017 का निर्देशांक-4 एवं निर्देशांक -05 का उल्लंघन है।
- (ख) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत/रिबोर का स्टीमेंट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत, व्यय प्रमाणक एवं एमबी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के खण्ड7, खण्ड 8(क) का उल्लंघन है।
- (ग) मरम्मत/रिबोर कराये गए हैंडपंपो सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में मरम्मत की गई हैंडपम्प की सूची प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जांच नहीं हो सकी। हैंडपम्प मरम्मत की कार्यदायी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, उनकी बैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे तत्सम्बन्धी समीक्षा नहीं हो पाई।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 210688.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो में श्रीमती राजकुमारी (ग्राम प्रधान) एवं श्री सुरेश कुमार(सचिव) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 20)

#### प्रस्तर 10

ह्यूम पाइप क्रय:- ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 16-12-19 को रूपया रूपया 198600.00 ह्यूम पाइप क्रय हेतु शर्मा इंटर प्राइजेज को भुगतान किया गया।

- (क)-ह्यूम पाइप स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र 08 कार्ययोजना लेखा परीक्षा नहीं किया गया। अतः उ० प्र० पंचायती राज नियमावली राज नियमावली 1947 के नियम 36 नियम 218(क) का उल्लंघन किया गया।
- (ख) लेखा परीक्षा में ह्यूम पाइप स्थापना का स्टीमेंट, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया। अतः उ० प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया।
- (ग) ह्यूम पाइप क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4) खण्ड5(4) खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का उल्लंघन किया गया।
- (घ) ह्यूम पाइप क्रय काव्यय वाउचर डिलीवरी चालान एम०बी० कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के खण्ड 7खण्ड 8(क) खण्ड 114 का उल्लंघन किया गया।
- (ड) ह्यूम पाइप की स्थापना किन्न स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 198600.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो में श्रीमती राजकुमारी (ग्राम प्रधान) एवं श्री सुरेश कुमार(सचिव) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 21)

#### प्रस्तर 11-

आर०सी०सी० बेंच क्रय:- ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 19-07-2019 को रूपया 187000.00 आर०सी०सी० बेंच क्रय हेतु शर्मा इंटर प्राइजेज को भुगतान किया गया।

- (क)-आर०-आर०सी० स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र 08 कार्ययोजना लेखा परीक्षा नहीं किया गया। अतः उ० प्र० पंचायती राज नियमावली राज नियमावली 1947 के नियम 36 नियम 218(क) का उल्लंघन किया गया।
- (ख)आर०आर०सी०बेंच का स्टीमेंट, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया। अतः उ० प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया।
- (ग) आर०सी०सी० क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -07 के खण्ड (4) खण्ड5(4) खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) आर०आर०सी क्रय का व्यय वाउचर डिलीवरी चालान एम०बी० कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के खण्ड 7खण्ड 8(क) खण्ड 114 का उलंघन किया गया।

(ड) आर०आर०सी० स्थापना किन स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 187000.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड). एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्रीमती राजकुमारी (ग्राम प्रधान) एवं श्री सुरेश कुमार(सचिव) से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 22)

#### 4, ग्राम पंचायत - दयालजोत विकास खण्ड-बीकापुर अयोध्यावर्ष-2019-20

**प्रस्तर 12-** हैंडपंप मरम्मत पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है जैसे

क्रम सं.	दिनांक	चेक संख्या/पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	16-1-20	पीएफएमएस	39590.00	मनोज इण्टर प्राइजेज
2	26-2-20	पीएफएमएस	34620.00	आर एम ट्रेडर्स
	योग		74210.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं

(क) हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है। हैंडपंप रिबोर कार्य को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल नहीं किया गया। हैंडपंप रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लस एवं एकशन सॉफ्ट पर न तो वर्क आई०डी० जनरेट करायी गयी और नहीं एम एसेट पर फोटो एवं जियो टैगिंग करायी गयी है। अतः हैंडपंप मरम्मत/रिबोर में जल निगम की मार्गदर्शिका का अनपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक-4 एवं निर्देशांक-05 का उलंघन है

(ख) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत/रिबोर का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत, व्यय प्रमाणक एवं एमबी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -08 एक खण्ड 7, खण्ड 8(क) का उलंघन किया गया।

(ग) मरम्मत/रिबोर कराये गये हैंडपंप सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जाँच नहीं हो सकी। हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र उनकी बैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे तत्सम्बन्धित समीक्षा नहीं हो पाई।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 74210.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड). एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री मिहीलाल (ग्राम प्रधान) एवं श्री अरुण कुमार (सचिव) से किया जाना अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति संख्या 20)

#### प्रस्तर 13

-ह्यूम पाइप क्रय:- ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 07-03-2020 पीएफएमएस से धनराशि-96000.00 ह्यूम पाइप क्रय हेतु ट्रेडर्स को भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा में दिखाया गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

(क) ह्यूम पाइप स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08 कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36 नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में ह्यूम पाइप स्थापना का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) ह्यूम पाइप क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के खण्ड (4) खण्ड(4) खण्ड(2) खण्ड(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) ह्यूम पाइप क्रय का व्यय वाउचर डिलीवरी चालान, एम०बी०कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08के खण्ड7,खण्ड 8(क) खण्ड-11 का उलंघन किया गया।

(ड) ह्यूम पाइप की स्थापना किन स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रूपया 96000.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे श्री अरुण कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री मिहीलाल (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्यआपत्ति 21 )

#### प्रस्तर 14

ईट क्रय:- ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह ज्ञात हा कि दिनांक 24-01-20 पीएफएमएस से धनराशि-104139.00 ईट क्रय हेतु अंश ब्रिक फील्ड को भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है।

(क)- ईट स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08 कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ० प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218(क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में ईट स्थापना का स्टीमेट, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) ईट क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के खण्ड (4)खण्ड(4)खण्ड5(2)खण्ड5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) ह्यूम पाइप क्रय का व्यय वाउचर डिलीवरी चालान, एम०बी०कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08के खण्ड7,खण्ड 8(क) खण्ड-11 का उलंघन किया गया।

(ड) ह्यूम पाइप की स्थापना किन स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रूपया 104139.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे श्री अरुण कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री मिहीलाल (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्यआपत्ति 22)

#### 5, ग्राम पंचायत - मंगारी विकास खण्ड-बीकापुर अयोध्यावर्ष-2019-20

प्रस्तर 15- ईट क्रय पर व्यय:-लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित तिथियों में ईट क्रय पर व्यय दिखाया गया है।

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या/पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	9-3-20	पीएफएमएस	83790.00	जे०के०ईट उद्योग
2	9-3-20	पीएफएमएस	85586.00	जे०के०ईट उद्योग
3	9-3-20	पीएफएमएस	35910.00	जे०के०ईट उद्योग
4	9-3-20	पीएफएमएस	98154.00	जे०के०ईट उद्योग
5	9-3-20	पीएफएमएस	26038.00	जे०के०ईट उद्योग
6	9-3-20	पीएफएमएस	32219.00	जे०के०ईट उद्योग
7	योग		361797.00	

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है

(क)-ईट क्रय से सम्बन्धित संबंधित कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218(क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में ईट क्रय का स्टीमेट वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) ईट क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 के खण्ड (4) खण्ड5(2)खण्ड 5(5) एवं शासनदेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ)ईट क्रय का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, मस्टर रोल एम०बी० कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के खण्ड7 खण्ड 8(क), खण्ड 11 का उलंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 361797.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से मे श्रीमती कृष्णा यादव (ग्राम प्रधान) एवं श्री अरुण कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 20)

**प्रस्तर 16-** ईट क्रय पर व्यय:-लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित तिथियों में ईट क्रय पर व्यय दिखाया गया है।

क्रम संख्या	तिथि	चेक संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	28-01-20		65835.00	जे०के०ईट उद्योग
2	28-01-20		113715.00	जे०के०ईट उद्योग
3	28-01-20		51770.00	जे०के०ईट उद्योग
4	28-01-20		89176.00	जे०के०ईट उद्योग
5	28-01-20		84389.00	जे०के०ईट उद्योग
6	योग		404885.00	

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क) ईट क्रय से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा मे ईट क्रय का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) ईट क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) ईट क्रय का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया।

(ङ) क्रय ईट का उपयोग किन-किन स्थानों पर किया गया, कैशबुक में उल्लेख नहीं है। और न ही मस्टररोल पर व्यय दर्शित है।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रूपया 404885.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से मे श्री अरुण कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती कृष्णा यादव (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति 21)

**6, ग्राम पंचायत - सहावाँ विकास खण्ड-बीकापुर अयोध्यावर्ष-2019-20**

**प्रस्तर 17- हैंडपंप मरम्मत पर व्यय :-** लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियो मे हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या/पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	16-04-2019	93	22700.00	अरबिन्द कुमार कान्सट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर्स
2	16-04-2019	94	24500.00	अरबिन्द कुमार कान्सट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर्स
3	02-07-2019	95	12000.00	अरबिन्द कुमार कान्सट्रक्शन एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर्स
4	02-07-2019	103	24400.00	मनोज इंटर प्राइजेज
5	02-07-2019	102	19600.00	मनोज इंटर प्राइजेज
6	01-08-2019	105	29727.00	मनोज इंटर प्राइजेज
7	13-02-2020		19744.00	शिवपूजन ठेकेदार
8	13-02-2020		19711.00	शिवपूजन ठेकेदार

9	17-03-2020		60066.00	शिवपूजन ठेकेदार
			232448.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं

(क) हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है। हैंडपंप रिबोर कार्य को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल नहीं किया गया। हैंडपंप रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर न तो वर्क आईडीजनरेट करायी गयी और नहीं एम एसेट पर फोटोएंग जियो टैगिंग करायी गयी है। अतः हैंडपंप मरम्मत/रिबोर में जल निगम की मार्गदर्शिका का अनपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक-4एवं निर्देशांक-05 का उलंघन है

(ख) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत/रिबोर का स्टीमेंट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत, व्यय प्रमाणक एवं एमबी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -08 एक खण्ड 7, खण्ड 8(क) का उलंघन किया गया।

(ग) मरम्मत/रिबोर कराये गये हैंडपंप सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जाँच नहीं हो सकी। हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र उनकी बैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे तत्सम्बन्धित समीक्षा नहीं हो पाई।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 232448.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड), एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से में श्री बृजेश कुमार (ग्राम प्रधान) एवं श्री संदीप कुमार (सचिव) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्यआपत्ति संख्या 20)

#### प्रस्तर 18-

हयूम पाइप क्रय:- ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 21-02-2020 पीएफएमएस से धनराशि-99617.00 एवं दिनांक 17-03-2020 को रूपया 98620.00 हयूम पाइप क्रय हेतु ट्रेडर्स को भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा में दिखाया गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं।

(च) हयूम पाइप स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08 कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36 नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(छ) लेखा परीक्षा में हयूम पाइप स्थापना का स्टीमेंट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ज) हयूम पाइप क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के खण्ड (4)खण्ड(4)खण्ड5(2)खण्ड5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का उलंघन किया गया।

(झ) हयूम पाइप क्रय का व्यय वाउचर डिलीवरी चालान, एम०बी०कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08के खण्ड7,खण्ड 8(क) खण्ड-11 का उलंघन किया गया।

(ञ) हयूम पाइप की स्थापना किन स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रूपया 198237.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से में श्री संदीप कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री बृजेश कुमार (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्यआपत्ति 21)

#### 7 ग्राम पंचायत - बिचाला विकास खण्ड-रुदौली अयोध्या वर्ष-2019-20

प्रस्तर 19- ग्राम पंचायतबिचाला वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि मंदिर के पास से नसीम के घर तक नाली निर्माण कार्य हेतु केशवुक में दर्शितव्यय धनराशि रु०159212.00 है ,जिसका विवरण इस प्रकार है --

क्रम सं०	चेकसंख्यादिनांक/	आहरण/व्यय धनराशि(रूपये में)	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि ( रूपये में)
			केशवुक में	बैंक स्टेटमेंट में		

1	पीएफएमएस /23-12-2019	65003.00	ए.के.ट्रेडर्स	पीएफएमएस	सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
2	पीएफएमएस /23-12-2019	53151.00	एस.बी.त्रिकफील्ड	पीएफएमएस	ईट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
3	पीएफएमएस /24-12-2019	41058.00	अरविन्द वर्मा	पीएफएमएस	मजदूरी	मस्टर रोल विहीन

कुल योग -159212.00 उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं-  
 i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।  
 ii- उक्त भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डरसम्बन्धी प्रपत्र, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।  
 iii- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।  
 iv- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।  
 v- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136 के विपरीत है।  
 अतः दर्शित व्यय रू0 159212.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है।  
 उक्त धनराशि रू0 159212.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अरविन्द वर्मा ग्राम प्रधान रू0 79606.00, श्रीमती प्रिया पाण्डेय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 79606.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 20** - ग्राम पंचायत विचाला वर्ष 2019 -20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राजेश के घरसे गिरधारी के घर तक इंटरलाकिंग कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि रू0 151682.00 है, जिसका विवरण इस प्रकार है --

क्रम सं०	चेक संख्या/दिनांक/	आहरण/व्यय धनराशि (रुपये में)	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद सामग्री / आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रुपये में)
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
1	पीएफएमएस /23-12-2019	41930.00	ए.के.ट्रेडर्स	पीएफएमएस	सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
2	पीएफएमएस /23-12-2019	32560.00	एस.बी.त्रिकफील्ड	पीएफएमएस	ईट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
3	पीएफएमएस /23-12-2019	49324.00	आर.के.इंटरप्राइजेज	पीएफएमएस	इंटरलाकिंग ईट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
4	पीएफएमएस /24-12-2019	27868.00	अरविन्द वर्मा	पीएफएमएस	मजदूरी	मस्टर रोल विहीन

कुल योग -151682.00 उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं-  
 i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।  
 ii- उक्त भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डरसम्बन्धी प्रपत्र, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।  
 iii- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।  
 iv- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।  
 v- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136 के विपरीत है।  
 अतः दर्शित व्यय रू0 151682.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है।  
 उक्त धनराशि रू0 151682.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अरविन्द वर्मा ग्राम प्रधान रू0 75841.00, श्रीमती प्रिया पाण्डेय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 75841.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 21** - ग्राम पंचायत विचाला वर्ष 2019 -20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मंदिर के पास से नसीम के घर तक खडंजा निर्माण कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि रू0 105814.00 है, जिसका विवरण इस प्रकार है --

क्रम	चेक संख्या/दिनांक/	फर्म / व्यक्ति का नाम
------	--------------------	-----------------------

सं०		आहरण/व्यय धनराशि(रुपये में )	कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में	कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि ( रूपये में)
1	पीएफएमएस /23-12-2019	76949.00	एस.बी.ब्रिकफील्ड	पीएफएमएस	ईट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
2	पीएफएमएस /24-12-2019	20620.00	अरविन्द वर्मा	पीएफएमएस	मजदूरी	मस्टर रोल विहीन
3	पीएफएमएस /29-12-2019	8245.00	महेश प्रसाद	पीएफएमएस	मिट्टी खरीद	व्यय प्रमाणक विहीन

कुल योग -105814.00 उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं- i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।ii- उक्त भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डरसम्बन्धी प्रपत्र, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।iii- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।iv- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।v- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136 के विपरीत है।अतः दर्शित व्यय रू0105814.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रू0 105814.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अरविन्द वर्मा ग्राम प्रधान रू0 52907.00 , श्रीमती प्रिया पाण्डेयग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 52907.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 22-** ग्राम पंचायत बिचाला वर्ष 2019 -20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मोबिन के घर से सड़क तक इंटरलार्किंग कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि रू० 119262.00 है, जिसका विवरण इस प्रकार है --

क्रम सं०	चेक संख्या/दिनांक/	आहरण/व्यय धनराशि(रुपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि रूपये में)
			कैशबुक	बैंक स्टेटमेंट में		
1	पीएफएमएस /28-10-2019	21096.00	ए.के.ट्रेडर्स	पीएफएमएस	सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
2	पीएफएमएस /28-10-2019	26655.00	एस.बी.ब्रिकफील्ड	पीएफएमएस	ईट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
3	पीएफएमएस /28-10-2019	57371.00	अभिषेक इंटरलार्किंग	पीएफएमएस	इंटरलार्किंग ईट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
4	पीएफएमएस /24-12-2019	14140.00	अरविन्द वर्मा	पीएफएमएस	मजदूरी	मस्टर रोल विहीन

कुल योग -119262.00 उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं- i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।ii- उक्त भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डरसम्बन्धी प्रपत्र, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।iii- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।iv- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।v- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136 के विपरीत है।अतः दर्शित व्यय रू0119262.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रू0 119262.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अरविन्द वर्मा ग्राम प्रधान रू0 59631.00 , श्रीमती प्रिया पाण्डेयग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम सचिव रू059631.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 23** ग्राम पंचायत बिचाला वर्ष 2019 -20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्राइमरी पाठशाला में बाउन्ड्री निर्माण कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि रू०245000.00 है, जिसका विवरण इस प्रकार है --

क्रम सं०	चेकसंख्यादिनांक/	आहरण/व्यय धनराशि(रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद सामग्री / आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि ( रूपये में)
			कैशबुक	बैंक स्टेटमेंट में		
1	पीएफएमएस /24-12-2019	118530.00	ए.के.ट्रेडर्स	पीएफएमएस	सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
2	पीएफएमएस /24-12-2019	38232.00	एस.बी.त्रिकफील्ड	पीएफएमएस	ईट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
3	पीएफएमएस /24-12-2019	10877.00	आर.के.इंटरप्राइजेज	पीएफएमएस	इंटरलार्किंगईट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
4	पीएफएमएस /24-12-2019	64716.00	अरविन्द वर्मा	पीएफएमएस	मजदूरी	मस्टर रोल विहीन
5	पीएफएमएस /24-12-2019	12645.00	महेश प्रसाद	पीएफएमएस	मिटटी क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन

कुल योग -245000.00उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्नआपत्तियाँ हैं:- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।ii- उक्त भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डरसम्बन्धी प्रपत्र, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।iii-लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।iv- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।v- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।अतः दर्शित व्यय ₹0245000.00धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 केअन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि ₹0 245000.00उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीअरविन्द वर्मा ग्राम प्रधान ₹0122500.00 , श्रीमती प्रिया पाण्डेयग्राम पंचायतविकास अधिकारी/ग्राम सचिव ₹0 122500.00से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

### 8 ग्राम पंचायत - जरायलकला विकास खण्ड-रूदौली अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 24-** ग्राम पंचायत जरायलकला वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्राथमिक विद्यालय पुरेलाल शाह में मरम्मत एवं रंगाई-पुताई कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित धनराशि ₹0 368424.00 है, जिसका विवरण इस प्रकार है ---

क्र..	चेकसंख्यादिनांक/	आहरण व्यय / धनराशि रूपये) ( में)	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि ( रूपये में)
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
1.	055637/15-06-2019	35000 .00	-	'ए'संगम लाल	मरम्मत हेतु सामग्री	व्यय प्रमाणक विहीन
2.	055636/15-06-2019	65000. 00	-	'ए'संगम लाल	रंगाईपुताई हेतु सामग्री	व्यय प्रमाणक विहीन
3.	055643 /18 -06-2019	8147.00	-	श्रीकांत	मरम्मत हेतु मजदूरी	व्यय प्रमाणक विहीन
4.	055642/18 -06-20 19	39617.00	-	रामतेज	रंगाईपुताई हेतु मजदूरी	व्यय प्रमाणक विहीन
5.	055646/19 -06-20 19	98878.00	-	एस जी ट्रेडर्स	रंगाईपुताई हेतु सामग्री	व्यय प्रमाणक विहीन
6.	055645/19-06-20 19	30914.00	-	एस जी ट्रेडर्स	रंगाईपुताई हेतु सामग्री	व्यय प्रमाणक विहीन
7.	055644/19 -06-20 19	90868.00	-	एस जी ट्रेडर्स	रंगाईपुताई हेतु सामग्री	व्यय प्रमाणक विहीन
कुल योग-368424 .00						

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं:-i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।ii- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।iii-लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।iv-लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं

किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।iv- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।vi- प्राथमिक विद्यालय पुरेलाल शाह में मरम्मत एवं रंगाई-पुताई कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीयस्वीकृति,प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र,उपभोग प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टण्डर रजिस्टर,शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।vii-लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुकप्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि एकाउंटपेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।viii- चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः दर्शित व्यय रू0 368424.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 , अध्याय-7 के प्रस्तर-4 ,5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्य से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 केअन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रू0 368424.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीरामतेज ग्राम प्रधान रू0 184212 , श्री श्रीकान्तकृष्णग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0184212 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 25** ग्राम पंचायत जरायलकला वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुरेलाल शाह में मरम्मत एवं रंगाई-पुताई कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित धनराशि रू0227645.00 है,जिसका विवरण इस प्रकार है --

क्र.	चेकसंख्या /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपयेमें )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री की पूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	055640 / 18-06-2019	24834.00	-	रामतेज	रंगाई-पुताई कार्य का भुगतान	व्यय प्रमाणक,मस्टररोल विहीन
2	055639 / 19-06-2019	50000.00	-	गीतांजलीइंटरप्राइजेज	रंगाई-पुताई कार्य हेतु सामग्री	व्यय प्रमाणक विहीन
3	055647 / 19-06-2019	70811.00	-	एस जी ट्रेडर्स	मरम्मत हेतु सामग्री	व्यय प्रमाणक विहीन
4	057412 / 04-07-2019	65000.00	-	गीतांजलीइंटरप्राइजेज	रंगाई-पुताई कार्य हेतु सामग्री	व्यय प्रमाणक विहीन
5	055641 / 29-07-2019	17000.00	-	ए`संगम लाल	मरम्मत हेतु सामग्री	व्यय प्रमाणक विहीन

कुल योग - 227645.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँहैं -i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।ii- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।iii- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।iv- लेखा परीक्षा में ऋयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम202केविपरीतह v - लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है। vi- पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुरेलाल शाह में मरम्मत एवं रंगाई-पुताई कार्यहेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति,प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र,उपभोग प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टण्डर रजिस्टर,शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।vii- चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।viii- लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुकप्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि एकाउंटपेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।अतः दर्शित व्यय रू0 227645.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 , अध्याय-7 के प्रस्तर-4 ,5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्य से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 केअन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रू0227645.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीरामतेज ग्राम प्रधान रू0 113822.50 श्री श्रीकान्तकृष्ण ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 113822.50 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 26** - ग्राम पंचायत जरायलकलावर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि किप्राथमिक विद्यालय जरायलकला में मरम्मत एवं रंगाई-पुताई कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित धनराशि रू0 179000.00 है ,जिसका विवरण इस प्रकार है --

क्र.	चेकसंख्या /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपयेमें )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	055649/21-06-2019	55000.00	-	गीतांजलीइंटरप्राइजेज	रंगाई-पुताई कार्य सामग्री काभुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
2	057413/17-07-2019	55000.00	-	गीतांजलीइंटरप्राइजेज	रंगाई-पुताईकार्य सामग्रीकाभुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
3	057415/01-08-2019	45000.00	-	गीतांजलीइंटरप्राइजेज	मरम्मत कार्य हेतु सामग्रीकाभुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
4	057416/01-08-2019	24000.00	-	रामतेज	रंगाई-पुताई कार्य पर मजदूरी	मस्टररोल विहीन

कुल योग

- 179000.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं-i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।iiस्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।iii- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।iv- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।v- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।vi- प्राथमिक विद्यालय जरायलकला में मरम्मत एवं रंगाई-पुताई कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।vii - चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।viii- लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुकप्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि एकाउंटपेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।अतः दर्शित व्यय रु0 179000.00धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 , अध्याय-7 के प्रस्तर-4 ,5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 केअन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रु0 179000.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीरामतेज ग्राम प्रधान रु0 89500.00 , श्री श्रीकान्तकृष्ण ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रु89500.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 27** - ग्राम पंचायत जरायलकलावर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में ह्यूमपाइप क्रय हेतु दर्शित धनराशि रु0157200.00 है ,जिसका विवरण इस प्रकार है ---

क्र.	पीएफएमएस /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपयेमें )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	पी पी ए सी 1019307910/30-10-2019	58800.00	-	-	ह्यूमपाइप क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
2	पीपीएआर 1219009585/06-01-2020	98400.00	-	-	ह्यूमपाइप क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन

कुल योग - 157200.00लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं-i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।iiस्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।iii- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।iv- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत

है।v- ह्यूमपाइप क्रयहेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/करकटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।vi - चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।अतः दर्शित व्यय धनराशि रू0 157200.00 ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रू0 157200.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री रामतेज ग्राम प्रधान रू0 78600.00 श्री श्रीकान्तकृष्णग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 78600.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 28-** ग्राम पंचायत जरायलकलावर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में हैण्डपंप मरम्मत हेतु दर्शित व्यय धनराशि रू0 100620.00 है, जिसका विवरण इस प्रकार है ---

क्र.	चेकसंख्या/पीएफएमएस/दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपयेमें)	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	055650/25-06-2019	42860.00	-	खाता संख्या 03206535748	हैण्डपंप मरम्मत हेतु सामग्री पर भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
2	पीपीएआर 1219021486/06-01-2020	57760.00	-	खाता संख्या 03492467879	हैण्डपंप मरम्मत हेतु सामग्री पर भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन

कुल योग - 100620.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं- i- व्यय धनराशि रू0 57760.00 के संबंध में कैश बुक में हैण्डपंप मरम्मत हेतु सामग्री पर भुगतान अंकित पाया गया जबकि ऑनलाइन कैश बुक में उक्त व्यय हैण्डपंप रिबोर हेतु गीतांजलि इंटरप्राइजेज को किया गया अंकित है। व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। ii- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है। iii- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है। iv- हैण्डपंप मरम्मत/रिबोर हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, स्थानों की सूची, त्रिस्तरीय फोटो आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। v- लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि एकाउंटपेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है। vi- चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः दर्शित व्यय धनराशि रू0 100620.00 ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रू0 100620.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री रामतेज ग्राम प्रधान रू0 50310.00 श्री श्रीकान्तकृष्णग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 50310.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

**प्रस्तर 29-** ग्राम पंचायत जरायलकलावर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में प्राथमिक विद्यालय जरायलकला में सी सी रोड निर्माण कार्य हेतु दर्शित व्यय धनराशि रू0 79700.00 है, जिसका विवरण इस प्रकार है --

क्र.	पीएफएमएस/दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपयेमें)	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
			अनलाइन कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	29-11-2019	79700.00	गीतांजलि इंटरप्राइजेज	03492467879	सामग्री पर भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन

लेखा परीक्षा में केशवुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है-i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।ii - स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।iii - लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।iv- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।v - लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।vi- सी सी रोड निर्माण कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेंडररजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।vii - चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।अतः दर्शित व्यय धनराशि रू0 79700.00 ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 , अध्याय-7 के प्रस्तर-4 ,5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रू0 79700.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री रामतेज ग्राम प्रधान रू0 39850.00 श्री श्रीकान्तकृष्ण ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 39850.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 30-** ग्राम पंचायत जरायलकलावर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि केशवुक में वृक्षारोपण कार्य हेतु दर्शित व्यय धनराशि रू0 196300.00 है ,जिसका विवरण इस प्रकार है ---

क्र.	पीएफएमएस / दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			केशवुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	06-01-2020	17800.00	यासीननर्सरी	03492467879	फायकस 100x178	व्यय प्रमाणक विहीन
2	06-01-2020	89500.00	यासीननर्सरी	03492467879	फायकस 500x178	व्यय प्रमाणक विहीन
3	06-01-2020	89000.00	सलीम नर्सरी	03492467879		मस्टररोल विहीन

कुल योग - 196300.00लेखा परीक्षा में केशवुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है-i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।ii - स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।iii - लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।

iv- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।

v- वृक्षारोपण कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेंडर रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।vi - चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।अतः दर्शित व्यय रू0 196300.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 , अध्याय-7 के प्रस्तर-4 ,5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रू0 196300.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री रामतेज ग्राम प्रधान रू0 98150.00 श्री श्रीकान्तकृष्णग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 98150.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 31-** ग्राम पंचायत जरायलकलावर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि केशवुक में कूड़ादान क्रय हेतु दर्शित व्यय धनराशि रू0 184000.00,जिसका विवरण इस प्रकार है -

क्र.	पीएफएमएस /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			केशवुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	पीपीएआर 1219012577/21-12-2019	92000.00	एस जी ट्रेडर्स	03492467879	कूड़ादान क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
2	पीपीएआर 0120014387/18-01-2020	92000.0	माँजगदम्बाइंटरप्राइजेज	03492467879	आरसी सी कूड़ादानक्रय	व्यय प्रमाणक विहीन

कुलयोग- 184000.00 लेखा परीक्षा में केशवुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है-i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।ii - स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं

की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।iii - लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।iv- लेखा परीक्षा में ऋयित सामग्री को स्टाक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।v - लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।vi- कूड़ादाननिर्माण कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति,प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,उपभोग प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर,शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर,स्थानों की सूची,निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।vii - चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।अतः दर्शित व्यय धनराशि रू0 184000.00 ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 , अध्याय-7 के प्रस्तर-4 ,5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 केअन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रू0 184000.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री रामतेज ग्राम प्रधान रू0 92000.00 श्री श्रीकान्तकृष्ण ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 92000.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

**प्रस्तर 32-** ग्राम पंचायत जरायलकलावर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कैशबुक आर सी सी बेंच स्थापनाहेतु दर्शित व्यय धनराशि रू० 176000.00है ,जिसका विवरण इस प्रकार है ---

क्र.	पीएफएमएस /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	पीपीएआर 1219012597/21-12-2019	96000.00	-	03492467879	आर सी सी बेंच स्थापना	व्यय प्रमाणक विहीन
2	पीपीएआर 0120014104/18-01-2020	80000.00	-	03492467879	आर सी सी बेंच स्थापना	व्यय प्रमाणक विहीन

कुल योग - 176000.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है-i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।ii - स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।iii - लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।iv- लेखा परीक्षा में ऋयित सामग्री को स्टाक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।v - लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।

vi- आर सी सी बेंच स्थापनाकार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति,प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,उपभोग प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, स्थानों की सूची,कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर,शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।vii - चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।अतः दर्शित व्यय धनराशिरू0 176000.00ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 , अध्याय-7 के प्रस्तर-4 ,5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 केअन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रू0 176000.00उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीरामतेज ग्राम प्रधान रू0 88000.00 श्री श्रीकान्तकृष्णग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 88000.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 33** ग्राम पंचायत जरायलकलावर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कैशबुकमें दर्शित भुगतान किस मद में किये गए है अंकित नहीं पाया गया ,जिसका विवरण इस प्रकार है ---

क्र.	पीएफएमएस /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
1	पीपीएआर 1219021465/06-01-2020	67056.00	गीतांजलीइंटरप्राइजेज	03492467879	-	व्यय प्रमाणक विहीन

2	पीपीएआर 1219021638/06-01-2020	18900.00	डानब्रिकफील्ड	03492467879	-	व्यय विहीन	प्रमाणक
3	पीपीएआर 1219021689/06-01-2020	16250.00	डानब्रिकफील्ड	03492467879	-	व्यय विहीन	प्रमाणक
4	पीपीएआर 1219021741/06-01-2020	47232.00	गीतांजलीइंटरप्राइजेज	03492467879	-	व्यय विहीन	प्रमाणक
5	पीपीएआर 0120014052/18-01-2020	98400.00	एस जी ट्रेडर्स	03492467879	-	व्यय विहीन	प्रमाणक
6	पीपीएआर 0120014097/18-01-2020	92000.00	एस जी ट्रेडर्स	03492467879	-	व्यय विहीन	प्रमाणक
7	पीपीएआर 120026470/29-01-2020	96000.00	एस जी ट्रेडर्स	03492467879	-	व्यय विहीन	प्रमाणक

कुल योग - 435838.00

लेखा परीक्षा में केशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं-  
 i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।  
 ii- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।  
 iii- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।  
 iv- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।  
 v- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136 के विपरीत है।  
 vi- उक्त भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।  
 vii- चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।  
 अतः दर्शित व्यय धनराशि ₹0 435838.00 ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि ₹0 435838.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री रामतेज ग्राम प्रधान ₹0 217919.00 श्री श्रीकान्तकृष्णग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव ₹0 217919.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 34** ग्राम पंचायत जरायलकलावर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि केशबुकमें माह मार्च में व्यय शून्य दर्शित है जबकि बैंक खाते से आहरण हुआ है, ऑनलाइन केश बुक में उक्त आहरण के सापेक्ष व्यय दर्शित किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है ---

क्र.	डोंगल /दिनांक	पेमेंट	आहरण / व्यय धनराशि (रूपयेमें )		फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			केशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में	केशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
1	07-03-2020	35970.00	एस जी ट्रेडर्स	03492467879	एस जी ट्रेडर्स	03492467879	हैण्डपंप मरम्मत	व्यय प्रमाणक विहीन
2	16-03-2020	41830.00		03492467879		03492467879	श्रमिकों का भुगतान	मस्टररोल विहीन
3	19-03-2020	96000.00	एस जी ट्रेडर्स	03492467879	एस जी ट्रेडर्स	03492467879	आर सी सी बैंचनिर्माण	व्यय प्रमाणक विहीन
4	21-03-2020	29364.00		03492467879		03492467879	श्रमिकों का भुगतान	मस्टररोल विहीन
5	23-03-2020	38056.00	एस जी ट्रेडर्स	03492467879	एस जी ट्रेडर्स	03492467879	सोकपिट निर्माण	व्यय प्रमाणक विहीन
6	23-03-2020	76112.00	शिवशक्तिट्रेडर्स	03492467879	शिवशक्तिट्रेडर्स	03492467879	सोकपिट निर्माण	व्यय प्रमाणक विहीन
7	23-03-2020	34797.00	गीतांजलीइंटरप्राइजेज	03492467879	गीतांजलीइंटरप्राइजेज	03492467879	आर सी सी कार्य	व्यय प्रमाणक विहीन

8	23-03-2020	5800.00	गीतांजलीइंटरप्राइजेज	03492467879	आर सी सी कार्य	व्यय विहीन	प्रमाणक
---	------------	---------	----------------------	-------------	----------------	---------------	---------

कुल योग - 357929.00

लेखा परीक्षा में केशवुक में दर्शित व्यय पर निम्न **आपत्तियाँ** है-

- i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।
- ii- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- iii- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- iv- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- v- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136 के विपरीत है।
- vi- उक्त भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- vii- चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः दर्शित व्यय धनराशि रू0 357929.00 ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 , अध्याय-7 के प्रस्तर-4,5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रू0 357929.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीरामतेज ग्राम प्रधान रू0 178965.00 श्री श्रीकान्तकृष्णग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 178964.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 35** ग्राम पंचायत जरायलकलावर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा हेतु समस्त अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 26-06-2020 को कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) में पत्र दिया गया था। पुनः दिनांक 07-12-2020, 16-12-2020, 14-01-2021, 19-02-2021 को कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) में पत्र दिये गये। कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पत्रांक 205 / 07-12-2020 द्वारा लेखापरीक्षा हेतु समस्त अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था, परन्तु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित **आपत्तियों** से सम्बंधित व्यय पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त गम्भीर प्रकरण में विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा उचित एवं ठोस कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### 9 ग्राम पंचायत - कोटरा विकास खण्ड-रुदौली अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 36** ग्राम पंचायत कोटरा वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि यासीन नर्सरी से पौधे एवं ट्री गार्ड क्रय हेतु केशवुक में दर्शित धनराशि रू0 40950.00 है, जिसका विवरण इस प्रकार है ---

क्र.	चेक संख्या / दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में)
			केशवुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	058277/ 30-04-2019	40950.00	यासीन नर्सरी	19120177798	वृक्षारोपण हेतु पौधे एवं ट्री गार्ड क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन

लेखा परीक्षा में केशवुक में दर्शित व्यय पर निम्न **आपत्तियाँ** है-

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136 के विपरीत है।
- वृक्षारोपण हेतु पौधे एवं ट्री गार्ड क्रय हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि एकाउंटपेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- केशवुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रू0 40950.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 , अध्याय-7 के प्रस्तर-4,5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-

8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 केअन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रू0 40950.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अंजुम परवेज खां ग्राम प्रधान रू0 20475.00 श्री अभिषेक सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 20475.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति सं०-17)

**प्रस्तर 37** ग्राम पंचायत कोटरा वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि उदयइन्टरप्राइजेज से आर.सी.सी.बेंच स्थापना कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित धनराशि रू० 51000.00 है ,जिसका विवरण इस प्रकार है ---

क्र.	चेकसंख्या /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री की पूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	058281 / 01-05-2019	51000.00	उदयइन्टरप्राइजेज	उदयइन्टरप्राइजेज	आर.सी.सी.बेंच स्थापना कार्य	व्यय प्रमाणक विहीन

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है-

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।
- आर.सी.सी.बेंच स्थापना कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेंडर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुकप्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि एकाउंटपेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है। अतः दर्शित व्यय रू0 51000.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 , अध्याय-7 के प्रस्तर-4 ,5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 केअन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रू0 51000.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अंजुम परवेज खां ग्राम प्रधान रू0 25500.00 , श्री अभिषेक सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 25500.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति सं०-18)

**प्रस्तर 38**-ग्राम पंचायत कोटरा वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज को हैण्डपंपरिवोर कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित धनराशि रू०116000.00 है ,जिसका विवरण इस प्रकार है ---

क्र.	चेकसंख्या /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री की पूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	058276 / 01-05-2019	58000.00	लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज	लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज	हैण्डपंपरिवोर	व्यय प्रमाणक विहीन
2	058286 / 14-06-2019	58000.00	लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज	लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज	हैण्डपंपरिवोर	व्यय प्रमाणक विहीन

कुल योग - 116000.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है-

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।

- iii- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- iv- लेखा परीक्षा में ऋयित सामग्री को स्टाक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- v- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।
- vi- हैण्डपम्पपरिबोर हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- vii- चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- viii- लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुकप्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि एकाउंटपेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- ix- केशबुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है। अतः दर्शित व्यय रु0 116000.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4,5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रु0 116000.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीअंजुम परवेज खां ग्राम प्रधान रु0 58000.00, श्री अभिषेक सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रु0 58000.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति सं०-19)

**प्रस्तर 39-**ग्राम पंचायत कोटरा वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि केशबुक में जैनुलआबदीन के घर से सैफ के घर तक नाली निर्माण एवं नाली ढक्कन ढलवाई कार्य हेतु व्यय धनराशि रु० 291588.00 अंकित है, जिसका विवरण इस प्रकार है ---

क्र.	चेकसंख्या /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			केशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	058282 / 05-2019	03-48752.00	-	ताहिर खान	नाली निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन
2	058283 / 05-2019	03-11808.00	-	ताहिर खान	नाली ढक्कन ढलवाई कार्य हेतु मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन
3	058275 / 05-2019	04-84312.00	हसनट्रेडर्स	हसनट्रेडर्स	सीमेंट, बालू, मोरंग, पत्थरगिट्टी, सरिया का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
4	058284 / 05-2019	04-69903.00	-	हसनट्रेडर्स	सीमेंट, बालू, मोरंग का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
5	058287 / 07-2019	02-76813.00	सोना ब्रिकफील्ड	19183146201	ईंट का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन

कुल योग - 291588.00

लेखा परीक्षा में केशबुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं-

- i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।
- ii - स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- iii - लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- iv- लेखा परीक्षा में ऋयित सामग्री को स्टाक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- v - लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।
- vi- नाली निर्माण एवं नाली ढक्कन ढलवाई कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- vii - चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- viii- लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुकप्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि एकाउंटपेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।

ix- कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है। अतः दर्शित व्यय रू0 291588.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 , अध्याय-7 के प्रस्तर-4,5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 केअन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रू0291588.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अंजुम परवेज खां ग्राम प्रधान रू0 145794.00 श्री अभिषेक सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 145794.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति सं०-20)

**प्रस्तर 40** - ग्राम पंचायत कोटरा वर्ष2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि श्री राम ट्रेडर्स को सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ादान निर्माण कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित भुगतानित धनराशि रू० 48100.00 है ,जिसका विवरण इस प्रकार है ---

क्र.	डॉंगल पेमेंट /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	31-12-2019	48100.00	श्री राम ट्रेडर्स	03492467879	कूड़ादान निर्माण कार्य हेतु भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है-

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।
- सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ादान निर्माण कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति,प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र,उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर,शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुकप्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि एकाउंटपेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है। अतः दर्शित व्यय रू0 48100.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 , अध्याय-7 के प्रस्तर-4,5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 केअन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रू0 48100.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अंजुम परवेज खां ग्राम प्रधान रू0 24050.00 श्री अभिषेक सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 24050.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति सं०-21)

**प्रस्तर 41**-ग्राम पंचायत कोटरा वर्ष2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि सुबान के घर से असलम के घर तक खडंजा निर्माण कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि रू० 171530.00 है ,जिसका विवरण इस प्रकार है ---

क्र.	डॉंगल पेमेंट / दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	26-03-2020	51770.00	सागर त्रिकफील्ड	03492467879	खडंजा निर्माण हेतु ईट का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
2	26-03-2020	62543.00	एस वीत्रिक	03492467879	खडंजा निर्माण हेतु ईट का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
3	26-03-2020	35274.00	-	03492467879	श्रमिक भुगतान	मस्टररोल विहीन
4	26-03-2020	21943.00	शिवकुमार	03492467879	खडंजा पर मिट्टी हेतु	व्यय प्रमाणक विहीन

कुल योग - 171530.00

लेखा परीक्षा में केशवुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है-

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।
- खडंजा निर्माण कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुकप्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि एकाउंटपेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- केशवुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।  
अतः दर्शित व्यय रू0 171530.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4,5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 केअन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रू0 171530.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अंजुम परवेज खां ग्राम प्रधान रू0 85765.00 श्री अभिषेक सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 85765.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति सं०-22)

**प्रस्तर 42-** ग्राम पंचायत कोटरा वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि असलम के घर से प्राथमिक विद्यालय तक नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य हेतु केशवुक में दर्शित धनराशि रू० 167603.00 है ,जिसका विवरण इस प्रकार है ---

क्र.	डॉंगल पेमेंट /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री कार्य पूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			केशवुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	26-03-2020	55843.00	सागर त्रिकफील्ड	03492467879	ईंट का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
2	26-03-2020	71310.00	हसनट्रेडर्स	03492467879	सीमेंट, बालू,मोरंग का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
3	26-03-2020	40450.00	-	03492467879	मजदूरी भुगतान	मस्टररोल विहीन

कुल योग - 167603.00

लेखा परीक्षा में केशवुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है-

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।
- नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुकप्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि एकाउंटपेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।

ix- केशवुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है। अतः दर्शित व्यय रू0 167603.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4,5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 केअन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रू0 167603.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अंजुम परवेज खां ग्राम प्रधान रू0 83802.00 श्री अभिषेक सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 83801.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति सं०-23)

**प्रस्तर 43** ग्राम पंचायत कोटरा वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि मेराज के घर से सफी के घर तक खडंजा निर्माण कार्य हेतु केशवुक में दर्शित व्यय धनराशि रू० 130330.00 है ,जिसका विवरण इस प्रकार है ---

क्र.	डॉंगल पेमेंट /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			केशवुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	26-03-2020	40039.00	एस बीनिकफील्ड	03492467879	ईंट का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
2	26-03-2020	25666.00	-	03492467879	श्रमिकों का भुगतान	मस्टररोल विहीन
3	26-03-2020	11898.00	शिवकुमार	03492467879	मिट्टी का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
4	26-03-2020	52727.00	सोना त्रिकफील्ड	03492467879	ईंट का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन

कुल योग - 130330.00

लेखा परीक्षा में केशवुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं-

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।
- मेराज के घर से सफी के घर तक खडंजा निर्माण कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुकप्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि एकाउंटपेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- केशवुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है। अतः दर्शित व्यय रू0 130330.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4,5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 केअन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रू0 130330.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीए अंजुम परवेज खां ग्राम प्रधान रू0 65165.00 श्री अभिषेक सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 65165.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति सं०-24)

**प्रस्तर 44-** ग्राम पंचायत कोटरा वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि जैनुलआबदीन के घर से असगर अली के घर तक खडंजा निर्माण कार्य हेतुकेशवुक में दर्शित व्यय धनराशि रू० 193528.00 है ,जिसका विवरण इस प्रकार है ---

क्र.	डॉंगल पेमेंट /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			केशवुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	26-03-2020	137655.00	सोना त्रिकफील्ड	03492467879	ईंट का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
2	26-03-2020	17719.00	शिवकुमार	03492467879	मिट्टी का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
3	26-03-2020	38154.00	-	03492467879	श्रमिकों का भुगतान	मस्टररोल विहीन

कुल योग - 193528.00

लेखा परीक्षा में केशवुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है-

- i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।
  - ii - स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
  - iii - लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
  - iv- लेखा परीक्षा में ऋयित सामग्री को स्टाक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
  - v - लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।
  - vi- खंडजा निर्माण कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
  - vii - चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
  - viii- लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुकप्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि एकाउंटपेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
  - ix- केशवुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।
- अतः दर्शित व्यय धनराशि ₹0193528.00 ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 , अध्याय-7 के प्रस्तर-4, 5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि ₹0 193528.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अंजुम परवेज खां ग्राम प्रधान ₹0 96764.00 श्री अभिषेक सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव ₹0 96764.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति सं०-25)

**प्रस्तर 45** ग्राम पंचायत कोटरा वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि असलम के घर से पी.एम.रोड तक खंडजा निर्माण हेतु केशवुक में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 142717.00 है ,जिसका विवरण इस प्रकार है ---

क्र.	डोंगल पेमेंट /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			केशवुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	26-03-2020	96957.00	सागर त्रिकफील्ड	03492467879	ईट का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
2	26-03-2020	16588.00	शिवकुमार	03492467879	मिट्टी का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
3	26-03-2020	29172.00	-	03492467879	श्रमिकों का भुगतान	मस्टररोल विहीन

कुल योग - 142717.00

लेखा परीक्षा में केशवुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है-

- i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।
- ii - स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- iii - लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- iv- लेखा परीक्षा में ऋयित सामग्री को स्टाक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- v - लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।
- vi- खंडजा निर्माण हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- vii - चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- viii- लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुकप्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि एकाउंटपेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- ix- केशवुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय रू0 142717.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4,5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 केअन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रू0 142717.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीए अंजुम परवेज खां ग्राम प्रधान रू0 71359.00 श्री अभिषेक सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 71358.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति सं०-26)

**प्रस्तर 46-** ग्राम पंचायत कोटरा वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि सोख्ता गड्ढा निर्माण कार्य हेतुकैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि रू० 114586.00 है ,जिसका विवरण इस प्रकार है ---

क्र.	डॉंगल पेमेंट /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	30-03-2020	23049.00	एस वीब्रिकफील्ड	03492467879	ईंट का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
2	30-03-2020	72203.00	सोम ट्रेडर्स	03492467879	सीमेंट,बालू,मोरंग का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
3	30-03-2020	19334.00	-	03492467879	श्रमिकों का भुगतान	मस्टररोल विहीन

कुल योग - 114586.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है-

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।
- सोख्ता गड्ढा निर्माण कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति,प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र,उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर,शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुकप्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि एकाउंटपेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।

अतः दर्शित व्यय धनराशि रू0 114586.00 ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4,5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 केअन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रू0 114586.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीए अंजुम परवेज खां ग्राम प्रधान रू0 57293.00 श्री अभिषेक सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 57293.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति सं०-27)

**प्रस्तर 47** - ग्राम पंचायत कोटरा वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस्माइल के घर से रसीद के घर तक सी.सी.रोड एवं नाली मरम्मत कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि रू० 94667.00 है ,जिसका विवरण इस प्रकार है ---

क्र.	डॉंगल पेमेंट /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	31-03-2020	18472.00	-	03492467879	श्रमिकों का भुगतान	मस्टररोल विहीन
2	31-03-2020	12238.00	एस वीब्रिकफील्ड	03492467879	ईंट का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन

3	31-03-2020	3385.00	सागर ब्रिकफील्ड	03492467879	ईट का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
4	31-03-2020	60572.00	हसनट्रेडर्स	03492467879	सीमेंट, बालू, मोरंग, पत्थर गिट्टी का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन

कुल योग - 94667.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136 के विपरीत है।
- सी.सी.रोड एवं नाली मरम्मत कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या, डिप्लोमा चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- चतुर्थ राज वित्त आयोग/चौदहवाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- लेखा परीक्षा में उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित चेकबुक प्रकीर्ण एवं चेक की छायाप्रति अप्राप्त रही, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि फर्म को भुगतान की गयी धनराशि एकाउंटपेयी चेकों के द्वारा की गयी है या ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है।
- कैशबुक पर व्यय प्रमाणकों के आई0डी0 नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं। बिना आई0डी0 नम्बर के किया गया भुगतान अनियमित है।  
अतः दर्शित व्यय ₹0 94667.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5, अध्याय-7 के प्रस्तर-4,5 एवं अध्याय-8 के खण्ड-7 में वर्णित ग्राम सचिव के अपने दायित्व से च्युत होना तथा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि ₹0 94667.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अंजुम परवेज खां ग्राम प्रधान ₹047334.00 श्री अभिषेक सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव ₹0 47333.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-28)

**प्रस्तर 48--** ग्राम पंचायत कोटरा वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा हेतु समस्त अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 26-06-2020 को कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) में पत्र दिया गया था, परन्तु लेखापरीक्षा हेतु व्यय पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयी। पुनः दिनांक 07-12-2020, 16-12-2020, 14-01-2021, 19-02-2021 को कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) में पत्र दिये गये। कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पत्रांक 205 / 07-12-2020 द्वारा लेखापरीक्षा हेतु समस्त अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था, परन्तु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित आपत्तियों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त गम्भीर प्रकरण में विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा उचित एवं ठोस कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-29)

## 10 ग्राम पंचायत - फगौली कुर्मियान विकास खण्ड-रुदौली अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 49--** ग्राम पंचायत फगौली कुर्मियान वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर नाली निर्माण एवं खडंजा मरम्मत कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित धनराशि ₹0 716949.00 है, जिसका विवरण इस प्रकार है

क्र	कार्य का नाम	चेक संख्या/दिनांक/	आहरण / व्यय धनराशि (रुपये में)	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद सामग्री / आपूर्ति	वाउचर की संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि रुपये)
				कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
1	ओमप्रकाश के घर से सरकारी नल तक नाली निर्माण कार्य	31-12-2019	32360.00	एम ब्रिकफील्ड	ए पीएफएमएस	ईट का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
		31-12-2019	50411.00	शुभमट्रेडर्स	पीएफएमएस	सामग्री का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
		09-01-2020	11648.00	-	पीएफएमएस	मजदूरी	मस्टररोल विहीन
2	खलील के घर से नाला तक	31-12-2019	45770.00	एम ब्रिकफील्ड	ए पीएफएमएस	ईट का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन

	नाली निर्माण कार्य	31-12-2019	68809.00	श्री राम ट्रेडर्स	पीएफएमएस	सामग्री का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
		09-01-2020	34580.00	-	पीएफएमएस	मजदूरी	मस्टररोलविहीन
3	सुबोधलाल के घर से नाला तक नाली निर्माणकार्य	31-12-2019	72195.00	एम ए ब्रिकफील्ड	पीएफएमएस	ईट का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
		31-12-2019	75737.00	शुभमट्रेडर्स	पीएफएमएस	सामग्री का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
4	मुन्ना की दुकान से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	31-12-2019	57630.00	एम ए ब्रिकफील्ड	पीएफएमएस	ईट का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
		31-12-2019	100254.00	श्री राम ट्रेडर्स	पीएफएमएस	सामग्री का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
5	कमलेश यादव के घर से मुंशीलाल के घर तक नाली निर्माण कार्य	31-12-2019	32990.00	एम ए ब्रिकफील्ड	पीएफएमएस	ईट का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
		31-12-2019	60821.00	शुभमट्रेडर्स	पीएफएमएस	सामग्री का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
		09-01-2020	28938.00	-	पीएफएमएस	मजदूरी	मस्टररोलविहीन
6	ओमप्रकाश के घर से सरकारी नल तक खडंजा मरम्मत कार्य	31-12-2019	19858.00	एम ए ब्रिकफील्ड	पीएफएमएस	ईट का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
7	राजाराम की आबादी से गप्पू के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य	31-12-2019	16758.00	एम ए ब्रिकफील्ड	पीएफएमएस	ईट का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
		09-01-2020	8190.00	-	पीएफएमएस	मजदूरी	मस्टररोलविहीन

योग - 716949.00

लेखा परीक्षा में केशबुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं-

i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।

ii- उपरोक्त समस्त कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डररजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

iii- मजदूरी का भुगतान मजदूरी के खाते में न करके एकमुश्त पीएफएमएस द्वारा किया गया है

iv- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।

v- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।

vi- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136 के विपरीत है।

vii- मुन्ना की दुकान से तालाब तक नाली निर्माण कार्य एवं ओमप्रकाश के घर से सरकारी नल तक खडंजा मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष के दौरान मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है

अतः दर्शित व्ययधनराशि रु0 716949.00 में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता

है। उक्त धनराशि रु0 716949.00उत्तरदायी व्यक्तियों श्री आनन्द कुमार ग्राम प्रधान रु0 358475.00, श्री अंकुर यादव ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रु0 358474.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 50** - ग्राम पंचायत फगौलीकुर्मियान वर्ष 2019 -20की लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर आर आर सी बेंच स्थापना कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि रु0282000.00 है, जिसका विवरण इस प्रकार है -

क्र.	चेक संं /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	053821/05-04-2019	170000.00	हसीन ट्रेडर्स	हसीन ट्रेडर्स	आर आर सी बेंच	व्यय प्रमाणक विहीन
2	053824/01-06-2019	112000.00	में. सलीमट्रेडर्स	में. सलीमट्रेडर्स	आर आर सी बेंच	व्यय प्रमाणक विहीन

योग - 282000.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।

ii- उपरोक्त आर आर सी बेंचस्थापना कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

iii- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।

iv- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।

अतः दर्शित व्यय धनराशि रु0282000.00 में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रु0 282000.00उत्तरदायी व्यक्तियों श्री आनन्द कुमार ग्राम प्रधान रु0141000.00, श्री अंकुर यादव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम सचिव रु0141000.00से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 51**-ग्राम पंचायत फगौलीकुर्मियान वर्ष 2019 -20की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में कूड़ादान क्रय हेतु दर्शित व्यय धनराशि रु0187253.00 है, जिसका विवरण इस प्रकार है -

क्र.	चेक संं /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	053822/11-04-2019	104000.00	यासीन नर्सरी	यासीन नर्सरी	कूड़ादान क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
2	053826/09-07-2019	23128.00	शर्मा हैंडलूम भंडार	शर्मा हैंडलूम भंडार	कूड़ादान क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
3	31-12-2019	60125.00	श्री राम ट्रेडर्स	पीएफएमएस	कूड़ादान क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन

योग - 187253.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं-

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।
- उपरोक्त समस्त कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदनसम्बन्धितप्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तरप्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।

अतः दर्शित व्यय धनराशि ₹0 187253.00 में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि ₹0 187253.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री आनन्द कुमार ग्राम प्रधान ₹0 93626.50, श्री अंकुर यादव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम सचिव ₹0 93626.50 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 52** ग्राम पंचायत फगौलीकुर्मियान वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में वृक्षारोपण हेतु दर्शित व्यय धनराशि ₹534080.00, जिसका विवरण इस प्रकार है -

क्र.	चेक सं० /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	048020/08-04-2019	71080.00	यासीन नर्सरी	यासीन नर्सरी	वृक्ष एवं ट्रीगार्ड का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
2	053825/06-07-2019	62000.00	सलीम नर्सरी	सलीम नर्सरी	पौधों का बकाया भुगतान(वर्ष 2018-19)	व्यय प्रमाणक विहीन
3	058552/01-08-2019	159950.00	यासीन नर्सरी	यासीन नर्सरी	पौधों का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
4	पीएफएमएस / 31-12-2019	67125.00	सहारा नर्सरी	पीएफएमएस	वृक्षारोपण हेतु	व्यय प्रमाणक विहीन
5	पीएफएमएस /31-12-2019	106800.00	सलीम नर्सरी	पीएफएमएस	वृक्षारोपण हेतु	व्यय प्रमाणक विहीन
6	पीएफएमएस /31-12-2019	67125.00	सहारा नर्सरी	पीएफएमएस	वृक्षारोपण हेतु	व्यय प्रमाणक विहीन

योग - 534080.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं-

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।
  - उपरोक्त समस्त कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- अतः दर्शित व्यय धनराशि ₹0 534080.00 में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि ₹0 534080.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री आनन्द कुमार ग्राम प्रधान ₹0 267040.00, श्री अंकुर यादव ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव ₹0 267040.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 53-**ग्राम पंचायत फगौलीकुर्मियान वर्ष2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में हयूमपाइप क्रय हेतु दर्शित व्यय धनराशि रु0114250.00, जिसका विवरण इस प्रकार है -

क्र.	चेक सं० /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
1	058551/ 31-07-2019	114250.00	पाठक इंटरप्राइजेज	पाठक इंटरप्राइजेज	हयूमपाइप क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन

योग - 114250.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं-

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 के विपरीत है।
- उक्त कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, , त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र, अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तरप्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।

अतः दर्शित व्यय धनराशि रु0 104250.00 में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रु0104250.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री आनन्द कुमार ग्राम प्रधान रु0 52125.00, श्री अंकुर यादव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम सचिव रु0 52125.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

#### 11 ग्राम पंचायत - अखितयार पुर विकास खण्ड- रुदौली अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 54** ग्राम पंचायत अखितयार पुर में लेखा परीक्षा वर्ष (2019-20) में प्रिया साफ्ट के अनुसार खाते से कराए गए कार्यों के सापेक्ष रु0 2015397.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम

पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है अतः मूल अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने के कारण वर्ष में व्यय की गई धनराशि रु0 2015397.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर- बराबर ग्राम प्रधान- श्रीमती अनारकली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी- श्री हेमंत

कुमार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

#### 12 ग्राम पंचायत - अमराईगाँव विकास खण्ड- रुदौली अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 55-** ग्राम पंचायत अमराई गाँव में लेखा परीक्षा वर्ष (2019-20) में प्रिया साफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम खाते से कराए गए कार्यों के सापेक्ष रु0 9042600.00 आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी

अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है अतः मूल अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने के कारण वर्ष में व्यय की गई धनराशि रु0 9042600.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर- बराबर ग्राम प्रधान- श्रीमती किरण सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी- श्री सूरज सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

### **13- ग्राम पंचायत -बनमऊ विकास खण्ड- रुदौली अयोध्या वर्ष-2019-20**

**प्रस्तर 56** आलोच्य वर्ष में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रांगण में मिट्टी पटाई कार्य पर 145752.00 व्यय कोशबही में अंकित पाया गया स तथा नगद निकासी कर भुगतान किया गया जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से की गईस तथा अन्य अभिलेख जैसे कि स्टीमेट एम व बीव मस्टर रोल कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए उपरोक्त कार्य के सापेक्ष क्रय की गयी मिट्टी पटाई कार्य के बिल वाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सकेए जिसके कारण उपरोक्त मिट्टी पटाई तथा मजदूरी भुगतानकी व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्य पर वाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 145752.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 ;2द्ध के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 ;के पृष्ठ संख्या 36.37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है ए जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। इसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान श्री राम निहार एवं सचिव श्री राकेश चौधरी से बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

### **आपत्ति संख्या-2**

**प्रस्तर 57** आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण के अनुसार कूड़ा दान क्रय किए गए जिनकी पुष्टि में क्रय वाउचर उपलब्ध नहीं कराए गए स अतः क्रय किए गए कूड़ा दान की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है इस प्रकार नियमों की अवहेलना करते हुए कूड़ा दान क्रय किए गए हैं जो की आपत्तिजनक है

क्रम	संख्या	विवरण	धनराशि	फर्म का नाम
1	कूड़ा दान	3 अदद	30000.00	निर्मल इंटरप्राइजेज ट्रेडर्स कुल योग
2	कूड़ा दान	6 अदद	68712.00	आर0 वी0 ट्रेडर्स
		कुल योग	98712.00	

क्रय की गयी सामग्रियों के बिल वाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सकेए जिसके कारण उपरोक्त क्रीट सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्य पर वाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 98712.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 ;2द्ध के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) ए पृष्ठ संख्या 36.37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है ए जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी उक्त दर्शित व्यय अधिभार योग्य है। अतः ग्राम प्रधान श्री राम निहार से रु 49356.00 तथा सचिव श्री राकेश चौधरी से रु 15000.00 तथा सचिव श्री प्रेमनाथ सिंह से रु 34356.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर 58**-आलोच्य वर्ष में हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर पर रुव 140250-00 का व्यय किया गया था जिसके व्यय प्रमाणक सहीनहीं पाए गएस इस सन्दर्भ में मरम्मत स्थलों की सूची ए हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा उनके खराब होने की सूचना तथा उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी प्रपत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि किन किन स्थलों के हैंडपंप खराब थे जिनपर उक्त धनराशियों का व्यय किया गया। उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग के आदेश संख्या .

27/2017/662/33.3.2017.46/2015 दिनांक 12/04/2017 के अनुसार अस्थायी खराबी को 3 दिन के अंदर दूर किया जाना अनिवार्य है अन्यथा दंडात्मक कारवाही के निर्देश हैं ए का पालन किया गया है अथवा नहीं की जांच नहीं की जा सकी। विवरण निम्न वक्त है.

विवरण	दिनांक	धनराशि	कांटेक्टर का नाम
हैंडपंप मरम्मत	04.01.2020	58250.00	राम निहोर ट्रेडर्स
हैंडपंप रिबोर	19.06.2019	82000.00	राम निहोर नगद

हैंडपंप रिबोर पर व्यय धनराशि 82000 .00 का आहरण श्री राम निहोर प्रधान जी द्वारा नगद किया गया तथा हैंडपंप मरम्मत पर दर्शित व्यय रूपए 58250.00 उनकी खुद की फर्म राम निहोर ट्रेडर्स को भुगतान किया गया जिसके प्रस्तुत बाउचरों में वाउचर क्रमांक तथा तिथियां अंकित नहीं पाई गई अतः फर्जी वाउचर प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली प्रधान श्री राम निहार से रु-70125-00व सचिव श्री राकेश चौधरी से 41000-00 श्री प्रेमनाथ सिंह से रु 29125-00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

#### आपति संख्या-4कृ

**प्रस्तर 59** आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा बैंच स्थापना किए गए जिसकी पुष्टि में एस्टीमेट, वाउचर, एवं ए० बी० प्रस्तुत नहीं की गई स स्थापना स्थल की सूची अंकित नहीं पाई गयी और ना ही अलग से ही कोई सूची निर्माण पत्रावली में रक्षित पाई गई विवरण निम्नलिखित है...

दिनांक	विवरण	धनराशि	फर्म का नाम
18.01.2020	बैंच स्थापना	120000.00	शर्मा हैंडलूम भंडार

नियम विरुद्ध व्यय दर्शाकर अनियमित भुगतान किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम निहार से रु-60000-00व सचिव श्री प्रेमनाथ सिंह से 60000 -00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

#### 14 ग्राम पंचायत -विडहार विकास खण्ड- रुदौली अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 60**-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा किया गया समस्त व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय. 8 के खंड .7 यह कि ष ग्राम. प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम. पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं शर् के विपरीत है द्य उक्त मैनुअल के खंड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम. प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम. पंचायत से की जाएगी साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अधिभार योग्य है द्य अतः प्रिया साफ्ट पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार आलोच्य वर्ष में कुल रुपया 2101748०० व्यय किया गया है जिसकी मूल कैश बुकए बैंक स्टेटमेंटए एवं निर्माण पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण उपरोक्त नियमों के अनुसार अधिभार योग्य है कुल विवरण विहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रुपया 2101748.00 की वसूली लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त के 2 माह के अंतर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राजकिशोर तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसूरज सिंह तत्कालीन से बराबर बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

#### 15 ग्राम पंचायत - इचौलिया विकास खण्ड- रुदौली अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 61**-ग्राम पंचायत इचौलिया में लेखा परीक्षा वर्ष ;2019.20द्व में प्रिया साफ्ट के अनुसार खाते से कराए गए कार्यों के सपेक्ष रु0 2480640/00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेखवाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय.13 के नियम संख्या 256 के ;2द्व उपनियम ;1द्वक में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभागए उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36.37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ष्यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है अतः मूल अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने के कारण वर्ष में व्यय की गई धनराशि रु02480640०० की ब्याज सहित वसूली बराबर. बराबर ग्राम प्रधान. गुरु बख्श सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी. श्री दिलीप कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

#### 16 ग्राम पंचायत -मांगी चाँदपुर विकास खण्ड- रुदौली अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 62-** आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय किया जाना कोष बही में अंकित पाया गया श्वरंतु पुस्टि में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया अतः व्यय अपुष्ट रहा.

क्रम संख्या	विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्मधकांटेकर का नाम
1	स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य	29/07/2019	108750.00	मां जगदंबा इंटरप्राइजेज
2	आर.सी.सी.बेंच की स्थापना	05/08/2019	200000.00	पाठक इंटरप्राइजेज
कुल योग 308750.00				

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा किया गया समस्त व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 की ग्राम. प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम. पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ श्व के विपरीत है द्य उक्त मैनुअल के खंड 8; के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम. प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम. पंचायत से की जाएगी साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अधिभार योग्य है द्य अतः धनराशि रुपये 308750.00 की वसूली ग्राम प्रधानश्रीमती शांति देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री सत्येंद्र कुमार यादव से अद्यावधि ब्याज सहित संयुक्त रूप से किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

#### 17 ग्राम पंचायत -पुरांय विकास खण्ड- रुदौली अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 63-** आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा प्राथमिक विद्यालय पुराय में विद्युतीकरण कार्य पर दिनांक 18. 4.20 19 को सामग्री क्रय हेतु रुपया 24000.00 आर ० एन ० ट्रेडर्स को भुगतान किया गया जिसका मूल वाउचर एस्टीमेट एम० बी० कोटेशन इत्यादि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे तथा उक्त कार्य पर मजदूरी पर किये गए व्यय रुपए 6000 .00 के मस्टररोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय केसम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार प्याम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ के विपरीत हैपतथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्ययके सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशी की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत एसे संयुक्त रूप से की जाएगी के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः रु 30000 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी तथा पंचायत सचिव श्री सूरज सिंह से बराबर बराबर भाग ने किया जाना अपेक्षित है

**प्रस्तर 64-**आलोच्य वर्ष ने ग्राम पंचायत द्वारा तमसा नदी जीर्णोद्धार कार्य पर निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न लोगों को भुगतान किया गया श्वरंतु स्टीमेट एम ० बी० व अन्य वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए कैश बुक के अनुसार भुगतान 343000.00 रहा स व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय केसम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार प्याम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्ययके सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशीकी वसूली ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः उक्त की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी तथा पंचायत सचिव श्री सूरज सिंह से बराबर बराबर भाग ने किया जाना अपेक्षित है

**प्रस्तर 65-**आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा बेंच स्थापना किए गए जिसकी पुष्टि में एस्टीमेट ए वाउचर ए एवं ए० बी० प्रस्तुत नहीं की गई स स्थापना स्थल की सूची अंकित नहीं पाई गयी और ना ही अलग से ही कोई सूची निर्माण पत्रावली में रक्षित पाई गई निविदा आमंत्रित किए जाने संबंधी कोई अभिलेख भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए स इस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया हैविवरण निम्नलिखित है...

दिनांक	विवरण	धनराशि	फर्म का नाम
01.08.2019	बेंच स्थापना	195500.00	आरण एनण् ट्रेडर्स
01.08.2019	बेंच स्थापना	200000.00	आरण एनण् ट्रेडर्स

अतः उपरोक्त कार्य पर वाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 395500.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 ;2द्ध के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ संख्या 36.37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है ए जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ए के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। अतः उक्त की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी तथा पंचायत सचिव श्री सूरज सिंह से बराबर बराबर भाग ने किया जाना अपेक्षित है

**प्रस्तर 66-**पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुराय में बाउंड्री वाल निर्माण कार्य पर दिनांक 28.10 . 2019 को ही सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान किया जाना दर्शित है निर्माण पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि टेंडर/ कोटेशन एण्ड आफ पेमेंट एम ० बी ० एकार्य योजनाए कार्यपूर्ति प्रमाण.. पत्र,उपभोग प्रमाण.. पत्र संलग्न नहीं है और ना ही मस्टररोल पर श्रमिकों के अंगूठे के निशान पाए हैं अतः कराए गए कार्य को प्रमाणित नहीं किया जा सका

क्रम	संख्या	विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्म कंटेक्टर का नाम
1		मजदूरी	28.10.2019	49890/00	नगद आहरण
2		निर्माण सामग्री	28.10.2019	86432/00	मोहित ट्रेडर्स
3		ईट क्रय	28.10.2019	93440/00	डॉन ब्रिक फील्ड
		कुल योग		229762/00	

पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2 )के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) ए पृष्ठ संख्या 36.37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है ए जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था । अतः उक्त की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी तथा पंचायत सचिव श्री सूरज सिंह से बराबर बराबर भाग ने किया जाना अपेक्षित है

**प्रस्तर 67-**आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कूड़ा दान क्रय पर दिनांक 22.01 .2020 को शर्मा हैंडलूम भंडार से रुपए 183232.00 व्यय किया जाना कोष बही में अंकित है इसकी पुष्टि में एस्टीमेट एम० बी० ए कैश मेमोए तथा उपयोग स्थल की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं कराई गईअतः उपरोक्त कार्यो पर वाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 183232/00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 ;2द्ध के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) ए पृष्ठ संख्या 36.37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ए के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था । अतः उक्त की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी तथा पंचायत सचिव श्री सूरज सिंह से बराबर बराबर भाग ने किया जाना अपेक्षित है

**प्रस्तर 68-**ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 6/2/2020 को हृदय लाल गर्वर्नमेंट कांट्रैक्टर से रुपया 103000-00 के ह्यूम पाइप क्रय किए गए स वाउचर में क्रमांक एवं तिथि अंकित नहीं पाई गई और ना ही निविदा आमंत्रण से संबंधित कोई प्रपत्र ही पत्रावली में रक्षित पाया गया इस प्रकार क्रय किए गए ह्यूम पाइप काल्पनिक प्रतीत होते हैं तथा इनके उपयोग स्थल की सूची भी उपलब्ध नहीं रही अतः काल्पनिक खरीद दर्शाकर रुपया 103000-00 की अनियमितता की गई है अतः उक्त की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी तथा पंचायत सचिव श्री सूरज सिंह से बराबर बराबर भाग ने किया जाना अपेक्षित है

#### 18-ग्राम पंचायत-कैथी विकास खण्ड रूदौली वर्ष 2019-20

**प्रस्तर 69** -ग्राम पंचायत कैथी वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट एवं ई ग्राम स्वराज अकाउंटिंग पर उपलब्ध मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेंट के अनुसार माह मई में व्यय की गयी धनराशि रु०1708.00का विवरण इस प्रकार है -

चेकसंख्या /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेन्ट के अनुसार	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
034501/29-05-2019	1708.00	एसएसआरबी रेसौरसेस एण्ड सर्विसेस	एफएफसी /2019-20/पी /1 मजदूरी के मद में	मस्टर रोल विहीन

योग - 1708.00

उक्त व्यय के सापेक्ष निम्नआपत्तियाँ दर्ज की जाती हैं -

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में केशबुक एवं कोई व्यय प्रमाणक(मस्टर रोल) प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है। अतः दर्शित व्यय रु01708.00 धनराशि में उत्तर प्रदेश वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेखों के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि रु01708.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राजेन्द्र प्रसाद ग्राम प्रधान रु0 854.00 तात्कालीनग्राम पंचायतअधिकारी/ग्राम सचिव(श्री सौरभ गुप्ता, श्री अभिषेक सिंह, श्री अजय यादव ) रु0 854.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली हेतु यह गम्भीर प्रकरण वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**प्रस्तर 70-**ग्राम पंचायत कैथी वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट एवं ई ग्राम स्वराज अकाउंटिंग पर उपलब्ध मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेन्ट के अनुसार माह जून में व्यय की गयी धनराशि रु0247927.00का विवरण इस प्रकार है -

क्र.	चेकसंख्या /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेन्ट के अनुसार	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			केशबुक	बैंक स्टेटमेंट में		
1(i) (ii)	34503/06-06-2019 34504/06-06-2019	45238.00 11000.00	अप्राप्त	राजेन्द्र प्रसाद जग बरन	एफएफ सी /2019-20/पी /10मजदूरी के मद मे	मस्टर रोल विहीन
2	34502/07-06-2019	78669.00	अप्राप्त	महक ट्रेडर्स	एफएफ सी /2019-20/पी /11 महक ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक विहीन
3	34505/07-06-2019	25644.00	अप्राप्त	फातिमा डिजिटल स्टूडियो	एफएफ सी /2019-20/पी/2फातिमा डिजिटल स्टूडियो	व्यय प्रमाणक विहीन
4	34508/25-06-2019	3200.00	अप्राप्त	राजेन्द्र प्रसाद	एफएफसी /2019-20/पी /12 ट्रॉली पेमेंट	व्यय प्रमाणक विहीन
5	34506/25-06-2019	7988.00	अप्राप्त	राजेन्द्र प्रसाद	एफएफ सी /2019-20/पी /13मजदूरी के मद मे	मस्टर रोल विहीन
6	34512/25-06-2019	2710.00	अप्राप्त	राजेन्द्र प्रसाद	एफएफ सी /2019-20/पी11 पे फॉर मिट्टी ट्रॉली	व्यय प्रमाणक विहीन

7	34509/25-06-2019	8344.00	अप्राप्त	जग बरन	एफएफ सी /2019-20/पी /15 मजदूरी के मद मे	मस्टर रोल विहीन
8	34510/26-06-2019	43032.00	अप्राप्त	महक ट्रेडर्स	एफएफ सी /2019-20/पी /17 महक ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक विहीन
9	34513/27-06-2019	22102.00	अप्राप्त	न्यू जी डी उद्योग	एफएफ सी /2019-20/पी/14न्यू जी डी उद्योग	व्यय प्रमाणक विहीन

कुल योग -247927.00

उक्त व्यय के सापेक्ष निम्नआपतियाँ दर्ज की जाती हैं-

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।
- क्रमांक 1 पर अंकित व्यय के सापेक्ष ई ग्राम स्वराज अकाउंटिंग पर उपलब्ध मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेंट में चेक न०-014799/06-06-2019 द्वारा रु056238.00 मजदूरी के मद में व्यय अंकित पाया गया, जो सारणी में अंकित बैंक स्टेटमेंट से लिए गए चेक न०से अलग है।
- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।
- उक्त भुगतान के सापेक्ष स्ट्रीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र आदि आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः दर्शित व्यय रु0 247927.00 धनराशि में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित समस्त व्यय प्रमाणकों की पुष्टि फर्म से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से कराया जाय अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि रु0 247927.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राजेन्द्र प्रसाद ग्राम प्रधान रु0123963.50 तात्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रु0 123963.50 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली हेतु यह गम्भीर प्रकरण वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**प्रस्तर 71-**ग्राम पंचायत कैथी वर्ष 2019 -20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट एवं ई ग्राम स्वराज अकाउंटिंग पर उपलब्ध मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेंट के अनुसार माह जुलाई में व्यय की गयी धनराशि रु0276423.00 का विवरण इस प्रकार है -

क्र.	चेक संख्या /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम	कार्य / मद / सामग्री / मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेंट के अनुसार	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
1(i)	34517/29-07-2019	35500.00	अप्राप्त	जग बरन	व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल विहीन
(ii)	34515/29-07-2019	33625.00			
2	34520/30-07-2019	85000.00	अप्राप्त	उदय इंटरप्राइजेज	एफएफसी /2019-20/पी /6 उदय इंटरप्राइजेज

3	34518/30-07-2019	24448.00	अप्राप्त	मरगूब अहमद वर्क	4वा एसएफसी /2019-20/पी /3 हैंडपंपमरम्मत	व्यय प्रमाणक	विहीन	योग -
4	34521/31-07-2019	45700.00	अप्राप्त	माँ जगदम्बा इंटरप्राइजेज	एफएफसी /2019- 20/पी/21 माँ जगदम्बा इंटरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक	विहीन	
5	34519/31-07-2019	52150.00	अप्राप्त	सलीम नर्सरी	एफएफसी/2019-20/पी/8 सलीम नर्सरी	व्यय प्रमाणक	विहीन	

276423.00

उक्त व्यय के सापेक्ष निम्नआपतियाँ दर्ज की जाती हैं-

i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।

ii- क्रमांक 1 पर अंकित व्यय के सापेक्ष ई ग्राम स्वराज अकाउंटिंग पर उपलब्ध मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 69125.00 का विवरण इस प्रकार है -

क्र	चेकसंख्या /दिनांक	वाउचर की क्रम संख्या	आहरण / व्ययधनराशि(रूपये में)	मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेंट के अनुसारफर्म / व्यक्ति का नाम/ कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति
1	014801/29-07-2019	4वाएसएफ सी /2019- 20/पी /2	7256.00	उदय इंटरप्राइजेज
2	014802/29-07-2019	एफएफ सी /2019- 20/पी /18	9251.00	महक ट्रेडर्स
3	014803/29-07-2019	एफएफ सी /2019- 20/पी /19	9107.00	न्यू जी डी उद्योग
4	014804/29-07-2019	एफएफसी /2019-20/पी /20	4352.00	मजदूरी के मद में
5	014777/29-07-2019	एफएफसी /2019-20/पी /4	23659.00	जगदम्बा इंटरप्राइजेज
6	014780/29-07-2019	एफएफ सी /2019- 20/पी /5	15500.00	जगदम्बा इंटरप्राइजेज

इस प्रकार मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेंट में चेक न० उपलिखित सारणी में अंकित बैंक स्टेटमेंट से लिए गए चेक न०से अलग है तथा फर्म को भुगतान न करसमस्त भुगतान जगबरन को किया गया अंकित पाया गया।अतः ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है। अतः भुगतान की पुष्टि नहीं हो सकी।

iii- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।

iv- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।

v- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।

vi- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।

vii- उक्त भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः दर्शित व्यय ₹0 276423.00 धनराशि में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं

लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित समस्त व्यय प्रमाण की पुष्टि फर्म से कराते हुए कार्यो का भौतिक सत्यापन, स्टाक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से कराया जाय अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि रु0 276423.00उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राजेन्द्र प्रसाद ग्राम प्रधान रु0 138211.50 तात्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रु0138211.50 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली हेतु यह गम्भीर प्रकरण वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**प्रस्तर 72-** ग्राम पंचायत कैथी वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बैंकस्टेटमेंट एवं ई ग्राम स्वराज (अकाउंटिंग) पर उपलब्ध मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेन्ट के अनुसार माह अगस्त में व्यय की गयी धनराशि रु0129950.00का विवरण इस प्रकार है -

क्र.	चेकसंख्या /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेन्ट के अनुसार	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			कैशबुक	बैंक स्टेटमेंट में		
1	34523/05-08-2019	45500.00	अप्राप्त	जगबरन	विवरण आपत्ति के अनुसार	व्यय प्रमाणक विहीन
2	34522/05-08-2019	84450.00	अप्राप्त	राजेन्द्रप्रसाद	विवरण आपत्ति के अनुसार	व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल विहीन

कुल योग -129950.00

उक्त व्यय के सापेक्ष निम्नआपत्तियाँ पाई गयी है-

i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।

ii-स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।

iii-उपलिखित सारणी पर अंकित व्यय के सापेक्ष ई ग्राम स्वराज अकाउंटिंग पर उपलब्ध मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेन्ट के अनुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 129950.00 का विवरण इस प्रकार है -

क्र	मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेन्ट के अनुसारचेकसंख्या /दिनांक	मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेन्ट के अनुसारवाउचर की क्रम संख्या	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में)	मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेन्ट के अनुसारफर्म / व्यक्ति का नाम/ कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति
1	014805/05-08-2019	एफएफ सी /2019-20/पी /22	109709.00	जगदम्बा इंटरप्राइजेज
2	027209/05-08-2019	एफएफ सी /2019-20/पी /23	19474.00	मजदूरी के मद मे
3	014798/05-08-2019	एफएफ सी /2019-20/पी /9	767.00	फातिमा डिजिटल स्टूडियो

योग -129950.00

इस प्रकार मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेन्ट में चेक न० उपलिखित सारणी में अंकित बैंक स्टेटमेंट से लिए गए चेक न०से अलग है तथा फर्म को भुगतान न कर समस्त भुगतान जगबरन एवं राजेन्द्रप्रसाद को किया गया अंकित पाया गया। अतः ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के खण्ड-5 का उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त भुगतान फर्म/व्यक्ति को बियरर चेक के माध्यम से किया गया है। अतः भुगतान की पुष्टि नहीं हो सकी।

iv- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।

v- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।

vi- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।

vii- उक्त भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः दर्शित व्यय रू0129950.00 धनराशि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित समस्त व्यय प्रमाण की पुष्टि फर्म से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से करायी जाय अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि रू0 129950.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राजेन्द्र प्रसाद ग्राम प्रधान रू0 64975.00, तात्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू 64975.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली हेतु यह गम्भीर प्रकरण वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**प्रस्तर 73-** ग्राम पंचायत कैथी वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट एवं ई ग्राम स्वराज अकाउंटिंग पर उपलब्ध मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेन्ट के अनुसार माह दिसम्बर में व्यय की गयी धनराशिरू0453179.00 का विवरण इस प्रकार है -

क्र.	मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेन्ट के अनुसार निर्माण कार्य	पीएफएमएस /दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म /व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेन्ट के अनुसार	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
				कैशबुक	बैंक स्टेटमेंट में		
1	गुरु के घर से कैलाश के घर तक नाला निर्माण कार्य	पीएफएमएस /27-12-2019	50805.00	अप्राप्त	पीएफएमएस	एफएफ सी /2019-20/पी /24न्यू जी डी उद्योग	व्यय प्रमाणक विहीन
		पीएफएमएस /27-12-2019	68409.00	अप्राप्त	पीएफएमएस	एफएफ सी /2019-20/पी /25 चौरसियाट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक विहीन
		पीएफएमएस /27-12-2019	30296.00	अप्राप्त	पीएफएमएस	एफएफ सी /2019-20/पी /26 मजदूरी के मद मे	मस्टर रोल विहीन
2	मुस्तफा के घर से रामसदल के घर तक नाली निर्माण कार्य	पीएफएमएस /27-12-2019	40498.00	अप्राप्त	पीएफएमएस	एफएफ सी /2019-20/पी /27न्यू जी डी उद्योग	व्यय प्रमाणक विहीन
		पीएफएमएस /27-12-2019	61956.00	अप्राप्त	पीएफएमएस	एफएफ सी /2019-20/पी /28 चौरसियाट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक विहीन

3	संजू के घर से संतोष के घर तक नाली निर्माण कार्य	पीएफएमएस /27-12-2019	21000.00	अप्राप्त	पीएफएमएस	एफएफ सी /2019-20/पी /29न्यू जी डी उद्योग	व्यय प्रमाणक विहीन
		पीएफएमएस /27-12-2019	32378.00	अप्राप्त	पीएफएमएस	एफएफ सी /2019-20/पी /30 चौरसियाट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक विहीन
4	रामसदल के घर से जबीर के घर तक नाला निर्माण कार्य	पीएफएमएस /27-12-2019	92775.00	अप्राप्त	पीएफएमएस	एफएफ सी /2019-20/पी /31 चौरसियाट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक विहीन
		पीएफएमएस /27-12-2019	55062.00	अप्राप्त	पीएफएमएस	एफएफ सी /2019-20/पी /32न्यू जी डी उद्योग	व्यय प्रमाणक विहीन

योग- 453179.00

उक्त व्यय के सापेक्ष निम्नआपत्तियाँ दर्ज की जाती हैं-

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।
- उक्त भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः दर्शित व्यय ₹0 453179.00 धनराशि में ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित समस्त व्यय प्रमाण की पुष्टि फर्म से कराते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापनस्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से कराया जाय अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि ₹0 453179.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राजेन्द्र प्रसाद ग्राम प्रधान ₹0 226589.50 तात्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव ₹0 226589.50से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली हेतु यह गम्भीर प्रकरण वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**प्रस्तर 74--**ग्राम पंचायत कैथी वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट एवं ई ग्राम स्वराज अकाउंटिंग पर उपलब्ध मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेन्ट के अनुसार माह जनवरी में व्यय की गयी धनराशि ₹0233074.00का विवरण इस प्रकार है -

क्र.	मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेन्ट के अनुसार वाउचर की क्रम संख्या	आहरण / व्ययधनराशि (रूपये में )	कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेन्ट के अनुसार	फर्म /व्यक्ति का नाम		वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
				कैशबुक	बैंक स्टेटमेंट में	

1	एफएफ सी /2019-20/पी /33	16256.00	मजदूरी	अप्राप्त	पीएफएमएस	मस्टर रोल विहीन
2	एफएफ सी /2019-20/पी /34	31602.00	मजदूरी	अप्राप्त	पीएफएमएस	मस्टर रो विहीन
3	एफएफ सी /2019-20/पी /35	1800.00	शिवपूजन (मिटटी ट्रोली )	अप्राप्त	पीएफएमएस	व्ययप्रमाणक विहीन
4	एफएफ सी /2019-20/पी /36	36131.00	चौरसिया ट्रेडर्स	अप्राप्त	पीएफएमएस	व्ययप्रमाणक विहीन
5	एफएफ सी /2019-20/पी /37	14144.00	न्यू जी डी उद्योग	अप्राप्त	पीएफएमएस	व्ययप्रमाणकविहीन
6	एफएफ सी /2019-20/पी /38	5026.00	मजदूरी	अप्राप्त	पीएफएमएस	मस्टर रोल विहीन
7	एफएफ सी /2019-20/पी /39	37752.00	चौरसिया ट्रेडर्स	अप्राप्त	पीएफएमएस	व्ययप्रमाणक विहीन
8	एफएफ सी /2019-20/पी /40	14920.00	न्यू जी डी उद्योग	अप्राप्त	पीएफएमएस	व्यय प्रमाणक विहीन
9	एफएफ सी /2019-20/पी /41	5208.00	मजदूरी	अप्राप्त	पीएफएमएस	मस्टर रोल विहीन
10	एफएफ सी /2019-20/पी /42	1600.00	शिवपूजन (मिटटी ट्रोली )	अप्राप्त	पीएफएमएस	व्यय प्रमाणक विहीन
11	एफएफ सी /2019-20/पी /43	3500.00	शिवपूजन (मिटटी ट्रोली )	अप्राप्त	पीएफएमएस	व्यय प्रमाणक विहीन
12	एफएफ सी /2019-20/पी /44	10773.00	न्यू जी डी उद्योग	अप्राप्त	पीएफएमएस	व्यय प्रमाणक विहीन
13	एफएफ सी /2019-20/पी /45	8554.00	मजदूरी	अप्राप्त	पीएफएमएस	मस्टर रोल विहीन
14	एफएफ सी /2019-20/पी /46	45808.00	मजदूरी	अप्राप्त	पीएफएमएस	मस्टर रोल विहीन

योग - 233074.00

उक्त व्यय के सापेक्ष निम्नआपतियाँ दर्ज की जाती हैं-

i-उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।

ii- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।

iii- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।

iv- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।

v- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।

vi-उक्त भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः दर्शित व्यय ₹0 233074.00 धनराशि में ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत

गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित समस्त व्यय प्रमाण की पुष्टि फर्म से कराते हुए कार्यो का भौतिक सत्यापन स्टाक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर के आलोक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से कराया जाय अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि रु0 233074.00उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राजेन्द्र प्रसाद ग्राम प्रधान रु 116537.00 ,तात्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रु0 116537.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली हेतु यह गम्भीर प्रकरण वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**प्रस्तर 75-** ग्राम पंचायत कैथी वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट एवं ई ग्राम स्वराज अकाउंटिंग पर उपलब्ध मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेन्ट के अनुसार माह फ़रवरी में व्यय की गयी धनराशि रु0120840.00का विवरण इस प्रकार है -

क्र.	मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेन्ट के अनुसार वाउचर की क्रम संख्या	आहरण / व्ययधनराशि (रूपये में )	कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेन्ट के अनुसार	फर्म /व्यक्ति का नाम		वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
				कैशबुक	बैंक स्टेटमेंट में	
1	एफएफ सी /2019-20/पी /47	105300.00	हयूम पाइप क्रय हेतु पीताम्बर ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स को भुगतान	अप्राप्त	पीएफएमएस /18-02-2020	व्ययप्रमाणक विहीन
2	एफएफ सी /2019-20/पी /48	15540.00	फोटोकॉपी एंडस्टेशनरी	अप्राप्त	पीएफएमएस /18-02-2020	व्ययप्रमाणक विहीन

योग - 120840.00

उक्त व्यय के सापेक्ष निम्नआपत्तियाँ दर्ज की जाती हैं-

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टाक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।

vi-उक्त भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति,प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर,शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः दर्शित व्यय रु0 120840.00 धनराशि में ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रु0120840.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राजेन्द्र प्रसाद ग्राम प्रधान रु0 60420.00 ,तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रु0 60420.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली हेतु यह गम्भीर प्रकरण वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**प्रस्तर 76** ग्राम पंचायत कैथी वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट एवं ई ग्राम स्वराज अकाउंटिंग पर उपलब्ध मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेन्ट के अनुसार माह मार्च में व्यय की गयी धनराशिरु0213681.00 का विवरण इस प्रकार है -

क्र.	मन्थ वाइज़ पेमेंट एण्ड रीसीट स्टेटमेन्ट के	आहरण / व्ययधनराशि (रूपये में )	कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति मन्थ वाइज़ पेमेंट	फर्म /व्यक्ति का नाम		वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी
				कैशबुक	बैंक स्टेटमेंट में	

	अनुसार वाउचर की क्रम संख्या		एण्ड रीसीट स्टेटमेंट के अनुसार			धनराशि (रूपये में )
1	4वाएसएफ सी /2019-20/पी /5	15200.00	शिवपूजन (मिटटी ट्रोली )	अप्राप्त	पीएफएमएस	व्यय प्रमाणक विहीन
2	4वाएसएफ सी /2019-20/पी /6	8372.00	मजदूरी	अप्राप्त	पीएफएमएस	मस्टर रोल विहीन
3	4वाएसएफ सी /2019-20/पी /7	27520.00	चौरसिया ट्रेडर्स	अप्राप्त	पीएफएमएस	व्यय प्रमाणक विहीन
4	4वाएसएफ सी /2019-20/पी /7	4851.00	न्यू जी डी उद्योग	अप्राप्त	पीएफएमएस	व्यय प्रमाणक विहीन
5	4वाएसएफ सी /2019-20/पी /8	26506.00	मजदूरी	अप्राप्त	पीएफएमएस	मस्टर रोल विहीन
6	एफएफ सी /2019-20/पी /49	102294.00	वि० में रंगाई-पुताई कार्य (चौरसिया ट्रेडर्स को भुगतान )	अप्राप्त	पीएफएमएस	व्यय प्रमाणक विहीन
7	एफएफ सी /2019-20/पी /49	28938.00	वि० में रंगाई-पुताई कार्य (मजदूरी हेतु )	अप्राप्त	पीएफएमएस	मस्टर रोल विहीन

योग - 213681.00

उक्त व्यय के सापेक्ष निम्नआपत्तियाँ दर्ज की जाती हैं-

- है उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।
- स्वीकृत कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 218-क के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।
- उक्त भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः दर्शित व्यय रू0 213681.00 धनराशि में ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत उक्त धनराशि रू0 213681.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राजेन्द्र प्रसाद ग्रामप्रधान रू0106840.50 ,तात्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0106840.50 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली हेतु यह गम्भीर प्रकरण वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**प्रस्तर 77--** ग्राम पंचायत कैथी वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा हेतु समस्त अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 26-06-2020 को कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) में पत्र दिया गया था ,परन्तु लेखापरीक्षा हेतु व्यय पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयी। पुनः दिनांक 07-12-2020, 16-12-2020 , 14-01-2021, 19-02-2021 को कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) में पत्र दिये गये। कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पत्रांक 205 / 07-12-2020 द्वारा लेखापरीक्षा हेतु समस्त अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था , परन्तु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित आपत्तियों से सम्बंधित व्यय पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त गम्भीर प्रकरण में विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा उचित एवं ठोस कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

## 19-ग्राम पंचायत -कोलवा विकास खण्ड रूदौली वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 78-**आलोच्य वर्ष में दिनांक 17 -12- 2019 को यासीन नर्सरी सेरूपये 64000 . 00 तथा 64000.ववकुल 128000.ववकी बेन्च क्रय किए गएस परंतु कोटेशन/ निविदा की कार्रवाई नहीं की गई स नर्सरी से बेन्च क्रय करने का क्या औचित्य है स इस प्रकार काल्पनिक/ फर्जी वाउचर प्रस्तुत कर धन का अनियमित भुगतान किया गया जोकिपंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है।

अतः रुपया 128000-00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राममूर्ति यादव तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री विशाल श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 79--** ग्राम पंचायत में सोख्ता गड़ढा निर्माण पर दिनांक 24-01 - 2020 को सामग्री क्रय किया जाना कोश बही में दर्शित है वाउचर महक इलेक्ट्रिक का प्राप्त हुआ ,निर्माण सामग्री के क्रय हेतु इलेक्ट्रिक की दुकान से सामान क्रय किया जाना संदिग्ध है तथा महक इलेक्ट्रिक के वाउचर पर क्रमांक व दिनांक तथा जीएसटी क्रमांक भी अंकित नहीं पाया गया स इस प्रकार रुपए 34400. 00 का भुगतान संदिग्ध है इसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीराम उदित यादव तथा पंचायत सेक्रेटरी श्री विशाल श्रीवास्तव से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है

**प्रस्तर 80-**आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 13 -02 -2020 को उदय इंटरप्राइजेज से रुपए 45212 . 00 के ह्यूम पाइप क्रय किए गए स परंतु इनकी डलवाई पर मजदूरीका भुगतान कोष बहीं में अंकित नहीं पाया गयास तथा प्रस्तुत वाउचर में क्रमांक व दिनांक भी अंकित नहीं पाए गएस एम ० बी ० में भी जे ०ई ० द्वारा इनके उपयोग स्थल की सूची का उल्लेख ही नहीं पाया गया स उक्त के आधार पर क्रय काल्पनिक प्रतीत होती है इसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीराम उदित यादव एवं ग्राम सचिव श्री विशाल श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है

**प्रस्तर 80क -**दिनांक 10-03- 2020 को रुपए 14050. 00 के कुर्सी मेज इत्यादि क्रय किए गए जिसकी पुष्टि में महक इलेक्ट्रिक का वाउचर प्रस्तुत किया गयास , प्रस्तुत वाउचर में क्रमांक, दिनांक, व जीएसटी नंबर, अंकित नहीं पाया गया स इलेक्ट्रिक की दुकान से कुर्सी मेज इत्यादि क्रय किया जाना संदिग्ध प्रतीत होता हैस स्टॉक रजिस्टर के अभाव में क्रय की गई सामग्री की पुष्टि भी नहीं की जा सकीस अतः व्यय संदिग्ध है, उक्त धनराशि की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम उदित यादव तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री विशाल श्रीवास्तव से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है स

## 20 ग्राम पंचायत - गोपीनाथपुर विकास खण्ड- सोहावल अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर81 -** ग्राम पंचायत गोपीनाथपुर की लेखा परीक्षा में धनराशि क० 2044424.00 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है. जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का आकृष्ट किया जाता है।

**आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है-**

लेखा परीक्षा मेसबुक बैंकरटेटमेट कार्य पत्रावलियों तथा अन्य पुष्टि परक प्रपत्र यथा-बिल वाउचर मस्टर रोल. स्टीमेट एम०बी० कार्य पूति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार धान पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में धनराशि रू0 2044424.00 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड (क) के अनुसार यदिदशांगेगये व्यय के सम्बन्ध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानत हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" साथ ही

उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु 2044424.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं सचिव ग्राम पंचायत आदेश चौधरी से संयुक्त रूप से किये जान हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

#### **21 ग्राम पंचायत - हरिवन्धनपुर विकास खण्ड-सोहावल अयोध्या वर्ष-2019-20**

**प्रस्तर 82** ग्राम पंचायत हरिवन्धनपुर की लेखा परीक्षा में धनराशि रु 942276.00 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**आपत्ति** का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं-

लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियों तथा अन्य पुष्टि परक प्रपत्र यथा-बिल वाउचर, मस्टर रोल स्टीमेट, एम०बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में धनराशि रु 942276.00 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गमन मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" साथ ही

उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तरप्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु 942276.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान श्री राम कुमार एवं सचिव ग्राम पंचायत बरिन्द्र से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

#### **22 ग्राम पंचायत इस्माइलनगर सिहोरा विकास खण्ड-सोहावल अयोध्या वर्ष-2019-20**

**प्रस्तर 83.** ग्राम पंचायत इस्माइलनगर सिहोरा की लेखा परीक्षा में धनराशि रु 2021023.40 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**आपत्ति** का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं-

लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियाँ तथा अन्य पुष्टि परक प्रपत्र यथा-बिल वाउचर, मस्टररोल, स्टीमेट, एम०बी०, कार्य पूर्तिप्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में धनराशि रु 2021023.40 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्रामपंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गमन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" साथ ही

उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तरप्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु 2021023.40 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सहदेव एवं सचिव ग्राम पंचायत बीस्त्र से संयुक्त रूप से कियेजाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

#### **23 ग्राम पंचायत सोहावल विकास खण्ड-सोहावल अयोध्या वर्ष-2019-20**

**प्रस्तर 84.** ग्राम पंचायतसोहावल की लेखा परीक्षा में धनराशि रु 1069776.00 की गम्भीरअनियमितता एवंअपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।**आपत्ति** का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं-

लेखा परीक्षा मेकेशबुक बैकस्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियों तथा अन्य पुष्टि परक प्रपत्र यथा-बिलवाउचर, मस्टररोल, स्टीमेट, एम०बी० कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में धनराशि रु० 1069776.00 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्रामपंचायत द्वारा उका दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है। उका मेनुअल को खण्ड (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही

उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु० 1069776.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अशोक कुमारी एवं सचिव ग्राम पंचायत आदेश चौधरी से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

#### 24 ग्राम पंचायत - पलियामाफी विकास खण्ड- मिल्कीपुर अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर85-** केशबुक की जाँच में पाया गया कि दिनांक28/10/2019 को रु० 75910.00 का व्यय हैंडपंप मरम्मत हेतु दर्शित है उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्नआपत्तियां हैं

(1) मरम्मत कराये गए हैंडपम्पो की सूची लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।

(2) उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा ।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है । उक्त मैनुअल के खण्ड-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी ।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है । अतः धनराशि रु० 75910.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अर्जुन कुमार से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

**प्रस्तर86-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आर .सी .सी बेन्च स्थापना पर रु० 96000.00 की धनराशि का व्यय किया जाना केशबुक में दर्शित किया गया है । लेखा परीक्षा में उक्त व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी बिल/वाउचर, कोटेशन एमबी या बेन्च निर्माण के अन्तर्गत आने वाले मैटिरियल से सम्बंधित सामग्री का कोई भी विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः किया गया व्यय पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होता है । व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है । अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि 96000.00 की वसूलीउत्तरदायी व्यक्तियों श्री अर्जुन कुमार ग्राम सचिव से रु० 48000.00 तथा ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार से रु० 48000.00 की वसूली बराबर-र हिस्सों में से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

#### 25 ग्राम पंचायत - मरुईगनेशपुर विकास खण्ड- मिल्कीपुर अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर87-** केशबुक की जाँच में पाया गया कि दिनांक28/10/2019 को रु० 75302.00का व्यय हैंडपंप मरम्मत हेतु दर्शित है उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्नआपत्तियां हैं

(1) मरम्मत कराये गए हैंडपम्पो की सूची लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।

(2) उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा ।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु० 75302.00की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीकमलेश देवीरु० 37651.00 एवं सचिव ग्राम पंचायत हंसराज रु०37651.00से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

## 26 ग्राम पंचायत - मिल्कीपुर विकास खण्ड- मिल्कीपुर अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर88-** कैशबुक की जाँच में पाया गया कि दिनांक 28/10/2019 को रु० 128000.00 का व्यय आर० सी० सी० बैंच क्रय हेतु दर्शित है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्नआपत्तियाँ हैं।

- (1) आर० सी० सी० बैंचों की संख्या प्रयोग किये गये स्थलों की सूची का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (2) उक्त व्यय से सम्बंधित कोई पत्रावली तथा पुष्टि परक अभिलेख तथा सामग्री क्रय सम्बन्धी बिल वाउचर एम० बी० कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गए अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु० 128000.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा रु०64000.00 एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अर्जुनकुमार सेरु०64000.00 संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

## 27 ग्राम पंचायत - अहरोली सलोनी विकास खण्ड- मिल्कीपुर अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर89-** ग्रामपंचायत अहरोली सलोनी की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 1474464.00 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं-

लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावलियाँ तथा अन्य पुष्टि परक प्रपत्र यथा-बिल वाउचर, मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में धनराशि रु० 1474464.00 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्रामपंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु०1474464.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अमर सिंह(रु० 737232.00) एवं सचिव ग्राम पंचायत विकास कुमार(रु० 737232.00) से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

## 28 ग्राम पंचायत - सारंगपुर विकास खण्ड-मयाबाजार अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 90-** सोलिंग निर्माण पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में ग्राम पंचायत में सोलिंग निर्माण पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या/पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	09/11/19	पीएफएमएस द्धारा	87906.00	सोलिंग निर्माण मे ईट आपूर्ति हेतु फूल ब्रिक फील्ड को भुगतान ।
2	09/11/19	पीएफएमएस द्धारा	7314.00	सोलिंग निर्माण मे मिट्टी पटाई हेतु फूल ब्रिक फील्ड को भुगतान ।
3	03/12/19	पीएफएमएस द्धारा	24752.00	सोलिंग मरम्मत/निर्माण मे मजदूरी का भुगतान ।
4	20/02/20	पीएफएमएस द्धारा	104528.00	सोलिंग निर्माण मे ईट आपूर्ति हेतु फूल ब्रिक फील्ड को भुगतान ।
5	23/02/20	पीएफएमएस द्धारा	91176.00	सोलिंग मरम्मत/निर्माण मे मजदूरी का भुगतान ।
		योग	315676.00	

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है -

(क) सोलिंग मरम्मत/निर्माण की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा मे सोलिंग मरम्मत/निर्माण का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) ईट क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) ईट क्रय का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान ,मस्टर रोल ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के द्धारा की गयी ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 315676.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से मे श्री मुक्तिनाथ (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री समीर कुमार (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्यआपत्ति 23)

**प्रस्तर 91-नाली निर्माण पर व्यय :-** लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्धारा कतिपय तिथियों मे ग्राम पंचायत के नाली निर्माण पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या/पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	05/11/19	पीएफएमएस द्धारा	41485.00	नाली निर्माण मे ईट आपूर्ति हेतु फूल ब्रिक फील्ड को भुगतान ।
2	25/11/19	पीएफएमएस द्धारा	69527.00	नाली निर्माण मे सामाग्री आपूर्ति हेतु बजरंग बिल्डिंग मैटेरियल को भुगतान ।
3	04/12/19	पीएफएमएस द्धारा	21744.00	नाली निर्माण मे मजदूरी का भुगतान ।
4	05/12/19	पीएफएमएस द्धारा	5000.00	नाली निर्माण मे सामाग्री आपूर्ति हेतु अम्बे ट्रेडर्स को भुगतान ।
5	05/12/19	पीएफएमएस द्धारा	20478.00	नाली निर्माण मे सामाग्री आपूर्ति हेतु बजरंग बिल्डिंग मैटेरियल को भुगतान ।

6	05/12/19	पीएफएमएस द्धारा	9419.00	नाली निर्माण मे ईट आपूर्ति हेतु फूल ब्रिक फील्ड को भुगतान ।
7	05/12/19	पीएफएमएस द्धारा	8456.00	नाली निर्माण मे मजदूरी का भुगतान ।
		योग	176109.00	

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है -

(क) नाली निर्माण की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा मे नाली निर्माण का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) ईट ,सीमेंट ,मोरंग ,बालू आदि सामाग्री आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण की पुष्टि मे कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस ,दैनिक समाचार पत्र की कटिंग ,पंजीकृत फर्मों/ ठेकेदारो द्धारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नको सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म , धरोहर धनराशि की रसीद(उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 मे निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7) ,फर्मों के तुलनात्मक चार्ट ,स्वीकृत फर्म को सामाग्री आपूर्ति का आदेश लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि सामाग्री क्रय मे पारदर्शी क्रय नियमो का पालन नहीं किया गया । अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) ईट ,सीमेंट ,मोरंग ,बालू आदि क्रय सामाग्री का स्टॉक रजिस्टर ,व्यय वाउचर,मस्टर रोल, डिलवरी चालान ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखो की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम मे की गयी ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 176109.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे श्री मुक्तिनाथ (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री समीर कुमार (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्यआपत्ति संख्या 24)

## 29- ग्राम पंचायत - कल्याणपुर बरौली विकास खण्ड-मयाबाजार अयोध्या वर्ष-2019-20

प्रस्तर 92-हैंडपंप मरम्मत पर व्यय :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्धारा कतिपय तिथियो मे हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या/पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	2/04/19	218	38700.00	अभिनव ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत रिबोर हेतु भुगतान
2	29/04/19	219	44560.00	अभिनव ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत रिबोर हेतु भुगतान
3	30/07/19	277	26700.00	अभिनव ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत रिबोर हेतु भुगतान
4	07/11/19	पीएफएमएस द्धारा	27500.00	अभिनव ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत रिबोर हेतु भुगतान
		योग	137400.00	

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है -

(क) हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्धारा नहीं दिया गया है । हैंडपंप रिबोर कार्य को ग्राम सभा मे अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना मे शामिल नहीं किया गया । हैंडपंप रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर न तो वर्क आई.डी. जनरेट करायी गयी और न ही एम एसेट पर फोटोएवं जियो टैगिंग करायी गयी है । अतः हैंडपंप मरम्मत /रिबोर मे जल निगम कि मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05 का उलंघन है ।

(ग) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत/ रिबोर का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत, व्यय प्रमाणक एवं एमबी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), का उलंघन किया गया।

(घ) मरम्मत /रिबोर कराये गए हैंडपंपों सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जांच नहीं हो सकी। हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, उनकी वैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे तत्समम्बन्धी समीक्षा नहीं हो पाई।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 137400.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री रजत दधिवेदी (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती मीरा सिंह (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 23)

**प्रस्तर 93 आर. सी. सी. बेन्च क्रय :-** लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर आरसीसी बेंच स्थापना कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1	23/07/19	224	85000.00	आर सी सी बेंच स्थापना हेतु अभिनव पीयूष ट्रेडर्स को भुगतान।
2	23/07/19	225	85000.00	आर सी सी बेंच स्थापना हेतु अभिनव पीयूष ट्रेडर्स को भुगतान।
3	31/07/19	278	85000.00	आर सी सी बेंच स्थापना हेतु अभिनव पीयूष ट्रेडर्स को भुगतान।
		योग	255000.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) आर. सी. सी. बेन्च स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में आर. सी. सी. बेन्च स्थापना का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) आर. सी. सी. बेन्च क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) आर. सी. सी. बेन्च क्रय का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया।

(ड) आर. सी. सी. बेन्च की स्थापना किन स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 255000.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री रजत दधिवेदी (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती मीरा सिंह (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 24)

### 30- ग्राम पंचायत - केशवपुर विकास खण्ड-मयाबाजार अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 94-हैंडपंप मरम्मत पर व्यय :-** लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या/पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	04/07/19	464577	25270.00	अम्बे ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान।
2	22/11/19	पीएफएमएस द्वारा	38000.00	दीप जनरल आर्डर सप्लायर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान।

3	26/11/19	पीएफएमएस द्वारा	17960.00	दीप जनरल आर्डर सप्लायर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
4	24/02/20	पीएफएमएस द्वारा	33400.00	अम्बे ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
		योग	114630.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं -

(क) हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है । हैंडपंप रिबोर कार्य को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल नहीं किया गया । हैंडपंप रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर न तो वर्क आई.डी. जनरेट करायी गयी और न ही एम एसेट पर फोटो एवं जियो टैगिंग करायी गयी है । अतः हैंडपंप मरम्मत /रिबोर में जल निगम कि मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05 का उलंघन है ।

(ख) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत/ रिबोर का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत ,व्यय प्रमाणक एवं एमबी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के साथ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक 1502 दिनांक 10/12/2020 एवं पत्रांक 1706 दिनांक 07/01/2021 के द्वारा भी की गयी ।

(ग) मरम्मत /रिबोर कराये गए हैंडपंपों सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जांच नहीं हो सकी । हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र ,उनकी वैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ,जिससे तत्समम्बन्धी समीक्षा नहीं हो पाई ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 114630.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड), एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से में श्री मुक्तिनाथ (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री रामचंद्र सिंह (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है

(सामान्यआपत्ति 22)

**प्रस्तर 95-आर. सी. सी. बेन्च क्रय :-** लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में आर. सी. सी. बेन्च क्रय पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या/पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	22/11/19	आर 111900327627	88000.00	दीप जनरल आर्डर सप्लायर्स को आरसीसी बेंच स्थापना का भुगतान ।

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं -

(क) आर. सी. सी. बेन्च स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में आर. सी. सी. बेन्च स्थापना का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) आर. सी. सी. बेन्च क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) आर. सी. सी. बेन्च क्रय का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के साथ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक 1502 दिनांक 10/12/2020 एवं पत्रांक 1706 दिनांक 07/01/2021 के द्वारा भी की गयी ।

(ङ) आर. सी. सी. बेन्च की स्थापना किन स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 88000.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे श्री मुक्तिनाथ (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री राम चंदर सिंह (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति 23 )

**प्रस्तर 96-** प्राथमिक विध्यालय के कायाकल्प पर व्यय :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्धारा कतिपय तिथियो मे प्राथमिक विध्यालय के कायाकल्प पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या/पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	30/04/19	464567	87675.00	प्राथमिक विध्यालय के कायाकल्प मे मजदूरी का भुगतान।
2	30/05/19	464569	64242.00	प्राथमिक विध्यालय के कायाकल्प मे सामाग्री आपूर्ति हेतु दीप जनरल आर्डर सप्लायर्स को भुगतान।
3	23/07/19	464579	80080.00	प्राथमिक विध्यालय के कायाकल्प मे मजदूरी का भुगतान।
4	23/07/19	464582	67704.00	प्राथमिक विध्यालय के कायाकल्प मे मजदूरी का भुगतान।
5	23/07/19	464585	89400.00	प्राथमिक विध्यालय के कायाकल्प मे सामाग्री आपूर्ति हेतु दीप जनरल आर्डर सप्लायर्स को भुगतान।
6	23/07/19	464580 464583	34200.00 34200.00	प्राथमिक विध्यालय के कायाकल्प मे मजदूरी का भुगतान।
7	23/07/19	464581	107300.00	प्राथमिक विध्यालय के कायाकल्प मे सामाग्री आपूर्ति हेतु दीप जनरल आर्डर सप्लायर्स को भुगतान।
		योग	530601.00	

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क) प्राथमिक विध्यालय के कायाकल्प की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा मे प्राथमिक विध्यालय के कायाकल्प का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) सामाग्री आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण की पुष्टि मे कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस, दैनिक समाचार पत्र की कटिंग, पंजीकृत फर्मी/ ठेकेदारो द्धारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नको सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म, धरोहर धनराशि की रसीद (उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 मे निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7), फर्मी के तुलनात्मक चार्ट, स्वीकृत फर्म को सामाग्री आपूर्ति का आदेश लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि सामाग्री क्रय मे पारदर्शी क्रय नियमो का पालन नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) टाइल्स कार्य हेतु क्रय सामाग्री का स्टॉक रजिस्टर, व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखो की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के साथ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक 1502 दिनांक 10/12/2020 एवं पत्रांक 1706 दिनांक 07/01/2021 के द्धारा भी की गयी।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 530601.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे श्री मुक्तिनाथ (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री रामचंदर सिंह (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 24)

**31- ग्राम पंचायत - पौसरा विकास खण्ड-मयाबाजार अयोध्या वर्ष-2019-20**

**प्रस्तर 97-प्राथमिक विध्यालय के काया कल्प पर व्यय :-** लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्धारा विभिन्न तिथियो मे ग्राम पंचायत के प्राथमिक विध्यालय पौसरा के काया कल्प पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1	26/06/19	37343	90000.0	प्राथमिक विध्यालय पौसरा के मरम्मत हेतु पेंटिंग मैटेरियल आपूर्ति का माँ सरयू मशीनरी स्टोर को भुगतान ।
2	26/06/19	37344	37500.0	प्राथमिक विध्यालय पौसरा के मरम्मत हेतु पेंटिंग मैटेरियल आपूर्ति का माँ सरयू मशीनरी स्टोर को भुगतान ।
		योग	127500.00	

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है -

(क) प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विध्यालय के कायाकल्प की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) प्राथमिक /पूर्व माध्यमिक विध्यालय के कायाकल्प का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) सामाग्री आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण की पुष्टि मे कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस ,दैनिक समाचार पत्र की कटिंग ,पंजीकृत फर्मा/ ठेकेदारो द्धारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नको सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म , धरोहर धनराशि की रसीद(उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 मे निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7) ,फर्मा के तुलनात्मक चार्ट ,स्वीकृत फर्म को सामाग्री आपूर्ति का आदेश लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि सामाग्री क्रय मे पारदर्शी क्रय नियमो का पालन नहीं किया गया । अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) कायाकल्प कार्य हेतु क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, मस्टररोल ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखो की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के द्धारा भी की गयी ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 127500.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित लवकुश यादव (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती अमृता गौर (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्यआपत्ति संख्या 21)

**प्रस्तर 98-** विभिन्न स्थानो पर इंटरलकिंग निर्माण कार्य पर व्यय :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्धारा विभिन्न तिथियो मे ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानो पर इंटर लाकिंग निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1	23/07/19	37313	60257.00	सुनील तिवारी के घर से चंद्रिका के घर तक इंटर लाकिंग निर्माण कार्य मे ईट आपूर्ति हेतु श्री अम्बे ट्रेडर्स को भुगतान।
2	23/07/19	37312	26623.00	अनिल तिवारी घर से मनोहर के घर तक तक इंटर लाकिंग निर्माण कार्य मे बिल्डिंग मैटेरियल आपूर्ति हेतु श्री अम्बे ट्रेडर्स को भुगतान।
3	23/07/19	35129	27453.00	अनिल तिवारी घर से मनोहर के घर तक तक इंटर लाकिंग निर्माण कार्य मे बिल्डिंग मैटेरियल आपूर्ति हेतु श्री अम्बे ट्रेडर्स को भुगतान।
4	24/07/19	37317	105800.00	सुनील तिवारी के घर से चंद्रिका के घर तक इंटर लाकिंग निर्माण कार्य मे पेवर ब्लाक आपूर्ति हेतु श्री अम्बे ट्रेडर्स को भुगतान।
5	30/10/19	पीएफएमएस द्धारा	106190.00	हरीराम के घर से राजेश के घर तक इंटर लाकिंग निर्माण कार्य मे पेवर ब्लाक आपूर्ति हेतु ए वी इंटर प्राइजेज़ को भुगतान।
		योग	326323.00	

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है -

(क) सोलिंग/इंटरलाकिंग कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) सोलिंग/इंटरलाकिंग कार्य का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) सामाग्री आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण /कोटेशन की पुष्टि में कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस ,दैनिक समाचार पत्र की कटिंग ,पंजीकृत फर्मों/ ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नकों सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म , धरोहर धनराशि की रसीद(उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 में निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7) ,फर्मों के तुलनात्मक चार्ट ,स्वीकृत फर्म को सामाग्री आपूर्ति का आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि सामाग्री क्रय में पारदर्शी क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया । अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) सोलिंग/इंटरलाकिंग कार्य हेतु क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, मस्टररोल ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड - 11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के द्वारा भी की गयी ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 326323.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित लवकुश यादव (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती अमृता गौर (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्य आपत्ति संख्या 22 )

### 32- ग्राम पंचायत - दलपतपुर विकास खण्ड-मयाबाजार अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 99- हैंडपंप मरम्मत पर व्यय :-** लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या/पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	15/04/19	346	49500.0	श्री अम्बे ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
2	15/06/19	352	47500.00	श्री अम्बे ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
3	03/08/19	375	81900.00	श्री अम्बे ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
4	19/12/19	पीएफएमएस द्वारा	35480.00	निशा ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
5	19/12/19	पीएफएमएस द्वारा	40870.00	निशा ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
6	09/01/20	पीएफएमएस द्वारा	28660.0	सार्थक ट्रेडर्स को हैंडपंप रिबोर कार्य हेतु भुगतान ।

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क)- हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है । हैंडपंप रिबोर कार्य को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल नहीं किया गया । हैंडपंप रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर न तो वर्क आई.डी. जनरेट करायी गयी और न ही एम एसेट पर फोटोएवं जियो टैगिंग करायी गयी है । अतः हैंडपंप मरम्मत /रिबोर में जल निगम कि मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 का उलंघन है ।

(ख) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत/ रिबोर का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत ,व्यय प्रमाणक एवं एमबी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के द्वारा भी की गयी ।

(ग) मरम्मत /रिबोर कराये गए हैंडपंपों सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जांच नहीं हो सकी । हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र ,उनकी वैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ,जिससे तत्समम्बन्धी समीक्षा नहीं हो पाई ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 283910.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित तुलसीराम निषाद, श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती सुरुचि सिंह (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है । लेखा परीक्षा आपत्तियों में उल्लिखित अप्राप्त व्यय प्रमाणकों एवं अभिलेखों का अनुपालन प्राप्त होने पर उनकी जाँच एवं सत्यापन के पश्चात् ही आपत्ति का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है।

## (सामान्यआपत्ति संख्या 23)

**प्रस्तर 100- विभिन्न स्थानों पर सोखता निर्माण कार्य पर व्यय :-** लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर सोखता निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1	21/06/19	353	40000.00	बिल्डिंग मैटेरियल क्रय हेतु वीके ट्रेडर्स को भुगतान।
2	01/07/19	354	46440.00	बिल्डिंग मैटेरियल क्रय हेतु वीके ट्रेडर्स को भुगतान।
3	17/07/19	359	66752.00	बिल्डिंग मैटेरियल क्रय हेतु वीके ट्रेडर्स को भुगतान।
4	01/07/19	355	28560.0	मस्टर रोल भुगतान पर व्यय।
5	06/07/19	358	28560.00	मस्टर रोल भुगतान पर व्यय।
6	19/07/19	360	22848.00	मस्टर रोल भुगतान पर व्यय।

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं -

(क) सोखता निर्माण कार्य से संबन्धित कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में सोखता निर्माण कार्य का स्टैटमेंट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) सोखता निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामाग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4), खण्ड5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) सोखता निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, मस्टर रोल एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड - 11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के द्वारा भी की गयी।

(ङ) सोखता निर्माण कार्य किन-2 स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 233160.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ङ) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर श्री तुलसीराम निषाद, श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती सुरुचि सिंह (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

## (सामान्यआपत्ति संख्या 24)

**प्रस्तर 101-प्राथमिक विध्यालय/पूर्व माध्यमिक विध्यालय के काया कल्प पर व्यय :-** लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत के प्राथमिक विध्यालय/पूर्व माध्यमिक विध्यालय दलपतपुर के काया कल्प पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1	22/07/19	362	75300.0	श्री अम्बे ट्रेडर्स को प्राथमिक विध्यालय दलपतपुर के मरम्मत में टाइल्स आपूर्ति का भुगतान।
2	23/07/19	366	48300.0	श्री अम्बे ट्रेडर्स को प्राथमिक विध्यालय दलपतपुर के मरम्मत में बिल्डिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।
3	16/03/20	पीएफएमएस धारा	38607.00	निशा ट्रेडर्स को पूर्व माध्यमिक विध्यालय दलपतपुर के मरम्मत में पेंटिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।
4	16/03/20	पीएफएमएस धारा	61085.00	निशा ट्रेडर्स को प्राथमिक विध्यालय-2 दलपतपुर के मरम्मत में पेंटिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।
5	16/03/20	पीएफएमएस धारा	115876.00	मजदूरी भुगतान पर व्यय।
		योग	339168.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं -

(क) प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय के कार्याकल्प की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) प्राथमिक /पूर्व माध्यमिक विद्यालय के कार्याकल्प का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) सामाग्री आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण की पुष्टि में कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस ,दैनिक समाचार पत्र की कटिंग ,पंजीकृत फर्मों/ ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नको सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म , धरोहर धनराशि की रसीद(उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 में निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7) ,फर्मों के तुलनात्मक चार्ट ,स्वीकृत फर्म को सामाग्री आपूर्ति का आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि सामाग्री क्रय में पारदर्शी क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया । अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) कार्याकल्प कार्य हेतु क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, मस्टररोल ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के द्वारा भी की गयी ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 339168.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित श्री तुलसी राम निषाद , श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती सुरुचि सिंह(ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्य आपत्ति संख्या 25)

**प्रस्तर 102- इंटरलाकिंग कार्य पर व्यय :-** लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर सोलिंग/इंटरलाकिंग कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1	10/01/20	पीएफएमएस द्वारा	37310.00	सत्यम के घर से संतराम के घर तक सोलिंग निर्माण में मस्टर रोल का भुगतान ।
2	10/01/20	पीएफएमएस द्वारा	43032.00	ॐ ब्रिक फील्ड को ईट क्रय का भुगतान ।
3	17/01/20	पीएफएमएस द्वारा	13021.00	सत्यम के घर से संतराम के घर तक सोलिंग निर्माण में मस्टर रोल का भुगतान ।
4	23/01/20	पीएफएमएस द्वारा	69120.00	निशा ट्रेडर्स को इंटरलाकिंग ईट/प्योरब्लाक क्रय का भुगतान ।
5	23/01/20	पीएफएमएस द्वारा	27400.00	ॐ ब्रिक फील्ड को ईट क्रय का भुगतान ।
6	23/01/20	पीएफएमएस द्वारा	69120.00	निशा ट्रेडर्स को इंटरलाकिंग ईट/प्योरब्लाक क्रय का भुगतान ।
7	29/01/20	पीएफएमएस द्वारा	25070.00	इंटरलाकिंग कार्य पर मजदूरी का भुगतान ।

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) सोलिंग/इंटरलाकिंग कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) सोलिंग/इंटरलाकिंग कार्य का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) सामाग्री आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण /कोटेशन की पुष्टि में कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस ,दैनिक समाचार पत्र की कटिंग ,पंजीकृत फर्मों/ ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नको सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म , धरोहर धनराशि की रसीद(उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 में निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7) ,फर्मों के तुलनात्मक चार्ट ,स्वीकृत फर्म को सामाग्री आपूर्ति का आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि सामाग्री क्रय में पारदर्शी क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया । अतः ग्राम पंचायतों

मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) सोलिंग/इंटरलाकिंग कार्य हेतु क्रय सामग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, मस्टररोल, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड - 11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के द्वारा भी की गयी।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 284073.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती सुरुचि सिंह (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 26)

### 33 ग्राम पंचायत - बरईपारा विकास खण्ड मयाबाजार जिला - अयोध्या वर्ष --2019-20

**प्रस्तर 103-**हैंडपंप मरम्मत पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या/ पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	02/04/19	302	24000.0	मातेश्वरी ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान।
2	09/05/19	305	16000.00	हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान।
3	01/06/19	306	18720.00	संदीप कुमार को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान।
4	18/06/19	307	29600.00	सार्थक ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान
5	03/07/19	310	16670.00	सार्थक ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान
6	23/07/19	421	22200.00	दिलीप कुमार को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान।
7	23/07/19	315	23200.00	बाबा इंटर प्राइजेज़ को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान।
8	04/02/20	पीएफएमएस धारा	16170.00	सार्थक ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान।
9	04/02/20	पीएफएमएस धारा	18960.00	सार्थक ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान।
10	05/02/20	पीएफएमएस धारा	13530.00	सार्थक ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान।
11	29/02/20	पीएफएमएस धारा	18680.00	सार्थक ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान।
12	29/02/20	पीएफएमएस धारा	16540.00	सार्थक ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान।

(क) हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है। हैंडपंप रिबोर कार्य को ग्राम

सभा में अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल नहीं किया गया। हैंडपंप रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लस

एवं एक्शन सॉफ्ट पर न तो वर्क आई.डी. जनरेट करायी गयी और न ही एम एसेट पर फोटो एवं जियो टैगिंग करायी गयी है। अतः हैंडपंप

मरम्मत /रिबोर में जल निगम कि मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 का उलंघन है।

(ख) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत/ रिबोर का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत, व्यय प्रमाणक एवं एमबी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के द्वारा की गयी।

(ग) दिनांक 12/06/19 को रुपया 18720.00 व्यक्ति विशेष संदीप को बेयरर चेक द्वारा भुगतान करके अपहरण कर लिया गया, तथा इस धनराशि का समायोजन हैंडपंप मरम्मत में दिखा दिया गया। ग्राम पंचायत की धनराशि रुपया 2000/-से अधिक रुपया 18720.00 का भुगतान एकाउंटपेयी चेक के बजाय नगद भुगतान करके ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) का भी उलंघन किया गया।

(घ) मरम्मत /रिबोर करायें गए हैंडपंपों सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जांच नहीं हो सकी। हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायी

संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र ,उनकी वैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ,जिससे तत्समम्बन्धी समीक्षा नहीं हो पाई ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 234270.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (इ), एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से में श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री दिलीप कुमार (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है । लेखा परीक्षा आपत्तियों में

उल्लिखित अप्राप्त व्यय प्रमाणको एवं अभिलेखों का अनुपालन प्राप्त होने पर उनकी जाँच एवं सत्यापन के पश्चात् ही आपत्ति का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति 20)

**प्रस्तर 104-** नाली निर्माण एवं खड़जा मरम्मत पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में ग्राम पंचायत में नाली निर्माण एवं खड़जा मरम्मत कार्यों पर सामाग्री क्रय तथा मजदूरी भुगतान पर व्यय दिखाया गया है जैसे

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
		<b>संख्या/पीएफएमएस संख्या</b>		
1	03/08/19	426	33100.00	अर्पित इंटर प्राइजेज़ को नाली निर्माण हेतु बिल्डिंग माइटेरियाल का भुगतान ।
2	07/11/19	पीएफएमएस धारा	58892.00	नाली निर्माण में ईट क्रय हेतु फूल ब्रिक फील्ड को भुगतान ।
3	01/12/19	पीएफएमएस धारा	57096.00	सोलिंग मरम्मत / निर्माण में ईट क्रय हेतु फूल ब्रिक फील्ड को भुगतान ।
4	30/11/19	पीएफएमएस धारा	20202.00	पुलिया से नहर तक सोलिंग कार्य में मस्टर रोल का भुगतान ।
5	05/12/19	पीएफएमएस धारा	29484.00	पुलिया से नहर तक सोलिंग कार्य में मस्टर रोल का भुगतान ।
6	07/12/19	पीएफएमएस धारा	30940.00	मस्तराम के घर से काली स्थान तक सोलिंग मरम्मत में मजदूरी का भुगतान
7	07/01/20	पीएफएमएस धारा	45500.00	अकबरपुर रोड से आँकार के घर तक सोलिंग मरम्मत में M आर भुगतान
			<b>योग 275214.00</b>	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) सोलिंग मरम्मत ,नाली निर्माण की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में सोलिंग मरम्मत, नाली निर्माण का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) सोलिंग मरम्मत,नाली निर्माण में ईट क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4),खण्ड 5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) ईट क्रय का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान , मस्टर रोल ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के धारा की गयी ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 275214.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (इ) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से में श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री दिलीप कुमार (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्य आपत्ति 21)

**प्रस्तर 105-**हयूम पाइप क्रय पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में हयूम पाइप क्रय पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम	दिनांक	चेक संख्या/पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	20/07/19	313	39102.00	शीतल प्रसाद पाइप फैक्ट्री को हयूम पाइप क्रय हेतु भुगतान ।
2	20/07/19	314	35577.00	शीतल प्रसाद पाइप फैक्ट्री को हयूम पाइप क्रय हेतु भुगतान।

3 03/08/19 428 58650.00 शीतल प्रसाद पाइप फैक्ट्री को ह्यूम पाइप क्रय हेतु भुगतान ।

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं -

(क) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप स्थापना का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ह्यूम पाइप क्रय का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, मस्टर रोल, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के धारा की गयी ।

(ड) ह्यूम पाइप की स्थापना किन स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 133329.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड़) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री दिलीप कुमार (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्यआपत्ति 22)

**प्रस्तर 106-** आर. सी. सी. बेन्च क्रय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत धारा कतिपय तिथियों में आर. सी. सी. बेन्च क्रय पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम	दिनांक	चेकसंख्या	धनराशि	फर्म का नाम
संख्या		/पीएफएमएस संख्या		
1	07/12/2019	आर 121900259971	80000.00	अमर जनरल आर्डर सप्लायर्स को आरसीसी बेंच स्थापना का भुगतान ।
2	07/12/2019	आर 121900122148	80000.00	अमर जनरल आर्डर सप्लायर्स को आरसीसी बेंच स्थापना का भुगतान ।
3	07/12/2019	आर 121900293129	80000.00	अमर जनरल आर्डर सप्लायर्स को आरसीसी बेंच स्थापना का भुगतान ।
योग 240000.00				

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं -

(क) आर. सी. सी. बेन्च स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में आर. सी. सी. बेन्च स्थापना का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) आर. सी. सी. बेन्च क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) आर. सी. सी. बेन्च क्रय का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के धारा की गयी ।

(ड़) आर. सी. सी. बेन्च की स्थापना किन स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 240000.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड़) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री दिलीप कुमार (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्यआपत्ति 23)

**34 ग्राम पंचायत - देवरा दाऊदपुर विकास खण्ड मयाबाजार अयोध्या वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर 107-**हैंडपंप मरम्मत पर व्यय :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्धारा कतिपय तिथियो मे हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
संख्या	/पीएफएमएस	संख्या		
1	30/12/19	आर 1219018888524	21420.0	सार्थक ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
2	30/12/19	आर 121901857941	22680.00	सार्थक ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
3	30/12/19	आर 121901836690	18780.00	सार्थक ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
4	21/02/20	आर 022001511850	18940.00	सार्थक ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
5	21/02/20	आर 022001505503	17460.00	सार्थक ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।

योग 99280.00

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं -

(क) हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्धारा नहीं दिया गया है । हैंडपंप रिबोर कार्य को ग्राम

सभा मे अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना मे शामिल नहीं किया गया । हैंडपंप रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लस

एवं एक्शन सॉफ्ट पर न तो वर्क आई.डी. जनरेट करायी गयी और न ही एम एसेट पर फोटो एवं जियो टैगिंग करायी गयी है । अतः हैंडपंप

मरम्मत /रिबोर मे जल निगम कि मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05 का उलंघन है ।

(ख) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानो पर हैंडपंप मरम्मत/ रिबोर का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत ,व्यय प्रमाणक एवं एमबी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखो की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के द्धारा की गयी ।

(ग) मरम्मत /रिबोर कराये गए हैंडपंपो सूची लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । ग्राम पंचायत मे विगत वर्षो मे मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जांच नहीं हो सकी । हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायी

संस्थाओ का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र ,उनकी वैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ,जिससे ततसमम्बन्धी समीक्षा नहीं हो पाई ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 99280.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256

(2) के (क) से (ड), एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री मनोज यादव (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्यआपत्ति 32)

**प्रस्तर 108-**हयूम पाइप क्रय पर व्यय :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्धारा कतिपय तिथियो मे हयूम पाइप क्रय पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम	दिनांक	चेक संख्या/ पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	19/07/19	192	22500.00	शान्ति पाइप फैक्ट्री को हयूम पाइप क्रय हेतु भुगतान
2	03/01/20	आर 012000017022	35577.00	शीतल प्रसाद पाइप फैक्ट्री को हयूम पाइप क्रय हेतु भुगतान
3	03/01/20	आर 012000017310	35577.00	शीतल प्रसाद पाइप फैक्ट्री को हयूम पाइप क्रय हेतु भुगतान
4	03/01/20	आर 012000017300	35577.00	शीतल प्रसाद पाइप फैक्ट्री को हयूम पाइप क्रय हेतु भुगतान

5 03/01/20 आर 012000026655 35577.00 शीतल प्रसाद पाइप फैक्ट्री को ह्यूम पाइप क्रय हेतु भुगतान योग 164808.00

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है -

(क) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानो पर जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानो पर जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप स्थापना का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) ग्राम पंचायत मे ह्यूम पाइप क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा मे ह्यूम पाइप क्रय का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान ,मस्टर रोल ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखो की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के द्धारा की गयी ।

(ङ) ह्यूम पाइप की स्थापना किन स्थानो पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 164808.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ङ) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री मनोज यादव (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्यआपत्ति 13)

(21) ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे वंशराज के घर से श्यामलाल के घर तक सोलिंग निर्माण कार्य कराया गया है । संबन्धित कार्य पत्रावली के अवलोकन मे यह पाया गया कि मस्टर रोल पर मजदूरों के अगूठे क्रमांकित नहीं किए गए थे । पेड एण्ड कैंसिल की मुहर भी नहीं लगी है । इस संबंध मे सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 109-आर. सी. सी. बेन्च क्रय :-** लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्धारा कतिपय तिथियो मे आर. सी. सी. बेन्च क्रय पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
<b>संख्या</b>		<b>/पीएफएमएस संख्या</b>		
1	22/01/20	आर 012001732039	48000.00	लक्ष्मी इंटर प्राइजेज़ को आरसीसी बेंच स्थापना का भुगतान ।
2	22/01/20	आर 012001776677	48000.00	लक्ष्मी इंटर प्राइजेज़ को आरसीसी बेंच स्थापना का भुगतान ।
3	22/01/20	आर 012001738704	48000.00	लक्ष्मी इंटर प्राइजेज़ को आरसीसी बेंच स्थापना का भुगतान ।
4	22/01/20	आर 012001739822	48000.00	लक्ष्मी इंटर प्राइजेज़ को आरसीसी बेंच स्थापना का भुगतान ।
		<b>योग</b>	<b>192000.00</b>	

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है -

(क) आर. सी. सी. बेन्च स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा मे आर. सी. सी. बेन्च स्थापना का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) आर. सी. सी. बेन्च क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) आर. सी. सी. बेन्च क्रय का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया

गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के द्वारा की गयी ।

(इ) आर. सी. सी. बेंच की स्थापना किन स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 192000.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (इ) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री मनोज यादव (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्य आपत्ति 14)

**प्रस्तर 110-** ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न बेयरर चेकों के द्वारा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ने नगद धनराशियों का आहरण करके राजकीय धनराशि का सीधा अपहरण कर लिया । जिसका विवरण निम्न है ।

क्रम	तिथि	चेक संख्या	धनराशि रूपये	फर्म का नाम
1	09/04/19	176	10000.00	ग्राम प्रधान मनोज यादव द्वारा नगद आहरण ।
2	06/04/19	197	20000.0	„
3	15/04/19	179	15000.00	„
4	22/04/19	200	25000.00	„
5	02/05/19	202	10000.00	„
6	02/05/19	201	15000.00	„
7	03/05/19	203	10800.00	ग्राम पंचायत अधिकारी अवधेश प्रताप द्वारा नगद आहरण।
08	13/05/19	204	13500.00	ग्राम प्रधान मनोज यादव द्वारा नगद आहरण ।
09	17/05/19	205	30700.00	„
10	17/05/19	206	31500.00	ग्राम पंचायत अधिकारी अवधेश प्रताप सिंह द्वारा नगद आहरण
11	25/06/19	183	20000.00	ग्राम प्रधान मनोज यादव द्वारा नगद आहरण ।
12	26/07/19	194	22000.00	„
		योग	223500.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) ग्राम पंचायत की कुल धनराशि रुपया 223500.00 का भुगतान एकाउंटपेयी चेक के बजाय नगद भुगतान करके ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) का उलंघन किया गया।

(ख) ग्राम पंचायत की कुल धनराशि रुपया 223500.00 के व्यय संबंधी व्यय वाउचर, क्रय सामाग्री का डिलवरी चालान ,मस्टररोल ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया।

(ग) ग्राम पंचायत को प्राप्त राजकीय अनुदान का व्यय एकाउंटपेयी चेक द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए था परंतु ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा नगद आहरण करके ग्राम पंचायत में क्रय एवं कार्यों पर व्यय में वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया इससे ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05 (3) का उलंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 223500.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क), खण्ड 8(क), अध्याय 5(5), अध्याय - 05 (3) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (इ) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री मनोज यादव (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्य आपत्ति संख्या 15)

**प्रस्तर 111-**ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न बेयरर चेकों के द्वारा फर्म के बजाय व्यक्ति विशेष को भुगतान दिखाकर करके राजकीय धनराशि का सीधा अपहरण कर लिया गया। जिसका विवरण निम्न है ।

क्रम संख्या	तिथि	चेक संख्या	धनराशि रूपये	फर्म का नाम
1	06/04/19	176	10000.00	सुग्रीम द्वारा नगद आहरण ।
2	09/04/19	178	19500.0	„

3	15/04/19	180	15100.00	„
4	27/05/19	208	19500.00	„
5	29/06/19	186	7500.00	„
6	05/08/19	195	9659.00	दिनेश द्धारा नगद आहरण ।
		योग	81259.00	

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है -

(क) ग्राम पंचायत की कुल धनराशि रुपया 81259.00 का भुगतान एकाउंटपेयी चेक के बजाय नगद भुगतान करके ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) का उलंघन किया गया।

(ख) ग्राम पंचायत की कुल धनराशि रुपया 81259.00 के व्यय संबंधी व्यय वाउचर, क्रय सामाग्री का डिलवरी चालान ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के द्धारा की गयी ।

(ग) सुग्रीम न तो ग्राम निधि का कस्टोडियन है और न ही न ही किसी सामाग्री का आपूर्ति कर्ता है । ग्राम पंचायत को प्राप्त राजकीय अनुदान

का व्यय एकाउंटपेयी चेक द्धारा फर्म को किया जाना चाहिए था परंतु सुग्रीम एवं दिनेश को बेयरर चेक से भुगतान करके ग्राम पंचायत मे क्रय एवं कार्यों पर व्यय मे वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया । अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05 (3) का उलंघन करके राजकीय धन का अपहरण किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 81259.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क), खण्ड 8(क), अध्याय 5(5), अध्याय - 05 (3) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (इ) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री मनोज यादव (ग्राम प्रधान) से किया जाना

अपेक्षित है । (सामान्यआपत्ति संख्या 16)

**प्रस्तर 112-** जूनियर हाईस्कूल एवं प्राथमिक विध्यालय के कायाकल्प पर व्यय :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्धारा कतिपय तिथियों मे जूनियर हाईस्कूल एवं प्राथमिक विध्यालय के कायाकल्प पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या	दिनांक	चेक संख्या/पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	10/01/20	आर 012000568166	47792.00	जूनियर हाईस्कूल के कायाकल्प मे टाइल्स कार्य मे सामाग्री आपूर्ति हेतु पाण्डेय इंटर प्राइजेज को भुगतान ।
2	10/01/20	आर 012000569804	75390.00	जूनियर हाईस्कूल के कायाकल्प मे टाइल्स कार्य मे सामाग्री आपूर्ति हेतुपाण्डेय इंटर प्राइजेज को भुगतान ।
3	10/01/20	आर 012000573378	37930.00	जूनियर हाईस्कूल के कायाकल्प मे टाइल्स कार्य मे सामाग्री आपूर्ति हेतु पाण्डेय इंटर प्राइजेज को भुगतान ।
4	10/01/20	आर 012000570799	83431.00	जूनियर हाईस्कूल के कायाकल्प मे टाइल्स कार्य मे सामाग्री आपूर्ति हेतुपाण्डेय इंटर प्राइजेज को भुगतान ।
5	10/01/20	आर 012000574847	30407.00	जूनियर हाईस्कूल के कायाकल्प मे टाइल्स कार्य मे सामाग्री आपूर्ति हेतुपाण्डेय इंटर प्राइजेज को भुगतान ।
6	10/01/20	आर 012000574831	47446.00	प्राथमिक विध्यालय के कायाकल्प मे टाइल्स कार्य मे सामाग्री आपूर्ति हेतु पाण्डेय इंटर प्राइजेज को भुगतान ।
7	10/01/20	आर 012000559204	98776.00	प्राथमिक विध्यालय के कायाकल्प मे टाइल्स कार्य मे सामाग्री आपूर्ति हेतु पाण्डेय इंटर प्राइजेज को भुगतान ।
8	10/01/20	आर 012000553670	93749.00	प्राथमिक विध्यालय के कायाकल्प मे टाइल्स कार्य मे सामाग्री आपूर्ति हेतु पाण्डेय इंटर प्राइजेज को भुगतान ।
9	10/01/20	आर 012000574316	45377.00	प्राथमिक विध्यालय के कायाकल्प मे टाइल्स कार्य मे सामाग्री आपूर्ति हेतु पाण्डेय इंटर प्राइजेज को भुगतान ।

560298.0

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है -

(क) जूनियर हाईस्कूल एवं प्राथमिक विध्यालय के कायाकल्प की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा मे जूनियर हाईस्कूल एवं प्राथमिक विध्यालय के कायाकल्प का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) सामाग्री आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण की पुष्टि मे कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस ,दैनिक समाचार पत्र की कटिंग ,पंजीकृत फर्मों/ ठेकेदारो द्धारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नको सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म , धरोहर धनराशि की रसीद(उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 मे निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7) ,फर्मों के तुलनात्मक चार्ट ,स्वीकृत फर्म को सामाग्री आपूर्ति का आदेश लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि सामाग्री क्रय मे पारदर्शी क्रय नियमो का पालन नहीं किया गया । अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य- ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) टाइल्स कार्य हेतु क्रय सामाग्री का स्टॉक रजिस्टर ,व्यय वाउचर, डिलवरी चालान ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखो की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम मे की गयी ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 560298.0ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत

अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री मनोज यादव (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्य आपति संख्या 17)

**प्रस्तर 113-** ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि मनरेगा योजना अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कराये गये

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपतियाँ है -

(क) मनरेगा योजना अंतर्गत कराये गये उपरोक्त कार्यों की कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। ।

(ख) लेखा परीक्षा मे मनरेगा योजना अंतर्गत कराये गये उपरोक्त कार्यों का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, रोजगार मांग हेतु प्राप्त पार्थनापत्र, सोसल आडिट रिपोर्ट ,प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन 2008 के पैरा 6.4, मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन 2008 पैरा (5.4), मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन 2008 पैरा (12.3) ,मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन 2008 अध्याय 6 पैरा 6.9 का उलंघन किया गया ।

(ग) मनरेगा योजना अंतर्गत कराये गये उपरोक्त कार्यों मे क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान ,मजदूरी भुगतान हेतु मस्टर रोल ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखो की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के द्धारा भी की गयी ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 541000.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री मनोज यादव (ग्राम प्रधान) एवं संबन्धित तकनीकी सहायक से किया जाना अपेक्षित है ।

### 35 ग्राम पंचायत - रतनपुर विकास खण्ड मयाबाजार अयोध्या वर्ष --2019-20

**प्रस्तर 114-** हैंडपंप मरम्मत पर व्यय :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्धारा कतिपय तिथियो मे हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेकसंख्या/ पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	06/06/19	77	29120.00	सार्थक ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स को हैंडपंप मरम्मत रिबोर हेतु भुगतान
2	03/07/19	78	8800.00	सार्थक ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
3	04/07/19	79	7660.00	बाबा इंटर प्राइजेज़ को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।

4	12/07/19	81	20500.00	सुग्रीम को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
5	03/08/19	87	15000.00	सुग्रीम को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
6	03/08/19	89	32900.00	अर्पित इंटर प्राइजेज़ को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
7	05/12/19	आर 121900153050	14800.00	सार्थक ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
8	05/03/20	आर 032000125835	11300.00	सार्थक ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
योग			140080.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं -

(क)-ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट में दिनांक 06/06/19 को रुपया 29120.00, दिनांक 03/07/19 को रुपया 8800.00 सार्थक ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स को एवं एवं दिनांक 7660.00 बाबा इंटर प्राइजेज़ हैंडपंप मरम्मत/ रिबोर हेतु भुगतान दिखाया गया है । जबकि ई ग्राम स्वराज.जीओवी.ईन पर यह भुगतान वाउचर संख्या एफएफ सी /2019-20/पी/1और एफएफ सी /19-20/पी -2 द्वारा हैंडपंप मरम्मत हेतु v.k. ट्रेडर्स को किया गया है । अतः इससे स्पष्ट है कि समस्त धनराशि का अपहरण करते हुए कूटरचित तरीके से राजकीय धनराशि का समायोजन दिखाया गया है।

(ख) दिनांक 12/07/19 को रुपया 20500.00 एवं दिनांक 03/08/19 को 15000.00 व्यक्ति विशेष सुग्रीम को बेयरर चेक द्वारा भुगतान करके अपहरण कर लिया गया, तथा इस धनराशि का समायोजन हैंडपंप मरम्मत में दिखा दिया गया । सुग्रीम न तो हैंडपंप मिस्त्री है न हीकिसी सामाग्री का आपूर्ति कर्ता है । ग्राम पंचायत की धनराशि रुपया 2000/-से अधिक रुपया 35500.00 का भुगतान एकाउंटपेयी चेक के बजाय नगद भुगतान करके ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) का भी उलंघन किया गया।

(ग) हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है । हैंडपंप रिबोर कार्य को ग्रामसभा में अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल नहीं किया गया । हैंडपंप रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लसएवं एक्शन सॉफ्ट पर न तो वर्क आई.डी. जनरेट करायी गयी और न ही एम एसेट पर फोटोएवं जियो टैगिंग करायी गयी है । अतः हैंडपंप मरम्मत /रिबोर में जल निगम कि मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05 का उलंघन है ।

(घ) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत/ रिबोर का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत ,व्यय प्रमाणक एवं एमबी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के साथ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक 1502 दिनांक 10/12/2020 एवं पत्रांक 1706 दिनांक 07/01/2021 के द्वारा भी की गयी ।

(ङ) मरम्मत /रिबोर कराये गए हैंडपंपों सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जांच नहीं हो सकी । हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायीसंस्थाओं का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र ,उनकी वैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ,जिससे तत्समम्बन्धी समीक्षा नहीं हो पाई ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 140080.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256(2) के (क) से (ङ), एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती सुमन देवी (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्यआपत्ति संख्या14)

**प्रस्तर 115-**विभिन्न स्थानों पर सोखता निर्माण कार्य पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर सोखता निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1	17/01/20	आर 012001158955	49085.00	फूल ब्रिक फील्ड को ईट क्रय हेतु भुगतान।
2	17/01/20	आर 012001164775	18505.00	बिल्डिंग मैटेरियल क्रय हेतु जायसवाल सीमेंट एजेंसी को भुगतान।
3	23/01/20	आर 012001162768	14910.00	बिल्डिंग मैटेरियल क्रय हेतु अर्पित इंटरप्राइजेज़ को भुगतान।
4	29/02/20	आर 012001948391	26096.00	बिल्डिंग मैटेरियल क्रय हेतु अर्पित इंटर प्राइजेज़ को भुगतान।
5	14/01/20	पीएफएमएस द्वारा	22704.00	मस्टर रोल का भुगतान ।

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं -

(क) सोखता निर्माण कार्य से संबन्धित कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में सोखता निर्माण कार्य का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) सोखता निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामाग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) सोखता निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान ,मस्टर रोल एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के साथ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक 1502 दिनांक 10/12/2020 एवं पत्रांक 1706 दिनांक 07/01/2021 के द्वारा भी की गयी ।

(ङ) सोखता निर्माण कार्य किन-2 स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 131300.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ङ) के अंतर्गत

अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अदयावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती सुमन देवी (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्यआपत्ति संख्या15)

**प्रस्तर 116-** प्राथमिक विध्यालय में टाइल्स लगवाई एवं भवन मरम्मत पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत के प्राथमिक विध्यालय में टाइल्स लगवाई एवं भवन मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1	23/07/19	082	24372.00	बिल्डिंग मैटेरियल आपूर्ति हेतु अर्पित इंटर प्राइजेज़ को भुगतान।
2	30/07/19	85	61000.00	पाण्डेय इंटर प्राइजेज़ को टाइल्स आपूर्ति का भुगतान ।
3	31/07/19	88	3350.00	बिल्डिंग मैटेरियल क्रय हेतु अर्पित इंटरप्राइजेज़ को भुगतान।
4	22/11/19	आर 111900389820	39076.00	पाण्डेय इंटर प्राइजेज़ को बिल्डिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान ।
5	22/11/19	आर 111900375996	67500 .00	पाण्डेय इंटर प्राइजेज़ को बिल्डिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान ।
		योग	225298.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं -

(क) प्राथमिक विध्यालय के कायाकल्प की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) प्राथमिक विध्यालय के कायाकल्प का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) सामाग्री आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण की पुष्टि में कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस ,दैनिक समाचार पत्र की कटिंग ,पंजीकृत फर्मा/ ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नकों सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म , धरोहर धनराशि की रसीद(उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 में निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7) ,फर्मा के तुलनात्मक चार्ट ,स्वीकृत फर्म को सामाग्री आपूर्ति का आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि सामाग्री क्रय में पारदर्शी क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया । अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) टाइल्स कार्य हेतु क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के साथ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक 1502 दिनांक 10/12/2020 एवं पत्रांक 1706 दिनांक 07/01/2021 के द्वारा भी की गयी ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 225298.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ङ) के अंतर्गत

अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री मती सुमन देवी से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या 16)

**प्रस्तर 117**--ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न बेयरर चेकों के द्वारा फर्म के बजाय व्यक्ति विशेष को भुगतान दिखाकर करके राजकीय धनराशि का सीधा अपहरण कर लिया गया। जिसका विवरण निम्न है।

क्रमसंख्या	तिथि	चेक संख्या	धनराशि रूपये	फर्म का नाम
1	30/07/19	84	10000.00	सुगीम धारा नगद आहरण।
2	03/08/19	87	15000.0	”
3	30/07/19	83	14250.00	राम बिलास धारा नगद आहरण।
		योग	39250.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपतियाँ हैं -

(क) ग्राम पंचायत की कुल धनराशि रूपया 39250.00 का भुगतान एकाउंटपेयी चेक के बजाय नगद भुगतान करके ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) का उलंघन किया गया।

(ख) ग्राम पंचायत की कुल धनराशि रूपया 39250.00 के व्यय संबंधी व्यय वाउचर, क्रय सामाग्री का डिलवरी चालान, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के साथ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक 1502 दिनांक 10/12/2020 एवं पत्रांक 1706 दिनांक 07/01/2021 के द्वारा भी की गयी।

(ग) सुगीम न तो ग्राम निधि का कस्टोडियन और न ही किसी सामाग्री का आपूर्ति कर्ता है। ग्राम पंचायत को प्राप्त राजकीय अनुदान का व्यय एकाउंटपेयी चेक द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए था परंतु सुगीम एवं राम बिलास को बेयरर चेक से भुगतान करके ग्राम पंचायत में क्रय एवं कार्यों पर व्यय में वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया इससे ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05 (3) का उलंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 39250.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क), खण्ड 8(क), अध्याय 5(5), अध्याय - 05 (3) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती सुमन देवी (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या 17)

**प्रस्तर 118**- आर. सी. सी. बेन्च क्रय :- ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 07/03/20 को पीएफएमएस संख्या आर03200032466 धारा रूपया 80000.00 आर. सी. सी. बेन्च क्रय हेतु अमर जनरल आर्डर सप्लायर्स को भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपतियाँ हैं -

(क) आर. सी. सी. बेन्च स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में आर. सी. सी. बेन्च स्थापना का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) आर. सी. सी. बेन्च क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) आर. सी. सी. बेन्च क्रय का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के साथ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक 1502 दिनांक 10/12/2020 एवं पत्रांक 1706 दिनांक 07/01/2021 के द्वारा भी की गयी।

(ड) आर. सी. सी. बेन्च की स्थापना किन स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 80000.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री अवधेश प्रताप सिंह

(ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती सुमन देवी (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्य आपत्ति 18)

**प्रस्तर 119-** ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि मनरेगा योजना अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कराये गये लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

- (क) मनरेगा योजना अंतर्गत कराये गये उपरोक्त कार्यों की कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ।
- (ख) लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना अंतर्गत कराये गये उपरोक्त कार्यों का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, रोजगार मांग हेतु प्राप्त पार्थनापत्र, सोशल आडिट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन 2008 के पैरा 6.4, मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन 2008 पैरा (5.4), मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन 2008 पैरा (12.3), मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन 2008 अध्याय 6 पैरा 6.9 का उलंघन किया गया ।
- (ग) सोलिंग निर्माण में ईट क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।
- (घ) मनरेगा योजना अंतर्गत कराये गये उपरोक्त कार्यों में क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, मजदूरी भुगतान हेतु मस्टर रोल, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के साथ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक 1502 दिनांक 10/12/2020 एवं पत्रांक 1706 दिनांक 07/01/2021 के द्वारा भी की गयी ।
- (ङ) मनरेगा योजना के तहत क्रय सामाग्री का स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 722000.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ङ) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती सुमन देवी (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

### 36 ग्राम पंचायत - कनकपुर विकास खण्ड मयाबाजार अयोध्या वर्ष --2019-20

**प्रस्तर 120-हैंडपंप मरम्मत पर व्यय :-** लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	संख्या/पीएफएमएस	धनराशि	फर्म का नाम
1	2/04/19	290		12530.00	श्री मशीनरी स्टोर को हैंडपंप मरम्मत रिबोर हेतु भुगतान
2	15/06/19	294		15000.00	सुग्रीम को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
3	18/06/19	295		18600.00	श्री मशीनरी स्टोर को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
4	03/08/19	375		34600.00	पाण्डेय इंटरप्राइजेज़ को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान
5	24/10/19	सी 101925739079		40120.00	पाण्डेय इंटरप्राइजेज़ को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान
6	20/11/19	आर 111900316650		26850.00	श्री मशीनरी स्टोर को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
7	21/12/19	आर 121901113951		27786.00	श्री मशीनरी स्टोर को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
8	07/03/20	आर 032000313753		24000.00	सार्थक ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
9	07/03/20	आर 032000333223		10662.00	सार्थक ट्रेडर्स को को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

- (क) दिनांक 15/06/19 को रुपया 15000.00 व्यक्ति विशेष सुग्रीम को बेयरर चेक द्वारा भुगतान करके अपहरण कर लिया गया, तथा इस धनराशि का समायोजन हैंडपंप मरम्मत में दिखा दिया गया । सुग्रीम न तो हैंडपंप मिस्री है न ही ग्राम निधि का कस्टोडियन अथवा किसी सामाग्री का आपूर्तिकर्ता है । ग्राम पंचायत की धनराशि रुपया 2000/-से अधिक रुपया 15000.00 का भुगतान एकाउंटपेयी चेक के बजाय नगद भुगतान करके ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) का भी उलंघन किया गया।

(ख) हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है। हैंडपंप रिबोर कार्य को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल नहीं किया गया। हैंडपंप रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर न तो वर्क आई.डी. जनरेट करायी गयी और न ही एम एसेट पर फोटो एवं जियो टैगिंग करायी गयी है। अतः हैंडपंप मरम्मत /रिबोर में जल निगम कि मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 का उलंघन है।

(ग) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत/ रिबोर का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत, व्यय प्रमाणक एवं एमबी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के साथ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक 1502 दिनांक 10/12/2020 एवं पत्रांक 1706 दिनांक 07/01/2021 के द्वारा भी की गयी।

(घ) मरम्मत /रिबोर कराये गए हैंडपंपों सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जांच नहीं हो सकी। हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, उनकी वैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे तत्समम्बन्धी समीक्षा नहीं हो पाई।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 210148.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड), एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से में श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती पुष्पा देवी (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 02)

**प्रस्तर 121-** विभिन्न स्थानों पर सोखता निर्माण कार्य पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर सोखता निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1	24/12/19	पीएफएमएस	75929.00	बिल्डिंग मैटेरियल क्रय हेतु पाण्डेय इंटरप्राइजेज को भुगतान।
2	27/12/19	आर 121901642907	75929.00	बिल्डिंग मैटेरियल क्रय हेतु पाण्डेय इंटरप्राइजेज को भुगतान।
3	27/12/19	आर 121901662507	23422.00	बिल्डिंग मैटेरियल क्रय हेतु पाण्डेय इंटरप्राइजेज को भुगतान।
4	27/12/19	आर 121901653821एस	23422.00	बिल्डिंग मैटेरियल क्रय हेतु पाण्डेय इंटरप्राइजेज को भुगतान।

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) सोखता निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में सोखता निर्माण कार्य का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) सोखता निर्माण कार्य हेतु सामाग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) सोखता निर्माण कार्य का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के साथ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक 1502 दिनांक 10/12/2020 एवं पत्रांक 1706 दिनांक 07/01/2021 के द्वारा भी की गयी।

(ड) सोखता निर्माण कार्य किन् स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 198702.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से मे श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती पुष्पा सिंह (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या 03)

**प्रस्तर 122-**

**ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय :-** दिनांक 21/12/19 को विभिन्न पीएफएमएस संख्या द्धारा कुल रुपया 175958.00 शीतल प्रसाद पाइप फैक्ट्री को ह्यूम पाइप क्रय हेतु भुगतान किया गया।

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपतियाँ है -

(क) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानो पर जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानो पर जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप स्थापना का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उलंघन किया गया। (ग) ग्राम पंचायत मे ह्यूम पाइप क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा मे ह्यूम पाइप क्रय का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, मस्टर रोल, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखो की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के साथ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक 1502 दिनांक 10/12/2020 एवं पत्रांक 1706 दिनांक 07/01/2021 के द्धारा भी की गयी।

(ड) ह्यूम पाइप की स्थापना किन स्थानो पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 175958.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से मे श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती पुष्पा सिंह (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या 04)

**प्रस्तर 123-**

**आर. सी. सी. बेन्च क्रय :-** लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्धारा विभिन्न तिथियो मे ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानो पर आरसीसी बेंच स्थापना कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1	11/12/19	आर 121900430646	40000.00	आर सी सी बेंच स्थापना हेतु लक्ष्मी इंटरप्राइजेज़ को भुगतान।
2	11/12/19	आर 121900492533	40000.00	आर सी सी बेंच स्थापना हेतु लक्ष्मी इंटरप्राइजेज़ को भुगतान।
3	11/12/19	आर 121900400300	40000.00	आर सी सी बेंच स्थापना हेतु लक्ष्मी इंटरप्राइजेज़ को भुगतान।
4	11/12/19	पीएफएमएस द्धारा	40000.00	आर सी सी बेंच स्थापना हेतु लक्ष्मी इंटरप्राइजेज़ को भुगतान।

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपतियाँ है -

(क) आर. सी. सी. बेन्च स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा मे आर. सी. सी. बेन्च स्थापना का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) आर. सी. सी. बेंच क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) आर. सी. सी. बेंच क्रय का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के साथ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक 1502 दिनांक 10/12/2020 एवं पत्रांक 1706 दिनांक 07/01/2021 के द्वारा भी की गयी ।

(ङ) आर. सी. सी. बेंच की स्थापना किन स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 160000.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती पुष्पा सिंह (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्यआपत्ति संख्या05)

**प्रस्तर 124-** ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में विभिन्न स्थानों पर इंटरलकिंग कार्य पर व्यय दर्शित है - आर सी सी मार्ग से पंकज के घर तक इंटर लकिंग कार्य पर दिनांक 26/07/19 को चेक संख्या 297 द्वारा रुपया 67500.00 इंटर लकिंग ईट आपूर्ति हेतु शांति पाइप फैक्ट्री को भुगतान ।पुनः आर सी सी मार्ग से दुर्गा मंदिर तक इंटर लकिंग कार्य पर दिनांक 02/08/19 को चेक संख्या 373 द्वारा रुपया 87750.00 इंटर लकिंग ईट आपूर्ति हेतु शांति पाइप फैक्ट्री को भुगतान ।

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं -

(क) इंटर लकिंग स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में इंटर लकिंग स्थापना का स्टैटमेंट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) इंटर लकिंग स्थापना में प्रयुक्त सामाग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) इंटर लकिंग स्थापना में प्रयुक्त सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के साथ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक 1502 दिनांक 10/12/2020 एवं पत्रांक 1706 दिनांक 07/01/2021 के द्वारा भी की गयी ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 155250.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती पुष्पा सिंह (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्यआपत्ति संख्या 06)

**प्रस्तर 125-**ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न बेयरर चेकों के द्वारा फर्म के बजाय व्यक्ति विशेष को भुगतान दिखाकर करके राजकीय धनराशि का सीधा अपहरण कर लिया गया। जिसका विवरण निम्न है ।

क्रम संख्या	तिथि	चेक संख्या	धनराशि रुपये	फर्म का नाम
1	15/06/19	294	15000.00	सुग्रीम द्वारा नगद आहरण ।
2	06/07/19	362	20150.0	सुग्रीम द्वारा नगद आहरण ।
3	16/07/19	363	20200.00	सुग्रीम द्वारा नगद आहरण ।
4	20/07/19	367	10000.00	सुग्रीम द्वारा नगद आहरण ।
5	26/07/19	298	15000.00	सुग्रीम द्वारा नगद आहरण ।
6	03/08/19	374	24936.00	सुग्रीम द्वारा नगद आहरण ।
7	04/06/19	293	25500.00	अजीत कुमार को भुगतान ।
8	29/06/19	296	12500.00	आदित्य को भुगतान ।

9	03/08/19	377	22200.00	आदित्य को भुगतान ।
		योग	165486.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपतियाँ हैं -

(क) ग्राम पंचायत की कुल धनराशि रूपया 165486.00 का भुगतान एकाउंटपेयी चेक के बजाय नगद भुगतान करके ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) का उलंघन किया गया।

(ख) ग्राम पंचायत की कुल धनराशि रूपया 165486.00 के व्यय संबंधी व्यय वाउचर, क्रय सामाग्री का डिलवरी चालान ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के साथ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक 1502 दिनांक 10/12/2020 एवं पत्रांक 1706 दिनांक 07/01/2021 के द्वारा भी की गयी ।

(ग) ग्राम पंचायत को प्राप्त राजकीय अनुदान रूपया 105286.00 का भुगतान सुग्रीम को किया गया । सुग्रीम न तो ग्राम निधि का कस्टोडियन है न ही किसी सामाग्री का आपूर्तिकर्ता है। इससे स्पष्ट है कि अपने व्यक्ति विशेष के नाम राजकीय धनराशि का भुगतान करके समस्त धनराशि का सीधा अपहरण कर लिया गया ।

(घ)ग्राम पंचायत को प्राप्त राजकीय अनुदान का व्यय एकाउंटपेयी चेक द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए था परंतु सुग्रीम ,अजीत कुमार एवं आदित्य को बेयरर चेक से भुगतान करके ग्राम पंचायत में क्रय एवं कार्यों पर व्यय में वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया इससे ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05 (3) का उलंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 165486.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क), खण्ड 8(क), अध्याय 5(5), अध्याय - 05 (3) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से में श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती पुष्पा सिंह (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्यआपति संख्या07)

**प्रस्तर 126-** ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि मनरेगा योजना अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कराये गये

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपतियाँ हैं -

(क) मनरेगा योजना अंतर्गत कराये गये उपरोक्त कार्यों की कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। (ख) लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना अंतर्गत कराये गये उपरोक्त कार्यों का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, रोजगार मांग हेतु प्राप्त पार्थनापत्र, सोसल आडिट रिपोर्ट ,प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन 2008 के पैरा 6.4, मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन 2008 पैरा (5.4), मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन 2008 पैरा (12.3),मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन 2008 अध्याय 6 पैरा 6.9 का उलंघन किया गया ।

(ग) मनरेगा योजना अंतर्गत कराये गये उपरोक्त कार्यों में क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान ,मजदूरी भुगतान हेतु मस्टर रोल ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के साथ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक 1502 दिनांक 10/12/2020 एवं पत्रांक 1706 दिनांक 07/01/2021 के द्वारा भी की गयी ।

(घ) मनरेगा योजना के तहत क्रय सामाग्री का स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 593000.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से में श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती पुष्पा देवी (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

सामान्यआपति संख्या -31

**37 ग्राम पंचायत - बेरासपुर विकास खण्ड मयाबाजार अयोध्या वर्ष --2019-20**

**प्रस्तर 127**

**हैंडपंप मरम्मत पर व्यय :-** लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या/पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	10/06/19	64884	14700.00	संदीप को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान

2	29/06/19	64885	12500.00	अदित्य को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
3	26/07/19	64887	16500.00	सुग्रीम को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
4	08/11/19	सी 1011935506056	19800.00	पाण्डेय इंटरप्राइजेज़ को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
5	22/11/19	आर 111900300822	13600.00	सार्थक ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
6	22/11/19	आर 111900372103	16600.00	सार्थक ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
7	21/12/19	आर 121901153005	22680.00	सार्थक ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
8	04/03/20	आर 032000019961	10480.00	सार्थक ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
9	05/03/20	आर 032000178471	24500.00	सार्थक ट्रेडर्स को को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
10	05/03/20	आर 032000125537	28100.00	सार्थक ट्रेडर्स को को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान ।
		कुल	179460.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं -

(क)- दिनांक 10/06/19 को रुपया 14700.00 संदीप को दिनांक 29/06/19 को 12500.00 अदित्य को एवं दिनांक 26/07/19 को व्यक्ति विशेष सुग्रीम को बेयरर चेक द्वारा भुगतान करके अपहरण कर लिया गया, तथा इस धनराशि का समायोजन हैंडपंप मरम्मत में दिखा दिया गया । सुग्रीम न तो हैंडपंप मिस्री है न ही ग्राम निधि का कस्टोडियन अथवा किसी सामाग्री का आपूर्ति कर्ता है । ग्राम पंचायत की धनराशि रुपया 2000/-से अधिक का भुगतान एकाउंटपेयी चेक के बजाय नगद भुगतान करके ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) का भी उलंघन किया गया।

(ख) हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है । हैंडपंप रिबोर कार्य को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल नहीं किया गया । हैंडपंप रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर न तो वर्क आई.डी. जनरेट करायी गयी और न ही एम एसेट पर फोटो एवं जियो टैगिंग करायी गयी है । अतः हैंडपंप मरम्मत /रिबोर में जल निगम कि मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05 का उलंघन है ।

(ग) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत/ रिबोर का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत,व्यय वाउचर एवं एमबी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के द्वारा की गयी ।

(घ) मरम्मत /रिबोर कराये गए हैंडपंपों सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जांच नहीं हो सकी । हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र ,उनकी वैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ,जिससे तत्समम्बन्धी समीक्षा नहीं हो पाई ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 179460.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड). एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती सुनीता (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्यआपत्ति संख्या 18)

#### प्रस्तर 128 -

**ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय :-** दिनांक 29/07/19 को चेक संख्या 64890 द्वारा कुल रुपया 97755.00 शीतल प्रसाद पाइप फैक्ट्री को ह्यूम पाइप क्रय हेतु भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं -

(क) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप स्थापना का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उलंघन किया गया। (ग) ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ह्यूम पाइप क्रय का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, मस्टर रोल, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के द्वारा की गयी।

(ड) ह्यूम पाइप की स्थापना किन स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 97755.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती सुनीता (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 19)

#### प्रस्तर 129-

**आर. सी. सी. बेंच क्रय :-** लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर आरसीसी बेंच स्थापना कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1	04/03/20	आर 022002585214	96000.00	आर सी सी बेंच स्थापना हेतु अमर जनरल आर्डर सप्लायर्स को भुगतान।

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) आर. सी. सी. बेंच स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में आर. सी. सी. बेंच स्थापना का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) आर. सी. सी. बेंच क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) आर. सी. सी. बेंच क्रय का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के द्वारा की गयी।

(ड) आर. सी. सी. बेंच की स्थापना किन स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 96000.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती सुनीता (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 120)

#### प्रस्तर 130-

**आर. सी. सी. पटिया निर्माण हेतु सामाग्री क्रय :-** लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत में निर्मित नाली ढकने हेतु आरसीसी पटिया निर्माण हेतु सामाग्री क्रय पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1	25/02/20	आर 022001962407	42153.00	पटिया निर्माण में सामाग्री क्रय हेतु अमर जनरल आर्डर सप्लायर्स को भुगतान।

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) आर. सी. सी. पटिया स्थापना की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में पटिया स्थापना का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) पटिया निर्माण मे प्रयुक्त सामाग्री क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) आर. सी. सी. पटिया निर्माण मे प्रयुक्त सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के द्धारा की गयी ।

(ङ) आर. सी. सी. पटिया निर्माण हेतु मस्टर रोल लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 42153.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती सुनीता (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है । लेखा परीक्षाआपतियों मे उल्लिखित अप्राप्त व्यय प्रमाणको एवं अभिलेखो का अनुपालन प्राप्त होने पर उनकी जाँच एवं सत्यापन के पश्चात हीआपति का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्यआपति संख्या 21)

**प्रस्तर 131-** ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि मनरेगा योजना अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कराये गये जैसे

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपतियाँ है -

(क) मनरेगा योजना अंतर्गत कराये गये उपरोक्त कार्यों की कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। ।

(ख) लेखा परीक्षा मे मनरेगा योजना अंतर्गत कराये गये उपरोक्त कार्यों का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, रोजगार मांग हेतु प्राप्त पार्थनापत्र, सोसल आडिट रिपोर्ट ,प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन 2008 के पैरा 6.4, मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन 2008 पैरा (5.4), मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन 2008 पैरा (12.3) ,मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन 2008 अध्याय 6 पैरा 6.9 का उलंघन किया गया ।

(ग) सोलिंग निर्माण मे ईट क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) मनरेगा योजना अंतर्गत कराये गये उपरोक्त कार्यों मे क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान ,मजदूरी भुगतान हेतु मस्टर रोल ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के साथ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक 1502 दिनांक 10/12/2020 एवं पत्रांक 1706 दिनांक 07/01/2021 के द्धारा भी की गयी ।

(ङ) मनरेगा योजना के तहत क्रय सामाग्री का स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 390000.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे श्री अवधेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती सुनीता (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्यआपति संख्या 36)

### 38 ग्राम पंचायत - फिरोजपुर विकास खण्ड-मसौधा अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 132-** ग्राम पंचायत फिरोजपुर वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया किग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि रु०57195.00 है ,जिसका विवरण इस प्रकार है-

क्र.	चेक सं/दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणक वाउचर न०./दिनांक जीएसटीआई एन -
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	285/20-06-2019	24656.00	एसएसवी कॉन्ट्रैक्टर	एसएसवी कॉन्ट्रैक्टर	सामान एवं लेबर	एसएसवी इलाहाबाद रोड फैजाबाद

						58/06-05-2019	जीएसटीआई एन -09डीएम आरपी 56364डी1जेडडी
2	289/24-07-2019	32539.00	जेएमडी कॉन्ट्रैक्टर	जेएमडी कॉन्ट्रैक्टर	सामान एवं लेबर	जेएमडी कॉन्ट्रैक्टर खानपुरमसौधा,अयोध्या 37/15-07-2019	जीएसटीआई एन - 09एयच डब्लूपीटी4653के2Z9

योग - 57195.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं-

i- उपरोक्तकार्य हेतु भुगतान के सापेक्षवर्क आई डी,स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति,प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, त्रिस्तरीय फोटो, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं कियेगये।

अतः दर्शित व्यय धनराशि ₹0 57195.00में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु उक्त धनराशि ₹0 57195.00उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती भानमतीग्राम प्रधान ₹0 28598.00, श्रीमतीमीनाक्षी वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव ₹0 28597.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली हेतु यह गम्भीर प्रकरण वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**प्रस्तर 133-**ग्राम पंचायतफिरोजपुर वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया किग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर कूड़ादान स्थापना कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि₹031500.00 है ,जिसका विवरण इस प्रकार है-

क्र.	चेक सं/दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणक बिल न० /दिनांक जीएसटीआईएन -
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	284/27-06-2019	31500.00	भट्टी इंटरप्राइजेज	भट्टी इंटरप्राइजेज	कूड़ादानक्रय	भट्टी इंटरप्राइजेजगवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर्सलखपेड़ाबाराबंकीके बिल नं० 03/27-12-2018 जीएसटीआई एन - 09एएम डीपीआर3726के1जेड0

योग - 31500.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं-

i- उपरोक्तकार्य हेतु भुगतान के सापेक्षवर्क आई डी, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति,प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, त्रिस्तरीय फोटो, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं कियेगये।

ii- उक्त व्यय के सापेक्ष लगे व्यय प्रमाणकभट्टी इंटरप्राइजेजगवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर्सलखपेड़ाबाराबंकीके बिल नं०दिनांक 27-12-2018में दर्शित है,जबकि उक्त भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 27-06-2019 को किया गया है।

iii-लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।

iv- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।

अतः दर्शित व्यय धनराशि ₹0 31500.00 में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअलके अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत परिपालन/अनुपालन हेतु उक्त धनराशि ₹0 31500.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती भानमतीग्राम प्रधान ₹0 15750.00, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव ₹0 15750.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली हेतु यह गम्भीर प्रकरण वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**प्रस्तर 134-** ग्राम पंचायतफिरोजपुर वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया किग्राम पंचायत में सोलर लाइट मरम्मत कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि₹06250.00 है ,जिसका विवरण इस प्रकार है

क्र.	चेक /दिनांक	सं० आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणक बिल न0 /दिनांक जीएसटीआई एन -
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
-1	292/24-07- 2019	6250.00	जेएमडी कॉन्ट्रैक्टर	जेएमडी कॉन्ट्रैक्टर	बैट्री क्रय	जेएमडी कॉन्ट्रैक्टर खानपुरमसौधा,अयोध्या36/10- 07-2019 जीएसटीआईएन - 09एएच डब्ल्यूपीटी4653के2Z9

योग - 6250.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं-

i- उपरोक्तकार्य हेतु भुगतान के सापेक्षवर्क आई डी, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति,प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, त्रिस्तरीय फोटो, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं कियेगये।

अतः दर्शित व्यय धनराशि रू0 6250.00 में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत उक्त धनराशि रू0 6250.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती भानमतीग्राम प्रधान रू0 3125.00, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रू0 3125.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली हेतु यह गम्भीर प्रकरण वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**प्रस्तर 135-** ग्राम पंचायतफिरोजपुर वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया किप्राथमिक विद्यालय फिरोजपुर में बाउन्ड्रीवालमरम्मत,उच्चीकरण एवं पेंटिंगकार्य हेतु कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशिरू० 70658.00 है,जिसका विवरण इस प्रकार है-

क्र.	चेक /दिनांक	सं० आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में )	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि (रूपये में )
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
1	290/ 24-07- 2019	6180.00	जेएमडी कॉन्ट्रैक्टर	जेएमडी कॉन्ट्रैक्टर	पेंटिंग सामग्री	व्यय प्रमाणक विहीन
2	291/ 24-07- 2019	10340.00	जेएमडी कॉन्ट्रैक्टर	जेएमडी कॉन्ट्रैक्टर	पेंटिंग सामग्री	व्यय प्रमाणक विहीन
3	286/ 26-07- 2019	54138.00	हर्ष ब्रिकफील्ड	हर्ष ब्रिकफील्ड	ईट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन

योग - 70658.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं-

i- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।

ii- उपरोक्त समस्त कार्यों हेतु भुगतान के सापेक्ष वर्क आई डी, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति,प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

iii- उक्त कार्य के सापेक्ष मजदूरी का भुगतान वित्तीय वर्ष के दौरान नहीं किया गया है।

iv-लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।

लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।

अतः दर्शित व्यय धनराशि रू0 70658.00 में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि

करता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-9 के अन्तर्गत उक्त धनराशि रु0 70658.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती भानमतीग्राम प्रधान रु0 35329.00, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रु0 35329.00 से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली हेतु यह गम्भीर प्रकरण वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**प्रस्तर 136-** ग्राम पंचायतफिरोजपुर वर्ष 2019 -20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में दो स्थानों पर इंटरलाकिंग कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि रु० 436240.00 है,जिसका विवरण इस प्रकार है-

क्र	कार्य का नाम	चेकसंख्यादिनांक/	आहरण / व्ययधनराशि ( रूपये में)	फर्म / व्यक्ति का नाम		कार्य / मद सामग्री / भुगतान आपूर्ति	वाउचर की क्रम संख्या, दिनांक एवं भुगतान की गयी धनराशि रूपये)
				कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
1	संतराम के घर से जोखू के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	01-11-2019	156188.00	अक्षिताट्रेडिंग को०	पीएफएमएस	सामग्री का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
		01-11-2019	39263.00	राघव ट्रेडर्स	पीएफएमएस	सामग्री का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
		16-12-2019	24640.00	-	पीएफएमएस	मजदूरी	मस्टररोलविहीन
2	पक्की सड़क से संतराम के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	01-11-2019	150320.00	अक्षिताट्रेडिंग को०	पीएफएमएस	सामग्री का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
		15-11-2019	41553.00	राघव ट्रेडर्स	पीएफएमएस	सामग्री का भुगतान	व्यय प्रमाणक विहीन
		15-11-2019	24276.00	-	पीएफएमएस	मजदूरी	मस्टररोलविहीन

योग - 436240.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं-

- उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क के विपरीत है।
- उपरोक्त समस्त कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, डिलेवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, कोटेशन/टेण्डर रजिस्टर, शुल्क /कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य प्रस्ताव एवं भुगतान अनुमोदन सम्बन्धित प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में क्रयित सामग्री को स्टॉक पंजिका में अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया जो उत्तरप्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 202 के विपरीत है।
- लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 136के विपरीत है।

अतः दर्शित व्ययधनराशि रु0 436240.00 में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखामैनुअलकेअध्याय 8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली/अधिनियम 1947 के अधिभार नियम अध्याय-13 के नियम 256 के अन्तर्गत गबन की पुष्टि करता है। उक्त धनराशि रु0 436240.00उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती भानमतीग्राम प्रधान रु0 218120.00, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव रु0 218120.00 सेसंयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली हेतु यह गम्भीर प्रकरण वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

### 39 ग्राम पंचायत -मोहिउद्दीनपुर विकास खण्ड-मसौधा अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 137-** कैशबुक के अनुसार दिनांक 13.06.2019 को चेक संख्या 120374 द्वारा प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष मरम्मत कार्य हेतु जीतेन्द्र कुमार नामक व्यक्ति को रु0 22500.00 का भुगतान दर्शित है। इसी प्रकार उक्त कार्य पर दिनांक 13.06.2019 को रु0 51830.00 (चेक संख्या 120375) का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रु0 37212.00 (चेक संख्या 120373) का भुगतान मे0 वीरेंद्र कुमार

को दर्शित है। दिनांक 15.06.2019 को उक्त कार्य पर ही ₹0 11109.00 (चेक संख्या 120372) का भुगतान नारायण ट्रेडर्स को दर्शित है। इस प्रकार उक्त कार्य पर कुल धनराशि ₹0 122651.00 का व्यय किया गया। उक्त कार्य के सम्बन्ध में आपतियाँ निम्नवत् हैं-

1. जीतेंद्र कुमार नामक व्यक्ति को ₹0 22500.00 का भुगतान क्यों किया गया? यह भुगतान सामग्री हेतु किया गया अथवा मजदूरी हेतु, कैशबुक में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।
2. मे0 वीरेंद्र कुमार एवं नारायण ट्रेडर्स से क्रीत सामग्री का कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा- सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर, मस्टररोल, प्राप्ति रसीद, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 122651.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामसेवक वर्मा एवं सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती वर्षा गुप्ता से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर 138-** कैशबुक के अनुसार दिनांक 19.06.2019 को चेक संख्या 120376 द्वारा ₹0 10570.00 का व्यय निर्वाचन व्यवस्था हेतु दर्शित है। किन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई विवरण तथा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 10570.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामसेवक वर्मा एवं सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती वर्षा गुप्ता से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

3. कैशबुक के अनुसार दिनांक 08.07.2019 को चेक संख्या 120380 द्वारा ₹0 57132.00 तथा चेक संख्या 120379 द्वारा ₹0 57132.00 का व्यय हैण्डपम्प रिबोर हेतु दर्शित है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपतियाँ निम्नवत् हैं-

1. रिबोर कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 114264.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामसेवक वर्मा एवं सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती वर्षा गुप्ता से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर 139-** कैशबुक के अनुसार दिनांक 08.07.2019 को चेक संख्या 120382 द्वारा ₹0 88160.00 का व्यय ह्यूम पाइप क्रय हेतु दर्शित है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपतियाँ निम्नवत् हैं-

1. उक्त कार्य पर कोई मजदूरी व्यय दर्शित नहीं है। मजदूरी व्यय के बिना ह्यूम पाइप स्थापना का कार्य किस प्रकार सम्भव है?
2. क्रीत ह्यूम पाइपों की संख्या, माप व प्रयुक्त स्थलों का कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा- सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर, मस्टररोल, प्राप्ति रसीद, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु0 88160.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामसेवक वर्मा एवं सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती वर्षा गुप्ता से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर 140-**कैशबुक के अनुसार दिनांक 08.07.2019 को चेक संख्या 120383 द्वारा रु0 45350.00 का व्यय सोलर लाइट मरम्मत हेतु दर्शित है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपतियां निम्नवत है-

1. सोलर लाइट मरम्मत हेतु प्रयुक्त सामग्री/उपकरण का कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. मरम्मत करायी गयी सोलर लाइटों की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
3. सोलर लाइटों के गारन्टी अवधि में होने/न होने की पुष्टि नहीं करायी गयी।
4. उक्त व्यय के सापेक्ष कोई पत्रावली/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु0 45350.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामसेवक वर्मा एवं सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती वर्षा गुप्ता से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

#### 40 ग्राम पंचायत भाईपुर विकास खण्ड-मसौधा अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 141-** कैशबुक के अनुसार दिनांक 20.07.2019 को जुगल किशोर के घर से राम सुरेश के घर तक इंटरलाॅकिंग कार्य हेतु नारायण टैडर्स को रु0 43215.00 (चेक सं0-119330), मजदूरी भुगतान हेतु रु0 31850.00 (चेक सं0-119334), डी0वी0 इंडस्ट्रीज को रु0 117605.00 (चेक सं0-119332) तथा वर्मा ब्रिक फील्ड को रु0 37684.00 (चेक सं0-119331) का भुगतान किया गया। इस प्रकार उक्त कार्य पर कुल धनराशि रु0 230354.00 का व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावली तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा- सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर, मस्टररोल, प्राप्ति रसीद, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु0 230354.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुमन्तलाल वर्मा एवं सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती वर्षा गुप्ता से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर 142-** कैशबुक के अनुसार दिनांक 20.07.2019 को कुलदीप के घर से ब्रजकिशोर के घर तक इंटरलाॅकिंग कार्य हेतु नारायण टैडर्स को रु0 41922.00 (चेक सं0-119335), मजदूरी भुगतान हेतु रु0 32600.00 (चेक सं0-119339), डी0वी0 इंडस्ट्रीज को रु0 120802.00 (चेक सं0-119337) तथा वर्मा ब्रिक फील्ड को रु0 38896.00 (चेक सं0-119336) का भुगतान किया गया। इस प्रकार उक्त कार्य पर कुल धनराशि रु0 234220.00 का व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावली तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा- सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर, मस्टररोल, प्राप्ति रसीद, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 234220.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुमन्तलाल वर्मा एवं सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती वर्षा गुप्ता से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर 143-** कैशबुक के अनुसार दिनांक 20.07.2019 को रामकुमार नामक व्यक्ति को मिट्टी ढुलाई हेतु ₹0 8329.00 (चेक सं0-119338) तथा ₹0 8182.00 (चेक सं0-119333) कुल ₹0 16511.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है किन्तु मिट्टी ढुलाई किस कार्य हेतु की गयी, इसका कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही मिट्टी ढुलाई की मात्रा, दर, मिट्टी ढुलाई करने वाले वाहन की वाहन संख्या, प्राप्त रसीद आदि पुष्टिपरक अभिलेख भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 16511.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुमन्तलाल वर्मा एवं सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती वर्षा गुप्ता से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

#### 41 ग्राम पंचायत भीखनपुर विकास खण्ड-मसौंदा अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 144-**कैशबुक के अनुसार दिनांक 22.05.2019 को चेक संख्या 37202 द्वारा मे0 वीरेंद्र कुमार को हैण्डपम्प मरम्मत व स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु ₹0 38980.00 का भुगतान किया गया। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपतियां निम्नवत् है-

1. हैण्डपम्प मरम्मत व स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर हुये व्यय का अलग-अलग विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों व स्ट्रीट लाइटों की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
3. उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 38980.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेनु एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अनिल दुबे से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर 145-**कैशबुक के अनुसार दिनांक 07.06.2019 को चेक संख्या 40395 द्वारा प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष में फर्श में टाइल्स कार्य पर मजदूरी भुगतान हेतु ₹0 63175.00 का व्यय दर्शित है इसी प्रकार उक्त कार्य पर सामग्री आपूर्ति हेतु मे0 वीरेंद्र कुमार को दिनांक 17.07.2019 को क्रमशः ₹0 61158.00 (चेक संख्या 40401) तथा ₹0 100284.00 (चेक संख्या 40402) का भुगतान दर्शित है। इस प्रकार उक्त कार्य पर कुल धनराशि ₹0 224617.00 का व्यय किया गया। किन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा-, सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर, मस्टररोल, प्राप्त रसीद, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल

को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 224617.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अनिल दुबे से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर 146-**कैशबुक के अनुसार दिनांक 12.07.2019 को चेक संख्या 40399 द्वारा प्रधान को मतदेय स्थल पर मूलभूत व्यवस्था हेतु ₹0 4950.00 का भुगतान दर्शित है। किन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई विवरण तथा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 4950.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अनिल दुबे से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

#### **42 ग्राम पंचायत गोहनियायां विकास खण्ड-मसौदा अयोध्या वर्ष-2019-20**

**प्रस्तर 147-** कैशबुक के अनुसार दिनांक 11.06.2019 को चेक संख्या 122183 द्वारा ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री वर्मा को 04 माह (फरवरी से मई) का मानदेय भुगतान ₹0 14000.00 किया गया। किन्तु दिनांक 19.06.2019 को पुनः चेक संख्या 122208 द्वारा ₹0 11500.00 का भुगतान प्रधान मानदेय हेतु दर्शित है। इस प्रकार ग्राम प्रधान को पुनः मानदेय भुगतान दर्शाकर धनराशि ₹0 11500.00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती वर्षा गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री वर्मा से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 148-** कैशबुक के अनुसार दिनांक 10.07.2019 को चेक संख्या 122207 द्वारा मे0 वीरेंद्र कुमार को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु ₹0 48900.00 का भुगतान किया गया। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत् हैं-

1. हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रीत सामग्री का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
3. उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 48900.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री वर्मा एवं सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती वर्षा गुप्ता से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर 149-** कैशबुक के अनुसार दिनांक 25.07.2019 को चेक संख्या 122187 द्वारा ₹0 114264.00 का व्यय हैण्डपम्प रिबोर हेतु किया गया। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत् हैं-

1. रिबोर कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 114264.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री वर्मा एवं सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती वर्षा गुप्ता से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर 150-** कैशबुक के अनुसार दिनांक 25.07.2019 को चेक संख्या 122186 द्वारा ₹0 45350.00 का भुगतान मे0 वीरेंद्र कुमार को सोलर लाइट मरम्मत हेतु किया गया। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत हैं-

1. सोलर लाइट मरम्मत हेतु प्रयुक्त सामग्री/उपकरण का कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. मरम्मत करायी गयी सोलर लाइटों की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
3. सोलर लाइटों के गारन्टी अवधि में होने/न होने की पुष्टि नहीं करायी गयी।
4. उक्त व्यय के सापेक्ष कोई पत्रावली/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 45350.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री वर्मा एवं सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती वर्षा गुप्ता से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर 151-** कैशबुक के अनुसार दिनांक 26.07.2019 को चेक संख्या 122184 द्वारा ₹0 3416.00 का भुगतान मनीष नामक व्यक्ति को प्रशासनिक मद हेतु किया जाना दर्शित है। किन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई विवरण तथा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 3416.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री वर्मा एवं सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती वर्षा गुप्ता से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

#### **43 ग्राम पंचायत - थरियाकला विकास खण्ड-तारुन अयोध्या वर्ष-2019-20**

**प्रस्तर 152-** कैशबुक के अनुसार दिनांक 03.05.2019 को पू0मा0 विद्यालय थरियाकला में शौचालय निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान हेतु ₹0 20735.00 (चेक सं0- 052660), दिनांक 13.05.2019 को रमाकान्त जनरल आर्डर सप्लायर को सामग्री क्रय हेतु ₹0 43540.00 (चेक सं0- 052664), दिनांक 22.05.2019 को शुक्ला ब्रिक फील्ड को ईंट क्रय हेतु ₹0 11604.00 (चेक सं0- 052663) का भुगतान किया गया है। इस प्रकार उक्त कार्य पर कुल धनराशि ₹0 75879.00 का व्यय दर्शित है। किन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा- सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर, मस्टररोल, प्राप्ति रसीद, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते

हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु0 75879.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री दुबे एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री महेन्द्र सिंह से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर 153** -कैशबुक के अनुसार दिनांक 25.06.2019 को अनुभव टेडर्स को जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय के सापेक्ष रु0 99950.00 (चेक सं0-052668) का भुगतान किया गया तथा दिनांक 24.07.2019 को ह्यूम पाइप लगवाई हेतु मजदूरी भुगतान पर रु0 8100.00 (चेक सं0- 056705) का व्यय दर्शित है। इस प्रकार उक्त कार्य पर कुल धनराशि रु0 108050.00 का व्यय दर्शित है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपतियां निम्नवत् है-

- (1)- क्रीत ह्यूम पाइपों की संख्या, माप व प्रयुक्त स्थलों का कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (2)- उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा- सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर, मस्टररोल, प्राप्ति रसीद, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु0 108050.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री दुबे एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री महेन्द्र सिंह से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर 154** -कैशबुक के अनुसार दिनांक 18.07.2019 को अनुभव टेडर्स को कूड़ादान क्रय हेतु रु0 96900.00 (चेक सं0- 056701) का भुगतान किया गया। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपतियां निम्नवत् है-

- (1)- क्रय किये गये कूड़ादानों की संख्या तथा स्थापना स्थलों का कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (2)- उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा- सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर, स्थापना पर मजदूरी व्यय, प्राप्ति रसीद, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु0 96900.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री दुबे एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री महेन्द्र सिंह से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

#### **44 ग्राम पंचायत - नसरतपुर विकास खण्ड-तारुन अयोध्या वर्ष-2019-20**

**प्रस्तर 155-** ग्राम पंचायत नसरतपुर की लेखा परीक्षा में धनराशि रु0 627165.00 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं-

लेखा परीक्षा में अपूर्ण कैशबुक प्रस्तुत की गयी जिसमें 01.04.2019 से 31.08.2019 तक की अवधि में हुये आय-व्यय का विवरण अंकित किया गया है। 01.09.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि में हुये आय-व्यय का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है। कार्य पत्रावलियां भी 01.04.2019 से 31.08.2019 तक की अवधि में हुये व्यय के सापेक्ष प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार 01.09.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि में हुये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक में विवरण अंकित किया गया है और न ही उक्त अवधि में हुये व्यय से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां ही प्रस्तुत की गयी। बैंक स्टेटमेंट (2019-20) के अनुसार 01.09.2019 से 31.03.2020 की अवधि में रु0 627165.00 का व्यय/भुगतान किया गया किन्तु उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणकविहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 627165.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सतीश मौर्य एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री सम्पूर्णानंद से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

#### 45 ग्राम पंचायत -सराय मनोधर विकास खण्ड-तारुन अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 156-** लेखापरीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलिया, स्टाक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर तथा अन्य पुष्टि परक प्रपत्र तथा व्यय प्रमारक मस्टररोल स्टीमेट एम०बी० कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कर कटौती एवं जमा रजिस्टर एत्रि स्तरीय फोटो भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण आख्या डिलीवरी चालान इत्यादि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में धनराशि ₹0 .. ₹2973168.00 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि का गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0.... ₹2973168.00 की ग्रामप्रधान... श्रीमती मीनाक्षी रु 1486584.00 एवं सचिव ग्राम पंचायत.... श्री माता प्रसाद रु 1486584.00 की ब्याज सहित वसूली किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

#### 46 ग्राम पंचायत -वैसूपाली विकास खण्ड-तारुन अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 157-** ग्रामपंचायत वैसूपाली की लेखा परीक्षा में धनराशि ₹0 1664447.00 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं-

लेखापरीक्षा में कैशबुक बैंक स्टेटमेंट कार्य पत्रावलिया स्टाक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर तथा अन्य पुष्टि परक प्रपत्र यथा ...व्यय प्रमारक मस्टररोल स्टीमेट ए०म०बी० कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कर कटौती एवं जमा रजिस्टर त्रिस्तरीय फोटो भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण आख्या डिलीवरी चालान इत्यादि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में धनराशि ₹0 1664447.00 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। स्पष्ट है कि ग्रामपंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्रामपंचायतों में वित्त वं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 1664447.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान श्रीमती गीता देवी रु 832223.5 एवं सचिव ग्रामपंचायत श्री माता प्रसाद रु 832223.5 से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

#### 47 ग्राम पंचायत -केवलापुर तकमीनगंज विकास खण्ड-तारुन अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 158-** लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है जैसे

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या/पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	06-04--2019	053463	54335.00	आर .ऍम .ट्रेडर्स
2	14-05--2019	56744	54050.00	मनीष ट्रेडर्स
3	01-08--2019	057922	57550.00	आर .ऍम . ट्रेडर्स
4	07-03--2020	पीपीएआर --- 2717	27197.00	प्रशांत ट्रेडर्स
5	23---03---2020	पीपीएआर --- 14424	14050.00	मनीष ट्रेडर्स
6	23---03---2020	पीपीएआर --- 14622	28000.00	अजय ट्रेडर्स
		योग	235182.00	

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है - (क) लेखा परीक्षा मे विभिन्न स्थानो पर हैंडपंप मरम्मत /रिबोर कार्य का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत ,व्यय प्रमाणक एवं एमबी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क),एवं उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ख) हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी नहीं दिया गया है ।हैंडपंप रिबोर कार्य को ग्राम सभा मे अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना मे शामिल नहीं किया गया । हैंडपंप रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर न तो वर्क आई.डी. जनरेट करायी गयी और न ही एम एसेट पर फोटोएवं जियो टैगिंग करायी गयी है । अतः हैंडपंप मरम्मत /रिबोर मे जल निगम कि मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05 का उलंघन है ।

(ग) मरम्मत /रिबोर कराये गए हैंडपंपो सूची लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । ग्राम पंचायत मे विगत वर्षो मे मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जांच नहीं हो सकी । हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायी संस्थाओ का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र ,उनकी वैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ,जिससे तत्समम्बन्धी समीक्षा नहीं हो पाई ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु०235182.00ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड). एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अतःरु०235182.00 वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं ग्राम सचिव श्री भूपेंद्र सिंहसे किया जाना अपेक्षित है .

**प्रस्तर 159-** ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा मे आर. सी. सी. बेन्च क्रय पर दिनांक 01-05--2019 कोरु० 46750.00 भुगतान किया गया ।

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है -

(क) आर. सी. सी. बेन्च क्रय की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

[ख]लेखा परीक्षा मे आर. सी. सी. बेन्च क्रयपर व्यय का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत ;व्यय वाउचर, डिलवरी चालान , एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र; टेंडर /कोटेशन प्रपत्र; भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या ; त्रिस्तरीय फोटो ; स्टाक रजिस्टर ;डेड स्टाक रजिस्टर आप्राप्त रहा; अतः ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क)एवं उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) आर. सी. सी. बेन्च की स्थापना किन स्थानो पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन आर. सी. सी. बेन्च क्रय पर व्यय रु०46750.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के

अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः रु०46750.00 वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से में ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं ग्राम सचिव श्री भूपेंद्र सिंहसे किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 160 -** लेखा परीक्षा में विविध कार्य हेतु ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में व्यय दिखाया गया है जैसे 1

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या/पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	14-05--2019	56742	26760.00	शीतल इंटर प्राइजेज
2	14-05--2019	56743	53520.00	अजय ट्रेडर्स
3	25-06--2019	056748	56100.00	मनीष ट्रेडर्स
4	28-06--2019	56747	61200.00	अजय ट्रेडर्स
5	17-7-2019	56749	34350.00	प्रशांत ट्रेडर्स
6	22-07--2019	56753	60000.00	मनीष ट्रेडर्स
7	17-02--2020	4015	83275.00	अजय ट्रेडर्स
8	17-02--2020	13847	18910.00	प्रशांत ट्रेडर्स
9	27-03--2020	18939	14980.00	अजय ट्रेडर्स

योग 409095.00

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) विविध कार्य से संबन्धित कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

[ख] लेखा परीक्षा में विविध कार्य पर व्यय का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत; व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र; टेंडर /कोटेशन प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क) एवं उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 156 का उलंघन किया गया। [ग] लेखा परीक्षा में भौतिक

सत्यापन/निरीक्षण आख्या; त्रिस्तरीय फोटो; स्थानों की सूची; स्टॉक रजिस्टर; डेड स्टॉक रजिस्टर आप्राप्त रहा

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन विविध व्यय रु०409095.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः रु०409095.00 वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से में ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं ग्राम सचिव श्री भूपेंद्र सिंहसे किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 161-** लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में कूड़ादान पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1	26-04--2019	053468	106228.00	मनीष ट्रेडर्स
2	29-07--2019	56751	94500.00	डी .के .इन्टरप्राइजेज
3	16-01--2020	10585	112500.00	मनीष ट्रेडर्स
			योग	313228.00

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) लेखा परीक्षा मे कूड़ादान पर व्यय का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत ;व्यय वाउचर, डिलवरी चालान , एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र; टैंडर /कोटेशन प्रपत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क)एवं उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 156 का उलंघन किया गया।

[ख] लेखा परीक्षा मेकार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना; भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या ; त्रिस्तरीय फोटो ; स्टाक रजिस्टर ;डेड स्टाक रजिस्टर आप्राप्त रहा

[ग] कूड़ादान किन-2 स्थानो पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन कूड़ादान पर व्यय रु०313228.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अतःरु०313228.00 वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं ग्राम सचिव श्री भूपेंद्र सिंहसे किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 162-** हयूमपाइप क्रय पर ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा मे यह जात हुआ कि दिनांक 29-07--2019 कोरु० 134772.00 भुगतान किया गया ।

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ है -

(क) लेखा परीक्षा मेहयूमपाइप क्रय का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत ;व्यय वाउचर, डिलवरी चालान , एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र; टैंडर /कोटेशन प्रपत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क)एवं उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ख) हयूमपाइप क्रय की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उलंघन किया गया।

(ग ) हयूमपाइप की स्थापना किन स्थानो पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन हयूमपाइप क्रय का व्यय रु०134772.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अतःरु०134772.00 वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं ग्राम सचिव श्री भूपेंद्र सिंहसे किया जाना अपेक्षित है ।

#### 48 ग्राम पंचायत -वेलगरा विकास खण्ड-तारुन अयोध्या वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 163** लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियो मे हैंडपंप मरम्मत /रिवोर पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या/पीएफएमएस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	17-6-19	048307	19340.00	शीतल इंटर प्राइजेज
2	17-6-19	048308	19360.00	शीतल इंटर प्राइजेज
3	26-7-19	043232	19100.00	शीतल इंटर प्राइजेज
4	26-7-19	043231	19200.00	शीतल इंटर प्राइजेज
5	05-08--2019	043246	37950.00	शीतल इंटर प्राइजेज
6	22-11--2019	पीपीएआर 003554	18571.00	शीतल इंटर प्राइजेज
7	28-11--2019	पीपीएआर 004161	28600.00	मनीष ट्रेडर्स
8	28-11--2019	पीपीएआर 004183	28690.00	मनीष ट्रेडर्स
9	22-11--2019	पीपीएआर 003248	18789.00	शीतल इंटर प्राइजेज
10	04-01--2020	पीपीएआर 019963	18700.00	मनीष ट्रेडर्स
11	04-01--2020	पीपीएआर 019997	19500	मनीष ट्रेडर्स
12	07-01--2020	पीपीएआर	18958.00	शीतल इंटर प्राइजेज
13	07-01--2020	पीपीएआर 001027	19047.00	शीतल इंटर प्राइजेज

14	13-01-2020	पीपीएआर 67879	25750.00	शीतल इंटर प्राइजेज
15	13-01-2020	पीपीएआर 07013	25850.00	शीतल इंटर प्राइजेज
		योग	337405.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं - (क) लेखा परीक्षा में विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत /रिवोर कार्य का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत ,व्यय प्रमाणक एवं एमबी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क),एवं उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ख) हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है । हैंडपंप रिवोर कार्य को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल नहीं किया गया । हैंडपंप रिवोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर न तो वर्क आई.डी. जनरेट करायी गयी और न ही एम एसेट पर फोटो एवं जियो टैगिंग करायी गयी है । अतः हैंडपंप मरम्मत /रिवोर में जल निगम कि मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05 का उलंघन है ।

(ग) मरम्मत /रिवोर कराये गए हैंडपंपों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जांच नहीं हो सकी । हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र ,उनकी वैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ,जिससे तत्समम्बन्धी समीक्षा नहीं हो पाई ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु०337405.00ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतःरु०337405.00 की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से में ग्राम प्रधान श्रीरामधारी यादव से रु०168703.00तथा ग्राम सचिवश्रीमती अंजली तिवारी से रु०57475.00एवं श्री भूपेंद्र कुमार सिंह से रु०111227.00किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 164** -लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में आर.सी .सी .कूड़ादान पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	15-11-2019	पीपीएआर 001861	40533.00	ज्योति एसो.
2	15-11-2019	पीपीएआर 001695	54044.00	ज्योति एसो.
3	22-11-2019	पीपीएआर 0	93500.00	ज्योति एसो.
4	19-12-2019	पीपीएआर 007973	62500.00	मनीष ट्रेडर्स
		योग	250577.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्नआपत्तियाँ हैं -

(क) लेखा परीक्षा में आर.सी .सी . कूड़ादान पर व्यय का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत ;व्यय वाउचर, डिलवरी चालान , एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र; टैंडर /कोटेशन प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क)एवं उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 156 का उलंघन किया गया।

[ख] लेखा परीक्षा में भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या ; त्रिस्तरीय फोटो ; स्टॉक रजिस्टर ;डेड स्टॉक रजिस्टर आप्राप्त रहा

[ग] कूड़ादान किन-2 स्थानों पर स्थापित किया गया, इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन आर.सी .सी . कूड़ादान पर व्यय रु०250577.00ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है । अतःरु०250577.00 की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से में ग्राम प्रधान श्रीरामधारी यादव से रु०125289.00 तथा ग्राम सचिवश्री भूपेंद्र कुमार सिंह से रु 125289.00 किया जाना अपेक्षित है

**49 ग्राम पंचायत -फतेहपुर कमासिन विकास खण्ड-तारुन अयोध्या वर्ष-2019-20**

**प्रस्तर 165-** ग्राम पंचायत फतेहपुर कमासिन की लेखा परीक्षा में धनराशि ₹02489456.80 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। **आपत्ति** का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है-

लेखा परीक्षा में कैशबुक ,कार्य पत्रावलियाएस्टाक रजिस्टर ,परिसंपत्ति रजिस्टर तथा अन्य पुष्टि परक प्रपत्र यथा ...व्यय प्रमारक एमस्टररोल एस्टीमेट एमबी 'कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एकर कटौती एवं जमा रजिस्टर एत्रि स्तरीय फोटो एभौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण आख्याएडिलीवरी चालान इत्यादिकोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में धनराशि ₹0.2489456.80 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणकविहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" साथही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹02489456.80 की ग्राम प्रधान श्रीमती रुपेश यादव ₹1244728.40. एवं सचिव ग्राम पंचायत.. श्री महेंद्र कुमार सिंह श्री कुलदीप कुमार से वर्तमान कार्यकाल के अनुसार ₹1244728.40 ब्याज सहित वसूली किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

#### **50 ग्राम पंचायत गौहानी खुर्द विकास खण्ड.तारुन अयोध्या वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर 166-** ग्राम पंचायत गौहानी खुर्द की लेखा परीक्षा में धनराशि ₹0 1779736.00 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। **आपत्ति** का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है-लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलिया, स्टाक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, तथा अन्य पुष्टि परक प्रपत्र यथा व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, स्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कर कटौती एवं जमा रजिस्टर त्रिस्तरीय फोटो भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण आख्या, डिलीवरी चालान इत्यादि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में धनराशि ₹0 1779736.00 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षणदल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" साथही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 1779736.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान..श्री मनीराम यादव. -₹ 889868.00 एवं सचिव ग्राम पंचायत... श्री माता प्रसाद -₹ 889868.00 से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

#### **51 ग्राम पंचायत - चितावा विकास खण्ड-तारुन अयोध्या वर्ष-2019-20**

**प्रस्तर 167-** ग्राम पंचायत चितावा की लेखा परीक्षा में धनराशि ₹ 1050059.00 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है , **आपत्ति** का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है ---

लेखा परीक्षा में कैशबुक , बैंक स्टेटमेंट , कार्य पत्रावलिया , स्टाक रजिस्टर , परिसंपत्ति रजिस्टर तथा अन्य पुष्टि परक प्रपत्र यथा --- व्यय प्रमारक , मस्टररोल , स्टीमेट, एमबी

\*. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र , कर कटौती एवं जमा रजिस्टर , त्रि स्तरीय फोटो , भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण आख्या, डिलीवरी चालान इत्यादिकोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ई -ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित आकरो के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-2020 में धनराशि ₹ 1050059.00 का व्यय किया गया है , उक्त व्यय धनराशि विवरण हीन तथा प्रमारक विहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -- 8 के खंड --- 7 की "ग्राम -प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये "के विपरीत है उक्त मैनुअल के खंड 8 क के अनुसार

“यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम -प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम ---प्रधान से की जाएगी” साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः धनराशि रु 1050059.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुखराज रु 525029.50 एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री कुलदीप कुमार रु 525029.50 से संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है

## 52 ग्राम पंचायत चिखडी विकास खण्ड, हैरिंगटनगंज अयोध्या वर्ष 2019-20

**प्रस्तर 168-** वर्ष 2019.20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 20/11/2019 को पाण्डेयब्रिकफील्डद्वारा प्राथमिक विद्यालय में मॉडल शौचालय निर्माण के बावत ईट क्रय रु 54450.00 किया जाना कैशबुक में दर्शित किया गया है उक्त व्यय की गयी धनराशि का कोई भी बिल वाउचर ए कोटेशन लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया कार्यवाही पुस्तिकाए स्टाक रजिस्टर ईट क्रय कियेजाने का उद्देश्य कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि कोई भी अभिलेख व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे ईट क्रय वावत व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न ही की जा सकी द्य अतरु किया गया व्ययपूर्ण तथा काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होता है व्यय की धनराशि की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय. 8 के खण्ड.7 एवं 8; खण्ड एवं 8; खण्ड एवं 30 प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम .204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा.27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है द्य अतरु व्यय की गयी धनराशि रु 54450.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्रामसचिव श्री विनोद कुमार सिंह से रु 27225.00 एवं ग्राम प्रधान श्री छंगू से रु 27225.00 की वसूली बराबर.2 हिस्से में संयुक्त रूप से अद्यावधि मय ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है जिस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूपसे आकृष्ट किया जाता है। **प्रस्तर 169-** वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दि० 07/01/2020 को के० के० इंटर प्राइजेज द्वारा ट्पब्लू बेन्च स्थापना पर रु 96000.00 की धनराशि का व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित किया गया है द्य लेखा परीक्षा में उक्त व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी बिलवाउचरए कोटेशन डण्ड या बेन्च निर्माण के अन्तर्गत आने वाले मैटिरियल से सम्बंधित सामग्री का कोई भी विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी द्य अतरु किया गया व्यय पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होता है द्य व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के खण्ड.7 एवं 8(क) एवं 8; खण्ड एवं 30 प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा.27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है द्य अतरु उक्त व्यय की गयी धनराशि 96000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री विनोद कुमार सिंह ग्राम सचिव से रु 48000.00 तथा ग्राम प्रधान श्री छंगू से रु 48000.00 की वसूली बराबर.2 हिस्सों में से संयुक्त रूप से अद्यावधि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

## 53 ग्राम पंचायत डीह पूरे बीरबल विकास खण्ड, हैरिंगटनगंज अयोध्या वर्ष.2019.20

**प्रस्तर 170-** वर्ष 2019.20 में ह्यूमपाइप क्रय कर भुगतान किया जाना दर्शित किया गया है विवरण निम्न प्रकार है.

दिनांक	विवरण	धनराशि
28/03/2020	हरि प्रभात स्पन पाइप से ह्यूम पाइप क्रय	87010.00

विवरण से स्पष्ट है कि दि० 28.03.2020 को हरिप्रभात स्पन पाइप फैक्ट्री से ह्यूमपाइप क्रय कर रु 87010.00 का भुगतान कर कैशबुक में व्यय किया जाना दर्शित किया गया है उक्त व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी बिल वाउचर , कोटेशन, कार्यवाही पुस्तिका, ह्यूमपाइप कहाँ. 2 लगना है आदि कुछ भी व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में प्रमाणक नहीं उपलब्ध करायेगये जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी द्य अतरु किया गया व्यय पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होता है द्य व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक न उपलब्ध कराया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय.8 के खण्ड.7 एवं 8; क एवं 8; ख एवं 30 प्र० पंचायतराज नियमावली.1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा.27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है द्य अतरु उक्त व्यय की गयी धनराशि रु 87010.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह ग्राम सचिव से रु 43505.00 एवं ग्राम प्रधान श्री सन्तराम से रु 43505.00 की वसूली बराबर.2 हिस्सों में संयुक्त रूप से अद्यावधि मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 171-** विवरण से स्पष्ट है कि दि० 27.02.2020 को अर्पित कान्सट्रक्शन द्वारा डस्टविन क्रय पर व्यय किया जाना दर्शित किया गया है विवरण निम्न है.

1-	दिनांक 27.02.2020 अर्पित कान्सट्रक्शन द्वारा डस्टविन पर व्यय	रु 90409.00
----	--	-------------

विवरण से स्पष्ट है कि दि०27.02.2020 को अर्पित कान्सट्रक्शन द्वारा इस्टिमिन क्रय पर रु०90409.00 की धनराशि का व्यय कियाजाना कैशबुक में दर्शित किया गया है जिस सम्बन्ध में इस्टिमिन क्रय की गयी रु०90409.00 की धनराशि का कोई बिल वाउचर व विवरणपत्र एवं कार्यवाही रजि० स्टाक रजि० कोटेशन आदि कोई भी व्यय की गयी धनराशि से सम्बंधित प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये द्य अतरू व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न ही कीजासकी द्य व्यय की गयी धनराशि से सम्बंधित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में न उपलब्ध करायाजाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल अध्याय.8 के खण्ड.7 एवं8; कद्ध एवं8;खद्ध एवं उ०प्र० पंचायतराज नियमावली.1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा.27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य हैदय अतरू उक्त व्यय की गयी धनराशि रु०90409.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह ग्राम सचिव से रु०45204.50 एवं ग्राम प्रधान श्री सन्तराम से रु०45204.50 की वसूली बराबर.2 हिस्सों में संयुक्त रूप से अद्यावधि मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### 54 ग्राम पंचायत शंकरपुर विकास खण्ड, हैरिंगटनगंज अयोध्या वर्ष.2019.20

**प्रस्तर 172** वर्ष201920के लेखा परीक्षा में पाया गया कि ईट क्रय वावत रु०154095.00 की धनराशि का व्यय किया जाना दर्शित किया गया है विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	दिनांक	चेकसं०	विवरणध	नराशि
(i)	02/04/2019	225	नेता जी ब्रिक फील्ड	रु० 44640.00
(ii)	04/06/2019	228	नेता जी ब्रिक फील्ड	रु० 27600.00
(iii)	28/11/2019	पीएफएमएस	नेता जी ब्रिक फील्ड	रु०81855.00
			योग	154095.00

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभिन्न तिथियों में नेताजी ब्रिक फील्डसे ईट क्रय वावत रु०154095.00 की धनराशि का अपहरण कर कैशबुक में व्यय कियाजाना दर्शित कियागया है द्य उक्त व्यय कीगयी धनराशि का कोई भी बिलवाउचर एवं कोटेशन लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं कियागया कार्यवाही पुस्तिकाए स्टाक रजि० ईट क्रय कियेजाने का उद्देश्य कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आदि कोई भी अभिलेख व्यय कीगयी धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत नहीं कियेगये जिससे ईट क्रय वावत व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी द्य अतरू किया गया व्यय पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होता है व्यय की धनराशि की पुष्टि में कोईभी व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कियाजाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के खण्ड.7 एवं 8; कद्ध एवं 8; खण्ड एवं उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम .204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा.27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है द्य अतरू व्यय की गयी धनराशि रु०154095.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्रामसचिव श्री विनोद कुमार सिंह से रु०77047.50 एवं ग्राम प्रधान श्री राजाराम से रु०77047.50 की वसूली बराबर.2 हिस्से में संयुक्त रूप से अद्यावधि मय ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 173-** वर्ष 2019.20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अर्पित कान्सट्रक्शन द्वारा नाली निर्माण पर व्यय किया गया है विवरण निम्न प्रकार है.

दि०09-07-2019 को चेक सं० 230 से अर्पित कान्सट्रक्शन द्वारा नाली निर्माण 94600-00

विवरण से स्पष्ट है कि दि०09-07-2019 को चेक सं०230 से अर्पित कान्सट्रक्शन द्वारा नाली निर्माण पर व्यय दिखाकर कैशबुक में भुगतान किया जाना दर्शित किया गया है उक्त व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा कार्यवाही पंजिकाए डेडस्टा कर जि० कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत समिति सदस्यों के अनुमोदन पश्चात्कार्यवाही रजि०ए नाली निर्माण वावत प्रयुक्त किये गये मेटिरियल तथा सम्बंधित फर्म का कोई भी बिलवाउचर प्रमाणक अभिलेख व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में उपलब्ध नहीं कराये गए अतरू व्यय की गयी धनराशि रु०94600-00 की पुष्टि नहीं की जिसकी इस प्रकार किया गया व्यय पूर्ण तथा काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होता है व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत किया जाना वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय.8के खण्ड.7 एवं8;क एवं8;ख एवं उ०प्र०पंचायतराज नियमावली.1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा.27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है अतरू उक्त व्यय की गयी धनराशिरु०94600-00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री विनोद कुमार सिंह ग्राम सचिव से रु०47300- 00 एवं ग्राम प्रधान श्री राजाराम से रु० 47300-00 की वसूली बराबर.2 हिस्सों में संयुक्त रूप से अद्यावधि मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### 55 ग्राम पंचायत कन्दई कला विकाख खण्ड अमानीगंज अयोध्या वर्ष.2019.20

**प्रस्तर 174-**चतुर्थ राज्य वित्त अयोग/चौदहवाँ वित्त अयोग की गाइड लाइन्स के अनुसार प्रत्येक कार्य/मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं कि गयी।

(ख) फ्यूचर केयर इंडिया द्वारा कार्य सामग्री क्रय भुगतान रू० 45477.00 कैशबुक में दर्शित है जिसका कोई विवरण या किस कार्य सं सम्बन्धित सामग्री क्रय की गयी जो कि कैशबुक में ही नहीं लिखा गया न तो क्रय से सम्बन्धित कोई भी कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कि किया।

इस प्रकार व्यय प्रमाणक विहीन भुगतान दर्शित कर रूपया-45744.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड (क) एवं 8 (ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा 27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम/1947 के अधि० भाग नियम अध्याय 13 के नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण/गमन की पुष्टि करता है।

अतः उपरोक्त धनराशि 45744.00 उत्तरदायी व्यक्ति श्री अरूण कुमार वर्मा ग्राम विकास अधिकारी रूपया 22872.00 तथा श्री राज कुमार प्रधान से रूपया 22872.00 संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली हेतु गंभीर प्रकरण सक्षम वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(सा०आ०सं-17)

**प्रस्तर 175**--लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31-07-2019 को रूपया 87300 आर०एस० ट्रेडर्स द्वारा ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित है जिसके सापेक्ष न तो एम०बी० कोटेशन, बिल/वाउचर , उपभोग प्रमाणपत्र आदि प्रपत्र ऑडिट में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस प्रकार व्यय भुगतान धनराशि में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय-4 की धारा 27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम/1947 के अधि० भाग नियम अध्याय 13 के नियम 256 के अंतर्गत अपहरण/गमन की पुष्टि करता है। अतः उपरोक्त धनराशि 87300.00 उत्तरदायी व्यक्ति श्री अरूण वर्मा ग्राम विकास अधिकारी रूपया 43650.00 तथा श्री राज कुमार प्रधान से रूपया 43650.00 संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली हेतु गंभीर प्रकरण सक्षम वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से संज्ञान में लाया जाता है।

सा०आ०सं०18

**प्रस्तर 176** -लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 26-11- 2019 को रूपया 119998.00 फ्यूचर केयर इंडिया द्वारा इंटरलॉकिंग कार्य पर व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष न तो एम०बी० बुक, कोटेशन, बिल/वाउचर , उपभोग प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र ऑडिट में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।

इस प्रकार व्यय भुगतान धनराशि में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड8(क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अध्याय 4 की धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम/1947 के अधिनियम भाग नियम अध्याय 13 के नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण/गमन की पुष्टि करता है। अतः उपरोक्त धनराशि 119998.00 उत्तर दायी व्यक्ति श्री अरूण कुमार वर्मा ग्राम विकास अधिकारी रूपये 59999.00 तथा श्री राजकुमार ग्राम प्रधान से रूपये 59999.00 संयुक्त रूप से अद्यवधि ब्याज सहित वसूली हेतु गंभीर प्रकरण सक्षम वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

(सा.आ.सं.19)

**प्रस्तर 177**--लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 26-11-2019 को रूपये 169365.00 अंश इंटर प्राइजेज को व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष न तो एम०बी० बुक,कोटेशन, बिल/वाउचर, उपभोग प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र ऑडिट मे उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं जा सकती।

इस प्रकार व्यय भुगतान धनराशि में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अध्याय 4 की धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम/1947 के अधिनियम भाग नियम अध्याय 13 के नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण/गमन की पुष्टि करता है। अतः उपरोक्त धनराशि 169365.00 उत्तर दायी व्यक्ति श्री अरूण कुमार वर्मा ग्राम विकास अधिकारी रूपये 84682.50 तथा श्री राजकुमार ग्राम प्रधान से रूपये 84682.50 संयुक्त रूप से अद्यवधि ब्याज सहित वसूली हेतु गंभीर प्रकरण सक्षम वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

(सा.आ.सं.20)

**प्रस्तर 178**--लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 26-11-2019 को रूपया 5323.00 अंश इन्टर प्राइजेज को व्यय दर्शित है। जिनके सापेक्ष न तो एम०बी०, बुक , कोटेशन, विल/वाउचर्स, उपभोग प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र ऑडिट में उपलब्ध नहीं कराया गया जिनके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।

इस प्रकार व्यय भुगतान धनराशि में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 8(क) 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अध्याय 4 की धारा 27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अधि०भाग नियम अध्याय 13 के नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण/गमन की पुष्टि करता है। अतः उपरोक्त धनराशि 50323.00 उत्तर दायी व्यक्ति श्री

अरुण कुमार वर्मा ग्राम विकास अधिकारी रूपया 25161.50 तथा श्री राम कुमार ग्राम प्रधान से रूपया 25161.50 संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली हेतु गम्भीर प्रकरण सक्षम वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(सामान्य आपत्ति 21)

**56 ग्राम पंचायत सरौली विकास खण्ड अमानिगंज अयोध्या वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर 179-**लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 02-04-2019 को रूपया 35000.00 सिंह ईट उद्योग को भुगतान किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष न तो एम०बी० बुक, कोटेशन, बिल/वाउचर, उपभोग प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र ऑडिट में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।

इस प्रकार व्यय भुगतान धनराशि में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1947 के अध्याय 4 की धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम/1947 के अधिनियम भाग नियम अध्याय 13 के नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण/गमन की पुष्टि करता है। अतः उपरोक्त धनराशि 35000.00 उत्तर दायी व्यक्ति श्री प्रेम नाथ सिंह ग्राम विकास अधिकारी रूपये 17500.00 तथा श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम प्रधान से रूपये 17500.00 संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली हेतु गम्भीर प्रकरण सक्षम वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

(सा.आ.सं.27)

**प्रस्तर 180-**लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 02-04-2019 एवं 12-04-2019 को क्रमशः रूपया 38000.00 व रूपया 80253.00 कुल-118253.00 बालाजी ट्रेडर्स द्वारा सामग्री क्रय पर भुगतान किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष न तो एम०बी० बुक, कोटेशन, बिल/वाउचर, उपभोग प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र ऑडिट में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।

इस प्रकार व्यय भुगतान धनराशि में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय 4 की धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम/1947 के अधिनियम भाग नियम अध्याय 13 के नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण/गमन की पुष्टि करता है। अतः उपरोक्त धनराशि 118253.00 उत्तर दायी व्यक्ति श्री प्रेम नाथ सिंह ग्राम विकास अधिकारी रूपये 59126.50 तथा श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम प्रधान से रूपये 59126.50 संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली हेतु गम्भीर प्रकरण सक्षम वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

(सा.आ.सं.28)

**प्रस्तर 181-**लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 11-04-2019 को मस्टर रोल पर व्यय रूपया 11044.00 पूर्णता काल्पनिक है। मस्टर रोल पर मजदूरो के निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर अप्राप्त पाया गया जिसके कारण मजदूरी पर किया गया भुगतान अपहरण योग्य है। जिसके सापेक्ष न तो एम०बी० बुक, कोटेशन, बिल/वाउचर, उपभोग प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र ऑडिट में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।

इस प्रकार व्यय भुगतान धनराशि में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय 4 की धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम/1947 के अधिनियम भाग नियम अध्याय 13 के नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण/गमन की पुष्टि करता है। अतः उपरोक्त धनराशि 11044.00 उत्तर दायी व्यक्ति श्री प्रेम नाथ सिंह ग्राम विकास अधिकारी रूपये 5522.00 तथा श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम प्रधान से रूपये 5522.00 संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली हेतु गम्भीर प्रकरण सक्षम वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

(सा.आ.सं.29)

**प्रस्तर 182 -**लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 23-07-2019 को यासीन नर्सरी द्वारा वृक्षारोपण क्रय पर व्यय हेतु रूपया 41850.00 दर्शित है। जिसके सापेक्ष न तो एम०बी० बुक, कोटेशन, बिल/वाउचर, उपभोग प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र ऑडिट में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।

इस प्रकार व्यय भुगतान धनराशि में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय 4 की धारा-27 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम/1947 के अधिनियम भाग नियम अध्याय 13 के नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण/गमन की पुष्टि करता है। अतः उपरोक्त धनराशि 41850.00 उत्तर दायी व्यक्ति श्री प्रेम नाथ सिंह ग्राम विकास अधिकारी रूपये 20925.00 तथा श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम प्रधान से रूपये 20925.00 संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली हेतु गम्भीर प्रकरण सक्षम वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

(सा.आ.सं.30)

**57 ग्राम पंचायत कसारी विकास खण्ड मवई वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर 183-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार वर्ष की कुल आय रू. 29,86,891.00 है। जबकि प्रियासाफ्ट /ई-ग्राम स्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार वर्ष की कुल आय रू.32,69,196.00 है। अन्तर रू. 2,82,305.00 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी श्री ललित कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री अंजुम ग्राम प्रधान से स्पष्टीकरण माँगे जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 184-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार वर्ष की कुल व्यय रु. 34,25,646.00 है। जबकि प्रियासाफ्ट /ई-ग्राम स्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार वर्ष की कुल व्यय रु. 37,33,650.00 है। अन्तर रु. 3,08,004.00 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी श्री ललित कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री अंजुम ग्राम प्रधान से स्पष्टीकरण माँगे जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 185-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान हैन्डपम्प रिवाँर एवं मरम्मत कार्य पर निरर्थक व्यय रु. 7,47,877.00 भुगतान किया गया है। जो बिना आवश्यकता के क्रय सामग्री की गयी है। लेखा परीक्षा में वाउचर अप्राप्त रहे। विवरण निम्न प्रकार है -

2. दिनांक 22/06/2019 को हैन्डपम्प मरम्मत हेतु रु45,000.00 का भुगतान।
3. दिनांक 09/07/2019 को हैन्डपम्प रिवाँर हेतु रु 1,61,445.00 का भुगतान।
4. दिनांक 02/08/2019 को हैन्डपम्प रिवाँर हेतु रु 75,000.00 का भुगतान।
5. दिनांक 27/10/2019 को हैन्डपम्प मरम्मत हेतु रु 69,770.00 का भुगतान।
6. दिनांक 27/10/2019 को हैन्डपम्प रिवाँर हेतु रु 87,775.00 का भुगतान।
7. दिनांक 19/02/2020 को हैन्डपम्प रिवाँर हेतु रु 1,56,495.00 का भुगतान।

कुल राशि रु 7,47,877.00

ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु.7,47,877.00की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री ललित कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री अंजुम से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 186-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान रंगाई पुताई एवं शौचालय निर्माण में सामग्री एवं सोलरलाइट एवं स्पनपाइप एवं कूड़ादान कार्य पर निरर्थक व्यय रु. 8,06,983.00 भुगतान किया गया है। जो बिना आवश्यकता के क्रय सामग्री की गयी है। लेखा परीक्षा में वाउचर अप्राप्त रहे। विवरण निम्न प्रकार है

1. दिनांक 29/06/2019 रंगाई पुताई हेतु प्रकाश मदजमतचतपेमे कोरु 2,37,430.00 का भुगतान।
2. दिनांक 02/08/2019 शौचालय निर्माण में सामग्री क्रय हेतु प्रकाश मदजमतचतपेमे को रु 1,15,630.00 का भुगतान।
3. दिनांक 27/10/2019 वाल पेटिंग हेतु प्रकाश मदजमतचतपेमे को रु 1,36,213.00 का भुगतान।
4. दिनांक 23/11/2019 सोलर लाइट क्रय हेतु प्रकाश मदजमतचतपेमे को रु 1,33,000.00 का भुगतान।
5. दिनांक 23/11/2019 को स्पन पाइप हेतु प्रकाश मदजमतचतपेमे को रु 68,688.00 का भुगतान।
6. दिनांक 11/12/2019 को कूड़ादान क्रय हेतु प्रकाश मदजमतचतपेमे कोरु 1,16,022.00 का भुगतान।

कुल राशि -- रु 8,06,983.00

ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु. 8,06,983.00की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री ललित कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री अंजुम से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित

वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 187-** मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय एवं व्यय विवरण यथा कैसबुक देयबुक प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। शासन के आदेश पत्रांक-269धसम्पेक्षा

/09-09दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये हैं। आडिट वर्ष में सामग्री क्रय किए गए भुगतान की पुष्टि न कीजा सकी। मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय प्रदर्शन का विवरण निम्न प्रकार है--

1.सामग्री क्रय पर भुगतान रु.5.66लाख

आडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8-क एवं 8-ख एवं उत्तरप्रदेशपंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु.5.66लाख की वसूली उत्तरवाइ व्यक्तिगो ग्राम सचिव श्री ललितकुमार एवं ग्राम प्रधान श्री अंजुम से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 188-** मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय एवं व्यय विवरण यथा कैशबुक देयबुक प्राति एवं भुगतान रजिस्टर। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। शासन के आदेश पत्रांक-269धसम्पेक्षा /09-09दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

आडिट वर्ष में अकुशल मजदूरों/ अर्धकुशल-कुशल मजदूरों पर मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय प्रदर्शन का विवरण निम्न प्रकार है----

1. अकुशल मजदूरों को भुगतान रु 09.21 लाख
  2. अर्धकुशल-कुशल मजदूरों को भुगतान रु.0.00 लाख
- योग----- 9.21लाख

आडिट के समयपत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षावर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मास्टर रोल) नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8-क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु.9.21 लाख की वसूली उत्तरवाइ व्यक्तिगो ग्राम सचिव श्री ललितकुमार एवं ग्राम प्रधान श्री अंजुम से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **58 ग्राम पंचायत भटमऊ नारायणपुर विकाख खण्ड मवई वर्ष-2019-20**

**प्रस्तर 189-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार वर्ष की कुल आय रु. 24,49,919.25 है। जबकि प्रिया साफ्ट /ई-ग्राम स्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार वर्ष की कुल आय रु. 23,89,919.00 है। अन्तर रु. 60,000.25 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी श्री राजीव कुमार सचिव एवं श्री शिव वक्स सिंह ग्राम प्रधान से स्पष्टीकरण माँगे जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर 190-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही के अनुसार वर्ष की कुल व्यय रु. 25,16,582.00 है। जबकि प्रियासाफ्ट /ई-ग्राम स्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार वर्ष की कुल व्यय रु. 24,56,582.00 है। अन्तर रु. 60,000.00 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी श्री राजीव कुमार सचिव एवं श्री शिव वक्स सिंह ग्राम प्रधान से स्पष्टीकरण माँगे जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 191-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान हैन्डपम्प रिर्वर एवं मरम्मत कार्य पर निरर्थक व्यय रु. 7,47,877.00 भुगतान किया गया है। जो बिना आवश्यकता के क्रय सामग्री की गयी है। लेखा परीक्षा मे वाउचर अप्राप्त रहे। विवरण निम्न प्रकार है -

2. दिनांक 10/07/2019 को हैन्डपम्प मरम्मत हेतु रु 82,450.00 का भुगतान।
  3. दिनांक 10/07/2019 को हैन्डपम्प रिर्वर हेतु रु 1,58,000.00 का भुगतान।
  4. दिनांक 10/07/2019 को हैन्डपम्प मरम्मत हेतु रु 1,94,172.00का भुगतान।
- कुल राशि-- रु 6,34,142.00

ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु.6,34,142.00की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री राजीव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री शिवबक्शसिंह से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 192-** ऑडिट वर्ष में आर सी बेंच , अन्य व्यय के लिए व्यर्थ भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है ,जैसा कि नीचे दिया गया है -

1. दिनांक 22/01/2020 को आर0सी0सी0बेंच के लिए रु 85,000.00 भुगतान किया गया है।
2. दिनांक 22/05/2019 को तालाब भराई के लिए रु 87,000.00 भुगतान किया गया है।  
कुल राशि-- रु 1,72,000.00

उपरोक्त प्रमाणक अप्राप्त और बेकार है। ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु.1,72,000.00 की वसूली उत्तर दाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री राजीव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री शिवबक्श सिंह से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 193-** ऑडिट वर्ष में आर.सी.सी. बेंच के लिए व्यर्थ भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है ,जैसा कि नीचे दिया गया है -

1. दिनांक 17/12/2019 को आर.सी.सी. बेंचके लिए रु 1,02,000.00 भुगतान किया गया है।
2. दिनांक 29/01/2020 को कूड़ादान के लिए रु 1,02,000.00 भुगतान किया गया है।  
कुल राशि-- रु 204000.00

उपरोक्त प्रमाणक अप्राप्त और बेकार है। ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8 क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु.204000.00 की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री राजीव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री शिवबक्श सिंह से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 194-** मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय एवं व्यय विवरण यथा कैसबुक देयबुक प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक-269/ सम्प्रेक्षा/09-09दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैसबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये हैं। ऑडिट वर्ष में अकुशल मजदूरोंका मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय प्रदर्शन का विवरण निम्न प्रकार है --

1. अकुशल मज दूरों को भुगतान रु024.65 लाख

ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8- ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु.024.65 लाख की वसूली उत्तर वाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री राजीव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री शिवबक्श सिंह से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 195-** मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय एवं व्यय विवरण यथा कैसबुक देयबुक प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। शासन के आदेश पत्रांक-269धसम्प्रेक्षा /09-09दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैसबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये हैं। ऑडिट वर्ष में सामग्री क्रय किए गए भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय प्रदर्शन का विवरण निम्न प्रकार है--

1. सामग्री क्रय पर भुगतान रु. 34,000.00

ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8-ख एवं उत्तरप्रदेशपंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु. ३४,०००.०० की वसूली उत्तरवाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री राजीवकुमार एवं ग्राम प्रधान श्री शिवबक्शसिंहसे संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### 59 ग्राम पंचायत उमापुर विकाख खण्ड मवई वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 196-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार दिनांक 31/03/2020 को अंतिम अवशेष पास बूक के अनुसार रु. 2,45,573.60 है। जबकि प्रियासाफ्ट/ई-ग्रामस्वराज पब्लिक डोमे के अनुसार अंतिम अवशेष रु. 6,00,366.60 है। अन्तर रु. 3,54,793.00 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी श्री विकास रावत सचिव एवं श्री देवता प्रसाद ग्राम प्रधान से स्पष्टीकरण माँगे जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 197** -लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही के अनुसार वर्ष की कुल आय रु. 32,73,455.00 है। जबकि प्रियासाफ्ट /ई- ग्राम स्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार वर्ष की कुल आय रु. 40,65,669.60 है। अन्तर रु. 7,92,214.60 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी श्री विकास रावत सचिव एवं श्री देवता प्रसाद ग्राम प्रधान से स्पष्टीकरण माँगे जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 198-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही के अनुसार वर्ष की कुल व्यय रु. 32,63,744.00 है। जब कि प्रिया साफ्ट /ई-ग्राम स्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार वर्ष की कुल व्यय रु. 36,18,027.00 है। अन्तर रु. 3,54,283.00 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी श्री विकास रावत सचिव एवं श्री देवता प्रसाद ग्राम प्रधान से स्पष्टीकरण माँगे जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 199-**लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही के अनुसार दिनांक 01/04/ 2019 को प्रारम्भिक अवशेष पास बूक के अनुसार रु. 1,87,401.60 है। जबकि प्रिया साफ्ट /ई-ग्राम स्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार प्रारम्भिक अवशेष रु. 1,52,724.00 है। अन्तर रु. (-)34,677.60 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी श्री विकास रावत सचिव एवं श्री देवता प्रसाद ग्राम प्रधान से स्पष्टीकरण माँगे जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 200-** लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कोष बही से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान हैण्डपम्परिवार एवं मरम्मत पर निरर्थक व्यय रु. 6,78,006.00 किया गया है। जो बिना आवश्यकता के क्रय सामग्री की गयी है। जिससे अनुदान का दुरुपयोग किया गया है। इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है

1. दिनांक 03/04/2019 हैण्डपम्प रिवोर के लिए 60,000.00 रवि ट्रेडर्स को भुगतान
2. दिनांक 16/07/2019 हैण्डपम्परिवार के लिए रु 60,000.00 हरिओम उंबीपदमतलको भुगतान
3. दिनांक 16/07/2019 हैण्डपम्प मरम्मत के लिए रु 60,817.00 हरिओम उंबीपदमतल को भुगतान
4. दिनांक 05/08/2019 हैण्डपम्परिवार के लिए रु 27,300.00 हरिओम उंबीपदमतल को भुगतान
5. दिनांक 25/11/2019 हैण्डपम्परिवार के लिए रु 40,840.00 हरिओम उंबीपदमतल को भुगतान
6. दिनांक 26/11/2019 हैण्डपम्परिवार के लिए रु 95,352.00 हरिओम उंबीपदमतल को भुगतान
7. दिनांक 26/11/2019 हैण्डपम्प मरम्मत के लिए रु 48,697.00 हरिओम उंबीपदमतल को भुगतान
8. दिनांक 20/12/2019 हैण्डपम्पमरम्मत के लिए रु 1,97,000.00 हरिओम उंबीपदमतल को भुगतान

9. दिनांक 20/12/2019 हैण्डपम्प मरम्मत के लिए रु 88,000.00 हरिओम उंबीपदमतल को भुगतान कुल राशि रु 6,78,006.00

उपरोक्त प्रमाणक अप्राप्त और बेकार है। उपरोक्त वाउचर एवं पत्रावली भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। जिससे धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। उपरोक्त के भुगतान की पुष्टि में टेन्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जोकि नियाओं की अवहेलना है। वाउचर प्राप्त कर पुष्टि करते हुए आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है प्ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखापरीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेशपंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु.,78,006.00 की वसूली उत्तरवाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री विकास रावत एवं ग्राम प्रधान श्री देवता यादव से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 201-** ऑडिट वर्षमे आर.सी.सी. बैंच एवं अन्य कार्य के लिए व्यर्थ भुगतान ग्रामपंचायत द्वारा किया गया है,जैसा कि नीचे दिया गया है---

1. दिनांक 25/11/2019 आर.सी.सी बैंच अमन मदजमतचतपेमेकोरु1,84,000.00
  2. दिनांक 12/12/2019 स्पन पाइप जय प्रकाश मदजमतचतपेमे को रु1,72,000.00
  - 3.दिनांक 31/12/2019 सौरभ सिमेन्ट स्टोर को रु 1,06,000.00
  - 4.दिनांक 11/01/2020 संजय सिमेन्ट स्टोर कोरु 1,06,000.00
  - 5.दिनांक 11/01/2020 संजय सिमेन्ट स्टोर कोरु 1,05,000.00
  6. दिनांक 11/01/2020 संजय सिमेन्ट स्टोर कोरु 95,000.00
- कुल राशि रु 7,68,000.00

उपरोक्त प्रमाणक अप्राप्त और बेकार है। उपरोक्त वाउचर एवंफनावली भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। जिससे धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। उपरोक्त के भुगतान की पुष्टि में टेन्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जोकि नियाओं की अवहेलना है। वाउचर प्राप्त कर पुष्टि करते हुए आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है प्ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखापरीक्षावर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेशपंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु.7.68 लाख की वसूली उत्तरवाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री विकास रावत एवं ग्राम प्रधान श्री देवता यादव से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 202-** मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय एवं व्यय विवरण यथा कैसबुक देयबुक प्राति एवं भुगतान रजिस्टर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। शासन के आदेश पत्रांक-269ध्सम्पेक्षा /09-09दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये हैं। ऑडिट वर्ष में सामग्री क्रय किए गए भुगतान की पुष्टि न कीजा सकी। मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय प्रदर्शन का विवरण निम्न प्रकार है--

1.सामग्री क्रय पर भुगतान रु.0.83 लाख

ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8-ख एवं उत्तरप्रदेशपंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु.०.83 लाख की वसूली उत्तरवाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री विकास रावत एवं ग्राम प्रधान श्री देवता यादव से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 203-** मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय एवं व्यय विवरण यथा कैसबुक देयबुक प्राति एवं भुगतान रजिस्टर। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। शासन के आदेश पत्रांक-269 सम्प्रेक्षा /09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

ऑडिट वर्ष में अकुशल मजदूरों/ अर्धकुशल-कुशल मजदूरों पर मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय प्रदर्शन का विवरण निम्न प्रकार है----

1. अकुशल मजदूरों को भुगतानरु. 11.57 लस
2. अर्धकुशल-कुशल मजदूरों को भुगतान रु.0.33 लाख  
योग----- 12.00 लाख

ऑडिट के समयपत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षावर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मास्टर रोल) नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8-क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु012.00 लाख की वसूली उत्तराई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री विकास रावत एवं ग्राम प्रधान श्री देवता यादव से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### 60 ग्राम पंचायत भवानीपुर विकाख खण्ड मवई वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 204-**लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही के अनुसार दिनांक 31/03/2020 को अंतिम अवशेष पास बूक के अनुसार रु.

.18,79,484.05 है। जबकि प्रिया साफ्ट /ई-ग्राम स्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार अंतिम अवशेष रु..11,93,939.05 है। अन्तर रु.

.6,85,545.00 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी श्री मुकेश मौर्या सचिव एवं श्रीमती बविता यादव ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 205-**लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही के अनुसार वर्ष की कुल आय रु. .45,58,104.00 है। जबकि प्रिया साफ्ट /ई-ग्राम स्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार वर्ष की कुल आय रु..39,65,897.05 है। अन्तर रु. .5,92,206.95 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी श्री मुकेश मौर्या सचिव एवं श्रीमती बविता यादव ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 206-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही के अनुसार रु 1.00 लाख से अधिक का भुगतान किया है। लेकिन वर्ष के दौरान निविदा स्वीकार नहीं की गई है और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में निविदा के प्रकाशन की पेपर कटिंग ऑडिट अवधि के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई है। कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं -

1. दिनांक 29/07/2019 किसान ट्रेडर्स को राशि 1,01,000 भुगतान।
2. दिनांक 29/07/2019 विकास ट्रेडर्स को 1,35,000 राशि का भुगतान।
3. दिनांक 29/07/2019 विकास को 1,45,000 राशि का भुगतान
4. दिनांक 29/07/2019 विकास को 1,46,000 भुगतान राशि।
5. दिनांक 29/07/2019 विकास को 1,14,000 राशि का भुगतान।
6. दिनांक 30/07/2019 रवि ट्रेडर्स को राशि 1,16,000 का भुगतान।
7. दिनांक 26/03/2019 पी0 एफ0 एम0 एस0 द्वारा राशि 1,70,000 भुगतान।
8. दिनांक 29/07/2019 पी0 एफ0 एम0 एस0 द्वारा राशि 1,70,000 भुगतान।

कुल राशि रु. 10,97,000.00

इस प्रकार विभिन्न संस्थानों को बिना निविदा प्राप्त किए रु 10,97,000 का भुगतान किया गया है। जो, नियमों का उल्लंघन है। श्री मुकेश मौर्या सचिव एवं श्रीमती बविता यादव ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 207-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही के अनुसार वर्ष की कुल व्यय रु. .29,95,550.70 है। जब कि प्रिया साफ्ट /ई-ग्राम स्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार वर्ष की कुल व्यय रु..29,88,549.00 है। अन्तर रु. 7,001.70 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है। इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी से स्पष्टीकरण माँगे जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है।

5- ऑडिट के दौरान ग्राम पंचायत अधिकारि द्वारा निम्नलिखित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गए ---

1. दिनांक 02/04/2019 मुकेश मौर्य जी0पी0ओ0को रु 45,300 का भुगतान
2. दिनांक 03/04/2019 मुकेश मौर्य जी0 पी0 ओ0 को रु 35,000 का भुगतान
3. दिनांक 04/07/2019 किसान ट्रेडर को रु 80,000 का भुगतान

4. दिनांक 04/07/2019 मुकेश मौर्य जी0 पी0 ओ को रु 30,000 का भुगतान
  5. दिनांक 04/07/2019 बबीता ग्राम प्रधान को रु 30,000 का भुगतान
  6. दिनांक 29/07/2019 मुकेश मौर्य जी पी ओ को रु 49,868 का भुगतान
  7. दिनांक 29/07/2019 मुकेश मौर्य जी पी ओ को रु 45,136 का भुगतान
  8. दिनांक 29/07/2019 मुकेश मौर्य जी पी ओ को रु 49,868 का भुगतान
  9. दिनांक 29/07/2019 बबीता ग्राम प्रधान को रु 42,000 का भुगतान
  10. दिनांक 29/07/2019 साई ब्रिक फील्ड्स को रु 99,000.00 का भुगतान
  - 11- दिनांक 29/07/2019 साई ब्रिक फील्ड्स को रु 99,000 का भुगतान
- कुल राशि --- रु. 6,05,172.00

ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8-क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु. 6,05,172.00 की वसूली उत्तर दाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री मुकेश मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्रीमती बबिता यादव से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 208-** आर0सी0सी0 बेंच के लिए अनियमित भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया गया है

1. दिनांक 26/03/2020 को आर0सी0सी0 बेंच के लिए अमन इंटर प्राइजेज को रु 1,70,000 का भुगतान
  2. दिनांक 26/03/2020 को आर0सी0सी0 बेंच के लिए अमन इंटर प्राइजेज को रु 1,70,000 का भुगतान
- कुल राशि रु. 3,40,000.00

उपरोक्त प्रमादक नहीं प्रस्तुत किए गए। यह भुगतान निरर्थक भी है ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8-क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु. 3,40,000.00 की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री मुकेश मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्रीमती बबिता यादव से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 209-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही के अनुसार विभिन्न तिथियों में अनियमित भुगतान निम्नानुसार किया गया है -

1. दिनांक 01/07/2019 से 11/07/2019 तक स्वच्छता /कूड़ादान के लिए रु.3,00,000
  2. दिनांक 18/03/2020 राशि रु. प्रशासनिक और तकनीकी सहायता के लिए रु.20,000
  3. दिनांक 10/07/2019 राशि रु. प्रशासनिक और तकनीकी सहायता बूथ व्यावस्था के लिए रु.50,000
- कुल राशि---- रु 3,70,000

उपरोक्त प्रमादक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8-क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु. 3,70,000.00 की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री मुकेश मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्री मती बबिता यादव से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 210-** मनरेगा योजना संबंधित आय और व्यय विवरण कैस बुक देय पुस्तक रसीद और भुगतान रजिस्टर। लेखा परीक्षा में इसे प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं हो सकी। यह है 'आयुक्त' की स्थिति ग्राम विकास उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पत्र नं. २६९ /संप्रक्ष/०९-०९/दिनांक १५ जनवरी २००९, स्पष्ट रूप से अवहेलना। जिसमें मनरेगा कैश बुक में किंग ऑडिट ने ऑडिट वर्ष में दिए गए आदेश अकुशल श्रमिक/अर्धकुशल श्रमिक। मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन विवरण निम्न प्रकार के हैं-

1. अकुशल श्रमिकों ने रु0 21.31 लाख का भुगतान किया
2. अर्धकुशल- मजदूरों को भुगतान रु. 0.00 लाख

लेखा परीक्षा के समय पत्राचार के बावजूद, लेखा परीक्षा वर्ष में खर्च की गई राशि की पुष्टि में व्यय प्रमाण (मास्टर भूमिका) प्रस्तुत नहीं किया जाता है, वित्त और प्रबंधन लेखा नियमावली के अध्याय 8 की धारा 7 और 8-ए और 8-बी उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली

1947 के नियम 204 एवं 205 तथा अधिनियम की धारा 256 एवं धारा 27 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत का अपहरण है। जो अधिभार के लिए पात्र है, इसलिए ऊपर खर्च की गई राशि रु. 21.31 जिम्मेदार व्यक्तियों, ग्राम सचिव श्री मुकेश मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्री मती बबीता यादव से संयुक्त रूप से समान भागों में 21.31 लाख की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर 211-** मनरेगा योजना संबंधित आय और व्यय विवरण कैस बुक देय पुस्तक रसीद और भुगतान रजिस्टर । लेखा परीक्षा में इसे प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं हो सकी । यह है 'आयुक्त' की स्थिति ग्राम विकास उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पत्र नं. २६९/संप्रक्ष/०९-०९/दिनांक १५ जनवरी २००९, स्पष्ट रूप से अवहेलना । जिसमें मनरेगा कैश बुक में किंग ऑडिट ने ऑडिट वर्ष में दिए गए आदेश सामग्री खरीदी भुगतान की पुष्टि की । मनरेगा के तहत वित्तीय प्रदर्शन विवरण निम्नलिखित प्रकार -

1. सामग्री खरीद भुगतान रु0 2.96 लाख

लेखा परीक्षा के समय पत्राचार के बावजूद ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंधन लेखा नियमावली के अध्याय 8 की धारा 7 एवं 8-ए एवं 8-बी में लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई राशि की पुष्टि में व्यय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा इसके विपरीत उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियम 1947 के नियम 204 एवं 205 तथा अधिनियम के नियम 256 एवं धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है। जो अधिभार के लिए पात्र है, इसलिए ऊपर खर्च की गई राशि रु. ग्रामीण सचिव श्री मुकेश मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्रीमती बबीता यादव से 2.96 लाख की वसूली संयुक्त रूप से समान भाग में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **61 ग्राम पंचायत शाहबाचक विकाख खण्ड मवई वर्ष-2019-20**

**प्रस्तर 212-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही के अनुसार वर्ष की कुल आय रु. 8,59,499.00 है। जबकि प्रिया साफ्ट /ई-ग्राम स्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार वर्ष की कुल आय रु.9,10,673.00 है। अन्तर रु.51,174.00 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है । इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी श्री विजय कुमार सचिव एवं श्री प्रहलाद ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 213-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही के अनुसार दिनांक 01/04/2019 को प्रारम्भिक अवशेष पासबुक के अनुसार रु. 2,40,943.70 है। जब कि प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार प्रारम्भिक अवशेष रु..34,347.00 है। अन्तर रु. ..2,06,596.70 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है। इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी श्री विजय कुमार सचिव एवं श्री प्रहलाद ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 214-**लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही के अनुसार दिनांक 31/03/2020को अंतिम अवशेष पासबुक के अनुसार रु. 71,313.68है। जबकि प्रिया साफ्ट/ई-ग्रामस्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार अंतिम अवशेष रु..1,46,488.00है। अन्तर रु. 75,174.32है।अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी श्री विजय कुमार सचिव एवं श्री प्रहलाद ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 215-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही के अनुसार वर्ष की कुल व्यय रु. 10,29,129.00 है। जब कि प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार वर्ष की कुल व्यय रु.7,98,532.00 है। अन्तर रु. 2,30,597.00 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है। इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी श्री विजय कुमार सचिव एवं श्री प्रहलाद ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 216-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान रु. 24,000.00 का भुगतान शौचालय निर्माण हेतु निधि 1ेज से किया गया है । जो कि स्वच्छ भारत मिशन से किया जाना चाहिए था। इस प्रकार रु.24,000 अनुदान का दुरुपयोग किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है -

1. दिनांक 19/03/2020 को रु. 6,000.00 का भुगतान श्री राम मौर्य को शौचालय निर्माण हेतु।
2. दिनांक 21/03/2020 को रु. 6,000.00 का भुगतान श्री राम बरन को शौचालय निर्माण हेतु।
3. दिनांक 21/03/2020 को रु. 6,000.00 का भुगतान श्री रूप रानी को शौचालय निर्माण हेतु।

4. दिनांक 26/03/2020 को रु. 6,000.00 का भुगतान श्री मती यशमीन बानो को शौचालय निर्माण हेतु।

योग --- 24,000.00

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप आकृष्ट किया जाता है। ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं विभागीय निर्देशन ही प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राजनियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई दुरुपयोगित धनराशि रु. 24,000.00 की वसूली उत्तर दाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री विजय कुमार पासवान एवं ग्राम प्रधान श्री प्रहलाद से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 217-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही से स्पष्ट है कि विभिन्न तिथियों में सामग्री क्रय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किए गए ,विवरण निम्न प्रकार है -

1. दिनांक 05/04/2019 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय रु 16,970.00
2. दिनांक 05/04/2019 ईट क्रय / ज.क. ब्रिक फील्ड से रु 38,660.00
3. दिनांक 05/04/2019 नालीनिर्माणहेतुसागरीक्रयपर रु 29,650.00
4. दिनांक 27/11/2019 ईट क्रय / ज.क. ब्रिक फील्ड से रु 54,621.00
5. दिनांक 30/11/2019 संतराम जतंकमते को रु 43,301.00

कुल राशि रु 1,83,202.00

उपरोक्त प्रमाणक पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8 क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राजनियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु. 1,83,202.00 की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री विजय कुमार पासवान एवं ग्राम प्रधान श्री प्रहलाद से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 218-** लेखा परीक्षा वर्ष में नाली निर्माण / खंडजा निर्माण / बाउन्ड्री निर्माण कार्य में मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मास्टर रोल नहीं प्रस्तुत किए गए ,विवरण निम्न प्रकार है ---

दिनांक 02/04/2019 को नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान रु 10,806.00

दिनांक 27/11/2019 को प्राथमिक विद्यालय में बाउन्ड्री निर्माण में मजदूरी भुगतान रु 22,836.00

दिनांक 27/11/2019 को खंडजा निर्माण में मजदूरी भुगतान रु 24,367.00

कुलराशि -- रु 58,009.00

उपरोक्त प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि निरर्थक है। ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्रामपंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8 क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राजनियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है । जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु. 58,009.00 की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री विजय कुमार पासवान एवं ग्राम प्रधान श्री प्रहलाद से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 219-** ऑडिट वर्ष में आर.सी.सी. बैंच के लिए व्यर्थ भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है ,जैसा कि नीचे दिया गया है -

दिनांक 19/07/2019 आर.सी.सी बैंच पाठक मदजमतचतपेमे को रु 1,02,000.00

दिनांक 12/12/2019 आर.सी.सी बैंच अमन मदजमतचतपेमे को रु 1,02,000.00

कुलराशि-- रु 2,04,000.00

उपरोक्त प्रमाणक अप्राप्त और बेकार है। उपरोक्त वाउचर एवं पत्रावली भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। जिससे धन राशि का दुरुपयोग किया गया है। उपरोक्त के भुगतान की पुष्टि में टेन्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है । जोकि नियमों की अवहेलना है। ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय

की गई धनराशि रु. 2,04,000.00 की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री विजय कुमार पासवान एवं ग्राम प्रधान श्री प्रहलाद से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 220-** ऑडिट वर्ष में प्राथमिक विद्यालय साहबचक में ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी ढुलाई , मास्टर रोल द्वारा व्यर्थ भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है ,जैसा कि नीचे दिया गया है -

दिनांक 01/08/2019 को प्राथमिक विद्यालय साहबचक में ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी ढुलाई पर रु 52,920.00

दिनांक 02/08/2019 को मास्टर रोल द्वारा संतलिकारण पर रु 40,586.00

कुलराशि-- रु 93,506.00

उपरोक्त प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि निरर्थक है। ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8 क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु. 93,506.00 की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री विजय कुमार पासवान एवं ग्राम प्रधान श्री प्रहलाद से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 221-** लेखा परीक्षा वर्ष में प्रशासनिक / तकनीकी मद तथा तालाब में पानी भराई पर भुगतान किया गया है , विवरण निम्न प्रकार है ---

दिनांक 27/06/2019 तालाब में पानी भराई पर व्यय रु 20,000.00

दिनांक 27/02/2020 प्रशासनिक/ तकनीकीमद व्यय रु 10,000.00

कुलराशि-- रु 30,000.00

उपरोक्त प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि निरर्थक है। ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु. 30,000.00की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री विजयकुमारपासवान एवं ग्राम प्रधान श्रीप्रहलाद से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

## 62 ग्राम पंचायत सैमसी विकाख खण्ड मवई वर्ष-2019-20

**प्रस्तर 222-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही के अनुसार वर्ष की कुल आयरु. 46,76,360.00 है। जबकि प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार वर्ष की कुल आय रू..46,84,799.00 है। अन्तर रू. .8,439.00 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री मुकेश मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्रीमती ममता सिंह से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 223-**लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही के अनुसार दिनांक 01/04/2019 को प्रारम्भिक अवशेष पास बूक के अनुसार रु. 2,72,107.22 है। जबकि प्रियासाफ्ट /ई-ग्राम स्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार प्रारम्भिक अवशेष रू..1,13,268.00 है। अन्तर रू. ..1,58,839.22 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री मुकेश मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्रीमती ममता सिंह से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 224-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही के अनुसार दिनांक 31/03/2020 को अंतिम अवशेष पासबूक के अनुसार रु. 3,57,394.42 है। जबकि प्रिया साफ्ट/ई-ग्रामस्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार अंतिम अवशेष रू..17,583.67 है। अन्तर रू. 3,39,810.75 है।अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री मुकेश मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्रीमती ममता सिंह से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 225-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही के अनुसार वर्ष की कुल व्यय रु. 45,91,083.00 है। जबकि प्रियासाफ्ट /ई-ग्राम स्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार वर्ष की कुल व्यय रु.47,80,484.00 है।अन्तर रु. .1,99,401.00 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री मुकेश मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्रीमती ममता सिंह से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 226-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान हैन्डपम्प रिवोर एवं मरम्मत पर निरर्थक व्यय रु. 5,98,925.00 भुगतान किया गया है। जो बिना आवश्यकता के क्रय सामग्री की गयी है। लेखा परीक्षा मे वाउचर अप्राप्त रहे। विवरण निम्न प्रकार है

1. दिनांक 02/04/2019 को हैन्डपम्प मरम्मत पर रु 115000 का भुगतान ।
2. दिनांक 02/04/2019 को हैन्डपम्प रिवोर पर रु 58000 का भुगतान ।
3. दिनांक 02/04/2019 को हैन्डपम्प मरम्मत पर रु 30000 का भुगतान।
4. दिनांक 17/01/2020 को हैन्डपम्प मरम्मत पर रु 92425 का भुगतान ।
5. दिनांक 17/01/2020 को कूड़ादान पर रु 160000 का भुगतान ।
6. दिनांक 23/03/2020 को हैन्डपम्प मरम्मत पर रु 143500 का भुगतान।

योग == 5,98,925.00

ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु. 5,98,925.00 की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री मुकेश मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्रीमती ममता सिंह से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 227-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान फर्श मरम्मत एवं टाइल्स पर निरर्थक व्यय रु. 6,04,480.00 भुगतान किया गया है। जो बिना आवश्यकता के क्रय सामग्री की गयी है। लेखा परीक्षा मे वाउचर अप्राप्त रहे। विवरण निम्न प्रकार है

1. दिनांक 03/07/2019 को फर्श मरम्मत एवं टाइल्स पर रु 111577 का भुगतान ।
2. दिनांक 03/07/2019 को फर्श मरम्मत एवं टाइल्स पर रु 88548 का भुगतान ।
3. दिनांक 03/07/2019 को फर्श मरम्मत एवं टाइल्स पर रु 68604 का भुगतान ।
4. दिनांक 03/07/2019 को फर्श मरम्मत एवं टाइल्स पर रु 57946 का भुगतान।
5. दिनांक 03/07/2019 को फर्श मरम्मत एवं टाइल्स पर रु 114324 का भुगतान ।
6. दिनांक 03/07/2019 को फर्श मरम्मत एवं टाइल्स पर रु 97138 का भुगतान ।
7. दिनांक 03/07/2019 को फर्श मरम्मत एवं टाइल्स पर रु 66343 का भुगतान ।

योग == 6,04,480.00

ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु. 6,04,480.00 की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री मुकेश मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्रीमती ममता सिंह से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 228-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान दिनांक 03-07-2019 को रु 2,00,000.00 का भुगतान डी.के. मदजमतचतपेमे को जे.सी.बी का भाड़ा 200 घंटा / 1000 से किया गया है। पुष्टि मे उपरोक्त प्रमाइक एवं इतनी अधिक धनराशि के पेमेंट हेतु विभागीय आदेश एवं निर्देश अप्राप्त रहे। ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु.2,00,000.00 की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री मुकेश मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्रीमती ममता सिंह से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 229-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान शौचालय निर्माण हेतु सामग्री / सैनिटैरी टाइल्स / रंगाई पुताई / कूड़ादान पर व्यय रु. 4,93,980.00 भुगतान किया गया है। जो बिना आवश्यकता के क्रय सामग्री की गयी है।लेखा परीक्षा में वाउचर अप्राप्त रहे। विवरण निम्न प्रकार है

1. दिनांक 03/07/2019 को शौचालय निर्माण पर रु 80000 का भुगतान ।
2. दिनांक 25/11/2019 को रंगाई पुताई पर रु 35675 का भुगतान ।
3. दिनांक 25/11/2019 को रंगाई पुताई पर रु 38398 का भुगतान।।
4. दिनांक 29/06/2019 को शौचालय निर्माण पर रु 123182 का भुगतान ।
5. दिनांक 29/06/2019 को कूड़ादान पर रु 49000 का भुगतान ।
6. दिनांक 29/06/2019 को सैनिटैरी टाइल्स पर रु 80354 का भुगतान ।
7. दिनांक 29/06/2019 को फर्श मरम्मत एवं टाइल्स पर रु 87371 का भुगतान ।

योग == 4,93,980.00

ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक )नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8. क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु. 4,93,980.00 की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री मुकेश मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्रीमती ममता सिंह से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 230-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान चारा गाह में टिन शेड हेतु सामग्री / आर.सी.सी पुलिया निर्माण हेतु पाल मदजमतचतपेमे एवं अन्य ट्रेडर्स को रु. 8,38,974.00 भुगतान किया गया है। जो बिना आवश्यकता के क्रय सामग्री की गयी है।लेखा परीक्षा में वाउचर अप्राप्त रहे। विवरण निम्न प्रकार है -

1. दिनांक 09/12/2019 को पाल ट्रेडर्स को रु 69291 का भुगतान ।
2. दिनांक 09/12/2019 को किसान ट्रेडर्स को रु 51118 का भुगतान ।
3. दिनांक 09/12/2019 को पाल ट्रेडर्स को रु 60867 का भुगतान ।
4. दिनांक 09/12/2019 को पाल ट्रेडर्स को रु 84274 का भुगतान ।
5. दिनांक 09/12/2019 को पाल ट्रेडर्स को रु 104351 का भुगतान ।
6. दिनांक 23/12/2019 को पाल ट्रेडर्स को रु 223360 का भुगतान ।
7. दिनांक 29/06/2019 को कंपूरिया ट्रेडर्स को रु 87991 का भुगतान ।
8. दिनांक 22/03/2020 को आर.सी.सी पुलिया निर्माण / प्रकाश मदजमतचतपेमे को रु 108572 का भुगतान ।
9. दिनांक 22/03/2020 को ईट क्रय / दिलीप ब्रिक फील्ड को रु 49150 का भुगतान ।

योग == 8,38,974.00

ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु. 8,38,974.00 की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री मुकेश मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्रीमती ममता सिंह से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **ग्राम पंचायत रतनपुर विकाख खण्ड मवई वर्ष-2019-20**

**प्रस्तर 231-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषवही के अनुसार वर्ष की कुल आय रु. 13,20,059.00 है।जब कि प्रिया साफ्ट /ई-ग्राम स्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार वर्ष की कुल आय रु. 11,23,558.00 है। अन्तर रु. 1,96,501.00 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगे जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है। अन्यथा की दशा में उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री राजीव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री सिया राम से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 232-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषवही के अनुसार दिनांक 01/04/2019 को प्रारम्भिक अवशेष पासबुक के अनुसार रु 11,28,901.95 है। जबकि प्रिया साफ्ट /ई-ग्राम स्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार प्रारम्भिक अवशेष (रु. 10,44,164.00 है। अन्तर रु. 84,736.95 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगे जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है। अन्यथा की दशा में उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री राजीव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री सिया राम से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 233-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषवही के अनुसार दिनांक 31/03/2020 को अंतिम अवशेष पासबुक के अनुसार (4वा एफएफसी + 14वा एफएफ सी ) रु. 3,03,386.95 है। जब कि प्रिया साफ्ट /ई-ग्राम स्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार अंतिम अवशेष (4वा एफएफसी + 14वा एफएफ सी ) रु. 11,27,232.90 है। अन्तर रु. 8,23,845.95 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है। इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगे जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है। अन्यथा की दशा में उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की दशा में उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री राजीव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री सिया राम से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 234-**लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष वही के अनुसार वर्ष की कुल व्यय रु. 21,45,574.00 है। जब कि प्रिया साफ्ट /ई-ग्राम स्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार वर्ष की कुल व्यय रु 10,40,490.00 है। अन्तर रु. 11,05,084.00 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगे जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है। अन्यथा की दशा में उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री राजीव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री सिया राम से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 235-** दिनांक 30/03/2020 को पासबुक में रु.95,112.00 आय दर्शित है। परंतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषवही (प्रियासाफ्ट) में उक्त आय नहीं दर्शित है। अन्तर रु.95,112.00 का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगे जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है। अन्यथा की दशा में उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री राजीव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री सिया राम से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 236** दिनांक 01/08/2019 को कोषवही में 16,450.00 आय दर्शित है। परंतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पास बुक में उक्त आय नहीं दर्शित है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है। इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगे जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है। अन्यथा की दशा में उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री राजीव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री सिया राम से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 237** ऑडिट वर्ष में आर.सी.सी. बंच के लिए व्यर्थ भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है-

- दिनांक 20/01/2020 आर सी सी बंच के लिए रु. 42,550.00 का भुगतान किया गया है।
- दिनांक 20/01/2020 आर सी सी बंच के लिए रु 42,500.00 का भुगतान किया गया है।

कुलराशि- रु. 85,050.00

उपरोक्त प्रमाणक अप्राप्त और बेकार है। ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8 क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिकार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धन राशि रु 85,050.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री राजीव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री सिया राम से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 238-**लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषवही से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत पर निरर्थक व्यय रु. 4,23,000 किया गया है। जो बिना आवश्यकता के क्रय सामग्री की गयी है। जिससे अनुदान का दुरुपयोग किया गया है। इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप आकृष्ट किया जाता है विवरण निम्न प्रकार है-

- दिनांक 10/07/2019 हैण्ड पम्प मरम्मत के लिए के 60,000.00का भुगतान किया गया है।
- दिनांक 10/07/2019 हैण्ड पम्प मरम्मत के लिए रु 44,000.00 का भुगतान किया गया है।
- दिनांक 12/07/2019 हैण्ड पम्प मरम्मत के लिए रु 60,000.00 का भुगतान किया गया है।
- दिनांक 13/07/2019 हैण्ड पम्प मरम्मत के लिए 44,710.00 का भुगतान किया गया है।
- दिनांक 14/07/2019 हैण्ड पम्प मरम्मत के लिए रु 80,000.00 का भुगतान किया गया है।
- दिनांक 15/07/2019 हैण्ड पम्प मरम्मत के लिए रु 84,290.00 का भुगतान किया गया है।
- दिनांक 18/07/2019 सफाई कार्य के लिए रु 50,000.00 का भुगतान किया गया है।

कुलराशि- रु. 4,23,000.00

उपरोक्त प्रमाणक अप्राप्त और बेकार है। ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं एक एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राजनियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु. 4.23,000.00 की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम संचित श्री रजीव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री सियाराम से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 239-** मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय एवं व्यय विवरण यथा कैस बुक देय बुक प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांचन हीं की जास की। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास 30प्र0 शासन के आदेश पत्रांक- 269/ सम्प्रेक्षा09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश बुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये हैं। ऑडिट वर्ष में अकुशल मजदूरों अर्धकुशल कुशल मजदूरों का मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय प्रदर्शन का विवरण निम्न प्रकार है --

- अकुशल मजदूरों को भुगतान रु. 12.86 लाख ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक (मास्टर रोल) नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8- एवं 8 ख एवं उत्तरप्रदेश पंचायत राजनियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु. 12.86 लाख की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री राजीवकुमार एवं ग्राम प्रधान श्री सियाराम से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 240-** मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय एवं व्यय विवरण यथा कैस बुक देय बुक प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर । लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांचन हीं की जासकी। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ० प्र० शासन के आदेश पत्रांक- 269/ सम्प्रेक्षा/ 09-09/दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये हैं। ऑडिट वर्ष में सामग्री क्रय किए गए भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय प्रदर्शन का विवरण निम्न प्रकार है--

- सामग्री क्रय पर भुगतान रु.3.84 लाख

ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8-क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राजनियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु. 03.84 लाख की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री रजीव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री शिवा राम से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत रानीमऊ विकाख खण्ड मवई वर्ष-2019-20**

**प्रस्तर 241-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषवही के अनुसार वर्ष की कुल आय रु. 52,31,082.00 है। जबकि प्रियासाफ्ट / ईग्रामस्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार वर्ष की कुल आय रु. 52,98,453.00 है। अन्तर रु. 67,371.00 है। अन्तरकासमाधान किया जाना अपेक्षित है। इसके प्रतिसक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगे जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 242-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषवही के अनुसार दिनांक 01/04/2019 को प्रारम्भिक अवशेष पासबुक के अनुसार (4वा एसई सी + 14वा एफएफ सी ) रु. 51,31,748,25 है जबकि प्रियासाफ्ट / ई-ग्रामस्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार प्रारम्भिक अवशेष (4वाएएसएफसी + 14वा एफएफ सी ) रु. 45,80,301,00 है। अन्तररु. 5,51,447.25 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी से स्पष्टीकरण माँगे जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 243-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषवही के अनुसार वर्ष की कुलव्ययरु. 95,07,515.32 है। जबकि प्रियासाफ्ट / ई-ग्रामस्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार वर्ष की कुल व्ययरु. 95,98,26732 है। अन्तर रु 90,752.00 है। अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

इसके प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी से स्पष्टीकरण माँगे जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 244-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषवही से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान बिल्डिंग मटेरियल पर निरर्थक व्यय रु.8,35,450 भुगतान किया गया है। जो बिना आवश्यकता के क्रय सामग्री की गयी है। लेखा परीक्षा में वाउचर अप्राप्त रहे।

विवरण निम्न प्रकार है--

1. दिनांक-12/04/2019 को सामग्री क्रय रु 30,000.00 का भुगतान।
2. दिनांक-12/04/2019 को सामग्री क्रय रु 36,500.00 का भुगतान।
3. दिनांक-12/04/2019 को सामग्री क्रय रु 13,450.00 का भुगतान।
4. दिनांक-02/05/2019 को सामग्री क्रय रु 45,000.00 का भुगतान।
5. दिनांक-02/05/2019 को सामग्री क्रय रु 1,03,000.00 का भुगतान।
6. दिनांक-02/05/2019 को सामग्री क्रय-रु85,000.00 का भुगतान।
7. दिनांक-02/05/2019 को-सामग्री क्रय रु 35,000.00 का भुगतान।
8. दिनांक-13/05/2019 को सामग्री क्रय रु 45,000.00 का भुगतान।
9. दिनांक-01/07/2019 को सामग्री क्रय रु 57,000.00 का भुगतान।
10. दिनांक-12/07/2019 को सामग्री क्रय रु 45,000.00 का भुगतान।
11. दिनांक-24/07/2019 को सामग्री क्रय रु 1,05,000.00 का भुगतान।
12. दिनांक-29/07/2019 को सामग्री क्रय रु 1,10,000.00 का भुगतान।
13. दिनांक-29/07/2019 को सामग्री क्रय रु 1,25,500.00 का भुगतान।

**कुलयोग- 8,35,450.00**

ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8-स एवं उत्तरप्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु. 8,35,450.00 की वसूली उतदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री शंभूनाथ पाठक एवं ग्राम प्रधान श्री लल्लन से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 245-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषवही से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान ईडपपरिवार एवं मस्मत पर निरर्थक व्यय रु.1,67,890.00 भुगतान किया गया है। जो बिना आवश्यकता के क्रय सामग्री की गयी है। लेखा परीक्षा में वाउचर अप्राप्त रहे। विवरण निम्न प्रकार है-

-

1. दिनांक 01/07/2019 को हैंडपंप मस्मत रु 56,000.00 का भुगतान।
2. दिनांक 02/07/2019 को हैंडपंप मस्मत रु 36,390.00 का भुगतान।
3. दिनांक 29/07/2019 को हैंडपंप रिवोर रु 85,500.00 का भुगतान

**योग: 1,67,890.00**

ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8-स एवं उत्तरप्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त व्यय की गई धनराशि **रु.1,67,890.00** की वसूली उत्तरवाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री शंभूनाथ पाठक एवं ग्राम प्रधान श्री लल्लन से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 246-** - लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषवही से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान ईट क्रय / इन्टरलॉकिंग / स्पन पाइप पर निरर्थक व्यय **रु.8,83,955.00** भुगतान किया गया है। जो बिना आवश्यकता के क्रय सामग्री की गयी है। लेखा परीक्षा में वाउचर प्राप्त रहे विवरण निम्न प्रकार है---

1. दिनांक 13/05/2019 को ईट क्रय रु 1,10,240.00 का भुगतान
2. दिनांक 29/08/2019 को ईट क्रय रु 88,192.00 का भुगतान।
- 3- दिनांक 29/08/2019 को ईट क्रय रु 62,544.00 का भुगतान।
4. दिनांक 29/08/2019 को ईट क्रय रु 33,270.00 का भुगतान।
5. दिनांक 24/07/2019 को इन्टरलाकिंग ईट रु 1,42,296.00 का भुगतान ।
6. दिनांक 24/07/2019 को इन्टरलाकिंग ईट रु 1,42,296.00 का भुगतान।
7. दिनांक 24/07/2019 को ईट क्रय रु 1,10,240.00 का भुगतान।
8. दिनांक 25/07/2019 को इन्टरलाकिंग ईट रु 49,000.00 का भुगतान।
9. दिनांक 26/01/2019 को स्पन पाइप रु 90,757.00 का भुगतान।
10. दिनांक 29/01/2019 को ईट रु 55,120.00 का भुगतान।

कुल राशि रु 8,83,955.00 ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक (मास्टररोल) नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8-स एवं उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु. 8,83,955.00 की वसूली उत्तरवाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री शंभूनाथ पाठक एवं ग्राम प्रधान श्री लल्लन से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 247-** - ऑडिट के दौरान निम्नलिखित वाउचर / मास्टररोल ग्राम पंचायत अधिकारि द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रकार है--

- 1- दिनांक 16/04/2019 को मजदूरी रु 28,000.00 का भुगतान।
2. दिनांक 16/04/2019 को मजदूरी रु 26,000.00 का भुगतान।
3. दिनांक 16/04/2019 को मजदूरी रु 15,050.00 का भुगतान।
4. दिनांक 26/04/2019 को ट्राली / मिट्टी रु 30,000.00 का भुगतान।
5. दिनांक 26/04/2019 को मजदूरी रु 40,250.00 का भुगतान
- 6-दिनांक 13/05/2019 को मजदूरी रु 20,350.00 का भुगतान
7. दिनांक 01/07/2019 को पैटर / रंगाई रु 47,250.00 का भुगतान।
8. दिनांक 01/07/2019 को पैट / रंगाई रु 25,48,000 का भुगतान।
9. दिनांक 03/07/2019 को ट्राली / मिट्टी रु 40,000.00 का भुगतान।
10. दिनांक 03/07/2019 को ट्राली / मिट्टी रु 40,000.00 का भुगतान।
11. दिनांक 02/07/2019 को तालाब भराई रु 45,000.00 का भुगतान
11. दिनांक 02/07/2019 को मजदूरी रु 23,882.00 का भुगतान।
12. दिनांक 29/07/2019 को मजदूरी रु 40,950.00 का भुगतान।

कुल राशि- **4,22,212.00**

ऑडिट के समय पश्चात के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई राशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक (मास्टर रोल्) नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय खंड एवं 8 क एवं 8 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि **रु.4,22,212.00** की वसूली उत्तरवाई व्यक्तियों समसचिव श्री शंभूनाथ पाठक एवं ग्राम प्रधान श्री लल्लन से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत मंझनपुर विकाख खण्ड अमानीगंज वर्ष-2019-20**

**प्रस्तर 248-** ऑडिट वर्ष में हैण्ड पम्प मरम्मत तालाब भराई के लिए व्यर्थ भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है जैसा कि नीचे दिया गया है--

1. दिनांक 25/07/2019 तालाब भराई के लिए रु 39,000.00 का भुगतान किया गया है।

2.दिनांक 01/08/2019 हैण्ड पम्प मरम्मत के लिए रु 26,540.00 का भुगतान किया गया है।

कुलराशि-रु 65,540.00

उपरोक्त प्रमाणक अप्राप्त और बेकार है। ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8-क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु. 65,540.00 की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियाँ ग्राम सचिव श्री कर्मराज एवं ग्राम प्रधान श्री अनुराग श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 249-** ऑडिट के दौरान निम्नलिखित वाउचर / मास्टर रोल ग्राम पंचायत अधिकारि द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

विवरण निम्न प्रकार है

1. दिनांक 10/06/2019 को मजदूरी रु 44,398.00 का भुगतान।
2. दिनांक 30/06/2019 को मजदूरी रु 10,000.00 का भुगतान।
- 3.दिनांक 01/07/2019 को मजदूरी रु 50,000.00 का भुगतान।
- 4.दिनांक19/12/2019 को मजदूरी रु 14,950.00 का भुगतान।
5. दिनांक18/01/2020 को मजदूरी रु 13,756.00 का भुगतान।
6. दिनांक18/01/2020 को मजदूरी रु 20,150.00 का भुगतान।
7. दिनांक22/01/2020 को मजदूरी रु 17,596.00 का भुगतान।

कुल राशि- रु1,70,950.00

ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक (मास्टररोल) नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखामैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7एवं 8 क एवं ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतःउक्त व्यय की गई धनराशि रु.1,70,950.00 की वसूली उत्तरवाई व्यक्तियाँ ग्राम सचिव श्री कर्मराज एवं ग्राम प्रधान श्री अनुराग श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 250-** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान बिल्डिंग मटेरियल एवं ईट क्रय पर निरर्थक व्यय रु.3,38,710.00 का भुगतान किया गया है। जो बिना आवश्यकता के क्रय सामग्री की गयी है।लेखा परीक्षा में वाउचर आप्राप्त रहे।

विवरण निम्न प्रकार है--

1. दिनांक 02/04/2019 को बिल्डिंग मटेरियल रु 66,078.00 का भुगतान किया गया है।
2. दिनांक 02/04/2019 को बिल्डिंग मटेरियल रु 41,558.00 का भुगतान किया गया है।
3. दिनांक 02/04/2019 कोई क्रय रु 19,285.00 का भुगतान किया गया है।
4. दिनांक 30/07/2019 को बिल्डिंग मटेरियल रु 45,713.00 का भुगतान किया गया है।
5. दिनांक 14/12/2019 कोई क्रय रु52,000.00 का भुगतान किया गया है।
- 6.दिनांक 20/01/2020 को बिल्डिंग मटेरियल रु 62,676.00 का भुगतान किया गया है।
7. दिनांक 22/01/2020 को बिल्डिंग मटेरियल रु 51,400.00 का भुगतान किया गया है।

कुलराशि-- रु3,38,710.00

ऑडिट के समथ पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नही प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 एवं 8क एवं 8-ख एव उत्तर प्रदेश पंचायत राजनियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है अतःउक्त व्यय की गई धनराशि रु.3,38,710.00 की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियाँ ग्राम सचिव श्री कर्मराज एवं ग्राम प्रधान श्री अनुराग श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 251-**ऑडिट वर्ष मे आर. सी. सी. बैंच, स्पन पाइप के लिए व्यर्थ भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है।

जैसा कि नीचे दिया गया है--

1. दिनांक01/07/2019 आर. सी. सी बैंच के लिए रु 93,500.00 किया गया है।

2. दिनांक 01/07/2019 आर. सी. सी बैच के लिए रु 93,500.00 किया गया है।
3. दिनांक 06/12/2019 आर.सी.सी बैच के लिए रु 56,000.00 किया गया है।
4. दिनांक 06/12/2019 इस्ट बिन के लिए रु 94,400.00 किया गया है।
5. दिनांक 09/12/2019 आर.सी. सी बैच के लिए रु 56,000.00 किया गया है।
7. दिनांक 09/12/2019 आर.सी. सी बैच के लिए रु 56,000.00 किया गया है।
7. दिनांक 09/12/2019 ट्रेस बॉक्स के लिए रु 94,400.00 किया गया है।
8. दिनांक 30/08/2019 स्पन पाइप के लिए रु 89,694.00 किया गया है।

कुल राशि-- रु. **6,33,494.00**

उपरोक्त प्रमाणक आमाप्त और बेकार है। उपरोक्त वाउचर भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राजनियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु **6,33,494.00** की वसूली उत्तर दाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री कर्मराज एवं ग्राम प्रधान श्री अनुराग श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 252-** मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय एवं व्यय विवरण यथा कैस बुक देय बुक प्राप्ति एवं भातान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांचन हीं की जासकी। शासन के आदेश फांक- 269/ सम्पेरक्षा 09-09 /दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश बुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये हैं। ऑडिट वर्ष में अकुशल मजदूरों/ अर्धकुशल कुशल मजदूरों का मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय प्रदर्शन का विवरण निम्न प्रकार है।

1. अकुशल मजदूरों को भुगतान रु. **9,67,000.00**

ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक (मास्टररोल) नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राजनियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु **9,67,000.00** की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री कर्मराज एवं ग्राम प्रधान श्री अनुराग श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 253--** मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय एवं व्यय विवरण यथा कैस बुक देय बुक प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांचन हीं की जा सकी। शासन के आदेश फांक- 269/ सम्पेरक्षा 09-09 /दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा के शबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये हैं। ऑडिट वर्ष में सामग्री क्रय किए गए भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय प्रदर्शन का विवरण निम्न प्रकार है--

1. सामग्री क्रय पर भुगतान रु **1,21,000.00**

ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं 8क एवं 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राजनियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त व्यय की गई धनराशि रु **1,21,000.00** की वसूली उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री कर्मराज एवं ग्राम प्रधान श्री अनुराग श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **66-ग्राम पंचायत- दत्तौली विकास खण्ड पूराबाजार वर्ष\*2019-20**

**प्रस्तर 254** -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैश बुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर मरम्मत पर रु/0 156260.00 व्यय दर्शित किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

विवरण	धनराशि रु0	अन्य
18-02-2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	28360.00
18-02-2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	35045.00
17-01-2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	28325.00

17-01-2020	हैण्डपम्प मरम्त हेतु भुगतान	26030.00	
26-03-2020	हैण्डपम्प मरम्त हेतु भुगतान	38500.00	
	योग-	156260.00	

उक्त के सम्बन्ध में निम्नआपतियां पाई गई:-

1. हैण्डपम्प मरम्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. वेंडर फर्म/हैण्डपम्प मरम्त का कार्य करतेहैं अथवा ंहीं इसकी भी जानकारी विवरण एवं प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
3. एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्त कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

व्यय पत्रावलीव्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के ( अन्तर्गत गबन माना गयाहै। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।अतः रू 0 156260.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नान्हू तथा पंचायत सचिव श्री नीरज सिंह से बराबर बराबर भाग मे किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर255-** -मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षन्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रू0 469000.00 व्यय किया गया दर्शित किया गया है। उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली/लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक -04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षाक्षे/०५०ऑडिट-दिनांक/05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक,डेबुक व आय-ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गयावहै। अंतः उक्त अभिलेखों एवं प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नान्हू तथा पंचायत सचिव श्री नीरज सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 256** -लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-14.02.2019 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रू.17318.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नान्हू तथा पंचायत सचिव श्री नीरज सिंह से बराबर बराबर भाग मे किया जाना अपेक्षित है।

#### 67-ग्राम पंचायत- मूडाडीहा विकास खण्ड पूराबाजार वर्ष\*2019-20

**प्रस्तर 257** -ग्राम पंचायत मूडाडीहा की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में विभिन्न स्थानों पर आर0सी0सी0 कूड़ादान लगाने हेतु दिनांक 02.12.2019 में रू0 83784.00 का भुगतान दर्शित किया गया है। जिसकी कार्य पत्रावली जांच में निम्न अनियमितताएं पाई गई:-

- 01- इस्टीमेट के सभी पृष्ठों पर गाम पंचायत का नाम अंकित किए जाने के स्थान पर कहीं भी नाम अंकित नहीं किया गया है। इस्टीमेट के अंत में कार्य स्थल/लगवाने के स्थल भी अंकित नहीं किए गए हैं। इस्टीमेट के किसी भी पृष्ठ पर प्रधान से हस्ताक्षर नहीं पाए गए। कार्य की फोटो भी संलग्न नहीं पाई गई। अतः आर0सी0सी0 कूड़ादान कहां लगवाए गए इसकी सूची का संलग्न न होना सूचना छिपाना एवं नियमों के विपरीत स्टीमेट बनाया जाना है।
- 02- आर0सी0सी0 कूड़ादान निर्माण हेतु केवल मटेरियल खरीद रू0 83784.00 का किया गया है जबकि मजदूरी की एम0बी0 रू0 24779.00 के विरुद्ध कोई भुगतान कैशबुक में दर्शित नहीं है, आडिट में मस्टररोल भी जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।
- 03- मटेरियल खरीद शिवांश इण्टरपाइजेज से किया गया है जिसके बिल पर न तो बिल नम्बर अंकित है और न ही तिथि अंकित है परंतु एम0बी0 कर दी गई है। बिल का विवरण भी अंकित नहीं किया गया है।
- 04- इस्टीमेट में स्लोगन का पाविधान न होने के बावजूद रू0 5000.00 की एम0बी0 जे0ई0 द्वारा की गई है।
- 05- निर्माण कार्य में 'समय' एक महत्वपूर्ण तत्व है। परंतु एम0बी0 में कार्य के आरम्भ, समाप्ति एवं मापी आदि किसी भी तिथि का अंकन नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि जे0ई0 द्वारा जानबूझकर सूचनाएं छिपाई गई हैं।

अतः उक्त व्यय का बिल विहित वित्तीय नियमों के विपरीत एवं अमान्य है तथा मजदूरी की पुष्टि में मस्टररोल उपलब्ध नहीं रहा। नियम विरुद्ध व्यय बिल एवं व्यय प्रमाणक विहीन व्यय क्रमशः ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एव 8 (ख) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न

किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹0 83784.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तेज बहादुर एवं ग्राम सचिव अनिल सिंह तथा जे०ई० आर०ई०डी० आर०के० विश्वकर्मा से बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर 258**--ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में विभिन्न स्थानों पर आर०सी०सी० बेंच लगाने हेतु दिनांक 02.12.2019 में ₹0 192000.00 का भुगतान दर्शित किया गया है। जिसकी कार्य पत्रावली जांच में निम्न अनियमितताएं पाई गईं:-

- 01- इस्टीमेट के पतिवेदन में बेंच के लगवाए जाने का विवरण अंकित किया गया है। जबकि इस्टीमेट कूड़दान का बनाया गया है। इस्टीमेय के सभी पृष्ठों पर गाम पंचायत का नाम अंकित किए जाने के स्थान पर कहीं भी नाम अंकित नहीं किया गया है। इस्टीमेट के अंत में कार्य स्थल/लगवाने के स्थल भी अंकित नहीं किए गए हैं। इस्टीमेट के किसी भी पृष्ठ पर पधान से हस्तार नहीं पाए गए। कार्य की फोटो भी संलग्न नहीं पाई गई। अतः आर०सी०सी० बेंच कहां लगवाए गए इसकी सूची का संलग्न न होना सूचना छिपाना एवं नियमों के विपरीत स्टीमेट बनाया जाना है।
- 02- शिवांश इण्टरपाजेज के खरीद बिल, इस्टीमेट एवं एम०बी० पर पहले से अंकित किसी और गाम पंचायत के नाम को काटकर मूडाडीहा किया गया है। स्पष्ट है कि उक्त तीनों पमाणक कूट रचित लगाए गए हैं।
- 03- निर्माण/स्थापना कार्य में नियमों के अंतर्गत 'समय' एक महत्वपूर्ण तत्व है। परंतु एम०बी० में कार्य के आरम्भ, समाप्ति एवं मापी आदि किसी भी तिथि का अंकन नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि जे०ई० द्वारा जानबूझकर सूचनाएं छिपाई गई हैं।
- 04- बेंच खरीद शिवांश इण्टरपाजेज से किया गया है जिसके बिल पेन से बिल नम्बर अंकित है जबकि नियमों में मशीनी अंकन का विधान किया गया है। इसके बावजूद भी एम०बी० कर दी गई है जिसका विवरण बिल पर भी अंकित नहीं किया गया है।

अतः उक्त व्यय का बिल विहित वित्तीय नियमों के विपरीत है। नियम विरुद्ध एवं अमान्य व्यय वाउचर/बिल ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (ख) के अन्तर्गत वसूली योग्य माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी से की गई है। ₹0 192000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तेज बहादुर एवं ग्राम सचिव अनिल सिंह तथा जे०ई० आर०ई०डी० आर०के० विश्वकर्मा से बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर 259**--ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में दिनांक 19.03.2020 में ₹0 77300.00, ₹0 17488.00 एवं ₹0 72793.00 अर्थात् कुल ₹0 167581.00 का मटेरियल तथा दिनांक 19.03.2020 में ₹0 69798.00 की मजदूरी कुल ₹0 237379.00 पंचायत भवन मरम्मत पर व्यय एवं भुगतान दर्शित किया गया है। जिसकी कार्य पत्रावली जांच में निम्न अनियमितताएं/कमियां पाई गईं:-

01-एम०बी० के मुख पृष्ठ पर माप पुस्तिका संख्या अंकित नहीं है। एम०बी० न तो पृष्ठांकित है और न ही इसके पृष्ठों की संख्या ही पमाणित की गई है। सफेदा लगाकर कार्य का नाम अंकित किया गया है जो पूरी तरह स्पष्ट भी नहीं हो रहा है। राजकीय कोष के भुगतान में इस तरह के पमाणकों के आधार पर भुगतान किया जाना नियम विरुद्ध है।

02-शिवांश इण्टरपाजेज के बिल के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक ही तिथि के तीन बिल संख्या 128, 129 तथा 130 के बिल नम्बर कलम से अंकित है जबकि बिल नं० 36 पर बिल नम्बर का मशीनी छाप अंकित है। स्पष्ट है कि गाम पंचायत द्वारा एक ही फर्म से दो तरह के बिल लेकर भुगतान किया जा रहा है, जो भारी अनियमितता है।

03- बिल नं० 36 कार्य समाप्ति के पश्चात दिनांक 02.06.2020 को काटा एवं पास किया गया है ऐसी स्थिति में इस बिल के मटेरियल का उपयोग कार्य पर कैसे संभव रहा। परंतु जे०ई० द्वारा एम०बी० कर दी गई जिसके आधार पर भुगतान भी कर दिया गया है। स्पष्ट है कि नियम विरुद्ध बिल के आधार पर भुगतान किया गया है।

04-निर्माण कार्य में 'समय' एक महत्वपूर्ण तत्व है। परंतु एम०बी० में कार्य के आरम्भ, समाप्ति एवं मापी आदि किसी भी तिथि का अंकन नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि जे०ई० द्वारा जानबूझकर सूचनाएं छिपाई गई हैं।

05-कार्य के मस्टररोल की जांच में पाया गया कि कार्य कराये जाने की इस पर कार्याविधि ही अंकित नहीं की गई है, परंतु जे०ई० द्वारा एम०बी० कर दी गई जिसके आधार पर भुगतान भी कर दिया गया है।

06-कार्य के मस्टररोल पर किसी भी अधिकारी/सेवक के हस्तार नहीं थे और मजदूरों के हस्तार भी पास नहीं रहे, परंतु जे०ई० द्वारा एम०बी० कर दी गई जिसके आधार पर भुगतान भी कर दिया गया है।

07-एम0बी0 की जांच में पाया गया कि एम0बी0 में इस्टीमेट की हूबहू नकल उतारी गई है क्योंकि इस्टीमेट की मापी एवं कार्य स्थल की वास्तविक मापी का अंतर कुछ भी हो सकता है परंतु होता है. स्पष्ट है कि कार्य की स्पॉट मापी किए बिना ही भुगतान किया गया है।

अतः उक्त व्यय का बिल विहित वित्तीय नियमों के विपरीत है। नियम विरुद्ध एवं अमान्य वाउचर/बिल ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (ख) के अन्तर्गत वसूली योग्य माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी से की गई है। रू0 237379.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तेज बहादुर एवं ग्राम सचिव अनिल सिंह तथा जे0ई0 आर0ई0डी0 आर0के0 विश्वकर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 260**--ग्राम पंचायत मूडाडीहा की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में दिनांक 23.12.2020 को रू0 17500.00 का विवरणहीन व्यय तथा दिनांक 19.03.2020 में रू0 5000.00 कार्य योजना/पियासाफ्ट फिडिंग व्यय हेतु कुल रू0 22500.00 का भुगतान दर्शित किया गया है। इन व्ययों की पुष्टि में वाउचर/व्यय पमाणक उपलब्ध नहीं कराए गए अतः व्यय की पुष्टि नहीं जा सकती। वाउचर/व्यय पमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अन्तर्गत वसूली योग्य माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी से की गई है। रू0 22500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तेज बहादुर एवं ग्राम सचिव अनिल सिंह से बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर 261**- आडिट में पाया गया कि अभिलेखीय रख-रखाव एवं उनमें किये जा रहे अंकों की स्थिति के सम्बन्ध में गाम पंचायत के सचिव, जे0ई0 आर0ई0डी0 द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है. राजकीय व्यवस्था में जिस अभिलेखीय स्पष्टता, पारदर्शिता एवं शुचिता की अपेक्षा राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों से की गई है उसका अनुपालन नहीं किया गया है। विभागीय एवं पर्यवेणीय अधिकारियों की गंभीरता भी अभिलेखीय रख-रखाव के सम्बन्ध में उदासीनतापूर्ण है क्योंकि किसी भी सबम अधिकारी यथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत, जिला पंचायत राज अधिकारी अथवा उप निदेशक पंचायत राज द्वारा अभिलेखों/कैशबुक का कभी भी निरीक्षण नहीं किया गया है। जिसके कारण अभिलेखों का रख-रखाव एवं अंकों की स्थिति भी अस्त-व्यस्त है। जे0ई0 आर0ई0डी0 द्वारा भी महत्वपूर्ण सूचनाओं/ कमियों/रख-रखाव पर बिना ध्यान दिए एम0बी0 की जा रही है जो उनके राजकीय दायित्व के विपरीत है तथा आडिट कार्य को भी प्रभावित करती है। इस सम्बन्ध में समुचित कदम उठाए जाने हेतु सभम विभागीय पर्यवेणीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है. उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### 68-ग्राम पंचायत- सनेथू विकास खण्ड पूराबाजार वर्ष\*2019-20

**प्रस्तर 262**- ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि रू0	अन्य
01	26.04.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	32390.00	
02	26.04.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	56985.00	
03	29.04.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु बालगोविन्द वर्मा को भुगतान	9950.00	
04	17.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	83980.00	
05	08.12.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	27530.00	
06	08.12.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	141650.00	
07	21.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	28360.00	
08	21.01.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	27530.00	
09	21.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	28645.00	
10	21.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	28575.00	
11	21.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	27710.00	
12	21.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	28360.00	
13	03.03.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु शिवांश इण्टरप्राइजेज को भुगतान	27866.00	
14	03.03.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु शिवांश इण्टरप्राइजेज को भुगतान	27866.00	
15	03.03.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु शिवांश इण्टरप्राइजेज को भुगतान	27866.00	
16	03.03.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु शिवांश इण्टरप्राइजेज को भुगतान	27866.00	

		<b>योग-</b>	<b>633129.00</b>	
--	--	-------------	------------------	--

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- क्रमांक 02, 04, 06, पर अंकित रिबोर की धनराशि नये हैण्डपम्प स्थापना से भी अधिक है। व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में अधिक भुगतान की जांच नहीं का जा सकी। पत्रावली के अभाव में उक्त रिबोर एवं मरम्मत की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, उक्त रिबोर/मरम्मत हेतु मांग-पत्र एवं तकनीकी रिपोर्ट, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।
- 03-कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित तीन स्टेप के फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 04-उक्त विवरण के क्रमांक 03 पर हैण्डपम्प मरम्मत हेतु बालगोविन्द वर्मा को नियम विरुद्ध व्यक्तिगत भुगतान किया गया है।
- 05- माह 26 अप्रैल 2019 में एक साथ 03, 08 दिसम्बर 2019 में एक साथ 02, 21 जनवरी 2020 में एक साथ 06 तथा 03 मार्च 2020 में एक साथ 04 हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर भुगतान का कोई औचित्य नहीं पाया गया। माह जुलाई 2019 में मात्र एक रिबोर का भुगतान किया गया है जबकि सबसे अधिक आवश्यकता इसी माह माह में होती है।
- 06- उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी व्यय वाउचर के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी भी नहीं हो सकी।
- 07- प्रत्येक रिबोर/मरम्मत को एक इकाई कार्य मानकर सभी की अलग-अलग आइ0डी0 जनरेट कर शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के अनुसूचक कार्य कराया गया है कि नहीं इसकी जांच कार्य पत्रावली के अभाव में नहीं की जा सकी।
- 08- रिबोर/मरम्मत के पश्चात प्राप्त हैण्डपम्प के अवशेष पार्य के निस्तारण के सम्बन्ध में भी कोई जांच पत्रावली के अभाव में नहीं की जा सकी।

व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित था। जो प्रस्तुत नहीं रहा अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय मानते हुए आपत्ति में अंकित कुल धनराशि रु0 633129.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती सरोज एवं ग्राम सचिव श्री अनिल कुमार सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 263-** ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु आरसीसी बैंच/कुड़ादान आदि क्रय पर तथा कुछ बिना मद दर्शित किए फर्मों को भुगतान कर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
01	06.07.2019	शिवांश इण्टरप्राइजेज को ग्राम पंचायत में आर.सी.सी. बैंच स्थापना हेतु भुगतान।	84000.00	
02	05.08.2019	शिवांश इण्टरप्राइजेज को ग्राम पंचायत में आर.सी.सी. बैंच स्थापना हेतु भुगतान।	168000.00	
03	08.12.2019	शिवांश इण्टरप्राइजेज को भुगतान	176000.00	
04	08.12.2019	शिवांश इण्टरप्राइजेज को भुगतान	160000.00	
05	08.12.2019	शिवांश इण्टरप्राइजेज को भुगतान	160000.00	
06	21.01.2020	शिवांश इण्टरप्राइजेज को भुगतान	170113.00	
07	21.01.2020	शिवांश इण्टरप्राइजेज को भुगतान	130921.00	
08	21.01.2020	शिवांश इण्टरप्राइजेज को भुगतान	173411.00	
09	05.02.2020	शिवांश इण्टरप्राइजेज को ग्राम पंचायत में आर.सी.सी. कुड़ादान स्थापना हेतु भुगतान।	136928.00	
10	05.02.2020	शिवांश इण्टरप्राइजेज को ग्राम पंचायत में आर.सी.सी. कुड़ादान स्थापना हेतु भुगतान।	128370.00	

11	05.02.2020	शिवांश इण्टरप्राइजेज को ग्राम पंचायत में आर.सी.सी. कुड़ादान स्थापना हेतु भुगतान।	128370.00	
12	03.03.2020	शिवांश इण्टरप्राइजेज को भुगतान	93962.00	
		योग-	<b>1710075.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- उक्त वेंडर/फर्म के बिल अप्राप्त रहने के कारण आपूर्ति की गई सेवा अथवा सामग्री का ज्ञान नहीं हो सका। प्रमाणकों के अभाव में इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 03- कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 04- पत्रावली के अभाव में उक्त क्रय एवं स्थापना के सम्बन्ध में कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, बिल, मस्टररोल, पूर्व में इस प्रकार की स्थापनाओं की सूचना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।
- 05- एक ही फर्म से बिल रहित क्रय एवं भुगतान किये जाने के कारण व्यय संदिग्ध एवं मिलीभगत का परिणाम प्रतीत होती है।
- 06- कुल व्यय ₹0 3691060.00 में ₹0 1710075.00 लगभग **47 प्रतिशत** मात्र आर.सी.सी. बेंच/आर.सी.सी. कुड़ादान स्थापना पर एक ही फर्म को बिना टेण्डर प्रक्रिया के भुगतान करना भारी गड़बड़ी एवं गबन किये जाने को प्रमाणित करता है। इसमें विभागीय उच्चाधिकारियों का भूमिका की भी जांच अपेक्षित है।

07-

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में एवं अन्य आपत्तियों के संदर्भ में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित था। जो नहीं किया गया अतः ₹0 **1710075.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती सरोज एवं ग्राम सचिव श्री अनिल कुमार सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 264-**ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक वर्ष 2019-20 की जांच में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर दिवाल/आवास लेखन कार्य पर महेश आर्ट को भुगतान किया गया दर्शित है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि ₹0
12.04.2019	महेश आर्ट को दिवाल लेखन का भुगतान	16000.00
20.04.2019	महेश आर्ट को दिवाल लेखन का भुगतान	16000.00
20.07.2019	महेश आर्ट को आवास लेखन का भुगतान	12000.00
	योग-	<b>44000.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- कैशबुक में लेखन के स्थान आदि का कोई विवरण अंकित नहीं पाया गया कि किन-किन सार्वजनिक स्थानों एवं भवनों पर लेखन कार्य कराया गया है और न ही कोई सूची प्रस्तुत की गई अतः उक्त कार्य एवं व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 03- उक्त फर्म के बिल एवं एम0बी0 के अभाव में कराये गये दिवाल लेखन का क्षेत्रफल, दर एवं अन्य जानकारी के अभाव में जांच नहीं की जा सकी।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त ₹0 44000.00 की

ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर 265** मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 1621000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 1621000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित था। जो नहीं प्रस्तुत रहा अतः इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी, श्री अनिल कुमार सिंह रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज से बराबर बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

#### 69 -ग्राम पंचायत- अंकारीपुर ,विकास खण्ड पूराबाजार वर्ष 2019-20

**प्रस्तर 266** -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
01	08.04.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	31464.00	
02	26.04.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	18500.00	
03	29.06.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	4500.00	
04	01.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	14500.00	
05	25.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	9100.00	
06	04.12.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	19625.00	
07	04.12.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	19235.00	
08	05.12.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	19235.00	
09	18.02.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	19179.00	
		<b>योग-</b>	<b>155338.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में अधिक भुगतान की जांच नहीं का जा सकी। पत्रावली के अभाव में उक्त रिबोर एवं मरम्मत की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, उक्त रिबोर/मरम्मत हेतु मांग-पत्र एवं तकनीकी रिपोर्ट, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।
- 03- कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 04- किस फर्म अथवा ठेकेदार/मिस्त्री से हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य कराया गया तथा भुगतान किया गया इसका विवरण केशबुक में प्राप्त नहीं रहा। व्यय वाउचर के अभाव में भी इसका जानकारी नहीं की जा सकी।
- 05- प्रत्येक रिबोर/मरम्मत को एक इकाई कार्य मानकर सभी की अलग-अलग आइ0डी0 जनरेट कर शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के अनुसाक कार्य कराया गया है कि नहीं इसकी जांच कार्य पत्रावली के अभाव में नहीं की जा सकी।
- 06- रिबोर/मरम्मत के पश्चात प्राप्त हैण्डपम्प के अवशेष पार्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में भी कोई जांच पत्रावली के अभाव में नहीं की जा सकी।

व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के साथ-साथ आपत्ति में अंकित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित था। जो नहीं किया गया अतः व्यय

वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय मानते हुए आपत्ति नें अंकित कुल धनराशि रु0 155338.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती यसोदा देवी एवं ग्राम सचिव श्री विजय गुप्ता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 267** -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु आरसीसी बेंच/कुड़दान आदि क्रय पर तथा कुछ बिना मद दर्शित किए फर्मों को भुगतान कर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	दिनांक	कैशबुक में अंकित विवरण	धनराशि रु0	अन्य
01	18.12.2019	आर.सी.सी. बेंच सप्लाई हेतु न्यू कैपिटल को भुगतान।	96000.00	
02	18.12.2019	आर.सी.सी. बेंच सप्लाई हेतु भुगतान।	96000.00	
03	27.12.2019	आर.सी.सी. इस्टबिन हेतु भुगतान।	90440.00	
04	27.12.2019	आर.सी.सी. इस्टबिन हेतु भुगतान।	90440.00	
05	02.01.2020	आर.सी.सी. बेंच सप्लाई हेतु भुगतान।	192000.00	
		योग-	<b>564880.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- उक्त वेंडर/फर्म के बिल अप्राप्त रहने के कारण इनके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवा अथवा सामग्री का ज्ञान नहीं हो सका। प्रमाणकों के अभाव में इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 03- कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 04- पत्रावली के अभाव में उक्त क्रय एवं स्थापना के सम्बन्ध में कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, बिल, मस्टररोल, पूर्व में इस प्रकार की स्थापनाओं की सूचना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।
- 05- कैशबुक में फर्म का नाम का उल्लेख नहीं किया गया, बिल रहित क्रय एवं भुगतान किये जाने के कारण व्यय संदिग्ध एवं मिलीभगत का परिणाम प्रतीत होती है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में एवं अन्य आपत्तियों के संदर्भ में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित था। जो नहीं किया गया अतः रु0 564880.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती यसोदा देवी एवं ग्राम सचिव श्री विजय गुप्ता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 268-** ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु वाउचर विहीन एवं विवरणहीन हयूम पाइप क्रय पर भुगतान दर्शित किया गया है:-

दिनांक	कैशबुक में विवरण	धनराशि रु0
14.02.2020	हयूम पाइप क्रय	92500.00
2.03.2020	विभिन्न स्थानों हेतु हयूम पाइप क्रय	40100.00
17.03.2020	हयूम पाइप क्रय	92400.00
	योग-	<b>225000.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-उक्त क्रय किस वेंडर/फर्म से किया गया है इसका अंकन कैशबुक में नहीं किया गया था। प्रमाणकों के अभाव के कारण भी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना के कार्य पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

04-कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में एवं आपत्ति में अंकित अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित था। जो नहीं किया गया अतः उक्त धनराशि रू0 225000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती यसोदा देवी एवं ग्राम सचिव श्री विजय गुप्ता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 269** -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में प्रशासनिक व्यय एवं अन्य व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रू0
29.06.2019	प्रशासनिक व्यय	1708.00
29.06.2019	प्रशासनिक व्यय	13500.00
29.07.2019	प्रशासनिक व्यय	20120.00
03.08.2019	प्रशासनिक व्यय	8000.00
17.12.2019	प्रिंटिंग, टाइपिंग एवं फोटो पर भुगतान	16912.00
17.12.2019	प्रिंटिंग, टाइपिंग एवं फोटो पर भुगतान	21667.00
02.03.2020	इंटरनेट एवं आफिस वर्क हेतु भुगतान	14500.00
	योग-	96407.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-प्रशासनिक व्यय का पूर्ण विवरण कैशबुक में अंकित न किए जाने एवं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी कि किया गया भुगतान सही फर्म को है एवं ग्राम पंचायत के हित में है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः उक्त धनराशि रू0 96407.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती यसोदा देवी एवं ग्राम सचिव श्री विजय गुप्ता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 270** -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रू0
29.07.2019	स्ट्रीट लाइट हेतु भुगतान	85000.00
29.07.2019	स्ट्रीट लाइट हेतु भुगतान	85000.00
		170000.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-वेंडर/फर्म का नाम कैशबुक में अंकित न किए जाने एवं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी कि भुगतान किससे किया गया है।

3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्मत मरम्मत की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। प्रमाणकों के अभाव में इसका जानकारी नहीं हो पाई। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं नियमों के विपरीत पाया गया।

4-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5-ग्राम पंचायत में उक्त भुगतान एक साथ बिना किसी उचित कारण एवं अभिलेख के किए गए हैं कि इनकी स्थापना कब तथा मरम्मत कितनी बार पूर्व में कराई जा चुकी है, का कोई विवरण आडिट में उपलब्ध नहीं कराया जा सका जो भारी अनियमितता को दर्शाता है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः उक्त धनराशि ₹0 170000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती यसोदा देवी एवं ग्राम सचिव श्री विजय गुप्ता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 271-** -मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल ₹0 1309000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प० ऑडिट /दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय ₹. 1309000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती यसोदा देवी एवं ग्राम सचिव श्री विजय गुप्ता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### 70 -ग्राम पंचायत- कादीपुर विकास खण्ड पूराबाजार वर्ष 2019-20

**प्रस्तर 272** -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि ₹0
02.04.2019	तकनीकी प्रशासनिक व्यय	19000.00
15.07.2019	चुनाव व्यवस्था पर व्यय	10000.00
15.07.2019	तसला, फावड़ा आदि पर व्यय	12000.00
27.02.2020	जियालाल को आवास लेखन का भुगतान	19640.00
27.02.2020	जियालाल को कार्य योजना लेखन का भुगतान	19480.00
	योग-	80120.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- प्रशासनिक व्यय का पूर्ण विवरण केशबुक में अंकित न किए जाने एवं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी कि किया गया भुगतान सही फर्म को है एवं ग्राम पंचायत के हित में है।
- 03- सभी मदों पर किया गया भुगतान अधिक एवं नियम विरुद्ध है क्योंकि किसी भी व्यय के सापेक्ष उचित विवरण एवं वाउचर प्रस्तुत न कर अधिक अनियमित भुगतान को छिपाने का प्रयास किया गया है।
- 04- लेखन के स्थानों/भवनों एवं दरों आदि का विवरण न दिया जाना भारी गड़बड़ी की ओर संकेत करता है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। उक्त धनराशि ₹0 80120.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती उर्मिला सिंह पटेल एवं ग्राम सचिव श्रीमती निशा श्रीवास्तव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 273** -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि ₹0	अन्य
01	04.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु बालगोविन्द वर्मा को भुगतान	24500.00	

02	04.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु बालगोविन्द वर्मा को भुगतान	28300.00	
03	15.02.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	28070.00	
04	15.02.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	26740.00	
05	15.02.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	28645.00	
		<b>योग-</b>	<b>136255.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- पत्रावली के अभाव में उक्त रिबोर एवं मरम्मत की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, उक्त रिबोर/मरम्मत हेतु मांग-पत्र एवं तकनीकी रिपोर्ट, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।
- 03- कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 04- विवरण में दर्शित हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु बालगोविन्द वर्मा को नियम विरुद्ध व्यक्तिगत भुगतान किया गया है।
- 05- व्यय वाउचर के अभाव में इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी भी नहीं हो सकी।
- 06- प्रत्येक रिबोर/मरम्मत को एक इकाई कार्य मानकर सभी की अलग-अलग आइ0डी0 जनरेट कर शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के अनुसूचक कार्य कराया गया है कि नहीं इसकी जांच कार्य पत्रावली के अभाव में नहीं की जा सकी।
- 07- रिबोर/मरम्मत के पश्चात प्राप्त हैण्डपम्प के अवशेष पार्य के निस्तारण के सम्बन्ध में भी कोई जांच पत्रावली के अभाव में नहीं की जा सकी।

व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय मानते हुए आपति नें अंकित कुल धनराशि रु0 136255.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती उर्मिला सिंह पटेल एवं ग्राम सचिव श्रीमती निशा श्रीवास्तव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 274-** -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में दिनांक 27.02.2020 में रु0 130578.00 काशी राम टू अचयलाल इण्टरलांकि कार्य पर व्यय दर्शित करते हुए भुगतान किया गया है जबकि इससे सम्बन्धित कोई वाउचर/व्यय पत्रावली जांच हेतु आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई।

व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय मानते हुए आपति नें अंकित कुल धनराशि रु0 130578.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर 275** -मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 960000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 960000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती उर्मिला सिंह पटेल एवं ग्राम सचिव श्रीमती निशा श्रीवास्तव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**71 -ग्राम पंचायत- हँसा विकास खण्ड पूराबाजार वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर 276** ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर दिवाल/आवास लेखन कार्य पर भुगतान किया गया दर्शित है। जिसका विवरण प्रकार है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
12.04.2019	जियालाल को दिवाल लेखन का भुगतान	19040.00
30.07.2019	जियालाल को दिवाल लेखन का भुगतान	15840.00
19.01.2020	जियालाल को दिवाल लेखन का भुगतान	11780.00
	योग-	<b>46660.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-01-

- 01- उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- कैशबुक में लेखन के स्थान आदि का कोई विवरण अंकित नहीं पाया गया कि किन-किन सार्वजनिक स्थानों एवं भवनों पर लेखन कार्य कराया गया है और न ही कोई सूची प्रस्तुत की गई अतः उक्त कार्य एवं व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 03- उक्त फर्म के बिल एवं एम0बी0 के अभाव में कराये गये दीवाल लेखन का क्षेत्रफल, दर एवं अन्य जानकारी के अभाव में उक्त की जांच नहीं की जा सकी।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। उक्त रु0 46660.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती कमला एवं ग्राम सचिव हौसिला प्रसाद से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 277-** ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में दिनांक 24.07.2019 में रु0 40000.00 एवं रु0 49950.00 प्रा0वि0 हँसा में मरम्मत एवं पेंटिंग कार्य पर व्यय दर्शित करते हुए कुल रु0 89950.00 भुगतान किया गया है जबकि इससे सम्बन्धित कोई वाउचर/व्यय पत्रावली जांच हेतु आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई।

व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय मानते हुए आपत्ति नें अंकित कुल धनराशि रु0 89950.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती कमला एवं ग्राम सचिव हौसिला प्रसाद से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 278** ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में तमसा नदी सफाई पर निम्न प्रकार वाउचर विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर भुगतान किया गया है:-

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
01	07.02.2020	दिव्यांश ट्रेडर्स को नदी सफाई हेतु भुगतान	48568.00	
02	07.02.2020	दिव्यांश ट्रेडर्स को नदी सफाई हेतु भुगतान	48568.00	
03	07.02.2020	दिव्यांश ट्रेडर्स को नदी सफाई हेतु भुगतान	48568.00	
04	14.02.2019	मां कांस्ट्रक्शन को नदी सफाई हेतु भुगतान	49295.00	
05	14.02.2019	मां कांस्ट्रक्शन को नदी सफाई हेतु भुगतान	49295.00	
06	14.02.2019	मां कांस्ट्रक्शन को नदी सफाई हेतु भुगतान	48443.00	
07	14.02.2019	मां कांस्ट्रक्शन को नदी सफाई हेतु भुगतान	48031.00	
08	14.02.2019	मां कांस्ट्रक्शन को नदी सफाई हेतु भुगतान	48031.00	
09	14.02.2019	मां कांस्ट्रक्शन को नदी सफाई हेतु भुगतान	48031.00	
10	14.02.2019	मां कांस्ट्रक्शन को नदी सफाई हेतु भुगतान	48443.00	
11	14.02.2019	मां कांस्ट्रक्शन को नदी सफाई हेतु भुगतान	49295.00	
12	14.02.2019	मां कांस्ट्रक्शन को नदी सफाई हेतु भुगतान	48031.00	
13	14.02.2019	मां कांस्ट्रक्शन को नदी सफाई हेतु भुगतान	49295.00	
14	14.02.2019	मां कांस्ट्रक्शन को नदी सफाई हेतु भुगतान	48443.00	
15	14.02.2019	मां कांस्ट्रक्शन को नदी सफाई हेतु भुगतान	48443.00	

	योग-	728480.00	
--	------	-----------	--

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-01-

- 01- उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- उक्त वेंडर/फर्म के बिल अप्राप्त रहने के कारण आपूर्ति की गई सेवा अथवा सामग्री का जान नहीं हो सका। प्रमाणकों के अभाव में इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 03- कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित तीन स्टेप के फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 04- पत्रावली के अभाव में उक्त कार्य की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, बिल, मस्टररोल, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0, मस्टररोल एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।
- 05- उक्त कार्य देवांश ट्रेडर्स एवं मां कांस्ट्रक्शन दो फर्म से कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में टेण्डर प्रक्रिया एवं मशीन से कार्य कराए जाने से सम्बन्धित आदेश/प्रमाणक/व्यय पत्रावली न प्रस्तुत किए जाने के कारण व्यय संदिग्ध एवं नियम विरुद्ध है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः रू0 728480.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती कमला एवं ग्राम सचिव हौंसिला प्रसाद से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 279** मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रू0 2355000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में केशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रू. 2355000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती कमला एवं ग्राम सचिव हौंसिला प्रसाद से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

## 72 -ग्राम पंचायत-कुढ़ा केशवपुर विकास खण्ड पूराबाजार वर्ष 2019-20

**प्रस्तर 280** ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि केशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि रू0	अन्य
01	17.06.2019	हैण्डपम्पमरम्मत हेतु राज बोरिंग ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	25115.00	
02	17.06.2019	हैण्डपम्पमरम्मत हेतु राज बोरिंग ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	25075.00	
03	22.10.2019	हैण्डपम्पमरम्मत हेतु राज बोरिंग ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	61955.00	
04	22.10.2019	हैण्डपम्पमरम्मत हेतु राज बोरिंग ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	61978.00	
05	16.07.2019	हैण्डपम्पमरम्मत हेतु राज बोरिंग ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	81900.00	
06	16.07.2019	हैण्डपम्पमरम्मत हेतु राज बोरिंग ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	81900.00	
07	29.02.2020	हैण्डपम्पमरम्मत हेतु राज बोरिंग ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	27300.00	
07	03.03.2020	हैण्डपम्पमरम्मत हेतु राज बोरिंग ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान	81900.00	
		योग-	447123.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01 हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02-व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में भुगतान की जांच नहीं का जा सकी। पत्रावली के अभाव में उक्त रिबोर एवं मरम्मत की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, उक्त रिबोर/मरम्मत हेतु मांग-पत्र एवं तकनीकी रिपोर्ट, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।

03-कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित तीन स्टेप के फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।

04-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्त का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी व्यय वाउचर के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी भी नहीं हो सकी।

05-प्रत्येक रिबोर/मरम्त को एक इकाई कार्य मानकर सभी की अलग-अलग आइ0डी0 जनरेट कर शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के अनुसाक कार्य कराया गया है कि नहीं इसकी जांच कार्य पत्रावली के अभाव में नहीं की जा सकी।

06-रिबोर/मरम्त के पश्चात प्राप्त हैण्डपम्प के अवशेष पार्य के निस्तारण के सम्बन्ध में भी कोई जांच पत्रावली के अभाव में नहीं की जा सकी।

व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय मानते हुए आपत्ति नें अंकित कुल धनराशि रु0 447123.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती अग्रमती एवं ग्राम सचिव श्री सुनील कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 281** -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट/सोलर लाइट क्रय/मरम्त पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
09.01.2020	सोलर लाइट मरम्त हेतु माँ शारदा ट्रेडर्स को भुगतान	140000.00
02.04.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्त हेतु विकास इंटरप्राइजेज़ को भुगतान	56400.00
04.03.2020	स्ट्रीट लाइट मरम्त हेतु विकास इंटरप्राइजेज़ को भुगतान	55500.00
	योग-	251900.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-वेंडर/फर्म का प्रमाणकों के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी कि भुगतान किसे किया गया है ।

3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्त मरम्त की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। प्रमाणकों के अभाव में इसका जानकारी नहीं हो पाई। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं नियमों के विपरीत पाया गया।

4-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5-ग्राम पंचायत में उक्त भुगतान एक साथ बिना किसी उचित कारण एवं अभिलेख के किए गए हैं कि इनकी स्थापना कब तथा मरम्त कितनी बार पूर्व में कराई जा चुकी है, का कोई विवरण आडिट में उपलब्ध नहीं कराया जा सका जो भारी अनियमितता को दर्शाता है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः उक्त धनराशि रु0 251900.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती अग्रमती एवं ग्राम सचिव श्री सुनील कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 282** ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु वाउचर विहीन एवं विवरणहीन ह्यूम पाइप क्रय पर भुगतान दर्शित किया गया है:-

दिनांक	कैशबुक में विवरण	धनराशि रु0
11.04.2019	हरीगंगे स्पन पाइप से ह्यूम पाइप क्रय	10661.00
10.01.2020	विभिन्न स्थानों हेतु ह्यूम पाइप क्रय आर डी ट्रेडर्स द्वारा	121338.00
24.01.2020	ह्यूम पाइप क्रय ओम ट्रेडर्स से	59956.00
	योग-	191955.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- क्रय के वेंडर/फर्म की पुष्टि प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी।
- 3-बिना किसी कार्य योजना के कार्य पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।
- 04-कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः उक्त धनराशि रु0 191955.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती अग्रमती एवं ग्राम सचिव श्री सुनील कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 283** -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में विभिन्न मदों पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
04.05.2019	चुनाव व्यवस्था पर व्यय	7490.00
15.07.2019	आरसीसी बेंच क्रय	176052.00
25.07.2019	ढेला क्रय	10260.00
25.07.2019	सोहन लाल के दिवाल लेखन का भुगतान	24860.00
25.07.2019	सोहन लाल के दिवाल लेखन का भुगतान	24860.00
31.07.2019	प्रा0वि0 में लकड़ी की बेच हेतु आराध्या फर्नीचर को भुगतान	187400.00
	योग-	430922.00

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

01-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी।

02-किसी भी मद के व्यय का पूर्ण विवरण कैशबुक में अंकित न किए जाने एवं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी कि किया गया भुगतान सही फर्म को है एवं ग्राम पंचायत के हित में है।

03-सभी मदों पर किया गया भुगतान अधिक एवं नियम विरुद्ध है क्योंकि किसी भी व्यय के सापेक्ष उचित विवरण एवं वाउचर प्रस्तुत न कर अधिक अनियमित भुगतान को छिपाने का प्रयास किया गया है।

04-प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे एवं कैशबुक आदि में लेखन के सार्वजनिक स्थानों/भवनों एवं दरों आदि का विवरण न दिया जाना भारी गड़बड़ी की ओर संकेत है।

05-आरसीसी बेंच के स्थापना के स्थान एवं इनके क्रय पूर्व की कार्य योजना, कोटेशन/टेंडर, , तकनीकि एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।

06-व्यय प्रमाणकों एवं पत्रावली के अभाव में कायाकल्प योजना के तहत जारी शासनादेशों का अनुपालन, प्रा0वि0 में लकड़ी की बेच हेतु आराध्या फर्नीचर से क्रय एवं भुगतान के सम्बन्ध में हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं हो पाई।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः उक्त धनराशि रु0 430922.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती अग्रमती एवं ग्राम सचिव श्री सुनील कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 284** -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार प्राथमिक विद्यालय प्रथम में रोड से स्कूल तक इण्टरलाकिंग कार्य पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
02.08.2019	मनीष टाइल्स को भुगतान	80000.00	

02.08.2019	मनीष टाइल्स को भुगतान	101900.00	
02.08.2019	मनोज सिंह ब्रिक फिल्ड	22100.00	
02.08.2019	शिवांश ट्रेडर्स	38927.00	
02.08.2019	शिवांश ट्रेडर्स	24860.00	
02.08.2019	मनोज सिंह ब्रिक फिल्ड.	28188.00	
02.08.2019	मजदूरी पर भुगतान	18600.00	
02.08.2019	मजदूरी पर भुगतान	19890.00	
	योग-	<b>334465.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- उक्त इण्टरलाकिंग कार्य पर व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- पत्रावली के अभाव में उक्त कार्य की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।
- 03- कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित तीन स्टेप के फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 04- उक्त वेंडर मनीष टाइल्स इण्टरलाकिंग ईट का निर्माण एवं शिवांश ट्रेडर्स आपूर्ति की गई सामग्री के व्यवसाय हेतु अधिकृत हैं अथवा नहीं, इसकी भी जानकारी व्यय वाउचर के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी भी नहीं हो सकी।
- 05- उक्त कार्य पर एक ही तिथि में सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान किया जाना कार्य पर काल्पनिक व्यय प्रतीत होता है।

व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय मानते हुए आपति नें अंकित कुल धनराशि रु0 **334465.00** की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती अग्रमती एवं ग्राम सचिव श्री सुनील कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

### 73 -ग्राम पंचायत-रामपुर हलवारा विकास खण्ड पूराबाजार वर्ष\*2019-20

**प्रस्तर 285-** -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
16.07.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु गुप्ता हार्डवेयर	39050.00	
16.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु गुप्ता हार्डवेयर	26405.00	
20.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु गुप्ता हार्डवेयर	26850.00	
26.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु गुप्ता हार्डवेयर	26120.00	
26.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु गुप्ता हार्डवेयर	26040.00	
26.07.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु गुप्ता हार्डवेयर	70230.00	
26.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु गुप्ता हार्डवेयर	26600.00	
01.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु गुप्ता हार्डवेयर	85245.00	
01.11.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु गुप्ता हार्डवेयर	189240.00	
19.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु गुप्ता हार्डवेयर	85245.00	
19.11.2019	हैण्डपम्प मरम्त हेतु गुप्ता हार्डवेयर	140290.00	
	योग-	<b>741315.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01-हैण्डपम्प मरम्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

02-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

03-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री जुगुरा एवं ग्राम सचिव श्री अनिल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 286** -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	
28.12.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु शीतल पाइप फैक्ट्री	35962.00	
28.12.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु शीतल पाइप फैक्ट्री	23983.00	
28.12.2019	ह्यूम पाइप क्रय हेतु शीतल पाइप फैक्ट्री	35000.00	
03.03.2020	ह्यूम पाइप क्रय हेतु शीतल पाइप फैक्ट्री	44832.00	
03.03.2020	ह्यूम पाइप क्रय हेतु शीतल पाइप फैक्ट्री	46728.00	
	योग	186505.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री जुगुरा एवं ग्राम सचिव श्री अनिल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 287** -मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की आडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 1276000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०आडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु. 1276000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री जुगुरा एवं ग्राम सचिव श्री अनिल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
23.11.2019	आर सी सी बेंच क्रयहेतु शिवांश इंटरप्राइजेज़	130921.00
23.11.2019	आर सी सी बेंच क्रयहेतु शिवांश इंटरप्राइजेज़	130921.00
23.11.2019	आर सी सी बेंच क्रयहेतु शिवांश इंटरप्राइजेज़	130921.00
	योग-	392763.00

**प्रस्तर 288** -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु आर सी सी बेंच क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-बिना किसी कार्य योजना या आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ आर सी सी बेंच क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः इसकी वसूली ग्राम-प्रधान श्री जुगुरा एवं ग्राम सचिव श्री अनिल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**74 -ग्राम पंचायत- सरायरासी विकास खण्ड पूराबाजार वर्ष 2019-2020**

**प्रस्तर 289** -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में प्रशासनिक व्यय एवं अन्य व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
02.04.2019	प्रशासनिक व्यय	55307.00
29.06.2019	प्रशासनिक व्यय एस एस इंटरप्राइजेज़ को परिवार रजिस्टर हेतु	31125.00
	योग-	88432.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-प्रशासनिक व्यय का पूर्ण विवरण कैशबुक में अंकित न किए जाने एवं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी कि किया गया भुगतान सही फर्म को है एवं ग्राम पंचायत के हित में है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः उक्त धनराशि रु0 88432.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री जुगुरा एवं ग्राम सचिव श्री अनिल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 290** -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु आर सी सी बेंच क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
23.03.2020	आर सी सी बेंच क्रयहेतु शिवांश इंटरप्राइजेज़	96000.00
23.03.2020	आर सी सी बेंच क्रयहेतु शिवांश इंटरप्राइजेज़	96000.00
23.03.2020	आर सी सी बेंच क्रयहेतु शिवांश इंटरप्राइजेज़	96000.00
23.03.2020	आर सी सी बेंच क्रयहेतु शिवांश इंटरप्राइजेज़	96000.00
	योग-	384000.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

01- उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी।

02- उक्त वेंडर/फर्म के बिल अप्राप्त रहने के कारण आपूर्ति की गई सेवा अथवा सामग्री का ज्ञान नहीं हो सका। प्रमाणकों के अभाव में इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

03- कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।

04- पत्रावली के अभाव में उक्त क्रय एवं स्थापना के सम्बन्ध में कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, बिल, मस्टररोल, पूर्व में इस प्रकार की स्थापनाओं की सूचना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।

05- एक ही फर्म से बिल रहित क्रय एवं भुगतान किये जाने के कारण व्यय संदिग्ध एवं मिलीभगत का परिणाम प्रतीत होती है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः रु0 384000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम सचिव श्री अनिल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 291-** -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार कई स्थानों पर इण्टरलाकिंग कार्य पर व्यय दर्शित किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

दिनांक	कैशबुक/वाउचर रिपोर्ट के अनुसार विवरण	धनराशि रु0	अन्य
18.07.2019	जय मां शीतला को संत यादव के घर से इण्टरलाकिंग तक इण्टरलाकिंग हेतु भुगतान	202960.00	
18.07.2019	धीमर के घर से सत्यसिंह के घर तक इण्टरलाकिंग हेतु भुगतान	182900.00	
18.07.2019	धीमर के घर से सत्यसिंह के घर तक इण्टरलाकिंग हेतु भुगतान	15156.00	
18.07.2019	रमन के घर से सीताराम सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग हेतु भुगतान	158875.00	
18.07.2019	धीमर के घर से सत्यसिंह के घर तक इण्टरलाकिंग हेतु भुगतान	15442.00	
18.07.2019	धीमर के घर से सत्यसिंह के घर तक इण्टरलाकिंग हेतु भुगतान	2925.00	
18.07.2019	आर0पी0 कांस्ट्रक्शन को संत यादव के घर से इण्टरलाकिंग तक इण्टरलाकिंग हेतु भुगतान	12534.00	
19.07.2019	गौरव ब्रिक फिल्ड को संत यादव के घर से इण्टरलाकिंग तक इण्टरलाकिंग हेतु भुगतान	9124.00	
19.07.2019	मजदूरी भुगतान संत यादव के घर से इण्टरलाकिंग तक इण्टरलाकिंग हेतु भुगतान	5775.00	
		<b>605691.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 01- उक्त इण्टरलाकिंग कार्य पर व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 02- पत्रावली के अभाव में उक्त कार्य की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, तकनीकि एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।
- 03- कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित तीन स्टेप के फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 04- उक्त वेंडर इण्टरलाकिंग ईट का निर्माण एवं की गई सामग्री के व्यवसाय हेतु अधिकृत हैं अथवा नहीं, इसकी भी जानकारी व्यय वाउचर के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी भी नहीं हो सकी।
- 05- उक्त कार्य पर प्रायः एक ही तिथि में कई कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान किया जाना कार्य पर काल्पनिक भुगतान प्रतीत होता है।

व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय मानते हुए आपत्ति में अंकित कुल धनराशि रु0 605691.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम सचिव श्री अनिल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 292-** -मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 596000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-

व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 596000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती अनिता एवं ग्राम सचिव श्री अनिल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

#### 75 -ग्राम पंचायत-जलालुद्दीन नगर विकास खण्ड पूराबाजार वर्ष 2019-2020

**प्रस्तर 293** मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु0 461000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक:806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों कारख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 503000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री डिगईराम एवं ग्राम सचिव श्री अनिल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 294** -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
01	27.04.2019	हैण्डपम्पमरम्मत हेतु बलगोविंद वर्मा को भुगतान	61900.00	
02	29.04.2019	हैण्डपम्पमरम्मत हेतु बलगोविंद वर्मा को भुगतान	81950.00	
03	28.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	85580.00	
04	28.06.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	56960.00	
05	24.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	28805.00	
06	24.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	28360.00	
07	24.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	28410.00	
07	30.07.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	42490.00	
08	17.10.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	113655.00	
09	29.10.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	112190.00	
10.	05.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु बालगोविंद वर्मा को भुगतान	55630.00	
11.	12.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु बालगोविंद वर्मा को भुगतान	55630.00	
12.	12.11.2019	हैण्डपम्प रिबोर हेतु बालगोविंद वर्मा को भुगतान	112190.00	
13.	01.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु बालगोविंद वर्मा को भुगतान	28280.00	
14.	01.01.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु बालगोविंद वर्मा को भुगतान	28695.00	
15.	11.03.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	28160.00	
16.	11.03.2020	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	28525.00	
17.	13.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु बालगोविंद वर्मा को भुगतान	41616.00	
18.	20.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	20178.00	
19.	20.03.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कुबेर पेयजल को भुगतान	19897.00	

**योग 1040941.00**

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1 हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में भुगतान की जांच नहीं का जा सकी। पत्रावली के अभाव में उक्त रिबोर एवं मरम्मत की कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, उक्त रिबोर/मरम्मत हेतु मांग-पत्र एवं तकनीकी रिपोर्ट, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।

3- कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित तीन स्टेप के फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।

4- उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी व्यय वाउचर के अभाव

में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी भी नहीं हो सकी।

5- प्रत्येक रिबोर/मरम्मत को एक इकाई कार्य मानकर सभी की अलग-अलग आइ0डी0 जनरेट कर शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के अनुसाक कार्य कराया गया है कि नहीं इसकी जांच कार्य पत्रावली के अभाव में नहीं की जा सकी।

6- रिबोर/मरम्मत के पश्चात प्राप्त हैण्डपम्प के अवशेष पार्य के निस्तारण के सम्बन्ध में भी कोई जांच पत्रावली के अभाव में नहीं की जा सकी।

व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/प्रमाणक विहीन व्यय मानते हुए आपत्ति नें अंकित कुल धनराशि रु0 1040941.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री डिगईराम एवं ग्राम सचिव श्री अनिल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 295**-ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट/सोलर लाइट क्रय/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
10.04.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु माँ शारदा ट्रेडर्स को भुगतान	123920.00
10.04.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु माँ शारदा ट्रेडर्स को भुगतान	133918.00
22.12.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु माँ शारदा ट्रेडर्स को भुगतान	46200.00
22.12.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु माँ शारदा ट्रेडर्स को भुगतान	46200.00
22.12.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु माँ शारदा ट्रेडर्स को भुगतान	46200.00
22.12.2019	स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु माँ शारदा ट्रेडर्स को भुगतान	46200.00
13.01.2020	स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु माँ शारदा ट्रेडर्स को भुगतान	43356.00
13.01.2020	स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु माँ शारदा ट्रेडर्स को भुगतान	43853.00
16.01.2020	स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु माँ शारदा ट्रेडर्स को भुगतान	52600.00
		<b>योग 582447.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-वेंडर/फर्म का प्रमाणकों के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी कि भुगतान किसे किया गया है।

3-उक्त स्ट्रीट लाइट मरम्मत मरम्मत की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म की होती है। प्रमाणकों के अभाव में इसका जानकारी नहीं हो पाई। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं नियमों के विपरीत पाया गया।

4-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5-ग्राम पंचायत में उक्त भुगतान एक साथ बिना किसी उचित कारण एवं अभिलेख के किए गए हैं कि इनकी स्थापना कब तथा मरम्मत कितनी बार पूर्व में कराई जा चुकी है, का कोई विवरण आडिट में उपलब्ध नहीं कराया जा सका जो भारी अनियमितता को दर्शाता है।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा

प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः उक्त धनराशि रु0 582447.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री डिगईराम एवं ग्राम सचिव श्री अनिल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 296** -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु आरसीसी बेंच/कुड़दान आदि क्रय पर तथा कुछ बिना मद दर्शित किए फर्मों को भुगतान कर

व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
01	10.04.2019	माँ शारदे ट्रेडर्स को ग्राम पंचायत में आर.सी.सी. बैंच स्थापना हेतु भुगतान।	80000.00	
02	20.12.2019	अनन्या ट्रेडर्स को ग्राम पंचायत में आर.सी.सी. बैंच स्थापना हेतु भुगतान।	192000.00	
03	20.12.2019	अनन्या ट्रेडर्स को ग्राम पंचायत में आर.सी.सी. बैंच स्थापना हेतु भुगतान।	176000.00	
04	08.12.2019	अनन्या ट्रेडर्स को ग्राम पंचायत में आर.सी.सी. बैंच स्थापना हेतु भुगतान।	168000.00	
<b>योग</b>			<b>616000.00</b>	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1- उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त वेंडर/फर्म के बिल अप्राप्त रहने के कारण आपूर्ति की गई सेवा अथवा सामग्री का ज्ञान नहीं हो सका। प्रमाणकों के अभाव में इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3- कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 4- पत्रावली के अभाव में उक्त क्रय एवं स्थापना के सम्बन्ध में कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, बिल, मस्टररोल, पूर्व में इस प्रकार की स्थापनाओं की सूचना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।
- 5- एक ही फर्म से बिल रहित क्रय एवं भुगतान किये जाने के कारण व्यय संदिग्ध एवं मिलीभगत का परिणाम प्रतीत होती है।  
अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः रु0 616000.00की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री डिगईराम एवं ग्राम सचिव श्री अनिल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 297-** ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में कुछ बिना मद दर्शित किए फर्मों को भुगतान कर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
01	05.12.2019	आन्या ट्रेडर्स	158541.00	
02	05.08.2019	आन्या ट्रेडर्स	168029.00	
03	05.08.2019	आन्या ट्रेडर्स	75929.00	
04	05.08.2019	आन्या ट्रेडर्स	134533.00	
05	11.12.2019	आन्या ट्रेडर्स	162437.00	
06	11.12.2019	आन्या ट्रेडर्स	113155.00	
07	20.02.2020	आन्या ट्रेडर्स	192700.00	
08	05.12.2019	शिवांश इंटरप्राइजेज़	135482.00	
09	05.12.2019	किसान ईट उद्योग	38078.00	
10	05.12.2019	किसान ईट उद्योग	28942.00	
11	11.12.2019	किसान ईट उद्योग	19454.00	
12	11.12.2019	किसान ईट उद्योग	25426.00	
13	11.12.2019	किसान ब्रिक फील्ड	127243.00	
14	20.12.2019	किसान ब्रिक फील्ड	88494.00	
15	20.12.2019	किसान ब्रिक फील्ड	114072.00	
16	20.12.2019	किसान ब्रिक फील्ड	23814.00	
17	20.12.2019	किसान ब्रिक फील्ड	21756.00	
18	20.12.2019	किसान ब्रिक फील्ड	114366.00	
19	13.01.2020	किसान ब्रिक फील्ड	147108.00	
20	16.02.2020	किसान ब्रिक फील्ड	19905.00	

21	16.02.2020	न्यू प्रकाश ट्रेडर्स	29886.00
22	13.02.2020	किसान ब्रिक फील्ड	23598.00
23	03.03.2020	कृष्णा अंकित सिंह इंटरप्राइजेज़	20739.00
24	03.03.2020	खन्ना इंडस्ट्रीज़	49324.00
25	03.03.2020	कृष्णा अंकित सिंह इंटरप्राइजेज़	15876.00
26	03.03.2020	खन्ना इंडस्ट्रीज़	37823.00
27	03.03.2020	खन्ना इंडस्ट्रीज़	49324.00
28	20.03.2020	विजय कन्स्ट्रक्शन	152473.00
29	26.03.2020	एम एस इंटरप्राइजेज़	101640.00
30	26.03.2020	एम एस इंटरप्राइजेज़	212613.00
<b>योग</b>			<b>2602760.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1 उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकती।
- 2- उक्त वेंडर/फर्म के बिल अप्राप्त रहने के कारण आपूर्ति की गई सेवा अथवा सामग्री का ज्ञान नहीं हो सका। प्रमाणकों के अभाव में इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3- कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकती।
- 4- पत्रावली के अभाव में उक्त क्रय एवं स्थापना के सम्बन्ध में कार्य योजना, कोटेशन/टेण्डर, बिल, मस्टररोल, पूर्व में इस प्रकार की स्थापनाओं की सूचना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकती।
- 5- एक ही फर्म से बिल रहित क्रय एवं भुगतान किये जाने के कारण व्यय संदिग्ध एवं मिलीभगत का परिणाम प्रतीत होती है।  
अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः ₹0 2602760.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री डिगईराम एवं ग्राम सचिव श्री अनिल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 298** -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि केशबुक वर्ष 2019-20 की जांच में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में मेटेरियल लिखकर भुगतान दर्शित है -

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
01	14.02.2020	मेटेरियल	95161.00	
02	14.02.2020	मेटेरियल	98134.00	
03	14.02.2020	मेटेरियल	128398.00	
04	14.02.2020	मेटेरियल	33774.00	
05	14.02.2020	मेटेरियल	101640.00	
06	14.02.2020	मेटेरियल	194649.00	
07	14.02.2020	मेटेरियल	13642.00	
08	14.02.2020	मेटेरियल	49340.00	
09	14.02.2020	मेटेरियल	211967.00	
10	15.02.2020	मेटेरियल	177352.00	
11	15.02.2020	मेटेरियल	39939.00	
12	15.02.2020	मेटेरियल	57498.00	
13	15.02.2020	मेटेरियल	101474.00	
14	15.02.2020	मेटेरियल	34251.00	
15	15.02.2020	मेटेरियल	33468.00	
16	15.02.2020	मेटेरियल	33749.00	

17	20.12.2019	मेटेरियल	171717.00
18	20.12.2019	मेटेरियल	158126.00
19	15.02.2020	मेटेरियल	180359.00
20	15.02.2020	मेटेरियल	35171.00
21	15.02.2020	मेटेरियल	33212.00
22	15.02.2020	मेटेरियल	5876.00
23	15.02.2020	मेटेरियल	43361.00
24	15.02.2020	मेटेरियल	178895.00
25	15.02.2020	मेटेरियल	181829.00
26	15.02.2020	मेटेरियल	32761.00
27	15.02.2020	मेटेरियल	178757.00
28	15.02.2020	मेटेरियल	168937.00
29	15.02.2020	मेटेरियल	181175.00
30	15.02.2020	मेटेरियल	11247.00
31	15.02.2020	मेटेरियल	34201.00
32	15.02.2020	मेटेरियल	122
33	15.02.2020	मेटेरियल	15084.00
34	15.02.2020	मेटेरियल	179344.00
35	15.02.2020	मेटेरियल	35617.00
36	15.02.2020	मेटेरियल	94953.00
37	15.02.2020	मेटेरियल	35095.00
38	15.02.2020	मेटेरियल	63074.00
39	15.02.2020	मेटेरियल	155200.00
40	15.02.2020	मेटेरियल	176667.00
41	15.02.2020	मेटेरियल	116914.00
42	15.02.2020	मेटेरियल	37556.00
43	15.02.2020	मेटेरियल	10517.00
44	15.02.2020	मेटेरियल	134277.00
45	15.02.2020	मेटेरियल	180307.00
46	15.02.2020	मेटेरियल	181415.00

**योग**

**4448283.00**

- 1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त वेंडर/फर्म के बिल अप्राप्त रहने के कारण आपूर्ति की गई सेवा अथवा सामग्री का ज्ञान नहीं हो सका। प्रमाणकों के अभाव में इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3- कार्य कराए जाने के स्थान एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ आदि के सम्बन्ध में भी व्यय वाउचर/कार्य पत्रावली के अभाव में कोई जांच नहीं की जा सकी।
- 4- पत्रावली के अभाव में उक्त क्रय एवं स्थापना के सम्बन्ध में कार्य योजना, कोटेशन/टेंडर, बिल, मस्टररोल, पूर्व में इस प्रकार की स्थापनाओं की सूचना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्य कराए जाने की तिथि आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं का जा सकी।
- 5- एक ही फर्म से बिल रहित क्रय एवं भुगतान किये जाने के कारण व्यय संदिग्ध एवं मिलीभगत का परिणाम प्रतीत होती है।  
अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः रु0 4448283.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान श्री डिगईराम एवं ग्राम सचिव श्री अनिल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

## प्रारूप - 04

### वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 ग्राम पंचायत

#### जनपद- बाराबंकी

#### संभाग - अयोध्या

1- ग्राम पंचायत- हमीदनगर

विकास खंड- सिरौली गौसपुर

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर-1 लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त वर्ष (2019-20) की मात्र कैशबुक तथा बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, अन्य कोई भी वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्ष 2019-20 की कैशबुक में अंकित विभिन्न तिथियों में समस्त व्यय विवरण की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका मदवार विवरण निम्नवत है-

#### (1) इण्टर लॉकिंग कार्य पर व्यय

- (i) शिव सिंघ के घर से सोनु के घर तक -- 2,35,387.00
  - (ii) माता प्रसाद के घर से सडक तक -- 2,15,254.00
  - (iii) सुशील के घर से धरमपाल के घर तक -- 84,339.00
  - (iv) इण्टर लॉकिंग से मुनेशर के घर तक -- 39636.00
  - (v) इण्टर लॉकिंग से प्रा0 विद्या. नूरगंज मे -- 2,42,430.00
- कुल योग -- 8,17,046.00**

#### (2) शौचालय निर्माण एवं विस्तारीकरण

- (i) प्रा० विद्यालय, हमीदनगर -- 2,45,004.00
  - (ii) प्रा० विद्यालय, नूरगंज -- 2,46,541.00
- योग -- 4,91,545.00**

#### (3) नाली निर्माण

- (i) बीरबल के घर से तालाब तक --> 64,859.00

#### (4) भवन मरम्मत

- (i) प्रार्थमिक विद्यालय, नूरगंज -- 2,41,956.00

#### (5) बाँउन्डीवाल मरम्मत कार्य

- (i) प्रा० विद्यालय, नूरगंज -- 1,81,002.00

#### (6) हैंडपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय -- 19,449.00

#### (7) टेण्डर विज्ञापन -- 2,500.00

**कुल योग --> 18,18,357.00**

उपरोक्त प्रमाणकविहीन व्यय, वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0 204 एवं 205 के अधीन तथा नियम सं0 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण, गबन एवं अधिभार के योग्य हैं। अतः आपत्ति में अंकित कुल प्रमाणकविहीन व्यय की धनराशि 18,15,357.00 को उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजेंद्र प्रसाद वर्मा तथा प्रधान श्री मुरलीधर से सामान रूप से प्रशासनिक अधिकारी (डी पी आर ओ ) द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए अविलम्ब प्रत्येक से रू0 909178.50 ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या -13, धनराशि 1818357.00**

2- ग्राम पंचायत- मोहिउद्दीनपुर

विकास खंड- सिरौली गौसपुर

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर-2 ग्राम प्रधान श्री प्रेम कुमार द्वारा ग्राम निधि-1 (चतुर्थ एवं 14वाँ वित्त) के बैंक खाते से ग्राम विकास अधिकारी श्री उमेश कुमार वर्मा के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर रू0 4,95,076.00 बैंक से आहरित कर धन का अपहरण किया गया।

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वर्ष (2019-20) की ग्राम निधि-1 की कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट तथा सुसंगत अभिलेखों की जाँच में यह प्रकाश में आया कि ग्राम निधि-1 खाता सं0 752810210000039, (बैंक ऑफ इंडिया ) मरकामऊ से दि0 14-05-2019 से दि0 09-07-2019

के मध्य कुल ₹0 4,95,076.00 का आहरण किया गया जिसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण कैश बुक में अंकित नहीं पाया गया। विवरण रहित आहरित धनराशि ₹0 4,95,076.00 के संबंध में ग्रा0वि0अधि0 श्री उमेश कुमार वर्मा द्वारा कैश बुक में अंकित किया गया है कि उक्त धनराशि प्रधान श्री प्रेम कुमार द्वारा उनके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर आहरण कर लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है।

- (1) बैंक का नाम व शाखा:- बैंक ऑफ इण्डिया (बैंक ऑफ इंडिया ), शाखा- मरकामऊ, जनपद - बाराबंकी  
 (2) खाता सं0:- 752810210000039  
 (3) मद:- चतुर्थ राज्य वित्त एवं 14वाँ वित्त आयोग हेतु संयुक्त खाता।

विवरण रहित आहरण का विवरण			
क्र0सं0	चेक सं0	दिनांक	धनराशि
(1)	35631	14-05-2019	99,317.00
(2)	35632	17-05-2019	97,487.00
(3)	35636	04-07-2019	99,407.00
(4)	35637	05-07-2019	98,960.00
(5)	35638	09-07-2019	99,905.00

**कुल योग- 4,95,076.00**

प्रधान श्री प्रेम कुमार द्वारा ग्राम विकास अधिकारी श्री उमेश कुमार वर्मा के फर्जी हस्ताक्षर से आहरित धनराशि ₹4,95,076 के विरुद्ध दि0 08-09-2019 को क्रमांक 0245 पर भ0द0 सं0 1860 की धारा 409, 419 तथा 420 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) थाना बदोसराय, जनपद बाराबंकी में पंजीकृत कर दिया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। ग्रा0वि0अधि0 श्री उमेश वर्मा द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त FIR के क्रम में फर्जी हस्ताक्षर की फॉरेनसिक जाँच चल रही है जिसका निर्णय लम्बित है।

उपरोक्त अपहृत, प्रमाणकविहीन व्यय, वित्त एवं लेखा मैनडल के अध्याय 8 के 8 (क) , 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0 204 एवं 205 के अधीन तथा नियम सं0 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण, गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित कुल अपहृत धनराशि ₹4,95,076.00 को फॉरेनसिक जाँचोंप्रांत पाये गये दोषी प्रधान/ग्रा0वि0अधि0 से सामान रूप से प्राशासनिक अधिकारी (DPRO) द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए अविलम्ब ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 14 धनराशि- 4,95,076.00**

**प्रस्तर-3** ग्राम प्रधान श्री प्रेम कुमार द्वारा ग्राम निधि-1 (चतुर्थ एवं 14वाँ वित्त) के बैंक खाते से ग्राम विकास अधिकारी श्री उमेश कुमार वर्मा के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर ₹0 4,95,076.00 बैंक से आहरित कर धन का अपहरण किया गया।

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वर्ष (2019-20) की ग्राम निधि-1 की कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट तथा सुसंगत अभिलेखों की जाँच में यह प्रकाश में आया कि ग्राम निधि-1 खाता सं0 752810210000039, (बैंक ऑफ इंडिया ) मरकामऊ से दि0 14-05-2019 से दि0 09-07-2019 के मध्य कुल ₹0 4,95,076.00 का आहरण किया गया जिसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण कैश बुक में अंकित नहीं पाया गया। विवरण रहित आहरित धनराशि ₹0 4,95,076.00 के संबंध में ग्रा0वि0अधि0 श्री उमेश कुमार वर्मा द्वारा कैश बुक में अंकित किया गया है कि उक्त धनराशि प्रधान श्री प्रेम कुमार द्वारा उनके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर आहरण कर लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है।

- (1) बैंक का नाम व शाखा:- बैंक ऑफ इण्डिया (बैंक ऑफ इंडिया ), शाखा- मरकामऊ, जनपद - बाराबंकी  
 (2) खाता सं0:- 752810210000038  
 (3) मद:- निर्मल भारत अभियान

विवरण रहित आहरण का विवरण			
क्र0सं0	चेक सं0	दिनांक	धनराशि
(1)	20215	20-04-2019	144000.00
(2)	20201	27-05-2019	120000.00
(3)	20206	25-06-2019	72000.00
(4)	20208	25-07-2019	192000.00
(5)	20210	30-07-2019	192000.00
(5)	20211	01-08-2019	192000.00
(5)	20212	03-08-2019	180000.00
	<b>कुल योग-</b>		<b>1092000.00</b>

प्रधान श्री प्रेम कुमार द्वारा ग्राम विकास अधिकारी श्री उमेश कुमार वर्मा के फर्जी हस्ताक्षर से आहरित धनराशि ₹-1092000.00 के विरुद्ध दि० 08-09-2019 को क्रमांक 0245 पर भ०द० सं० 1860 की धारा 409, 419 तथा 420 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) थाना बदोसराय, जनपद बाराबंकी में पंजीकृत कर दिया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। गा०वि०अधि० श्री उमेश वर्मा द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त FIR के क्रम में फर्जी हस्ताक्षर की फॉरेनसिक जाँच चल रही है जिसका निर्णय लम्बित है। उपरोक्त अपहृत, प्रमाणकविहीन व्यय, वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क), 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं० 204 एवं 205 के अधीन तथा नियम सं० 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण, गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित कुल अपहृत धनराशि ₹ 1092000.00 को फॉरेनसिक जाँचोंप्रांत पाये गये दोषी प्रधान/गा०वि०अधि० से सामान रूप से प्राशासनिक अधिकारी (DPRO) द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए अविलम्ब ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 14 धनराशि- 4,95,076.00**

### 3- अलीनगर

**विकास खंड - सिरौली गौसपुर**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-4** लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वर्ष (2019-2020) की केश बुक की जाँच में यह प्रकाश में आया कि माह अप्रैल 2019 से माह अगस्त 2019 तक किये गये व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जिसका विवरण निम्नवत है।

(1) सोलर लाईटक्रय द्वारा शुक्ला इन्टर प्राईजेज 6,000.00

(2) टेन्डर हेतु विज्ञापन:-

- (i) टेन्डर हेतु विज्ञापन अवध संगम को भुगतान -- ₹2,500.00
- (ii) टेन्डर हेतु विज्ञापन गोमती आवाज को भुगतान -- ₹2,500.00
- (iii) टेन्डर हेतु विज्ञापन हिन्दुस्तान मीडिया को भुगतान-- ₹6,000.00

**योग -- ₹11,000.00**

(3) खंडजा मरम्मत पर व्यय:-

- (i) रामबली के घर से आनन्द कुमार के घर तक -- ₹1,94,092.00
- (ii) हंसराज के खेत से रमेश के खेत तक -- ₹1,86,028.00

**योग -- ₹3,80,120.00**

**कुल योग(1+2+3) :- ₹3,97,120.00**

उपरोक्त प्रमाणकविहीन व्यय, वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क), 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं० 204 एवं 205 के अधीन तथा नियम सं० 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण, गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित कुल प्रमाणक विहीन व्यय की धनराशि ₹3,97,120.00 को उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम पंचायत सचिव श्री अजीत कुमार वर्मा तथा प्रधान श्री आनन्द कुमार से सामान रूप से प्राशासनिक अधिकारी (DPRO) द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए अविलम्ब प्रत्येक से ₹0 909178.50 ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 18 धनराशि - 3,97,120.00**

### 4- ग्राम पंचायत - डफरपुर

**विकास खंड - निन्दूरा**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-5** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत डफरपुर के ग्राम निधि प्रथम खाते से पूर्व माध्यमिक विद्यालय चन्दौली में बाउन्ड्री वाल निर्माण पर दिनांक 16.03.2019 से 18.04.2019 तक ₹0 29925.00 का कार्य किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया है। कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0 29925.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्री चंद्रशेखर वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती विभा गुप्ता प्रत्येक से समान रूप से ₹0 14962.50 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 9 धनराशि - 29925.00**

**प्रस्तर-6** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से विक्रम के घर से चन्द्रपाल की टंकी तक नाली निर्माण कार्य हेतु, दिनांक 31.05.2019 में वारसी ट्रेडर्स को सामग्री क्रय पर ₹0 71203.00 एवं जय बजरंग उद्योग को दिनांक 04.06.2019 को ईट क्रय पर ₹0 55986.00 का व्यय किया गया। साथ ही उक्त कार्य हेतु श्रमिक भुगतान ₹0 32430.00, बबली कम्प्यूटर से ₹0 450.00 की इलेक्ट्रोस्टेट एवं सुन्दर कंस्ट्रक्शन को दिनांक 06.06.2019 को ₹0 45164.00, कुल ₹0 205233.00 का व्यय किया

जाना कोशबही में दर्शित किया गया है। परन्तु कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन कार्य स्वीकृति एवं कार्य उपभोग प्रमाणपत्र-, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0 205233.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री चंद्रशेखर वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती विभा गुप्ता प्रत्येक से से समान रूप से ₹0 102616.50 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या 10 धनराशि - 205233.00**

**प्रस्तर-7** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से चुनाव हेतु शीतल इण्टरप्राइजेज को दिनांक 15.05.2019 में 02 नग सोलर लाइट क्रय हेतु ₹0 6000.00 का क्रय किया जाना कोशबही में दर्शित किया गया है। परन्तु कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं कार्य उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। उक्त सोलर लाइट किन-किन स्थलों पर उपभोग किया गया है कि सूची भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। अतः उक्त व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/बिल वाउचर विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0 6000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री चंद्रशेखर वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती विभा गुप्ता प्रत्येक से से समान रूप से ₹0 3000.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या 11 धनराशि - 6000.00**

**प्रस्तर-8** आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम के खाते से काशीराम के पालेसर से बाली के खेत तक खडण्जा मरम्मत कार्य का व्यय किया जाना कोशबही में दर्शित है। कार्य के सापेक्ष दिनांक 22.07.2019 को बबली कम्प्यूटरर्स को 450.00, श्रमिक भुगतान ₹0 44590.00, कमलेश कुमार पुत्र साधुराम को ₹0 14000.00, जय बजरंग ईट उद्योग से ईट क्रय ₹0 81236.00 तथा सावित्री देव कन्स्ट्रक्शन से ईट क्रय भुगतान ₹0 39564.00 कुल ₹0 179840.00 का उपभोग किया गया। उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेंडर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं कार्य उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। और न ही कार्य की दूरी (लम्बाई×चैडाई) भी लेखा परीक्षा में जात न हो सका जिस कारण कार्य में प्रयुक्त ईट एवं अन्य प्रयुक्त सामग्रियों का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं हो सका। अतः उक्त व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/बिल वाउचर विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0 179840.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री चंद्रशेखर वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती विभा गुप्ता प्रत्येक से से समान रूप से ₹0 89920.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या 12 धनराशि -179840.00**

**प्रस्तर-9** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम के खाते से दिनेश के घर से पिन्टू की टंकी तक इण्टर लाकिंग कार्य का व्यय किया जाना कोशबही में दर्शित है। कार्य के सापेक्ष दिनांक 20.07.2019 को बबली कम्प्यूटरर्स को 450.00, जय बजरंग ईट उद्योग से ईट क्रय ₹0 31800.00, सुन्दरलाल कन्स्ट्रक्शन से एक ही तिथि में दोबार क्रमशः ₹0 79742.00 तथा 41658.00, का उपभोग किया गया। उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, एम0बी0/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं कार्य उपभोग प्रमाण-पत्र, स्टॉक रजिस्टर तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। और न ही कार्य की दूरी (लम्बाई×चैडाई) भी लेखा परीक्षा में जात न हो सका जिस कारण कार्य में प्रयुक्त ईट एवं अन्य प्रयुक्त सामग्रियों का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं हो सका। अतः उक्त व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/बिल वाउचर विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0 153650.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री चंद्रशेखर वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती विभा गुप्ता प्रत्येक से से समान रूप से ₹0 76825.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या 7 धनराशि -153650.00**

**प्रस्तर-10** आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में प्रशासनिक व्यय के रूप में दिनांक 25.02.2020 (एक ही तिथि में दो बार ₹0 6814.00 एवं ₹0 20000.00 कुल रूपये 26814.00 का उपभोग किया जाना कोशबही में दर्शित है। व्यय अपुष्ट रह। प्रतीत होता है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी दोनों द्वारा उक्त धनराशि का आपस में बांट लिया गया है। अतः अपुष्टित धनराशि ₹0 26814.00 को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री चंद्रशेखर वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती विभा गुप्ता प्रत्येक से से समान रूप से ₹0 13407.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या 18 धनराशि - 26814.00**

**5- ग्राम पंचायत - खण्डसरा** विकास खंड - निन्दूरा जनपद- बाराबंकी

**प्रस्तर-11** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम के खाते से खन्नू के घर से रामलखन के घर तक खडण्जा मरम्मत कार्य पर ₹0 70730.00 का व्यय किया जाना कोशबही में दर्शित है। कार्य के सापेक्ष दिनांक 03.04.2019 को सुन्दरलाल कम्पनी को ईट क्रय हेतु ₹0 49000.00, हरिश्चन्द्र को भाडा भुगतान हेतु दिनांक 10.04.201 को ₹0 4410.00, मजदूरी भुगतान

3675.00 एवं 13195 तथा दिनांक 12.04.2019 को बबली इलेक्ट्रोस्टेट से फोटोकापी हेतु ₹0 450.00 कुल रूपये 70730.00 का उपभोग किया गया। उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, एम0बी0/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं कार्य उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। और न ही कार्य की दूरी (लम्बाई×चौड़ाई) भी लेखा परीक्षा में जात न हो सका जिस कारण कार्य में प्रयुक्त ईट एवं अन्य प्रयुक्त सामग्रियों का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं हो सका। अतः उक्त व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/बिल वाउचर विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0 70730.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री विजय प्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यनाम मौर्या प्रत्येक से समान रूप से ₹0 35365.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या 8 धनराशि -70730.00**

**प्रस्तर-12** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत ग्राम निधि प्रथम के खाते में से हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु सुन्दरलाल कम्पनी से सामग्री भुगतान हेतु ₹0 58359.00 का भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित है। उक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, लाभार्थी द्वारा मांग पत्र तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0 58359.00 का अपहरण किया गया है। अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्री विजय प्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यनाम मौर्या प्रत्येक से समान रूप से ₹0 29179.50 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या 7 धनराशि - 58359.00**

**प्रस्तर-13** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम के खाते से सरकारी हैण्डपम्प से तालाब तक नाली निर्माण कार्य का व्यय किया जाना कोषबही में दर्शित है। कार्य के सापेक्ष सुन्दरलाल कम्पनी से सामग्री क्रय हेतु ₹0 75048.00, गौरव ब्रिक फील्ड से ईट क्रय ₹0 55000.00, ह्यूम पाइप डलवाई मजदूरी ₹0 10192.00 ह्यूम पाइप क्रय ₹0 99050.00 तथा मजदूरी भुगतान पर ₹0 25228.00 एवं फोटोकापी पर व्यय ₹0 450.00 कुल व्यय रूपये 264968.00 का उपभोग किया गया। उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, एम0बी0/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं कार्य उपभोग प्रमाण-पत्र, स्टाक रजिस्टर तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। और न ही कार्य की दूरी (लम्बाई×चौड़ाई) भी लेखा परीक्षा में जात न हो सका जिस कारण कार्य में प्रयुक्त ईट एवं अन्य प्रयुक्त सामग्रियों का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं हो सका। साथ ही ह्यूम पाइप किस स्थान पर डाला गया है स्थिति अज्ञात रही। अतः प्रमाणक विहीन कार्य अपहरण के श्रेणी में आता है। अपहृत धनराशि ₹0 264968.00 की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री विजय प्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यनाम मौर्या प्रत्येक से समान रूप से ₹0 132484.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या 9 धनराशि - 264968.00**

**6- ग्राम पंचायत - डिंगरी**

**विकास खंड - निन्दूरा**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-14** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम के खाते से सियाराम के घर से मनोहर के घर तक नाली निर्माण कार्य हेतु , दिनांक 24.04.2019 में सावित्री देवी एंड सप्लायर को सामग्री क्रय पर ₹0 42569.00 एवं धनंजय ब्रिक फील्ड से दिनांक 30.05.2019 को ईट क्रय पर ₹0 36718.00 का व्यय किया गया। साथ ही उक्त कार्य हेतु श्रमिक भुगतान ₹0 27300.00, फोटो कॉपी हेतु ₹0 450.00 का व्यय किया जाना कोषबही में दर्शित किया गया है। परन्तु कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं कार्य उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। कार्य की दूरी (लंबाई×चौड़ाई) अज्ञात रहने से प्रयुक्त एवं शेष ईट/सामग्री का अंकलन नहीं किया जा सका। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0 106587.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री राम सेवक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यनाम मौर्या प्रत्येक से समान रूप से ₹0 53293.50 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या 9 धनराशि -106587.00**

**प्रस्तर-15** आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम के खाते से पी.डब्लू.डी. रोड से देवी माता मंदिर तक खडपजा निर्माण कार्य पर ₹0 144770 .00 का व्यय किया जाना कोषबही में दर्शित है। कार्य के सापेक्ष दिनांक 30.04.2019 को ईट क्रय हेतु ₹0 101445.00, दिनांक 30.04.2020 को मजदूरी पर ₹0 42875.00, फोटोकापी हेतु ₹0 450.00 कुल रूपये 144770.00 का उपभोग किया गया। उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, एम0बी0/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं कार्य उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। और न ही कार्य की दूरी (लम्बाई×चौड़ाई) भी लेखा परीक्षा में जात न हो सका जिस कारण कार्य में प्रयुक्त ईट एवं अन्य प्रयुक्त सामग्रियों का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं हो सका। अतः उक्त व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/बिल वाउचर विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0 144770.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री राम सेवक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यनाम मौर्या प्रत्येक से समान रूप से ₹0 72385.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या 10 धनराशि -144770.00**

**प्रस्तर-16** आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम के खाते से पी.डब्ल्यू.डी. रोड से दिनेश के घर तक खडण्जा मरम्मत कार्य पर ₹0 93530.00 का व्यय किया जाना कोषबही में दर्शित है। कार्य के सापेक्ष दिनांक 30.04.2019 को धनंजय ब्रिक फील्ड से ईट क्रय हेतु ₹0 36718.00, दिनांक 09.05.2019 को सावित्री देवी एंड सप्लायर को सामग्री क्रय पर ₹0 13090.00, फोटोकापी हेतु ₹0 450.00, मजदूरी पर व्यय ₹0 1750.00 एवं मिट्टी ढुलाई पर ₹0 8622.00 कुल रूपये 93530.00 का उपभोग किया गया। उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, एम0बी0/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं कार्य उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। और न ही कार्य की दूरी (लम्बाई×चैडाई) भी लेखा परीक्षा में जात न हो सका जिस कारण कार्य में प्रयुक्त ईट एवं अन्य प्रयुक्त सामग्रियों का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं हो सका। अतः उक्त व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/बिल वाउचर विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री राम सेवक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यनाम मौर्या प्रत्येक से समान रूप से ₹0 46765.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या 11 धनराशि - 93530.00**

**प्रस्तर-17** आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत ग्राम निधि प्रथम के खाते में से हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु सुन्दरलाल कम्पनी से मशीनरी एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान ₹0 16945.00 और मजदूरी पर व्यय ₹0 3000.00 का भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित है। उक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, लाभार्थी द्वारा मांग पत्र तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0 19945.00 का अपहरण किया गया है। अधिभार की कार्यवाही कर समान रूप से ग्राम प्रधान श्री राम सेवक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यनाम मौर्या प्रत्येक से समान रूप से ₹0 9722.50 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या 12 धनराशि - 19945.00**

**प्रस्तर-18** आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत ग्राम निधि प्रथम के खाते से हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु दिनांक 08-07-2019 में सुन्दरलाल कम्पनी को सामग्री क्रय हेतु भुगतान ₹0 34695.00 और पुनः दिनांक 08-07-2019 को ही सुन्दरलाल कम्पनी को सामग्री क्रय पर ₹0 25000.00 कुल रूपये 59695.00 का भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित है। उक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, लाभार्थी द्वारा मांग पत्र तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0 59695.00 का अपहरण किया गया है। अधिभार की कार्यवाही कर समान रूप से ग्राम प्रधान श्री राम सेवक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यनाम मौर्या प्रत्येक से समान रूप से ₹0 29847.50 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या 7 धनराशि- 59695.00**

**प्रस्तर-19** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम के खाते से राम आधार के घर से राज कुमार के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य का व्यय किया जाना कोषबही में दर्शित है। कार्य के सापेक्ष दिनांक 02.08.2019 को मजदूरी भुगतान पर व्यय ₹0 26500.00, सुन्दरलाल कन्स्ट्रक्शन को ₹0 279790.00, कुल ₹0 306290.00 का उपभोग किया गया। उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, एम0बी0/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं कार्य उपभोग प्रमाण-पत्र, स्टाक रजिस्टर तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। और न ही कार्य की दूरी (लम्बाई×चैडाई) भी लेखा परीक्षा में जात न हो सका जिस कारण कार्य में प्रयुक्त ईट एवं अन्य प्रयुक्त सामग्रियों का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं हो सका। अतः उक्त व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/बिल वाउचर विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0 306290.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री राम सेवक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यनाम मौर्या प्रत्येक से समान रूप से ₹0 153145.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या 8 धनराशि- 306290.00**

**7- ग्राम पंचायत - सरसवाँ**

**विकास खंड - निन्दूरा**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-20** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत ग्राम निधि प्रथम के खाते में से हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु दिनांक 24.04.2019 को हैण्डपम्प मजदूरी पर ₹0 4000.00 एवं दिनांक 02.05.2019 को मरम्मत कार्य पर सामग्री भुगतान ₹0 10150.00 कुल ₹0 14150.00 का व्यय किया जाना कोषबही में दर्शित है। उक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, लाभार्थी द्वारा मांग पत्र, मरम्मत कार्य के उपभोग स्थल की सूची तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/बिल वाउचर के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन अपुष्टित व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0 14150.00 का अपहरण किया गया है। अपहृत धनराशि ₹0 14150.00 पर अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान

श्रीमती शैल कुमारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवनीश कुमार प्रत्येक से समान रूप से ₹0 7075.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

**मूलआपति संख्या 8 धनराशि- 14150.00**

**प्रस्तर-21** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम के खाते से ह्यूम पाइप डलवाई कार्य का व्यय किया जाना कोषबही में दर्शित है। दिनांक 02.05.2019 को ह्यूम पाइप आपूर्ति में भुगतान ₹0 6125.00 एवं सामग्री भुगतान ₹0 91125.00 दिनांक 04.07.2019 को दर्शित पाया गया। उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं कार्य उपभोग प्रमाण-पत्र, स्टॉक रजिस्टर तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। और न ही यह ज्ञात हो सका कि ह्यूम पाइप किस स्थान पर डाला गया है। अतः प्रमाणक विहीन कार्य अपहरण के श्रेणी में आता है। अपहृत धनराशि ₹0 97250.00 की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती शैल कुमारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवनीश कुमार प्रत्येक से समान रूप से ₹0 48625.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

**मूलआपति संख्या 7 धनराशि- 97250.00**

**8- ग्राम पंचायत - भरसवाँ**

**विकास खंड - रामनगर**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-22** ग्राम निधि वर्ष 2019-2020 की कैशबुक (कोषबही) में दर्शित व्ययों का व्यय प्रमाणकों (वाउचरों) से मिलान एवं जाच में प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दर्शित कतिपय व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (वाउचर) पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसे प्रमाणक विहीन व्ययों का विवरण निम्नलिखित है।

क्रम संख्या	कैश बुक में व्यय दिनांक	वाउचर संख्या	व्यय मद	फर्म का नाम	व्यय धनराशि
1	17.07.2019	-	हैण्ड पम्प रिबोर	-	55800.00
2	26.02.2020	-	हैण्ड पम्प रिबोर	खान बोरिंग	30550.00
3	22.03.2020	-	भवन मरम्मत कार्य में मजदूरी भुगतान	-	71960.00
4	23.03.2020	-	सरिया, सीमेंट, बालू क्रय	अंकित ट्रेडर्स	87775.00
5	30.03.2020	-	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य	टुल्लू सिंह	19500.00
6	30.03.2020	-	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य	टुल्लू सिंह	16300.00
			कुल योग		281885.00

उक्त विवरणानुसार कुल ₹0 281885.00 के सन्दर्भ में पुष्टि हेतु प्रमाणक (वाउचर) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों की कई बार माग की गयी। किन्तु व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे कि दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय वित्त एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 से 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम संख्या 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपति में अंकित कुल प्रमाणक विहीन व्ययों की धनराशि ₹0 281885.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों 1 ग्राम प्रधान श्रीमती उषादेवी 2 ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ऋषभ पाण्डेय से समान रूप से प्रत्येक से ₹0 140942.50 की ब्याज सहित वसूली की जाना अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या 17 धनराशि- 281885.00**

**9- ग्राम पंचायत- बिठौरा**

**विकास खंड रामनगर**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-23** ग्राम निधि वर्ष 2019-2020 की कैशबुक (कोषबही) में दर्शित व्ययों का व्यय प्रमाणकों (वाउचरों) से मिलान एवं जाच में प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दर्शित कतिपय व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (वाउचर) पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसे प्रमाणक विहीन व्ययों का विवरण निम्नलिखित है।

क्रम संख्या	कैश बुक में व्यय दिनांक	वाउचर संख्या	व्यय मद	फर्म का नाम	व्यय धनराशि
1	27.12.2019	-	प्राथमिक विधालय में बॉइरी निर्माण कार्य मनरेगा सीमेन्ट आदि में भुगतान	-	137814.00
2	16.01.2020	-	हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु टुल्लू सिंह को भुगतान	टुल्लू सिंह	30960.00

3	24.03.2020	-	इन्टर लोकिंग ईट क्रय उजाला इण्डस्ट्रीज़ को भुगतान	उजाला इण्डस्ट्रीज़	104076.00
4	27.03.2020	-	इन्टर लोकिंग ईट क्रय उजाला इण्डस्ट्रीज़ को भुगतान	उजाला इण्डस्ट्रीज़	123900.00
5	30.03.2020	-	हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु टुल्लू सिंह को भुगतान	टुल्लू सिंह	19500.00
6	31.03.2020	-	हय्यूम पाइप क्रय उजाला इण्डस्ट्रीज़	उजाला इण्डस्ट्रीज़	129235.00
			कुल योग		545485.00

उक्त विवरणानुसार कुल ₹0 545485.00 के सन्दर्भ में पुष्टि हेतु प्रमाणक (वाउचर) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों की कई बार माँग की गयी। किन्तु व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे कि दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः ऐसे प्रमाणक विहित व्यय वित्त एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 से 8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम संख्या 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित कुल प्रमाणक विहित व्ययों की धनराशि ₹0 545485.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों 1- ग्राम प्रधान श्री उपेन्द्र सिंह तथा 2- ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ऋषभ पाण्डेय से समान रूप से प्रत्येक से ₹0 272742.50 की ब्याज सहित वसूली की जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 17 धनराशि- 545485.00**

**10- ग्राम पंचायत - कंघईपुर**

**विकास खंड - बनीकोडर**

**जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर-24** ग्राम पंचायत कंघईपुर की वर्ष 2019-20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न कार्यों पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	व्यय विवरण	दिनांक	आहरणकर्ता / प्राप्तकर्ता	धनराशि	व्यय प्रमाणक
01	रावि	हैंडपंपमरम्मत	मजदूरी	08/07/2019	आशीष मिश्रा	4800.00	अप्राप्त
02	रावि	न्यूज पेपर / कार्ययोजना पर भुगतान	व्यय	17/08/2019	अज्ञात	2500.00	अप्राप्त
03	14वां वित्त	हैंडपंप रिबोर	1 नग	16/01/2020	बाबा रामसनेही इंटरप्रा०	29300.00	अप्राप्त
04	14वां वित्त	मेनखंडजा से पंचायत भवन तक इंटरलॉकिंग	मजदूरी	18/02/2020	भावना मिश्र	23912.00	अप्राप्त
			इंटरलॉकिंग ईट क्रय	18/02/2020	राजश्री सीमेंट ईट	144616.00	अप्राप्त
			सामग्री ईट क्रय	20/02/2020	शुक्ला ट्रेडर्स	39813.00	अप्राप्त
			ईट क्रय	20/02/2020	रामलखन सिंह ब्रिक फील्ड	39625.00	अप्राप्त
05	14वां वित्त	प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक इंटरलॉकिंग	मजदूरी	18/02/2020	भावना मिश्र	23695.00	अप्राप्त
			इंटरलॉकिंग ईट क्रय	18/02/2020	राजश्री सीमेंट ईट इंडस्ट्रीज़	124866.00	अप्राप्त
			सामग्री ईट क्रय	20/02/2020	शुक्ला ट्रेडर्स	41466.00	अप्राप्त
			ईट क्रय	20/02/2020	रामलखन सिंह ब्रिक फील्ड	47280.00	अप्राप्त
					योग	521873.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 1241864.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिससे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी

वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 521873.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाणको / व्यय पत्रावलियों के अभाव में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 281936.50 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 281936.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती भावना मिश्रा से तथा रुपये 281936.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार शुक्ला से की जानी अपेक्षित है |

**मूलआपत्ति संख्या - 01, धनराशि - 521873.00**

#### 11- ग्राम पंचायत - गुनौली

#### विकास खंड - बनीकोडर

#### जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-25 ग्राम पंचायत गुनौली मे माह दिसंबर 2019 मे 14 वां वित्त द्वारा प्राथमिक विद्यालय मरम्मत पर निम्नांकित विवरणानुसार धनराशियों का व्यय किया गया था -

क्र०सं०	व्यय विवरण	दिनांक	फर्म/व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	निर्माण सामग्री क्रय	12/12/19	दुबे कंशट्रक्शन	74340.00
2	निर्माण सामग्री क्रय	12/12/19	दुबे कंशट्रक्शन	50210.00
3	ईंट क्रय	12/12/19	आलोक ब्रिक	26040.00
4	निर्माण सामग्री क्रय	12/12/19	दुबे कंशट्रक्शन	35450.00
5	मजदूरी	15/02/20	जगराम	41076.00
			योग	227116.00

उक्त कराये गए कार्य के संबंध मे लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्य के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्य की व्यय पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी , जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से संबंधित व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्य पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 227116.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्य से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय

8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्य का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्य की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्य का कार्यपूति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्य के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपतियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 227116.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 113558.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 113558.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री जगराम से तथा रुपये 113558.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्देश कुमार शर्मा से की जानी अपेक्षित है ।

#### मूलआपति संख्या - 6, धनराशि - 227116.00

**प्रस्तर-26** ग्राम पंचायत गुनौली की व्यय पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में 14वां वित्त योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय में डेस्क बेंच क्रय हेतु गायत्री इंटरप्राइजेज़ के बिल संख्या 03 तथा 04 दिनांक 28/02/2020 द्वारा फर्नीचर क्रय दर्शाया गया था जिसके लिए दिनांक 05/03/2020 को क्रमशः ₹ 90000.00 तथा 90000.00 , कुल ₹ 180000.00 का भुगतान पीएफएम एस के माध्यम से गायत्री इंटरप्राइजेज़ को किया गया था । इसी सचिव की एक अन्य ग्राम पंचायत चंदौली में भी गायत्री इंटरप्राइजेज़ के बिल संख्या 05 दिनांक 22/02/2020 तथा बिल संख्या 11 दिनांक 25/02/2020 द्वारा फर्नीचर क्रय किया गया था । जब बिल संख्या 5 तथा बिल संख्या 11 क्रमशः दिनांक 22/02/2020 तथा 25/02/2020 को फर्म पहले ही जारी कर चुकी थी तो बाद में फर्म द्वारा पूर्व के क्रम के बिल संख्या 03 तथा 04 बाद के दिनांक 28/02/2020 को जारी किया जाना संभव नहीं । अतः प्रतीत होता है कि फर्म द्वारा सादे बाँउचर प्राप्त करके उनके माध्यम से कूटरचित ढंग से फर्नीचर क्रय दर्शाकर व्यय दर्शित कुल धनराशि ₹ 180000.00 का ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान द्वारा अपहरण / गबन कर लिया गया जिसकी ग्राम प्रधान तथा सचिव तथा ग्राम प्रधान से नियमानुसार वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

2- उक्त कार्य का कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र भी व्यय पत्रावली से संलग्न नहीं था तथा मांगे जाने पर सचिव द्वारा कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिससे कार्य के पूर्ण होने की पुष्टि न की जा सकी । यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपरोक्त आपतियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 180000.00 का व्यय कूटरचित बाँउचर होने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 90000.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 90000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री जगराम से तथा रुपये 90000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्देश कुमार शर्मा से की जानी अपेक्षित है ।

#### मूलआपति संख्या - 07, धनराशि - 180000.00

#### 12- ग्राम पंचायत - टिकरा

#### विकास खंड - बनीकोडर

#### जनपद - बाराबंकी

**प्रस्तर-27** ग्राम पंचायत टिकरा की वर्ष 2019-20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न कार्यों पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था --

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम /वर्क आई०डी०	व्यय विवरण	दिनांक	आहरणकर्ता	धनराशि	व्यय प्रमाणक
01	14वां वित्त	हैंडपंपमरम्मत 19583846	मजदूरी	26/04/2019	सुधीर	10000.00	अप्राप्त
			सामग्री	01/06/2019	ईश्वर मिल स्टोर	32000.00	अप्राप्त
			सामग्री	21/06/2019	ईश्वर मिल स्टोर	32000.00	अप्राप्त
			सामग्री	20/06/2019	महालक्ष्मी इंटरप्रा0	24000.00	अप्राप्त
			सामग्री	12/07/2019	ईश्वरमिल स्टोर	25000.00	अप्राप्त

			सामग्री	01/08/2019	ईश्वरमिल स्टोर	36000.00	अप्राप्त
			सामग्री	01/08/2019	महालक्ष्मी इंटरप्रा0	75000.00	अप्राप्त
02	रा0वि0	हैंडपंपमरम्मत 19583888	मजदूरी /सामग्री सामग्री मजदूरी	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	माधवराज सिंह ईश्वर इंटरप्रा0 ईश्वर इंटरप्रा0 माधवराज सिंह	10000.00 19750.00 19800.00 10000.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
03	रा0वि0	सोलर लैंप आपूर्ति /19583875	लैंप क्रय	16/05/2019	लक्ष्य इंटरप्रा0	6000.00	अप्राप्त
04	14वां वित्त	हैंडपम्प रिबोर/19583844	2 नग 1 नग 3 नग 1 नग	20/06/2019 21/06/2019 11/07/2019 23/03/2020	महालक्ष्मी इंटरप्रा0 ईश्वरमिल स्टोर महालक्ष्मी इंटरप्रा0 ईश्वर इंटरप्रा0	60100.00 31230.00 89655.00 28500.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
05	रा0वि0	फर्नीचर क्रय/19583879	कुर्सी,मेज, आलमारी	21/06/2019	एच०एस० स्टील फर्नीचर	23000.00	अप्राप्त
06	14वां वित्त	ह्यूम पाइप क्रय / 19583897	ह्यूम पाइप	10/12/2019	उजाला इंडस्ट्रीज	148350.00	अप्राप्त
07	14वां वित्त	पूरे समधी मे होलई के घर से तालाब तक नाली निर्माण / 19583851	ईंट क्रय सामग्री मजदूरी	09/07/2019 09/07/2019 01/08/2019	चैतन्यदासब्रिक आर्यन ट्रेडर्स माधवराज सिंह	64800.00 55168.00 33152.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
08	14वां वित्त	फूलचंद घर से पीपल के पेड़ तक नाली निर्माण / 19583840	ईंट क्रय सामग्री मजदूरी	09/07/2019 09/07/2019 01/08/2019	चैतन्यदासब्रिक आर्यन ट्रेडर्स माधवराज सिंह	89500.00 68154.00 37632.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
09	14वां वित्त	पक्की सड़क से ननकऊ मिस्त्री के घर तक खड्जा निर्माण / 19598354	ईंट क्रय मिट्टीकार्य मजदूरी	09/07/2019 01/08/2019 ---	चैतन्यदासब्रिक माधवराज सिंह ---	159600.00 13500.00 ---	अप्राप्त अप्राप्त ---
10	14वां वित्त	स्कूल मरम्मत कार्य / 19583894	सामग्री मजदूरी सामग्री सामग्री	18/01/2020 18/01/2020 18/01/2020 18/01/2020	आर्यन ट्रेडर्स माधवराज सिंह अशिमत टाइल्स एंड सेनेटरी अशिमत टाइल्स एंड सेनेटरी	68135.00 50000.00 31061.00 84712.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
11	14वां वित्त	पूर्व माध्यमिक विद्यालय टिकरा मे इंटरलॉकिंग व सौंदर्यीकरण कार्य / 20612339	ईंट क्रय इंटरलॉकिंगईंट सामग्री मजदूरी	06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	चैतन्यदासब्रिक श्रीइंटरप्राइजेज आर्यन ट्रेडर्स माधवराज सिंह	44272.00 135234.00 41403.00 24335.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
12	14वां वित्त	ग्रामपंचायत मे सार्वजनिक स्थल पर चबूतरा निर्माण कार्य / 19583837	ईंट क्रय सामग्री मजदूरी मजदूरी	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	चैतन्यदासब्रिक आर्यन ट्रेडर्स माधवराज सिंह माधवराज सिंह	21922.00 15519.00 1101.00 7098.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
13	14वां वित्त	विद्यालय मे शौचालय मरम्मत कार्य / 19583850	सामग्री सामग्री मजदूरी	19/02/2020 18/01/2020 19/02/2020	आर्यन ट्रेडर्स अशिमत टाइल्स एंड सेनेटरी माधवराज सिंह	18412.00 31061.00 22327.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त

			सामग्री	07/03/2020	बरदान ट्रेडर्स	37652.00	अप्राप्त
14	14वां वित्त	पूर्व माध्यमिक विद्यालय टिकरा का मरम्मतकार्य / 20612342	सामग्री अज्ञात ईट सामग्री	23/02/2020 23/02/2020 23/02/2020 27/02/2020	आर्यन ट्रेडर्स माधवराज सिंह चैतन्यदासब्रिक आर्यन ट्रेडर्स	19946.00 105053.00 11970.00 61123.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
15	रा0वि0	प्राथमिक विद्यालय टिकरा में अतिरिक्त कक्षा मरम्मत कार्य पार्ट - 1 / 21225394	सामग्री सामग्री मजदूरी	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	आर्यन ट्रेडर्स वरदान ट्रेडर्स माधवराज सिंह	34026.00 21299.00 48965.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
16	14वां वित्त	प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालय टिकरा के प्रांगण में इंटरलॉकिंग कार्य / 20612346	सामग्री सामग्री मजदूरी	31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020	आर्यन ट्रेडर्स चैतन्यदासब्रिक माधवराज सिंह	14306.00 15788.00 9687.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
					योग	2178298.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 2178298.00 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6 - क्रम संख्या 9 के कार्य पक्की सड़क से ननकऊ मिस्त्री के घर तक खड़जा निर्माण कार्य पर बिना मजदूरी पर कोई व्यय किए ही खड़जा कार्य पूर्ण कर लिया जाना रोकड़ बही मे दर्शित था | बिना मजदूरी के कोई खड़जा कार्य कैसे कराया गया , यह समझ से परे है | स्पष्टतः मजदूरी के अभाव मे उक्त कार्य कराया ही नहीं गया था तथा कूटरचित ढंग से कोशबही मे व्यय दर्शाकर उक्त कार्य पर व्यय दर्शित धन का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं |

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 2178298.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाणको / व्यय पत्रावलियों के अभाव में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 1089149.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 1089149.00 की

वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा सिंह से तथा रुपये 1089149.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री बलराम व श्री अजयनाथ गौड़ से उनके कार्यकाल के अनुसार की जानी अपेक्षित है

**मूलआपति संख्या - 04, धनराशि - 2178298.00**

**प्रस्तर-28** ग्राम पंचायत टिकरा की कोश बही व बैंक स्टेटमेंट की जांच में पाया गया कि दिनांक 01/8/2019 को चेक संख्या 29796 द्वारा खाते से रुपये 21840.00 का आहरण माधवराज सिंह के नाम से किया गया था किन्तु इस आहरित धनराशि का कोई विवरण ना तो कोश बही में अंकित किया गया था, ना ही egramswaraj पोर्टल पर तथा माह अगस्त के कुल व्ययों का समग्र योग रू० 195284.00 के स्थान पर रू० 217124.00 दर्शाकर कोश बही की अवशेष धनराशि को बैंक खाते में अवशेष धनराशि के बराबर कर दिया गया था और अंतर की आहरित धनराशि रू० 21840.00 का ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री बलराम / अजयनाथ गौड़ द्वारा अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली हेतु रू० 10920.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा सिंह से तथा रू० 10920.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री बलराम / अजयनाथ गौड़ से की जानी अपेक्षित है, वसूली में विलंब होने की दशा में धनराशि के आहरण की तिथि से ब्याज सहित वसूली किया जाना वांछनीय होगा ताकि आगे से इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके।

**मूलआपति संख्या - 07, धनराशि - 21840.00**

**13- ग्राम पंचायत - धनौली मिश्रान विकास खंड - बनीकोडर जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर-29** ग्राम पंचायत धनौली मिश्रान की वर्ष 2019-20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष माह फरवरी तथा मार्च में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न कार्यों पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था --

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	वर्क आइडी	सामग्री पर व्यय धनराशि	मजदूरी पर व्यय धनराशि	योग	व्यय प्रमाणक
1	रा0 वि०	चुनाव बूथ हेतु सोलर लैंप क्रय	19529539	6000.00	---	6000.00	अप्राप्त
2	14वां वि०	हैण्डपम्प मरम्मत	19529519	23000.00	10000.00	33000.00	अप्राप्त
3	14वां वि०	हयूम पाइप क्रय	19529522	97708.00	---	97708.00	अप्राप्त
4	14वां वि०	मंशाराम के दरवाजे से चंद्रेश के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	19529511	180637.00	19712.00	200349.00	अप्राप्त
5	14वां वि०	हैंडपम्प रिबोर 5 नग	19529543	142500.00	---	142500.00	अप्राप्त
6	14वां वि०	प्राथमिक विद्यालय धनौली मिश्रान में शौचालय निर्माण	19529502	120121.00	16674.00	136795.00	अप्राप्त
7	14वां वि०	मंदिर से जगदेव के घर तक खड़जा निर्माण	19529500	140400.00	28056.00	168456.00	अप्राप्त
8	14वां वि०	प्राथमिक विद्यालय ओहारपुर में इंटरलॉकिंग कार्य	19529505	167208.00	18592.00	185800.00	अप्राप्त
9	14वां वि०	प्रशासनिक कार्य तथा विज्ञापन पर व्यय	19529539	12500.00	---	12500.00	अप्राप्त
					योग	983108.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपतियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 983108.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क), पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी", के अंतर्गत समस्त प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 983108.00 व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाणको / व्यय पत्रावलियों के अभाव में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 491554.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 491554.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री उमानाथ से तथा रुपये 491554.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव अजय नाथ गौड़ से की जानी अपेक्षित है

**मूलआपत्ति संख्या - 09, धनराशि -983108.00**

**14- ग्राम पंचायत - धरौली**

**विकास खंड - बनीकोडर**

**जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर-30** ग्राम पंचायत धरौली की लेखा परीक्षा तिथि तथा उसके पश्चात भी लगातार पत्राचार किए जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिसके कारण ग्राम पंचायत धरौली की लेखा परीक्षा egramswaraj पोर्टल पर अंकित आँकणों के आधार पर सम्पन्न की गई (पत्राचार की प्रतियां संलग्न हैं)

ग्राम पंचायत धरौली के वर्ष 2019 -20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट / egramswaraj पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर व प्रियासॉफ्ट / egramswaraj पर फ़ीड रोकड़ बही के आधार पर संपन्न की गयी है | वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख (रोकड़ बही, पासबुक / बैंक स्टेटमेंट) और व्यय प्रमाणक बारम्बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए |

प्रियासॉफ्ट पर अंकित कैश बुक तथा व्यय विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत धरौली में विभिन्न कार्यों पर निम्नांकित विवरणानुसार धनराशियों का व्यय किया गया था -

क्र. सं.	योजना का कार्य का नाम / वर्क आइडी	व्यय विवरण	चेकसं०	दिनांक	आहरणकर्ता	धनराशि	व्यय प्रमाणक
01	14वां वित्त पूरे वैश्य रोड से रामकुमार के घर तक सीसी रोड / 15156603	मजदूरी	349743	10/7/19	ज्ञानप्रकाश	9532	अप्राप्त
		सामग्री	349744	10/7/19	वर्मा ट्रेडर्स	21319	अप्राप्त
		सामग्री	349745	10/7/19	वर्मा ट्रेडर्स	22656	अप्राप्त
		ईंट क्रय	349749	10/7/19	नीरज ब्रिक	27820	अप्राप्त
		ईंट क्रय	349749	10/7/19	नीरज ब्रिक	40800	अप्राप्त
		निर्माणसामग्री	पीएफएम एस	28/12/19	दूबे कंश० योग	64183	अप्राप्त
02	14वां वित्त दिकुलिया मे फूलचंद्र के घर से दिकुलिया सीसी रोड तक खड़जा निर्माण/ईंट क्रय 15156693	मजदूरी	349754	10/7/19	ज्ञानप्रकाश	4320	अप्राप्त
		ईंट क्रय	349756	10/7/19	नीरज ब्रिक	15834	अप्राप्त
		ईंट क्रय	349757	10/7/19	नीरज ब्रिक योग	82507	अप्राप्त
03	14वां वित्त रामबहादूर के ट्यूबेल के बगल से कुमार के घर के पास तक निर्माण/ 15156708	ईंट क्रय	349764	15/7/19	नीरज ब्रिक	20000	अप्राप्त
		ईंट क्रय	349763	15/7/19	नीरज ब्रिक	28500	अप्राप्त
		ईंट क्रय	349765	18/7/19	नीरज ब्रिक	15000	अप्राप्त
		मजदूरी	349772	18/7/19	ज्ञानप्रकाश योग	28000	अप्राप्त
						91500	

04	14वां वित्त	हैंडपंप मरम्मत / 15156696	मजदूरी सामग्री सामग्री	349773 349774 पीएफएम एस	19/7/19 19/7/19 28/11/19	ज्ञानप्रकाश हर्षित आयरन स्टोर ईश्वर इंटरप्राइज	28000 37580 24090	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
						योग	89670	
05	14वां वित्त	हैंडपंप रिबोर / 15156595	2 नग 2 नग 2 नग	349775 349776 349776	29/8/19 29/8/19 29/8/19	मे० प्रेमसागर मे० प्रेमसागर मे० प्रेमसागर	59800 59800 59800	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
						योग	179400	
06	14वां वित्त	हैंडपंप रिबोर 6 नग / 7327091	सामग्री मजदूरी	एवंपीएफएम एस	28/11/19	आयुष इंटरप्राइजेज	189000	अप्राप्त
07	राज्य वित्त	प्रशासनिक व्यय / 15156638	स्टेशनरी विज्ञापन व्यय कार्ययोजना/ प्रियासॉफ्ट कोरोना बचाव सामग्री क्रय	349778 पीएफएम एस पीएफएम सेएस हेतुपीएफएम एस	2/10/19 28/12/19 28/12/19 31/03/20	जैन बुक डिपो ज्ञानप्रकाश ज्ञानप्रकाश ज्ञानप्रकाश योग	2530 15000 6000 20000 43530	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
08	14वां वित्त	धरौली मे अशोक कुमार के घर के निर्माण बगल से शिव मंदिर तक सीसी रोड / एवं ईट क्रय 15156605	सामग्री मजदूरी	पीएफएम एस पीएफएम एस	25/10/19 28/12/19	आलोक ब्रिक फील्ड तथा दूबे कन्शट्रक्शन ज्ञानप्रकाश योग	126147 26888 153035	अप्राप्त अप्राप्त
09	14वां वित्त	पूरे वैश्य मे देवी यादवके घर के बगलनिर्माण से मनोहर यादव के घर तक सीसी रोड / 15156602	सामग्री मजदूरी	पीएफएम एस पीएफएम एस	24/10/19 28/12/19	दूबे कन्श० ज्ञानप्रकाश योग	50773 13608 64381	अप्राप्त अप्राप्त
10	14वां वित्त	पूरे वैश्य मे सीसी रोड से वासुदेव के घर तक सीसी रोड / 15156578	निर्माण सामग्री एवं ईट क्रय ईट क्रय मजदूरी	पीएफएम एस पीएफएम एस पीएफएम एस	26/10/19 26/10/19 15/2/20	आलोक ब्रिक फील्ड तथा दूबे कन्शट्रक्शन आलोक ब्रिक फील्ड ज्ञानप्रकाश योग	139534 7633 42258 189425	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
11	14वां वित्त	हैंडपंप मरम्मत / 15156629	सामग्री मजदूरी मजदूरी सामग्री	पीएफएम एस पीएफएम एस पीएफएम एस पीएफएम एस	28/11/19 8/12/19 28/12/19 15/2/20	ईश्वर इंटरप्राइज पवन कुमार तिवारी ज्ञानप्रकाश ईश्वर इंटरप्राइज योग	24700 12000 28000 20800 85500	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त

12	14वां वित्त	पंचायत भवन मरम्मत / 15156636	निर्माण सामग्री	पीएफएम एस	28/11/19	दूबे कन्श०	35450	अप्राप्त
13	14वां वित्त	प्राथ० विद्यालय मरम्मत कार्य / 15156627	निर्माण सामग्री तथा मजदूरी	पीएफएम एस	10/12/19	दूबेकन्श०/भारती/राम सजीवन भारती	160000	अप्राप्त
14	14वां वित्त	प्राथ० विद्यालय इंटरलॉकिंग कार्य/15156625	मेनिर्माण सामग्री मजदूरी मिट्टी कार्य ईट क्रय	पीएफएम एस पीएफएम एस पीएफएम एस	10/12/19 19/01/20 19/01/20 19/01/20	दूबे कन्श० ज्ञानप्रकाश ज्ञानप्रकाश नीरज ब्रिक योग	160000 18918 2000 31707 212625	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
15	14वां वित्त	भितरिया धरौली मे फैजाबाद रोड सेईट क्रय हशमत आली के घर से होते हुए नफीसमजदूरी के खड़जा तकखड़जा निर्माण 15156592	निर्माण सामग्री निर्माण सामग्री	पीएफएम एस पीएफएम एस पीएफएम एस पीएफएम एस	19/01/20 19/01/20 30/01/20 30/01/20	नीरज ब्रिक ज्ञानप्रकाश वर्मा ट्रेडर्स वर्मा ट्रेडर्स योग	99120 16562 8100 6500 130282	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
16	14वां वित्त	पूरे वैश्य मे सीसी रोड से समुझ के घर तक NH-28 होते हुए खड़जा निर्माण / 15156646	मजदूरी ईट क्रय	पीएफएम एस पीएफएम एस	19/01/20 19/01/20	ज्ञानप्रकाश नीरज ब्रिक योग	12740 63884 76624	अप्राप्त अप्राप्त
17	14वां वित्त	प्राथ० विद्यालय दलसिंहपुर बाँउन्डीवाल मरम्मत / 20607066	मेईट क्रय मजदूरी निर्माण सामग्री निर्माण सामग्री निर्माण सामग्री ईट क्रय मजदूरी	पीएफएम एस	30/01/20 30/01/20 30/01/20 21/02/20 26/2/20 26/2/20 26/2/20	नीरज ब्रिक ज्ञानप्रकाश अजय आयरन स्टोर तिवारी ट्रेडर्स तिवारी ट्रेडर्स आलोक ब्रिक ज्ञानप्रकाश योग	52044 23830 27200 47787 21301 27084 10150 209396	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
18	राज्य वित्त	रामचंद्र रावत के घर से नाला तक खड़जा व नाली निर्माण / 15156666	मजदूरी ईट क्रय ईट क्रय मिट्टी कार्य मजदूरी	पीएफएम एस पीएफएम एस पीएफएम एस पीएफएम एस	15/2/20 15/2/20 26/2/20 26/2/20 26/2/20	ज्ञानप्रकाश नीरज ब्रिक नीरज ब्रिक ज्ञानप्रकाश ज्ञानप्रकाश योग	4550 14950 14778 1500 1700 37478	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त

				पीएफएम एस पीएफएम एस					
19	14वां वित्त	विजय श्याम के घर से वृद्धा आश्रम तक नाली निर्माण / 15156698	मजदूरी निर्माण सामग्री ईंट क्रय मजदूरी ईंट क्रय निर्माण सामग्री	पीएफएम एस पीएफएम एस पीएफएम एस पीएफएम एस पीएफएम एस	15/2/20 15/2/20 15/2/20 26/2/20 26/2/20 26/2/20	जानप्रकाश तिवारी ट्रेडर्स नीरज ब्रिक जानप्रकाश नीरज ब्रिक तिवारी ट्रेडर्स योग	16044 34050 39060 3056 11744 5938 109892	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त	
20	14वां वित्त	पू० मा० वि० राम सनेहीघाट इंटरलॉकिंग कार्य / 20607062	मेनिर्माण सामग्री मजदूरी मिट्टी कार्य ईंट क्रय	पीएफएम एस पीएफएम एस पीएफएम एस पीएफएम एस	15/02/20 15/02/20 19/01/20 19/01/20	तिवारी ट्रेडर्स जानप्रकाश जानप्रकाश नीरज ब्रिक योग	99120 9100 2000 31707 141927	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त	
21	14वां वित्त	ढिकीलिया मे रामकुमार के घर फुलचंद के घर तक नाली निर्माण / 15156715	मेनिर्माण सामग्री मजदूरी ईंट क्रय	पीएफएम एस पीएफएम एस पीएफएम एस	15/2/20 15/2/20 15/2/20	जानप्रकाश वर्मा ट्रेडर्स नीरज ब्रिक योग	10260 20060 22785 53105	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त	
22	राज्य वित्त	भितरिया चौराहा से सुमेरगंज तक नाला सफाई कार्य / 20844426	मजदूरी	पीएफएम एस	19/02/20	जानप्रकाश	28210	अप्राप्त	
23	14वां वित्त	हैंडपम्प रिबोर 2 नग / 15156628	सामग्री मजदूरी	एवं पीएफएम एस	21/02/20	आयुष इंटरप्राइजेज	61000	अप्राप्त	
24	राज्य वित्त	हौसिला के घर के सामने से राजेश के घर तक खड़जा निर्माण / 15156585	मेनिर्माण सामग्री मजदूरी मिट्टी कार्य ईंट क्रय	पीएफएम एस पीएफएम एस पीएफएम एस	26/2/20 26/2/20 26/2/20	जानप्रकाश जानप्रकाश नीरज ब्रिक योग	5932 1500 37225 44657	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त	
25	14वां वित्त	आरसीसी रोड से राधे के घर तक खड़जा निर्माण / 15156686	मजदूरी मजदूरी ईंट क्रय	पीएफएम एस पीएफएम एस	26/2/20 26/2/20 26/2/20	जानप्रकाश जानप्रकाश नीरज ब्रिक योग	1000 3384 20870 25254	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त	

				पीएफएम एस					
26	14वां वित्त	प्राथ० विद्यालय रामसनेहीघाट मे फर्नीचर क्रय / 20607048	बेंचबेंच क्रय बेंच क्रय	पीएफएम एस पीएफएम एस	06/03/20 06/03/20	गायत्री इंटरप्रा० गायत्री इंटरप्रा० योग	99000 36000 135000	अप्राप्त अप्राप्त	
27	14वां वित्त	प्राथ० विद्यालय दलसिंहपुर फर्नीचर क्रय / 20607076	मे बेंचबेंच क्रय बेंच क्रय	पीएफएम एस पीएफएम एस	06/03/20 06/03/20	गायत्री इंटरप्रा० गायत्री इंटरप्रा० योग	99000 36000 135000	अप्राप्त अप्राप्त	
28	14वां वित्त	स्ट्रीटलाइट क्रय पर व्यय / 15156622	स्ट्रीटलाइट क्रय	पीएफएम एस पीएफएम एस	06/03/20 06/03/20	एलाइट पावर एलाइट पावर योग	97680 97680 195360	अप्राप्त अप्राप्त	
29	14वां वित्त	पू० मा० वि० धरौली इंटरलॉकिंग कार्य / 20607062	मेनिर्माण सामग्री निर्माण सामग्री मजदूरी ईंट क्रय	पीएफएम एस पीएफएम एस पीएफएम एस पीएफएम एस	08/03/20 08/03/20 08/03/20 15/02/20	तिवारी ट्रेडर्स तिवारी ट्रेडर्स ज्ञानप्रकाश नीरज ब्रिक योग	22317 58852 10368 16689 108226	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त	
30	14वां वित्त	सुदामा के घर से हौसिला के घर तक सीसी रोड कार्य / 15156608	निर्माण सामग्री मजदूरी ईंट क्रय	पीएफएम एस पीएफएम एस पीएफएम एस	15/03/20 15/03/20 15/03/20	कुमार ट्रेडर्स ज्ञानप्रकाश आलोक ब्रिक योग	81441 13342 22306 117089	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त	
31	14वां वित्त	केशरीनाथ के घर से मोहन बाबू के घर तक सीसी रोड कार्य / 15156618	निर्माण सामग्री मजदूरी ईंट क्रय	पीएफएम एस पीएफएम एस पीएफएम एस	15/03/20 15/03/20 15/03/20	कुमार ट्रेडर्स ज्ञानप्रकाश आलोक ब्रिक योग	115947 14024 22136 152107	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त	
						<b>कुल योग</b>	<b>3537094</b>		

1 अप्रैल 2020 से अद्यतन लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार बार-बार लिखित तथा मौखिक व् टेलीफोनिक वार्ता द्वारा अभिलेखों को प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया |

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्रांक संख्या - डी-21 दिनांक 28/12/2020, पत्रांक संख्या - जे-02 दिनांक 20/01/2021, तथा पत्रांक संख्या - एम-01 दिनांक 06/03/2021 को इस सम्बन्ध में पत्र के माध्यम से ( कॉपी संलग्न ) ऑडिट की यथास्थिति व प्रगति की सूचना दी गयी किन्तु आप द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया | उल्लेखनीय है कि -

अ - शासनादेश संख्या 2953 /2009 -101 ( 64 ) 2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों के लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध

कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित कर व्यक्तिगति रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

ब - शासनादेश संख्या 1838 /33 -3 -2015 , दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में विन्दु 4 घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में राखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी ए डी ओ ( P ) की होगी। लेकिन आप द्वारा अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

स - उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड़ बही ( रूप पत्र संख्या - 6 ) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए डी ओ ( पंचायत)द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न कर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है। क्योंकि अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में सांगत अभिलेख बनाये गए होते , लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है।

द - कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है किन्तु सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

२- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में पत्रांक संख्या - डी-21 दिनांक 28/12/2020 , तथा पत्रांक संख्या - एम -02 दिनांक 06/03/2021 को पत्र के माध्यम में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया. लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए.उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संप्रेक्षा /आ0रि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित सांगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं.

3- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या- 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं.

4-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पुरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे.

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारीके द्वारावर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों औरचतुर्थराज्य वित्त आयोग और चौदहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण कियागया है.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/ व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक,बिल /बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियोंजैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा,समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्त व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका,अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकदकिया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों केसत्यता की जांच न की जा सकी।पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं करायाजाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा"।

क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रूप 3537094.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन व वर्तमान सहायक विकास अधिकारी (पंचायत श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्योंकि प्रथम दृष्टया सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितना कि ग्राम पंचायत अधिकारी / सचिव, क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया क्योंकि यदि तात्कालीन व वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्रामपंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नहीं है, के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया।

साथ ही वर्तमान सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ने वर्तमान सचिव को ग्राम पंचायत का चार्ज दिलाते समय अभिलेखों के आदान प्रदान पर निगरानी नहीं किया जिससे इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ने अपने दायित्वों के निर्वहन में जानबूझ कर / पूरी तरह शिथिलता बरती और इसके पीछे किसी प्रकार के निहित लाभ होने की संभावना भी हो सकती है। यदि वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही तत्काल कर दिया होता तो सम्भव था कि उक्त धनराशि की वसूली अब तक हो जाती।

(ग). वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन कुमार गौतम ने ऑडिट के लिए न अभिलेख उपलब्ध कराया, न ही लिखकर दिया कि चार्ज में उन्हें अभिलेख नहीं मिला और न ही संबंधित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव व प्रधानके विरुद्ध कोई विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारियों को ही अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि जब कोई ग्राम पंचायत सचिव ट्रान्सफर होकर अन्यत्र जाता है तो वह वर्तमान सचिव को अभिलेखों की चार्ज लिस्ट सौंपता है। यदि उस समय चार्ज में सम्पूर्ण अभिलेखों का आदान प्रदान हुआ होता तो लेखापरीक्षा में अभिलेख जरूर प्रस्तुत किये जाते स्पष्ट हो जाते। वर्तमान सचिव श्रीसे चार्ज लिस्ट बार-बार मांगी गयीजिससे यह जांच किया जा सके कि वास्तव में उन्हें अभिलेख मिला है या नहीं। लेकिन वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा चार्ज लिस्ट नहीं दी गयी। इससे सिद्ध होता है कि या तो ग्राम पंचायत के पास अभिलेख है ही नहीं। चुकी ग्राम पंचायतद्वारा अनियमितता की गयी है औरलेखा परीक्षा में वस्तु स्थिति सामने आ न जाय इसलिए वर्तमान सचिव ने जानबूझकर ऑडिट में अभिलेख ही प्रस्तुत नहीं किया। वर्तमान सचिव बार-बार यह कहते रहे कि अपने पूर्व विभागीय सचिव के विरुद्ध कुछ भी लिखकर नहीं दूंगा और जब मुझे चार्ज में ही कोई अभिलेख नहीं मिला तो ऑडिट का कार्य कैसे कराया जा सकता है। स्पष्ट है कि वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव ने लेखा परीक्षा में असहयोग ही नहीं किया वरन वास्तविक तथ्यों को जानबूझ कर छिपाया भी है। इसलिए वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव। इसलिए वर्तमान सचिव श्री के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(घ). गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही केसाथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

(च). ग्रामपंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ ही साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। आगे उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु -1 punishment for failure to handover recordsect, और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06 / 2017 / 2325 / 33-1-2017-1988 / 2017, 01 दिसम्बर 2017 तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

(छ) प्रियासॉफ्ट/ईग्रामस्वराज पोर्टल पर अंकित विवरणों की जांच में पाया गया कि एक ही वर्क आइडी 20607062 के द्वारा क्रम संख्या 20 पर अंकित कार्य पू० मा० वि० राम सनेहीघाट में इंटरलॉकिंग कार्य तथा क्रम संख्या 29 पर अंकित कार्य पू० मा० वि० धरौली में इंटरलॉकिंग कार्य, दोनों ही कार्य कराया गया था। एक ही वर्क आइडी द्वारा दो कार्यों को कराया जाना गंभीर आपत्ति का विषय है। स्पष्टतः उक्त दोनों कार्यों में से एक कार्य फर्जी था, जिसकी पुष्टि अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 3537094.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से

रुपये 1768547.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 1768547.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री ज्ञानप्रकाश से तथा रुपये 1768547.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्देश शर्मा व पवन कुमार गौतम से की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या - 05, धनराशि - 3537094.00**

**प्रस्तर-31** ग्राम पंचायत धरौली के वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट / ईग्रामस्वराज पोर्टल पर अंकित विवरणों की जांच में पाया गया कि 14 वां वित्त से निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में सफाई कर्मों को मानदेय का भुगतान किया गया था -

योजना का नाम	कार्य का नाम / वर्क आइडी	व्यय विवरण	चेकसं०	दिनांक	आहरणकर्ता / प्राप्तकर्ता	धनराशि	वाउचर / व्यय प्रमाणक स्थिति
14वां वित्त	सफाई कर्मों को मानदेय / 15156637	मानदेय	पीएफएम	24/10/19	रज्जनलाल	36000	अप्राप्त
		मानदेय	एस	14/12/19	रज्जनलाल	6000	अप्राप्त
		मानदेय	पीएफएम	05/02/20	रज्जनलाल	12000	अप्राप्त
		मानदेय	एस	31/03/20	रज्जनलाल	12000	अप्राप्त
			पीएफएम एस पीएफएम एस				
					योग	66000	

14 वां वित्त की गाइड लाइन में कहीं भी सफाई कर्मों को मानदेय भुगतान का प्रावधान नहीं है तो उक्त भुगतानों को किए जाने का आधार क्या था यह स्पष्ट नहीं किया जा सका। पुनः प्रत्येक गाँव में सफाई कर्मियों की नियुक्ति है। यहाँ सफाई कर्मों की नियुक्ति किस आधार पर व किसके आदेश से की गई तथा क्या ग्राम पंचायत में सफाई कर्मों नियुक्त है अथवा नहीं, का विवरण भी अप्राप्त रहा। अतः यहाँ मनमाने ढंग से नियमों का उल्लंघन करके सफाई कर्मों को कुल भुगतान की गयी धनराशि ₹ 66000 का भुगतान फर्जी, नियम विरुद्ध तथा अमान्य था। अतः उक्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु ₹ 33000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री ज्ञानप्रकाश तथा ₹ 33000.00 की वसूली पंचायत सचिव श्री निर्देश कुमार शर्मा व पवन कुमार गौतम से की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या - 06, धनराशि - 66000.00**

**15- ग्राम पंचायत - नाथपुर विकास खंड - बनीकोडर जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर-32** ग्राम पंचायत नाथपुर की वर्ष 2019-20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष माह फरवरी तथा मार्च में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न कार्यों पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था --

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	वर्क आइडी	सामग्री पर व्यय धनराशि	मजदूरी पर व्यय धनराशि	योग	व्यय प्रमाणक
1	14वां वि०	हैण्डपम्प रिबोर रोमन के घर	14942871	17360.00	11110.00	28470.00	अप्राप्त
2	14वां वि०	हैण्डपम्प रिबोर हरिशंकर के घर	14942871	18550.00	11220.00	29770.00	अप्राप्त
3	14वां वि०	हैण्डपम्प रिबोर जगदीश के घर	14942871	17180.00	11540.00	28720.00	अप्राप्त
4	14वां वि०	ग्राम पंचायत में खड़जा निर्माण	14942895	140111.00	48306.00	188417.00	अप्राप्त
5	14वां वि०	पूर्व माध्यमिक विद्यालय में इंटरलॉकिंग	14942890	171144.00	21022.00	192166.00	अप्राप्त
6	14वां वि०	प्राथमिक विद्यालय में इंटर लॉकिंग	14942889	172295.00	20840.00	193135.00	अप्राप्त
7	राज्य वि०	ग्राम पंचायत में ठेलिया क्रय	14942851	12500.00	---	12500.00	अप्राप्त
8	14वां वि०	अमरनाथ के दरवाजे से तालाब तक नाली निर्माण	14942897	82598.00	19600.00	102198.00	अप्राप्त
9	14वां वि०	विज्ञापन पर व्यय	14942879	2500.00	---	2500.00	अप्राप्त
10	14वां वि०	डेस्क - बैंच क्रय	14942847	94800.00	---	94800.00	अप्राप्त
11	राज्य वि०	नाली निर्माण वाटर सप्लाई	14942861	86848.00	21540.00	108388.0	अप्राप्त
12	राज्य वि०	चबूतरा निर्माण	14942859	26837.00	2548.00	29385.00	अप्राप्त
					योग	1010399.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 1010399.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 1010399.00 व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाणको / व्यय पत्रावलियों के अभाव में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 505199.50 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 505199.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रवींद्र कुमार से तथा रुपये 505199.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार मिश्रा से की जानी अपेक्षित है

**मूल आपत्ति संख्या - 09, धनराशि - 1010399.00**

**16- ग्राम पंचायत - बड़ेला नरायनपुर**

**विकास खंड - बनीकोडर**

**जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर-33** ग्राम पंचायत बड़ेला नरायनपुर की वर्ष 2019-20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष माह फरवरी तथा मार्च में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न कार्यों पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था --

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	वर्क आइडी	सामग्री व्यय धनराशि	परमजदूरी पर व्यय धनराशि	योग	व्यय प्रमाणक
1	14वां वि०	रवींद्र के घर से तालाब तक नाली निर्माण	16590007	42455.00	10842.00	53297.00	अप्राप्त
2	14वां वि०	लल्ला की दुकान से खड़जा तक खड़जा निर्माण	16590077	116920.00	41148.00	158068.00	अप्राप्त
3	14वां वि०	पप्पू के घर से तालाब तक नाली निर्माण	16590006	37471.00	9314.00	46785.00	अप्राप्त
4	14वां वि०	सोनू के घर से गुड़ू के घर तक खड़जा मरम्मत	16590003	55680.00	24179.00	79859.00	अप्राप्त
5	14वां वि०	पूरेत्रिवेदी से गड़ेरियन पुरवा तक इंटरलॉकिंग	19591599	109465.00	30634.00	140099.00	अप्राप्त
6	14वां वि०	पूर्व माध्यमिक विद्यालय में इंटरलॉकिंग	20954531	173371.00	21502.00	194873.00	अप्राप्त

7	14वांवि०	प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर कीरत मे इंटरलॉकिंग	20954539	171963.00	21320.00	193283.00	अप्राप्त
8	राज्य वि०	बाबा डोहेवीर का चबूतरा निर्माण	16590086	77443.00	10078.00	87521.00	अप्राप्त
9	14वांवि०	रोड से डीनदयाल के खंभे तक इंटरलॉकिंग कार्य	16590065	147224.00	19464.00	166688.00	अप्राप्त
10	14वांवि०	सरकारी नल से दयारम के घर तक इंटरलॉकिंग	16590068	179806.00	24194.00	204000.00	अप्राप्त
					योग	1324473.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपतियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 1324473.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपतियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 1324473.00 व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाणको / व्यय पत्रावलियों के अभाव में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 662236.50 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 662236.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती दयावती से तथा रुपये 662236.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री चंद्र शेखर वर्मा से की जानी अपेक्षित है |

**मूलआपति संख्या - 01 धनराशि - 1324473.00**

**ग्राम पंचायत - बनीकोडर**

**विकास खंड - बनीकोडर**

**जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर-34** ग्राम पंचायत बनीकोडर की वर्ष 2019-20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष माह फरवरी तथा मार्च में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न कार्यों पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था --

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	वर्क आइडी	सामग्री पर व्यय धनराशि	मजदूरी पर व्यय धनराशि	योग	प्रमाणक
1	राज्य वि०	हैण्डपम्प मरम्मत	16919088	30510.00	9126.00	39636.00	अप्राप्त

2	14वां वि०	बी0 डी0 वर्मा के नाभदान से गोविंद माधव के घर तक भूमिगत नाली निर्माण	16919102	90966.00	17680.00	108646.00	अप्राप्त
3	14वां वि०	अजीत के घर से तालाब तक नाली निर्माण	16919125	39815.00	8150.00	47965.00	अप्राप्त
4	राज्य वि०	हैंडपम्प रिबोर	16919279	29306.00 29832.00 29326.00 26900.00 41820.00	-----	157184.00	अप्राप्त
5	राज्य वि०	ह्यूमपाइप क्रय	16919144	100888	5460.00	106348.00	अप्राप्त
6	14वां वि०	प्राथमिक विद्यालय भवन फर्श में टाइल्स कार्य	16919158 16919192	90083.00	62050.00	152133.00	अप्राप्त
7	14वां वि०	मनोज के घर से जितेंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	16919101	147010.00	16600.00	163610.00	अप्राप्त
8	14वां वि०	प्राथमिक विद्यालय बनीकोडर का भवन मरम्मत कार्य	16919186	19952.0	3074.00	23026.00	अप्राप्त
9	राज्य वि०	विज्ञापन पर व्यय	16919140	12500.00	---	12500.00	अप्राप्त
10	14वां वि०	प्राथमिक विद्यालय भितरिया का सौंदर्यीकरण कार्य	16919186	139540.00	---	139540.00	अप्राप्त
11	14वां वि०	आरसीसी रोड से प्राथमिक विद्यालय तक इंटरलॉकिंग	16919121	121341.00	---	121341.00	अप्राप्त
12	14वां वि०	डस्टबिन क्रय हेतु भुगतान	19374073	160000.00	---	160000.00	अप्राप्त
13	राज्य वि०	स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु व्यय 40	19374074	198000.00	---	198000.00	अप्राप्त
14	राज्य वि०	हैंडपम्प मरम्मत	16919088	---	20000.00	20000.00	अप्राप्त
15	राज्य वि०	हैंडपम्प मरम्मत	16919087	75095.00	7500.00	82595.00	अप्राप्त
16	राज्य वि०	हैंडपम्प रिबोर	16919279	61000.00	---	61000.00	अप्राप्त
17	राज्य वि०	हैंडपम्प रिबोर	16919197	61000.00	---	61000.00	अप्राप्त
18	14वां वि०	हैंडपम्प रिबोर	16919124	63000.00	---	63000.00	अप्राप्त
19	राज्य वि०	संजय के घर से रोड तक ढक्कन सीट व नाली निर्माण	16919116	83506.00	17574.00	101080.00	अप्राप्त
20	14वां वि०	प्राथमिक विद्यालय मरम्मत कार्य	16919189	160000.00	---	160000.00	अप्राप्त

21	14वां वि०	प्राथमिक विद्यालय मे शौचालय निर्माण कार्य	16919177	186040.00	10260.00	196300.00	अप्राप्त
22	14वां वि०	प्राथमिक विद्यालय भितरिया मे शौचालय निर्माण कार्य	16919188	162000.00	---	160000.00	अप्राप्त
23	राज्य वि०	प्राथमिक विद्यालय भितरिया मे इंटरलॉकिंग कार्य	19374075	24183.00	12188.00	36371.00	अप्राप्त
24	14वां वि०	प्रा० वि० भितरिया मे बाँउन्डी वाल व गेट निर्माण कार्य	20412413	82096.00	13462.00	95558.00	अप्राप्त
25	14वां वि०	सफाई कार्य / दवा छिड़काव	16919165	---	7200.00	7200.00	अप्राप्त
26	14वां वि०	रामलोटन के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	16919257	43816.00	9096.00	52912.00	अप्राप्त
27	14वां वि०	सीसी रोड से रामलोटन के घर तक खड़जा निर्माण	16919261	35675.00	6478.00	42153.00	अप्राप्त
28	14वां वि०	शिवकुमार के घर से रोड तक नाली निर्माण कार्य	16919262	58722.00	13608.00	72330.00	अप्राप्त
29	14वां वि०	अजीत के घर से गोले के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	16919151	75341.00	8770.00	84111.00	अप्राप्त
30	14वां वि०	रामबचन के घर से रामसूरत के घर तक खड़जा व नाली निर्माण कार्य	16919148	60397.00	7242.00	67639.00	अप्राप्त
31	14वां वि०	रविकुमार के घर से रोड तक नाली निर्माण कार्य	16919262	30198.00	---	30198.00	अप्राप्त
32	14वां वि०	रामदत्त के घर से होली गड़हा तक नाली निर्माण कार्य	16919135	22864.00	4730.00	27594.00	अप्राप्त
33	14वां वि०	ठठेरहा मे अवधेश के घर से सदाशिव के घर तक नाली निर्माण कार्य	16919149	22007.00	4402.00	26409.00	अप्राप्त
34	14वां वि०	सीओ आवास प्रांगण मे इंटरलॉकिंग कार्य	21225476	120065.00	13316.00	133381.00	अप्राप्त
35	14वां वि०	श्यामकुमार के घर से रोड तक नाली निर्माण कार्य	16919258	113944.00	21646.00	135590.00	अप्राप्त
36	14वां वि०	प्राथमिक विद्यालय भितरिया मे शौचालय निर्माण कार्य	16919184	26040.00	10260.00	36300.00	अप्राप्त
37	14वां वि०	प्राथमिक विद्यालय भितरिया मे फर्नीचर क्रय	16919194	99000.00	--	99000.00	अप्राप्त
38	14वां वि०	प्राथमिक विद्यालय मे फर्नीचर क्रय	20412414	108000.00	--	108000.00	अप्राप्त
39	14वां वि०	प्राथमिक विद्यालय बनीकोडर मे फर्नीचर क्रय	16919159	198000.00	--	198000.00	अप्राप्त
40	14वां वि०	हैंडपम्प मरम्मत	20606924	38500.00	10000.00	48500.00	अप्राप्त
41	14वां वि०	फैजाबाद रोड से भितरिया गाँव तक सीसी रोड मरम्मत	16919221	53522.00	9100.00	62622.00	अप्राप्त

					योग	3698772.00	
--	--	--	--	--	-----	------------	--

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 3698772.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6- लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत कैश बुक तथा egramswaraj साइट पर अंकित कैश बुक व विवरणों की जांच मे पाया गया कि उपरोक्त क्रम संख्या 10, 11, 20, 22, तथा 31 पर अंकित निर्माण -- कार्यों प्राथमिक विद्यालय भितरिया का सौंदर्यीकरण कार्य, आरसीसी रोड से प्राथमिक विद्यालय तक इंटरलॉकिंग , प्राथमिक विद्यालय मरम्मत कार्य, प्राथमिक विद्यालय भितरिया मे शौचालय निर्माण कार्य, तथा रविकुमार के घर से रोड तक नाली निर्माण कार्य क्रमशः पर कार्य कराए जाने हेतु सामग्री पर व्यय तो दर्शाया गया था किन्तु उक्त कार्यों पर मजदूरी पर व्यय किए बिना ही कार्य को पूर्ण कर लिया गया था | निर्माण कार्यों को मजदूरी पर व्यय किए बिना कैसे पूर्ण कर लिया गया यह समझ से परे है |स्पष्टतः या तो उक्त कार्य कराए ही नहीं गए थे अथवा उक्त कार्यों को कराए जाने के क्रम मे मनमाने ढंग से धनराशियों का व्यय करके व्यय धनराशि का दुरुपयोग किया गया जिसके लिए तत्कालीन सचिव निर्देश कुमार शर्मा तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा उत्तरदायी हैं |

7- क्रम संख्या 34 पर अंकित कार्य सीओ आवास प्रांगण मे इंटरलॉकिंग कार्य पर सामग्री व मजदूरी के रूप मे कुल रुपये 133381.00 का व्यय किया गया था | चूंकि सीओ आवास पुलिस विभाग की संपत्ति होती है जिसके मरम्मत व पुनर्निर्माण हेतु पदलिके विभाग से फंड जारी होता है ऐसे मे उक्त कार्य पर ग्राम पंचायत के ग्राम निधि एक के 14 वें वित्त से किस आधार पर व किसके आदेश पर धनराशि का व्यय किया गया , प्रश्न करने पर सचिव द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका | स्पष्टतः उक्त व्यय मनमानापूर्ण तथा अनियमित था जिसके लिए तत्कालीन सचिव निर्देश कुमार शर्मा तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा उत्तरदायी हैं |

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 3698772.00 पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाणको / व्यय पत्रावलियों के अभाव में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 1849386.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 1849386.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा से तथा रुपये 1849386.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्देश कुमार शर्मा से की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या - 01 धनराशि - 3698772.00

**18- ग्राम पंचायत - मोहम्मदपुर उपाध्याय**

**विकास खंड - बनीकोडर**

**जनपद - बाराबंकी**

प्रस्तर-35 ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर उपाध्याय की वर्ष 2019 - 20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न कार्यों पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था --

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	वर्क आइडी	सामग्री पर व्यय धनराशि	मजदूरी पर व्यय धनराशि	योग	व्यय प्रमाणक
1	14वां वि०	हैण्डपम्प रिबोर	14969249	29875.00	---	180000.00	अप्राप्त
2	14वां वि०	हैण्डपम्प रिबोर	14969249	29878.00	---	180000.00	अप्राप्त
3	14वां वि०	हैण्डपम्प रिबोर	14969249	29878.00	---	180000.00	अप्राप्त
4	14वां वि०	हैण्डपम्प रिबोर	14969249	29892.00	---	180000.00	अप्राप्त
5	14वां वि०	हैण्डपम्प रिबोर	7560117	29875.00	---	180000.00	अप्राप्त
6	14वां वि०	हैण्डपम्प रिबोर	7560117	29880.00	---	180000.00	अप्राप्त
7	14वां वि०	हैण्डपम्प रिबोर	7560117	29870.00	---	180000.00	अप्राप्त
8	14वां वि०	हैण्डपम्प रिबोर	14969249	29215.00	---	180000.00	अप्राप्त
9	14वां वि०	हैण्डपम्प रिबोर	14969249	29200.00	---	180000.00	अप्राप्त
					योग	267563.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायीं गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 267563.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 267563.00 व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाणको / व्यय पत्रावलियों के अभाव में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 133781.50 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 133781.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार से तथा रुपये 133781.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन कुमार से की जानी अपेक्षित है ।

**मूल आपति संख्या - 01 धनराशि - 267563.00**

19- ग्राम पंचायत - रसूलपुर

विकास खंड - बनीकोडर

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-36 केश बुक तथा बैंक स्टैटमन्ट विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत रसूलपुर मे वर्ष 2019-20 में विभिन्न विभिन्न निर्माण कार्यो पर निम्नांकित विवरणानुसार धनराशियों का व्यय किया गया था -

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम / व्यय विवरण	व्यय विवरण	चेकसं0/ दिनांक	आहरणकर्ता	धनराशि	व्यय प्रमाणक
01	14वां/रा० वि०	शहीद दादा के पास से करीमदास कुटी तक खड़जा कार्य	मिट्टी कार्य	055535/23-07-19	रामप्रताप	7875.00	अप्राप्त
			ईंट क्रय	055532/24-07-19	सिंह ब्रिक फील्ड	29640.00	अप्राप्त
			मजदूरी	055533/29-07-19	कृपा शंकर	7462.00	अप्राप्त
02	14वां/रा० वि०	प्राथमिक वि० रसूल पुर मे शौचालय मरम्मत कार्य	ईंट क्रय	055530/24-07-19	सिंह ब्रिक फील्ड	11756.00	अप्राप्त
			निर्माण सामग्री क्रय	055531/24-07-19	साकेतमिल स्टोर	19831.00	अप्राप्त
03	14वां/रा० वि०	पू०मा० वि० सरोह मे शौचालय मरम्मत कार्य	ईंट क्रय	055529/24-07-19	सिंह ब्रिक फील्ड	10456.00	अप्राप्त
			निर्माण सामग्री क्रय	055526/25-07-19	श्रीसाई ट्रेडर्स	16577.00	अप्राप्त
04	14वां/रा० वि०	पक्की सड़क से हनुमान मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य	ईंट क्रय	055537/29-07-19	सिंह ब्रिक फील्ड	30600.00	अप्राप्त
			निर्माण सामग्री क्रय	055539/24-07-19	श्रीसाई ट्रेडर्स	25880.00	अप्राप्त
			इंटरलॉकिंग ईंट क्रय	055536/29-07-19	सान्वी ट्रेडर्स	99000.00	अप्राप्त
			मजदूरी	055538/30-07-19	कृपा शंकर	17000.00	अप्राप्त
05	14वां/रा० वि०	बाबूलाल के घर से आत्मा के घर तक खड़जा कार्य	मिट्टी कार्य	055548/29-07-19	रामप्रताप	6975.00	अप्राप्त
			ईंट क्रय	055547/29-07-19	सिंह ब्रिक फील्ड	111355.00	अप्राप्त
			मजदूरी	055549/30-07-19	कृपा शंकर	31486.00	अप्राप्त
06	14वां/रा० वि०	पक्की सड़क से देवकली के घर तक खड़जा कार्य	मिट्टी कार्य	055545/29-07-19	रामप्रताप	5175.00	अप्राप्त
			ईंट क्रय	055544/29-07-19	सिंह ब्रिक फील्ड	81282.00	अप्राप्त
			मजदूरी	055546/30-07-19	कृपा शंकर	22932.00	अप्राप्त
07	14वां/रा० वि०	प्राथमिक वि० रसूलपुर मे रंगाई पुताई कार्य	पेंट सामग्री	पीएफएम एस /28-03-20	अज्ञात	48514.00	अप्राप्त
			मजदूरी	पीएफएम एस /28-03-20	अज्ञात	16800.00	अप्राप्त
			मजदूरी	पीएफएम एस /28-03-20	अज्ञात	74074.00	अप्राप्त
					योग	674650.00	

उक्त कराये गए कार्यो के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपतियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यो के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यो की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यो पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 674650.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यो से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय

8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपतियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 674650.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 337325.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 337325.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से तथा रुपये 337325.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री नीरज कुमार से की जानी अपेक्षित है

**मूल आपति संख्या - 06 धनराशि - 674650.00**

**प्रस्तर-37** केश बुक तथा बैंक स्टैटमन्ट विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत रसूलपुर मे वर्ष 2019-20 में विभिन्न तिथियों मे हैण्डपम्प मरम्मत तथा रिबोर कार्यों पर निम्नांकित विवरणानुसार धनराशियों का व्यय किया गया था -

01	14वां वित्त/रा० वि०	हैण्डपम्प मरम्मत	मजदूरी	055527/17-07-19	कृपा शंकर	10000.00	अप्राप्त
			सामग्री	055526/17-07-19	साकेतमिल स्टोर	23000.00	अप्राप्त
			सामग्री	पीएफएम एस /20-3-	साकेतमिल स्टोर	17300.00	अप्राप्त
			मजदूरी	2020	अज्ञात	6750.00	अप्राप्त
				पीएफएम एस /20-3-			
				2020			
02	14वां वित्त/रा० वि०	सफाई कर्मों को सफाई किट क्रय	055550/31-07-19	आयुष इंटरप्राइजेज	24500.00	अप्राप्त	
03	14वां वित्त/रा० वि०	हैण्डपम्प रिबोर /आई डी संख्या-19529788	सामग्री,मजदूरी	051774/17-07-19	साकेतमिल स्टोर	28500.00	अप्राप्त
			सामग्री,मजदूरी	051773/17-07-19	साकेतमिल स्टोर	28500.00	अप्राप्त
			सामग्री,मजदूरी	055542/29-07-19	साकेतमिल स्टोर	28500.00	अप्राप्त
			सामग्री,मजदूरी	055541/17-07-19	साकेतमिल स्टोर	28500.00	अप्राप्त
			सामग्री,मजदूरी	055541/17-07-19	साकेतमिल स्टोर	28500.00	अप्राप्त
4	14वां वित्त/रा० वि०	चुनाव हेतु सोलर लाइट क्रय	051772/16-5-19	लक्ष्य इंटरप्राइजेज	6000.00	अप्राप्त	
5	14वां वित्त/रा० वि०	ह्यूम पाइप क्रय	ह्यूम पाइप क्रय	051772/17-7-19	सुन्दरलाल	97708.00	अप्राप्त
					कंशट्रक्शनश		
					योग	327758.00	

उक्त कराये गए मरम्मत तथा रिबोर कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपतियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त हैण्डपम्प मरम्मत तथा रिबोर कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 224050.00 "पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत

राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा “ के अनुसार वसूली योग्य है |

2 - उपरोक्त हैण्डपम्प मरम्मत तथा रिबोर कार्यों हेतु सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपतियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 327758.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 163879.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 163879.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से तथा रुपये 163879.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री नीरज कुमार से की जानी अपेक्षित है |

**मूलआपति संख्या - 07 धनराशि - 327758.00**

**20- ग्राम पंचायत - हकामी**

**विकास खंड - बनीकोडर**

**जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर-38** ग्राम पंचायत हकामी की वर्ष 2019-20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न कार्यों पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था --

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम / वर्क आई०डी०	व्यय विवरण	दिनांक	आहरणकर्ता / प्राप्तकर्ता	धनराशि	व्यय प्रमाणक
01	रा0 वित्त	स्टेशनरी क्रय / 9602335	सामग्री	04/04/2019	सिंह पुस्तक भंडार	13210.00	अप्राप्त
02	14वां वि0	ह्यूम पाइप आपूर्ति / 17740173	सामग्री सामग्री	29/07/2019 29/07/2019	बंधु पाइप उद्योग सुंदरलालकंशट्रक्शन	49920.00 91485.00	अप्राप्त अप्राप्त
03	14वां वि0	सोलर लैंप आपूर्ति / 15809675	लैंप क्रय	15/05/2019	लक्ष्य इंटरप्रा0	9000.00	अप्राप्त
04	रा0वि0	हैण्डपम्पमरम्मत / 15809668	सामग्री मजदूरी सामग्री मजदूरी	22/07/2019 22/07/2019 29/01/2020 29/01/2020	वैष्णव मशीनरी फूला ईश्वर इंटरप्रा0 फूला	41766.00 13978.00 28215.00 16600.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
05	14वां वित्त	हैण्डपम्प रिबोर / 15809660	3 नग	31/07/2019	वैष्णव मशीनरी	89853.00	अप्राप्त
06	रा0वि0	तालाब भराई / 17740172	भुगतान	01/08/2019	फूला	9840.00	अप्राप्त
07	14वां वित्त	डामर सड़क से कपिल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य / 17740174	ईट क्रय मजदूरी निर्माणसामग्री इंटरलॉक ईट	31/07/2019 31/07/2019 01/08/2019 01/08/2019	अमितविक्रम ब्रिक फूला दिव्यान्श ट्रेडर्स गुप्ता इंटरलॉकिंग	47180.00 26668.00 40300.00 121275.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
08	14वां वित्त	कपिल के घर से जानचंद के घर तक इंटरलॉकिंग / 17740175	ईट क्रय मजदूरी निर्माणसामग्री इंटरलॉक ईट	31/07/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	अमितविक्रम ब्रिक फूला दिव्यान्श ट्रेडर्स गुप्ता इंटरलॉकिंग	47560.00 26304.00 39293.00 119047.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
09	14वां वित्त	मेन खड़जा से रामराज के घर के सामने तक इंटरलॉकिंग / 17740177	ईट क्रय मजदूरी निर्माणसामग्री	31/07/2019 31/07/2019 01/08/2019	अमितविक्रम ब्रिक फूला दिव्यान्श ट्रेडर्स	47560.00 26304.00 39293.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त

			इंटरलॉक ईट	01/08/2019	शुक्ला इंटरप्रा0	119047.00	अप्राप्त
10	14वां वित्त	जानचंद के घर से शंकर के घर तक इंटरलॉकिंग / 17740176	ईट क्रय	01/08/2019	नीरज ब्रिक फील्ड	39120.00	अप्राप्त
			मजदूरी	01/08/2019	फूला	24594.00	अप्राप्त
			निर्माणसामग्री	01/08/2019	दिव्यान्श ट्रेडर्स	35748.00	अप्राप्त
			इंटरलॉक ईट	01/08/2019	गुप्ता इंटरलॉकिंग	121770.00	अप्राप्त
11	14वां वित्त	डामर सड़क से मुन्नान के घर तक खड़जा निर्माण / 15809677	ईट क्रय	08/08/2019	अमितविक्रम ब्रिक	72960.00	अप्राप्त
			कॉर्टेज मिट्टी	08/08/2019	दिनेश कुमार	18000.00	अप्राप्त
			मजदूरी	08/08/2019	फूला	10192.00	अप्राप्त
12	14वां वित्त	डामर सड़क से अरविन्द के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य / 15809658	मजदूरी	29/01/2020	फूला	3150.00	अप्राप्त
			सामग्री	30/01/2020	ईश्वरदीनमिश्राट्रेडर्स	38134.00	अप्राप्त
			मजदूरी	30/01/2020	फूला	20870.00	अप्राप्त
			ईट व रोरी	30/01/2020	अमितविक्रम ब्रिक	21577.00	अप्राप्त
			इंटरलॉक ईट	30/01/2020	ईश्वरदीनमिश्राट्रेडर्स	55011.00	अप्राप्त
			इंटरलॉक ईट	30/01/2020	ईश्वरदीनमिश्राट्रेडर्स	49560.00	अप्राप्त
13	14वां वित्त	विद्यालय में बॉउन्ड्रीवाल निर्माण / 15809665	ईट क्रय	17/02/2020	नीरज ब्रिक फील्ड	10080.00	अप्राप्त
			सामग्री	17/02/2020	ईश्वरदीनमिश्राट्रेडर्स	76760.00	अप्राप्त
			ईट क्रय	17/02/2020	नीरज ब्रिक फील्ड	58590.00	अप्राप्त
			मजदूरी	17/02/2020	फूला	44954.00	अप्राप्त
			ईट क्रय	17/02/2020	नीरज ब्रिक फील्ड	58590.00	अप्राप्त
14	14वां वित्त	विद्यालय में बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बेंच क्रय / 15809662	सामग्री	25/02/2020	सद्दाम ट्रेडर्स	94800.00	अप्राप्त
			सामग्री	25/02/2020	सद्दाम ट्रेडर्स	94800.00	अप्राप्त
			सामग्री	25/02/2020	सद्दाम ट्रेडर्स	47400.00	अप्राप्त
					योग	2060393.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपतियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 2060393.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6 - क्रम संख्या 8 तथा 9 के कार्य कपिल के घर से जानचंद के घर तक इंटरलॉकिंग / 17740175 तथा मेन खड़जा से रामराज के घर के सामने तक इंटरलॉकिंग / 17740177 क्रमशः पर अलग अलग कार्य होते हुए भी मजदूरी व सामग्री आदि सभी मदों पर समान धनराशियों का भुगतान किया गया है | दो अलग कार्यों के सभी मदों पर समान धनराशि का भुगतान कैसे किया जा सकता है यह समझ से परे है | इससे प्रतीत होता है कि वास्तव में एक ही कार्य को दो बार दर्शाकर उसका दो बार भुगतान किया गया था |जिसकी वसूली किया जाना अपेक्षित है |

उपरोक्त आपतियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 2060393.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाणको / व्यय पत्रावलियों के अभाव में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 1030196.50 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 1030196.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फूला से तथा रुपये 1030196.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार मिश्र से की जानी अपेक्षित है |

**मूल आपति संख्या - 04 धनराशि - 2060393.00**

**21- ग्राम पंचायत टांडा**

**विकास खंड - बनीकोडर**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-39** ग्राम पंचायत टांडा की वर्ष 2019-20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न कार्यों पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	वर्क आइडी	सामग्री पर व्यय धनराशि	मजदूरी पर व्यय धनराशि	योग	व्यय पत्रावली/प्रमाणक प्राप्त/अप्राप्त
1	रा० वि०	पंचायत भवन के पास से सड़क किनारे तक नाली निर्माण	15560928	89843.00	17850.00	107693.00	अप्राप्त
2	रा० वि०	राजू पंडित के दरवाजे होते हुए पक्की रोड टांडा स्कूल तक इंटरलॉकिंग	19560899	168075.00	शून्य	168075.00	अप्राप्त
					योग	275768.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपतियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 275768.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6 - क्रम संख्या 2 पर इंटरलॉकिंग कार्य राजू पंडित के दरवाजे होते हुए पक्की रोड टांडा स्कूल तक इंटरलॉकिंग पर व्यय तो दर्शाया गया था किन्तु कार्य हेतु इंटरलॉकिंग कार्य पर मजदूरी का व्यय नहीं किया गया था | बिना मजदूरीपर व्यय किए कैसे इंटरलॉकिंग कार्य कराया गया यह समझ से परे है |

उपरोक्त आपतियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 275768.00 व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाणको / व्यय पत्रावलियों के अभाव में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 137884.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 137884.00 की वसूली ग्राम प्रधान विन्धेश्वरी से तथा रुपये 137884.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव राजेन्द्र यादव से की जानी अपेक्षित है

#### मूलआपति संख्या - 01 धनराशि - 275768.00

**प्रस्तर-40** ग्राम पंचायत टांडा की वर्ष 2019-20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न कार्यों पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था --

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	वर्क आइडी	सामग्री पर व्यय धनराशि	मजदूरी पर व्यय धनराशि	योग	व्यय पत्रावली/प्रमाणक प्राप्त/अप्राप्त
1	14वां वि०	पूर्व माध्यमिक विद्यालय टांडा मे शौचालय निर्माण	21161177	90995.00	शून्य	90995.00	अप्राप्त
2	14वां वि०	पूर्व माध्यमिक विद्यालय टांडा मे मरम्मत कार्य	21161180	112528.00	72128.00	184656.00	अप्राप्त
					योग	275651.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपतियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 275651.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6 - क्रम संख्या 1 पर अंकित पूर्व माध्यमिक विद्यालय टांडा में शौचालय निर्माण कार्य पर व्यय तो दर्शाया गया था किन्तु कार्य पर मजदूरी का व्यय नहीं किया गया था | बिना मजदूरी पर व्यय किए कैसे शौचालय निर्माण कार्य कराया गया यह समझ से परे है |

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 275651.00 व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाणको / व्यय पत्रावलियों के अभाव में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 137825.50 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 137825.50 की वसूली ग्राम प्रधान विन्धेश्वरी से तथा रुपये 137825.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेन्द्र यादव से की जानी अपेक्षित है |

**मूलआपत्ति संख्या - 02 धनराशि - 275651.00**

**22- ग्राम पंचायत - डिगसरी**

**विकास खंड - बनीकोडर**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-41** ग्राम पंचायत डिगसरी की वर्ष 2019-20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न कार्यों पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था --

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम / वर्क आई०डी०	व्यय विवरण	दिनांक	आहरणकर्ता	धनराशि	व्यय प्रमाणक
01	14वां वि०	चुनाव बूथ पर सोलर लैंप आपूर्ति /15229808	लैंप क्रय	13/05/2019	लक्ष्य इंटरप्रा०	6000.00	अप्राप्त
02	14वां वि०	ह्यूम पाइप आपूर्ति / 15229789	सामग्री	20/07/2019	बंधु पाइप उद्योग	33280.00	अप्राप्त
			सामग्री	20/07/2019	सुंदरलाल कंशट्रक्शन	60990.00	अप्राप्त
03	14वां वित्त	हैण्डपम्प रिबोर / 15229807	2 नग	22/07/2019	राजेन्द्र मशीनरी स्टोर	59902.00	अप्राप्त
			1 नग	22/07/2019	राजेन्द्र मशीनरी स्टोर	29951.00	अप्राप्त
04	14वां वित्त	हैण्डपम्प रिबोर / 15229771	1 नग	22/07/2019	राजेन्द्र मशीनरी स्टोर	29951.00	अप्राप्त
			1 नग	22/07/2019	राजेन्द्र मशीनरी स्टोर	29951.00	अप्राप्त
05	14वां वित्त	मंशाराम के दरवाजे से दयाराम के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग / 15229775	ईट क्रय	24/07/2019	नीरज ब्रिक फील्ड	22172.00	अप्राप्त
			सामग्री	24/07/2019	दिव्यान्श ट्रेडर्स	24138.00	अप्राप्त
			इंटरलॉक ईट	24/07/2019	गुप्ता इंटरलॉकिंग	66825.00	अप्राप्त
			इंटरलॉक ईट	24/07/2019	गुप्ता इंटरलॉकिंग	51232.00	अप्राप्त
			मजदूरी	25/07/2019	राम प्रकाश	18788.00	अप्राप्त
06	14वां वित्त	रौनक अली के दरवाजे से पुलिया तक इंटरलॉकिंग / 15229778	इंटरलॉक ईट	24/07/2019	गुप्ता इंटरलॉकिंग	55935.00	अप्राप्त
			मजदूरी	26/07/2019	राम प्रकाश	20006.00	अप्राप्त
			ईट क्रय	26/07/2019	नीरज ब्रिक फील्ड	25760.00	अप्राप्त
			सामग्री	26/07/2019	दिव्यान्श ट्रेडर्स	25422.00	अप्राप्त
			इंटरलॉक ईट	30/07/2019	शुक्ला इंटरप्राइजेज़	64350.00	अप्राप्त
07	14वां वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत / 15229811	सामग्री	25/07/2019	गरिमा पाइप उद्योग	17993.00	अप्राप्त
			मजदूरी	25/07/2019	राम प्रकाश	6748.00	अप्राप्त
08	राज्य वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत / 15229744	सामग्री	2*/01/2020	राजेन्द्र मशीनरी स्टोर	19500.00	अप्राप्त
			मजदूरी	05/02/2020	राम प्रकाश	13280.00	अप्राप्त
09	राज्य वित्त	विज्ञापन हेतु व्यय / 15229808	व्यय	06/08/2019	अमर भारती	2500.00	अप्राप्त
			व्यय	07/08/2019	हिंदुस्तान मीडिया	6500.00	अप्राप्त
			व्यय	08/08/2019	सहारा इंडिया	3500.00	अप्राप्त

10	14वां वित्त	रामनेवाज़ के खेत से कल्लू के खेत तक खड़जा निर्माण / 15229773	कॉर्टेज मिट्टी	08/02/2020	रामप्रकाश	9500.00	अप्राप्त
			ईंट क्रय	08/02/2020	दिनेश कुमार	57000.00	अप्राप्त
			ईंट क्रय	08/02/2020	नीरज ब्रिक फील्ड	63840.00	अप्राप्त
			मजदूरी	08/02/2020	नीरज ब्रिक फील्ड	25080.00	अप्राप्त
11	14वां वित्त	प्राथमिक विद्यालय डिगसरी में इंटरलॉकिंग कार्य / 15229801	इंटरलॉक ईंट	08/02/2020	ईश्वरदीनमिश्राट्रेडर्स	61950.00	अप्राप्त
			मजदूरी	08/02/2020	राम प्रकाश	29680.00	अप्राप्त
			ईंट क्रय	08/02/2020	नीरज ब्रिक फील्ड	43029.00	अप्राप्त
			सामग्री	08/02/2020	ईश्वरदीनमिश्राट्रेडर्स	42671.00	अप्राप्त
12	14वां वित्त	डेस्क बेंच आदि फर्नीचर क्रय / 15229809	सामग्री	23/02/2020	आर0 एस0 ट्रेडर्स	94800.00	अप्राप्त
			सामग्री	23/02/2020	आर0 एस0 ट्रेडर्स	94800.00	अप्राप्त
			सामग्री	23/02/2020	आर0 एस0 ट्रेडर्स	47400.00	अप्राप्त
13	14वां वित्त	प्राथमिक विद्यालय डिगसरी में मरम्मतकारण कार्य / 15809658	मजदूरी	29/01/2020	राम प्रकाश	64064.00	अप्राप्त
योग						1468684.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपतियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 1468684.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपतियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 1468684.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाणको / व्यय पत्रावलियों के अभाव में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 734342.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 734342.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश से तथा रुपये 734342.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार मिश्रा से की जानी अपेक्षित है |

**मूलआपति संख्या - 04 धनराशि - 1468684.00**

**23- ग्राम पंचायत - धारुपुर**

**विकास खंड - बनीकोडर**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-42** ग्राम पंचायत धारुपुर की वर्ष 2019-20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न कार्यों पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था --

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	वर्क आइडी	सामग्री पर व्यय धनराशि	मजदूरी पर व्यय धनराशि	योग	व्यय पत्रावली/प्रमाणक प्राप्त/अप्राप्त
1	रा०वि०	चुनाव बूथ हेतु सोलर लैंप क्रय	19494689	3000.00	---	3000.00	अप्राप्त
2	रा०वि०	हैंडपम्प मरम्मत	19494711	60000.00	15000.00	75000.00	अप्राप्त
3	14वां वि०	हैंडपम्प मरम्मत	20919392	39200.00	2000.00	41200.00	अप्राप्त
4	14वां वि०	हैंडपम्प रिबोर 2	19494697	46100.00	15000.00	61100.00	अप्राप्त
5	14वां वि०	हैंडपम्प रिबोर 1	19494697	29415.00	--	29415.00	अप्राप्त
6	14वां वि०	हैंडपम्प रिबोर 4	19494697	118675.00	--	118675.00	अप्राप्त
7	14वां वि०	दीपचन्द के दरवाजे ए तालाब तक नाली निर्माण	19494694	145495.00	29602.00	175097.00	अप्राप्त
8	14वां वि०	धारुपुर स्कूल का मरम्मतकारण	20918386	141485.00	85625.00	227110.00	अप्राप्त
9	14वां वि०	प्राथ० विद्या० धारुपुर में टाइल्स कार्य	20919394	144054.00	39090.00	183144.00	अप्राप्त
					योग	913741.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायीं गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 913741.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपुर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपतियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 913741.00 व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाणको / व्यय पत्रावलियों के अभाव में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 456870.50 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 456870.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती निशू देवी से तथा रुपये 456870.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेन्द्र कुमार यादव से की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या - 07 धनराशि - 913741.00

**24- ग्राम पंचायत - फतेहगंज**

**विकास खंड - बनीकोडर**

**जनपद- बाराबंकी**

प्रस्तर-43 ग्राम पंचायत फतेहगंज की वर्ष 2019-20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न कार्यों पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था --

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	वर्क आइडी	सामग्री पर व्यय धनराशि	मजदूरी पर व्यय धनराशि	योग	व्यय प्रमाणक
1	रा०वि०	चुनाव बूथ हेतु सोलर लैंप क्रय	16590222	3000.00	---	3000.00	अप्राप्त
2	14वां वि०	ह्यूम पाइप आपूर्ति	16590200	192966.00	---	192966.00	अप्राप्त
3	14वां वि०	उरसेद खाँ के घर से तालाब तक नाली निर्माण	16590200	45270.00	5894.00	51164.00	अप्राप्त
4	14वां वि०	दिनेश शर्मा के दरवाजे से राजेश के दरवाजे होते हुए तालाब तक नाली निर्माण	16590200	173698.00	20076.00	193774.00	अप्राप्त
5	रा०वि०	हैण्डपम्प मरम्मत	16590164	49981.00	--	49981.00	अप्राप्त
6	14वां वि०	हैण्डपम्प मरम्मत	16590180	60800.00	--	60800.00	अप्राप्त
7	14वां वि०	प्राथ० विद्यालय फतेहगंज में बाँउन्डीवाल निर्माण व रंगाई-पुताई	21161169	84260.00	19222.00	103482.00	अप्राप्त
8	14वां वि०	प्राथ० विद्यालय फतेहगंज में शौचालय निर्माण	21161170	109600.00	19920.00	129520.00	अप्राप्त
9	14वां वि०	प्राथ० विद्यालय फतेहगंज में खड़जा निर्माण	21245604	11940.00	4412.00	16352.00	अप्राप्त
10	14वां वि०	पक्की सड़क से छुन्ना के घर तक खड़जा निर्माण	21245607	25585.00	5824.00	31409.00	अप्राप्त
11	14वां वि०	फतेहगंज में रामू बाजपेयी के घर से मस्जिद तक खड़जा कार्य	21245605	---	24380.00	24380.00	अप्राप्त
12	14वां वि०	हैण्डपम्प रिबोर 2नग	16590200	59260.00	---	59260.00	अप्राप्त
13	14वां वि०	हैण्डपम्प रिबोर 3नग	16590186	89450.00	---	89450.00	अप्राप्त
14	14वां वि०	हैण्डपम्प रिबोर 2नग	16590182	59200.00	---	59200.00	अप्राप्त
					योग	1064738.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपतियां पायीं गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 1064738.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि

दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6- क्रम संख्या 2 के कार्य ह्यूम पाइप आपूर्ति , क्रम संख्या 3 के कार्य उरसेद खॉ के घर से तालाब तक नाली निर्माण , क्रम संख्या 4 के कार्य दिनेश शर्मा के दरवाजे से राजेश के दरवाजे होते हुए तालाब तक नाली निर्माण तथा क्रम संख्या 12 के कार्य हैण्डपम्प रिबोर 2नग एक ही वर्क आइडी 16590200 के द्वारा कराया जाना egramwaraj पर फीड था | इससे स्पष्ट होता है कि बिना निर्धारित प्रक्रिया के वर्क आइडी प्राप्त किए एक की वर्क आइडी द्वारा अनियमित तरीके से एक से ज्यादा फर्जी निर्माण कार्यों को दर्शाकर धनराशियों का अपहरण किया गया है | इसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सहित सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) भी उत्तरदायी है क्योंकि अगर उन्होंने अपने पर्यवेक्षण व निरीक्षण संबंधी कृत्यों का निर्वहन किया होता तो धन के इस गबन को रोक जा सकता था | अतः संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव से अपहरण की गई धनराशियों की वसूली के साथ - साथ सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) पर भी विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा |

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 1064738.00 व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाणको / व्यय पत्रावलियों के अभाव में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 532369.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 532369.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रिकी देवी से तथा रुपये 275072.50 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री बलराम व रुपये 257296.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेन्द्र कुमार यादव से की जानी अपेक्षित है |

**मूलआपत्ति संख्या - 01 धनराशि - 1064738.00**

**25- ग्राम पंचायत - मंझौटी विकास खंड - बनीकोडर जनपद- बाराबंकी**

प्रस्तर-44 केश बुक तथा बैंक स्टेटमन्ट विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत मंझौटी मे वर्ष 2019-20 में माह जुलाई मे निम्नांकित नाली निर्माण तथा इंटरलॉकिंग निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशियों की पुष्टि हेतु कराए गए कार्यों की पत्रावलियाँ लेख परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की जा सकी -

क्र० सं०	कार्य का विवरण	व्यय विवरण	चेक सं०	दिनांक	आहरण कर्ता	धनराशि	प्रमाणक
01	रामनरायन के घर से शत्रोहन के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य ( 14वां वित्त ) आइडी सं०- 19531188	निर्माण सामग्री	041783	30/7/2019	अजीत ट्रेडर्स	25550	अप्राप्त
		ईट क्रय	041782	30/7/2019	देवीपीतांबराब्रिकफील्ड	29669	अप्राप्त
		मजदूरी	041784	30/7/2019	सुशीला देवी	11600	अप्राप्त
		इंटरलॉकिंगईट क्रय	041781	30/7/2019	शान्वी ट्रेडर्स	66906	अप्राप्त
		इंटरलॉकिंग ईट क्रय	041793	30/7/2019	शान्वी ट्रेडर्स	32175	अप्राप्त
02	राजेश गौतम के घर से नाला	निर्माण सामग्री	041786	30/7/2019	अजीत ट्रेडर्स	18166	अप्राप्त

	तक नाली निर्माण कार्य ( 14वां वित्त ) आइडी सं०- 19531186	ईंट क्रय मजदूरी	041785 041788	30/7/2019 30/7/2019	देवीपीतांबराब्रिकफील्ड सुशीला देवी	25185 8288	अप्राप्त अप्राप्त
03	शिव मंदिर से श्रीराम के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य ( 14वां वित्त ) आइडी सं०- 19531187	निर्माण सामग्री ईंट क्रय मजदूरी इंटरलॉकिंग ईंट क्रय	041791 041790 041792 041789	30/7/2019 30/7/2019 30/7/2019 30/7/2019	अजीत ट्रेडर्स देवीपीतांबराब्रिकफील्ड सुशीला देवी शान्वी ट्रेडर्स	17913 18184 7280 53568	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
					योग	314484.00	

उक्त कराये गए निर्माण कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त नाली निर्माण तथा इंटरलॉकिंग निर्माण कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 314484.00 "पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा " के अनुसार वसूली योग्य है ।

2 - उपरोक्त नाली निर्माण तथा इंटरलॉकिंग निर्माण कार्यों हेतु सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 - उपरोक्त कराये गए नाली निर्माण तथा इंटरलॉकिंग निर्माण कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 314484.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 157242.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 157242.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से तथा रुपये 157242.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री नीरज कुमार से की जानी अपेक्षित है ।

**मूल आपत्ति संख्या - 06 धनराशि - 314484.00**

**26- ग्राम पंचायत - मऊ विकास खंड - बनीकोडर जनपद- बाराबंकी**

प्रस्तर-45 ग्राम पंचायत मऊ की वर्ष 2019-20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न कार्यों पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था --

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम / वर्क आई०डी०	व्यय विवरण	दिनांक	आहरणकर्ता	धनराशि	व्यय प्रमाणक
01	रावि/ वित्त	14वां हैंडपंपमरम्मत / 17001807	मजदूरी	20/9/2019	उमेशचंद्र वर्मा	5000.00	अप्राप्त
			मजदूरी	20/9/2019	उमेशचंद्र वर्मा	5000.00	अप्राप्त
			सामग्री	20/9/2019	ईश्वरमिल स्टोर	44980.00	अप्राप्त
			सामग्री	20/9/2019	ईश्वरमिल स्टोर	23000.00	अप्राप्त
			सामग्री	20/9/2019	ईश्वरमिल स्टोर	19620.00	अप्राप्त
			मजदूरी	28/9/2019	उमेशचंद्र वर्मा	5000.00	अप्राप्त
			सामग्री	30/9/2019	अजयआयरनस्टोर	14957.00	अप्राप्त
02	रावि/ वित्त	14वां हैंडपंपमरम्मत / 17001853	सामग्री	30/01/2020	ईश्वरमिल स्टोर	18500.00	अप्राप्त
			सामग्री	30/01/2020	ईश्वरमिल स्टोर	19200.00	अप्राप्त
			मजदूरी	30/01/2020	उमेशचंद्र वर्मा	20000.00	अप्राप्त
03	रावि/ वित्त	14वां हैंडपंप रिबोर / 17001849	1 नग	08/12/2019	आयुष ट्रेडर्स	31500.00	अप्राप्त
			1 नग	08/12/2019	आयुष ट्रेडर्स	31500.00	अप्राप्त
04	रावि/ वित्त	14वां स्कूल शौचालय निर्माण / 17001846	सामग्री	10/12/2019	दूबे कंश०	74340.00	अप्राप्त
			सामग्री	10/12/2019	दूबे कंश०	50210.00	अप्राप्त
			सामग्री	10/12/2019	दूबे कंश०	35450.00	अप्राप्त
			ईट क्रय	10/12/2019	आलोक ब्रिकफी०	26040.00	अप्राप्त
			मजदूरी	29/01/2020	उमेशचंद्र वर्मा	10260.00	अप्राप्त
05	रावि/ वित्त	14वां स्कूल गेट निर्माण / 17001847	ईटवगिट्टी क्रय	30/01/2020	आलोक ब्रिकफी०	26040.00	अप्राप्त
			सामग्री	10/12/2019	दूबे कंश०	74340.00	अप्राप्त
06	रावि/ वित्त	14वां स्कूल मे इंटरलॉकिंग निर्माण / 17001848	सामग्री	10/12/2019	दूबे कंश०	50210.00	अप्राप्त
			सामग्री	10/12/2019	दूबे कंश०	50210.00	अप्राप्त
			सामग्री	10/12/2019	दूबे कंश०	35450.00	अप्राप्त
07	रावि/ वित्त	14वां स्कूल बॉउन्ड्री व गेट निर्माण / 20436510	मजदूरी	29/01/2020	उमेशचंद्र वर्मा	10260.00	अप्राप्त
			सामग्री	30/01/2020	अजयआयरनस्टोर	25600.00	अप्राप्त
08	रावि/ वित्त	14वां विनोद के घर से तालाब तक नाली निर्माण / 17001820	ईट क्रय	29/01/2020	आलोक ब्रिक	29548.00	अप्राप्त
			सामग्री	29/01/2020	तिवारी ट्रेडर्स	37396.00	अप्राप्त
			मजदूरी	29/01/2020	उमेशचंद्र वर्मा	11024.00	अप्राप्त
09	रावि/ वित्त	14वां सगीर के घर से खलिक के घर तक नाली निर्माण / 17001822	सामग्री	08/02/2020	तिवारी ट्रेडर्स	67810.00	अप्राप्त
			सामग्री	08/02/2020	तिवारी ट्रेडर्स	55863.00	अप्राप्त
			ईट क्रय	08/02/2020	आलोक ब्रिक	81024.00	अप्राप्त
			मजदूरी	08/02/2020	उमेशचंद्र वर्मा	35474.00	अप्राप्त
10	रावि/ वित्त	14वां सगीर के घर से खलिक के घर तक खड़जा निर्माण / 17001823	ईट क्रय	08/02/2020	आलोक ब्रिक	65612.00	अप्राप्त
			मिट्टीकार्य	08/02/2020	उमेशचंद्र वर्मा	6900.00	अप्राप्त
			मजदूरी	08/02/2020	उमेशचंद्र वर्मा	22932.00	अप्राप्त
					योग	1241864.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान

रुपये 1241864.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपतियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 1241864.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाणको / व्यय पत्रावलियों के अभाव में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 620932.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 620932.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री उमेशचंद्र वर्मा से तथा रुपये 620932.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्देश कुमार शर्मा से की जानी अपेक्षित है |

#### मूल आपति संख्या - 07 धनराशि - 1241864.00

#### 27- ग्राम पंचायत - मेंडुवा विकास खंड - बनीकोडर जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर-46 ग्राम पंचायत मेंडुवा की वर्ष 2019-20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित इंटरलॉकिंग कार्यों पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था --

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	वर्क आइडी	सामग्री व्यय धनराशि	परमजदूरी पर व्यय धनराशि	योग	व्यय प्रमाणक
1	14वां वि०	नौमिलाल के घर सर विनोद रावत के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	15604529	31227.00	8696.00	39923.00	अप्राप्त
2	14वां वि०	चंद्रशेखर के घर से नौमिलाल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	15604528	44122.00	12144.00	56266.00	अप्राप्त
3	14वां वि०	आरसीसी रोड से ओमप्रकाश के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग कार्य	15604547	168718.00	17794.00	186512.00	अप्राप्त
4	14वां वि०	Nh 28 से उदयसिंह के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	15604578	168525.00	18920.00	187445.00	अप्राप्त
					योग	470146.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपतियां पायीं गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 470146.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8

(क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6 - क्रम संख्या 1 तथा 2 पर इंटरलॉकिंग कार्य पर व्यय तो दर्शाया गया था किन्तु कार्य हेतु इंटरलॉकिंग ईट का क्रय नहीं किया गया था | बिना इंटरलॉकिंग ईट का क्रय किए कैसे इंटरलॉकिंग कार्य कराया गया यह समझ से परे है |

उपरोक्त आपतियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 470146.00 व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाणको / व्यय पत्रावलियों के अभाव में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 235073.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 235073.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी से तथा रुपये 235073.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार रावत से की जानी अपेक्षित है |

**मूलआपति संख्या - 07 धनराशि - 470146.00**

**28- ग्राम पंचायत - सलेमपुर**

**विकास खंड - बनीकोडर**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-47** ग्राम पंचायत सलेमपुर के वर्ष 2019 -20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर व रोकड बही के आधार पर संपन्न की गयी है | वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख ( रोकड बही, पासबुक / बैंक स्टेटमेंट ) और व्यय प्रमाणक बारम्बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए |

प्रियासॉफ्ट पर अंकित कैश बुक तथा व्यय विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत सलेमपुर में विभिन्न कार्यों पर निम्नांकित विवरणानुसार धनराशियों का व्यय किया गया था -

क्र. सं.	योजना का कार्य का नाम / नाम	व्यय विवरण	चेकसं0/ दिनांक	आहरणकर्ता / प्राप्तकर्ता	/धनराशि	व्यय प्रमाणक
01	14वां वित्त पूरे वरियार में निर्माण	शौचालयमजदूरी सामग्री	024884/04-05-19 001844/04-05-19	अज्ञात विशाल हार्डवेयर	5000.00 20852.00	अप्राप्त अप्राप्त
02	14वां वित्त निर्वाचन हेतु सोलर लैंप एवं व्हील चेयर क्रय	सामग्री	024885/23-05-19	लक्ष्य इंटरप्राइजेज	3000.00	अप्राप्त
03	14वां वित्त हैंडपम्प मरम्मत	सामग्री मजदूरी	एवंपीएफएम एस /03-11-19	ईश्वर इंटरप्राइजेज 4 वाउचर	70766.00	अप्राप्त
04	14वां वित्त हैंडपम्प रिबोर 5 नग	सामग्री मजदूरी	एवंपीएफएम एस /03-11-19	शौर्यइंटरप्राइजेज 5 वाउचर	147500.00	अप्राप्त
05	14वां वित्त हैंडपम्प रिबोर 4 नग	सामग्री/ मजदूरी	पीएफएम एस /28-11-19	शौर्यइंटरप्राइजेज 4 वाउचर	118000.00	अप्राप्त
06	14वां वित्त हैंडपम्प रिबोर 2 नग	सामग्री / मजदूरी	पीएफएम एस /16-01-2020	आयुष इंटरप्राइजेज	63000.00	अप्राप्त

01	14वां वित्त कृष्णराज के घर से केनू यादवनिर्माण सामग्री के घर तक नाली निर्माण ईंट क्रय मज़दूरी	पीएफएम एस /29-01-2020	मिश्रा ट्रेडर्स चैतन्यदास ब्रिकफील्ड	62453.00	अप्राप्त
		पीएफएम एस /29-01-2020	कल्पना सिंह	98072.00	अप्राप्त
		पीएफएम एस /29-01-2020		41535.00	अप्राप्त
			योग	630178.00	

1 अप्रैल 2020 से अद्यतन लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार बार-बार लिखित तथा मौखिक व् टेलीफोनिक वार्ता द्वारा अभिलेखों को प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया |

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्रांक संख्या - D-21 दिनांक 28/12/2020, पत्रांक संख्या - J-02 दिनांक 20/01/2021, तथा पत्रांक संख्या - M-01 दिनांक 06/03/2021 को इस सम्बन्ध में पत्र के माध्यम से ( कॉपी संलग्न ) ऑडिट की यथास्थिति व प्रगति की सूचना दी गयी किन्तु आप द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया | उल्लेखनीय है कि -

अ - शासनादेश संख्या 2953 /2009 -101 (64 ) 2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों के लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दाल को सांगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित कर व्यक्तिगति रूप से उत्तरदायी बनाया गया है |

ब - शासनादेश संख्या 1838 /33 -3 -2015 , दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में विन्दु 4 घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में राखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी ए डी ओ ( P ) की होगी | लेकिन आप द्वारा अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया |

स - उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड़ बही ( रूप पत्र संख्या - 6 ) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए डी ओ ( पंचायत)द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न कर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है | क्योंकि अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में सांगत अभिलेख बनाये गए होते , लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है |

द - कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है | कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है किन्तु सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया |

२- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में पत्रांक संख्या - D-21 दिनांक 28/12/2020 , तथा पत्रांक संख्या - M-02 दिनांक 06/03/2021 को पत्र के माध्यम में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया. लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए. उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संप्रेक्षा /आ0रि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित सांगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं.

3- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या- 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं.

4- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दाल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पुरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे.

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारीके द्वारावर्तमान सचिवग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों औरचतुर्थराज्य वित्त आयोग और चौदहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण कियागया है।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/ व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक,बिल /बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियोंजैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा,समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्त व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका,अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकदकिया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों केसत्यता की जांच न की जा सकी।पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं करायाजाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा" क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान व तत्कालीनग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में **तत्कालीन व वर्तमान सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)** श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्योंकि प्रथम दृष्टया सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितना कि ग्राम पंचायतअधिकारी /सचिव .क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया।

क्योंकि यदि **तात्कालीन व वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत** श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्रामपंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नहीं है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया।

साथही वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने वर्तमान सचिव को ग्राम पंचायत का चार्ज दिलाते समय अभिलेखों के आदान प्रदान पर निगरानी नहीं किया जिससे इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ने अपने दायित्वों के निर्वहन में जानबूझ कर / पूरी तरह शिथिलता बरती और इसके पीछे किसी प्रकार के निहित लाभ होने की संभावना भी हो सकती है.यदि वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही तत्काल कर दिया होता तो सम्भव था कि उक्त धनराशि की वसूली अब तक हो जाती।

(ग). वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन कुमार गौतम ने आडिट के लिए न अभिलेख उपलब्ध कराया,न ही लिखकर दिया कि चार्ज में उन्हें अभिलेख नहीं मिला और न ही संबंधित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव व प्रधानके विरुद्ध कोई विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारियों को ही अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि जब कोई ग्राम पंचायतसचिव ट्रान्सफर होकर अन्यत्र जाता है तो वह वर्तमान सचिव को अभिलेखों की चार्ज लिस्ट सौंपता है।यदि उस समय चार्ज में सम्पूर्ण अभिलेखों का आदान प्रदान हुआ होता तो लेखापरीक्षा मेंअभिलेख जरूर प्रस्तुत किये जाते स्पष्ट हो जाते। वर्तमान सचिव श्रीसे चार्ज लिस्ट बार-बार मांगी गयीजिससे यह जांच किया जा सके कि वास्तव में उन्हें अभिलेख मिला है या नहीं। लेकिन वर्तमान ग्राम पंच0 सचिव के द्वारा चार्ज लिस्ट नहीं दी गयी। इससे सिद्ध होता है कि या तो ग्राम पंचायत के पास अभिलेख है ही नहीं। चुकी ग्राम पंचायतद्वारा अनियमितता की गयी है औरलेखा परीक्षा में वस्तु स्थिति सामने आ न जाय इसलिए वर्तमान सचिव ने जानबूझकर ऑडिट में अभिलेख ही प्रस्तुत नहीं किया। वर्तमान सचिव बार-बार यह कहते रहे कि अपने पूर्व विभागीय सचिव के विरुद्ध कुछ भी लिखकर नहीं दूंगा और जब मुझे चार्ज में ही कोई अभिलेख नहीं मिला तो ऑडिट का कार्य कैसे कराया जा सकता है । स्पष्ट है कि वर्तमानग्राम पंचायत सचिव ने लेखा परीक्षा में सहयोग ही नहीं किया वरन वास्तविक तथ्यों को जानबूझ कर छिपाया भी है। इसलिएवर्तमान ग्राम पंचायत सचिव उतने ही दोषी है जितने की तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव। इसलिए वर्तमान सचिव श्री पवन कुमार के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।

(घ)- गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही केसाथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

(च)- ग्रामपंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मनाकरने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी. आगे उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 punishment for failure to handover record sect. और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01 दिसम्बर 2017 तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 630178.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 315089.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 315089.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कल्पना सिंह से तथा रुपये 315089.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेंद्र कुमार यादव तथा श्री पवन कुमार गौतम से की जानी अपेक्षित है।

**मूल आपत्ति संख्या - 03 धनराशि - 630178.00**

**29- ग्राम पंचायत - हथौधा विकास खंड - बनीकोडर जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-48** ग्राम पंचायत हथौधा की वर्ष 2019 - 20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न कार्यों पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था --

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	वर्क आइडी	सामग्री	मजदूरी	योग	व्यय प्रमाणक
1	14वां वि०	हैण्डपम्प रिबोर 6 नग	16783445	180000.00	---	180000.00	अप्राप्त
2	14वां वि०	डस्टबिन क्रय	16783421	152500.00	---	152500.00	अप्राप्त
3	14वां वि०	मेन खड़जा से फकीरे यादव के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	20830739	179221.00	20860.00	200081.00	अप्राप्त
4	14वां वि०	कमलेश कश्यप के घर से श्रीराम के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	20830737	199224.00	22736.00	221960.00	अप्राप्त
					योग	754541.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 754541.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 754541.00 व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाणको / व्यय पत्रावलियों के अभाव में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 377270.50 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 377270.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री परशुराम से तथा रुपये 377270.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन कुमार से की जानी अपेक्षित है ।

**मूलआपत्ति संख्या - 01 धनराशि - 754541.00**

**30- ग्राम पंचायत - मवैया विकास खंड - बनीकोडर जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-49** ग्राम पंचायत मवैया की वर्ष 2019 - 20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न कार्यों पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था --

क्रम संख्या	कराए गए कार्य का नाम	व्यय विवरण	चेक संख्या /दिनांक	धनराशि	आहरणकर्ता
1	हैंडपंप रिबोर /15013706	सामग्री तथा मजदूरी	40745/1-8-2019	29865	सूर्य इंटरप्राइजेज
2	हैंडपंप रिबोर /उपरोक्त	उपरोक्त	40746/1-08-2019	29865	सूर्य इंटरप्राइजेज
3	हैंडपंप रिबोर / उपरोक्त	उपरोक्त	40742/1-8-2019	29785	सूर्य इंटरप्राइजेज
4	हैंडपंप रिबोर /उपरोक्त	उपरोक्त	40743/1-8-2019	29755	सूर्य इंटरप्राइजेज
5	हैंडपंप रिबोर /उपरोक्त	उपरोक्त	40744/1-8-2019	29785	सूर्य इंटरप्राइजेज
6	हैंडपंप रिबोर /उपरोक्त	उपरोक्त	41577/2-8-2019	29855	सूर्य इंटरप्राइजेज
7	हैंडपंप रिबोर /उपरोक्त	उपरोक्त	41747/2-8-19	29655	न्यू किसान मशीनरी स्टोर
8	हैंडपंप रिबोर /उप	उपरोक्त	41750 / 2-8-19	29780	न्यू किसान मशीनरी स्टोर
9	हैंडपंप रिपोर्ट /उपरोक्त	उपरोक्त	41748/ 3-8-19	29655	न्यू किसान मशीनरी स्टोर
10	हैंडपंप रिबोर /उपरोक्त	उपरोक्त	41749/ 3-8-19	29857	न्यू किसान मशीनरी स्टोर
11	हैंडपंप रिबोर /उपरोक्त	उपरोक्त	41576/ 3-8-19	49760	न्यू किसान मशीनरी स्टोर
12	प्राथमिक विद्यालय पहला में शौचालय मरम्मत	मजदूरी सामग्री मजदूरी	41581/2-8-19 41578/2-8-19 41579/2-8-19	4912 11870 4912	रामकरण सिंह विशाल हार्डवेयर विशाल हार्डवेयर
13	हैंडपंप मरम्मत / 15013707	सामग्री	41583/20-11-19	60000	विशाल हार्डवेयर
14	देवकुमार के घर से पक्की सड़क तक खड़जनिर्माण कार्य	ईंट क्रय मजदूरी	पीएफएम एस /14-2-20 पीएफएम एस /14-2-20	98851 17892	श्री चैतन्य दास ब्रिकफील्ड रामकरण सिंह
			योग	546054.00	

लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा चौदहवां वित्त योजना अंतर्गत किए गए उपरोक्त व्यय से संबंधित पत्रावलियाँ तथा फाइलें जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सके जिसके कारण उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रु0 546054 की पुष्टि नहीं की जा सकी उपरोक्त व्ययों से संबंधित प्रमाणको को प्रस्तुत कर के इसकी पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में इसे प्रमाण विहीन व्यय मानते हुए, जैसा कि पंचायत के वित्तीय लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के खंड सात के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएंगे तथा यदि दर्शाए गए वह के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप में की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।

इसके साथ ही उपरोक्त कार्यों से संबंधित एम बी , प्राकलन ,मानचित्रन, वितीय तथा तकनीकी वह प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित अभिलेख भी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए जा सके जिन्हें प्रस्तुत कर नियमानुसार कार्यों का संपादन किया गया है अथवा नहीं की पुष्टि कराई जा सके स्पष्ट इसके साथ ही हैंडपंप रिबोर कि एक ही आई डी द्वारा 11 हैण्ड पंप रिबोर का कार्य कराया गया है जो कि घोर अनियमितता का परिचायक हैं शासनादेश संख्या आरजीएसए /197 /2019 -4/379//2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी की तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में यह स्पष्ट निर्देश है कि 20,000 या इससे कम लागत के कई हैंडपंप की एक ग्रुप आई डी बना कर कार्य संपादित किया जाना है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की आड़ में एक ही आईडी द्वारा कई हैंडपंप का रिबोर करवाया जाना अनियमितता है जिसके कारण उपरोक्त आपतियों के आलोक में सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राजेंद्र यादव तथा पवन कुमार गौतम से रू० 273027.00 तथा ग्राम प्रधान लालमती से रू० 273027.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित होगा |

**मूलआपति संख्या - 03 धनराशि - 546054.00**

**प्रस्तर-50** ग्राम पंचायत मवैया की वर्ष 2019 - 20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार प्रशासनिक व्यय एवं हैंडपम्प मरम्मत के नाम पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था --

क्रम संख्या	कार्य का नाम /वर्क आईडी	चेक संख्या /दिनांक	आहरणकर्ता	धनराशि	अभ्युक्ति
1	प्रशासनिक व्यय /15013659	40738/ 30-07-2019	रामकरण सिंह	5000	वाउचर अप्राप्त
2	प्रशासनिक व्यय /15013659	41741/6-8-2019	रामकरण सिंह	2500	वाउचर अप्राप्त
3	प्रशासनिक व्यय/15013659	41739/7/8/2019	हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर	6500	वाउचर अप्राप्त
4	प्रशासनिक व्यय / 15013659	40755/29-8-2019	लैब्स एंटरप्राइज	6000	वाउचर अप्राप्त
5	हैंड पम्प मरम्मत /20477575	41584/20-11-19	विशाल हार्डवेयर	50000	बाउचर अप्राप्त
			योग -	70,000	

लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा राज्य वित्त योजना अंतर्गत किए गए उपरोक्त व्यय से संबंधित वाउचर प्रस्तुत नहीं किया जा सके जिसके कारण उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपया 70,000 की पुष्टि नहीं की जा सकी उपरोक्त व्ययों से संबंधित प्रमाणको को प्रस्तुत कर के इसकी पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है अन्यथा की स्थित में इसे प्रमाण विहीन व्यय मानते हुए, जैसा कि पंचायत के वित्तीय लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के खंड सात के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएंगे तथा यदि दर्शाए गए वह के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राजेंद्र यादव से रू० 35000.00 तथा ग्राम प्रधान लालमती से रू० 35000.00 संयुक्त रूप में की किया जाना अपेक्षित है |

**मूलआपति संख्या - 03 धनराशि - 70,000.00**

**31- ग्राम पंचायत - पिपरी महार विकास खंड - सूरतगंज जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-51** ग्राम पंचायत पिपरी महार की वर्ष 2019-20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न कार्यों पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था --

क्र. सं.	योजना का नाम / कार्य का नाम /वर्क आई०डी०	व्यय विवरण	चेकसं0/ दिनांक	आहरणकर्ता	धनराशि	व्यय प्रमाणक
01	रा० वि० लोकसभा निर्वाचन हेतु सोलर लैंपसामग्री क्रय		079038/08-05-19	श्री साई इंटरप्राइजेज	6000.00	अप्राप्त
02	रा० वि० हैंड पंप मरम्मत /8872423	सामग्री व मजदूरी	079040/17/06-19	फिरोज मशीनरी स्टोर	18780.00	अप्राप्त
03	रा० वि० हैंड पंप मरम्मत /15409978	सामग्री व मजदूरी	पीएफएम /07/01/20	एसफिरोजमशीनरी स्टोर	19300.00	अप्राप्त
		सामग्री व मजदूरी	पीएफएम /18/03/20	फिरोजमशीनरी स्टोर	18800.00	अप्राप्त
04	14वां वि० विष्णु के घर से गड़ही तक नाली निर्माण /15409949	सामग्री ईंट क्रय मजदूरी	079045/15/07/19	सिंह ट्रेडर्स	30462.00	अप्राप्त
			079044/15/07/19	लोधेश्वर ब्रिक फील्ड	33332.00	अप्राप्त
			079043/17/07/19	-----	12080.00	अप्राप्त

05	14वां वि०	कुर्सी मेज आदि फर्नीचर क्रय /8872440	सामग्री	079046/17/07/19	कमलेश	16950.00	अप्राप्त
06	14वां वि०	ग्राम सभा में विभिन्न स्थानों पर सोलर लैंप स्थापना/15409983	सामग्री	079047/31/07/19	सनसाइनएलईडी लाइट	241500.00	अप्राप्त
07	14वां वि०	प्रा० वि० ततेहरा में शौचालय निर्माण/15409967	सेन्ट्रीफ्यूगलपंप पीएफएम क्रय /07/10/19 मजदूरी पीएफएम पेण्ट सामग्री /07/10/19 निर्माण सामग्री पीएफएम ईंट क्रय /07/10/19 पीएफएम /07/10/19 पीएफएम /07/10/19	एसफिरोजमशीनरी स्टोर मृदुला शुक्ला 33572.00 अप्राप्त एसउपहार ट्रेडर्स 33580.00 अप्राप्त शिव ट्रेडर्स 56619.00 अप्राप्त एसलोधेश्वर ब्रिक फील्ड 31043.00 अप्राप्त एस एस	7000.00 33572.00 33580.00 56619.00 31043.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त	
8	14वां वि०	हैंडपंप रिबोर 5 नग /15409972	सामग्री चौकी निर्माण मजदूरी	पीएफएम /07/10/19 पीएफएम /07/10/19 पीएफएम /07/10/19	एसफिरोजमशीनरीस्टोर अंगनू नल रिपेयर्स 46687.0 अप्राप्त एसअंगनू नल रिपेयर्स 63075.00 अप्राप्त एस	55125.00 46687.0 63075.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
9	14वां वि०	रामलीला का मंच निर्माण 15409973	मजदूरी ईंट क्रय निर्माण सामग्री लोहे का एंगल क्रय रूफसीट आदि क्रय मिट्टी कार्य पर व्यय	पीएफएम /28/10/19 पीएफएम /28/10/19 पीएफएम /28/10/19 पीएफएम /28/10/19 पीएफएम /28/10/19 पीएफएम /28/10/19	एसमृदुला शुक्ला लोधेश्वर ब्रिक फील्ड 42486.00 अप्राप्त एसशिव ट्रेडर्स 53350.0 अप्राप्त बलदेव ट्रेडर्स 31985.0 अप्राप्त एसबलदेव ट्रेडर्स 35380.0 अप्राप्त दिनेश 2162.00 अप्राप्त एस एस	33628.0 42486.00 53350.0 31985.0 35380.0 2162.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
10	14वां वि०	फकीरे के घर से गड़ही तक नाली निर्माण/15409952	मजदूरी निर्माण सामग्री ईंट क्रय	पीएफएम /17/12/19 पीएफएम /17/12/19 पीएफएम /21/12/19	एसमृदुला शुक्ला सिंह ट्रेडर्स 16178.00 अप्राप्त एसलोधेश्वर ब्रिक 16502.00 अप्राप्त एस	5978.00 16178.00 16502.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
11	14वां वि०	प्रा० वि० पिपरी महार का सौंदर्यीकरण /15409969	मजदूरी पेण्ट सामग्री ईंट गिट्टी क्रय निर्माण सामग्री	पीएफएम /17/12/19 पीएफएम /20/12/19 पीएफएम /21/12/19	एसमृदुला शुक्ला वर्मा हार्डवेयर 71796.00 अप्राप्त एसलोधेश्वर ब्रिक 4788.00 अप्राप्त शिव ट्रेडर्स 69771.00 अप्राप्त एस	102942 71796.00 4788.00 69771.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त

				पीएफएम /21/12/19	एस		
12	14वां वि०	अहिबरन के घर से रज्जू के घर तक खड़जा निर्माण /15409916	मजदूरी	पीएफएम /17/12/19	एसमृदुला शुक्ला	13412.00	अप्राप्त
			ईंट क्रय	पीएफएम /17/12/19	लोधेश्वर ब्रिक	67151.00	अप्राप्त
			मिट्टी कार्य	पीएफएम /21/12/19	एस दिनेश	4264.00	अप्राप्त
13	14वां वि०	प्रा० वि० पिपरी महार में किचनपेण्ट मरम्मत /19983826	सामग्री टाइल्स क्रय ईंट क्रय निर्माण सामग्री मजदूरी	पीएफएम /25/12/19 पीएफएम /25/12/19 पीएफएम /25/12/19 पीएफएम /25/12/19	एसवर्मा हार्डवेयर उपहार ट्रेडर्स एसलोधेश्वर ब्रिक सिंह ट्रेडर्स एसमृदुला शुक्ला	20720.00 47455.00 8792.00 37921.00 37254.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
14	14वां वि०	प्रा० वि० पिपरी महार में मिट्टी पटायी /19983828	मजदूरी	पीएफएम /25/12/19 पीएफएम /25/12/19	एसमृदुला शुक्ला दिनेश एस	34762.00 32520.00	अप्राप्त अप्राप्त
15	14वां वि०	प्रा० वि० ततेहरा में मिट्टी पटायी /19983827	मजदूरी	पीएफएम /25/12/19 पीएफएम /22/12/19	एसमृदुला शुक्ला रामदास एस	52234.00 48762.00	अप्राप्त अप्राप्त
16	14वां वि०	शिवमंगल के घर से गड़ही नाली निर्माण/19983819	मजदूरी ईंट क्रय निर्माण सामग्री	पीएफएम /06/01/20 पीएफएम /06/01/20 पीएफएम /06/01/20	एसमृदुला शुक्ला लोधेश्वर ब्रिक एसशिव ट्रेडर्स	5194.00 13657.00 13531.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
17	14वां वि०	प्रा० वि० ततेहरा में इंटरलॉकिंग कार्य /19983824	मजदूरी ईंट क्रय निर्माण सामग्री इंटरलॉकिंग टाइल्स	पीएफएम /06/01/20 पीएफएम /06/01/20 पीएफएम /06/01/20 पीएफएम /12/01/20	एसमृदुला शुक्ला लोधेश्वर ब्रिक एसशिव ट्रेडर्स राजेश कुमार त्रिवेदी एस	25060.00 43955.00 53689.00 122908.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त

18	14वां वि०	रामसहारे के घर मेन नाली तक नाली निर्माण /15409962	सेमजदूरी ईट क्रय निर्माण सामग्री	पीएफएम /06/01/20 पीएफएम /06/01/20 पीएफएम /06/01/20	एसमृदुला शुक्ला लोधेश्वर ब्रिक एससिंह ट्रेडर्स एस	3444.00 8175.00 6381.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
19	14वां वि०	प्रा० वि० पिपरी महार सौंदर्यीकरण /15409969	कापेण्ट सामग्री टाइल्स क्रय ईट गिट्टी निर्माण सामग्री मजदूरी	पीएफएम /07/01/20 पीएफएम /07/01/20 पीएफएम /07/01/20 पीएफएम /07/01/20 पीएफएम /07/01/20	एसवर्मा हार्डवेयर उपहार ट्रेडर्स एसलोधेश्वर ब्रिक संदीप ट्रेडर्स एसमृदुला शुक्ला एस	54104.00 5789.00 12474.00 83657.00 90566.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
20	14वां वि०	पंचायत भवन /19983830	मरम्मतमजदूरी पेण्ट सामग्री निर्माण सामग्री	पीएफएम /22/01/20 पीएफएम /23/01/20 पीएफएम /23/01/20	एसमृदुला शुक्ला वर्मा हार्डवेयर एसशिव ट्रेडर्स एस	59598.00 74375.00 17462.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
21	14वां वि०	प्रा० वि० ततेहरा में /19983826	किचन मरम्मत टाइल्स क्रय निर्माण सामग्री मजदूरी	पीएफएम /05/02/20 पीएफएम /05/02/20 पीएफएम /05/02/20	एसउपहार ट्रेडर्स शिव ट्रेडर्स एसमृदुला शुक्ला एस	27758.00 4859.00 9660.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
22	14वां वि०	प्रा० वि० पिपरी महार इंटरलॉकिंग कार्य /19983824	मेंमजदूरी निर्माण सामग्री इंटरलॉकिंग टाइल्स	पीएफएम /05/02/20 पीएफएम /05/02/20 पीएफएम /05/02/20	एसमृदुला शुक्ला शिव ट्रेडर्स एसराजेश कुमार त्रिवेदी एस	9842.00 17618.00 66013.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
23	14वां वि०	प्रा० वि० ततेहरा में मरम्मत /19983831	बॉउंड्रीवॉलमजदूरी पेण्ट सामग्री निर्माण सामग्री	पीएफएम /12/02/20 पीएफएम /13/02/20 पीएफएम /12/02/20	एसमृदुला शुक्ला वर्मा हार्डवेयर एसशिव ट्रेडर्स एस	29526.00 12925.00 25328.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
24	14वां वि०	प्रा० वि० ततेहरा में कक्ष मरम्मत /19983831	अतिरिक्तमजदूरी पेण्ट सामग्री निर्माण सामग्री	पीएफएम /09/03/20 पीएफएम /09/03/20	एसमृदुला शुक्ला वर्मा हार्डवेयर एसशिव ट्रेडर्स	62790.00 48720.00 17740.00	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त

				पीएफएम /09/03/20	एस		
25	14वां वि०	प्रा० वि० ततेहरा में मरम्मत /19983831	बाँउंड्रीवॉलमजदूरी	पीएफएम /18/03/20	एसमृदुला शुक्ला वर्मा हार्डवेयर	37072.00 11045.00	अप्राप्त अप्राप्त
			पेण्ट सामग्री	पीएफएम	एसशिव ट्रेडर्स	38010.00	अप्राप्त
			निर्माण सामग्री	पीएफएम	एसशिव ट्रेडर्स	35339.00	अप्राप्त
			ईट क्रय	/19/03/20	लोधेश्वर ब्रिक	116350.00	अप्राप्त
			लोहे की रेलिंग	पीएफएम	एसशिव ट्रेडर्स		अप्राप्त
			क्रय	/19/03/20			
				पीएफएम	एस		
				/19/03/20			
				पीएफएम	एस		
				/19/03/20			
					योग	2880712.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

- उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 2880712.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
- उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।
- उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।
- उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- कराये गए कार्यों का कार्यपूति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है। उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 2880712.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाणको / व्यय पत्रावलियों के अभाव में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 1440356.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 1440356.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मृदुला शुक्ला से तथा रुपये 1440356.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री सुभाष चंद्र से की जानी अपेक्षित है |

**मूल आपत्ति संख्या - 04 धनराशि - 2880712.00**

**32- ग्राम पंचायत - लक्षवर वजहा विकास खंड - मसौली जनपद- बाराबंकी**  
**प्रस्तर-52** प्रिया साफ्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में खाते से ₹0 2339356.24 धनराशि आहरित करके दर्शित व्यय के सापेक्ष कोशबही, व्यय प्रमाणक एवं समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे । उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के

अनुसार “यदि दर्शाए गए के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” | वसूली के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा | इसी प्रकार यहाँ पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, तथा 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी दर्शाये गए व्यय के संबंध में किया गया है तथा दर्शाई गई सामग्री की प्रविष्टि भी स्टॉक पंजिका में नहीं की गई है |

उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लाख परीक्षा वर्ष 2019-20 में संयुक्त रूप से ₹0 2339356.24 का अपहरण कर लिया गया है |

अतः ₹0 1169678.12 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी से तथा ₹0 1169678.12 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री राघवेंद्र प्रताप एवं प्रगति कुमार श्रीवास्तव (उनके कार्यकाल / किए गए भुगतान के अनुसार) से किया जाना अपेक्षित है |

**मूलआपत्ति संख्या - 01 धनराशि - 2339356.24**

**33- ग्राम पंचायत -मेढिया**

**विकास खंड - मसौली**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर- 53** कोशबही के अनुसार वर्ष 2019-20 में खाते से ₹0 1694046.00 धनराशि आहरित करके दर्शित व्यय के सापेक्ष, समस्त व्यय प्रमाणक एवं समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे | उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु “लेखा मैनुअल” के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाए गए के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” | वसूली के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा | इसी प्रकार यहाँ पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, तथा 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी दर्शाये गए व्यय के संबंध में किया गया है तथा दर्शाई गई सामग्री की प्रविष्टि भी स्टॉक पंजिका में नहीं की गई है |

उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लख परीक्षा वर्ष 2019-20 में संयुक्त रूप से ₹0 1694046.00 का अपहरण कर लिया गया है |

अतः ₹0 847023.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राममूर्ति से तथा ₹0 847023.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती रेनु बाला से किया जाना अपेक्षित है |

**मूलआपत्ति संख्या - 01 धनराशि - 1694046.00**

**34- ग्राम पंचायत -बड़ागाँव**

**विकास खंड - मसौली**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर- 54** कोशबही के अनुसार वर्ष 2019-20 में खाते से ₹0 9999403.70 धनराशि आहरित करके दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे | उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु “लेखा मैनुअल” के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाए गए के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” | वसूली के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा | इसी प्रकार यहाँ पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, तथा 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी दर्शाये गए व्यय के संबंध में किया गया है तथा दर्शाई गई सामग्री की प्रविष्टि भी स्टॉक पंजिका में नहीं की गई है |

उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लख परीक्षा वर्ष 2019-20 में संयुक्त रूप से ₹0 9999403.70 का अपहरण कर लिया गया है |

अतः ₹0 4999701.85 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मोबीना से तथा ₹0 4999701.85 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री गोदराज से किया जाना अपेक्षित है |

**मूलआपत्ति संख्या - 01 धनराशि - 9999403.70**

**35- ग्राम पंचायत - सतविसावां**

**विकास खंड - मसौली**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर- 55** कोशबही के अनुसार वर्ष 2019-20 में खाते से ₹0 1772917.00 धनराशि आहरित करके दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे | उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु “लेखा मैनुअल” के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाए गए के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” | वसूली के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में

चलाया जा सकेगा | इसी प्रकार यहाँ पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, तथा 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी दर्शाये गए व्यय के संबंध में किया गया है तथा दर्शाई गई सामग्री की प्रविष्टि भी स्टॉक पंजिका में नहीं की गई है |

उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लरख परीक्षा वर्ष 2019-20 में संयुक्त रूप से ₹0 1772917.00 का अपहरण कर लिया गया है |

अतः ₹0 886458.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राम सरन से तथा ₹0 886458.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री गोदराज से किया जाना अपेक्षित है |

**मूलआपति संख्या - 01 धनराशि - 1772917.00**

**36- ग्राम पंचायत - मुबारकपुर**

**विकास खंड - मसौली**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-56** कोशबही के अनुसार वर्ष 2019-20 में खाते से ₹0 810593.00 धनराशि आहरित करके दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे | उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गए के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" | वसूली के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा | इसी प्रकार यहाँ पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, तथा 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी दर्शाये गए व्यय के संबंध में किया गया है तथा दर्शाई गई सामग्री की प्रविष्टि भी स्टॉक पंजिका में नहीं की गई है |

उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लरख परीक्षा वर्ष 2019-20 में संयुक्त रूप से ₹0 810593.00 का अपहरण कर लिया गया है |

अतः ₹0 405296.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह से तथा ₹0 405296.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री गोदराज से किया जाना अपेक्षित है |

**मूलआपति संख्या - 01 धनराशि - 810593.00**

**37- ग्राम पंचायत - ज्यौरा**

**विकास खंड - मसौली**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-57** कोशबही, के अनुसार वर्ष 2019-20 में खाते से ₹0 2527408.22 धनराशि आहरित करके दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे | उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गए के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" | वसूली के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा | इसी प्रकार यहाँ पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, तथा 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी दर्शाये गए व्यय के संबंध में किया गया है तथा दर्शाई गई सामग्री की प्रविष्टि भी स्टॉक पंजिका में नहीं की गई है |

उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में संयुक्त रूप से ₹0 2527408.22 का अपहरण कर लिया गया है |

अतः ₹0 1263704.11 की वसूली ग्राम प्रधान श्री अंबिका प्रसाद वर्मा से तथा ₹0 1263704.11 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री के. के. सिंह से किया जाना अपेक्षित है |

**मूलआपति संख्या - 01 धनराशि - 2527408.22**

**38- ग्राम पंचायत - धरौली**

**विकास खंड - मसौली**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-58** कोशबही के अनुसार वर्ष 2019-20 में खाते से ₹0 1173113.90 धनराशि आहरित करके दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे | उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गए के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" | वसूली के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा | इसी प्रकार यहाँ पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, तथा 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी दर्शाये गए व्यय के संबंध में किया गया है तथा दर्शाई गई सामग्री की प्रविष्टि भी स्टॉक पंजिका में नहीं की गई है |

उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लरख परीक्षा वर्ष 2019-20 में संयुक्त रूप से ₹0 1173113.90 का अपहरण कर लिया गया है |

अतः ₹0 586556.95 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन से तथा ₹0 586556.95 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री गोदराज से किया जाना अपेक्षित है ।

**मूलआपत्ति संख्या - 01 धनराशि - 1173113.90**

**39- ग्राम पंचायत - अब्दुल्लापुर**

**विकास खंड - हरख**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर- 59** ग्राम पंचायत अब्दुल्लापुरकी वित्तीय वर्ष- 2019-20में प्रियासाफ्ट फीडिंग / ई ग्राम स्वराज फीडिंग केअनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 2046914.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा । प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया2046914.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्टविशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी । वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 2046914.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 1023457.00 ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र से एवं रुपया1023457.00 ग्रामपंचायत सचिव श्री राजेन्द्र कुमार विकल से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

**मूलआपत्ति संख्या 05 धनराशि 2046914.00**

**40- ग्राम पंचायत - दौलतपुर**

**विकास खंड - हरख**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-60** ग्राम पंचायत- दौलतपुर की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासाफ्ट फीडिंग / ई ग्राम स्वराज फीडिंग केअनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 567311.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा । प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 567311.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्टविशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी । वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 567311.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है । अतः समान रूप से रुपया 283655.50 ग्राम प्रधान रोहित कुमार से एवं रुपया 283655.50 ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती रेखा चौधरी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

**मूलआपत्ति संख्या 5 धनराशि - 567311.00**

**प्रस्तर-61** ग्राम पंचायत- दौलतपुर की वित्तीय वर्ष- 2019-20में प्रियासाफ्ट फीडिंग / ई ग्राम स्वराज फीडिंग केअनुसार ग्रामनिधि2प्रथम के बैंक खाते से रुपया 536887.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा ।

प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 536887.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्टविशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 536887.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 268443.50 ग्राम प्रधान रोहित कुमार से एवं रुपया 268443.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री सत्यनाम वर्मा से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या 6 धनराशि रू०- 536887.00**

**41- ग्राम पंचायत - पनिहल**

**विकास खंड - हरख**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-62** ग्राम पंचायत- पनिहल की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासाफ्ट / ई ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 719803.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है, परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार- बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 719803.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्टविशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 719803.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से रुपया 359901.50ग्राम प्रधान राम किशोर से एवं रुपया 359901.50 ग्राम पंचायत सचिव मनोज कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या 5 धनराशि रू०- 719803.00**

**प्रस्तर-63** ग्राम पंचायत पनिहल की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासाफ्ट / ई ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 990788.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 990788.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्टविशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा”। उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 990788.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 495394.00 ग्राम प्रधान राम किशोर से एवं रुपया 495394.00 ग्रामपंचायत सचिव सत्यनाम वर्मा से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

42- ग्राम पंचायत - बरबसौली

विकास खंड - हरख

जनपद- बाराबंकी

**प्रस्तर-64** ग्राम पंचायत- बरबसौली की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासाफ्ट / ई ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 492144.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये -गएजिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 492144.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्टविशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा" |

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 492144.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है |

अतः समान रूप से रुपया 246072.00 ग्राम प्रधान अनिल कुमार से एवं रुपया 246072.00 ग्राम पंचायत सचिव रेखा चौधरी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूलआपत्ति संख्या 5 धनराशि रू०- 492144.00

**प्रस्तर-65** ग्राम पंचायत- बरवासौली की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासाफ्ट फीडिंग / ई ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 299464.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 299464.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 299464.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 149732.00 ग्राम प्रधान अनिल कुमार से एवं रुपया 149732.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सत्यनाम वर्मा से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूलआपत्ति संख्या 6 धनराशि रू०- 299464.00

43- ग्राम पंचायत - बरायन

विकास खंड - हरख

जनपद- बाराबंकी

**प्रस्तर-66** ग्राम पंचायत- बरायन की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासाफ्ट फीडिंग / ई ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1348491.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1348491.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्टविशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1348491.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है |

अतः समान रूप से रुपया 674245.50 ग्राम प्रधान श्री सुन्दर लाल से एवं रुपया 674245.50 ग्रामपंचायत सचिव श्री राजेन्द्र कुमार विकल से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है |

**मूलआपत्ति संख्या 5 धनराशि रू०- 1348491.00**

**44- ग्राम पंचायत - बरेहटा**

**विकास खंड - हरख**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-67** ग्राम पंचायत- बरेहटा की वित्तीय वर्ष- 2019-20में प्रियासाफ्ट फीडिंग / ई ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1526989.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1526989.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1526989.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 763494.50 ग्राम प्रधान श्री राम प्रसाद से एवं रुपया 763494.50 ग्रामपंचायत सचिव श्री राजेन्द्र कुमार विकल से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है |

**मूलआपत्ति संख्या 5 धनराशि रू०- 1526989.00**

**45- ग्राम पंचायत - भगवानपुर**

**विकास खंड - हरख**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-68** ग्राम पंचायत- भगवानपुरकी वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासाफ्ट फीडिंग / ई ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 57100.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 57100.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्टविशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 57100.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 28550.00 ग्राम प्रधान सुनीता देवी से एवं रुपया 28550.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

**मूलआपत्ति संख्या 5 धनराशि - 57100.00**

**प्रस्तर-69** ग्राम पंचायत- भगवानपुर की वित्तीय वर्ष- 2019-20में प्रियासाफ्ट फीडिंग / ई ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1016953.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा । प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1016953.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्टविशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी । वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1016953.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 508476.50 ग्राम प्रधान सुनीता देवी से एवं रुपया 508476.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री सत्यनाम वर्मा से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

**मूलआपत्ति संख्या 6 धनराशि - 1016953.00**

**46- ग्राम पंचायत - कटियारा**

**विकास खंड - रामनगर**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-70** ग्राम निधि वर्ष 2019-2020 की कैशबुक (कोषबही) में दर्शित व्ययों का व्यय प्रमाणकों (वाउचरो) से मिलान एवं जाच में प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दर्शित कतिपय व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (वाउचर) पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसे प्रमाणक विहीन व्ययों का विवरण निम्नलिखित है।

क्रम संख्या	व्यय दिनांक	वाउचर संख्या	व्यय मद	फर्म का नाम	व्यय धनराशि
1	18.02.2020	-	स्टेशन रिक्वाय, फोटो स्टेट	मोन् डिजिटल स्टूडियो	15390.00
2	28.02.2020	-	हैण्ड पम्प रिबोर	-	36750.00
3	28.02.2020	-	हैण्ड पम्प रिबोर	-	69000.00
4	28.02.2020	-	हैण्ड पम्प रिबोर	-	49070.00
			कुल योग		<b>170210.00</b>

उक्त विवरणानुसार कुल रू0 170210.00 के सन्दर्भ में पुष्टि हेतु प्रमाणक (वाउचर) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों की कई बार मांग की गयी। किन्तु व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे कि दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 से 8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम संख्या 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण गबन एवं अधिभार के योग्य है । अतःआपत्ति में अंकित कुल प्रमाणक विहीन व्ययों की धनराशि रू0 170210.00 की वसूली उत्तरदायी वक्तियों 1 ग्राम प्रधान श्रीमती मनीता देवी 2 ग्राम पंचायत सचिव श्री जान प्रकाश सिन्हा से समान रूप से प्रत्येक से रू0 85105.00 की ब्याज सहित वसूली की जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 17 धनराशि रू- 170210.00**

**47- ग्राम पंचायत - सीहामऊ**

**विकास खंड - रामनगर**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-71** ग्राम निधि वर्ष 2019-2020 की कैशबुक (कोषबही) में दर्शित व्ययों का व्यय प्रमाणकों (वाउचरो) से मिलान एवं जाच में प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दर्शित कतिपय व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (वाउचर) पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसे प्रमाणक विहिन व्ययों का विवरण निम्नलिखित है।

क्रम संख्या	व्यय दिनांक	वाउचर संख्या	व्यय मद	फर्म का नाम	व्यय धनराशि
1	19.02.2020	-	स्टेशनरी, फोटो स्टेट, फोटो ग्राफी आदि	मोनू डिजिटल स्टूडियो	15310.00
			कुल योग		15310.00

उक्त विवरणानुसार कुल ₹0 15310.00 के सन्दर्भ में पुष्टि हेतु प्रमाणक (वाउचर) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों की कई बार मांग की गयी। किन्तु व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे कि दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय वित्त एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 से 8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम संख्या 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित कुल प्रमाणक विहीन व्ययों की धनराशि ₹0 15310.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों 1- ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी तथा 2- ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश सिन्हा से समान रूप से प्रत्येक से ₹0 7655.00 की ब्याज सहित वसूली की जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 17 धनराशि 15310.00**

**48- ग्राम पंचायत - उदखरा**

**विकास खंड - रामनगर**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-72** ग्राम निधि वर्ष 2019-2020 की कैशबुक (कोषबही) में दर्शित व्ययों का व्यय प्रमाणकों (वाउचरो) से मिलान एवं जाच में प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दर्शित कतिपय व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (वाउचर) पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसे प्रमाणक विहिन व्ययों का विवरण निम्नलिखित है।

क्रम	व्यय दिनांक	वाउचर संख्या	व्यय मद	फर्म का नाम	व्यय धनराशि
1	17.02.2020	-	प्रशासनिक व्यय	लोवकुश कुमार	5665.00
2	29.02.2020	-	टाइल्स क्रय	उपहार ट्रेडर्स	54670.00
3	29.02.2020	-	बिल्डिंग मटीरियल क्रय	राकेश ट्रेडर्स	50682.00
4	31.03.2020	-	प्रशासनिक व्यय स्टेशनरी, फोटो स्टेट आदि	मोनू डिजिटल स्टूडियो	19857.00
			कुल योग		130874.00

उक्त विवरणानुसार कुल ₹0 130874.00 के सन्दर्भ में पुष्टि हेतु प्रमाणक (वाउचर) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों की कई बार मांग की गयी। किन्तु व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे कि दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः ऐसे प्रमाणक विहिन व्यय वित्त एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 से 8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम संख्या 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित कुल प्रमाणक विहिन व्ययों की धनराशि ₹0 130874.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों 1 ग्राम प्रधान श्री विक्रमाजीत 2 ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश सिन्हा से समान रूप से प्रत्येक से ₹0 65437.00 की ब्याज सहित वसूली की जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 17 धनराशि ₹0- 130874.00**

**49- ग्राम पंचायत - बघौली**

**विकास खंड - पूरेडलई**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-73** आपत्ति लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया की दिनांक 10.07.2019 को कैश बुक में सोलर लाईट का क्रय ₹0 236500.00 राम इंटरपरेजेज को दर्शाया गया उक्त सोलर लाईट कितनी संख्या में और कहाँ पर लगाई गई लेखा परीक्षा में अवगत नहीं कराया गया। उक्त सोलर लाईट पर दर्शित रामा इन्टर प्राईजेज के नाम से जो क्रय दर्शाया गया है का वाउचर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, वाउचर के अभाव में उक्त धन क्रय दर्शाया जाना कुल धन 236500.00 का अपहरण कर लिया गया। अतः समान रूप से रुपया 118250.00 ग्राम प्रधान श्रीमती लखपती से एवं रुपया 118250.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री अखिलेश्वर से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूलआपत्ति संख्या 2 धनराशि रू०- 236500.00

50- ग्राम पंचायत - सराय दुनौली

विकास खंड - पूरेडलई

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर-74 लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया की दिनांक 03.08.2019 को सुशील ट्रेडर्स से सोलर लाईट क्रय की गई उक्त लोलर लाईट कहां पर और कितनी लागि का कोई विवरण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा, प्रमाणक के अभाव में लोलर लाईट का क्रय दिखाया जाना कुल धन रू0 193500.00 का अपहरण कर लेना संभावित होता है अतः उक्त धन 193500.00 की वसूली मय व्याज सहित आतिथि तक समान रूप से रुपया 96750.00 ग्राम प्रधान श्री हरिनन्दन सिंह से एवं रुपया 96750.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री अनुज कुमार से किया जाना अपेक्षित है |

मूलआपत्ति संख्या 2 धनराशि रू०- 193500.00

51- ग्राम पंचायत - अवशेरगढ़

विकास खंड - दरियाबाद

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर-75 ग्राम पंचायत अवशेर गढ़ की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2019-20) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2019) में रोकड़ हस्त रुपये 45540.00 प्रधान के पास नकद अवशेष था, जो कि मार्च 2020 तक यथावत रहा। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त रोकड़ हस्त रुपये 45540.00 माह मार्च 2017 से प्रधान के पास अवशेष दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रू0 45540.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रू0 45540.00 की उत्तरदायी व्यक्ति श्री जंगली (ग्राम प्रधान) एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राधेश्याम मिश्र से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

मूलआपत्ति संख्या 2 धनराशि रू०- 45540.00

52- ग्राम पंचायत - बीकापुर

विकास खंड - दरियाबाद

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर-76 आलोच्य वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान यह प्रकाश में आया की माह मार्च 2020 में राज्य वित्त का रुपया 284010.00 चौदहवें वित्त के मद में व्यय करके मद का विचलन किया गया है एवं डाइवर्जन ऑफ फंड की श्रेणी में आता है। अतः विभागीय जांच कर उक्त धनराशि रुपए 284010.00 की वसूली समान रूप से प्रधान श्री ग्राम प्रधान- श्री संतोष कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी- श्री राजेश कुमार निगम प्रत्येक से रू0 142005.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना/विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूलआपत्ति संख्या 2 धनराशि रू०- 284010.00

53- ग्राम पंचायत - गुलचप्पा कला

विकास खंड - दरियाबाद

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर-77 ग्राम पंचायत गुलचप्पा कला में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोश वही के अनुसार खाते से रुपया 1771143.70 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है, परंतु दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख वाउचर लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणिक विहीन रहा | इस प्रकार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव की दुरभिसंधि से प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपए 1771143.70 का अपहरण कर लिया गया है |

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गए के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" | वसूली के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा | इसी प्रकार यहाँ पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, तथा 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी दर्शाये गए व्यय के संबंध में किया गया है तथा दर्शाई गई सामग्री की प्रविष्टि भी स्टॉक पंजिका में नहीं की गई है |

उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लरख परीक्षा वर्ष 2019-20 में संयुक्त रूप से रू0 1771143.70 का अपहरण कर लिया गया है |

अतः रू0 885571.85 की वसूली ग्राम प्रधान मोहम्मद अलीम से तथा रू0 885571.85 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री सालिकराम वर्मा से किया जाना अपेक्षित है |

मूलआपत्ति संख्या 2 धनराशि रू०- 1771143.70

54- ग्राम पंचायत - मीननगर

विकास खंड - दरियाबाद

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर-78 ग्राम पंचायत मीन नगर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2019-20) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2019) में रोकड़ हस्त रुपये 279152.00 प्रधान के पास नकद अवशेष था , जो कि मार्च 2020 तक यथावत रहा। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त रोकड़ हस्त रुपये 279152.00 माह फरवरी 2016 से प्रधान के पास अवशेष दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु0 279152.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु0 279152.00 की उत्तरदायी व्यक्ति श्री जान जी मिश्रा (ग्राम प्रधान) एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

**मूलआपत्ति संख्या 2 धनराशि - 279152.00**

**55- ग्राम पंचायत - नोहरेपुर**

**विकास खंड - दरियाबाद**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-79** ग्राम पंचायत नोहरे पुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2019-20) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2019) में रोकड़ हस्त रुपये 119164.00 प्रधान के पास नकद अवशेष था , जो कि मार्च 2020 तक यथावत रहा। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त रोकड़ हस्त रुपये 119164.00 माह जनवरी 2016 से प्रधान के पास अवशेष दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु0 119164.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु0 119164.00 की उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती सुनीता देवी (ग्राम प्रधान) एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

**मूलआपत्ति संख्या 2 धनराशि - 119164.00**

**56- ग्राम पंचायत - कुशफर**

**विकास खंड - दरियाबाद**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-80** आलोच्य वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान यह प्रकाश में आया की व्याज का रुपये 50983.00 एवं राज्य वित्त का रूपया 441483.00 (कुल रु0 492466.00) चौदहवें वित्त में व्यय करके मद का विचलन किया गया है एवं डाइवर्जन ऑफ फंड की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि रूपए 492466.00.00 की ब्याज सहित वसूली / विभागीय कार्यवाही समान रूप से प्रधान श्री ग्राम प्रधान श्रीमत सुमिरता व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार निगम से किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 2 धनराशि - 492466.00**

**57- ग्राम पंचायत - खानपुर शंभूदयाल**

**विकास खंड - दरियाबाद**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-81** आलोच्य वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान यह प्रकाश में आया की माह अगस्त में 2019चौदहवें वित्त का रूपया 9998.00 राज्य वित्त के मद में व्यय करके मद का विचलन किया गया है एवं डाइवर्जन ऑफ फंड की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि रूपए 9998.00 की ब्याज सहित वसूली / विभागीय कार्यवाही समान रूप से ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश व ग्राम पंचायत अधिकारी आलोक कुमार भास्कर से किया जाना अपेक्षित है

**मूलआपत्ति संख्या 1 धनराशि रु०- 9998.00**

**58- ग्राम पंचायत - तासीपुर**

**विकास खंड - दरियाबाद**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-82** ग्राम पंचायत तासीपुर में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासाफ्ट के अनुसार खाते से रूपया 1059834.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है, परंतु दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख वाउचर लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणिक विहीन रहा | इस प्रकार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव की दुरभिसंधि से प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रूपए 1059834.00 का अपहरण कर लिया गया है |

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गए के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" | वसूली के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा | इसी प्रकार यहाँ पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, तथा 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी दर्शाये गए व्यय के संबंध में किया गया है तथा दर्शाई गई सामग्री की प्रविष्टि भी स्टॉक पंजिका में नहीं की गई है |

उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लरख परीक्षा वर्ष 2019-20 में संयुक्त रूप से रु0 1059834.00 का अपहरण कर लिया गया है |

अतः रु0 529917.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रमेश से तथा रु0 529917.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक कुमार भास्कर से किया जाना अपेक्षित है |

**मूलआपत्ति संख्या 1 धनराशि रु०- 1059834.00**

**59- ग्राम पंचायत - पहरूपुर**

**विकास खंड - दरियाबाद**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-83** ग्राम पंचायत पहरूपुर में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोश वही के अनुसार खाते से रूपया 1231305.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है, परंतु दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख वाउचर लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने पर भी

प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणिक विहीन रहा | इस प्रकार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव की दुरभिसंधि से प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रूप 1231305.00 का अपहरण कर लिया गया है |

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गए के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" | वसूली के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा | इसी प्रकार यहाँ पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, तथा 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी दर्शाये गए व्यय के संबंध में किया गया है तथा दर्शाई गई सामग्री की प्रविष्टि भी स्टॉक पंजिका में नहीं की गई है |

उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लरख परीक्षा वर्ष 2019-20 में संयुक्त रूप से ₹0 1231305.00 का अपहरण कर लिया गया है |

अतः ₹0 615652.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री दिनेश कुमार से तथा ₹0 615652.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक कुमार भास्कर से किया जाना अपेक्षित है |

**मूलआपत्ति संख्या 1 धनराशि ₹0- 1231305.00**

**60- ग्राम पंचायत - बनगवां**

**विकास खंड - दरियाबाद**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-84** ग्राम पंचायत बनगवां में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोश वही के अनुसार खाते से रुपया 474769.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है, परंतु दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख वाउचर लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणिक विहीन रहा | इस प्रकार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव की दुरभिसंधि से प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रूप 474769.00 का अपहरण कर लिया गया है |

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गए के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" | वसूली के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा | इसी प्रकार यहाँ पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 153, 154, 155, तथा 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी दर्शाये गए व्यय के संबंध में किया गया है तथा दर्शाई गई सामग्री की प्रविष्टि भी स्टॉक पंजिका में नहीं की गई है |

उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लरख परीक्षा वर्ष 2019-20 में संयुक्त रूप से ₹0 474769.00 का अपहरण कर लिया गया है |

अतः ₹0 237384.50 की वसूली ग्राम प्रधान शफी उन्ननीशा से तथा ₹0 237384.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार निगम से किया जाना अपेक्षित है |

**मूलआपत्ति संख्या 1 धनराशि ₹0- 474769.00**

**61- ग्राम पंचायत - सिसौना**

**विकास खंड - दरियाबाद**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-85** ग्राम पंचायत सिसौना की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2019-20) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2019) में रोकड़ हस्त रुपये 24955.00 प्रधान के पास नकद अवशेष था , जो कि मार्च 2020 तक यथावत रहा | प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त रोकड़ हस्त रुपये 24955.00 माह जनवरी 2016 से प्रधान के पास अवशेष दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त ₹0 24955.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा ₹0 24955.00 की उत्तरदायी व्यक्ति श्री विजय कुमार पाण्डेय (ग्राम प्रधान) एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी प्रत्येक से ₹0 12477.50 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 2 धनराशि ₹0- 24955.00**

**62- ग्राम पंचायत - सैदखानपुर**

**विकास खंड - दरियाबाद**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-86** ग्राम पंचायत सैदखान पुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2019-20) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2019) में रोकड़ हस्त रुपये 193600.00 प्रधान के पास नकद अवशेष था , जो कि मार्च 2020 तक यथावत रहा। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त रोकड़ हस्त रुपये 193600.00 माह जनवरी 2016 से प्रधान के पास अवशेष दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु0 193600.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु0 193600.00 की उत्तरदायी व्यक्ति श्री अखिलेश कुमार (ग्राम प्रधान) एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी प्रत्येक से रु0 96800.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 2 धनराशि रु०- 193600.00**

**63- ग्राम पंचायत - धामापुर**

**विकास खंड - दरियाबाद**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-87** ग्राम पंचायत धामापुर में लेखा परीक्षा वर्ष (2019-20) में प्रिया साफ्ट के अनुसार खाते से रु0 1111974.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु0 1111974.00 का अपहरण कर लिया गया है। उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। तथा क्रय दर्शायी गयी सामग्री की प्रविष्टि भी स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गयी है।

उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु0 1111974.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः रु0 555987.00 ग्राम प्रधान श्री जितेंद्र बहादुर सिंह एवं रु0 555987.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री आलोक कुमार भास्कर से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 1 धनराशि रु०- 1111974.00**

**64- ग्राम पंचायत - इटौरा**

**विकास खंड - दरियाबाद**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-88** ग्राम पंचायत इटौरा में लेखा परीक्षा वर्ष (2019-20) में प्रिया साफ्ट के अनुसार खाते से रु0 1022390.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु0 1022390.00 का अपहरण कर लिया गया है। उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। तथा क्रय दर्शायी गयी सामग्री की प्रविष्टि भी स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गयी है।

उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु0 1022390.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः रु0 511195.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा शुक्ला एवं रु0 511195.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री आलोक कुमार भास्कर से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 1 धनराशि रु०- 1022390.00**

**65- ग्राम पंचायत - जदवापुर**

**विकास खंड - दरियाबाद**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-89** ग्राम पंचायत जदवापुर में लेखा परीक्षा वर्ष (2019-20) में प्रिया साफ्ट के अनुसार खाते से रु0 846306.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु0 846306.00 का अपहरण कर लिया गया है। उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी

गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। तथा क्रय दर्शायी गयी सामग्री की प्रविष्टि भी स्टॉकर रजिस्टर में नहीं की गयी है।

उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु0 846306.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः रु0 423153.00 ग्राम प्रधान श्री रामविलास एवं रु0 423153.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री आलोक कुमार भास्कर से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 1 धनराशि रु०- 846306.00**

**66- ग्राम पंचायत - कमौली**

**विकास खंड - दरियाबाद**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-90** ग्राम पंचायत कमौली में लेखा परीक्षा वर्ष (2019-20) में प्रिया साफ्ट के अनुसार खाते से रु0 1402768.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु0 1402768.00 का अपहरण कर लिया गया है। उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। तथा क्रय दर्शायी गयी सामग्री की प्रविष्टि भी स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गयी है।

उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु0 1402768.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः रु0 701384.00 ग्राम प्रधान श्री राम गोपाल एवं रु0 701384.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री आलोक कुमार भास्कर से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 01 धनराशि रु०- 1402768.00**

**67- ग्राम पंचायत - मल्लूालपुर**

**विकास खंड - दरियाबाद**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-91** ग्राम पंचायत मल्लूालपुर में लेखा परीक्षा वर्ष (2019-20) में प्रिया साफ्ट के अनुसार खाते से रु0 539630.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु0 539630.00 का अपहरण कर लिया गया है। उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। तथा क्रय दर्शायी गयी सामग्री की प्रविष्टि भी स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गयी है।

उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु0 539630.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। साथ ही प्रधान के पास पूर्व वर्षों से 500.00 नकद चला आ रहा है जो प्रधान द्वारा सीधा-सीधा अपहरण है।

अतः रु0 270315.00 ग्राम प्रधान श्रीमती कुन्ता देवी एवं रु0 269815.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री आलोक कुमार भास्कर से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 1 धनराशि रु०- 540130.00**

**68- ग्राम पंचायत - बीर किठाई**

**विकास खंड - दरियाबाद**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-92** आलोच्य वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया की ग्राम पंचायत में चतुर्थ वित्त का रु0 150375.00 चौदहवें वित्त में व्यय कर मद का विचलन किया गया है जो कि अनियमित है, एवं डाईवर्जन ऑफ फंड की श्रेणी में आता है। विभागीय जांच करा कर उक्त धनराशि रु0 150375.00 की वसूली / विभागीय कार्यवाही समान रूप से तत्कालीन सचिव श्री चंद्र शेखर गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री राम गोपाल पर किया जाना अपेक्षित है।

अतः सचिव श्री चंद्र शेखर गुप्ता से रु0 75187.50 एवं ग्राम प्रधान श्री राम गोपाल से रु0 75187.50 ब्याज सहित वसूल / विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 2 धनराशि रु- 150375.00**

**69- ग्राम पंचायत - अगानपुर**

**विकास खंड - दरियाबाद**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-93** ग्राम पंचायत अगानपुर में लेखा परीक्षा वर्ष (2019-20) में प्रिया साफ्ट के अनुसार खाते से रु0 2284408.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु0 2284408.00 का अपहरण कर लिया गया है। उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। तथा क्रय दर्शायी गयी सामग्री की प्रविष्टि भी स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गयी है।

उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु0 2284408.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः रु0 1142204.00 ग्राम प्रधान श्रीमती रामलली एवं रु0 1142204.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री आलोक कुमार भास्कर से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 1 धनराशि - 2284408.00**

**70- ग्राम पंचायत - मकनपुर**

**विकास खंड - त्रिवेदीगंज**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-94** ग्राम निधि खाते से दिनांक 23-07-2019 को रु0 11950.00 तथा दिनांक 17-03-2020 को रु0 15540.00 का आहरण किया जाना खाते से स्पष्ट है लेकिन कैशबुक में रु0 11950.00 के स्थान पर 11900.00 तथा 17-03-2020 को रु0 15540 के स्थान पर 15450 का व्यय दर्शाया गया है अतः रु0 140 का सीधे-सीधे अपहरण कर लिया गया है जो की वसूली योग्य है | अतः रु0 70.00 ग्राम प्रधान श्रीमती नगमा बानो एवं रु0 70.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री बीरेन्द्र कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 2 धनराशि रु- 140.00**

**प्रस्तर-95** आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं धन का अपहरण करके बिना किसी प्रमाणक के काल्पनिक व्यय दर्शा कर कुल रु0 155290.00 का अपहरण किए जाने की पुष्टि होती है क्योंकि धन आहरण करने के पूर्व ग्राम पंचायत का प्राथमिकता के आधार पर किसी कार्य हेतु आहत धन व्यय होगा, ना तो इसका कोई प्रस्ताव पारित था और न ही सक्षम समिति से भुगतान के पूर्व अनुमति लिए जाने की पुष्टि हो सकी। अपितु ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से ग्राम निधि खाते से नियमों के विपरीत बहुत अधिक मात्रा में धन का आहरण दर्शाकर फर्जी समायोजन दर्शा दिया गया है। अतः उक्त व्यय धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली अपेक्षित है।

अतः रु0 77645.00 ग्राम प्रधान श्रीमती नगमा बानो एवं रु0 77645.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री बीरेन्द्र कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 3 धनराशि रु- 155290.00**

**प्रस्तर-96** दिनांक 23-07-2019 को रु0 195000.00 तथा 195000.00 दो बार तथा 03-08-2019 को रु0 110000.00 कुल धनराशि रु0 500000.00 का सोलर लाइट क्रय दर्शाकर सुशील ट्रेडर्स को भुगतान दिया गया है किन्तु उक्त सोलर लाइट क्रय के पूर्व ना तो सरकारी क्रय सिद्धांत का पालन किया गया है और न ही सक्षम समिति से इसका अनुमोदन लिया गया है। शासनदेश संख्या 33/2017/977/45- वि0 /2017 दिनांक 29.08.2017 के अनुसार यूपी नेडा के माध्यम से ई-निविदाओं का पालन नहीं किया गया है और इसे स्टॉक बुक बनाकर दर्ज भी नहीं किया गया है। जिस सुशील ट्रेडर्स को भुगतान दिया गया है उसका प्रमाणक भी नहीं प्रस्तुत

किया गया है। अतः सरकारी धन का नियमों के विपरीत मनमाने ढंग से व्यय दर्शा दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त के आधार पर इसे अपहरण की श्रेणी में मानते हुए वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः ₹0 250000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती नगमा बानो एवं ₹0 250000.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री बीरेन्द्र कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **मूलआपति संख्या 4 धनराशि ₹0- 500000.00**

**प्रस्तर-97** दिनांक 23.07.2019 को सुशील ट्रेडर्स को इस्टविन ₹0 163000.00 का क्रय दर्शाया गया है लेकिन इसका न तो कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत किया गया है और न ही सरकारी क्रय सिद्धांत का पालन किया गया है। जिससे ग्राम पंचायत को तुलनात्मक दरों पर लाभ नहीं प्राप्त हो सका। स्टॉक रजिस्टर बना कर इसे अंकित भी नहीं किया गया है, और न ही इसे कहाँ-कहाँ लगाया जाएगा इसका ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव ही प्रस्तुत रहा। उक्त भुगतान राशि के पूर्व सक्षम समिति से इसका अनुमोदन लिया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। अतः उक्त के आधार पर यह धनराशि वसूली योग्य है। अतः ₹0 81500.00 ग्राम प्रधान श्रीमती नगमा बानो एवं ₹0 81500.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री बीरेन्द्र कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **मूलआपति संख्या 5 धनराशि ₹0- 163000.00**

**प्रस्तर-98** दिनांक 17.03.2020 को क्रमशः 7700.00 तथा 13000.00 ₹0 का भुगतान कैशबुक में फर्नीचर क्रय के रूप में दर्शित है किन्तु कैसा फर्नीचर, किसके उपयोग हेतु क्रय हुआ प्रमाणक के अभाव में अज्ञात रहा। तथा किस फार्म से क्रय किया गया यह भी अज्ञात रहा। इसके साथ ही इसे स्टॉक बुक में भी अंकित होना चाहिए था, जबकि स्टॉक बुक बना ही नहीं है। अतः उक्त भुगतान से फर्नीचर क्रय होने की पुष्टि नहीं होती यह निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु भुगतान दर्शाया गया है अतः ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मिली भगत करके उक्त धन को आपस में बाँट लिया गया है जो वसूली योग्य है। अतः ₹0 10350.00 ग्राम प्रधान श्रीमती नगमा बानो एवं ₹0 10350.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री बीरेन्द्र कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **मूलआपति संख्या 6 धनराशि ₹0- 20700.00**

**71- ग्राम पंचायत - मँझार**

**विकास खंड - त्रिवेदीगंज**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-99** दिनांक 31.11.2019 को ग्राम निधि खाते से ₹0 9984.00 की निकासी करके कैशबुक में कही व्यय नहीं दर्शाया गया और न ही अवशेष रोकड़ में इसे दर्शाया गया है। अतः स्पष्ट है की उक्त धन का सीधा-शीधा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली अपेक्षित है।

अतः ₹0 4992.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सर्वेश कुमारी एवं ₹0 4992.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री बीरेन्द्र कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

#### **मूलआपति संख्या 1 धनराशि ₹0- 9984.00**

**प्रस्तर-100** दिनांक 23.07.2019 को क्रमशः ₹0 195000.00 व 195000.00 की दोनों चेके सुशील ट्रेडर्स के नाम से निर्गत कर कुल ₹0 390000.00 का भुगतान कैशबुक में दर्शाते हुए सोलर लाइट क्रय दर्शित है किन्तु इस भुगतान से पूर्व न तो ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव पारित दर्शाया गया है और न ही सक्षम समिति से इसका अनुमोदन ही लिया गया है और न ही इसका कोई प्रमाणक/वाउचर ही प्रस्तुत किया गया है, साथ ही इसे किन-किन स्थानों पर लगाया गया है इसकी भी कोई रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ₹0 38500.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सर्वेश कुमारी एवं ₹0 38500.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री बीरेन्द्र कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **मूलआपति संख्या 2 धनराशि ₹0- 390000.00**

**प्रस्तर-101** दिनांक 29.07.2019 को इस्टविन ₹0 163000.00 का क्रय दर्शाया गया है इसकी चेक भी सुशील ट्रेडर्स के नाम से निर्गत कर दी गई है। प्रमाणक/ वाउचर प्रस्तुत न रहने से यह भी पुष्टि न हो पाई की उक्त फर्म इस्टविन की भी सप्लाई करती है तथा इस भुगतान से पूर्व न तो टेंडर आमंत्रित किया गया और न ही सक्षम समिति व ग्राम पंचायत से अनुमोदन ही लिया गया है फलतः ग्राम पंचायत को तुलनात्मक दरों का लाभ भी नहीं मिल सका। बिल वाउचर, स्टॉक बुक, सरकारी क्रय सिद्धांत एवम् कोई प्रस्ताव न होना स्वतः ही इसे फर्जी होने की पुष्टि करता है। जो वसूली योग्य है। अतः ₹0 81500.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सर्वेश कुमारी एवं ₹0 81500.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री बीरेन्द्र कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

#### **मूलआपति संख्या 3 धनराशि ₹0- 163000.00**

**प्रस्तर-102** दिनांक 30.11.2019 को बिना बिल वाउचर एवं चालान के ईट क्रय दर्शा कर ₹0 167580.00 का भुगतान अपने पसंद के भट्टे के नाम करके धन का बंदर बाँट कर लिया गया है क्योंकि यदि ईट क्रय होता तो उसकी एम0 बी0 एवं स्टॉक बुक में इंटी अंकित होती। जो बना ही नहीं है। तथा इसे क्रय करने से पूर्व सरकारी क्रय सिद्धांत का पालन न करके इतनी अधिक धनराशि का एक चेक निर्गत करके सरकारी धन का अपहरण किया गया स्पष्ट है। उक्त भुगतान के पूर्व सक्षम निर्माण समिति से अनुमोदन लिया गया है और न ही ऐसा कोई ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव ही पारित किया गया है अतः ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मिली

भगत करके उक्त धन को आपस में बाँट लिया गया है जो वसूली योग्य है। अतः ₹0 83790.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सर्वेश कुमारी एवं ₹0 83790.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री बीरेन्द्र कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

**मूलआपति संख्या 4 धनराशि ₹0- 167580.00**

**प्रस्तर-103** दिनांक 14.01.2020 को कैश बुक में सामग्री क्रय दर्शाते हुए सुशील ट्रेडर्स के नाम से निर्गत ₹0 112406.00 का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त सामग्री में क्या क्या था-,बिल वाउचर अप्राप्त रहने से ज्ञात न हो सका साथ ही उक्त भुगतान के पूर्व न तो सक्षम समिति से इसका अनुमोदन लिया गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव पारित कराया गया। साथ ही सरकारी क्रय सिद्धांत का पालन किया गया। स्टॉक रजिस्टर बनाया ही नहीं गया। अतः स्पष्ट है की सरकारी धन को बिना नियमों का पालन किए स्वेच्छानुसार चेक निर्गत करके आपस में बाँट लिया गया है जो वसूली योग्य है। अतः ₹0 56203.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सर्वेश कुमारी एवं ₹0 56203.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री बीरेन्द्र कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

**मूलआपति संख्या 5 धनराशि ₹0- 112406.00**

**प्रस्तर-104** दिनांक 17.02.2020 को पाल ट्रेडर्स के नाम से चेक निर्गत कर सामग्री क्रय ₹0 29876.00 दर्शाया गया है किन्तु न तो इसका कोई प्रमाणक प्रस्तुत किया गया है और न ही इसके उपयोग की पुष्टि होती है। स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया की अवशेष स्टॉक के रूप में इसकी पुष्टि की जा सके। इस तिथि के बाद कोई मस्टररोल भी नहीं है अतः वास्तव में उक्त कोई सामग्री आई ही नहीं है। यह निकासी धनराशि को समायोजित करने का एक काल्पनिक व्यय है जिसकी वसूली अपेक्षित है।

अतः ₹0 14938.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सर्वेश कुमारी एवं ₹0 14938.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री बीरेन्द्र कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

**मूलआपति संख्या 11 धनराशि ₹0- 29876.00**

**72- ग्राम पंचायत - असौरी**

**विकास खंड - सिद्धौर**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-105** हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर के नाम पर प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ₹0 184465 का सम्भावित व्ययहरण/अपहरण

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय विवरण	चेक संख्या / दिनांक	धनराशि	अपहरण कर्ता
1	हैण्डपम्प मरम्मत	समान एवं मजदूरी	41287 / 19.06.2019	17225.00	विश्वकर्मा आयान स्टोर
2	हैण्डपम्प मरम्मत	समान एवं मजदूरी	41289 / 19.06.2019	17770.00	विश्वकर्मा आयान स्टोर
3	हैण्डपम्प रिबोर	समान	41290 / 02.08.2019	28560.00	आर्यन ट्रेडर्स
4	हैण्डपम्प रिबोर	समान	41292 / 02.08.2019	28480.00	आर्यन ट्रेडर्स
5	हैण्डपम्प रिबोर	समान	41294 / 02.08.2019	28690.00	आर्यन ट्रेडर्स
6	हैण्डपम्प रिबोर	समान	41296 / 19.07.2019	28740.00	आर्यन ट्रेडर्स
7	हैण्डपम्प मरम्मत	समान एवं मजदूरी	पीएफएम एस / 11.02.2020	19600.00	विश्वकर्मा ट्रेडर्स
8	हैण्डपम्प मरम्मत	समान एवं मजदूरी	पीएफएम एस / 11.02.2020	15400.00	विश्वकर्मा ट्रेडर्स
योग				184465.00	

उक्त कराये गये हैण्डपम्प एवं रिवोर से सम्बन्धित आपतियाँ पायी गयी।

- उपरोक्त हैण्डपम्प मरम्मत/रिवोर से सम्बन्धित कोई बिल वाउचर/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके जिसके कारण मरम्मत/रिवोर से सम्बन्धित सामग्री क्रय तथा मजदूरी भुगतान के क्रम में कुल ₹0 184465 की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रकार वाउचर विहीन किया गया उक्त व्यय पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256(2) के उपनियम 1क में निनिदिष्ट विषयों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है। जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की वसूली प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर मात्रा में की जायेगी तथा साथ ही डी0पी0आर0ओ0 द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 409 के अनुसार गबन के मामले में सक्षम न्यायलय में मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।
- उपरोक्त मरम्मत/रिवोर से सम्बन्धित कोई भी प्राक्कलन जे0ई0एम0आई0 द्वारा नहीं तैयार कराया गया था जो पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 154 का उल्लंघन है।
- उक्त कराये गये कार्य की माप पुस्तिका भी नहीं तैयार करायी गयी थी जिसके कारण कार्य वास्तव में कराये गये था नहीं की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- उक्त कराये गये कार्य का कोई कार्यपूर्ति सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से नहीं तैयार कराया गया जिसके कारण उक्त कार्य के सम्भव होने की पुष्टि नहीं हो सकी।

5. उक्त कराये गये कार्यों के भुगतान में भी अनियमितता दृष्टिगत होती है क्योंकि ज्यादातर भुगतान सामग्री क्रय के सापेक्ष मजदूरी पर नगण्य भुगतान दर्शित था, जो विस्वय में एक व्यापक अनियमितता का परिचायक है।

6. हैण्डपम्प मरम्मत/रिवोर से सम्बन्धित ग्राम सभा के निवासियों, लाभावियों/जल प्रबन्धन समिति की माँग पत्र तथा जे0ई0एम0आई0 द्वारा की जाने वाली निरीक्षण रिपोर्ट भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। इस प्रकार हैण्डपम्प/रिवोर के नाम पर व्यय धनराशि 184465 की पुष्टि नहीं हो सकी, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नफीसा बानो से एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव मो0 अहद प्रत्येक से रू0 92232.50 की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 11 धनराशि रू0- 184465.00**

**प्रस्तर-106** सोलर लाइट स्थापना के नाम पर प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रू0 234300 का सम्भवित व्ययहरण-

क्रम संख्या	कार्य का नाम	धनराशि	चेक संख्या / दिनांक	आहरण कर्ता
1	सोलर लाइट स्थापना	85200	41291 / 03.08.2019	मेसर्स कमला प्रसाद
2	सोलर लाइट स्थापना	85200	41293 / 03.08.2019	मेसर्स कमला प्रसाद
3	सोलर लाइट स्थापना	63900	41295 / 03.08.2019	मेसर्स कमला प्रसाद
	योग	234300.00		

1. उपरोक्त कराये गये सोलर लाइट स्थापना कार्य पर कोई भी बिल वाउचर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके कारण उसकी स्थापना में सम्बन्धित लाइटों के क्रय एवं उनकी लगवाने में खर्च मजदूरी भुगतान के क्रम में कुल रू0 234300 की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार वाउचर विहीन किया गया उक्त भुगतान पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256-2 के उपनियम 1क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में विता एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पुष्ट संख्या 36-37 पर उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार वसूली योग्य है जहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गये से सम्बन्धित बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान/सचिव से बराबर मात्रा में की जायेगी तथा वसूली के साथ-साथ डी0पी0आर0ओ0 द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 409 के अनुसार गबन का मुकदमा भी माननीय न्यायालय में चालाय जा सकेगा।

2. पंचायती राज नियमावली के नियम के तहत किसी भी कार्य पर तकनीकी अधिकारी द्वारा प्राकलन तैयार किया जायेगया का भी ध्यान नहीं दिया गया।

3. उक्त कराये गये कार्य की कार्य पुस्तिका भी नहीं बनायी गयी जिससे कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी

4. उक्त सोलर लाइटों का क्रय पर ही समस्त व्यय दर्शित किया गया जबकि स्थापना कार्य पर मजदूरी का वितरव नहीं दर्शित किया है जिससे भी कार्य संदिग्ध माना जाता है

5. इन सोलर लाइटों की स्थापना का ननोस्थान सुनिश्चित होने के लिये नियोजन समिति का कोई प्रभार पत्र और न ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बनाया गया था।

इस प्रकार सोलर लाइटों स्थापना के नाम पर व्यय धनराशि 234300 की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः रुपये 117150.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री नफीसा बानो एवं सचिव श्री अहद प्रत्येक से बराबर मात्रा से की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या 10 धनराशि - 234300.00**

**73- ग्राम पंचायत - पडरावाँ**

**विकास खंड - सिद्धौर**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-107** ह्यूमपईप क्रय , नाली निर्माण , सीमेंट वेज क्रय , इन्टर लाकिग , के नाम पर प्रमाणक व्यय दर्शाकर रू0 2873810.00 संभावित व्ययहरण

क्रम	कार्य का नाम	व्यय विवरण	चेक संख्या / दिनांक	धनराशि	आहरण कर्ता
1	ह्यूमपईप क्रय ह्यूमपईप क्रय	ह्यूमपईप क्रय	3469 / 18.06.19	95108	राठोर इन्टरप्राइसेस
		ह्यूमपईप क्रय	34700 / 24.06.19	95108	सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर
2	सीमेंट वेज क्रय सीमेंट वेज क्रय	सीमेंट वेज क्रय	34690 / 19.06.19	199800	राठोर इन्टरप्राइसेस
		सीमेंट वेज क्रय	34599 / 24.06.19	19560	सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर
3	नाली निर्माण राजेन्द्र के घर से तालाब तक	ईट क्रय	34693 / 21-06-19	59272	सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर
		सामग्री क्रय	34695 / 24-06-19	42802	वर्श ट्रेडर्स
		मजदूरी	34693 / 21-06-19	18736	वर्श ट्रेडर्स
4	इन्टर लाकिग पंचायत घर से सेवादिन के घर तक	ईट क्रय	53290 / 05-08-19	43326	सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर
		ईट क्रय	53291 / 05-08-19	115059	सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर
		सामग्री क्रय	46218 / 05-08-19	38309	सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर

		मजदूरी	53292 / 05-08-19	24562	सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर
5	इन्टर लाकिंग सल्लन घर से रायसरन के घर तक	ईट क्रय ईट क्रय सामग्री क्रय मजदूरी	53298 / 05-08-19 53299 / 05-08-19 46220 / 05-08-19 53300 / 05-08-19	41573 124742 21530 22634	सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर
6	इन्टर लाकिंग नागदेवता प्रागण मे	ईट सामग्री ईट ईट सामग्री मजदूरी	53294 / 05-08-19 53295 / 05-08-19 46219 / 05-08-19 53296 / 05-08-19	41293 141827 37549 24126	सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर
7	इन्टर लाकिंग रामजनक घर से राजाराम के घर तक	मजदूरी सामग्री क्रय ईट क्रय ईट क्रय	46217 / 05-08-19 46214 / 05-08-19 46215 / 05-08-19 46216 / 05-08-19	24308 38637 43085 138272	सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर
8	मलखान के घर से बीच रोड तक	ईट ईट ईट मजदूरी	46206 / 05-08-19 46208 / 05-08-19 46207 / 05-08-19 46209 / 05-08-19	36455 133242 39997 22998	सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर
9	इन्टर लाकिंग षमोहन घर से पुलिया तक	ईट ईट सामग्री मजदूरी	46204 / 05-08-19 46203 / 05-08-19 46221 / 05-08-19 46205 / 05-08-19	119216 36078 32094 20378	सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर
10	इन्टर लाकिंग देवराज के घर से ललित के घर तक	ईट ईट सामग्री	46211 / 05-08-19 46212 / 05-08-19 46210 / 05-08-19	39480 124469 36905	सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर
11	प्राथमिक विधीयले मे बच्चे के बैठने के लिए बेंच क्रय	बेंच क्रय	46201 / 05-08-19	195320	सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर
12	प्राथमिक विधीयले मे बच्चे के बैठने के लिए बेंच क्रय	बेंच क्रय	46223 / 05-08-19	195320	सदानन्द कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर
13	प्राथमिक विधीयले मे बच्चे के बैठने के लिए बेंच क्रय	बेंच क्रय	46225 / 05-08-19	195320	माही इन्टरप्राइसेस
14	प्राथमिक विधीयले मे बच्चे के बैठने के लिए बेंच क्रय	बेंच क्रय	46224 / 05-08-19	195320	माही इन्टरप्राइसेस
	<b>योग</b>			<b>2873810.00</b>	

उक्त कराये गये कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा मे निम्नलिखित आपत्ति पायी गयी।

क- उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष कृत सामग्रियों के बिल वाउचर तथा मजदूरी भुगतान के सम्बन्धित मास्टररोल का व कार्यों की पत्रावलियां बार-बार मागे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके। जिसके कारण उपरोक्त कृत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान व अन्य भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः ₹0 2710283.00 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 सरकार द्वारा पारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36.37 पर उल्लिखित है के यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल-वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गलत मानते हुए इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर माल में की जायेगी।

ख- उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित विभिन्न तिथियों में ₹0 20000-00 तथा ₹0 1 लाख से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था, किन्तु क्रय की सामग्रियों का क्रय किया गया था, किन्तु क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर आमामित नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धक हेतु लेखा मैनुअल के

अध्याय 8 के प्रस्तर 4-5 में निहित प्रविधानों का उल्लंघन करने हुए मामाने डंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम पंचायत को वित्तीय क्षति पहुंचायी गयी।

ग- उपरोक्त कराये गये कार्यों का कोई मानचित्रण/प्राक्कलन भी नहीं तैयार कराया गया था तथा न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यों की वित्तीय स्वीकृति ही प्राप्त की गयी थी जो पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 153 एवं 154 का उल्लंघन है

ध- कराये गये कार्यों की कोई माप पुस्तिका भी नहीं तैयार करायी गयी जिससे कार्य होने भी पुष्टि हो सके।

ड- कराये गये निर्माण कार्यों/मरम्मत कार्यों एवं क्रय की गयी स्कूल बेंचों से सम्बन्धित कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र नहीं तैयार किया थ जिसके अभाव में कार्यों के सम्पन्न होने की पुष्टि न हो सकी यह पंचायत राज नियमावली के अध्याय 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन है अतः उपरोक्त कार्यों पर कुल व्यय धनराशि ₹0 2873810.00 की पत्रावलियों के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम सुफल एवं तत्कालीन सचिव श्री राजेन्द्र कुमार से बराबर-बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से ₹0 1436905.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या 1 धनराशि - 2873810.00**

**74- ग्राम पंचायत - सादुल्लापुर**

**विकास खंड - सिद्धौर**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-108** रोकडवही में सम्पूर्ण वर्ष प्रदर्शित करने वाली धनराशि ₹0 150348.72 की पुष्टि बैंक पास बुक से न करके सम्बन्धित धनराशि का अपहरण-

वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया कि ग्रा0पं0 की रोकडवही में प्रा0 अवशेष ₹0 2009562.79 अवशेष जिसका विवरण निम्नवत है-

खाता संख्या	धनराशि
751110210000030	1854689.69
ग्राम निधि 3 8737	2501.08
ग्राम निधि 3 8791	146213
ग्राम निधि 1 8696	1631.92
अन्य मदों में	1227
नकद प्रधान	3298
	2009562.79

उपरोक्त विवरणनुसार रोकडवही में - ग्राम निधि 3 खाता संख्या 8737 की धनराशि रूपया 2503.08 खाता संख्या 8790 की धनराशि रूपया 146213.00 ग्राम निधि 1 खाता 8696 धनराशि संख्या 1631.92 सहित कुल धनराशि 150348.72 सम्पूर्ण वर्ष रोकड वही में प्रदर्शित की गयी परन्तु उक्त धनराशियों की पुष्टि में बैंक पासबुक नहीं प्रस्तुत करके सम्बन्धित सचिव की बृजेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी द्वारा सम्भावित व्ययहरण किया गया जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी एवं तत्कालीन सचिव श्री बृजेश कुमार से बराबर-बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से ₹0 75174.50 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या 02 धनराशि - 150348.72**

**प्रस्तर-109** फर्जी एवं कूटरचित व्यय प्रमाणको द्वारा विभिन्न निमाण कार्यों हेतु सामग्री क्रय दर्शाकर ₹0 845538.00 का फर्जी भुगतान तथा कराये गये कार्यों की स्थिति संदिग्धपूर्ण

वित्तीय वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत सादुल्लापुर की लेखा परीक्षा के दौरान पंचायत में कराये विभिन्न कार्यों की लेखा परीक्षा में अलग-अलग कार्यों के नाम पर दर्शाये गये फर्मों के वाउचर फर्जी पाये गये जिनका विवरण तुलनात्मक चार्ट के अनुसार निम्न है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	व्यय विवरण	बिल वाउचरो की स्थिति	फर्म का नाम	धनराशि
1	गुरु मिलन के खेत से धीरेन्द्र के हाता तक इन्टरलोकडंग कार्य	निर्माण सामग्री	4/14.04.2019	वारसी ट्रेडर्स	45304
		ईट क्रय	2/12.04.2019	वारसी ट्रेडर्स	129599
		ईट गिट्टी	95/14.04.2019	कुमार ईट	50064
		मजदूरी	1.4.19 से 15.4.2019		23675
2	पिच रोड से गुरु मिलन के खेत तक इन्टरलोकडंग कार्य	ईट इन्टरलॉकिंग	1/13.4.2019	वारसी ट्रेडर्स	131612
		ईट	93/13.04.2019	कुमार ईट	51874
		निर्माण सामग्री	19/13.04.2019	श्री राम फर्टिलाइज़र	41083
		मजदूरी	1.4.19 से 11.4.2019	मास्टर रोल	23675
3	सादुल्लापुर में सौचालय निर्माण	दरवाजा एवं चौखट	91/07.04.19	वारसी ट्रेडर्स	20950
		ईट क्रय	78/07.09.19	कुमार ईट	30352

		निर्माण सामग्री मजदूरी	16/4.4.19 16.3.19 से 30.03.19	श्री राम फर्टलाइज़र	65313.30 28450
4	जगजीवन के बाग से मैकू के बाग तक इन्टरलोकडिंग कार्य	इन्टरलोकडिंग कार्य ईट क्रय निर्माण सामग्री मजदूरी	6/16.05.19 97/15.05.19 21/05.05.19 01.05.19 से 12.05.19	वारसी ट्रेडर्स कुमार ईट श्री राम फर्टलाइज़र	130472 51845 41485 23675
5	मैकू के घर से अशोक के घर तक इन्टरलोकडिंग कार्य	इन्टरलोकडिंग ईट ईट क्रय निर्माण सामग्री मजदूरी	5/25.06.19 5/25.06.19 101/24.06.19 11.6.19 से 26.06.19	लडबुद्ध कुमार ईट श्री राम फर्टलाइज़र मास्टर रोल	137405 43667 38789 23359
6	लाला के दरवाजे से मोनू के दरवाजे तक इन्टरलोकडिंग कार्य	ईट क्रय सीमेंट ईट निर्माण सामग्री मजदूरी	102/25.06.19 06/26.06.19 14/26.06.2019 12.06.19 से 26.06.19	कुमार ईट लडबुद्ध वारसी ट्रेडर्स मास्टर रोल	40646 146686 36026 23175
7	प्रा0 विद्यालय इनायतपुर के परिसर में इन्टरलोकडिंग कार्य	सीमेंट ईट निर्माण सामग्री मजदूरी	31/27.07.19 238/26.07.19 19.07.19 से 26.07.2019	वारसी ट्रेडर्स वारसी ट्रेडर्स मास्टर रोल	153636 31429 45075
8	पंचायत कार्यालय भवन की रंगाई पुताई	पेंट सामग्री मजदूरी दरवाजा पल्ला निर्माण सामग्री मजदूरी	145/14.07.19 ----- 27/14.07.19 17/14.07.19 30.06.19 से 14.07.19	मे0आशीष हार्डवेयर मास्टर रोल वारसी ट्रेडर्स श्री राम फर्टलाइज़र मास्टर रोल	50897.34 10000 18000 60769.35 72875
			<b>योग</b>		<b>845538.00</b>

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रम संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8 के कार्य हेतु वारसी ट्रेडर्स के बिल संख्या 4/14.4.2019 धनराशि ₹0 45304 , बिल संख्या 2/12.04.2019 धनराशि ₹0 129599 , बिल संख्या 01/13.04.2019 धनराशि ₹0 131612 , बिल संख्या 91/07.04.19 धनराशि 20950, बिल संख्या 6/16.05.2019 धनराशि 130472, बिल संख्या 14/26.06.2019 धनराशि 36026, बिल संख्या 31/27.07.2019 धनराशि 153636, बिल संख्या 238/26.07.2019 धनराशि ₹0 31429 द्वारा कुल ₹0 679028.00 की निर्माण सामग्री का क्रय किया गया था। बिल संख्या तथा दिनांक से मिलान किये जाने पर समस्त बिल अनियमित क्रय में तथा व्युत्क्रम में पाये जाने के कारण फर्जी एवं अमान्य जिसके कारण इन बिलों के माध्यम से भुगतान की गयी धनराशि ₹0 679028.00 का भुगतान भी फर्जी/ अमान्य है। इसी प्रकार क्रम संख्या 3,4,5,6 हेतु कुमार ब्रिक फील्ड के बिल संख्या 78ध07.09.19 ₹0 30352 , बिल संख्या 97/15.05.19 धनराशि 51845, बिल संख्या 5/25.06.19 धनराशि ₹0 43667, बिल संख्या 102/25.06.2019 धनराशि 640646 द्वारा कुल ₹0 166510.00 की ईट क्रय किया गया था। बिल संख्या तथा दिनांक से मिलान करने पर समस्त बिल कूटरचित अनियमित/व्युत्क्रम में पाये जाने के कारण फर्जी एवं अमान्य थे। अतः इनके माध्यम से ईट क्रय के रूप से व्यय दर्शित धनराशि 166510.00 का भुगतान फर्जी एवं अमान्य था।

उपरोक्त आपतियों से स्पष्ट है कि निर्माण सामग्री क्रय से रूप से ₹0 679028.00 तथा ईट क्रय से रूप में ₹0 166510 अपति कुल रूपये 845538.00 का भुगतान फर्जी था तथा कराये गये कार्य की स्थिति सदग्धि पूर्ण था। जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार प्रत्येक ₹0 422769.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूल आपति संख्या 19 धनराशि - 845538.00**

**प्रस्तर-110** रोकडबही में हयूम पाइप एवं सीमेन्ट बेंच क्रय के नाम प्रमाणक विहिन व्यय दर्शाकर ₹0 195008 का अपहरण किया -

क्रम सं0	कार्य का नाम	फर्म का नाम/चैक संख्या	धनराशि
1	हयूम पाइप क्रय	मे0 राठौर इन्टरप्राइसेस 13.06.2013/ 44897	95108
2	सेमेन्ट बेंच क्रय	मे0 राठौर इन्टरप्राइसेस 13.06.2013/ 44898	99900
		योग	195008

उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष कृति सामग्रियों के बिल वाउचर तथा मजदूरी भुगतान के सम्बन्धित व कार्यों की पत्रावलियां बार-बार माँगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके। जिसके कारण उपरोक्त कृति सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान व अन्य भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी पुष्टि न होने के कारण उपरोक्त कुल व्यय धनराशि 195008 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1क में विनिदिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 सरकार द्वारा पारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36.37 पर उल्लिखित है के यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल-वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गलत मानते हुए इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार प्रत्येक रु0 97504.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या 03 धनराशि - 195008.00**

**75- ग्राम पंचायत - बिबियापुरघाट**

**विकास खंड - सिद्धौर**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-111** ग्राम पंचायत बिबियापुर घाट विकास खण्ड सिद्धौर जनपद बाराबंकी के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित धनराशि के आधार पर कि गई। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय कि गई धनराशि जो आनलाईन रोकड बही में कार्ययो के मद में व्यय कि गई दर्शित है के सापेक्ष सत्यापन हेतु आफलाइन पत्रावलीयों जिसके अन्तर्गत कार्यावाही पुस्तिका कार्ययोजना प्राकलन/इस्टिमेट/वर्क आइडी, एम0बी0, कैश-बुक, बैंक पासबुक, क्रय किये गये सामग्रियों के बिल वाउचर , मास्टर रोल , कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र , उपभोग प्रमाण पत्र आदि। तथा साथ ही प्रधान मानदेय रजिस्टर , डाइरेक्टरी आफ वक्रस विभीन समितियों जैसे नियोजन निर्माण समिति इत्यादी संस्तुति के प्रपत्र, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र, प्रातितयाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राति एवं भुगतान योग विवरण माँग-वसूली व अवशेष पंजिका स्टाक पंजिका, डेड स्टाक पंजिका, ग्राम पंचायत के सम्पतियों की चल-अचल पंजिका एवं समस्त कराये गये कार्याे के फोटोग्राफ इत्यादि जिनसे कराये गये कार्य एवं व्यय धनराशि रु0 893170.00 की पुष्टि हो सके प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे समस्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही अभिलेखों के आभाव में धनराशि का अपहरण/अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की जाँच नहीं की जा सकी इस सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन लेखा मैनुअल के अध्याय 8क में प्रविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर व अन्य वाछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की जायगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आइ0पी0सी0 की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी जलाया जा सकेगा। उक्त प्रविधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आनलाईन कोषबही के अनुसार व्यय दर्शित धनराशि रु0 893170.00 गबन की क्षेणी में आता है। जिसकी वसूली व्याज सहित नियमानुसार तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रामकिशोर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अंजू प्रत्येक से रु0 446585.00 की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या 01 धनराशि - 893170.00**

**76- ग्राम पंचायत - कोठी**

**विकास खंड - सिद्धौर**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-112** ग्राम पंचायत कोठी की वर्ष 2019-20 की रोकड बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न कार्यों पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था --

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	सामग्री धनराशि	पर व्यय धनराशि	योग	व्यय पत्रावली/ प्रमाणक प्राप्त / अप्राप्त
1	रा0वि0	हैण्डपम्प मरम्मत	174700.00	24000.00	198700.00	अप्राप्त
2	14वांवि0/ रा0वि0	प्रा0विद्या0 छतौनी मे फर्श निर्माण	55496.00	19658.00	75154.00	अप्राप्त
3	14वांवि0/ रा0वि0	प्रा0विद्या0 छतौनी मे इंटरलॉकिंग	163321.00	20734.00	97708.00	अप्राप्त
4	14वांवि0/ रा0वि0	प्रा0विद्या0 छतौनी मे शौचालय निर्माण	182704.00	43526.00	226230.00	अप्राप्त
5	14वांवि0/ रा0वि0	पूर्व माध्यमिक विद्यालय मे इंटरलॉकिंग	181157.00	22302.00	203459.00	अप्राप्त
6	14वांवि0/ रा0वि0	प्रा0विद्या0 कोठी मे बाउंड्रीवाल निर्माण	10234.00	11298.00	21532.00	अप्राप्त

7	14वांवि०/ रा०वि०	मुशीर के घर से आरसीसी रोड तक नाली निर्माण	44432.00	8582.00	53104.00	अप्राप्त
8	14वांवि०/ रा०वि०	भगौती के घर से रामबिलास के घर तक नाली निर्माण	126680.00	23506.00	150186.00	अप्राप्त
9	14वांवि०/ रा०वि०	झगडू के घर से भैरों के घर तक नाली निर्माण	36926.00	5558.00	42484.00	अप्राप्त
10	14वांवि०/ रा०वि०	गुल्ले के घर से खड़जा तक नाली निर्माण	21038.00	4959.00	25997.00	अप्राप्त
11	14वांवि०/ रा०वि०	मुशीर के प्लॉट से राजू के घर तक इंटरलॉकिंग	204749.00	23618.00	228367.00	अप्राप्त
12	14वांवि०/ रा०वि०	जगन्नाथ के घर से भीम के घर तक इंटरलॉकिंग	221727.00	25550.00	247277.00	अप्राप्त
13	14वांवि०/ रा०वि०	डामर रोड से अशोक के घर तक इंटरलॉकिंग	200043.00	22288.00	222331.00	अप्राप्त
14	14वांवि०/ रा०वि०	गजजू के घर से शहाबू के घर तक इंटरलॉकिंग	190796.00	22106.00	212902.00	अप्राप्त
15	14वांवि०/ रा०वि०	नटवा मोहल्ला से राजू के घर तक इंटरलॉकिंग	200376.00	22834.00	223210.00	अप्राप्त
16	14वांवि०/ रा०वि०	वंशगोपाल घर से भुईहारे बाबा तक खड़जा निर्माण	78605.00	20328.00	98933.00	अप्राप्त
17	14वांवि०/ रा०वि०	ग्राम पंचायत मे स्वच्छता स्लोगन व वाल राइटिंग	2697.00	----	2697.00	अप्राप्त
			योग		2416528.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपतियां पायी गयीं-

- 1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 2416528.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
- 2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।
- 3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।
- 4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है। उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 2416528.00 व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाणको / व्यय पत्रावलियों के अभाव में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 1208264.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 1208264.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती माहेजबी से तथा रुपये 491554.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव कुलदीप वर्मा से की जानी अपेक्षित है

**मूलआपत्ति संख्या 01 धनराशि 2416528.00**

**प्रस्तर-113** ग्राम पंचायत कोठी की वर्ष 2019-20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में हैंडपम्प रिबोर कार्यों पर निम्नांकित विवरणानुसार धनराशियों का व्यय किया गया था -

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	वर्क आईडी	फर्म का नाम	प्रमाणक संख्या /दिनांक	धनराशि
1	14वां वित्त	इसरार नाई के घर के पास हैंडपम्प रिबोर	15603109	मेसर्स आशीष हार्डवेयर	221/ 21/10/2019	29808.00
2	14वां वित्त	डेयरी कोठी के पास हैंडपम्प रिबोर	15603106	मेसर्स आशीष हार्डवेयर	227/ 20/10/2019	30008.00
3	14वां वित्त	पुल्ललू के घर के पास हैंडपम्प रिबोर	15602907	मेसर्स आशीष हार्डवेयर	225/ 18/10/2019	30108.00
4	14वां वित्त	Dr अशोक के स्कूल में हैंडपम्प रिबोर	15603088	मेसर्स आशीष हार्डवेयर	223/ 22/10/2019	29908.00
5	14वां वित्त	शिवबालक बैरिहापुरवा में हैंडपम्प रिबोर	15603085	मेसर्स आशीष हार्डवेयर	219/ 17/10/2019	30008.00
6	14वां वित्त	धनीपूरेकारी के पास हैंडपम्प रिबोर	15603105	मेसर्स आशीष हार्डवेयर	215/ 20/10/2019	30308.00
<b>योग</b>						<b>180148.00</b>

उक्त रिबोर कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्रम संख्या 1 के कार्य हेतु मेसर्स आशीष हार्डवेयर के प्रमाणक संख्या 221 दिनांक 21/10/2019 द्वारा रू० 29808.00 का भुगतान, क्रम संख्या 2 के कार्य हेतु मेसर्स आशीष हार्डवेयर के प्रमाणक संख्या 227 दिनांक 20/10/2019 द्वारा रू० 30008.00 का भुगतान, क्रम संख्या 3 के कार्य हेतु मेसर्स आशीष हार्डवेयर के प्रमाणक संख्या 225 दिनांक 18/10/2019 द्वारा रू० 30108.00 का भुगतान, क्रम संख्या 4 के कार्य हेतु मेसर्स आशीष हार्डवेयर के प्रमाणक संख्या 223 दिनांक 22/10/2019 द्वारा रू० 29908.00 का भुगतान, क्रम संख्या 5 के कार्य हेतु मेसर्स आशीष हार्डवेयर के प्रमाणक संख्या 219 दिनांक 17/10/2019 द्वारा रू० 30008.00 का भुगतान, तथा क्रम संख्या 6 के कार्य हेतु मेसर्स आशीष हार्डवेयर के प्रमाणक संख्या 223 दिनांक 22/10/2019 द्वारा रू० 30308.00 का भुगतान, आशीष हार्डवेयर को किया गया था | किन्तु ये समस्त व्यय प्रमाणक व्युत्क्रम / अनियमित में होने के कारण फर्जी / कूटरचित पाए गये जिसके कारण इन व्यय प्रमाणकों के माध्यम से व्यय दर्शित कुल धनराशियों की रू० 180148.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी | अतः ग्राम प्रधान तथा सचिव द्वारा कूटरचित / फर्जी व्यय प्रमाणकों द्वारा विभिन्न हैंडपम्प रिबोर कार्यों पर व्यय दर्शाकर कुल रू० 180148.00 का व्ययपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 1208264.00 किया जाना अपेक्षित होगा अतः ग्राम प्रधान श्रीमती माहेजबी से रू० 90074.00 की तथा ग्राम पंचायत सचिव कुलदीप वर्मा से रू० 90074.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है |

**मूलआपत्ति संख्या 02 धनराशि 180148.00**

**प्रस्तर-114** ग्राम पंचायत कोठी की वर्ष 2019-20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22/01/2019 को ग्राम पंचायत की लगभग 200 नालियों की सफाई कार्य हेतु मजदूरी के रूप में प्रधान द्वारा नकद धनराशि आहरित करके रू० 87300.00 का व्यय दर्शाया गया था तथा कोठी चौराहा पर नाला की सफाई कार्य हेतु मजदूरी के रूप में प्रधान द्वारा नकद धनराशि आहरित करके रू० 91200.00 का व्यय दर्शाया गया था | इसी प्रकार उक्त नालियों व नाला सफाई से संबंधित कचरा ट्रैक्टर द्वारा ढुलाई के नाम पर रू० 89400.00 का भुगतान कमला प्रसाद को तथा रू० 93600.00 का भुगतान नादिर नामक व्यक्ति को किया गया था | उक्त कार्य की पत्रावलियों की जांच में पाया गया की नाली व नाला सफाई की मजदूरी से संबंधित दोनों ही मस्टर रोलों पर किसी भी मजदूर का न तो नाम व विवरण अंकित था न ही किसी मजदूर के हस्ताक्षर थे | साथ ही मस्टर रोलों पर पृष्ठ भाग पर भी कार्य का नाम व मात्रा का विवरण अंकित नहीं था जिसके कारण उक्त दोनों कार्यों के मजदूरी भुगतान के रूप में व्यय दर्शित धनराशियों रू० 87300.00 तथा 91200.00 कुल धनराशि की रू० 178500.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी |

इसी प्रकार ट्रैक्टर द्वारा कचरा ढुलाई नाम पर व्यय दर्शित धनराशियों रू० 89400.00 तथा 93600.00 कुल धनराशि की रू० 183000.00 से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक / वाउचर पत्रावली से संलग्न न होने के कारण पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम

पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों का उल्लंघन किए जाने के कारण उक्त व्यय धनराशि रू० 183000.00 का व्यय प्रमाणित नहीं किया जा सका।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट होता है की ग्राम पंचायत में नालियों की सफाई व नाला सफाई के नाम पर फर्जी / कूटरचित व अमान्य मस्टर रोलों द्वारा मजदूरी व्यय दर्शाकर कुल रू० 178500.00 का तथा कचरा ढुलाई के नाम पर प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रू० 183000.00 का अर्थात् उक्त कार्यों पर कुल धनराशि रू० 361500.00 का ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव की मिलीभगत से व्यपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रू० 180750.00 किया जाना अपेक्षित होगा अतः ग्राम प्रधान श्रीमती माहेजबी से रू० 180750.00 की तथा ग्राम पंचायत सचिव कुलदीप वर्मा से रू० 180750.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

### मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि 361500.00

**प्रस्तर-115** ग्राम पंचायत कोठी की वर्ष 2019-20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की आलोच्य वर्ष राज्य वित्त तथा 14वें वित्त योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार नाली तथा खड़जा निर्माण कार्यों पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था --

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	वर्क आईडी दिनांक	व्यय विवरण	धनराशि	फर्म का नाम /आहरणकर्ता	व्यय पत्रावली/ प्रमाणक प्राप्त / अप्राप्त
1	14वां वित्त	प्यारे के घर से लवकुश के घर होते हुए मोल्हे के घर तक नाली निर्माण	75603076 09/02/20 09/02/20 09/02/20	ईट/ईट गिट्टी क्रय निर्माणसामग्री क्रय मजदूरी	111888.00 81408.00 37352.00	कुमार ब्रिक फील्ड हिंदुस्तान ट्रेडर्स माहेजबी	अप्राप्त अप्राप्त अपूर्ण/फर्जी
2	14वां वित्त	छेददन यादव के घर से मोल्हे के घर तक नाली निर्माण	15603037 09/02/20 09/02/20 09/02/20	ईट/ईट गिट्टी क्रय निर्माणसामग्री क्रय मजदूरी	119658.00 78390.00 38192.00	कुमार ब्रिक फील्ड हिंदुस्तान ट्रेडर्स माहेजबी	अप्राप्त अप्राप्त अपूर्ण/फर्जी
3	14वां वित्त	ननकऊ के घर से विनोद के घर तक नाली निर्माण	15603075 09/02/20 09/02/20 09/02/20	ईट/ईट गिट्टी क्रय निर्माणसामग्री क्रय मजदूरी	57508.00 42515.00 19460.00	कुमार ब्रिक फील्ड हिंदुस्तान ट्रेडर्स माहेजबी	अप्राप्त अप्राप्त अपूर्ण/फर्जी
4	रा० वित्त	डामर रोड से जाकिर अली के घर तक खड़जा निर्माण	15602943 09/02/20 09/02/20 09/02/20	ईट क्रय मिट्टी कार्य मजदूरी	33516.00 2125.00 8736.00	कुमार ब्रिक फील्ड माहेजबी माहेजबी	अप्राप्त अप्राप्त अपूर्ण/फर्जी
5	रा० वित्त	नारे की पुलिया से देव सिंह के घर तक खड़जा निर्माण	15602949 09/02/20 09/02/20 09/02/20	ईट/ईट गिट्टी क्रय निर्माणसामग्री क्रय मजदूरी	146547.00 9278.00 38696.00	कुमार ब्रिक फील्ड हिंदुस्तान ट्रेडर्स माहेजबी	अप्राप्त अप्राप्त अपूर्ण/फर्जी
6	14वां वित्त	लल्लू यादव के घर से रामनरेश के घर तक नाली निर्माण	15603079 09/02/20 09/02/20 09/02/20	ईट/ईट गिट्टी क्रय निर्माणसामग्री क्रय मजदूरी	76282.00 65211.00 24780.00	कुमार ब्रिक फील्ड हिंदुस्तान ट्रेडर्स माहेजबी	अप्राप्त अप्राप्त अपूर्ण/फर्जी
				<b>योग</b>	<b>991492.00</b>		

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर कार्यों की पत्रावलियां से संलग्न नहीं थे तथा ग्राम पंचायत सचिव से बिल बाउचर मांगे जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिसके कारण उपरोक्त कार्यों हेतु क्रीत सामग्रियों के क्रय के रूप में किए गए व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। पुनः उपरोक्त कार्यों की पत्रावलियों में मजदूरी भुगतान से संबंधित मस्टर रोल तो संलग्न थे परंतु उनमें न तो कार्य की मात्रा का अंकन था नहीं किसी मजदूर का विवरण व हस्ताक्षर अंकित थे अर्थात् ये मस्टर रोल कूटरचित होने के कारण फर्जी थे जिसके कारण इन मस्टर रोलों के माध्यम से किए गए मजदूरी भुगतानों की भी पुष्टि न की जा सकी। इस प्रकार उपरोक्त नाली व खड़जा निर्माण कार्यों के व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने के कारण तथा मस्टर रोलों के फर्जी होने के कारण उपरोक्त कार्यों पर किया गया कुल भुगतान रुपये 991492.00 प्रमाणक विहीन था। इस प्रकार उपरोक्त कार्यों में पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।

3 --कराये गए कार्यों के कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में या अप्राप्त रही या फिर सादे व अपूर्ण थे , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

4 - उपरोक्त कराये गए कार्यों की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा में या अप्राप्त रही या फिर सादे व अपूर्ण थे जिन पर न तो सहायक विकास अधिकारी के हस्ताक्षर व दिनांक अंकित थे और ना ही वर्क आईडी अंकित थी जिसके कारण प्रतीत होता है कि उपरोक्त कार्य बिना प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किए ही कराए गए थे ।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 991492.00 व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाणको / व्यय पत्रावलियों के अभाव में व फर्जी होने के कारण उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 495746.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 495746.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती माहेजबी से तथा रुपये 495746.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव कुलदीप वर्मा से की जानी अपेक्षित है ।

#### मूल आपत्ति संख्या 04 धनराशि 991492.00

**प्रस्तर-116** प्रमाणक विहीन सामग्री क्रय दर्शाकर तथा कूटरचित / फर्जी मस्टर रोलों द्वारा मजदूरी भुगतान दर्शाकर विभिन्न इंटरलॉकिंग निर्माण कार्यों के नाम पर धनराशि रु० 2944737.00 का अपहरण - ग्राम पंचायत कोठी की वर्ष 2019-20 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2019-20 में 14 वां वित्त योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार इंटरलॉकिंग निर्माण कार्यों पर धनराशियों का व्यय किया जाना दर्शाया गया था --

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	वर्क आईडी	दिनांक	व्यय विवरण	धनराशि	फर्म का नाम /व्यय पत्रावली/ आहरणकर्ता	प्रमाणक प्राप्त / अप्राप्त
1	14वां वित्त	रामखेलावन के घर से बहादुर के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य ।	15602966	09/02/20	ईट/ईट गिट्टी क्रय	36666.00	कुमार ब्रिक फील्ड	अप्राप्त
				09/02/20	निर्माणसामग्री क्रय	34993.00	हिंदुस्तान ट्रेडर्स	अप्राप्त
				09/02/20	इंटरलॉक ईटक्रय	113850.00	शिव इंटरप्राइजेज़	अप्राप्त
				09/02/20	मजदूरी	37352.00	माहेजबी	अपूर्ण/फर्जी
2	14वां वित्त	कन्या पाठशाला कोठी में बाउंड्रीवाल निर्माण ।	15602950	04/03/20	ईट/ईट गिट्टी क्रय	119674.00	कुमार ब्रिक फील्ड	अप्राप्त
				04/03/20	निर्माणसामग्री क्रय	83103.00	हिंदुस्तान ट्रेडर्स	अप्राप्त
				04/03/20	पुताई सामग्री	8702.00	आशीष हार्डवेयर	अप्राप्त
				04/03/20	मजदूरी	68654.00	माहेजबी	अपूर्ण/फर्जी
3	14वां वित्त	मुसई के घर से हरिओम पाण्डेय के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य ।	15603001	04/03/20	ईट/ईट गिट्टी क्रय	43449.00	कुमार ब्रिक फील्ड	अप्राप्त
				04/03/20	निर्माणसामग्री क्रय	38706.00	हिंदुस्तान ट्रेडर्स	अप्राप्त
				04/03/20	इंटरलॉक ईटक्रय	134420.00	शिव इंटरप्राइजेज़	अप्राप्त
				04/03/20	मजदूरी	23982.00	माहेजबी	अपूर्ण/फर्जी
				04/03/20	फोटोग्राफी	500.00	सनी कुमार	अप्राप्त

4	14वां वित्त	प्राथमिक विद्यालय छत्तौनी मे बाउंड़ीवाल निर्माण	20147094	04/03/20	ईट/ईट गिट्टी क्रय	75852.00	कुमार ब्रिक फील्ड	अप्राप्त
				04/03/20	निर्माणसामग्री क्रय	106805.00	हिंदुस्तान ट्रेडर्स	अप्राप्त
				04/03/20	पुताई सामग्री	65596.00	हिंदुस्तान ट्रेडर्स	अप्राप्त
				04/03/20	मजदूरी	61488.00	माहेजबी	अपूर्ण/फर्जी
				04/03/20	फोटोग्राफी	500.00	सनी कुमार	अप्राप्त
5	14वां वित्त	दशरथ के घर से मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य	15602986	04/03/20	ईट/ईट गिट्टी क्रय	50883.00	कुमार ब्रिक फील्ड	अप्राप्त
				04/03/20	निर्माणसामग्री क्रय	42798.00	हिंदुस्तान ट्रेडर्स	अप्राप्त
				04/03/20	इंटरलॉक ईटक्रय	122200.00	शिव इंटरप्राइजेज़	अप्राप्त
				04/03/20	मजदूरी	25130.00	माहेजबी	अपूर्ण/फर्जी
				04/03/20	फोटोग्राफी	500.00	सनी कुमार	अप्राप्त
6	14वां वित्त	राम सागर चौहान के घर से बलदेव पाठक के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	15603005	04/03/20	ईट/ईट गिट्टी क्रय	42942.00	कुमार ब्रिक फील्ड	अप्राप्त
				04/03/20	निर्माणसामग्री क्रय	37786.00	हिंदुस्तान ट्रेडर्स	अप्राप्त
				04/03/20	इंटरलॉक ईटक्रय	128700.00	शिव इंटरप्राइजेज़	अप्राप्त
				04/03/20	मजदूरी	22848.00	माहेजबी	अपूर्ण/फर्जी
				04/03/20	फोटोग्राफी	500.00	सनी कुमार	अप्राप्त
7	14वां वित्त	बंगाली होटल से रूपन सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	15602997	04/03/20	ईट/ईट गिट्टी क्रय	44110.00	कुमार ब्रिक फील्ड	अप्राप्त
				04/03/20	निर्माणसामग्री क्रय	43040.00	हिंदुस्तान ट्रेडर्स	अप्राप्त
				04/03/20	इंटरलॉक ईटक्रय	126100.00	शिव इंटरप्राइजेज़	अप्राप्त
				04/03/20	मजदूरी	28630.00	माहेजबी	अपूर्ण/फर्जी
				04/03/20	फोटोग्राफी	500.00	सनी कुमार	अप्राप्त
8	14वां वित्त	सुरेश सिंह के घर से रूपन सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	15602998	05/03/20	ईट/ईट गिट्टी क्रय	35637.00	कुमार ब्रिक फील्ड	अप्राप्त
				05/03/20	निर्माणसामग्री क्रय	40535.00	हिंदुस्तान ट्रेडर्स	अप्राप्त
				05/03/20	इंटरलॉक ईटक्रय	98800.00	शिव इंटरप्राइजेज़	अप्राप्त
				05/03/20	मजदूरी	24402.00	माहेजबी	अपूर्ण/फर्जी
				05/03/20	फोटोग्राफी	500.00	सनी कुमार	अप्राप्त
9	14वां वित्त	मुन्ने बाबा के घर से असलम के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	15603112	21/03/20	ईट/ईट गिट्टी क्रय	45670.00	कुमार ब्रिक फील्ड	अप्राप्त
				21/03/20	निर्माणसामग्री क्रय	41666.00	हिंदुस्तान ट्रेडर्स	अप्राप्त
				21/03/20	इंटरलॉक ईटक्रय	136290.00	शिव इंटरप्राइजेज़	अप्राप्त
				21/03/20	मजदूरी	25690.00	माहेजबी	अपूर्ण/फर्जी
				21/03/20	फोटोग्राफी	500.00	सनी कुमार	अप्राप्त
10	14वां वित्त	मेन रोड से रमेश प्रमुख जी के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	20147115	21/03/20	ईट/ईट गिट्टी क्रय	31776.00	कुमार ब्रिक फील्ड	अप्राप्त
				21/03/20	निर्माणसामग्री क्रय	35441.00	हिंदुस्तान ट्रेडर्स	अप्राप्त
				21/03/20	इंटरलॉक ईटक्रय	151158.00	शिव इंटरप्राइजेज़	अप्राप्त
				21/03/20	मजदूरी	24780.00	माहेजबी	अपूर्ण/फर्जी
				21/03/20	फोटोग्राफी	500.00	सनी कुमार	अप्राप्त
11	14वां वित्त	हरिकेश के घर से चेताराम के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	15602973	21/03/20	ईट/ईट गिट्टी क्रय	51445.00	कुमार ब्रिक फील्ड	अप्राप्त
				21/03/20	निर्माणसामग्री क्रय	42675.00	हिंदुस्तान ट्रेडर्स	अप्राप्त
				21/03/20	इंटरलॉक ईटक्रय	125015.00	शिव इंटरप्राइजेज़	अप्राप्त
				21/03/20	मजदूरी	25144.00	माहेजबी	अपूर्ण/फर्जी
				21/03/20	फोटोग्राफी	500.00	सनी कुमार	अप्राप्त
12	14वां वित्त	अजय सिंह के घर से महादेव के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	15603015	21/03/20	ईट/ईट गिट्टी क्रय	38745.00	कुमार ब्रिक फील्ड	अप्राप्त
				21/03/20	निर्माणसामग्री क्रय	38464.00	हिंदुस्तान ट्रेडर्स	अप्राप्त
				21/03/20	इंटरलॉक ईटक्रय	142361.00	शिव इंटरप्राइजेज़	अप्राप्त

		21/03/20	मजदूरी	24668.00	माहेजबी	अपूर्ण/फर्जी
		21/03/20	फोटोग्राफी	500.00	सनी कुमार	अप्राप्त
			योग	2944737.00		

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपतियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर कार्यों की पत्रावलियां से संलग्न नहीं थे तथा ग्राम पंचायत सचिव से बिल बाउचर मांगे जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिसके कारण उपरोक्त कार्यों हेतु क्रीत सामग्रियों के क्रय के रूप में किए गए व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। पुनः उपरोक्त कार्यों की पत्रावलियों में मजदूरी भुगतान से संबंधित मस्टर रोल तो संलग्न थे परंतु उनमें न तो कार्य की मात्रा का अंकन था नहीं किसी मजदूर का विवरण व हस्ताक्षर अंकित थे अर्थात् ये मस्टर रोल कूटरचित होने के कारण फर्जी थे जिसके कारण इन मस्टर रोलों के माध्यम से किए गए मजदूरी भुगतानों की भी पुष्टि न की जा सकी | इस प्रकार उपरोक्त इंटरलॉकिंग निर्माण कार्यों के व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने के कारण तथा मस्टर रोलों के फर्जी होने के कारण उपरोक्त कार्यों पर किया गया कुल भुगतान रुपये 2944737.00 प्रमाणक विहीन था | इस प्रकार उपरोक्त कार्यों में पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 तथा रुपये 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन/टेंडर से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी।

3 --कराये गए कार्यों के कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में या अप्राप्त रहे या फिर सादे व अपूर्ण थे , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

4 - उपरोक्त कराये गए कार्यों में क्रम संख्या 2 व 4 को छोड़कर अन्य कार्यों की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही या फिर सादे व अपूर्ण थे जिन पर न तो सहायक विकास अधिकारी के हस्ताक्षर व दिनांक अंकित थे और ना ही वर्क आईडी अंकित थी जिसके कारण प्रतीत होता है कि उपरोक्त कार्य बिना प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किए ही कराए गए थे |

उपरोक्त आपतियों के आलोक में उक्त इंटरलॉकिंग कार्यों पर व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 2944737.00 का व्यय पत्रावलियों के अभाव / कूटरचित मस्टर रोलों के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाणको / व्यय पत्रावलियों के अभाव में व फर्जी होने के कारण उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 1472368.50 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 1472368.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती माहेजबी से तथा रुपये 1472368.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव कुलदीप वर्मा से की जानी अपेक्षित है

**मूल आपति संख्या 05 धनराशि 2944737.00**

#### 77- ग्राम पंचायत - सोहावाँ

#### विकास खंड - सिद्धौर

#### जनपद- बाराबंकी

**प्रस्तर-117** आलोच्य वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया की ग्राम पंचायत सोहावा विकास खंड सिद्धौर ग्राम निधि 1 की रोकड़ बही के प्रारम्भिक अवशेष के रूप में जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतिम अवशेष से पुष्ट है के रूप में रु0 243202.06 दर्शित किया गया था परंतु माह अप्रैल 2019 से कैश बुक से निम्नलिखित खालों को सचिव ने कैरीफारवर्ड नहीं किया यह स्थिति मार्च 2020 तक बनी रही । स्पष्ट है कि अप्रैल 2019 के बाद निम्नलिखित खातों की धनराशि को पंचायत सचिव ने ग्राम प्रधान की मिलीभगत से संभावित अपहरण / गबन किया क्योंकि लेखा परीक्षा में बार - बार कहने पर भी निम्नलिखित खातों की पासबुक नहीं दी गई । धनराशि सहित खातों का विवरण निम्नवात है

क्रमांक संख्या	खाता संख्या	धनराशि
1	163	1823.92

2	3260	3294
3	5 g r r	1980
4	एमडीएम	28138
5	छात्रवृत्ति	9888
	योग	45123.92

अत उपरोक्त धनराशि कुल रु0 45123.92 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विमला से रु0 22561.96 एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव पुष्पेंद्र कुमार से रु0 22561.96 से बराबर मात्रा में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

**मूलआपति संख्या 17 धनराशि 45123.92**

**78- ग्राम पंचायत - नसीरनगर**

**विकास खंड - मसौली**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर- 118** ग्राम पंचायत नसीरनगर में लेखा परीक्षा वर्ष (2019-20) में प्रिया साफ्ट के अनुसार खाते से रु0 2001417.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु0 2001417.00 का अपहरण कर लिया गया है। उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। तथा क्रय दर्शायी गयी सामग्री की प्रविष्टि भी स्टाक रजिस्टर में नहीं की गयी है।

उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु0 2001417.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः रु0 1000708.50 ग्राम प्रधान श्री अमर सिंह एवं रु0 1000708.50 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री गोदराज से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या - 04 धनराशि - 2001417.00**

**79- ग्राम पंचायत - पीड**

**विकास खंड - देवा**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-119** ग्राम पंचायत- पीड की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासाफ्ट फीडिंग / ए ग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 2145675.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 2145675.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 2145675.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 1072837.5 ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार से एवं रुपया 1072837.5 ग्राम पंचायत सचिव श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है |

**मूलआपति संख्या - 05 धनराशि - 2145675.00**

**80- ग्राम पंचायत - मोहनपुर**

**विकास खंड - देवा**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-120** ग्राम पंचायत- मोहनपुर की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ए ग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 2364826.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 2364826.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 2364826.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 1182413.00 ग्राम प्रधान श्रीमती शिवरानी से एवं रुपया 1182413.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है |

**मूलआपति संख्या - 05 धनराशि - 2364826.00**

**81- ग्राम पंचायत - टेरा कला**

**विकास खंड - देवा**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-121** ग्राम पंचायत- टेरा कला की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ए ग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 2233527.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 2233527.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 2233527.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 1116763.50 ग्राम प्रधान पुतान चन्द्र से एवं रुपया 1116763.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

**मूलआपति संख्या - 05 धनराशि -2233527.00**

**82- ग्राम पंचायत -**

**खजूर गाँव**

**विकास खंड - देवा**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-122** खजूरगाँव की वित्तीय वर्ष- 2019-20में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ए ग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 962824.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 962824.00का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 962824.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 481412.00ग्राम श्रीमती सोनापति से एवं रुपया 481412.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कुंवर स्वरूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

मूलआपति संख्या - 05 धनराशि -962824.00

83- ग्राम पंचायत - मेहरौड़

विकास खंड - देवा

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर-123 ग्राम पंचायत- मेहरौड़ की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ए ग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 443925.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 443925.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 443925.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 221962.50 ग्राम प्रधान राकेश कुमार से एवं रुपया 221962.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

मूलआपति संख्या - 5 धनराशि -443925.00

84- ग्राम पंचायत - चन्दौली

विकास खंड - देवा

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर-124 ग्राम पंचायत- चन्दौली की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ए ग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1191300.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1191300.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1191300.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 595650.00 ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र से एवं रुपया 595650.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

मूलआपत्ति संख्या - 5 धनराशि -1191300.00

85- ग्राम पंचायत - शाहपुर

विकास खंड - देवा

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर-125 ग्राम पंचायत- शाहपुर की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ए ग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1984255.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा । प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1984255.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है ।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी । वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1984255.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 992127.50 ग्राम प्रधान श्री दिनेश कुमार से एवं रुपया 992127.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री कुंवर स्वरूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

मूलआपत्ति संख्या - 05 धनराशि -1984255.00

86- ग्राम पंचायत - करौंदा

विकास खंड - देवा

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर-126 ग्राम पंचायत- करौंदा की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ए ग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1377177.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा । प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1377177.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी । वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1377177.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 688588.50 ग्राम प्रधान श्री गजराज से एवं रुपया 688588.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री कुंवर स्वरूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

मूलआपत्ति संख्या - 5 धनराशि -1377177.00

87- ग्राम पंचायत -खेवली

विकास खंड - देवा

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर-127 ग्राम पंचायत- खेवली की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ए ग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 3412203.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी

अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 3412203.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 3412203.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 1706101.50 ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम यादव से एवं रुपया 1706101.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री कुंवर स्वरूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

मूलआपत्ति संख्या - 5 धनराशि -3412203.00

88- ग्राम पंचायत - बरेठी

विकास खंड - देवा

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर-128 ग्राम पंचायत- बरेठी की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ए ग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 2207828.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 2207828.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 2207828.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 1103914.00 ग्राम श्रीमती सुनीता से एवं रुपया 1103914.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कुंवर स्वरूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

मूलआपत्ति संख्या - 05 धनराशि -2207828.00

89- ग्राम पंचायत - टाई खुर्द

विकास खंड - देवा

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर- 129 ग्राम पंचायत- टाई खुर्द की वित्तीय वर्ष- 2019-20में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ए ग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 859138.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 859138.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर- 8 (क)पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत

सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 859138.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 429569.00 ग्राम प्रधान मेवालाल से एवं रुपया 429569.00 ग्रामपंचायत सचिव श्री कुंवर स्वरूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

मूलआपत्ति संख्या - 5 धनराशि - 859138.00

90- ग्राम पंचायत - धरसण्डा

विकास खंड - देवा

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर-130 ग्राम पंचायत- धरसण्डा की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ए ग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1284195.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1284195.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1284195.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 642097.50 ग्राम प्रधान श्री राम प्रसाद से एवं रुपया 642097.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रीमती रूपम शुक्ला से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

मूलआपत्ति संख्या - 5 धनराशि - 1284195.00

91- ग्राम पंचायत - कोडरी

विकास खंड - देवा

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर-131 ग्राम पंचायत- कोडरी की वित्तीय वर्ष- 2019-20में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ए ग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 2226213.50 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 2226213.50का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर- 8 (क)पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 2226213.50 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 1113106.75 ग्राम प्रधान श्रीमती शीलादेवी से एवं रुपया 1113106.75 ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती रूपम शुक्ला से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

मूलआपत्ति संख्या - 5 धनराशि -2226213.50

92- ग्राम पंचायत - टिकरा पट्टी

विकास खंड - देवा

जनपद- बाराबंकी

**प्रस्तर- 132** ग्राम पंचायत- टिकरा पट्टी की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ए ग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1474544.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1474544.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1474544.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 737272.00 ग्राम प्रधान श्री रामानुज से एवं रुपया 737272.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कुंवर स्वरूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

मूलआपत्ति संख्या - 5 धनराशि -1474544.00

**93- ग्राम पंचायत - गौरिया विकास खंड - देवा जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर- 133** ग्राम पंचायत- गौरिया की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ए ग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1316061.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1316061.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1316061.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 658030.50 ग्राम प्रधान श्री श्री कोमल प्रसाद से एवं रुपया 658030.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री कुंवर स्वरूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

मूलआपत्ति संख्या - 5 धनराशि -1316061.00

**94- ग्राम पंचायत - बरबास विकास खंड - देवा जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-134** ग्राम पंचायत- बरबास की वित्तीय वर्ष- 2019-20में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ए ग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1199177.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1199177.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1199177.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 599588.50 ग्राम प्रधान श्री इन्द्रप्रकाश से एवं रुपया 599588.50 ग्रामपंचायत सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

मूलआपत्ति संख्या - 5 धनराशि - 1199177.00

95- ग्राम पंचायत - जसनवारा

विकास खंड - देवा

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर-135 ग्राम पंचायत- जसनवारा की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ई ग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 629072.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 629072.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 629072.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 314536.00 ग्राम प्रधान श्रीरामजी से एवं रुपया 314536.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता से वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूलआपत्ति संख्या - 5 धनराशि - 629072.00

96- ग्राम पंचायत - कैमई

विकास खंड - देवा

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर- 136 ग्राम पंचायत- कैमई की वित्तीय वर्ष- 2019-20में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ई ग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1055666.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1055666.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1055666.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 527833.00 ग्राम प्रधान श्रीमती मेनका से एवं रुपया 527833.00 ग्रामपंचायत सचिव श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है

मूलआपति संख्या - 5 धनराशि - 1055666.00

97- ग्राम पंचायत - सिसवारा

विकास खंड - देवा

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर- 137 ग्राम पंचायत- सिसवारा की वित्तीय वर्ष- 2019-20में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ई ग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1238125.98 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1238125.98 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1238125.98 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 619062.99 ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद से एवं रुपया 619062.99 ग्राम पंचायत सचिव श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूलआपति संख्या - 05 धनराशि - 1238125.98

98- ग्राम पंचायत - बबुरीगाँव

विकास खंड - देवा

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर-138 ग्राम पंचायत- बबुरीगाँव की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ई ग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 7370848.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 7370848.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 7370848.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 3685424.00 ग्राम प्रधान श्री अवधेश कुमार से एवं रुपया 3685424.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूलआपति संख्या - 05 धनराशि - 7370848.00

99- ग्राम पंचायत - जबरी खुर्द

विकास खंड - देवा

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर- 139 ग्राम पंचायत- जबरी खुर्द की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ई ग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1821455.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी

अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1821455.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1821455.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 910727.50 ग्राम प्रधान श्रीमती मो० गुले हाशमी से एवं रुपया 910727.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या - 05 धनराशि -1821455.00**

**100- ग्राम पंचायत - गोदहा**

**विकास खंड - देवा**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर- 140** ग्राम पंचायत गोदहा की लेखा परीक्षा ( वर्ष 2019-20) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 1042250.20 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूंकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेण्ट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 1042250.20 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 1042250.20 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः रु० 521125.10 ग्राम प्रधान श्री सुभाष चंद्र से एवं रु० 314485.50 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार तथा रु० 206639.60 श्रीमती रूपम शुक्ला से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या - 01 धनराशि -1042250.20**

**101- ग्राम पंचायत - मऊ जानीपुर**

**विकास खंड - देवा**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-141** ग्राम पंचायत मऊ जानीपुर की लेखा परीक्षा ( वर्ष 2019-20) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 1154373.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूंकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेण्ट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 1154373.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 1154373.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः रु० 577186.50 ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार से एवं रु० 230530.50 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार तथा रु० 346656.00 श्रीमती रूपम शुक्ला से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या - 01 धनराशि -1154373.00**

**102- ग्राम पंचायत - बली गेरावाँ****विकास खंड - हैदरगढ़****जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर-142** वर्ष 2019-2020 में ग्राम पंचायत बली गेरावाँ के खाता संख्या 750110510004841 बैंक आफ इण्डिया शाखा हैदरगढ़ से धनराशि आहरित करके कोषबही में व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शित व्यय की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक एवं व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा दुरभिसंधि कर धन का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एवं पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रू0 1154211.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रू0 577105.50 ग्राम प्रधान श्री सरजू प्रसाद से एवं रू0 577105.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या - 6 धनराशि - 1154211.00****103- ग्राम पंचायत - मोहिउद्दीनसराय****विकास खंड - हैदरगढ़****जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर143**-वर्ष 2019-2020 में ग्राम पंचायत मोहिउद्दीन सराय के खाता संख्या 750110210000017 बैंक आफ इण्डिया शाखा हैदरगढ़ से धनराशि आहरित करके कोषबही में व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शित व्यय की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक एवं व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा दुरभिसंधि कर धन का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रम सं0	दिनांक	कोषबही प्रमाणक सं0	धनराशि	विवरण
01	13.02.2020	01	16764.00	हैण्ड पम्प रिबोर भुगतान
02	13.02.2020	03	35000.00	मानदेय भुगतान (वार्षिक सीमा से अधिक)
03	13.02.2020	04	13889.00	हैण्ड पम्प रिबोर मजदूरी भुगतान
		योग-	65653.00	

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एवं पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रू0 65653.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रू0 32826.50 ग्राम प्रधान श्री सूर्यभान वर्मा से एवं रू0 32826.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री आनंद सिंह से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या - 5 धनराशि- 65653.00****104- ग्राम पंचायत - नैपुरा****विकास खंड - हैदरगढ़****जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर-144** वर्ष 2019-2020 में ग्राम पंचायत नैपुरा के खाता संख्या 31561199073 भारतीय स्टेट बैंक शाखा हैदरगढ़ से धनराशि आहरित करके कोषबही में व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शित व्यय की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक एवं व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा दुरभिसंधि कर धन का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	दिनांक	कोषबही प्रमाणक सं0	धनराशि	विवरण
01	19-07-2019	01	14400.00	सामग्री क्रय भुगतान

02	19-07-2019	02	4800.00	हैण्ड पम्प मरम्त मजदूरी भुगतान
03	28-07-2019	03	43680.00	ईट क्रय भुगतान
04	28-07-2019	04	33351.00	सामग्री क्रय भुगतान
05	28-07-2019	05	79791.00	सामग्री क्रय भुगतान
06	28-07-2019	06	5000.00	बोर्ड क्रय भुगतान
07	28-07-2019	07	20376.00	मजदूरी भुगतान
		<b>योग-</b>	<b>201398.00</b>	

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एवं पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ₹0 201398.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से ₹0 100699.00 ग्राम प्रधान श्रीमती विद्यावती यादव से एवं ₹0 100699.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री रंजीत गुप्ता से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### मूलआपत्ति संख्या - 5 धनराशि- 201398.00

**प्रस्तर-145** वर्ष 2019-2020 में ग्राम पंचायत नैपुरां के खाता संख्या 31561199073 भारतीय स्टेट बैंक शाखा हैदरगढ से धनराशि आहरित करके कोषबही में व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शित व्यय की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक एवं व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा दुरभिसंधि कर धन का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	दिनांक	कोषबही प्रमाणक सं०	धनराशि	विवरण
01	30-01-2020	08	14400.00	हैण्ड पम्प मरम्त सामग्री भुगतान
02	30-01-2020	09	4800.00	हैण्ड पम्प मरम्त मजदूरी भुगतान
03	10-02-2020	11	11700.00	प्रशासनिक मद भुगतान
04	12-02-2020	12	11225.00	प्रशासनिक मद भुगतान
05	12-02-2020	13	52809.00	इण्टरलाकिंग सामग्री भुगतान
06	12-02-2020	14	46346.00	इण्टरलाकिंग सामग्री भुगतान
07	17-02-2020	15	4800.00	हैण्ड पम्प मरम्त मजदूरी भुगतान
08	17-02-2020	16	14400.00	हैण्ड पम्प मरम्त सामग्री
09	24-02-2020	17	5000.00	बोर्ड क्रय भुगतान
		<b>योग-</b>	<b>165480.00</b>	

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एवं पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36&37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ₹0 165480.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से ₹0 82740.00 ग्राम प्रधान श्रीमती विद्यावती यादव से एवं ₹0 82740.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री विंदराज यादव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### मूलआपत्ति संख्या - 6 धनराशि -165480.00

105- ग्राम पंचायत - बारा

विकास खंड - हैदरगढ

जनपद - बाराबंकी

**प्रस्तर146-** वर्ष 2019-2020 में ग्राम पंचायत बारा के खाता संख्या 752010210000193 बैंक ऑफ इंडिया शाखा हैदरगढ से धनराशि आहरित करके कोषबही में व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शित व्यय की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक एवं व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा द्वारा

बार-बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा दुरभिसंधि कर धन का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रयुक्त वाउचर	ईट खरीद	सामग्री खरीद	श्रमांश	अन्य	योग
01	डॉंगल खरीद	01	0	0	0	1708	1708.00
02	देशराज रावत के घर से तालाब तक पक्की नाली निर्माण	06	55650.00	69526.00	11280.00	0	136456.00
03	अरविंद रावत के घर से खधू रावत के घर तक खडपजा निर्माण	05	58024.00	12879.00	12444.00	0	83347.00
04	प्रा0वि0 रामपुरबारा में बाउण्डीवाल का निर्माण	22	143010.00	389883.00	96268.00	0	629161.00
05	स्टीट लाइट खरीद 50 नग	05	0	235000.00	0	0	235000.00
06	विजय वर्मा के घर से अशोक त्रिवेदी के घर तक इण्टरलाकिंग टाइल्स	16	48496.00	376554.00	51048.00	0	476098.00
07	तेज बहादुर के घर से भीम वर्मा के घर तक इण्टर लाकिंग	07	48496.00	160244.00	27872.00	0	236612.00
08	प्रा0वि0अमिलहरा से मेन नाली तिक नाली नर्माण	03	0	72381.00	15428.00	0	87809.00
09	प्रा0वि0 अमिलहरा शौचालय निर्माण	10	0	216416.00	16544.00	0	232960.00
10	प्रा0वि0 रामपुर अतिरिक्त कक्ष मरम्मत	09	0	142044.00	91122.00	0	233166.00
11	प्रा0वि0 रामपुर में अतिरिक्त कक्ष में टाइल्स लगाना	06	0	124173.00	13680.00	0	137853.00
12	हैण्ड पम्प मरम्मत	03	0	20714.00	0	0	20714.00
13	हैण्ड पम्प रिबोर	16	0	170630.00	0	0	170630.00
14	प्रशासनिक व्यय	01	0	0	0	2000	2000
15	अज्ञात कार्य	01	0	16120.00	0		16120.00
	<b>वृहद योग</b>						<b>2699634.00</b>

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एवं पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रू0 2699634.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रू0 1349817.00 ग्राम प्रधान श्री आशाराम वर्मा से एवं रू0 1349817.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री फ़िदा हसैन से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या - 5 धनराशि - 2699634.00**

**106- ग्राम पंचायत - बरावाँ**

**विकास खंड - हैदरगढ़**

**जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर147-** वर्ष 2019-2020 में ग्राम पंचायत बरावाँ के खाता संख्या 750110210000012 बैंक ऑफ इंडिया शाखा हैदरगढ़ से धनराशि आहरित करके कोषबही में व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शित व्यय की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक एवं व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा दुरभिसंधि कर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रयुक्त वाउचर रू0	ईट खरीद रू0	सामग्री खरीद रू0	श्रमांश रू0	अन्य रू0	योग रू0
01	डोंगल खरीद	02	0	0	0	3416.00	3416.00
02	रज्जन के घर से जय बक्श के खेत तक खडण्जा निर्माण	03	203723.00	0	37696.00	0	241419.00
03	प्रा0वि0 मेहरानपुरवा बाउण्डीवाल निर्माण	05	202044.00	168893.00	88060.00	0	458997.00
04	प्रा0वि0 बरावॉ नाली निर्माण	03	13809.00	26920.00	6160.00	0	46889.00
05	प्रा0वि0 मेहरानपुरवा मिट्टी पटाई	02	0	180470.00	0	0	180470.00
06	पूर्व माध्यमिक वि0 मिट्टी पटाई	02	0	79581.00	0	0	79581.00
07	पूरेमेहरानपुरवा शैचालय निर्माण	04	75745.00	119403.00	42910.00	0	238058.00
08	प्रा0वि0मेहरानपुरवा मरम्मत	06	9765.00	159166.00	58870.00	0	227801.00
09	शोभाराम के घर से तालाब तक नाली निर्माण	03	20622.00	14110.00	7070.00	0	41802.00
10	विन्ध्या के घर से लल्लन के घर तक नाली निर्माण	04	30307.00	35178.00	10864.00	0	76349.00
11	पेयजल योजना	03	0	186611.00	0	0	186611.00
12	इशितयाक के घर से तालाब तक नाली निर्माण	03	15467.00	23156.00	7252.00	0	45875.00
13	थान से रामदेव के दरवाजे नाली मरम्मत	03	67616.00	72340.00	27370.00	0	167326.00
14	हैण्ड पम्प मरम्मत	04	0	79112.00	0	0	79112.00
15	हैण्ड पम्प रिबोर	03	0	145990.00	0	0	145990.00
16	प्रशासनिक व्यय	03	0	0	0	34013	34013.00
17	ह्यूम पाइप	01	0	43640.00	0	0	43640.00
	<b>वृहद योग</b>	<b>54</b>					<b>2297349.00</b>

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एवं पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रू0 2297349.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रू0 1148674.50 ग्राम प्रधान श्री रामकुमार सिंह से एवं रू0 1148674.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री सतीश कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपति संख्या - 5 धनराशि - 2297349.00**

**107- ग्राम पंचायत - टिकरहुआ**

**विकास खंड - हैदरगढ़**

**जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर- 148** वर्ष 2019-2020 में ग्राम पंचायत टिकरहुआ के खाता संख्या 750110210000009 बैंक ऑफ इंडिया शाखा हैदरगढ़ से धनराशि आहरित करके कोषबही में व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शित व्यय की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक एवं व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांगे जाने पर

भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा दुरभिसंधि कर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रयुक्त वाउचर	ईट खरीद	सामग्री खरीद	श्रमांश	अन्य	योग
---------	--------------	----------------	---------	--------------	---------	------	-----

01	गढी खडण्जा से औसार के घर खडण्जा निर्माण	07	92767.00	34137.00	16744.00	0	143648.00
०२	खडण्जा से शिवकुमार के खडण्जा निर्माण	04	104139.00	4905.00	31416.00	0	140460.00
03	प्रा0एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय मरम्मत कार्य	03	0	117542.00	94402.00	0	211944.00
04	बडी मेंहदिया में सी0सी0रोड से सी0सी0रोड तक खडण्जा निर्माण	05	59850.00	11609.00	16912.00	0	88371.00
05	प्रा0वि0 टिकरहूआ में टाल्स कार्य	03	0	172272.00	68792.00	0	241064.00
06	पूरे माधौ में सी0सी0 रोड से नईम के घर तक खडण्जा निर्माण	04	74368.00	113160.00	48328.00	0	235856.00
07	बडी मेंहदिया में अजय व कालिका के घर तक खडण्जा निर्माण	03	77805.00	9452.00	23072.00	0	110329.00
08	प्रा0वि0 मेंहदिया में वाउण्डीवाल	०२	0	103409.00	51324.00	0	154733.00
09	पूरे विशेषर में सागर के घर से पूरे गोसाई तक खडण्जा मरम्मत	०२	156208.00	0	71806.00	0	228014.00
10	हैण्ड पम्प रिबोर	13	0	386675.00	0	0	386675.00
11	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	0	0	19370.00	0	19370.00
12	प्रशासनिक व्यय	04	0	0	0	53300	53300.00
13	बोर्ड क्रय (अज्ञात कार्य)	01	0	0	0	5000	5000.00
14	मानदेय (वार्षिक देयकों से अधिक राशि )	01	0	42000.00	0	0	42000.00
	योग-	53					2060764.00

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एवं पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रू0 2060764.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रू0 1030382.00 ग्राम प्रधान श्रीमती हीरा देवी से एवं रू0 1030382.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या -5 धनराशि- 2060764.00**

**108- ग्राम पंचायत - नरौली**

**विकास खंड - हैदरगढ़**

**जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर- 149** वर्ष 2019-2020 में ग्राम पंचायत नरौली के खाता संख्या 750110210000011 बैंक ऑफ इंडिया शाखा हैदरगढ़ से धनराशि आहरित करके कोषबही में व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शित व्यय की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक एवं व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा दुरभिसंधि कर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है&

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रयुक्त वाउचरईट खरीद	सामग्री खरीद	श्रमांश	अन्य	योग	
01	वन तलिया तालाब तक नाली निर्माण	03	49436.00	38171.00	19104.00	0	106711.00
०२	शिव सागर के घर से वन तलिया तालाब तक नाली निर्माण	०२	0	94956.00	14084.00	0	109040.00
03	अमरनाथ तिवारी के घर से वन तलिया तालाब तक नाली निर्माण	03	28165.00	18805.00	8876.00	0	55846.00

04	रामसजीवन के दरवाजे से नाला तक खडपजा निर्माण	03	150397.00	12404.00	31724.00	0	194525.00
05	आंगनबाडी केन्द्र निर्माण	04	62685.00	70058.00	29642.00	0	162385
06	आंगनबाडी केन्द्र मिट्टी पटाई	०२	0	33538.00	34944.00	0	68482.00
07	प्रा0वि0 नरौली रोड से परिसर तक इण्टरलाकिंग	04	35329.00	122255.00	20840.00	0	178424.00
08	हैण्डपम्प मरम्मत	05	0	54752.00	0	0	54752.00
09	प्रशासनिक व्यय	05	0	0	0	34800	34800.00
10	सोलर लाइट क्रय	03	0	237600.00	0	0	237600.00
	योग-	34					1202565.00

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एवं पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु0 1202565.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रु0 601282.50 ग्राम प्रधान श्री आदर्श कुमार मिश्र से एवं रु0 601282.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश पटेल से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या - 5 धनराशि - 1202565.00**

**109- ग्राम पंचायत - मधवा जलालपुर**

**विकास खंड - सूरतगंज**

**जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर-150** ग्राम निधि वर्ष 2019-2020 की कैशबुक में दर्शित व्ययों का व्यय प्रमाणकों (बाऊचरों) से मिलान एवं जाँच में प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दर्शित कतिपय व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसे प्रमाणक विहीन व्ययों का विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक	कैशबुक में तिथि	व्यय संख्या	वाऊचर व्यय मद	फर्म का नाम	व्यय धनराशि
01	26.06.2019	01	इण्डिया मार्का द्वितीय हैण्डपम्प मरम्मत कार्य परअंगनू नल रिपेयर्स व्यय		19640.00
02	06.11.2019	04	इण्डिया मार्का द्वितीय हैण्डपम्प रिबोर कार्य नग का चौकी निर्माण की सामग्री व लेबर	05विजय नल रिपेयर्स	39200.00
03	06.11.2019	05	05 नग नल रिबोर सामग्री पर व्यय	शिव शक्ति ट्रेडर्स	29400.00
04	06.11.2019	06	05 नग इण्डिया मार्का द्वितीय हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी	विजय नल रिपेयर्स	50060.00
5	06.11.2019	07	05 नग इण्डिया मार्का द्वितीय हैण्ड पम्प रिबोर (इण्डिया मार्का द्वितीय) आपूर्ति की गयी सामग्री पर व्यय।	शिव शक्ति ट्रेडर्स	21723.00
				योग-	160023.00

उक्त विवरणानुसार कुल रु0 160023-00 के संदर्भ में पुष्टि हेतु प्रमाणक (बाऊचर) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि उक्त व्ययों से सम्बंधित व्यय प्रमाणकों की कई बार मांग की गयी। किन्तु व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे कि दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 से 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम संख्या 256 एवं अधिनियम की धारा- 27 के अन्तर्गत अपहरण गबन एवं अधिभार योग्य है। अतःआपत्ति में अंकित कुल प्रमाणक विहीन व्ययों की धनराशि रु0 160023-00 की वसूली

उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती मीना सिंह एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र से समान रूप से प्रत्येक से रु0 80011.50 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या -5 धनराशि -160023-00**

**110- ग्राम पंचायत - रीवा चपरी**

**विकास खंड - फतेहपुर**

**जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर-151** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 4/04/2019 से 30/05/2019 तक प्राथमिक विद्यालय रीवां चपरी में बाउंड्री वाल निर्माण हेतु सुधाकर प्रसाद को रु0 56760.00 , सुनील कुमार को रु0 45000.00 एवं रु0 12852.00 नकद मजदूरी का भुगतान किया गया। सामग्री एवं ईंट क्रय हेतु सुभाष चंद्र को रु0 72690.00 ,माँ वैष्णव ट्रेडर्स को रु0 36000.00 और रु0 65684.00, वर्मा ब्रिक फील्ड को रु0 65000.00 भुगतान किया गया। गेट एवं पेंट हेतु क्रमशः रु0 10722.00 एवं रु0 9545.00 नकद भुगतान किया गया। प्राथमिक विद्यालय रीवां चपरी में ही भवन मरम्मत के लिए दिनांक 17/07/2019 को ईंट एवं मिट्टी क्रय हेतु रु0 59556.00, टाइल्स क्रय हेतु दिनांक 15/02/20 को रु0 17650.00 एवं मजदूरी हेतु रु0 13536.00 का भुगतान किया गया।

उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डरकोटेशन/, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाणपत्र-, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक वाउचर के साथ-साथ कार्यपूति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक/विहीन व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रु0 464995.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्री कैलाश एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से समान रूप से प्रत्येक से रु0 232497.50 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या- 12 धनराशि - 464995.00**

**प्रस्तर 152-** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से इमलिहा में सहजराम के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य के लिए दिनांक 7/06/2019 से 1/08/2019 तक मजदूरी, ईंट क्रय एवं सामग्री क्रय हेतु क्रमशः पुरषोत्तम , सुशील कुमार एवं माँ वैष्णव ट्रेडर्स को कुल रु0 223453.00 का भुगतान किया गया । इस कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डरकोटेशन/, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाणपत्र-, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणकवाउचर के साथ-साथ कार्यपूति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रु0 223453.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्री कैलाश एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से समान रूप से प्रत्येक से रु0 111726.50 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या - 10 धनराशि- 223453.00**

**प्रस्तर- 153** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से ह्यूम पाइप क्रय हेतु सुशील कुमार को दिनांक 5/07/2019 को रु0 49500.00 दिनांक 28/01/20 को रु0 52687.00 का भुगतान किया गया। सुभाष चंद्र को ह्यूम पाइप क्रय हेतु दिनांक 2/08/2019 को रु0 48750.00 और सुंदरलाल को रु0 55460.00 का भुगतान किया गया। उक्त क्रय के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डरकोटेशन/, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाणपत्र-, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणकवाउचर के साथ-साथ कार्यपूति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रु0 103198.50 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या -06 धनराशि -206397.00**

**प्रस्तर154** -आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से मेनरोड से प्राइमरी विद्यालय तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य के लिए दिनांक 15/02/2020 को ईंट क्रय हेतु रु0 77400.00 और मजदूरी भुगतान रु0 10550.00 किया गया। दिनांक 27/02/2020 को टाइल्स क्रय हेतु सुंदर लाल कॉन्सट्रक्शन को रु0 17650.00 का भुगतान किया गया। उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डरकोटेशन/, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाणपत्र-, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक वाउचर/ के साथ-साथ कार्यपूति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रु0 105600.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्री कैलाश एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से समान रूप से प्रत्येक से रु0 52800.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या -11 धनराशि -105600.00**

**प्रस्तर- 155** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से मेनरोड से देवी मंदिर तक खड्ग मरम्मत हेतु दिनांक 8/08/2019 से 15/02/2020 तक सुभाषचंद्र एवं सुशील कुमार को ईंट,मजदूरी एवं सामग्री क्रय हेतु कुल रु0 172465.00 का भुगतान किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डरकोटेशन/, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणकवाउचर के साथ-साथ कार्यपूति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रु0172465.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी अधिभार की

कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्री कैलाश एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से समान रूप से प्रत्येक से रु0 86232.50 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या -7 धनराशि -172465.00**

**प्रस्तर - 156** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से लालापुर मेन खड़जा से वीरेंद्र के घर तक खड़जा निर्माण हेतु वर्मा ब्रिकफील्ड को ईट क्रय के लिए रु0 84987.00 एवं मजदूरी हेतु सुशील कुमार को 41200.00 रु0 का भुगतान किया गया। उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डरकोटेशन/, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाणपत्र-, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक वाउचर के साथ-साथ/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः- प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रु0 126187.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्री कैलाश एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से समान रूप से प्रत्येक से रु0 63093.50 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या -8 धनराशि -126187.00**

**111- ग्राम पंचायत - विशुनपुर**

**विकास खंड - फतेहपुर**

**जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर-157** आलोच्य वर्ष 2019 -20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार राज्य वित्त/ केन्द्रीय वित्त से रु 31,42,169.91 आहरित करके व्यय दर्शाया गया है, किन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख बार बार मांगें जाने के उपरांत भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण व्यय प्रमाणक विहीन रहा।

पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “ यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर/ प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा।

आलोच्य वर्ष 2019-20 में संस्था की ग्राम निधि खाते से आहरित एवं प्रियासॉफ्ट में फीड कराए गए कुल व्यय रु0 31,42,169.91 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान - श्रीमती शाफिया खातून एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती ज्योति गुप्ता एवं कमलेश कुमार यादव से की जानी अपेक्षित है।

चूंकि उक्त व्ययों से संबंधित व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावाली एवं अन्य संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए अतः लेखा मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु0 31,42,169.91 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु0 31,42,169.91 की उक्त उत्तरदाई व्यक्तियों से समान उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर ग्राम प्रधान शाफिया खातून तथा तत्कालीन सचिव श्री ज्योति गुप्ता / कमलेश यादव से बराबर की मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रु0 1571084.95 ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है

**मूलआपत्ति संख्या - 3 धनराशि - 3142169.91**

**112- ग्राम पंचायत - मझगवां शरीफ**

**विकास खंड - फतेहपुर**

**जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर-158** आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार राज्य वित्त/ केन्द्रीय वित्त से रु 36,70,398.30 आहरित करके व्यय दर्शाया गया है, किन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख मौखिक एवं लिखित रूप से बार बार सहायक विकास अधिकारी(पंचायत )एवं ग्राम विकास अधिकारी /सचिव से मांगें जाने के उपरांत भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण व्यय प्रमाणक विहीन रहा।

पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “ यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर/ प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा।

चूंकि उक्त व्ययों से संबंधित व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावाली एवं अन्य संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए अतः लेखा मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु0 36,70,398.30 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु0 की उक्त उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री अजय

कुमार तथा तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार से बराबर की मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से ₹0 1835199.15 की ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है ।

**मूलआपत्ति संख्या -12 धनराशि- 36,70,398.30**

**113 - ग्राम पंचायत - जरखा**

**विकास खंड - फतेहपुर**

**जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर- 159** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 10/05/2019 को हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री हेतु ₹0 15850.00 का भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित है। उक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाणपत्र-, लाभार्थी द्वारा मांग पत्र तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक वाउचर के अभाव/ में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0 15850.00 अपहरण किया गया है। अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्रीमती किरन देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जानकी राम से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से ₹0 7925.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

**मूलआपत्ति संख्या -21 धनराशि -15850.00**

**प्रस्तर- 160** आलोच्य वर्ष आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से बालक के घर से रामसागर के घर तक नाली निर्माण कार्य पर दिनांक 03/07/2019 को ₹0 63074.00 का कार्य किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया है। उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डरकोटेशन/, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाणपत्र-, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन/ व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0 63074.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्रीमती किरन देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जानकी राम से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से ₹0 31537.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या - 22 धनराशि - 63074.00**

**प्रस्तर- 161** आलोच्य वर्ष आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 24/03/2020 को प्राथमिक विद्यालय जरखा में ग्रीन बोर्ड हेतु शीतल इन्टरप्राइजेज को ₹0 21830.00 का भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया है। उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0 21830.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्रीमती किरन देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जानकी राम से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से ₹0 10915.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या - 23 धनराशि - 21830.00**

**114- ग्राम पंचायत - शेखनपुर**

**विकास खंड - फतेहपुर**

**जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर- 162** आलोच्य वर्ष आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत शेखनपुर के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 24/07/2019 एवं दिनांक 25/07/2019 को मेन खड़जा से मुकुंदी के यहाँ तक खड़जा निर्माण हेतु मजदूरी के मद में ₹0 3913.00 एवं ईंट क्रय हेतु ₹0 11759.00 का भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया है। उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर कुल धनराशि ₹0 15,672.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्री रंजीत कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जानकी राम से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से ₹0 7836.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या- 21 धनराशि 15,672.00**

**प्रस्तर- 163** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत शेखनपुर के ग्राम निधि प्रथम के खाते से दिनांक 09/08/2019 को ह्यूम पाइप क्रय पर ₹0 87910.00 व्यय किया जाना कोषबही में दर्शित है। उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं कार्य उपभोग प्रमाण-पत्र, स्टाक रजिस्टर तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। और न ही यह ज्ञात हो सका कि ह्यूम पाइप किस स्थान पर डाला गया है। अतः प्रमाणक विहीन कार्य अपहरण के श्रेणी में आता है। अपहृत धनराशि ₹0 87910.00 की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री रंजीत कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जानकी राम से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से ₹0 43955.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या - 22 धनराशि 87910.00**

**115- ग्राम पंचायत - इसरौली**

**विकास खंड - फतेहपुर**

**जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर- 164** आलोच्य वर्ष आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 22/11/19 को रु 4021026.63 व्यय दर्शित है। कैश बुक में यह परफॉर्मेंस ग्रांट की वापसी के रूप में दर्शित है। किन्तु इसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। यह धनराशि उचित खाते में वापस की गई या नहीं यह स्पष्ट नहीं हो सका साथ ही परफॉर्मेंस ग्रांट कितना आया था और उससे संबंधित आदेश भी लेखापरीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः अस्पष्ट व्यय दर्शाकर रु 4021026.63 धनराशि का अपहरण / दुरुपयोग किया जाना प्रतीत होता है। सक्षम अधिकारी द्वारा जांच की कार्यवाही कर अनियमितता की दशा में ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से रु 2010513.30 की ब्याज सहित वसूली /विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या- 22 धनराशि 4021026.63**

**प्रस्तर- 165** आलोच्य वर्ष आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 10/05/19 को हैन्डपंप मरम्मत हेतु रमीज रजा को रु 10000/- भुगतान किया जाना कैशबुक में दर्शित है। है। उक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, लाभार्थी द्वारा मांग पत्र तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि रु 10000.00 अपहरण किया गया है। अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से रु 5000.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या- 21 धनराशि 10000.00**

**प्रस्तर- 166** आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में कैशबुक से यह ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत के खाते में रु 400600.00 रु नकद जमा किया गया है तथा कैशबुक में दिनांक 12/12/19 को रु 405770.37 परफॉर्मेंस ग्रांट वापसी के रूप में दर्शित किया गया है। ग्राम पंचायत सचिव ने इस विषय में मौखिक रूप से अवगत कराया कि 14 वे वित्त योजनान्तर्गत प्राप्त परफॉर्मेंस ग्रांट से व्यय हुई राशि को वापस करने के आदेश के पालन में उक्त धन प्रधान द्वारा बैंक में जमा किया गया था। किन्तु इससे संबंधित कोई आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि कितनी धनराशि अनुचित तरीके से प्राप्त की गई थी और उसमें से कितनी धनराशि व्यय कर दी गई। यह भी अज्ञात रहा कि अनुचित तरीके से प्राप्त परफॉर्मेंस ग्रांट की सम्पूर्ण राशि वापस की गई अथवा शेष है।

प्रधान द्वारा 406000.00 नकद जमा किया जाना अनियमित है क्योंकि रु 2.00 लाख का नकद लेनदेन अनियमितता की श्रेणी में आता है। चूंकि यह धनराशि खाते से निकालकर विकास कार्यों पर व्यय की गई थी तब यह धनराशि ग्राम प्रधान के पास कहाँ से आई? इससे स्पष्ट है कि पूर्व में फर्जी कार्य दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया था। और जब वापसी का आदेश हुए तब वह धनराशि जमा कर दी गई। अतः उक्त अवधि के ब्याज की गणना कर ग्राम प्रधान से इसकी वसूली भी की जानी चाहिए।

अनुचित तथ्यों के आधार पर परफॉर्मेंस ग्रांट लेना और उसे व्यय कर देना गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती उषादेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार पर प्रशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिए।

**मूलआपत्ति संख्या- 20 धनराशि 405770.37**

**116 -ग्राम पंचायत - बसारा**

**विकास खंड - फतेहपुर**

**जनपद -बाराबंकी**

**प्रस्तर- 167** आलोच्य वर्ष आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 4/07/2019 एवं दिनांक 19/08/2019 को तकिया में हाफिज़ के घर से गाँव के पश्चिम तक खड़जा निर्माण हेतु ईंट क्रय मद में क्रमशः रु 81000.00 एवं रु 36664.00 का भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया है। उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0,टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रु 0 117,664.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्रीमती इसरत जहाँ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से रु 58832.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या- 21 धनराशि 117664.00**

**प्रस्तर- 168** आलोच्य वर्ष आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 5/07/2019 एवं दिनांक 19/08/2019 को आर सी सी से मयाराम के घर तक खड़जा निर्माण हेतु ईंट क्रय मद में क्रमशः रु 52100.00 एवं रु 33061.00 का भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया है। उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0,टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रु 85,161.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्रीमती इसरत जहाँ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से रु 42580.50 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या- 23 धनराशि 85,161.00**

**प्रस्तर- 169** आलोच्य वर्ष आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 31/07/2019 एवं दिनांक 19/08/2019 मेन खड़जा से जोधे के घर तक खड़जा निर्माण हेतु ईट क्रय मद में क्रमशः रु0 48776.00 एवं रु0 11072.00 का भुगतान एवं इसी कार्य हेतु मजदूरी भुगतान रु0 12012.00 किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया है। उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0,टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रु0 71,860.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्रीमती इसरत जहाँ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से रु0 35930.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या- 24 धनराशि 71,860.00**

**प्रस्तर- 170** आलोच्य वर्ष आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 2/08/2019 ,दिनांक 9/08/2019 एवं दिनांक 19/08/19 को मेन खड़जा से हरीलाल के घर तक खड़जा निर्माण हेतु सामग्री क्रय हेतु क्रमशः रु0 16744.00 ,रु0 5635.00 एवं रु0 68229.00 का भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया है। उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0,टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रु0 90,608.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्रीमती इसरत जहाँ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से रु0 45304.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या- 22 धनराशि 90,608.00**

**प्रस्तर- 171** आलोच्य वर्ष आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 22/07/2019 एवं दिनांक 30/07/2019 तक तकिया में हाफिज़ के घर से तालाब तक नाली निर्माण हेतु ईट,बालू,मोरंग, सीमेंट क्रय एवं मजदूरी के मद कुल रु0 221,828 का भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया है। उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0,टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रु0 221,828 का अपहरण किया गया है। जिसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्रीमती इसरत जहाँ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से रु0 110914.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या- 23 धनराशि 221,828.00**

**117- ग्राम पंचायत - संदपुर**

**विकास खंड - फतेहपुर**

**जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर- 172** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 24/07/2019 को मयाराम के घर से पकरिया तक खड़जा मरम्मत हेतु ईट क्रय मद में रु0 65835.00 का भुगतान सोना सिक्का ब्रिकफील्ड को किया गया है। किन्तु उपरोक्त कार्य पर सामग्री क्रय एवं मजदूरी पर व्यय कैशबुक में प्राप्त नहीं हुआ। बिना मजदूरी एवं सामग्री के उपरोक्त कार्य का पूर्ण होना असंभव है। उक्त क्रय के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर, कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0,टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य कराया ही नहीं गया तथा कूटरचित ढंग से कोषबही में व्यय दर्शाकर कुल रु0 65835.00 धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्री आशीष कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से रु0 32917.50 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या- 20 धनराशि 65835.00**

**प्रस्तर- 173** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 3/07/2019 को मयाराम के घर से कोटेदार के घर तक तक खड़जा मरम्मत हेतु मजदूरी,मिट्टी एवं सामग्री मद में रु0 35000.00 का भुगतान आशीष कुमार को किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया है। उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0,टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रु0 35000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्री आशीष कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से रु0 17500.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या- 21 धनराशि 35000.00**

**प्रस्तर- 174** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 10/07/2019 एवं दिनांक 15/07/2019 को सुरेश के घर से पकरिया तक नाली मरम्मत हेतु मजदूरी मद में रु0 18920.00 एवं सामग्री क्रय हेतु रु0 35910.00 का भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया है। उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0,टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के

भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर कुल धनराशि ₹0 54830.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्री आशीष कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से ₹0 27415.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या- 22 धनराशि 54830.00**

**प्रस्तर- 175** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से कैशबुक में हैन्डपम्प मरम्मत हेतु निम्न दिनांकों को व्यय दर्शित किया गया है -

दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
20/05/2019	मौर्या हैन्डपम्प	16450.00
15/07/2019	प्रवेश कॉन्ट्रेक्टर	19530.00
20/07/2019	अवधेश कुमार बोरिंग एण्ड हैन्डपम्प रिपेयरिंग	9350.00
28/01/2020	अवधेश कुमार बोरिंग एण्ड हैन्डपम्प रिपेयरिंग	3020.00
28/01/2020	अवधेश कुमार बोरिंग एण्ड हैन्डपम्प रिपेयरिंग	6470.00

उपरोक्त मरम्मत के कार्य कहाँ कराए गए इसका विवरण कैशबुक में अंकित नहीं पाया गया साथ ही उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0,टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर कुल धनराशि ₹0 54820.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्री आशीष कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से ₹0 27410.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या- 23 धनराशि 54820.00**

**प्रस्तर- 176** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से कैशबुक में ह्यूम पाइप क्रय हेतु निम्न दिनांकों को व्यय दर्शित किया गया है

दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
11/07/2019	सुधाकर प्रसाद	30030.00
19/07/2019	सुंदर लाल कंसट्रक्शन एण्ड कम्पनी	28300.00
13/08/2019	सुंदर लाल कंसट्रक्शन एण्ड कम्पनी	42480.00
10/02/2020	सुंदर लाल कंसट्रक्शन एण्ड कम्पनी	118826.00

उक्त क्रय के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0,टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। कैशबुक से भी उक्त ह्यूम पाइप से कार्य कहाँ किए गए इसकी जानकारी नहीं हुई। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर कुल धनराशि ₹0 219636.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्री आशीष कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से ₹0 109818.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या- 24 धनराशि 219636.00**

**प्रस्तर- 177** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 23/07/2019 ,दिनांक 30/7/2019 को नाली पर पत्थर निर्माण हेतु श्री ट्रेडर्स को ₹0 41895.00 और प्रवेश कॉन्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर्स को ₹0 83790.00 भुगतान कैशबुक में दर्शित है। उक्त कार्य कहाँ किए गए यह कैशबुक में अंकित नहीं है साथ ही उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर कुल धनराशि ₹0 125685.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्री आशीष कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से ₹0 62842.50 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या- 25 धनराशि 125685.00**

**प्रस्तर- 178** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 8/08/2019 और दिनांक 13/08/2019 को नागेंद्र के घर से स्कूल तक नाली निर्माण हेतु क्रमशः ₹0 8190.00 और ₹0 11280 का भुगतान मजदूरी के मद में किया गया । उक्त कार्य पर ही दिनांक 8/8/2019 को सामग्री क्रय हेतु प्रवेश कॉन्ट्रेक्टर को 107730.00 ₹0 और सुंदर लाल कंसट्रक्शन एण्ड कम्पनी को दिनांक 28/01/2020 को ₹0 59313.00 भुगतान किया गया । उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अभाव

में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर कुल धनराशि ₹0 186513.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्री आशीष कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से ₹0 93256.50 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या- 26 धनराशि 186513.00**

**118- ग्राम पंचायत - मवैया**

**विकास खंड - फतेहपुर**

**जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर- 179** आलोच्य वर्ष 2019 -20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार राज्य वित्त/ केन्द्रीय वित्त से विभिन्न तिथियों में **28934.00 ₹** आहरित करके व्यय दर्शाया गया है, किन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख बार बार मांगें जाने के उपरांत भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण व्यय प्रमाणक विहीन रहा।

पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “ यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर/ प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा।”

आलोच्य वर्ष 2019-20 में संस्था की ग्राम निधि खाते से आहरित एवं प्रियासॉफ्ट में फ्रीड कराए गए कुल व्यय ₹0 28934.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान - श्री रामचंद्र से ₹0 14467.00 एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री ज्योति गुप्ता एवं कमलेश कुमार यादव से ₹0 14467.00 उनके कार्यकाल के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या- 3 धनराशि 28934.00**

**119- ग्राम पंचायत - हाड़हा**

**विकास खंड - दरियाबाद**

**जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर- 180** आलोच्य वर्ष 2019 -20 में जुलाई माह में 14 वें वित्त की धनराशि ₹0 112623.00 का राज्य वित्त योजनान्तर्गत व्यय करके मद का विचलन कर डाइवर्जन ऑफ फंड संबंधी अनियमितता की गई है जिसके लिए विभागीय जांच कर उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री देव नारायण एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राधेश्याम मिश्रा से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से ₹0 56311.50 की ब्याज सहित वसूली / विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या- 2 धनराशि 112623.00**

**120- ग्राम पंचायत - जुरौंडा**

**विकास खंड - सूरतगंज**

**जनपद - बाराबंकी**

**प्रस्तर- 181** ग्राम निधि वर्ष 2019-2020 की कैशबुक में दर्शित व्ययों का व्यय प्रमाणकों (बाऊचरों) से मिलान एवं जाँच में प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दर्शित कतिपय व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसे प्रमाणक विहीन व्ययों का विवरण निम्नलिखित है-

क्र	व्यय तिथि	वाऊचर सं.	व्यय मद	फर्म का नाम	व्यय धनराशि
01	24.05.2019	03	इण्डिया मार्का द्वितीय हैण्डपम्प मरम्मत	अंगनू नल रिपेयर्स	19810.00
02	03.06.2021	05	इण्डिया मार्का द्वितीय हैण्डपम्प मरम्मत	अंगनू नल रिपेयर्स	18910.00
				योग-	38720.00

उक्त विवरणानुसार कुल ₹0 38720-00 के संदर्भ में पुष्टि हेतु प्रमाणक (बाऊचर) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि उक्त व्ययों से सम्बंधित व्यय प्रमाणकों की कई बार मांग की गयी। किन्तु व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे कि दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 से 8 ¼क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम संख्या 256 एवं अधिनियम की धारा- 27 के अन्तर्गत अपहरण गबन एवं अधिभार योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित कुल प्रमाणक विहीन व्ययों की धनराशि ₹0 38720.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री भगवान बख्स सिंह एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र से समान रूप से प्रत्येक से ₹0 19360-00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या- 24 धनराशि 38720.00**

**121- ग्राम पंचायत - देवकलिया**

**विकास खंड - देवा**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-182** ग्राम पंचायत- देवकलिया की वित्तीय वर्ष- 2019-20 में PRIASOFT FEEDING/ई ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 822217.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक

स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 822217.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 822217.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 411108.50 ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार से एवं रुपया 411108.50 ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती रूपम शुक्ला से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूलआपत्ति संख्या - 5 धनराशि - 822217.00

122- ग्राम पंचायत - बीजेमऊ

विकास खंड - बंकी

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर-183 ग्राम निधि वर्ष 2019-2020 की केशबुक (कोषबही) में दर्शित व्ययों का व्यय प्रमाणकों (वाउचरो) से मिलान एवं जाच प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दर्शित कतिपय व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (वाउचर) पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसे प्रमाणक विहीन व्ययों का विवरण निम्नलिखित है।

क्रम	कैश बुक में व्यय दिनांक	वाउचर संख्या	व्यय मद	फर्म का नाम	व्यय धनराशि
1	13.05.2019	-	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य एवं सामग्री	-	39500.00
2	11.07.2019	-	हैण्ड पम्प रिबोर एवं सामग्री पर व्यय	-	40500.00
3	11.07.2019	-	हैण्ड पम्प मरम्मत एवं मजदूरी	-	11500.00
4	01.08.2019	-	हैण्ड पम्प रिबोर	-	52000.00
			कुल योग		143500.00

उक्त विवरणानुसार कुल ₹0 143500.00 के सन्दर्भ में पुष्टि हेतु प्रमाणक (वाउचर) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों की कई बार माँग की गयी। किन्तु व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे कि दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 से 8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम संख्या 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित कुल प्रमाणक विहीन व्ययों की धनराशि ₹0 143500.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों 1- ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र सिंह तथा 2- ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री पुनीत कुमार वर्मा से समान रूप से प्रत्येक से ₹0 71750.00 की ब्याज सहित वसूली की जाना अपेक्षित है।

मूलआपत्ति संख्या - 23 धनराशि - 143500.00

123- ग्राम पंचायत - सरायमिही

विकास खंड - बंकी

जनपद- बाराबंकी

प्रस्तर-184 ग्राम निधि वर्ष 2019-2020 की केशबुक (कोषबही) में दर्शित व्ययों का व्यय प्रमाणकों (वाउचरो) से मिलान एवं जाच प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दर्शित कतिपय व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (वाउचर) पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसे प्रमाणक विहीन व्ययों का विवरण निम्नलिखित है।

क्रम	कैश बुक में व्यय दिनांक	वाउचर संख्या	व्यय मद	फर्म का नाम	व्यय धनराशि
1	04.04.2019	-	हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री	-	16000.00
2	04.04.2019	-	फोटो कापी पर व्यय	-	556.00
3	08.04.2019	-	उपभोगता क्रांति हेतु विज्ञापन भुगतान	-	2850.00
4	25.04.2019	-	सफाई सामग्री हेतु भुगतान	-	12050.00
5	30.04.2019	-	हैण्ड पम्प मजदूरी	--	6000-00
6	01.05.2019	-	हैण्ड पम्प मरम्मत एवं मजदूरी	-	6500.00

7	03.06.2019	हैण्ड पम्प रिबोर	-	33500.00
8	03.06.2019	प्रशासनिक मद पर व्यय	-	45000.00
9	04.06.2019	नाला सफाई हेतु	-	28000.00
10	24.06.2019	ठेला मरमत	-	8000.00
11	02.07.2019	हैण्ड पम्प रिबोर	-	33500.00
12	03.07.2019	हैण्ड पम्प रिबोर	-	33500.00
13	03.07.2019	हैण्ड पम्प रिबोर	-	33500.00
14	03.07.2019	हैण्ड पम्प रिबोर	-	33500.00
15	10.07.2019	हैण्ड पम्प रिबोर	-	33400.00
16	01.08.2019	हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री	-	68400.00
17	05.08.2019	हैण्ड पम्प मजदूरी	-	10000.00
18	07.08.2019	हैण्ड पम्प मरम्मत एवं मजदूरी	-	58600.00
19	22.01.2020	हैण्ड पम्प मरम्मत एवं मजदूरी	-	31500.00
<b>कुल योग</b>				<b>494356.00</b>

उक्त विवरणानुसार कुल ₹0 494356.00 के सन्दर्भ में पुष्टि हेतु प्रमाणक (वाउचर) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों की कई बार माँग की गयी। किन्तु व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे कि दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः ऐसे प्रमाणक विहिन व्यय वित्त एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 से 8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम संख्या 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित कुल प्रमाणक विहिन व्ययों की धनराशि ₹0 494356.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों 1- ग्राम प्रधान श्रीमती सदफ फैसल किदवई तथा 2- ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री पुनीत कुमार वर्मा से समान रूप से प्रत्येक से ₹0 247178.00 की ब्याज सहित वसूली की जाना अपेक्षित है।

**मूलआपत्ति संख्या - 23 धनराशि - 494356.00**

**124- ग्राम पंचायत - गोकुलपुर**

**विकास खंड - बंकी**

**जनपद- बाराबंकी**

**प्रस्तर-185** ग्राम निधि वर्ष 2019-2020 की कैशबुक (कोषबही) में दर्शित व्ययों का व्यय प्रमाणकों (वाउचरो) से मिलान एवं जाच में प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दर्शित कतिपय व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (वाउचर) पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसे प्रमाणक विहिन व्ययों का विवरण निम्नलिखित है।

क्रम	कैश बुक में व्यय दिनांक	वाउचर संख्या	व्यय मद	फर्म का नाम	व्यय धनराशि
1	02.04.2019	-	हैण्ड पम्प मजदूरी	-	6500.00
2	02.04.2019	-	हैण्ड पम्प सामग्री पर व्यय	-	30000.00
3	21.04.2019	-	हैण्ड पम्प मरमत	-	28649.00
4	01.05.2019	-	हैण्ड पम्प सामग्री	-	12500.00
5	14.05.2019	-	हैण्ड पम्प मजदूरी	--	5000.00
6	16.05.2019	-	हैण्ड पम्प मजदूरी	-	9174.00
7	16.05.2019	-	हैण्ड पम्प रिबोर aएवं मजदूरी	-	33799.00
8	29.05.2019	-	हैण्ड पम्प रिबोर aएवं कार्य	-	15100.00
9	12.06.2019	-	हैण्ड पम्प रिबोर aएवं कार्य	-	33500.00
10	12.06.2019	-	हैण्ड पम्प रिबोर aएवं कार्य	-	33400.00
11	20.06.2019	-	हैण्ड पम्प रिबोर	-	33400.00
12	31.07.2019	-	प्रशासनिक मद पर व्यय	-	38500.00
13	05.08.2019	-	हैण्ड पम्प रिबोर मजदूरी	-	5500.00
14	05.08.2019	-	हैण्ड पम्प रिबोर एवं सामग्री	-	25400.00
15	12.02.2020	-	हैण्ड पम्प मरम्मत एवं मजदूरी	-	4000.00
16	12.02.2020	-	हैण्ड पम्प सामग्री	-	21300.00
17	05.03.2020	-	हैण्ड पम्प रिबोर	-	34000.00

कुल योग

369722.00

उक्त विवरणानुसार कुल ₹0 369722.00 के सन्दर्भ में पुष्टि हेतु प्रमाणक (वाउचर) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों की कई बार मांग की गयी। किन्तु व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे कि दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः ऐसे प्रमाणक विहिन व्यय वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 से 8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम संख्या 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपति में अंकित कुल प्रमाणक विहिन व्ययों की धनराशि ₹0 369722.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों 1- ग्राम प्रधान श्री महेश प्रसाद तथा 2- ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री पुनीत कुमार वर्मा से समान रूप से प्रत्येक से ₹0 184861.00 की ब्याज सहित वसूली की जाना अपेक्षित है।

मूलआपति संख्या - 19 धनराशि - 369722.00

## प्रारूप - 4

### जनपद - सुल्तानपुर

1- ग्राम पंचायत - कसईपुर

विकास खण्ड-प्रतापपुर कर्मैचा

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - 1

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प रिबोर	05.08.2019	20482.00
		05.08.2019	20384.00
		05.08.2019	19636.00
		05.08.2019	19992.00
		05.08.2019	19012.00
		योग	99506.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत	19.07.2019	19252.00
		19.07.2019	19590.00
		योग	38842.00
		कुल योग	138348.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि ₹. 138348.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए गा0पं0अधिकारी श्री पंकज कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि ₹0 138348.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (₹0 69174.00 गा0पं0अधिकारी श्री पंकज कुमार से तथा ₹0 69174.00 ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 2

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से कतिपय निम्नलिखित व्यय किये गये हैं, परन्तु उन व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	दिनांक	विवरण	व्यय धनराशि
1	27.05.2019	विजय कुमार सिंह(लोक सभा चुनाव में बूथ वाल पेंटिंग हेतु)	1400.00

2	06.07.2019	लक्ष्मी नरायन मौर्य (टी.डी.एस. फाइलिंग हेतु)	5000.00
3	22.07.2019	प्रदीप कुमार सिंह(लोक सभा चुनाव में लगे टेन्ट का भुगतान)	5000.00
4	07.08.2019	चन्द्र कांस्ट्रक्शन(कार्ययोजना वाल पेंटिंग)	7220.00
5	10.12.2019	बाबा ट्रेडर्स वाल पेंटिंग),रोस्टर नारा लिखवाई(	14700.00
6	13.01.2020	(स्टेशनरी खर्च) पवन ट्रेडर्स	15000.00
		<b>योग</b>	<b>48320.00</b>

इस प्रकार उक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 48320.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए गा0पं0अधिकारी श्री पंकज कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार उत्तरदायी हैं।अतः उक्त धनराशि रु. 48320.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु0 24160.00 गा0पं0अधिकारी श्री पंकज कुमार से तथा रु0 24160.00 ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर - 3

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से दिनांक 21.02.2020 को डेस्क बेंच स्थापना हेतु बाला जी चेम प्लास्ट को धनराशि रु. 91600.00 का भुगतान दर्शित है; परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित केवल वाउचर ही प्रस्तुत रहा, कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं रही।उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157(ख) में निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्यों की माप किये जाने के उपरान्त भुगतान की व्यवस्था की गई है, किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका प्रस्तुत न होने से स्पष्ट है कि बिना कार्य की माप किये ही काल्पनिक आधार पर उक्त भुगतान किया गया है जो नियम 157(ख) के विपरीत रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये धनराशि रु. 91600.00 का ग्राम निधि प्रथम से भुगतान/आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए गा0पं0अधिकारी श्री पंकज कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

### 2- ग्राम पंचायत - इन्दौली विकास खण्ड-प्रतापपुर कर्मचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

#### प्रस्तर - 4

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में प्राथमिक विद्यालय बाउन्डीवाल निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
प्रा०वि०बाउन्डीवाल निर्माण	23.07.2019	25000.00
	24.07.2019	65000.00
	25.07.2019	8400.00
	<b>योग</b>	<b>98400.00</b>

इस प्रकार उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु.98400.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए गा0वि0अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे तथा ग्राम प्रधान श्री खलील अहमद उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु.98400.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु.49200.00 गा0वि0अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे से तथा रु.49200.00 ग्राम प्रधान श्री खलील अहमद से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 5**

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प रिबोर कार्यों की माप पुस्तिकायें प्रस्तुत नहीं रहीं। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त हैण्डपम्प रिबोर कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
हैण्डपम्प रिबोर	19.07.2019	45000.00
	29.07.2019	35000.00
	29.07.2019	35000.00
	02.08.2019	40000.00
	02.08.2019	20000.00
	02.08.2019	30000.00
	27.03.2020	19750.00
	27.03.2020	19900.00
	27.03.2020	19800.00
	<b>योग</b>	<b>264450.00</b>

स्पष्ट है कि उक्त हैण्डपम्प रिबोर कार्यों की बिना माप किये ही काल्पनिक आधार पर भुगतान किये गये हैं।उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्यों को कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्य की नाप-जोख/माप किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये उक्त दर्शित धनराशि रु0 264450.00 का ग्राम निधि प्रथम से भुगतान/आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है; जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे तथा ग्राम प्रधान श्री खलील अहमद उत्तरदायी हैं।अतःउत्तरदायी व्यक्तियों विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**3- ग्राम पंचायत - कोथरा कला विकास खण्ड-प्रतापपुर कर्मैचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20**

**प्रस्तर - 6**

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	प्रा०वि०कोथरा कला में बाउन्ड्रीवाल मरम्मत	03.08.2019	48000.00
		05.08.2019	40000.00
		<b>योग</b>	<b>88000.00</b>
2	प्रा०वि०कोथरा कला में फर्श मरम्मत	03.08.2019	25000 00.
		06.08.2019	50000 00.
		<b>योग</b>	<b>75000.00</b>
3	प्रा०वि०कोथरा कला में मिट्टी पटाई कार्य	03.08.2019	<b>40000 00.</b>
4	बकरीदन के घर से पुलिया तक नाली निर्माण कार्य	25.07.2019	48000.00
		29.07.2019	50000.00
		03.08.2019	10000.00
		<b>योग</b>	<b>108000.00</b>
5	हैण्डपंप रिबोर	03.08.2019	52000.00

		03.08.2019	19210.00
		03.08.2019	19250.00
		<b>योग</b>	<b>90460.00</b>
6	स्ट्रीट लाइट स्थापना	24.07.2019	<b>65000.00</b>
7	ह्यूम पाइप क्रय	25.07.2019	<b>50000.00</b>
8	सोलर लाइट मरम्मत	03.08.2019	<b>30000.00</b>
9	हैंडपंप मरम्मत	26.04.2019	20000.00
		04.05.2019	5000.00
		24.07.2019	35000.00
		03.08.2019	15000.00
		<b>योग</b>	<b>75000.00</b>
10	स्टेशनरी एवं फोटोग्राफी, वाल पेंटिंग रोस्टर व नारा लिखवाई	05.08.2019	3000.00
		22.01.2020	11625.00
		22.01.2020	15000.00
		<b>योग</b>	<b>29625.00</b>
		<b>कुल योग</b>	<b>651085.00</b>

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 651085.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए गा0वि0अधिकारी श्री धर्मन्द्र कुमार दूबे तथा ग्राम प्रधान श्री चंद्रभूषण उत्तरदायी हैं।अतः उक्त धनराशि रु. 651085.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु.325542.50 गा0वि0अधिकारी श्री धर्मन्द्र कुमार दूबे से तथा रु.325542.50 ग्राम प्रधान श्री चंद्रभूषण से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### 4- ग्राम पंचायत - मदारडीह विकास खण्ड-प्रतापपुर कमैचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

##### प्रस्तर - 7

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में प्राथमिक विद्यालय रामनगर बाउन्डीवाल निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
प्रा०वि०रामनगर बाउन्डीवाल निर्माण	02.04.2019	40000.00
	10.04.2019	20000.00
	12.04.2019	20000.00
	23.04.2019	20000.00
	23.04.2019	20000.00
	06.05.2019	20000.00
	20.05.2019	51766.00
	20.05.2019	20000.00
	20.05.2019	56220.00
	20.05.2019	21850.00
	<b>योग</b>	<b>289836.00</b>

इस प्रकार उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 289836.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री संगमलाल पटेल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सीता उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु. 289836.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु. 144918.00 ग्रा0वि0अधिकारी श्री संगमलाल पटेल से तथा रु. 144918.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सीता से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**5- ग्राम पंचायत - भौरियार विकास खण्ड-प्रतापपुर कमेंचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20**

**प्रस्तर - 8**

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	बाउन्ड्रीवाल निर्माण	20.07.2019	93046.00
		23.07.2019	44100.00
		23.07.2019	37813 00.
		<b>योग</b>	<b>174959.00</b>
2	स्नानागार निर्माण	24.07.2019	<b>43999.00</b>
3	ह्यूम पाइप स्थापना	23.07.2019	<b>52920.00</b>
4	हैण्डपम्प मरम्मत	02.04.2019	19110.00
		05.04.2019	19110.00
		10.04.2019	9900.00
		09.07.2019	19110.00
		09.07.2019	19110.00
		23.07.2019	19110.00
		020.8201.9	10000.00
		<b>योग</b>	<b>115450.00</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>387328.00</b>	

लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 21.08.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 25.01.2021 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त क्रम में पत्र दिनांक 15.02.2021(छाया प्रति संलग्न) द्वारा पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 03.03.2021 को वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री फैयाज खान द्वारा अपने पत्र (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि पूर्व सचिव श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह की अकस्मात् मृत्यु हो जाने के कारण उनके कार्यकाल की कोई भी पत्रावली मुझे चार्ज में प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण लेखा परीक्षा हेतु उनके कार्यकाल की वर्ष 2019-20 की कोई भी पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। मैं अपने कार्यकाल की समस्त पत्रावलियां एवं कैश बुक उपलब्ध करा रहा हूँ। इस प्रकार उक्त दर्शित व्ययों से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये उक्त व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध

नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः सम्बन्धित अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु. 387328.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार एवं गा0वि0अ0 श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**6- ग्राम पंचायत - सरायगोपाल विकास खण्ड-प्रतापपुर कर्मचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20**

**प्रस्तर - 9**

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत केशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	हैंडपंप रिबोर	16.07.2019	21000.00
2	खड्जा से राय साहब के घर तक खड्जा निर्माण कार्य	18.07.2019	70520.00
3	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	17.02.2020	174987.00
		<b>योग</b>	<b>266507.00</b>

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 266507.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए गा0वि0अधिकारी श्री विजेन्द्र कुमार वर्मा तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सरोजा उत्तरदायी हैं।अतः उक्त धनराशि रु. 266507.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु. 133253.50 गा0वि0अधिकारी श्री विजेन्द्र कुमार वर्मा से तथा रु. 133253.50 ग्राम प्रधान श्रीमती सरोजा से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 10**

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों से सम्बन्धित केवल वाउचर /व्यय प्रमाणक ही प्रस्तुत रहे परन्तु सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां(प्राक्कलन, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी आदि)प्रस्तुत नहीं रहीं।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत केशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	हैंडपम्प रिबोर	18.07.2019	80000.00
		24.07.2019	60000.00
		<b>योग</b>	<b>140000.00</b>

स्पष्ट है कि उक्त कार्यों को बिना प्राक्कलन तैयार किये तथा अनुमानित व्यय की बिना सक्षम स्तर से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त किये कराया गया है तथा बिना कार्य की माप किये ही काल्पनिक आधार पर उक्त भुगतान किये गये हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 156 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य को आरम्भ करने के पूर्व योजना मानचित्र और अनुमानित व्यय की नियमानुसार स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है एवं नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्य की नाप-जोख/माप किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये उक्त दर्शित धनराशि रु0 140000.00 का ग्राम निधि प्रथम से भुगतान/आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए गा0वि0अधिकारी श्री विजेन्द्र कुमार वर्मा तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सरोजा उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 11**

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय हैण्डपम्प रिबोर कार्यों की माप पुस्तिकाएँ प्रस्तुत नहीं रहीं। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त हैण्डपम्प रिबोर कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	लल्लन के घर के सामने हैण्डपम्प रिबोर	13.02.2020	19861.00
2	मोन् के घर के सामने हैण्डपम्प रिबोर	03.12.2019	19986.00
		<b>योग</b>	<b>39847.00</b>

स्पष्ट है कि उक्त हैण्डपम्प रिबोर कार्यों की बिना माप किये ही काल्पनिक आधार पर भुगतान किये गये हैं।उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्यों को कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्य की नाप-जोख/माप किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये उक्त दर्शित धनराशि रु. 39847.00 का ग्राम निधि प्रथम से भुगतान/आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री विजेन्द्र कुमार वर्मा तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सरोजा उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**7- ग्राम पंचायत - साढ़ापुर विकास खण्ड-प्रतापपुर कमैचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20**

**प्रस्तर - 12**

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलिियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	जूनियर विद्यालय रेतवा में बाउन्ड्रीवाल निर्माण/ मिट्टी पटाई कार्य	04.04.2019	67968.00
		04.04.2019	30000.00
		07.04.2019	50000.00
		08.04.2019	25000.00
		<b>योग</b>	<b>172968.00</b>
2	चौकी निर्माण	05.04.2019	7777.00
		05.04.2019	11525.00
		07.04.2019	6400.00
		<b>योग</b>	<b>25702.00</b>
3	ह्यूम पाइप क्रय	07.04.2019	52920.00
		07.04.2019	58800.00
		<b>योग</b>	<b>111720.00</b>
4	हैंडपंप रिबोर	08.04.2019	38520.00
		26.07.2019	80000.00
		26.07.2019	80000.00
		26.07.2019	80000.00
		<b>योग</b>	<b>278520.00</b>
5	हैंडपंप मरम्मत	07.04.2019	19500.00
		07.04.2019	19485.00

	08.04.2019	19400.00
	08.04.2019	19495.00
	08.04.2019	19490.00
	26.07.2019	19360.00
	26.07.2019	19360.00
	29.07.2019	19360.00
	29.07.2019	19360.00
	24.10.2019	19110.00
	24.10.2019	19110.00
	07.11.2019	19110.00
	07.11.2019	19404.00
	<b>योग</b>	<b>251544.00</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>840454.00</b>

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 840454.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए गा0वि0अधिकारी श्री विजेन्द्र कुमार वर्मा तथा ग्राम प्रधान श्रीराम यादव उत्तरदायी हैं।अतः उक्त धनराशि रु. 840454.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु. 420227.00 गा0वि0अधिकारी श्री विजेन्द्र कुमार वर्मा से तथा रु. 420227.00 ग्राम प्रधान श्रीराम यादव से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### 8- ग्राम पंचायत - शिवपुर विकास खण्ड-प्रतापपुर कमैचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

##### प्रस्तर - 13

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपुर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	गा0वि0शिवपुर बाउन्ड्रीवाल निर्माण	18.04.2019	3000.00
		30.07.2019	70000.00
		<b>योग</b>	<b>73000.00</b>
2	शिवपुर में मेन सेक्टर से पल्टू यादव के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य	27.02.2020	14842.00
		28.02.2020	22232.00
		<b>योग</b>	<b>37074.00</b>
3	शिवपुर में खडंजा से खंभारी बाबा वाले खडंजे तक खडंजा निर्माण कार्य	27.02.2020	6848.00
		28.02.2020	30985.00
		<b>योग</b>	<b>37833.00</b>
4	शिवपुर में पिच रोड से सुरेन्द्र झा के घर तक खडंजा निर्माण कार्य	28.02.2020	48415.00
		28.02.2020	11256.00
		<b>योग</b>	<b>59671.00</b>
5	रमाकांत आश्रम में इण्टरलाकिंग कार्य	23.03.2020	<b>110952.00</b>
6	हैंडपंप रिबोर	30.07.2019	97500.00
		31.07.2019	58500.00

		03.12.2019	20000.00
		<b>योग</b>	<b>176000.00</b>
6	सोलर लाइट मरम्मत	31.07.2019	92218.00
		31.07.2019	92218.00
		<b>योग</b>	<b>184436.00</b>
7	हैंडपंप मरम्मत	30.07.2019	19360.00
		30.07.2019	19360.00
		31.07.2019	18290.00
		31.07.2019	19360.00
		03.12.2019	20000.00
		<b>योग</b>	<b>96370.00</b>
		<b>कुल योग</b>	<b>775336.00</b>

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 775336.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए गा0वि0अधिकारी श्री विजेन्द्र कुमार वर्मा तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा उत्तरदायी हैं।अतः उक्त धनराशि रु. 775336.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु. 387668.00 गा0वि0अधिकारी श्री विजेन्द्र कुमार वर्मा से तथा रु. 387668.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर - 14

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय हैंडपम्प रिबोर कार्यों की माप पुस्तिकायें प्रस्तुत नहीं रहीं। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त हैंडपम्प रिबोर कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	अमरजीत के घर के सामने हैंडपम्प रिबोर	03.12.2019	21900.00
2	राहुल के घर के सामने हैंडपम्प रिबोर	03.12.2019	21900.00
3	दयाराम के घर के सामने हैंडपम्प रिबोर	03.12.2019	21700.00
4	फिरतूराम के घर के सामने हैंडपम्प रिबोर	03.12.2019	21700.00
5	प्रेमनाथ के घर के सामने हैंडपम्प रिबोर	03.12.2019	21700.00
6	रामलखन के घर के पास हैंडपम्प रिबोर	23.01.2020	19811.00
		<b>योग</b>	<b>128711.00</b>

स्पष्ट है कि उक्त हैंडपम्प रिबोर कार्यों की बिना माप किये ही काल्पनिक आधार पर भुगतान किये गये हैं।उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्यों को कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्य की नाप-जोख/माप किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये उक्त दर्शित धनराशि रु. 128711.00 का ग्राम निधि प्रथम से भुगतान/आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए गा0वि0अधिकारी श्री विजेन्द्र कुमार वर्मा तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### 9- ग्राम पंचायत - तमरसेपुर विकास खण्ड-प्रतापपुर कर्मचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

#### प्रस्तर - 15

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त

वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों से सम्बन्धित केवल वाउचर /व्यय प्रमाणक ही प्रस्तुत रहे परन्तु सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां(प्राक्कलन, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी आदि)प्रस्तुत नहीं रहीं।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प रिबोर	17.07.2019	54000.00
		17.07.2019	42000.00
		18.07.2019	80000.00
		18.07.2019	80000.00
		18.07.2019	80000.00
		<b>योग</b>	<b>336000.00</b>
2	स्नानघर निर्माण	19.07.2019	48000.00
		19.07.2019	36000.00
		<b>योग</b>	<b>84000.00</b>
		<b>कुल योग</b>	<b>420000.00</b>

स्पष्ट है कि उक्त कार्यों को बिना प्राक्कलन तैयार किये तथा अनुमानित व्यय की बिना सक्षम स्तर से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त किये कराया गया है तथा बिना कार्य की माप किये ही काल्पनिक आधार पर उक्त भुगतान किये गये हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 156 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य को आरम्भ करने के पूर्व योजना मानचित्र और अनुमानित व्यय की नियमानुसार स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है एवं नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्य की नाप-जोख/माप किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये उक्त दर्शित धनराशि रु.420000.00 का ग्राम निधि प्रथम से भुगतान/आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री विजेन्द्र कुमार वर्मा तथा ग्राम प्रधान श्रीमती शोभा देवी उत्तरदायी हैं।अतः उत्तरदायी व्यक्तियों विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### 10- ग्राम पंचायत - अमरपुर विकास खण्ड-प्रतापपुर कमैचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

##### प्रस्तर - 16

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई-ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प रिबोर	302908.00
2	ह्यूम पाइप	297980.00
3	डेस्क बेंच स्थापना	249555.00
4	सोलर लाइट क्रय	219000.00
5	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	138424.00
6	लांग बेंच क्रय	85000.00
7	डस्ट बिन स्थापना	59000.00
8	प्राथमिक विद्यालय शौचालय मरम्मत	38110.00
9	स्टेशनरी क्रय एवं डिजिटल सिग्नेचर हेतु	18408.00
10	प्रधान मानदेय	31500.00
	<b>योग</b>	<b>1439885.00</b>

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 21.08.2020 को पत्र के द्वारा सहायक

विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 14.12.2020 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त क्रम में पत्र दिनांक 15.02.2021(छाया प्रति संलग्न) द्वारा पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 16.03.2021 को वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती अशोक कुमारी द्वारा अपने पत्र (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक 21 दिसम्बर 2020 को ग्राम पंचायत अमरूपुर प्रार्थिनी को आवंटन किया गया है जिसका वर्ष 2019-20 का आडिट के लिए अभिलेख चार्ज में नहीं मिला है जिससे अभिलेख उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु. 1439885.00 की संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती ज्योति एवं ग्रा0पं0अ0 श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

#### 11- ग्राम पंचायत - प्रतापपुर कमैचा विकास खण्ड-प्रतापपुर कमैचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

##### प्रस्तर - 17

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई-ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प रिबोर	1017452.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	516671.00
3	डेस्क बेंच स्थापना	486625.00
4	ह्यूम पाइप	362192.00
5	डस्ट बिन स्थापना	277536.00
6	लांग बेंच स्थापना	85000.00
7	प्राथमिक वि० डिहवा में शौचालय निर्माण	35000.00
8	कादीपुर रोड से राम विशाल शुक्ला के घर तक खड्गजा मरम्मत	14246.00
9	स्नानागार निर्माण	5200.00
10	सफाई कर्मी किट	18950.00
11	स्टेशनरी क्रय एवं डिजिटल सिग्नेचर हेतु	17000.00
12	14वें वित्त आयोग की वित्तीय एवं प्रशासनिक मद	33984.00
13	प्रधान मानदेय	24500.00
	<b>योग</b>	<b>2894356.00</b>

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई० डी०, मापी, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 21.08.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 06.01.2021 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर

भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त क्रम में पत्र दिनांक 15.02.2021(छाया प्रति संलग्न) द्वारा पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 16.03.2021 को वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती अशोक कुमारी द्वारा अपने पत्र (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक 21 दिसम्बर 2020 को ग्राम पंचायत प्रतापपुर कमैचा प्रार्थिनी को आवंटन किया गया है जिसका वर्ष 2019-20 का आडिट के लिए अभिलेख चार्ज में नहीं मिला है जिससे अभिलेख उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु. 2894356.00 की वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री केशरी प्रसाद एवं ग्रा0पं.अ. श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

## 12- ग्राम पंचायत - चितावनपुर विकास खण्ड-प्रतापपुर कमैचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20 प्रस्तर - 18

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई-ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	डेस्क बेंच स्थापना	210000.00
2	हैण्डपम्प रिबोर	134050.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	117620.00
4	सोलर लाइट स्थापना	110000.00
5	हयूम पाइप क्रय	82075.00
6	प्राथमिक विद्यालय चितावनपुर कैंपस में मिट्टी पटाई कार्य	76974.00
7	प्राथमिक विद्यालय में बाउन्ड्रीवाल कार्य	71925.00
8	वृक्षारोपण कार्य	65298.00
9	डस्टबिन क्रय	25000.00
10	चौकी निर्माण	32262.00
11	प्राथमिक विद्यालय मरगूपुर में शौचालय निर्माण	11000.00
12	स्टेशनरी व्यय	15000.00
13	प्रधान मानदेय	42000.00
	<b>योग</b>	<b>993204.00</b>

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 21.08.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 21.12.2020 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त क्रम में पत्र दिनांक 15.02.2021(छाया प्रति संलग्न) द्वारा पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 16.03.2021 को वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती अशोक कुमारी द्वारा अपने पत्र (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक 21 दिसम्बर 2020 को ग्राम पंचायत अमरूपुर प्रार्थिनी को आवंटन किया गया है जिसका वर्ष 2019-20 का

आडिट के लिए अभिलेख चार्ज में नहीं मिला है जिससे अभिलेख उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि ₹.993204.00 की वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री राणा प्रताप एवं ग्रा0पं.अ. श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

### 13- ग्राम पंचायत - बधूपुर विकास खण्ड-प्रतापपुर कमैचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20 प्रस्तर - 19

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प रिबोर	348854.00
2	ह्यूम पाइप	275186.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	138860.00
4	डस्ट बिन स्थापना	97808.00
5	प्राथमिक विद्यालय बधूपुर में सोक पिट निर्माण	21825.00
6	प्रधान मानदेय	35000.00
7	14वें वित्त आयोग की वित्तीय एवं प्रशासनिक मद	11235.00
8	दीवाल पर लेखन कार्य	2300.00
9	पंचायत कर	3000.00
	<b>योग</b>	<b>934068.00</b>

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 21.08.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 21.01.2021 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त क्रम में पत्र दिनांक 15.02.2021(छाया प्रति संलग्न) द्वारा पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 23.03.2021 को वर्तमान सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री संगम लाल पटेल द्वारा अपने पत्र (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी की असामयिक मृत्यु के उपरान्त दिनांक 21.12.2020 के चार्ज हस्तान्तरण के आदेश के क्रम में आवंटित ग्राम पंचायत बधूपुर का परिवार रजिस्टर तथा जन्म मृत्यु रजिस्टर के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण वर्ष 2019-20 का आडिट कराने हेतु अभिलेख नहीं उपलब्ध करा पा रहा हूँ। इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 934068.00 की वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र एवं ग्रा0पं.अ. श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

14- ग्राम पंचायत - बैतौ कला विकास खण्ड-प्रतापपुर कर्मचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - 20

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न तिथियों में निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	अतुल तिवारी के घर से आर सी सी रोड तक खड़न्जा निर्माण	148405.00
2	नहर से रामसागर के घर तक खड़न्जा निर्माण	217242.00
3	रघुराज के घर के पास से राम फकीर अनारे के पास तक खड़न्जा निर्माण	88606.00
4	राम फकीर के घर से श्यामलाल के घर तक खड़न्जा निर्माण	108500.00
5	पक्की सड़क से रामपाल के घर तक खड़न्जा निर्माण	67704.00
6	पक्की सड़क से भाने के घर तक खड़न्जा निर्माण	50869.00
7	पारसनाथ पाल घर शेर बहादुर की बाग तक खड़न्जा निर्माण	77894.00
8	डामर पिच रोड से प्रा. वि. नेवाजगढ़ तक खड़न्जा कार्य	100905.00
9	महाकाली मन्दिर से वशिष्ठ मुनी के घर तक खड़न्जा कार्य	67648.00
10	राम फकीर के घर से श्यामलाल के घर होते हुए शोभनाथ के घर तक खड़न्जा निर्माण	19474.00
11	रमाशंकर के घर से शेर अली के घर तक खड़न्जा निर्माण	53635.00
12	पिच रोड से उमेश के घर तक खड़न्जा निर्माण	35810.00
13	खड़न्जा से पहाड़ी की मशीन तक खड़न्जा निर्माण	36811.00
14	प्रा.वि.में फर्श मरम्मत	36612.00
15	सोखता गडढा निर्माण	13346.00
16	चौकी निर्माण	17319.00
17	राजदेव के घर के पास सोक पीट निर्माण	13245.00
18	हैण्डपम्प रिबोर	558849.00
19	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	171342.00
20	हयूम पाइप स्थापना	209767.00
21	डस्टबिन क्रय	57820.00
22	14वें वित्त आयोग की प्रशासनिक मद	20225.00
23	वाल पेंटिंग, रोस्टीर एवं नारा लिखवाई	20004.00
24	प्रधान मानदेय	38500.00
25	स्टेशनरी व्यय	15000.00
	<b>योग</b>	<b>2245532.00</b>

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 21.08.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/प0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 15.12.2020 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त क्रम में पत्र दिनांक 15.02.2021 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया

था फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 23.03.2021 को वर्तमान सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री संगम लाल पटेल द्वारा अपने पत्र (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी की असामयिक मृत्यु के उपरान्त दिनांक 21.12.2020 के चार्ज हस्तान्तरण के आदेश के क्रम में आवंटित ग्राम पंचायत बैती कला का परिवार रजिस्टर तथा जन्म मृत्यु रजिस्टर के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण वर्ष 2019-20 का आडिट कराने हेतु अभिलेख नहीं उपलब्ध करा पा रहा हूँ। इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु. 2245532.00 की वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार एवं गा0पं.अ. श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

### 15- ग्राम पंचायत - मल्हीपुर विकास खण्ड-प्रतापपुर कमैचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20 प्रस्तर - 21

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न तिथियों में निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प रिबोर	683819.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	438611.00
3	डेस्क बेंच स्थापना	377850.00
4	स्नानागार निर्माण	337293.00
5	चौकी निर्माण	237294.00
6	डस्ट बिन स्थापना	92708.00
7	सफाई कर्मचारी किट	95550.00
8	ह्यूम पाइप क्रय	63000.00
9	स्ट्रीट लाइट मरम्मत	87600.00
10	14वें वित्त आयोग की प्रशासनिक मद	47760.00
11	वाल पेंटिंग नारा रोस्टर लिखवाई	10290.00
12	स्टेशनरी एवं पंचायत कर	8000.00
13	प्रधान मानदेय	66500.00
	<b>योग</b>	<b>2546275.00</b>

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 21.08.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से गा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 04.01.2021 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त क्रम में पत्र दिनांक 15.02.2021(छाया प्रति संलग्न) द्वारा पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 23.03.2021 को वर्तमान सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज कुमार द्वारा अपने पत्र (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी की असामयिक मृत्यु के उपरान्त दिनांक 21.12.2020 के चार्ज हस्तान्तरण के आदेश के क्रम में आवंटित ग्राम पंचायत मल्हीपुर का

कोई भी वित्तीय अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 का आडिट कराने हेतु अभिलेख नहीं उपलब्ध करा पा रहा हूँ। इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु. 2546275.00 की वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती चनरा एवं ग्रा0पं.अ. श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

#### 16- ग्राम पंचायत - घूरीपुर विकास खण्ड-प्रतापपुर कर्मैचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

##### प्रस्तर - 22

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न तिथियों में निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प रिबोर	437637.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	258790.00
3	सोलर लाइट स्थापना	328500.00
4	डेस्क बेंच स्थापना	143125.00
5	ह्यूम पाइप स्थापना	91924.00
6	डस्ट बिन स्थापना	59000.00
7	पक्की सड़क से राम अभिलाख के घर तक खड़न्जा मरम्मत	97792.00
8	14वें वित्त आयोग की प्रशासनिक मद	13412.00
9	वाल पेंटिंग	18340.00
10	स्टेशनरी व्यय	15000.00
11	पंचायत कर	7000.00
12	लोक सभा निर्वाचन बूथ पर टेन्ट	4000.00
13	प्रधान मानदेय	38500.00
	<b>योग</b>	<b>1513020.00</b>

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 21.08.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 29.12.2020 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त क्रम में पत्र दिनांक 15.02.2021(छाया प्रति संलग्न) द्वारा पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 23.03.2021 को वर्तमान सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार त्यागी द्वारा अपने पत्र (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी की असामयिक मृत्यु के उपरान्त दिनांक 21.12.2020 के चार्ज हस्तान्तरण के आदेश के क्रम में ग्राम पंचायत घूरीपुर का परिवार रजिस्टर तथा जन्म मृत्यु रजिस्टर के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण वर्ष 2019-20 का आडिट कराने हेतु अभिलेख नहीं उपलब्ध करा पा रहा हूँ। इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि

की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु. 1513020.00 की वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता एवं ग्रा0पं.अ. श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

#### 17- ग्राम पंचायत - बनभोकार विकास खण्ड-प्रतापपुर कर्मचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

##### प्रस्तर - 23

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न तिथियों में निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प रिबोर	176008.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	156917.00
3	डेस्क बेंच स्थापना	85875.00
4	डस्ट बिन स्थापना	35400.00
5	प्रमोद के घर से अर्जुन सिंह के घर तक खड़न्जा कार्य	45700.00
6	बद्रीपाल के घर के पास नाली निर्माण	72265.00
7	मटरू के घर से सड़क तक खड़न्जा मरम्मत	97887.00
8	सड़क से राजेन्द्र हरिजन के घर तक खड़न्जा मरम्मत	44622.00
9	सड़क से रामबोध पाल के घर तक खड़न्जा मरम्मत	56540.00
10	14वें वित्त आयोग की प्रशासनिक मद	7819.00
11	वाल पेंटिंग	5828.00
12	स्टेशनरी व्यय	15000.00
13	पंचायत कर	2000.00
14	मतदेय स्थल पर टेन्ट हेतु व्यय	5000.00
15	प्रधान मानदेय	38500.00
	<b>योग</b>	<b>845361.00</b>

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 21.08.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 10.02.2021 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त क्रम में पत्र दिनांक 15.02.2021 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 23.03.2021 को वर्तमान सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार त्यागी द्वारा अपने पत्र (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी की असामयिक मृत्यु के उपरान्त दिनांक 21.12.2020 के चार्ज हस्तान्तरण के आदेश के क्रम में ग्राम पंचायत बनभोकार का परिवार रजिस्टर तथा जन्म मृत्यु रजिस्टर के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण वर्ष 2019-20 का आडिट कराने हेतु अभिलेख नहीं उपलब्ध करा पा रहा हूं। इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि

की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु. 845361.00 की वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री दुखहरन एवं ग्रा0पं.अ. श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

#### 18- ग्राम पंचायत - सेमरी कला विकास खण्ड-प्रतापपुर कमैचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

##### प्रस्तर - 24

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई-ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	342348.00
2	हैण्डपम्प रिबोर	79217.00
3	आंगनबाड़ी केन्द्र पर बाउंड्रीवाल निर्माण	134878.00
4	डस्ट बिन कार्य	82600.00
5	ह्यूम पाइप कार्य	81000.00
6	वाल पेंटिंग नारा रोस्टर लिखवाई कार्य	10290.00
7	प्रधान मानदेय	42000.00
	<b>योग</b>	<b>772333.00</b>

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 21.08.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 से ग्राम पंचायतों का लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 11.01.2021 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त क्रम में पत्र दिनांक 15.02.2021 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 23.03.2021 को वर्तमान सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार त्यागी द्वारा अपने पत्र (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी की असामयिक मृत्यु के उपरान्त दिनांक 21.12.2020 के चार्ज हस्तान्तरण के आदेश के क्रम में ग्राम पंचायत सेमरी कला का परिवार रजिस्टर तथा जन्म मृत्यु रजिस्टर के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण वर्ष 2019-20 का आडिट कराने हेतु अभिलेख नहीं उपलब्ध करा पा रहा हूँ। इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु. 772333.00 की वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री जगराम एवं ग्रा0पं.अ. श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

#### 19- ग्राम पंचायत - सेमरी खुर्द विकास खण्ड-प्रतापपुर कमैचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

##### प्रस्तर - 25

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प रिबोर	440374.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	97320.00
3	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	66086.00
4	प्राथमिक विद्यालय शौचालय गेट निर्माण	42356.00
5	सोलर लाइट स्थापना	65700.00
6	स्ट्रीट लाइट मरम्मत	34600.00
7	डस्ट बिन क्रय	80262.00
8	वृक्षारोपण कार्य	19500.00
9	प्रधान मानदेय	14000.00
10	14वें वित्त आयोग की प्रशासनिक मद	7722.00
11	वाल पेंटिंग हेतु	2000.00
12	डिजिटल सिग्नेचर हेतु	1704.00
13	पंचायत कर	3000.00
	<b>योग</b>	<b>874624.00</b>

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 21.08.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 08.02.2021 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में पत्र दिनांक 15.02.2021(छाया प्रति संलग्न) द्वारा पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से तथा पत्र दिनांक 23.03.2021(छाया प्रति संलग्न) द्वारा वर्तमान सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मन्द्र कुमार दूबे से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख/सूचनाएं अप्रस्तुत रहीं। तत्क्रम में वर्तमान सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मन्द्र कुमार दूबे द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.03.2021(छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी की असामयिक मृत्यु के उपरान्त दिनांक 21.12.2020 को चार्ज लेने हेतु आदेश पारित हुआ; आवंटित ग्राम पंचायत सेमरी खुर्द का अभिलेख अभी प्राप्त नहीं है, इस कारण वर्ष 2019-20 का आडिट कराने हेतु अभिलेख नहीं उपलब्ध करा पा रहा हूं। इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु. 874624.00 की वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री रामभजन एवं ग्रा0पं.अ. श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

## 20- ग्राम पंचायत - शाहपुर विकास खण्ड-प्रतापपुर कमैचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - 26

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई-ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प रिबोर	333940.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	241230.00

3	डेस्क बेंच स्थापना	291975.00
4	डस्ट बिन स्थापना	46256.00
5	बाउन्ड्री	55300.00
6	वृक्षारोपण कार्य	60760.00
7	वाल राइटिंग व पेंटिंग	10500.00
8	स्टेशनरी एवं फोटोकापी	15000.00
9	प्रधान मानदेय	31500.00
10	सामान्य लाभ निधि हेतु	1000.00
	<b>योग</b>	<b>1087461.00</b>

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 21.08.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 15.01.2021 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में पत्र दिनांक 15.02.2021 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से तथा पत्र दिनांक 23.03.2021 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा वर्तमान सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मन्द्र कुमार दूबे से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख/सूचनाएं अप्रस्तुत रहीं। तत्क्रम में वर्तमान सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मन्द्र कुमार दूबे द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.03.2021 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी की असामयिक मृत्यु के उपरान्त दिनांक 21.12.2020 को चार्ज लेने हेतु आदेश पारित हुआ; आवंटित ग्राम पंचायत शाहपुर का अभिलेख अभी प्राप्त नहीं है, इस कारण वर्ष 2019-20 का आडिट कराने हेतु अभिलेख नहीं उपलब्ध करा पा रहा हूं। इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु. 1087461.00 की वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री एवं ग्रा0पं.अ. श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

## 21- ग्राम पंचायत - देवाढ़ विकास खण्ड-प्रतापपुर कमैचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

### प्रस्तर - 27

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई-ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	खड़न्जा से महेन्द्र सिंह के घर तक नाली निर्माण कार्य	86833.00
2	डस्टबिन स्थापना	47200.00
3	हैण्डपम्प रिबोर	437125.00
4	हैण्डपम्प मरम्मत	197630.00
5	प्रधान मानदेय	35000.00
6	स्टेशनरी क्रय	15000.00
7	पंचायत कर	4000.00
8	डिजिटल सिग्नेचर	1704.00

	<b>योग</b>	<b>824492.00</b>
--	------------	------------------

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 21.08.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 22.12.2021 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में पत्र दिनांक 15.02.2021(छाया प्रति संलग्न) द्वारा पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे।पुनः पत्र दिनांक 23.03.2021(छाया प्रति संलग्न) द्वारा सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मन्द्र कुमार दूबे से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया परन्तु सचिव श्री धर्मन्द्र कुमार दूबे द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु.824492.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री धर्मन्द्र कुमार दूबे तथा ग्राम प्रधान श्री राजेश प्रताप उत्तरदायी हैं।अतः उक्त धनराशि रु.824492.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु.412246.00 ग्रा0वि0अधिकारी श्री धर्मन्द्र कुमार दूबे से तथा रु. 412246.00 ग्राम प्रधान श्री राजेश प्रताप से)अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**22- ग्राम पंचायत - रामपुर विकास खण्ड-प्रतापपुर कर्मैचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20**  
**प्रस्तर - 28**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई-ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	केवटहिया गेट से रामराज के घर तक खड़न्जा मरम्मत	75500.00
2	सोमवंशी पुरवा खड़न्जे से हरवंश सिंह के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य	58317.00
3	घमहा पिच रोड से श्रवन सिंह के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य	28963.00
4	हैण्डपम्प मरम्मत	454140.00
5	हैण्डपम्प रिबोर	97028.00
6	डेस्क बेंच कार्य	143125.00
7	वाल पेंटिंग कार्य	18760.00
8	स्टेशनरी व्यय	15000.00
9	प्रधान मानदेय	59500.00
10	पंचायत कर	2000.00
	<b>योग</b>	<b>952333.00</b>

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 21.08.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष

बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 02.12.2020 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में पत्र दिनांक 15.02.2021(छाया प्रति संलग्न) द्वारा पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। पुनः पत्र दिनांक 23.03.2021(छाया प्रति संलग्न) द्वारा सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया परन्तु सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु.952333.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए गा0वि0अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे तथा ग्राम प्रधान श्रीमती बेबी सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु.952333.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु. 476166.50 गा0वि0अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे से तथा रु. 476166.50 ग्राम प्रधान श्रीमती बेबी सिंह से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

### 23- ग्राम पंचायत - रामगढ़ विकास खण्ड-प्रतापपुर कमैचा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

#### प्रस्तर - 29

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	जोखू के घर से मल्हार पाण्डेय के घर तक खड़न्जा मरम्मत	78000.00
2	इण्टरलाकिंग से मल्हार पाण्डेय के घर तक खड़न्जा मरम्मत	104958.00
3	राजाराम शुक्ल के घर से मस्जिद तक खड़न्जा मरम्मत	53714.00
4	चांदा रजबहा नहर से भगौती धोबी के घर तक खड़न्जा मरम्मत	95272.00
5	हैण्डपम्प रिबोर	669586.00
6	हैण्डपम्प मरम्मत	574620.00
7	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	220845.00
8	डस्टबिन क्रय	118000.00
9	सोलर लाइट मरम्मत	65000.00
10	स्ट्रीट लाइट मरम्मत	31500.00
11	प्रधान मानदेय	70000.00
12	स्टेशनरी क्रय	15000.00
13	पंचायत कर	5000.00
14	डिजिटल सिग्नेचर	1704.00
	<b>योग</b>	<b>2103199.00</b>

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 21.08.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से गा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू

हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 01.12.2020 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में पत्र दिनांक 15.02.2021(छाया प्रति संलग्न) द्वारा पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। पुनः पत्र दिनांक 23.03.2021(छाया प्रति संलग्न) द्वारा सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया परन्तु सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु.2103199.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए गा0वि0अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सुमनगिरि उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु.2103199.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु.1051599.50 गा0वि0अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे से तथा रु.1051599.50 ग्राम प्रधान श्रीमती सुमनगिरि से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### 24- ग्राम पंचायत - अवसानपुर विकास खण्ड- लम्भुआ लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - 30

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत केशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	प्रा पाठशाला में बाउन्ड्रीवाल निर्माण 0	29.07.2019	54000.00
		01.08.2019	25000.00
		01.08.2019	50000.00
		07.02.2020	45000.00
		13.02.2020	125950.00
		<b>योग</b>	<b>299950.00</b>
2	जूनियर हाईस्कूल अवसानपुर में शौचालय निर्माण	27.02.2020	86000.00
	<b>कुल योग</b>		<b>385950.00</b>

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 385950.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए गा0पं0अधिकारी श्री उमेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री बूने उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु.385950.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु. 192975.00 गा0पं0अधिकारी श्री उमेश कुमार से तथा रु. 192975.00 ग्राम प्रधान श्री बूने से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### 25- ग्राम पंचायत - बरुआ उत्तरी विकास खण्ड- लम्भुआ लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - 31

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन केश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों/मदों पर व्यय किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	मूलआफलाइन केश बुक में अंकित विवरण/	दर्शित व्यय धनराशि
1	अज्ञात/विवरणहीन	02.04.2019	आकाश ट्रेडर्स	50000.00
		03.04.2019	ट्रान्सफर	40000.00

		05.04.2019	अशोक सीमेन्ट विक्रेता	250000.00
		05.04.2019	अशोक इण्टरप्राइजेज	150000.00
		05.04.2019	ट्रान्सफर	30000.00
		05.04.2019	ट्रान्सफर	120000.00
		24.04.2019	मेराज ईट उद्योग	350000.00
		29.04.2019	ट्रान्सफर	50000.00
		29.04.2019	नेपाली सीमेन्ट एजेन्सी	250000.00
		06.05.2019	आकाश ट्रेडर्स	100000.00
		06.05.2019	ट्रान्सफर	150000.00
		07.05.2019	सरिता लौह कला उद्योग	50000.00
		27.05.2019	ट्रान्सफर	15000.00
		03.06.2019	4/16 दिहवा में ट्रान्सफर	173250.00
		10.06.2019	ट्रान्सफर	300000.00
		12.06.2019	ट्रान्सफर बदामा	100000.00
		18.06.2019	4/16 में ट्रान्सफर	.12000000
		18.06.2019	ट्रान्सफर	44000.00
		24.06.2019	ट्रान्सफर	60000.00
		15.07.2019	जीतलाल	85500.00
			<b>योग</b>	<b>2487750.00</b>
2	हैंडपंप मरम्मत	17.07.2019	श्रेजल मशीनरी स्टोर	19500.00
		17.07.2019	श्रेजल मशीनरी स्टोर	19500.00
		19.07.2019	श्रेजल मशीनरी स्टोर	19500.00
		19.07.2019	बलिकरन हैंडपंप मरम्मत मजदूरी	25000.00
		19.07.2019	बलिकरन हैंडपंप मरम्मत मजदूरी	25000.00
			<b>योग</b>	<b>108500.00</b>
3	अज्ञात/विवरणहीन	26.07.2019	आशा गुप्ता के द्वारा निकासी	35000.00
		26.07.2019	आशा गुप्ता के द्वारा निकासी	35000.00
		26.07.2019	श्री कुबेर ट्रेडर्स	62700.00
		26.07.2019	श्री कुबेर ट्रेडर्स	62700.00
		26.07.2019	श्री कुबेर ट्रेडर्स	62700.00
		26.07.2019	साधना मिश्रा द्वारा निकासी	96000.00
		30.07.2019	सिंह बिल्डिंग मटेरियल	14000.00
		31.07.2019	04/16	70000.00
		31.07.2019	04/16	50000.00
			<b>योग</b>	<b>488100.00</b>
			<b>कुल योग</b>	<b>3084350.00</b>

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 22.06.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार

की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 02.02.2021 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया जिसके क्रम में लेखा परीक्षा के समय वर्तमान सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती जयश्री द्वारा अवगत कराया गया कि "ग्राम पंचायत बरुआ उत्तरी में मेरी तैनाती के पूर्व गा0वि0अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता सचिव थीं; उनके द्वारा चार्ज में मुझे 2019-20 की केवल 3 पत्रवालियां एवं कैश बुक ही प्राप्त करायी गयी हैं; शेष कार्य पत्रवालियां एवं अभिलेख नहीं प्राप्त कराये गये जिसके कारण वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु समस्त अभिलेख प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ। जो कार्य पत्रवालियां एवं कैश बुक उनके द्वारा प्राप्त कराई गई है वह लेखा परीक्षा हेतु आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही हूँ।" इस सम्बन्ध में उनके द्वारा चार्ज लिस्ट भी प्रस्तुत की गई। जांच में पाया गया कि प्रस्तुत कार्य पत्रवालियां कैश बुक में दर्शित वर्ष 2019-20 के व्ययों से सम्बन्धित नहीं रहीं। इस प्रकार उक्त व्ययों से सम्बन्धित कार्य पत्रवालियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु.3084350.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए तत्कालीन गा0वि0अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता तथा ग्राम प्रधान श्रीमती साधना उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु.3084350.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु.1542175.00 गा0वि0अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता से तथा रु.1542175.00 ग्राम प्रधान श्रीमती साधना से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

## 26- ग्राम पंचायत - मदनपुर देवरा विकास खण्ड- लम्भुआ लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

### प्रस्तर - 32

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रवालियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत	26.07.2019	19477.00
		26.07.2019	19375.00
		31.07.2019	19154.00
		31.07.2019	19154.00
		05.08.2019	19481.00
		<b>योग</b>	<b>96641.00</b>
2	ह्यूम पाइप खरीद	19.11.2019	<b>141041.00</b>
3	अस्पष्ट/विवरणहीन व्यय	03.08.2019	20629.00
		05.08.2019	43120.00
		<b>योग</b>	<b>63749.00</b>
		<b>कुल योग</b>	<b>301431.00</b>

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रवालियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु.301431.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए गा0पं0अधिकारी श्री शशिकान्त तथा ग्राम प्रधान श्रीमती अमरावती उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु. 301431.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु.150715.50 गा0पं0अधिकारी श्री शशिकान्त से तथा रु.150715.50 ग्राम प्रधान श्रीमती अमरावती से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

## 27- ग्राम पंचायत - नूरमपट्टी विकास खण्ड- लम्भुआ लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

### प्रस्तर - 33

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली(प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूरी प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत केशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	28.02.2020	85893.00
		28.02.2020	114107.00
		28.02.2020	106000.00
		<b>योग</b>	<b>306000.00</b>

उक्त के सम्बन्ध में वर्तमान गा0वि0अधिकारी श्रीमती जयश्री द्वारा अवगत कराया गया कि "ग्राम पंचायत नूरमपट्टी में मेरी तैनाती के पूर्व गा0वि0अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता सचिव थीं; उनके द्वारा चार्ज में मुझे आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली नहीं प्राप्त करायी गयी है; अतः उक्त पत्रावली प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ।" इस प्रकार उक्त व्ययों से सम्बन्धित कार्य पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु.306000.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए तत्कालीन गा0वि0अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता तथा ग्राम प्रधान श्रीमती तारा सिंह उत्तरदायी हैं।अतः उक्त धनराशि रु0 306000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु.153000.00 गा0वि0अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता से तथा रु.153000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती तारा सिंह से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

## 28- ग्राम पंचायत - मझुई विकास खण्ड- लम्भुआ लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20 प्रस्तर - 34

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोष बही के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में माह अप्रैल एवं मई में ग्राम निधि प्रथम से कतिपय भुगतान/व्यय किये गये हैं जिनका कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है तथा आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई-ग्राम स्वराज वेबसाइट पोर्टल पर अनुरक्षित केशबुक में उक्त भुगतानों/व्ययों को दर्शित/सम्मिलित नहीं किया गया है।उक्त भुगतानों/व्ययों का विवरण निम्नवत है-

कार्य/मद का नाम	दिनांक	दर्शित धनराशि
विवरणहीन	08.04.2019	63700.00
	08.04.2019	63700.00
	08.04.2019	95550.00
	08.04.2019	95550.00
	11.04.2019	64386.00
	11.04.2019	64386.00
	11.04.2019	64386.00
	11.04.2019	30733.00
	12.04.2019	95550.00
	12.04.2019	54684.00
	18.04.2019	6000.00
	01.05.2019	11339.00
<b>योग</b>	<b>709964.00</b>	

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां

(प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।इस प्रकार उक्त कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु.709964.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए गा0पं0अधिकारी श्री उमेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री सोमन यादव उत्तरदायी हैं।अतः उक्त धनराशि रु.709964.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से(रु.354982.00 गा0पं0अधिकारी श्री उमेश कुमार से तथा रु.354982.00 ग्राम प्रधान श्री सोमन यादव से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**29- ग्राम पंचायत - घाटमपुर उत्तरी विकास खण्ड- लम्भुआ लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20**  
**प्रस्तर - 35**

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन केश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों/मदों पर व्यय किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	प्राथमिक पाठशाला के डेस्क बेन्च क्रय	17.07.2019	94020.00
		18.07.2019	60600.00
		22.07.2019	149000.00
		<b>योग</b>	<b>303620.00</b>
2	नल की चौकी	05.12.2019	56980.00
		05.12.2019	57900.00
		<b>योग</b>	<b>114880.00</b>
3	हैंडपंप मरम्मत	09.07.2019	19600.00
		09.07.2019	19850.00
		09.07.2019	19950.00
		05.12.2019	29800.00
		<b>योग</b>	<b>89200.00</b>
4	स्वच्छता कार्यक्रम एवं दवा छिड़काव	09.04.2019	<b>10000.00</b>
5	प्राथमिक पाठशाला रंगाई पुताई	02.05.2019	<b>5000.00</b>
6	डस्टबिन क्रय	17.07.2019	<b>18385.00</b>
7	प्रधान मानदेय	05.02.2020	<b>42000.00</b>
8	विवरणहीन/अस्पष्ट व्यय	15.07.2019	17000.00
		15.07.2019	15000.00
		<b>योग</b>	<b>32000.00</b>
		<b>कुल योग</b>	<b>615085.00</b>

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 22.06.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से गा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।पुनः इस सम्बन्ध में मौखिक रूप से कई बार एवं पत्र दिनांक 10.12.2020 द्वारा आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया फिर भी अभिलेख/सूचनाएं अप्रस्तुत रहीं।तत्पश्चात सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्र दिनांक 24.03.2021(छाया प्रति संलग्न) द्वारा वर्तमान सचिव/ग्राम

विकास अधिकारी श्री पवन कुमार चौरसिया से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में ग्राम विकास अधिकारी श्री पवन कुमार चौरसिया द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.03.2021(छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि "ग्राम पंचायत घाटमपुर उत्तरी में मेरी तैनाती के पूर्व गा0वि0अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता सचिव थीं; उनके द्वारा चार्ज में मुझे 2019-20 की कुछ पत्रवालियां एवं कैश बुक ही प्राप्त करायी गयी है; शेष कार्य पत्रवालियां एवं अभिलेख नहीं प्राप्त कराये गये जिसके कारण वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु समस्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं। जो कार्य पत्रवालियां एवं कैश बुक उनके द्वारा प्राप्त कराया गया है वह लेखा परीक्षा हेतु आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं।" जांच में पाया गया कि प्रस्तुत कार्य पत्रवालियां कैश बुक में दर्शित वर्ष 2019-20 के व्ययों से सम्बन्धित नहीं रहीं। इस प्रकार उक्त व्ययों से सम्बन्धित कार्य पत्रवालियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु.615085.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए तत्कालीन गा0वि0अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता तथा ग्राम प्रधान श्री गेंदराज दूबे उत्तरदायी हैं।अतः उक्त धनराशि रु.615085.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु.307542.50 गा0वि0अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता से तथा रु.307542.50 ग्राम प्रधान श्री गेंदराज दूबे से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**30- ग्राम पंचायत - सरैया विकास खण्ड- लम्भुआ लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20**

**प्रस्तर - 36**

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों/मदों पर व्यय किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	विद्यालय के डेस्क बेन्च क्रय	04.07.2019	97500.00
		05.07.2019	36000.00
		<b>योग</b>	<b>133500.00</b>
2	हैंडपंप रिबोर	13.04.2019	22500.00
		05.07.2019	21900.00
		25.07.2019	19800.00
		25.07.2019	19800.00
		25.07.2019	19600.00
		06.02.2020	30000.00
		18.03.2020	19581.00
		<b>योग</b>	<b>153181.00</b>
3	हैंडपंप मरम्मत	24.07.2019	22000.00
		24.07.2019	24000.00
		30.07.2019	18000.00
		30.07.2019	48000.00
		19.02.2020	20000.00
		19.02.2020	20000.00
		19.02.2020	20000.00
		28.02.2020	19500.00
		28.02.2020	19600.00
		29.02.2020	19500.00
		29.02.2020	19650.00
		18.03.2020	19581.00
		<b>योग</b>	<b>269831.00</b>
4	कूड़ादान क्रय	09.07.2019	<b>27500.00</b>

5	डस्टबिन कार्य	01.02.2020	96000.00
		05.02.2020	43800.00
		05.02.2020	31500.00
		18.03.2020	95200.00
		<b>योग</b>	<b>266500.00</b>
6	खडंजा निर्माण	01.08.2019	15000.00
		02.08.2019	12000.00
		08.08.2019	14000.00
		<b>योग</b>	<b>41000.00</b>
7	पी.पी.सरैया में बाउन्ड्री वाल निर्माण	03.03.2020	36057.00
		12.03.2020	68000.00
		12.03.2020	16999.00
		<b>योग</b>	<b>121056.00</b>
8	वित्तीय व प्रशासनिक मद हेतु	02.05.2019	<b>4500.00</b>
9	ठेला क्रय	19.03.2020	<b>10500.00</b>
10	प्रधान मानदेय	30.07.2019	<b>21000.00</b>
11	विवरणहीन/अस्पष्ट व्यय	05.07.2019	10500.00
		27.08.2019	25000.00
		<b>योग</b>	<b>35500.00</b>
		<b>कुल योग</b>	<b>1084068.00</b>

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 22.06.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। पुनः इस सम्बन्ध में मौखिक रूप से कई बार एवं पत्र दिनांक 10.12.2020 द्वारा आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया फिर भी अभिलेख अप्रस्तुत रहे। तत्पश्चात् सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्र दिनांक 24.03.2021 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा वर्तमान सचिव/ग्राम पंचायत/वि0 अधिकारी से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में ग्रा0वि0 अधिकारी कु0 प्रतिभा द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.03.2021 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि “ग्राम पंचायत सरैया में मेरी तैनाती के पूर्व ग्रा0वि0 अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता सचिव थीं; उनके द्वारा चार्ज में मुझे 2019-20 की केवल कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट ही प्राप्त करायी गयी है; अन्य कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं कराया गया है। अतः उनके द्वारा प्राप्त करायी गयी कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट लेखा परीक्षा हेतु आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही हूँ।” इस प्रकार उक्त व्ययों से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु.1084068.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए तत्कालीन ग्रा0वि0 अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता तथा ग्राम प्रधान श्रीमती जैपाली उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु.1084068.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु.542034.00 ग्रा0वि0 अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता से तथा रु.542034.00 ग्राम प्रधान श्रीमती जैपाली से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोष बही के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न कार्यों/मदों पर भुगतान/व्यय किये गये हैं जिनमें कतिपय भुगतान/व्यय ऐसे हैं जिनका कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है तथा आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई-ग्राम स्वराज वेबसाइट पोर्टल पर अनुरक्षित कैशबुक में उक्त भुगतानों/व्ययों को दर्शित/सम्मिलित भी नहीं किया गया है।समस्त भुगतानों/व्ययों का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य/मद का नाम	दिनांक	दर्शित धनराशि
1	खडन्जा मरम्मत कार्य	27.12.2019	77504.00
		30.12.2019	113507.00
		21.01.2020	38976.00
		<b>योग</b>	<b>229987.00</b>
2	इण्टरलाकिंग कार्य	18.12.2019	11602.00
		18.12.2019	42800.00
		18.12.2019	22050.00
		<b>योग</b>	<b>76452.00</b>
3	हैण्डपम्प रिबोर	07.12.2019	19990.00
		07.12.2019	19990.00
		07.12.2019	19990.00
		07.12.2019	19990.00
		07.12.2019	19990.00
		07.12.2019	89100.00
		22.01.2020	19948.00
		<b>योग</b>	<b>208998.00</b>
4	हैण्डपम्प मरम्मत	07.12.2019	19990.00
		21.01.2020	19500.00
		21.01.2020	19800.00
		21.01.2020	19740.00
		22.01.2020	19800.00
		24.01.2020	19980.00
		28.01.2020	19600.00
		28.01.2020	19440.00
		25.02.2020	19800.00
		<b>योग</b>	<b>177650.00</b>
5	ह्यूम पाइप	07.12.2019	97650.00
		07.12.2019	94850.00
		<b>योग</b>	<b>192500.00</b>
6	सोलर लाइट मरम्मत	06.04.2019	<b>22461.00</b>
7	विविध व्यय- आयकर एवं वाल पेंटिंग हेतु	06.04.2019	6000.00
		18.04.2019	24278.00
		28.01.2020	19350.00
		<b>योग</b>	<b>49628.00</b>
8	प्रधान मानदेय	05.04.2019	3500.00
		21.02.2020	21000.00
		<b>योग</b>	<b>24500.00</b>
9	विवरणहीन/अस्पष्ट व्यय	01.07.2019	78787.00
		17.07.2019	78787.00

	26.07.2019	87318.00
	26.07.2019	78322.00
	26.07.2019	78787.00
	30.07.2019	1967.00
	09.08.2019	84995.00
	09.08.2019	31300.00
	<b>योग</b>	<b>520263.00</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>1502439.00</b>

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 22.06.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। पुनः इस सम्बन्ध में मौखिक रूप से कई बार एवं पत्र दिनांक 10.12.2020 द्वारा आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया फिर भी अभिलेख अप्रस्तुत रहे। तत्पश्चात सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्र दिनांक 24.03.2021(छाया प्रति संलग्न) द्वारा वर्तमान सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमेश कुमार से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमेश कुमार द्वारा केवल कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट ही प्रस्तुत किया गया, सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार उक्त कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु.1502439.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0पं0अधिकारी श्री उमेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री छितानी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु.1502439.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु.751219.50 ग्रा0पं0अधिकारी श्री उमेश कुमार से तथा रु.751219.50 ग्राम प्रधान श्री छितानी से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

### 32- ग्राम पंचायत - जखनीकला विकास खण्ड- लम्भुआ लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - 38

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।" परन्तु लेखा परीक्षा में पंचायत भवन निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली(प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उस पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	पंचायत भवन निर्माण	27.02.2020	36000.00
		18.03.2020	200000.00
		<b>योग</b>	<b>236000.00</b>

इस प्रकार उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु.236000.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0पं0अधिकारी श्री शशिकान्त तथा ग्राम प्रधान श्रीमती शशि पाण्डेय उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 236000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु.118000.00 ग्रा0पं0अधिकारी श्री शशिकान्त से तथा रु.118000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती शशि पाण्डेय से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

33- ग्राम पंचायत - रामपुर कुर्मियान विकास खण्ड- लम्भुआ लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20  
प्रस्तर - 39

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों/मदों पर व्यय किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	पंचायत भवन फर्श निर्माण	08.04.2019	15000.00
		08.04.2019	17500.00
		10.04.2019	75008.00
		<b>योग</b>	<b>107508.00</b>
2	मेन रोड से पंचायत भवन तक इण्टरलाकिंग	01.06.2019	199500.00
		07.06.2019	4000.00
		07.06.2019	10000.00
		<b>योग</b>	<b>213500.00</b>
3	हैंडपंप रिबोर	07.06.2019	49800.00
		19.06.2019	49900.00
		<b>योग</b>	<b>99700.00</b>
4	गेट निर्माण	20.06.2019	<b>85400.00</b>
5	इण्टरलाकिंग	25.07.2019	99500.00
		29.07.2019	18200.00
		29.07.2019	16800.00
		29.07.2019	18200.00
		01.08.2019	163200.00
		<b>योग</b>	<b>315900.00</b>
6	पंचायत भवन मरम्मत	01.08.2019	49500.00
		11.12.2019	97500.00
		11.12.2019	152000.00
		11.12.2019	12000.00
		11.12.2019	65700.00
		<b>योग</b>	<b>376700.00</b>
7	स्ट्रीट लाइट पर व्यय	11.12.2019	<b>60000.00</b>
8	नल मरम्मत	01.08.2019	19897.00
		29.02.2020	24500.00
		<b>योग</b>	<b>44397.00</b>
9	प्रा0 पा0 के फर्श हेतु	28.03.2020	<b>99000.00</b>
10	विवरणहीन/अस्पष्ट व्यय	31.07.2019	99485.00
		16.12.2019	179000.00
		16.12.2019	165000.00
		<b>योग</b>	<b>443485.00</b>
11	स्टेशनरी एवं फोटोस्टेट पर व्यय	02.05.2019	<b>3800.00</b>
		<b>कुल योग</b>	<b>1849390.00</b>

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि

में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 22.06.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। पुनः इस सम्बन्ध में मौखिक रूप से कई बार एवं पत्र दिनांक 10.12.2020 द्वारा आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया फिर भी अभिलेख/सूचनाएं अप्रस्तुत रहीं। तत्पश्चात सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्र दिनांक 24.03.2021 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा वर्तमान सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द यादव से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द यादव द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.03.2021 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि “ग्राम पंचायत रामपुर कुर्मियान में मेरी तैनाती के पूर्व ग्रा0वि0अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता सचिव थीं; उनके द्वारा चार्ज में मुझे 2019-20 की केवल कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट ही प्राप्त करायी गयी है; कार्य पत्रावलियां एवं अन्य कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं कराया गया है। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत कैश बुक लेखा परीक्षा हेतु आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं” इस प्रकार उक्त व्ययों से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु.1849390.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए तत्कालीन ग्रा0वि0अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता तथा ग्राम प्रधान श्रीमती मनराजी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु.1849390.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु0 924695.00 ग्रा0वि0अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता से तथा रु0 924695.00 ग्राम प्रधान श्रीमती मनराजी से) अद्वयावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### 34- ग्राम पंचायत - घाटमपुर दक्षिणी विकास खण्ड- लम्भुआ लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - 40

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई-ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	कायाकल्प	30000.00
2	फर्श मरम्मत	50259.00
3	एम डी.एम.शेड.प्लास्टर, रंगाई	67226.00
4	पी.पी.पंचायत भवन में फर्श मरम्मत	166753.00
5	सोलर लाइट स्थापना	110100.00
6	सड़क से तहसील तक मिट्टी कार्य	89845.00
7	इण्टरलाकिंग कार्य	82500.00
8	रंगाई, पुताई	65441.00
9	हैण्डपम्प रिबोर	47502.00
10	हैण्डपम्प मरम्मत	77907.00
11	प्रधान मानदेय	49000.00
	<b>योग</b>	<b>836533.00</b>

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 22.06.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। पुनः इस सम्बन्ध में पत्र दिनांक 10.12.2020 द्वारा आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख अप्रस्तुत रहे। तत्पश्चात सहायक विकास

अधिकारी(पंचायत) से पत्र दिनांक 24.03.2021(छाया प्रति संलग्न) द्वारा वर्तमान सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री कुंवर विक्रम सिंह से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में ग्राम विकास अधिकारी श्री कुंवर विक्रम सिंह द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.03.2021(छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत घाटमपुर दक्षिणी का पूर्व में प्रभार श्री सुरेन्द्र बहादुर विश्वकर्मा, ग्रा0वि0अधिकारी के पास था; उनसे उक्त ग्राम पंचायत के अभिलेख चार्ज में देने की मांग करने पर श्री विश्वकर्मा द्वारा अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि "मुझे पूर्व सचिव श्रीमती आशा गुप्ता ग्रा0वि0अधिकारी द्वारा उक्त ग्राम पंचायत घाटमपुर दक्षिणी की वर्ष 2019-20 की कोष बही एवं सम्बन्धित पत्रावलियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं इस कारण अभिलेख उपलब्ध कराने में असमर्थ हूँ" अस्तु लेखा परीक्षा हेतु उक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु.836533.00 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए तत्कालीन ग्रा0वि0अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता तथा ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु.836533.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु.418266.50 ग्रा0वि0अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता से तथा रु.418266.50 ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

### 35- ग्राम पंचायत - सेमरी राजापुर विकास खण्ड- लम्भुआ लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

#### प्रस्तर - 41

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई-ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	नन्हें के ट्यूबवेल से डोमनेपुर पिच रोड तक खड़न्जा मरम्मत	184022.00
2	लोधई के घर से संतोष के घर तक नाली निर्माण	75336.00
3	गोपाल वर्मा के घर से रामआसरे के खेत तक खड़न्जा मरम्मत	191155.00
4	अमन के ट्यूबवेल से पंचायत भवन तक खड़न्जा मरम्मत	109291.00
5	श्रीनेती के घर से सिकन्दर के घर तक इण्टरलाकिंग	179870.00
6	धर्मन्द्र तिवारी के घर से डोमनेपुर पिच रोड तक इण्टरलाकिंग	188834.00
7	रामसहाय के घर से राम अनुज के घर तक खड़न्जा मरम्मत	159840.00
8	कायाकल्प हेतु	249000.00
9	सोलर लाइट	60000.00
10	विद्यालय भवन मरम्मत कार्य	180000.00
11	फर्श मरम्मत एवं टाइल्स कार्य	100000.00
12	हैण्डपम्प मरम्मत	99450.00
13	हैण्डपम्प रिबोर	19600.00
14	प्रधान मानदेय	63000.00
	<b>योग</b>	<b>1859398.00</b>

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 22.06.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। पुनः इस सम्बन्ध में पत्र दिनांक 10.12.2020 द्वारा आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख अप्रस्तुत रहे। तत्पश्चात सहायक विकास

अधिकारी(पंचायत) से पत्र दिनांक 24.03.2021(छाया प्रति संलग्न) द्वारा वर्तमान सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री कुंवर विक्रम सिंह से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में ग्राम विकास अधिकारी श्री कुंवर विक्रम सिंह द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.03.2021(छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत सेमरी राजापुर का पूर्व में प्रभार श्री सुरेन्द्र बहादुर विश्वकर्मा, गा0वि0अधिकारी के पास था; उनसे उक्त ग्राम पंचायत के अभिलेख चार्ज में देने की मांग करने पर श्री विश्वकर्मा द्वारा अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि “मुझे पूर्व सचिव श्रीमती आशा गुप्ता गा0वि0अधिकारी द्वारा उक्त ग्राम पंचायत सेमरी राजापुर की वर्ष 2019-20 की कोष बही एवं सम्बन्धित पत्रावलियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं इस कारण अभिलेख उपलब्ध कराने में असमर्थ हूँ।” अस्तु लेखा परीक्षा हेतु उक्त ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु.1859398.00 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए तत्कालीन गा0वि0अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता तथा ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु.1859398.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु.929699.00 गा0वि0अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता से तथा रु.929699.00 ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

### 36- ग्राम पंचायत - जगन्नाथपुर विकास खण्ड- लम्भुआ लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

#### प्रस्तर - 42

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई-ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	प्रा0 पा0 में कायाकल्प और पेंटिंग	40332.00
2	बाउन्ड्रीवाल निर्माण	79658.00
3	नाली निर्माण	38600.00
4	नाली निर्माण	53350.00
5	नाली निर्माण	58056.00
6	प्रा0पा0में पानी की टंकी	25445.00
7	एम.डी.एम.शेड निर्माण	62563.00
8	चौकी निर्माण कार्य	50200.00
9	इण्टरलाकिंग कार्य	84600.00
10	प्रा0पा0 से हरिलाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	206470.00
11	केदार के खेत से पाल के खेत तक खड्गजा मरम्मत	137372.00
12	खड्गजा निर्माण	33297.00
13	हैण्डपम्प मरम्मत	117793
	<b>योग</b>	<b>987736.00</b>

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 22.06.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से गा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। पुनः इस सम्बन्ध में पत्र दिनांक 10.12.2020 द्वारा आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख अप्रस्तुत रहे। तत्पश्चात सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्र दिनांक 24.03.2021(छाया प्रति संलग्न) द्वारा वर्तमान सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री कुलदीप सिंह से आडिट हेतु

वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में ग्राम विकास अधिकारी श्री कुलदीप सिंह द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.03.2021(छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि "ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर में मेरी तैनाती के पूर्व ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता सचिव थीं, उनके द्वारा चार्ज में मुझे वर्ष 2019-20 की केवल अधूरी कैशबुक ही प्राप्त कराई गई है, कार्य पत्रावलियां एवं अन्य कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं कराया गया है। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत अधूरी कैशबुक लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ।" इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां एवं दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु.987736.00 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए तत्कालीन गा0वि0अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता तथा ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु.987736.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु.493868.00 गा0वि0अधिकारी श्रीमती आशा गुप्ता से तथा रु.493868.00 ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**37- ग्राम पंचायत - लाखीपुर**  
**प्रस्तर - 43**

**विकास खण्ड- दूबेपुर**

**लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20**

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम से सोलरलाइट,स्ट्रीटलाइट, ह्यूम पाइप क्रय , प्रशासनिक व्यय के नाम पर निम्न तिथि पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	10.07.2019	ग्राम पंच० में प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर लाइट	अवध इंटरप्राईजेज	193158.00
2	07.12.2019	ग्राम पंच० में प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर लाइट		91875.00
3	07.12.2019	ग्राम पंच० में प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर लाइट		85848.00
4	10.07.2019	ग्राम पंच० में प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट	अवध इंटरप्राईजेज	196000.00
5	22.07.2019	ग्राम पंच० में प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट		76440.00
6	10.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय	स्टार ट्रेडर्स	183358.00
7	10.12.2019	ह्यूम पाइप क्रय		90846.00
8	23.07.2019	प्रशासनिक व्यय	देशराज	105000.00
	योग			1022525.00

पंचायती राज विभाग,उत्तरप्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।"परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी,वित्तीय,प्रशा०स्वीकृति,आई0डी0,मापी,टैंडर कोटेशन आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार उक्तकार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"अतः धनराशि रु 1022525.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली(ग्रामप्रधान श्रीमती बदामा देवी से रु 511262.5 व सचिव श्रीमती संगीता पाल से रु 511262.5) किया जाना अपेक्षित है।

**38- ग्राम पंचायत - अहिमाने**  
**प्रस्तर - 44**

**विकास खण्ड- दूबेपुर**

**लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20**

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम से सोलरलाइट, स्ट्रीटलाइट, ह्यूम पाइप क्रय, के नाम पर निम्न तिथि पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	02.04.2019	ग्राम पं० में प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर लाइट	आदर्श ट्रेडर्स	107310.00
2	19.07.2019	ग्राम पं० में प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर लाइट	आदर्श ट्रेडर्स	193158.00
3	02.04.2019	ग्राम पं० में प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट	आदर्श ट्रेडर्स	54390.00
4	19.07.2019	ग्राम पं० में प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट	आदर्श ट्रेडर्स	88200.00
5	19.07.2019	ग्राम पं० में प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट	आदर्श ट्रेडर्स	85995.00
6	04.01.2020	ह्यूम पाइप क्रय		148764.00
7	24.03.2020	ह्यूम पाइप क्रय		179046.00
8	19.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय	आदर्श ट्रेडर्स	97555.00
	योग			954418.00

पंचायती राज विभाग,उत्तरप्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।"परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी,वित्तीय,प्रशा०स्वीकृति, आई०डी०, मापी,टैंडर कोटेशन आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार उक्तकार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"अतः धनराशि रु 954418.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली(ग्रामप्रधान श्रीमती नीलम से रु 477209.00 व सचिव श्रीमती संगीता पाल से रु 477209.00) किया जाना अपेक्षित है।

**39- ग्राम पंचायत - बाभनगांव                      विकास खण्ड- दूबेपुर                      लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20**  
**प्रस्तर - 45**

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम से सोलरलाइट, कूड़ादान, स्ट्रीटलाइट, ह्यूम पाइप क्रय , विवरण हीन के नाम पर निम्न तिथि पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	09.07.2019	ग्राम पं० में प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर लाइट	अमित ट्रेडर्स	193158.00
2	25.07.2019	ग्राम पं० में प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर लाइट	अमित ट्रेडर्स	193158.00
3	09.07.2019	कूड़ादान	सुभाष ट्रेडर्स	147000.0
4	10.07.2019	ग्राम पं० में प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट	अंकित ट्रेडर्स	64087.00
5	22.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय	सुभाष ट्रेडर्स	124362.00
6	10.07.2019	ह्यूम पाइप क्रय	अमित ट्रेडर्स	51155.00
7	10.12.2019	ह्यूम पाइप क्रय	स्टार ट्रेडर्स	52920.00
8	10/02.2020	विवरण हीन		21574.00
9	11.02.2020	विवरण हीन		13606.00
	योग			861020.00

पंचायती राज विभाग,उत्तरप्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।"परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी,वित्तीय,प्रशा०स्वीकृति, आई०डी०, मापी,टैंडर कोटेशन आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार उक्त कार्य की कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"अतः धनराशि रु 861020.0 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली (ग्राम प्रधान श्रीमती राजकली से रु 430510.00 व सचिव श्री पशुपति नाथ सिंह से रु 430510.00) किया जाना अपेक्षित है।

## 40- ग्राम पंचायत - पलिया

## विकास खण्ड- दूबेपुर

## लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

## प्रस्तर - 46

पासबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि- निम्न तिथि पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है, जिसका विवरण केश बुक में नहीं किया गया, विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	दिनांक	केशबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	07.01.2020	विवरण हीन	19375.00
2	07.01.2020	विवरण हीन	19536.00
3	07.01.2020	विवरण हीन	65562.00
4	07.01.2020	विवरण हीन	85848.00
5	07.01.2020	विवरण हीन	85848.00
6	07.01.2020	विवरण हीन	105683.00
7	18.02.2020	विवरण हीन	4842.00
8	18.02.2020	विवरण हीन	5158.00
9	18.02.2020	विवरण हीन	13314.00
10	18.02.2020	विवरण हीन	23656.00
11	18.02.2020	विवरण हीन	25856.00
12	18.02.2020	विवरण हीन	35147.00
13	18.02.2020	विवरण हीन	39872.00
14	18.02.2020	विवरण हीन	51062.00
15	18.02.2020	विवरण हीन	51219.00
16	18.02.2020	विवरण हीन	58641.00
17	18.02.2020	विवरण हीन	62512.00
18	18.02.2020	विवरण हीन	65668.00
19	03.03.2020	विवरण हीन	19218.00
20	03.03.2020	विवरण हीन	19404.00
21	03.03.2020	विवरण हीन	183260.00
22	12.03.2020	विवरण हीन	78400.00
23	21.03.2020	विवरण हीन	75460.00
	योग		1194591.00

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी, वित्तीय, प्रशास्वीकृति, आई0 डी0, मापी, टेंडर कोटेशन आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार उक्त कार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः धनराशि रु 1194591.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली (ग्राम प्रधान श्रीमती रूपा से रु 597295.5 व सचिव श्रीमती प्रिया सिंह से रु 597295.5) किया जाना अपेक्षित है।

## 41- ग्राम पंचायत - उधारपुर

## विकास खण्ड- दूबेपुर

## लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

## प्रस्तर - 47

केशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम से सोलरलाइट, स्ट्रीटलाइट, ह्यूम पाइप क्रय, के नाम पर निम्न तिथि पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	दिनांक	केशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
----------	--------	--------------	--------------	-------------

1	29.07.2019	ग्राम पं० में प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर लाइट	आदर्श ट्रेडर्स	193158.00
4	21.06.2019	ग्राम पं० में प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट	आदर्श ट्रेडर्स	195647.00
7	07.08.2019	ह्यूम पाइप क्रय		169246.00
	योग			558051.00

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी, वित्तीय, प्रशांस्वीकृति, आई0 डी0, मापी, टेंडर कोटेशन आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार उक्तकार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः धनराशि रु 558051.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली (ग्रामप्रधान श्री अयोध्या से रु 279025.5 व सचिव श्री पशुपति नाथ सिंह से रु 279025.5) किया जाना अपेक्षित है।

**42- ग्राम पंचायत - विकना विकास खण्ड- दूबेपुर लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20 प्रस्तर - 48**

पास बुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथमसे निम्न तिथि पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है, जिसका विवरण केश बुक में नहीं किया गया, विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	दिनांक	केशबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	05.02.2020	विवरण हीन	41630.00
2	05.02.2020	विवरण हीन	105683.00
3	11.02.2020	विवरण हीन	39776.00
4	11.02.2020	विवरण हीन	19936.00
5	17.02.2020	विवरण हीन	25437.00
6	17.02.2020	विवरण हीन	26880.00
7	18.02.2020	विवरण हीन	19704.00
8	18.02.2020	विवरण हीन	30002.0
9	18.02.2020	विवरण हीन	22540.00
10	18.02.2020	विवरण हीन	53517.00
11	19.02.2020	विवरण हीन	32139.00
12	29.02.2020	विवरण हीन	183260.00
13	06.03.2020	विवरण हीन	139489.00
14	13.03.2020	विवरण हीन	75460.00
15	19.03.2020	विवरण हीन	41410.00
	योग		856863.00

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी, वित्तीय, प्रशांस्वीकृति, आई0 डी0, मापी, टेंडर कोटेशन आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार उक्तकार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः धनराशि रु 856863.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली (ग्रामप्रधान श्री केशव प्रसाद यादव से रु 428431.5 व सचिव श्रीमती प्रिया सिंह से रु 428431.5) किया जाना अपेक्षित है।

## 43- ग्राम पंचायत - बंगवनाडीह

## विकास खण्ड- अखंड नगर

## लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

## प्रस्तर - 49

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम से डेस्क बेंच स्थापना और ह्युम पाइप के नाम पर , निम्न तिथि पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	12.04.2019	डेस्क बेंच स्थापना		95250.00
2	12.04.2019	डेस्क बेंच स्थापना		95250.00
3	12.04..2019	डेस्क बेंच स्थापना		95250.00
4	03.08.2019	डेस्क बेंच स्थापना		95835.00
5	03.08.2019	डेस्क बेंच स्थापना		95835.00
6	06.08.2019	ह्युम पाइप		96790.00
7	06.08.2019	ह्युम पाइप		65844.00
	योग			640054.00

पंचायती राज विभाग,उत्तरप्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।"परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी,वित्तीय,प्रशा०स्वीकृति,आई०डी०,मापी,टेंडर कोटेशन आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार उक्तकार्य की कार्यपत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"अतः धनराशि रु 640054.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली(ग्रामप्रधान श्रीमती कुसुम से रु 320027.00 व सचिव श्री रवीन्द्र कुमार यादव से रु 320027.00) किया जाना अपेक्षित है।

## 44- ग्राम पंचायत - प्राणनाथपुर बछाडिया

## विकास खण्ड- अखंड नगर

## लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

## प्रस्तर - 50

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम से ईट क्रय और हैण्ड पम्प मरम्त के नाम पर , निम्न तिथि पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	02.04.2019	ईट क्रय	प्रिया ईट उद्योग	84495.00
2	02.04.2019	ईट क्रय	प्रिया ईट उद्योग	99000.00
3	17.02.2020	हैण्ड पम्प मरम्त		32200.00
4	17.02.2020	हैण्ड पम्प मरम्त		32200.00
	योग			247895.00

पंचायती राज विभाग,उत्तरप्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।"परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी,वित्तीय,प्रशा०स्वीकृति,आई०डी०,मापी,टेंडर कोटेशन आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार उक्तकार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"अतः धनराशि रु 247895.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली(ग्रामप्रधान श्रीमती कृष्णा कुमारी रु 123947.5 व सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार यादव से रु 123947.5) किया जाना अपेक्षित है।

## 45- ग्राम पंचायत - अमियाकला

## विकास खण्ड- भदैंया

## लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

## प्रस्तर - 51

कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	69038.00
2	कूड़ादान आपूर्ति	95550.00
3	एल ई डी स्ट्रीट लाइट	129360.00
	योग	293948.00

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 08.06.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से गा0व0/प अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही व बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 27.2.2021 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार उक्त कार्यपत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः धनराशि ₹0 293948.00 की नियमानुसार सव्याज वसूली (ग्राम प्रधान श्रीमती शकुंतला से ₹0 146974.00 व सचिव श्री संतोष पाल से ₹0 146974.00 किया जाना अपेक्षित है।

#### 46- ग्राम पंचायत - भदैया विकास खण्ड-भदैया लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

##### प्रस्तर - 52

आलोच्य वर्ष में कोष बही में ग्राम निधि प्रथम से भदैया बाजार प्लेटफार्म निर्माण कार्य पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है

क्रमांक	दिनांक	विवरण	व्यय धनराशि
1	27-3-2020	मजदूरी	34064.00
2	27-3-2020	ईट भुगतान शिवगढ ब्रिक फील्ड	44515.00
3	27-3-2020	सामग्री	104647.00
4	27-3-2020	सामग्री सुधा ट्रेडर्स	43685.00
		योग	226911.00

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157 (ख) के अंतर्गत निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ के द्वारा निर्माण कार्यों की माप किए जाने के उपरांत भुगतान करने की व्यवस्था की गई है

लेखा परीक्षा में पाया गया कि संबंधित कार्य पत्रावली में संलग्न माप पुस्तिका में अंकित माप में मापीकर्ता के हस्ताक्षर नहीं रहे, इस प्रकार माप काल्पनिक/अप्रमाणित रही। इस प्रकार काल्पनिक आधार पर भुगतान किया गया है जो नियम 157 (ख) के विपरीत रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए ग्राम निधि प्रथम से आहरण/भुगतान करके गंभीर अनियमितता की गई है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती वंदना सिंह व सचिव श्री कृष्ण कुमार यादव उत्तरदायी हैं

अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

##### प्रस्तर - 53

कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	210789.00
2	हैण्डपम्प रिबोर	28050.00

3	कूडादान आपूर्ति	196000.00
	योग	434839.00

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 08.06.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से ग्रा0व0/प अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही व बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 23.12.2020 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार उक्त कार्यपत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः धनराशि ₹0 434839.00 की नियमानुसार सव्याज वसूली (ग्राम प्रधान श्रीमती वंदना सिंह से ₹0 217419.50 व सचिव श्री कृष्ण कुमार यादव से ₹0 217419.50 किया जाना अपेक्षित है।

#### 47- ग्राम पंचायत - रुदौली विकास खण्ड-भदैंया लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

##### प्रस्तर - 54

कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	ह्यूम पाइप क्रय	165987.00
2	स्ट्रीट लाइट	191100.00
3	कूडादान आपूर्ति	98000.00
4	सोलर लाइट	77600.00
	योग	532687.00

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 08.06.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से ग्रा0व0/प अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही व बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 4.2.2021 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार उक्त कार्यपत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः धनराशि ₹0 532687.00 की नियमानुसार सव्याज वसूली (ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी से ₹0 266343.50 व सचिव श्री हरिशंकर मौर्य से ₹0 266343.50 किया जाना अपेक्षित है।)

#### 48- ग्राम पंचायत - ऊंचहरा विकास खण्ड-भदैंया लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

##### प्रस्तर - 55

कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	59856.00
2	हैण्डपम्प रिबोर	84528.00
3	कूडादान आपूर्ति	63700.00
4	सोलर लाइट	213640.00
	योग	421724.00

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 08.06.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से ग्रा0व0/प अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही व बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 5.2.2021 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार उक्त कार्यपत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः धनराशि ₹0 421724.00 की नियमानुसार सव्याज वसूली (ग्राम प्रधान श्री रमाशंकर से ₹0 210862.00 व सचिव श्रीमति संध्या दूबे से ₹0 210862.00 किया जाना अपेक्षित है

**49- ग्राम पंचायत - हनुमानगंज विकास खण्ड- भदैंया लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20 प्रस्तर - 56**

कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	202741.00
2	कुडिया घाट सुधार हेतु	24500.00
3	राजमणि के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य	25428.00
4	मेन खडंजा से तालाब तक नाली निर्माण	2028400
5	इस्टबिन स्थापना	147000.00
6	नाली निर्माण	22528.00
7	राम शुक्ल के घर से तालाब तक बंद नाली निर्माण	34983.00
8	स्ट्रीट लाइट	64680.00
9	मुंशी राजा के घर से साइफा के घर तक नाली निर्माण	159085.00
10	इण्टरलाकिंग से शौकत के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण	227222.00
11	शौकत के घर से शेर अली के चक तक इ. ला. निर्माण	232913.00
12	शेर अली के चक से साइफन तक इ. ला. निर्माण	234730.00
13	अशोक के चक से ट्रांसफार्मर तक खडंजा निर्माण	72737.00
14	बबलू के चक से खडंजा तक खडंजा निर्माण	224394.00
15	खडंजा से पकडिया बाबा तक खडंजा निर्माण	185480.00
16	एन. एच. ५६ से बारात घर तक इ. ला. निर्माण	243805.00
17	इ.ला. से सहकारी समिति तक इ. ला. निर्माण	169673.00

18	प्रधान मांदेय	31500.00
	योग	2323683.00

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।"परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 08.06.2020 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से ग्रा0वि0/प अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही व बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 25.01.2021 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार उक्त कार्यपत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारणग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"अतः धनराशि रू0 2323683.00 की नियमानुसार सव्याज वसूली ( ग्राम प्रधान श्रीमती शन्नौ से रू0 1161841.50 व सचिव श्री कृष्ण कुमार यादव से रू0 1161841.50 किया जाना अपेक्षित है।

**50- ग्राम पंचायत - रवनियांपूर्व विकास खण्ड- कुड़वार लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20 प्रस्तर - 57**

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम से आंगनवाड़ी निर्माण के नाम पर व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	02.07.2019	जावेद ब्रिक फील्ड	Javed brick field	200000.00
2	06.08.2019	जावेद ब्रिक फील्ड	Javed brick field	200000.00
		योग		400000.00

पंचायती राज विभाग,उत्तरप्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्रामप्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।"परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां(प्राक्कलन, तकनीकी,वित्तीय,प्रशा0स्वीकृति, आई0डी0, मापी, आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्ययप्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्राम पंच0वि0अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था।दिनांक18.01.2021 एवं03.02.2021 को पत्र द्वारा एवं बार-बार मौखिक रूप से भी,व्यय की पुष्टि में अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक की मांग की गयी।फिर भी ग्रामपंचायत के समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।इस प्रकार उक्तकार्य की कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामप्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत से की जायेगी।"अतः धनराशि रू0 400000.00 की नियमानुसार सव्याज वसूली(ग्रामप्रधान श्रीमती राजपता से रू 200000.00 व सचिव श्री लालचंद कोटार्य से रू 200000.00) किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 58**

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम से सोलरलाइट क्रय/स्थापना के नाम पर व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	31.07.2019	ग्रा0पंच0में प्रकाश हेतु सोलरलाइट	कृष्णा सोलर एनर्जी	189630.00

2	31.07.2019	गा०पं०में प्रकाश हेतु सोलरलाइट	कृष्णा सोलर एनर्जी	189630.00
3	19.12.2019	गा०पं०में प्रकाश हेतु सोलरलाइट	कृष्णा सोलर एनर्जी	189630.00
		योग		568890.00

पंचायती राज विभाग,उत्तरप्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।"परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी,वित्तीय,प्रशा०स्वीकृति, आई0डी0, मापी, आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्ययप्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्राम पं०/वि०अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था,दिनांक18.01.2021 एवं03.02.2021 को पत्र द्वारा एवं बार-बार मौखिक रूप से भी,व्यय की पुष्टि में अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक की मांग की गयी। फिर भी ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार उक्तकार्य की कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"अतः धनराशि रु 568890.00 की नियमानुसार सब्याज वसूली(ग्राम प्रधान श्रीमती राजपता से रु 284445.00 व सचिव श्री लालचंद कोटार्य से रु 284445.00) किया जाना अपेक्षित है।

**51- ग्राम पंचायत - मझना विकास खण्ड- कुड़वार लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20 प्रस्तर - 59**

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम से सोलरलाइट के नाम पर व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	16.07.2019	ग्रामपं०में प्रकाशव्यवस्था हेतु सोलरलाइट	रुद्रा इंटरप्राइजेज	189630.00
		योग		189630.00

पंचायती राज विभाग,उत्तरप्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।"परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी,वित्तीय,प्रशा०स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्राम पं०/वि०अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था।दिनांक18.01.2021 एवं 03.02.2021 को पत्र द्वारा एवं बार-बार मौखिक रूप से भी,व्यय की पुष्टि में अभिलेख/कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक की मांग की गयी।इस प्रकार उक्तकार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"अतः धनराशि रु 189630.00 की नियमानुसार सब्याज वसूली(ग्रामप्रधान श्रीमती सीता से रु 94815.00 व सचिव श्री लालचंद कोटार्य से रु 94815.00) किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 60**

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम से ह्यूमपाइप के नाम पर व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	03.01.2020	ह्यूमपाइप क्रय	कृष्णा इंटरप्राइजेज	191700.00
		योग		191700.00

पंचायती राज विभाग,उत्तरप्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।”परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी,वित्तीय,प्रशांस्वीकृति, आई0 डी0, मापी, आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्राम पं०/वि०अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था,दिनांक 18.01.2021 एवं 03.02.2021 को पत्र द्वारा एवं बार-बार मौखिक रूप से भी,व्यय की पुष्टि में अभिलेख/कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक की मांग की गयी।इस प्रकार उक्तकार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”अतः धनराशि रु 191700.00 की नियमानुसार सब्याज वसूली(ग्रामप्रधान श्रीमती सीता से रु 95850.00 व सचिव श्री लालचंद कोटार्य से रु 95850.00) किया जाना अपेक्षित है।

**52- ग्राम पंचायत - बहलोलपुर विकास खण्ड- कुड़वार लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20**

**प्रस्तर - 61**

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम से हयूमपाइप क्रय के नाम पर व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	16.07.2019	हयूमपाइप क्रय	शिवांश कांस्ट्रूएण्ड सप्लायर्स	49200.00*4=196800.00
2	13.03.2020	हयूमपाइप क्रय	कृष्णा इन्टरप्राइजेज	96211.00
3	30.03.2020	हयूमपाइप क्रय	कृष्णा इन्टरप्राइजेज	96211.00
	योग			389222.00

पंचायती राज विभाग,उत्तरप्रदेश के ग्रामपंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्रामप्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।”परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां(प्राक्कलन,तकनीकी,वित्तीय,प्रशांस्वीकृति, आई0डी0, मापी आदि)एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्राम पं०/वि०अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था।,दिनांक-25.01.2021 को पत्र द्वारा एवं बार-बार मौखिक रूप से भी,व्यय की पुष्टि में अभिलेख/कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक की मांग की गयी।इस प्रकार उक्त कार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामप्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत से की जायेगी।”अतः धनराशि रु 389222.00 की नियमानुसार सब्याज वसूली(ग्रामप्रधान श्री अयोध्या प्रसाद से रु 194611.00 व सचिव श्री ओमप्रकाश मिश्र से रु 194611.00) किया जाना अपेक्षित है।

**53- ग्राम पंचायत - भगवानपुर विकास खण्ड- कुड़वार लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20**

**प्रस्तर - 62**

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम से हयूमपाइप क्रय के नाम पर व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	17.07.2019	एस.आर.कांशट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स को हयूमपाइप क्रय हेतु भुगतान	एस.आर.कांशट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स	196824.00(49206.00*4)
2	30.03.2020	हयूमपाइप का भुगतान	कृष्णा इन्टरप्राइजेज	98177.00
	30.03.2020	हयूमपाइप का भुगतान	कृष्णाइन्टरप्राइजेज	38677.00

योग	333678.00
-----	-----------

पंचायती राज विभाग,उत्तरप्रदेश के ग्रामपंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्रामप्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।"परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां(प्राक्कलन,तकनीकी,वित्तीय,प्रशा०स्वीकृति,आई0डी0, मापी आदि)एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्राम पंच/वि०अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था।दिनांक-12.01.2021 एवं 25.01.2021 को पत्र द्वारा एवं बार-बार मौखिक रूप से भी,व्यय की पुष्टि मे अभिलेख/कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक की मांग की गयी।इस प्रकार उक्त कार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामप्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत से की जायेगी।"अतः धनराशि रु 333678.00 की नियमानुसार सव्याज वसूली(ग्रामप्रधान श्री रत्नाकर शर्मा से रु 166839.00 व सचिव श्री ओम प्रकाश मिश्र से रु 166839.00) किया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर - 63

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम से विवरणहीन व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०	दिनांक	कैशबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	31.07.2019	विवरणहीन व्यय	25000.00
	योग		25000.00

पंचायती राज विभाग,उत्तरप्रदेश के ग्रामपंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्रामप्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।"परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त व्यय/भुगतान किस कार्य हेतु किया गया तथा उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियां(प्राक्कलन, तकनीकी,वित्तीय,प्रशा०स्वीकृति,आई0 डी0, मापी, आदि)एवं उक्त कार्य पर दर्शित व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्राम पंच/वि०अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था।दिनांक 12.01.2021 एवं 25.01.2021 को पत्र द्वारा एवं बार बार मौखिक रूप से भी,व्यय की पुष्टि मे अभिलेख/कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक की मांग की गयी।इस प्रकार उक्त कार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"अतः धनराशि रु 25000.00 की नियमानुसार सव्याज वसूली(ग्रामप्रधान श्री रत्नाकर शर्मा से रु 12500.00 व सचिव श्री ओम प्रकाश मिश्र से रु 12500.00) किया जाना अपेक्षित है।

### 54- ग्राम पंचायत - बहमरपुर

### विकास खण्ड- कुड़वार

### लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

### प्रस्तर - 64

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम से सोलरलाइट के नाम पर व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	30.07.2019	कृष्णा सोलर एनर्जी 9 सोलर हेतु	Krishna solar energy	188748.00
2	30.07.2019	कृष्णा सोलर एनर्जी 9 सोलर हेतु	Krishna solar energy	188748.00
	योग			377496.00

पंचायती राज विभाग,उत्तरप्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्रामप्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर

तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी, वित्तीय, प्रशासकीय, आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्राम पंच/वि० अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। किन्तु (बार-बार मांगने के बावजूद) उक्त कार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किया गया उक्त व्यय, लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहा। लेखामैन्युअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः धनराशि रु 377496.00 की नियमानुसार सब्याज वसूली (ग्राम प्रधान श्री मसूदुल हसनैन से रु 188748.00 व सचिव श्री सुभाष सिंह से रु 188748.00) किया जाना अपेक्षित है।

#### 55- ग्राम पंचायत - बहुबरा विकास खण्ड- कुड़वार लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

##### प्रस्तर - 65

आलोच्यवर्ष में कोषबही में ग्रामप्रधान को मानदेय, निम्न विवरणानुसार व्यय/भुगतान किया जाना दर्शित है।

क्र	दिनांक	विवरण	भुगतान/व्यय धनराशि
1	17.07.2019	प्रधान मानदेय(दिशम्बर-2018 से सितम्बर-2019तक)	35000.00
2	21.01.2020	प्रधान मानदेय(अक्टूबर-2019 से जुलाई-2020 तक)	35000.00
	योग		70000.00

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिनांक 17.07.2019 को ग्रामप्रधान श्रीमती रेखामिश्रा को रु 35000.00 मानदेय का भुगतान(दिशम्बर-2018 से सितम्बर-2019)तक किया जाना दर्शित है। जिसमें से माह जुलाई-2019, अगस्त-19 एवं सितम्बर-19(3 माह) का अग्रिम मानदेय का भुगतान किया गया है, तथा दिनांक-21.01.2020 को ग्रामप्रधान श्रीमती रेखामिश्रा को रु 35000.00 मानदेय का भुगतान(अक्टूबर-2019 से जुलाई 2020 तक) किया जाना दर्शित है, जिसमें से भी माह जनवरी-2020 से जुलाई-2020(7 माह) का अग्रिम मानदेय का भुगतान किया गया है, इसप्रकार कुल भुगतानित मानदेय रु 70000.00 में से दिशम्बर-2018 से दिशम्बर-2019(13 माह) का मानदेय रु 45500.00 का ही भुगतान किया जाना चाहिए था, जबकि रु 24500.00 मानदेय के नाम पर अधिक भुगतान कर दिया गया है, जोकि आपत्तिजनक है, जिसकी नियमानुसार सब्याज वसूली(ग्रामप्रधान श्रीमती रेखामिश्रा से रु 12250.00 एवं सचिव महिमा सिंह से रु 12250.00) करके, ग्रामनिधि-प्रथम खाते में जमा कराये जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

##### प्रस्तर - 66

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम से सोलरलाइट के नाम पर व्यय दर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	दिनांक	कैशबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	06.08.2019	सोलरलाइट क्रय, स्पीड इन्टरप्राइजेज	87600.00
	योग		87600.00

पंचायती राज विभाग, उत्तरप्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैन्युअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां(प्राक्कलन, तकनीकी, वित्तीय, प्रशासकीय, आई० डी०, मापी, आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के माध्यम से ग्राम पंच/वि० अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। दिनांक 18.01.2021 एवं 25.01.2021 को पत्र द्वारा एवं बार-बार मौखिक रूप से भी, व्यय की पुष्टि में अभिलेख/कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक की मांग की गयी। इस प्रकार उक्त कार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैन्युअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत से की जायेगी।" अतः धनराशि रु 87600.00 की नियमानुसार सब्याज वसूली(ग्राम प्रधान श्रीमती रेखामिश्रा से रु 43800.00 व सचिव महिमा सिंह से रु 43800.00) किया जाना अपेक्षित है।

##### प्रस्तर - 67

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम से ह्यूमपाइप के नाम पर व्यय दर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	29.07.2019	ह्यूमपाइप क्रय	दिव्या विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स	78750.00
2	29.07.2019	ह्यूमपाइप क्रय	दिव्या विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स	67500.00
	योग			146250.00

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- "ग्रामप्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी, वित्तीय, प्रशासकीय, आई0 डी0, मापी, आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्राम पंचायत/वि0 अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। दिनांक 18.01.2021 एवं 25.01.2021 को पत्र द्वारा एवं बार बार मौखिक रूप से भी, व्यय की पुष्टि में अभिलेख/कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक की मांग की गयी। इस प्रकार उक्त कार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः धनराशि रु 146250.00 की नियमानुसार सव्याज वसूली (ग्रामप्रधान श्रीमती रेखामिश्रा से रु 73125.00 व सचिव महिमा सिंह से रु 73125.00) किया जाना अपेक्षित है।

**56- ग्राम पंचायत - धरावाँ विकास खण्ड- कुड़वार लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20 प्रस्तर - 68**

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	दिनांक	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	10.05.2019	कन्या जूनियर हा0 में गेट निर्माण	25719.00
2	06.08.2019	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	58800.00(19600.00*3)
योग			84519.00

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपत्रावलियां आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से ग्रामपंचायत/वि0 अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। दिनांक 12.01.2021 एवं 25.01.2021 को पत्र द्वारा एवं बार-बार मौखिक रूप से भी व्यय की पुष्टि में अभिलेख/कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक की मांग की गयी। इस प्रकार उक्त कार्य की पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः धनराशि रु 84519.00 की नियमानुसार सव्याज वसूली (ग्रामप्रधान श्रीमती रेहाना बानो से रु 42259.50 व सचिव श्री रामसुन्दर गुप्ता से रु 42259.50) किया जाना अपेक्षित है।

**57- ग्राम पंचायत - माधोपुरआचार्य विकास खण्ड- कुड़वार लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20 प्रस्तर - 69**

कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि-प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय दर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	दिनांक	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	04.04.2019	सोलरलाइट (स्पीड)	87600.00
2	04.04.2019	सोलरलाइट (स्पीड)	65700.00
3	01.08.2019	सोलरलाइट (एस आर कन्स्ट्रक्शन और सप्लायर )	65700.00
4	01.08.2019	सोलरलाइट (एस आर कन्स्ट्रक्शन और सप्लायर )	65700.00
5	01.08.2019	सोलरलाइट (एस आर कन्स्ट्रक्शन और सप्लायर )	65700.00
		योग	350400.00
1	14.05.2019	ह्यूमपाइप (स्पीड)	83260.00
2	14.05.2019	ह्यूमपाइप (स्पीड)	83260.00
3	14.05.2019	ह्यूमपाइप (स्पीड)	33304.00
4	03.06.2019	ह्यूमपाइप (स्पीड)	50400.00
		योग	250224.00
1	14.05.2019	स्ट्रीटलाइट (स्पीड)	68600.00
2	14.05.2019	स्ट्रीटलाइट (स्पीड)	68600.00
3	14.05.2019	स्ट्रीटलाइट (स्पीड)	60760.00
		योग	197960.00
	कुलयोग	(350400.00+250224.00+197960.00)	798584.00

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।” परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ (प्राक्कलन, तकनीकी, वित्तीय, प्रशासकीय, आई0 डी0, मापी, आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्ययप्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्राम पंच/वि० अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। किन्तु उक्त कार्यों की कार्यपत्रावलियाँ/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय, लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामप्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत से की जायेगी।” अतः धनराशि रु 798584.00 की नियमानुसार सब्याज वसूली (ग्रामप्रधान श्री राजमणि से रु 399292.00 व सचिव महिमा सिंह से रु 399292.00) किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रारूप-4

### ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ

वर्ष: 2019-20

#### जनपद-आजमगढ़

#### मण्डल-आजमगढ़

##### प्रस्तर-01

ग्राम पंचायत- जमीन हरखोरी विकास खण्ड- आजमगढ़ वर्ष 2019-20

पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश सख्या 3-2016/3038/33-1-2016, दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2500.00 रुपये से बढ़ा कर रुपये 3500.00 मासिक किया गया जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है। लेकिन मासिक भुगतान हेतु पंजिका का निर्माण नहीं किया जा रहा है फलतः मानदेय का भुगतान नियमित रूप से माहवार न करके एक, दो या तीन बार में एकमुश्त किया गया।

क्रमांक	दिनांक	माह	धनराशि
1	23.7.19	9	31500
2	31.1.20	9	31500

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में प्रधान मानदेय मद में 18 माह का मानदेय कुल 63000.00 व्यय किया गया है जबकि वर्ष में मानदेय मद में रु0 3500.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह का कुल 42000.00 ही होता है, इस प्रकार उक्त मद में रु0 21000.00 का अधिक भुगतान

किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव जम्मेदार हैं। ₹0 21000.00 की ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। जिसकी जिम्मेदारी प्रधान श्रीमती रेखा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम की है।

(मूलआपत्ति संख्या-06)

**प्रस्तर-02**

**ग्राम पंचायत- शेखमौली करतारपुर                      विकास खण्ड- अजमतगढ़                      वर्ष-2019-20**

पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016, दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2500.00 रुपये से बढ़ा कर रुपये 3500.00 मासिक किया गया जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है। लेकिन मासिक भुगतान हेतु पंजिका का निर्माण नहीं किया जा रहा है फलतः मानदेय का भुगतान नियमित रूप से माहवार न करके एक, दो या तीन बार में एकमुश्त किया गया।

क्रमांक	दिनांक	माह	धनराशि
1	19.3.20	11	38500
2	21.2.20	10	35000
3	24.2.20	10	35000
		योग	108500

जिसकी जिम्मेदारी प्रधान रामजनम व ग्राम पंचायत अधिकारी संतोष यादव की रही। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-07)

**प्रस्तर-03**

**ग्राम पंचायत- अचलीपुर    विकास खण्ड- अतरौलिया    वर्ष-2019-20**

ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु केवल कैशबुक उपलब्ध कराई गई जिसके आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/14वां वित्त के अन्तर्गत यूनियन बैंक के बचत खाता संख्या (457802011010202) से वित्तीय वर्ष में कुल ₹0 957192.00 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान (खाता सं0 6) से सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि0, कार्य के वित्तीय, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजि0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली, कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियां , मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से संबंधित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मांग व वसूली पंजिका (रूप पत्र 14 एवं 15), रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका, स्टोर पंजिका, व चेक इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। फलतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप अपहरित कर ली गयी है।

अतः उ0प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती गीता व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-05/10)

**प्रस्तर-04**

**ग्राम पंचायत- अनन्तपुर    विकास खण्ड- अतरौलिया    वर्ष-2019-20**

ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु केवल कैशबुक उपलब्ध कराई गई जिसके आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/14वां वित्त के अन्तर्गत यूनियन बैंक के बचत खाता संख्या (495202010003140) से वित्तीय वर्ष में कुल ₹0 1537802.00 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे-निर्मल भारत अभियान(खाता सं0 6) से सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि0, कार्य के वित्तीय, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजि0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली, कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियां , मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से संबंधित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मांग व वसूली पंजिका (रूप पत्र 14 एवं 15), रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका, स्टोर पंजिका, व चेक इत्यादि, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरित कर ली गयी है।

अतः उ0प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री राजेश व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-07/10)

**प्रस्तर-05**

**ग्राम पंचायत- आमेपुर    विकास खण्ड- अतरौलिया    वर्ष-2019-20**

ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु केवल कैशबुक उपलब्ध कराई गई जिसके आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/14वां वित्त के अन्तर्गत यूनियन बैंक के बचत खाता संख्या (457802010002284) से वित्तीय वर्ष













अतः उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र व ग्राम विकास अधिकारी श्री जयचन्द्र से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-07/10)

#### प्रस्तर-26

ग्राम पंचायत-सिपारपट्टी विकास खण्ड- अतरौलिया वर्ष-2019-20

ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु केवल कैशबुक उपलब्ध कराई गई जिसके आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/14वां वित्त के अन्तर्गत यूनियन बैंक के बचत खाता संख्या (495202010003125) से वित्तीय वर्ष में कुल रु0 606567.00 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे निर्मल भारत अभियान (खाता सं0 6) से सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि0, कार्य के वित्तीय, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजि0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली, कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियां, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से संबंधित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मांग व वसूली पंजिका (रुप पत्र 14 एवं 15), रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका, स्टोर पंजिका, व चेक इत्यादि, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप अपहरित कर ली गयी है।

उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री योगेन्द्र व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-05/10)

#### प्रस्तर-27

ग्राम पंचायत-हरदिया विकास खण्ड- अतरौलिया वर्ष-2019-20

ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु केवल कैशबुक उपलब्ध कराई गई जिसके आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/14वां वित्त के अन्तर्गत यूनियन बैंक के बचत खाता संख्या (495202010927769) से वित्तीय वर्ष में कुल रु0 484523.00 की धनराशि आहरित/व्यय की गयी। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत में सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे निर्मल भारत अभियान (खाता सं0 6) से सम्बन्धित अभिलेख, समस्त क्रय सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजि0, कार्य के वित्तीय, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख, ग्राम पंचायत की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रजि0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली, कृत कार्य व क्रय सामग्री से सम्बन्धित समस्त प्रमाणक व पत्रावलियां, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक सहित, जी0एस0टी0 व रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित विवरण, निरीक्षण पंजिका, मांग व वसूली पंजिका (रुप पत्र 14 एवं 15), रोजगार रजिस्टर, कार्य पंजिका, स्टोर पंजिका, व चेक इत्यादि, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में ग्राम पंचायत में कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के खाते से आहरित धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप अपहरित कर ली गयी है।

अतः उ0 प्र0 पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री राजकुमार व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय कुमार से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-06/10)

#### प्रस्तर-28

ग्राम पंचायत-अतरारी विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष-2019-20

वर्ष 2019-20 मे ग्राम पंचायत अतरारी में चतुर्थ राज्य वित्त के अंतर्गत प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 4000.00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे बार बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए रु0 4000.00 की ब्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी एवं ग्रा0प0अधि0 श्री अभिनव से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 12(1))

#### प्रस्तर-29

ग्राम पंचायत-अतरारी विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष-2019-20

वर्ष 2019-20 मे ग्राम पंचायत अतरारी में चौदहवा वित्त के अंतर्गत प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 498606.00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे बार बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए रु0 498606.00 की ब्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी ग्रा0प0अधि0 श्री अभिनव से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 12(2))

#### प्रस्तर-30

ग्राम पंचायत-अमदही विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष-2019-20











**ग्राम पंचायत- बोहना विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष-2019-20**

वर्ष 2019-20 मे ग्राम पंचायत बोहना में चतुर्थ राज्य वित्त के अंतर्गत प्रिया साफ्ट के अनुसार रू0 183170.00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे बार बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए रू0 183170.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी ग्रा0प0अधि0 श्री ओमप्रकाश राय से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 12(1))

**प्रस्तर-64**

**ग्राम पंचायत- बोहना विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष-2019-20**

वर्ष 2019-20 मे ग्राम पंचायत बोहना में चौदहवा वित्त के अंतर्गत प्रिया साफ्ट के अनुसार रू0 1533367.00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे बार बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए रू0 1533367.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी ग्रा0प0अधि0 श्री ओमप्रकाश राय से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 12(2))

**प्रस्तर-65**

**ग्राम पंचायत- बरहतिर जगदीशपुर विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष-2016-17 से 2019-20**

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक रू0 27399316.00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए रू0 27399316.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नसीम ग्रा0प0अधि0 श्री इन्दुप्रकाश राय से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष	व्यय की गई धनराशि
2016-17	5057209.00
2017-18	7416299.00
2018-19	10021054.00
2019-20	4904754.00

(मूल आपति सं0 12(1))

**प्रस्तर-66**

**ग्राम पंचायत- भोपतपुर विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष-2019-20**

वर्ष 2019-20 मे ग्राम पंचायत भोपतपुर में चतुर्थ राज्य वित्त के अंतर्गत प्रिया साफ्ट के अनुसार रू0 204750.00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे बार बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए रू0 204750.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम यादव ग्रा0प0अधि0 श्री संजय सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 12(1))

**प्रस्तर-67**

**ग्राम पंचायत-भोपतपुर विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष-2019-20**

वर्ष 2019-20 मे ग्राम पंचायत भोपतपुर में चौदहवा वित्त के अंतर्गत प्रिया साफ्ट के अनुसार रू0 1377102.00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे बार बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए रू0 1377102.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम यादव ग्रा0प0अधि0 श्री संजय सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 12(2))

**प्रस्तर-68**

**ग्राम पंचायत- मन्दे विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष-2019-20**

वर्ष 2019-20 मे ग्राम पंचायत मन्दे में चतुर्थ राज्य वित्त के अंतर्गत प्रिया साफ्ट के अनुसार रू0 59500.00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे बार बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए रू0 59500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती याशमीन बानो ग्रा0प0अधि0 श्री ओमप्रकाश राय से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0 12(1))





**ग्राम पंचायत- हथौटा विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष-2019-20**

वर्ष 2019-20 मे ग्राम पंचायत हथौटा में चतुर्थ राज्य वित्त के अंतर्गत प्रिया साफ्ट के अनुसार रू0 84000.00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे बार बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए रू0 84000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रणधीर सिंह ग्रा0प0अधि0 श्री संजय सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपति सं0 12(1))**

**प्रस्तर-83**

**ग्राम पंचायत- हथौटा विकास खण्ड-जहानागंज वर्ष-2019-20**

वर्ष 2019-20 मे ग्राम पंचायत हाथौटा में चौदहवा वित्त के अंतर्गत प्रिया साफ्ट के अनुसार रू0 597864.00 व्यय किया गया है किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे बार बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए रू0 597864.00 की व ब्याज सहित सूली ग्राम प्रधान श्री रणधीर सिंह ग्रा0प0अधि0 श्री संजय सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपति सं0 12(2))**

**प्रस्तर-84**

**ग्राम पंचायत- उचहुवा विकास खण्ड-तरवा वर्ष-2019-20**

आलोच्य वर्ष मे ग्रा.पं. द्वारा विभिन्न स्थानो पर सोलर लाइट की स्थापना कार्य पर रू0 394200.00 का व्यय दर्शित है। क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष कोई वाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8-क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित वाउचर उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी मे आता है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री विनोद (ग्राम सचिव) तथा श्रीमति उषा (ग्राम प्रधान) से की जानी अपेक्षित है।

**(मूल आपति सं0-11)**

**प्रस्तर-85**

**ग्राम पंचायत- बीबीपुर विकास खण्ड-तरवा वर्ष-2019-20**

आलोच्य वर्ष मे ग्रा.पं. द्वारा विभिन्न स्थानो पर हैंडपम्प रिबोर कार्य पर रू0 274387.00 का व्यय दर्शित है। क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष कोई वाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित वाउचर उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी मे आता है। अतः उक्त धनराशी की ब्याज सहित वसूली श्री विनोद (ग्राम सचिव) तथा श्रीमति माया (ग्राम प्रधान) से की जानी अपेक्षित है।

**(मूल आपति सं0-11)**

**प्रस्तर-86**

**ग्राम पंचायत- रसडा विकास खण्ड-तरवा वर्ष 2019-20**

आलोच्य वर्ष मे ग्रा.पं. द्वारा प्राथमिक विद्यालय पर बाउंड्री निर्माण कार्य पर रू0 265140.00 का व्यय दर्शित है। क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष कोई वाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित वाउचर उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी मे आता है। अतः उक्त धनराशी की व ब्याज सहित सूली श्री विनोद (ग्राम सचिव) तथा श्री धर्मराज (ग्राम प्रधान) से की जानी अपेक्षित है।

**(मूल आपति सं0-11)**

**प्रस्तर-87**

**ग्राम पंचायत- पवनी खुर्द विकास खण्ड- पल्हना वर्ष-2019-20**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम निधि प्रथम के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक 29.04.2019 को चेक सं0 758336 से रू0 30,000/- श्री लालधर द्वारा आहरण दर्शित है। किन्तु उक्त धनराशि का भुगतान किस कार्य हेतु किया गया है; कैश बुक में अंकित नहीं है और न ही सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। अतः व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित धनराशि रू0 30,000/- गबन की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ती देवी और ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री श्रवण कुमार सिंह से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आपति सं0 04)**

**प्रस्तर-88**

**ग्राम पंचायत- पलियामाफी विकास खण्ड- पवई वर्ष-2019-20**

ग्राम पंचायत पलियामाफी के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि; राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 219486.00) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 219486.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शिवकुमारी से रुपए 109743.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री त्रिजेश मौर्या से रुपए 109743.00 किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति सं0-01)

#### प्रस्तर-89

##### ग्राम पंचायत- पलियामाफी विकास खण्ड- पवई वर्ष-2019-20

ग्राम पंचायत पलियामाफी के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि; 14 वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 1099513-00) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है

अतः ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1099513.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शिवकुमारी से रुपए 549756.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री त्रिजेश मौर्या से रुपए 549756.50 किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति सं0-02)

#### प्रस्तर-90

##### ग्राम पंचायत- मित्तपुर विकास खण्ड-पवई वर्ष-2019-20

ग्राम पंचायत मित्तपुर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि; राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 139496-00) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमो और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है.

अतः ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 139496.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती हकिकुननिशा से रुपए 69748.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राम मिलन से रुपए 69748.00 किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

#### प्रस्तर-91

##### ग्राम पंचायत- मित्तपुर विकास खण्ड-पवई वर्ष-2019-20

ग्राम पंचायत मित्तपुर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि; राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 2954464-00) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमो और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है.

अतः ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 2954464-00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती हकिकुननिशा से रुपए 1477232-00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राम मिलन से रुपए 1477232-00 किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-02)

#### प्रस्तर-92

##### ग्राम पंचायत- सौदमा विकास खण्ड-पवई वर्ष-2019-20

ग्राम पंचायत सौदमा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि; राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 81399-00) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमो और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है.

अतः ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 81399-00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री सभाकांत से रुपए 40699-50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राम मिलन से रुपए 40699-50 किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

#### प्रस्तर-93

**ग्राम पंचायत- सौदमा विकास खण्ड-पवई वर्ष-2019-20**

ग्राम पंचायत सौदमा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि; राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 581563.00) के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 581563.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री सभा कांत से रुपए 290781.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राम मिलन से रुपए 290781.50 किया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपत्ति संख्या- 02)**

**प्रस्तर-94**

**ग्राम पंचायत- नेवादा विकास खण्ड- फूलपुर वर्ष-2019-20**

ग्राम पंचायत नेवादा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि; राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 136211.00) के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 136211.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती नसीमा से रुपए 68105-50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द शर्मा से रुपए 68105-50 किया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपत्ति संख्या-01)**

**प्रस्तर-95**

**ग्राम पंचायत- नेवादा विकास खण्ड- फूलपुर वर्ष-2019-20**

ग्राम पंचायत नेवादा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि; राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 1107247-00) के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1107247.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती नसीमा से रुपए 553623.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द शर्मा से रुपए 553623.50 किया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपत्ति संख्या-02)**

**प्रस्तर-96**

**ग्राम पंचायत- नोनियाडीह विकास खण्ड- फूलपुर वर्ष 2019-20**

ग्राम पंचायत नोनियाडीह के वर्ष 2019 -2020 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि; राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 120634.00) के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उवप्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 120634.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती तबुत्रिसा से रुपए 60317.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द शर्मा से रुपए 60317.00 किया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपत्ति संख्या-01)**

**प्रस्तर-97**

**ग्राम पंचायत- नोनियाडीह विकास खण्ड- फूलपुर वर्ष 2019-20**

ग्राम पंचायत नोनियाडीह के वर्ष 2019 -2020 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि; राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 801922.00) के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उवप्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 120634.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम

पंचायत प्रधान श्रीमती तबुन्निसा से रुपए 400961.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द शर्मा से रुपए 400961.00 किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-02)

#### प्रस्तर-98

ग्राम पंचायत- मखापुर विकास खण्ड- फूलपुर वर्ष 2019-20

ग्राम पंचायत मखापुर के वर्ष 2019 -2020 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि; राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 247677-00) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उवप्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 247677-00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राय साहब से रुपए 123838-00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द शर्मा से रुपए 123838-00 किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-01)

#### प्रस्तर-99

ग्राम पंचायत- मखापुर विकास खण्ड- फूलपुर वर्ष-2019-20

ग्राम पंचायत मखापुर के वर्ष 2019 -2020 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि; राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 1191006-00) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उवप्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1191006-00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राय साहब से रुपए 595503.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द शर्मा से रुपए 595503.00 किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-02)

#### प्रस्तर-100

ग्राम पंचायत- मानपुर विकास खण्ड- फूलपुर वर्ष 2019-20

ग्राम पंचायत मानपुर के वर्ष 2019 -2020 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि; राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 165388.00) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उवप्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु0 165388.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रुपए 82694-00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द शर्मा से रुपए 82694-00 किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-01)

#### प्रस्तर-101

ग्राम पंचायत- मानपुर विकास खण्ड- फूलपुर वर्ष 2019-20

ग्राम पंचायत मानपुर के वर्ष 2019 -2020 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि; राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 1171668-00) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उवप्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु0 1171668-00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रुपए 585834-00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द शर्मा से रुपए 585834-00 किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-01)

#### प्रस्तर-102

ग्राम पंचायत- तेन्दुआ तेजपुर विकास खण्ड- बिलरियागंज वर्ष-2019-20

दिनांक 20.03.2020 को ग्राम निधि प्रथम केशवुक में जू0हा0 स्कूल के कमरों में टाइल्स लगाया जाना दर्शित है, जिस पर रु0 13860.00 की ईट, रु0 50713.00 का बिलिंग मैटेरियल, रु0 130187.00 की टाइल्स एवं रु0 47690.00 मजदूरी पर व्यय दर्शित है। किन्तु लेखा परीक्षा में ईट, बिलिंग मैटेरियल एवं टाइल्स क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी से सम्बन्धित मस्टरोल प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल

के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए ₹0 242450.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 12)

#### प्रस्तर-103

ग्राम पंचायत- जोलहापुर विकास खण्ड- बिलरियागंज वर्ष-2019-20

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त एवं चौदहवां वित्त के अन्तर्गत ₹0 3228794.80 व्यय किया गया है। किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए ₹0 3228794.80 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बब्लू राय से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 12)

#### प्रस्तर-104

ग्राम पंचायत- कन्धरापुर विकास खण्ड- बिलरियागंज वर्ष-2019-20

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त एवं चौदहवां वित्त के अन्तर्गत ₹0 1946704.80 व्यय किया गया है। किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/मस्टरोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टाक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए ₹0 1946704.80 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्दन कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 12)

#### प्रस्तर-105

ग्राम पंचायत- जिगना करमनपुर विकास खण्ड- बिलरियागंज वर्ष-2019-20

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त एवं चौदहवां वित्त के अन्तर्गत ₹0 1397994.80 व्यय किया गया है। किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/मस्टरोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टाक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए ₹0 1397994.80 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री दीनकृपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्दन कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 12)

#### प्रस्तर-106

ग्राम पंचायत- गहूनपुर हिच्छनपट्टी विकास खण्ड- बिलरियागंज वर्ष 2019-20

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त एवं 14वां वित्त के अन्तर्गत ₹0 1669826.80 व्यय किया गया है। किन्तु व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/मस्टरोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टाक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए ₹0 1669826.80 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री केदार यादव एवं गा0 पं0 अधिकारी श्री चन्दन कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 12)

#### प्रस्तर-107

ग्राम पंचायत- संजरपुर विकास खण्ड- मिर्जापुर वर्ष 2019-20

सी0ए0जी0/अधिनियमां/नियमां/प्रिया सॉफ्ट/वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर-02 के अनुसार अभिलेखों का रख-रखाव अत्यंत ही असंतोषजनक है। सभी निर्धारित अभिलेख एवं प्रपत्र नहीं बनाए गए हैं। सीएजी द्वारा निर्धारित व प्रियासॉफ्ट विनिर्दिष्ट आठों अभिलेखों में मात्र आय एवं व्यय विवरण से सम्बन्धित (कैश बुक/आय व्यय) पंजिका नहीं बनाई गई है। इसके अतिरिक्त जो अभिलेख बनाए गए हैं उनमें कोई अंकन नहीं किया गया है ऑडिट में प्रमुख रूप से कैश बुक, एम0बी0 एवं बैंक स्टेटमेंट/पासबुक उपलब्ध कराई गई। कराये गये कार्यों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावलियां नहीं प्रस्तुत की गई। 2019-20 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय धनराशि ₹0 2800394.00 के सापेक्ष कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान हबीबुन्निसा व ग्राम पंचायत सचिव शशिकान्त की रही। ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-08)

#### प्रस्तर-108

ग्राम पंचायत- मीरपुर विकास खण्ड- मिर्जापुर वर्ष 2019-20

सी0ए0जी0/अधिनियमां/नियमां/प्रिया सॉफ्ट/वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर-02 के अनुसार अभिलेखों का रख-रखाव अत्यंत ही असंतोषजनक है। सभी निर्धारित अभिलेख एवं प्रपत्र नहीं बनाए गए हैं। सीएजी द्वारा निर्धारित व प्रियासॉफ्ट विनिर्दिष्ट आठों अभिलेखों में मात्र आय एवं व्यय विवरण से सम्बन्धित (कैश बुक/आय व्यय) पंजिका नहीं बनाई गई है। इसके अतिरिक्त जो अभिलेख बनाए गए हैं उनमें कोई अंकन नहीं किया गया है ऑडिट में प्रमुख रूप से कैश बुक, एम0बी0 एवं बैंक स्टेटमेंट/पासबुक उपलब्ध कराई गई। कराये गये कार्यों से सम्बन्धित व्यय









प्रमाणक/पत्रावलियां नहीं प्रस्तुत की गई। 2019-20 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय धनराशि ₹0 1020230.80 के सापेक्ष कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान फातिमा व ग्राम पंचायत सचिव दीपक पाल की रही। ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-08)

**प्रस्तर-128**

**ग्राम पंचायत- कैथौली विकास खण्ड-मिर्जापुर वर्ष 2017-18 से 2019-20**

सी0ए0जी0/अधिनियमां/नियमां/प्रिया सॉफ्ट/वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर-02 के अनुसार अभिलेखों का रख-रखाव अत्यंत ही असंतोषजनक है। सभी निर्धारित अभिलेख एवं प्रपत्र नहीं बनाए गए हैं। सीएजी द्वारा निर्धारित व प्रियासॉफ्ट विनिर्दिष्ट आठों अभिलेखों में मात्र आय एवं व्यय विवरण से सम्बन्धित (कैश बुक/आय व्यय) पंजिका नहीं बनाई गई है। इसके अतिरिक्त जो अभिलेख बनाए गए हैं उनमें कोई अंकन नहीं किया गया है ऑडिट में प्रमुख रूप से कैश बुक, एम0बी0 एवं बैंक स्टेटमेंट/पासबुक उपलब्ध कराई गई। कराये गये कार्यों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावलियां नहीं प्रस्तुत की गई। 2017-18 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय धनराशि ₹0 1447955.00 के सापेक्ष कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान धनमनी व ग्राम पंचायत सचिव परमेश्वरी दयाल राय की रही। ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-08)

**प्रस्तर-129**

**ग्राम पंचायत- बिजहरमैनुद्दीनपुर विकास खण्ड-मिर्जापुर वर्ष 2017-18 से 2019-20**

सी0ए0जी0/अधिनियमां/नियमां/प्रिया सॉफ्ट/वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर-02 के अनुसार अभिलेखों का रख-रखाव अत्यंत ही असंतोषजनक है। सभी निर्धारित अभिलेख एवं प्रपत्र नहीं बनाए गए हैं। सीएजी द्वारा निर्धारित व प्रियासॉफ्ट विनिर्दिष्ट आठों अभिलेखों में मात्र आय एवं व्यय विवरण से सम्बन्धित (कैश बुक/आय व्यय) पंजिका नहीं बनाई गई है। इसके अतिरिक्त जो अभिलेख बनाए गए हैं उनमें कोई अंकन नहीं किया गया है ऑडिट में प्रमुख रूप से कैश बुक, एम0बी0 एवं बैंक स्टेटमेंट/पासबुक उपलब्ध कराई गई। कराये गये कार्यों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावलियां नहीं प्रस्तुत की गई। 2017-18 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय धनराशि ₹0 2539749.80 के सापेक्ष कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान उदयभान व ग्राम पंचायत सचिव परमेश्वरी दयाल राय की रही। ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-08)

**प्रस्तर-130**

**ग्राम पंचायत- बकिया लक्षिरामपुर विकास खण्ड-मिर्जापुरवर्ष 2019-20**

वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय धनराशि ₹0 588962.00 के सापेक्ष कोई भी पत्रावली प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमितता की गयी, जिसके फलस्वरूप उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान निसार व ग्राम पंचायत सचिव शशिकांत की रही।

अतः ग्राम प्रधान निसार व ग्राम पंचायत सचिव शशिकांत से उक्त धनराशि बराबर-बराबर, ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-10)

**प्रस्तर-131**

**ग्राम पंचायत- मोहनपुर विकास खण्ड-मिर्जापुरवर्ष 2017-18 से 2019-20**

वर्ष 2017-18 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय धनराशि ₹0 3592577.21 के सापेक्ष कोई भी पत्रावली प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमितता की गयी, जिसके फलस्वरूप उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान सरोज, व ग्राम पंचायत सचिव हरेन्द्र कुमार की रही।

अतः ग्राम प्रधान सरोज व ग्राम पंचायत सचिव हरेन्द्र कुमार से उक्त धनराशि बराबर-बराबर, ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्र0सं0	वर्ष	व्यय धनराशि
1	2017-18	649592.00
2	2018-19	156352.21
3	2019-20	2786633.00
	योग	3592577.21

(मूलआपत्ति संख्या-08)

**प्रस्तर-132**

**ग्राम पंचायत- मिर्जापुर विकास खण्ड-मिर्जापुरवर्ष-2019-20**

वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय धनराशि ₹0 2043482.40 के सापेक्ष कोई भी पत्रावली प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमितता की गयी, जिसके फलस्वरूप उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान अलाउद्दीन व ग्राम पंचायत सचिव परमेश्वरी दयाल राय की रही।

अतः ग्राम प्रधान अलाउद्दीन व ग्राम पंचायत सचिव परमेश्वरी दयाल राय से उक्त धनराशि बराबर-बराबर, ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-08)

**प्रस्तर-133**

**ग्राम पंचायत- उत्तमा विकास खण्ड-मिर्जापुर वर्ष-2019-20**

वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरणानुसार कुल व्यय धनराशि ₹0 367091.00 के सापेक्ष कोई भी पत्रावली प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमितता की गयी, जिसके फलस्वरूप उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान अलाउद्दीन व ग्राम पंचायत सचिव परमेश्वरी दयाल राय की रही।

क्र0सं0	वर्ष	व्यय धनराशि
1	2019-20	367091.00
	<b>योग</b>	<b>367091.00</b>

अतः ग्राम प्रधान अलाउद्दीन व ग्राम पंचायत सचिव परमेश्वरी दयाल राय से उक्त धनराशि बराबर-बराबर, ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-07)

**प्रस्तर-134**

**ग्राम पंचायत- चमराडीह विकास खण्ड-मिर्जापुरवर्ष-2017-18 से 2019-20**

आलोच्य वर्ष 2017-18 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरणानुसार कुल व्यय धनराशि 5,097,101 ₹0 के सापेक्ष कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान अमृता व ग्राम पंचायत सचिव शैलेन्द्र मौर्या की रही। ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्र0	वर्ष	व्यय धनराशि
1	2017-18	1852187.00
2	2018-19	2055664.00
3	2019-20	1189250.00
	<b>योग</b>	<b>5097101.00</b>

(मूलआपत्ति संख्या-07)

**प्रस्तर-135**

**ग्राम पंचायत- सुरही खुर्द विकास खण्ड-मिर्जापुरवर्ष 2017-18 से 2019-20**

आलोच्य वर्ष 2017-18 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरणानुसार कुल व्यय धनराशि 3,233,566 के सापेक्ष कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई। जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान बुधिराम व ग्राम पंचायत सचिव जय सिंह की रही। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्र0	वर्ष	व्यय धनराशि
1	2017-18	1254312.00
2	2018-19	1737838.00
3	2019-20	241416.00
	<b>योग</b>	<b>3233566.00</b>

(मूलआपत्ति संख्या-07)

**प्रस्तर-136**

**ग्राम पंचायत- शेखुदासपुर विकास खण्ड- मेंहनगर वर्ष 2015-16 से 2019-20**

दिनांक 15.11.2017 को ₹0-20000/- प्रशासनिक व्यय तथा दिनांक 09-02-2017 को ₹0 15000.00 आनुषांगिक व्यय किया गया है, जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुआ। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (क) के अनुसार यदि लेखा परीक्षा में यदि प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो प्रमाणक की धनराशि को गबन मानते हुए वसूली की कार्यवाही की जाएगी। अतः ₹0 35000.00 का प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री राजाराम यादव व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-24)

**प्रस्तर-137**

**ग्राम पंचायत- शेखुदासपुर विकास खण्ड- मेंहनगर वर्ष 2015-16 से 2019-20**

दि० 09.02.2019 को प्रधान द्वारा मानदेय जुलाई 2018 से अक्टूबर 2018 तक का भुगतान रु० 14000.00 किया गया, दि० 30.03.2019 को अगस्त 2018 से मई 2019 तक रु० 31500.00 का भुगतान किया गया तथा दि० 06.01.2020 को फरवरी से दिसम्बर 2019 तक रु० 38500.00 का भुगतान किया गया है। दि० 30.03.2019 के मानदेय भुगतान में माह अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर 2018 सम्मिलित है। अतः तीन माह का रु० 10500.00 अधिक भुगतान किया गया है, पुनः 06.01.2020 के भुगतान में माह फरवरी, मार्च, अप्रैल सम्मिलित है, इसलिए रु० 10500.00 का दुबारा भुगतान किया गया है। इस प्रकार रु० 21000.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री राजाराम यादव व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सूरज कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-25)

**प्रस्तर-138**

**ग्राम पंचायत- शेखुदासपुर विकास खण्ड- मेंहनगर वर्ष 2015-16 से 2019-20**

कोषवही कि जाँच में पाया गया की दिनांक 19.11.2018 को रु० 90780.00 का ह्यूम पाइप क्रय किया गया है, जिसकी लगवाई पर मजदूरी का भुगतान कोषवही में दर्शित नहीं है, अतः रु० 90780.00 का ह्यूम पाइप क्रय कर प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा दुरुपयोग किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री राजाराम यादव व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-26)

**प्रस्तर-139**

**ग्राम पंचायत-हटवा खालसा विकास खण्ड- मेंहनगर वर्ष-2017-18 से 2019-20**

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार निम्नलिखित व्यय संस्था द्वारा किया गया जिसके व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये

दिनांक	विवरण	धनराशि
18.05.2017	स्टेशनरी	5000.00
11.07.2017	अभिलेखों की वार्षिक लेखा बन्दी	4000.00
23.11.2017	प्रशासनिक व्यय	20000.00
	<b>योग</b>	<b>29000.00</b>

अतः उपरोक्त व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके रु० 29000.00 का अपहरण कर लिया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अवधराज यादव व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-20)

**प्रस्तर-140**

**ग्राम पंचायत-हटवा खालसा विकास खण्ड- मेंहनगर वर्ष-2017-18 से 2019-20**

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(5) के अनुसार रु० 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाय तथा समय-समय पर आयकर व व्यापार कर विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यदि अपेक्षित हो तो ठेकेदारों के बिलों से आयका, व्यापार कर की कटौती सुनिश्चित की जाय। ग्राम पंचायत द्वारा एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से निम्नलिखित भुगतान नहीं किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

दिनांक	विवरण	चेक संख्या	धनराशि
09.02.2018	यशवन्त ईट उद्योग	10001635	90600.00
17.10.2018	मे० दुखरन ईट उद्योग	58025086	79170.00
25.10.2018	यशवन्त ईट उद्योग	58025088	79170.00
02.11.2018	यशवन्त ईट उद्योग	10003932	33673.00
02.11.2018	यशवन्त ईट उद्योग	10003931	39585.00
02.11.2018	सिंह सीमेंट एजेन्सी	10003933	25990.00
12.11.2018	यशवन्त ईट उद्योग	10003927	78378.00
25.07.2018	हर्ष ट्रेड्स सोलर लाइट	10008820	107500.00
	<b>योग</b>		<b>534066.00</b>

उपरोक्त के लिये प्रधान श्री अवधराज व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार द्वारा गंभीर अनियमितता की गयी है, आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-21)

**प्रस्तर-141**

**ग्राम पंचायत-पटना अहियाई विकास खण्ड- मेंहनगर वर्ष-2017-18 से 2019-20**

ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा फेंकू के घर से श्यामलाल के घर तक भूमिगत नाली निर्माण में ₹0 10352.00 मजदूरी की धनराशि को कोषवही में मजदूरों के खाते में दिनांक 22.12.2017 को ट्रांसफर अंकित किया गया है लेकिन उपरोक्त कार्य का मस्टररोल व एडवाईज लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुआ। अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8(क) के अनुसार मस्टररोल व बैंक एडवाईज/ट्रांसफर लिस्ट लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुआ। इसलिये प्रमाणक के अभाव में ₹0 10352.00 की व्याज सहित वसूली प्रधान श्री मनीश राय व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-20)

**प्रस्तर-142**

**ग्राम पंचायत-पटना अहियाई विकास खण्ड- मेंहनगर वर्ष-2017-18 से 2019-20**

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(5) के अनुसार ₹0 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाय तथा समय-समय पर आयकर व व्यापार कर विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यदि अपेक्षित हो तो ठेकेदारों के बिलों से आयकर, व्यापार कर की कटौती सुनिश्चित की जाय। ग्राम पंचायत द्वारा एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से निम्नलिखित भुगतान नहीं किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

दिनांक	विवरण	चेक संख्या	धनराशि
10.12.2018	अंश बी0के0ओ0	10010906	79857.00
10.12.2018	अंश बी0के0ओ0	10010904	93371.00
10.12.2018	अंश बी0के0ओ0	10010904	16145.00
10.12.2018	अंश बी0के0ओ0	10010904	22581.00
24.01.2019	धर्मेन्द्र यादव बी0के0ओ0	10010916	19933.00
12.02.2019	हर्ष ट्रेड्स	10012744	42000.00
22.02.2019	हर्ष ट्रेड्स	10012745	35500.00
26.03.2019	रितिक बिल्डिंग मैटेरियल	10012756	25507.00
29.03.2019	अंश बी0के0ओ0	21045744	19000.00
29.03.2019	अंश बी0के0ओ0	21045746	28938.00
29.03.2019	रितिक बिल्डिंग मैटेरियल	10012756	17042.00
		<b>योग</b>	<b>399874.00</b>

उपरोक्त भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक से न करके प्रधान श्री मनीष राय व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार द्वारा गंभीर अनियमितता की गयी है, आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-21)

**प्रस्तर-143**

**ग्राम पंचायत- धरनीपुर विषया विकास खण्ड- मुहम्मदपुर वर्ष-2019-20**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम निधि प्रथम के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक 14.05.2019 को चेक सं0 12014376 से ₹0 10,000/- अंश इण्टरप्राइजेज द्वारा आहरण दर्शित है; किन्तु कैश बुक में उक्त धनराशि का भुगतान सम्बन्धी विवरण अंकित नहीं किया गया है और न ही सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। अतः व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) के अधीन ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित धनराशि ₹0 10,000/- गबन की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती समहृति देवी और ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती रीता अस्थाना से व्याज सहित वसूली बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-04)

**प्रस्तर-144**

**ग्राम पंचायत- बेलहथा विकास खण्ड- रानी की सराय वर्ष-2019-20**

ग्राम पंचायत बेलहथा के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि, राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रूपया 69498.00 के आधार पर सम्पन्न कीगयी है, वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गई इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध नहीं है। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यापन कीजाँच न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क), बिंदु 87 के आलोक में व्यय धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 69498.00 कीव्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत प्रधान श्री हरिनाथ सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री कमलेश कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-01)















ग्राम पंचायत ऊँजी के वर्ष 2019-20 के. लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि, राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रूपय 193376.00 के आधार पर सम्पन्न कीगयी है, वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गई इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध नहीं है। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यापन कीजाँच न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतां में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क), बिंदु 87 के आलोक में व्यय धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 193376.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री चन्दन व ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती वन्दना सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-02)

#### प्रस्तर-181

##### ग्राम पंचायत- रूदरी विकास खण्ड- रानी की सराय वर्ष-2019-20

ग्राम पंचायत रूदरी के वर्ष 2019-20 के. लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि, राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रूपय 372340.00 के आधार पर सम्पन्न कीगयी है, वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गई इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध नहीं है। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यापन कीजाँच न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतां में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क), बिंदु 87 के आलोक में व्यय धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 372340.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रंगविजय सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री राजनाथ तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-01)

#### प्रस्तर-182

##### ग्राम पंचायत- रूदरी विकास खण्ड- रानी की सराय वर्ष-2019-20

ग्राम पंचायत रूदरी के वर्ष 2019-20 के. लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि, राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रूपय 2176698.00 के आधार पर सम्पन्न कीगयी है, वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गई इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध नहीं है। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यापन कीजाँच न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतां में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क), बिंदु 87 के आलोक में व्यय धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 2176698.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रंगविजय सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री राजनाथ तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-02)

#### प्रस्तर-183

##### ग्राम पंचायत-माधोपुर धरांग विकास खण्ड-लालगंज वर्ष 2019-20

माह जुलाई 2019 का मानदेय रू0 3500.00 दो बार, (1-जुलाई 2019 में 3500.00, दि0 03.08.2019 2-फरवरी 2020 में रू0 28000.00 दि0 07.03.2020) प्रधान को दिया गया है जो कि अनियमित है और उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान सुभाष और ग्राम पंचायत अधिकारी लालमन यादव से की जानी अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति सं0-06)

#### प्रस्तर-184

##### ग्राम पंचायत-इब्राहिमपुर विकास खण्ड- सठियांव वर्ष-2019-20

ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि, राज्य वित्त आयोग से प्राप्त रू0 375590.00 के आधार पर संपन्न किया गया है। वास्तव में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा व्यय की गयी इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक यथा बिल-बाउचर, एम0ब0ी तथा स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय की धनराशि रू0 375590.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन प्रधान-श्रीमती समीमुन निशा और ग्राम पंचायत सचिव-श्री वृजेश राव से किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति संख्या-6)

#### प्रस्तर-185

##### ग्राम पंचायत-इब्राहिमपुर विकास खण्ड- सठियांव वर्ष-2019-20

ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि, चौदहवे वित्त आयोग से प्राप्त रू0 4420242.00 के आधार पर संपन्न किया गया है। वास्तव में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा व्यय की गयी इस धनराशि रू0 4420242.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक यथा बिल-बाउचर, एम0ब0ी तथा स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उक्त व्यय की धनराशि रू0 4420242.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन प्रधान-श्रीमती समीमुन निशा और ग्राम पंचायत सचिव-श्री वृजेश राव से किया जाना अपेक्षित है।



अतः उक्त व्यय की धनराशि रु० 163808.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन प्रधान-श्री परमानन्द वर्मा और ग्राम पंचायत सचिव-श्री हरिराम यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(मूलआपत्ति सख्या-8)

**प्रस्तर सं०-192**

**ग्राम पंचायत- कस्बा फतेहपुर**

**विकास खण्ड-मार्टिनगंज**

**वर्ष-2019-20**

ग्राम पंचायत कस्बा फतेहपुर विकासखण्ड मार्टिनगंज जनपद- आजमगढ़ के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में वर्ष के दौरान हैण्डपम्प मरम्मत पर कोषबही के अनुसार कुल रु० 448320.00 व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	कैशबुक के अनुसार दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1.	29.04.2019	20000.00	इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत	-
2	15.05.2019	5000.00	इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत	-
	13.06.2019	5000.00	इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत	
	26.07.2019	76800.00	हैण्ड पम्प रिबोर	अभिषेक यादव कॉन्ट्रैक्टर
	27.02.2020	170760.00	हैण्ड पम्प रिबोर	-
	27.02.2020	170760.00	हैण्ड पम्प रिबोर	दक्ष इन्टर प्राइजेज
		448320.00		

**धनराशि शब्दों में ( चार लाख अड़तालिस हजार तीन सौ बीस मात्र)**

कोष-बही में दर्शित उक्त भुगतानित धनराशि-448320.00 में निम्नलिखित ऑडिटआपत्तियाँ पायी गई है -कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले०प०आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

- (1) कार्यवाही रजिस्टर
- (2) कार्ययोजना
- (3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
- (4) स्टीमेट एवं एम०बी०
- (5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
- (6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
- (7) स्टॉक रजि०
- (8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
- (9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि० ले०प० में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले०प० में अप्राप्त रहा।

(च) शासनादेश संख्या-आर०जी०एस०ए०/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत कस्बा फतेहपुर में व्यय दर्शित धनराशि कुल रु० 448320.00 (चार लाख अड़तालिस हजार तीन सौ बीस मात्र) गबन /अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती बबीता से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं0-193**

**ग्राम पंचायत- कस्बा फतेहपुर**

**विकास खण्ड-मार्टिनगंज**

**वर्ष-2019-20**

ग्राम पंचायत कस्बा फतेहपुर विकासखण्डमार्टिनगंज जनपद- आजमगढ़ के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रु0 249430.00 के अनुसार भुगतान व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत्/है-

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
.1	03.07.2019	25000.00	ग्राम पंचायत मे विभिन्न स्थानों पर जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप कार्य पर भुगतान	अभिषेक यादव कॉन्ट्रैक्टर
	03.07.2019	25000.00	ग्राम पंचायत मे विभिन्न स्थानों पर जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप कार्य पर भुगतान	अभिषेक यादव कॉन्ट्रैक्टर
	16.03.2020	33000.00	ग्राम पंचायत मे विभिन्न स्थानों पर जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप कार्य पर भुगतान	माँ दुर्गा इंटर प्राइजेज
	16.03.2020	166430.00	ग्राम पंचायत मे विभिन्न स्थानों पर जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप कार्य पर भुगतान	माँ दुर्गा इंटर प्राइजेज
		249430.00		

**धनराशि शब्दों में-(रु०दो लाख उन्चास चार सौ तीस मात्र )**

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि रु0 249430.00 निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

- (क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।
- (ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-
  - (1) कार्यवाही रजिस्टर (2) कार्ययोजना (3) स्टॉक रजिस्टर (4) कोटेशन पत्रावली (5) स्टीमेट एवं एम0बी0
  - (6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र (7) उपभोग प्रमाण-पत्र (8) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट
  - (9) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर (10) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।
- (ग) ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है
- (घ) ह्यूम पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।
- (ङ) ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।
- (च) ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।
- (ज) शासनदेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।
- (झ) ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत कस्बा फतेहपुर में व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रु0 249430.00 (रु०दो लाख उन्चास चार सौ तीस मात्र ) गबन / अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती बबीता से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं0-194**

**ग्राम पंचायत- कुम्भ**

**विकास खण्ड-मार्टिनगंज**

**वर्ष-2019-20**

1 पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों में (से सम्बन्धित पत्रावलियां) प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि (प्रस्तुत नहीं किये गये)

दिनांक	परियोजना/कार्य का नाम	व्यय धनराशि
--------	-----------------------	-------------

10.03.2020	जूनियर विद्यालय के बाउंड्री वाल निर्माण पर सामग्री क्रय	100973.00
10.03.2020	जूनियर विद्यालय के बाउंड्री वाल निर्माण पर ईट क्रय	112785.00
11.03.2020	विभिन्न स्थानों के लिये ह्यूम पाइप क्रय	106834.00
11.03.2020	बृजनाथ के घर से राजाराम के घर तक भूमिगत नाली निर्माण ह्यूम पाइप क्रय	75667.00
11.03.2020	बृजनाथ के घर से राजाराम के घर तक भूमिगत नाली निर्माण पर सामग्री क्रय	14694.00
11.03.2020	जगदीश के घर से मुख्तार के घर तक भूमिगत नाली निर्माण ह्यूम पाइप क्रय	50848.00
11.03.2020	जगदीश के घर से मुख्तार के घर तक भूमिगत नाली निर्माण ईट क्रय	14254.00
20.03.2020	जगदीश के घर से मुख्तार के घर तक भूमिगत नाली निर्माण ईट रोरी क्रय	11307.00
20.03.2020	साहब जान के घर से धोबहिया पोखरी तक नाली निर्माण पर ईट क्रय	10414.00
20.03.2020	साहब जान के घर से धोबहिया पोखरी तक नाली निर्माण पर ईट रोरी	14265.00
20.03.2020	साहब जान के घर से सोहन के घर तक खडंजा मरम्मत ईट क्रय	11459.00
	<b>योग -</b>	<b>523500.00</b>

उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा मे अपेक्षित / आवश्यक ऑफलाईन मूल अभिलेख यथा- टेण्डर / कोटेशन पत्रावली / व्यय प्रमाणक / पारित कार्य योजना / स्टीमेट / एम0 बी0 / कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ऑनलाईन / ऑफलाईन कैश बुक में दर्शित व्यय की पुष्टि हेतु वांछित मूल अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन मांग पत्र प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी को भेजा गया था। लेखा परीक्षा में वांछित मूल अभिलेख उपलब्ध कराया जाना प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी का दायित्व था। मूल अभिलेखों के अभाव में वित्तीय नियमों का पालन करते हुये व्यय नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं होती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त दर्शित कार्यों के सापेक्ष किसी भी प्रकार का मजदूरी भुगतान पूरे वर्ष नहीं किया गया है इस प्रकार उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय रु0 523500.00अपहरण है एवं अधिभार योग्य है जिस हेतु प्रधान श्रीमती आशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार सरोज उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 523500.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती आशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार सरोज से संयुक्त रूप से अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर सं0-195

ग्राम पंचायत- गोडहरा

विकास खण्ड-ठेकमा

वर्ष-2019-20

-पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।”परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों/ से सम्बन्धित पत्रावलियों) प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि( प्रस्तुत नहीं किये गये

दिनांक	परियोजना/कार्य का नाम	व्यय धनराशि
03.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	11000.00
25.07.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	11752.00
22.07.2019	6 अदद हैण्डपम्प रीबोर हेतु भुगतान	182400.00
27.07.2019	हैण्डपम्प रीबोर हेतु भुगतान मदीना हार्डवेयर को	108975.00
03.03.2020	हैण्डपम्प रीबोर हेतु मजदूरी भुगतान	44336.00
08.07.2019	हीरालाल विश्वकर्मा के घर से पोखरी तक नाली निर्माण पर सामग्री क्रय	49400.00
15.07.2019	हीरालाल विश्वकर्मा के घर से पोखरी तक नाली निर्माण पर सामग्री क्रय	35817.00
15.07.2019	हीरालाल विश्वकर्मा के घर से पोखरी तक नाली निर्माण पर सामग्री क्रय	13266.00
	<b>योग</b>	<b>456946.00</b>

उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा मे अपेक्षित / आवश्यक ऑफलाईन मूल अभिलेख यथा- टेण्डर / कोटेशन पत्रावली / व्यय प्रमाणक / पारित कार्य योजना / स्टीमेट / एम0 बी0 / कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ऑनलाईन / ऑफलाईन कैश बुक में दर्शित व्यय की पुष्टि हेतु वांछित मूल अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन मांग पत्र प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी को भेजा गया था। लेखा परीक्षा में वांछित मूल अभिलेख उपलब्ध कराया जाना प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी का दायित्व था। मूल अभिलेखों के अभाव में वित्तीय नियमों का पालन करते हुये व्यय नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय रु0 456946.00 अपहरण है एवं अधिभार योग्य है जिस हेतु प्रधान श्री संदीप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री परमानन्द पाण्डेय उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 456946.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री संदीप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री परमानन्द पाण्डेय से संयुक्त रूप से अद्यावधिक ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं0-196****ग्राम पंचायत- टेवखर****विकास खण्ड-मार्टिनगंज****वर्ष-2019-20**

1- ग्राम पंचायत टेवखर विकासखण्ड ठेकमा जनपद-आजमगढ़ के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20में वर्ष के दौरान हैण्डपम्प मरम्मत पर कोषबही के अनुसार कुल रु0 102000.00 व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	कैशबुक के अनुसार दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
.1	25.04.2019	25000.00	इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत	अज्ञात
2	10.05.2019	12000.00	इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत	अज्ञात
3	17.05.2019	65000.00	इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प रीबोर 2 नग	अज्ञात
		102000.00		

**धनराशि शब्दों में (एक लाख दो हजार मात्र)**

कोष-बही में दर्शित उक्त भुगतानित धनराशि-102000.00 में निम्नलिखित ऑडिटआपत्तियाँ पायी गई है-

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

- (क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
- (ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-
- (1) कार्यवाही रजिस्टर
  - (2) कार्ययोजना
  - (3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
  - (4) स्टीमेट एवं एम0बी0
  - (5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
  - (6) हैण्डमप खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
  - (7) स्टॉक रजि0
  - (8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
  - (9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली
- लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।
- (ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- (घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।
- (ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
- (च) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है। अतः उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत टेवखर में व्यय दर्शित धनराशि कुल रु0 102000.00 गबन अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं0-197****ग्राम पंचायत- टेवखर****विकास खण्ड-मार्टिनगंज****वर्ष-2019-20**

2- ग्राम पंचायत टेवखर विकासखण्ड ठेकमा जनपद-आजमगढ़ के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20में वर्ष के दौरान सोलर लाइट पर कोषबही के अनुसार कुल रु0 171600.00 व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	कैशबुक के अनुसार दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1	16.03.2020	171600.00	सोलर स्ट्रीट लाइट हेतु व्यय की गई धनराशि	अज्ञात

		171600.00	
--	--	-----------	--

**धनराशि शब्दों में (एक लाख एकहत्तर हजार छः सौ मात्र)**

- 1- ऑनलाईन पेमेंट के अनुसार दि को उक्त भुगतान आस्था इ0प्रा0 को किया गया 21-07-21 0है-जबकि शासनादेश सं0-33/2017/977/45 , वि 2017/दि ,अगस्त 2017 029तथा निदेशक यू/0पी0 नेडा के पत्र सं0-3599यूपी नेडा) एस0एस0एल0/डब्ल्यू एल 0ई0डी0/2018 के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्रों के क्रय अधिष्ठापन तथा मानक व गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने के लिए एक मात्र अधिकृत नोडल एजेंसी यू0पी0 नेडा द्वारा , ,निविदा के माध्यम से आपूर्ति स्थापना एवं पाँच वर्ष की काम्प्रीहेन्सिव वारण्टी के साथ प्रति संयंत्र नेडा की निर्धारित दर से क्रय किया जायपरन्तु ग्रा0पं0 द्वारा सोलर लाईट क्रय में मार्ग दर्शक सिध्दांत का पालन नहीं किया गया।
- 2- सौर संयंत्रों के अधिष्ठापन स्थलों की सूची ले0प0 में अप्राप्त।
- 3- उक्त धनराशि से कितने नग क्रय किया गया तथा उसके स्टॉक रजि में दर्ज कराये जाने की 0पुष्टि नहीं कराया गया।
- 4- त्रिस्तरीय फोटोग्राफ अप्राप्त।
- 5- काम्प्रीहेन्सिव वारंटी एवं तकनीकी अवयवों की सूची ले0प0 में अप्राप्त। ,

(क) शासनादेश सं -0आर 0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2मई के बिन्दु (3) के अनुसार कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण 2019 विहीन कार्य संदिग्ध है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है। अतः उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत टेवखर में व्यय दर्शित धनराशि कुल रु0 171600.00 गबन / अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं0-198**

**ग्राम पंचायत- टेवखर                      विकास खण्ड-मार्टिनगंज                      वर्ष-2019-20**

3- ग्राम पंचायत टेवखर विकासखण्ड ठेकमा जनपद- आजमगढ़ के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रु0 121000.00 के अनुसार भुगतान व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत्/है-

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
.1	21.03.2020	121000.00	विभिन्न स्थानों पर जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय	शुभम ट्रेडर्स
		121000.00		

**धनराशि शब्दों में-(रु० एक लाख इक्कीस हजार मात्र )**

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि रु0 121000.00 में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

- (क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।
- (ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-
  - (1) कार्यवाही रजिस्टर (2) कार्ययोजना (3) स्टॉक रजिस्टर (4) कोटेशन पत्रावली (5) स्टीमेट एवं एम0वी0
  - (6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र (7) उपभोग प्रमाण-पत्र (8) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट
  - (9) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर (10) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।
- (ग) ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है
- (घ) ह्यूम पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।
- (ङ) ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।
- (च) ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।
- (ज) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।
- (झ) ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत टेवखर में व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रु0 12100000. (रु० एक लाख इक्कीस हजार मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित तत्कालीनग्रामपंचायतसचिवश्रीविनय कुमार एवंग्रामप्रधानश्रीमती फूलमतीसे उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर सं0-199

ग्राम पंचायत- टेवखर

विकास खण्ड-मार्टिनगंज

वर्ष-2019-20

4-ग्राम पंचायत टेवखर विकासखण्ड ठेकमा जनपद- आजमगढ़ के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान नाली निर्माण कार्य पर कुल रु0 275906.00 के अनुसार भुगतान व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
20.02.2020	56586.00	परदेसी के घर से लाल सिंह के खेत तक नाली निर्माण कार्य पर सामग्री क्रय	आदर्श बिल्लिंग मैटेरियल्स
20.02.2020	59976.00	परदेसी के घर से लाल सिंह के खेत तक नाली निर्माण कार्य पर ईट क्रय	जगदंबा ट्रेडर्स
16.03.2020	26608.00	परदेसी के घर से लाल सिंह के खेत तक नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी व्यय	
20.02.2020	52968.00	हरदेव के खेत से फिरतू के खेत तक नाली निर्माण कार्य पर सामग्री क्रय	आदर्श बिल्लिंग मैटेरियल्स
20.02.2020	54390.00	हरदेव के खेत से फिरतू के खेत तक नाली निर्माण कार्य पर ईट क्रय	जगदंबा ट्रेडर्स
16.03.2020	25378.00	हरदेव के खेत से फिरतू के खेत तक नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी व्यय	
योग -	275906.00		

धनराशि शब्दों में-(रु० एक लाख इक्कीस हजार मात्र )

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 275906.00 के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0आपतियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

- (1) कार्यवाही रजिस्टर।
- (2) कार्ययोजना।
- (3) स्टीमेट एवं एम0बी0।
- (4) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र।
- (5) टेंडर/कोटेशन पत्रावली अप्रस्तुत रहा।
- (6) स्टॉक रजि0।
- (7) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

उपरोक्त प्रमाणक/अभिलेख अप्रस्तुत रहने के कारण दर्शित व्यय के पुष्टि नहीं हो सकी। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 अनुसार ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिवसे संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 अनुसार यदि दर्शाये गए के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिवग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतएव उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 275906.00 गबन/अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली तातारीख व्याज सहित तत्कालीनग्रामपंचायतसचिवश्रीविनय कुमार एवंग्रामप्रधानश्रीमती फूलमती से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर सं0-200

ग्राम पंचायत- नरई सुल्तानपुर

विकास खण्ड-मार्टिनगंज

वर्ष-2019-20

1-ग्राम पंचायत नरई सुल्तानपुर विकासखण्ड मार्टिनगंज जनपद-आजमगढ़ के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20में वर्ष के दौरान हैन्डपम्प मरम्मत पर कोषबही के अनुसार कुल रु0 291750.00 व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	कैशबुक के अनुसार दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
.1	02.07.2019	120000.00	इण्डिया मार्का हैन्ड पम्प मरम्मत	माँ दुर्गा ट्रेडर्स

2	30.03.2020	171750.00	इण्डिया मार्का हैन्ड पम्प मरम्मत	माँ दुर्गा ट्रेडर्स
		291750.00		

**धनराशि शब्दों में** (दो लाख इक्यानवे सात सौ पचास मात्र)

कोष-बही में दर्शित उक्त भुगतानित धनराशि-291750.00 में निम्नलिखित ऑडिटआपत्तियाँ पायी गई है-

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

- (क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
- (ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-
- (1) कार्यवाही रजिस्टर
  - (2) कार्ययोजना
  - (3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
  - (4) स्टीमेट एवं एम0बी0
  - (5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
  - (6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
  - (7) स्टॉक रजि0
  - (8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
  - (9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली
- लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।
- (ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- (घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।
- (ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
- (च) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के विन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।
- लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।
- उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है।
- अतः उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत नरई सुल्तानपुर में व्यय दर्शित धनराशि कुलरु0 291750.00 (दो लाख इक्यानवे सात सौ पचास मात्र) गबन /अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री पोल्हावन से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं0-201**

**ग्राम पंचायत- नरई सुल्तानपुर**

**विकास खण्ड-मार्टिनगंज**

**वर्ष-2019-20**

2- ग्राम पंचायत नरई सुल्तानपुर विकासखण्डमार्टिनगंज जनपद- आजमगढ़ के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रु0 182875.00 के अनुसार भुगतान व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत्/है-

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
01	26.03.2020	182875.00	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप कार्य पर भुगतान	सीता देवी इन्टर प्राइजेज
		182875.00		

**धनराशि शब्दों में**-(रु० एक बयासी आठ सौ पचहत्तर मात्र )

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि रु0 182875.00में निम्नलिखितआपत्तियाँ पाई गई हैं-

- (क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।
- (ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-
- (1) कार्यवाही रजिस्टर (2) कार्ययोजना (3) स्टॉक रजिस्टर (4) कोटेशन पत्रावली (5) स्टीमेट एवं एम0बी0

- (6) कार्यपूति प्रमाण-पत्र (7) उपभोग प्रमाण-पत्र (8) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट  
 (9) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर (10) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।  
 (ग) ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषवही में नहीं किया गया है  
 (घ) ह्यूम पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषवही में दर्शित नहीं है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।  
 (ङ) ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषवही में दर्शित नहीं किया गया।  
 (च) ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।  
 (ज) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।  
 (झ) ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत नरई सुल्तानपुर में व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रु0 182175.00 (रु एक बयासी आठ सौ पचहत्तर मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री पोल्हावन से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

## प्रस्तर सं0-202

ग्राम पंचायत- बरसावा विकास खण्ड-ठेकमा

वर्ष-2019-20

1-ग्राम पंचायत बरसावा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ई- ग्राम स्वराज पर उपलब्ध ऑनलाईन कैश बुक के अनुसार भिन्न भिन्न योजना नर्तगत रु0 560046.00 का व्यय पाया गया। योजनावार व्यय का विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	परियोजना/कार्य का नाम	चेक सं0	व्यय धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	योजना का नाम
04.07.2019	वनदेवी पोखरी पर घाट का निर्माण कार्य पर मजदूरी	937677	45000.00	नगद	14वां वित्त
04.07.2019	वनदेवी पोखरी पर घाट का निर्माण कार्य पर मैटेरियल्स भुगतान	937676	45000.00	टुन्ना बिल्लिंग मैटेरियल्स	14वां वित्त
04.07.2019	वनदेवी पोखरी पर घाट का निर्माण कार्य पर ईट का भुगतान	937675	85000.00	जय माँ दुर्गा ईट उद्योग	14वां वित्त
04.07.2019	2 नग इण्डिया हैंडपंप रीबोर का कार्य	937673	76600.00	सागर हार्डवेयर	14वां वित्त
04.07.2019	प्रशासनिक व्यय	937672	11400.00	नगद	14वां वित्त
10.12.2019	राजाराम के चक से राजदेव के चक तक खड्डा निर्माण पर ईट क्रय	पीएफएमएस	121038.00	जय माँ दुर्गा ईट उद्योग	14वां वित्त
10.12.2019	राजाराम के चक से राजदेव के चक तक खड्डा निर्माण पर मजदूरी	पीएफएमएस	39424.00	-	14वां वित्त
20.01.2020	ग्राम पंचायत में शिवशंकर राय, राजेश राय, जय प्रकाश यादव के घर के सामने हैंडपंप रीबोर का कार्य	पीएफएमएस	114000.00	सागर हार्डवेयर	14वां वित्त
24.03.2020	परिवार रजिस्टर बनवाने और आनलाइन कराने का भुगतान	पीएफएमएस	16200.00	हिन्द इंटर प्राइसेस	14वां वित्त
25.03.2020	ग्राम पंचायत में टेंडर का भुगतान	पीएफएमएस	6384.00	न्यू भास्कर ग्रामीण प्रकाशन	14वां वित्त
		योग	560046.00		

उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा में अपेक्षित / आवश्यक ऑफलाईन मूल अभिलेख यथा- कोष वही/टेंडर / कोटेशन पत्रावली / व्यय प्रमाणक / पारित कार्य योजना / स्टीमेट / एम0 बी0 / कार्यपूति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ऑनलाईन / ऑफलाईन कैश बुक में दर्शित व्यय की पुष्टि हेतु वांछित मूल अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन मांग पत्र प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी को भेजा गया था। लेखा परीक्षा में वांछित मूल अभिलेख उपलब्ध कराया जाना प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी का दायित्व था। मूल अभिलेखों के अभाव में वित्तीय नियमों का

पालन करते हुये व्यय नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय रु0 560046.00 अनियमित है जिस हेतु प्रधान श्री पन्चा यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गुलाब चंद्र शर्मा उत्तरदायी हैं। अतएव उत्तरदायी प्रधान श्री पन्चा यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गुलाब चंद्र शर्मा के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं0-203**

**ग्राम पंचायत- बौवापार**

**विकास खण्ड-ठेकमा**

**वर्ष-2019-20**

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों/ से सम्बन्धित पत्रावलि/प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि( प्रस्तुत नहीं किये गये

दिनांक	परियोजना/कार्य का नाम	चेक सं0	व्यय धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	सचिव का नाम
10.05.2019	प्रा0 पाठशाला व उ0 मा0 विद्यालय पर समरसेबल रैम्प टंकी हेतु	26723 26722 26725	7000.00 25000.00 15000.00	राम अवतार	शिवनाथ सरोज
12.06.2019	प्रा0 पाठशाला व उ0 मा0 विद्यालय पर समरसेबल रैम्प टंकी हेतु बकाया धन	26726	15000.00	राम अवतार	शिवनाथ सरोज
12.06.2019	चुनाव हेतु व्यवस्था पर खर्च	26727	15000.00	राम अवतार	शिवनाथ सरोज
25.07.2019	रामानंद के घर से पप्पू तिवारी के चक तक खड़जा मरम्मत सामग्री	26740	76167.00	श्याम	शिवनाथ सरोज
25.07.2019	रामानंद के घर से पप्पू तिवारी के चक तक खड़जा मरम्मत मजदूरी भुगतान	26741	70980.00	राम अवतार	शिवनाथ सरोज
10.12.2019	अवनीश तिवारी के घर से भोले के घर तक खड़जा मरम्मत ईंट क्रय	पीएफएमएस	55371.00	राजेश सिंह ईंट भट्टा	धन बहादुर
10.12.2019	अवनीश तिवारी के घर से भोले के घर तक खड़जा मरम्मत में मजदूरी	पीएफएमएस	27656.00	-	धन बहादुर
11.03.2020	भोले तिवारी के घर से मंदिर तक खड़जा मरम्मत ईंट क्रय	पीएफएमएस	55650.00	राजेश सिंह ईंट भट्टा	धन बहादुर
11.03.2020	भोले तिवारी के घर से मंदिर तक खड़जा मरम्मत मजदूरी	पीएफएमएस	31948.00	-	धन बहादुर
		योग	394772.00		

उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा में अपेक्षित / आवश्यक ऑफलाईन मूल अभिलेख यथा- टेण्डर / कोटेशन पत्रावली / व्यय प्रमाणक / पारित कार्य योजना / स्टीमेट / एम0 बी0 / कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ऑनलाईन / ऑफलाईन कैश बुक में दर्शित व्यय की पुष्टि हेतु वांछित मूल अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन मांग पत्र प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी को भेजा गया था। लेखा परीक्षा में वांछित मूल अभिलेख उपलब्ध कराया जाना प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी का दायित्व था। मूल अभिलेखों के अभाव में वित्तीय नियमों का पालन करते हुये व्यय नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय रु0 394772.00 अपहरण है एवं अधिभार योग्य है जिस हेतु प्रधान श्री राम अवतार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवनाथ सरोज तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धन बहादुर उत्तरदायी हैं।

अतः उक्त धनराशि रु0 394772.00 में से रु0 224147.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री राम अवतार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवनाथ सरोज एवं रु0 170625.00 की वसूली श्री राम अवतार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धन बहादुर से संयुक्त रूप से अद्यावधिक व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं0-204**

**ग्राम पंचायत- यूसूफपुर खानपुर**

**विकास खण्ड-मार्टिनगंज**

**वर्ष-2019-20**

- ग्राम पंचायत यूसूफपुर खानपुर विकास खण्ड मार्टिनगंज जनपद आजमगढ़ के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में वर्ष के दौरान हैण्डपम्प मरम्मत/रीबोर पर कोषबही के अनुसार कुल रु0 192500.00 व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र.सं.	कैशबुक के अनुसार दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
---------	-------------------------	--------	-------	----------------------------

.1	03.07.2019	25000.00	इण्डिया मार्का हैन्ड पम्प मरम्मत	अज्ञात
2	22.07.2019	33500.00	इण्डिया मार्का हैन्ड पम्प रीबोर 1 नग	अज्ञात
3	24.07.2019	134000.00	इण्डिया मार्का हैन्ड पम्प रीबोर 4 नग	अज्ञात
	योग	192500.00		

कोष-बही में दर्शित उक्त भुगतानित धनराशि-192500.00 में निम्नलिखित ऑडिटआपत्तियाँ पायी गई है-

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

- (क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
- (ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-
- (1) कार्यवाही रजिस्टर
  - (2) कार्ययोजना
  - (3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
  - (4) स्टीमेट एवं एम0बी0
  - (5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
  - (6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
  - (7) स्टॉक रजि0
  - (8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
  - (9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली
- लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।
- (ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- (घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।
- (ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
- (च) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत यूसुफपुर खानपुर में व्यय दर्शित धनराशि रु0 192500.00 गबन /अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सीता से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली1947 केनियमसंख्या 256 से 259 के प्राविधानकेअनुसारकियाजानाअपेक्षितहै।

#### प्रस्तर सं0-205

ग्राम पंचायत- यूसुफपुर खानपुर विकास खण्ड-मार्टिनगंज वर्ष-2019-20

ग्राम पंचायत यूसुफपुर खानपुर विकासखण्ड मार्टिनगंज जनपद- आजमगढ़ के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20में वर्ष के दौरान सोलर लाइटपर कोषबही के अनुसार कुल रु0 584100.00 व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	कैशबुक के अनुसार दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1.	25.7.2019	197100.00	सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापना 9 नग	गौरव इंजीनियरिंग वर्क्स
2	30.03.2020	193500.00	सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापना 9 नग	नव दुर्गा ट्रेडर्स
3	30.03.2020	193500.00	सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापना 9 नग	नव दुर्गा ट्रेडर्स
	योग	584100.00		

कोष-बही में दर्शित उक्त भुगतानित धनराशि-584100.00 में निम्नलिखित ऑडिटआपत्तियाँ पायी गई है-

ऑनलाईन पेमेंट के अनुसार दि को उक्त भुगतान आस्था इ0प्रा0 को किया गया 21-07-21 0है-जबकि शासनादेश सं0-33/2017/977/45 ,वि 2017/ दि ,अगस्त 2017 029तथा निदेशक यू/0पी0 नेडा के पत्र सं0-3599यूपी नेडा) एस0एस0एल0/डब्ल्यू एल 0ई0डी0/2018 के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्रों के क्रय अधिष्ठापन तथा मानक व गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने के लिए एक मात्र अधिकृत नोडल एजेंसी यू0पी0 नेडा द्वारा निविदा के ,

माध्यम से आपूर्ति स्थापना एवं पाँच वर्ष की काम्प्रीहेन्सिव वारण्टी के साथ प्रति संयंत्र नेडा की निर्धारित दर से क्रय किया जाय, परन्तु ग्रा0पं0 द्वारा सोलर लाईट क्रय में मार्ग दर्शक सिध्दांत का पालन नहीं किया गया।

6- सौर संयंत्रों के अधिष्ठापन स्थलों की सूची ले0प0 में अप्राप्त।

7- उक्त धनराशि से कितने नग क्रय किया गया तथा उसके स्टाक रजि में दर्ज कराये जाने की 0पुष्टि नहीं कराया गया।

8- त्रिस्तरीय फोटोग्राफ अप्राप्त।

9- काम्प्रीहेन्सिव वारंटी एवं तकनीकी अवयवों की सूची ले0प0 में अप्राप्त। ,

(ख) शासनादेश सं -0आर 0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2मई के विन्दु (3) के अनुसार कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण 2019 विहीन कार्य संदिग्ध है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है। अतः उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत यूसुफपुर खानपुर में व्यय दर्शित धनराशि कुल रू0 584100.00 गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सीता से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर सं0-206

ग्राम पंचायत- सहोपट्टी

विकास खण्ड-ठेकमा

वर्ष-2019-20

1 पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों/ से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) प्रस्तुत नहीं किये गये

दिनांक	परियोजना/कार्य का नाम	व्यय धनराशि
05.04.2019	आर सी सी रोड से राम बचन के घर तक खडंजा निर्माण पर ईट क्रय	49000.00
22.07.2019	आर सी सी रोड से राम बचन के घर तक खडंजा निर्माण पर ईट क्रय	16800.00
04.04.2019	आर सी सी रोड से राम बचन के घर तक खडंजा निर्माण पर मजदूरी	7315.00
22.07.2019	आर सी सी रोड से राम बचन के घर तक खडंजा निर्माण पर मजदूरी	18675.00
25.07.2019	मानदेय प्रधान 08/2019 से 12/2019 तक	17500.00
07.03.2020	06 नग हैण्डपम्प रीबोर	214583.00
24.03.2020	05 नग हैण्डपम्प रीबोर	191800.00
	<b>योग</b>	<b>515673.00</b>

उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा में अपेक्षित / आवश्यक ऑफलाईन मूल अभिलेख यथा- टेण्डर / कोटेशन पत्रावली / व्यय प्रमाणक / पारित कार्य योजना / स्टीमेट / एम0 बी0 / कार्यपूति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि ऑनलाईन / ऑफलाईन कैश बुक में दर्शित व्यय की पुष्टि हेतु वांछित मूल अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन मांग पत्र प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी को भेजा गया था। लेखा परीक्षा में वांछित मूल अभिलेख उपलब्ध कराया जाना प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी का दायित्व था। मूल अभिलेखों के अभाव में वित्तीय नियमों का पालन करते हुये व्यय नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय रू0 515673.00 अपहरण है एवं अधिभार योग्य है जिस हेतु प्रधान श्री लल्लन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धन बहादुर उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0 515673.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री लल्लन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धन बहादुर से संयुक्त रूप से अद्यावधिक व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रारूप-4

### त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2019-20

जनपद-बलिया

संभाग- आजमगढ़

1. ग्राम पंचायत का नाम - ख्वासपुर

विकास खण्ड - मुरलीछपरा

### प्रस्तर-1

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत खवासपुर में आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त एवं चैकदहवे वित्त के अन्तर्गत कुल रू0 972438-00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया है। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 कटौती से सम्बन्धित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय दर्शित समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनारी देवी एवं सचिव श्री प्रमोद कुमार एवं श्री अरविन्द मौर्य से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर-2

वित्त वर्ष 2018-19 में आनलाइन कैशबुक में क्लोजिंग बैलेन्स रू0 374990-00 था जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में ओपनिंग बैलेन्स रू0 74990-00 है, इस प्रकार पिछले वर्ष की क्लोजिंग बैलेन्स को अगले वर्ष की ओपनिंग बैलेन्स में नहीं लिया गया है और दोनों में रू0 300000-00 का अन्तर है। इस प्रकार वित्त वर्ष 2018-19 के क्लोजिंग बैलेन्स को वित्त वर्ष 2019-20 के ओपनिंग बैलेन्स में न लेकर रू0 300000-00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सुनारी देवी एवं सचिव श्री प्रमोद कुमार उत्तरदायी है। वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

## 2. ग्राम पंचायत का नाम - सूर्यभानपुर

## विकास खण्ड - मुरलीछपरा

### प्रस्तर 3

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत में आलोच्य वर्ष 2019-20 में चैकदहवे वित्त के अन्तर्गत कुल रू01874242.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया है। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 कटौती से सम्बन्धित प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय दर्शित समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री अजित कुमार मिश्र एवं सचिव श्री प्रमोद कुमार एवं श्री अशोक कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर- 4

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत में आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त के अन्तर्गत कुल रू0 27550.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया है। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 कटौती से सम्बन्धित प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय दर्शित उक्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री अजित कुमार मिश्र एवं सचिव श्री प्रमोद कुमार एवं श्री अशोक कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

## 3. ग्राम पंचायत का नाम - चांद दीयर

## विकास खण्ड - मुरलीछपरा

### प्रस्तर-5

ग्राम पंचायत में राज्य वित्त के अन्तर्गत कैशबुक निम्नलिखित कार्यों पर धन व्यय दर्शित है-

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि
1	21-02-2020	हैण्ड पम्प रिवोर	198030.00
2	29-02-2020	हैण्ड पम्प रिवोर	198030.00
3	28-03-2020	हैण्ड पम्प रिवोर	184611.00
4	31-03-2020	स्वच्छता हेतु भुगतान	198500.00

योग-779171.00

उपर्युक्त दर्शित कार्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपतियाँ पायी गयी हैं-

- 1 ग्राम सभा के कार्य प्रस्ताव का विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।
- 2 वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्र एवं कार्यपूति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे।
- 3 टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी है।
- 4 हैण्ड पंप रिबोर में अलग-अलग वर्क आई.डी. बनाकर धन आहरित किया गया है।
- 5 ई स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक/वाउचर डिटेल में हैंडपंप रिबोर की सं० एवं स्थान का विवरण दर्शित नहीं है।
- 6 क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः नियमों का पालन न करके एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके रु० 779171.00 का अपहरण किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। अतः उक्त नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु० 779171.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी एवं सचिव श्री राज कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-6**

ग्राम पंचायत में चौदहवां वित्त के अन्तर्गत कैशबुक में निम्नलिखित कार्यों पर धन व्यय दर्शित है-

रु०

सं०	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि
1	3-7-2019	टाइल्स कार्य पर व्यय	182000.00
2	29-7-2019	हाई मास्ट लाइट स्थापना कार्य	600000.00
3	29-7-2019	पूर्व मा०चकदीयर में टाइल्स कार्य	163700.00
4	30-7-2019	हैण्ड पंप रिबोर कार्य	499000.00
5	6-11-2019	हाई मास्ट लाइट स्थापना कार्य	640000.00
6	6-11-2019	सोलर लाइट स्थापना कार्य	1398600.00
7	30-7-2019	सीमेंट बेंच स्थापना कार्य	594000.00
8	01-11-2019	सीमेंट बेंच स्थापना कार्य	594000.00
		योग-	4671300.00

उपर्युक्त दर्शित कार्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपतियाँ पायी गयी हैं-

- 1 ग्राम सभा के कार्य प्रस्ताव का विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।
- 2 वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्र एवं कार्यपूति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे।
- 3 टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी।
- 4 एक ही प्रकार के कार्य को अलग वर्क आई०डी० बनाकर धन आहरित किया गया है।
- 5 ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक/वाउचर डिटेल में सोलर लाइट हाई मास्टर लाइट, सीमेंट बेंच, हैण्ड पंप रिबोर की सं० एवं स्थान का विवरण दर्शित नहीं है।
- 6 सोलर लाइट का क्रय नेडा से न करके प्राइवेट संस्था से किया गया है।
- 7 क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः नियमों का पालन न करके एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके रु० 4671300.00 का अपहरण किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। उक्त नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु० 4671300.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी एवं सचिव श्री प्रमोद कुमार एवं श्री राज कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-7**

पंचायत राज अनुभाग-7 के शासनादेश सं० 2686/37/07/2011-752 पं० रा० जी०ए०-2011 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के अनुसार ग्राम प्रधान को मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान वियरर चेक से न किया जाए। इसी के अनुसार श्रमिकों को नगद भुगतान न करके सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता का संचालन कर ही भुगतान उनके खाते में किया जाए। इस शासनादेश के द्वारा प्रधान के नगद आहरण

पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। किन्तु ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत कार्य में सामग्री एवं मजदूरी हेतु ₹0 213000.00 का भुगतान प्रधान द्वारा नकद धन आहरित कर किया गया है। साथ ही लेखा परीक्षा में मरम्मत स्थल का विवरण एवं मरम्मत के सम्बन्ध में लाभाथियों का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन- किन स्थलों के हैंडपंप खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय हैंडपंप मरम्मत के लिए किया गया है। कार्य स्थल का निर्धारण किए बिना कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार नियम के विरुद्ध भुगतान कर ₹0 213000.00 की अनियमितता की गयी है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी एवं सचिव श्री प्रमोद कुमार एवं श्री राज कुमार उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 4.ग्राम पंचायत का नाम - रामपुर कोडरहा

#### विकास खण्ड - मुरलीछपरा

##### प्रस्तर- 8

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत रामपुर कोडरहा में आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/चौदहवां वित्त के अन्तर्गत ₹0 726233-00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया है, किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय दर्शित समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञान्ती देवी एवं सचिव श्री अजीत कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### 5. ग्राम पंचायत का नाम - लक्ष्मीपुर

#### विकास खण्ड - मुरलीछपरा

##### प्रस्तर- 9

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त के अन्तर्गत कुल ₹0 66903.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया है। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, एम.बी. कार्यपूति प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 कटौती एवं जमा से सम्बन्धित प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय दर्शित समस्त धनराशि ₹0 66903.00 को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री चुनमुन राम एवं सचिव श्री दिग्विजय सिंह एवं श्री अशोक कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

##### प्रस्तर- 10

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ई ग्राम स्वराज पर दर्शित कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में आलोच्य वर्ष 2019-20 में चौदहवां वित्त के अन्तर्गत कुल ₹0 834755.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया है। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र जी.एस.टी कटौती एवं जमा से सम्बन्धित प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय दर्शित समस्त धनराशि ₹0 834755.00 को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री चुनमुन राम एवं सचिव श्री दिग्विजय सिंह एवं श्री अशोक कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### 6.ग्राम पंचायत का नाम - श्रीपतिपुर

#### विकास खण्ड - मुरलीछपरा

##### प्रस्तर- 11

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत श्रीपतिपुर में आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/ चौदहवां वित्त के अंतर्गत कुल ₹01067810.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया है। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः व्यय प्रमाणक

के अभाव में व्यय दर्शित समस्त धनराशि रु0 1067810.00 को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुनील साहनी एवं सचिव श्री अशोक कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### 7.ग्राम पंचायत का नाम - भोजपुर

#### विकास खण्ड - मुरलीछपरा

##### प्रस्तर- 12

ग्राम पंचायत में चौदहवांवित्त के अतंगत निम्नलिखित कार्यों पर धन व्यय किया गया है-

क्रमांक	दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि
1	13-12-2019	सीमेंट बेंच स्थापना	90000.00
2	13-12-2019	सीमेंट बेंच स्थापना	180000.00
3	15-03-2020	प्रा0 प्रा0 भोजपुर में बेंच स्थापना	110000.00
4	08-03-2020	हाई मास्ट लाईट स्थापना	<u>155000.00</u>
योग-			535000.00

उपर्युक्त दर्शित कार्यों के संबंध में निम्नलिखित आपत्ति पायी गयी है-

- 1 ग्राम सभा के कार्य प्रस्ताव का विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।
- 2 वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति से संबंधित पत्र एवं कार्यपूति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे।
- 3 टेंडर से सम्बंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है।
- 4 क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार उक्त नियमों का पालन न करके एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके रु0 535000.00 का अपहरण किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। उक्त नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु0 535000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रमावती देवी एवं सचिव श्री अशोक कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### 8.ग्राम पंचायत का नाम - वाजिदपुर

#### विकास खण्ड - मुरलीछपरा

##### प्रस्तर- 13

ग्राम पंचायत वाजिदपुर में आलोच्य वर्ष 2019--2020 में चौदहवांवित्त के अतंगत कुल रु0735599.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया है। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय दर्शित समस्त धनराशि रु0 735599.00 को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सत्येन्द्र सिंह एवं सचिव श्री अजीत कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

##### प्रस्तर- 14

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत वाजिदपुर में आलोच्य वर्ष 2019-2020 में राज्य वित्त के अतंगत कुल रु0 44500.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया है। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय दर्शित समस्त धनराशि रु0 44500.00 को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सत्येन्द्र सिंह एवं सचिव श्री अजीत कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### 9.ग्राम पंचायत का नाम - शिवपुर उर्फ कर्ण छपरा

#### विकास खण्ड - मुरलीछपरा

##### प्रस्तर- 15

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर (5)के अनुसार रु0 2000.00 से अधिक की सामग्री का भुगतान एकाउंट पेयी चेक से फर्म को किया जाए। ई ग्राम स्वराज पर अंकित वाउचर विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत में हैंडपंप रिबोर हेतु रु0 197875.00 का भुगतान चौदहवांवित्त से ग्राम प्रधान को नगद दिया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा कोई अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार

यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

अतः उक्त नियम के आलोक में हैंडपंप रिबोर पर दर्शित व्यय धनराशि ₹0 197875.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार सिंह एवं सचिव श्री संजय चैरसिया से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**10.ग्राम पंचायत का नाम - सोनबरसा**

**विकास खण्ड - मुरलीछपरा**

**प्रस्तर- 16**

ग्राम पंचायत सोनबरसा में राज्य वित्त एवं चौदहवां वित्त के अंतर्गत कैशबुक में विभिन्न तिथियों में निम्नलिखित कार्यों पर धन व्यय दर्शित है-

क्र०सं०.	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	योग
1	पशु आश्रम पर व्यय	531065	77488.00	608553.00
2	वाटर टैंक निर्माण	33643.00	16650.00	50293.00
3	वार्षिक कार्ययोजना की फीडिंग	-	-	24000.00
4	सीमेंट बेंच	-	-	552000.00
5	श्री निवास के घर से चंद्रमा के घर तक पेवर्स मरम्मत	116706.00	-	116706
6	श्री अरूण केसरी के घर से श्रीपति के घर तक पेवर्स मरम्मत	365348.00	-	365348.00
7	पी०डब्लू०डी० रोड से जय प्रकाश यादव के घर होते हुए छोटक यादव के घर तक पेवर्स मरम्मत कार्य	197032.00	-	197032.00
8	श्रीरामनाथ के घर से पन्ना लाल केसरी के घर तक नाली मरम्मत	141086.00	-	141086.00
9	पन्ना लाल केसरी के घर से ग्राम समाज के गड्डे तक नाली मरम्मत	258085.00	-	258085.00
10	पूर्व मा० वि०रामनगर में टाइल्स कार्य	304372.00	70000.00	374372.00
11	श्री किशुन के घर से पन्ना लाल केसरी के घर तक नाली मरम्मत	176154.00	-	176154.00
12	कमलेश्वर धोबी के घर से डेमन के घर तक ढक्कन सहित नाली मरम्मत कार्य	76721.00	-	76721.00
13	सिंधु यादव के घर से वैजू यादव के घर तक पेवर्स मरम्मत कार्य	147347.00	-	147347.00
14	कमलेश्वर धोबी के घर से प्रेम के घर तक पेवर्स मरम्मत कार्य	107040.00	-	107040.00
15	अरूण केसरी के घर से श्रीपति यादव के घर तक नाली मरम्मत	45593.00	38000.00	83593.00
16	श्री रामनाथ के घर से विश्वनाथ सिंह के घर होते हुए श्री किशुन के घर तक नाली मरम्मत	53960.0	-	53960.00
17	पी०डब्लू०डी० रोड से मनबोध सिंह के घर तक पेवर्स	102620.00	27200.00	129820.00
18	कामेश्वर के घर से डोमेन के घर तक पेवर्स मरम्मत	68215.00	23000.00	91215-00

19	विनय उपाध्याय के घर से ग्राम समाज के गडढे तक नाली मरम्मत कार्य	104940.00	28700.00	133640.00
20	शिवजी धोबी के घर से राजू मिश्रा के घर के घर तक ढक्कन सहित नाली मरम्मत	95354.00	26750.00	122104.00
21	पी0डब्लू0डी0 सड़क से गोबंश आश्रम के अंदर तक सोलिडिंग कार्य	50840.00	46200.00	97040.00
22	स्ट्रीट लाईट स्थापना	-	-	450000.00
23	प्रा0पा0 सोनबरसा में टाइल्स कार्य	277656.00	82000.00	359656.00
24	विभिन्न स्थानों पर राबिश भराई कार्य	197678.00	-	197678.00
			योग-	4913443.00

उपयुक्त दर्शित कार्यों के संबंध में निम्नलिखित आपत्ति पायी गयी है-

- 1 ग्राम सभा के कार्य प्रस्ताव का विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।
- 2 वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति से संबंधित पत्र, एम0बी0 एवं कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे।
- 3 टेंडर से संबंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी है।
- 4 स्ट्रीट लाईट एवं सीमेन्ट बैंच की सं0 का विवरण कैशबुक में अंकित नहीं है।
- 5 मरम्मत से सम्बन्धित कार्यों में मजदूरी का विवरण कैशबुक में नहीं दिया गया है।
- 6 क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः नियमों का पालन न करके एवं फाईल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके रू0 4913443.00 का अपहरण किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। उक्त नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रू0 4913443-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रेम कुमार एवं सचिव श्री संजय चैकरसिया से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### 11. ग्राम पंचायत का नाम - इब्राहिमाबाद उपरवार

#### विकास खण्ड - मुरलीछपरा

#### प्रस्तर- 17

ग्राम पंचायत इब्राहिमाबाद उपरवार में चौदहवें वित्त के अंतर्गत कैशबुक में विभिन्न तिथियों में निम्नलिखित कार्यों पर धन व्यय दर्शित है-

क्र0सं0.	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	योग
1	प्रा0पा0 मंशा टोला में टाइल्स कार्य	214518-00	29600-00	244118-00
2	प्रा0पा0 नं0 1 के प्रांगण में पेवर्स कार्य	218219.00	24000.00	242219.00
3	पी0डब्लू0डी0 सड़क से राजेन्द्र सिंह के घर तक मिट्टी एवं खडंजा कार्य	49684.00	16100.00	65784-00
4	कार्य योजना की फीडिंग	-	-	11000.00
5	एन0एच0 रोड़ से सी0सी0 रोड़ तक पेवर्स ब्लाक कार्य	271166.00	33900.00	305066.00
6	मुख्य सड़क से शिवनारायण के द्वार होते हुए जयराम के घर तक सी0सी0 रोड़ कार्य	290098.00	87400.00	377498.00
7	एन0एच0-31रोड़ से वीरेन्द्र धोबी के घर तक पेवर्स कार्य	218523.00	28800.00	247323.00
8	हैंडपंप रिबोर कार्य	137875.00	60000.00	197875-00
9	मुख्य सड़क से राम निवास के द्वार तक मिट्टी सहित खडंजा	112603.00	29200.00	141803.00
10	पी0डब्लू0डी0 सड़क से घुरी बाबा के स्थान तक मिट्टी एवं खडंजा	83477.00	-	83477.00
11	सोख्ता निर्माण कार्य	202669.00	68000.00	270669.00
12	सी0सी0 रोड़ से पुरुषोत्तम के घर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण	195238.00	49400.00	244638.00
13	श्री निवास की गली से सुभाष यादव के घर होते हुए नाली कार्य	85723.00	13300.00	99023.00

14	एन0एच0-31से बेबी सिंह के द्वार तक खडंजा कार्य	256926.00	40800.00	297726.00
15	पंचायत भवन मरम्मत	131913.00	30400.00	162313.00
16	श्रीकांत के घर से पी0डब्लू0डी0 रोड़ तक सी0सी0 रोड़ निर्माण	243770.00	58200.00	301970.00
17	हैंड पंप मरम्मत	200280.00	20000.00	220280.00
18	लोकसभा चुनाव पर व्यय	-	-	50000.00
19	5 अदद हैंडपंप रिबोर	137875.00	60000.00	197875.00
20	प्रा0पा0 मुजक डेरा में टाईल्स कार्य	316287.00	41600.00	357887.00
21	प्रा0पा0 इब्राहिमाबाद नं0-1 मेंटाईल कार्य	290505.00	39000.00	329505.00
22	प्रा0 वि0 टोला शिवनाराय में टाईल्स कार्य	101887.00	76000.00	177887.00
23	प्रा0 वि0 टोला नेक राय मे टाईल्स कार्य	183871.00	29900.00	213771.00
24	पी0डब्लू0डी0 सड़क से इब्राहिमाबाद प्रा0पा0 तक खडंजा	186053.00	52000.00	238053.00
25	सी0सी0 रोड़ से रामजी सिंह के द्वार होते हुए हरेन्द्र सिंह के घर तक खडंजा	124525.00	32400.00	156925.00
26	टोला शिवनाराय में बजरंग बली के स्थान पर सुन्दरीकरण	126454.00	-	126454.00
27	चबूतरा निर्माण	97379.00	20000.00	117379.00
28	हैंडपंप रिबोर	137875.00	60000.00	197875.00
29	प्रा0 वि0 नरहरी नई बस्ती के कमरों में टाईल्स कार्य	171410.00	-	171410.00
30	पीपल के पेड़ के पास चबूतरा निर्माण	97379.00	-	97379.00
31	विभिन्न स्थानों पर राबिस टुकड़ा भराई कार्य	106450.00	-	106450.00
32	सीमेंट बैंच स्थापना	198000.00	-	198000.00
			योग-	6249632.00

उपर्युक्त दर्शित कार्यों के संबंध में निम्नलिखित आपत्ति पायी गयी है-

1. वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति से संबंधित पत्र, एम0बी0 एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे।
2. टेंडर से संबंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी है।
3. क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. वित्तीय वर्ष के कुल व्यय का लगभग 90 प्रतिशत व्यय केवल 8 जुलाई 2019 से 30 जुलाई 2019 के मध्य किया गया है। अतः नियमों का पालन न करके एवं फाईल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके रु0 6249632.00 का अपहरण किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। उक्त नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु0 6249632.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती देवती देवी एवं सचिव श्री संजय चौरसिया एवं श्री अरविन्द मौर्य से किया जाना अपेक्षित है।

## 12. ग्राम पंचायत का नाम - दलन छपरा

## विकास खण्ड - मुरलीछपरा

### प्रस्तर- 18

ग्राम पंचायत में चौदहवें वित्त के अंतर्गत कैशबुक में निम्नलिखित कार्यों पर धन व्यय दर्शित है-

क्र0सं0.	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	योग
1	ब्रजेश यादव के घर से सौदागर के घर होते हुए गढ़डे तक आरसी.सी.नाली निर्माण.	106847.00	29100.00	135947.00
2	पी0डब्लू0डी0 सड़क से ददन यादव के दरवाजे तक पेवर्स कार्य	341150.00	67600.00	408750.00
3	10 अदद सोखता निर्माण	151040.00	24400.00	175440.00
4	10 अदद सोखता निर्माण	151040.00	24000.00	175040.00
5	10 अदद सोखता निर्माण	151040.00	24400.00	175440.00
6	10 अदद सोखता निर्माण	151040.00	4000.00	155040.00
7	10 अदद सोखता निर्माण	151040.00	4400.00	155440.00
8	विभिन्न स्थानों पर सोकपिट निर्माण	151017.00		151017.00

9	विभिन्न स्थानों पर सोकपिट निर्माण	151017.00		151017.00
10	विभिन्न स्थानों पर सोकपिट निर्माण	151017.00		151017.00
11	गोरख सिंह के घर से सुनील उपाध्याय के घर तक पेवर्स कार्य	177607.00	22160.00	199767.00
12	मेवा यादव के घर से रामेश्वर मौर्या के खेत तक पेवर्स कार्य	211922.00	22960.00	234882.00
13	रामेश्वर मौर्या के खेत से गोरख सिंह के खेत तक पेवर्स कार्य	197610.00	22960.00	220570.00
14	सीमेंट बेंच स्थापना	-	-	170000.00
15	सीमेंट बेंच स्थापना	-	-	117845.00
16	सीमेंट बेंच स्थापना	-	-	52155.00
17	हैंडपंप मरम्मत	-	-	69430.00
18	स्ट्रीट लाईट	-	-	90000.00
			योग-	2988797.00

उपर्युक्त दर्शित कार्यों के संबंध में निम्नलिखित आपत्ति पायी गयी है-

- 1 ग्राम सभा के कार्य प्रस्ताव का विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।
- 2 वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति से संबंधित पत्र, एम0बी0, एवं कार्यपूति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे।
- 3 टेंडर से संबंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी है।
- 4 एक ही प्रकार के कार्य में अलग-अलग आई.डी. बनाकर धन आहरित किया गया है।
- 5 स्ट्रीट लाईट एवं सीमेंट बेंच की संख्या का विवरण ऑनलाइन कैशबुक में अंकित नहीं है।
- 6 ऑनलाइन कैशबुक में सामग्री एवं मजदूरी का विवरण स्पष्ट नहीं है।
- 7 क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः नियमों का पालन न करके एवं फाईल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके रु0 2988797.00 का अपहरण किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय के 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से कि जाएगी। उक्त नियम से आलोक में व्यय दर्शित धनराशि 2988797.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विद्यासागर एवं सचिव श्री प्रमोद कुमार एवं श्री अजीत कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

### 13. ग्राम पंचायत का नाम - दलकी नं0.1

### विकास खण्ड - मुरलीछपरा

#### प्रस्तर- 19

शासनादेश सं0977/45-वि.(अति.ऊ.स्रोत दि.)/2017 दिनांक 29-8-2017 के अनुसार सोलर लाइट का क्रय उत्तर प्रदेश नेडा से किया जायेगा, किन्तु आलोच्य वर्ष 2019-20 में सोलर का क्रय रु0 168000.00 में नेडा से न करके निजी संस्था ओ.पी. इंटरप्राइजेज से किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत में सोलर लाइट की स्थापना में उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर रु0 168000.00 की अनियमितता की गयी है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री स्वामीनाथ यादव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रजनीश यादव उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-20

ग्राम पंचायत में चौदहवें वित्त के अंतर्गत कैशबुक में निम्नलिखित कार्यों पर धन व्यय किया गया है-

क्र0सं0	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	योग
1.	वी.एस.टी. बंधा से सरयू शेख के घर होते हुए गौरी शंकर पाण्डेयके घर तक सी.सी. रोड निर्माण	329262.00	60000.00	389262.00
2.	श्री भगवान यादव के खेत से सुरेन्द्र यादव के खेत तक ईट टुकड़ा एवं राविश भराई कार्य	190863.00	18600.00	209463.00
3.	प्राथमिक वि0 सुरेमनपुर लच्छु टोला का कायाकल्प	167822.00	46500.00	214322.00
4	उच्च प्राथमिक वि0 का कायाकल्प	181624.00	46895.00	228519.00
			योग-	1041566.00

उपर्युक्त दर्शित कार्यों के संबंध में निम्नलिखित आपत्ति पायी गयी है-

1. ग्राम सभा के कार्य प्रस्ताव का विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।
2. वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्र एवं कार्यपूति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे।
3. टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
4. क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

अतः नियमों का पालन न करके व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके ₹0 1041566.00.00 का अपहरण किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से सयुक्त रूप से कि जाएगी। उक्त नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि ₹0 1041566.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री स्वामीनाथ यादव एवं सचिव श्री प्रमोद कुमार एवं श्री रजनीश यादव से किया जाना अपेक्षित है।

#### 14. ग्राम पंचायत का नाम - रामपुर

#### विकास खण्ड - मुरलीछपरा

##### प्रस्तर- 21

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से सयुक्त रूप से कि जाएगी।

ग्राम पंचायत रामपुर में आलोच्य वर्ष 2019-20 में चौदहवां वित्त के अंतर्गत कुल ₹0 1400662.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया है, किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय दर्शित समस्त धनराशि ₹0 1400662.00 को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री टुनटुन गौड़ एवं सचिव श्री शशिभूषण ठाकुर एवं अरविन्द मौर्य से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

##### प्रस्तर- 22

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से सयुक्त रूप से कि जाएगी।

ग्राम पंचायत रामपुर में आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त के अंतर्गत कुल ₹0 43589.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया है, किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय दर्शित समस्त धनराशि ₹0 43589.00 को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री टुनटुन गौड़ एवं सचिव श्री शशिभूषण ठाकुर एवं अरविन्द मौर्य से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

#### 15. ग्राम पंचायत का नाम - मुरलीछपरा

#### विकास खण्ड - मुरलीछपरा

##### प्रस्तर- 23

पंचायती राज अनुभाग 7 के शासनादेश सं0 2686/37/07/2011-752पं0रा0जी0ए0/2011/ लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के अनुसार ग्राम प्रधान को मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान वियरर चेक से न करके एकाउंट पेयी चेक से फर्म को किया जाए इसी के अनुसार श्रमिकों को नगद भुगतान न करके सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता का संचालन कर ही भुगतान उनके खाते में किया जाए। इस शासनादेश के द्वारा प्रधान के नकद आहरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। किन्तु ई ग्राम स्वराज पर अंकित वाउचर डिटेल में पाया गया कि चौदहवें वित्त के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों में सामग्री का भुगतान फर्म को न करके ग्राम प्रधान को नकद किया गया है। एवं इस सम्बन्ध में कोई आफलाइन व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है-

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि
1	15.07.2019	साइकिल की दुकान से जय प्रकाश साड़ी की दुकान तक सी.सी. रोड निर्माण	182246.00
2	29.07.2019	विभिन्न स्थानों पर नाली ढक्कन कार्य	98532.00
3	29.07.2019	प्रा0 पा0 नं0 1 पर टाईल्स कार्य	157181.00
4	24.07.2019	धुरूप सिंह के घर से गढ़ही तक नाली एवं पेवर्स कार्य	87300.00
5	29.07.2019	विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप रिबोर कार्य	137875.00
6	08.08.2019	हैंडपंप मरम्मत	<u>176500.00</u>
योग-			839634.00

इस प्रकार उक्त शासनादेश का पालन न करके एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके रु0 839634.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री रमाशंकर सिंह एवं श्री संजय चौकरसिया से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 24**

2. शासनादेश सं0977/45-वि(अति0ऊ0स्रोत वि0)/2017 दिनांक 29-8-2017 के अनुसार सोलर लाइट का क्रय उत्तर प्रदेश नेडा से किया जाएगा। किन्तु आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में सोलर लाइट की स्थापना हेतु सोलर लाइट का क्रय रु0 221000.00 में नेडा से न कर निजी संस्था प्रतिष्ठा इण्टर प्राइजेज से किया गया है। साथ ही सोलर लाइट की सं0,स्थान का विवरण एवं फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया इस प्रकार ग्राम पंचायत में सोलर लाइट की स्थापना में उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर रु0 221000.00 की अनियमितता की गयी है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री रमाशंकर सिंह एवं सचिव श्री संजय चौकरसिया उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**16. ग्राम पंचायत का नाम - सोनकीभांट**

**विकास खण्ड - मुरलीछपरा**

**प्रस्तर- 25**

पंचायती राज अनुभाग 7 के शासनादेश सं0 2686/37/07/2011-752पं0रा0जी0ए0/2011/ लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के अनुसार ग्राम प्रधान को मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान वियरर चेक से न किया जाये। इस शासनादेश के द्वारा प्रधान के नगद आहरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। किन्तु ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 15-5-2019 को चतुर्थ राज्य वित्त से हैंडपंप मरममत हेतु रु0 30000.00 आहरित कर प्रधान को नकद भुगतान किया गया है। इस प्रकार रु0 30000.00 नकद, धन आहरित कर एवं सामग्री का भुगतान फर्म को न करके ग्राम प्रधान को करके ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा देवी एवं सचिव श्री शशिभूषण ठाकुर द्वारा गम्भीर अनियमितता की गयी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 26**

ग्राम पंचायत में निम्नलिखित तिथियों में चौदहवां वित्त से हैंड पंप रिबोर पर धन व्यय किया गया है-

दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि
28.09.2019	2 अदद हैंडपंप रिबोर	64470.00
31.03.2020	विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप रिबोर	59500.00
	योग-	123970.00

उक्त हैंडपंप रिबोर के लिए वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, रिबोर स्थल का विवरण तथा रिबोर के परिणम स्वरूप निकले खराब सामग्री का विवरण एवं उनकी नीलामी के सम्बन्ध में कोई विवरण ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार नियम के विरुद्ध धन का भुगतान करके धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः रु0 123970.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा देवी एवं सचिव श्री अच्छेलाल मौर्य से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 27**

ग्राम पंचायत में चौदहवां वित्त के अन्तर्गत कैशबुक में निम्नलिखित सामग्री पर धन व्यय किया गया है-

क्र0सं0	दिनांक	क्रय सामग्री का नाम	धनराशि
1	20.6.2019	फांगंग मशीन	116000.00
2	23.11.2019	सफाई किट	30000.00
3	26.11.2019	सीमेंट बेंच	120000.00
4	31.3.2020	सीमेंट बेंच	30000.00
5	09.01.2020	डस्टविन	90000.00
6	31.03.2020	डस्टविन	10000.00
		योग-	496000.00

उपयुक्त क्रय सामग्री के समबन्ध में निम्नलिखित आपत्तिया पायी गयी है-

1. ग्राम सभा के कार्य प्रस्ताव का विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहा।
2. वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्र अप्राप्त रहे।
3. फांगिंग मशीन, एवं सफाई किट का अंकन स्टाक रजिस्टर में नहीं किया गया है।
4. सीमेंट बेंच एवं डस्टविन की सं0 एवं स्थान का विवरण अनुपलब्ध रहा।

5. क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से कि जाएगी। उक्त नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि ₹0 496000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा देवी एवं सचिव श्री शशिभूषण ठाकुर एवं श्री अच्छेलाल मौर्या से किया जाना अपेक्षित है।

**17. ग्राम पंचायत का नाम - इब्राहिमाबाद नौबरार**

**विकास खण्ड - मुरलीछपरा**

**प्रस्तर- 28**

ग्राम पंचायत इब्राहिमाबाद नौबरार में चौदहवां वित्त /राज्य वित्त के अंतर्गत कैशबुक में निम्नलिखित कार्यों/सामग्री पर धनराशि व्यय की गयी है-

क्र०सं०	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	योग
1	हैंडपंप मरम्मत	-	-	136800.00
2	विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य	-	-	115600.00
3	प्रशासनिक मद पर व्यय	-	-	20000.00
4	सफाई किट	-	-	20000.00
5	सोखता पिट पर व्यय	-	-	116200.00
6	हैंडपंप रिबोर	-	-	193900.00
7	प्रा०वि० नौबरार नं० पर टाईल्स कार्य 2	-	-	388355.00
8	जूनियर हाई स्कूल के फर्श पर टाईल्स 1 कार्य	268219	-	268219.00
9	प्रा० पा० नौबरार नं० के फर्श पर टाईल्स 1	53929	-	53929.00
10	प्रा० पा० दलाल टोला के फर्श पर टाईल्स	132840	-	132840.00
11	शौचालय स्टीकर एवं बोर्ड	-	-	18035.00
12	कोविड-19 पर व्यय	-	-	5000.00
13	स्टेशनरी पर व्यय	-	-	23290.00
			योग-	1492168.00

उपर्युक्त दर्शित कार्यों के संबंध में निम्नलिखित आपत्ति पायी गयी है-

1. ग्राम सभा के कार्य प्रस्ताव का विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।
2. वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्र एम.बी. एवं कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया
3. टेंडर से संबंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी है।
4. आनलाईन कैशबुक में सामग्री एवं मजदूरी का विवरण स्पष्ट नहीं है।
5. क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः नियमों का पालन न करके एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके ₹0 1492168.00 का अपहरण किया गया है। उ० प्र० पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंधक के लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से कि जाएगी। उक्त नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि ₹0 1492168.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री बच्चा जी यादव एवं सचिव श्री अवधेश पाण्डेय से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 29**

ग्राम पंचायत में चौदहवां वित्तसे सीमेंट की स्थापना हेतु ₹0 450000.00 का भुगतान आॅनलाइन कैशबुक में दर्शित है, किन्तु उक्त कार्य की कार्योजना, कार्यपूति प्रमाण पत्र, वित्तीय, प्रशासनिक, एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., व्यय प्रमाणक, सीमेंट बैंच की संख्या एवं स्थान का विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे सीमेंट बैंच स्थापना कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त कार्य की फाईल प्रस्तुत न करके ₹0 450000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री बच्चाजी यादव एवं सचिव श्री अवधेश पाण्डेय उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 30**

ग्राम पंचायत में चौदहवां वित्त से 10 अदद हाई लाईट की स्थापना हेतु रू0 800000.00 का भुगतान आॅनलाइन कैशबुक में दर्शित है किन्तु उक्त कार्य की कार्योजना,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,वित्तीय,प्रशासनिक,एवं तकनीकी स्वीकृति,एम.बी.,व्यय प्रमाणक, स्थान का विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे हाई मास्ट लाईट स्थापना कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त कार्य की फाईल प्रस्तुत न करके रू0 800000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री बच्चाजी यादव एवं सचिव श्री अवधेश पाण्डेय उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**18. ग्राम पंचायत का नाम - कोडरहा उपरवार**

**विकास खण्ड - मुरलीछपरा**

**प्रस्तर-31**

पंचायती राज अनुभाग-7 के शासनादेश सं0 2686/37/07/2011-752 पं0 रा0 जी0ए0/2011/लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के अनुसार ग्राम प्रधान को मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक से न करके एकाउण्ट पेयी चेक से फर्म को किया जाए इसी के अनुसार श्रमिको को नगद भुगतान न करके सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता का संचालन कर ही भुगतान उनके खाता मे किया जाए। इस शासनादेश के द्वारा प्रधान के नगद आहरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। किन्तु ई ग्राम स्वराज पर अंकित वाउचर डिटेल में पाया गया कि निम्नलिखित कार्यों में सामग्री का भुगतान फर्म को न करके ग्राम प्रधान को नगद किया गया है,एवं इस सम्बंध में आॅफलाइन कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया-

विवरण इस प्रकार है-

क्रम सं0	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि
1	09-04-2019	हैंड पम्प मरम्मत	20000.00
2	30-04-2019	काल्पी के घर से मंगलराम के घर तक खंडजा कार्य	89844.00
3	27-06-2019	हैंड पम्प रिबोर	111800.00
			योग= 221644.00

इस प्रकार उक्त नियम का पालन न करके एवं फर्जी भुगतान दर्शाकर रू0 221644.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सुनैना देवी एवं सचिव श्री प्रमोद कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-32**

ग्राम पंचायत में चौदहवां वित्तके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों में सामग्री का भुगतान विभिन्न फर्मों को कैशबुक में दर्शित है,किन्तु वित्त वर्ष के अन्त तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। इस सम्बंध में आफलाइन कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

विवरण इस प्रकार है-

क्रम सं0	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि
1	30-07-2019	हनुमान मन्दिर से हरिजन वस्ती तक नाली कार्य	125567.00
2	30-07-2019	श्रवण गोंड के घर से विमलराम के घर के पुलिया से आगे तक सी सी रोड निर्माण	191247.00
			योग= 316814.00

इस प्रकार सामग्री का भुगतान फर्जी तरीके से फर्म से कार्य दर्शाकर एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके रू0 316814.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनैना देवी एवं सचिव श्री प्रमोद कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 33**

ग्राम पंचायत में दिनांक30-03-2020 को चौदहवां वित्तसे सफाई किट मास्क,सेनीटाइजर हेतु रू0 25000-00 का भुगतान ओ0पी0 इण्टरप्राइजेज को किया गया है, यह भुगतान किस आदेश के अन्तर्गत किया गया है इसका कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अवैध तरीके से धन का भुगतान दर्शाकर रू0 25000.00 का दुरुपयोग किया गया है। उक्त धन की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती सुनैना देवी एवं सचिव श्री अच्छेलाल मौर्या से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-34**

ग्राम पंचायत के चौदहवें वित्त के अंतर्गत कैशबुक में निम्नलिखित सामग्री पर धन व्यय दर्शित है-

क्रम सं0	दिनांक	क्रय सामग्री का नाम	धनराशि
1	11.02.2020	सीमेन्ट बैंच	120000.00

2	11.02.2020	सीमेन्ट बैंच	60000.00
3	11.02.2020	डस्टबिन	150000.00

योग= 330000.00

उपयुक्त क्रय सामग्री के सम्बंध में निम्नलिखित आपत्तिया पायी गयी है

1. ग्राम सभा के कार्य प्रस्ताव का विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
2. वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति से सम्बंधित पत्र एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे।
3. टेण्डर से सम्बंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी।
4. सीमेंट बैंच एवं डस्टबिन की सं० एवं स्थान का विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
5. क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से कि जाएगी। उक्त नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रू० 330000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनैना देवी एवं सचिव श्री अच्छेलाल मौर्या से किया जाना अपेक्षित है।

### 19. ग्राम पंचायत का नाम - दुबहड

### विकास खण्ड - दुबहड

#### प्रस्तर- 35

ग्राम पंचायत में चौदहवां वित्त /राज्य वित्त के अंतर्गत कैशबुक में निम्नलिखित कार्यों पर धन व्यय किया गया है-

क्रमांक	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	योग
1	स्ट्रीट लाईट स्थापना	-	-	40000
2	व्हील चेरर क्रय	-	-	7400
3	उच्च प्रा० वि० मिल्की के प्रांगण में पेवर्स कार्य	312926	74898	387824
4	अवध बिहारी के खेत से रघुनाथ के खेत तक सी सी रोड	359800	74898	434698
5	रघुनाथ के खेत से लल्लन के घर तक सी सी रोड	312926	49800	362726
6	बी आर सी दुबहड में टाईल्स कार्य	329561	58130	387691
7	प्रा०पा० दुबहड के मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य	259102	54939	314041
8	हैंड पम्प मरम्मत कार्य	-	-	20000
9	7 अदद सोलर लाईट एवं 20 अदद स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य	-	-	185400
10	प्रा०पा० दुबहड के शौचालय मरम्मत का कार्य	70459	25874	96333
11	मंगल पाण्डेय के दरवाजे से परमात्मा पाण्डेय के दरवाजे तक इंटरलाकिंग कार्य	210263	-	210263
12	राजू धोबी के घर से सर्वानन्द के घर तक पेवर्स एवं नाली कार्य	50000	-	50000
			योग	2496376.00

उपयुक्त दर्शित कार्यों के सम्बंध में निम्नलिखित आपत्तिया पायी गयी है

1. ग्राम सभा के कार्य प्रस्ताव का विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
2. वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति से सम्बंधित पत्र एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे।
3. टेण्डर से सम्बंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी।
4. सोलर लाइट, स्ट्रीट लाईट हैंड पम्प मरम्मत स्थलों का विवरण लेखा परीक्षा अनुपलब्ध रहा।
5. क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः नियमों का पालन न करके एवं व्यय प्रमाणक, प्रस्तुत न करके रू० 2496376.00 का अपहरण किया गया है। उ० प्रा० पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। उक्त नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रू० 2496376.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मधुबाला मिश्रा एवं सचिव श्री दयाशंकर यादव से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 36

ग्राम पंचायत में चौदहवां वित्त /राज्य वित्त के अंतर्गत कैशबुक में निम्नलिखित कार्यों पर धन व्यय किया गया है-

क्रमांक	दिनांक	कार्य सामग्री का नाम	धनराशि
1	25-11-2019	सीमेंट बेंच	128000.00
2	26-11-2019	सीमेंट कुर्सी	192000.00
3	26-11-2019	हैंड पम्प रिबोर	66899.00
4	26-11-2019	हैंड पम्प मरम्मत	48000.00
5	18-02-2020	हैंड पम्पमरम्मत	50000.00
6	24-02-2020	स्ट्रीट लाईट	50000.00
योग=			534899.00

उपर्युक्त दर्शित कार्यों के संबंध में निम्नलिखित आपत्ति पायी गयी है-

- 1 लेखा परीक्षा में कार्ययोजना उपलब्ध नहीं रहा।
- 2 वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृत से संबंधित पत्र, एम0बी0 एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे।
- 3 टेंडर से संबंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी हैं।
- 4 सीमेंट बेंच/कुर्सी, स्ट्रीट लाईट की संख्या, हैंड पम्प मरम्मत/रिबोर स्थलों का विवरण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।
- 5 क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः नियमों का पालन न करके एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके ₹0 534899.00 का अपहरण किया गया है। उ0 प्र0 पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। उक्त नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि ₹0 534899.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मधुबाला मिश्रा एवं सचिव श्री संजीत कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

#### 17. ग्राम पंचायत का नाम - दिउली

#### विकास खण्ड - दुबहड

##### प्रस्तर- 37

उ0 प्र0 पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत दिउली में वर्ष 19--20 में चौदहवां वित्त से ₹0 517350.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय की गयी समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री विनोद सिंह एवं सचिव श्री रविन्द्र चौरसिया एवं श्री वेचन से संयुक्त रूप से किए जाने की संस्तुति की जाती है।

#### 21. ग्राम पंचायत का नाम - कछुआ

#### विकास खण्ड - दुबहड

##### प्रस्तर- 38

दिनांक 23.07.2020 को चौदहवां वित्त से मजदूरी हेतु ₹0 181082.00 का भुगतान ई ग्राम स्वराज पर दर्शित है। मजदूरी का भुगतान किसे किया गया है इसका विवरण नहीं दिया गया है। साथ ही लेखा परीक्षा में मस्टर रोल उपलब्ध नहीं कराया गया। उ0 प्र0 पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। अतः उक्त नियम के आलोक में व्यय धनराशि ₹0 181082.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शिव वचन एवं सचिव श्री आशीष सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

##### प्रस्तर- 39

ग्राम पंचायत कछुआ में चौदहवां वित्त से खंडजा एवं नाली कार्य पर सामग्री ₹0 207801.00 का भुगतान हर्षराज सेठ संस्थान को किया गया है किन्तु कार्य का पूरा विवरण एवं वर्क आई डी0 का विवरण आनलाइन कैशबुक एवं वाउचर डिटेल में अंकित नहीं है साथ ही भुगतान धनराशि का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

उ0 प्र0 पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं

सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। अतः उक्त नियम के आलोक में व्यय धनराशि ₹0 207801.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शिव वचन एवं सचिव श्री आशीष सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 40

ग्राम पंचायत में दिनांक 31.07.2019 को चतुर्थ राज्य वित्त से मजदूरी हेतु ₹0 169824.00 का भुगतान गुप्ता सीमेन्ट स्टोर को किया गया है। यह भुगतान किस कार्य हेतु किया गया है इसका कोई विवरण ई ग्राम स्वराज पर नहीं दिया गया है। इस सम्बंध में ग्राम पंचायत द्वारा कोई अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार मजदूरी का भुगतान मजदूरी को न करके अवैध फर्म को धनराशि का भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। उक्त धन की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शिव वचन एवं सचिव श्री आशीष सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

#### 22. ग्राम पंचायत का नाम - जनाड़ी

#### विकास खण्ड - दुबहड

#### प्रस्तर- 41

ग्राम पंचायत में राज्य वित्त एवं चौदहवां वित्त के अन्तर्गत कैशबुक में दर्शित निम्नलिखित कार्यों का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण इस प्रकार है-

क्रमांक	दिनांक	कार्य/सामग्री का नाम	धनराशि
1	29-07-2019	कंटीजेंसी पर व्यय	18300.00
2	13-12-2019	25 अदद हैडपम्प मरम्मत पर व्यय	83764.00
3	17-02-2020	चित्रण एवं नारा लेखन पर व्यय	37000.00
4	31-03-2020	कोविड-19 हेतु भुगतान	40000.00
योग-			179064.00

ग्राम पंचायत में दिनांक 29-07-2019 को कंटीजेंसी हेतु ₹0 18300.00 का भुगतान किया गया है। यह भुगतान किस पर किया गया है इसका कोई विवरण एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। दिनांक 13-12-2019 को 25 अदद हैडपम्प मरम्मत पर ₹0 83764.00 का भुगतान किया गया है किन्तु मरम्मत स्थल का विवरण एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। दिनांक 17-02-2020 को चित्रण एवं नारा लेखन हेतु ₹0 37000.00 का भुगतान दीनानाथ को अकाउंट पेयी चेक से न करके नगद किया गया है। दिनांक 31-03-2020 को कोविड-19 हेतु ₹040000.00 का भुगतान किया गया है यह भुगतान किस आदेश के तहत किया गया है इसका कोई विवरण एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

उ0प्र0 पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव सं संयुक्त रूप से की जाएगी। उक्त नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि ₹0 179064.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री घनश्याम पाण्डेय एवं सचिव श्री रविन्द्र चौकरसिया एवं श्री हिमांशु चौबे से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-42

ग्राम पंचायत में 6 अदद हैडपम्प रिबोर हेतु दिनांक 10-12-2019 को ₹0 199437.00 (सामग्री एवं मजदूरी) का भुगतान आदर्श मशीनरी को किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 27-03-2019 को 6 अदद हैडपम्प रिबोर हेतु ₹0 134929.00 का भुगतान आदर्श मशीनरी को किया गया है। साथ ही दूसरी बार हैडपम्प रिबोर किन-2 स्थलों पर किया गया है इसका कोई विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। इस प्रकार एक ही प्रकार के कार्य को अलग-2 आई डी0 जेनेरेट करके दो बार धन का भुगतान कर ₹0 134929.00 का दुरुपयोग किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री घनश्याम पाण्डेय एवं सचिव श्री हिमांशु चौबे से किया जाना अपेक्षित है।

#### 23. ग्राम पंचायत का नाम - छपरा

#### विकास खण्ड - दुबहड

#### प्रस्तर- 43

ग्राम पंचायत में राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में कुल ₹0 88530.00 ग्राम निधि 1 से व्यय किया गया है उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी रिकार्ड (फाइल/व्यय प्रमाणक) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया

उ0प्र0 पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं

सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी अतः उक्त नियम के आलोक में व्यय धनराशि ₹0 88530.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अजीत यादव एवं सचिव श्री रविन्द्र चौरसिया संयुक्त रूप से की जाने की संस्तुति की जाती है।

**प्रस्तर- 44**

ग्राम पंचायत में चौदहवां वित्त के अन्तर्गत वर्ष 2019-2020 में कुल ₹0 1078619.00 ग्राम निधि प्रथम से व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी रिकार्ड (फाइल/व्यय प्रमाणक) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

30प्र0 पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रसतर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी अतः उक्त नियम के आलोक में व्यय धनराशि ₹0 1078619.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अजीत यादव एवं सचिव श्री रविन्द्र चौरसिया से की जाने की संस्तुति की जाती है।

**24. ग्राम पंचायत का नाम - शेर**

**विकास खण्ड - दुबहड**

**प्रस्तर- 45**

30प्र0 पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रसतर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत में आलोच्य वर्ष 2019-2020 में चौदहवां वित्त के अन्तर्गत ₹0 2553045.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि इस सम्बंध में दिनांक 17-03-2021 को ए0डी0ओ0 पंचायत को पत्र के माध्यम से अभिलेख की मांग की गयी थी। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय दर्शित समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला पाठक एवं सचिव श्री रविशंकर चौरसिया/हिमांशु चौबे से की जाने की संस्तुति की जाती है।

**25. ग्राम पंचायत का नाम - पटखौली**

**विकास खण्ड - दुबहड**

**प्रस्तर- 46**

30प्र0 पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रसतर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत पटखौली में आलोच्य वर्ष 2019-2020 में चौदहवां वित्त के अन्तर्गत ₹0 275730.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री आफताब आलम एवं सचिव श्री रजनीश राय एवं श्री वेचन से संयुक्त रूप से की जाने की संस्तुति की जाती है।

**26. ग्राम पंचायत का नाम - हरिपुर**

**विकास खण्ड - दुबहड**

**प्रस्तर- 47**

30प्र0 पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रसतर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत हरिपुर में आलोच्य वर्ष में चौदहवां वित्त के अन्तर्गत ₹0 798199.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय दर्शित समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शिव कुमार गुप्ता एवं सचिव श्री वेचन से की जाने की संस्तुति की जाती है।

**27. ग्राम पंचायत का नाम - घघरौली**

**विकास खण्ड - दुबहड**

**प्रस्तर- 48**

30प्र0 पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रसतर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत में निम्नलिखित कार्य/सामग्री पर राज्य वित्त एवं 14 वित्त से धनराशि व्यय की गयी है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया विवरण इस प्रकार है-

क्रमांक	कार्य/सामग्री/मद/	समग्री	मजदूरी	योग
1	टेण्डर	-	-	4000.00
2	व्हील चेरर	-	-	7400.00
3	राम सकल के कटरा से कटहल नाला तक सी सी रोड निर्माण कार्य	176000.00	22000.00	198000.00
4	प्रा0 पा0 का मरम्मत एवं टाइल्स कार्य	169025.00	25500.00	194525.00
5	स्टेशनरी	-	-	9100.00
	योग=	-	-	413025.00

अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय दर्शित समस्त धनराशि रु0413025.00 को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुधरी देवी एवं सचिव श्री रविन्द्र चैरसिया से की जाने की संस्तुति की जाती है।

## 28. ग्राम पंचायत का नाम - विशुनपुर

विकास खण्ड - नगरा

### प्रस्तर- 49

आलोच्य वर्ष 2019-2020 में राज्य वित्त/ चौदहवां वित्त मद में आनलाइन केशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष का कुल व्यय रु0 875116.00(माह अप्रैल का व्यय रु0 32400.00 माह जुलाई का व्यय रु0 88350.00 माह दिसम्बर का व्यय रु0 344800.00 माह जनवरी का व्यय रु0 45400.00 फरवरी का व्यय रु0 247416.00 तथा माह मार्च का व्यय रु0 116750.00)रहा जिसकी पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर केश मेमो फर्म का लाइसेंस क्रय आदेश कोटोन/टेंडर फाइल मस्टर रोल मानदेय रजिस्टर एस्टीमेट एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रासनिक तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति आदेश कार्य का नक्शा फोटोग्राफ मानदेय रजिस्टर निर्माण कार्य रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्धमें सम्बंधित सचिव को ए.डी.ओ.(पंचायत) के माध्यम से दिनांक 03/02/2021 23/02/2021 02/03/2021 04/03/2021 तथा 08/03/2021 को पत्र दिया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। भुगतान/खर्च की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री छट्टू एवं सचिव श्री मन्यू चौहान तथा श्रीमती सविता से संयुक्त रूप से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

## 29. ग्राम पंचायत का नाम - तुर्की दौलतपुर

विकास खण्ड - नगरा

### प्रस्तर- 50

आलोच्य वर्ष 2019-2020 में राज्य वित्त/14वा वित्त मद में आनलाइन केशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष का कुल व्यय रु0 1209039.00(माह अप्रैल का व्यय रु0 34908.00 माह अगस्त में रु0 424015.00 माह दिसम्बर में रु0 454846.00 माह जनवरी में रु0 257066.00 फरवरी में रु0 36000.00 तथा माह मार्च रु0 2170.00 तथा बैंक कटौती 34.00 रु0 छोड़कर)रहा जिसकी पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर केश मेमो फर्म का लाइसेंस क्रय आदेश कोटोन/टेंडर फाइल मस्टर रोल मानदेय रजिस्टर एस्टीमेट एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रासनिक तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति आदेश कार्य का नक्शा फोटोग्राफ मानदेय रजिस्टर निर्माण कार्य रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को ए.डी.ओ.(पंचायत) के माध्यम से दिनांक 03/02/2021 4/03/2021 को पत्र दिया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। भुगतान/खर्च की धनराशि का आधा-आधा भाग ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार मिश्रा एवं तत्कालीन सचिव श्रीमती सबिता से ब्याज सहित वसूली कि जानी अपेक्षित है।

**30. ग्राम पंचायत का नाम - भीमपुरा नं0 02****विकास खण्ड - नगरा****प्रस्तर- 51**

आलोच्य वर्ष 2019-2020 में राज्य वित्त/14वा वित्त मद में आनलाइन कैशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष का कुल व्यय रू0 1927711.00(माह अप्रैल में 10816.00 मई में 12000.00 माह जून में 14870.00 जुलाई 629598.00 माह अगस्त में 440570.00 फरवरी में 24500.00 माह मार्च 795357.00 तथा 90.47 बैंक कटौती छोड़कर)रहा जिसकी पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर कैश मेमो फर्म

का लाइसेंस क्रय आदेश कोटेशन/टेंडर फाइल मस्टर रोल मानदेय रजिस्टर एस्टीमेट एम0बी0 कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रासनिक तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति आदेश कार्य का नक्शा फोटोग्राफ मानदेय रजिस्टर निर्माण कार्य रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को ए.डी.ओ(पंचायत) के माध्यम से दिनांक 14/01/2021, 23/01/2021 तथा 10/02/2021को पत्र दिया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। भुगतान/खर्च की गयी धनराशि का आधा-आधा भाग ग्राम प्रधान श्री राकेश एवं तत्कालीन सचिव श्री संजय से ब्याज सहित वसूली कि जानी अपेक्षित है।

**31. ग्राम पंचायत का नाम - देवढ़िया****विकास खण्ड - नगरा****प्रस्तर- 52**

आलोच्य वर्ष 2019-2020 में राज्य वित्त/14वा वित्त मद में आनलाइन कैशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष का कुल व्यय रू0 57400.00(दिनांक 6.3.2020 को रू0 35000.00 तथा 19.3.2020 को रू0 7000.00 प्रधान मानदेय एवम् दिनांक 29.3.2020 को मजदूरी भुगतान रू0 15400.00) रहा जिसकी पुष्टि हेतु मस्टररोल एस्टीमेट एम0बी0 कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रशासनिक/तकनीकी / वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को ए.डी.ओ(पंचायत) के माध्यम से दिनांक 14/01/2021, 27/01/2021 तथा 6/02/2021को पत्र दिया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। भुगतानित/खर्च की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवम् सचिव श्री वरुण कुमार राय से सयुक्त रूप से आधी-आधी कि जानी अपेक्षित है।

विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**32. ग्राम पंचायत का नाम - ढेकवारी****विकास खण्ड - नगरा****प्रस्तर- 53**

आलोच्य वर्ष 2019-2020 में राज्य वित्त/14वा वित्त मद में आनलाइन कैशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष का कुल व्यय रू0 1039100.00 (माह अप्रैल में 50000.00, माह दिसम्बर में 92000.00 माह जनवरी में रू0 475516.00 फरवरी में 152370.00 माह मार्च 269214.00) रहा जिसकी पुष्टि हेतु सामग्री क्रय का बिल/वाउचर,कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस क्रय आदेश कोटेशन /टेंडर फाइल, मस्टररोल, मानदेय रजिस्टर एस्टीमेट, एम0बी, कार्यपूति प्रमाण पत्रप्रशासनिक तकनीकी वित्तीय स्वीकृति आदेश कार्य का नक्शा फोटोग्राफ मानदेय रजिस्टर निर्माण कार्य रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को ए.डी.ओ(पंचायत) के माध्यम से दिनांक 07/01/2021, 14/01/2021 23/01/2021 तथा 12/02/2021को पत्र दिया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है।उक्त भुगतानित/खर्च की गयी धनराशि की आधा-आधा भाग ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवम् तत्कालीन सचिव श्री अविनाश साहनी सेब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**33. ग्राम पंचायत का नाम - इंदौली मलकौली****विकास खण्ड - नगरा****प्रस्तर- 54**

आलोच्य वर्ष 2019-2020 में राज्य वित्त/14वा वित्त मद में आनलाइन कैशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष का कुल व्यय रू0 1280152.00 (माह अप्रैल 36328.00 मई में 5000.00, माह अगस्त में 546411.00 माह दिसम्बर में 428180.00 जनवरी में रू0 99800.00 माह मार्च 164434.00) रहा जिसकी पुष्टि सामग्री क्रय का बिल/वाउचर,कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस क्रय आदेश कोटेशन /टेंडर फाइल, मस्टररोल, मानदेय रजिस्टर एस्टीमेट, एम0बी, कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रशासनिक तकनीकी

वित्तीय स्वीकृति आदेश कार्य का नक्शा फोटोग्राफ मानदेय रजिस्टर निर्माण कार्य रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को ए.डी.ओ.(पंचायत) के माध्यम से दिनांक 06/01/2021, 14/01/2021 6/02/2021 तथा 11/02/2021को पत्र दिया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। उक्त भुगतान/खर्च की गयी धनराशि की आधा-आधा भाग ग्राम प्रधान श्री अनिल एवम् तत्कालीन सचिव श्रीमती सबिता से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**34. ग्राम पंचायत का नाम - खनवर नवादा**

**विकास खण्ड - नगरा**

**प्रस्तर- 55**

आलोच्य वर्ष 2019-2020 में राज्य वित्त/14वा वित्त मद में आनलाईन केशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष का कुल व्यय रू0 1851120.00 (माह अप्रैल का व्यय रू0 7400.00, माह जुलाई का व्यय रू0 852320 माह फरवरी का व्यय रू0 991400.00) रहा जिसकी पुष्टि सामग्री क्रय का बिल/वाउचर,कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस क्रय आदेश कोटेशन /टेंडर फाइल, मस्टररोल, मानदेय रजिस्टर एस्टीमेट, एम0बी, कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रशासनिक तकनीकी वित्तीय स्वीकृति आदेश कार्य का नक्शा फोटोग्राफ मानदेय रजिस्टर निर्माण कार्य रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को ए.डी.ओ.(पंचायत) के माध्यम से दिनांक 21/01/2021, 23/01/2021 तथा 23/02/2021 को पत्र दिया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। भुगतान/खर्च की गयी धनराशि की की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री सूर्यप्रकाश एवम् सचिव श्री प्रमोद कुमार सिंह तथा श्री दिनेश कुमार सिंह से सयुक्त रूप से आधी-आधी किया जानी अपेक्षित है।

विभागीय उच्चाधिकारियों ध्याय आकृष्ट किया जाता है।

**35. ग्राम पंचायत का नाम - खरूआंव**

**विकास खण्ड - नगरा**

**प्रस्तर- 56**

आलोच्य वर्ष 2019-2020 में राज्य वित्त/14वा वित्त मद में आनलाईन केशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष का कुल व्यय रू0 3569595.00 (माह जुलाई में रू0 864437.00, माह अगस्त में रू0 184548.00 माह नवम्बर में रू0 338546.00 दिसम्बर में रू0 75726.00 माह जनवरी में रू0 1013157.00 माह फरवरी में रू0 914008 तथा मार्च में रू0 179173.00) रहा जिसकी पुष्टि सामग्री क्रय का बिल/वाउचर,कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस क्रय आदेश कोटेशन /टेंडर फाइल, मस्टररोल, मानदेय रजिस्टर एस्टीमेट, एम0बी, कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रशासनिक तकनीकी वित्तीय स्वीकृति आदेश कार्य का नक्शा फोटोग्राफ मानदेय रजिस्टर निर्माण कार्य रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को ए.डी.ओ.(पंचायत) के माध्यम से दिनांक 8/01/2021, तथा 21/01/2021 तथा 6/02/2021 को पत्र दिया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। भुगतान/खर्च की गयी धनराशि का आधा-आधा भागग्राम प्रधान श्री दुष्यत एवम् तत्कालीन सचिव श्री हेमन्त एवं राम सहाय के ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**36. ग्राम पंचायत का नाम - कोठागालिबपट्टी**

**विकास खण्ड - नगरा**

**प्रस्तर- 57**

आलोच्य वर्ष 2019-2020 में राज्य वित्त/14वा वित्त मद में आनलाईन केशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष का कुल व्यय रू0 1066793.00 (माह अप्रैल में 1708.00 जुलाई में रू0 570798.00, माह अगस्त में रू0 72030.00 माह फरवरी में 412257.00 माह मार्च में 10000.) रहा जिसकी पुष्टि सामग्री क्रय का बिल/वाउचर,कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस क्रय आदेश कोटेशन /टेंडर फाइल, मस्टररोल, मानदेय रजिस्टर एस्टीमेट, एम0बी, कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रशासनिक तकनीकी वित्तीय स्वीकृति आदेश कार्य का नक्शा फोटोग्राफ मानदेय रजिस्टर निर्माण कार्य रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को ए.डी.ओ.(पंचायत) के माध्यम से दिनांक 8/01/2021, तथा 10/02/2021 को पत्र दिया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। जाँचोपरन्तु भुगतान/खर्च की गयी धनराशि का आधा-आधा भाग ग्राम प्रधान श्रीमती कमली देवी एवम् तत्कालीन सचिव श्री संजय से वसूली की जानी अपेक्षित है।

**37. ग्राम पंचायत का नाम - रेकुआ नसीरपुर**

**विकास खण्ड - नगरा**

**प्रस्तर- 58**

आलोच्य वर्ष 2019-2020 में राज्य वित्त/14वा वित्त मद में आनलाईन कैशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष का कुल व्यय रू0 1196044.00 (माह अप्रैल में 27000.00 जुलाई में रू0 499994.00, माह जनवरी में 606300.00 फरवरी में रू0 46750.00, माह मार्च में 16000.00) रहा जिसकी पुष्टि सामग्री क्रय का बिल/वाउचर,कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस क्रय आदेश कोटेशन /टेंडर फाइल, मस्टररोल, मानदेय रजिस्टर एस्टीमेट, एम0बी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रशासनिक तकनीकी वित्तीय स्वीकृति आदेश कार्य का नक्शा फोटोग्राफ मानदेय रजिस्टर निर्माण कार्य रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को ए.डी.ओ(पंचायत) के माध्यम से दिनांक 3/02/2021, तथा 16/02/2021 को पत्र दिया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैन्युअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। भुगतान/खर्च की गयी धनराशि का आधा-आधा भाग ग्राम प्रधान श्री रणधीर एवम् तत्कालीन सचिव श्री मन्नु चौहान, श्री राम जी गुप्ता से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**38. ग्राम पंचायत का नाम - सुल्तानपुर**

**विकास खण्ड - नगरा**

**प्रस्तर- 59**

आलोच्य वर्ष 2019-2020 में राज्य वित्त/14वा वित्त मद में आनलाईन कैशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष का कुल व्यय रू0 1431700.00 (माह अप्रैल का व्यय रू0 9108.00 जुलाई का व्यय रू0 193856.00, माह अगस्त में व्यय रू0 307579.00 माह दिसम्बर का व्ययरू0 508104.00 माह जनवरी का व्यय रू0 206701.00 तथा फरवरी का व्यय रू0 206352.00) रहा जिसकी पुष्टि सामग्री क्रय का बिल/वाउचर,कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस क्रय आदेश कोटेशन /टेंडर फाइल, मस्टररोल, मानदेय रजिस्टर एस्टीमेट, एम0बी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रशासनिक तकनीकी वित्तीय स्वीकृति आदेश कार्य का नक्शा फोटोग्राफ मानदेय रजिस्टर निर्माण कार्य रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को ए.डी.ओ(पंचायत) के माध्यम से दिनांक 3/02/2021, 23/02/2021 तथा 4/3/2021 को व्यक्तिगत रूप से सविन श्री दिनेश सिंह को पत्र दिया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैन्युअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। भुगतान/खर्च की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री मृत्युंजय एवम् सचिव श्री मन्नु चौहान तथा श्री दिनेश सिंह से सयुक्त रूप आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्याय विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

**39. ग्राम पंचायत का नाम - इंदासों**

**विकास खण्ड - नगरा**

**प्रस्तर- 60**

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 1499510.00 व्यय किया गया है जिसका अंकन ग्राम निधि-1 में किया गया है व्यय के सापेक्ष कोई भी बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है वित्त एवू लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय-8 के खंड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर प्रस्तुत नहीं किया जाता तो दर्शायी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली प्रधान एवम् सचिव से सयुक्त रूप से की जायेगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुध व्यय रू0 1499510.00की वसूली जिम्मेवार ग्राम प्रधान श्री शेर बहादुर तथा ग्राम पंचायत/वि.अधिकारी श्री जादेव से आधी-आधी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

विभागीय अधिकारियों का ध्याय विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

**40. ग्राम पंचायत का नाम - जमुआदखामपुर**

**विकास खण्ड - नगरा**

**प्रस्तर- 61**

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 24.07.2019 को चेक संख्या 012417 से रू0 26000.00 का भुगतान कार्य योजना वर्ष 2019-20 एम.आई.एस. एवम् प्रियासाफ्ट हेतु किया गया ग्राम निधि-1 में अंकित है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी बिल बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना प्रमाणक के लेखा मैन्युअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। भुगतान/खर्च की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धि ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशरफ अली एवं ग्राम प्रधान श्री श्रीकान्त से की जानी अपेक्षित है।

**41. ग्राम पंचायत का नाम - पड़रौ**

**विकास खण्ड - नगरा**

## प्रस्तर- 62

आलोच्य वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में प्रिया साफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि क्रमशः ₹0 1161420.00 तथा ₹0 1681180.00 (माह अप्रैल ₹0 164000.00, मई ₹0 196250.00, जुलाई में ₹0 15000.00, माह अगस्त में ₹0 221000.00, सितम्बर में ₹0 67240.00, अक्टूबर में ₹0 20000.00, नवम्बर 140000.00, जनवरी में ₹0 310500.00, फरवरी में ₹0 376990.00 तथा माह मार्च में ₹0 170200.00) रही, जिसके पुष्टि में समाग्री कार्य का बिल/वाउचर कैश ेममो फर्म का लाइन्सेस, कोटेशन/टेण्डर फाइल, मस्टर रोल, एस्टीमेट एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रशानिक/तकनीकि/वित्तीय स्वीकृति आदेश कैशबुक बैंक स्टेटमेंट,जी0एस0टी0,आयकर से सम्बन्धित पत्रावली कार्य का नक्शा, फोटो ग्राफ,मानदेय रजिस्टर,निर्माण कार्य रजिस्टर, परसम्पति रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, बैंक समाधान इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित सचिव को दिनांक 10-02-2021, 16-2-2021 तथा 23-02-2021,2-3-2021 तथा 8-3-2021 को पत्र दिया गया। इस क्रम में सचिव द्वारा खण्ड विकास नगरा को 05-3-2021 लिखे पत्र में अभिलेख पूर्ववर्ती सचिव श्री दिग्विजय नाथ तिवारी द्वारा न दिये जाने का हवाला देते हुए अवगत करया गया तथा अभिलेख प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की। अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणाक के लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की गई धनराशि अपहरित है।उपरोक्त विवृत धनराशि का वसूली प्रधान श्री मनोज एवं सचिव श्री दिग्विजय नाथ तिवारी से संयुक्त रूप से आधी- आधी ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

## 42. ग्राम पंचायत का नाम - एकइल

## विकास खण्ड - पन्दह

### प्रस्तर- 63

दिनांक 13-4-2018 तथा 26-2-2019 को चेक संख्या 100787 तथा 168284 से क्रमशः ₹0 55000.00 तथा 56000.00 कुल ₹0 111000.00 का चेक हनयूम पाइप क्रय हेतु कोषबही तथा बैंक स्टेटमेंट अनुसार अज्ञात को चेक देना दर्शित है जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त हेतु बियरर चेक निर्गत है न ही व्यय प्रमाणक ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा अतः (ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिन्दु 5 के अनुसार ₹0 2000.00 से अधिक के भुगतान अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से होना सुनिश्चित किया गया है वित्त पथ भंडार क्रय नियम के बिन्दु 17 ग के अनुसार ₹0 2000.00 से अधिक के भुगतान अकाउंट पेयी चेक किये जाने के निर्देश है, वित्त पथ 2011 आहरण वितरण अधिकारी के कार्य के बिन्दु 3 के व्यय भुगतान सम्बन्धी प्रकार्य के अनुसार शासनादेश संख्या ए-1/1450/दस-96-10(11)-93 दिनांक 23-07-1996 के अनुसार निजी संस्थाओं, व्यक्तियों तथा पार्टियों को ₹0 2000.00 से अधिक नकद भुगतान नहीं किया जाना है परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है) ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किये सप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी” के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल ₹0 111000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान सुग्रीव राम तथा सचिव विवेक पाण्डेय/राजभुवन राम से किया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर- 64

दिनांक 9-4-2018 को चेक संख्या 100798 से ₹0 86900.00 का चेक तीन हैंडपम्प रिबोर हेतु कोषबही तथा बैंक स्टेटमेंट अनुसार अज्ञात को चेक देना दर्शित है जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त हेतु बियरर चेक निर्गत है न ही व्यय प्रमाणक ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा अतः (ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिन्दु 5 के अनुसार ₹0 2000.00 से अधिक के भुगतान अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से होना सुनिश्चित किया गया है वित्त पथ भंडार क्रय नियम के बिन्दु 17 ग के अनुसार ₹0 2000.00 से अधिक के भुगतान अकाउंट पेयी चेक किये जाने के निर्देश है, वित्त पथ 2011 आहरण वितरण अधिकारी के कार्य के बिन्दु 3 के व्यय भुगतान सम्बन्धी प्रकार्य के अनुसार शासनादेश संख्या ए-1/1450/दस- 96 - 10 (11)-93 दिनांक 23-07-1996 के अनुसार निजी संस्थाओं, व्यक्तियों तथा पार्टियों को ₹0 2000.00 से अधिक नकद भुगतान नहीं किया जाना है परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है)ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किये सप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी” के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल ₹0 86900.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान सुग्रीव राम तथा सचिव विवेक पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 65**

राज्य वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित तिथियों में विभिन्न व्यय दर्शित है परन्तु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा इसके सम्पूर्ण कार्य/व्यय वर्ष 2018-19 के आई.डी पर दर्ज है व्यय अनियमित है

दिनांक 31-7-2019 को चेक संख्या 168295 से रू0 7400 व्हील चैयर

दिनांक 31-7-2019 को चेक संख्या 168296 से रू0 31241.00 ए.डी.ओ0 पी.

दिनांक 31-7-2019 को चेक संख्या 168294 से रू0 3416.00 डोंगल

दिनांक 31-7-2019 को चेक संख्या 168297 से रू0 4335.00 स्टेशनरी

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किये सप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी” के अंतर्गत अधिभार योग्य है यहाँ कुल रू0 46392.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान सुग्रीव राम तथा सचिव राजभुवन राम से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 66**

दिनांक 10-4-18 तथा 12-4-18 को चेक संख्या 100785 तथा 100786 से क्रमशः रूपया 23500 तथा रूपया 193000 कुल रूपया 216500का चेक सोलर लाइट क्रय हेतु कोषबही तथा बैंक स्टेटमेंट अनुसार अज्ञात को चेक देना दर्शित है जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त हेतु बियरर चेक निर्गत है न ही व्यय प्रमाणक ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा अतः (ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिन्दु 5 के अनुसार रू0 2000.00 से अधिक के भुगतान अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से होना सुनिश्चित किया गया है वित्त पथ भंडार क्रय नियम के बिन्दु 17 ग के अनुसार रू0 2000.00 से अधिक के भुगतान अकाउंट पेयी चेक किये जाने के निर्देश है, वित्त पथ 2011 आहरण वितरण अधिकारी के कार्य के बिन्दु 3 के व्यय भुगतान सम्बन्धी प्रकार्य के अनुसार शासनादेश संख्या ए-1/1450/दस- 96 - 10 (11)-93 दिनांक 23-07-1996 के अनुसार निजी संस्थाओं, व्यक्तियों तथा पार्टियों को रू0 2000.00 से अधिक नकद भुगतान नहीं किया जाना है परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है) ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किये सप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी” के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल रू0 216500.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान सुग्रीव राम तथा सचिव विवेक पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 67**

दिनांक 22-5-18 को चेक संख्या 100784 सेरूपया 171000.00 का चेक सोलर लाइट क्रय हेतु कोषबही तथा बैंक स्टेटमेंट अनुसार अज्ञात को चेक देना दर्शित है जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त हेतु बियरर चेक निर्गत है न ही व्यय प्रमाणक ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा अतः (ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिन्दु 5 के अनुसार रू0 2000.00 से अधिक के भुगतान अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से होना सुनिश्चित किया गया है वित्त पथ भंडार क्रय के नियम के बिन्दु 17 ग के अनुसार रू0 2000.00 से अधिक के भुगतान अकाउंट पेयी चेक किये जाने के निर्देश है, वित्त पथ 2011 आहरण वितरण अधिकारी के कार्य के बिन्दु 3 के व्यय भुगतान सम्बन्धी प्रकार्य के अनुसार शासनादेश संख्या ए-1/1450/दस- 96 - 10 (11)-93 दिनांक 23-07-1996 के अनुसार निजी संस्थाओं, व्यक्तियों तथा पार्टियों को रू0 2000.00 से अधिक नकद भुगतान नहीं किया जाना है परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है) ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किये सप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी” के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल रू0 171000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान सुग्रीव राम तथा सचिव विवेक पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 68**

दिनांक 28-3-2019 तथा 30-3-2019 को विश्राम के खेत से ललन के खेत तक इंटरलाकिंग कार्य पर ₹0 155876, मैन सड़क पी0डब्लू0डी0 मार्ग से प्राचीन दुर्गा मंदिर तब इंटरलाकिंग कार्य पर ₹0 95104.00, सुभाष यादव के घर से मैन सड़क तक इंटरलाकिंग कार्य पर ₹0 99500.00 सामगी पर कुल व्यय ₹0 350480.00 है परन्तु उक्त कार्यों में मजदूरी नहीं दिया गया निम्नलिखित कार्यों की पत्रावली, वाउचर, मस्टर रोल, एस्टीमेट, सम्बन्धित कार्य की वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली तथा एम.एम.-11/फार्म 3सी. इत्यादि प्रस्तुत नहीं रहा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किये सप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल ₹0 350480.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान सुगीव राम तथा सचिव राजभुवन राम से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-69

कोषबही तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अज्ञात को चेक देना दर्शित है जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त हेतु बियरर चेक निर्गत है जिसमें प्राप्तकर्ता का नाम नहीं लिखा निम्नलिखित कार्यों की पत्रावली, वाउचर,मस्टर रोल, एस्टीमेट, सम्बन्धित कार्य की वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली तथा एमएम-11/फार्म 3सी. इत्यादि प्रस्तुत नहीं रहा

1. पन्दह राजवाहा से गौतम के खेत तक इंटरलाकिंग कार्य पर ₹0 195289.00 व्यय
2. गौतम के खेत से हरिन्द्र के खेत तक इंटरलाकिंग कार्य पर ₹0 187996.00 व्यय
3. हरिन्द्र के खेत से विश्राम के खेत तक इंटरलाकिंग कार्य पर ₹0 181824.00 व्यय
4. ललन के खेत से हरेराम के खेत तक इंटरलाकिंग कार्य पर ₹0 177700.00 व्यय

अतः (ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिन्दु 5 के अनुसार ₹0 2000.00 से अधिक के भुगतान अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से होना सुनिश्चित किया गया है वित्त पथ भंडार क्रय नियम के बिन्दु 17 ग के अनुसार ₹0 2000.00 से अधिक के भुगतान अकाउंट पेयी चेक किये जाने के निर्देश है, वित्त पथ 2011 आहरण वितरण अधिकारी के कार्य के बिन्दु 3 के व्यय भुगतान सम्बन्धी प्रकार्य के अनुसार शासनादेश संख्या ए-1/1450/दस- 96 - 10 (11)-93 दिनांक 23-07-1996 के अनुसार निजी संस्थाओं, व्यक्तियों तथा पार्टियों को ₹0 2000.00 से अधिक नकद भुगतान नहीं किया जाना है परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है) ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किये सप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल ₹0 742809.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान सुगीव राम तथा सचिव राजभुवन राम से किया जाना अपेक्षित है।

#### 43. ग्राम पंचायत का नाम - गौरामदनपुरा

विकास खण्ड - पन्दह

#### प्रस्तर-70

स्वच्छ भारत अभियान के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 17-5-2019 को प्रधान द्वारा आहरण ₹0 20000.00 चेक संख्या 12031718 द्वारा किया गया जबकि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्रधान द्वारा नगद आहरण निषिद्ध है अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किये सप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल ₹0 20000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान कुबेरनाथ यादव तथा सचिव श्री अरूण कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

#### 44. ग्राम पंचायत का नाम - पकड़ी

विकास खण्ड - पन्दह

#### प्रस्तर- 71

राज्य वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों पर कुल ₹0 390000.00 व्यय दर्शित है।

1. दिनांक 16-1-2020 को ग्राम पंचायत में सीमेंटेड बेंच ₹0 190000.00
2. दिनांक 16-1-2020 को ग्राम पंचायत में सीमेंटेड बेंच ₹0 110000.00
3. दिनांक 16-1-2020 को सोलर लाइट ₹0- 90000.00

परन्तु व्यय प्रमाणक, एमबी, पत्रावली, कार्यपूति पं्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, सम्बन्धित कार्य वित्तीय/ तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल ₹0 390000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती माया देवी तथा सचिव श्री ओमप्रकाश राय से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-72

कैशबुक में 14 वा वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों पर कुल ₹0 5988518.00 व्यय दर्शित परन्तु व्यय प्रमाणक, एम बी, पत्रावली, मस्टर रोल कार्यपूति पं्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, सम्बन्धित फोटोग्राफ इत्यादि प्रस्तुत नहीं रहा। कोषबही तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अज्ञात को चेक देना दर्शित है जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त हेतु बियरर चेक निर्गत है।

1. दिनांक 30-4-2019 को मधुबन तिवारी के घर से वीरेन्द्र तिवारी के घर तक नाली निर्माण पर ₹0 196216.00 व्यय
2. दिनांक 30-4-2019 को त्रिलोकी के घर से जयराम सिंह तक खडन्जा निर्माण पर ₹0 75560.00
3. दिनांक 30-4-2019 को मुस्तकीम के दरवाजे से हजान मिया के दरवाजे तक खडन्जा पर ₹0 175170.00
4. दिनांक 30-4-20219 को सतयेन्द्र सिंह से त्रिलोककी तक खडन्जा पर ₹0 152120.00
5. दिनांक 30-4-2019 को जवाहर तिवारी के घर से पदमन तिवारी तक नाली निर्माण पर ₹0 193320.00
6. दिनांक 30-4-2019 को गर्जन चौहान के दरवाजे से वीरेन्द्र तिवारी के घर तक खडन्जा निर्माण पर ₹0 153220.00
7. दिनांक 30-4-2019 को श्रीराम सिंह के टूबेल से खडन्जा निर्माण पर ₹0 150256.00
8. दिनांक 30-4-2019 को सीताराम सिंह के घर के पिछवाड़े से जवाहर सिंह के घर तक नाली निर्माण पर ₹0 191120.00
9. दिनांक 1-5-2019 को रतसर ऐकड़ल नहर पी.डब्ल्यू.डी मार्ग से हनदयनारायण के घर तक खडन्जा निर्माण पर ₹0 183120.00
10. दिनांक 7-5-2019 को शौचालय हेतु स्टिकर ₹0 11940.00
11. दिनांक 7-5-2019 को जंगी सिंह के घर से विनोद सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण पर ₹0 130120.00
12. दिनांक 7-5-2019 को मांडल शौचालय निर्माण पर ₹0 44504.00
13. दिनांक 6-8-2019 को तथा अन्य तिथियों में हैंडपंप मरम्मत पर व्यय ₹0 83993
14. दिनांक 23-11-2019 को स्टील बेंच पर कुल व्यय ₹0 384000.00
15. दिनांक 23-11-2019 को यात्री प्रतीक्षालय पर ₹0 248000.00 मजदूरी नहीं
16. दिनांक 23-11-2019 को स्वच्छता सामग्री पर ₹0 20075.00
17. दिनांक 23-11-2019 को प्रवेश द्वार स्थापना पर ₹0 496000.00 मजदूरी नहीं
18. दिनांक 12-12-2019 को ऑपरेशन कार्याकल्प के अंतर्गत पंचायत भवन में टाइल्स निर्माण पर ₹0 246078.00 मजदूरी नहीं
19. दिनांक 12-12-2019 को ऑपरेशन कार्याकल्प के अंतर्गत जूनियर हाई स्कूल पर टाइल्स निर्माण पर ₹0 293966.00
20. दिनांक 12-12-2019 को सोलर लाइट पर ₹0 240000.00
21. दिनांक 12-12-2019 को पंचायत भवन में कुर्सी, मेज, पेयजल हेतु आर ओ पर ₹0 194000.00
22. दिनांक 12-12-2019 को आंगणवाड़ी केन्द्र में दरवाजे और रंगाई पुताई, फर्श निर्माण पर ₹0 196000.00 मजदूरी नहीं
23. दिनांक 12-12-2019 को 4 आर ओ पर ₹0 96000.00
24. दिनांक 13-12-2019 को शंकर मंदिर के पोखरे पर पश्चिम घाट का निर्माण ₹0 92000.00
25. दिनांक 17-12-2019 को प्राथमिक विद्यालय नं0 2 पर टाइल्स निर्माण पर ₹0 105332.00 मजदूरी नहीं
26. दिनांक 17-12-2019 को हनुमान मंदिर पर चबूतरा निर्माण पर ₹0 85162.00 मजदूरी नहीं
27. दिनांक 17-12-2019 को पिच रोड से कमलदेव सिंह के दरवाजे तक ₹0 107420.00 मजदूरी नहीं
28. दिनांक 17-12-2019 को ऑपरेशन कार्याकल्प के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय नं0-2 में टाइल्स निर्माण पर ₹0 437476.00
29. दिनांक 17-12-2019 को जूनियर हाई स्कूल भवानी माई के स्थान पर कमरे तथा ऑफिस में टाइल्य निर्माण पर ₹0 293966.00 मजदूरी नहीं
30. दिनांक 17-12-2019 को बशिष्ठ सिंह के दरवाजे से उमेश सिंह तक खडन्जा ₹0 55710.00

31. दिनांक 17-12-2019 को सुदाम बनिया के पिच से पकड़ी गढ़मलपुर मार्ग तक खडन्जा रू0 137600.00 मजदूरी नहीं
32. दिनांक 17-12-2019 को पिच रोड से पुकार मास्टर के दरवाजे तक खडन्जा पर रू0 107420.00
33. दिनांक 17-12-2019 को प्राथमिक स्कूल में टाइल्स पर रू0 293966.00 मजदूरी नहीं
34. दिनांक 17-12-2019 को दाईं माई के स्थान चबूतरा निर्माण रू0 85160.00 मजदूरी नहीं
35. दिनांक 31-12-2019 को प्राथमिक स्कूल में मजदूरी रू0 21658.00
36. दिनांक 16-01-2020 को स्टेशनरी रू0 9900.00

परन्तु व्यय प्रमाणक, एम बी, पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर, सम्बन्धित कार्य वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा कोषबही तथा बैंक स्टेटमेंट अनुसार अज्ञात को चेक देना दर्शित है। किसी भी कार्य के सापेक्ष चेक निर्गत नहीं है। एक ही चेक से कई कार्य पर समाग्री तथा मजदूरी दिया गया परन्तु (ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिन्दु 5 के अनुसार रू0 2000.00 से अधिक के भुगतान अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से होना सुनिश्चित किया गया है वित्त पथ भंडार क्रय के नियम के बिन्दु 17 ग के अनुसार रू0 2000.00 से अधिक के भुगतान अकाउंट पेयी चेक किये जाने के निर्देश है, वित्त पथ 2011 आहरण वितरण अधिकारी के कार्य के बिन्दु 3 के व्यय भुगतान सम्बन्धी प्रकार्य के अनुसार शासनादेश संख्या ए-1/1450/दस- 96 - 10 (11)-93 दिनांक 23-07-1996 के अनुसार निजी संस्थाओं, व्यक्तियों तथा पार्टियों को रू0 2000.00 से अधिक नकद भुगतान नहीं किया जाना है परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है) ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किये सप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल रू0 5988518.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती माया देवी तथा सचिव श्री ओमप्रकाश राय से किया जाना अपेक्षित है।

#### 45. ग्राम पंचायत का नाम महुआपार उर्फ डाकिनगंज

#### विकास खण्ड - पन्दह

##### प्रस्तर-73

राज्य/14 वित्त के अंतर्गत आलोच्य वर्ष में दिनांक 23-4-2019 को प्रशासनिक व्यय पर 20887.00 दर्ज है परन्तु शा0दे0सं0 4/2019/12533-1-2019-175 एसएस/2016/टी0सि0 पंचायत अनुभाग-1 दिनांक 31-1-2019 के आलोक में प्रशासनिक व्यय रू 15000 अनुमन्य है परन्तु व्यय प्रमाणक/उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली/और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किये सप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री कृष्ण कुमार यादव तथा सेक्रेटरी श्री आनंद वर्मा ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

#### 46. ग्राम पंचायत का नाम - खेजुरी

#### विकास खण्ड - पन्दह

##### प्रस्तर- 74

राज्य वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों पर कुल रू0 353000.00 व्यय दर्शित परन्तु व्यय प्रमाणक, एम, बी, पत्रावली, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाँक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा अतः

1. दिनांक 25-1-2020 को बुलेट के घर से सुनील के घर तक नाली मरम्मत कार्य पर रू0 128000.00 का भुगतान निर्गत है।
2. दिनांक 25-1-2020 को रामचंद्र के नाली पर ढक्कन निर्माण पर रू0 20000.00 का भुगतान
3. दिनांक 25-1-2020 को सुरेश के दरवाजे से लक्ष्मण के घर तक नाली ढक्कन पर रू0 70000.00 का भुगतान
4. दिनांक 25-1-2020 को ग्राम पंचायत में आर सी सी ढक्कन निर्माण पर रू0 70000.00 का भुगतान
5. दिनांक 25-1-2020 को ग्राम पंचायत में हैंडपंप मरम्मत पर रू0 65000.00 का भुगतान

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल रू0 353000.00 का ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती रामशम्भारी देवी तथा तत्कालीन सचिव ओमप्रकाश राय से किया जाना अपेक्षित है

#### प्रस्तर-75

कैशबुक में 14 वा वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों पर कुल ₹0 5259652.00 व्यय दर्शित परन्तु व्यय प्रमाणक, एम, बी, पत्रावली, मास्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा

1. दिनांक 10-4-2019 को हैडपंप मरम्मत पर ₹0 10000.00
2. दिनांक 6-7-2019 को कस्तुरबा गेट से बाउंड्री तक इंटरलाकिंग पर ₹0 199186.00
3. दिनांक 11-7-2019 को सुरेश के घर से शर्मा के घर तक इंटरलाकिंग पर ₹0 199186.00
4. दिनांक 15-7-2019 अक्षय के घर से तेजन के घर तक इंटरलाकिंग पर ₹0 197934.00
5. दिनांक 15-7-2019 रामनाथ के दरवाजे से राजेश वर्मा के इंटरलाकिंग पर ₹0 197934.00
6. दिनांक 15-7-2019 राजेश वर्मा के खेत से सुरेश के इंटरलाकिंग पर ₹0 195634.00
7. दिनांक 15-7-2019 रामप्रताप के दरवाजे से चैहान के घर इंटरलाकिंग पर ₹0 195634.00
8. दिनांक 15-7-2019 बलवंत के घर से संतोष के इंटरलाकिंग पर ₹0 195634.00
9. दिनांक 15-7-2019 राजेश के घर से दयाशंकर के इंटरलाकिंग पर ₹0 195694.00
10. दिनांक 15-7-2019 रामनाथ राम के घर से राजेश वर्मा के इंटरलाकिंग पर ₹0 118711.00
11. दिनांक 26-7-2019 नाथ बाबा पोखरे के उत्तरी छोर पर घाट निर्माण पर ₹0 331036.00
12. दिनांक 26-7-2019 नाथ बाबा पोखरे के दक्षिणी छोर पर घाट निर्माण पर ₹0 330490.00
13. दिनांक 1-8-2019 हैडपंप मरम्मत, रिबोर तथा हनयूम पाइप पर ₹0 200000.00
14. दिनांक 2-12-2019 मेन खडन्जा से नागेन्द्र सिंह के घर तक इंटरलाकिंग पर ₹0 198046.00
15. दिनांक 2-12-2019 शिवजी राजभर से रोहितास के घर पर ₹0 189501
16. दिनांक 2-12-2019 मेन रोड़ से अशोक सिंह पर ₹0 151330.00
17. दिनांक 2-12-2019 रोहितास के घर से ब्रम्हानंद सिंह पर ₹0 194920.00
18. दिनांक 2-12-2019 ब्रम्हानंद के घर से हरेराम राजभर पर ₹0 195035.00
19. दिनांक 2-12-2019 स्वच्छता सामग्री पर ₹0 35075.00
20. दिनांक 15-12-2019 मेन खडन्जा से काली के इंटरलाकिंग पर ₹0 191496.00 मजदूरी नहीं
21. दिनांक 15-12-2019 कलि माँ के स्थान पर तीनों तरफ से इंटरलाकिंग पर ₹0 101256.00 मजदूरी नहीं
22. दिनांक 15-12-2019 हरेराम के घर से राजजनम गुप्ता पर ₹0 144392.00 मजदूरी नहीं
23. दिनांक 15-12-2019 बुलेट तिवारी के खेत से हाँस्पिटल तक खडन्जा पर ₹0 144392.00 मजदूरी नहीं
24. दिनांक 19-12-2019 कलि माँ के स्थान से पुलिया तक इंटरलाकिंग पर ₹0 151214.00 मजदूरी नहीं
25. दिनांक 19-12-2019 मुन्ना के घर से चन्दन प्रसाद तक पेवर्स ब्लाक पर ₹0 191496.00
26. दिनांक 20-12-2019 राधेश्याम के घर से विशेश्वर के घर तक पेवर्स ब्लाक पर ₹0 191496.00
27. दिनांक 20-12-2019 तरुण के घर से सुशील के घर तक पेवर्स ब्लाक पर ₹0 191496.00
28. दिनांक 20-12-2019 पंचायत भवन का मरम्मत तथा रंगाई पोताई फर्श निर्माण पर ₹0 100500.00
29. दिनांक 25-12-2019 रामप्रकाश के घर से पुलिया तक नाली निर्माण पर ₹0 121000.00
30. दिनांक 25-12-2019 रामप्रकाश के घर से पुलिया तक नाली निर्माण पर ₹0 121000.00
31. मेन खडन्जा से राजन के घर तक इंटरलाकिंग पर ₹0 78934.00 मजदूरी नहीं

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल ₹0 5259652.00 का ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती रामशम्भारी देवी तथा तत्कालीन सचिव ओमप्रकाश राय से किया जाना अपेक्षित है

#### 47. ग्राम पंचायत का नाम - मुजही

विकास खण्ड - पन्दह

#### प्रस्तर-76

पंचायत राज अनुभाग-1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2500.00 ₹0 से बढ़ा कर ₹0 3500.00 मासिक किया गया जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है लेकिन मासिक भुगतान हेतु पंजिका का निर्माण नहीं किया जा रहा है फलतः आलोच्य वर्ष के साथ पूर्व के वर्षों में दिए गए मानदेय और

बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं किया जा सका, इस सन्दर्भ में मानदेय दिए जाने में दुहराव संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है आलोच्य वर्ष में दिनांक 23-1-2020 को प्रधान को मानदेय रू0 31500.00 माह अगस्त 2019 से माह मार्च 2020 तक दिया गया जबकि यह रू0 28000.00 होना चाहिए अतः 3500.00 अधिक देकर सरकारी धन का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए प्रधान जनार्दन चौहान तथा सचिव प्रवीण यादव जिम्मेवार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है विभागीय अधिकारियों का ध्यान मानदेय पंजिका के रख-रखाव की ओर आकृष्ट किया जाता है।

**प्रस्तर- 77**

दिनांक 27-1-2020 को 14वा वित्त के आईडी 18631704 से पिच रोड़ से दयाराम यादव के घर तक खडंजा निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 45238.00 जबकि मजदूरी पर क्रमांशः रू0 11460.00 तथा रू0 11440.00 कुल रू0 22900.00 दिया गया हैजबकि एम.बी. के अनुसार मजदूरी रू0 11460.00 देना अपेक्षित है स्पष्ट रूप से रू0 11440.00 का अपहरण कर लिया है जिसके लिए प्रधानजनार्दन चौहान तथा सचिवप्रवीण यादव जिम्मेवार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जबकि प्राप्त कोषबही अस्पष्ट है

**प्रस्तर- 78**

दिनांक 27-1-2020 को 14वा वित्त के आईडी 20383110.00 से नहर कच्ची नाली से श्रवण के घर तक खडंजा निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0 44469.00 जबकि मजदूरी पर क्रमशःरू0 22440.00 व्यय दर्शित है जबकि एम.बी. के अनुसार मजदूरी रू0 11220.00 देना अपेक्षित है स्पष्ट रूप से रूपया 11220.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए प्रधान तथा सचिव जिम्मेवार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 79**

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्राप्त बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 10-4-2019 को चेक संख्या 212504 से रू0 17400.00, दिनांक 1-8-2019 को चेक संख्या 208595 से रू0 20000.00 दिनांक 01-8-2019 कोचेक संख्या 208593 से रू0 30000.00, दिनांक 10-8-2019 को चेक संख्या 212517 से रू0 16000.00, कुल 73400.00 प्रधान द्वारा आहरित है जबकि जो नियमों के विरुद्ध है क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत चेक लाभार्थियों के नाम पर ही निर्गत होना चाहिये स्पष्टरूप से सरकारी धन अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए प्रधान तथा सचिव श्री अरूण सिंह जिम्मेवार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**48. ग्राम पंचायत का नाम - पहराजपुर**

**विकास खण्ड - पन्दह**

**प्रस्तर-80**

कोषबही तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अज्ञात को चेक देना दर्शित है जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त हेतु बियरर चेक निर्गत हैकोई भी चेक कार्य के सापेक्ष निर्गत नहीं है निम्नलिखित कार्यों की पत्रावली, वाउचर,मस्टर रोल,एस्टीमेट सम्बंधित कार्य की वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली,स्टाॅक रजिस्टर कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र तथा ,एम0एम0-11/फार्म 3सी इत्यादि प्रस्तुत नहीं रहा

1. दिनांक 08.04.219 को चक्का जलाल में सोनाडीह मार्ग से प्राथमिक स्कूल तक खडंजा निर्माण पर रूपया 42826 मजदूरी नहीं
2. दिनांक 04.07.2019 को नहर पी0डबलू0डी0 मार्ग से प्राथमिक विद्यालय तक खडंजा पर रूपया 46120.00
3. दिनांक 06.07.2019 को पहराजपुर में राघवेन्द्र के दरवाजे तक खडंजा पर रूपया 66628.00
4. दिनांक 06.07.2019 को रतसर इसराइल पी0डबलू0डी0 मार्ग से पहराजपुर जाने वाले मार्ग पर गेट निर्माण पर रूपया 202440.00
5. दिनांक06.07.2019 को पहराजपुर से नहर पुलिया से चक मोती मार्ग तक खडंजा पर रूपया 109982.00
6. दिनांक 29.07.2019 को स्टीकर शौचालय हेतु रूपया 6540
7. दिनांक 30.07.2019को हैडपंप मरम्मत पर रूपया 58520.00

अतःग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी” के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल रू0 533056.00 का ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री सत्येन्द्र सिंह तथा तत्कालीन सचिव ओमप्रकाश राय से किया जाना अपेक्षित है

#### प्रस्तर- 81

आलोचय वर्ष में चौदहवां/राज्य वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य दर्शित है परन्तु कार्य के सापेक्ष कोई भी पत्रावली, एमबी, एस्टीमेट, मस्टर रोल, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटो इत्यादि प्रस्तुत नहीं रहे

1. दिनांक 21.11.2019 को सतर्सन में पीच रोड से प्रभुनाथ के दरवाजे तक खडन्जा में सामग्री पर व्यय रूपया 64500.00 मजदूरी नहीं दी गयी
  2. दिनांक 26.11.2019 को सतर्सन में पीच रोड से विरेन्द्र के खेत तक खडन्जा निर्माण में सामग्री पर व्यय रूपया 154800.00 मजदूरी नहीं दी गयी
  3. दिनांक 26.11.2019 को विरेन्द्र के खेत से केदार के खेत तक खडन्जा निर्माण में सामग्री पर व्यय रूपया 79600.00 मजदूरी रूपया 20304 दी गयी
  4. दिनांक 26.11.2019 को फुलेन्द्र सिंह के घर से गडही तक नाली ढक्कन सहित सामग्री पर व्यय रूपया 91000.00 मजदूरी नहीं दी गयी
  5. दिनांक 26.11.2019 को खडन्जा से विरेन्द्र के दरवाजे तक मिट्टी खडन्जा पर रूपया 57600.00 सामग्री पर तथा मजदूरी 13286 दी गयी
  6. दिनांक 27.12.2019 को चबूतरा निर्माण हेतु सामग्री पर रूपया 93000.00 मजदूरी नहीं दी गयी
- अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल रू0 574090.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री सत्येन्द्र सिंह तथा सचिव ओमप्रकाश राय से किया जाना अपेक्षित है

#### प्रस्तर-82

मनरेगा के अंतर्गत जगरनाथ गुप्ता के चक से चक मोती पुलिया तक बंधी कार्य के साइन बोर्ड लगाने हेतु रूपया 4000.00 का भुगतान अभिनन्दन इंटरप्राइजेज को किया गया परन्तु मनरेगा के वेबसाइट पर अपलोड नहीं है जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है जिसके लिए तत्कालीन सचिव ओमप्रकाश राय, तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार हैं ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है

#### 49. ग्राम पंचायत का नाम - सिसोटा

विकास खण्ड - नवानगर

#### प्रस्तर-83

मनरेगा के अंतर्गत राधेश्याम के टूबेल के सामने से अच्छेलाल बिन्द के घर के सामने तक नाला खुदाई कार्य में मस्टर रोल के अनुसार कार्य दिनांक 12-3-2020 से 23-3-2020 तक कराये गए परन्तु कोरोना महामारी के संक्रमण के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने दिनांक 22-3-2020 को जनता कर्फ्यू की घोषणा की जिसके तहत सभी को घर में रहने के निर्देश दिया गया था कोई भी सार्वजनिक कार्य पर पूर्ण पाबंदी थी परन्तु इसके बाबजूद उक्त तिथि को 55 मानव दिवस कार्य करा कर प्रधानमंत्री के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन किया गया जिसके लिये प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार हैं वसूली रू0 10010.00 तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है यहाँ मस्टर रोल संख्या 5342 से 5347 पर सचिव का हस्ताक्षर भी नहीं है पुनः सुग्रीव सिंह के बगीचे से श्यामबिहारी के खेत तक बंधी कार्य दिनांक 16-3-2020 से 25-3-2020 तक कराया गया यहाँ भी कोरोना महामारी के संक्रमण के मद्देनजर दिनांक 25-3-2020 से लाँकडाउन लगा दिया गया परन्तु उक्त तिथि में कार्य पर 9 मानव मजदूरी दर्शित है जो फर्जी है तथा जिसके लिये प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार हैं वसूली रू0 1638 तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है मस्टर रोल संख्या 5501 से 5504 पर सचिव का हस्ताक्षर भी नहीं है अतः कुल रू0 11648.00 की ब्याज सहित वसूली से की जानी अपेक्षित है।

#### 50. ग्राम पंचायत का नाम - सरियाव मनोवीर

विकास खण्ड - नवानगर

#### प्रस्तर-84

मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य दिनांक 22-3-2020 अर्थात् जनता कर्फ्यू के दिन कराया गया जनता कर्फ्यू की घोषणा प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी संक्रमण की रोकथाम करने हेतु घोषित किया था जिसमें सर्व सामान्य को सुबह से शाम तक घर में रहने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था कोई सार्वजनिक कार्य करने की स्पष्ट मनाही थी बाबजूद इसके जीतू चौहान के खेत से अच्छेलाल के दरवाजे तक

नाली खडंजा निर्माण कार्य पर 5 मानव दिवस, जहीर के घर से रामकान्त के घर होते हुए मुख्य नाली तक खडंजा कार्य पर 5मानव दिवस, लाल मोहन चौहान के दरवाजे से चन्द्रीका चौहान के दरवाजे तक पक्की नाली ढक्कन शीट पर 2 मानव दिवस, कुल 12 मानव दिवस कार्य दर्शित है जिस पर कुल ₹0 2184.00 मजदूरी दिया गया है जो प्रधानमंत्री के स्पष्ट निर्देश का उल्लघन है जिसके लिए प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है ब्याज सहित वसूली तथा अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

**51. ग्राम पंचायत का नाम - रामपुरकटराई**

**विकास खण्ड - नवानगर**

**प्रस्तर-85**

दिनांक 28-6-2019 तथा 18-7-2019 को हैंडपंप मरम्मत पर कुल 45000.00 व्यय दर्शित है परन्तु यह गत वर्ष के आई.डी./ कार्ययोजना में पाया गया जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है इसके अतिरिक्त हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैंडपंप खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया, प्रधान तथा सचिव जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**52. ग्राम पंचायत का नाम - किशोरचेतन**

**विकास खण्ड - नवानगर**

**प्रस्तर-86**

मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों- 1. विजय शंकर राय के खेत से परमहंस बाबा के स्थान तक मिट्टी ओर खडंजा कार्य। 2. किशुन के घर से शिवराज के घर तक इंटरलाकिंग कार्य। 3. उमा के घर से नारदा के घर तक इंटरलाकिंग कार्य। 4. पिच रोड से पंचायत भवन तक इंटरलाकिंग कार्य पर साइन बोर्ड हेतु माँ अम्बे बिल्डिंग मटेरियल को ₹0 5000.00 की दर से 4 साइन बोर्ड हेतु ₹0 20000.00 का भुगतान दर्शित है परन्तु मनरेगा के वेबसाइट पर साइन बोर्ड का फोटो अपलोड नहीं है निश्चित रूप से सरकारी धन का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए प्रधान, सचिव तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है वसूली तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

**53. ग्राम पंचायत का नाम - जमुई**

**विकास खण्ड - नवानगर**

**प्रस्तर-87**

राज्य/14वा वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आलोच्य वर्ष में कराये गये परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी पत्रावली, बिल वाउचर, एस्टीमेट, कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर, सम्बन्धित फोटोग्राफ, एम.बी., मस्टर रोल, इत्यादि प्रस्तुत नहीं रहा-

1.दिनांक 12-7-2019 को राजेश के घर से रामअवध के घर तक नाली ढक्कन निर्माण पर ₹0 164520.00

सामग्री पर जबकि मजदूरी ₹0 32105.00 कुल 196625.00।

2.दिनांक 12-7-2019 को अब्दुल रहीम के घर से दिलीप गुप्ता के घर तक इंटरलाकिंग पर (₹0 160705

सामग्री पर जबकि मजदूरी ₹0 36725) कुल 197430।

3.दिनांक 12-7-2019 को खलीफा चौहान के घर से शिवजी शर्मा के घर तक नाली मरम्मत पर ₹0 164520.00

सामग्री पर जबकि मजदूरी ₹0 31870.00 कुल 196390.00।

4.दिनांक 12-7-2019 को हैंडपंप मरम्मत पर 38000.00 हैंडपंप रिबोर पर ₹0 38489.00 कुल ₹0

76489.00।

5.दिनांक 12-7-2019 को अब्दुल रहीम के घर से कैलाश के घर तक नाली मरम्मत पर (₹0 163359.00

सामग्री पर जबकि मजदूरी ₹0 33295.00) कुल 196654.00

6.दिनांक 24-7-2019 को एडीओ पंचायत को ₹0 44418.00।

7.दिनांक 17-1-2020 को सिकन्दरपुर कठौडा मार्ग पर भेंगडा के सामने चबूतरा निर्माण पर ₹0 95195.00

मजदूरी शून्य

8.दिनांक 22-1-2020 को सिमेंटेड बेंच पर ₹0 260000.00

9.दिनांक 27-1-2020 को एक ही आई.डी. हैंडपंप रिबोर पर ₹0 154968.00

10.दिनांक 27-1-2020 को आदर्श पब्लिक स्कूल से रामदवर यादव के घर तक खडंजा निर्माण पर ₹0

150671.00 सामग्री पर तथा ₹0 40890.00 मजदूरी पर

11.दिनांक 21-1-2020 को प्रधान को मानदेय रूपया 156000

12.दिनांक 30-1-2020 को बबलू राय के घर से बिहारी यादव के घर तक सोलिंग कार्य पर रूपया 151543

सामग्री पर तथा रूपया 41760 मजदूरी पर

13.दिनांक 7-3-2020 को सामुदायिक शौचालय पर रूपया 50000

14.दिनांक 21-2-2020 को स्वच्छता हेतु रूपया 12100

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किवे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल रूपया 1980243की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती शारदा देवी तत्कालीन सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

**54. ग्राम पंचायत का नाम - चकहाजी उर्फ शेखरपुर**

**विकास खण्ड - नवानगर**

**प्रस्तर-88**

14 वा वित्त के अंतर्गत दिनांक 24-7-2019 को आई डी संख्या 20196078 तथा 20281862 से ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थानों पर सीमेंटेड बैंच स्थापना हेतु रूपया 180000.00 तथा 108000.00 कुल रूपया 288000.00 का चेक आर आर एसोसिएटको दिया गया प्रमाणक तो प्रस्तुत रहे परन्तु सीमेंटेड बैंच की स्थापना किन स्थानों पर किया गया इसकी लिस्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा यह कार्य वर्ष 2018-19 के कार्ययोजना में था परन्तु आलोच्य वर्ष में चेक का भुगतान कर अनियमितता की गयी इसके अतिरिक्त यह एक प्रोजेक्ट है जीपीडीपी/कार्य योजना में एक है लेकिन इसे टुकड़ों में तोड़कर सम्पादित किया गया है जिसके लिए प्रधान तथा सचिव जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

**55. ग्राम पंचायत का नाम - देवकली**

**विकास खण्ड - नवानगर**

**प्रस्तर-89**

14 वा वित्त के अंतर्गत दिनांक 9-7-2019 तथा 10-7-2019 को आई डी सं0 19251179 से क्रमशः रूपए 172000 रूपए 150000 तथा 172000 कुल रूपए 494000 का चेक मेमर्स आर आर एसोसिएशट को ग्राम पंचायत सार्वजनिक स्थानों पर सीमेंट बैंच स्थापना हेतु चेक दिया गया प्रमाणक तो प्रस्तुत रहा सीमेंटेड बैंच की स्थापना किन स्थानों पर किया गया इसकी लिस्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा,स्टाँक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं रहा इसके अतिरिक्त वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही जिसके अंतर्गत तकनीकी परीक्षण-2 से 2.5 लाख तक जे0ई आर0ई0एस/जे0इ0एमआइ/जे0ई0जिला पंचायत/जे0ई0मंडिपरीषद् द्वारा किया जायेगा 2.5 लाख से ऊपर-अभियंता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है,वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति 2 लाख से 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0पी0,5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 और 5 लाख से ऊपर डी0एम0,10 लाख से ऊपर जिला पंचायत द्वारा अनुमति प्रदान किया जायेगा,परन्तु लेखा परीक्षा में सम्बंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही अतः वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति न लेकर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रधान तथा सचिव जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है **हप्रस्तर-90**

14 वा वित्त के अंतर्गत दिनांक 4-12-2019 को आई डी संख्या 7324154 से रूपए 150500 का चेक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थानों पर सोलर लाइट की स्थापना हेतु दिया गया प्रमाणक तो प्रस्तुत रहे परन्तु सोलर लाइट की स्थापना किन स्थानों पर किया गया लेखा परीक्षा में लिस्ट/फोटो प्रस्तुत नहीं रहा। इसके अतिरिक्त यह कार्य वर्ष 2018-19 के कार्ययोजना में था जबकि आलोच्य वर्ष में भुगतान कर अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान तथा सचिव जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है

**प्रस्तर- 91**

मनरेगा के अंतर्गत दिनांक 10-3-2020 को मेन सड़क से फील्ड तक मिट्टी खंडजा कार्य पर 10 मानव दिवस मजदूरी किया गया परन्तु एम बी के अनुसार 98 मानव दिवस मजदूरी दी जानी है अतः 7 मानव दिवस अधिक मजदूरी देकर 182'7=रूपया 1274 का अपहरण किया गया है प्रधान ,सचिव,तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है वसुली तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

**प्रस्तर-92**

मनरेगा के अंतर्गत दिनांक 6-12-2019 को मनोज चौहान का वर्मी कम्पोस्ट गड्डे का निर्माण कार्य पर 11 मानव दिवस मजदूरी रूपया 2002 दिया गया परन्तु बिना कुशल मजदूर के इसका निर्माण संभव नहीं है जबकि सामग्री पर रूपया 10702 का व्यय दर्शित है कार्य पर कुल रूपया 12704 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है प्रधान- सचिव तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

**56. ग्राम पंचायत का नाम- गाजीपाकड़**

**विकास खण्ड - नवानगर**

### प्रस्तर-93

मनरेगा के आनॅलाइन जाच करने पर पता चला की ग्राम पंचायत में 10 कार्य कराये गये जिसमें 1617 मानव दिवस कार्य हुआ तथा रूपया 294294 व्यय हुआ। अन्य कार्य तो ठीक थे परंतु मेन नहर से ललन तिवारी के चक तक नाली खुदाई कार्य के मस्टर रोल के अनुसार कार्य 13-3-2020 से 24-3-2020 तक कराया गया परन्तु कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने दिनांक 22-3-2020 को जनता कर्फु की घोषणा की इसके अंतर्गत (सबको सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक अर्थात् 14 घंटे घर के अन्दर रहना था सड़क तथा मुहल्ले में निकलने पर पूर्ण मनाही थी)सार्वजनिक स्थानों पर जमा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध था। इस घोषणा के बाबजूद मनरेगा के अंतर्गत उक्त तिथि को कार्य करना नियमविरुद्ध है तथा वसूली योग्य है मस्टर रोल संख्या 5407/दिनांक 22-3-2020 को 8 मजदूरों द्वारा कार्य करना दर्शित है पुनः मेन नहर से मुख्य सड़क के चक तक नाली खुदाई कार्य के मस्टर रोल के अनुसार कार्य दिनांक 13-3-2020 से 24-3-2020 तक कराया गया मस्टर रोल संख्या 5405 तथा 5406 दिनांक 22-3-2020 को क्रमशः 6,6 मजदूरों द्वारा कार्य करना दर्शित है अतः कुल 20 मजदूरों की मजदूरी रूपया 3640 की वसूली सम्बंधित प्रधान, सचिव तथा तकनीकी सहायक से की जाने चाहिए जबकि कार्यक्रम/सहायक अधिकारी, तकनीकी सहायक, रोजगार सहायक सभी जिम्मेवार है विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है

### 57. ग्राम पंचायत का नाम- रुद्रवार

### विकास खण्ड - नवानगर

#### प्रस्तर-94

दिनांक 3-8-2019 को हैण्ड पम्प रिबोर हेतु रूपया 142570 तथा दिनांक 17-2-2020 को रूपया 110000 निर्गत है परन्तु पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51-2017-2011/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के मरम्मत का कार्य मानते हुए अलग अलग वर्क आई डी तैयार किये जाने के निर्देश दिए गए है लेकिन एन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर क सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे.ई. एम.आई./आर.डी./मंडी परिषद/जिला पंचायत/डी.एम.के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेग, साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जी.पी.डी.पी. के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन े पालन की स्थिति अज्ञात रही, अतः रु0 252570.00 के व्यय में उक्त शासनादेशों का उल्लघन कर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान और सचिव जिम्मेवार है अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-95

दिनांक 19-7-2019 को लालधारी के घर से गड़ही तक नाली ढक्कन खडंजा मरम्मत पर रु0 186036.00 व्यय दर्शित है यहा मजदूरी रु0 39312.00 दिया गया है जो सिर्फ अकुशल मजदूरों हेतु है मिस्त्री के बिना उक्त कार्य संभव नहीं है पुनः दिनांक 3-8-2019 को हीरा के घर से वसुला ड्रेन तक नाली खडंजा निर्माण पर रु0 94479.00 व्यय दर्शित है यहा भी मजदूरी रु0 8372.00 दिया गया है जो सिर्फ अकुशल मजदूरों हेतु है मिस्त्री के बिना उक्त कार्य संभव नहीं है अतः इन कार्यों के व्यय में (रु0 280515.00) भारी अनियमितता की गयी जिसके लिये प्रधान तथा तात्कालीन सचिव जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

#### प्रस्तर-96

मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित पक्का कार्यों पर कुल व्यय रु0 98658.00 दर्शित है परन्तु मिस्त्री के बिना कार्य करा करगंभीर अनियमितता किया गया है क्योंकि अकुशल मजदूर पक्का कार्य नहीं कर सकते अतः प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

1. रमेश का पशुशेड निर्माण कार्य पर कुल व्यय रु0 47791.00
2. हरि शंकर का सोखता निर्माण कार्य पर कुल व्यय रु0 7408.00
3. रामलाल का वेरमी कम्पोस्ट निर्माण पर कुल व्यय रु0 14402.00
4. रंजय का वेरमी कम्पोस्ट निर्माण पर कुल व्यय रु0 14402.00
5. पवन कुमार का वेरमी कम्पोस्ट निर्माण पर कुल व्यय रु0 14655.00

### 58. ग्राम पंचायत का नाम- करमौता

### विकास खण्ड - नवानगर

#### प्रस्तर-97

दिनांक 7-3-2020 को आई.डी. नंबर 20742211 से पी डब्लू डी रोड़ से राधे चौधरी के घर तक खडंजा कार्य हेतु रू0 43900.00 हरिओम ईअ भट्टा को दिया गया परन्तु मजदूरी न देकर सरकारी धन का अपहरण कर लिया गया प्रधान राकेश कुमार तथा सचिव अरविन्द निगम जिम्मेवार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 98**

दिनांक 14-11-2019 पंचायत भवन के मरम्मत और रंगाई पोताई कार्य पर कुल रू0 170307.00 की सामग्री क्रय की गयी परन्तु मजदूरी न देकर उक्त धन का अपहरण कर लिया गया प्रधान राकेश कुमार तथा सचिव अरविन्द निगम जिम्मेवार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 99**

दिनांक 15-01-2020 को आगनबाड़ी केन्द्र का गेट तथा चहारदीवारी निर्माण कार्य हेतु रू0 119700.00 का ईट का भुगतान हरि ओम ईट भट्टा को किया गया परन्तु अन्य सामग्री तथा मजदूरी न देकर सरकारी धन का अपहरण कर लिया गया सचिव अरविन्द निगम तथा प्रधान राकेश कुमार जिम्मेवार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**59. ग्राम पंचायत का नाम- हड़सर**

**विकास खण्ड - नवानगर**

**प्रस्तर-100**

14 वा वित्त अन्तर्गत दिनांक 27-1-2020 को आई.डी. नंबर 20613614 तथा आई.डी. नंबर 20613615 से क्रमशः रू0 120000.00 तथा रू0 120000.00 मेसर्स लक्ष्मी सर्विस एंड सप्लायर को ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थानों पर सीमेंट बेंच स्थापना हेतु भुगतान किया गया प्रमाणक तो प्रस्तुत रहे परन्तु लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा। आलोच्य वर्ष में सीमेंट बेंच की स्थापना का कार्य गत वर्ष के कार्ययोजना में दर्शित दो आई.डी. नंबर से लिये गये हैं जो गलत है क्योंकि एक ही आई.डी. पर तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त करना पड़ता। अतः गत वर्ष के आई.डी. से आलोच्य वर्ष में भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान और सचिव जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर-101**

दिनांक 29-7-2019 को पिच रोड़ से मनोज के घर तक खडंजा निर्माण में ईट हेतु रू0 83000.00 का चेक नागेश्वर ईट भट्टा को दिया गया परन्तु मजदूरी हेतु रू0 21000.00 चेक मजदूरों को न देकर खाता सं0 2208278831 में ट्रांसफर कर धन का अपहरण कर लिया गया जिसके लिये प्रधान तथा सचिव जय प्रकाश सिंह जिम्मेवार है अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0 104000.00 की व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**60. ग्राम पंचायत का नाम- कटघराजमीन**

**विकास खण्ड - नवानगर**

**प्रस्तर-102**

14 वा वित्त अन्तर्गत दिनांक 13-1-2020 को आई.डी. नंबर 13775191 से ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थानों पर सीमेंटेड बेंच स्थापना हेतु रू0 115500.00 का भुगतान पाठक इंटरप्राइजेज को किया गया प्रमाणक तो प्रस्तुत रहे परन्तु सीमेंटेड बेंच की स्थापना किन स्थानों पर किया गया इसकी लिस्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं रहा, इसके अतिरिक्त यह आई.डी. वर्ष 2018-19 के कार्ययोजना में था परन्तु आलोच्य में भुगतान कर अनियमितता की गयी जिसके लिए प्रधान तथा सचिव जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर-103**

पंचायत राजअनुभाग 3 के आदेश संख्या 97/2017/2584/33-3-2017-02/2016 दिनांक 7-11-2017 के अनुसार 14एफ.सी. गाइडलाइन के अनुसार वर्ष में कुल अनुदान प्राप्त होने के बाद उसका 10प्रतिशत धनराशि प्रशासनिक और तक मद में व्यय किया जायेगा और 10प्रतिशत का 64.5प्रतिशत ए.डी.ओ.(पं.) को दिया जायेगा और इसका 33प्रतिशत एक पूल की स्थापना कर मानव संसाधन की व्यवस्था पर व्यय किया जायेगा, बिन्दु 1ग के अनुसार एक कम्प्यूटर आपरेट के कार्य निर्धारित किये गए हैं जिसके द्वारा प्लान प्लान एक्शन साफ्ट-प्रियासाफ्ट यथानुसार इंटी किया जायेगा, आलोच्य वर्ष में कोषबही के अनुसार निधि प्रथम से राज्य वित्त मद से प्रिया साफ्ट पर फीडिंग के लिए भुगतान कर गाइलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है आलोच्य वर्ष में दिनांक 24-7-2019 आई.डी. संख्या 19307391 से 14 वित्त से रू0 23655 ए.डी.ओ.(पं.) देना दर्शित है परन्तु

सम्बन्धित आई.डी. कार्ययोजना वर्ष 2018-19 में था अतः यह गंभीर अनियमितता किया गया जिसके लिए प्रधान सचिव जिम्मेवार है। अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-104

आलोच्य वर्ष ग्राम पंचायत में 14वा वित्त के अंतर्गत विभिन्न तिथियों (4-7-2019 तथा 2-3-220) हैंड पंप मरम्मत पर क्रमशः ₹0 30000.00 तथा 40000.00 कुल ₹0 70000.00 व्यय किया गया सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत रहे परन्तु यह आई.डी. वर्ष 2018-19 के कार्ययोजना में है परन्तु उसी आई.डी. पर आलोच्य वर्ष में कार्य करा गंभीर अनियमितता की गयी है तत्कालीन सचिव रामपुकार राम तथा श्याम प्रसाद तथा प्रधान जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 61. ग्राम पंचायत का नाम- नवानगर

#### विकास खण्ड - नवानगर

#### प्रस्तर-105

दिनांक 19-3-2020 को ₹0 प्रशासनिक मद पर ₹0 20000.00 का भुगतान एस. एफ. टेंडर्स को दिनांक 19-3-2020 स्वच्छता हेतु ₹0 20000.00 का भुगतान एस.एफ. टेंडर्स को दिनांक 24-3-2020 को स्वच्छता हेतु ₹0 10000.00 का भुगतान एस.एफ. टेंडर्स को किया गया परन्तु सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किवे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्ता अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के समबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है यहा कुल ₹0 50000.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती साहिन सूफी तथा सचिव राज कुमार के किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-106

राज्य/14 वा वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य दर्शित है परन्तु उससे सम्बन्धित (कोई भी पत्रावली अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा सिर्फ एम बी दिया गया) एक आईडी पर सिर्फ सामग्री क्रय किया गया है जबकि मजदूरी आगामी वर्ष में दुसरे आईडी पर देकर सरकारी धन के व्यय में गंभीर अनियमितता किया गया है कुल 1. दिनांक 4-12-2019 को आई.डी. संख्या 18668647 से मेन रोड से भुवाल सिंह के स्कूल तक मिट्टी खडंजा कार्य हेतु ₹0 121096.00 की सामग्री क्रय किया गया परन्तु आई.डी. संख्या 21249292 से मजदूरी आगामी वर्ष में दिया गया है, 2. दिनांक 4-12-2019 को आई.डी. संख्या 18668636 से सीमेटेड रोड से सुदाम के घर तक मिट्टी खडंजा निर्माण हेतु ₹0 147717.00 की सामग्री क्रय किया गया परन्तु आई.डी. संख्या 21249296 पर मजदूरी आगामी वर्ष में दिया गया है 3. दिनांक 17-1-2020 को आईडी संख्या 20429833 से बहेलिया बाबा के पोखरे के पास आर सी.सी. पुलिया निर्माण पर ₹0 29167.00 सामग्री क्रय किया गया परन्तु आईडी संख्या 21249293 पर मजदूरी आगामी वर्ष में दिया गया है, 4. दिनांक 17-1-2020 को आईडी संख्या 20429832 से राजू के खेत पास पुलिया निर्माण पर ₹0 68083.00 का सामग्री क्रय किया गया परन्तु आईडी संख्या 21249294 पर मजदूरी आगामी वर्ष में दिया गया है, 5. दिनांक 17-1-2020 को आईडी संख्या 20429831 से भारत के टयुबेल के पास बड़ी पुलिया निर्माण पर ₹0 70504.00 का सामग्री क्रय किया गया परन्तु आईडी संख्या से 21249294 पर मजदूरी आगामी वर्ष में दिया गया है इस प्रकार उपरोक्त कार्यों के व्यय ₹0 436567.00 में गंभीर अनियमितता किया गया है जिसके लिये प्रधान और सचिव जिम्मेवार है आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है

#### प्रस्तर- 107

राज्य/14 वा वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य दर्शित है परन्तु उससे सम्बन्धित (कोई भी पत्रावली, अभिलेख, व्यय प्रमाणक, फोटो, स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा सिर्फ एम बी दिया गया) आईडी पर सिर्फ सामग्री का क्रय किया गया है जबकि मजदूरी आलोच्य/आगामी वर्ष में मजदूरी न देकर धन का अपहरण कर लिया गया, 1. दिनांक 4-12-2019 को आईडी संख्या 20281875 से सीमेटेड रोड से सुरेन्द्र के घर तक मिट्टी खडंजा निर्माण हेतु ₹0 164059.00 का भुगतान एस.एफ.टेंडर्स को किया गया परन्तु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा, मजदूरी आलोच्य/आगामी वर्ष में भी नहीं देकर धन का अपहरण कर लिया गया, 2. दिनांक 24-3-2020 को आईडी संख्या 18668641 से नूर के घर से मेन रोड तक ढक्कन सहित नाली निर्माण में ₹0 133041.00 का भुगतान एस एफ टेंडर्स को किया गया परन्तु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा मजदूरी आलोच्य/आगामी वर्ष में भी नहीं देकर कुल धन रूपया 297100.00 का अपहरण कर लिया (ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्ता अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के समबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो

दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी” के अंतर्गत अधिभार योग्य है) जिसके लिए प्रधान और सचिव जिम्मेवार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**62. ग्राम पंचायत का नाम- चकिया**

**विकास खण्ड - वैरिया**

**प्रस्तर-108**

ग्राम पंचायत चकिया विकास खण्ड वैरिया की वर्ष 2019-20 को लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण एवं दुरुपयोग, गम्भीर अनियमितता के प्रकारण प्रकाश में आये जिन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

1. निम्नलिखित तिथियों में भुगतान मस्टर रोल लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत रहे है।

दिनांक	संबंधित कार्य का नाम	धनराशि
25.7.2019	प्रधान द्वारा नगद भुगतान कर धन का अपहरण	41000.00
25.7.2019		68000.00
25.7.2019		68000.00
25.7.2019		35000.00
25.7.2019		10000.00
25.7.2019		45000.00
25.7.2019		10000.00
25.7.2019		47000.00
25.7.2019		10000.00
25.7.2019		<u>52000.00</u>
	योग-	386000.00

उपरोक्त कार्य पर दर्शित भुगतानों हेतु मस्टर रोल लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आती है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**63. ग्राम पंचायत का नाम- दया छपरा**

**विकास खण्ड - वैरिया**

**प्रस्तर-109**

ग्राम पंचायत दया छपराविकास खण्ड वैरिया की वर्ष 2019-20 को लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण एवं दुरुपयोग, गम्भीर अनियमितता के प्रकारण प्रकाश में आये जिन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

दिनांक 24.01.2020 में रु0 94030.00 को हैण्ड पम्प मरम्मत पर लगी सामग्री व मजदूरी हेतु भुगतान दर्शित कर कैशबुक में धनराशि खारिज की गयी हैं परन्तु इसकी पुष्टि में क्रय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आप्राप्त रहा। अतः इसका क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत खण्ड 8 क यह कि” यदि दर्शिय गये व्यय के समबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शियी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय रु0 94030.00 की वसूली संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नगेन्द्र यादव से बराबर हिस्सों में ब्याज सहित वसूल किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**64. ग्राम पंचायत का नाम- छिब्वी**

**विकास खण्ड - चिलकहर**

**प्रस्तर-110**

ग्राम पंचायत छिब्वी विकास खण्ड चिलकहर की वर्ष 2019-20 को लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण एवं दुरुपयोग, गम्भीर अनियमितता के प्रकारण प्रकाश में आये जिन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

1. निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक के व्यय पक्ष में मात्र धनराशि अंकित करते हुए व्यय दर्शित है। तथा संबंधित व्यय का न तो विवरण अंकित रहा और न ही व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा है।

दिनांक	धनराशि
4.4.2019	28000.00

3.4.2019	40000.00
6.4.2019	7400.00
18.4.2019	9315.00
3.5.2019	1708.00
29.5.2019	1708.00
30.7.2019	31518.00
30.7.2019	21112.00
30.7.2019	178214.00
30.7.2019	166447.00
31.7.2019	59750.00
योग-	545172.00

उपरोक्त व्ययों का कोई व्यय प्रमाणक भी नहीं प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः धनराशि ₹0 545172.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती दुर्गावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दयानन्द यादव से की जानी अपेक्षित है।

**65. ग्राम पंचायत का नाम- गुरवा विकास खण्ड - चिलकहर प्रस्तर-111**

ग्राम पंचायत गुरवा विकास खण्ड चिलकहर की वर्ष 2019-20 को लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण एवं दुरुपयोग, गम्भीर अनियमितता के प्रकारण प्रकाश में आये जिन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

1. निम्नलिखित तिथियों में भुगतान मस्टर रोल लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत रहे हैं।

दिनांक	धनराशि	सम्बन्धित कार्य का नाम
10.4.2019	31500.00	रामबदन के घर से गजपति के घर तक नाली निर्माण कार्य
11.4.2019	62295.00	रामबदन के घर से गजपति के घर तक नाली निर्माण कार्य मजदूरी प्र0वि0 गुरवा में फर्स पर टाइल लगवाने की मजदूरी
7.8.2019	10342.00	
योग-	104137.00	

उपरोक्त कार्य पर दर्शित भुगतानों हेतु मस्टर रोल लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आती हैं। ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान से सयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-112**

दिनांक 15.4.2019में ₹0 52215.00 के द्वारा रामबदन के घर से गजपति के डेरा तक नाली निर्माण कार्य पर सामग्री क्रय पर भुगतान दर्शित कर कैशबुक में धनराशि खारिज की गयी है। परन्तु इसकी पुष्टि में क्रय पत्रावली/व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा। अतः इसका क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत खण्ड 8 क यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शयी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय ₹0 52215.00 की वसूली संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनिल सिंह से बराबर हिस्सों में वसूल किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**66. ग्राम पंचायत का नाम- मगरौली विकास खण्ड - चिलकहर प्रस्तर-113**

ग्राम पंचायत मगरौली विकास खण्ड चिलकहर की वर्ष 2019-20 को लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण एवं दुरुपयोग, गम्भीर अनियमितता के प्रकारण प्रकाश में आये जिन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

1. निम्नलिखित तिथियों में भुगतान मस्टर रोल लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत रहे हैं।

दिनांक	धनराशि	सम्बन्धित कार्य का नाम
31.7.2019	27832.00	मजदूरी पर व्यय टाइल्स पर

31.7.2019 31052.00 मजदूरी पर व्यय सीमेंट डे बेंच पर  
योग- 58884.00

उपरोक्त कार्य पर दर्शित भुगतानों हेतु मस्टर रोल लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आती है। ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान से सयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-114

दिनांक 31.7.2019 में ₹0 138664.00 का टाइल्स खरीद क्रय पर भुगतान दर्शित कर कैशबुक में धनराशि खारिज की गयी है। परन्तु इसकी पुष्टि में क्रय पत्रावली/व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा। अतः इसके क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत खण्ड 8 क यह के" यदि दर्शिए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शियी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।' के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध व्यय ₹0 138664.00 की वसूली संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर जिम्मेदार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर हिस्सों में वसूल किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

#### 67. ग्राम पंचायत का नाम- संवरा

#### विकास खण्ड - चिलकहर

#### प्रस्तर-115

ग्राम पंचायत संवरा विकास खण्ड चिलकहर की वर्ष 2019-20 को लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण एवं दुरुपयोग, गम्भीर अनियमितता के प्रकारण प्रकाश में आये जिन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। निम्नलिखित तिथियों में भुगतान मस्टर रोल लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत रहे हैं।

दिनांक धनराशि सम्बन्धित कार्य का नाम

2.4.2019	27300.00	रमा"कादर उपाध्याय के घर से मुन्ना पाल के दरवाजे तक नाली निर्माण पर मजदूरी व्यय
2.4.2019	27300.00	मुन्ना पाल के दरवाजे से महेन्द्र पाल के दरवाजे तक नाली निर्माण पर मजदूरी व्यय
2.4.2019	21525.00	जवाहर पाल के दरवाजे से जनारदन पाल के दरवाजे तक पेवर्स ब्लाक
20.4.2019	22925.00	मुन्ना पाल के दरवाजे से महेन्द्र पाल के दरवाजे तक पेवर्स ब्लाक पर मजदूरी व्यय

29.3.2021 18900.00 गिरजा पाल के दरवाजे से रमाषंकर उपाध्याय के दरवाजे तक पेवर्स ब्लाकपर मजदूरीव्यय

योग- 117950.00

उपरोक्त कार्य पर दर्शित भुगतानों हेतु मस्टर रोल लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आती है। ब्याज सहित वसूली श्री बृज भुषण राय एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू सिंह से सयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

#### 68. ग्राम पंचायत का नाम- अखितयारपुर

#### विकास खण्ड - सोहांव

#### प्रस्तर-116

मनरेगा के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों के सापेक्ष साइनबोर्ड हेतु नेशनल ट्रेडर्स, चित्तबड़ागाँव को ₹0 25000.00 का भुगतान दर्शित है परन्तु साइन बोर्ड का फोटो मनरेगा के वेबासाइट पर अपलोड नहीं है निश्चित रूप से सरकारी धन के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान सचिव तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार हैं आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

- 1- रामाश्रय के खेत से रामधीरज के दरवाजे तक सड़क किनारे मिट्टी पटरी कार्य।
- 2- स्वामीनाथ के घर से राजीव राम के घर होते हुए विजय राम के घर तक सड़क किनारे पटरी निर्माण
- 3- यादव वस्ती में पकड़ी से पूर्व शेषनाथ और हरिकिशुन यादव के डेरा होते हुए राम आशीष यादव के 4- मेन बंधे से नाडी घाट तक ताला चकबंद कार्य
- 5- राजेश डाक्टर के घर से हरेराम राजभर के घर तक मिट्टी चकबंद कार्य

#### प्रस्तर-117

राज्य/14 वित्त के अन्तर्गत दिनांक 7-3-2020 तथा अन्य तिथियों में आई0डी0 संख्या 7724103 वर्ष 2018-19 के कार्ययोजना में दर्शित कार्य शेषनाथ के घर से सुरेश मास्टर के घर तक पेबर्स ब्लाक निर्माण कार्य में सामग्री पर रूपया 173497.00 जबकि दुसरे आई0डी0 संख्या 19081030 से मजदूरी रूपया 20765.00 कुल रूपया 194262.00 का भुगतान किया गया जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक है जिसके लिये तात्कालिन सचिव तथा प्रधान जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-118

14 वां वित्त के अन्तर्गत दिनांक 3-3-2020 को आई0डी0 संख्या 7724073 वर्ष 2018-19 के कार्ययोजना में दर्शित कार्य (मैन बंधा पकड़ी के पास चबूतरा निर्माण पर सामग्री पर रू0 55209.00 तथा मजदूरी रू0 18065.00 कुल रू0 73274.00 व्यय हुआ) को आलोच्य वर्ष 2019-20 में पूर्ण कर अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान तथा सचिव जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 69. ग्राम पंचायत का नाम- भरौली

#### विकास खण्ड - सोहांव

#### प्रस्तर-119

दिनांक 3-8-2019 को ग्राम पंचायत में 5हेड पम्प रिबोर पर कुल रूपया 191827.00 व्यय दर्शित है परन्तु पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या 51/201-7/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19जून 2017 के अनुसार प्रत्येक हैड पम्प रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुए अलग-अलग वर्क आई0डी0 तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं स्पष्टतः शासनादेश का उल्लंघन कर गम्भीर अनियमितता किया गया है जिसके लिये प्रधान श्रीमती चिट् देवी तथा सचिव विनोद यादव जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 70. ग्राम पंचायत का नाम- सुजायत

#### विकास खण्ड - सोहांव

#### प्रस्तर- 120

दिनांक 12-04-19 को राज्य वित्त के अंतर्गत विशुनपुरा में डीह बाबा के चबूतरा निर्माण में रूपया 29565.00 की सामग्री साईं ट्रेडर्स क्रय दर्शित है परन्तु मजदूरी नहीं देकर धन का अपहरण कर लिया गया लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संपेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशीकी वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी के अंतर्गत अधिभार योग्य है प्रधान तथा सचिव ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है

#### प्रस्तर-121

राज्य वित्त के अंतर्गत दिनांक 5-03-2020 को शिवकुमार के घर से हीरामन के डेरा तक पेबर्स ब्लाक निर्माण कार्य में रूपया 203029.00 सामग्री पर व्यय किया गया परन्तु मजदूरी न देकर धन का अपहरण कर लिया गया लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संपेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशीकी वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से कि जाएगी के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल रूपया 203029.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान तथा तत्कालीन सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-122

14 वा वित्त के अंतर्गत दिनांक 24-07-2019 को तीन कार्य पवन चैबे के घर से पारस के घर तक पेबर्स ब्लाक कार्य में सामग्री पर रूपया 212409.00 देवेन्द्र के घर से रामजी के घर तक पेबर्स ब्लाक कार्य में सामग्री पर रूपया 210037.00 तथा खलीलपुर काली मा के स्थान सक जवाहर के घर तक कार्य में सामग्री पर रूपया 190586.00 कुल व्यय रूपया 613032.00 दर्शित है जबकि दो चेक से इन कार्यों पर मजदूरी रूपया (28700\$10550=)39250.00 दिया गया है जो कार्यों में गम्भीर अनियमितता को प्रदर्शित करता है सम्बंधित मस्टर रोल भी नहीं प्राप्त रहा कार्यों की पत्रावली भी प्रस्तुत नहीं रही अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संपेक्षणदल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी

ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल रूपया 652282.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान तथा तत्कालीन सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

#### 71. ग्राम पंचायत का नाम- नगवागाइ

विकास खण्ड - सोहांव

##### प्रस्तर- 123

मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित पक्का कार्य कराये गये परन्तु बिना मिस्त्री के कार्य संपन्न हुआ जो गम्भीर अनियमितता दर्शाता है जबकि इन कार्यों पर कुलरूपया 525787.00 व्यय हुआ विभागीय जाँच किया जाना अपेक्षित है इसके लिये सचिव प्रधान तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है

- 1.राम जी यादव के दरवाजे पर वरमी कम्पोस्ट निर्माण कार्य पर रूपया 14973.00
- 2 रामेकबल यादव के दरवाजे पर वरमी कम्पोस्ट निर्माण कार्य पर रूपया 18266.00
- 3 रिंग बांधे से मंगनी के खेत तक मिट्टी चकबंद कार्य पर कुल व्यय रूपया 153246.00 जिसमें मजदूरी पर 58604.00 तथा रूपया 94642.00 की सामग्री क्रय दर्शित है स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए अन्यथा चकबंद कार्य पर सामग्री क्रय की क्या जरूरत हैघ
- 4- रिंग बांधे से शिव जी तिवारी के डेरा तक पेबर्स ब्लाक निर्माण कार्य में रूपया 151906.00 सामग्री पर तथा मजदूरी रूपया 18746.00 कुल रूपया 170652.00 व्यय हुआ
- 5- रंग बांधे से हाई स्कूल तक पेबर्स ब्लाक निर्माण कार्य रूपया 168650.00 व्यय हुआ जिसमे रूपया 151906.00 सामग्री पर तथा रू0 16744.00 मजदूरी मद व्यय हुआ

##### प्रस्तर- 124

मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों साइनबोर्ड पर साईं टेड्स को रूपया 20000.00 भुगतान दर्शित है परन्तु बेबसाइट पर अपलोड नहीं है स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा यह सरकारी धन का अपहरण हो सकता है इसके लिये सचिव प्रधान तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है 1.राजेन्द्र यादव के खेत से भागमनीया यादव के खेत तक चकबंद कार्य 2.सरजू यादव के चक से बाबुराम यादव के चक तक मिट्टी कार्य 3.बाबुराम यादव के खेत से जिउत राजभर के खेत तक मिट्टी चकबंद कार्य 4.ग्राम पंचायत में स्थित खेल के मैदान का समतलीकरण

#### 72. ग्राम पंचायत का नाम- बीबीपुर

विकास खण्ड - सोहांव

##### प्रस्तर- 125

मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों पर कुल व्यय रूपया 451303.00 दर्शित है परन्तु इन कार्यों में बहुत कम मजदूरी दिया गया है जिससे कृत कार्य पर व्यय ही संदेहास्पद हो जाता है

- 1- बुआ राजभर के घर से गजर पाल के घर तक पेबर्स ब्लाॅक निर्माण कार्य पर कुल व्यय रूपया 165798.00 हुआ जिसमे मजदूरी मद में रूपया 5460 देना दर्शित है जो कुल व्यय का मात्र 3.32 है जबकि कार्य बिना मिस्त्री के ही संपन्न हुआ है यह कार्य में गम्भीर अनियमितता का द्योतक है इसके लिए प्रधान सचिव तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है
- 2- खदेलु पाल के घर से जर्नादन पाल के घर तक पेबर्स ब्लाॅक निर्माण कार्य पर कुल व्यय रूपया 142251.00 हुआ जिसमे मजदूरी मद में रूपया 4732.00 देना दर्शित है जो कुल व्यय का मात्र 3.32 है जबकि कार्य बिना मिस्त्री के ही संपन्न हुआ है यह कार्य में गम्भीर अनियमितता का द्योतक है इसके लिए प्रधान सचिव तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है
- 3- जयन्त पाल के घर से जगन्नाथ पाल पेबर्स ब्लाॅक निर्माण कार्य पर कुल व्यय रूपया 143254.00 हुआ जिसमे मजदूरी मद में रूपया 5096.00 देना दर्शित है जो कुल व्यय का मात्र 3.55 है जबकि कार्य बिना मिस्त्री के ही संपन्न हुआ है यह कार्य में गम्भीर अनियमितता का द्योतक है इसके लिए प्रधान सचिव तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

#### 73.ग्राम पंचायत का नाम- फिरोजपुर

विकास खण्ड - सोहांव

##### प्रस्तर- 126

दिनांक 25-07-3019 तथा तिथियों में आई डी संख्या 30897283 से हैडपम्प रिबॉर पर कुल रूपया 172225.00 व्यय दर्शित है परन्तु पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प

रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुए अलग अलग वर्क आई डी तैयार किये जाने के निर्देश दिए गए हैं परन्तु ऐसा नहीं किया गया इस संदर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही तकनीकी अनुश्रवण (का कार्य जेई एम आई/आर ई डी/मडी परिषद्/जिला पंचायत /डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा) से सम्बंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही जिससे रिबोर कार्य किन स्थानों पर किया गया इसकी जानकारी नहीं मिल पाई न ही कार्य से सम्बंधित फोटोग्राफ/जियोटैग ही पाये गये अतः कार्य स्पष्ट शासनादेश के विरुद्ध करा कर गंभीर अनियमितता की गयी जिसके लिए प्रधान श्री सुधीर सिंह तथा सचिव श्री जगनारायण यादव तथा संजय चैरसिया जिम्मेवार हैं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जी0पी0डी0पी0 के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियावन् समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहते के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही इसके अतिरिक्त यह कार्य राज्य वित्त से कराया जाना था परन्तु 14 वाँ वित्त से कुछ चेक निर्गत है।

#### प्रस्तर-127

दिनांक 19-11-2019 को हैंड पम्प मरम्मत हेतु मे0 अभय नारायण यादव को रू0 25940.00 का भुगतान दर्ज है परन्तु सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किये संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में आपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः रू0 25940.00 की ब्याज सहित वसूली सेक्रेटरी संजय चैरसिया तथा प्रधान सुधीर सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-128

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में 14 वां वित्त के अंतर्गत दिनांक 28-11-2019 को आई.डी.नं. 19273275 से कुबेर राम के घर से घुराहू के घर तक पेबर्स ब्लाक निर्माण कार्य की लागत व्यय रू0 392455.00 है सम्बन्धित कार्य की वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा सम्बन्धित व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं रहे इस कार्य पर रू0 40010.00 मजदूरी दी गयी परन्तु ऑनलाइन पेमेन्ट से स्पष्ट है मजदूरों को न देकर प्रधान को दिया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इसके लिये प्रधान तथा सचिव संजय चैरसिया जिम्मेवार हैं। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किये संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए, केविपरीत तथा यह भी की खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः रू0 392455.00 की ब्याज सहित वसूली सेक्रेटरी संजय चैरसिया तथा प्रधान सुधीर सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

यह कार्य घुराहू के घर से प्राथमिक विद्यालय शाहबुद्वीनपुर तक पेबर्स ब्लाक निर्माण कार्य का प्रतिरूप है क्योंकि दोनों कार्य का लागत/व्यय, मजदूरी समान है।

#### प्रस्तर-129

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में कायाकल्प योजना के अंतर्गत दिनांक 22-6-2019 को प्राथमिक विद्यालय शाहबुद्वीनपुर में आधारभूत संरचना के निर्माण तथा संदरीकरण(क्लास रूम में टाइल्स इत्यादि) पर कुल रू0 185784.00 सामग्री पर व्यय दर्शित है परन्तु कार्य पर आलोच्य वर्ष में मजदूरी नहीं देकर धन का अपहरण कर लिया गया है सम्बन्धित कार्य की वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली भी प्रस्तुत नहीं रहा स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे कृत सामग्री की ही पुष्टि हो पाए अतः प्रधान श्री सुधीर सिंह तथा सचिव श्री जगनारायण यादव जिम्मेवार हैं ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-130

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में 14 वां वित्त के अंतर्गत दिनांक 28-11-2019 को आई.डी.नं. 19273274 से घुराहू के घर से प्राथमिक विद्यालय शाहबुद्वीनपुर तक पेबर्स ब्लाक निर्माण कार्य की लागत/व्यय रू0 392455.00 है सम्बन्धित कार्य की वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा सम्बन्धित व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं रहे इस कार्य पर रू0 40010.00 मजदूरी देना दर्शित है। जो प्रधान को दिया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इसके लिये प्रधान तथा सचिव संजय चैरसिया जिम्मेवार हैं। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा

कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर नियमों अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि का गबन मानते हुए इस धनराशि वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः ₹0 392455.00की वसूली ब्याज सहित सेक्रेटरी संजय चैरसिया तथा प्रधान सुधीर सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

#### 74. ग्राम पंचायत का नाम- कारो

#### विकास खण्ड - सोहांव

##### प्रस्तर- 131

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में कायाकल्प योजना के अंतर्गत दिनांक 24-7-2019 को प्राथमिक विद्यालय नवम्बर-2 में आधारभूत संरचना के निर्माण तथा सुंदरीकरण के क्रम में क्लास रूम में टाइल्स लगाने पर कुल ₹0 271020.00 व्यय दर्शित है व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहे परन्तु मस्टर रोल ₹0 55200.00 पर प्रधान द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है। यह कार्य वर्ष 2018-19 के कार्ययोजना में दर्शित था परन्तु आलोच्य वर्ष में गत वर्ष में के दर्शित कार्य करने के कारण व्यय धन ₹0 271020 अनियमित हो गया जिसके लिए प्रधान तथा सचिव जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है इसके अतिरिक्त सम्बन्धित कार्य की तकनीकी स्वीकृति तथा वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति (दो लाख से 2.50 लाख तक ए0डी0ओ0 पी0 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 पी0 2.5 से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 और 5 लाख से ऊपर डी0एम0 10 लाख से ऊपर जिला पंचायत द्वारा अनुमति प्रदान किया जायेगा) सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही विद्यालय के प्राचार्य/खंड विकास शिक्षा अधिकारी/अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं रहा। कृतकार्य के फोटोग्राफ मानक के अनुसार नहीं लिए जा रहे हैं, इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है पाप्त कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आधे अधूरे स्वरूप में प्रस्तुत रहे और उन पर कतिपय सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

##### प्रस्तर-132

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में कायाकल्प योजना के अंतर्गत दिनांक 24-7-2019 को प्राथमिक विद्यालय पश्चिम बनकट में आधारभूत संरचना के निर्माण तथा सुंदरीकरण क्लास रूम में टाइल्स लगाने पर कुल ₹0 235707.00 व्यय दर्शित है व्यय प्रमाणक तो प्रस्तुत रहे, परन्तु मस्टर रोल ₹0 48300.00 पर मजदूरी का पूरा पता नहीं लिखा गया है जो आपत्तिजनक रहा। सम्बन्धित कार्य तकनीकी स्वीकृति तथा वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति (दो लाख से 2.50 लाख तक ए0डी0ओ0 पी0 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 पी0 2.5 से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 और 5 लाख से ऊपर डी0एम0 10 लाख से ऊपर जिला पंचायत द्वारा अनुमति प्रदान किया जायेगा) सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही इसके अतिरिक्त यह कार्य वर्ष 2018-19 के कार्ययोजना में दर्शित था परन्तु आलोच्य वर्ष में गत वर्ष के कार्ययोजना में दर्शित कार्य करने के कारण व्यय ₹0 235707.00 अनियमित हो गया जिसके लिए प्रधान तथा सचिव जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

##### प्रस्तर-133

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में कायाकल्प योजना के अंतर्गत दिनांक 24-7-2019 को प्राथमिक विद्यालय नं0-1 में आधारभूत संरचना के निर्माण तथा सुंदरीकरण के क्रम में क्लास रूम में टाइल्स लगाने पर कुल ₹0 199375.00 व्यय दर्शित है व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहे परन्तु मस्टर रोल ₹0 38100.00 पर प्रधान द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है। सम्बन्धित कार्य की तकनीकी स्वीकृति तथा वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति (दो लाख से 2.50 लाख तक ए0डी0ओ0 पी0 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 पी0 2.5 से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 और 5 लाख से ऊपर डी0एम0 10 लाख से ऊपर जिला पंचायत द्वारा अनुमति प्रदान किया जायेगा) सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही इसके अतिरिक्त यह कार्य वर्ष 2018-19 के कार्ययोजना में दर्शित था परन्तु आलोच्य वर्ष में करने के कारण व्यय ₹0 199375.00 अनियमित हो गया जिसके लिए प्रधान तथा सचिव जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

##### प्रस्तर-134

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में कायाकल्प योजना के अंतर्गत दिनांक 26-7-2019 को उच्च प्राथमिक विद्यालय में आधारभूत संरचना के निर्माण तथा सुंदरीकरण के क्रम में क्लास रूम में टाइल्स लगाने पर कुल ₹0 317374.00 व्यय दर्शित है व्यय प्रमाणक तो प्रस्तुत रहे परन्तु मस्टर रोल ₹0 65050.00 पर प्रधान द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है। सम्बन्धित कार्य की तकनीकी स्वीकृति तथा वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति (दो लाख से 2.50 लाख तक ए0डी0ओ0 पी0 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 पी0 2.5 से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 और 5 लाख से ऊपर डी0एम0 10 लाख से ऊपर जिला पंचायत द्वारा अनुमति प्रदान किया जायेगा) सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही यह कार्य वर्ष 2018-19 के कार्ययोजना में दर्शित था परन्तु आलोच्य वर्ष में गत वर्ष के कार्ययोजना का कार्य

करने के कारण व्यय रू0 317374.00 अनियमित हो गया जिसके लिए प्रधान तथा सचिव जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-135

कोषवही तथा बैंक स्टेटमेंट के अध्ययन से स्पष्ट है निम्नलिखित तिथियों में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल रू0 930785.00 का आहरण किया गया है परन्तु किसी भी कार्य के सापेक्ष चेक निर्गत नहीं है एक ही चेक से दो या दो से अधिक कार्य पर भुगतान किया गया है जो अनियमित है जिसके लिये प्रधान तथा सचिव जिम्मेवार है अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक 3-4-2019 को चेक संख्या 123996 से रू0 549635.00  
दिनांक 3-4-2019 को चेक संख्या 123995 से रू0 210000.00  
दिनांक 3-4-2019 को चेक संख्या 123997 से रू0 81150.00  
दिनांक 3-4-2019 को चेक संख्या 123998 से रू0 45000.00  
दिनांक 3-4-2019 को चेक संख्या 123999 से रू0 45000.00

#### प्रस्तर-136

दिनांक 15-1-2020 को शिवराम मंदिर के प्रांगण के पीछे तथा बीच में पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य दर्शित है जिस पर कुल व्यय रू0 492440.00 हुआ परन्तु आई.डी. संख्या 19857269 तथा आई.डी. संख्या 19857268 के द्वारा दो अलग-अलग भागों में तोड़ कर शिवराम मंदिर के प्रांगण में पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य पर क्रमशः रू0 244329.00 तथा 248111.00 व्यय दर्शित है परन्तु ऐसा कोई प्रमाणक/फोटो नहीं दी गयी जिससे यह सिद्ध/पुष्टि हो सके की दोनों अलग-अलग कार्य है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे है ताकि इसे 2 लाख की सीमा के अन्दर ही रखा जाये, तकनीकी परीक्षण 2 से 2.5 लाख तक जे.ई.आर/जे.ई.एम.आई /जे.ई. जिला पंचायत/जे. ई. मंडी परिषद द्वारा किया जायेगा, 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति 2 लाख 2.50 लाख तक ए0डी0ओ0 पं0 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 पं0 2.5 से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 और 5 लाख से ऊपर डी0एम0 10 लाख से ऊपर जिला पंचायत द्वारा अनुमति प्रदान किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही अतः उक्त अनियमितता हेतु प्रधान तथा सचिव जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-137

निम्नलिखित तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत पर कुल व्यय रू0 199810 दर्शित है दिनांक 3-4-2019 को रू0 35152.00, दिनांक 4-4-2019 को रू0 54848.00, दिनांक 6-5-2019 को रू0 15000, दिनांक 14-5-2019 को रू0 35000.00 तथा दिनांक 2-3-2020 को 59810.00 परन्तु लाभार्थियों के द्वारा हैंड पम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की माँगसम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं सकी कि किन स्थलों के हैण्ड पम्प खराब थे, जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया, उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राजअनुभाग 3 के आदेश संख्या -27/2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी को तीन दिन के अन्दर दूर किया जाना अनिवार्य है अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश है का पालन किया गया है न ही सम्बन्धित पत्रावली, व्यय प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया, डेड स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा, नलकूप विभाग से उपभोग प्रमाण पत्र/एन0ओ0सी0 निर्गत नहीं है स्पष्ट रूप से सरकारी धन का अपहरण कर लिया है। जिसके लिये प्रधान तथा सचिव जिम्मेवार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-138

14 वित्त के अंतर्गत दिनांक 22-2-2020 को वीरेन्द्र राजभर के घर से सी.सी. रोड़ तक चैम्बर सहित भूमिगत नाली निर्माण पर रू0 224878.00 सामग्री पर व्यय दर्शित है परन्तु मजदूरी न देकर सरकारी धन का अपहरण कर लिया गया है सम्बन्धित कार्य के सापेक्ष कोई भी अभिलेख, बिल वाउचर, मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं रहा वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुबल के अध्याय 8 के खंड 7के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किवे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी के अंतर्गत अधिभार योग्य है जिसके लिये प्रधान और सचिव जिम्मेवार है रू0 224878.00की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-139

दिनांक 22-2-2020 को विभिन्न स्थानों पर ह्यूम पाइप हेतु ₹0 145764.00 का भुगतान दर्शित है परन्तु ह्यूम पाइप की स्थापना के सन्दर्भ में मजदूरी पर शून्य ₹0/कुछ भी व्यय नहीं किया गया है कोई अभिलेख नहीं मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की प्रासंगिकता के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कार्य के स्पष्ट विवरण को अंकित नहीं किया गया है स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं कराया गयास्पष्ट रूप से धन का अपहरण कर लिया गया है। प्रधान तथा सचिव जिम्मेवार है ब्याज सहितवसूली अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 140

मनरेगा के अंतर्गत विनोद यादव के पशुशेड निर्माण पर ₹0 44895.00 सामग्री पर व्यय दर्शित है जबकि अकुशल मजदूर को मजदूरी 4914 तथा मिस्त्री को शून्य दी गई स्पष्ट रूप से कार्य में गंभीर अनियमितता की गयी है क्योंकि बिना मिस्त्री के कार्य सपन्न नहीं हो सकता अतः इसके लिये प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 75.ग्राम पंचायत का नाम- पलियाखास

#### विकास खण्ड - सोहांव

#### प्रस्तर- 141

14 वा वित्त के अन्तर्गत दिनांक 03-4-2019 को सुग्रीव यादव के घर से हरी निवास के खेत तक पेवर्स ब्लाक कार्य हेतु 37 घन मी. मिट्टी ₹0 4440.00 का क्रय किया गया शासनादेश संख्या 3385/ 86-2015-292/2015 दिनांक 15-10-2015के अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रायल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं, इसके अनुसार दिनांक 2फरवरी 2001 और तत्काल अनुवर्ती शासनादेश में यह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिज की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एम.एम.-11 के आधार पर परिवहन किये गए हैं आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फार्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे मामलों जिनमेंएम.एम.-11/फार्म-3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रायल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाए यहाँ मिट्टी प्रति घन मी रायल्टी ₹0 30 था अतः ₹0 1110 की ब्याज सहितवसूली प्रधान तथा सचिव से कर सम्बद्ध लेखा शीर्ष में किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-142

दिनांक 29-7-2019 आई0डी0 13779342 से ग्राम पंचायत में हाई मास्ट लाइट लगाने पर ₹0 72000.00 का चेक हनुमानजी कंस्ट्रक्शन को देना दर्शित है परन्तु यह आई.डी.नं. हैंडपंप मरम्मत हेतु कार्ययोजना में निर्गत है अतः इस व्यय में अनियमितता की गई है जिसके लिये प्रधान सत्येन्द्र गौड़ तथा सचिव जीतेन्द्र यादव जिम्मेदार है।आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-143

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में 14 वाँ वित्त के अंतर्गत दिनांक 26-7-2019 को आई.डी. नं0 13779320से पी.डब्ल्यू.डी. रोड से ठाकुर कानू के घर तक पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य की लागत/व्यय ₹0 193975.00 है सम्बन्धित कार्य वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहे इस कार्य पर ₹0 33790.00 मजदूरी दी गयी जबकि एम.बी. के अनुसार 29470.00 मजदूरी दिया जाना था अतः ₹0 4320.00 ज्यादा भुगतान करके गंभीर अनियमितता किया गया है जो अत्यंतआपत्तिजनक है जिसके लिए प्रधान सत्येन्द्र गौड़ तथा सचिव जीतेन्द्र यादव जिम्मेवार है। ब्याज सहितवसूली अपेक्षित है।

#### 76. ग्राम पंचायत का नाम- पिपरा कला

#### विकास खण्ड - सोहांव

#### प्रस्तर- 144

मनरेगा के अंतर्गत पिपरा कला में संजय यादव के घर से काली मा के स्थान तक पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य कुल व्यय ₹0 176686.00 हुआ जिसमें सामग्री पर ₹0 161580.00 जबकि मजदूरी ₹0 15106.00 अर्थात मजदूरी कुल व्यय के बहुत कम रहा जबकि कार्य बिना मिस्त्री के सम्पन्न किया गया पुनःगोरख भर के घर से संजय यादव के घर तक पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य की कुल लागत ₹0 179495.00 था जिसमें सामग्री पर ₹0 164753.00 तथा मजदूरी पर ₹0 14742.00 व्यय हुआ जो कुल व्यय के बहुत कम रहा जबकि यहाँ भी कार्य बिना मिस्त्री के ही सम्पन्न हुआ अतः इन दोनों कार्यों पर कुल ₹0 356181.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता पाई गई है क्योंकि बिना मिस्त्री के पक्का कार्य कराये गए दूसरे मजदूरी इतनी कम दी गयी जो कार्य में हुई गंभीर अनियमितता को

प्रदर्शित करता है इसके लिए प्रधान,सचिव, तकनीकी सहायक,कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर- 145**

मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित तीन कार्यों पर साइन बोर्ड हेतु रू0 15000.00 का भुगतान नेशनल टेडर्स, मानपुर को दर्शित है परन्तु मनरेगा के वेबासाइट पर अपलोड नहीं है स्पष्टतः धन का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए प्रधान ,सचिव तथा कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेवार है ब्याज सहितवसूली अपेक्षित है।

- 1- लक्ष्मपुर सीमा से राम अवतार पाल के घर तक मिट्टी कार्य
- 2-शिवनाथ साधु मजार पीच से भरत राजभर के डेरा तक मिट्टी चकबंद कार्य
- 3- भरत राजभर के डेरा से शिवमुनी राम के खेत तक मिट्टी चकबंद कार्य

**77.ग्राम पंचायत का नाम- सिकन्दरपुर**

**विकास खण्ड - सोहांव**

**प्रस्तर- 146**

राज्य वित्त के अंतर्गत दिनांक 05-4-2019 को रामबहादुर के दुकान के पास नाली निर्माण कार्य में सामग्री पररू0 59315.00 व्यय हुआ परन्तु मजदूरी नहीं दिया गया अतः बिना मजदूरी दिये कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता स्पष्ट रूप से घन का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए प्रधान श्री भोरिक तथा सचिव श्री वरुण राय जिम्मेवार है ब्याज सहितवसूली अपेक्षित है।

**78. ग्राम पंचायत का नाम- प्रधानपुर**

**विकास खण्ड - रसड़ा**

**प्रस्तर- 147**

ग्राम पंचायत प्रधानपुर में पन्द्रहवें वित्त एवं राज्य वित्त से आलोच्य वर्ष 2019-20 में निम्न धनराशि केशबुक के अनुसार व्यय दर्शित है-

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव को क्रमशः विभिन्न पत्राचार दिनांक- 8-2-2021 तथा 15-3-2021 करने के बावजूद भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। उ0प्र0 पंचायत राज्य वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि ग्राम पंचायत में किये गये व्यय के सापेक्ष परीक्षा में व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं जाता है। तो व्यय दर्शित समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। अतः नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि 2359055.00 को अपहरण की श्रेणी में शामिल करते हुए व्यय धनराशि की ब्याज सहितवसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम एवं सचिव श्री लालचन्द्र राम से कीजानी अपेक्षित है

79.ग्राम पंचायत का नाम- सरदासपुर विकास खण्ड - रसड़ा

**प्रस्तर- 148**

ग्राम पंचायत सरदासपुर में पन्द्रहवें वित्त एवं राज्य वित्त से आलोच्य वर्ष 2019-20 में निम्न धनराशि केशबुक के अनुसार व्यय दर्शित है-

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव को क्रमशः विभिन्न पत्राचार दिनांक-7-2-2021 तथा 1-3-2021 करने के बावजूद भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। उ0प्र0 पंचायत राज्य वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि ग्राम पंचायत में किये गये व्यय के सापेक्ष परीक्षा में व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं जाता है। तो व्यय दर्शित समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। अतः नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि 793294.00 को अपहरण की श्रेणी में शामिल करते हुए व्यय धनराशि की ब्याज सहितवसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री उर्मिला एवं सचिव श्री हेमन्त कुमार से की जानी अपेक्षित है।

**80..ग्राम पंचायत का नाम- रौराचावर**

**विकास खण्ड - रसड़ा**

**प्रस्तर- 149**

ग्राम पंचायत रौराचावर में पन्द्रहवें वित्त एवं राज्य वित्त से आलोच्य वर्ष 2019-20 में निम्न धनराशि केशबुक के अनुसार व्यय दर्शित है-

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव को क्रमशः विभिन्न पत्राचार दिनांक- 7-2-2021 तथा 1-3-2021 करने के बावजूद भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। उ0प्र0 पंचायत राज्य वित्त एवं



**85.ग्राम पंचायत का नाम.. लखुआ****विकास खण्ड - रसड़ा****प्रस्तर- 154**

ग्राम पंचायत लखुआ में पन्द्रहवें वित्त एवं राज्य वित्त से आलोच्य वर्ष 2019-20 में निम्न धनराशि केशबुक के अनुसार व्यय दर्शित है- उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। 30प्र0 पंचायत राज्य वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि ग्राम पंचायत में किये गये व्यय के सापेक्ष परीक्षा में व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं जाता है। तो व्यय दर्शित समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। अतः नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि 930280.00 को अपहरण की श्रेणी में शामिल करते हुए व्यय धनराशि की ब्याज सहितवसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती मन्जु देवी एवं सचिव श्री उमेश कुमार यादव से की जानी अपेक्षित है।

**86..ग्राम पंचायत का नाम.. मुडेड़ा****विकास खण्ड - रसड़ा****प्रस्तर- 155**

ग्राम पंचायत मुडेड़ा में पन्द्रहवें वित्त एवं राज्य वित्त से आलोच्य वर्ष 2019-20 में निम्न धनराशि केशबुक के अनुसार व्यय दर्शित है- उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। 30प्र0 पंचायत राज्य वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि ग्राम पंचायत में किये गये व्यय के सापेक्ष परीक्षा में व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं जाता है। तो व्यय दर्शित समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। अतः नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि 3206926.00 को अपहरण की श्रेणी में शामिल करते हुए व्यय धनराशि की ब्याज सहितवसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा एवं सचिव श्री दयानन्द यादव से की जानी अपेक्षित है।

**87..ग्राम पंचायत का नाम.. सराय भारती****विकास खण्ड - रसड़ा****प्रस्तर- 156**

ग्राम पंचायत सराय भारती में पन्द्रहवें वित्त एवं राज्य वित्त से आलोच्य वर्ष 2019-20 में निम्न धनराशि केशबुक के अनुसार व्यय दर्शित है-

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव को क्रमशः विभिन्न पत्राचार दिनांक- 15-2-2021 तथा 16-3-2021 करने के बावजूद भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। 30प्र0 पंचायत राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत में किये गये व्यय के सापेक्ष परीक्षा में व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो व्यय दर्शित समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। अतः नियम के अलोक में व्यय दर्शित धनराशि 642016.00 को अपहरण की श्रेणी में शामिल करते हुए व्यय धनराशि की ब्याज सहितवसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती गीता एवं सचिव श्री हर्षदेव सिंह से की जानी अपेक्षित है।

**88..ग्रामपंचायतकानाम.. बरवां****विकासखण्ड - हनुमानगंज****प्रस्तर- 157**

आलोच्य वर्ष-2019-20 मेंराज्यवित्त/चौदहवां वित्त मद में ऑनलाइन केशबुक /ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग केअनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष का कुल खर्च रु०-1644343.00 रहा,जिसकी पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल /वाउचर, केश मेमो,फर्म का लाइसेंस,क्रय,आदेश,कोटेशन/ टेंडर फ़ाइल,मस्टररोल,एस्टीमेट,एम० बी,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,प्रशासनिक ,तकनीकी ,वित्तीय स्वीकृति आदेश,कार्य का नक्शा,फोटोग्राफ,ग्रामसभा एवम ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर,मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर,डेड स्टॉक रजिस्टर,कर मांग वसूली रजिस्टर ,निरीक्षण रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21,22/01/2021, , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक -30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प)को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक 3391 दिनांक -10/03/21से अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी | बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है।जाचोपरांत भुगतान/खर्च की गयी धनराशि की ब्याज सहितवसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रेमचन्द कुशवाहा एवम प्रधान श्री इम्तियाज अहमद से करने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**89..ग्रामपंचायतकानाम.. छितौनी****विकासखण्ड - हनुमानगंज**

**प्रस्तर- 158**

दिनांक- 17/04/2020 को ग्राम पंचायत के राज्य वित्त खाताइंडियन बैंक शाखा बाँस डीह a/c-50044692941 सेनिम्न आहरित है-

दिनांक	वाउचर (मूल केशबुक के अनुसार)	धनराशि(रु०)	किसको भुगतान	कार्य का नाम
17/04/2020	v-1	35269.00	प्रभा देवी ईट भट्ठा	ऑनलाइन ऑफलाइन केश, बुक में
17/04/2020	v-2	28211.00	रुद्र इन्टरप्राइजेज	कोई विवरण नहीं
17/04/2020	v-3	114688.00	परमहंस बाबा इन्टरप्राइजेज	कोई विवरण नहीं
18/04/2020	v-4	50610.00	वैजनाथ ईट भट्ठा	कोई विवरण नहीं
	योग=	228778.00		

उक्त सामग्री क्रय की पुष्टि में कोई भी बिल वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः बिना प्रमाणक एवं निर्माण कार्य पत्रावली के आहरित धनराशि का अपहरण सचिव एवम् प्रधान द्वारा कर लिया गया है उक्त आहरित/खर्च की गयी धनराशि रु०-228778.00 की ब्याज सहितवसूली प्रधान श्री सर्वजीत एवम् सचिव श्री पवन कुमार यादव से बराबर -बराबर वसूल की जानी अपेक्षित है |

**90..ग्राम पंचायत का नाम. सागरपाली विकास खण्ड - हनुमानगंज**

**प्रस्तर- 159**

आलोच्य वर्ष-2019-20, मेंराज्यवित्त/चौदहवां वित्त मद मेंऑनलाइन केशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष का कुल खर्च रु०-3228445.00 रहा,जिसकी पुष्टि में,बैंक पासबुक/स्टेटमेंट, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, केश मेमो,फर्म का लाइसेंस,क्रयआदेश,कोटेशन/टेंडर फाइल, मस्टररोल,एस्टीमेट,एम० बी,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,प्रशासनिक,तकनीकी,वित्तीय स्वीकृति आदेश,कार्य का नक्शा,फोटोग्राफ, ग्रामसभा एवम् ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर,मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर,डेड स्टॉक रजिस्टर,कर मांग वसूली रजिस्टर,निरीक्षण रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को/ दिनांक - 07/01/21, 22/01/2021, 30/01/2021,09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया, जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया, मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक22/01/2021,30/01/21 को तत्कालीन सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) श्री ओमप्रकाश चौहान कोपत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक 3391-दिनांक -10/03/21एवम् जिला विकास अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक 1966-दिनांक -08/02/2021 से अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को निर्देशित किया गया था परन्तु ग्राम निधि-1 का सिर्फ बैंक स्टेटमेंटलेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया | अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी| बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशिअपहरित है|अतःभुगतान/खर्च की गयी धनराशि रु०-3228445.00की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ठाकुर जी सिंह( ग्रा0 वि 0 अधि० ) एवम् प्रधान श्रीमती रीना सिंह से बराबर-बराबर से व्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

**(आपत्ति स० -4 )**

वर्ष 2019-20 के दौरानग्राम निधि-1 ऑनलाइन केशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष कामाहवार,आहरित/खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार रहा -

क्रम संख्या	माहवार विवरण	खर्च भुगतान की/ धनराशि रु०
-1	अप्रैल -2019	32405.00
-2	मई-2019	89200.00
-3	जून-2019	52580.00
-4	जुलाई-2019-	1106912.00
-5	अगस्त -2019-	---
-6	सितम्बर-2019	--
-7	अक्टूबर-2019	-----

-8	नवम्बर-2019	120000.00
-9	दिसम्बर-2019	447795.00
-10	जनवरी 2020-	734832.00
-11	फरवरी2020-	217691.00
-12	मार्च-2020	427030.00
	योग	=3228445.00

**91..ग्राम पंचायत का नाम. अजोरपुर**

**विकास खण्ड - हनुमानगंज**

**प्रस्तर- 160**

आलोच्य वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर राज्य वित्त /चौदहवां वित्त के केशबुक अनुसार फर्म से सामग्री क्रय किया गया है पर कुल खर्च रु० 671438.00 रहा जैसा कि ऑनलाइन साईट पर केशबुकफीड है परन्तु सामग्री क्रय से सम्बंधित बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च कीपुष्टि नहीं की जा सकी न ही ऑनलाइन फीड है नियम- 198/204/205/209 के अनुसार मूल वाउचर को स्कैन कर ऑनलाइन फीड किया जाना आवश्यक रहा अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21 , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रांक -1965 /लेखा/ऑडिट /202०-21 दिनांक ८फरवरी 2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी जाचोपरांत भुगतान की गयी धनराशि की वसूली सम्बंधित ग्राम विकास अधिकारी श्री-विनोद कुमार -एवम ग्रामप्रधान श्री राजेश यादव से की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर-161**

आलोच्य वर्ष मेंचौदहवां वित्त ऑनलाइन केशबुक के अनुसार निर्माण कार्यों पर मजदूरी मद में रु०.६700.०0 खर्च किया गया है जिसका मस्टररोल की मूलप्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया न ही ऑनलाइन साईट पर नियम - 210 एवं 204 के तहत स्कैन कर फीड की गयी है अतः मजदूरी पर खर्च की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी | अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक-07/01/21 , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रांक -1965 /लेखा/ऑडिट /202०-21 दिनांक ८फरवरी 2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी अतः सम्बन्धित प्रधान श्री राजेश यादव . एवं सचिव श्री .विनोदकुमार ग्राम विकास अधिकारी. से व्याज सहित वसूली करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है

**92..ग्राम पंचायत का नाम. बहेरी**

**विकास खण्ड - हनुमानगंज**

**प्रस्तर- 162**

आलोच्य वर्ष में राज्यवित्त/चौदहवां वित्त मद में ऑनलाइन केशबुक /ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष का कुल खर्च रु०-1717035.00 रहा,जिसकी पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल /वाउचर, केश मेमो,फर्म का लाइसेंस ,क्रय आदेश कोटेशन/ टेंडर फाइल,मस्टररोल ,मानदेय रजिस्टर एस्टीमेट,एम० बी ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,प्रशासनिक ,तकनीकी ,वित्तीय स्वीकृति आदेश,कार्य का नक्शा,फोटोग्राफ,मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर स्टोक रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक -30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक -30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प)को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त पत्र के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक- 3390- दिनांक -10/03/21से अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी | बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क)

के तहत खर्च की धनराशिअपहरित है।जाचोपरांत भुगतान/खर्च की गयी धनराशि की वसूलीब्याज सहित सम्बंधित ग्रामपंचायत अधिकारी श्रीओमप्रकाश चौहान एवप्रधानश्रीमतीकनीजा फातिमा से वसूली की जानीअपेक्षितहै

**93.ग्राम पंचायत का नाम. बिशुनपुरा विकास खण्ड - हनुमानगंज**

**प्रस्तर- 163**

आलोच्य वर्ष मेंचौदहवा वित्त मद से विभिन्न निर्माण कार्यो पर फर्मो से सामग्री क्रय किया गया जिसका कुल खर्च रु० 563880.00 रहा जैसाकि ऑनलाइन साईट पर रहा परंतु लेखा परीक्षा के दौरान सामग्री क्रय का मूल वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे सामग्री क्रय एवं खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी | नियम-196/204/205/209 के तहत बिल वाउचर की स्कैन कापी सम्बंधित ऑनलाइन साईट पर पोस्ट की जानी आवश्यक है जो नहीं किया गया हैसामग्री क्रय से सम्बन्धित क्रय आदेश कोटेशन/टेंडर फाइल , फर्म का लाइसेंस / इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया |खर्च की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध करने हेतु सम्बंधित सचिव को दिनांक - 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक -3391दिनांक -10/03/21 -को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी जाचोपरांत भुगतान की गयी धनराशि की प्रधान श्री भरत यादव एवम ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रेमचंद कुशवाहा से वसूली की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर-164**

- आलोच्य वर्ष में चौदहवा वित्त ऑनलाइन केशबुक के अनुसार निर्माण कार्यो पर मजदूरी मद में रु० 30000 खर्च किया गया है जिसका मस्टररोल की मूलप्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया | न ही ऑनलाइन साईट पर नियम - 210 एवं 204 के तहत स्कैन कर फीड की गयी है मजदूरी का भुगतान प्रधान एवं सचिव द्वारा व्यक्तिगत प्राप्त किया गया है अतः मजदूरी पर खर्च की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी | अतः जांचोपरांत सम्बन्धित प्रधान एवं सचिव से वसूली करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैखर्च की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध करने हेतु सम्बंधित सचिव को दिनांक - 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक -3391दिनांक -10/03/21 -को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी जाचोपरांत भुगतान की गयी धनराशि की प्रधान श्री भरत यादव एवम ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रेमचंद कुशवाहा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है |

**94.ग्राम पंचायत का नाम. बोधिया विकास खण्ड - हनुमानगंज**

**प्रस्तर- 165**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त/चौदहवां वित्त मदमें ऑनलाइन केशबुक/इस्वराज पोर्टल में फीडिंग के अनुसार पूरे वर्ष का कुल खर्च रु० 769272.00रहा जिसकी पुष्टि में सम्बंधित सचिव द्वारा सामग्री क्रय वाउचर,मस्टररोल ,कोटेशन/टेंडर फाइल,फर्म का लाइसेंस ,क्रय आदेश ,मानदेय रजिस्टर , एस्टीमेट ,एम् बी ,प्रशासनिक,तकनीकी ,वित्तीय स्वीकृति आदेश ,कार्य का नक्शा,कार्य का फोटोग्राफ ,कार्यपूति प्रमाणपत्र इत्यादिअभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ,न ही ऑनलाइन उक्त रिकार्ड अपलोड है खर्च की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध करने हेतु सम्बंधित सचिव को दिनांक - 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक -30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) (को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त पत्र के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक -3391-दिनांक -10/03/21 -को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी जाचोपरांत भुगतान की गयी धनराशि प्रधान श्रीमती राधिका देवी एवम ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रेमचंद कुशवाहा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है |

**95.ग्राम पंचायत का नाम. चन्दुकी विकास खण्ड - हनुमानगंज**

**प्रस्तर- 166**

आलोच्य वर्ष में चौदहवां वित्त मदमें ऑनलाइन कैशबुक/इस्वराज पोर्टल में फीडिंग के अनुसार पूरे वर्ष का कुल खर्च रु० 1495022.00 रहा एवम् राज्यवित्तमदमें ऑनलाइन कैशबुक/इस्वराज पोर्टल में फीडिंग के अनुसार पूरे वर्ष का कुल खर्च रु० 141564.00 खर्च रहा इस प्रकार कुल खर्च रु० 1636586.00 हुआ | जिसकी पुष्टि में सम्बंधित सचिव द्वारा सामग्री क्रय वाउचर,मस्टररोल ,कोटेशन/टेंडर फाईल,फर्म का लाइसेंस ,क्रय आदेश ,मानदेय रजिस्टर , एस्टीमेट ,एम् बी ,प्रशासनिक,तकनीकी ,वित्तीय स्वीकृति आदेश ,कार्य का नक्शा,कार्य का फोटोग्राफ ,कार्यपूति प्रमाणपत्र इत्यादिअभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ,न ही ऑनलाइन उक्त रिकार्ड अपलोड है खर्च की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध करने हेतु सम्बंधित सचिव को दिनांक - 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक -30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी )प० (को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक -3391 -दिनांक -10/03/21 -को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी जाचोपरांत भुगतान की गयी धनराशि की प्रधान श्री गिरिवर यादव एवम ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रेमचंद कुशवाहा से ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है |

**96..ग्राम पंचायत का नाम. चेरुइया विकास खण्ड - हनुमानगंज**

**प्रस्तर- 167**

आलोच्य वर्ष -2019-20 में राज्यवित्त/चौदहवां वित्त मदमें ऑनलाइन कैशबुक/इस्वराज पोर्टल में फीडिंग के अनुसार पूरे वर्ष का कुल खर्च रु० 1810272.00 रहा | जिसकी पुष्टि में सम्बंधित सचिव द्वारा सामग्री क्रय वाउचर,मस्टररोल ,कोटेशन/टेंडर फाईल,फर्म का लाइसेंस ,क्रय आदेश ,मानदेय रजिस्टर , एस्टीमेट ,एम् बी ,प्रशासनिक,तकनीकी ,वित्तीय स्वीकृति आदेश ,कार्य का नक्शा,कार्य का फोटोग्राफ ,कार्यपूति प्रमाणपत्र इत्यादिअभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ,न ही ऑनलाइन उक्त रिकार्ड अपलोड है खर्च की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध करने हेतु सम्बंधित सचिव को दिनांक -07/01/21,22/01/2 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक -30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी )प० (को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक -3391 दिनांक -10/03/21 -को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी भुगतान की गयी धनराशि प्रधान श्री मती मुन्नी देवी एवम ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश नारायण से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है |

**97..ग्राम पंचायत का नाम. गंगहरा विकास खण्ड - हनुमानगंज**

**प्रस्तर- 168**

आलोच्य वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर के राज्य वित्त के कैशबुक अनुसार फर्म से सामग्री क्रय किया गया है पर कुल खर्च रु०349268.00 रहा जैसा कि ऑनलाइन साईट पर कैशबुकफीड है परन्तु सामग्री क्रय से सम्बंधित बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च कीपुष्टि नहीं की जा सकी न ही ऑनलाइन फीड है नियम- 198/204/205/209 के अनुसार मूल वाउचर को स्कैन कर ऑनलाइन फीड किया जाना आवश्यक रहा अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21,22/01/2021, , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रांक -1965 /लेखा/ऑडिट /202०-21 दिनांक ८फरवरी 2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी भुगतान की गयी धनराशि की वसूली सम्बंधित ग्राम /विकास अधिकारी श्री ठाकुर जी सिंह -एवप्रधान श्री ऋषिकांत सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है |

**प्रस्तर- 169**

आलोच्य वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर के राज्यवित्त कैशबुकके अनुसार परमजदूरी मद में कुल खर्च रु० 5552.00 रहा जैसा कि ऑनलाइन साईट पर कैशबुकफीड है परन्तु मजदूरी मद में भुगतान की गयी धनराशि कि पुष्टि में मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च कीपुष्टि नहीं की जा सकी| न ही ऑनलाइन फीड है नियम- 210/204 के अनुसार मूल वाउचर को स्कैन कर ऑनलाइन फीड किया जाना आवश्यक रहा अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक

- 07/01/21,22/01/21,30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रांक -1965 /लेखा/ऑडिट /202०-21 दिनांक ८फरवरी 2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी भुगतान की गयी धनराशि की वसूली सम्बंधित /विकास अधिकारी श्री ठाकुर जी सिंह एवप्रधान श्री ऋषिकांत सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है |

**प्रस्तर-170**

आलोच्य वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर के चौदहवां वित्त केशबुक के अनुसार फर्म से सामग्री क्रय किया गया है पर कुल खर्च रु० 1022037.00 रहा जैसा कि ऑनलाइन साईट पर केशबुकफीड है परन्तु सामग्री क्रय से सम्बंधित बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च कीपुष्टि नहीं की जा सकी न ही ऑनलाइन फीड है नियम- 198/204/205/209 के अनुसार मूल वाउचर को स्कैन कर ऑनलाइन फीड किया जाना आवश्यक रहा अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21,22/01/2021, , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रांक -1965 /लेखा/ऑडिट /202०-21 दिनांक ८फरवरी 2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी भुगतान की गयी धनराशि की प्रधान श्री ऋषिकांत सिंह एवम ग्राम विकास अधिकारी श्री तकुर जी सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर- 171**

आलोच्य वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर के चौदहवां वित्त केशबुक के अनुसार पर मजदूरी मद में कुल खर्च रु०154960.00 रहा जैसा कि ऑनलाइन साईट पर केशबुक फीड है परन्तु मजदूरी मद में भुगतान की गयी धनराशि कि पुष्टि में मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस से खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी नही ऑनलाइन फीड है नियम - 210/204 के अनुसार मूल वाउचर को स्कैन कर ऑनलाइन फीड किया जाना आवश्यक रहा अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21, 22/01/21, 30/01/2021. 09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया, जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया, मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रांक - 1965 /लेखा /ऑडिट / 202०-21 दिनांक 8 फरवरी 2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी जाचोपरांत भुगतान की गयी धनराशि की वसूली सम्बंधित /विकास अधिकारीश्री ठाकुर जी सिंह एव प्रधान श्री ऋषिकांत सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है |

**98.ग्राम पंचायत का नाम. गोठौली विकास खण्ड - हनुमानगंज**

**प्रस्तर- 172**

आलोच्य वर्ष-2019-20 में राज्यवित्त/चौदहवां वित्त मद में ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट इंडियन बैंक शाखा-सहतवार कोठी, बलिया A/C-50044599770 से एवम केशबुक की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि चेक/डॉंगल द्वारा विभिन्न तिथियां में हैंडपंप मरम्मत हेतु राज्यवित्त चौदहवां वित्त मद से रु० 77000.00 का भुगतान/खर्च किया गया है । विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्रम	वाउचर	दिनांक	कडॉंगल/	धनराशि (रु०)	किस कार्य हेतु	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	अज्ञात	30.04.2019	221273	9000	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु
2	अज्ञात	21.06.2019	221275	20000	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु
3	अज्ञात	24.07.2019	22238	48000	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु

			योग.	77000		
--	--	--	------	-------	--	--

उक्त खर्च की पुष्टि में बिल बाउचर, स्टीमेट, एम0बी0, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर एवं हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की माँग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया। अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। अतः भुगतान/खर्च की गयी धनराशि रु०-77000.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय सिंह/मुकेश कुमार सिंह (कार्यकाल अज्ञात) एवम प्रधान श्री सदरेआलम से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**99.ग्राम पंचायत का नाम. हल्दी विकास खण्ड - हनुमानगंज**  
**प्रस्तर- 173**

आलोच्य वर्ष-2019-20 में राज्यवित्त/चौदहवां वित्त मद में ग्राम निधि-1 ऑनलाइन केशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष का कुल निकासी/ वास्तविक खर्च रु०-6056847 .00 रहा, जिसकी पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, केश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश, कोटेशन/टेंडर फाइल, मस्टररोल, एस्टीमेट, एम० बी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, ग्रामसभा एवम ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, कर मांग वसूली रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक 09.02.2021, 15.03.2021 को पत्र दिया गया, जिसकी सूचना सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत को कर दी गयी थी परन्तु सचिव श्री संजय सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। अतः भुगतान/खर्च की गयी धनराशि रु०-6056847.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय सिंह एवम प्रधान शिव जी यादव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2019-20 के दौरान ग्राम निधि-1 के आन लाइन केशबुक/ईस्वराज पर मदवार/माहवार खर्च का विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्रम	चेक नं0	दिनांक	वाउचर न०	कार्य विवरण	सामग्री (रु०)	मजदूरी (रु० )	भुगतान प्राप्तकर्ता।
1-	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 2984864	30/04/19	अज्ञात	लोकसभा सामान्य निर्वाचन हेतु दिव्यांगों के लिए हवील चेर	7400.00	0	श्री शिवजी यादव ग्राम (प्रधान)
2-	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 2544400	05/04/19	"	विभिन्न स्थानों पर सोखता निर्माण कार्य।	70000.00	0	अवधेश राज ईट भट्टा।
3-	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 564646	15/06/2019	"	4 अद्द हैण्डपम्प रिबोर कार्य।	45000.00	0	आदर्श मशीनरी स्टोर
	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 56654	25/062019	"	उक्त में मजदूरी।	0	60000.00	अवधेश राज ईट भट्टा।
	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 2165464	28/06/2019	"	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य में	0	20000.00	आदर्श मशीनरी स्टोर
4-	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 57546445	03/07/2019	"	4 अद्द हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	40000.00	0	आदर्श मशीनरी स्टोर

				में सामग्री एवं मजदूरी।			
5-	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 21564674	04/07/2019	"	गजाधर के घर से भरत सिंह के घर तक पेवर्स कार्य।	69404.00	0	अमरेन्द्र ईट भट्टा।
	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 215646545	10/07/2019	"	उक्त में मजदूरी।	0	14373.00	श्री शिवजी यादव ग्राम) प्रधान(
6-	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 2564644	04/07/2019	"	बरमेश्वर के घर से छितेश्वर के घर तक पेवर्स कार्य।	107264.00	0	अवधेश राज ईट भट्टा।
	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 198744	10/07/2019	"	उक्त में मजदूरी।	0	12958.00	अज्ञात
7-	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 1645641	04/07/2019	"	भरत सिंह के घर से साबिर भाई के घर होते हुए कलाम के घर तक नाली निर्माण कार्य।	40077.00	0	अवधेश राज ईट भट्टा।
	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 1654561	08/07/2019	"	उक्त में मजदूरी।	0	43000.00	श्री शिवजी यादव ग्राम) (प्रधान
	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 2654564	10/07/2019	"	उक्त में मजदूरी।	0	17238.00	अवधेश राज ईट भट्टा।
8-	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 2156454	15/07/2019	"	स्टेशनरी कार्य पर व्यय।	5816.00	0	श्री शिवजी यादव ग्राम) (प्रधान
9-	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 20001212	15/07/2019	"	अमरेश के घर से कलाम साई के घर तक पेवर्स कार्य के सामग्री का भुगतान।	178231.00	0	अवधेश राज ईट भट्टा।
	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 2564654	23/07/2019	"	उक्त में मजदूरी।	0	44773.00	श्री शिवजी यादव ग्राम) (प्रधान
	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 57456456	17/07/2019	"	उक्त में सामग्री ।	116645.00	0	शिवशक्ति इण्टरप्राइजेज।

	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 1065464	31/07/2019	"	उक्त में सामग्री ।	150000.00	0	अवधेश राज ईट भट्टा।
10-	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 202101	16/07/2019	"	भिखारी धोबी के घर से कमलेश के घर होते हुए शंकर वर्मा के घर तक पेवर्स कार्य सामग्री का भुगतान	148308.00	0	जय हनुमान इण्टरप्राइजेज।
	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 5465456	19/07/2019	"	उक्त में सामग्री ।	240000.00	0	जय हनुमान कन्सट्रक्शन
	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 125646	19/07/2019	"	उक्त में सामग्री ।	39416.00	0	अवधेश राज ईट भट्टा।
	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 0624654	19/07/2019	"	डोगल बनाने हेतु भुगतान।	1800.00	0	अवधेश राज ईट भट्टा।
11-	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 567463	23/07/2019	"	दरोगा सोनार के पास पुलिया निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान।	34522.00	0	श्री शिवजी यादव ग्राम) (प्रधान
	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 164561	23/07/2019	"	उक्त में सामग्री ।	5920.00	0	श्री शिवजी यादव ग्राम) (प्रधान
12-	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 256465	23/07/2019	"	प्राथमिक पाठशाला हल्दी 1 पर शौचालय निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान।	175173.00	0	बाम्बे विल्डिंग मैटेरियल
	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 2654564, 9164894	23/07/2019, 31/07/2019	"	उक्त में मजदूरी।	0	58936.00	श्री शिवजी यादव ग्राम) (प्रधान
	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 256465, 12654654	25/07/2019	"	ग्राम पंचायत हल्दी में विभिन्न स्थानों पर 55 अदद स्ट्रीट लाइट	384000.00	0	जय हनुमान कन्सट्रक्शन
	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 25156645	25/07/2019	"	ग्राम पंचायत हल्दी में विभिन्न स्थानों पर	140000.00	0	जय हनुमान कन्सट्रक्शन

				40 अदद स्टीट लाइट			
13-	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 46416465	25/07/2019	"	पंचरतन बाबा से अशोक ठाकुर के घर तक पेवेश ब्लाक कार्य पर सामग्री क्रय	178475.00	0	अवधेश राज ईट भट्टा।
	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 2654665	25/07/2019	"	उक्त में मजदूरी।	0	20063.00	श्री शिवजी यादव ग्राम) (प्रधान
14-	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 294947	25/07/2019	"	10 अदद डस्वीन क्रय	60000.00	0	जनता कन्सट्रक्शन कं एण्ड सप्लायर, बलिया
	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 256464	31/07/2019	"	तेजू खान के घर से कृष्णा सोनार के घर तक नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य पर सामग्री	27986.00	0	जय हनुमान इण्टरप्राइजेज।
	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 165465	31/07/2019	"	उक्त में सामग्री ।	115959.00	0	सीमेन्ट ब्रिक इण्डस्ट्री
15-	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 298448	31/07/2019	"	उदय सिंह के घर से बालेश्वर के घर तक भूमिगत नाली निर्माण पर मजदूरी	0	13718.00	श्री शिवजी यादव ग्राम) (प्रधान
	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 265444	31/07/2019	"	उक्त में सामग्री ।	155211.00	0	संजय सीमेन्ट स्टोर हल्दी बलिया
16-	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 151651	31/07/2019	"	जटायू लाल के घर से सकललाल के घर तक पेवेश ब्लाक कार्य पर मजदूरी	0	13482.00	श्री शिवजी यादव ग्राम) (प्रधान
	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 25646564 डोंगल	31/07/2019, 04/02/2020	"	उक्त में सामग्री ।	205446.00	0	जय हनुमान कन्सट्रक्शन , माँ दुर्गा

							कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
17-	चेक नं0 अज्ञात पत्र एडीवी. 566441, 294794	31/07/2019, 01/08/2019	"	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत कार्य ।	31137.00	0	आदर्श मशीनरी स्टोर
	डोंगल	13/01/2020	"	बैजनाथ राम के घर से भरत राम के घर तक पेवेश ब्लाक कार्य पर सामग्री का भुगतान	87509.00	0	श्री यशोदानन्दन कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
	डोंगल	13/01/2020	"	भरत राम के घर से राम जी राम के घर तक पेवेश ब्लाक कार्य पर सामग्री का भुगतान	115959.00	0	श्री यशोदानन्दन कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
	डोंगल	13/01/2020	"	नारायण के घर से दूबे जी स्कूल तक पेवेश ब्लाक कार्य पर सामग्री का भुगतान	216250.00	0	श्री यशोदानन्दन कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
	डोंगल	28/01/2020	"	बालखण्डी राम के घर से त्रिवेणी राम के घर तक पेवेश ब्लाक कार्य पर सामग्री का भुगतान	178137.00	0	श्री यशोदानन्दन कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
	डोंगल	17/02/2020	"	गोपाल चौहान के घर से अर्जुन ठाकुर के घर होते हुए शिवशंकर खरवार के घर तक नाली निर्माण कार्य पर	82065.00	0	श्री यशोदानन्दन कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर

				सामग्री का भुगतान			
	डोंगल	06/03/2020	"	उक्त में सामग्री ।	160379.00	0	स्वाष्टिक कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
	डोंगल	06/03/2020	"	उक्त में सामग्री ।	19635.00	0	मे0 नीता सिंह ईट भट्टा
	डोंगल	17/02/2020	"	जे0पी0 सिंह के घर से अंजनी सिंह के घर तक ढक्कन सहित नाली निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान	81478.00	0	श्री यशोदानन्दन कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
	डोंगल	17/02/2020	"	ग्राम पंचायत हल्दी जूनियर हाईस्कूल के प्रांगड़ में स्वतंत्रता सेनानी के निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान	225710.00	0	श्री यशोदानन्दन कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
	डोंगल	23/02/2020	"	ग्राम पंचायत हल्दी में प्राथमिक पाठशाला पर टाइल्स निर्माण कार्य पर भुगतान	75229.00	0	मे0 रमेश मशीनरी स्टोर
	डोंगल	31/07/2019	"	प्राथमिक पाठशाला हल्दी नं0-1 पर आपरेशन काया कल्प पर टाइल्स निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान	112594.00	0	सीमेन्ट ब्रिक इण्डस्ट्री
	डोंगल	23/02/2020	"	प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स लगने	10089.00	0	श्री यशोदानन्दन

				में निर्माण कार्य पर भुगतान			कान्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर
	डोंगल	17/03/2020	"	उक्त में सामग्री ।	100000.00	0	मे0 रमेश मशीनरी स्टोर
	डोंगल	23/02/2020	"	नन्द के घर से भरत यादव के घर तक पेवेश निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान	102933.00	0	श्री यशोदानन्दन कान्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर
	डोंगल	23/02/2020	"	विजय यादव के घर से शम्भू के घर होते हुए हरिहर यादव के घर तक पेवेश निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान	91120.00	0	श्री यशोदानन्दन कान्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर
	डोंगल	23/02/2020	"	भरत यादव के घर से हृदय तुरहा के घर तक	156234.00	0	मे0 शिवम सीमेन्ट ईट उद्योग
	डोंगल	06/03/2020	"	परमेश्वर तुरहा के घर से बारी के घर नाली निर्माण कार्य पर ईट का भुगतान	14762.00	0	मे0 नीता सिंह ईट भट्टा
	डोंगल	06/03/2020	"	हीरा सोनार के घर के पास इण्टरलॉकिंग कार्य पर ईट का भुगतान	5107.00	0	मे0 नीता सिंह ईट भट्टा
	डोंगल	06/03/2020	"	काली मंदिर पर टाइल्स क्रय पर ईट का भुगतान	9139.00	0	मे0 नीता सिंह ईट भट्टा
	डोंगल	06/03/2020	"	उक्त में सामग्री।	76933.00	0	श्री यशोदानन्दन कान्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर

डोंगल	07/03/2020	"	कमालुद्दीन के घर से कमरुद्दीन के घर तक पेवेश ब्लाक निर्माण कार्य पर ईट का भुगतान	16007.00	0	मे0 नीता सिंह ईट भट्टा
डोंगल	07/03/2020	"	उक्त में सामग्री।	130437.00	0	स्वास्तिक कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
डोंगल	07/03/2020	"	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्टीट लाइट का भुगतान	175000.00	0	श्री यशोदानन्दन कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
डोंगल	19/03/2020	"	उक्त में सामग्री।	135000.00	0	श्री यशोदानन्दन कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
डोंगल	07/03/2020	"	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर ईट का टुकड़ा क्रय का भुगतान	93705.00	0	मे0 नीता सिंह ईट भट्टा
डोंगल	21/03/2020	"	उक्त में सामग्री।	93705.00	0	मे0 अमरेन्द्र ईट भट्टा बदीलपुर बलिया
डोंगल	21/03/2020	"	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर बैठने हेतु आरसीसी सीमेन्टेड बेंच का भुगतान	200000.00	0	श्री यशोदानन्दन कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
डोंगल	21/03/2020	"	उक्त में सामग्री।	200000.00	0	श्री यशोदानन्दन कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
			योग =	5738306.00	318541.00	कुल योग = 6056847.00

100..ग्राम पंचायत का नाम इन्दरपुर  
प्रस्तर- 174

विकास खण्ड - हनुमानगंज

- आलोच्य वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर के राज्य वित्त/के केशबुक अनुसार फर्म से सामग्री क्रय किया गया है पर कुल खर्च रु० 14895.00 रहा जैसा कि ऑनलाइन साईट पर केशबुकफीड है परन्तु सामग्री क्रय से सम्बंधित बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च कीपुष्टि नहीं की जा सकी न ही ऑनलाइन फीड है नियम- 198/204/205/209 के अनुसार मूल वाउचर को स्कैन कर ऑनलाइन फीड किया जाना आवश्यक रहा अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21,22/01/2021, , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रांक -1965 /लेखा/ऑडिट /202०-21 दिनांक ८फरवरी 2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी भुगतान की गयी धनराशि की वसूली सम्बंधित ग्राम /विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार -एवप्रधान श्री बृजमोहन राय से ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है |

#### प्रस्तर- 175

- आलोच्य वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर के चौदहवां वित्त के केशबुक अनुसार फर्म से सामग्री क्रय किया गया है पर कुल खर्च रु० 783606.00 रहा जैसा कि ऑनलाइन साईट पर केशबुकफीड है परन्तु सामग्री क्रय से सम्बंधित बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च कीपुष्टि नहीं की जा सकी न ही ऑनलाइन फीड है नियम- 198/204/205/209 के अनुसार मूल वाउचर को स्कैन कर ऑनलाइन फीड किया जाना आवश्यक रहा अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21,22/01/2021, , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रांक -1965 /लेखा/ऑडिट /202०-21 दिनांक ८फरवरी 2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी भुगतान की गयी धनराशि की वसूली सम्बंधित ग्राम /विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार -एवप्रधान श्री बृजमोहन राय से ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है |

#### प्रस्तर- 176

आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त /चौदहवां वित्त केशबुक में जो कार्य वर्ष के दौरान किया गया पर सामग्री एवम मजदूरी पर कुल खर्च रु० 867166.00 रहा | से सम्बंधित इस्टीमेट एम० बी० बुक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया | नियमावली के नियम-152/157 b के तहत कार्य का इस्टीमेट, एम० बी० बुक बनाया जाना आवश्यक है सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21 22/01/21,, 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक -30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी )प० (को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रांक -1965 /लेखा/ऑडिट /202०-21 दिनांक ८फरवरी 2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण कृत कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी | जो घोर आपत्तिजनक रहा | इस्टीमेट , एम० बी० प्रस्तुत कर कृत कार्य की पुष्टि आवश्यक है |आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर- 177

आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त /चौदहवां वित्त ऑनलाइन केशबुक के अनुसार निर्माण कार्यों पर मजदूरी मद में मस्टररोल संख्या -4 एवं रु०.96560.00 खर्च किया गया है जिसका मस्टररोल की मूलप्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया न ही ऑनलाइन साईट पर नियम - 210 एवं 204 के तहत स्कैन कर फीड की गयी है अतः मजदूरी पर खर्च की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी | अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21 ,22/01/21 , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक -30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी )प० (को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रांक -1965 /लेखा/ऑडिट /202०-21 दिनांक ८फरवरी 2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था

परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी अतः जांचोपरांत सम्बन्धित प्रधान श्री .बृजमोहन राय . एवं सचिव श्री . विनोद कुमार से वसूली करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

#### 101..ग्राम पंचायत का नाम .. जलालपुर

#### विकास खण्ड - हनुमानगंज

##### प्रस्तर- 178

आलोच्य वर्ष में राज्यवित्त/चौदहवां वित्त मद में ऑनलाइन कैशबुक /ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष का कुल खर्च रु०- 915745.35 रहा,जिसकी पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल /वाउचर, कैश मेमो,फर्म का लाइसेंस ,क्रय आदेश कोटेशन/ टेंडर फ़ाइल,मस्टररोल ,मानदेय रजिस्टर एस्टीमेट,एम० बी ,कार्यपूति प्रमाण पत्र,प्रशासनिक ,तकनीकी ,वित्तीय स्वीकृति आदेश,कार्य का नक्शा,फोटोग्राफ, निर्माण कार्य रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर स्टोक रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - ,22/01/2021, , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक -30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प)को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त पत्र के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक- 3390- दिनांक -10/03/21से अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी | बिना प्रमाणक के लेखा मैन्युअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है| जांचोपरांत भुगतान/खर्च की गयी धनराशि की व्याज सहितवसूली सम्बंधित ग्रामपंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश चौहान-एवप्रधान श्रीमती विमला देवी सेकी जानी अपेक्षित है|

#### 102..ग्राम पंचायत का नाम ..कपूरी विकास खण्ड - हनुमानगंज

##### प्रस्तर- 179

आलोच्य वर्ष में राज्यवित्त/चौदहवां वित्त मद में ऑनलाइन कैशबुक/इस्वराज पोर्टल में फीडिंग के अनुसार पूरे वर्ष का कुल खर्चरु०1783670.00 रहा जिस की पुष्टि में सम्बंधित सचिव द्वारा सामग्री क्रयवाउचर,मस्टररोल,कोटेशन/टेंडरफाइल,फर्मकालाइसेंस,क्रय आदेश,मानदेय रजिस्टर, एस्टीमेट ,एम्बी ,प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश,कार्य का नक्शा,कार्य का फोटोग्राफ,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया,नही ऑनलाइन उक्त रिकार्ड अपलोड है| खर्च की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध करने हेतु सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21,22/01/2021, 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया, जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया, मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक -30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प)० (को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रांक-1965 /लेखा/ऑडिट/ 202०-21 दिनांक८फरवरी2021 एवम जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक-3391 दिनांक-10/03/21 -को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जासकी जांचोपरांत भुगतान की गयी धनराशि की प्रधान श्री नन्दलालपासवान एव मग्राम / विकास अधिकारी श्री ठाकुरजी सिंह से वसूली व्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

#### 103..ग्राम पंचायत का नाम .. माल्देपुर विकास खण्ड - हनुमानगंज

##### प्रस्तर- 180

आलोच्य वर्ष-2017-18,18-19में राज्यवित्त/चौदहवां वित्त मद में ईस्वराज/प्रिया साफ्ट पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे आलोच्य वर्ष का कुल खर्च रु०- 4042956.00रहा,जिसकी पुष्टि में कैशबुक ,पासबुक,सामग्री क्रय का बिल /वाउचर, कैश मेमो,फर्म का लाइसेंस ,क्रय आदेश कोटेशन/ टेंडर फ़ाइल,मस्टररोल ,मानदेय रजिस्टर एस्टीमेट,एम० बी ,कार्यपूति प्रमाण पत्र,प्रशासनिक ,तकनीकी ,वित्तीय स्वीकृति आदेश,कार्य का नक्शा,फोटोग्राफ,, निर्माण कार्य रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर स्टोक रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - ,22/01/2021, , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प)को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त पत्र के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक- 3390- दिनांक -10/03/21से अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी | बिना प्रमाणक के लेखा मैन्युअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशिअपहरित है|जांचोपरांत भुगतान/खर्च की गयी धनराशि की वसूली सव्याज सहित सम्बंधित ग्रामपंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश चौहान एव प्रधान श्रीमती सुनीता पासवान से की जाने हेतु विधिक एवम् विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है| (

##### प्रस्तर- 181

आलोच्य वर्ष-2019-20 में राज्यवित्त/चौदहवां वित्त मद में ऑनलाइन कैशबुक /ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष का कुल खर्च रु०- 1609538.00रहा,जिसकी पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल /वाउचर, कैश मेमो,फर्म का लाइसेंस ,क्रय आदेश कोटेशन/ टेंडर फ़ाइल,मस्टररोल ,मानदेय रजिस्टर एस्टीमेट,एम० बी ,कार्यपूति प्रमाण पत्र,प्रशासनिक ,तकनीकी ,वित्तीय स्वीकृति आदेश,कार्य का नक्शा,फोटोग्राफ,, निर्माण कार्य रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर स्टोक रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - ,22/01/2021, , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला

पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प)को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त पत्र के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक- 3390- दिनांक -10/03/21से अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी | बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। भुगतान/खर्च की गयी धनराशि की ब्याज सहितवसूली सम्बंधित ग्रामपंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश चौहान एव प्रधान श्रीमती सुनीता पासवान से की जानी अपेक्षित है |

104..ग्रामपंचायतकानाम .. मझरिया

विकासखण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर- 182

- आलोच्य वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर के राज्य वित्त के केशवुक अनुसार फर्म से सामग्री क्रय किया गया है पर कुल खर्च रु० 193254.00 रहा जैसा कि ऑनलाइन साईट पर केशवुकफीड है परन्तु सामग्री क्रय से सम्बंधित बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च कीपुष्टि नहीं की जा सकी न ही ऑनलाइन फीड है नियम- 198/204/205/209 के अनुसार मूल वाउचर को स्कैन कर ऑनलाइन फीड किया जाना आवश्यक रहा अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21,22/01/2021, , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रांक -1965 /लेखा/ऑडिट /202०-21 दिनांक ८फ़रवरी 2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी भुगतान की गयी धनराशि की ब्याज सहितवसूली सम्बंधित ग्राम /विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार -एवम ग्रामप्रधान श्रीमती- सुमन मिश्रा से की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-183

- आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त ऑनलाइन केशवुक के अनुसार निर्माण कार्यों पर मजदूरी मद में मस्टररोल संख्या-1 एवं रु०36144.. खर्च किया गया है जिसका मस्टररोल की मूलप्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया न ही ऑनलाइन साईट पर नियम – 210 एवं 204 के तहत स्कैन कर फीड की गयी है अतः मजदूरी पर खर्च की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी | अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21,22/01/2021, , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रांक -1965 /लेखा/ऑडिट /202०-21 दिनांक ८फ़रवरी 2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी अतः सम्बन्धित प्रधान श्रीमती सुमन मिश्रा एवं सचिव श्री . विनोद कुमार से ब्याज सहितवसूली करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है

प्रस्तर-184

आलोच्य वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर चौदहवां वित्त के केशवुक अनुसार फर्म से सामग्री क्रय किया गया है पर कुल खर्च रु० 1867929.00 रहा जैसा कि ऑनलाइन साईट पर केशवुकफीड है परन्तु सामग्री क्रय से सम्बंधित बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च कीपुष्टि नहीं की जा सकी न ही ऑनलाइन फीड है नियम- 198/204/205/209 के अनुसार मूल वाउचर को स्कैन कर ऑनलाइन फीड किया जाना आवश्यक रहा अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21,22/01/2021, , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रांक -1965 /लेखा/ऑडिट /202०-21 दिनांक ८फ़रवरी 2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी भुगतान की गयी धनराशि की ब्याज सहितवसूली सम्बंधित ग्राम /विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार -एवम प्रधान श्रीमती सुमन मिश्रा से वसूली की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर-185

आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त /चौदहवां वित्त ऑनलाइन केशवुक के अनुसार निर्माण कार्यों पर मजदूरी मद में मस्टररोल संख्या -42 एवं रु०.322428.00 खर्च किया गया है जिसका मस्टररोल की मूलप्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया न ही ऑनलाइन साईट पर नियम – 210 एवं 204 के तहत स्कैन कर फीड की गयी है अतः मजदूरी पर खर्च की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी | अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21,22/01/2021, , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक -30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) (को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रांक -1965 /लेखा/ऑडिट /202०-21 दिनांक ८फ़रवरी 2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी अतः सम्बन्धित प्रधान श्रीमती सुमन मिश्रा एवं सचिव श्री विनोद कुमार .. से ब्याज सहितवसूली करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है

105..ग्रामपंचायतकानाम .. नरही

विकासखण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर- 186

आलोच्य वर्ष में राज्यवित्त/चौदहवां वित्त मद में ऑनलाइन केशवुक /ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष का कुल खर्च रु०1469549.00 रहा,जिसकी पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल /वाउचर ,फर्म का लाइसेंस ,क्रय आदेश कोटेशन/ टेंडर फ़ाइल,मस्टररोल ,मानदेय रजिस्टर एस्टीमेट,एम० बी ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,प्रशासनिक ,तकनीकी ,वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा,फोटोग्राफ ,लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21,22/01/2021, , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक -30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प)को पत्र के माध्यम से अवगत कराया

गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक -1965 /लेखा/ऑडिट/ 202०-21 दिनांक ८फ़रवरी 2021 को एवम् जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक -3391 दिनांक -10/03/21 से अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को निर्देशित किया गया था परन्तु कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी |भुगतान/खर्च की गयी धनराशि की वसूली सम्बंधित प्रधान श्री एकमी देवी एवम् ग्राम /विकास अधिकारी श्री ठाकुर जी सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है|

106..ग्राम पंचायत का नाम .. नसीराबाद

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर- 187

आलोच्य वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर के राज्य वित्त /चौदहवां वित्त के केशबुक अनुसार फर्म से सामग्री क्रय किया गया है पर कुल खर्च रु० 1734462.00 रहा जैसा कि ऑनलाइन साईट पर केशबुकफीड है परन्तु सामग्री क्रय से सम्बंधित बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी न ही ऑनलाइन फीड है नियम- 198/204/205/209 के अनुसार मूल वाउचर को स्कैन कर ऑनलाइन फीड किया जाना आवश्यक रहा अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21 , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रांक -1965 /लेखा/ऑडिट /202०-21 दिनांक ८फ़रवरी 2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी भुगतान की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बंधित ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री-ओमप्रकाश चौहान -एवम् ग्रामप्रधान श्रीसंतोष पाण्डेय-से की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर- 188

आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त /चौदहवां वित्त ऑनलाइन केशबुक के अनुसार निर्माण कार्यों पर मजदूरी मद में रु०.241439.00 खर्च किया गया है जिसका मस्टररोल की मूलप्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया न ही ऑनलाइन साईट पर नियम - 210 एवं 204 के तहत स्कैन कर फीड की गयी है अतः मजदूरी पर खर्च की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी | अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21 , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रांक -1965 /लेखा/ऑडिट /202०-21 दिनांक ८फ़रवरी 2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी अतः जांचोपरांत सम्बन्धित प्रधान श्री संतोष पाण्डेय एवं सचिव श्री ओमप्रकाश चौहान .. से ब्याज सहित वसूली करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है |

प्रस्तर- 189

- आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त /चौदहवां वित्त केशबुक में जो कार्य वर्ष के दौरान किया गया अंकित है पर कुल खर्च रु० 1784243.00 से सम्बंधित इस्टीमेट एम० बी० बुक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया | नियमावली के नियम-152/157 b के तहत कार्य का इस्टीमेट, एम० बी० बुक बनाया जाना आवश्यक है अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21 , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रांक -1965 /लेखा/ऑडिट /202०-21 दिनांक ८फ़रवरी 2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण कृत कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी | जो घोर आपत्तिजनक रहा | इस्टीमेट , एम० बी० प्रस्तुत कर कृत कार्य की पुष्टि आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर- 190

आलोच्य वर्ष में निम्न कार्यों की मजदूरी का भुगतान फर्म को कर दिया गया जो अनियमितता विवरण निम्न है-

कार्य का नाम	वाउचर सं	दिनांक	चेक न	धनराशि	भुगतान प्राप्त करने फर्म का नाम
प्राथमिक विद्यालय नसीराबाद में कायाकल्प	पी -31	5/1/20	पीएफएमएस	25882.00	हनुमान जी कांटेक्टर
प्राथमिक विद्यालय नसीराबाद पीपलवृक्ष के नीचे चबूतरा निर्माण	पी -31	5/1/20	पीएफएमएस	8651.00	हनुमान जी कांटेक्टर
अजय पाण्डेय, राजेंद्र खरवार के घर पर रिवोर	पी -20	3/8/19	अज्ञात	24480.00	आदर्श मशीनरी स्टोर बलिया
			योग=	59013.00	

उक्त में सचिव एवं प्रधान द्वारा मजदूरी का भुगतान फर्म को कर अनियमितता बरती गयी है विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है |

प्रस्तर-191

आलोच्य वर्ष में निम्न कार्य पर सामग्री क्रय है जिसका क्रय मूल्य रु० ..... रहा

जिसे बीच में ही छोड़ दिया गया अथवा कार्य ही शुरू नहीं कराया गया है क्योंकि निम्न कार्यों पर मजदूरी का भुगतान केशबुक में नहीं रहा |

कार्यकम्पलीशन रिपोर्ट भी नहीं बनाया गया है इस प्रकार धन/स्टॉक का गलत दुरुपयोग किया गया है विवरण निम्न है-

कार्य का नाम	वाउचर सं	दिनांक	चेक/ पीएफएमएस	धनराशि
श्री भगवान और अवधेश यादव के घर से मेन नाली तक ढक्कन सहित नाली निर्माण	पी -8	27/3/20	पीएफएमएस	14744.00
जग नारायण के घर से मेन गड्डे तक नाली	पी -11	12/4/19	अज्ञात	5725.00

जगनारायण के घर से वीरबहादुर के घर तक पेवर्स	पी - 2,3,5, 6	12/4/19,13/4/19	अज्ञात	346914.00
नसीराबाद में कुआ का चबूतरा निर्माण	पी - 13,-14	13/4/19,15/4/19	पीएफएमएस	70465.00
प्रेम शंकर के घर से सरल वर्मा के घर तक भूमिगत नाली	पी -12	16/4/19		4239.00
यू पी एस नसीराबाद में फर्श निर्माण कार्य पर व्यय	पी -22	27/7/19	एल इ - 634164	139201.00
			योग =	581348.00

उक्त प्रकरण पर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है उक्त खर्च के सापेक्ष यदि कार्य नहीं कराया गया है तो उक्त स्टॉक को अन्य कार्यों में लेते हुए सचिव श्री ओमप्रकाश चौहान एवं प्रधान संतोष पाण्डेय पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है

107..ग्राम पंचायत का नाम .. परिखरा विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर- 192

आलोच्य वर्ष-2019-20 में राज्यवित्त/चौदहवां वित्त मद में ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट इंडियन बैंक शाखा-सहतवार कोठी, बलिया खाता नंबर - 50044599816से एवम केशबुक की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि चेक/डॉंगल द्वारा विभिन्न तिथियां में हैंडपंप मरम्मत हेतु राज्यवित्त चौदहवां वित्त मद से रु० 48400.00 का भुगतान/खर्च किया गया है। विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्रम	वाउचर न०	दिनांक	चेकडॉंगल/	धनराशि (रु०)	किस कार्य हेतु	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	अज्ञात	29-03-2020		43400	स्टेशनरी एवं प्रशासनिक व्यय	प्रधान श्री संजीत कुमार सिंह
2	"	"		5000	" "	माँ भगवती कन्स्ट्रक्शन
			योग....	48400		

उक्त खर्च की पुष्टि बिना प्रमाणक/ सामग्री क्रय बिल वाउचर के नहीं हो सकती। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय - 8 पैर - 8 (क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरण है। अतः भुगतान/खर्च की गयी धनराशि रु० 48400.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री मकेश कुमार सिंह एवम् प्रधान श्री संजीत कुमार सिंह से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

108..ग्राम पंचायत का नाम .. परमंदापुर विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर- 193

आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त/चौदहवां वित्त मदमें ऑनलाइन केशबुक/इस्वराज पोर्टल में फीडिंग के अनुसार पूरे वर्ष का कुल खर्च रु० - 3219444.00रहा जिसकी पुष्टि में सम्बंधित सचिव द्वारा सामग्री क्रय वाउचर,मस्टररोल ,कोटेशन/टेंडर फाईल,फर्म का लाइसेंस ,क्रय आदेश ,मानदेय रजिस्टर , एस्टीमेट ,एम् बी ,प्रशासनिक,तकनीकी ,वित्तीय स्वीकृति आदेश ,कार्य का नक्शा,कार्य का फोटोग्राफ ,कार्यपूति प्रमाणपत्र इत्यादिअभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ,न ही ऑनलाइन उक्त रिकार्ड अपलोड है खर्च की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध करने हेतु सम्बंधित सचिव को दिनांक - 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक - 3390दिनांक -10/03/21 -को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी भुगतान की गयी धनराशि प्रधान श्रीमती रेशमा एवम् ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कन्हैया कुमार से व्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है।

109..ग्राम पंचायत का नाम .. प्रेमचक उर्फ बहेरी कास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर- 194

आलोच्य वर्ष में राज्यवित्त/चौदहवां वित्त मदमें ऑनलाइन केशबुक/इस्वराज पोर्टल में फीडिंग के अनुसार पूरे वर्ष का कुल खर्च रु०3793753.00 रहा जिसकी पुष्टि में सम्बंधित सचिव द्वारा सामग्री क्रय वाउचर,मस्टररोल ,कोटेशन/टेंडर फाईल,फर्म का लाइसेंस ,क्रय आदेश ,मानदेय रजिस्टर , एस्टीमेट ,एम् बी ,प्रशासनिक,तकनीकी ,वित्तीय स्वीकृति आदेश ,कार्य का नक्शा,कार्य का फोटोग्राफ ,कार्यपूति प्रमाणपत्र इत्यादिअभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ,न ही ऑनलाइन उक्त रिकार्ड अपलोड है खर्च की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध करने हेतु सम्बंधित सचिव को दिनांक - 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक - 3390दिनांक -10/03/21 -को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी भुगतान की गयी धनराशि प्रधान श्री नईमा खातून एवम् ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कन्हैया कुमार से व्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है

110..ग्राम पंचायत का नाम .. रामपुर चीट

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर- 195

आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त/चौदहवां वित्त मदमें ऑनलाइन केशबुक/इस्वराज पोर्टल में फीडिंग के अनुसार पूरे वर्ष का कुल खर्च रु० - 4011326.00रहा जिसकी पुष्टि में सम्बंधित सचिव द्वारा सामग्री क्रय वाउचर,मस्टररोल ,कोटेशन/टेंडर फाईल,फर्म का लाइसेंस ,क्रय आदेश ,मानदेय रजिस्टर , एस्टीमेट ,एम् बी ,प्रशासनिक,तकनीकी ,वित्तीय स्वीकृति आदेश ,कार्य का नक्शा,कार्य का फोटोग्राफ ,कार्यपूति प्रमाणपत्र इत्यादिअभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ,न ही ऑनलाइन उक्त रिकार्ड अपलोड है खर्च की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध करने हेतु सम्बंधित सचिव

को दिनांक - 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक -30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) (को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त पत्र के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक -3391 दिनांक -10/03/21 -को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी भुगतान की गयी धनराशि प्रधान श्री शम्भूनाथ यादव एवम ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ज्ञानप्रकाश नारायण से ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है |

111..ग्राम पंचायत का नाम .. सरफुदीनपुर

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर- 196

आलोच्यवर्ष2019-20 मेंराज्यवित्त/चौदहवांवित्तमदमेंऑनलाइनकैशबुक/ईस्वराजपोर्टलमेंफीडिंगकेअनुसारपूरेवर्षकाकुलखर्चरु०-874378.00रहाजिसकीपुष्टिमेंसम्बंधितसचिवद्वारासामग्रीक्रयवाउचर,मस्टररोल,कोटेशन/टेंडरफाईल,फर्मकालाइसेंस,क्रयआदेश,मानदेयरजिस्टर,एस्टीमेट,एम्बी,प्रशासनिक,तकनीकी,वित्तीयस्वीकृतिआदेश,कार्यकानक्शा,कार्यकाफोटोग्राफ,कार्यपूति प्रमाणपत्रस्टॉकरजिस्टर,निर्माणकार्य रजिस्टर, इत्यादिअभिलेखलेखापरीक्षामेंप्रस्तुतनहींकियागया,नहींऑनलाइनउत्तरिकार्डअपलोडहैखर्चकीपुष्टिमेंअभिलेखउपलब्धकरनेहेतुसम्बंधितसचिवको दिनांक-30/01/2021.09/02/2021 कोव्यक्तिगतपत्रदियागयाथा एवंप्रतिलिपिजिलालेखापरीक्षाअधिकारीमहोदय बलिया, जिलापंचायतराजअधिकारीमहोदयबलिया, मुख्यविकासअधिकारीमहोदयबलियाकोकियागयाथा अभिलेखनमिलनेपरदिनांक - 30/01/21 कोसम्बन्धितसहायकविकासअधिकारी (प०) कोपत्रकेमाध्यमसेअवगतकरायागयाथाउक्त केक्रममें जिलापंचायतराजअधिकारीमहोदयबलियाद्वारापत्रांक - 3390दिनांक -10/03/21 कोअभिलेखउपलब्धकरानेकेसम्बन्धमेंनिर्देशितकियागयाथापरन्तुकोईअभिलेखउपलब्धनहींकरायागया अस्तुखर्चकीपुष्टिनहींकिजासकीभुगतानकीगयीधनराशि प्रधान श्री नीलमराँय एवमग्रामपंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश चौहानसेब्याज सहितवसूलीकीजानीअपेक्षितहै |

112..ग्राम पंचायत का नाम .. शंकरपुर

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर- 197

आलोच्य वर्ष-2019-20 में राज्यवित्त/चौदहवां वित्त मद में ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट इंडियन बैंक शाखा-सहतवार कोठी,बलिया A/C-50044599736 से एवम ऑनलाइन कैशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष का कुल निकासी/ वास्तविक खर्च रु०-1913863.00 रहा, जिसकी पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश, कोटेशन/टेंडर फाईल, मस्टररोल, एस्टीमेट, एम० वी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, ग्रामसभा एवम ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को / दिनांक - 07/01/21, 22/01/2021, 30/01/2021, 09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया, जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया, मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक22/01/2021,30/01/21 को तत्कालीन सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) श्री ओमप्रकाश चौहान को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक 3390-दिनांक -10/03/21 से अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को निर्देशित किया गया था परन्तु ग्राम निधि-1 का सिर्फ बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया | अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी| बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। अतःभुगतान/खर्च की गयी धनराशि रु०-1763092.00 की ब्याज सहितवसूलीं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजेंद्र भारती एवम प्रधान श्री इन्द्रप्रकाश पाण्डेय से बराबर- बराबर की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2019-20 के दौरान ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट इंडियन बैंक शाखा-सहतवार कोठी खाता संख्या-50044599736से कृत कार्य एवम उससे आहरित /खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार रहा –

क्रम संख्या	माहवार विवरण	खर्च/भुगतान की धनराशि रु०
1-	जून-2019	293147.00
-2	जुलाई- 2019-	634630.00
-3	अगस्त-2019-	229303.00
4-	दिसम्बर-2019	399600.00
-4	जनवरी 2020-	284845.00
-4	फरवरी2020-	72338.00
	योग	=1913863.00

113..ग्राम पंचायत का नाम .. टकरसन

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर- 198

- आलोच्य वर्ष-2019-20 में राज्यवित्त/चौदहवां वित्त मद में ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट इंडियन बैंक शाखा-सहतवार कोठी,बलिया A/C-50044599838 से एवम ऑनलाइन कैशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष का कुल निकासी/खर्च रु०-1909682.00 से दिनांक-

03/08/19 का बैंक कटौती रु० -103.00 एवम मिसमैच धनराशि रु०-146384.00 घटाने के बाद रु०-1763092.00 का वास्तविक खर्च रहा, जिसकी पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, केश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश, कोटेशन/टेंडर फ्राइल, मस्टररोल, एस्टीमेट, एम० बी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, ग्रामसभा एवम ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को / दिनांक - 07/01/21, 22/01/2021, 30/01/2021, 09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया, जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया, मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक 22/01/2021, 30/01/21 को तत्कालीन सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) श्री ओमप्रकाश चौहान को को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक 3390-दिनांक -10/03/21 से अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को निर्देशित किया गया था परन्तु ग्राम निधि-1 का सिर्फ बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया | अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी | बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। अतः भुगतान/खर्च की गयी धनराशि रु०-1763092.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजेन्द्र भारती एवम प्रधान श्री विश्वंभर यादव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। वर्ष 2019-20 के दौरान ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट इंडियन बैंक शाखा-सहतवार कोठी खाता संख्या-50044599838 से कृत कार्य एवम उससे आहरित /खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार रहा –

क्रम संख्या	माहवार विवरण	खर्च/भुगतान की धनराशि रु०
-2	जुलाई 2019-	911397.00
-3	अगस्त 2019-	7920.00
	अगस्त 2019-(बैंक कटौती)	103.00
-4	फरवरी 2020-	701185.00
-4	0 मार्च- 2020	142590.00
	योग	=1763195.00

114..ग्राम पंचायत का नाम .. थम्पन पुरा

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर- 199

आलोच्य वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर के राज्य वित्त के केशबुक अनुसार फर्म से सामग्री क्रय किया गया है पर कुल खर्च रु० 251816.00 रहा जैसा कि ऑनलाइन साईट पर केशबुकफीड है परन्तु सामग्री क्रय से सम्बंधित बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी न ही ऑनलाइन फीड है नियम- 198/204/205/209 के अनुसार मूल वाउचर को स्कैन कर ऑनलाइन फीड किया जाना आवश्यक रहा अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21 , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रांक -1965 /लेखा/ऑडिट /202०-21 दिनांक ८ फरवरी 2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी भुगतान की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बंधित ग्राम /विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार –एवप्रधान श्री संजय कुमार दूबे से वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर- 200

आलोच्य वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर चौदहवां वित्त के केशबुक अनुसार फर्म से सामग्री क्रय किया गया है पर कुल खर्च रु० 2144390.00 रहा जैसा कि ऑनलाइन साईट पर केशबुकफीड है परन्तु सामग्री क्रय से सम्बंधित बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी न ही ऑनलाइन फीड है नियम- 198/204/205/209 के अनुसार मूल वाउचर को स्कैन कर ऑनलाइन फीड किया जाना आवश्यक रहा अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21, 22/01/2021, , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रांक -1965 /लेखा/ऑडिट /202०-21 दिनांक ८ फरवरी 2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी भुगतान की गयी धनराशि की वसूली सम्बंधित ग्राम /विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार –एवप्रधान श्री संजय कुमार दूबे से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर-201

आलोच्य वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर/चौदहवां वित्त केशबुकके अनुसार मजदूरी मद में कुल खर्च रु० 257359.00.00 रहा जैसा कि ऑनलाइन साईट पर केशबुकफीड है परन्तु मजदूरी मद में भुगतान की गयी धनराशि कि पुष्टि में मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी न ही ऑनलाइन फीड है नियम- 210/204 के अनुसार मूल वाउचर को स्कैन कर ऑनलाइन फीड किया जाना आवश्यक रहा अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21,, 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रांक -1965 /लेखा/ऑडिट /202०-21 दिनांक ८ फरवरी 2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी भुगतान की गयी धनराशि की वसूली सम्बंधित ग्राम /विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार –एवप्रधान श्री संजय कुमार दूबे से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर- 202

- आलोच्य वर्ष में चौदहवां वित्त केशबुक में रु० 2401749 जो कार्य वर्ष के दौरान किया गया अंकित है से सम्बंधित इस्टीमेट एम० बी० बुक, लेखा परिक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया | नियम 152/157 ब के तहत कार्य का इस्टीमेट, एम० बी० बुक बनाया जाना आवश्यक है सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21 , 30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया,

जिलापंचायतराजअधिकारीमहोदयबलिया, मुख्यविकासअधिकारीमहोदयबलियाकोकियागयाथा अभिलेखनमिलनेपरदिनांक -30/01/21 कोसम्बन्धितसहायकविकासअधिकारी )प० (कोपत्रकेमाध्यमसेअवगतकरायागयाथाउक्त केक्रममेंजिलाविकासअधिकारीमहोदयद्वाराभीपत्रांक -1965 /लेखा/ऑडिट /202०-21 दिनांक८फरवरी2021

कोअभिलेखउपलब्धकरानेकेसम्बन्धमेंनिर्देशितकियागयाथापरन्तुअभिलेखउपलब्धनहींकरायागयाउक्तअभिलेखप्रस्तुतनकरनेकेकारणकृतकार्यकीपुष्टिनहींकी जासकी। जोघोरआपत्तिजनकरहा। इस्टीमेट, एम०बी०प्रस्तुतकरकृतकार्यकीपुष्टिआवश्यकहै।अन्यथा की स्थिति में व्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

115..ग्राम पंचायत का नाम .. तीखमपुर

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर- 203

आलोच्य वर्ष-2019-20 में राज्यवित्त/चौदहवां वित्त मद में ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट इंडियन बैंक शाखा-सहतवार कोठी,बलिया A/C-50044599827से एवम ऑनलाइन कैशबुक/ईस्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत का पूरे वर्ष का कुल खर्च रु०-2277012.00 रहा, जिसकी पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय, आदेश, कोटेशन/टेंडर फ़ाइल, मस्टररोल, एस्टीमेट, एम० बी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आदेश, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, ग्रामसभा एवम ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर, इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को / दिनांक - 07/01/21, 22/01/2021, 30/01/2021, 09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया, जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया, मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक22/01/2021,30/01/21 को सम्बन्धित तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (प)को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक 3390-दिनांक -10/03/21 से अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सम्बंधित सचिव को निर्देशित किया गया था परन्तु ग्राम निधि-1 का सिर्फ बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहूरित है। अतःभुगतान/खर्च की गयी धनराशि रु०-2277012.00 की व्याज सहितवसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजेन्द्र भारती एवम प्रधान श्रीमती विजेता सिंह से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2019-20 के दौरान ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट इंडियन बैंक शाखा-सहतवार कोठी A/C-50044599827से कृत कार्य एवम उसपर खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार रहा -

क्रम संख्या	माहवार विवरण	खर्च/भुगतान की धनराशि रु०
-1	जून 2019-	1800.00
-2	जुलाई 2019-	1065273.00
-3	अगस्त 2019-	283800.00
-4	दिसम्बर 2019-	837667.00
-4	जनवरी 2020-	88472.00
	योग	=2277012.00

116..ग्राम पंचायत का नाम ..वैना

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर- 204

आलोच्य वर्ष2019-20, मेंराज्य वित्त /केंद्र वित्त कैशबुक की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक - 18/01/2020 में डोंगल द्वारा रु०- 193500.00 का भुगतान चौदहवां वित्त से 9अदद सोलर लाइट स्थापना हेतु माँ दुर्गा कंस्ट्रक्शन एवम् सप्लायर को किया गया है, जिसकी पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल/वाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश, कोटेशन/टेंडर फ़ाइल,इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया एवमअतिरिक्त उर्जा स्रोत विभाग के शा. स. 33/2017/977/45-वि/2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के गाइडलाइन के अनुसार सौर उर्जा आधारित संयंत्रों की मानक और गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने के लिए इसकी स्थापना का कार्य एकमात्र अधिकृत नोडल एजेंसी यूपी नेडा से कराये जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा इसका पालन नहीं किया गया. विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस और आकृष्ट किया जाता है। इसके लिए अलग से टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है. किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं ली गयी है। स्थान का चयन कार्ययोजना में कैसे और किस प्रकार किया गया है यह अस्पष्ट रहा. खरीद दर -सोलर में नेडा का रेट की पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही।अस्तु सामग्री क्रय एवम कृत कार्य की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।अतः खर्च की गयी धनराशि रु०-193500.00की व्याज सहितवसूली सचिव श्री अछेलाल राम एवम् प्रधान श्रीमती चंदा देवी से बराबर -बराबर की जानी अपेक्षित है।

117..ग्राम पंचायत का नाम .. निधरिया

विकास खण्ड - हनुमानगंज

प्रस्तर- 205

आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त/चौदहवां वित्त मदमें ऑनलाइन कैशबुक/इस्वराज पोर्टल में फीडिंग के अनुसार पूरे वर्ष का कुल खर्च रु०- 2135886.00रहा जिसकी पुष्टि में सम्बंधित सचिव द्वारा सामग्री क्रय वाउचर,मस्टररोल ,कोटेशन/टेंडर फ़ाइल,फर्म का लाइसेंस ,क्रय आदेश ,मानदेय रजिस्टर , एस्टीमेट ,एम बी ,प्रशासनिक,तकनीकी ,वित्तीय स्वीकृति आदेश ,कार्य का नक्शा,कार्य का फोटोग्राफ ,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादिअभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ,न ही ऑनलाइन उक्त रिकार्ड अपलोड है खर्च की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध करने हेतु सम्बंधित सचिव को दिनांक - 07/01/21,22/01/21,30/01/2021.09/02/2021 को व्यक्तिगत पत्र दिया गया था एवं प्रतिलिपि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया , जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया , मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को किया गया था अभिलेख न मिलने पर दिनांक - 30/01/21 को सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (प०) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था उक्त के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बलिया द्वारा पत्रांक -3390दिनांक -10/03/21 -को अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था परन्तु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी भुगतान की गयी धनराशि की प्रधान श्री आशुतोष पाण्डेय एवम ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश चौहान से व्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है।

118..ग्राम पंचायत का नाम ..बधौच

विकास खण्ड - बेलहरी

प्रस्तर- 206

आलोच्य वर्ष-2019-20 में राज्यवित्त/चौदहवां वित्त मद में ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट इंडियन बैंक शाखा-सहतवार कोठी, बलिया खाता संख्या-50045674817 से एवम कैशबुक में अंकित खर्च के अनुसार ग्राम पंचायत का निम्न तिथियों में निकासी/खर्च रू0 336000.00 स्ट्रीट लाइट स्थापना मद पर रहा, सामग्री क्रय का बिल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम	वाउचर न०	दिनांक	चेकडॉंगल/ डॉंगल	धनराशि (रू0)	किस कार्य हेतु	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	अज्ञात	29.11.2019	डॉंगल	180000.00	स्ट्रीटलाइट दर 45 नग	श्रीराम इण्टरप्राइजेज
2	"	07.12.2019	"	60000.00	" " दर 15 नग	" "
3	"	16.12.2019	"	96000.00	" " दर 24 नग	" "
			योग....	336000.00		

पंचायत राजअनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.6.2018 के गाइड लाइन के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट स्थापना का कार्य कराया गया है लेकिन ग्राम प्रधान /सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के मध्य विजली कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने सम्बन्धी पत्रावली अप्रस्तुत रही और फाइल में फोटो और स्थापना प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं रहे। LED स्ट्रीटलाइट के सन्दर्भ वाट उसके सापेक्ष क्रय दर का निर्धारण में DM की समिति के द्वारा किया जाने सम्बन्धी पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि इनकी स्थापना पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर की गयी कि नये स्थान पर किया गया है, पुराने की दशा में इसका निस्तारण की प्रक्रिया क्या रही से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त खर्च की पुष्टि बिना प्रमाणक के नहीं हो सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8(क) के तहत खर्च की धनराशि अपहृत है। अतः भुगतान/खर्च की गयी धनराशि रू0-336000.00 की व्याज सहितवसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री शशांक शेखर पाण्डेय एवम प्रधान श्री संतोष सिंह से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

119..ग्राम पंचायत का नाम चकमनिया

विकास खण्ड - गड़वार

प्रस्तर- 207

ग्राम पंचायत के वर्ष 20019-20 की लेखा परीक्षा ग्राम स्वराजर्-इ पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल रू0 391187.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई अभिलेख तथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका, आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-8 क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की व्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान तथा यचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 391187.00 की वसूली प्रधान श्री राजेन्द्र व सचिव श्री हर्षदेव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

है-

क्रम	माह	आय	व्यय
1	अप्रैल 2019	2366-00	3416-00
2	मई 2019	0-00	15-00
3	जून2019	291995-00	311806-00
4	जुलाई 2019	383-00	0-00
5	अगस्त2019	0-00	0-00
6	सितम्बर 2019	0-00	15-00
7	अक्टूबर 2019	982-00	0-00
8	नवम्बर 2019	347386-00	0-00
9	दिसम्बर 2019	0-00	0-00
10	जनवरी 2020	0-00	0-00
11	फरवरी 2020	0-00	24500-00
12	मार्च 2020	110858-00	51435-00
	योग.	753970-00	391187-00

120..ग्राम पंचायत का नाम.. तीखा

विकास खण्ड - गड़वार

प्रस्तर- 208

ग्राम पंचायत कि लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान को मानदेय का भुगतान किया गया है। चेक सं0 12030005 दिनांक 26-07-2019 द्वारा माह 4/2019 से 7/2019 तक का रू0 3500.00 की दर से 14000.00 प्राप्त किया गया है पुनः दिनांक 8-1-2020 को माह 4/2019 से 12/2020 तक 09 माह का रू0 31500.00 प्राप्त किया गया है। इस प्रकार प्रधान द्वारा माह 4/2019 से 7/2019 तक माह का रू0 14000.00 अधिक मानदेय प्राप्त किया गया है जिस हेतु प्रधान हरेन्द्र यादव व सचिव अविनाश सिंह उत्तरदायी है जिसकी व्याज सहितवसूली प्रधान हरेन्द्र यादव व सचिव अविनाश सिंह से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 209

ग्राम पंचायत के वर्ष 20019-20 की लेखा परीक्षा ग्राम स्वराजर्-इ पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल रू0 1721023.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई अभिलेख तथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका, आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-8 क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की व्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान तथा यचिव ग्राम पंचायत से की जानी अपेक्षित है।

अतः रू0 1721023.00.00 की वसूली प्रधान श्री गंगाजलीव सचिव श्री हर्षदेव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रम	माह	आय	व्यय
1	अप्रैल 2019	1439-00	48500-00
2	मई 2019	0-00	32000-00
3	जून 2019	684794-00	0-00
4	जुलाई 2019	984-00	252410-00
5	अगस्त 2019	0-00	419000-00
6	सितम्बर 2019	0-00	0-00
7	अक्टूबर 2019	2567-00	0-00
8	नवम्बर 2019	814700-00	0-00
9	दिसम्बर 2019	0-00	213122-00
10	जनवरी 2020	0-00	435888-00
11	फरवरी 2020	0-00	117360-00
12	मार्च 2020	259988-00	202743-00
	योग.	1764472-00	1721023-00

प्रस्तर- 210

ग्राम पंचायत के वर्ष 20019-20 की लेखा परीक्षा ग्राम स्वराजर्-इ पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल रू0 810333.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के

बाद भी कोई अभिलेख तथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका, आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-8 क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की व्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान तथा यचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ₹0 810333.00.00 की वसूली प्रधान श्रीमती सुधा देवीव सचिव श्री हर्षदेव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रम	माह	आय	व्यय
1	अप्रैल 2019	513-00	35708-00
2	मई 2019	0-00	0-00
3	जून 2019	259194-00	16-00
4	जुलाई 2019	289-00	177197-00
5	अगस्त 2019	0-00	0-00
6	सितम्बर 2019	0-00	15-00
7	अक्टूबर 2019	991-00	0-00
8	नवम्बर 2019	308364-00	0-00
9	दिसम्बर 2019	0-00	0-00
10	जनवरी 2020	0-00	313929-00
11	फरवरी 2020	183943-00	243922-00
12	मार्च 2020	98406-00	39546-00
	योग.	851700	810333-00

123..ग्राम पंचायत का नाम. बदनपुरा.

विकास खण्ड - गड़वार

प्रस्तर- 211

ग्राम पंचायत के वर्ष 20019-20 की लेखा परीक्षा ग्राम स्वराजर्-इ पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल ₹0 910787.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई अभिलेख तथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका, आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-8 क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की व्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान तथा यचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ₹0 910787.00.00 की वसूली प्रधान श्रीमती सुधा देवीव सचिव श्री हर्षदेव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रम	माह	आय	व्यय
1	अप्रैल 2019	2754-00	0-00
2	मई 2019	0-00	0-00
3	जून 2019	555878-00	0-00
4	जुलाई 2019	664-00	576960-00
5	अगस्त 2019	0-00	0-00
6	सितम्बर 2019	0-00	0-00
7	अक्टूबर 2019	1053-00	0-00
8	नवम्बर 2019	661328-00	0-00
9	दिसम्बर 2019	0-00	0-00
10	जनवरी 2020	0-00	93137-00
11	फरवरी 2020	0-00	0-00
12	मार्च 2020	214356-00	240690-00

	योग.	1436033-00	910787
--	------	------------	--------

124.. ग्राम पंचायत का नाम. . रतसड खुर्द  
प्रस्तर- 212

विकास खण्ड - गड़वार

ग्राम पंचायत के वर्ष 20019-20 की लेखा परीक्षा ग्राम स्वराजर्-इ पर उपलब्ध आकड़ो के आधार पर संपत्र की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल रू0 1189987.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई अभिलेख तथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका, आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-8 क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा यचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 8189987.00.00 की व्याज सहितवसूली प्रधान श्रीमती सुधा देवीव सचिव श्री हर्षदेव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवतहै-

क्रम	माह	आय	व्यय
1	अप्रैल 2019	4752-00	35121-00
2	मई 2019	0-00	0-00
3	जून 2019	682845-00	0-00
4	जुलाई 2019	754-00	0-00
5	अगस्त2019	0-00	0-00
6	सितम्बर 2019	0-00	0-00
7	अक्टूबर 2019	6379-00	0-00
8	नवम्बर 2019	812381-00	0-00
9	दिसम्बर 2019	0-00	902950-00
10	जनवरी 2020	0-00	227416-00
11	फरवरी 2020	0-00	0-00
12	मार्च 2020	259248-00	24500-00
	योग.	1766350-00	1189987-00

125..ग्राम पंचायत का नाम. . सिसयंड कला  
प्रस्तर- 213

विकास खण्ड - सीयर

ग्राम पंचायत के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा इ ग्राम स्वराजर् पर उपलब्ध आकड़ो के आधार पर संपत्र की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल रू0 1364897.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई अभिलेख तथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका, आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-8 क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा यचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 1364897.00 की व्याज सहितवसूली प्रधान श्रीविरेंद्र व सचिव श्री समसाद अहमद से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवतहै-

क्रम	माह	आय	व्यय
1	अप्रैल 2019	0-00	7400-00
2	मई 2019	808-00	10500-00
3	जून 2019	632394-00	3500-00
4	जुलाई 2019	0-00	644184-00
5	अगस्त2019	0-00	0-00
6	सितम्बर 2019	0-00	0-00
7	अक्टूबर 2019	2012-00	0-00
8	नवम्बर 2019	741005-00	0-00

9	दिसम्बर 2019	0-00	628963-00
10	जनवरी 2020	0-00	0-00
11	फरवरी 2020	0-00	0-00
12	मार्च 2020	355629-00	70350-00
	योग.	1731848-00	1364897-00

126..ग्राम पंचायत का नाम... पहाडपुर

विकास खण्ड - सीयर

प्रस्तर- 214

ग्राम पंचायत के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा इ ग्राम स्वराजर् पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल रू0 465199.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई अभिलेख तथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका, आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-8 क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा यचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 465199.00 की ब्याज सहितवसूली प्रधान श्रीविरेंद्र व सचिव श्री समसाद अहमद से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रम	माह	आय	व्यय
1	अप्रैल 2019	603-00	7494-00
2	मई 2019	0-00	0-00
3	जून 2019	273074-00	5000-00
4	जुलाई 2019	116-00	11450-00
5	अगस्त2019	0-00	83680-00
6	सितम्बर 2019	0-00	295-00
7	अक्टूबर 2019	1806-00	0-00
8	नवम्बर 2019	310599-00	0-00
9	दिसम्बर 2019	0-00	229536-00
10	जनवरी 2020	0-00	109544-00
11	फरवरी 2020	0-00	18200-00
12	मार्च 2020	99118-00	0-00
	योग.	685316-00	465199-00

127..ग्रामपंचायतकानाम...बेल्थराबाजार

विकास खण्ड - सीयर

प्रस्तर- 215

ग्राम पंचायत के वर्ष 20019-20 की लेखा परीक्षा इ ग्राम स्वराजर् पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल रू0 1332876.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई अभिलेख तथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका, आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-8 क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा यचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 1332876.00 की ब्याज सहितवसूली प्रधान श्रीविरेंद्र व सचिव श्री समसाद अहमद से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रम	माह	आय	व्यय
1	अप्रैल 2019	0-00	18611-00
2	मई 2019	355-00	0-00
3	जून 2019	627488-00	86433-00
4	जुलाई 2019	0-00	239222-00
5	अगस्त2019	1707-00	270530-00

6	सितम्बर 2019	0-00	0-00
7	अक्टूबर 2019	0-00	0-00
8	नवम्बर 2019	0-00	0-00
9	दिसम्बर 2019	732246-00	266517-00
10	जनवरी 2020	0-00	121297-00
11	फरवरी 2020	0-00	271004-00
12	मार्च 2020	240210-00	59262-00
	योग.	1602006-00	1332876-00

128..ग्रामपंचायत का नाम... बनकरा सैयद बुखारा विकास खण्ड - सीयर  
प्रस्तर- 216

ग्राम पंचायत के वर्ष 20019-20 की लेखा परीक्षा इ ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल रू0 892585.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई अभिलेख तथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका, आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-8 के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा यचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 892585.00 की व्याज सहितवसूली प्रधान श्रीविरेंद्र व सचिव श्री समसाद अहमद से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रम	माह	आय	व्यय
1	अप्रैल 2019	0-00	9111-00
2	मई 2019	415-00	0-00
3	जून 2019	0-00	0-00
4	जुलाई 2019	0-00	338165-00
5	अगस्त 2019	0-00	14980-00
6	सितम्बर 2019	21006-00	0-00
7	अक्टूबर 2019	412312-00	0-00
8	नवम्बर 2019	0-00	0-00
9	दिसम्बर 2019	0-00	0-00
10	जनवरी 2020	0-00	342400-00
11	फरवरी 2020		187929-00
12	मार्च 2020	141331-00	0-00
	योग.	949982-00	892585

129..ग्रामपंचायतकानाम..चैनपुरगुलौरा विकास खण्ड - सीयर  
प्रस्तर- 217

आलोच्य वर्ष कि लेखा परीक्षा में पाया गया कि चेक संख्या 050013 दिनांक 03/07/2019 द्वारा रू0 20000.00 का आहरण प्रधान द्वारा किया गया है। जिसमें से रू0 10500.00 प्रधान द्वारा मानदेय के रूप में प्राप्त किया गया है शेष रू0 9500.00 प्रधान के पास नकद शेष बचा जिसका उपभोग वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत नहीं किया गया है और न ही प्रधान/सचिव के पास शेष नकद दर्शाया गया है। इस प्रकार रू0 9500.00 व्यय न कर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा कर लिया गया है जिसके लिए प्रधान सियाराम रामकिशोर उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की व्याज सहितवसूली प्रधान श्री सियाराम व सचिव रामकिशोर से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

130..ग्रामपंचायत का नाम.. अखोप विकास खण्ड - सीयर  
प्रस्तर- 218

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान को मंदा का भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०	वित्तीय वर्ष	धनराशि
1	2017-18	42000.00
2	2019-20	168500.00
	योग-	210500.00

उपरोक्त विवरणानुसार ग्राम प्रधान माह जनवरी 16 मार्च 20 तक कुल 51 माह में 11 माह का मानदेय / 2500 की दर से ₹0 27500 0 दिसम्बर 16 से मार्च 20 तक 40 माह का मानदेय / 3500 की दर से ₹0 140000.00 हुआ इस प्रकार 1/16से 3/20 तक कुल मानदेय ₹0167500.00 हुआ जबकि प्रधान द्वारा 210500.00 प्राप्त किया गया है। इस प्रकार प्रधान द्वारा ₹0 43000.00 अधिक मानदेय प्राप्त किया गया है। जिस हेतु प्रधान 0 सचिव उत्तरदायी है जिसकी व्याज सहितवसूली प्रधान श्रीमती सुनीता देवी व तत्कालीन सचिव/आनन्द कुमार राव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

131..ग्राम पंचायत का नाम.. अतरौलचक मिलकान विकास खण्ड - सीयर

प्रस्तर- 219

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 10-07-2020 को ₹0 14196.00 का आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार किया गया है परन्तु कैश बुक में उक्त धनराशि व्यय नहीं की गई है और न ही प्रधान/सचिव के पास शेष है। अतः स्पष्ट है कि ₹0 14196.00 का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा कर लिया गया है जिसके लिए प्रधान व सचिव उत्तरदायी है। जिसकी व्याज सहितवसूली प्रधान श्री मार्कण्डेय यादव व तत्कालीन सचिव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

132..ग्राम पंचायत का नाम.. फरसाटार विकास खण्ड - सीयर

प्रस्तर- 220

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान को मंदा का भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०	वित्तीय वर्ष	धनराशि
1	2016-17	35500.00
2	2017-18	38500.00
3	2018-19	125300.00
4	2019-20	38500.00
	योग-	237800.00

उपरोक्त विवरणानुसार ग्राम प्रधान के शपथ माह जनवरी 16 मार्च 20 तक कुल 51 माह हुये उक्त 51 माह में 11 माह का मानदेय /2500.00 की दर से ₹0 27500 व दिसम्बर 16 से मार्च का मानदेय / 3500 की दर से ₹0 140000 हुआ जबकि प्रधान द्वारा 237800.00 प्राप्त किया गया है। इस प्रकार प्रधान द्वारा ₹0 70300.00 अधिक मानदेय प्राप्त किया गया है। जिस हेतु प्रधान व सचिव उत्तरदायी है जिसकी व्याज सहितवसूली प्रधान श्रीमती वारिशा खातून व तत्कालीन सचिव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

133..ग्राम पंचायत का नाम.. तिरनई खिजिरपुर विकास खण्ड - सीयर

प्रस्तर- 221

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान को मंदा का भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०	वित्तीय वर्ष	धनराशि
1	2016-17	25000.00
2	2017-18	45000.00
3	2018-19	31500.00
4	2019-20	73500.00
	योग-	175000.00

(माहदिसम्बर2019तककैशबुककेअनुसार)

उपरोक्त विवरणानुसार ग्राम प्रधान के शपथ माह जनवरी 16 मार्च 19 तक कुल 48 माह हुये उक्त 48 माह में माह का मानदेय @3500-00 की दर से ₹0 168000 हुआ जबकि प्रधान द्वारा 175000-00 प्राप्त किया गया है। इस प्रकार प्रधान द्वारा ₹0 7000.00 अधिक मानदेय प्राप्त किया गया है। जिस हेतु प्रधान व सचिव उत्तरदायी है जिसकी व्याज सहितवसूली प्रधान श्री मोहन व तत्कालीन सचिव संजयसिंहबराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

134..ग्राम पंचायत का नाम. शाहपुर अफगा विकास खण्ड - सीयर

प्रस्तर- 222

ग्राम पंचायत के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा इ ग्राम स्वराज् पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपत्र की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवें वित्त से कुल ₹0 3284483.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई अभिलेख तथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका, आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-8 क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः ₹0 3284483.00 की व्याज सहितवसूली प्रधान श्रीविरेंद्र व सचिव श्री समसाद अहमद से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रम	माह	आय	व्यय
1	अप्रैल 2019	0-00	1708-00
2	मई 2019	274-00	8000-00
3	जून 2019	1458347-00	52297-00
4	जुलाई 2019	0-00	815503-00
5	अगस्त 2019	29650-00	0-00
6	सितम्बर 2019	0-00	0-00
7	अक्टूबर 2019	0-00	0-00
8	नवम्बर 2019	1446161-00	382320-00
9	दिसम्बर 2019	0-00	1059315-00
10	जनवरी 2020	0-00	403782-00
11	फरवरी 2020	274559-00	346558-00
12	मार्च 2020	275559-00	208000-00
	योग.	3484550-00	3284483-00

135..ग्राम पंचायत का नाम. तेलमा जमालुद्वीनपुर विकास खण्ड - सीयर

प्रस्तर- 223

ग्राम पंचायत के वर्ष 20019-20 की लेखा परीक्षा इ ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल रू0 1734565.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई अभिलेख तथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका, आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-8 क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा यचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 1734565.00 की व्याज सहित वसूली प्रधान श्रीचन्द्रशेखर वर्मा व सचिव श्री संजयसिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रम	माह	आय	व्यय
1	अप्रैल 2019	0-00	3208-00
2	मई 2019	1637-00	0-00
3	जून 2019	880953-00	0-00
4	जुलाई 2019	0-00	329322-00
5	अगस्त 2019	5294-00	0-00
6	सितम्बर 2019	0-00	0-00
7	अक्टूबर 2019	0-00	0-00
8	नवम्बर 2019	1033794-00	0-00
9	दिसम्बर 2019	0-00	320623-00
10	जनवरी 2020	0-00	526351-00
11	फरवरी 2020	0-00	164626-00
12	मार्च 2020	359792-00	390435-00
	योग.	2281470-00	1734565-00

136..ग्राम पंचायत का नाम.. सराया डीहू भगत

विकास खण्ड - सीयर

प्रस्तर- 224

ग्राम पंचायत के वर्ष 20019-20 की लेखा परीक्षा इ ग्राम स्वराजर् पर उपलब्ध आकड़ो के आधार पर संपन्न की गयी है जिसके अनुसार राज्य वित्त व चौदहवे वित्त से कुल रू0 1356283.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से बार-बार लिखित/मौखिक अनुरोध के बाद भी कोई अभिलेख तथा कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, कार्यवाही पुस्तिका माप पुस्तिका, आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-8 क के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा यचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 1356283.00 की व्याज सहितवसूली प्रधान श्रीचन्द्रशेखर वर्माव सचिव श्री संजयसिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

माह	प्राप्त	प्राप्त निरस्त	प्रा0 अवशेष निरस्त	भुगतान	भुगतान निरस्त
अप्रैल 2019	0-00	0-00	0-00	20000-00	0-00
मई 2019	6720-00	0-00	0-00	96973-00	0-00
जून 2019	1142209-00	0-00	0-00	135500-00	0-00
जुलाई 2019	0-00	0-00	0-00	1062972-00	0-00
अगस्त 2019	5550-00	0-00	0-00	19838-00	0-00
सितम्बर 2019	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
अक्टूबर 2019	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
नवम्बर 2019	1350956-00	0-00	0-00	0-00	0-00
दिसम्बर 2019	1350956-00	0-00	0-00	0-00	0-00
जनवरी 2020	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
फरवरी 2020	1723490-00	0-00	0-00	21000-00	0-00
मार्च 2020	0-00	0-00	0-00	0-00	21000-00
योग-	5579881-00	0-00	0-00	1356283-00	21000-00

137..ग्राम पंचायत का नाम. हरपुर विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 225

वर्ष आलोच्य में निम्न विवरणानुसार प्रधान का मानदेय भुगतान किया गया है

3-7-2019 14000.00 4/2019 से 7/2019 तक

4-1-2020 28000.00 4/2019 से 11/2019 तक

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि माह 4/2019 से 7/2019 तक कुल 4माह का मानदेय रू0 14000.00 दुबारा लेकर मिलीभगत कर अपहरण कर लिया गया है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जाचोंपरांत कुल अपहरित धनराशि रू0 14000.00 का आधा भाग रू0 7000.00 प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से एवं आधा भाग रू0 7000.00 सचिव श्री राम नारायण कुशवाहा/ श्री दया शंकर यादव से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूल किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराया जाता है।

138..ग्राम पंचायत का नाम.- विशुनपुरा विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 226

उक्त ग्राम पंचायत के उक्त वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित गंभीर प्रकार के प्रकरण प्रकाश में आये। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराया जाता है:

निम्न विवरणानुसार प्रधान का मानदेय भुगतान किया गया है

दिनांक	धनराशि	विवरण
18-6-2019-19	14000-00	4-2019 से 7-2019
11-2-2020	24500-00	7-2019 से 1-2020
28-3-20&20	7000-00	2-2019 से 3-2020
योग.	45500-00	

विभागीय जाचोंपरांत कुल अपहरित धनराशि रू0 3500-00 का आधा भाग रू0 1750.00 प्रधान श्री विनय कुमारसे एवं आधा भाग रू0 1750-00 सचिव श्री तेजब्रह्मादुर से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूल किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराया जाता है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि माह जुलाई 2019 का मानदेय दो बार भुगतान कर रू0 3500.00 का अपहरण किया गया है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

139..ग्राम पंचायत का नाम.- पंचरूख

विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 227

दिनांक 8-3-2020 को रू0 2000-00 जिला पंचायत राज अधिकारी को सामान्य लाभ निधि मद हेतु अंशदान का भुगतान किया गया है। जबकि वर्ष आलोच्य में पंचायत की निजी स्रोत की आय रू0 0-00 है। संदर्भित भुगतान किस मद से किया गया है, स्थिति अज्ञात रही। संदर्भित भुगतान के सापेक्ष जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया के कार्यालय से निर्गत भुगतान प्राप्ति रसीद/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय के सापेक्ष प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय रू0 2000-00 पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय.8, पैरा.8 (क) के अनुसार अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू0 2000-00 का आधा भाग रू0 1000-00 प्रधान श्रीमती उमरावती देवी से एवं आधा भाग रू0 1000-00 सचिव श्री तेजबहादुर से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूल किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

140..ग्राम पंचायत का नाम.- हडिहा कला

विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 228

उक्त ग्राम पंचायत के उक्त वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित गंभीर प्रकार के प्रकरण प्रकाश में आये। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप आकृष्ट कराया जाता है:

निम्न विवरणानुसार प्रधान का मानदेय भुगतान किया गया है

दिनांक	धनराशि	विवरण
3-5-2019	20000-00	
1-7-2019	98700-00	
4-7-2019	198000-00	
योग.	316700-00	

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय.8 पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू0 316700.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जाँचोंपरांत कुल अपहरित धनराशि रू0 316700-00 का आधा भाग रू0 1583500-00 प्रधान श्रीमती रीना सिंह से एवं आधा भाग रू0 1583500-00 सचिव श्री रमेश कुमार/दिनेश कुमार सिंह से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूल किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

141..ग्राम पंचायत का नाम.- रेखहनूरपुर विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 229

ग्राम पंचायत रेखहा नूरपुर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में आन लाइन उपलब्ध आकड़ों के अनुसार तिथियों में कुल रू0 860157.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टाक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेण्डर, स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषवही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आडिट आनलाइन पोर्टल पर आडिट का कार्यक्रम आडिट विभाग द्वारा आनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा आनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्री रामनारायण कुशवाहा से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया जिसकी सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या मेमो दिनांक 27-8-2020
2. पत्र संख्या मेमो दिनांक 6-1-2021
3. पत्र संख्या -मेमो दिनांक 15-2-2021
4. पत्र संख्या - मेमो -1आडिट/ग्रा0 पं0/ दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3076/ सात-पं0/आडिट/अभिलेख/ग्रा0 पं0/2021-22/दिनांक 29-12-2021 द्वारा सचिव को लिखित रूप से निर्देशित किए जाने के बाद भी मात्र ग्राम निधि प्रथम खाते का बैंक स्टेटमेंट आडिट में प्रस्तुत किया गया एवं उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू0 860157.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू0 860157.00 का आधा भाग रू0 430078.50 प्रधान श्रीमती जीरा देवी से एवं आधा भाग रू0 430078.50 सचिव श्री राम नारायण कुशवाहा से व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

आनलाइन पोर्टल के अनुसार माहवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	धनराशि
4/2019	0-00
5/2019	0-00
6/2019	0-00
7/2019	267197-00
8/2019	0-00
9/2019	0-00
10/2019	0-00
11/2019	0-00
12/2019	68250-00
1/2020	242170-00
2/2020	0-00
3/2020	282540-00
योग-	860157-00

142..ग्राम पंचायत का नाम.- आसमान ठोठा

विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 230

ग्राम पंचायत आसमान ठोठा वर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्नतिथियों में कुल रू0 3209541.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, सूचीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्री उपेन्द्र कुमार यादव से उपरोक्त बांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

विवरण निम्न प्रकार है:-

1.पत्र संख्या- मेमो दिनांक27-8-2020

2- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4-पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

143. ग्राम पंचायत का नाम.-बेलहरी विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 231

निम्न विवरण के अनुसार प्रधान को मानदेय का भुगतान किया गया है:-

दिनांक	धनराशि	विवरण
8-4-2019	10500.00	4-2019 से 6- 2019
2-8-2019	14000.00	7-2019 से 10-2019
योग.		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मानदेय का भुगतान अतयधिक पहले अग्रिम रूप से कर दिया गया है। जो माह के अंतिम दिवस को अथवा उसके ाद किया जाना चाहिए। मानेदय का अग्रिम भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गई है। प्रधान श्री संजीव सिंह एवं सचिव श्री तेजबहादुर समान रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

144. ग्राम पंचायत का नाम.-कंचनपुर विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 232

वर्ष आलोच्य में दिनांक 12-2-2020/17-2-2020को रू० 21788.00 हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री क्रय भुगतान मे० एम०एस० हार्डवेयर को किया गया है। इससे सम्बन्धित प्रमाणक फोटोग्राफ स्थान नाम एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं रहा। इस कार्य पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है।

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय.8, पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू० 21788.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जाचोंपरान्त कुल अपहरित धनराशि रू० 21788-00 का आधा भाग रू० 10894-00 प्रधान श्रीराजन पासवान से एवं आधा भाग रू० 10894-00 सचिव श्री तेज बहादुरसे व्याज सहित वसूल किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

145. ग्राम पंचायत का नाम.-कुशहर विकास खण्ड - रेवती प्रस्तर- 233

ग्राम पंचायत कुशहर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्नतियों में कुल रू० 1214190.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, सूचीमेट, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

आडिट आनलाइन पोर्टल पर आडिट का कार्यक्रम आडिट विभाग द्वारा आनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा आनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्री रामनारायण कुशवाहा से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया जिसकी सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या मेमो दिनांक 27-8-2020
2. पत्र संख्या मेमो दिनांक 6-1-2021
3. पत्र संख्या -मेमो दिनांक 15-2-2021
4. पत्र संख्या -मेमो -1आडिट/ग्रा० पं०/ दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3076/ सात-पं०/आडिट/अभिलेख/ग्रा० पं०/2021-22/दिनांक 29-12-2021 द्वारा सचिव को लिखित रूप से निर्देशित किए जाने के बाद भी मात्र ग्राम निधि प्रथम खाते का बैंक स्टेटमेंट आडिट में प्रस्तुत किया गया एवं उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय8पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू० 1214190.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू० 1214190.00 का आधा भाग रू० 607095.00 प्रधान श्री सोनू पासवानसे एवं आधा भाग रू० 607095.00 सचिव श्री राम नारायण कुशवाहा से व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

आनलाइन पोर्टल के अनुसार माहवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	धनराशि
4/2019	15000-00
5/2019	1708.00
6/2019	0-00
7/2019	3178555-00
8/2019	0-00
9/2019	0-00
10/2019	0-00
11/2019	0-00
12/2019	0-00
1/2020	328326-00
2/2020	0-00
3/2020	551401-00
योग-	1214190-00

146. ग्राम पंचायत का नाम.-कुसौरिकला विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 234

ग्राम पंचायत कुसौरिकला वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 1403705.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, सूचीमेंट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

आडिट आनलाइन पोर्टल पर आडिट का कार्यक्रम आडिट विभाग द्वारा आनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा आनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्री रामनारायण कुशवाहा से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया जिसकी सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या मेमो दिनांक 27-8-2020
2. पत्र संख्या मेमो दिनांक 6-1-2021
3. पत्र संख्या -मेमो दिनांक 15-2-2021
4. पत्र संख्या -मेमो -1आडिट/ग्रा0 पं0/ दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3076/ सात-पं0/आडिट/अभिलेख/ग्रा0 पं0/2021-22/दिनांक 29-12-2021 द्वारा सचिव को लिखित रूप से निर्देशित किए जाने के बाद भी मात्र ग्राम निधि प्रथम खाते का बैंक स्टेटमेंट आडिट में प्रस्तुत किया गया एवं उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। तथा वर्ष 2019-20में श्री अनिल कुमार यादव सचिव का भी कार्यकाल रहा है जिनसे उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख मुझे चार्ज में उपलब्ध नहीं कराया गया है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 1403705.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि ₹0 1403705.00 का आधा भाग ₹0 701852.50 प्रधान श्री संदीप कुमार सिंहसे एवं आधा भाग ₹0 701852.50 सचिव श्री राम नारायण कुशवाहा एवं अनिल कुमार यादव से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

आनलाइन पोर्टल के अनुसार माहवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	धनराशि
4/2019	0-00
5/2019	0.00
6/2019	0-00
7/2019	0-00
8/2019	0-00
9/2019	0-00
10/2019	0-00
11/2019	0-00
12/2019	679063-00
1/2020	410657-00
2/2020	194030-00
3/2020	119955-00
योग-	1403705-00

147. ग्राम पंचायत का नाम.-झरकटहां विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 235

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक एवं पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया:-

दिनांक	धनराशि	विवरण
6-4-2019	100500.00	हैन्डपम्प रिबोर
6-4-2019	100500.00	हैन्डपम्प रिबोर

15-4-2019	104000.00	हैन्डपम्प रिबोर
29-4-2019	70000.00	हैन्डपम्प रिबोर
26-7-2019	83000.00	हैन्डपम्प रिबोर
26-3-2020	107196.00	हैन्डपम्प रिबोर
26-3-2020	61510.00	हैन्डपम्प मरम्मत
29-4-2019	19500.00	हैन्डपम्पमरम्मत
22-2-2020	55000.00	मोटर मरम्मत एवं स्विच वाल हेतु
29-6-2010	40000.00	मोटर मरम्मत एवं स्विच वाल हेतु
7-3-2020	198400.00	कूड़ादान स्थापना
7-3-2020	198400.00	कूड़ादान स्थापना
14-12-2019	180000.00	सीमेंट बेंच स्थापना
14-12-2020	180000.00	सीमेंट बेंच स्थापना
18-12-2019	170000.00	हाई मास्ट लाइट स्थापना
20-12-2019	85000.00	हाई मास्ट लाइट स्थापना
21-12-2019	85000.00	हाई मास्ट लाइट स्थापना
10-01-2020	168000.00	स्ट्रीट लाइट स्थापना
16-2-2020	12000.00	अज्ञात प्रशासनिक व्यय
26-3-2020	28000.00	अज्ञात प्रशासनिक व्यय
26-3-2020	10500.00	अज्ञात प्रशासनिक व्यय
29-4-2019	20000.00	अज्ञात नाली सफाई
13-5-2019	20000.00	अज्ञात नाली सफाई
योग-	2106506	

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा. 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹ 2106506.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि ₹ 2106506.00 का आधा भाग ₹ 1053253.00 प्रधान श्री मनोज कुमार पासवानसे एवं आधा भाग ₹ 1053253.00 सचिव श्री सुनील कुमार तिवारी/रविशंकर यादव से व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

148. ग्राम पंचायत का नाम.-बिसौली विकास खण्ड - रेवती प्रस्तर- 236

ग्राम पंचायत बिसौली वर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल ₹ 8731742.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, सूचीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषवही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्री उपेन्द्र कुमार यादव से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4. पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया। उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्री प्रकाश सिंह द्वारा लिखित रूप से दिया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्री रामनारायण कुशवाहा कार्यरत रहे हैं तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू० 8731742.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू० 8731742.00 का आधा भाग रू० 4365871.00 प्रधान श्री संदीप कुमार सिंहसे एवं आधा भाग रू० 4365871.00 सचिव श्री राम नारायण कुशवाहासे व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	671193.00
2016-17	2431366.00
2017-18	2382888.00
2018-19	3246295.00
योग-	8731742.00

149. ग्राम पंचायत का नाम.-उदहां विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 237

ग्राम पंचायत उदहां वर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल रू० 2303686.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्कीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषवही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्री राम नारायण कुशवाहा से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4. पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

निम्न विवरण के अनुसार प्रधान को मानदेय का भुगतान किया गया है:-

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्री राम नारायण कुशवाहा द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ताए कमलेश कुमार यादव आदिकार्यरत रहे हैं तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू० 2303686.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू० 2303686.00 का आधा भाग रू० 1151843.00 प्रधान श्रीमती तारा देवीसे एवं आधा भाग रू० 1151843.00 सचिव श्री प्रमोद कुमार गुप्ताए कमलेश कुमार यादवसे व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	407253.00
2016-17	397288.00
2017-18	637459.00
2018-19	861686.00
योग-	2303686.00

150. ग्राम पंचायत का नाम.-नवकागांव विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 238

ग्राम पंचायतनवकागांववर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्नतिथियों में कुल रू0 5349541.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, सूअीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्री सुनील कुमार तिवारी से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1.पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4-पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

निम्न विवरण के अनुसार प्रधान को मानदेय का भुगतान किया गया है:-

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीसुनील कुमार तिवारी द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्री रविशंकर वर्माआदिकार्यरत रहे है तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय8पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू0 5349541.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू0 5349541.00 का आधा भाग रू0 2674770.50प्रधान श्रीमती बिमली देवीसे एवं आधा भाग रू0 2674770.50 सचिव श्रीसुनील कुमार तिवारी तथाश्रीसुनील कुमार तिवारीसे व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसारअपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	993545.00
2016-17	1406353.00
2017-18	1176257.00
2018-19	1773386.00
योग-	5349541.00

151. ग्राम पंचायत का नाम.-परसिया विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 239

ग्राम पंचायतपरसियावर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्नतिथियों में कुल रू0 2014355.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, सूअीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्री प्रमोद कुमार प्रसाद से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1.पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4-पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीप्रमोद कुमार प्रसाद द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्री राजकुमार, श्री कमलेश यादव श्री हर्ष श्रीवास्तव आदिकार्यरत रहे हैं तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा. 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू० 2014355.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू० 2014355.00 का आधा भाग रू० 1007177.50 प्रधान श्रीमती बबिता देवीसे एवं आधा भाग रू० 1007177.50 सचिव श्रीसुनील कुमार तिवारी तथा श्रीप्रमोद कुमार प्रसाद राजकुमार, श्री कमलेश यादव श्री हर्ष श्रीवास्तव तथा श्रीप्रमोद कुमार प्रसादसे व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	0.00
2016-17	540914.00
2017-18	556550.00
2018-19	916891.00
योग-	2014355.00

152. ग्राम पंचायत का नाम.- भोजछपरा विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 240

ग्राम पंचायत भोजछपरा वर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल रू० 3022374.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, सूचीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्रीरमेश कुमार से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4. पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीरमेश कुमार द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्री अवधेश कुमार पाण्डेय आदिकार्यरत रहे हैं तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा. 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू० 3022374.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि ₹0 3022374.00 का आधा भाग ₹0 1511187.00 प्रधान श्रीमती शीला यादवसे एवं आधा भाग ₹01511187.00 सचिव श्रीअवधेश कुमार पाण्डेय तथा श्रीरमेश कुमारसे कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है। वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	668134.00
2016-17	257730.00
2017-18	884500.00
2018-19	1212010.00
योग-	3022374.00

153.ग्राम पंचायत का नाम.- महाधनपुर

विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 241

ग्राम पंचायत महाधनपुर वर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 3584105.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, सूचीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषवही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्रीरमेश कुमार से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4- पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीरमेश कुमार द्वारा लिखित रूप से दिया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्री दिनेश सिंह, श्री सुनील कुमार तिवारी आदिकार्यरत रहे है तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 3584105.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि ₹0 3584105.00 का आधा भाग ₹0 1792052.50 प्रधान श्री तारकेश्वर नाथ यादवसे एवं आधा भाग ₹01511187.00 सचिव श्रीदिनेश सिंह श्री सुनील कुमार तिवारी तथा श्रीरमेश कुमारसे कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	300310.00
2016-17	878751.00
2017-18	125158.00
2018-19	1169886.00
योग-	3584105.00

154. ग्राम पंचायत का नाम.- हड़िहाखुर्द विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 242

ग्राम पंचायतहड़िहाखुर्दवर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्नतिथियों में कुल रू0 1813263.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, सूत्रीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषवही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्रीरमेश कुमार से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1.पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4-पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीरमेश कुमारद्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्री अवधेश कुमार पाण्डेय आदिकार्यरत रहे है तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय8पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू0 1813263.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू0 1813263.00 का आधा भाग रू0 906631.50प्रधान श्रीमती शीला यादवसे एवं आधा भाग रू0 906631.50 सचिव श्रीअवधेश कुमार पाण्डेयतथाश्रीरमेश कुमारसे कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुएव्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसारअपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	317560.00
2016-17	451289.00
2017-18	395194.00
2018-19	649220.00
योग-	1813263.00

155. ग्राम पंचायत का नाम.- अतरडरिया विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 243

ग्राम पंचायतअतरडरियावर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्नतिथियों में कुल रू0 1314049.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, सूत्रीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषवही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्रीरामनारायण कुश्राहा से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1.पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4-पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीरामनारायण कुशवाहा द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्री ज्ञान प्रकाश श्री मनोज कुमार गुप्ता अनिल कुमार यादव श्री उपेन्द्र कुमार यादव आदिकार्यरत रहे हैं तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा. 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू० 1314049.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू० 1314049.00 का आधा भाग रू० 657024.50 प्रधान श्रीमती भागमनी देवीसे एवं आधा भाग रू० 657024.50 सचिव श्रीज्ञान प्रकाश श्री मनोज कुमार गुप्ता अनिल कुमार यादव श्री उपेन्द्र कुमार यादव श्री मनोज कुमार गुप्ता तथा रामनारायण कुशवाहासे कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित बसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	137.00
2016-17	253370.00
2017-18	460418.00
2018-19	600124.00
योग-	1314049.00

156. ग्राम पंचायत का नाम.- कंचनपुर विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 244

ग्राम पंचायत कंचनपुर वर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल रू० 2678964.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नकशा, कार्ययोजना, सूचीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषवही तथा कर अवधारण एवं बसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्रीतेजबहादुर से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4- पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीतेजबहादुर द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्री रविशंकर यादव श्री हर्ष श्रीवास्तव श्री रविशंकर वर्मा आदिकार्यरत रहे हैं तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा. 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू० 2678964.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू० 2678964.00 का आधा भाग रू० 1339482.00 प्रधान श्रीराजन पासवानसे एवं आधा भाग रू० 1339482.00 सचिव श्रीरविशंकर यादव श्री हर्ष श्रीवास्तव श्री रविशंकर वर्मा तथा तेजबहादुरसे कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित बसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	395111.00
2016-17	715900.00
2017-18	693553.00
2018-19	874400.00
योग-	2678964.00

157. ग्राम पंचायत का नाम.- कुशहर विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 245

ग्राम पंचायतकुशहरवर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्नतिथियों में कुल रू0 4595590.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, सूचीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्रीरामनारायण कुशवाहा से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1.पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4-पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीरामनारायण कुशवाहा द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्री योगेन्द्र लाल श्रीवास्तव प्रमोद कुमार गुप्ता तेजबहादुर अखिलनन्द यादव आदिकार्यरत रहे है तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों मे से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय8पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू0 4595590.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू0 4595590.00 का आधा भाग रू0 2297795.00प्रधान श्रीसोनू पासवान,विनोद वर्मासे एवं आधा भाग रू0 2297795.00 सचिव श्रीयोगेन्द्र लाल श्रीवास्तव प्रमोद कुमार गुप्ता तेजबहादुर अखिलनन्द यादवसे कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुएव्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसारअपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	945383.00
2016-17	1185679.00
2017-18	522975.00
2018-19	1941553.00
योग-	4595590.00

158. ग्राम पंचायत का नाम.- कुसौरी कला विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 246

ग्राम पंचायतकुसौरी कलावर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्नतिथियों में कुल रू0 4517846.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, सूचीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति

पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषवही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्रीरामनारायण कुशवाहा से उपरोक्त बांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1-पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4-पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीरामनारायण कुशवाहा द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्री दिनेश सिंह अनिल कुमार यादव आदिकार्यरत रहे है तथा उपरोक्त बांछित अभिलेखों मे से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त बांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू0 4517846.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू0 4517846.00 का आधा भाग रू0 2258923.00 प्रधान श्रीसंदीप कुमार सिंह/श्री शिवचन्द्र प्रजापतिसे एवं आधा भाग रू0 2258923.00 सचिव श्रीदिनेश सिंह अनिल कुमार यादव तथा रामनारायण कुशवाहासे कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	311840.00
2016-17	1030171.00
2017-18	1388674.00
2018-19	1787161.00
योग-	4517846.00

159. ग्राम पंचायत का नाम.- खानपुर विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 247

ग्राम पंचायत खानपुर वर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल रू0 2893761.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, सूत्रीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषवही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्रीउपेन्द्र कुमार यादव से उपरोक्त बांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1-पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4-पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीउपेन्द्र कुमार यादव द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्रीरामनारायण कुशवाहा, प्रकाश सिंह आदिकार्यरत रहे है तथा उपरोक्त बांछित अभिलेखों मे से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है।

फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात लिखितसे रूप देने के लिए वर्तमान सचिव श्रीउपेन्द्र कुमार यादव द्वारा रूप मना कर दिया गया यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा. 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू0 2893761.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू0 2893761.00 का आधा भाग रू0 1446880.50 प्रधान श्रीमती शकुन्तला पाठकसे एवं आधा भाग रू0 1446880.50 सचिव श्रीप्रकाश सिंह रामनारायण कुशवाहा तथा उपेन्द्र कुमार यादव से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	399688.00
2016-17	771229.00
2017-18	732793.00
2018-19	990051.00
योग-	2893761.00

160. ग्राम पंचायत का नाम.- मुंडाडीह विकास खण्ड - रेवती प्रस्तर- 248

ग्राम पंचायत मुंडाडीह वर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल रू0 5792321.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नकशा, कार्ययोजना, सूचीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषवही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्रीउपेन्द्र कुमार यादव से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूपसे किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4. पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीउपेन्द्र कुमार यादव द्वारा लिखित रूपसे दिया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्रीरामनारायण कुशवाहा, कार्यरत रहे है तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात लिखितसे रूप देने के लिए वर्तमान सचिव श्रीउपेन्द्र कुमार यादव द्वारा रूप मना कर दिया गया यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा. 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू0 2893761.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू0 5792321.00 का आधा भाग रू0 2896160.50 प्रधान श्रीमती मंजू सिंहसे एवं आधा भाग रू0 2896160.50 सचिव श्रीरामनारायण कुशवाहा तथा उपेन्द्र कुमार यादव से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	632147.00
2016-17	1726328.00

2017-18	937940.00
2018-19	2495906.00
योग-	5792321.00

161. ग्राम पंचायत का नाम.-गायघाट विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 249

ग्राम पंचायतगायघाटवर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्नतिथियों में कुल रू0 8910176.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, सूअीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्रीतेजबहादुरसे उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूपसे किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1.पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4-पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीतेजबहादुर द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्रीमनोज कुमार गुप्ताकार्यरत रहे है तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात लिखितसे रूपदेने के लिए सचिव द्वारा मना कर दिया गया

यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू0 8910176.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू0 8910176.00 का आधा भाग रू0 4455088.00 प्रधान श्रीमीना सिंहसे एवं आधा भाग रू0 4455088.00 सचिव श्रीमनोज कुमार गुप्ता तथातेजबहादुर से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुएव्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	1311353.00
2016-17	1394682,00
2017-18	1163817.00
2018-19	5040324.00
योग-	8910176.00

162. ग्राम पंचायत का नाम.-चौबे छपरा विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 250

ग्राम पंचायतचौबे छपरावर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्नतिथियों में कुल रू0 3808899.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, सूअीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्रीहर्ष श्रीवास्तवसे उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूपसे किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4-पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीहर्ष श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्रीराज कुमार राम मनोज गुप्ता श्री कमलेश यादव श्री नारायण कुशवाहा आदिकार्यरत रहे है तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों मे से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात लिखितसे रूप देने के लिए सचिव द्वारा मना कर दिया गया

यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू0 3808899.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू0 3808899.00 का आधा भाग रू0 1904449.50 प्रधान श्री अनिल गोंडसे एवं आधा भाग रू0 1904449.50 सचिव श्रीराज कुमार राम मनोज गुप्ता श्री कमलेश यादव श्री नारायण कुशवाहा तथा श्रीवास्तवसे कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	574106.00
2016-17	630262.00
2017-18	1534585.00
2018-19	1069946.00
योग-	3808899.00

163. ग्राम पंचायत का नाम.-छपरा सारिविकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 251

ग्राम पंचायत छपरा सारिव वर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल रू0 7993429.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमैमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, सूत्रीमेट, एम0वी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्रीरामप्रकाश वर्मासे उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूपसे किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4-पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीरामप्रकाश वर्माद्वारा लिखित रूपसे दिया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्रीदिनेश सिंह श्री अनिल कुमार यादव श्री कमलेश यादव श्री रविशंकर वर्मा आदि कार्यरत रहे है तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों मे से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात लिखितसे रूप देने के लिए सचिव द्वारा मना कर दिया गया

यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा. 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू0 7993429.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू0 7993429.00 का आधा भाग रू0 3996714.50 प्रधान श्रीमती कलावती देवी/मनोज कुमार एवं आधा भाग रू0 3996714.50 सचिव श्रीदिनेश सिंह श्री अनिल कुमार यादव श्रीकमलेश यादव श्री रविशंकर वर्मा तथा रामप्रकाश वर्मा से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	1147992.00
2016-17	1846071.00
2017-18	2176365.00
2018-19	2823001.00
योग-	7993429.00

164. ग्राम पंचायत का नाम.- जगदीशपुर विकास खण्ड - रेवती  
प्रस्तर- 252

ग्राम पंचायत जगदीशपुर वर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल रू0 1743736.00.00 अहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नकशा, कार्ययोजना, सूचीमेट, एम0वी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषवही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्रीउपेन्द्र कुमार यादव से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4. पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीउपेन्द्र कुमार यादव द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्रीराम नारायण कुशवाहा कार्यरत रहे हैं तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात लिखित रूप से देने के लिए वर्तमान सचिव श्रीउपेन्द्र कुमार यादव द्वारा मना कर दिया गया यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा. 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू0 1743736.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू0 1743736.00 का आधा भाग रू0 871868.00 प्रधान श्रीमती मीना देवी एवं आधा भाग रू0 871868.00 सचिव श्रीराम नारायण कुशवाहा तथा उपेन्द्र कुमार यादव राम से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	0.00
2016-17	387223.00
2017-18	483370.00

2018-19	873143.00
योग-	1743736.00

165. ग्राम पंचायत का नाम.- जमधरवां विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 253

ग्राम पंचायतजमधरवां वर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्नतिथियों में कुल ₹0 3269885.00.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, सूत्रीमेट, एम0वी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्रीरविशंकर यादवसे उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूपसे किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1.पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4-पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीरविशंकर यादव द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्रीअनिल कुमार यादव, श्री रविशंकरवर्मा आदिकार्यरत रहे हैं तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात लिखितसे रूप देने के लिए वर्तमान सचिव श्रीउपेन्द्र कुमार यादव द्वारा मना कर दिया गया यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 3269885.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि ₹0 3269885.00 का आधा भाग ₹0 1634942.50 प्रधान श्रीधनजी एवं आधा भाग ₹0 1634942.50 सचिव श्रीअनिल कुमार यादव, रविशंकर यादव तथा रविशंकरवर्मा से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	425339.00
2016-17	944030.00
2017-18	793442.00
2018-19	1107074.00
योग-	3269885.00

166. ग्राम पंचायत का नाम.- झरकटहां विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 254

ग्राम पंचायत झरकटहां वर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्नतिथियों में कुल ₹0 11944102.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, सूत्रीमेट, एम0वी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्रीरविशंकर यादवसे उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूपसे किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1.पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4-पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीरविशंकर यादव द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्री अवधेश पाण्डेय श्री सुनील कुमार तिवारी, श्री रविशंकरवर्मा आदि कार्यरत रहे हैं तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात लिखितसे रूप देने के लिए वर्तमान सचिव श्री उपेन्द्र कुमार यादव द्वारा मना कर दिया गया यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू0 11944102.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू0 11944102.00 का आधा भाग रू0 5972051.00 प्रधान श्रीमनोज पासवान एवं आधा भाग रू0 5972051.00 सचिव श्री अवधेश पाण्डेय श्री सुनील कुमार तिवारी, रविशंकर यादव तथा रविशंकरवर्मा से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	2526975-00
2016-17	2990503.00
2017-18	2865560.00
2018-19	3561064.00
योग-	11944102.00

167. ग्राम पंचायत का नाम.- त्रिकालपुर विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 255

ग्राम पंचायत झरकटहां वर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल रू0 3485837.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, सूचीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्री उपेन्द्र कुमार यादवसे उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूपसे किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4-पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्री उपेन्द्र कुमार यादव द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्री प्रकाश सिंह श्री अवधेश पाण्डेय आदि कार्यरत रहे हैं तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात लिखितसे रूप देने के लिए वर्तमान सचिव श्री उपेन्द्र कुमार यादव द्वारा मना कर दिया गया यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू0 3485837.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू0 3485837.00 का आधा भाग रू0 1742918.50 प्रधान श्रीनिर्भीक नारायण सिंह एवं आधा भाग रू0 1742918.50 सचिव श्री प्रकाश सिंह श्री अवधेश पाण्डेय तथा उपेन्द्र कुमार यादव से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	539881.00
2016-17	231130.00
2017-18	1397223.00
2018-19	1317603.00
योग-	3485837.00

168. ग्राम पंचायत का नाम.- दतहां विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 256

ग्राम पंचायत दतहां वर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल रू0 6205769.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, सूचीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषवही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्री रामप्रकाश वर्मा से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4. पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्री रामप्रकाश वर्मा द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्री प्रमोद गुप्ता श्री हर्ष श्रीवास्तव श्री अवधेश पाण्डेय आदि कार्यरत रहे हैं तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात लिखित रूप से देने के लिए वर्तमान सचिव श्री उपेन्द्र कुमार यादव द्वारा मना कर दिया गया यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू0 6205769.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू0 6205769.00 का आधा भाग रू0 3102884.50 प्रधान श्री राकेश यादव एवं आधा भाग रू0 3102884.50 सचिव श्री प्रमोद गुप्ता श्री हर्ष श्रीवास्तव श्री अवधेश पाण्डेय तथा श्री रामप्रकाश वर्मा से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	1983653.00
2016-17	1340066.00
2017-18	1163550.00
2018-19	1718500.00
योग-	6205769.00

169. ग्राम पंचायत का नाम.- बुद्धिरामपुर

विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 257

ग्राम पंचायत बुद्धिरामपुरवर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 1802562.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्त्रीमेट, एम0वी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषवही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्रीराम नारायण कुशवाहासे उपरोक्त बांछित अभिलेख की मांग लिखित रूपसे किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1-पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4-पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीराम नारायण कुशवाहाद्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्रीरविशंकर वर्मा, रमेश कुमार, अनिल कुमार यादव आदि कार्यरत रहे हैं तथा उपरोक्त बांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात लिखितसे रूप देने के लिए वर्तमान सचिव श्री उपेन्द्र कुमार यादव द्वारा मना कर दिया गया यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त बांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 1802562.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि ₹0 1802562.00 का आधा भाग ₹0 901281.50 प्रधान श्री स्वामी नाथ यादव एवं आधा भाग ₹0 901281.00 सचिव श्रीरविशंकर वर्मा, रमेश कुमार, अनिल कुमार यादव तथा श्रीराम नारायण कुशवाहासे कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	137.00
2016-17	102442.00
2017-18	830106.00
2018-19	869877.00
योग-	1802562.00

170. ग्राम पंचायत का नाम.- बेलहरी विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 258

ग्राम पंचायत बेलहरी वर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 999914.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्त्रीमेट, एम0वी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषवही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्रीतेजबहादुरसे उपरोक्त बांछित अभिलेख की मांग लिखित रूपसे किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1-पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4-पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया। उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीतेजबहादुरद्वारा बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। अतः कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात लिखितसे रूप देने के लिए मना कर दिया गया।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू0 999914.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू0 999914.00 का आधा भाग रू0 499957.00 प्रधान श्रीसंजीव सिंह एवं आधा भाग रू0 499957.00 सचिव श्रीतेजबहादुर से व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	137.00
2016-17	316908.00
2017-18	305989.00
2018-19	376880.00
योग-	999914.00

171. ग्राम पंचायत का नाम.- भैसहा विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 259

ग्राम पंचायत भैसहा वर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल रू0 3582033.00 अहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, सूचीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्रीरविशंकर यादव से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूपसे किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4- पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीरविशंकर यादव द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्रीसुनील कुमार तिवारी श्रीरविशंकर वर्मा, आदि कार्यरत रहे है तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात लिखितसे रूप देने के लिए वर्तमान सचिव श्रीउपेन्द्र कुमार यादव द्वारा मना कर दिया गया यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू0 3582033.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू0 3582033.00 का आधा भाग रू0 1791016.50 प्रधान श्रीबरमेश्वर से एवं आधा भाग रू0 1791016.50 सचिव श्रीसुनील कुमार तिवारी श्रीरविशंकर वर्मा तथा श्रीरविशंकर यादव से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	160790.00

2016-17	1126683.00
2017-18	870286.00
2018-19	142274.00
योग-	3582033.00

172. ग्राम पंचायत का नाम.- भोपालपुर विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 260

ग्राम पंचायतभोपालपुर वर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्नतिथियों में कुल रू0 6570863.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्रीरामप्रकाश वर्मा से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूपसे किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1.पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4-पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीरामप्रकाश वर्मा द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्रीसुनील कुमार तिवारी, श्री कमलेश यादव, श्री रविशंकर वर्मा, आदि कार्यरत रहे हैं तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात लिखितसे रूपदेने के लिए वर्तमान सचिव श्री उपेन्द्र कुमार यादव द्वारा मना कर दिया गया यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू0 6570863.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू0 6570863.00 का आधा भाग रू0 3285431.50 प्रधान श्रीमती अशरफी देवी / श्रीमती राजकुमारी देवी एवं आधा भाग रू0 3285431.50 सचिव श्रीसुनील कुमार तिवारी, श्री कमलेश यादव, श्री रविशंकर वर्मा तथा श्रीरामप्रकाश वर्मा से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	1733489.00
2016-17	1865959.00
2017-18	1364097.00
2018-19	1607318.00
योग-	6570863.00

173. ग्राम पंचायत का नाम.- रामपुर मसरिक विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 261

ग्राम पंचायतरामपुर मसरिक वर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्नतिथियों में कुल रू0 2490607.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति

पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्रीरामप्रकाश वर्मा से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूपसे किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4-पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीरामप्रकाश वर्मा द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्रीचन्द्र किशोर राम, श्री अनिल कुमार यादव, श्री तेजबहादुर आदि कार्यरत रहे हैं तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात लिखित रूपसे देने के लिए वर्तमान सचिव श्रीउपेन्द्र कुमार यादव द्वारा मना कर दिया गया यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

व्ययधनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा.8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू0 2490607.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू0 2490607.00 का आधा भाग रू0 1245303.50 प्रधान श्रीमती रजान्ती देवी एवं आधा भाग रू0 1245303.00 सचिव श्रीचन्द्र किशोर राम श्री अनिल कुमार यादव श्री तेजबहादुर तथा श्रीरामप्रकाश वर्मा से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।

वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	622010.00
2016-17	836584.00
2017-18	454545.00
2018-19	577468.00
योग-	2490607.00

174. ग्राम पंचायत का नाम.- शोभनाथपुर विकास खण्ड - रेवती

प्रस्तर- 262

ग्राम पंचायत शोभनाथपुर वर्ष 2015-16 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में (आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) विभिन्न तिथियों में कुल रू0 1622897.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्यपंजी, प्रस्ताव कोटेशन टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्रीरामनारायण कुशवाहा से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूपसे किया गया जिसकी सूचना जिला लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 27-8-2020

2. पत्र संख्या- मेमो दिनांक 6-1-2021

3- पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15-2-2021

4-पत्र संख्या मेमो -1/आडिट/ग्रा0 पं0/दिनांक 3-3-2021

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया से लिखित रूप से पत्र संख्या शून्य दिनांक 24-3-2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया जिसकी प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी बलिया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलिया को भी दिया गया। अभिलेखों की उपलब्ध हेतु सहायक विकास (पंचायत) से भी पत्र संख्या शून्य दिनांक 29-1-2021 द्वारा अनुरोध किया गया।

उक्त पत्रों के सन्दर्भ में वर्तमान सचिव श्रीरामनारायण कुशवाहा द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्रीचन्द्र किशोर राम, श्री तेजबहादुर, रमेश कुमार आदि कार्यरत रहे हैं तथा उपरोक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख इनके द्वारा मुझे चार्ज में हस्तगत नहीं कराया गया है। फलस्वरूप

कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। यह बात लिखितसे रूप देने के लिए वर्तमान सचिव श्री उपेन्द्र कुमार यादव द्वारा मना कर दिया गया यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।  
व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा. 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू0 1622897.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू0 1622897.00 का आधा भाग रू0 811448.50 प्रधान श्री विजय बहादुर चौहान/सालिक यादव एवं आधा भाग रू0 811448.50 सचिव श्री चन्द्र किशोर राम श्री तेजबहादुर, रमेश कुमार तथा श्री रामनारायण कुशवाहा से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित है।  
वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय धनराशि
2015- 16	0.00
2016-17	386885.00
2017-18	511885.00
2018-19	724127.00
योग-	1622897.00

175. ग्राम पंचायत का नाम.- टंडवा विकास खण्ड - बेरूआरवारी

प्रस्तर- 263

ग्राम पंचायत- टंडवा में वित्तीय वर्ष 20019 - 20, 14वाँ वित्त एवं 4वाँ राज्य वित्त के तहत कराये कार्यों का माहवार व्यय का विवरण ---

क्रमांक	माह	व्यय ( धनराशि)
1-	अप्रैल	0-00
2	मई	0-00
3	जून	0-00
4	जुलाई	369629-00
5	अगस्त	0-00
6	सितंबर	0-00
7	अक्टूबर	0-00
8	नवंबर	0-00
9	दिसंबर	188000-00
10	जनवरी	124315-00
11	फरवरी	0-00
12	मार्च	134671- 00
	योग ----	816615-00

उपर्युक्त दर्शित कार्यों के संबंध में निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी है ---

- 1 ग्राम सभा के कार्य प्रस्ताव का विवरण नहीं रहा ।
- 2 कार्य का वित्तीय , प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से संबन्धित पत्र एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र , टेंडर से संबन्धित पत्रावली , हैंडपंप मरम्मत से संबन्धित लाभार्थी की सूची नहीं एवं लाभार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र भी नहीं प्रस्तुत रहा ।
- 4 क्रय - सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा ।
- 5 बार - बार लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मांगे जाने के बाद भी ग्राम विकास अधिकारी श्री कन्हैया सिंह यादव द्वारा अभिलेख नहीं प्रस्तुत किया गया । लोकसभा चुनाव में प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यय का कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः नियमों का पालन न करके एवं व्यय प्रमाणक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करके रु 816615 = 00 का अपहरण किया गया है। उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दरसाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त से की जाएगी। अतः उक्त नियमों के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु 816615 = 00 की व्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान - श्री राकेश कुमार वर्मा एवं ग्राम विकास अधिकारी - श्री कन्हैया सिंह यादव से किया जाना अपेक्षित है।

176..ग्राम पंचायत का नाम.- जानपुर मुडियारी

विकास खण्ड - बेरूआरवारी

प्रस्तर- 264

ग्राम पंचायत जानपुर मुडियारी मे चतुर्थ राज्य वित्त के तहत हैंडपंप रीबोर का कार्य दर्शित है। लेकिन लेखा परीक्षा मे हैंडपंप रेबोर से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत नहीं किया गया। हैंडपंप रीबोर पर रु 32000 व्यय दर्शित है। ग्राम विकास अधिकारी से बार - बार अभिलेख मांगा गया लेकिन उन्होने नहीं प्रस्तुत किया।

अतः नियमो का पालन न करके एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके रु 32000 का अपहरण किया गया है। उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क)के अनुसार यदि दरसाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दर्शाए गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। अतः उक्त नियमो के आलोक मे व्यय दर्शित धनराशि रु 32000 की ब्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्रीमती किरण पाण्डेय एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री चंद्रशेखर राम से किया जाना अपेक्षित है।

क्रमांक	कार्य का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मे टाइल्स निर्माण	158349-00	16848-00	175197-00
2	ग्राम पंचायत के विभिन्न स्कूलो मे जिर्णोधार का कार्य	0-00	31380-00	31380-00
3	आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय छितौनी मे कार्य	146393-00	0-00	146393-00
4	मुडियारी मे सती स्थान पर चबूतरा निर्माण कार्य	22409-00	0-00	22409-00
5	हैंडपंप मरम्मत का कार्य।	80000-00	0-00	80000-00
6	सीमेंट चेयर क्रय।	285000-00	0-00	285000-00
7	निविदा हेतु विज्ञापन।	5596-00	0-00	5596-00
8	लोकसभा चुनाव मे प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यय	48500-00	0-00	48500-00

उपर्युक्त दर्शित कार्यों के संबंध मे निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी है ---

- 1 ग्राम सभा के कार्य प्रस्ताव का विवरण नहीं रहा।
- 2 कार्य का वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से संबन्धित पत्र एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, टेंडर से संबन्धित पत्रावली, हैंडपंप मरम्मत से संबन्धित लाभार्थी की सूची नहीं एवं लाभार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र भी नहीं प्रस्तुत रहा।
- 3 आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय छितौनी मे कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है।
- 4 क्रय - सामाग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा।
- 5 बार - बार लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मांगे जाने के बाद भी ग्राम विकास अधिकारी श्री चंद्रशेखर राम द्वारा अभिलेख नहीं प्रस्तुत किया गया। लोकसभा चुनाव मे प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यय का कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः नियमो का पालन न करके एवं व्यय प्रमाणक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करके रु794475=00 का अपहरण किया गया है। उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दरसाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त से की जाएगी। अतः उक्त नियमो के आलोक मे व्यय दर्शित धनराशि रु794475=00 की ब्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान - श्रीमती किरण पाण्डेय एवं ग्राम विकास अधिकारी - श्री चन्द्रशेखर राम से किया जाना अपेक्षित है।

177..ग्राम पंचायत का नाम.- धनौती

विकास खण्ड - बेरूआरवारी

प्रस्तर- 265

ग्राम पंचायत धनौती द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 मे चतुर्थ राज्य वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है -

क्रमांक	कार्य का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	सफाई किट हेतु व्यय	28000-00	----	28000-00
2	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय	106000-00	----	106000-00
3	प्रधान का मानदेय	31500-00	----	31500-00
			योग ----	165500-00

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों पर निम्न आपत्तिया है -----

- 1 ° हैंडपंप मरम्मत किन लाभार्थियों का किया गया उसका कोई विवरण नहीं है। लाभार्थियों का प्रार्थना पत्र भी नहीं प्रस्तुत रहा।
- 2 ° प्रधान के मानदेय का भी रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा।
- 3 ° ग्राम विकास अधिकारी चन्द्रशेखर राम द्वारा बार - बार मांगे जाने के बाद भी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के लिए नहीं डी गई।

4. विभिन्न कार्यों हेतु व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

ग्राम पंचायत धानौती द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त के तहत कुल रु 165500 =00 व्यय किया गया है लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार उक्त धनराशि की व्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लाल बहादुर सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर राम से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 266

ग्राम पंचायत धानौती की वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौदहवाँ केंद्रीय वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है --

क्रमांक	कार्यों का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	शंकर राम के घर से श्याम नारायण के घर तक नाली निर्माण	43653	9500	53153
2	प्राथमिक पाठशाला धानौती में कायाकल्प के तहत कार्य	146023	28330	174353
3	तेजू गोंड की गली से हैदर अली के घर तक नाली और खडंजा निर्माण	49215	15182	64397
4	सुरेन्द्र शर्मा के घर से कैलाश शर्मा के घर तक खडंजा मरम्मत और ह्यूम पाइप नाली निर्माण	21180	31380	52560
5	लल्लन के घर से केशव सिंह के घर होते हुये सुरेन्द्र शर्मा के घर तक नाली निर्माण और खडंजा निर्माण	67387	37953	105340
6	पिच सड़क से सत्यराम के दरवाजे तक पेंवर्ष ब्लॉक कार्य	-----	23960	23960
7	खडंजा निर्माण पर मटेरियल भुगतान	99834	----	99834
8	सीमेंट चेयर क्रय	188000	----	188000
9	ह्यूम पाइप क्रय	245920	-----	245920
10	लोकसभा चुनाव हेतु व्यय	24000	-----	24000
11	प्रशासनिक मद हेतु व्यय	15400	----	15400
12	हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय	95532	----	95532
13	निविदा हेतु व्यय	5596	---	5596
14	हैंडपंप रीबोर व्यय	51768	26500	78268
	योग	-----	----	1226313

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों पर निम्न आपत्तियां हैं -----

1. ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित कार्यों का वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति से संबन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गईं।
2. जी० एस० टी० और टी० डी० एस० कटौती का विवरण नहीं दिया गया है।
3. टेंडर और कोटेशन से संबन्धित पत्रावलियां भी लेखा परीक्षा में नहीं डी गईं।
4. लोकसभा चुनाव में व्यय से संबन्धित कोई आदेश या शासनादेश नहीं प्रस्तुत किया गया।
5. ग्राम विकास अधिकारी चन्द्रशेखर राम द्वारा बार - बार मांगे जाने के बाद भी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के लिए नहीं डी गई।
6. विभिन्न कार्यों हेतु व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

ग्राम पंचायत धानौती द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में चौदहवा वित्त के तहत कुल रु 1226313=00 व्यय किया गया है लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार उक्त धनराशि की व्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लाल बहादुर सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर राम से की जानी अपेक्षित है।

178. ग्राम पंचायत का नाम - बड़सरी

विकास खण्ड - बेरूआरवारी

प्रस्तर-267

ग्राम पंचायत बड़सरी में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 4वा राज्य वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है -

क्रमांक	कार्यों का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	मनोज तिवारी के घर से चंद्रमनी के घर तक नाली और सोलिंग मरम्मत पर व्यय	126978	----	126978
2	योग		---	126978

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों पर निम्न आपत्तियां हैं -----

1. उक्त कराये गए कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। बिना मजदूरी के कार्य का पूर्ण होना नहीं माना जाता है।

2. ग्राम विकास अधिकारी गिरीश कुमार पाण्डेय द्वारा बार - बार मांगे जाने के बाद भी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के लिए नहीं दी गई।
3. विभिन्न कार्यों हेतु व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

ग्राम पंचायत बड़सरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त के तहत कुल रु 126978 =00 व्यय किया गया है लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार उक्त धनराशि की ब्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बित्तन तिवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री गिरीश कुमार पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 268

ग्राम पंचायत बड़सरी में वित्तीय वर्ष 2019-20 की 14वा केंद्रीय वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है ----

क्रमांक	कार्यों का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प के तहत कार्य	138845	34788	173633
2	सुकठ भर के घर से बासुदेव तिवारी के घर तक नाली निर्माण, पटान और खडंजा निर्माण कार्य	160316	33366	193682
3	जगधारी यादव के घर से नारद भर के घर तक नाली निर्माण और पटान कार्य	148482	30522	179004
4	सत्यनारायण तिवारी के घर से केशव राजभर के घर तक नाली और खडंजा निर्माण कार्य	118873	----	118873
5	खडंजा निर्माण पर व्यय	192613	---	192613
6	तेजू के घर से हरिद्वार के घर तक खडंजा कार्य	50523	---	50523
7	राजकुमार तिवारी के घर से नहर तक खडंजा कार्य	115657	----	115657
8	राजेन्द्र भर के घर से लल्लन भर के घर तक नाली निर्माण कार्य	184672	35000	219672
9	प्रशासनिक मद पर व्यय	41000	----	41000
10	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय	12000	---	12000
11	सफाई किट पर व्यय	10500	---	10500
12	टेंडर हेतु विज्ञापन	10596	---	10596
	योग		-	1317753

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों पर निम्न आपत्तिया है -----

1. ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित कार्यों का वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृती से संबन्धित पत्रावलिया लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।
2. जी० एस० टी० और टी० डी० एस० कटौती का विवरण नहीं दिया गया है।
3. टेंडर और कोटेशन से संबन्धित पत्रावलिया भी लेखा परीक्षा में नहीं दी गई।
4. क्रम संख्या 8, 9, 10, 11 के कार्यों पर मजदूरी का भी भुगतान नहीं किया गया। बिना मजदूरी के कार्य का पूर्ण होना नहीं माना जाता।
5. ग्राम विकास अधिकारी गिरीश कुमार पाण्डेय द्वारा बार - बार मांगे जाने के बाद भी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के लिए नहीं दी गई।
6. विभिन्न कार्यों हेतु व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

ग्राम पंचायत बड़सरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में चौदहवा वित्त के तहत कुल रु 1317753 =00 व्यय किया गया है लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार उक्त धनराशि की ब्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बित्तन तिवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री गिरीश कुमार पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर- 269

ग्राम पंचायत बड़सरी में वित्तीय वर्ष 2019-20 में अंत्येस्थ स्थल विकासके तहत कराये गए कार्यों का विवरण एस प्रकार है --

क्रमांक	कार्यों का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	अंत्येस्थ स्थल के विकास कार्य पर व्यय	1202840	----	1202840
2	योग		---	1202840

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों पर निम्न आपत्तिया है -----

1. उक्त कराये गए कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। बिना मजदूरी के कार्य का पूर्ण होना नहीं माना जाता है।
2. ग्राम विकास अधिकारी गिरीश कुमार पाण्डेय द्वारा बार - बार मांगे जाने के बाद भी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के लिए नहीं दी गई।
3. विभिन्न कार्यों हेतु व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

ग्राम पंचायत बड़सरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अंत्येस्थ स्थल विकास के तहत कुल रु 1202840 =00 व्यय किया गया है लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम

प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार उक्त धनराशि की ब्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बित्तन तिवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री गिरीश कुमार पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

179..ग्राम पंचायत का नाम.- राजपुर

विकास खण्ड - बेरूआरवारी

प्रस्तर- 270

ग्राम पंचायत राजपुर मे वित्तीय वर्ष 2019-20 की 14वा केंद्रीय वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है ----

क्रमांक	कार्यों का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	पंचायत भवन पर कायाकल्प के तहत कार्य	98000	12000	110000
2	प्राथमिक पाठशाला मे कायाकल्प के तहत कार्य	198750	----	198750
3	ग्राम पंचायत मे सीमेंट बेंच के तहत व्यय	190000	---	190000
4	आंगनवाड़ी केंद्र पर कायाकल्प के तहत कार्य	110000	24000	134000
5	ग्राम पंचायत मे स्ट्रीट लाइट मरम्मत के तहत कार्य	187500	---	187500
6	रामायन राजभर के डेरा से सुमेर बिन्द के घर तक पेवर्स ब्लॉक कार्य	160675	17724	178399
7	रमार्शकर के मिल से रामधारी गोंड के घर तक नाली पटान मरम्मत कार्य	229641	29248	258889
8	रामायण साहनी के घर तक नाली पटान मरम्मत कार्य	116450	14368	130818
9	जवाहिर राजभर के घर से चंद्रदीप गोंड के घर तक पेवर्स ब्लॉक कार्य	105415	---	105415
10	पंचायत भवन से बंगाली राजभर के घर तक पेवर्स ब्लॉक कार्य	89967	----	89967
11	पंचायत भवन से बलहारी मल्लाह के घर तक नाली मरम्मत पत्तन कार्य	168760	---	168760
12	रामलाल मल्लाह के घर से बेनी गोंड के घर तक पेवर्स ब्लॉक कार्य	119379	---	119379
13	झुरी साहनी के घर से रामप्रवेश बिन्द के घर तक पेवर्स ब्लॉक कार्य	137410	-	137410
14	बिहारी मल्लाह के घर से बब्वन बिन्द के घर तक पेवर्स ब्लॉक कार्य	68605	---	68605
15	त्रिभुवन बिन्द के घर के पीछे पेवर्स ब्लॉक कार्य	15840	---	15840
16	रामजी वर्मा के घर से मेन रोड तक नाली मरम्मत ढक्कन सहित सी सी निर्माण	142237	---	142237
17	ग्राम पंचायत मे भिन्न भिन्न स्थानो पर ढक्कन निर्माण कार्य -	81026	---	81026
18	टेंडर विज्ञापन प्रशासनिक मद पर व्यय +	20596	--	20596
19	सफाई किट क्रय इंडिया मार्क -2 +हैंडपंप मरम्मत पर व्यय	70000	-----	70000

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों पर निम्न आपत्तिया है -----

- 1 ° ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित कार्यों का वित्तीय , प्रशासनिक , तकनीकी स्वीकृती से संबन्धित पत्रावलिया लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गई।
- 2 ° जी० एस० टी० और टी० डी० एस० कटौती का विवरण नहीं दिया गया है।
- 3 ° टेंडर और कोटेसन से संबन्धित पत्रावलिया भी लेखा परीक्षा मे नहीं डी गई।
- 4 ° क्रम संख्या 2,9,10,11,12,13,14,15,16,17 तक कराये गए कार्यों के तहत मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। बिना मजदूरी के कार्य अपूर्ण माना जाता है।
- 5 ° ग्राम विकास अधिकारी श्री गिरीश कुमार पाण्डेय द्वारा बार - बार मांगे जाने के बाद भी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के लिए नहीं दी गई।
- 6 ° विभिन्न कार्यों हेतु व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

ग्राम पंचायतराजपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 मे चौदहवा वित्त के तहत कुल रु 2407591 =00 व्यय किया गया है लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार उक्त धनराशि की ब्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शोभा सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री गिरीश कुमार पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

180..ग्राम पंचायत का नाम.- शिवरामपुर

विकास खण्ड - बेरूआरवारी

प्रस्तर- 271

ग्राम पंचायत- शिवरामपुर में वित्तीय वर्ष 20019 - 20, 14वाँ वित्त एवं 4वाँ राज्य वित्त के तहत कराये कार्यों का माहवार व्यय का विवरण ---

क्रमांक	माह	व्यय ( धनराशि)
1-	अप्रैल	0-00
2	मई	0-00
3	जून	34000-00

4	जुलाई	961631-00
5	अगस्त	27897-00
6	सितंबर	0-00
7	अक्टूबर	0-00
8	नवंबर	0-00
9	दिसंबर	176366-00
10	जनवरी	229943-00
11	फरवरी	322585-00
12	मार्च	365066- 00
	योग ----	2117486-00

उपर्युक्त दर्शित कार्यों के संबंध में निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी है ---

- 1 ग्राम सभा के कार्य प्रस्ताव का विवरण नहीं रहा ।
- 2 कार्य का वित्तीय , प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से संबन्धित पत्र एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र , टेंडर से संबन्धित पत्रावली , हैंडपंप मरम्मत से संबन्धित लाभार्थी की सूची नहीं एवं लाभार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र भी नहीं प्रस्तुत रहा ।
- 4 क्रय - सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा ।
- 5 बार - बार लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख मांगे जाने के बाद भी ग्राम विकास अधिकारी श्री कन्हैया सिंह यादव द्वारा अभिलेख नहीं प्रस्तुत किया गया । लोकसभा चुनाव में प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यय का कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः नियमों का पालन न करके एवं व्यय प्रमाणक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करके रु 2117486 = 00 का अपहरण किया गया है । उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दरसाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त से की जाएगी । अतः उक्त नियमों के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु 2117486 की व्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान - श्री स्वामीनाथ यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी - श्री कन्हैया सिंह यादव से किया जाना अपेक्षित है ।

181..ग्राम पंचायत का नाम.- गोपालपुर कला

विकास खण्ड - बेरूआरवारी

प्रस्तर- 272

ग्राम पंचायत गोपालपुर कला में वित्तीय वर्ष 2019.20 की 14वां केन्द्रीय वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है-

क्रमांक	कार्यों का विवरण	सामग्री	मजदूरी	योग
1	आपरेशन कायाकल्प के अन्तगत प्रा. वि. गोपालपुरकला में टाइल निर्माण कार्य	200568.00	45100.00	245668-00
2	प्राथमिक पाठशाला गोपालपुर कला में चहार दीवारी उच्चिकरण निर्माण कार्य	13146.00	9500.00	22646.00
3	रवींद्र के घर से राजेन्द्र के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य	215540.00	-	215540.00
4	हैंडपंप मरम्मत कार्य	51278.00	-	51278.00
5	निविदा प्रकाशन	5596.00	-	5596.00
6	दिव्यांग हेतु व्हील चेरर क्रय	7400.00	-	7400.00
	योग-	442250.00	54600.00	548128.00

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों पर निम्न आपत्तिया है-

ग्राम सभा के कार्य प्रस्ताव का विवरण नहीं रहा।

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित कार्यों का वित्तीय,प्रशासनिक,तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलिया,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,टेंडर से सम्बन्धित पत्रावली,हैंडपंप से सम्बन्धित लाभार्थी की सूची नहीं एवं लाभार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं रहा।

रवींद्र के घर से राजेन्द्र के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है।

क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर राम बार-बार मांगे जाने के बाद भी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के लिए नहीं दी गई।

ग्राम पंचायत गोपालपुर कला द्वारा नियमों का पालन नहीं करके एवं व्यय प्रमाणक अभिलेख नहीं प्रस्तुत करके वित्तीय वर्ष 2019-20 में चैदहवा वित्त के तहत कुल 548128.00 का अपहरण किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं

सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार उक्त धनराशि की ब्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम देवी एवं विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर राम से की जानी अपेक्षित है।

182..ग्राम पंचायत का नाम.- भोजपुर

विकास खण्ड - बेरुआरवारी

प्रस्तर- 273

ग्राम पंचायत भोजपुर मे वित्तीय वर्ष 2019-20 मे 4वा राज्य वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है -

क्रमांक	कार्यों का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	वीरेंद्र राम के घर से पिच मार्ग तक पेवर्स कार्य	105427	13580	119007
2	ग्राम प्रधान का मानदेय	31500	---	31500
	योग			150507

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों पर निम्न आपत्तिया है -----

- 1° ग्राम प्रधान का मानदेय रजिस्टर नहीं बनाया गया है।
- 2 ° ग्राम विकास अधिकारी परमानंद गुप्ता से बार - बार मांगे जाने के बाद भी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के लिए नहीं दी गई।
- 3 ° विभिन्न कार्यों हेतु व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

ग्राम पंचायत भोजपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 मे चतुर्थ राज्य वित्त के तहत कुल रु 150507 =00 व्यय किया गया है लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार उक्त धनराशि की ब्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्री कमलेश सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री परमानंद गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 274

ग्राम पंचायत भोजपुर मे वित्तीय वर्ष 2019-20 की 14वा केंद्रीय वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है ----

क्रमांक	कार्यों का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	प्राथमिक विद्यालय मठिया मे कायाकल्प के तहत कार्य	202823	40000	242823
2	प्राथमिक पाठशाला मठिया भोजपुर प्रांगण मे बाउंड्री और गेट निर्माण कार्य	56000	---	56000
3	मुखनंद के खेत से पिच मार्ग तक पेवर्स ब्लॉक कार्य	180000	---	180000
4	खेल के मैदान मे पानी निकासी हेतु भूमिगत नाली निर्माण कार्य	60000	10000	70000
5	प्राथमिक विद्यालय मठिया भोजपुर मे पेवर्स ब्लॉक कार्य	75792	6900	82692
6	आंगनवाड़ी कायाकल्प पर व्यय	40000	--	40000
7	सीमेंट कुर्सी पर व्यय	305400	---	305400
8	सोलर लाइट स्थापना कार्य	98000	---	98000
9	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय	63982	----	63982
10	डस्टबिन पर व्यय	140000	---	140000
11	एल ई डी स्ट्रीट लाइट पर व्यय	198450	---	198450
12	ह्यूम पाइप निकासी कार्य	30000	---	30000
13	टेंडर विज्ञापन पर व्यय	5596	-	5596
14	व्हील चेरर क्रय	7402	---	7402
	योग			1520345

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों पर निम्न आपत्तिया है -----

- 1 ° ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित कार्यों का वित्तीय , प्रशासनिक , तकनीकी स्वीकृती से संबन्धित पत्रावलिया लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गई।
- 2 ° जी० एस० टी० और टी० डी० एस० कटौती का विवरण नहीं दिया गया है।
- 3 ° टेंडर और कोटेशन से संबन्धित पत्रावलिया भी लेखा परीक्षा मे नहीं दी गई।
- 4 ° क्रम संख्या 4 एवं 6 के तहत कराये गए कार्यों पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। बिना मजदूरी के कार्य का पूर्ण होना नहीं माना जाता है।
- 5 ° ग्राम विकास अधिकारी श्री परमानंद गुप्ता से बार - बार मांगे जाने के बाद भी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के लिए नहीं दी गई।
- 6 ° विभिन्न कार्यों हेतु व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

ग्राम पंचायत भोजपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 मे चौदहवा वित्त के तहत कुल रु 1520345=00 व्यय किया गया है लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम

प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार उक्त धनराशि की ब्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्री कमलेश सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री परमानंद गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।(

183..ग्राम पंचायत का नाम.- बभनौली

विकास खण्ड - बेरूआरवारी

प्रस्तर- 275

ग्राम पंचायत बभनौली द्वारा वित्तीय वर्ष - 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त एवं चौदहवा वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण निम्नलिखित है----

क्रमांक	कार्य का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	व्हील चेरर क्रय	7400	--	7400
2	टेंडर विज्ञापन	5596	--	5596
3	लोकसभा चुनाव में टेंट ,कुर्सी पर व्यय	7500	--	7500
4	पंचायत भवन में टाइल्स का कार्य	134245	49410	183655
5	प्रधान का मानदेय	42000	--	42000
6	हैंडपंप मरम्मत	60000	--	60000
7	प्राथमिक विद्यालय बभनौली में टाइल्स लगाने का कार्य	201943	--	242433
8	सीमेंट कुर्सी क्रय	244400	--	244400
9	हैंडपंप रीबोर	77976	--	77976
10	सोलर लाइट स्थापना	45000	--	45000
11	सफाई किट	27030	--	27030
12	कब्रिस्तान का बाउंड्री वाल निर्माण कार्य	155806	--	155806
13	राजू के घर से राधे कुमार के घर तक पेवर्स ब्लॉक कार्य	76251	10320	86571
14	सामान्य लाभ निधि हेतु	4000	--	4000
15	स्टेशनरी टैन नंबर हेतु+	1300	--	1300
		योग -	--	1190667

- 1- लेखा परीक्षा में वित्तीय,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रस्तुत की गई।
- 2- ग्राम विकास अधिकारी संजय सिंह से बार बार मांगे जाने के बावजूद भी कोई पत्रावली लेखा परीक्षा हेतु नहीं दी गई। -
- 3- ग्राम पंचायत द्वारा कब्रिस्तान का बाउंड्री वाल निर्माण कार्य ईग्राम स्वराज के कैशबुक में दर्शित है। इस कार्य हेतु सामाग्री क्रय दर्शित है लेकिन इस पर मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। बिना मजदूरी के कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है। किसी धर्म या संप्रदाय के कार्य हेतु चतुर्थ राज्य वित्त एवं चौदहवा वित्त के तहत इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है।

ग्राम पंचायत बभनौली में आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि से कुल रु 1190667=00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया दर्शित है। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक ( बिल ), एम० बी० , मस्टर रोल , जी० एस० टी० कटौती से संबन्धित प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क)के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में समस्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जिसकी ब्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्री लालजी राजभरएवं सचिव श्री संजय कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

184..ग्राम पंचायत का नाम.- असेगा

विकास खण्ड - बेरूआरवारी

प्रस्तर- 276

ग्राम पंचायत असेगा द्वारा वित्तीय वर्ष - 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त एवं चौदहवा वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण निम्नलिखित है।

क्रमांक	कार्य का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	डस्टिबन क्रय ठेलिया क्रय +	21000+9480	--	30480
2	टेंडर विज्ञापन सम्मान निधि + टैन न० पर व्यय +	5596+4000 +1200	--	10796
3	लोकसभा चुनाव में टेंट ,कुर्सी पर व्यय	11900	--	11900
4	ग्राम पंचायत असेगा में साकपिट निर्माण	10740	1536	12276
5	प्रधान का मानदेय	42000	--	42000
6	हैंडपंप मरम्मत	63170	--	63170
7	प्राथमिक विद्यालयअसेगा में टाइल्स लगाने का कार्य	191302	43832	235134

8	सीमेंट कुर्सी क्रय	94000	--	94000
9	हैंडपंप रीबोर	118560	--	118560
10	सोलर लाइट स्थापना एल० इ० डी० एसटीआरईईटी लाइट +सफाई किट +	45000 +42000+12400	--	99400
11	पिच रोड से डॉ एन के घर से होते हुये पुलिया तक खडंजा कार्य	59850	38243	98093
12	मिट्टी खडंजा का कार्य	38634	--	38634
13	पेवर्ष ब्लॉक का कार्य	95686		95686
14	नाली पठान का कार्य	53106	9060	62166
15	महावीर मंदिर से श्यामदेव यादव के दरवाजे तक खडंजा मरम्मत कार्य	44266	15690	59956
16	ग्राम पंचायत मे शिवमंदिर पर मेला आयोजन	25000	--	25000
17	ग्राम पंचायत असेगा मे पाइप , परदा आदि क्रय	34320	--	34320
18	पिच रोड से कन्हैया यादव के दरवाजे तक पेवर्ष कार्य पर मजदूरी का भुगतान	--	10500	10500
		योग -		929511

- 1- लेखा परीक्षा मे वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रस्तुत की गई।
- 2- ग्राम विकास अधिकारी संजय सिंह से बार बार मांगे जाने के बावजूद भी कोई पत्रावली लेखा परीक्षा हेतु नहीं दी गई। -
- 3- ग्राम पंचायत द्वारा शिवमंदिर पर मेला का आयोजन दर्शित है जिस पर रु भुगतान किया गया है 00=25000, लेकिन लेखा परीक्षा मे अधिकारियों के आदेश को प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 4- ग्राम पंचायत द्वारा मिट्टी खडंजा कार्य पर सामाग्री पर रु भुगतान दर्शित है ल 00=38634, लेकिन इस कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।
- 5- ग्राम पंचायत द्वारा पेवर्ष ब्लॉक कार्य दर्शित है जिस पर सामाग्री हेतु रु व्यय है 00=95686, लेकिन मजदूरी नहीं दी गई है। बिना मजदूरी के कार्य पूर्ण होना नहीं माना जाता है।
- 6- ग्राम पंचायत के वित्तीय वर्ष के बैंक स्टेटमेंट से रु 1142071=00 व्यय दर्शित है 2019-20, लेकिन ई ग्राम स्वराज के केशवुक मे रु - व्यय हुआ है। इस प्रकार रु 212560=00 कि 00=929511 स मद मे खर्च हुआ है इसका विवरण केशवुक मे नहीं है। इस प्रकार रु -का ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा गबन किया गया प्रतीत होता है। सचिव द्वारा इस व्यय धनराशि रु 212560=00 का बार 00=212560 बार विवरण मांगे जाने पर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत असेगा मे आलोच्य वर्ष 2019-20 मे ग्राम निधि से कुल रु 929511=00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया दर्शित है। किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक ( बिल ), एम० बी० , मस्टर रोल , जी० एस० टी० कटौती से संबन्धित प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क)के अनुसार यदि दर्शिये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शिये गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव मे समस्त व्यय दर्शित धनराशि रु 1142071=00 को अपहरण की श्रेणी मे सम्मिलित किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गुड्डू गोंड एवं सचिव श्री संजय कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

185..ग्राम पंचायत का नाम.- शिवपुर विकास खण्ड - बेरुआरवारी

प्रस्तर- 277

ग्राम पंचायत शिवपुर मे वित्तीय वर्ष 2019-20 मे 4वा राज्य वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण एस प्रकार है -

क्रमांक	कार्यों का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	डीह बाबा स्थान पर चारो तरफ बाउंड्री वाल और प्लास्टर कार्य	129210	23370	152580
2	डीह बाबा पर चबूतरा निर्माण	124070	19700	143770
3	सुदर्शन राजभर के घर से कन्हैया राजभर के घर तक नाली उच्चिकरण और पठान कार्य	135741	29660	165401
	योग		-	461751

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों पर निम्न आपत्तिया है -----

- 1 ° ग्राम विकास अधिकारी श्री वृजलाल वर्मा द्वारा बार - बार मांगे जाने के बाद भी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के लिए नहीं दी गई।
- 2 ° विभिन्न कार्यों हेतु व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

ग्राम पंचायत शिवपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 मे चतुर्थ राज्य वित्त के तहत कुल रु 461751 =00 व्यय किया गया है लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शिये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शिये गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चौथी देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री वृजलाल वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत शिवपुर मे वित्तीय वर्ष 2019-20 की 14वा केंद्रीय वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है ----

क्रमांक	कार्यों का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	प्राथमिक विद्यालय शिवपुर मे कायाकल्प के तहत कार्य	194500	44740	239240
2	कोयल बाबा के स्थान पर चबूतरा निर्माण	59555	19013	78568
3	सीमेंट बेंच क्रय	200000	---	200000
4	शिवपुर शुखपुरा मार्ग से कुंजभुवन पाण्डेय के चक तक रिटर्निंग वाल - निर्माण	199118	----	199118
5	पारस कस्यप के घर से सूर्यनारायन के घर तक खडंजा कार्य	48600	--	48600
6	ग्राम पंचायत मे विभिन्न स्थानो पर सोखता निर्माण	94896	---	94896
7	चौवारी पर बिन्द बस्ती मे नाली उचिकरण और ढक्कन निर्माण	15000	---	15000
8	शिवनारायन साहनी के घर से पंचानन्द साहनी के घर तक ढक्कन सहित नाली निर्माण	150000	49800	199800
9	खडंजा कार्य पर ब्याय	101845	---	101845
10	खडंजा मरम्मत कार्य	86129	---	86129
11	शिवपुर पिचमार्ग से त्रिजबिहारी पाण्डेय के घर तक पेवर्ष ब्लॉक	19498	---	19498
12	फत्तिंगेन कस्यप के घर से रामनारायन के घर तक पेवर्ष ब्लॉक	22952	29400	52352
13	संतोष वर्मा के घर से अछेलाल साहनी के चक तक नाली निर्माण	206498	38000	244498
14	अविनाश साहनी के घर से अछेलाल के चक तक रेटेनिंग वाल	100561	31800	132361
15	शिवपुर सुखपुरा पिचमार्ग से त्रिजबिहारी पाण्डेय के घर तक खडंजा - मरम्मत	31560	---	31560
16	सुरेन्द्र राम के घर से संजय राम के घर तक मिट्टी खडंजा कार्य	65804	17910	83714
17	मुन्ना चौबे के ट्यूबेल से फिरेगल कस्यप के घर तक मिट्टी और खडंजा कार्य	80488	---	80488
18	कन्हैया कस्यप के घर से ओमनाथ कस्यप के घर तक मिट्टी और खडंजा कार्य	127172	---	127172
19	शिवपुर मे अवध बिहारी पाण्डेय के घर से कुंज बिहारी पाण्डेय के घर तक रेटेनिंग वाल कार्य	128897	---	128897
20	कुंजबिहारी पाण्डेय के घर से अवध बिहारी पाण्डेय के घर तक मिट्टी और खडंजा कार्य	146169	---	146169
21	लोकसभा चुनाव मे व्यय प्रशासनिक मद मे व्यय+	+ 40000 11700	---	51700
22	व्हील चेरर टेंडर विज्ञापन +प्रधान का मानदेय+	50000	---	50000
23	व्हील चेरर टेंडर विज्ञापन +प्रधान का मानदेय+	40996	---	40996
24	अवध बिहारी पाण्डेय के घर से त्रिजबिहारी पाण्डेय के घर तक रेटेनिंग वाल कार्य	17430	---	17430
	योग			2455331

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों पर निम्न आपत्तिया है -----

- 1 ° ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित कार्यों का वित्तीय , प्रशासनिक , तकनीकी स्वीकृती से संबन्धित पत्रावलिया लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गई ।
- 2 ° जी० एस० टी० और टी० डी० एस० कटौती का विवरण नहीं दिया गया है ।
- 3 ° टेंडर और कोटेसन से संबन्धित पत्रावलिया भी लेखा परीक्षा मे नहीं डी गई ।
- 4 ° बिना मजदूरी के कार्य का होना नहीं माना जाता है ।
- 5 ° ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजलाल वर्मा द्वारा बार - बार मांगे जाने के बाद भी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के लिए नहीं डी गई
- 6 ° विभिन्न कार्यों हेतु व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया ।

ग्राम पंचायत शिवपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 मे चौदहवा वित्त के तहत कुल रु 2455331 =00 व्यय किया गया है लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया । उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी । इस प्रकार उक्त धनराशि की व्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चौथी देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजलाल वर्मा से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर- 279

ग्राम पंचायत भवरपुर मे वित्तीय वर्ष 2019-20 मे चतुर्थ राज्य वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण एस प्रकार है -

क्रमांक	कार्यों का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	रुग्दल के दरवाजे से प्राथमिक पाठशाला के गेट तक खडंजा कार्य	30833	6600	37483
2	जैस गोंड के दरवाजे पर सोखता निर्माण कार्य	21323	4480	25803
3	हैंडपंप मरम्मत	11000	---	11000
4	प्रधान का मानदेय	70000	---	70000
	योग			144286

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों पर निम्न आपत्तिया है -----

- 1° प्रधान का मानदेय रजिस्टर नहीं बनाया गया है ।
- 2 ° ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजलाल वर्मा द्वारा बार - बार मांगे जाने के बाद भी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के लिए नहीं दी गई ।
- 3 ° विभिन्न कार्यों हेतु व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया ।

ग्राम पंचायत भवरपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 मे चतुर्थ राज्य वित्त के तहत कुल रु 144286 =00 व्यय किया गया है लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया । उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शयि गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शयि गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी । इस प्रकार उक्त धनराशि की व्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बंदना देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजलाल वर्मा से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर- 280

ग्राम पंचायत भवरपुर मे वित्तीय वर्ष 2019-20 की 14वा केंद्रीय वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है ----

क्रमांक	कार्यों का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	प्राथमिक विद्यालय मे कायाकल्प के तहत कार्य	169475	---	169475
2	प्राथमिक पाठशाला अपाही के प्रांगड़ मे मिट्टी व खडंजा कार्य	50300	---	50300
3	रमाकांत के घर से बलिराम के घर तक मिट्टी व खडंजा कार्य	24214	6290	30504
4	रमाशंकर के दरवाजे से जवाहिर के घर तक नाली और खडंजा	127759	21300	149059
5	पिच रोड से रामाश्रय के दरवाजे तक मिट्टी व खडंजा	86933	36480	123413
6	रामाश्रय के दरवाजे से जयराम यादव के दरवाजे तक मिट्टी व खडंजा कार्य	96380	13300	109680
7	प्रशासनिक मद	10500	---	10500
	योग			642931

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों पर निम्न आपत्तिया है -----

- 1 ° ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित कार्यों का वित्तीय , प्रशासनिक , तकनीकी स्वीकृती से संबन्धित पत्रावलिया लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गई ।
- 2 ° जी० एस० टी० और टी० डी० एस० कटौती का विवरण नहीं दिया गया है ।
- 3 ° टेंडर और कोटेसन से संबन्धित पत्रावलिया भी लेखा परीक्षा मे नहीं डी गई ।
- 4 ° क्रम संख्या 1 व 2 के तहत कराये गए कार्यों पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है । बिना मजदूरी के कार्य का होना नहीं माना जाता है ।
- 5 ° ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजलाल वर्मा द्वारा बार - बार मांगे जाने के बाद भी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के लिए नहीं डी गई ।
- 6 ° विभिन्न कार्यों हेतु व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया ।

ग्राम पंचायत भवरपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 मे चौदहवा वित्त के तहत कुल रु 642931 =00 व्यय किया गया है लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया । उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शयि गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शयि गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी । इस प्रकार उक्त धनराशि की व्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बंदना देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजलाल वर्मा से की जानी अपेक्षित है ।

187..ग्राम पंचायत का नाम.- अपायल

विकास खण्ड - बेरूआरवारी

प्रस्तर- 281

ग्राम पंचायत अपायल मे वित्तीय वर्ष 2019-20 की 14वा केंद्रीय वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है ----

क्रमांक	कार्यों का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	प्राथमिक विद्यालय अपायल मे कायाकल्प के तहत कार्य	331716	75696	407412
2	उच्च प्राथमिक पाठशाला अपायल मे कायाकल्प के तहत निर्माण कार्य	202295	46480	248775

3	शिवमुनी गोंड के घर से सुजीत सिंह के घर तक पेवर्ष ब्लॉक कार्य	95379	4116	99545
4	मुद्रिका राम के घर से छोटक मिया के खेत तक नाली निर्माण	183540	15070	198610
5	निशार अंसारी के घर से अबला नाला तक नाली निर्माण	175577	13430	189007
6	पिच रोड से चितरंजन सिंह के खेत तक नाली निर्माण	132702	8230	140932
7	सीमेंट कुर्सी क्रय	188000	---	188000
8	लोकसभा चुनाव पर व्यय	40000	---	40000
9	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय	50000	----	50000
10	सफाई किट पर व्यय	22500	---	22500
11	स्टेसनरी पर व्यय	10000	---	10000
	योग			1594781

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों पर निम्न आपत्तिया है -----

1. ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित कार्यों का वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति से संबन्धित पत्रावलिया लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गई।
2. जी. एस. टी. और टी. डी. एस. कटौती का विवरण नहीं दिया गया है।
3. टेंडर और कोटेशन से संबन्धित पत्रावलिया भी लेखा परीक्षा मे नहीं दी गई।
4. लोकसभा चुनाव पर व्यय के तहत कोई भी आदेश या शासनादेश नहीं दिया गया।
5. ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजलाल वर्मा द्वारा बार - बार मांगे जाने के बाद भी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के लिए नहीं दी गई।
6. विभिन्न कार्यों हेतु व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

ग्राम पंचायत अपायल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 मे चौदहवा वित्त के तहत कुल रु1594781 =00 व्यय किया गया है लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार उक्त धनराशि की व्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ममता सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज यादव एवं बृजलाल वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

188..ग्राम पंचायत का नाम.- मिश्रौलिया

विकास खण्ड - बेरूआरवारी

प्रस्तर- 282

ग्राम पंचायत मिश्रौलिया मे वित्तीय वर्ष 2019-20 मे चतुर्थ राज्य वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण एस प्रकार है --

क्रमांक	कार्यों का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	व्हील चेरर क्रय	7400	----	7400
2	प्रधान का मानदेय	31500	---	31500
	योग			38900

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों पर निम्न आपत्तिया है -----

1. प्रधान के मानदेय का भी रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा।
2. ग्राम विकास अधिकारी चन्द्रशेखर राम द्वारा बार - बार मांगे जाने के बाद भी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के लिए नहीं डी गई।
3. विभिन्न कार्यों हेतु व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

ग्राम पंचायत मिश्रौलिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 मे चतुर्थ राज्य वित्त के तहत कुल रु 38900=00। व्यय किया गया है लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार उक्त धनराशि की व्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री कन्हैया सिंह यादव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 283

ग्राम पंचायत मिश्रौलिया मे वित्तीय वर्ष 2019-20 की 14वा केंद्रीय वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है ----

क्रमांक	कार्यों का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	प्राथमिक विद्यालय मिश्रौलिया मे कायाकल्प के तहत कार्य	245202.00	48700.00	293902.00
2	प्राथमिक पाठशाला मिश्रौलिया मे बाउड़ी वाल निर्माण कार्य	126485.00	33742.00	160227.00
3	अभिजीत चैवे के घर से रघुवेस्वर के घर तक पेवर्ष ब्लॉक कार्य	179485.00	21460.00	200913.00
4	सी.सी. रोड से सुरेश मिश्रा के दरवाजे तक पेवर्स ब्लाक कार्य	211064.00	23010.00	234074.00
5	निविदा प्रकाशन	5596.00	-	5596.00

	योग		894712.00
--	-----	--	-----------

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों पर निम्न आपत्तिया है -----

1. ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित कार्यों का वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृती से संबन्धित पत्रावलिया लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गई।
2. जी० एस० टी० और टी० डी० एस० कटौती का विवरण नहीं दिया गया है।
3. टेंडर और कोटेसन से संबन्धित पत्रावलिया भी लेखा परीक्षा मे नहीं दी गई।
4. ग्राम विकास अधिकारी श्री कन्हैया सिंह से बार - बार मांगे जाने के बाद भी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के लिए नहीं दी गई
5. विभिन्न कार्यों हेतु व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

ग्राम पंचायत मिश्रौलिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 मे चौदहवा वित्त के तहत कुल रु 894712 = 00 व्यय किया गया है लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार उक्त धनराशि की ब्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री कन्हैया सिंहयादव से की जानी अपेक्षित है।

189.ग्राम पंचायत का नाम-सुल्तानपुर तालुका बांसडीह

विकास खण्ड -मनियार

प्रस्तर- 284

ग्राम पंचायत सुल्तानपुर तालुका बांसडीह मे वित्तीय वर्ष 2019-20 मे चतुर्थ राज्य वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है --

क्रमांक	कार्यों का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	स्टेसनरी क्रय	10629	---	10629
2	ग्राम प्रधान का मानदेय	35000	---	35000
3	हैंडपंप रीबोर	64000	----	64000
4	हैंडपंप मरम्मत कार्य	80900	----	80900
5	कोरोना से बचाव हेतु छिड़काव सामाग्री क्रय	58750		58750
	योग			249279

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों पर निम्न आपत्तिया है -----

1. ग्राम प्रधान का मानदेय रजिस्टर नहीं बनाया गया है।
2. ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार सिंह से बार - बार मांगे जाने के बाद भी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के लिए नहीं दी गई।
3. विभिन्न कार्यों हेतु व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

ग्राम पंचायत सुल्तानपुर तालुका बांसडीह द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 मे चतुर्थ राज्य वित्त के तहत कुल रु 249279 = 00 व्यय किया गया है लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार उक्त धनराशि की ब्याज सहितवसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मान्ती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री आलोक कुमार सिंह एवं दिनेश कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 285

ग्राम पंचायत सुल्तानपुर तालुका बांसडीह मे वित्तीय वर्ष 2019-20 की 14वा केंद्रीय वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है

क्रमांक	कार्यों का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	संजय सिंह के घर से गड़ाही तक इंटरलॉकिंग कार्य	70900	9240	80140
2	मुन्ना गोंड के घर से उर्मिला देवी के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	221318	23930	245248
3	बलेस्वर साहनी के घर से रामलाल नाथ के घर तक खड़जा निर्माण कार्य	68769	30210	98979
4	अच्छेलाल के घर से शनिचरा बाबा के स्थान तक इंटरलॉकिंग कार्य	141763	18480	160243
5	जयनाथ के घर से जगतनारायन के घर तक खड़जा निर्माण कार्य	197315	48220	245535
6	गणेश गुप्ता के घर से मुन्ना गोंड के घर तक खड़जा निर्माण कार्य	156134	39215	195349
7	मुन्ना गोंड के घर से विजय चौधरी के घर से खड़जा कार्य	193064	---	193064
8	दिलराज चौधरी के घर से राजमंगल के घर तक खड़जा निर्माण कार्य	153694	40875	194569
9	सरदार चौधरी के घर से सुरेश तुरहा के घर तक खड़जा निर्माण कार्य	152742	40045	192787
10	गणेश राजभर के घर से काली चौधरी के घर तक नाली और खड़जा निर्माण कार्य	199959	44430	244389
11	विक्रम साहनी के घर से शिवजी के घर तक नाली और खड़जा कार्य	160047	24665	184712

12	सीता हजाम के घर से सुरेन्द्र उपाध्याय के घर तक ढक्कन सहित नाली और खडंजा कार्य	126210	----	126210
13	स्ट्रीट लाइट क्रय	364800	----	364800
14	सीमेंट बेंच क्रय	348500	-----	348500
15	कन्या प्रा. वि. सुल्तानपुर मे आपरेसन कायाकल्प के तहत कार्य	421383	64695	486078
16	प्रा. वि. बाज़ार टोलापार मे आपरेसन कायाकल्प के तहत कार्य	311598	47155	358753
17	प्रा. वि. सुल्तानपुर मे आपरेसन कायाकल्प के तहत कार्य	422014	64695	486709
	योग			4206065

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों पर निम्न आपत्तिया है -----

1. ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित कार्यों का वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृती से संबन्धित पत्रावलिया लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गई।
2. जी. एस. टी. और टी. डी. एस. कटौती का विवरण नहीं दिया गया है।
3. टेंडर और कोटेसन से संबन्धित पत्रावलिया भी लेखा परीक्षा मे नहीं दी गई।
4. क्रम संख्या 07 और 12 के तहत कराये गए कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। बिना मजदूरी के कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है।
5. ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार सिंह से बार - बार मांगे जाने के बाद भी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के लिए नहीं दी गई
6. विभिन्न कार्यों हेतु व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।
7. स्ट्रीट लाइट क्रय का वित्तीय, प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृती से संबन्धित पत्रावली के साथ विद्युत विभाग से कोई बिल भुगतान का या कनेक्सन का कोई विवरण नहीं प्रस्तुत किया गया।

ग्राम पंचायत सुल्तानपुर तालुका बंसडीह द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 मे चौदहवा वित्त के तहत कुल रु 4206065 = 00 व्यय किया गया है लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार उक्त धनराशि की व्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मांती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री आलोक कुमार सिंह एवं दिनेश कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

190. ग्राम पंचायत का नाम- बिजुलीपुर  
प्रस्तर- 286

विकास खण्ड - मनियर

ग्राम पंचायत बिजुलीपुर मे वित्तीय वर्ष 2019-20 मे 4वा राज्य वित्त एवं 14वा केन्द्रीय वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है --

क्रमांक	कार्यों का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	सार्वजनिक स्थल अंबेडकर स्थान पर चबूतरा निर्माण	120132	24040	144172
2	सुरेश के घर के कुएं का निर्माण	48316	10305	58666
3	पत्थर ( सीमेंट ) कुर्सी क्रय	207000	----	207000
4	शहीद स्थान पर खडंजा कार्य	72425	16695	89120
5	ग्राम पंचायत भवन की रंगाई पुताई एवं मजदूरी -	48500		48500
6	भोला के डेरा से सरयू के डेरा तक खडंजा मरम्मत कार्य	44859	19075	63934
7	सरयू के डेरा से छांगुर भगत के डेरा तक ढक्कन सहित नाली निर्माण	148772	----	148772
8	सरयू के डेरा से छांगुर भगत के डेरा तक खडंजा कार्य	63533	14925	78458
9	प्रेम के डेरा से सरयू के डेरा तक साइड वाल सहित नाली निर्माण	67198	12560	79758
10	कायाकल्प योजना के तहत पंचायत भवन मरम्मत एवं टाइल्स कार्य	201588	44430	246018
11	तुरहा बस्ती मे विभिन्न स्थानो पर सोखता निर्माण कार्य	121500	28675	150175
12	बिजुलीपुर गेट से विश्राम तुरही के घर तक खडंजा निर्माण कार्य की मजदूरी	---	29380	29380
13	ग्राम पंचायत मे राबिथ गिराने का व्यय	10000	----	10000
14	स्टेसनरी एवं दरी क्रय	18412	---	18412
15	व्हील चेरर क्रय	7400	--	7400
16	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय	14125	---	14125
17	टेंडर विज्ञापन पर व्यय	4625	----	4625
18	सफाई किट	15750	---	15750
19	प्रधान का मानदेय	42000	---	42000
	योग -			1456258

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों पर निम्न आपत्तिया है -----

- 1° ग्राम प्रधान का मानदेय रजिस्टर नहीं बनाया गया है ।
- 2 ° ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार ओझा से बार - बार मांगे जाने के बाद भी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के लिए नहीं दी गई ।
- 3 ° विभिन्न कार्यों हेतु व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया ।
- 4 ° वित्तीय , प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से संबंधित पत्रावली नहीं दी गई ।
- 5 ° कोटेसन एवं टेंडर से संबन्धित पत्रावली नहीं दी गई ।
- 6 ° जी ° एस ° टी ° कटौती से संबन्धित पत्रावली नहीं दी गई ।
- 7 ° एम ° वी ° एवं मस्टररोल भी नहीं दिया गया ।
- 8 ° क्रम संख्या - 7 पर कराये गए कार्य की मजदूरी नहीं व्यय दर्शित है । बिना मजदूरी के कार्य का पूर्ण होना नहीं माना जाता है ।

ग्राम पंचायत बिजुलीपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 मे चतुर्थ राज्य वित्त एवं 14वा केन्द्रीय वित्त के तहत कुल रु 1456258 = 00 व्यय किया गया है लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया । उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी । इस प्रकार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार ओझा से की जानी अपेक्षित है ।

191..ग्राम पंचायत का नाम--चोरकैन्ड  
प्रस्तर-- 287

विकास खण्ड --मनियर

ग्राम पंचायत चोरकैन्ड मे वित्तीय वर्ष 2019-20 मे चतुर्थ राज्य वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है -

क्रमांक	कार्यों का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	सीमेंट कुर्सी क्रय	60000	---	60000
2	ग्राम प्रधान का मानदेय	31500	---	31500
3	हैंडपंप रीबोर	88044	----	88044
4	व्हील चेरर क्रय	7400	----	7400
	योग			186944

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों पर निम्न आपत्तिया है -----

- 1° ग्राम प्रधान का मानदेय रजिस्टर नहीं बनाया गया है ।
- 2 ° ग्राम विकास अधिकारी श्री आशीष कुमार से बार - बार मांगे जाने के बाद भी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के लिए नहीं दी गई ।
- 3 ° विभिन्न कार्यों हेतु व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया ।

ग्राम पंचायत चोरकैन्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 मे चतुर्थ राज्य वित्त के तहत कुल रु 186944=00 व्यय किया गया है लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया । उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी । इस प्रकार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजनारायन वर्मा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रविशंकर वर्मा से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-- 288

ग्राम पंचायत चोरकैन्ड मे वित्तीय वर्ष 2019-20 की 14वा केन्द्रीय वित्त के तहत कराये गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है ----

क्रमांक	कार्यों का विवरण	सामाग्री	मजदूरी	योग
1	प्राथमिक विद्यालय चोरकैन्ड मे कायाकल्प के तहत इंटरलाकिंग कार्य	216231	30805	247036
2	उ ° प्रा ° वि ° चोर कैन्ड के प्रांगण मे पेवर्ष ब्लॉक कार्य	370415	48958	419373
3	जू ° हा ° स्कूल चोरकैन्ड मे आपरेसन कायाकल्प के तहत कार्य	261541	49868	311409
4	चोरकैन्ड मे अंत्येस्थि स्थल आदि का कार्य	1080703	122230	1202933
5	सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य	253628	47750	301378
6	ट्री गार्ड पेड़ की जाली	60000	---	60000
	योग-			2542129

ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए कार्यों पर निम्न आपत्तिया है -----

- 1 ° ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित कार्यों का वित्तीय , प्रशासनिक , तकनीकी स्वीकृति से संबन्धित पत्रावलिया लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गई ।
- 2 ° जी ° एस ° टी ° और टी ° डी ° एस ° कटौती का विवरण नहीं दिया गया है ।
- 3 ° टेंडर और कोटेसन से संबन्धित पत्रावलिया भी लेखा परीक्षा मे नहीं दी गई ।

- 4 ° कैशबुक (रूपपत्र -6) मे अप्रैल माह मे रु 60000=00 हैंडपंप मरम्मत मे दर्शित है लेकिन ई - ग्राम स्वराज के कैशबुक मे यह धनराशि ट्री गार्ड जाली पर व्यय दर्शित है ।
- 5 ° ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशीष कुमार से बार - बार मांगे जाने के बाद भी कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के लिए नहीं दी गई ।
- 6 ° विभिन्न कार्यों हेतु व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया ।

ग्राम पंचायत चोरकैन्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 मे चौदहवा वित्त के तहत कुल रु 2542129=00 व्यय किया गया है लेकिन उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया । उत्तर - प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी । इस प्रकार उक्त धनराशि की व्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजनारायन वर्मा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रविशंकर वर्मा से की जानी अपेक्षित है ।

192.ग्राम पंचायत का नाम-देवडीह  
प्रस्तर- 289

विकास खण्ड -बांसडीह

ग्राम पंचायत देवडीह वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में आन लाइन उपलब्ध आकड़ों के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल रु0 1686048.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0, बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेण्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आडिट आनलाइन पोर्टल पर आडिट का कार्यक्रम आडिट विभाग द्वारा आनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा आनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान सचिव श्री अरविन्द कुमार से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से पत्र संख्या ेममो दिनांक 15-2-2021 द्वारा किया गया। इस संबंध में वर्तमान सचिव श्री अरविन्द कुमार द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि वर्ष 2019-20 में कार्यरत सचिव श्री विनोद कुमार यादव एवं श्री वैभव श्रीवास्तव द्वारा उक्त वांछित अभिलेख उन्हें चार्ज में उपलब्ध नहीं कराया गया है। बताया गया कि इसकी सूचना लिखित रूप से कई बार सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं खंड विकास अधिकारी को दिया जा चुका है। यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु0 1686049.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं तत्कालीन सचिव समान रूप से जिम्मेदार है। विभागीय जांचोपरांत कुल अपहरित धनराशि रु0 1686048.00 का आधा भागरु0 843024.00 प्रधान श्री भानु प्रताप से एवं आधा भाग रु0 843024.00 वर्ष 2019-20 मे कार्यरत सचिव श्री विनोद कुमार तिवारी श्री मनोज कुमार यादव एवं श्री वैभव श्रीवास्तव से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही अपेक्षित है। प्रकरण में वर्तमान सचिव श्री अरविन्द कुमार के भूमिका की जांच भी वांछित है।

आनलाइन पोर्टल के अनुसार माहवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	धनराशि
4/2019	0.00
5/2019	0.00
6/2019	106563.00
7/2019	503501.00
8/2019	0.00
9/2019	0.00
10/2019	0.00
11/2019	0.00
12/2019	0.00
1/2021	17500.00
2/2021	65227.00
3/2021	993257.00
योग--	1686048.00

193.ग्राम पंचायत का नाम-सुरहिया  
प्रस्तर- 290

ग्राम पंचायत सुरहिया वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में एवं आनलाइन उपलब्ध आकड़ों के अनुसार विभिन्न तिथियों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0, बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेण्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आडिट आनलाइन पोर्टल पर आडिट का कार्यक्रम आडिट विभाग द्वारा आनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा आनलाइन स्वीकार किया गया।

विकास खण्ड -बांसडीह

ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में बैंक स्टेटमेंट से कुल रु0 1643462.00 आहरित एवं विभिन्न मदों वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा,

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्री ओमप्रकाश सिंह से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया जिसकी सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1-पत्र संख्या- ेममो-1/आडिट/ग्रा0पं0/दिनांक 3-3-2021(एवं अन्य कई पत्र पूर्व में दिया गया)

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3080/सात-पं0/आडिट/अभिलेख/ग्रा0पं0/2021-22/दिनांक 29-12-2021 द्वारा सचिव को लिखित रूप से निर्देशित किए जाने के बाद भी मात्र ग्राम निधि प्रथम खाते का बैंक स्टेटमेंट आडिट में प्रस्तुत किया गया एवं उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है तथा वर्ष 2019-20 में श्री सत्यदेव सिंह भी सचिव के पद पर कुछ समय तक कार्यरत रहे हैं। व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 के पैरा-8(क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू0 1643462.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल अपहरित धनराशि रू0 1643462.00 का आधा भाग रू0 821731.00 प्रधान श्री राकेश कुमार सिंह से एवं आधा भाग रू0 821731.00 सचिव श्री ओमप्रकाश सिंह एवं श्री सत्यदेव सिंह से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

आनलाइन पोर्टल के अनुसार माहवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	धनराशि
4/2019	26248.00
5/2019	17500.00
6/2019	19800.00
7/2019	309720.00
8/2019	0.00
9/2019	0.00
10/2019	0.00
11/2019	302395.00
12/2019	180820.00
1/2021	411331.00
2/2021	183666.00
3/2021	191082.00
योग--	1643462.00

194.ग्राम पंचायत का नाम-बहुआरा  
प्रस्तर- 291

विकास खण्ड -बांसडीह

दिनांक 24.3.2020 को रू0 2000.00 जिला पंचायत राज अधिकारी को सामान्य लाभ निधि मद हेतु अंशदान का भुगतान किया गया है। जबकि वर्ष आलोच्य ममें पंचायत की निजी स्रोत की आय रू0 0.00 है। संदर्भित भुगतान किस मद से किया गया है स्थिति अज्ञात रही। संदर्भित भुगतान के सापेक्ष जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया के कार्यालय से निर्गत भुगतान प्राप्ति रसीद/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय के सापेक्ष प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय रू0 2000.00 पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 पैरा-8(क) के अनुसार अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

कुल अपहरित धनराशि रू0 2000.00 का आधा भाग रू0 1000.00 प्रधान श्रीमती प्रमेलता जिवारी से एवं आधा भाग रू0 1000.00 सचिव श्री अजय कुमार पाण्डेय से व्याज सहित वसूल किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर-292

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा:-

दिनांक	धनराशि	विवरण
10-7-2019	4300.00	टेंडर विज्ञापन
25-6-2019	1708.00	डोंगल
5-7-2019	20000.00	लोक सभा निर्वाचन बूथ व्यवस्था
21-2-2022	7000.00	सफाई किट क्रय
21-2-2022	15000.00	पंचायत भवन हेतु कुर्सी मेज क्रय
18-3-2022	64200.00	प्राथमिक विद्यालय बहुआरा विद्यतिकर्ण पर व्यय
18-3-202	20000.00	हैन्डपम्प मरम्मत व्यय
योग-	132208.00	

पंचायती राज विभाग के लेखा मेनूअल के अध्याय 8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू० 132208.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू० 132208.00 का आधा भाग रू० 66104.00 प्रधान श्रीमती प्रमेलता जिवारी से एवं आधा भाग रू० 66104.00 सचिव श्री विनोद कुमार तिवारी/श्री अजय कुमार पाण्डेय से कार्यअवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूल किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराया जाता है।

195. ग्राम पंचायत का नाम- बरियारपुर विकास खण्ड -वांसडीह प्रस्ता- 293

ग्राम पंचायत बरियारपुर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में बैंक स्टेटमेंट एवं आनलाइन उपलब्ध आकड़ों के अनुसार विभिन्न तिथियों से कुल रू० 1240272.00 आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0, वी0, कार्यपूति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेण्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आडिट आनलाइन पोर्टल पर आडिट का कार्यक्रम आडिट विभाग द्वारा आनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा आनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु सचिव श्री ओमप्रकाश सिंह से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से किया गया जिसकी सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया को भी दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

1-पत्र संख्या- ेममो-1/आडिट/ग्रा0पं0/दिनांक 3-3-2021(एवं अन्य कई पत्र पूर्व में दिया गया)

आडिट में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3080/सात.पं0/आडिट/अभिलेख/ग्रा0पं0/2021-22/दिनांक 29-12-2021 द्वारा सचिव को लिखित रूप से निर्देशित किए जाने के बाद भी मात्र ग्राम निधि प्रथम खाते का बैंक स्टेटमेंट आडिट में प्रस्तुत किया गया एवं उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है एवं वर्ष 2019-20 में कुछ समय के लिए सचिव के पद पर श्री पवन कुमार यादव भी कार्यरत रहे हैं। जिनसे उनके कार्यकाल का अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मेनूअल अध्याय-8 के पैरा-8(क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू० 1240272.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है। विभागीय जाचोपरान्त कुल अपहरित धनराशि रू० 1240272.00 का आधा भाग रू० 620136.00 प्रधान श्री राकेश कुमार सिंह से एवं आधा भाग रू० 620136.00 सचिव श्री ओमप्रकाश सिंह एवं श्री पवन कुमार यादव से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

आनलाइन पोर्टल के अनुसार माहवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	धनराशि
4/2019	64466.00
5/2019	7190.00
6/2019	20008.00
7/2019	373101.00
8/2019	11809.00
9/2019	0.00
10/2019	0.00
11/2019	0.00
12/2019	170000.00
1/2020	240000.00
2/2020	149143.00
3/2020	204555.00
योग--	1240272.00

196. ग्राम पंचायत का नाम-केवटलिया कला प्रस्ता- 294

विकास खण्ड -वांसडीह

ग्राम पंचायत केवटलिया कला वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष आलोच्य में आन लाइन उपलब्ध आकड़ों के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल रू० 542680.00 आहरित एवं विभिन्न मदों से व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0, वी0, कार्यपूति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी,

परिसंपत्ति पंजी, निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेण्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, कोषबही तथा कर अवधारण एवं वसूली पंजी आदि अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आडिट आनलाइन पोर्टल पर आडिट का कार्यक्रम आडिट विभाग द्वारा आनलाइन निर्धारित किया गया एवं इंटीमेशन लेटर सचिव को भेजा गया जिसे सचिव द्वारा आनलाइन स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान सचिव श्री अरविन्द कुमार से उपरोक्त वांछित अभिलेख की मांग लिखित रूप से पत्र संख्या- मेमो दिनांक 15.2.2021 द्वारा किया गया। इस सम्बन्ध में वर्तमान सचिव श्री अरविन्द कुमार द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि वर्ष 2019.20 में कार्यरत सचिव श्री मनोज कुमार यादव एवं श्री वैभव श्रीवास्तव द्वारा उक्त वांछित अभिलेख उन्हें चार्ज में उपलब्ध नहीं कराया गया है। बताया गया है। बताया गया कि इसकी सूचना लिखित रूप से कई बार सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं खण्ड विकास अधिकारी को दिया जा चुका है। यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू० 542680.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं तत्कालीन सचिव समान रूप से जिम्मेदार है

कुल अपहरित धनराशि रू० 542680.00 का आधा भागरू० 271340.00 प्रधान श्रीमती पूनम देवी से एवं आधा भाग रू० 271340.00 वर्ष 2019-20 में कार्यरत सचिव श्री मनोज कुमार यादव एवं श्री वैभव श्रीवास्तव से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही अपेक्षित है। प्रकरण में वर्तमान सचिव श्री अरविन्द कुमार के भूमिका की जांच भी वांछित है। आनलाइन पोर्टल के अनुसार माहवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	धनराशि
4/2019	0.00
5/2019	18750.00
6/2019	1708.00
7/2019	288255.00
8/2019	106.00
9/2019	0.00
10/2019	0.00
11/2019	0.00
12/2019	0.00
1/2020	17500.00
2/2020	150189.00
3/2020	66172.00

197. ग्राम पंचायत का नाम-चांदपुर नया  
प्रस्तर- 295

विकास खण्ड -बांसडीह

दिनांक 28.2.2020 को रू० 2000.00 जिला पंचायत राज अधिकारी को सामान्य लाभ निधि मद हेतु अंशदान का भुगतान किया गया है। जबकि वर्ष आलोच्य में पंचायत की निजी स्रोत की आय रू० 0.00 है। संदर्भित भुगतान किस मद से किया गया है स्थिति अज्ञात रही। संदर्भित भुगतान के सापेक्ष जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया के कार्यालय से निर्गत भुगतान प्राप्ति रसीद/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय के सापेक्ष प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय रू० 2000.00 पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय-8, पैरा-8(क) के अनुसार अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू० 2000.00 का आधा भाग रू० 1000.00 प्रधान श्री भगवान सिंह से एवं आधा भाग रू० 1000.00 सचिव श्री शैलेश कुमार/मनोज कुमार यादव से व्याज सहित वसूली किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

198. ग्राम पंचायत का नाम-डूहीजान  
प्रस्तर- 296

विकास खण्ड -बांसडीह

दिनांक 28.2.2020 को रू० 2000.00 जिला पंचायत राज अधिकारी को सामान्य लाभ निधि मद हेतु अंशदान का भुगतान किया गया है। जबकि वर्ष आलोच्य में पंचायत की निजी स्रोत की आय रू० 0.00 है। संदर्भित भुगतान किस मद से किया गया है स्थिति अज्ञात रही। संदर्भित भुगतान के सापेक्ष जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया के कार्यालय से निर्गत भुगतान प्राप्ति रसीद/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय के सापेक्ष प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय रू० 2000.00 पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय-8, पैरा-8(क) के अनुसार अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जांचोपरान्त कुल अपहरित धनराशि ₹ 2000.00 का आधा भाग ₹ 1000.00 प्रधानश्रीमती धनरजिया देवी से एवं आधा भाग ₹ 1000.00 सचिव श्री उमेश कुमार सिंहसे व्याज सहित वसूली किए जाने हेतु विभागीयअधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

199.ग्राम पंचायत का नाम.-डूहीमुसी  
प्रस्तर- 297

विकास खण्ड -बांसडीह

दिनांक 6-3-2020 को ₹ 2000.00 जिला पंचायत राज अधिकारी को सामान्य लाभ निधि मद हेतु अंशदान का भुगतान किया गया है। जबकि वर्ष आलोच्य में पंचायत की निजी स्रोत की आय ₹ 0.00 है। संदर्भित भुगतान किस मद से किया गया है स्थिति अज्ञात रही। संदर्भित भुगतान के सापेक्ष जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया के कार्यालय से निर्गत भुगतान प्राप्ति रसीद/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय के सापेक्ष प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय ₹ 2000.00 पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय-8, पैरा-8(क) के अनुसार अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि ₹ 2000.00 का आधा भाग ₹ 1000.00 प्रधानश्रीमती धनरजिया देवी से एवं आधा भाग ₹ 1000.00 सचिव श्री उमेश कुमार सिंहसे व्याज सहित वसूली किए जाने हेतु विभागीयअधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर- 298

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा:-

दिनांक	धनराशि	विवरण
2-7-2019	5596.00	टेंडर विज्ञापन
5-4-2019	1708.00	डोंगलचार्ज
21-1-2020	27710.00	हैन्डपम्परिबोर
योग-	35014.00	

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय ₹ 35014.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जांचोपरान्त कुल अपहरित धनराशि ₹ 35014.00 का आधा भाग ₹ 17507.00 प्रधान श्रीमती प्रमेचंद्रसाहनीजिवारी से एवं आधा भाग ₹ 17507.00 सचिव श्रीअजय कुमार पाण्डेय/श्री मनोज कुमार यादव से कार्यअवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए व्याज सहित वसूल किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराया जाता है।

200.ग्राम पंचायत का नाम.-पिण्डहरा  
प्रस्तर- 299

विकास खण्ड -बांसडीह

दिनांक 24-3-2020 को ₹ 2000.00 जिला पंचायत राज अधिकारी को सामान्य लाभ निधि मद हेतु अंशदान का भुगतान किया गया है। जबकि वर्ष आलोच्य में पंचायत की निजी स्रोत की आय ₹ 0.00 है। संदर्भित भुगतान किस मद से किया गया है स्थिति अज्ञात रही। संदर्भित भुगतान के सापेक्ष जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया के कार्यालय से निर्गत भुगतान प्राप्ति रसीद/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय के सापेक्ष प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय ₹ 2000.00 पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय-8, पैरा-8(क) के अनुसार अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि ₹ 2000.00 का आधा भाग ₹ 1000.00 प्रधानश्रीमतीगिरजा देवी से एवं आधा भाग ₹ 1000.00 सचिव श्री विजयेन्द्र कुमारसे व्याज सहित वसूली किए जाने हेतु विभागीयअधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

201.ग्राम पंचायत का नाम.- पिठाइच

विकास खण्ड - बांसडीह

प्रस्तर- 300

दिनांक 24-3-2020 को ₹ 2000.00 जिला पंचायत राज अधिकारी को सामान्य लाभ निधि मद हेतु अंशदान का भुगतान किया गया है। जबकि वर्ष आलोच्य में पंचायत की निजी स्रोत की आय ₹ 0.00 है। संदर्भित भुगतान किस मद से किया गया है स्थिति अज्ञात रही। संदर्भित भुगतान के सापेक्ष जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया के कार्यालय से निर्गत भुगतान प्राप्ति रसीद/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय के सापेक्ष प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय ₹ 2000.00 पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय-8, पैरा-8(क) के अनुसार अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि ₹ 2000.00 का आधा भाग ₹ 1000.00 प्रधानश्रीमतीनिर्मला पाण्डेय से एवं आधा भाग ₹ 1000.00 सचिव श्री अजय कुमार पाण्डेयसे व्याज सहित वसूली किए जाने हेतु विभागीयअधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

202.ग्राम पंचायत का नाम.- सकरपुरा

विकास खण्ड - बांसडीह

प्रस्तर- 301

दिनांक 24-3-2020 को ₹ 2000.00 जिला पंचायत राज अधिकारी को सामान्य लाभ निधि मद हेतु अंशदान का भुगतान किया गया है। जबकि वर्ष आलोच्य में पंचायत की निजी स्रोत की आय ₹ 0.00 है। संदर्भित भुगतान किस मद से किया गया है स्थिति अज्ञात रही। संदर्भित भुगतान के सापेक्ष जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया के कार्यालय से निर्गत भुगतान प्राप्ति रसीद/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय के सापेक्ष प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय ₹ 2000.00 पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय-8, पैरा-8(क) के अनुसार अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू० 2000.00 का आधा भाग रू० 1000.00 प्रधानश्रीमुमताजअहमद से एवं आधा भाग रू० 1000.00 सचिव श्रीचन्द्रशेखर भारती (तत्कालीन)से ब्याज सहित वसूली किए जाने हेतु विभागीयअधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

203. ग्राम पंचायत का नाम.- सरांक

विकास खण्ड - बांसडीह

प्रस्तर- 302

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा:-

दिनांक	धनराशि	विवरण
1-7-2019	4300.00	टेंडर विज्ञापन
5-4-2019	1708.00	डोंगलचार्ज
7-1-2020	29460.00	हैन्डपम्परिबोर
योग-	35468.00	

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू० 35468.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

विभागीय जांचोपरान्त कुल अपहरित धनराशि रू० 35468.00का आधा भाग रू० 17734.00प्रधान श्रीमती मितुल श्रीवास्तवसे एवं आधा भाग रू० 17507.00सचिव श्रीअरविन्द्र कुमार मौर्य/श्री पवन कुमार यादव से कार्यअवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूल किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराया जाता है।

204.ग्राम पंचायत का नाम.- हालपुर

विकास खण्ड - बांसडीह

प्रस्तर- 303

दिनांक 24-3-2020 को रू० 2000.00 जिला पंचायत राज अधिकारी को सामान्य लाभ निधि मद हेतु अंशदान का भुगतान किया गया है। जबकि वर्ष आलोच्य में पंचायत की निजी स्रोत की आय रू० 0.00 है। संदर्भित भुगतान किस मद से किया गया है स्थिति अज्ञात रही। संदर्भित भुगतान के सापेक्ष जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया के कार्यालय से निर्गत भुगतान प्राप्ति रसीद/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय के सापेक्ष प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय रू० 2000.00 पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय-8,पैरा-8(क) के अनुसार अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रू० 2000.00 का आधा भाग रू० 1000.00 प्रधानश्री सिंगासन साहनीसे एवं आधा भाग रू० 1000.00 सचिव श्रीशैलेश कुमारसे ब्याज सहित वसूली किए जाने हेतु विभागीयअधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

#### प्रारूप-4 जनपद- मऊ

ग्राम पंचायत-हरपुर

क्षेत्र पंचायत-परदहां 2019-20

प्रस्तर-1

केश बुक के अनुसार दिनांक 18-07-2019,23-07-2019, को कार्य आई० डी० संख्या 15234309,15234291,पर हैण्ड पम्प मरम्मत के लिए कुल रूपये 170000 भुगतान द्विवेदी कन्स्ट्रक्शन को किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अवास्तिक व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया गया। अतः पंचायती राज अधिनियम 2019 के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी-आधी प्रधान बबिता एव ग्राम पंचायत अधिकारी अनुपमा सिंह से ब्याज सहितवसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

केश बुक के अनुसार दिनांक 23.07.2019,24.07.2019,02.08.2019,03.08.2019,03.08.2019,16.10.2019,11.11.2019 को कार्य आई० डी० संख्या 15234275/15234304/15234305/15234296/15234295/15234274/15234318 पर हैण्ड पम्प रिबोर के लिए कुल रूपये 1515200 भुगतान ,द्विवेदी कन्स्ट्रक्शन को किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अवास्तिक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः पंचायती राज अधिनियम 2019 के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी-आधी धनराशि ग्राम प्रधान बबिताव ग्राम पंचायत अधिकारी अनुपमा सिंह से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-नसोपुर

क्षेत्र पंचायत-परदहां 2019-20

प्रस्तर-3

कैशबुक के अनुसार दिनांक 19.06.2019 को कार्य आई0डी0 संख्या 15438778 पर चेक संख्या 396958 से हयूम पाइप के लिए कुल रूपये 32600 भुगतान द्विवेदी कान्सट्रक्शन को दिया गया है जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त हयूम पाइप किस स्थान पर लगाई गयी है इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया है इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा 7,8 क, 8 ख तथा उतर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में निहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशियों में आधी-आधी धनराशि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर-4

कैश बुक के अनुसार दिनांक 29.07.2019 को कार्य आई0डी0 संख्या 15438771 पर चेक संख्या 396961 द्वारा हैण्ड पम्प रिबोर के लिए कुल रू 1,24,000 भुगतान किया जाता है जिसकी पुष्टि बैंक हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः पंचायती राज अधिनियम उत्तर प्रदेश लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी-आधी धनराशि ग्राम प्रधान राजभवन व ग्राम पंचायत अधिकारी राघवेन्द्रसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-रणवीरपुर

क्षेत्र पंचायत-परदहां 2019-20

प्रस्तर-5

कैश बुक के अनुसार दिनांक 24-04-2019, 25-06-2019, 05-07-2019, 31-07-2019 को कार्य आई0 डी0 संख्या 15824241, 15824242, पर हैण्ड पम्प मरम्मत के लिए कुल रूपये 214850 भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः पंचायती राज अधिनियम उ0प्र0 के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी-आधी प्रधान सुनील सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी राजेश सिंह से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-6

कैश बुक के अनुसार दिनांक 28.06.2019, 01.07.2019, 05.07.2019, 12.07.2019, 22.07.2019, 10.01.2020 को कार्य आई0 डी0 संख्या 15824241/15824212/15824211/19697739 पर हैण्ड पम्प रिबोर के लिए कुल रूपये 981450 भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः पंचायती राज अधिनियम उ0प्र0 के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी-आधी धनराशि ग्राम प्रधान सुनील सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी राजेश सिंह से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-पिजडा

क्षेत्र पंचायत-परदहां 2019-20

प्रस्तर-7

कैश बुक के अनुसार 25.06.2019, 28.06.2019 एवं 29.07.2019 को कार्य आई0डी संख्या 15151390, 15151397 पर हैण्ड पम्प रिबोर के लिए कुल रूपये 253629 द्विवेदी कान्सट्रक्शन को भुगतान किया जाता है जिसकी पुष्टि में कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः पंचायतीराज अधिनियम उ0प्र0 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान अच्छेलाल व ग्राम विकास अधिकारी अनुपमा सिंह से समान रूप से दोनो से आधी -आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-8- कैश बुक के अनुसार दिनांक 03.07.2019, 14.02.2019 18.10.2019 एवं 29.03.2020 को कार्य आई0डी0 सम्बन्धित क्रमशः 15151391, 15151346, 20485788 पर हैण्ड पम्प मरम्मत के लिए कुल रू 29003700 द्विवेदी कान्सट्रक्शन को भुगतान किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख एवं व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान के द्वारा अपहरण किया गया है।

अतः पंचायतीराज अधिनियम उ0प्र0 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान अच्छेलाल व ग्राम विकास अधिकारी अनुपमा सिंह से समान रूप से दोनो से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत मानपुर के ग्राम निधि प्रथम ई ग्राम स्वराज /प्रिया साफ्ट पर आन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। प्रिया साफ्ट पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में उपभोग /व्यय रू 1905350 दर्शित रहा इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष आफ लाइन लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख /व्यय प्रमाणक /मरम्मत निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध व्यक्तिगत टेलीफोन वार्ता एवं लिखित रूप से बार बार अभिलेख मांग की गयी। व्यक्तिगत मांग के उपरान्त भी कोई भी अभिलेख मूल रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने पर उच्च अधिकारियों के माध्यम से अभिलेख प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत से दिनांक 11.02.2021 एवं पुनः दिनांक 19.03.2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक एवं लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट एवं आन लाइन दर्शित उपभोग /व्यय रू 1905350 के सापेक्ष नियमानुसार कोई भी व्यय प्रमाणक /मरम्मत, निर्माण कार्य पत्रावली, केश बुक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, वर्क आईडी0, स्टीमेंट, एम0डी0, बिल/वाउचर, मस्टर रोल, प्रधान का मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री आफ वर्क्स विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति बैक समाधान विवरण मांग वसूली व अवशेष पंजिका त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपभोग प्रमाण पत्र टेण्डर कोटेशन पत्रावली जो की आन लाइन व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी प्रस्तुत नहीं रहे फलस्वरूप वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग /व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती। पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुवल के अध्याय-8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं खण्ड 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी संक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा परीक्षा में प्रिया साफ्ट पर आन लाइन दर्शित रू 1905350 के सापेक्ष को भी व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और नियमतः ऐसा व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन के श्रेणी में आता है इसक लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती प्रमीला और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राधवेन्द्र प्रताप सिंह उत्तरदायी है इस सम्बन्ध में नियमानुसार आधा आधा ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत पनियरा के ग्राम निधि प्रथम ई ग्राम स्वराज /प्रिया साफ्ट पर आन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। प्रिया साफ्ट पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में उपभोग /व्यय रू 1232707 दर्शित रहा इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष आफ लाइन लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख /व्यय प्रमाणक /मरम्मत निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध व्यक्तिगत टेलीफोन वार्ता एवं लिखित रूप से बार बार अभिलेख मांग की गयी। व्यक्तिगत मांग के उपरान्त भी कोई भी अभिलेख मूल रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने पर उच्च अधिकारियों के माध्यम से अभिलेख प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत से दिनांक 11.02.2021 एवं पुनः दिनांक 19.03.2021 को अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक एवं लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट एवं आन लाइन दर्शित उपभोग /व्यय रू 1232707 के सापेक्ष नियमानुसार कोई भी व्यय प्रमाणक /मरम्मत, निर्माण कार्य पत्रावली, केश बुक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, वर्क आईडी0, स्टीमेंट, एम0डी0, बिल/वाउचर, मस्टर रोल, प्रधान का मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री आफ वर्क्स विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति बैक समाधान विवरण मांग वसूली व अवशेष पंजिका त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपभोग प्रमाण पत्र टेण्डर कोटेशन पत्रावली जो की आन लाइन व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी प्रस्तुत नहीं रहे फलस्वरूप वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग /व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती। पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुवल के अध्याय-8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं खण्ड 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी संक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा परीक्षा में प्रिया साफ्ट पर आन लाइन दर्शित रू 1232707 के सापेक्ष को भी व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और नियमतः ऐसा व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन के श्रेणी में आता है इसक लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामनगीना और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय गुप्ता उत्तरदायी है इस सम्बन्ध में नियमानुसार आधा आधा ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

## प्रस्तर-11

कैश बुक के अनुसार 25.07.2019,15.11.2019 को कार्य आई0डी संख्या 15270319,19421998 पर हैण्ड पम्प रिबोर के लिए कुल रूपये 217274 द्विवेदी कन्स्ट्रक्शन को भुगतान किया जाता है जिसकी पुष्टि में कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः पंचायतीराज अधिनियम उ0प्र0 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान उर्मिला व ग्राम विकास अधिकारी राजेश तिवारी से समान रूप से दोनो से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

## प्रस्तर-12

कैश बुक के अनुसार दिनांक 25.07.2019,26.07.2019 को कार्य आई0डी0 सम्बन्धित क्रमशः 1527032,15270321 पर हैण्ड पम्प मरम्मत के लिए कुल रू 160000 जय मां अम्बे हार्डवेयर को भुगतान किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख एवं व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान के द्वारा अपहरण किया गया है। अतः पंचायतीराज अधिनियम उ0प्र0 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान उर्मिला व ग्राम विकास अधिकारी राजेश तिवारी से समान रूप से दोनो से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-नियामतपुर बगली

क्षेत्र पंचायत-परदहां 2019-20

## प्रस्तर-13

कैश बुक के आधार पर दिनांक 15/04/2019 को कार्य आई0 संख्या 13946178 पर चेक संख्या 467841 से हैण्ड पम्प मरम्मत के लिए कुल रू 21000 का भुगतान किया गया है। उक्त धनराशि की पुष्टि में लेखा परीक्षा दौरान व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत पाया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया गया। अतः पंचायतीराज अधिकारी उ0प्र0 के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी-आधी प्रधान गुजराती ए व ग्राम पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-अहिलाद

क्षेत्र पंचायत-परदहां 2019-20

## प्रस्तर-14

कैश बुक के अनुसार 16.05.2019,10.7.2019 को कार्य आई0डी संख्या 14677619 पर हैण्ड पम्प रिबोर के लिए कुल रूपये 80000 को भुगतान किया जाता है जिसकी पुष्टि में कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः पंचायतीराज अधिनियम उ0प्र0 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान धनन्जय ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप कुमार से समान रूप से दोनो से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

## प्रस्तर-15

कैश बुक के अनुसार दिनांक 20.11.2019 को कार्य आई0डी0 सम्बन्धित क्रमशः 14677672, पर हयूम पाइप के लिए कुल रू 95350 भुगतान उत्सव कन्स्ट्रक्शन को भुगतान किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख एवं व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः हयूम पाइप किस स्थान पर लगाई गयी इसका कही भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान के द्वारा अपहरण किया गया है। अतः पंचायतीराज अधिनियम उ0प्र0 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान धनन्जय व ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप कुमार से समान रूप से दोनो से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-कहिनौर

क्षेत्र पंचायत-परदहां 2019-20

## प्रस्तर-16

कैश बुक के अनुसार 16.04.2019,11.07.2019 एवं 29.07.2019 को कार्य आई0डी संख्या 16797640,16797637 पर चेक संख्या 395853,39585,395863 ,द्वारा हैण्ड पम्प मरम्मत के लिए कुल रूपये 2000000 भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि में कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः पंचायतीराज अधिनियम उ0प्र0 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान अवधेश व ग्राम विकास अधिकारी राजेश तिवारी से समान रूप से दोनो से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

## प्रस्तर-17

कैश बुक के अनुसार दिनांक 27.05.2019,11.07.2019,29.07.2019 एवं 31.03.2020 को कार्य आई0डी0 संख्या क्रमशः 16797639,16797658,20521199 पर चेक संख्या 395852,395855,एवं 395862 द्वारा हैण्ड पम्प रिबोर के लिये कुल रू 6,96974 भुगतान किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख एवं व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान के द्वारा अपहरण किया गया है। अतः पंचायतीराज अधिनियम उ0प्र0 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार आहरित

धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान अवधेश व ग्राम विकास अधिकारी राजेश तिवारी से समान रूप से दोनो से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहितवसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-18

कैश बुक के अनुसार दिनांक 08.07.2019, को कार्य आई0डी0 संख्या क्रमशः 16797673, पर चेक संख्या 395860 से हयूम पाइप के लिये कुल रूपये कुल रू 79200 भुगतान किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख एवं व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त हयूम पाइप किस स्थान पर लगाई गयी है इसको कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान के द्वारा अपहरण किया गया है। अतः पंचायतीराज अधिनियम 30 प्र0 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर पैरा 7 क एवं 8 ख तथा 30 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान अवधेश व ग्राम विकास अधिकारी राजेश तिवारी से समान रूप से दोनो से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर-19

ग्राम पंचायत रायपुर क्षेत्र पंचायत रानीपुर 2029.20  
प्रस्तर दिनांक 16.03.2020 को कार्यआई डी संख्या 20627170 पर कायाकल्प कार्य के लिए कुल रू0 58653 सिंह ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 पैरा 7, 8क एवं 8ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशि में से आधी आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी यशवन्त ब्याज सहित वसूल करने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। 30 प्र0 पंचायतीराज के लेखा मैनुअल के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि बाद में प्रस्तुत किया गया प्रमाणक किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

सामान्य आपत्ति.03

ग्राम

पंचायत-पचिस्ता मोलनापुर

क्षेत्र पंचायत-रानीपुर 2019-20

प्रस्तर-20

दिनांक 29.07.2019 व 23-11-2019 को कार्य आई डी संख्या 16005370 ए 16005371 पर हैडपंप रिबोर के लिए कुल रू0 224000 किसान मशीनरी को भुगतान किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7, 8 क एवं 8 ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशि में से आधी.आधी धनराशि ग्राम प्रधान प्रेमचंद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी विनय कुमार से ब्याज सहितवसूल करने हेतु आवश्यककार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-21

दिनांक 12.03.2020 को कार्य आई डी संख्या 16005378 पर हैडपंप मरमत के लिए कुल रू0 26000 आकाश कंस्ट्रक्शन को भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि में वाउचर पत्रावली अप्राप्त रही। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7, 8क एवं 8ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशि में से आधी.आधी धनराशि ग्राम प्रधान प्रेमचंद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी विनय कुमार से ब्याज सहितवसूल करने हेतु आवश्यककार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-22

दिनांक 07.08.2019 को कार्य आई डी संख्या 16005380 पर हयूम पाइप के लिए कुल रू0 56530 का भुगतान किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त हयूम पाइप किस स्थान पर लगाई गई है इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7, 8क एवं 8ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशि में से आधी.आधी धनराशि ग्राम प्रधान प्रेमचंद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी विनय कुमार से ब्याज सहितवसूल करने हेतु आवश्यककार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। 30 प्र0 पंचायतीराज के लेखा मैनुअल के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि बाद में प्रस्तुत किया गया प्रमाणक किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

सामान्य आपत्ति क्रमांक 03,04,

ग्राम पंचायत-पडरी

क्षेत्र पंचायत-रानीपुर 2019-20

प्रस्तर-23

दिनांक 04- 6-2019, 30-7-2019 को कार्यआईडी संख्या 18659132 पर हैडपंप रिबोर के लिए कुल रुपया 94000.00 हजार भुगतान किया गया जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया।

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7, 8क एवं 8ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशि में से आधी- आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती उषा एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से ब्याज सहितवसूल करने आवश्यककार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।



दिनांक 9.04.2019 को कार्य आईडी संख्या 16786561 पर हैंडपंप मरम्मत के लिए कुल रुपया 28279.00 श्री मानस बिल्डिंग मैटेरियल को भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि में वाउचर पत्रावली एवं मस्टर रोलअप्राप्त रहा इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम एवं तत्कालीनग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया ।

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7,8क एवं 8ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशि में से आधी- आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम एवं तत्कालीनग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी से ब्याज सहितवसूल करने हेतु आवश्यककार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-31**

दिनांक 18.06.2019 को कार्य आईडी संख्या 16786553 पर रु 60500.00 मां शरद फर्टिलाइजर को प्रा0 वि 0 पर गेट निर्माण पर सामग्री हेतु भुगतान किया गया है जिसकी परिपेक्ष में कोई वाउचर /अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। जिसकी जिसकी पुष्टि में वाउचर पत्रावली एवं मस्टर रोलअप्राप्त रहा । इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया।

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7,8क एवं 8ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशि में से आधी- आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम एवं तत्कालीनग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी से ब्याज सहितवसूल करने हेतु आवश्यककार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज मैनुअल के अनुसार यह स्पष्ट है कि बाद में प्रस्तुत किया गया प्रमाण किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा सामान्य आपत्ति संख्या-

### ग्राम पंचायत- फतेपुर

### क्षेत्र पंचायत-रानीपुर 2019-20

#### प्रस्तर-32

दिनांक 30.06.2019 एवं 27.12.2019 को कार्य आईडी संख्या 16332382,16332374,162775,16332378 पर हैंडपंप मरम्मत के लिए कुल रुपया 443500.00 श्री मां आशा पूर्णा कं0 को भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि में कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया ।

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7,8क एवं 8ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशि में से आधी- आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज एवं तत्कालीनग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी से वसूल करने हेतु आवश्यककार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-33

आईडी संख्या 9764423 पर दिनांक -25.04.2019 एवं 27.12.2019 को कार्य आईडी संख्या 16332376,16332407 पर हैंडपंप रिबोर के लिए कुल रुपया 312500-00 श्री मां आशा पूर्णा कं0 को भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि में कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया ।

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7,8क एवं 8ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशि में से आधी- आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज एवं तत्कालीनग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी से ब्याज सहितवसूल करने हेतु आवश्यककार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

### ग्राम पंचायत- बरवां

### क्षेत्र पंचायत-रानीपुर 2019-20

#### प्रस्तर-34

दिनांक 20.11.2019 को कार्य आईडी संख्या 16975623.00 पर पर ह्यूम पाइप के लिए रुपया कुल रु 125000.00 पंडित गौरीशंकर इन्टरप्राइजेज को भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया । उक्त ह्यूम पाइप किस स्थान पर लगाई गई है इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया।

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7,8क एवं 8ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशि में से आधी- आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्री रवींद्र चौबे एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी से ब्याज सहितवसूल करने हेतु आवश्यककार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-35

आईडी संख्या 9764423 पर दिनांक-20.07.2019 से 03.08.2019 के बीच रु0 401145.00 का भुगतान स्टीट लाइट खरीद एवं उसकी लगवाई में किया गया है, जिसकी पुष्टि में वाउचर हेतु कोई पत्रावली एवं मास्टररोल अप्राप्त रहा । इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया।

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7,8क एवं 8ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशि में से आधी- आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्री रवींद्र चौबे एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी से ब्याज सहितव्याज सहितवसूल करने हेतु आवश्यककार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज मैनुअल के अनुसार यह स्पष्ट है कि बाद में प्रस्तुत किया गया प्रमाण किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा सामान्य आपत्ति संख्या- 4,5

### ग्राम पंचायत- चंद्रावती

### क्षेत्र पंचायत-रानीपुर 2019-20

#### प्रस्तर-36

दिनांक 23.03.2020 को कार्य आईडी संख्या 149222181 पर पर ह्यूम पाइप के लिए रु 40000.00 विजय ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया । उक्त ह्यूम पाइप किस स्थान पर लगाई गई है इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया।

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7,8क एवं 8ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशि में से आधी- आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्री गोविंद एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल करने हेतु आवश्यककार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-37**

आईडी संख्या 14922192 पर दिनांक -05.01.2020 से रु0 63000.00 का भुगतान हैडपंप रिबोर के लिए कुल रुपया 63000.00 आकाश कं0 को किया गया है जिसकी पुष्टि में वाउचर पत्रावली एवं मस्टर रोल रहा । इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया ।

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7,8क एवं 8ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशि में से आधी- आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्री गोविंद एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल करने हेतु आवश्यककार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत- चकमनो दरगाह**

**क्षेत्र पंचायत-दोहरीघाट प्रस्तर-38**

कैशबुक के अनुसार दिनांक 27.12.2019 को कार्य आईडी संख्या 19831789 पर कुल रु 309000.00 का भुगतान शंकर जी ट्रेडर्स को किया गया है । जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया।

अतः पंचायती राज अधिनियम उत्तर प्रदेश के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क्र प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए से आधी- आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्री प्रशांत एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल करने हेतु आवश्यककार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या- 01

**ग्राम पंचायत- पलिया बुजुर्ग**

**क्षेत्र पंचायत-दोहरीघाट 2019-20**

**प्रस्तर-39**

1-कैशबुक के अनुसार दिनांक 19.04.2019 को कार्य आईडी संख्या 14949532 पर हैण्ड पम्प मरम्मत के लिये कुल रु 25000.00 का भुगतान किया गया है, जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया।

अतः पंचायती राज अधिनियम उत्तर प्रदेश के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क्र प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए से आधी- आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा एवं श्री राकेश कुमार यादव ग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। सामान्य आपत्ति संख्या- 01

**ग्राम पंचायत- पिडसुई अहिलासपुर**

**क्षेत्र पंचायत-दोहरीघाट 2019-20**

**प्रस्तर-40**

कैशबुक के अनुसार दिनांक 10.05.2019 को कार्य आईडी संख्या 17722892 पर चेक संख्या 745103 से कुल रु 106450.00 का भुगतान ग्राम प्रधान व पंचायत अधिकारी को किया गया। जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया।

अतः पंचायती राज अधिनियम उत्तर प्रदेश के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क्र प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए से आधी- आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश एवं श्री परमहंस पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल करने हेतु आवश्यककार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या- 02

**ग्राम पंचायत- खडैचा**

**क्षेत्र पंचायत-दोहरीघाट 2019-20**

**प्रस्तर-41**

कैशबुक के अनुसार दिनांक 03.06.2019 एवं 17.07.2019 को कार्य आईडी संख्या 15433204,15433190 से चेक संख्या 663191,663202 द्वारा से कुल रु 87500.00 का भुगतान ग्राम प्रधान व पंचायत अधिकारी को किया गए है, जो नितांत आपत्तिजनक है । जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया।

अतः पंचायती राज अधिनियम उत्तर प्रदेश के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क्र प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए से आधी- आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती रीता एवं श्री राकेश यादव ग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल करने हेतु आवश्यककार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या- 01

**ग्राम पंचायत- बुढ़ावर**

**क्षेत्र पंचायत-दोहरीघाट 2019-20**

**प्रस्तर-42**

कैशबुक के अनुसार दिनांक 02.08.2019 को कार्य आईडी संख्या 15258607 से हैण्ड पम्प मरम्मत के लिये कुल रु 73900.00 का भुगतान किया गया है, जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया।

अतः पंचायती राज अधिनियम उत्तर प्रदेश के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क्र प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए से आधी- आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती तेतरी एवं श्री अजय कुमार राय ग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल करने हेतु आवश्यककार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या- 01

**ग्राम पंचायत- सिसवाँ**

**क्षेत्र पंचायत-दोहरीघाट 2019-20**

**प्रस्तर-43**

कैशबुक के अनुसार दिनांक 01.01.2020 को कार्य आईडी संख्या 15443313 से कुल रु 125000.00 का भुगतान सर्वेश चौहान को किया गया है, जो नितांत आपत्तिजनक है। जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया।

अतः पंचायती राज अधिनियम उत्तर प्रदेश के लेखा मैनुएल के अध्याय-8 क्र प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी- आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती बखिया एवं श्री नारायण ग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल करने हेतु आवश्यककार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या- 01

### ग्राम पंचायत- सियरही बर्जला क्षेत्र पंचायत-दोहरीघाट 2019-20

प्रस्तर-44

कैशबुक के अनुसार दिनांक 02.08.2019 को कार्य आईडी संख्या 15925415,17405975,17405980,17405976,15925442 पर चेक सं0 क्रमशः 018599,020470,020473,020462,020465 से कुल रु 245457.00 का भुगतान ग्राम प्रधान को किया गया है, जो नितांत आपत्तिजनक है। जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया।

अतः पंचायती राज अधिनियम उत्तर प्रदेश के लेखा मैनुएल के अध्याय-8 क प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी- आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्री चिंतामणी एवं श्री नारायणग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल करने हेतु आवश्यककार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या- 02

ग्राम पंचायत भैरोपुर खुर्मा

क्षेत्र पंचायत-बडरांव 2019-20

प्रस्तर-45

वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत में कुल रुपया 21500 व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्यय से संबंधित एक भी पत्रावली व प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैंडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि कितने एवं किन-किन जगहों के हैंडपंप खराब थे एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन-किन स्थानों के हैंडपंप मरम्मत कार्य कराए गये इसकी जानकारी नहीं हो सकी. स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती है. हैंडपंप मरम्मत के संदर्भ में पुराने सामानों के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी. उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 कके अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावलीव प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ.साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है. इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए 21500 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री सुरेश एवं पंचायत सचिव श्रीकृष्ण को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है. व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या दिनांक चेक संख्या विवरण धनराशि

1- 09.07.19 10009799 हैंडपंप मरम्मत 21500

ग्राम पंचायत-कन्हेली

क्षेत्र पंचायत-बडरांव 19-20

प्रस्तर-46

वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत में कुल रुपया रूपया 138475 व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्यय से संबंधित एक भी पत्रावलीव प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैंडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि कितने एवं किन-किन जगहों के हैंडपंप खराब थे एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन-किन स्थानों के हैंडपंप मरम्मत कार्य कराए गये इसकी जानकारी नहीं हो सकी. स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती है. हैंडपंप मरम्मत के संदर्भ में पुराने सामानों के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी. उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 कके अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावलीव प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ.साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है. इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए रूपया 138475के लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित कुमार रायव ग्राम प्रधान

श्रीमती मोनिका को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है. व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	विवरण	धनराशि
1	08.7.19	190173	हैंडपंप मरम्मत	रु 23000
2	17.10.19		हैंडपंप मरम्मत	रु 40015
3	17.01.20		हैंडपंप मरम्मत	रु 75460
		योग		रु 138475

ग्राम पंचायत-करपिया मलिक

क्षेत्र पंचायत बडरांव 19-20

प्रस्तर -47

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में दिनांक 05 -07 -19 को चेक संख्या 000106 द्वारा रूपया 82500 का पटिया क्रय, दिनांक 01 -08 -19 को चेक संख्या 000108 द्वारा रूपया 75205 का ह्यूम पाइप क्रय व दिनांक 23 -03 -20 को चेक द्वारा रूपया 12120 का पटिया क्रय कर नाली ढकने व जल निकासी कार्य हेतुकुल धनराशि रूपया 169825 व्यय की गई है लेकिन पटिया लगवाई व ह्यूम पाइप की स्थापना के सन्दर्भ में मजदूरी पर कुछ भी धनराशि व्यय नहीं किया गया है लेखा परीक्षा वर्ष में नाली निर्माण का कार्य भी नहीं हुआ दर्शित है। नाली निर्माण कार्य के बिना व मजदूरी भुगतान के अभाव में किसी भी कार्य के होने की प्रासंगिकता के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। किन स्थानों पर या किन किन कार्यों में इस ह्यूम पाइप की स्थापना की गई व पटिया लगाई गई यह भी अस्पष्ट रहा दूसरे शब्दों में कार्य के स्पष्ट विवरण को अंकित नहीं किया गया है। स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। ह्यूम पाइप की स्थापना में बालू सीमेंट ईट गिट्टी इत्यादि सामग्री का कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है। जैसा की भूमिगत नाली के सन्दर्भ में किया जाता है। शासनादेश संख्या आरजीएसए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ 02 मई 2019 में जीपीडीपी के अंतर्गत तैयार कार्य योजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु 3 में ऐसे कार्य स्थल विहीन और कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध माना गया है। डेड स्टॉक- स्टॉक रजिस्टर के अभाव में क्रय स्टॉक की इंटी स्टॉक बुक में की गई है या नहीं इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इससे स्पष्ट है की उपरोक्त कमियों के आलोक में ह्यूम पाइप क्रय व पटिया क्रय पर व्यय की गई कुल धनराशि रूपया 169825 का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए सम्बंधित प्रधान श्री जैरूल हक व सचिव श्री राम जनम यादवसंयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-मुजार बुजुर्ग

क्षेत्र पंचायत बडरांव 19-20

प्रस्तर -48

वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के चौदहवां वित्त मद के अंतर्गत चेक सं 10011361 दिनांक 27.05.19 को हैंडपंप मरम्मत में कुल रूपया रूपया 30000 व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्यय से संबंधित एक भी पत्रावलीव प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैंडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि कितने एवं किन-किन जगहों के हैंडपंप खराब थे एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन-किन स्थानों के हैंडपंप मरम्मत कार्य कराए गये इसकी जानकारी नहीं हो सकी. स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती है. इसके साथ ही हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान भी फर्म को न कर सीधे ग्राम प्रधान को किया गया है। हैंडपंप मरम्मत के संदर्भ में पुराने सामानों के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी. उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 कके अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावलीव प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव पंचायत से की जाएगी वसूली के साथ. साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है. इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए रूपया 30000 के लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण व ग्राम प्रधान श्री राम अवध को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है.

ग्राम पंचायत-बडरांव

क्षेत्र पंचायत-बडरांव 19-20

प्रस्तर -49

शासनादेश संख्या - ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

- 1- शासनादेश संख्या -1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

2- उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही ;रूप पत्र संख्या-6 का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ पंचायत के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है।

इस प्रकार उपरोक्त के आलोक में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रिया सॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज के आधार पर ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रु040940व चौदहवा वित्त के अंतर्गत रु0 1445971 कुल रूपया 1486911 का व्यय - आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर जैसे मीजरमेंट बुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, कार्ययोजना, वर्क आई0डी0, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्ति व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, चल सम्पत्ति पंजिका व अचल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 कव8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा -409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि कुलरूप 1486911 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमवदा राय एवं सचिव श्री शमशुद्दीन हैदरको उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-सरायगंगापल्ली

क्षेत्र पंचायत बडरांव 19-20

प्रस्तर-50

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन वित्त लेखा अनुभाग के षासनादेश संख्या ए-1-864/दस/05-15(1)/1/86 लखनऊ दिनांक 23-09-2008 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रु0 20000 से अधिक की सामग्री क्रय करने के लिए कोटेशन व एक लाख से अधिक की सामग्री क्रय करने हेतु निविदायें आमंत्रित की जानी चाहिए, किन्तु आलोच्य वर्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 254250 की स्ट्रीट लाईट का क्रय बिना निविदा आमंत्रित किए ही की गयी है। इसके साथ ही स्ट्रीट लाईट की स्थापना हेतु ग्राम प्रधान व उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन के मध्य विद्युत कनेक्शन तथा विद्युत बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किए जाने सम्बन्धी पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, इसके साथ ही फाइल में फोटो व स्थापना प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं रहा, साथ ही यह भी स्पष्ट न हो सका कि इसकी स्थापना पुराने स्ट्रीट लाईट के स्थान पर की गयी है या नयी। पुराने की दशा में इसके निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में इसकी जानकारी न हो सकी। स्ट्रीट लाईट क्रय का विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	चेक सं0 व दिनांक	फर्म का नाम	धनराशि
1-	चेक- 04-12-2019	राहुल ट्रेडर्स	197750
2-	चेक- 04-12-2019	राहुल ट्रेडर्स	56500
	योग	254250	

इस प्रकार बिना निविदा आमंत्रित के स्ट्रीट लाईट क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धांत के विपरीत है, साथ ही इससे ग्राम पंचायत को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार क्रय नियमों का पालन न कर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम आशीष यादव व ग्राम प्रधान श्रीमती सकीला द्वारा संयुक्त रूप से अनियमितता की गयी है, प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-सुल्तानपुर

क्षेत्र पंचायत बडरांव 19-20

प्रस्तर-51

वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत के अंतर्गत चतुर्थ राज्य वित्त मद से हैण्डपम्प मरम्मत मद में चेक प्रणाली से दिनांक 14-01-20 को रु0 55450 तथा चैदहवें वित्त आयोग मद से हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु चेक प्रणाली से दिनांक 18-02-20 को रु0 78400 का व्यय किया गया है इस प्रकार हैंड पंप रिबोर व मरम्मत में कुल रूपया रु 133850 व्यय किया गया है किंतु व्यय से संबंधित एक भी पत्रावली व प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैंड पंप के लाभार्थियों द्वारा हैंड पंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि कितने एवं किन किन जगहों के हैंड पंप खराब थे एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन किन स्थानों पर हैंड पंप रिबोर व मरम्मत कार्य कराए गए इसकी जानकारी नहीं हो सकी। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती है। हैंड पंप रिबोर

के संदर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। हैंडपंप मरम्मत के संदर्भ में पुराने सामानों के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही, डेडस्टॉक रजिस्टर के अभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 133850 के लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नीरज कुमार मौर्याव ग्राम प्रधान श्री शम्सतबरेज को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-उम्मनपुर

क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद 2019-20

प्रस्तर-52

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रु0 141200 व चौदहवा वित्त के अंतर्गत रु0 798515 कुल रूपया 939715 का आहरण / व्यय ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में केशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे - मीजरमेंटबुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 939715 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान मनोज और श्री प्रतीक राय ग्राम पंचायत अधिकारी से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या - पैरा नं0 3, 4 )

ग्राम पंचायत-तुलसी कुडवा

क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद 2019-20

प्रस्तर-53

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रु0 165732 व चौदहवा वित्त के अंतर्गत रु0 690381-56 कुल रूपया 856113-56 का आहरण / व्यय ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में केशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे - मीजरमेंटबुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 856113-56 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान केसरी और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय सहाय से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या - पैरा नं0 3, 4 )

ग्राम पंचायत-माहपुर

क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद 2019-20

प्रस्तर-54

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रु0 122897 व चौदहवा वित्त के अंतर्गत रु0 1479498 कुल रूपया 1602395 का आहरण / व्यय ग्राम प्रधान व ग्राम

सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे - मीजरमेंटबुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि रूप 1602395 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान साजिदा और ग्राम पंचायत अधिकारी अरविन्द सिंह से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या - पैरा नं० 3, 4 )

ग्राम पंचायत-खलिसा

क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद 2019-20

प्रस्तर-55

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त का बैंक स्टेटमेंट भी प्रस्तुत किया गया, अतः प्रिया साफ्ट के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की प्रिया साफ्ट के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रु067348 व चौदहवा वित्त के अंतर्गत रु01323452-10 कुल रूपया 1390800 का आहरण / व्यय ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे - मीजरमेंटबुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि रूप 1390800 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान सुनील कुमार और ग्राम पंचायत अधिकारी अजय कुमार से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या - पैरा नं० 2, 3 )

ग्राम पंचायत- हिण्डोला

क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद 2019-20

प्रस्तर-56

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रु0 86924 व चौदहवा वित्त के अंतर्गत रु0 898144-10 कुल रूपया 985068-10 का आहरण / व्यय ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे - मीजरमेंटबुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि रूप 985068-10 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती साधना और श्री पवन कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या - पैरा नं० 3, 4 )

ग्राम पंचायत-फरीदपुर धर्मा

क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद 2019-20

प्रस्तर-57

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रु0 4462-78 व चौदहवा वित्त के अंतर्गत रु0 2126038-17 कुल रूपया 2130500-95 का आहरण / व्यय ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे - मीजरमेंटबुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 2130500-95 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दू और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धनन्जय गौरव से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या - पैरा नं0 3, 4 )

ग्राम पंचायत-देवरीया बुजुर्ग

क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद 2019-20

प्रस्तर-58

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त का बैंक स्टेटमेंट भी प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः प्रियासप्ट के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की प्रियासप्ट के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रु0 126431-50 व चौदहवा वित्त के अंतर्गत रु0 943342 कुल रूपया 1069773-50 का आहरण / व्यय ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे - मीजरमेंटबुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 1069773-50 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान राधेश्याम और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या - पैरा नं0 2, 3 )

ग्राम पंचायत-दरौरा

क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद 2019-20

प्रस्तर-59

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त से रु0 119720 का आहरण / व्यय ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे - मीजरमेंटबुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन

की धनराशि रूपए 119720 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान प्रकाश और ग्राम पंचायत अधिकारी अरविन्द सिंह से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या - पैरा नं0 4 )

ग्राम पंचायत-चेरूईडीह

क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद 2019-20

प्रस्तर-60

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रु0 242772 व चौदहवा वित्त के अंतर्गत रु0 776789-56 कुल रूपया 1019561-56 का आहरण / व्यय ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है एए किन्तु लेखा परीक्षा में केशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे - मीजरमेंटबुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 1019561-56 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान संजय और ग्राम पंचायत अधिकारी मनीष यादव से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या - पैरा नं0 3, 4 )

ग्राम पंचायत-विजौली

क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद 2019-20

प्रस्तर-61

वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के अंतर्गत हैंडपंप रिबोर व हैंडपंप मरम्मत में कुल रूपया 338200 व्यय किया गया है, किंतु उक्त व्यय से संबंधित एक भी पत्रावली व प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैंडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि कितने एवं किन-किन जगहों के हैंडपंप खराब थे एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन-किन स्थानों के हैंडपंप रिबोर व हैंडपंप मरम्मत कार्य कराए गये इसकी जानकारी नहीं हो सकी। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती है। हैंडपंप रिबोर के संदर्भ में जल निगम कि प्रतीक्षा सूची और जल निगम कि मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहिए हैंडपंप मरम्मत के संदर्भ में पुराने सामानों के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव पंचायत से की जाएगी - वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 338200 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान घुरा राम एवं पंचायत सचिव अमल कुमार को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या - पैरा नं0 5)

ग्राम पंचायत-भुजही

क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद 2019-20

प्रस्तर-62

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त का बैंक स्टेटमेंट भी प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः प्रियासप्ट के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की प्रियासप्ट के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रु0 721500 व चौदहवा वित्त के अंतर्गत रु0 1057646-39 कुल रूपया 1779146-39 का आहरण / व्यय ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है एए किन्तु लेखा परीक्षा में केशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे - मीजरमेंटबुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध

में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 1779146-39 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान प्रदीप और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रतीक राय से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या - पैरा नं0 2ए3 )

ग्राम पंचायत-अनुपार

क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद 2019-20

प्रस्तर-63

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रु0 242000 व चौदहवा वित्त के अंतर्गत रु0 722411 कुल रूपया 964411 का आहरण / व्यय ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे - मीजरमेंटबुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 964411 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान शशिकला और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश राम से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या - पैरा नं0 3, 4 )

ग्राम पंचायत-अल्लादीनपट्टी

क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद 2019-20

प्रस्तर-64

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त से कुल रूपया 109275 का पटिया क्रय मद में व्यय किया गया है किन्तु इस व्यय से सम्बंधित एक भी पत्रावली/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 109275 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान शिवप्रसाद यादव और ग्राम पंचायत अधिकारी संतोष कुमार से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या - पैरा नं0 4 )

प्रस्तर-65

वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत में कुल रूपया 60160 व्यय किया गया है, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित एक भी पत्रावली व प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैंडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि कितने एवं किन-किन जगहों के हैंडपंप खराब थे एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन-किन स्थानों के हैंडपंप मरम्मत कार्य कराए गये इसकी जानकारी नहीं हो सकी। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती है। हैंडपंप मरम्मत के संदर्भ में पुराने सामानों के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है

तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 60160 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान शिवप्रसाद यादव एवं पंचायत सचिव श्री संतोष कुमार को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या - पैरा नं0 5 )

ग्राम पंचायत-सैदपुर

क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद 2019-20

प्रस्तर-66

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त का बैंक स्टेटमेंट भी प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः प्रियासप्ट के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की प्रियासप्ट के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रु0 126000 व चौदहवा वित्त के अंतर्गत रु0 1064857 कुल रूपया 1190857-56 का आहरण / व्यय ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे मेजरमेंट बुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 11908557-56 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान रणधीर और ग्राम पंचायत अधिकारी मनीष यादव से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या - पैरा नं0 3,4 )

ग्राम पंचायत-सुतरही

क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद 2019-20

प्रस्तर-67

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त का बैंक स्टेटमेंट भी प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः प्रियासप्ट के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की प्रियासप्ट के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रु0 122897 व चौदहवा वित्त के अंतर्गत रु0 1479498 कुल रूपया 1602395 का आहरण / व्यय ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे मेजरमेंट बुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 1602395 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान रीता सिंह और ग्राम पंचायत अधिकारी प्रतीक राय से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या - पैरा नं0 3,4 )

ग्राम पंचायत- सरया

क्षेत्र पंचायत-मुहम्मदाबाद 2019-20

प्रस्तर-68

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त का बैंक स्टेटमेंट भी प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः प्रियासप्ट के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की प्रियासप्ट के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रु0 440575-40 व चौदहवा वित्त के अंतर्गत रु0 1326938 कुल रूपया 1767513-40 का आहरण / व्यय ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे - मीजरमेंट बुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ

कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 1767513-40 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान नसीर और ग्राम पंचायत अधिकारी अमल कुमार से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या - पैरा नं० 3,4 )

ग्राम पंचायत-बहरवार

क्षेत्र पंचायत-रतनपुरा 2019-20

प्रस्तर-69

वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत में कुल रुपया 21500 व्यय किया गया है, जो चन्द्रा इण्टर प्राइजेज को भुगतान किया गया है। किंतु उक्त व्यय से संबंधित एक भी पत्रावली व प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैंडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि कितने एवं किन-किन जगहों के हैंडपंप खराब थे एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन-किन स्थानों के हैंडपंप मरम्मत कार्य कराए गये इसकी जानकारी नहीं हो सकी। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती है। हैंडपंप मरम्मत के संदर्भ में पुराने सामानों के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव पंचायत से की जाएगी - वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 21500 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं पंचायत सचिव श्री सुनील रावत को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नवत है

क्रम संख्या	दिनांक	क संख्या	विवरण	धनराशि
1-	10-07-19	038972	हैंडपंप मरम्मत	रु 21500

ग्राम पंचायत-भुडसुरी

क्षेत्र पंचायत- रतनपुरा 2019-20

प्रस्तर-70

आपत्ति क्रमांक 1- वर्ष 2019-20 तक की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है -

- 1-ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में (काँपी संलग्न ) पत्राचार किया गया कार्यक्रम लगाया गया लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

- 2- सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (काँपी संलग्न ) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया उल्लेखनीय है कि-

(क)-शासनादेश संख्या- ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

(ख)- शासनादेश संख्या -1838-33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ग)-उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6)का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ पंचायत के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है।

(घ)-कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव

ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

- 2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और मौखिक रूप से अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए। उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269ध्षंप्रेक्षा -आ0रि0-08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है।

- 3- जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना पत्र के माध्यम से दी गयी। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06-2017-2325-33-1-2017-1988-17 01 दिसम्बर 2017 ग्राम पंचायत सचिव - अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद चार्ज - अभिलेख हस्तांतरण के सम्बंध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में एक सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और दस दिन के भीतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है। लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से दिनांक 26-03-21 को पत्र निर्गतकर दिया गया और कड़े कदम नहीं उठाये गए। पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

- 4- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या- 1ध्षा0- 140-2016-1-272-2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है।

- 5- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल - रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0र/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारीके द्वारा वर्तमान सचिवग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थाज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है।

- ग्राम पंचायत के द्वारा बैंक स्टेटमेंट और ई- ग्राम स्वराज पर उक्त अंकित- व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, बिल / वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय, रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र -प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय की धारा 8(क)में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा"

- (क)- उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा (रू० 174600) चौदहवें राज्य वित्त आयोग (1711195) में व्यय दर्शित धनराशि रु01885795 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान अजय सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उपेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

- (ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व वर्तमान सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री रवीन्द्र यादव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्योंकि प्रथम दृष्ट्या वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया।

क्योंकि यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी कि तत्कालीन ग्रामपंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नहीं है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया।

- साथही वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने वर्तमान सचिव को ग्राम पंचायत का चार्ज दिलाते समय अभिलेखों के आदान प्रदान पर निगरानी नहीं किया जिससे इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ने अपने दायित्वों के निर्वहन में जानबूझ कर /पूरी तरह शिथिलता बरती और इसके पीछे किसी प्रकार के निहित लाभ होने की संभावना भी हो सकती है। यदि वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही तत्काल कर दिया होता तो सम्भव था कि अब तक अभिलेख प्रस्तुत हो जाता।

- (ग)- वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री उपेन्द्र सिंहने आडिट के लिए न अभिलेख उपलब्ध कराया, न ही लिखकर दिया कि चार्ज में उन्हें अभिलेख नहीं गया और न ही संबंधित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव व प्रधानके विरुद्ध कोई विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सक्षम

अधिकारियों को ही अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि जब कोई ग्राम पंचायत सचिव ट्रांसफर होकर अन्यत्र जाता है तो वह वर्तमान सचिव को अभिलेखों की चार्ज लिस्ट सौंपता है। यदि उस समय चार्ज में सम्पूर्ण अभिलेखों का आदान प्रदान हुआ होता तो लेखापरीक्षा में अभिलेख जरूर प्रस्तुत किये जाते स्पष्ट हो जाते। वर्तमान सचिव श्री उपेन्द्र सिंह से चार्ज लिस्ट बार-बार मांगी गयी जिससे यह जांच किया जा सके कि वास्तव में उन्हें अभिलेख गया है या नहीं। लेकिन वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा चार्ज लिस्ट नहीं दी गयी। इससे सिद्ध होता है कि या तो ग्राम पंचायत के पास अभिलेख है ही नहीं। चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा अनियमितता की गयी है और लेखा परीक्षा में वस्तु स्थिति सामने आ न जाय इसलिए वर्तमान सचिव ने जानबूझकर ऑडिट में अभिलेख ही प्रस्तुत नहीं किया। वर्तमान सचिव बार-बार यह कहते रहे कि जब मुझे चार्ज में ही कोई अभिलेख नहीं गया तो ऑडिट का कार्य कैसे कराया जा सकता है। स्पष्ट है कि वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव ने लेखा परीक्षा में सहयोग ही नहीं किया वरन वास्तविक तथ्यों को जानबूझ कर छिपाया भी है। इसलिए वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव उतने ही दोषी है जितने की तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव। इसलिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव के साथ-साथ वर्तमान सचिव श्री उपेन्द्र सिंह के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

(ङ) ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी- आगोउ०प्र०पं०रा० अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-पनिशमेंट फॉर फेलियर टू हेण्ड ओवर रिक्वाइर्ड सेक्शन 1 और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01 दिसम्बर 2017 तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

इस प्रकार उपरोक्त के आलोक में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रु 01746000 व चौदहवा वित्त के अंतर्गत रु 0 1711195 कुल रूपया 1885795 का व्यय - आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे - मीजरमेंट बुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 कव 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 1885795 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान अजय सिंह और ग्राम पंचायत अधिकारी उपेन्द्र सिंह से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बेलोड़ा बा

क्षेत्र पंचायत-रतनपुरा 2019-20

प्रस्तर-71

वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के अंतर्गत हैंडपंप रिबोर व हैंडपंप मरम्मत में कुल रूपया 278570 व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्यय से संबंधित एक भी पत्रावली व प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैंडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि कितने एवं किन-किन जगहों के हैंडपंप खराब थे एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन-किन स्थानों के हैंडपंप रिबोर व हैंडपंप मरम्मत कार्य कराए गये इसकी जानकारी नहीं हो सकी। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती है। हैंडपंप रिबोर के संदर्भ में जल निगम कि प्रतीक्षा सूची और जल निगम कि मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही, हैण्डपंप मरम्मत के संदर्भ में पुराने सामानों के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता

है। इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 278570के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती कोशिली देवी एवं पंचायत सचिव श्रीसौरभ सिंह को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	विवरण	धनराशि
१	15-06-19।	029489	हैडपंपरिबोर	रु 186000
२	01-08-19।	029425	हैडपंप मरम्मत	रु 17500
३	31-08-19।	029490	हैडपंप मरम्मत	रु 17070
४	15-01-20	पीएफएमएस	हैडपंप मरम्मत	रु 50000
५	15-01-20।	पीएफएमएस	हैडपंप मरम्मत	रु 800
योग-				278570

ग्राम पंचायत-छत्तरपुर

क्षेत्र पंचायत-रतनपुरा 19-20

प्रस्तर-72

- 1-ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में(काँपी संलग्न ) पत्राचार किया गयाकार्यक्रम लगाया गया लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 2- सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (काँपी संलग्न ) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया उल्लेखनीय है कि-
  - (क)-शासनादेश संख्या व ऑडिट-2953-2009-101;64/-2007 दिनांक 7अक्टूबर2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखो की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।
  - (ख)- शासनादेश संख्या -1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4घ में स्पष्ट निर्देश है किप्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।
  - (ग)- उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गतआम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6)का तीन माह में एक बारनियतप्राधिकारी एडीओ पंचायत के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतुऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है।
- (घ)- कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सुचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयीऔर मौखिक रूप से अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए।उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269ध्वंसंप्रेक्षा -आ0रि0-08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है।
- 3) जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना पत्र के माध्यम से दी गयी। उल्लेखनीय है किपंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06-2017-2325-33-1-2017-1988-17 01दिसम्बर 2017 ग्राम पंचायत सचिव - अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद चार्ज - अभिलेख हस्तांतरण के सम्बंध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में एक सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और दस दिन के भीतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है। लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से दिनांक 26-03-21 को पत्र निर्गतकर दिया गया और कड़े कदम नहीं उठाये गए। पत्र की छाया प्रति संलग्न है।
- 4- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या- 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थो केवेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है।
- 5-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू)के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे। और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

- उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारीके द्वारावर्तमान सचिवग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमो औरचतुर्थाज्य वित्त आयोग और चौदहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण कियागया है।
- ग्राम पंचायत के द्वारा बैंक स्टेटमेंट और इ ग्राम स्वराज पर उक्त अंकित- व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक,बिल /वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र,प्रधान मानदेय, रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियोंजैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र -प्राप्तियां व भुगतान लेखा,समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका,मांग वसूली व अवशेष पंजिका,अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों केसत्यता की जांच न की जा सकी।पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय की धारा 8(क)में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं करायाजाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलायाजा सकेगा"
- (क)उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा चौथे राज्य वित्त आयोग रू०138900 और चौदहवें राज्य वित्त आयोग रू०1116488 मेंव्यय दर्शित धनराशि रू01255388गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान व तत्कालीनग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है।
- (ख)उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत व वर्तमान सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री रवीन्द्र यादव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्योंकि प्रथम दृष्ट्या वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया।
- क्योंकि यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।
- वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी कि तत्कालीन ग्रामपंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नहीं है के क्रम में कोई भी विधिक वप्रशासनिक कार्यवाही कार्यवाही नतीकिया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया।
- साथही वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत नेवर्तमान सचिव को ग्राम पंचायत का चार्ज दिलाते समय अभिलेखों के आदान प्रदान पर निगरानी नहीं किया जिससे इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ने अपने दायित्वों के निर्वहन में जानबूझ कर /पूरी तरह शिथिलता बरती और इसके पीछे किसी प्रकार के निहित लाभ होने की संभावना भी हो सकती है। यदि वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही तत्काल कर दिया होता तो सम्भव था कि अब तक अभिलेख प्रस्तुत हो जाता।
- (ग)वर्तमान ग्राम पंचायत सचिवश्री विवेकानन्द यादवने आडिट के लिए न अभिलेख उपलब्ध कराया, न ही लिखकर दिया कि चार्ज में उन्हें अभिलेख नहीं गया और न ही संबंधित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव व प्रधानके विरुद्ध कोई विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारियों को ही अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि जब कोई ग्राम पंचायतसचिव ट्रांसफर होकर अन्यत्र जाता है तो वह वर्तमान सचिव को अभिलेखों की चार्ज लिस्ट सौंपता है।यदि उस समय चार्ज में सम्पूर्ण अभिलेखों का आदान प्रदान हुआ होता तो लेखापरीक्षा मेंअभिलेख जरूर प्रस्तुत किये जाते स्पष्ट हो जाते। वर्तमान सचिव श्री विवेकानन्द यादव से चार्ज लिस्ट बार-बार मांगी गयीजिससे यह जांच किया जा सके कि वास्तव में उन्हें अभिलेख गया है या नहीं। लेकिन वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा चार्ज लिस्ट नहीं दी गयी। इससे सिद्ध होता है कि या तो ग्राम पंचायत के पास अभिलेख है ही नहीं। चूंकि ग्राम पंचायतद्वारा अनियमितता की गयी है औरलेखा परीक्षा में वस्तु स्थिति सामने आ न जाय इसलिए वर्तमान सचिव ने जानबूझकर ऑडिट में अभिलेख ही प्रस्तुत नहीं किया। वर्तमान सचिव बार-बार यह कहते रहे कि जब मुझे चार्ज में ही कोई अभिलेख नहीं गया तो ऑडिट का कार्य कैसे कराया जा सकता है। स्पष्टहै कि वर्तमानग्राम पंचायत सचिव ने लेखा परीक्षा में सहयोग ही नहीं किया वरन वास्तविक तथ्यों को जानबूझ कर छिपाया भी है। इसलिएवर्तमान ग्राम पंचायत सचिव उतने ही दोषी है जितने की तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव। इसलिएतत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव के साथ-साथ वर्तमान सचिवश्री विवेकानन्द यादव के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।
- (घ)- गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही केसाथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 केअनुसारसंप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।
- (च) ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मनाकरने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी- आगेउ०प्र०प०रा०अधिनियम1947 के धारा14-क के बिंदु पनिशमेंट फॉर फेलियर टू हैण्ड ओवर रिक्तर्ड सेक्शन1 और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01दिसम्बर 2017 तहतयथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

इस प्रकार उपरोक्त के आलोक में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रु01389000 व चौदहवा वित्त के अंतर्गत रु0 1116488 कुल रूपया 1255388 का व्यय - आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे - मीजरमेंट बुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 कव 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 1255388 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मीना और ग्राम पंचायत अधिकारी विवेकानंद यादव से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-छिछौर करौदी

क्षेत्र पंचायत-रतनपुरा 19-20

प्रस्तर-73

वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के अंतर्गत हैंडपंप रिबोर व हैंडपंप मरम्मत में कुल रूपया 185359 व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्यय से संबंधित एक भी पत्रावली व प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैंडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि कितने एवं किन-किन जगहों के हैंडपंप खराब थे एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन-किन स्थानों के हैंडपंप रिबोर व हैंडपंप मरम्मत कार्य कराए गये इसकी जानकारी नहीं हो सकी। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती है। हैंडपंप रिबोर के संदर्भ में जल निगम कि प्रतीक्षा सूची और जल निगम कि मार्गदर्शिकालेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही, हैण्डपंप मरम्मत के संदर्भ में पुराने सामानों के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 कके अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए रूपया 185359 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान हमीमून एवं पंचायत सचिव श्रीउपेन्द्र सिंह को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	विवरण	धनराशि
१	14-05-1904	7941-4जी आर वी, हैंडपंप रिबोर		रु 60000
२	19-07-1904	7952-4जी आर वी, हैंडपंप मरम्मत		रु 32959
३	26-07-1904	7955-4जी आर वी, हैंडपंप रिबोर		रु 92400

योग-185359

प्रस्तर-74

ग्राम पंचायत-इसहाकपुर

क्षेत्र पंचायत-रतनपुरा-19-20

1-ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में (कॉपी संलग्न ) पत्राचार किया गया कार्यक्रम लगाया गया लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2- सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न ) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया उल्लेखनीय है कि-

- (क)- शासनादेश संख्या व ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

- (ख)-शासनादेश संख्या -1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।
- (ग)-उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6)का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ पंचायत के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है।
- (घ)- कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और मौखिक रूप से अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए। उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269धसंप्रेक्षा -आ0रि0-08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। 3 जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना पत्र के माध्यम से दी गयी। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01 दिसम्बर 2017 ग्राम पंचायत सचिव / अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद चार्ज - अभिलेख हस्तांतरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में एक सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और दस दिन के भीतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है। लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से दिनांक 26-03-21 को पत्र निर्गत कर दिया गया और कड़े कदम नहीं उठाये गए। पत्र की छाया प्रति संलग्न है।
- 4- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या- 1धशा0- 140- 2016-1-272-2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं।
- 5- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू)के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष /कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।
- उपर्युक्त आदेश /निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिवग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थाज्य वित्त आयोग और चौदहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है।
- ग्राम पंचायत के द्वारा बैंक स्टेटमेंट और ई-ग्रामस्वराज पर उक्त अंकित- व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, केशबुक, बिल /वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय, रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाप्ट के 8 पत्र- प्राप्ति या व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क)में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा"
- क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा 4 एस एफ सी (रू 0 75740)14 एफ सी (रू 0 1291326) में व्यय दर्शित धनराशि रु01367066 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है।
- ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व वर्तमान सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री रवीन्द्र यादव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्योंकि प्रथम दृष्ट्या वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। क्योंकि यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी कि तत्कालीन ग्रामपंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नहीं है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया।

- साथही वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने वर्तमान सचिव को ग्राम पंचायत का चार्ज दिलाते समय अभिलेखों के आदान प्रदान पर निगरानी नहीं किया जिससे इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ने अपने दायित्वों के निर्वहन में जानबूझ कर /पूरी तरह शिथिलता बरती और इसके पीछे किसी प्रकार के निहित लाभ होने की संभावना भी हो सकती है। यदि वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही तत्काल कर दिया होता तो सम्भव था कि अब तक अभिलेख प्रस्तुत हो जाता।

(ग)- वर्तमान ग्राम पंचायत सचिवश्रीसुनील रावतने आडिट के लिए न अभिलेख उपलब्ध कराया, न ही लिखकर दिया कि चार्ज में उन्हें अभिलेख नहीं गया और न ही संबंधित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव व प्रधानके विरुद्ध कोई विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारियों को ही अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि जब कोई ग्राम पंचायतसचिव ट्रान्सफर होकर अन्यत्र जाता है तो वह वर्तमान सचिव को अभिलेखों की चार्ज लिस्ट सौंपता है।यदि उस समय चार्ज में सम्पूर्ण अभिलेखों का आदान प्रदान हुआ होता तो लेखापरीक्षा मेंअभिलेख जरूर प्रस्तुत किये जाते स्पष्ट हो जाते। वर्तमान सचिव श्रीसुनील रावत से चार्ज लिस्ट बार-बार मांगी गयीजिससे यह जांच किया जा सके कि वास्तव में उन्हें अभिलेख गया है या नहीं। लेकिन वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा चार्ज लिस्ट नहीं दी गयी। इससे सिद्ध होता है कि या तो ग्राम पंचायत के पास अभिलेख है ही नहीं। चूंकि ग्राम पंचायतद्वारा अनियमितता की गयी है औरलेखा परीक्षा में वस्तु स्थिति सामने आ न जाय इसलिए वर्तमान सचिव ने जानबूझकर ऑडिट में अभिलेख ही प्रस्तुत नहीं किया। वर्तमान सचिव बार-बार यह कहते रहे कि जब मुझे चार्ज में ही कोई अभिलेख नहीं गया तो ऑडिट का कार्य कैसे कराया जा सकता है। स्पष्ट है कि वर्तमानग्राम पंचायत सचिव ने लेखा परीक्षा में सहयोग ही नहीं किया वरन वास्तविक तथ्यों को जानबूझ कर छिपाया भी है। इसलिएवर्तमान ग्राम पंचायत सचिव उतने ही दोषी है जितने की तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव। इसलिएतत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव के साथ-साथ वर्तमान सचिवश्रीसुनील रावत के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही केसाथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 केअनुसारसंप्रैक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

(च) ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रैक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मनाकरने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। आगेउ०प्र०पं०रा०अधिनियम1947 के धारा14-क के बिंदु रेकोर्ड ओवर पानिशमेंट फॉर फेलियर टू हैण्ड ओवर पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01दिसम्बर 2017 तहतयथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

इस प्रकार उपरोक्त के आलोक मेंआलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया,जिसके आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट आंकड़ों के अनुसारवर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रु075740व चौदहवा वित्त के अंतर्गत रु0 1291326कुल रूपया 1367066 का व्यय/ आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में कैशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे मेजरमेंट बुक और स्टीमेट बुक,समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक,मस्टर रोल,वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट ,यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट , वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां ,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर ,कार्यवाही रजिस्टर,निरीक्षण पंजिका,जीएसटी भुगतान रजिस्टर,रोजगार रजिस्टर,मांग और वसूली रजिस्टर,मानदेय रजिस्टर्स ,कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख ,वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 कव8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 1367066 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती कांति और ग्राम पंचायत अधिकारी सेसुनील रावत सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-जमालपुरबुलन्द

क्षेत्र पंचायत-रतनपुरा 19-20

प्रस्तर-75

वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के अंतर्गत हैंडपंप रिबोर व हैंडपंप मरम्मत में कुल रूपया 137100 व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्यय से संबंधित एक भी पत्रावलीव प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैंडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि कितने एवं किन-किन जगहों के हैंडपंप खराब थे एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन-किन स्थानों के हैंडपंप रिबोर व हैंडपंप मरम्मत कार्य कराए गये इसकी जानकारी नहीं हो सकी। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने

की संभावना संदिग्ध हो सकती है। हैंडपंप रिबोर के संदर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिकालेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही, हैंडपंप मरम्मत के संदर्भ में पुराने सामानों के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 कके अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावलीव प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 137100के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री रणजीत एवं पंचायत सचिव श्रीबीरेन्द्र प्रसाद को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	विवरण	धनराशि
१	05-08-19025804-4	आर वी,	हैंडपंप मरम्मत	रु 45600
२	05-08-19025805-4	आर वी,	हैंडपंप रिबोर	रु 91500

योग-137100

ग्राम पंचायत-जमदरा

क्षेत्र पंचायत-रतनपुरा 19-20

प्रस्तर-76

आपत्ति क्रमांक 1- वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत में कुल रुपया 46000 व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्यय से संबंधित एक भी पत्रावलीव प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैंडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि कितने एवं किन-किन जगहों के हैंडपंप खराब थे एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन-किन स्थानों के हैंडपंप मरम्मत कार्य कराए गये इसकी जानकारी नहीं हो सकी। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती है। हैंडपंप मरम्मत के संदर्भ में पुराने सामानों के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 कके अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावलीव प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 46000के लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमुनेश्वर यादव व ग्राम प्रधान श्री रामपरीखा को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	विवरण	धनराशि
1	23-01-201	सीपीएसएमएस 17472-4	आर वी, हैंडपंप मरम्मत	रु 24500
2	05-08-191	सीपीएसएमएस 32001489-4	आर वी, हैंडपंप मरम्मत	रु 21500

योग-46000

प्रस्तर-77

ग्राम पंचायत-कन्सो

क्षेत्र पंचायत रतनपुरा 19-20

- 1-ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में(काँपी संलग्न ) पत्राचार किया गयाकार्यक्रम लगाया गया लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 2- सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (काँपी संलग्न ) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया उल्लेखनीय है कि-
  - (क)- शासनादेश संख्या - ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखो की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।
  - (ख)शासनादेश संख्या -1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोत्रों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4घ में स्पष्ट निर्देश है किप्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।
  - (ग)-उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गतआम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बारनियतप्राधिकारी ए डी ओ पंचायत के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतुऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता

तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है।

(घ)- कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

- 2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और मौखिक रूप से अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए। उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/सप्रेक्षा /आ0रि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है।

- 3- जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना पत्र के माध्यम से दी गयी। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01 दिसम्बर 2017 ग्राम पंचायत सचिव - अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद चार्ज - अभिलेख हस्तांतरण के सम्बंध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में एक सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और दस दिन के भीतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है। लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से दिनांक 26-03-21 को पत्र निर्गत कर दिया गया और कड़े कदम नहीं उठाये गए। पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

- 4- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या- 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थो के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है।

- 5- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल /रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे। और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिवग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थराज्य वित्त आयोग और चौदहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है।

ग्राम पंचायत के द्वारा बैंक स्टेटमेंट और ई-ग्राम स्वराज पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, बिल /वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय, रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे-नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र -प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।"

- (क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा 4 एस एफ सी (रू 67385) और 14 एफ सी (रू 1363787) में व्यय दर्शित धनराशि रु01431172 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व वर्तमान सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री रवीन्द्र यादव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्योंकि प्रथम दृष्ट्या वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया।

क्योंकि यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी कि तत्कालीन ग्रामपंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नहीं है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही कार्यवाही नतीकिया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया।

साथही वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने वर्तमान सचिव को ग्राम पंचायत का चार्ज दिलाते समय अभिलेखों के आदान प्रदान पर निगरानी नहीं किया जिससे इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ने अपने दायित्वों के निर्वहन में जानबूझ कर /पूरी तरह शिथिलता बरती और इसके पीछे किसी प्रकार के निहित लाभ होने की संभावना भी हो सकती है।

यदि वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही तत्काल कर दिया होता तो सम्भव था कि अब तक अभिलेख प्रस्तुत हो जाता।

(ग) वर्तमान ग्राम पंचायत सचिवश्री प्रेमशंकर यादवने आडिट के लिए न अभिलेख उपलब्ध कराया, न ही लिखकर दिया कि चार्ज में उन्हें अभिलेख नहीं गया और न ही संबंधित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव व प्रधानके विरुद्ध कोई विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारियों को ही अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि जब कोई ग्राम पंचायतसचिव ट्रान्सफर होकर अन्यत्र जाता है तो वह वर्तमान सचिव को अभिलेखों की चार्ज लिस्ट सौंपता है। यदि उस समय चार्ज में सम्पूर्ण अभिलेखों का आदान प्रदान हुआ होता तो लेखापरीक्षा में अभिलेख जरूर प्रस्तुत किये जाते स्पष्ट हो जाते। वर्तमान सचिव श्री प्रेमशंकर यादव से चार्ज लिस्ट बार-बार मांगी गयीजिससे यह जांच किया जा सके कि वास्तव में उन्हें अभिलेख गया है या नहीं। लेकिन वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा चार्ज लिस्ट नहीं दी गयी। इससे सिद्ध होता है कि या तो ग्राम पंचायत के पास अभिलेख है ही नहीं। चूंकि ग्राम पंचायतद्वारा अनियमितता की गयी है औरलेखा परीक्षा में वस्तु स्थिति सामने आ न जाय इसलिए वर्तमान सचिव ने जानबूझकर ऑडिट में अभिलेख ही प्रस्तुत नहीं किया। वर्तमान सचिव बार-बार यह कहते रहे कि जब मुझे चार्ज में ही कोई अभिलेख नहीं गया तो ऑडिट का कार्य कैसे कराया जा सकता है। स्पष्ट है कि वर्तमानग्राम पंचायत सचिव ने लेखा परीक्षा में सहयोग ही नहीं किया वरन वास्तविक तथ्यों को जानबूझ कर छिपाया भी है। इसलिएवर्तमान ग्राम पंचायत सचिव उतने ही दोषी है जितने की तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव। इसलिएतत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव के साथ-साथ वर्तमान सचिवश्री प्रेमशंकर यादव के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(घ)- गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही केसाथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसारसंप्रैक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

(च) ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रैक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मनाकरने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी- आगेउ०प्र०पं०रा०अधिनियम1947 के धारा14-क के बिंदु रेकोर्ड सेक्शन ओवर पनिशमेंट फॉर फेलियर टू हैण्ड ओवर पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01दिसम्बर 2017 तहतयथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

इस प्रकार उपरोक्त के आलोक में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट आंकड़ों के अनुसारवर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रु067385व चौदहवा वित्त के अंतर्गत रु0 1363787कुल रूपया 1431172 का व्यय - आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में केशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर जैसे मेजरमेंटबुक और स्टीमेट बुक, समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टरनिरीक्षण पंजिका, जीएसटी भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर, कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए 1431172 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान पूनम देवी और ग्राम पंचायत अधिकारी प्रेम शंकर यादव से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-लसरा

क्षेत्र पंचायत-रतनपुरा 19-20

प्रस्तर-78

वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत में कुल रूपया 98700 व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्यय से संबंधित एक भी पत्रावलीव प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैंडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि कितने एवं किन-किन जगहों के हैंडपंप खराब थे एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन-किन स्थानों के हैंडपंप मरम्मत कार्य कराए गये इसकी जानकारी नहीं हो सकी। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती है। हैंडपंप मरम्मत के संदर्भ में पुराने सामानों के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 कके अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावलीव प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए 98700 के लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीसौरभ सिंहव ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नवत है

क्रम संख्या दिनांक चेक संख्या विवरण धनराशि  
 १ 06-03-20 सीपीएसएमएस -56542026845 हैडपंप मरम्मत रु 98700

ग्राम पंचायत मिश्रोली क्षेत्र पंचायत-रतनपुरा 19-20

प्रस्तर-79

वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के अंतर्गत हैडपंप मरम्मत में कुल रुपया 39952 व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्यय से संबंधित एक भी पत्रावलीव प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि कितने एवं किन-किन जगहों के हैडपंप खराब थे एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन-किन स्थानों के हैडपंप मरम्मत कार्य कराए गये इसकी जानकारी नहीं हो सकी। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती है। इसके साथ ही हैडपंप मरम्मत हेतु भुगतान भी फर्म को न कर सीधे ग्राम प्रधान को किया गया है हैडपंप मरम्मत के संदर्भ में पुराने सामानों के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में इसकी भी जानकारी नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 कव 8 ख के अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावलीव प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए 39952 के लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीबीरेन्द्र प्रसादव ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	विवरण	धनराशि
1	31-07-19015801		हैडपंप मरम्मत	रु 39952

ग्राम पंचायत-नसीराबाद खुर्द

क्षेत्र पंचायत-रतनपुरा 19-20

प्रस्तर-80

वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के अंतर्गत हैडपंप रिबोर में कुल रुपया 60000 व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्यय से संबंधित एक भी पत्रावलीव प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैडपंप के मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन-किन स्थानों के हैडपंप रिबोर कार्य कराए गये इसकी जानकारी नहीं हो सकी। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती है। हैडपंप रिबोर के संदर्भ में जल निगम कि प्रतीक्षा सूची और जल निगम कि मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 कके अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावलीव प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए 60000 के लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीप्रेमशंकर यादवव ग्राम प्रधान श्री वीरबहादुर को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	विवरण	धनराशि
1	27-01-20	21781-14वी ए	हैडपंप रिबोर	रु 60000
				योग-60000

ग्राम पंचायत-परमानन्द पट्टी

क्षेत्र पंचायत-रतनपुरा 19-20

प्रस्तर-81

ग्राम पंचायत परमानन्दपट्टी का वर्ष 1999-2000 से 2018-19 तक की लेखा परीक्षा बकाया थी, जिसकी आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा होनी थी, इसका तात्पर्य है कि उक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नहीं कराई जा रही थी, जिससे उक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा अवरूद्ध थी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लेखा परीक्षा न कराकर सम्बन्धित पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा शासन के निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। वर्तमान सम्बन्धित सचिव द्वारा वर्ष 2015-16 से 2019 -20 तक चतुर्थ राज्य वित्त व चैदहवाँ वित्त आयोग का मात्र बैंक स्टेटमेंट ही लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया गया था, जिसके आधार पर मात्र 2015-16 से 2018-19 तक की लेखा परीक्षा आफलाइन व 2019-20 की लेखा परीक्षा आनलाईन सम्पन्न की गयी, पूर्व के अवशेष वर्षों अर्थात् 1999-2000 से 2014-15 तक की लेखा परीक्षा एक भी अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण न की जा सकी, जिसके लिए उक्त वर्षों में कार्यरत समस्त तत्कालीन सचिव व तत्कालीन समस्त ग्राम प्रधानों पर जवाबदेही तय करते हुए गबन का मुकदमा व अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

- 1-ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में(काँपी संलग्न ) पत्राचार किया गयाकार्यक्रम लगाया गया लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2- सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (काँपी संलग्न ) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया उल्लेखनीय है कि-

क)- शासनादेश संख्या - ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

ख)- शासनादेश संख्या -1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4घ में स्पष्ट निर्देश है किप्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

ग)-उ०प्र०प०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बारनियतप्राधिकारी एडीओ(पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतुऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है।

घ) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राकूलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयीऔर मौखिक रूप से अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए।उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संप्रेक्षा /आ0रि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

3) जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना पत्र के माध्यम से दी गयी। उल्लेखनीय है किपंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01दिसम्बर 2017 ग्राम पंचायत सचिव / अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद चार्ज / अभिलेख हस्तांतरण के सम्बंध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में एक सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और दस दिन के भीतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है। लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से दिनांक 26-03-21 को पत्र निर्गतकर दिया गया और कड़े कदम नहीं उठाये गए। पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

4- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या- 1/शा0/ 140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों केवेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं।

5-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे। और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारीके द्वारावर्तमान सचिवग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों औरचतुर्थराज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण कियागया है।

ग्राम पंचायत के द्वारा बैंक स्टेटमेंट और ई- ग्राम स्वराज पर उक्त अंकित/ व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, केशबुक,बिल /वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय, रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियोंजैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा,समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्त व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका,अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों केसत्यता की जांच न की जा सकी।पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं करायाजाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलायाजा सकेगा"

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा 4<sup>th</sup>एफ सी 14<sup>th</sup>एफ सीमेंव्यय दर्शित धनराशि रु0963112 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान व तत्कालीनग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)व वर्तमान सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री रविन्द्र यादव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्ट्या वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत-क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। क्योंकि यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी कि तत्कालीन ग्रामपंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नहीं है के क्रम में कोई भी विधिक वप्रशासनिक कार्यवाही कार्यवाही नतो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया।

साथही वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने वर्तमान सचिव को ग्राम पंचायत का चार्ज दिलाते समय अभिलेखों के आदान प्रदान पर निगरानी नहीं किया जिससे इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ने अपने दायित्वों के निर्वहन में जानबूझ कर / पूरी तरह शिथिलता बरती और इसके पीछे किसी प्रकार के निहित लाभ होने की संभावना भी हो सकती है।यदि वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही तत्काल कर दिया होता तो सम्भव था कि अब तक अभिलेख प्रस्तुत हो जाता।

(ग)- वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री वीरेन्द्र प्रसाद ने आडिट के लिए न अभिलेख उपलब्ध कराया, न ही लिखकर दिया कि चार्ज में उन्हें अभिलेख नहीं गया और न ही संबंधित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव व प्रधानके विरुद्ध कोई विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारियों को ही अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि जब कोई ग्राम पंचायतसचिव ट्रान्सफर होकर अन्यत्र जाता है तो वह वर्तमान सचिव को अभिलेखों की चार्ज लिस्ट सौंपता है।यदि उस समय चार्ज में सम्पूर्ण अभिलेखों का आदान प्रदान हुआ होता तो लेखापरीक्षा में अभिलेख जरूर प्रस्तुत किये जाते स्पष्ट हो जाते। वर्तमान सचिव श्री वीरेन्द्र प्रसाद से चार्ज लिस्ट बार-बार मांगी गयीजिससे यह जांच किया जा सके कि वास्तव में उन्हें अभिलेख गया है या नहीं। लेकिन वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा चार्ज लिस्ट नहीं दी गयी। इससे सिद्ध होता है कि या तो ग्राम पंचायत के पास अभिलेख है ही नहीं। चूंकि ग्राम पंचायतद्वारा अनियमितता की गयी है औरलेखा परीक्षा में वस्तु स्थिति सामने आ न जाय इसलिए वर्तमान सचिव ने जानबूझकर ऑडिट में अभिलेख ही प्रस्तुत नहीं किया। वर्तमान सचिव बार-बार यह कहते रहे कि जब मुझे चार्ज में ही कोई अभिलेख नहीं गया तो ऑडिट का कार्य कैसे कराया जा सकता है।स्पष्ट है कि वर्तमानग्राम पंचायत सचिव ने लेखा परीक्षा में सहयोग ही नहीं किया वरन वास्तविक तथ्यों को जानबूझ कर छिपाया भी है। इसलिए वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव उतने ही दोषी है जितने की तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव। वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्पष्ट रूप से लिख कर दिया गया कि मेरे पास केवल बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध है कृपया स्टेटमेंट के आधार पर ही लेखापरीक्षा संपन्न करने का कष्ट करें इसलिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव के साथ-साथ वर्तमान सचिव श्री वीरेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(घ)- गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही केसाथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

(ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मनाकरने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी- आगे उ० प्र० पं० रा० अधिनियम 1947 के धारा-14क के बिंदु 1- रेकोर्ड सेक्ट ओवर पनिशमेंट फॉर फेलियर टू हैण्ड ओवर पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01 दिसम्बर 2017 तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

इसप्रकार उपरोक्त के आलोक में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया , जिसके आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त के अंतर्गत कुल रूपया -963112 का व्यय आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है /, किन्तु लेखा परीक्षा में केशवुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे -मेजेमेंट बुक और स्टीमेट बुक , समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक , मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट ,यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ,और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां ,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर ,कार्यवाही रजिस्टर,निरीक्षण पंजिका,जीएसटी भुगतान रजिस्टर,रोजगार रजिस्टर,मांग और वसूली रजिस्टर,मानदेय रजिस्टर्स ,क्रोथेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख ,वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 कव 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा- भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है, इस प्रकार गबन की धनराशि **रुपए 963112** के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती लालसा देवी और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रसाद से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-रजडीहा

क्षेत्र पंचायत-रतनपुरा

प्रस्तर-82

वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के अंतर्गत 14जी वित्त आयोग मद से हैंडपंप रिबोर में चेक संख्या 021700 दिनांक 17-07-19 को रुपया 92400 तथा दिनांक 1-11-19 को सीपीएसएमएस 003379 द्वारा रुपया 92400 अर्थात् कुल रुपया 184800 व्यय किया गया है किन्तु उक्त व्यय से संबंधित एक भी पत्रावलीव प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैंडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैंडपंप के मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन-किन स्थानों के हैंडपंप रिबोर कार्य कराए गये इसकी जानकारी नहीं हो सकी। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती हैंडपंप रिबोर के संदर्भ में जल निगम कि प्रतीक्षा सूची और जल निगम कि मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 कके अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावलीव प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए रुपया 184800-00 के लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीअम्बरीश चन्द्रव ग्राम प्रधान श्री रामसदन को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- रतनपुरा

क्षेत्र पंचायत- रतनपुरा 19.20

प्रस्तर-83

1-ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में (काँपी संलग्न ) पत्राचार किया गया कार्यक्रम लगाया गया लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2- सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (काँपी संलग्न ) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया उल्लेखनीय है कि-

अ)- शासनादेश संख्या - ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

ब)- शासनादेश संख्या -1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

स)-उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी, ए डी ओ (पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है।

द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राकूलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और मौखिक रूप से अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए। उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संप्रेक्षा /आ0रि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

3) जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना पत्र के माध्यम से दी गयी। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01 दिसम्बर 2017 ग्राम पंचायत सचिव / अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद चार्ज / अभिलेख हस्तांतरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में एक सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और दस दिन के भीतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है। लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से दिनांक 26-03-21 को पत्र निर्गत कर दिया गया और कड़े कदम नहीं उठाये गए। पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

4- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या- 1/शा0/ 140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थो के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं।

5- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0रं) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे। और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारीके द्वारावर्तमान सचिवग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमो औरचतुर्थराज्य वित्त आयोग और चौदहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण कियागया है।

ग्राम पंचायत के द्वारा बैंक स्टेटमेंट और ई- ग्राम स्वराज पर उक्त अंकित/ व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, केशबुक,बिल /वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय, रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियोंजैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा,समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका,अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों केसत्यता की जांच न की जा सकी।पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं करायाजाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलायाजा सकेगा"

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा 4<sup>th</sup>एस एफ सी (रू 446915) और 14<sup>th</sup>एफ सी (रू3297856) मेंव्यय दर्शित धनराशि रू03744771गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान व तत्कालीनग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)व वर्तमान सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री रवीन्द्र यादव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्ट्या वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत-क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। क्योंकि यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी कि तत्कालीन ग्रामपंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नहीं है के क्रम में कोई भी विधिक वप्रशासनिक कार्यवाही कार्यवाही नतोकिया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया।

साथही वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत नेवर्तमान सचिव को ग्राम पंचायत का चार्ज दिलाते समय अभिलेखों के आदान प्रदान पर निगरानी नहीं किया जिससे इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ने अपने दायित्वों के निर्वहन में जानबूझ कर / पूरी तरह शिथिलता बरती और इसके पीछे किसी प्रकार के निहित लाभ होने की संभावना भी हो सकती है।यदि वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही तत्काल कर दिया होता तो सम्भव था कि अब तक अभिलेख प्रस्तुत हो जाता।

(ग)- वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री वरुण कुमार ने आडिट के लिए न अभिलेख उपलब्ध कराया,न ही लिखकर दिया कि चार्ज में उन्हें अभिलेख नहीं गया और न ही संबंधित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव व प्रधानके विरुद्ध कोई विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारियों को ही अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि जब कोई ग्राम पंचायतसचिव ट्रान्सफर होकर अन्यत्र जाता है तो वह वर्तमान सचिव को अभिलेखों की चार्ज लिस्ट सौंपता है।यदि उस समय चार्ज में सम्पूर्ण अभिलेखों का आदान प्रदान हुआ होता तो लेखापरीक्षा मेंअभिलेख जरूर प्रस्तुत किये जाते स्पष्ट हो जाते। वर्तमान सचिव श्री वरुण कुमार से चार्ज लिस्ट बार-बार मांगी गयीजिससे यह जांच किया जा सके कि वास्तव में उन्हें अभिलेख गया है या नहीं। लेकिन वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा चार्ज लिस्ट नहीं दी गयी। इससे सिद्ध होता है कि या तो ग्राम पंचायत के पास अभिलेख है ही नहीं। चूंकि ग्राम पंचायतद्वारा अनियमितता की गयी है औरलेखा परीक्षा में वस्तु स्थिति सामने आ न जाय इसलिए वर्तमान सचिव ने जानबूझकर आडिट में अभिलेख ही प्रस्तुत नहीं किया। वर्तमान सचिव बार-बार यह कहते रहे कि जब मुझे चार्ज में ही कोई अभिलेख नहीं गया तो आडिट का कार्य कैसे कराया जा सकता है।स्पष्ट है कि वर्तमानग्राम पंचायत सचिव ने लेखा परीक्षा में सहयोग ही नहीं किया वरन वास्तविक तथ्यों को जानबूझ कर छिपाया भी है। इसलिएवर्तमान ग्राम पंचायत सचिव उतने ही दोषी है जितने की तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव इसलिएतत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव के साथ-साथ वर्तमान सचिव श्री वरुण कुमार के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(घ)- गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही केसाथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 केअनुसारसंप्रेशण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय8 के बिंदु 7अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेशण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मनाकरने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी- आगेउ0प्र0पं0रा0अधिनियम1947 के धारा-14के बिंदु 1-पनिशमेंट फॉर फेलियर टू हेण्ड ओवर रि कार्ड्स सेक्शन 1 औरपंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01दिसम्बर 2017तहतयथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

इस प्रकार उपरोक्त के आलोक में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा मात्र चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया , जिसके आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रू 446915 व चौदहवा वित्त के अंतर्गत रू 3297856कुल रूपया 3744771 का व्यय आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम / सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में केशबुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे मेअसेमेंट बुक और स्टीमेट बुक , समस्त व्यय से सम्बंधित

प्रमाणक , मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट ,यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ,और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां ,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर ,कार्यवाही रजिस्टर,निरीक्षण पंजिका,जीएसटी भुगतान रजिस्टर,रोजगार रजिस्टर,मांग और वसूली रजिस्टर,मानदेय रजिस्टर्स ,कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख ,वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 कव8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ-जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है, इस प्रकार गबन की धनराशि रूपए 3744771 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता और ग्राम पंचायत अधिकारी वरुण कुमार से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-सेमरी जमालपुर

क्षेत्र पंचायत-घोसी 19-20

प्रस्तर-84

ग्राम पंचायत सेमरी जमालपुर की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत के सचिव के व ग्राम प्रधान द्वारा चतुर्थ एवं 14 वां आयोग के यूनियन बैंक मझवारा शाखा में बैंक खाता संख्या 411702910007324 से रू 2560396 निम्न विवरण के अनुसार निकासी दर्शाकर बैंक स्टेटमेंट /कैशबुक से आय एवं उसके सापेक्ष व्यय दर्शाया गया है।

क्र0 स0	दिनांक	बैंकखातो से की गयी निकासी /स्टेटमेंट के अनुसार	कैश बुक में दर्शित व्यय का विवरण	धनराशि का विवरण	
1	16/04/19	1680	राज्य वित्त 16-04-19	डोन्नाल का भुगतान	1680
2	15/06/19	40570	15-06-19	हैन्ड पम्प मरम्मत	40570
3	15/06/19	60000	15-06-19	हैन्ड पम्प रिबोर कार्य पर व्यय	60000
4	22/07/19	160000	22/07-19	आठ अदद सोलर लाइट पर व्यय	16000
5	08/11/19	315000	08-11-19	साधना ट्रेडर्स को स्टीट लाइन का भुगतान	315000
6	09/12/19	118665	09-12-19	प्राइमरी पाठशाला की बाउंड्री सामग्री पर व्यय	118665
7	09/12/19	195000	09-12-19	साधना ट्रेडर्स को आर सी सी क्रय का भुगतान	195000
8	09/12/19	76608	09-12-19	प्राइमरी विद्यालय की बाउंड्री निर्माण पर बाला जी ईट भट्टा पर का भुगतान	76608
9	13/12/19	45500	13/12/19	प्राइमरी विद्यालय की बाउंड्री मजदूरीका भुगतान	45500
10	13/12/19	32760	13/12/19	गिरधारी के घर से फेकु के घर तक मिट्टी एवं सीलिंग मरम्मत कार्य पर मजदूरी का भुगतान	32760
11	13/12/19	14995	13/12/19	धूप नारायण सिंह ईट भट्टो को उपरोक्त कार्य का भुगतान	14995
12	13/12/19	30904	13/12/19	कुबेर के घर से रमेश के घर तक मिट्टी एवं सोलिंग मरम्मत कार्य पर मजदूरी का भुगतान	30904
13	13/12/19	57660	13/12/19	धूप नारायण सिंह इट भट्टा को कुबेर के घर से मिट्टी तक भुगतान	57660
14	13/12/19	60406	13/12/19	धूप नारायण ईट भट्टा ईट भट्टा को गिरधारी के घर से फेकु के घर तक मिट्टी एवं सोलिंग मरम्मत कार्य पर इट का भुगतान	60406
15	17/12/19	17400	17-12-19	धूप नारायण ईट भट्टा से कुबेर के घर से रमेश के घर तक मिट्टी एवं सोलिंग मरम्मत कार्य पर मिट्टी कार्य का भुगतान	17400
16	27/12/19	21378	27-12-19	धूप नारायण सिंह ईट भट्टा प्राथमिक विद्यालय पर बाउन्डी निर्माण कार्य पर ईट का भुगतान	21378
17	27/12/19	28000	27-12-19	श्री मती बरखी देवी ग्राम प्रधान का माह अप्रैल से नवम्बर तक 8 माह का भुगतान	28000
18	27/12/19	459600	27-12-19	श्री मती बरखी देवी को प्राथमिक विद्यालय पर बाउंड्री के निर्माण कार्य पर मजदूरी का अवशेष भुगतान	4596
19	30/12/19	20020	30-12-19	श्रीमती बरखी देवी प्रधान को प्राइमरी विद्यालय के सभागार पर मार्डल शौचालय की मजदूरी	20020
20	30/12/19	26334	30-12-19	प्रा0वि0 दो पर ईट का भुगतान	26334
21	20/12/19	38070	20-12-19	प्रा0वि0 दो पर सामग्री का भुगतान	38070

22	31-12-19	38768	31-12-19	प्रा0 वि0 के बाउंड्री वाल पर सामग्री का भुगतान	38768
23	31/12/19	130000	31-12-19	साधना ट्रेडर्स को आर सी सी बैरच क्रय पर व्यय	130000
24	20/02/20	2513	20-02-20	प्राइमरी विद्यालय भाग 2 पर माडल शौचालय निर्माण पर ईट पर व्यय	2513
25	20/02/20	84964	20-02-20	उपरोक्त कार्य पर यूरिनल पाइप टाइल्स पेंट आदि क्रय का भुगतान	84964
26	28/02/20	54765	28/02/20	प्रा0 रा0वि0 सेमरी जमालपुर भाग 2 पर मिटटी पटाई कार्य पर कायाकल्प	54765
27	28/02/20	126265	28-02-20	प्रा0वि0 समरी जमालपुर भाग1 पर मिटटी पटाई कार्य पर कायाकल्प	126265
28	02/03/19	130037	02-03-20	उपरोक्त कार्य पर टाइल्स सीमेंट बालू आदि क्रय का भुगतान	130037
29	04/03/20	14000	04-03-20	प्रधान का मानदेय दिसम्बर 19 से मार्च 20 तक	14000
30	07/03/20	194588	07-03-20	अवनीश कंस्ट्रक्शन फण्ड सप्लायर को ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय	194588
31	24/03/20	145500	24-03-20	मंजू कंस्ट्रक्शन को डस्टवीन एवं अदद एवं चुना मास्क एवं विलिडिंग पाउडर सेनिटाई पर साबुन आदि क्रय का भुगतान	145500
32	24/03/19	198450	24-03-20	अवनीश कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर को नाली पर पट्टी या क्रय पर व्यय	198450
33	24/03/20	75000	24-03-20	मंजू कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर को इंडिया मार्का हैडपम्प 2 मरम्मत कार्य का भुगतान	
	योग	2560396		योग	2560396

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में आफलाइन कैशबुक, व्यय से संबंधित पत्रावली जैसे एम वी बुक स्टेटमेन्ट बुक व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक मस्टररोल वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित पत्रावलियां भौतिक सत्यापन रिपोर्ट रजिस्टर परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर मानदेय रजिस्टर कोटेशन व टेन्डर से सम्बन्धित अभिलेख वर्क रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्र इत्यादि मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। उपयुक्त आनलाइन दर्शित व्यय की पुष्टि के संबंध में तत्कालीन संबंधित ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश से आनलाइन कार्यक्रम के बाद मौखिक अनुरोध व व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर बार-बार अभिलेख की मांग की गई परन्तु मांगने के उपरान्त भी कोई भी अभिलेख मूल रूप में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद उच्च अधिकारी के माध्यम से अभिलेख प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी को दिनांक 15-02-21 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। जिला पंचायत राज अधिकारी से भी दिनांक 15-02-21 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। समस्त पत्राचार की प्रति संलग्न है। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं है या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 258 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मनुअल अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8ख के अंतर्गत यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि ₹ 2560396 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी संयुक्त रूप से अधिभार के कार्यवाही हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बरखी और ग्राम पंचायत अधिकारी राजेश कुमार से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-मुरारपुर

क्षेत्र पंचायत-घोसी 19-20

प्रस्तर-85

ग्राम पंचायत मुरारपुर की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत के सचिव के व ग्राम प्रधान द्वारा चतुर्थ एवं 14 वां आयोग के इण्डियन बैंक बनपोखरा शाखा में बैंक खाता संख्या 50071164157 से रु 816786 निम्न विवरण के अनुसार निकासी दर्शाकर बैंक स्टेटमेन्ट/कैशबुक से आय एवं उसके सापेक्ष व्यय दर्शाया गया है।

क्र० स०	दिनांक	बैंकखातो से की गयी निकासी /स्टेटमेन्ट के अनुसार	कैश बुक में दर्शित व्यय का विवरण	धनराशि का विवरण	
1	15/06/19	5539	राज्य वित्त 26-03-19	प्रधान का मानदेय	10500
2	11/12/19	75000	11-12-19	प्रधान का मानदेय	31500

3	02/01/20	10000	15-06-19	द्विवेदी कन्ट्रक्शन को व्यय	5539
4	02/01/20	90000	10-10-19	हैण्ड पम्प मरम्मत	75000
5	02/01/20	31500	31-12-19	हैण्ड पम्प मरम्मत	10000
6	07/01/20	102400	31-03-19	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य	90000
7	07/01/20	27776	05-01-20	प्रा0 वि मुरारपुर में इन्टर लाकिंग कार्य	102400
8	24/01/20	53900	07-01-20	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी व्यय	27776
9	24/02/20	65100	22-1-20	प्राइमरी पाठशाला मुरारपुर कायाकल्प कार्य पर ईट व्यय	53900
10	24/1/20	38400	22/1/20	उपरोक्त कार्य पर टाइलस पर व्यय	65100
11	18/02/20	39424	22/1/20	उपरोक्त कार्य पर सामग्री पर व्यय	38400
12	21/02/20	18300	13/2/20	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी पर व्यय	39424
13	21/2/20	39000	12/03/20	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी व्यय	4900
14	21/2/20	56300	20/2/20	प्रा0पा0 कायाकल्प पर सीमेन्ट ईट पर व्यय	18300
15	21/2/20	14498	20/2/20	उपरोक्त कार्य पर सामग्री व्यय	39000
16	04/3/20	87600	20/2/20	उपरोक्त कार्य पर पेन्ट व्यय	14498
17	05/3/19	4830	20/2/20	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी व्यय	56300
18	12/3/20	4900	13-03-20	दैनिक जागरण टेण्डर का व्यय	5595
19	13/3/20	5595	20-3-20	प्रा0पा0 बाउण्ड्री निर्माण पर मजदूरी व्यय	35840
20	21/3/20	35840	4-3-20	डस्टवीन क्रय	87600
21	26/3/20	10500	5-3-20	प्रशासनिक व्यय	4830
	बैंक कटौती	384	15-6-19	ह्यूम पाइप क्रय	200000
	योग	816786	15-6-19	ह्यूम पाइप क्रय	252947
				योग	1269349

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में आफलाइन केशबुक, व्यय से संबंधित पत्रावली जैसे एम बी बुक स्टेटमेन्ट बुक व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक मस्टररोल वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित पत्रावलियां भौतिक सत्यापन रिपोर्ट रजिस्टर परिसम्पति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर मानदेय रजिस्टर कोटेशन व टेन्डर से सम्बन्धित अभिलेख वर्क रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्र इत्यादि मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। उपर्युक्त आनलाइन दर्शित व्यय की पुष्टि के संबंध में तत्कालीन संबंधित ग्राम पंचायत सचिव श्री अरूण कुमार से आनलाइन कार्यक्रम के बाद मौखिक अनुरोध व व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर बार-बार अभिलेख की मांग की गई परन्तु मांगने के उपरान्त भी कोई भी अभिलेख मूल रूप में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद उच्च अधिकारी के माध्यम से अभिलेख प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी को दिनांक 08-02-20 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। जिला पंचायत राज अधिकारी से भी दिनांक 08-02-20 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। समस्त पत्राचार की प्रति संलग्न है। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं है या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 258 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखाप्रबंध मैनुअल अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8ख के अंतर्गत यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रु 816786 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की व्याज सहित वसूली आधी-आधी संयुक्त रूप से अधिभार के कार्यवाही हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रमोद और ग्राम पंचायत अधिकारी अरूण कुमार से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-टडीयांव

क्षेत्र पंचायत-घोसी 19-20

प्रस्तर-86

ग्राम पंचायत टडीयांव की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत के सचिव के व ग्राम प्रधान द्वारा चतुर्थ एवं 14 वां आयोग के शाखा में बैंक खाता संख्या 22157814482 से रु 1773056 निम्न विवरण के अनुसार निकासी दर्शाकर बैंक स्टेटमेन्ट/कैशबुक से आय एवं उसके सापेक्ष व्यय दर्शाया गया है।

क्र०स०	दिनांक	बैंकखातो से की गयी निकासी /स्टेटमेन्ट के अनुसार	कैश बुक में दर्शित व्यय का विवरण		धनराशि का विवरण
1	11-04-19	32340	राज्य वित्त 11-04-20	प्राइमरी विद्यालय बलुआ में बाउंड्री का निर्माण	32340
2	15-6-19	5550	15-6-19	हविल चैयर द्विवेदी कन्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर को व्यय	5550
3	1-07-19	1680	15-06-19	आइ जॉन डोनगल पर व्यय	1680
4	12-07-19	72000	10-10-19	प्राइमरी विद्यालय बलुआ में बाउंड्री वाल रामबचन सिंह को मटेरियल पर व्यय	72000
5	12-07-19	52140	31-12-19	उपरोक्त कार्य हेतु पर हरिओम भट्टा ईट पर व्यय	52140
6	15-07-19	26000	31-03-19	हैण्ड पम्प मरम्मत	26000
7	18-7-19	48100	05-01-20	हैण्ड पम्प मरम्मत	48100
8	22-11-19	14500	14500	खण्डजा मरम्मत कार्य पर मजदूरी व्यय	14500
9	22-11-19	160910	160910	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य का भूपालनाथ त्रिपाठी को व्यय	160910
10	22-11-19	16322	16322	खण्डजा मरम्मत कार्य पर राम बचन सिंह को व्यय	16322
11	28-11-19	100000	100000	स्ट्रीट लाइट का अजय सिंह को व्यय	100000
12	02-12-19	43001	43001	इन्टरलॉकिक कार्य का साधना ट्रेडर्स को व्यय	43001
13	02-12-19	5865	5865	उपरोक्त कार्य पर रामबचन सिंह को व्यय	5865
14	02-12-19	7286	7286	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी	7286
15	02-12-19	14245	14245	उपरोक्त कार्य पर हरिओम इट भट्टा पर व्यय	14245
16	10-01-20	28132	28132	विकास के घर से रामनगीना पाण्डेय के खेत तक नाली पटीया कार्य पर मजदूरी व्यय	28132
17	10-01-20	98235	98235	उपरोक्त कार्य पर भूपाल नाथ त्रिपाठी को व्यय	98235
18	18-01-20	80000	80000	प्राथमिक स्कूल में बाउंड्री निर्माण कार्य पर रामबचन सिंह को सामग्री व्यय	80000
19	18-01-20	80000	80000	प्राइमरी पाठशाला पर मार्डन शौचालय पर रामबचन सिंह को सामग्री व्यय	80000
20	18-01-20	50000	50000	उपरोक्त कार्य पर हरिओम ईट भट्टा पर व्यय	50000
21	18-01-20	70000	70000	प्राइमरी विद्यालय में बाउंड्री बाल का हरिओम ईट भट्टा का व्यय	70000
22	28-1-20	34928	34928	उपरोक्त कार्य पर रामबचन सिंह सामग्री पर व्यय	34928
23	28-1-20	18462	18462	उपरोक्त कार्य पर हरिओम ईट भट्टा ईट पर व्यय	18462
24	28-1-20	49390	49390	स्कूल मरम्मत कायाकल्प कार्य पर भूपालनाथ त्रिपाठी को सामग्री पर व्यय	49390
25	28-1-20	72900	72900	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी	72900
26	28-1-20	90550	90550	उपरोक्त कार्य पर रामबचन सिंह को भुगतान	90550
27	28-1-20	36453	36453	प्राइमरी वि०की बाउंड्रीवाल पर मजदूरी	36453
28	05-02-20	51174	51174	नाली निर्माण कार्य पर रामबचन सिंह को सामग्री व्यय	51174
29	05-02-20	70838	70838	उपरोक्त निर्माण पर हरिओम ईट भट्टा को ईट व्यय	70838
30	05-02-20	31218	31218	माडल शौचालय निर्माण कार्य पर मजदूरी	31218
31	27-2-20	4021	4021	उपरोक्त कार्य पर हरिओम ईट भट्टा को व्यय	4021
32	27-2-20	50761	50761	उपरोक्त कार्य पर रामबचन सिंह बिल्डिंग मटेरियल को व्यय	50761
33	03-03-20	8847	8847	इटरलाकिंग कार्य पर रामबचन सिंह को सामग्री का व्यय	8847
34	03-03-20	3930	3930	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी व्यय	3930
35	03-03-20	35840	35840	उपरोक्त कार्य पर मिथिलेश कान्शट्रक्शन पर ईट का व्यय	35840
36	03-03-20	14979	14979	उपरोक्त कार्य पर ईट पर व्यय	14979
37	16-03-20	56250	56250	स्ट्रीट लाइट पर अजय कुमार सिंह को भुगतान	56250

38	17-3-20	25080	25080	ग0पं0 सफाई किट पर व्यय भूपालनाथ त्रिपाठी को भुगतान	25080
39	17-3-20	42000	42000	ग्राम प्रधान का मानदेय	42000
40	28-03-20	5595	5595	दैनिक जागरण का टेण्डर पर व्यय	5595
41	31-03-20	3699	3699	नाली निर्माण पर रामबचन सिंह विल्डिंग मैटेरियल को व्यय	3699
42	31-03-20	18750	18750	कोरोना का दवा छिडकाव पर व्यय	18750
43	31-03-20	22850	22850	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	22850
44	31-03-20	2214	2214	नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी व्यय नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी व्यय	2214
45	31-03-20	6949	6949	नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी व्यय	6949
		1555	1555		1555
	योग	1773056	1773056		1773056

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में आफलाइन केशवुक, व्यय से संबंधित पत्रावली जैसे एम बी बुक स्टेटमेंट बुक व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक मस्टररोल वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित पत्रावलियां भौतिक सत्यापन रिपोर्ट रजिस्टर परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर मानदेय रजिस्टर कोटेशन व टेन्डर से सम्बन्धित अभिलेख वर्क रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्र इत्यादि मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। उपर्युक्त आनलाइन दर्शित व्यय की पुष्टि के संबंध में तत्कालीन संबंधित ग्राम पंचायत सचिव श्री अरूण कुमार से आनलाइन कार्यक्रम के बाद मौखिक अनुरोध व व्यक्तिगत टेलीफोनिक बार्ता कर बार-बार अभिलेख की मांग की गई परन्तु मांगने के उपरान्त भी कोई भी अभिलेख मूल रूप में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद उच्च अधिकारी के माध्यम से अभिलेख प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी को दिनांक 28-11-20 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। जिला पंचायत राज अधिकारी से भी दिनांक 28-11--20 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। समस्त पत्राचार की प्रति संलग्न है। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 258 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखाप्रबंध मनुअल अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8ख के अंतर्गत यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रु 1773056 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की व्याज सहित वसूली आधी-आधी संयुक्त रूप से अधिभार के कार्यवाही हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संजय सिंह और ग्राम पंचायत अधिकारी कुमारी दीप्ती पाण्डेय से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-कुवरपुरवां

क्षेत्र पंचायत-फतहपुर मण्डाव 2019-20

प्रस्तर-87

ग्राम पंचायत कुवरपुरवा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत के सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा चतुर्थ एवं 14 वां आयोग के बैंक खाता संख्या 2753000100031886 से रु 1773056 निम्न विवरण के अनुसार निकासी दर्शाकर स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज पर आय एवं उसके सापेक्ष व्यय दर्शाया गया है।

क्र० सं०	दिनांक	बैंक खाते से की गयी निकासी /स्टेटमेंट के अनुसार	प्रिया साफ्ट /ई-ग्राम स्वराज के केशवुक में दर्शित व्यय का विवरण	धनराशि	
1	03-04-19	297000	14वां वित्त	ग्राम पंचायत में बैठने हेतु डेस्क निर्माण	297000
2	04-04-19	55825	14वां वित्त	देवेन्द्र राजभर के घर से वीरेन्द्र राजभर के घर तक खडजा मरम्मत	74840
3	09-04-19	182334	14वां वित्त	ठाकुर जी के मंदिर से वृजेश शुक्ला के घर तक खडजा मरम्मत	134197
4	15-04-19	250123	14वां वित्त	राम जीत यादव के घर से प्यारे के घर तक नाली पटिया निर्माण	71277
5	16-04-19	17-70	14वां वित्त	उदयभान के घर से मेन नाली तक नाली पटिया निर्माण	81229
6	22-04-19	98000	14वां वित्त	जीता यादव के घर से शिवनाथ के घर तक नाली पटिया निर्माण 169939	169939
7	04-05-19	224171	14वां वित्त	ढाल से सूर्यभान शर्मा के घर तक खरेजा मरम्मत	196000

8	09-05-19	1708	14वां वित्त	स्कूल मरम्मत कार्य	147460
9	20-06-19	40222	14वां वित्त	रामजीत राजभर के घर से चन्दा गडही तक नाली पटिया निर्माण 74000	74000
10	26-06-19	60000	14वां वित्त	बैंक चार्ज	1743-40
11	05-07-19	17-70	14वां वित्त	स्कूल भवन से मरम्मत और सुन्दरीकरण	141891
12	09-07-19	26629	14वां वित्त	विज्ञापन /टेन्डर	3954
13	20-07-19	31626	14वां वित्त	आगनवाडी केन्द्र हेतु भुगतान	106000
14	26-07-19	224166	14वां वित्त	मटेरियल भुगतान	65000
15	27-01-20	17500	14वां वित्त	हैन्ड पम्प रिबार	325000
16	28-01-20	590	14वां वित्त	प्रधान मानदेय	35000
17	28-01-19	35-40	14वां वित्त	मटेरिल भुगतान	206812
18	05-02-20	32500	14वां वित्त	मटेरियल भुगतान	1148000
19	09-02-20	274000	14वां वित्त	हैन्ड पम्प भुगतान 32500	32500
20	20-02-20	32500	14वां वित्त	मटेरियल भुगतान	273997
21	02-03-20	87000	14वां वित्त		
22	04-03-20	22247	14वां वित्त		
22	04-0320	22247	14वां वित्त		
23	04-03-20	28847	14वां वित्त		
24	17-03-20	90410	14वां वित्त		
25	20-03-20	90305	14वां वित्त		
26	23-03-20	36000	14वां वित्त		
	योग	2203775		योग	2285339-40

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में आफलाइन कैशबुक, व्यय से संबंधित पत्रावली जैसे एम बी बुक स्टेटमेन्ट बुक व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक मस्टररोल,वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित पत्रावलियां भौतिक सत्यापन रिपोर्ट रजिस्टर परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर मानदेय रजिस्टर कोटेशन व टेन्डर से सम्बन्धित अभिलेख वर्क रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्र इत्यादि मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। उपर्युक्त आनलाइन दर्शित व्यय की पुष्टि के संबंध में तत्कालीन संबंधित ग्राम पंचायत सचिव श्री राम चन्द्र यादव से आनलाइन कार्यक्रम के बाद मौखिक अनुरोध व व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर बार-बार अभिलेख की मांग की गई परन्तु मांगने के उपरान्त भी कोई भी अभिलेख मूल रूप में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद उच्च अधिकारी के माध्यम से अभिलेख प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी को दिनांक 30-01-21 एवं 05/02/21 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। जिला पंचायत राज अधिकारी से भी दिनांक 30-01-21 एवं 05/02/21 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। समस्त पत्राचार की प्रति संलग्न है। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 258 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखाप्रबंध मनुअल अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8ख के अंतर्गत यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि ₹ 1773056 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की व्याज सहित वसूली आधी-आधी संयुक्त रूप से अधिभार के कार्यवाही हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला कांत और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामचन्द्र यादव से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-पदारथपुर

क्षेत्र पंचायत-फतहपुर मण्डाव 19-20

प्रस्तर-88

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड वही (रूप पत्र संख्या 6 )का 3माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ पंचायत के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्य योजना के अनुसार उपभोग धनराशि क संबंध में संगत अभिलेख बनाए गए होते अभिलेख प्रस्तुत ना होने से वस्तु स्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है।

इस प्रकार उपरोक्त के आलोक में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट /ई ग्राम स्वराज के आधार पर ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जांच की गई ग्राम पंचायत की ग्राम इ स्वराज आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रु 36991 व 14 वां वित्त के अन्तर्गत रु 962362 कुल रु 999353 का व्यय /आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में कैश बुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर जैसे मेजरमेन्ट बुक स्टीमेट बुक समस्त व्यय संबंधित प्रमाणक मस्टररोल वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट यूटिलाइलेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित पत्रावलिया भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर निरीक्षण पंजिका जीएसटी भुगतान रजिस्टर रोजगार रजिस्टर मांग और वसूली मानदेय रजिस्टर कोटेशन व टेन्डर से संबंधित अभिलेख वर्क रजिस्टर कार्ययोजना वर्क आईडी डायरेक्टी आफ विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति प्रिया साफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां और भुगतान लेखा समेकित सार बैंक समाधान विवरण प्राप्ति व भुगतान योग विवरण चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए हैं किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सके इससे स्पष्ट है कि उपयुक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं है या जानबुझकर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8क व 8ख के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम पंचायत व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी वसूल के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि कुल रु 999353 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती सुमन एवं सचिव श्री आद्या पंकर मिश्र को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली समान रूप से आधी आधी ब्याज सहित ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी से सुनिश्चित किया जाता अपेक्षित हैं।

क्र०सं०	योजना का नाम कार्य का विवरण	ग्राम पंचायत की बैठक में स्वीकृत का दिनांक व प्रस्ताव संख्या	कार्य आई०डी०	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत का क्रमांक व दिनांक	अनुमानित लागत	वास्तविक व्यय		
							सामग्री	श्रमांश	योग
1	चतुर्थ वित्त	विज्ञापन व्यय	8892764						
2	चतुर्थ वित्त	हैन्ड पम्प मरम्मत	14891326						6991
3	चतुर्थ वित्त	नाली पटिया निर्माण कार्य	18884757				30000	30000	30000
4	चतुर्थ वित्त	चबूतरा कार्य	18884757				156800	156800	156800
5	चतुर्थ वित्त	नाली निर्माण कार्य	18884758				-	-	31838
6	चतुर्थ वित्त	नाली निर्माण कार्य	18884759				80000	80000	19474 10526 80000
7	चतुर्थ वित्त	खडंजा निर्माण कार्य	18884761				222500	222500	49868 222500
8	चतुर्थ वित्त	खडंजा निर्माण कार्य	14891333				56500	56500	56500
9	चतुर्थ वित्त	विज्ञापन/डोंगल	188884760				-	-	12090
10	चतुर्थ वित्त	चबूतरा कार्य	20437508				70500	70500	70500 16266
11	चतुर्थ वित्त	आगंबड़ी केंद्र	20853143 20437509				106000	106000	106000
							योग-		999353

ग्राम पंचायत-सुबाह

क्षेत्र पंचायत-फतहपुर मण्डाव 19-20

प्रस्तर-89

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड बही (रूप पत्र संख्या 6 )का 3माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ पंचायत के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया

होता तो कार्य योजना के अनुसार उपभोग धनराशि क संबंध में संगत अभिलेख बनाए गए होते अभिलेख प्रस्तुत ना होने से वस्तु स्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है।

इस प्रकार उपरोक्त के आलोक में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट /ई ग्राम स्वराज के आधार पर ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जांच की गई ग्राम पंचायत की ग्राम इ स्वराज आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रू 89500 व 14 वाँ वित्त के अन्तर्गत रू 1110789 कुल रू 1200287 का व्यय /आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया हैं किन्तु लेखा परीक्षा में कैश बुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर जैसे मेजरमेंट बुक स्टीमेट बुक समस्त व्यय संबंधित प्रमाणक मस्टररोल वक्र कंप्लीशन रिपोर्ट यूटिलाइलेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित पत्रावलिया भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा मे स्टाक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर निरीक्षण पंजिका जीएसटी भुगतान रजिस्टर रोजगार रजिस्टर मांग और वसूली मानदेय रजिस्टर कोटेशन व टेन्डर से संबंधित अभिलेख वर्क रजिस्टर कार्ययोजना वर्क आईडी डायरेक्टी आफ विभिन्न समितियो जैस नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति प्रिया साफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां और भुगतान लेखा समेकित सार बैंक समाधान विवरण प्राप्ति व भुगतान योग विवरण चल सम्पति पंजिका आदि अभिलेख बार -बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए है किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किए गय व्यय की पुष्टि न की जा सके इससे स्पष्ट है कि उपयुक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं है या जानबुझकर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारी 27 तथा उतर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8क व 8ख के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय कीगई धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम पंचायत व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी वसूल के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्ग गवन का मुकदमा भी न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गवन की धनराशि कुल रू 1200287 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लालती देवी एवं सचिव श्री राहुल यादव मिश्र को उतरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली समान रूप से आधी आधी ब्याज सहित ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी से सुनिश्चित किया जाता अपेक्षित हैं।

क्र०सं०	योजना का नाम कार्य का विवरण	ग्राम पंचायत की बैठक में स्वीकृत का दिनांक व प्रस्ताव संख्या	ग्राम पंचायत की बैठक में स्वीकृत का दिनांक व प्रस्ताव संख्या	कार्य आई 0डी 0	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत का क्रमांक व दिनांक	अनुमानित लागत	वास्तविक व्यय		
								सामग्री	श्रमांश	योग
1	चतुर्थ वित्त	डस्टविन क्रय								
2	चतुर्थ वित्त	हैण्ड पम्प रिबोर						83200		83200
3	चतुर्थ वित्त	हैण्ड पम्प मरम्मत						24500		24500
								31700		31700
4	चतुर्थ वित्त	विज्ञापन व्यय						49370		49370
								40000		40000
5	चतुर्थ वित्त	सीमेन्ट बेच क्रय						-		6870
6	चतुर्थ वित्त	बाउंड्री वाल कार्य						121500		121500
7	चतुर्थ वित्त	नाली पटिया कार्य						120247		120247
								34900		34900
8	चतुर्थ वित्त	प्रशासनिक व्यय						34000		34000
								3000		3000
								10000		10000
9	चतुर्थ वित्त	स्टेशनरी व्यय						-	-	10000
10	चतुर्थ वित्त	हयूम पाइप कार्य						4000		4000
12	चतुर्थ वित्त	मटेरियल व्यय								
13	चतुर्थ वित्त	मटेरियल व्यय						197000		
								86000		
								66000		
								80000		

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड बही (रूप पत्र संख्या 6 )का 3माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ पंचायत के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो कार्य योजना के अनुसार उपभोग धनराशि क संबंध में संगत अभिलेख बनाए गए होते अभिलेख प्रस्तुत ना होने से वस्तु स्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है।

इस प्रकार उपरोक्त के आलोक में आलोच्य वप्र की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट /ई ग्राम स्वराज के आधार पर ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जांच की गई ग्राम पंचायत की ग्राम इ स्वराज आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त रू 61831-48 व 14 वां वित्त के अन्तर्गत रू 1368878 कुल रू 1430709-48 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया हैं। किन्तु लेखा परीक्षा में कैश बुक व एक भी पत्रावली व रजिस्टर जैसे मेजरमेन्ट बुक स्टीमेट बुक समस्त व्यय संबंधित प्रमाणक मस्टररोल वक्र कंप्लीशन रिपोर्ट यूटिलाइलेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित पत्रावलिया भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा मे स्टाक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर निरीक्षण पंजिका जीएसटी भुगतान रजिस्टर रोजगार रजिस्टर मांग और वसूली मानदेय रजिस्टर कोटेशन व टेन्डर से संबंधित अभिलेख वर्क रजिस्टर कार्ययोजना वर्क आईडी डायरेक्ट्री आफ विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति प्रिया साफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां और भुगतान लेखा समेकित सार बैंक समाधान विवरण प्राप्ति व भुगतान योग विवरण चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख बार - जिससे दर्शित किए गय व्यय की पुष्टि न की जा सके इससे स्पष्ट है कि उपयुक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं है या जानबुझकर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8क व 8ख के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम पंचायत व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी वसूल के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि कुल रू 1430709-48 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार एवं सचिव श्री राम चन्द्र यादव को उतरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली समान रूप से आधी आधी व्याज सहित ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी से सुनिश्चित किया जाता अपेक्षित हैं।

ग्राम पंचायत-गजियापुर

क्षेत्र पंचायत-फतहपुर मण्डाव-19-20

प्रस्तर -91

लेखा परीक्षा वर्ष ग्राम पंचायत के अन्तर्गत हैन्डपम्प मरम्मत में कुल रू 254000 व्यय किया गया है किन्तु व्यय से संबंधित एक भी पत्रावली व प्रमाणक लेखा परीक्षका में प्रस्तुत नहीं किया गया,इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैण्ड पम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्ड पम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखे को नहीं गया जिसकी अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी की कितने एवं किन जगहों के हैण्ड पम्प खराब थे। एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन किन स्थानों पर हैन्ड पम्प रिबोर कार्य कराए गए इसकी जानकारी नहीं हो सकी स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध हो सकती है हैण्ड पम्प मरम्मत के संदर्भ में राने सामानो के निस्तारण की प्रक्रिया क्या रही ?डेड स्टाक रजिस्टर के अभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8क व 8ख के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम पंचायत व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी वसूल के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि कुल रू 254000 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उतरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली समान रूप से आधी आधी व्याज सहित ग्राम प्रधान जगदीश और ग्राम पंचायत अधिकारी विनीत कुमार रायसे सुनिश्चित किया जाता अपेक्षित हैं। धनराशि का विवरण निम्न लिखित है -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	फर्म का नाम	विवरण	योजना	धनराशि
1	06/07/19	105094	भोपाल नाम त्रिपाठी ट्रेडर्स	हैन्ड पम्प मरम्मत	14 वां वित्त	49500
2	06/08/19	105098	भोपाल नाम त्रिपाठी ट्रेडर्स	हैन्ड पम्प मरम्मत	14 वां वित्त	49000
3	19/02/20	चेक	भोपाल नाम त्रिपाठी ट्रेडर्स	हैण्ड पम्प मरम्मत	14 वां वित्त	49500
4	05/03/20	चेक	भोपाल नाम त्रिपाठी ट्रेडर्स	हैण्ड पम्प रिबोर	14 वां वित्त	106000
				योग		254000

ग्राम पंचायत-गंगऊपुर

क्षेत्र पंचायत-फतहपुर मण्डाव-19-20

प्रस्तर - 92

लेखा परीक्षा वर्ष ग्राम पंचायत के अन्तर्गत हैन्डपम्प मरम्मत में कुल रू 112800 व्यय किया गया है किन्तु व्यय से संबंधित एक भी पत्रावली व प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैण्ड पम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्ड पम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला। जिसकी अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी की कितने एवं किन किन जगहों के हैण्ड पम्प खराब थे एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन किन स्थानों पर हैन्ड पम्प रिबोर कार्य कराए गए इसकी जानकारी नहीं हो सकी स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध हो सकती है हैण्ड पम्प मरम्मत के संदर्भ में पुराने सामानों के निस्तारण की प्रक्रिया क्या रही ? डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8क व 8ख के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम पंचायत व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी वसूल के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि कुल रू 112800 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उतरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली समान रूप से आधी आधी ब्याज सहित ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी से सुनिश्चित किया जाता अपेक्षित हैं। धनराशि का विवरण निम्न लिखित है -

क्रम सं०	दिनांक	चेक संख्या	विवरण	योजना	धनराशि
01	19/07/19	10007630	हैण्ड पम्प रिबोर	14वां वित्त	63300
02	20/07/19	10007631	हैण्ड पम्प मरम्मत	14वां वित्त	49500
				योग	112800

ग्राम पंचायत-भठिया

क्षेत्र पंचायत-फतहपुर मण्डाव-19-20

प्रस्तर- 93

लेखा परीक्षा वर्ष ग्राम पंचायत के अन्तर्गत हैन्डपम्प मरम्मत में कुल रू 41000 व्यय किया गया है किन्तु व्यय से संबंधित एक भी पत्रावली व प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैण्ड पम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्ड पम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं गया जिसकी अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी की कितने एवं किन किन जगहों के हैण्ड पम्प खराब थे। एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन किन स्थानों पर हैन्ड पम्प रिबोर कार्य कराए गए इसकी जानकारी नहीं हो सकी स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध हो सकती है हैण्ड पम्प मरम्मत के संदर्भ में राने सामानों के निस्तारण की प्रक्रिया क्या रही ? डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8क व 8ख के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम पंचायत व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी वसूल के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि कुल रू 41000 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उतरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली समान रूप से आधी आधी ब्याज सहित ग्राम प्रधानश्रवण कुमार गौड़ और ग्राम पंचायत अधिकारी रानी यादव से सुनिश्चित किया जाता अपेक्षित हैं। धनराशि का विवरण निम्न लिखित है।

क्रम सं०	दिनांक	चेक संख्या	विवरण	योजना	धनराशि
01	30/04/19	12018465	हैण्ड पम्प रिबोर	14 वां वित्त	18000
02	31/07/19	12018474	हैण्ड पम्प मरम्मत	14 वां वित्त	23000
				योग	41000

ग्राम पंचायत-दुबारी

क्षेत्र पंचायत-फतहपुर मण्डाव-19-20

प्रस्तर- 94

लेखा परीक्षा वर्ष ग्राम पंचायत के अन्तर्गत हैन्डपम्प मरम्मत में कुल रू 244500 व्यय किया गया है किन्तु व्यय से संबंधित एक भी पत्रावली व प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैण्ड पम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्ड पम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं गया जिसकी अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी की कितने एवं किन किन जगहों के हैण्ड पम्प खराब थे। एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन किन स्थानों पर हैन्ड पम्प रिबोर कार्य कराए गए इसकी जानकारी नहीं हो सकी स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध हो सकती है हैण्ड पम्प मरम्मत के संदर्भ में राने सामानों के निस्तारण की प्रक्रिया क्या रही ? डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8क व 8ख के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम पंचायत व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी वसूल के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि कुल रू 244500 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव

को उतरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली समान रूप से आधी आधी ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मती रंजना सिंह और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आद्याशंकर मिश्र से सुनिश्चित किया जाता अपेक्षित हैं। धनराशि का विवरण निम्न लिखित है।

क्रम स0	दिनांक	चेक संख्या	विवरण	धनराशि
01	14/08/18	10005181	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य	46000
02	14/08/18	10005182	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य	54000
03	29/01/2019	10008301	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य	95000
04	29/01/2019	10008803	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य	49500
			योग	244500

प्रस्तर- 95

कैश बुक के अनुसार दिनांक 15-07-2019 को कार्य आईडी संख्या 1421745 पर ह्यूम पाइप क्रय हेतु कुल रू 180000 भोपाल नाथ त्रिपाठी कंस्ट्रक्शन को भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त ह्यूम पाइप किस स्थान पर लगाई गई है इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7 8क एवं 8ख के तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में निहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशि में से आधी आधी ग्राम प्रधान श्री मती रंजना सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आद्या शंकर मिश्र से ब्याज सहित वसूल करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत है

क्रम स0	दिनांक	चेक संख्या	आई डी संख्या	विवरण	भोपाल नाथ त्रिपाठी कंस्ट्रक्शन	धनराशि
01	15/07/19	10008849	14821745	ह्यूम पाइप क्रय		180000

प्रस्तर- 96

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के निम्नांकित विवरणों के अनुसार आईडी0 संख्या 3323547 पर दिनांक 21-06-19 से 22-06-19 के बीच 250000 का भुगतान स्ट्रीट लाइट खरीद व उसकी लगवाई में किया गया है। व्यय कि पुष्टि में वाउचर पत्रावली एवं मस्टररोल अप्राप्त रहा जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि का व्यय न कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा आपसी मिली भगत से धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7 8क एवं 8ख के तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में निहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशि रू 250000 में से आधी आधी ग्राम प्रधान श्री मती रंजना सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आद्या शंकर मिश्र से ब्याज सहित वसूल करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्रम स0	दिनांक	चेक संख्या	विवरण	धनराशि
01	21/06/19	10005240	स्ट्रीट लाइट क्रय	125000
02	22/06/19	10005244	स्ट्रीट लाइट क्रय	125000
			योग	250000

ग्राम पंचायत-नौसेमर

क्षेत्र पंचायत- कोपागंज 2019-20

प्रस्तर- 97

आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा में आन लाइन ई-ग्राम स्वराज /प्रियासाफ्ट के वार्षिक प्राप्तियां और भुगतान लेखा विवरण (रूप-1) पर वर्ष में उपभोग /व्यय 4एस0एफ0सी0/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से रू 168500 दर्शित है। इस दर्शित उपभोग धनराशि के सापेक्ष आफलाइन लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख/वाउचर /व्यय प्रमाणक /मरम्मत निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

उपर्युक्त आनलाइन दर्शित व्यय की पुष्टि के संबंध में तत्कालिन संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से आनलाइन कार्यक्रम के बाद मौखिक अनुरोध व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर बार-बार अभिलेख की मांग की गई। व्यक्तिगत मांगने के उपरान्त भी कोई भी अभिलेख मूल रूप में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । इसके बाद उच्च अधिकारियों के माध्यम से अभिलेख प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया । इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)/ विकास खण्ड के ग्राम पंचायतो के नोडल अधिकारी को दिनांक 30-12-2020 को पत्र के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था । इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ।

पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेप दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध





खण्ड के ग्राम पंचायतो के नोडल अधिकारी को दिनांक 11-02-2021 एवं पुनः दिनांक 19-03-2021 को पत्र के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ" यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।

आलोच्य वर्ष 2019-20 लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट पर आन लाइन दर्शित व्यय रु 8068146 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक / विल वाउचर / निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अलताफ तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजीव कुमार सिंह उत्तरदायी है। इस संबंध में नियमानुसार आधा-आधा आवश्यक ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-पारा

क्षेत्र पंचायत- कोपागंज 2019-20

प्रस्तर- 104

आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा में आन लाइन ई-ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के वार्षिक प्राप्तियां और भुगतान लेखा विवरण (रूप-1) पर वर्ष में उपभोग /व्यय 4एस0एफ0सी0/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से रु 4623426 दर्शित है। इस दर्शित उपभोग धनराशि के सापेक्ष आफलाइन लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख/वाउचर /व्यय प्रमाणक /मरम्मत निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त आनलाइन दर्शित व्यय की पुष्टि के संबंध में तत्कालिन संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से आनलाइन कार्यक्रम के बाद मौखिक अनुरोध व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर बार-बार अभिलेख की मांग की गई व्यक्तिगत मांगने के उपरान्त भी कोई भी अभिलेख मूल रूप में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद उच्च अधिकारियों के माध्यम से अभिलेख प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) विकास खण्ड के ग्राम पंचायतो के नोडल अधिकारी को दिनांक 11-02-2021 एवं पुनः दिनांक 19-03-2021 को पत्र के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट पर आन लाइन दर्शित /व्यय रु 4623426 के सापेक्ष नियमानुसार कोई व्यय प्रमाणक /मरम्मत कार्य पत्रावली के षे बुक पास बुक कार्यवाही पुस्तिका कार्य योजना वर्क आई डी स्टीमेट एम वी विल /वाउचर मस्टर रोलमानदेय रजिस्टर डायरेक्टी आफ वर्कर्स विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति बैंक समाधान विवरण मांग वसूली व अवशेष पंजिका त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र उपभोग प्रमाण पत्र टेंडर कोटेशन पत्रावली/व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ" एवं खण्ड 8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता के द्वारा गमन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2019-20 लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट पर आन लाइन दर्शित व्यय रु 4623426 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक / विल वाउचर / निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जल्लालुदीन तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार द्वितीय उत्तरदायी है। इस संबंध में नियमानुसार आधा-आधा आवश्यक ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-सहरोज

क्षेत्र पंचायत- कोपागंज 2019-20

प्रस्तर- 105

आलोच्य वर्ष 2018-19 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा में आन लाइन ई-ग्राम स्वराज /प्रियासाफ्ट के वार्षिक प्राप्तियां और भुगतान लेखा विवरण (रूप-1) पर वर्ष में उपभोग /व्यय 4एस0एफ0सी0/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से रु 1285370 दर्शित है। इस दर्शित उपभोग धनराशि के सापेक्ष आफलाइन लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख/वाउचर /व्यय प्रमाणक /मरम्मत निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त आनलाइन दर्शित व्यय की पुष्टि के संबंध में तत्कालिन संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से आनलाइन कार्यक्रम के बाद मौखिक अनुरोध व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर बार-बार अभिलेख की मांग की गई व्यक्तिगत मांगने के उपरान्त भी कोई भी अभिलेख मूल रूप में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद उच्च अधिकारियों के माध्यम से अभिलेख प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) विकास खण्ड के ग्राम पंचायतो के नोडल अधिकारी को दिनांक 30-12-2020 को पत्र के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ" यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।



उपलब्ध कराए"एवं इसी अध्याय के खण्ड 08 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है।तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी से संयुक्त रूप से की जायेगी। आलोच्य वर्ष 2019-20 लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट पर आन लाइन दर्शित व्यय रू 1164250 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक /बिल वाउचर /निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुलाबी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय प्रसाद उत्तरदायी है। इस संबन्ध में नियमानुसार आधा-आधा आवश्यक ब्याज सहितवसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-काछीकला

क्षेत्र पंचायत- कोपागंज 2019-20

प्रस्तर- 109

आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा में आन लाइन ई-ग्राम स्वराज /प्रियासाफ्ट के वार्षिक प्राप्तियां और भुगतान लेखा विवरण (रूप-1) पर वर्ष में उपभोग /व्यय 4एस0एफ0सी0/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से रू 556414 दर्शित है। इस दर्शित उपभोग धनराशि के सापेक्ष आफलाइन लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख/वाउचर /व्यय प्रमाणक /मरम्मत निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपर्युक्त आनलाइन दर्शित व्यय की पुष्टि के संबंध में तत्कालिन संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से आनलाइन कार्यक्रम के बाद मौखिक अनुरोध व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर बार-बार अभिलेख की मांग की गई व्यक्तिगत मांगने के उपरान्त भी कोई भी अभिलेख मूल रूप में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद उच्च अधिकारियों के माध्यम से अभिलेख प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) विकास खण्ड के ग्राम पंचायत के नोडल अधिकारी को दिनांक 30-12-2020 को पत्र के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है।दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।"

आलोच्य वर्ष 2018-19 लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट पर आन लाइन दर्शित व्यय रू 556414 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक /बिल वाउचर /निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती साधना तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश उत्तरदायी है। इस संबन्ध में नियमानुसार आधा-आधा आवश्यक ब्याज सहितवसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

## प्रारूप-04

मण्डल का नाम - बरेली

जनपद- बदायूँ

मण्डल - बरेली

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

**जनपद बदायूँ वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में उद्घटित अधिभार/गंभीर**

**अनियमितताओं से सम्बन्धित आपत्तियों का विवरण**

(1) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - सलेमपुर

विकास खण्ड - दातागंज

प्रस्तर -1 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है। वर्ष 2019-20 में प्राप्त कैश बुक के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। पंचायती राज 30प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्धक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेख के सम्प्रेक्षण बिन्दु-8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं नहीं कराये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष- 2019-20 में प्राप्त कैशबुक/स्टेटमेंट के अनुसार आय व्यय का विवरण-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अन्तिम शेष
-------------	------------------	---------------	------------

527839.02	2559935.32	1464957.52	1622816.82
-----------	------------	------------	------------

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ₹0 1464957.52 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान व तत्कालीन सचिव से संयुक्त रूप से की जाये।

- (2) जनपद- बदायूँ  
ग्राम पंचायत - कलाकन्द  
विकास खण्ड - दातागंज

प्रस्तर -2 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है। वर्ष 2019-20 में प्राप्त कैश बुक के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। पंचायती राज 30प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्धक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेख के सम्प्रेक्षण बिन्दु-8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं नहीं कराये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष- 2019-20 में प्राप्त कैशबुक/स्टेटमेंट के अनुसार आय व्यय का विवरण-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अन्तिम शेष
939152.47	1665063.89	1300343.49	1303872.87

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ₹0 1300343.49 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्रीमती पान कुमारी व तत्कालीन सचिव से संयुक्त रूप से की जाये।

- (3) जनपद- बदायूँ  
ग्राम पंचायत - अटसेना  
विकास खण्ड - दातागंज

प्रस्तर -3 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है। वर्ष 2019-20 में प्राप्त कैश बुक के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। पंचायती राज 30प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्धक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेख के सम्प्रेक्षण बिन्दु-8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं नहीं कराये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष- 2019-20 में प्राप्त कैशबुक/स्टेटमेंट के अनुसार आय व्यय का विवरण-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अन्तिम शेष
156979.05	2928355.65	1022312.55	2063022.15

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ₹0 1022313.55 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्रीमती भावना भारती व तत्कालीन सचिव से संयुक्त रूप से की जाये।

- (4) जनपद- बदायूँ  
ग्राम पंचायत - जसमाह  
विकास खण्ड - म्याऊँ

प्रस्तर -4 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है। वर्ष 2019-20 में प्राप्त कैश बुक के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। पंचायती राज 30प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्धक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेख के सम्प्रेक्षण बिन्दु-8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं नहीं कराये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी।

जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष- 2019-20 में प्राप्त कैशबुक/स्टेटमेंट के अनुसार आय व्यय का विवरण-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अन्तिम शेष
14779.74	757137	652379.80	119536.94

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ₹0 652379.80 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्री अजयवीर व तत्कालीन सचिव श्री दीपक गुप्ता से संयुक्त रूप से की जाये।

(5) जनपद - बदायूँ  
ग्राम पंचायत - सेहाबौरा  
विकास खण्ड - म्याऊँ

प्रस्तर-5 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है। वर्ष 2019-20 में प्राप्त कैश बुक के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। पंचायती राज 30प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्धक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेख के सम्प्रेक्षण बिन्दु-8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं नहीं कराये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष- 2019-20 में प्राप्त कैशबुक/स्टेटमेंट के अनुसार आय व्यय का विवरण-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अन्तिम शेष
193902.06	1588460	1341752.80	440609.26

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ₹0 1341752.80 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्री कृष्णपाल सिंह व तत्कालीन सचिव श्री दीपक गुप्ता से संयुक्त रूप से की जाये।

(6) जनपद- बदायूँ  
ग्राम पंचायत - गूरा बरेला  
विकास खण्ड - म्याऊँ

प्रस्तर -6 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है। वर्ष 2019-20 में प्राप्त कैश बुक के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। पंचायती राज 30प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्धक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेख के सम्प्रेक्षण बिन्दु-8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं नहीं कराये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष- 2019-20 में प्राप्त कैशबुक/स्टेटमेंट के अनुसार आय व्यय का विवरण-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अन्तिम शेष
939152.47	1665063.89	1300343.49	1303872.87

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ₹0 1300343.49 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्री नेत्रपाल कश्यप व तत्कालीन सचिव श्री ऋषिदेव से संयुक्त रूप से की जाये।

(7) जनपद- बदायूँ  
ग्राम पंचायत - भिन्दुलिया  
विकास खण्ड - सलारपुर

प्रस्तर -7 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- भिन्दुलिया के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव से वांछित अभिलेख जैसे- ग्राम निधि प्रथम, कैशबुक, पत्रावली, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0बी0 माँगे जाने के उपरान्त भी सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा परीक्षा ऑनलाइन इ ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। उक्त अभिलेखों के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि ₹0 1478014.30 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि के अभाव में ₹0 1478014.30 की धनराशि वसूली योग्य है, अतः तत्कालीन सचिव श्री सुदीप शर्मा व ग्राम प्रधान श्री अजयपाल सिंह से ₹0 1478014.30 की वसूली मय ब्याज संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। साथ ही पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये।

(8) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - हुसैनपुर करौतिया

विकास खण्ड - सलारपुर

प्रस्तर -8 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- हुसैनपुर करौतिया के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव से वांछित अभिलेख जैसे- ग्राम निधि प्रथम, कैशबुक, पत्रावली, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0बी0 माँगे जाने के उपरान्त भी सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा परीक्षा ऑनलाइन इ ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। उक्त अभिलेखों के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि ₹0 376670.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि के अभाव में ₹0 376670.00 की धनराशि वसूली योग्य है, अतः तत्कालीन सचिव श्री सुदीप शर्मा व ग्राम प्रधान श्रीमती शबनम से ₹0 376670.00 की वसूली मय ब्याज संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। साथ ही पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये।

(9) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - चन्दौरा

विकास खण्ड - सलारपुर

प्रस्तर -9 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- चन्दौरा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव से वांछित अभिलेख जैसे- ग्राम निधि प्रथम, कैशबुक, पत्रावली, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0बी0 माँगे जाने के उपरान्त भी सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा परीक्षा ऑनलाइन इ ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। उक्त अभिलेखों के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि ₹0 825373.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि के अभाव में ₹0 825373.00 की धनराशि वसूली योग्य है, अतः तत्कालीन सचिव श्री सुदीप शर्मा व ग्राम प्रधान श्री नेमपाल सिंह से ₹0 825373.00 की वसूली मय ब्याज संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। साथ ही पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये।

(10) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - करतोली

विकास खण्ड - सलारपुर

प्रस्तर -10 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- करतोली के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव से वांछित अभिलेख जैसे- ग्राम निधि प्रथम, कैशबुक, पत्रावली, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0बी0 माँगे जाने के उपरान्त भी सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा परीक्षा ऑनलाइन इ ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। उक्त अभिलेखों के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि ₹0 2394789.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि के अभाव में ₹0 2394789.00 की धनराशि वसूली योग्य है, अतः तत्कालीन सचिव श्री सुदीप शर्मा व ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी से ₹0 2394789.00 की वसूली मय ब्याज संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। साथ ही पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये।

(11) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - नौसाना

विकास खण्ड - सलारपुर

प्रस्तर -11 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- नौसाना के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव से वांछित अभिलेख जैसे- ग्राम निधि प्रथम, कैशबुक, पत्रावली, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0बी0 माँगे जाने के उपरान्त भी सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा परीक्षा ऑनलाइन इ ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। उक्त अभिलेखों के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि रू0 627624.40 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि के अभाव में रू0 627624.40 की धनराशि वसूली योग्य है, अतः तत्कालीन सचिव श्री सुदीप शर्मा व ग्राम प्रधान श्री गिरीश पाल से रू0 627624.40 की वसूली मय ब्याज संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। साथ ही पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये।

(12) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - मुहम्मदी

विकास खण्ड - सलारपुर

प्रस्तर -12 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- मुहम्मदी के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव से वांछित अभिलेख जैसे- ग्राम निधि प्रथम, कैशबुक, पत्रावली, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0बी0 माँगे जाने के उपरान्त भी सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा परीक्षा ऑनलाइन इ ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। उक्त अभिलेखों के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि रू0 1238633.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि के अभाव में रू0 1238633.00 की धनराशि वसूली योग्य है, अतः तत्कालीन सचिव श्री सुदीप शर्मा व ग्राम प्रधान श्रीमती ओमवती से रू0 1238633.00 की वसूली मय ब्याज संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। साथ ही पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये।

(13) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - पुठी सराय

विकास खण्ड - सलारपुर

प्रस्तर -13 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- पुठी सराय के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव से वांछित अभिलेख जैसे- ग्राम निधि प्रथम, कैशबुक, पत्रावली, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0बी0 माँगे जाने के उपरान्त भी सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा परीक्षा ऑनलाइन इ ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। उक्त अभिलेखों के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि रू0 3069096.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि के अभाव में रू0 3069096.00 की धनराशि वसूली योग्य है, अतः तत्कालीन सचिव श्री सुदीप शर्मा व ग्राम प्रधान श्रीमती गुडडी से रू0 3069096.00 की वसूली मय ब्याज संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। साथ ही पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये।

(14) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - पलिया झण्डा

विकास खण्ड - सलारपुर

प्रस्तर -14 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- पलिया झण्डा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव से वांछित अभिलेख जैसे- ग्राम निधि प्रथम, कैशबुक, पत्रावली, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0बी0 माँगे जाने के उपरान्त भी सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा परीक्षा ऑनलाइन इ ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। उक्त अभिलेखों के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि रू0 661045.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि के अभाव में रू0 661045.00 की धनराशि वसूली योग्य है, अतः तत्कालीन सचिव श्री सुदीप शर्मा व ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा से रू0 661045.00 की वसूली मय ब्याज संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। साथ ही पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये।

(आ0सं0- )

(15) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - रसूलपुर पुठी

विकास खण्ड - सलारपुर

प्रस्तर -15 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- रसूलपुर पुठी के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव से वांछित अभिलेख जैसे- ग्राम निधि प्रथम, कैशबुक, पत्रावली, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0बी0 माँगे जाने के उपरान्त भी सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा परीक्षा ऑनलाइन इ ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। उक्त अभिलेखों के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि रु0 462705.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि के अभाव में रु0 462705.00 की धनराशि वसूली योग्य है, अतः तत्कालीन सचिव श्री सुदीप शर्मा व ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से रु0 462705.00 की वसूली मय ब्याज संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। साथ ही पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये।

(16) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - सादुल्लापुर भितारा

विकास खण्ड - सलारपुर

प्रस्तर -16 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- सादुल्लापुर भितारा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव से वांछित अभिलेख जैसे- ग्राम निधि प्रथम, कैशबुक, पत्रावली, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0बी0 माँगे जाने के उपरान्त भी सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा परीक्षा ऑनलाइन इ ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। उक्त अभिलेखों के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि रु0 318768.98 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि के अभाव में रु0 318768.98 की धनराशि वसूली योग्य है, अतः तत्कालीन सचिव श्री सुदीप शर्मा व ग्राम प्रधान श्री दिनेश से रु0 318768.98 की वसूली मय ब्याज संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। साथ ही पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये।

(17) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - नरखेड़ा

विकास खण्ड - सलारपुर

प्रस्तर -17 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- नरखेड़ा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव से वांछित अभिलेख जैसे-ग्राम निधि प्रथम, कैशबुक, पत्रावली, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, एम0बी0 माँगे जाने के उपरान्त भी सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा परीक्षा ऑनलाइन इ ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। उक्त अभिलेखों के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि रु0 540850.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि के अभाव में रु0 540850.00 की धनराशि वसूली योग्य है, अतः तत्कालीन सचिव श्री सुदीप शर्मा व ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र से रु0 540850.00 की वसूली मय ब्याज संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। साथ ही पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय

(18) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - वाकरपुर खरैर

विकास खण्ड - जगत

प्रस्तर -18 लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा ऑनलाइन ऑडिट के सापेक्ष कोई भी मूल/ऑफलाइन अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। अतएव प्रियासाँफ्ट/इ-ग्राम स्वराज में दर्शित आय-व्यय/कैश बैंक में अंकित वर्ष के समस्त व्यय 595943.00 रुपये से सम्बन्धित वाउचर/व्यय प्रमाणक/तथा पत्रावलियाँ मूल/ऑफलाइन नहीं होने से उक्त दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नहीं हो सकी।

'पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा' ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क, में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव (सेक्रेटरी) ग्राम पंचायत से की जाएगी, वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित (ऑनलाइन प्रियासाँफ्ट/इ-ग्राम स्वराज में दर्शित) व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराने के कारण, सम्बन्धित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बैसरी तथा ग्राम पंचायत सचिव (सेक्रेटरी) श्री अशोक सक्सेना से उक्त धनराशि रु0 595943.00 रुपये नियमानुसार ब्याज सहित वसूल कर निर्धारित खातों से जमा कराया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0- )

(19) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - बुधवाड़  
विकास खण्ड - जगत

प्रस्तर -19 लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा ऑनलाइन ऑडिट के सापेक्ष कोई भी मूल/ऑफलाइन अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। अतएव प्रियासॉफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में दर्शित आय-व्यय/कैश बैंक में अंकित वर्ष के समस्त व्यय 831765.00 रुपये से सम्बन्धित वाउचर/व्यय प्रमाणक/तथा पत्रावलियां मूल/ऑफलाइन नहीं होने से उक्त दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नहीं हो सकी।

'पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा' ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क, में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव (सेक्रेटरी) ग्राम पंचायत से की जाएगी, वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित (ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में दर्शित) व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराने के कारण, सम्बन्धित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री योगेन्द्र तथा ग्राम पंचायत सचिव (सेक्रेटरी) वर्षा पाठक से उक्त धनराशि ₹0 831765.00 रुपये नियमानुसार ब्याज सहित वसूल कर निर्धारित खातों से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0- )

(20) जनपद- बदायूँ  
ग्राम पंचायत - आमगांव  
विकास खण्ड - जगत

प्रस्तर -20 लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा ऑनलाइन ऑडिट के सापेक्ष कोई भी मूल/ऑफलाइन अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। अतएव प्रियासॉफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में दर्शित आय-व्यय/कैश बैंक में अंकित वर्ष के समस्त व्यय 1455199.75 रुपये से सम्बन्धित वाउचर/व्यय प्रमाणक/तथा पत्रावलियां मूल/ऑफलाइन नहीं होने से उक्त दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नहीं हो सकी।

'पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा' ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क, में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव (सेक्रेटरी) ग्राम पंचायत से की जाएगी, वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित (ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में दर्शित) व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराने के कारण, सम्बन्धित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सोमवीर तथा ग्राम पंचायत सचिव (सेक्रेटरी) श्री श्याम कश्यप से उक्त धनराशि ₹0 1455199.75 रुपये नियमानुसार ब्याज सहित वसूल कर निर्धारित खातों से जमा कराया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0- )

(21) जनपद- बदायूँ  
ग्राम पंचायत - बारीखेड़ा उर्फ सिताबनगर  
विकास खण्ड - जगत

प्रस्तर -21 लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा ऑनलाइन ऑडिट के सापेक्ष कोई भी मूल/ऑफलाइन अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। अतएव प्रियासॉफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में दर्शित आय-व्यय/कैश बैंक में अंकित वर्ष के समस्त व्यय 798788.18 रुपये से सम्बन्धित वाउचर/व्यय प्रमाणक/तथा पत्रावलियां मूल/ऑफलाइन नहीं होने से उक्त दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नहीं हो सकी।

'पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा' ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क, में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव (सेक्रेटरी) ग्राम पंचायत से की जाएगी, वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित (ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में दर्शित) व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराने के कारण, सम्बन्धित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिवपाल तथा ग्राम पंचायत सचिव (सेक्रेटरी) श्रीमती ईशा सिंह से उक्त धनराशि ₹0 798788.18 रुपये नियमानुसार ब्याज सहित वसूल कर निर्धारित खातों से जमा कराया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0- )

(22) जनपद- बदायूँ  
ग्राम पंचायत - गुरुपुरी चन्दन

विकास खण्ड - जगत

प्रस्तर -22 लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा ऑनलाइन ऑडिट के सापेक्ष कोई भी मूल/ऑफलाइन अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। अतएव प्रियासॉफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में दर्शित आय-व्यय/कैश बैंक में अंकित वर्ष के समस्त व्यय 310360.00 रुपये से सम्बन्धित वाउचर/व्यय प्रमाणक/तथा पत्रावलियाँ मूल/ऑफलाइन नहीं होने से उक्त दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नहीं हो सकी।

'पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा' ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क, में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव (सेक्रेटरी) ग्राम पंचायत से की जाएगी, वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित (ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में दर्शित) व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराने के कारण, सम्बन्धित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रकली तथा ग्राम पंचायत सचिव (सेक्रेटरी) श्री अशोक सक्सेना से उक्त धनराशि रु0 310360.00 रुपये नियमानुसार ब्याज सहित वसूल कर निर्धारित खातों से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(23) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - लोढ़ा बहेड़ी

विकास खण्ड - उझानी

प्रस्तर -23

लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा ऑनलाइन/ऑफलाइन ऑडिट/कैशबुक के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2019-20 में कैशबुक में दर्शित व्यय रु0 940708.00 की जांच व पुष्टि नहीं हो सकी। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

'पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा' ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क, में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी, वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराने के कारण, सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री रविन्द्र सिंह से उक्त धनराशि रु0 940708.00 रुपये नियमानुसार ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

(24) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - पतौरा

विकास खण्ड - उझानी

प्रस्तर -24 लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा ऑनलाइन/ऑफलाइन ऑडिट/कैशबुक के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2019-20 में कैशबुक में दर्शित व्यय रु0 143397.00 की जांच व पुष्टि नहीं हो सकी। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

'पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा' ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क, में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी, वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराने के कारण, सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री खजान तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक यादव से उक्त धनराशि रु0 143397.00 रुपये नियमानुसार ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

(25) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - फूलपुर

विकास खण्ड - उझानी

प्रस्तर -25 लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा ऑनलाइन/ऑफलाइन ऑडिट/कैशबुक के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2019-20 में कैशबुक में दर्शित व्यय रू0 8310.00 की जांच व पुष्टि नहीं हो सकी। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

‘पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा’ ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क, में प्रावधान है कि ‘यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी, वसूली के साथ-साथ ‘जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराने के कारण, सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीरज देवी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अवधेश कुमार से उक्त धनराशि रू0 8310.00 रूपये नियमानुसार ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

(26) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - पलिया मेहदी

विकास खण्ड - उझानी

प्रस्तर -26 लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा ऑनलाइन/ऑफलाइन ऑडिट/कैशबुक के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2019-20 में कैशबुक में दर्शित व्यय रू0 14000.00 की जांच व पुष्टि नहीं हो सकी। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

‘पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा’ ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क, में प्रावधान है कि ‘यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी, वसूली के साथ-साथ ‘जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराने के कारण, सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मवीर से उक्त धनराशि रू0 14000.00 रूपये नियमानुसार ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0- )

(27) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - सरकी

विकास खण्ड - उझानी

प्रस्तर -27 लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा ऑनलाइन/ऑफलाइन ऑडिट/कैशबुक के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2019-20 में कैशबुक में दर्शित व्यय रू0 5720.00 की जांच व पुष्टि नहीं हो सकी। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

‘पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा’ ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क, में प्रावधान है कि ‘यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी, वसूली के साथ-साथ ‘जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराने के कारण, सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री भगवान तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अमोल पराशर से उक्त धनराशि रू0 5720.00 रूपये नियमानुसार ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

(28) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - सराये स्वाले

विकास खण्ड - उझानी

प्रस्तर -28 लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा ऑनलाइन/ऑफलाइन ऑडिट/कैशबुक के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2019-20 में कैशबुक में दर्शित व्यय रू0 52000.00 की जांच व पुष्टि नहीं हो सकी। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

'पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा' ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क, में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी, वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराने के कारण, सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सोमवीर तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री नवीन कुमार शर्मा से उक्त धनराशि रु0 52000.00 रुपये नियमानुसार ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

(29) जनपद- बदायूँ  
ग्राम पंचायत - गदरौली  
विकास खण्ड - उझानी

प्रस्तर -29 लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा ऑनलाइन/ऑफलाइन ऑडिट/कैशबुक के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2019-20 में कैशबुक में दर्शित व्यय रु0 639826.60 की जांच व पुष्टि नहीं हो सकी। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

'पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा' ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क, में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी, वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराने के कारण, सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निशा तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री मुनीश कुमार से उक्त धनराशि रु0 639826.00 रुपये नियमानुसार ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

(30) जनपद- बदायूँ  
ग्राम पंचायत - चिंजरी  
विकास खण्ड - उझानी

प्रस्तर -30 लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा ऑनलाइन/ऑफलाइन ऑडिट/कैशबुक के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2019-20 में कैशबुक में दर्शित व्यय रु0 2306123.00 की जांच व पुष्टि नहीं हो सकी। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

'पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा' ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क, में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी, वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराने के कारण, सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती श्रीदेवी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती दीपमाला से उक्त धनराशि रु0 143397.00 रुपये नियमानुसार ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

(31) जनपद- बदायूँ  
ग्राम पंचायत - हतरा  
विकास खण्ड - उझानी

प्रस्तर -31 लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा ऑनलाइन/ऑफलाइन ऑडिट/कैशबुक के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2019-20 में कैशबुक में दर्शित व्यय रु0 216823.00 की जांच व पुष्टि नहीं हो सकी। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

'पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा' ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क, में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी, वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराने के कारण, सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती इशरत जहां खान तथा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती दीपमाला से उक्त धनराशि रु0 216823.00 रुपये नियमानुसार ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

(32) जनपद- बदायूँ  
ग्राम पंचायत - मीरापुर  
विकास खण्ड - उझानी

प्रस्तर -32 लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा ऑनलाइन/ऑफलाइन ऑडिट/कैशबुक के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2019-20 में कैशबुक में दर्शित व्यय रु0 823484.00 की जांच व पुष्टि नहीं हो सकी। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

'पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा' ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क, में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी, वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराने के कारण, सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दीपक वाष्णय तथा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती दीपमाला से उक्त धनराशि रु0 823484.00 रुपये नियमानुसार ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

(33) जनपद- बदायूँ  
ग्राम पंचायत - उरैना  
विकास खण्ड - उझानी

प्रस्तर -33 लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा ऑनलाइन/ऑफलाइन ऑडिट/कैशबुक के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2019-20 में कैशबुक में दर्शित व्यय रु0 2073177.80 की जांच व पुष्टि नहीं हो सकी। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

'पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा' ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क, में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी, वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं कराने के कारण, सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निशाला खान तथा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती दीपमाला से उक्त धनराशि रु0 2073177.80 रुपये नियमानुसार ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

जनपद बरेली

ग्राम पंचायत से संबन्धित आपतियाँ -

**प्रस्तर संख्या-(1)-** वर्ष 2019-20 की कैशबुक के अनुसार चरन सिंह के घर से छोटेलाल की बैठक तक सी0सी0 नाली निर्माण पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शाया गया है ,जिस पर निम्न आपत्ति रही -

तिथि	व्यय का विवरण	धनराशि
11-12-2019	धर्मद्र पाल को मजदूरी हेतु भुगतान	- 10000.00
26-11-2019	भीमसेन को मजदूरी हेतु भुगतान	- 10000.00
26-11-2019	धर्मद्र पाल को मजदूरी हेतु भुगतान	- 10000.00
27-12-2019	धर्मद्र पाल को मजदूरी हेतु भुगतान	- 18515.00
27-12-2019	शर्मा बिल्डिंग मैटेरियल को भुगतान	- 160337.00
27-12-2019	लक्ष्मी ब्रिक फील्ड को सीमेंट ,बजरी,रेता हेतु भुगतान	- 33384.00

**योग- 242236.00**

श्रमिक उपरोक्त व्यय से संबन्धित श्रमांश पर व्यय हेतु किसी एक ही श्रमिक को भुगतान किया गया है ,जिससे संबन्धित न तो का मस्टर रोल प्रस्तुत रहा और न ही एक श्रमिक के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया गया |इसी प्रकार सामाग्री आपूर्ति हेतु शर्मा बिल्डिंग मैटेरियल एवं लक्ष्मी ब्रिक फील्ड को भुगतान दर्शाया गया है ,किन्तु लक्ष्मी ब्रिक फील्ड से सीमेंट ,बाजरी ,रेता आदि आपूर्ति दर्शित रहा ,जबकि उक्त फार्म से ईट की ही आपूर्ति की जा सकती है और उपरोक्त व्यय की पुष्टि मे व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजिस्टर ,एस्टिमेट ,एम0बी0,निर्माण कार्य रजिस्टर ,स्टॉक रजिस्टर ,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,डिलवरी चालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली,स्वीकृत कार्य योजना आदि भी प्रस्तुत नहीं रहा | उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) मे व्यवस्था दी गयी है की यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी |वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारती दंड संहिता की धारा -409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यालय मे चलाया जाएगा |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विना बिल /वाउचर एवं अपेक्षित अभिलेख के व्यय दर्शित करके धनराशि रु0 242236.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदाई है ,जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम स0 256 से 259 मे दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज अपेक्षित रहा | **(xzke iapk;r & आलमपुर कोट विकास खंड- रामनगर)**

**प्रस्तर संख्या-(2)-** वर्ष 2019-20 की कैशबुक के अनुसारजगदीश कश्यप के घर से अनेकपाल सिंह के घरतकसी0सी0नाली निर्माण पर निम्न विवरणानुसार व्ययरु0221087.00दर्शाया गया है ,जिस पर निम्न आपत्ति रही-

तिथि	व्यय का विवरण	धनराशि
14-01 -2020	बालाजी बिल्डिंग मैटेरियलकोसीमेंट ,रेता हेतु भुगतान	126000.00
12-03-2020	„ „ „ „	15496.00
„	जावेद इंटर प्राइजेज को ईटहेतु भुगतान	25403.00
„	धर्मद्र पाल कोमिट्टी भराव हेतु भुगतान	5383.00
„	भीमसेन को मजदूरी हेतु भुगतान	48805.00

**योग- 221087.00**

उपरोक्त व्यय से संबन्धित श्रमांश पर व्यय हेतु किसी एक ही श्रमिक को भुगतान किया गया है ,जिससे संबन्धित न तो श्रमिक का मस्टर रोल प्रस्तुत रहा और न ही एक श्रमिक के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया गया |उपरोक्त व्यय की पुष्टि मे व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजिस्टर ,एस्टिमेट ,एम0बी0,निर्माण कार्य रजिस्टर ,स्टॉक रजिस्टर ,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,डिलवरी चालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली,स्वीकृत कार्य योजना आदि भी प्रस्तुत नहीं रहा | उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) मे व्यवस्था दी गयी है की यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी |वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारती दंड संहिता की धारा -409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यालय मे चलाया जाएगा |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विना बिल /वाउचर एवं अपेक्षित अभिलेख के व्यय दर्शित करके धनराशि रु0 242236.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदाई है ,जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 मे दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज अपेक्षित रहा |**(xzke iapk;r & आलमपुर कोट विकास खंड- रामनगर)**

**प्रस्तर संख्या-(03)-** वर्ष 2019-20 की कैशबुक के अनुसारहीरालाल के घर से सी0सी0रोड तक सी0सी0नाली निर्माण पर निम्न विवरणानुसार व्ययरु056153.00 दर्शाया गया है ,जिस पर निम्न आपत्ति रही -

तिथि	व्यय का विवरण	धनराशि
14-08 -2019	- ग्राम प्रधान को मजदूरी हेतु भुगतान -	12210.00
18-11-2019	- लक्ष्मी ब्रिक फील्ड को ईट हेतु भुगतान -	7679.00
,,	- शर्मा बिल्डिंग मैटेरियल को सीमेंट,रेता हेतु -	35314.00
24-11-2019	- मिट्टी कार्य हेतु प्रधान को भुगतान -	950.00

**योग- 56153.00**

उपरोक्त व्यय से संबन्धित मजदूरी एवं मिट्टी कार्य हेतुश्रमिक को भुगतान न करके ग्राम प्रधान को किया गया है ,जबकि भुगतान श्रमिक को किया जाना चाहिए और व्यय की पुष्टि मेन तो श्रमिक का मस्टर रोल प्रस्तुत रहा औरन हीउपरोक्त व्यय की पुष्टि मे व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजिस्टर ,एस्टिमेट ,एम0बी0,निर्माण कार्य रजिस्टर ,स्टॉक रजिस्टर ,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,डिलवरी चालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली,स्वीकृत कार्य योजना आदि भी प्रस्तुत नहीं रहा | उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) मे व्यवस्था दी गयी है की यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी |वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारती दंड संहिता की धारा -409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यालय मे चलाया जाएगा |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विना बिल /वाउचर एवं अपेक्षित अभिलेख के व्यय दर्शित करके धनराशि रु0 56153.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदाई है ,जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 मे दी गयीव्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज अपेक्षित रहा | (xzke iapk;r & आलमपुर कोट विकास खंड- रामनगर)

**प्रस्तर संख्या-(04)-** वर्ष 2019-20 की कैशबुक के अनुसारप्राइमरी पाठशाला बांडूबाल के बराबर मिट्टी -भराव हेतुनिम्न विवरणानुसार व्ययरु048000.00 दर्शाया गया है ,जिस पर निम्न आपत्ति रही -

तिथि	व्यय का विवरण	धनराशि
08-07-2019	मिट्टी कार्य हेतु श्री पाल सिंह को भुगतान	30000.00
09-07-2019	,, दयाराम को भुगतान	18000.00

**योग- 48000.00**

उपरोक्त व्यय की पुष्टि मे व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजिस्टर ,एस्टिमेट ,एम0बी0,निर्माण कार्य रजिस्टर,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,स्वीकृत कार्य योजना आदि प्रस्तुत नहीं रहा | उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) मे व्यवस्था दी गयी है की यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी |वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारती दंड संहिता की धारा -409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यालय मे चलाया जाएगा |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विना बिल /वाउचर एवं अपेक्षित अभिलेख के व्यय दर्शित करके धनराशि रु0 48000.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदाई है ,जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 मे दी गयीव्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज अपेक्षित रहा | (xzke iapk;r & आलमपुर कोट विकास खंड- रामनगर)

**प्रस्तर संख्या-(05)-** वर्ष 2019-20 की कैशबुक के अनुसार मेन खड्जा से इतवारी के घर तक सी0सी0नाली निर्माण पर निम्न विवरणानुसार व्यय रु0101462.00 दर्शाया गया है ,जिस पर निम्न आपत्ति रही -

तिथि	व्यय का विवरण	धनराशि
29-07-2019	मजदूरी हेतुधर्मद्र पाल को भुगतान	10000.00
07-08-2019	,, ग्राम प्रधान को भुगतान	12355.00
,,	बाला जी बिल्डिंग मैटेरियल को ईट,बजर हेतु	63170.00
13.08.2019	ख्वाजा ईट उद्योग को भुगतान	14092.00
23.11.2019	मिट्टी भराव हेतु ग्राम प्रधान को भुगतान	1845.00

**योग- 101462.00**

उपरोक्त व्यय से संबन्धित मजदूरी एवं मिट्टी कार्य हेतुश्रमिक को भुगतान न करके ग्राम प्रधान को किया गया है ,जबकि भुगतान श्रमिक को किया जाना चाहिए और व्यय की पुष्टि मेन तो श्रमिक का मस्टर रोल प्रस्तुत रहा औरन हीउपरोक्त व्यय की पुष्टि मे व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजिस्टर ,एस्टिमेट ,एम0बी0,निर्माण कार्य रजिस्टर ,स्टॉक रजिस्टर ,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,डिलवरी

चालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली,स्वीकृत कार्य योजना आदि भी प्रस्तुत नहीं रहा | उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गयी है की यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी |वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा -409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विना बिल /वाउचर एवं अपेक्षित अभिलेख के व्यय दर्शित करके धनराशि रु0 101462.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदाई है ,जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयीव्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज अपेक्षित रहा | (xzke iapk;r & आलमपुर कोट विकास खंड- रामनगर) प्रस्तर संख्या-6 वर्ष 2019-20 के कैशबुक के अनुसार हैंडपंप मरम्मत पर व्यय रु0 54880.00 दर्शाया गया है |किन्तु व्यय से संबन्धित न तो व्यय प्रमाणक रहा और न ही हैंडपंप मरम्मत कार्य की पुष्टि में अन्य आवश्यक अभिलेख ही प्रस्तुत रहा |विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	विवरण	धनराशि
04.04.2019	न्यू पार्थ हार्डवेयर स्टोर्स को भुगतान	16430.00
14.08.2019	राजवती मशीनरी स्टोर्स को भुगतान	23450.00
20.01.2020	राजवती मशीनरी स्टोर्स को भुगतान	15000.00

**योग- 54880.00**

इस प्रकार हैंडपंप मरम्मत हेतु उक्त फार्मों /दुकान को रु054880.00 भुगतान किया गया है ,किन्तु व्यय से संबन्धित न तो प्रमाणक रहा और न ही नल मरम्मत पर कोई मजदूरी ही व्यय दर्शित रहा और न ही लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप खराब होने की सूचना व उनके मरम्मत की मांग तथा संबन्धित तकनीकी आकलन ही प्रस्तुत रहा |उक्त विवरण के विना कार्य की पुष्टि एवं पारदर्शिता का अभाव रहा |जल प्रबंधन समिति की संस्तुति व अनुमोदन भी प्रस्तुत नहीं रहा | डेड स्टॉक व स्क्रैब की बिक्री से आय अज्ञात रही |इस प्रकार हैंडपंप मरम्मत पर अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी|वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा |उक्त नियम के अनुसार सचिव श्री सचिन गंगवार व प्रधान श्रीमती भगवान देई उत्तरदाई है ,जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज अपेक्षित रहा। (ग्राम -भूरीपुर, विकास खंड -रामनगर)

प्रस्तर संख्या-7 वर्ष 2019-20 के कैशबुक के अनुसार प्रशासनिक व्यय पर रु0 17995.00 दर्शाया गया है ,किन्तु व्यय से संबन्धित न तो व्यय प्रमाणक रहा और न ही व्यय वास्तविक कैशबुक में उल्लेख ही किया गया है ,विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	विवरण	धनराशि
20.04.2019	मदन लाल को	4500.00
10.12.2019	भगवान देई, प्रधान को	7500.00
30.03.2020	मदन लाल को	1000.00
31.03.2020	,,	4995.00

**योग- 17995.00**

इस प्रकार प्रशासनिक व्यय हेतु रु017995.00 भुगतान किया गया है ,किन्तु कैशबुक में न तो व्यय का विवरण अंकित किया गया है और न ही प्रमाणक प्रस्तुत रहा |अतःविना प्रमाणक व व्यय वास्तविक उल्लेख के दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी , उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी|वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा |उक्त नियम के अनुसार सचिव श्री सचिन गंगवार व प्रधान श्रीमती भगवान देई उत्तरदाई है ,जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज अपेक्षित रहा । (ग्राम -भूरीपुर, विकास खंड -रामनगर)

प्रस्तर संख्या-8. वर्ष 2019-20 के कैशबुक के अनुसार मान सिंह से राम पाल के खेत तक खड़जा निर्माण पर व्यय रु0 214525.00 किया गया है |जिस पर निम्न आपत्ति रही -

तिथि	विवरण	धनराशि
------	-------	--------

24.04.2019	सामाग्री /मैटेरियल का भुगतान	6500.00
06.05.2019	लेबर को	8430.00
26.07.19	”	20150.00
29.07.19	लेबर को	38715.00
”	सामाग्री /मैटेरियल का भुगतान	29152.00
”	मिट्टी भराव	11021.00
30.07.19	ईट क्रय	100557.00

योग - 214525.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त खड़जा निर्माण पर व्यय रु0 214525.00 दर्शित रहा ,किन्तु भुगतान की पुष्टि में न तो व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही निर्माण कार्य की पुष्टि में अन्य अभिलेख -स्टॉक रजिस्टर ,निर्माण कार्य रजिस्टर ,परिसंपत्ति रजिस्टर ,एस्टिमेट ,कार्यपूति प्रमाण पत्र ,एम0बी0,कार्यवाही रजिस्टर आदि ही प्रस्तुत रहा ,जिस कारण उक्त कार्य पर दर्शित व्यय अपुष्टि रहा , उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मौनुयल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा ।उक्त नियम के अनुसार सचिव श्री सचिन गंगवार व प्रधान श्रीमती भगवान देई उत्तरदाई है ,जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज अपेक्षित रहा। **(ग्राम –भूरीपुर, विकास खंड –रामनगर)**

**प्रस्तर संख्या-9-** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत दराबनगर में दिनांक 01.11.19 से 31.03.2020 तक अनुदान की धनराशि रुपया 2478932.00 का व्यय बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है चूकि इस दौरान बैंक से अहरित धनराशि पी एफ एम एस के माध्यम से किये गए थे इसलिए किस –किस को भुगतान किया गया का विवरण अज्ञात रहा । दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा केशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में सचिव से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मौनुयल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकीर्त कार्य योजना स्वीकीर्त इस्टिमेट कार्य पूति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामाग्री क्रय की पुष्टि में डिलवरीचालान टैंडर /कुटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकीर्तआदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 2478932.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी व ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक सिंह से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है । **(ग्राम-दराबनगर-विकास खंड –रामनगर)**

**प्रस्तर संख्या-10** -ग्राम पंचायत – दौलतपुर ,क्षेत्र पंचायत -राम नगर एवं जनपद -बरेली के उपलब्ध अभिलेख एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी ,जिसमें निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत द्वारा कार्य कराया गया है ,किन्तु लेखा परीक्षा में कार्य की पुष्टि में निर्माण कार्य संबन्धित केशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा ।जिसमें निम्न लिखित अपहरण ,दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए । उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मौनुयल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा ।विवरण निम्न प्रकार है -

1. कार्य का नाम – राजू हरिजन के घर से मेन रोड तक खड़जा निर्माण –

क्र0	तिथि	व्यय विवरण	धनराशि
1.	29.11.19	लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	86679.00
2.	29.11.19	श्री गोपाल जी ट्रेडिंग कंपनी	56713.00
3	03.12.19	ग्राम प्रधान श्रीमती महेंद्र वती को मजदूरी का भुगतान	80780.00

4	03.12.19	ग्राम प्रधान श्रीमती महेंद्र वती को मजदूरी का भुगतान	19905.00
5	03.12.19	श्री गोपाल जी ट्रेडिंग कंपनी	3092.00
		योग	247169.00

2.कार्य का नाम – तुला राम से मेन रोड तक खड़जा निर्माण -

क्र0	तिथि	व्यय विवरण	धनराशि
1.	18.12.19	लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	35100.00
2.	18.12.19	ग्राम प्रधान श्रीमती महेंद्र वती को मजदूरी का भुगतान	9900.00
3.	18.12.19	श्री गोपाल जी ट्रेडिंग कंपनी	6170.00
		योग	51170.00

3.कार्य का नाम –बनवारी से मेन रोड तक खड़जा निर्माण -

1.	17.02.20	ग्राम प्रधान श्रीमती महेंद्र वती को मजदूरी का भुगतान	7290.00
2.	17.02.20	लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	15114.00
3.	18.02.20	ग्राम प्रधान श्रीमती महेंद्र वती को मजदूरी का भुगतान	2593.00
		योग -	24997.00

4.कार्य का नाम –दिनांक 30.07.19 को नल रिबोर हेतु रजवती मशीनरी स्टोर भुगतान रु0 38084.00

5 .कार्य का नाम –हैंड पंप मरम्मत कार्य -

1.	19.07.19	देवेंद्र कुमार को भुगतान	2500.00
2.	31.12.19	रजवती मशीनरी स्टोर	5000.00
		योग -	7500.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामाग्री हेतु भुगतान तो फार्म /दुकान को दर्शाया गया है ,किन्तु मजदूरी हेतु भुगतान ग्राम प्रधान श्री श्रीमती महेंद्र वती को किया गया है ,जो आपति जनक है और सामाग्री क्रय एवं मजदूरी कि पुष्टि मे न तो व्यय प्रमाणक ,मास्टर रोल प्रस्तुत रहा और न ही निर्माण कार्य कि पुष्टि मे निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर ,कार्यवाही रजिस्टर,एस्टिमेट ,एम0बी0,कार्यपूति ,टैंडर/कोटेसन पत्रावली ,स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख उपलब्ध रहा ,इसी प्रकार हैंड पंप मरम्मत कार्य पर व्यय से संबन्धित न तो व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही लाभार्थियों के द्वारा हैंड पंप खराब होने कि सूचना व उनके मरम्मत कि मांग तथा संबन्धित तकनीकी आंकलन प्रस्तुत रहा |उक्त विवरण के विना कार्य कि पुष्टि एवं पारदर्शिता का अभाव रहा |जल प्रबंधन समिति कि संस्तुति व अनुमोदन भी प्रस्तुत नहीं रहा |इस प्रकार उक्त सामाग्री /मजदूरी पर अवास्तविक व्यय रु0 368920.00 दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है ,जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री श्रीमती महेंद्र वती एव सचिव श्री सचिन गंगावर उत्तरदायी है |जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 मे दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रहा | (ग्राम पंचायत –दौलतपुर - क्षेत्र पंचायत — राम नगर)

#### **प्रस्तर संख्या-11-**

आलोच्य वर्ष 2019-20 मे ग्राम पंचायत फिरोजपुर मे निम्न विवरणानुसार दिनांक 01-04-19से 23-07-19 तक अनुदान की धनराशि रुपया 521686.00 का व्यय बैंक स्टेटमेंट मे दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा केशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया|ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा मे सचिव से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया| उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मौन्यल के अध्याय 8 की धारा 8(क)मे व्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध मे कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी|वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा |किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकीर्त कार्य योजना स्वीकीर्त इस्टिमेट कार्य पूति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामाग्री क्रय की पुष्टि मे डिलवरीचालान टैंडर /कुटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकीर्तआदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया |

उक्त नियम के आलोक मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 521686.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 मे दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती आसमा बेगम व ग्राम पंचायत सचिव श्री नज़रूल हसन से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल मे लाया जाना अपेक्षित है | विवरण निम्नानुसार है -

क्रम सं	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	विवरण (जिसको चेक जारी किया गया है )
01	16.04.2019	544	6500.00	मो0 नोमान सिद्दीकी
02	17.04.2019	546	20000.00	दानिश रजा पाइप स्टोर
03	17.04.2019	545	18875.00	दानिश रजा पाइप स्टोर
04	24.04.2019	547	126000.00	दानिश रजा पाइप स्टोर
05	24.06.2019	548	99000.00	रजा ट्रेडर्स
06	25.06.2019	551	12700.00	दानिश रजा पाइप स्टोर
07	26.06.2019	549	10804.00	ट्रांसफर -बल्लिया
08	26.06.2019	550	22000.00	ट्रांसफर -बल्लिया
09	02.07.2019	552	25000.00	शबरी ब्रिक उद्योग
10	02.07.2019	554	31200.00	दानिश रजा पाइप स्टोर
11	02.07.2019	555	18000.00	दानिश रजा पाइप स्टोर
12	02.07.2019	553	10000.00	दानिश रजा पाइप स्टोर
13	10.07.2019	511	14000.00	ट्रांसफर -बल्लिया
14	23.07.2019	515	32900.00	दानिश रजा पाइप स्टोर
15	23.07.2019	512	33200.00	दानिश रजा पाइप स्टोर
16	23.07.2019	514	32785.00	दानिश रजा पाइप स्टोर
17	23.07.2019	517	5560	दानिश रजा पाइप स्टोर
18	23.07.2019	518	3162.00	ओ0पी0गोस्वामी
	योग		521686.00	

**(ग्राम फिरोजपुर - विकास खंड - मीरगंज)**

**प्रस्तर संख्या-12-** वर्ष 2019-20 में केशबुक के अनुसार ग्राम में नातियों व गलियों व घूरो की सफाई एवं ग्राम में नाती आदि की सफाई हेतु निम्न विवरणनुसार व्यय दर्शाया गया है :

तिथि	विवरण	धनराशि
1-7-2019	प्रधान को भुगतान	25000.00
1-7-2019	प्रधान को भुगतान	26000.00

उक्त कार्य हेतु आहरण ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है ,किन्तु भुगतान किसे किया गया है ,इससे संबन्धित विवरण न तो केश बुक में दर्शित रहा और न ही व्यय प्रमाणक (मास्टर रोल ),कार्यवाही रजिस्टर आदि प्रस्तुत रहा | इस प्रकार प्रमाणक बिहिन एवं विना स्वीकृति का व्यय रहा |उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गयी है की यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी |वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारती दंड संहिता की धारा -409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यालय में चलाया जाएगा।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विना बिल /वाउचर एवं अपेक्षित अभिलेख के व्यय दर्शित करके धनराशि रु051000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदाई है ,जिसकी वसूली मय ब्याज की जानी अपेक्षित रही।**(पंचायत - फुंदन नगर- विकास खंड - राम नगर)**

**प्रस्तर संख्या-13** -वर्ष 2019-20 के केशबुक के अनुसार दिनांक 03.07.2019 को प्रा0पा0 में एवं जूनियर हाई स्कूल में बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर क्रय पर रु0528000.00 व्यय दर्शाया गया है ,उक्त फर्नीचर बी0एम0इंटर प्राइजेज़ से क्रय दर्शित रहा ,किन्तु फर्नीचर क्रय से संबन्धित न तो क्रय प्रमाणक /बिल प्रस्तुत रहा और न ही क्रय से संबन्धित कोटेशन /टेंडर ,वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति ,कार्यवाही आदि ही प्रस्तुत रही | इस प्रकार प्रमाणक बिहिन एवं विना स्वीकृति का व्यय रहा |उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गयी है की यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी |वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारती दंड संहिता की धारा -409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यालय में चलाया जाएगा |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विना बिल /वाउचर एवं अपेक्षित अभिलेख के व्यय दर्शित करके धनराशि ₹0 528000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदाई है ,जिसकी वसूली मय ब्याज की जानी अपेक्षित रही/(पंचायत -फुंदन नगर- विकास खंड - राम नगर)

**प्रस्तर संख्या-14** वर्ष 2019-20 के कैशबुक के अनुसार हैंडपंप मरम्मत पर व्यय ₹0 104850.00 दर्शाया गया है ।किन्तु व्यय से संबन्धित न तो व्यय प्रमाणक रहा और न ही हैंडपंप मरम्मत कार्य की पुष्टि में अन्य आवश्यक अभिलेख ही प्रस्तुत रहा ।विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	विवरण	धनराशि
04.05.2019	दुर्गा खाद एवं सीमेंट स्टोर को भुगतान	13000.0
16.05.2019	मुरारी लाल को भुगतान	15600.00
02.07.2019	” ”	28950.00
13.08.2019	प्रधान को भुगतान	4800.00
18.01.2020	संजय कुमार को भुगतान	7500.00
02.03.2020	राजवती मशीनरी स्टोर	32150.00
”	प्रधान को भुगतान	2850.00
		योग-104850.00

इस प्रकार हैंडपंप मरम्मत हेतु उक्त फार्मों /व्यक्ति को ₹0 104850.00 .00 भुगतान किया गया है ,किन्तु व्यय से संबन्धित न तो प्रमाणक रहा और न ही लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप खराब होने की सूचना व उनके मरम्मत की मांग तथा संबन्धित तकनीकी आकलन ही प्रस्तुत रहा ।उक्त विवरण के विना कार्य की पुष्टि एवं पारदर्शिता का अभाव रहा ।जल प्रबंधन समिति की संस्तुति व अनुमोदन भी प्रस्तुत नहीं रहा ।डेड स्टॉक व स्क्रैब की बिक्री से आय अज्ञात रही ।इस प्रकार हैंडपंप मरम्मत पर अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है ,जिसके लिए सचिव श्री भारत सिंह व प्रधान श्री महेंद्र पाल उत्तरदाई है ,जिसकी वसूली मय ब्याज किया जाना अपेक्षित रहा ।

उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गयी है की यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी ।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारती दंड संहिता की धारा -409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यालय में चलाया जाएगा । (पंचायत -फुंदन नगर- विकास खंड - राम नगर)

**प्रस्तर संख्या-15**--ग्राम पंचायत -गुलडिया अरिल ,क्षेत्र पंचायत -राम नगर एवं जनपद -बरेली के उपलब्ध अभिलेख एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी ,जिसमें निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत द्वारा कार्य कराया गया है ,किन्तु लेखा परीक्षा में कार्य की पुष्टि में निर्माण कार्य संबन्धित कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा ।जिसमें निम्न लिखित अपहरण ,दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए ।वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार उल्लेख है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जाएगी । विवरण निम्न प्रकार है

1. कार्य का नाम -बन्नो फकीर से मेडिकल तक रोड़ा भराव -

क्र0	तिथि	व्यय विवरण	धनराशि
1.	02.04.2019	गौतम ब्रिक वर्क्स	48871.00
2.	08.07.2019	ग्राम प्रधान वेद प्रकाश को मजदूरी का भुगतान	10500.00
		योग-	59371.00

2.कार्य का नाम -लल्ला बाबू से बलवीर तक खड़जा निर्माण -

क्र0	तिथि	व्यय विवरण	धनराशि
1.	17.07.2019	ग्राम प्रधान वेद प्रकाश को मजदूरी का भुगतान	45000.00
2.	18.07.2019	अहमद सीमेंट स्टोर,सामाग्री	15300.00
3.	25.07.2019	गौतम ब्रिक वर्क्स-ईट	67000.00
4.	06.08.2019	ग्राम प्रधान वेद प्रकाश को मजदूरी का भुगतान	21000.00
5.	06.08.2019	ग्राम प्रधान वेद प्रकाश को मिट्टी का भुगतान	20700.00
6.	”	अहमद सीमेंट स्टोर,सामाग्री	11037.00

7.	”	गौतम ब्रिक वर्क्स -ईट	60686.00
		योग	240723.00

3.कार्य का नाम -ऑमकार की बैठक से यादराम तक खड़जा मरम्मत कार्य -

1.	17.07.2019	ग्राम प्रधान वेद प्रकाश को मजदूरी का भुगतान	27000.00
2.	18.07.2019	अहमद सीमेंट स्टोर,सामाग्री	9300.00
3.	25.07.2019	गौतम ब्रिक वर्क्स -ईट	46800.0
4.	09.08.2019	अहमद सीमेंट स्टोर,सामाग्री	6980.00
5.	”	ग्राम प्रधान वेद प्रकाश को मजदूरी का भुगतान	25480.00
6.	13.08.2019	गौतम ब्रिक वर्क्स -ईट	35205.00
		योग -	150765.00

4.कार्य का नाम -शमशान भूमि के पास पुलिया निर्माण -

1.	06.08.2019	फौजी बिल्डिंग मॅटेरियल -सामाग्री	32632.00
2.	”	ग्राम प्रधान श्री वेद प्रकाश को मजदूरी का भुगतान	19700.00
3.	”	ग्राम प्रधान श्री वेद प्रकाश को मजदूरी का भुगतान	4300.00
4.	20.08.2019	गौतम ब्रिक वर्क्स -ईट	26244.00
		योग -	82876.00

5.श्री पाल के खेत के पास डिप निर्माण कार्य -

1.	06.08.2019	ग्राम प्रधान श्री वेद प्रकाश को मजदूरी का भुगतान	6700.00
2.	09.08.2019	अहमद सीमेंट स्टोर,सामाग्री	14346.00
3.	”	गौतम ब्रिक वर्क्स -ईट	7080.00
		योग -	28126.00

6.कार्य का नाम -जय सिंह से श्रीपाल तक खड़जा ,नाली निर्माण -

1.	13.08.2019	गौतम ब्रिक वर्क्स -ईट	37251.00
2.	”	ग्राम प्रधान श्री वेद प्रकाश को मजदूरी का भुगतान	19400.00
3.	”	ग्राम प्रधान श्री वेद प्रकाश को मिट्टी का भुगतान	5500.00
4.	14.08.2019	अहमद सीमेंट स्टोर,सामाग्री	9810.00
		योग	71961.00

7.कार्य का नाम -दिनांक 23-11-2019 को जोगराज के घर के पास मिट्टी भराव हेतु प्रधान श्री वेद प्रकाश को मजदूरी भुगतान रु010500.00 |

8.कार्य का नाम -दिनांक 23-11-2019 को गुलडिया अरिल मे पुलिया के पास मिट्टी भराव कार्य एवं गड्ढा भराव हेतु प्रधान श्री वेद प्रकाश को मजदूरी भुगतान रु05000.00 |

9.कार्य का नाम -इस्लाम खाँ के बैठक से तीतर की घर तक खड़जा व नाली निर्माण कार्य -

1.	06-12-2019	अहमद सीमेंट स्टोर,सामाग्री	12000.00
2.	”	ग्राम प्रधान श्री वेद प्रकाश को मजदूरी का भुगतान	33000.00
3.	”	गौतम ब्रिक वर्क्स -ईट	50000.00
4.	14.01.2020	ग्राम प्रधान श्री वेद प्रकाश को मजदूरी का भुगतान	23000.00
5.	”	अहमद सीमेंट स्टोर,सामाग्री	10049.00
6.	”	गौतम ब्रिक वर्क्स -ईट	47748.00
7.	”	ग्राम प्रधान श्री वेद प्रकाश को मजदूरी का भुगतान	4300.00
		योग -	180097.00

10.कार्य का नाम -नन्हें की बैठक से रमेश तक खड़जा व नाली निर्माण कार्य -

1.	09.12.2019	ग्राम प्रधान श्री वेद प्रकाश को मजदूरी का भुगतान	19325.00
2.	”	गौतम ब्रिक वर्क्स -ईट	40000.00

3.	”	अहमद सीमेंट स्टोर,सामाग्री	7000.00
4.	18-01-2020	ग्राम प्रधान श्री वेद प्रकाश को मिट्टी का भुगतान	4400.00
5.	”	अहमद सीमेंट स्टोर,सामाग्री	2808.00
6.	”	ग्राम प्रधान श्री वेद प्रकाश को मजदूरी का भुगतान	12350.00
7.	”	गौतम ब्रिक वर्क्स -ईट	24265.00
		योग -	110148.00

11.कार्य का नाम -दिनांक 14-01-2020 को रामपुर सीमा सड़क के पास -मिट्टी भराव कार्य हेतु ग्राम प्रधान श्री वेद प्रकाश को भुगतान रु0 22500.00 |

12.कार्य का नाम -हैंड पंप मरम्मत कार्य -

1.	09-07-2019	मो0 युनुस को भुगतान	14500.00
2.	18-07-2019	युनुस पाइप एंड सनेटरी	47897.00
3.	13-12-2019	ग्राम प्रधान श्री वेद प्रकाश को भुगतान	8000.00
4.	15-01-2020	” ”	19500.00
		योग -	89897.00

13.कार्य का नाम -वीर सिंह के प्लांट से शेर सिंह के घर तक खड़जा कार्य -

1.	20-03-2020	मिन्दु शर्मा को मजदूरी भुगतान	51330.0
2.	”	नफीस अहमद को मजदूरी	16800.00
3.	”	नफीस अहमद को मिट्टी भराव	18830.00
4.	”	जावेद इंटर प्राइजेस -ईट	85420.00
5.	”	शर्मा बिल्डिंग मैटेरियल -सामाग्री	42309.00
		योग -	214689.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामाग्री हेतु भुगतान तो फार्म /दुकान को दर्शाया गया है ,किन्तु मजदूरी हेतु भुगतान ग्राम प्रधान श्री वेद प्रकाश को किया गया है ,जो आपत्ति जनक है और सामाग्री क्रय एवं मजदूरी कि पुष्टि मे न तो व्यय प्रमाणक ,मास्टर रोल प्रस्तुत रहा और न ही निर्माण कार्य कि पुष्टि मे निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर ,कार्यवाही रजिस्टर,एस्टिमेट ,एम0बी0,कार्यपूति ,टेंडर/कोटेसन पत्रावली ,स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख उपलब्ध रहा ,इसी प्रकार हैंड पंप मरम्मत कार्य पर व्यय से संबन्धित न तो व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही लाभार्थियों के द्वारा हैंड पंप खराब होने कि सूचना व उनके मरम्मत कि मांग तथा संबन्धित तकनीकी आंकलन प्रस्तुत रहा |उक्त विवरण के विना कार्य कि पुष्टि एवं पारदर्शिता का अभाव रहा |जल प्रबंधन समिति कि संस्तुति व अनुमोदन भी प्रस्तुत नहीं रहा |इस प्रकार उक्त सामाग्री /मजदूरी पर अवास्तविक व्यय रु0 1266653.00 दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है ,जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री वेद प्रकाश एव सचिव श्री भरत सिंह उत्तरदायी है |जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 मे दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रहा | (ग्राम पंचायत — गुलडिया अरिल- विकास खंड — राम नगर)

**प्रस्तर संख्या-16-** -आलोच्य वर्ष मे 2019-20 मे ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय बैंक पास बुक मे दर्शाया गया है दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी केशबुक व बिल/वाउचर लेखा परीक्षा मे जाच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया| उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मौनुयल के अध्याय 8 की धारा 8(क)मे व्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध मे कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी| उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्ययोजना स्वीकृत इस्टिमेट,कार्यपूति प्रमाणपत्र एम0 बी0सामाग्री क्रय की पुष्टि मे टेंडर /कुटेशन,स्टाक रजि0भी लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई |

उक्त नियम के आलोक मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु0 1160570.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखो के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री लव्श्रेस्ट से उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम स0 256 से 259 मे दी गयी व्यवस्था के अनुरूप ब्याज सहित करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल मे लाया जाना अपेक्षित है |

निम्न विवरण बैंक पास बुक के आधार पर दिये गए है -

क्रम स0	विवरण	धनराशि
---------	-------	--------

01	मो 0 नोमनी सिद्दीकी को भुगतान	6500.00
02	एस सी सी एलजी	1700.00
03	विमला देवी	10500.00
04	अर्श खान पाइप स्टोर	10000.00
05	पी एफ एम एस के द्वारा भुगतान	1131870.00
	योग	1160570.00

उल्लेखनीय है की माह अक्टूबर 2109 से भुगतान पी एफ एम एस द्वारा किया जाने लगा | बैंक पास बुक में पी एफ एम एस से भुगतान प्राप्तकर्ता का पता नहीं लगाया जा सकता अतः पी एफ एम एस से भुगतान प्राप्त करने वाले का पुष्टि न की जा सकी | **(नाम पंचायत-जाम-विकास खंड -मीरगंज)**

**प्रस्तर संख्या-17-** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत जंगबाजपुर में निम्न विवरणानुसार दिनांक 01-04-19से 31-03-20 तक अनुदान की धनराशि रुपया 1314679.00 का व्यय बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में सचिव से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मौन्यल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकीर्त कार्य योजना स्वीकीर्त इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामाग्री क्रय की पुष्टि में डिलवरीचालान टैंडर /कुटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकीर्तआदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया |

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 1314679.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती रूपवती व ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है |

क्रम स0	जिसको भुगतान किया गया	धनराशि
01	सर्वो फार्म	3980.00
02	अरुण कुमार	30000.00
03	राजवती मशीनरी स्टोर	51558.00
04	रूप वती	14490.00
05	बी0एम0इंटरप्राइजेज़	7500.00
06	पी0एम0एफ0एस0 से भुगतान	1207151.00
	योग	1314679.00

उल्लेखनीय है की अक्टूबर 19 से भुगतान में पी एफ एम एस व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिनिहत नहीं किया जा सका जचोपरांत कार्य वाही अपेक्षित है | **(ग्राम पंचायत- जंगबाजपुर- विकास खंड -राम नगर)**

**प्रस्तर संख्या-18** वर्ष 2019-20 के कैशबुक के अनुसार दिनांक 06.04.2019 को प्रा0पा0में बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर क्रय पर रु0 714000.00 व्यय दर्शाया गया है। उक्त फर्नीचर बी0एम0इंटर प्राइजेज़ से क्रय दर्शित रहा। ,किन्तु फर्नीचर क्रय से संबन्धित न तो क्रय प्रमाणक /बिल प्रस्तुत रहा और न ही क्रय से संबन्धित कोटेशन /टैंडर ,वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति ,कार्यवाही आदि ही प्रस्तुत रही |इस प्रकार प्रमाणक बिहिन एवं विना स्वीकृति का व्यय रहा |उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गयी है, की यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी |वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा -409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विना बिल /वाउचर एवं अपेक्षित अभिलेख के व्यय दर्शित करके धनराशि रु0 714000.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदाई है ,जिसकी वसूली मय ब्याज की जानी अपेक्षित रही। **ग्राम पंचायत -मनौना- क्षेत्र पंचायत — राम नगर**

**प्रस्तर संख्या-19** वर्ष 2019-20 के कैशबुक के अनुसार दिनांक 06.04.2019 को बी0एम0इंटर प्राइजेज़ से सोलर लाइट क्रय पर रु0 107000.00 व्यय दर्शित रहा ,किन्तु सोलर लाइट क्रय से संबन्धित न तो क्रय प्रमाणक /बिल प्रस्तुत रहा और न ही क्रय से संबन्धित कोटेशन /टेंडर ,वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति ,कार्यवाही,कार्य स्थल ,विद्युत संयोजन /कनेक्शन का प्रमाणक ही आदि प्रस्तुत रही ।इस प्रकार प्रमाणक बिहिन एवं विना स्वीकृति का व्यय रहा ।उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) मे व्यवस्था दी गयी है की यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी ।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारती दंड संहिता की धारा -409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यालय मे चलाया जाएगा ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विना बिल /वाउचर एवं अपेक्षित अभिलेख के व्यय दर्शित करके धनराशि रु0 107000.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदाई है ,जिसकी वसूली मय ब्याज की जानी अपेक्षित रहा। **ग्राम पंचायत –मनौना- क्षेत्र पंचायत — राम नगर**

**प्रस्तर संख्या-20** वर्ष 2019-20 की कैशबुक के अनुसार खान मो0के फाटक से मोबारीक के घर तक सी0 सी0 नाली निर्माण पर निम्न विवरणानुसार व्ययरु0494864.00 दर्शाया गया है ,जिस पर निम्न आपत्ति रही -

तिथि	व्यय का विवरण	धनराशि
20.10.19	गाजी बिल्डिंग मैटेरियल से सीमेंट ,रेता ,बजरी आदि	174876.00
27.10.19	” ”	157939.00
”	प्रधान को मजदूरी हेतु भुगतान	100285.00
”	रियाज अहमद को मिट्टी भराव हेतु	9967.00
”	हाजी ब्रिक स्टोर को भुगतान	51797.00
	योग-	494864.00

उपरोक्त व्यय से संबन्धित मजदूरी हेतु श्रमिक को भुगतान न करके ग्राम प्रधान को किया गया है ,जबकि भुगतान श्रमिक को किया जाना चाहिए और व्यय की पुष्टि मे न तो श्रमिक का मस्टर रोल प्रस्तुत रहा औरन ही उपरोक्त व्यय की पुष्टि मे व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजिस्टर ,एस्टिमेट ,एम0बी0,निर्माण कार्य रजिस्टर ,स्टॉक रजिस्टर ,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,डिलवरी चालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली,स्वीकृत कार्य योजना आदि भी प्रस्तुत नहीं रहा । उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) मे व्यवस्था दी गयी है की यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी ।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारती दंड संहिता की धारा -409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यालय मे चलाया जाएगा ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विना बिल /वाउचर एवं अपेक्षित अभिलेख के व्यय दर्शित करके धनराशि रु0 494864.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदाई है ,जिसकी वसूली मय ब्याज की जानी अपेक्षित रही। **ग्राम पंचायत –मनौना- क्षेत्र पंचायत — राम नगर**

**प्रस्तर संख्या-21** - वर्ष 2019-20 की कैशबुक के अनुसार मो0 नवी के घर से ज़ाहिद की फाटक तक सी0 सी0 नाली निर्माण पर निम्न विवरणानुसार व्ययरु0 488379.00 दर्शाया गया है ,जिस पर निम्न आपत्ति रही -

तिथि	व्यय का विवरण	धनराशि
30.11.19	लोहे की दीप हेतु अब्दुल करीम एंड संस को भुगतान	7493.00
30.11.19	गाजी बिल्डिंग मैटेरियल से सीमेंट ,रेता ,बजरी आदि	154734.00 ,
30.11.19	रियाज अहमद को मिट्टी भराव हेतु	8177.00
30.11.19	प्रधान को मजदूरी हेतु भुगतान सीमेंट ,रेता ,बजरी	103025.00
”	गाजी बिल्डिंग मैटेरियल को भुगतान	147571.00
”	हाजी ब्रिक स्टोर को	61559.00
4.12.19	प्रधान को मजदूरी हेतु भुगतान सीमेंट ,रेता ,बजरी	5820.00

**योग-488379.00**

उपरोक्त व्यय से संबन्धित मजदूरी हेतु श्रमिक को भुगतान न करके ग्राम प्रधान को किया गया है ,जबकि भुगतान श्रमिक को किया जाना चाहिए और व्यय की पुष्टि मे न तो श्रमिक का मस्टर रोल प्रस्तुत रहा औरन ही उपरोक्त व्यय की पुष्टि मे व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजिस्टर ,एस्टिमेट ,एम0बी0,निर्माण कार्य रजिस्टर ,स्टॉक रजिस्टर ,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,डिलवरी चालान

टेंडर /कोटेशन पत्रावली,स्वीकृत कार्य योजना आदि भी प्रस्तुत नहीं रहा | उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गयी है की यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी |वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारती दंड संहिता की धारा -409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यालय में चलाया जाएगा |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विना बिल /वाउचर एवं अपेक्षित अभिलेख के व्यय दर्शित करके धनराशि रु0 488379.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदाई है ,जिसकी वसूली मय ब्याज की जानी अपेक्षित रही। **ग्राम पंचायत -मनौना- क्षेत्र पंचायत — राम नगर**

**प्रस्तर संख्या-22** वर्ष 2019-20 की कैशबुक के अनुसार मुन्ना अंसारी की चक्की से मुन्नी पाली के घर तक नाली निर्माण पर निम्न विवरणानुसार व्ययरु0326763.00 दर्शाया गया है ,जिस पर निम्न आपत्ति रही

तिथि	व्यय का विवरण	धनराशि
1.1.2020	हाजी ब्रिक स्टोर को	102075.00
1.1.2020	गाजी बिल्डिंग मैटेरियल को भुगतान	12208.00
1.1.2020,	,, सीमेंट ,रेता ,बजरी	47681.00
1.1.2020	लोहे की डीप हेतु अब्दुल करीम एंड संस को भुगतान	53008.00
1.1.2020,	गाजी बिल्डिंग मैटेरियल से सीमेंट ,रेता ,बजरी आदि	37324.00
1.1.2020	गाजी बिल्डिंग मैटेरियल को भुगतान	7948.00
1.1.2020	हाजी ब्रिक स्टोर को	5469.00
1.1.2020	प्रधान को मजदूरी हेतु भुगतान	61050.00

**योग - 326763.00**

उपरोक्त व्यय से संबन्धित मजदूरी हेतु श्रमिक को भुगतान न करके ग्राम प्रधान को किया गया है ,जबकि भुगतान श्रमिक को किया जाना चाहिए और व्यय की पुष्टि में न तो श्रमिक का मस्टर रोल प्रस्तुत रहा और न ही उपरोक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजिस्टर ,एस्टिमेट ,एम0बी0,निर्माण कार्य रजिस्टर ,स्टॉक रजिस्टर ,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,डिलवरी चालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली,स्वीकृत कार्य योजना आदि भी प्रस्तुत नहीं रहा | उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गयी है की यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी |वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारती दंड संहिता की धारा -409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यालय में चलाया जाएगा |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विना बिल /वाउचर एवं अपेक्षित अभिलेख के व्यय दर्शित करके धनराशि रु0 326763.00.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदाई है ,जिसकी वसूली मय ब्याज की जानी अपेक्षित रही | **ग्राम पंचायत -मनौना- क्षेत्र पंचायत — राम नगर**

**प्रस्तर संख्या-23** आलोच्य वर्ष 2019-20 के कैश बुक के अनुसार प्रेमपाल सिंह के घर से ब्रह्मदेव तक खड़जा ,नाली निर्माण पर व्यय रु064925.00 दर्शाया गया है | जिसका विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	व्यय का विवरण	धनराशि
30.11.2019	मजदूरी पर व्यय	4720-00
30.11.2019	मजदूरी पर व्यय	2360-00
30.11.2019	मजदूरी पर व्यय	4720 -00
30.11.2019	मजदूरी पर व्यय	9000 -00
30.11.2019	मजदूरी पर व्यय	4720 -00
30.11.2019	इनलप से मिट्टी ढुलाई व्यय	8000 -00
30.11.2019	,, ,,	9145 -00
30.11.2019	दुर्गा ब्रिक इंडस्ट्रीज़ को	22260-00

**योग -- 64925**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त व्यय खड़जा व नाली निर्माण कार्य पर किया गया है ,जिसमें रेता ,बजरफुट ,सीमेंट आदि अन्य पर कोई व्यय नहीं रहा ,जबकि नाली निर्माण हेतु अन्य सामाग्री के बिना निर्माण कार्य संभव ही नहीं है |इसके अतिरिक्त उक्त सामाग्री आपूर्ति हेतु न तो प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही निर्माण कार्य रजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर ,एस्टिमेट ,एम0बी0,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र

,स्टॉक रजिस्टर ,कार्यवाही आदि ही प्रस्तुत रहा |जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती है उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मौनुयल के अध्याय 8 की धारा 8(क)मे ब्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध मे कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी|वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा |उक्त नियम के अनुसार ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी व सचिव श्री लवश्रेष्ठ उत्तरदाई है ,जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 मे दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज अपेक्षित रहा |(ग्राम –मसीहाबाद- विकास खंड –मीरगंज)

**प्रस्तर संख्या-24** आलोच्य वर्ष 2019-20 के केशबुक के अनुसार जूनियर हाई स्कूल मे मिट्टी भराव आदि पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित रहा ,जिस पर निम्न आपत्ति रही –

तिथि	विवरण	धनराशि
6.01.2020	मजदूरी पर व्यय	6785-00
6.01.2020	मजदूरी पर व्यय	6785-00
6.01.2020	मजदूरी पर व्यय	6785-00
6.01.2020	मजदूरी पर व्यय	6785-00
6.01.2020	मजदूरी पर व्यय	6785-00
6.01.2020	मजदूरी पर व्यय	6785-00
17.01.2020	मिट्टी आपूर्ति	42000-00
<b>योग -</b>		<b>82710-00</b>

उपरोक्त व्यय की पुष्टि मे न तो व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही एस्टिमेट ,एम0बी0,निर्माण कार्य रजिस्टर ,कार्यवाही ,कार्ययोजना ,ही प्रस्तुत रही |अतःविना प्रमाणक के व्यय अपुष्टि रहा उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मौनुयल के अध्याय 8 की धारा 8(क)मे ब्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध मे कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी|वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा |उक्त नियम के अनुसार ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी व सचिव श्री लवश्रेष्ठ उत्तरदाई है ,जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 मे दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज अपेक्षित रहा |(ग्राम –मसीहाबाद- विकास खंड –मीरगंज)

**प्रस्तर संख्या-25** वर्ष 2019-20 के केश बुक के अनुसार हैंडपंप मरम्मत पर व्यय रु0116100.00 व्यय किया गया दर्शित है ,किन्तु व्यय से संबन्धित न तो व्यय प्रमाणक रहा और न ही मरम्मत कार्य की पुष्टि मे अन्य आवश्यक अभिलेख ही प्रस्तुत रहा |विवरण निम्न प्रकार है –

तिथि	विवरण	धनराशि
21.06.2019	हैंडपंप मरम्मत	18250-00
28.02.20	” ”	37800-00
30.03.20	” ”	60050 -00
<b>योग -</b>		<b>116100 -00</b>

इस प्रकार हैंडपंप मरम्मत पर व्यय से संबन्धित न तो व्यय प्रमाणक रहा और न ही लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप खराब होने की सूचना व उनके मरम्मत की मांग तथा संबन्धित तकनीकी आकलन प्रस्तुत रहा |उक्त विवरण के विना कार्य की पुष्टि एवं पारदर्शिता का अभाव रहा |जल प्रबंधन समिति की संस्तुति व अनुमोदन भी प्रस्तुत नहीं रहा | उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मौनुयल के अध्याय 8 की धारा 8(क)मे ब्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध मे कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी|वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा |उक्त नियम के अनुसार ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी व सचिव श्री लवश्रेष्ठ उत्तरदाई है ,जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 मे दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज अपेक्षित रहा। (ग्राम –मसीहाबाद- विकास खंड –मीरगंज)

**प्रस्तर संख्या-26-** आलोच्य वर्ष 2019-20 मे ग्राम पंचायत रेवती मे निम्न विवरणानुसार दिनांक 03-08-19से 31-03-20 तक अनुदान की धनराशि रुपया 1189768.00 का व्यय बैंक स्टेटमेंट मे दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा केशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया|ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा मे सचिव से मौखिक व लिखित रूप से कई बार

मांग करने पर भी सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मौन्यल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकीर्त कार्य योजना स्वीकीर्त इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामाग्री क्रय की पुष्टि में डिलवरीचालान टैंडर /कुटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकीर्तआदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 1189768.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री शरीफ अहमद व ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि
01	शेषपाल को	6882.00
02	सतेन्द्र	3000.00
03	बी0एम0इंटरप्राइजेज़	7500.00
04	ख्वाजा ईट उद्ओग	69874.00
05	शरीफ अहमद ( प्रधान )	94265.00
06	बीजेन्द्र कुमार	4400.00
07	गाजी बिल्डिंग मटेरियल	230243.00
08	जमशेद अली	20000.00
09	नफीज़ अहमद	18000.00
10	आर0पी 0एस0चौहान	3000.00
11	पी0एफ0एम0एस0 से भुगतान	732604.00
	योग	1189768.00

उल्लेखनीय है की ओक्टूबर 19 से भुगतान में PFMS विवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिनिहत नहीं किया जा सका जचोपरांत कार्य वाही अपेक्षित है । (ग्राम पंचायत रेवती- विकास खंड –राम नगर)

**प्रस्तर संख्या-27** आलोच्य वर्ष में पंचायत घर की मरम्मत कार्य पर निम्न विवरण के अनुसार सामाग्री पर व्यय दर्शाया गया है किन्तु वर्ष पर्यन्त मजदूरी पर कोई व्यय दर्शित नहीं किया रहा |विवरण निम्न प्रकार है –

क्रम स0	दिनांक	धनराशि	जिसको भुगतान किया गया
01	14.10.19	8314.00	शर्मा ट्रेडर्स
02	14.10.19	3251.00	फौजी ब्रिक इंटर प्राइजेज़
03	14.10.19	4000.00	साई इंजीनियर्स (साइन बोर्ड )
04	14.10.19	4000.00	साई इंजीनियर्स
05	14.10.19	4492.00	फौजी बिल्डिंग माटेरियल
	योग	24057.00	

उपरोक्त व्यय की पुष्टि में न तो कोई सामाग्री क्रय का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही उक्त सामाग्री व्यय की पुष्टि में मजदूरी पर कोई व्यय दर्शित रहा । उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मौन्यल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, स्वीकृत इस्टिमेट,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0 बी0 सामाग्री क्रय की पुष्टि में टैंडर /कुटेशन,स्टाक रजि0भी लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु0 24057.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मति गीता देवी व ग्राम

पंचायत सचिव श्री लव्श्रेस्ट से ब्याज सहित करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल मे लाया जाना अपेक्षित है | (नाम पंचायत -सिल्लापुर- विकास खंड - मीरगंज)

**प्रस्तर संख्या-28** आलोच्य वर्ष मे निम्न विवरण के अनुसार पंचायत घर के सामने सौंदर्यकरण पर सामाग्री पर रु0 106773.00 व मजदूरी पर रु0 73250.00 पर व्यय दर्शित किया गया है किन्तु व्यय की पुष्टि मे न तो सामाग्री आपूर्ति का प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही मजदूरी संबधित मास्टर रोल ही प्रस्तुत रहा। उल्लेखनीय है की पंचायत घर के सामने सौंदर्यकरण मे कौन कौन से कार्य कराया गया है इसका उल्लेख न तो केश बुक मे और न ही इससे संबन्धित सूची संलग्न रही। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मौनयल के अध्याय 8 की धारा 8(क)मे व्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध मे कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, स्वीकृत इस्टिमेट, कार्यपूति प्रमाणपत्र एम0 बी0 सामाग्री क्रय की पुष्टि मे टेंडर /कुटेशन, स्टाक रजि0 भी लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई |

उक्त नियम के आलोक मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु0 180023.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखो के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मति गीता देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री लव्श्रेस्ट से ब्याज सहित करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल मे लाया जाना अपेक्षित है

क्रम स0	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता
01	14.10.19	2000.00	लेबर भुगतान
02	14.10.19	2000.00	लेबर भुगतान
03	14.10.19	1918.00	फौजी ब्रिक इंटरप्राइजेज़
04	14.10.19	986.00	शर्मा ट्रेडर्स
05	14.10.19	53469.00	फौजी ब्रिक मटेरियल्स
06	14.10.19	2000.00	लेबर भुगतान
07	14.10.19	5250.00	लेबर भुगतान
08	14.10.19	5250.00	लेबर भुगतान
09	14.10.19	2000.00	लेबर भुगतान
10	14.10.19	3500.00	लेबर भुगतान
11	14.10.19	2000.00	लेबर भुगतान
12	14.10.19	5250.00	लेबर भुगतान
13	14.10.19	2000.00	लेबर भुगतान
14	14.10.19	5250.00	लेबर भुगतान
15	14.10.19	5250.00	लेबर भुगतान
16	14.10.19	5250.00	लेबर भुगतान
17	14.10.19	5250.00	लेबर भुगतान
18	14.10.19	5250.00	लेबर भुगतान
19	17.10.19	5250.00	लेबर भुगतान
20	17.10.19	5250.00	लेबर भुगतान
21	17.10.19	5250.00	लेबर भुगतान
22	17.10.19	25200.00	मिट्टी दुलाई
23	17.10.19	25200.00	डनलप से मिट्टी दुलाई
	योग	180023.00	

(नाम पंचायत -सिल्लापुर- विकास खंड - मीरगंज)

**प्रस्तर संख्या-29** निम्न विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत हेतु स्ट्रीट लाइट क्रय पर रु0 200330.00 का व्यय दर्शाया गया है किन्तु स्ट्रीट लाइट क्रय से संबन्धित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं और न ही कॅशबुक मे लगाए गए स्ट्रीट लाइट के कार्य स्थल व स0 का उल्लेख ही किया गया है और न ही अलग से कोई सूची संलग्न पायी गई |

क्रम स0	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
---------	--------	--------	---------------------

01	10.12.19	65780.00	वारसी ट्रेडर्स
02	10.12.19	68770.00	वारसी ट्रेडर्स
03	10.12.19	65780.00	वारसी ट्रेडर्स
	योग	200330.00	

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मौन्यल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्ययोजना स्वीकृत इस्टिमेट, कार्यपूति प्रमाणपत्र एम0 बी0सामाग्री क्रय की पुष्टि में टेंडर /कुटेशन,स्टाक रजि0भी लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु0 200330.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मति गीता देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री लक्श्रेस्ट से ब्याज सहित करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है । (नाम पंचायत -सिल्लापुर- विकास खंड - मीरगंज)

**प्रस्तर संख्या-30** -आलोच्य वर्ष 2019-20 में सिल्लापुर खिरकिटी में पंचायत घर का जीनोद्धार कार्य पर निम्नविवरणानुसार सामाग्री पर व्यय दर्शाया गया है । किन्तु वर्ष पर्यन्त मजदूरी पर कोई व्यय दर्शित नहीं रहा ।विवरण निम्न प्रकार है -

क्रम स0	दिनांक	धनराशि	जिसको भुगतान किया गया
01	26.12.19	13132.00	फौजी ब्रिक मटेरियल्स
02	26.12.19	31996.00	बुधौंशीर ट्रेडर्स
03	26.12.19	21413.00	शर्मा ट्रेडर्स
	योग	66541.00	

उपरोक्त व्यय की पुष्टि में न तो कोई सामाग्री क्रय का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही उक्त सामाग्री व्यय की पुष्टि में मजदूरी पर कोई व्यय दर्शित रहा । उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मौन्यल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्ययोजना स्वीकृत इस्टिमेट, कार्यपूति प्रमाणपत्र एम0 बी0सामाग्री क्रय की पुष्टि में टेंडर /कुटेशन,स्टाक रजि0भी लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु0 66541.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मति गीता देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री लक्श्रेस्ट से ब्याज सहित करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है । (नाम पंचायत -सिल्लापुर- विकास खंड - मीरगंज)

**प्रस्तर संख्या-31-** ग्राम पंचायत - सुनरासी ,क्षेत्र पंचायत -राम नगर एवं जनपद -बरेली के उपलब्ध अभिलेख एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी ,जिसमें निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत द्वारा कार्य कराया गया है ,किन्तु लेखा परीक्षा में कार्य की पुष्टि में निर्माण कार्य संबन्धित कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा ।जिसमें निम्न लिखित अपहरण ,दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए । उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मौन्यल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा ।विवरण निम्न प्रकार है -

1. कार्य का नाम - मुकेश के घर से तालाब तक खड़जा मरम्मत -

क्र0	तिथि	व्यय विवरण	धनराशि
1.	02.07.19	श्री जावेद इंटरप्राइजेज़	40000.00
2.	05.07.19	ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार को मजदूरी का भुगतान	5000.00
3	05.07.19	ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार को मजदूरी का भुगतान	8000.00
4	05.07.19	दुर्गा खाद एंड सीमेंट स्टोर	15000.00
		योग	68000.00

2.कार्य का नाम -धनपल सिंह से तालाब तक खड़जा निर्माण -

क्र0	तिथि	व्यय विवरण	धनराशि
1.	13.08.19	बिजेन्द्र कुमार को मजदूरी का भुगतान	20000.00
2.	13.8.19	बिजेन्द्र कुमार को मजदूरी का भुगतान	50000.00
3.	13.8.19	बालाजी स्टील एंड सीमेंट	40000.00
4.	14.08.19	दुर्गा खाद एंड सीमेंट स्टोर	70000.00
5.	14.08.19	श्री जावेद इंटरप्राइजेज़	10000.00
6.	14.08.19	श्री जावेद इंटरप्राइजेज़	60000.00
7.	14.08.19	ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार को मजदूरी का भुगतान	7000.00
8.	14.08.19	सौरभ शर्मा को मजदूरी का भुगतान	40000.00
9.	14.08.19	दुर्गा खाद एंड सीमेंट स्टोर	10000.00
10.	14.08.19	दुर्गा खाद एंड सीमेंट स्टोर	10000.00
11.	27.08.19	श्री जावेद इंटरप्राइजेज़	35000.00
12.	27.08.19	दुर्गा खाद एंड सीमेंट स्टोर	35000.00
13.	23.11.19	दुर्गा खाद एंड सीमेंट स्टोर	39851.00
14.	28.11.19	ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार को मजदूरी का भुगतान	11050.00
		योग	437901.00

3.कार्य का नाम -बबलू सिंह से राम औतार तक खड़जा निर्माण -

1.	19.02.2020	बालाजी स्टील एंड सीमेंट	100500.00
2.	19.02.2020	दुर्गा खाद एंड सीमेंट स्टोर	40100.00
3.	19.02.2020	ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार को मजदूरी का भुगतान	50200.00
		योग -	190800.00

4.कार्य का नाम - बाबू सिंह से पीपल तक खड़जा निर्माण - मजदूरी पर व्यय नहीं किया गया

1.	06.08.2019	अनमोल बिल्डिंग माटेरियल	40320.00
2.	"	दुर्गा खाद एंड सीमेंट स्टोर	60250.00
		योग -	100570.00

5.कार्य का नाम -दिनांक 08-08-2019 को प्रा0पाठशाला मे मिट्टी भराव हेतु प्रधान श्री प्रदीप कुमार को मजदूरी भुगतान रु0 45000.00 |

6.कार्य का नाम -दिनांक 08-07-2019 को प्रा0पाठशाला मिट्टी भराव कार्य हेतु श्री सत्येन्द्र सिंह को मजदूरी भुगतान रु0 5500.00 |

7 .कार्य का नाम -दिनांक 14-08-2019 को नल चबूतर की मरम्मत हेतु श्री दुर्गा खाद एंड सीमेंट स्टोर को भुगतान रु0 10000.00 |

8 .कार्य का नाम -दिनांक 08-08-2019 को प्रा0पाठशाला चाहर मे फर्नीचर क्रय हेतु बी0एम0इंटरप्राइजेज़ को भुगतान रु0 63000.00 |

9 .कार्य का नाम -हैंड पंप मरम्मत कार्य -

1.	28.05.19	ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार को मजदूरी का भुगतान	10000.00
2.	28.05.19	मदन लाल को मजदूरी का भुगतान	1200.00
		योग -	11200.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामाग्री हेतु भुगतान तो फार्म /दुकान को दर्शाया गया है ,किन्तु मजदूरी हेतु भुगतान ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार को किया गया है ,जो आपत्ति जनक है और सामाग्री क्रय एवं मजदूरी कि पुष्टि मे न तो व्यय प्रमाणक ,मास्टर रोल प्रस्तुत रहा और न ही निर्माण कार्य कि पुष्टि मे निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर ,कार्यवाही रजिस्टर,एस्टिमेट ,एम0बी0,कार्यपूर्ति ,टेंडर/कोटेसन पत्रावली ,स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख उपलब्ध रहा ,इसी प्रकार हैंड पंप मरम्मत कार्य पर व्यय से संबन्धित न तो व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही लाभार्थियों के द्वारा हैंड पंप खराब होने कि सूचना व उनके मरम्मत कि मांग तथा संबन्धित तकनीकी आंकलन प्रस्तुत रहा |उक्त विवरण के विना कार्य कि पुष्टि एवं पारदर्शिता का अभाव रहा |जल प्रबंधन समिति कि संस्तुति व अनुमोदन भी प्रस्तुत नहीं रहा |इस प्रकार उक्त सामाग्री /मजदूरी पर अवास्तविक व्यय रु0 931971.00 दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है ,जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार एव सचिव श्री सचिन गंगवार उत्तरदायी है |जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 मे दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रहा। (ग्राम पंचायत -सुनरासी ,क्षेत्र पंचायत -राम नगर)

**प्रस्तर संख्या-32-** -आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत रमपुरा भोपतनगर में निम्न विवरणानुसार दिनांक 01-04-19से 31-03-20 तक अनुदान की धनराशि रूपया 1451839.00 का व्यय बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में सचिव से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मौन्यल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में व्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। किए गए व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर ,स्वीकीर्त कार्य योजना स्वीकीर्त इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0मानदेय रजिस्टर सामाग्री क्रय की पुष्टि में डिलवरीचालान टैंडर /कुटेशन पत्रावली स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर वित्तीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकीर्तआदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 1451839.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री जमालुद्दीन व ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक से करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है ।

क्रम स0	जिसको भुगतान किया गया	धनराशि
01	विजय सिंह	13980.00
02	अकीब अली	32442.00
03	राजवती मशीनरी स्टोर	10000.00
04	जावेद इंटर प्राइजेज़	34327.00
05	अनमोल बिल्डिंग माटेरियल्स	6165.00
06	अनिल कुमार	15200.00
07	जमालुद्दीन	127695.00
08	मदन लाल	5000.00
09	बी0एम0इंटरप्राइजेज़	385500.00
10	श्री कृष्ण नर्सरी	33500.00
11	पी0एफ0एम0एस0 के द्वारा भुगतान	788030.00
	योग	1451839.00

उल्लेखनीय है की अक्टूबर 19 से भुगतान में पी एफ एम एस व्यवस्था लागू है जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्त कर्ता का उल्लेख नहीं रहता जिसके कारण भुगतान प्राप्त कर्ता को चिनिहत नहीं किया जा सका जचोपरांत कार्य वाही अपेक्षित है । **(ग्राम पंचायत- रमपुरा भोपतनगर -विकास खंड –राम नगर)**

### **प्रस्तर संख्या-33**

ग्राम पंचायत मल्हपुर के ग्राम निधि खाते से दिनांक 17.02.2020 से 19.02.2020 के मध्य कुल 206617.00 रु. का अपहरण रोकड़वही में व्यय दर्शित किया गया है जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी होती है। दर्शित व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, एस्टिमेट, एम्.बी., टैंडर कुटेशन पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, रूपपत्र -8, रूपपत्र 41, अचल संपत्ति पंजिका, पेशासनिक/वित्तीय स्वीकृति आदि अनुपलब्ध रही जिससे कराये गये कार्य की पुष्टि न हो सकी । लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों उपलब्ध करवाए जाने के लिए पत्र दिनांक 08.07.2020, 04.09.2020, 17.09.2020, 28.10.2020, 12.10.2020, 20.10.2020 द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत व संबंधित सचिव से मांग की गयी इसके अतिरिक्त ऑडिट ऑनलाइन वेबसाइट पर भी मांग की गयी किन्तु लेखा परीक्षा में उत अभिलेख का अपहरण कर लिया है । वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 का के प्रकाश में दर्शित व्यक्ति धनराशि 201667.00 रु की वसूली समभाग में प्रधान व सचिव से ब्याज व वैधानिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है । **(ग्राम पंचायत . मल्हपुर विकास खंड बिथरी चैनपुर)**

### **प्रस्तर संख्या-34**

ग्राम पंचायत बिथरी चैनपुर के ग्राम निधि खाते से कुल 3717457.00 रु. का आहरण रोकवाही में व्यय दर्शित किया गया है जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी होती है । दर्शित व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, एस्टिमेट, एम्.बी., टैंडर कुटेशन पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, रूपपत्र -8, रूपपत्र 41, अचल संपत्ति पंजिका, प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति आदि अनुपलब्ध रही जिससे कराये गये कार्य की पुष्टि न हो सकी । लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध करवाए जाने के लिए पत्र दिनांक 08.07.2020, 04.09.2020, 17.09.2020, 28.09.2020, 12.10.2020, 20.10.2020 द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत व सम्बंधित सचिव से मांग की गयी किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त

अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये प्रथम द्रष्टया स्पष्ट है की सचिव व प्रधान ने काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया है | वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के प्रकाश में दर्शित व्यक्ति धनराशि 3717457.00 रु की वसूली समभाग में प्रधान व सचिव ब्याज व वैधानिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है | **(ग्राम पंचायत बिथरी चैनपुर - विकास खंड बिथरी चैनपुर)**

**प्रस्तर संख्या-35**

ग्राम पंचायत भगवानपुर धीमरी के ग्राम निधि खाते से कुल 990425.00 रु. का आहरण रोकवाही में व्यय दर्शित किया गया है जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी होती है | दर्शित व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, एस्टिमेट, एम्.बी., टेंडर कुटेशन पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, रूपपत्र -8, रूपपत्र 41, अचल संपत्ति पंजिका, प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति आदि अनुपलब्ध रही जिससे कराये गये कार्य की पुष्टि न हो सकी | लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध करवाए जाने के लिए पत्र दिनांक 08.07.2020, 04.09.2020, 17.09.2020, 28.09.2020, 12.10.2020, 20.10.2020 द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत व सम्बंधित सचिव से मांग की गयी किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये प्रथम द्रष्टया स्पष्ट है की सचिव व प्रधान ने काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया है | वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के प्रकाश में दर्शित व्यक्ति धनराशि 990425.00 रु की वसूली समभाग में प्रधान व सचिव से ब्याज सहित व उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार की जानी अपेक्षित है | **(ग्राम पंचायत- भगवानपुर धीमरी - विकास खंड बिथरी चैनपुर)**

**प्रस्तर संख्या-36**

ग्राम पंचायत केसरपुर के ग्राम निधि खाते से कुल 3769081.00 रु. का आहरण रोकवाही में व्यय दर्शित किया गया है जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी होती है | दर्शित व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, एस्टिमेट, एम्.बी., टेंडर कुटेशन पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, रूपपत्र -8, रूपपत्र 41, अचल संपत्ति पंजिका, प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति आदि अनुपलब्ध रही जिससे कराये गये कार्य की पुष्टि न हो सकी | लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध करवाए जाने के लिए पत्र दिनांक 08.07.2020, 04.09.2020, 17.09.2020, 28.09.2020, 12.10.2020, 20.10.2020 द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत व सम्बंधित सचिव से मांग की गयी किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये प्रथम द्रष्टया स्पष्ट है की सचिव व प्रधान ने काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया है | वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के प्रकाश में दर्शित व्यक्ति धनराशि 3769081.00 रु की वसूली समभाग में प्रधान व सचिव ब्याज व वैधानिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है | **(ग्राम पंचायत केसरपुर - विकास खंड बिथरी चैनपुर)**

**प्रस्तर संख्या-37**

वर्ष 2019-20 के रोकको बही के अनुसार डिक 06.04.2019 को हैंड पंप रिबोर पर दिलदार नबी इन्टरप्राइजेज को चेक सं० 449 से नेफ्ट द्वारा 99552.00 का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है | किन्तु व्यय से संबंधित न तो प्रमाणक उपलब्ध रहा और न ही हैंड पंप रिबोर पर कोई मजदूरी व्यय दर्शित रहा और न ही लाभार्थियों के द्वारा हैंड पंप रिबोर की मांग तथा सम्बंधित तकनीकी आंकलन ही प्रस्तुत रहा | उक्त विवरण के बिना कार्य की पुष्टि एवं पारदर्शिता का आभाव रहा | जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति व अनुमोदन भी प्रस्तुत नहीं रहा | शासनादेश सं० /1134/38-5-56/2010 दिनांक 29 जून 2011 एवं शासनादेश सं० 85/2017/2244/33-3-2017-46/205 दिनांक 28 सितम्बर 2017 में दिये गये नियमो व निर्देशों का पालन नहीं कर हैंडपंप रिबोर कराया गया है | इसलिए किया गया कार्य अनियमित रहा | उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 "क" के अनुसार दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं रहने पर दर्शायी गयी नियमावली 1947 के नियम सं० 256 से 259 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रधान एवं पंचायत अधिकारी "कार्य अवधि अनुसार" से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है | **(ग्राम पंचायत- पिपरा नानकर -विकास खंड- दमखोदा)**

**प्रस्तर संख्या-38**

वर्ष 2019-20 के रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 06.04.2019 को पूर्व माध्यमिक विद्यालय की पुताई कार्य पर रजा इन्टरप्राइजेज को चेक सं० 429 द्वारा रु० 66660.00 भुगतान किया जाना दर्शाया गया है किन्तु किये गए भुगतान से संबंधित न तो प्रमाणक उपलब्ध रहा और न ही पुताई कार्य पर कोई मजदूरी व्यय दर्शित रहा और उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 "क" के अनुसार दर्शाए गये व्यय के संबंध में बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं रहने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मंन्ते हुए संबंधित धनराशि की वसूली उ०प्र० पंचायत अधिकारी "कार्य अवधि अनुसार" से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है | **(ग्राम पंचायत-पिपरा नानकर -विकास खंड- दमखोदा)**

**प्रस्तर संख्या-39**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में रोकड़ बही के अनुसार कतिपय तिथियों में निम्न विवरणानुसार स्ट्रीट लाइट क्रय पर व्यय दर्शाया गया है :-

दिनांक	विवरण	धनराशि
21.03.2020	ग्लोबल डवलपमेंट	198800.00
21.03.2020	ग्लोबल डवलपमेंट	159040.00

शासनादेश सं० RGSA/197/2019-4/379/2015 दी० 02.05.2019 के बिन्दु सं० 8 के अनुरूप स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य नहीं कराया गया है। बिंदु संख्या 8 के अनुसार विधुत विभाग से वैध कनेक्शन प्राप्ति का कोई विवरण तथा स्ट्रीट लगाने का कार्यस्थल, सम्बन्धित कार्य योजना प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त इसके क्रय से सम्बंधित टेन्डर/कोटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं रहा। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 "क" के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं रहने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं० 256 से 259 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी "कार्य अवधि अनुसार" से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **[(ग्राम पंचायत-जागन डांडी -विकास खंड- दमखोदा)]**

**प्रस्तर संख्या-40**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में रोकड़ बही के अनुसार कतिपय तिथियों में निम्न विवरणानुसार फर्नीचर क्रय दर्शाया गया है :-

दिनांक	विवरण	धनराशि
21.01.2020	ग्लोबल डवलपमेन्ट	84000.00
21.01.2020	ग्लोबल डवलपमेन्ट	84000.00
21.01.2020	ग्लोबल डवलपमेन्ट	70000.00
23.03.2020	ग्लोबल डवलपमेन्ट	76944.00
23.03.2020	भारत इन्टरप्राइजेज	191120.00

**योग :- 506064.00**

फर्नीचर क्रय से संबंधित स्कूल प्रबंधन द्वारा मांग पत्र, सक्षम अधिकारी का आदेश, टेन्डर/कुटेशन, फर्नीचर प्राप्ति रसीद "स्कूल प्रबन्धन द्वारा", स्टॉक बुक, गुणवत्ता प्रमाणक संबंधी प्रमाण-पत्र, व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं रहा। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 को बिन्दु 8 "क" के अनुसार दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं रहने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं० 256 से 259 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी "कार्य अवधि अनुसार" से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **[(ग्राम पंचायत-जागन डांडी -विकास खंड- दमखोदा)]**

**प्रस्तर संख्या-41**

आलोच्य वर्ष में रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 30.03.2020 को ग्लोबल डवलपमेंट हेतु रु० 15000.00 का फर्नीचर करी दर्शाया गया है। फर्नीचर क्रय से सम्बंधित स्कूल प्रबन्धन द्वारा मांग-पत्र, सक्षम अधिकारी का आदेश, टेन्डर/कुटेशन, स्कूल प्रबन्धन द्वारा फर्नीचर प्राप्ति रसीद, स्टॉक बुक, गुणवत्ता प्रमाणन संबंधी प्रमाण-पत्र, व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं रहा। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार दर्शाए गये व्यय के संबंध में बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं रहने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन न्ते हुए संबंधित धनराशि की वसूली उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं० 256 से 259 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी (कार्य अवधि अनुसार) से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **[(ग्राम पंचायत-उदरा -विकास खंड- दमखोदा)]**

**प्रस्तर संख्या-42**

आलोच्य वर्ष में कतिपय तिथियों में निम्न विवरणानुसार हँड पंप रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है -

दिनांक	विवरण	धनराशि	
19.07.2019	चेक नं० 760293	39329.00	प्राप्तकर्ता का नाम अंकित नहीं
20.07.2019	चेक सन० 760295,	59881.00	हिन्दुस्तान इन्टरप्राइजेज

**योग :- 99210.00**

लाभार्थियों के द्वारा हँड पंप मरम्मत/रिबोर की मांग तथा संबंधित तकनीकी आंकलन प्रस्तुत नहीं रहा और न ही व्यय से संबंधित प्रमाणक नहीं रहा और न ही व्यय से संबंधित प्रमाणक उपलब्ध रहा। उक्त विवरण के बिना कार्य कि पुष्टि एवं पारदर्शिता का अभाव रहा। जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति व अनुमोदन भी प्रस्तुत नहीं रहा। शासनादेश सं० 1134/38-5-56/2010 दिनांक 29 जून 2011 एवं शासनादेश सं० 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितम्बर 2017 में दिये गये नियमों व निर्देशों का पालन नहीं कर हँडपंप मरम्मत कराया गया है। इसलिए किया गया कार्य अनियमित रहा। उल्लेखीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 (क) के अनुसार दर्शाए गए व्यय के संबंध में बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं रहने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं० 256 से 259 में दी गई

व्यवस्था के अनुरूप प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी (कार्य अवधि अनुसार) से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत-रहपुरा गनीमत-1-विकास खंड- दमखोदा)**

**प्रस्तर संख्या-43**

आलोच्य वर्ष में दिनांक 17.02.2020 को ठेली क्रय पर रु० 19500.00 का व्यय दर्शाया गया है। ठेली की आवश्यकता से संबंधित मांग एवं ठेली क्रय से संबंधित अनुपलब्ध रहा। स्टॉक रजिस्टर में अंकित किये जाने की पुष्टि भी नहीं कराई गई। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार दर्शाए गये व्यय के संबंध में बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं रहने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं० 256 से 259 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत-रहपुरा गनीमत-2-विकास खंड- दमखोदा)**

**प्रस्तर संख्या-44**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में रोकड़ बही के अनुसार कतिपय तिथियों में निम्न विवरणानुसार फर्नीचर क्रय दर्शाया गया है :-

दिनांक	विवरण	धनराशि
09.12.2019	ग्लोबल डवलपमेन्ट	112000.00
09.12.2019	ग्लोबल डवलपमेन्ट	196000.00
09.12.2019	ग्लोबल डवलपमेन्ट	112000.00
23.03.2020	ग्लोबल डवलपमेन्ट	28000.00
<b>योग :-</b>		<b>448000.00</b>

फर्नीचर क्रय से संबंधित स्कूल प्रबंधन द्वारा मांग पत्र, सक्षम अधिकारी का आदेश, टेंडर/कुटेशन, फर्नीचर प्राप्ति रसीद "स्कूल प्रबंधन द्वारा", स्टॉक बुक, गुणवत्ता प्रमाणक संबंधी प्रमाण-पत्र, व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं रहा। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 को बिन्दु 8 "क" के अनुसार दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं रहने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं० 256 से 259 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी "कार्य अवधि अनुसार" से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है **(ग्राम पंचायत-भैरपुरा -विकास खंड- दमखोदा)**

**प्रस्तर संख्या-45**

आलोच्य वर्ष में कतिपय तिथियों में निम्न विवरणानुसार हैंड पंप पर व्यय किया जाना दर्शाया गया है -

दिनांक	विवरण	धनराशि
14.06.2019	चेक सं० 809394	11500.00
23.12.2019	पीएफएमएस द्वारा	12117.00
23.12.2019	पीएफएमएस द्वारा	13402.00
21.12.2019	पीएफएमएस द्वारा	20488.00
21.12.2019	पीएफएमएस द्वारा	19308.00
<b>योग -</b>		<b>76815-00</b>

लाभार्थियों के द्वारा हैंड पंप मरम्मत/रिबोर की मांग तथा संबंधित तकनीकी आंकलन प्रस्तुत नहीं रहा और न ही व्यय से संबंधित प्रमाणक नहीं रहा और न ही व्यय से संबंधित प्रमाणक उपलब्ध रहा। उक्त विवरण के बिना कार्य कि पुष्टि एवं पारदर्शित का अभाव रहा। जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति व अनुमोदन भी प्रस्तुत नहीं रहा। शासनादेश सं० 1134/38-5-56/2010 दिनांक 29 जून 2011 एवं शासनादेश सं० 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितम्बर 2017 में दिये गये नियमो व निर्देशों का पालन नहीं कर हैंडपंप मरम्मत कराया गया है। इसलिए किया गया कार्य अनियमित रहा। उल्लेखीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 (क) के अनुसार दर्शाए गए व्यय के संबंध में बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं रहने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं० 256 से 259 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी (कार्य अवधि अनुसार) से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही। **(ग्राम पंचायत-खमरिया गोपदांडी-1-विकास खंड- दमखोदा)**

**प्रस्तर संख्या-46**

दिनांक	विवरण	धनराशि
25.04.2019	कैमरा क्रय, चेक सं० 809393 द्वारा	16999-00
23.03.2019	ठेली क्रय पीएफएमएस द्वारा	32500.00
<b>योग :-</b>		<b>49499.00</b>

कैमरा/ठेली की आवश्यकता से संबंधित मांग एवं कैमरा/ठेली क्रय से संबंधित प्रमाणक अनुपलब्ध रहा | स्टॉक रजिस्टर में अंकित किये जाने की पुष्टि भी नहीं कराई गई | उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार दर्शाए गये व्यय के संबंध में बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं रहने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं० 256 से 259 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है **(ग्राम पंचायत-खमरिया गोपदांडी-2-विकास खंड-दमखोदा)**

#### **प्रस्तर संख्या-47**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से पत्राचार करने के उपरांत भी सम्बन्धित पक्ष द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की खण्ड 8 क में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी | उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम बी, सामग्री क्रय की पुष्टियों में टेण्डर/कुटेशन व स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं एनी नियमों की भी अनदेखी की गई एवं वित्तीय औचित्य के नकारा गया है |

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्राप्त राजकीय अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय रु० 2600753.30 बिना बिल/वाउचर व उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है | जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है | **(ग्राम पंचायत-लौंगपुर -विकास खंड- फरीदपुर)**

#### **प्रस्तर संख्या-48**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से पत्राचार करने के उपरांत भी सम्बन्धित पक्ष द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की खण्ड 8 क में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी | उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम बी, सामग्री क्रय की पुष्टियों में टेण्डर/कुटेशन व स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं एनी नियमों की भी अनदेखी की गई एवं वित्तीय औचित्य के नकारा गया है |

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्राप्त राजकीय अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय रु० 1133883.00 बिना बिल/वाउचर व उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है | जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है | **(ग्राम पंचायत-मस्तीपुर -विकास खंड- फरीदपुर)**

#### **प्रस्तर संख्या-49**

श्री अनुज कुमार सिंह को डाटा फीडिंग हेतु किए गए भुगतान 6000-00, 01-08-2019 2000-00 दिनक 19-11-19, 5000-00 दिनाक 30-03-2020 की पुष्टि में प्रमाणक व सम्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से पत्राचार करने के उपरांत भी सम्बन्धित पक्ष द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की खण्ड 8 क में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी | उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम बी, सामग्री क्रय की पुष्टियों में टेण्डर/कुटेशन व स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं एनी नियमों की भी अनदेखी की गई एवं वित्तीय औचित्य के नकारा गया है |

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्राप्त राजकीय अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय रु० 13000.00 बिना बिल/वाउचर व उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है | जिसकी ब्याज सहित

वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है। **|(ग्राम पंचायत-रसूइया-विकास खंड- फरीदपुर)**

#### **प्रस्तर संख्या-50**

दिनांक 3-4-19 व 7-5-19 में प्रधान मानदेय बावत माह जनवरी , फरवरी ,मार्च 2019 हेतु किए गए भुगतान हेतु की पुष्टि में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे किए गए भुगतान 10500-00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। राजकीय अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय रु० 10500.00 बिना बिल/वाउचर/पुष्टि के व्यय करके धनराशि की अनियमित कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है। **|(ग्राम पंचायत-रसूइया-विकास खंड- फरीदपुर)**

#### **प्रस्तर संख्या-51**

1-माह अप्रैल में हैंड पम्प मरमत हेतु किए गए भुगतान 30000-00 के प्रमाणक तथा सम्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करना - 30000-00

2-7-6-19 को मनोज कुमार द्वारा आहत राशि से दवा छीरकाव हेतु किए गए भुगतान 12000-00 की पुष्टि में प्रामाणक नहीं।

3-अनुज कुमार सिंह को किए गए भुगतान बावत दिनांक 23-10-19 व 31-3-20 की पुष्टि में प्रामांक नहीं -13000-00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से पत्राचार करने के उपरांत भी सम्बन्धित पक्ष द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की खण्ड 8 क में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम बी, सामग्री क्रय की पुष्टियों में टेण्डर/कुटेशन व स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं एनी नियमों की भी अनदेखी की गई एवं वित्तीय औचित्य के नकारा गया है।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्राप्त राजकीय अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय रु० 55000.00 बिना बिल/वाउचर व उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

राजकीय अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय रु० 10500.00 बिना बिल/वाउचर/पुष्टि के व्यय करके धनराशि की अनियमित कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है। **|(ग्राम पंचायत-सारीपुर-विकास खंड- फरीदपुर)**

#### **प्रस्तर संख्या-52**

(1)-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में प्राप्त अनुदान की धनराशि से विगत वर्ष परफारमेन्स ग्रांट की धनराशि 3803323.00 वापस किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत द्वारा कुल 3771991.84 रु० शेष था इस प्रकार प्राप्त परफारमेन्स ग्रांट की धनराशि 3803323.00 में से कुल 31331.16 गत वर्ष में व्यय कर दिया गया था जबकि शासन से स्पष्ट निर्देश थे कि बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के परफारमेन्स ग्रांट की धनराशि खर्च नहीं की जायेगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा मनमाने ढंग से व्यय कर 31331.16 की धनराशि गत वर्ष में प्राप्त अनुदान में से 31331.16 व्यय करते हुए कुल 62662.32 का दुरुपयोग किया गया है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान उपरोक्त दुपयोग के प्रति आकर्षित किया जाता है।

(2)-आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से पत्राचार करने के उपरांत भी सम्बन्धित पक्ष द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की खण्ड 8 क में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम बी, सामग्री क्रय की पुष्टियों में टेण्डर/कुटेशन व स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं एनी नियमों की भी अनदेखी की गई एवं वित्तीय औचित्य के नकारा गया है।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्राप्त राजकीय अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय रु० 18250-00 बिना बिल/वाउचर व उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली

ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है **(ग्राम पंचायत-बरगवा-विकास खंड- फरीदपुर)**

**प्रस्तर संख्या-53**

ग्राम पंचायत द्वारा बिभिन्न तिथियों में कोशंकित किए गए निम्नलिखित व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए | विवरण निम्न प्रकार है |

क्रम संख्या	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	16.05.2019	दवा छिरकाब	15000.00
2	16.05.2019	मिट्टी पठान	10000.00
3	25.07.2019	मिट्टी भराव	25000.00
4	25.07.2019	मिट्टी भराव मजदूरी	10000.00
5	31.07.2019	प्रशासनिक व्यय	10000.00
6	31.07.20.19	मिट्टी भराव मजदूरी	25000.00
7	27.10.2019	आकस्मित व्यय	2000.00
8	27.10.2019	फोटो स्टेट	1000.00
9	07.12.2019	मिट्टी पठान	8600.00
10	16.12.2019	फोटो स्टेट	2000.00
11	16.12.2019	आकस्मिक व्यय	15000.00
12	14.01.2020	ठेली मरम्मत	27000.00
		योग	150600.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से पत्राचार करने के उपरांत भी सम्बन्धित पक्ष द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की खण्ड 8 क में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी | उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम बी, सामग्री क्रय की पुष्टियों में टेण्डर/कुटेशन व स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं एनी नियमों की भी अनदेखी की गई एवं वित्तीय औचित्य के नकारा गया है |

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्राप्त राजकीय अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय रु० 150600.00 बिना बिल/वाउचर व उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है | जिसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार मय ब्याज करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है | **(ग्राम पंचायत-मुहमदपुर -विकास खंड- बहेड़ी)**

**प्रस्तर संख्या-54**

ग्राम पंचायत द्वारा बिभिन्न तिथियों में कोशंकित किए गए निम्नलिखित व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए | विवरण निम्न प्रकार है |

क्रम संख्या	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	09.05.2019	हैंड पम्प मरम्मत	10000.00
2	31.05.2019	हैंड पम्प मरम्मत	10000.00
3	02.07.2019	हैंड पम्प मरम्मत	17400.00
4	06.07.2019	चवुतरी निर्माण	5000.00
5	06.07.2019	चवुतरी निर्माण	5000.00
6	31.07.20.19	आकस्मिक व्यय	10000.00
7	23.10.2019	हैंड पम्प मरम्मत	10500.00
8	25.10.2019	हैंड पम्प मरम्मत	15000.00

9	02.12.2019	आकस्मिक व्यय	11000.00
10	06.12.2019	आकस्मिक व्यय	14500.00
11	06.12.2019	आकस्मिक व्यय	9000.00
12	06.01.2020	आकस्मिक व्यय	6000.00
13	30.12.2020	हैंड पम्प मरम्मत	16000.00
14	20.03.2020	हैंड पम्प मरम्मत	14500.00
		योग्य	154700.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से पत्राचार करने के उपरांत भी सम्बन्धित पक्ष द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की खण्ड 8 क में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम बी, सामग्री क्रय की पुष्टियों में टेण्डर/कुटेशन व स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं एनी नियमों की भी अनदेखी की गई एवं वित्तीय औचित्य के नकारा गया है।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्राप्त राजकीय अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय रु० 154700.00 बिना बिल/वाउचर व उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार मय ब्याज करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत-रेतवाड़ा -विकास खंड- बहेड़ी)**

#### **प्रस्तर संख्या-55**

ग्राम पंचायत द्वारा बिभिन्न तिथियों में कोशंकित किए गए निम्नलिखित व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	09.05.2019	आकस्मिक व्यय	20000.00
2	31.05.2019	दवा छिरकाब	5000.00
3	02.07.2019	फोटो स्टेट	1500.00
4	06.07.2019	फोटो स्टेट	2000.00
5	06.07.2019	आकस्मिक व्यय	5000.00
6	31.07.20.19	कर टेज	7300.00
7	23.10.2019	आकस्मिक व्यय	10000.00
8	25.10.2019	गत वित्तीय वर्ष का भुगतान	11564.00
9	02.12.2019	हैंड पम्प मरम्मत	14500.00
10	06.12.2019	प्रशासनिक कार्य	2000.00
11	06.12.2019	हैंड पंप मरम्मत	1500.00
		योग्य	93864.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से पत्राचार करने के उपरांत भी सम्बन्धित पक्ष द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की खण्ड 8 क में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम बी, सामग्री क्रय की पुष्टियों में टेण्डर/कुटेशन व स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं एनी नियमों की भी अनदेखी की गई एवं वित्तीय औचित्य के नकारा गया है।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्राप्त राजकीय अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय रु० 93864-00 बिना बिल/वाउचर व उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार मय ब्याज करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत-उन्नई खालसा -विकास खंड- बहेड़ी)**

**प्रस्तर संख्या-56**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय बैंक चार्ज के रूप में कोशबही में दर्शाया गया है। कोशंकित किए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी स्पष्ट कारन लेखा परीक्षा में नहीं बताया जा सके। अनुदान का दुरुपयोग स्पष्ट परिलक्षित है। वसूली कार्य बही अपेक्षित है।

17.05.2019	रिजैक्ट चेक पर बैंक चार्ज	354-00
17.05.2019	रिजैक्ट चेक पर बैंक चार्ज	708-00
26.07.2019	रिजैक्ट चेक पर बैंक चार्ज	354-00
	योग	1416-00

**(ग्राम पंचायत-उन्नई खालसा -विकास खंड- बहेड़ी)**

**प्रस्तर संख्या-57-**

ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में प्राप्त अनुदान की धनराशि से विगत वर्ष परफारमेन्स ग्रांट की धनराशि 4049292.00 वापस किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत द्वारा कुल 4049292.00 की धनराशि वापस की गई। जबकि 01-04-2019 को कुल रु० 3144098-44 शेष था। इस प्रकार प्राप्त परफारमेन्स ग्रांट की धनराशि 4049292.00 में से कुल 905193.56 गत वर्ष में व्यय कर दिया गया था। जबकि शासन से स्पष्ट निर्देश थे कि बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के परफारमेन्स ग्रांट की धनराशि खर्च नहीं की जायेगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा मनमाने ढंग से व्यय कर 905193.56 की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- बिहारीपुर -विकास खंड- बहेड़ी)**

**प्रस्तर संख्या-58**

ग्राम पंचायत द्वारा बिभिन्न तिथियों में कोशंकित किए गए निम्नलिखित व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक 04-04-2019 में वर्ष 2018-19 हेतु प्रिय सॉफ्ट व प्लान प्लस हेतु किए गए भुगतान की पुष्टि में नियम संगत प्रमाणक नहीं = 5500-00
हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान 19-06-2019 व 20-06-2019 31-07-2019 07-12-2019, 25-02-2020 की पुष्टि में प्रमाणक नहीं = 75000.00
श्री महेश कुमार को स्टेसनरी हेतु भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक नहीं = 3000.00
दिनांक 31-07-2019 में आकस्मिक व्यय का विवरण नहीं व किए गए भुगतान की पुष्टि में नियमसंगत प्रमाणक नहीं - 5000-00
दिनांक 31-07-2019 में दवा चिरकाव पर किए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक नहीं = 10500.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से पत्राचार करने के उपरांत भी सम्बन्धित पक्ष द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की खण्ड 8 "क" में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम बी०, सामग्री क्रय की पुष्टियों में टेण्डर/कुटेशन व स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों को नकारा गया है।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्राप्त राजकीय अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय रु० 99000.00 बिना बिल/वाउचर व उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार मय ब्याज करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत-उन्नई मकरुकका -विकास खंड- बहेड़ी)**

**प्रस्तर संख्या-59**

दिनांक 12.07.2019 को अंसारी ट्रेडर्स से रुपया 35597.00 का सीमेन्ट, रेत, बजरफुट आदि क्रय का भुगतान 14 वे वित्त अंतर्गत किया गया है, परन्तु करी की गयी सामग्री का उपभोग दिनांक 31.03.2020 तक नहीं दर्शाया गया है। साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं की गयी है। जिससे क्रय की गयी सामग्री की वास्तविक स्थिति भी अज्ञात रही। आवश्यकता न होने पर भी सामग्री क्रय

कर धन का दुरुपयोग किया गया जो एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है एवं ग्राम पंचायतों के वित्त लेखा मैन्युअल के अध्याय 5 के प्रस्तुत 3 में दिये गये वित्तीय ओचित सिद्धान्तों के अनुकूल है ।

अतः रुपया 35597.00 की वसूली प्रधान व सचिव से ब्याज सहित के उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार की जानी अपेक्षित है । **(ग्राम पंचायत-ऐना -विकास खंड- क्यारा)**

#### **प्रस्तर संख्या-60**

वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत वारीनगला विकास खण्ड क्यारा जनपद बरेली द्वारा ग्राम निधि के अन्तर्गत रु० 751167-00 व्यय दर्शाया गया है । लेखा परीक्षा में व्यय किये गये धनराशि को सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, साथ ही व्यय की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, इस्टीमेट, टेण्डर कुटेशन पत्रावली, मस्टर रोल, एम्बी०, स्टॉक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका, प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रमाणपत्र आदि अनुपलब्ध रहे ।

व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख उपलब्ध न कराया जाना इस तथ्य को पुष्टि करता है । कि इनके द्वारा काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर धनराशि रु 751167.00 का अपहरण कर लिया गया है । ग्रामपंचायत के वित्त लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के भाग 8 "क" में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये गये व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुये सम्बन्धित राशि की वसूली 409 के अनुसार मुकदमा भी चलाया जायेगा ।

अतः दी गयी व्यवस्था अनुसार आहिरता धनराशि 751167.00 प्रधान व सचिव द्वारा अपहिरता किया जाना स्पष्ट है । अतः सचिव व प्रधान से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार की जानी अपेक्षित है । **(ग्राम पंचायत- वारीनगला -विकास खंड- क्यारा)**

#### **प्रस्तर संख्या-61**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से पत्राचार करने के उपरांत भी सम्बन्धित पक्ष द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 की खण्ड 8 "क" में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी । उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम बी०, सामग्री क्रय की पुष्टियों में टेण्डर/कुटेशन व स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों को नकारा गया है ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्राप्त राजकीय अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय रु० 1243115.00 बिना बिल/वाउचर व उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है । जिसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार मय ब्याज करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है । **(ग्राम पंचायत-कंजा चकरपुर -विकास खंड- भुत्ता)**

#### **प्रस्तर संख्या-62**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से पत्राचार करने के उपरांत भी सम्बन्धित पक्ष द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 की खण्ड 8 "क" में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी । उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम बी०, सामग्री क्रय की पुष्टियों में टेण्डर/कुटेशन व स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों को नकारा गया है ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्राप्त राजकीय अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय रु० 741175.00 बिना बिल/वाउचर व उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है । **(ग्राम पंचायत-अमृति -विकास खंड- क्यारा)**

#### **प्रस्तर संख्या-63**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से पत्राचार करने के उपरांत भी सम्बन्धित पक्ष द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । उल्लेखनीय





अतः उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा गये व्यय रु० 2677655.71 बिना बिल/वाउचर्स एवं उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान कीरत देवी व ग्राम पंचायत सचिव उमेश गंगवार से बराबर-बराबर करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- जवेदा जवेदी -विकास खंड- भदपुरा)**

#### **प्रस्तर संख्या-70**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान की धनराशि कुल रु० 5333459.80 के सापेक्ष रु० 3968461.25 का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष रु० 2996772.00 का परफॉर्मंस अनुदान का वापस है, एवं 971689-25 वास्तविक व्यय है। दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष 10907-00 पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर्स लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से पत्राचार करने के उपरांत भी सम्बन्धित पक्ष द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की खण्ड 8 "क" में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय रु० 10907.00 के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम बी, सामग्री क्रय की पुष्टियों में टेण्डर/कुटेशन व स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं एनी नियमों की भी अनदेखी की गई एवं वित्तीय औचित्य के नकारा गया है।

अतः उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा किए गये व्यय रु० 10907.00 बिना बिल/वाउचर्स एवं उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान कीरत देवी व ग्राम पंचायत सचिव उल्फत सिंह से बराबर-बराबर करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- रहपुरा करीम बक्स -विकास खंड- भोजीपुरा)**

#### **प्रस्तर संख्या-71**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान की धनराशि कुल रु० 1150645.02 के सापेक्ष रु० 940598.92 का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष रु० 940598.92 का ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर्स लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से पत्राचार करने के उपरांत भी सम्बन्धित पक्ष द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की खण्ड 8 "क" में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय रु० 940598.92 के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम बी, सामग्री क्रय की पुष्टियों में टेण्डर/कुटेशन व स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं एनी नियमों की भी अनदेखी की गई एवं वित्तीय औचित्य के नकारा गया है।

अतः उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा दर्शाए गये व्यय रु० 940598.92 बिना बिल/वाउचर्स एवं उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान कीरत देवी व ग्राम पंचायत सचिव उमेश गंगवार से बराबर-बराबर करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- अभयराजपुर -विकास खंड- भदपुरा)**

#### **प्रस्तर संख्या-72**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान की धनराशि कुल रु० 1438962.00 के सापेक्ष रु० 759136.00 का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष रु० 759136.00 का ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/वाउचर्स लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से पत्राचार करने के उपरांत भी सम्बन्धित पक्ष द्वारा कोई भी बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की खण्ड 8 "क" में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय रु० 10907.00 के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम बी, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन व स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा गये व्यय रु० 759136.00 बिना बिल/वाउचर्स एवं उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान शकुन्तला व ग्राम पंचायत सचिव उल्फत सिंह से बराबर-बराबर करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- चौखंडी -विकास खंड- भदपुरा)**

#### **प्रस्तर संख्या-73**



हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की खण्ड 8 "क" में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी | उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय रु० 532097.80 के सापेक्ष कार्य योजना इस्टीमेट रूप पत्र 41 पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम बी, सामाग्री क्रय की पुष्टियों में टेण्डर/कुटेशन व स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई एवं नियमों की भी अनदेखी की गई एवं वित्तीय औचित्य के नकारा गया है |

अतः उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा गये व्यय रु० 532097.80 बिना बिल/वाउचर्स एवं उपरोक्त नियमों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है | जिसकी वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान कीरत देवी व ग्राम पंचायत सचिव उमेश गंगवार से बराबर-बराबर करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | **[(ग्राम पंचायत- नकटिया-विकास खंड- भदपुरा)]**

**प्रस्तर संख्या-77**

वर्ष 2019-20 के कैशबुक के अनुसार जयपाल से रामभजन तक पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शाया गया है, किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में कैशबुक में न तो निर्माण कार्य का नाम अंकित रहा और न ही निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत रहा | क्रय सामाग्री की पुष्टि में प्रमाणक/बोछार भी प्रस्तुत नहीं रहा | विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	विवरण	धनराशि
05.08.2019	प्रदीप को श्रमिक का भुगतान	15000.00
06.08.2019	महाबली ट्रेडर्स को भुगतान	15000.00
06.08.2019	महाबली ट्रेडर्स को भुगतान	15000.00

**योग :- 45000.00**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मजदूरी एवं सामाग्री हेतु भुगतान तो दर्शाया गया है, किन्तु कैशबुक में कौन सा निर्माणकार्य कराया गया है, इसका उल्लेख नहीं रहगा और सामाग्री करी की पुष्टि में न तो व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही निर्माण कार्य की पुष्टि में निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम्बी०आदि अभिलेख उपलब्ध रहा | इस प्रकार उक्त सामाग्री/मजदूरी पर अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है | जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मुकेश कुमार एवं ग्रा०वि०अ० श्री रामवीर उत्तरदाई है, जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं०256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु, वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है | **[(ग्राम पंचायत- इंचौर झुन्नानगर -विकास खंड- मझगवा)]**

**प्रस्तर संख्या-78**

वर्ष 2019-20 के कैशबुक के अनुसार जयपाल से रामभजन तक पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शाया गया है, किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में कैशबुक में न तो निर्माण कार्य का नाम अंकित रहा और न ही निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत रहा | क्रय सामाग्री की पुष्टि में प्रमाणक/बोछार भी प्रस्तुत नहीं रहा | विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	विवरण	धनराशि
03.08.2019	धर्मवीर मिस्त्री को भुगतान	5000.00
03.08.2019	धर्मवीर मिस्त्री को भुगतान	10000.00
30.08.2019	जय बजरंग बिल्डिंग मटेरियल को भुगतान	13000.00
31.03.2020	चरन सिंह मिस्त्री को भुगतान	8000.00

**योग :- 36000.00**

इस प्रकार हैंडपंप मरम्मत पर व्यय से सम्बन्धित न तो व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही लाभार्थियों के द्वारा हैंड पम्प खराब होने की सूचना व उनके मरम्मत की मांग तथा सम्बन्धित तकनीकी आकलन प्रस्तुत रहा | उक्त विवरण के विना कार्य की पुष्टि एवं एवं पारदर्शित का आभाव रहा | जल प्रबंधन समिति की संस्तुति व अनुमोदन भी प्रस्तुत नहीं रहा | डेड स्टॉक व स्क्रैप की बिक्री से आय की स्थिति अज्ञात रही | इस प्रकार हैंड पंप पर अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है | जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मुकेश कुमार एवं ग्रा०वि०अ० श्री रामवीर उत्तरदाई है, जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं०256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु, वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है | **[(ग्राम पंचायत- इंचौर झुन्नानगर -विकास खंड- मझगवा)]**

**प्रस्तर संख्या-79**

वर्ष 2019-20 के कैशबुक के अनुसार जयपाल से रामभजन तक पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शाया गया है, किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में कैशबुक में न तो निर्माण कार्य का नाम अंकित रहा और न ही निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत रहा | क्रय सामाग्री की पुष्टि में प्रमाणक/बोछार भी प्रस्तुत नहीं रहा | विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	विवरण	धनराशि
03.01.2020	श्रमिक छोटे लाल को मजदूरी भुगतान	2915.00
03.01.2020	हाजी सिकंदर ब्रिक स्टोर को भुगतान	60420.00
03.01.2020	श्रमिक दान सिंह को मजदूरी भुगतान	2915.00
03.01.2020	श्रमिक कलू को मजदूरी भुगतान	2915.00
03.01.2020	श्रमिक राजू को मजदूरी भुगतान	2915.00
03.01.2020	प्रमोद हार्ड वेयर को सीमेंट, बजर्फुत	4211.00
03.01.2020	श्रमिक राकेश को मजदूरी भुगतान	2915.00
08.01.2020	श्रमिक संजू को मजदूरी भुगतान	2915.00
08.01.2020	श्रमिक शरीफ को मजदूरी भुगतान	1060.00
08.01.2020	श्रमिक छोटे लाल को मजदूरी	5280.00
17.01.2020	सोमपाल को मिट्टी ढुलाई	5500.00
21.03.2020	मस्टररोल श्रमिक को भुगतान	37880.00
21.03.2020	प्रमोद हार्ड वेयर बिल्डिंग-सीमेंट, बजर्फुत	34560.00

**योग :- 166401.00**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मजदूरी एवं सामाग्री हेतु भुगतान तो दर्शाया गया है, किन्तु केशबुक में कौन सा निर्माणकार्य कराया गया है, इसका उल्लेख नहीं रहगा और सामाग्री करी की पुष्टि में न तो व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही निर्माण कार्य की पुष्टि में निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम्बीआदि अभिलेख उपलब्ध रहा। इस प्रकार उक्त सामाग्री/मजदूरी पर अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मुकेश कुमार एवं ग्रा०वि०अ० श्री रामवीर उत्तरदाई है, जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं०256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु, वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**(ग्राम पंचायत- इंचौर झुन्नानगर -विकास खंड- मझगवा)**

**प्रस्तर संख्या-80(1)-**

वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत कोषवाही के अनुसार हैंड पम्प मरम्मत एवं साफ-सफाई कार्य हेतु रु०25000.00 व्यय दर्शाया गया है, जिसका भुगतान फर्म/पंजिका को न करके प्रधान पति श्री वीरपाल को किया गया है, विवरण निम्नलिखित है -

तिथि	चैक संख्या	व्यय का विवरण	धनराशि
07.06.2019	000199	हैंडपम्प मरम्मत कार्य	10000.00
07.06.2019	000200	ग्राम पंचायत में साफ-सफाई	5000.00
07.06.2019	000204	ग्राम पंचायत में साफ-सफाई कार्य	10000.00

**योग :- 25000.00**

उक्त व्यय हेतु सम्बंधित फर्म/पंजिका को सीधे भुगतान न करके प्रधान पति श्री वीरपाल को चैक द्वारा भुगतान दर्शाया गया है, जो आपत्तिजनक है और कार्य की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, समिति की स्वीकृति एवं अनुमोदन भी प्रस्तुत नहीं रही।

इस प्रकार उक्त सामाग्री/मजदूरी पर अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मुकेश कुमार एवं ग्रा०वि०अ० श्री रामवीर उत्तरदाई है, जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं०256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु, वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- झाऊनगला -विकास खंड- मझगवा)**

**प्रस्तर संख्या-80(2)-**

वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत कोषवाही के अनुसार आवश्यक जगहों पर डिप निर्माण कार्य पर निम्न विवरणानुसार रु०109480.00 व्यय दर्शाया गया है, किन्तु व्यय से सम्बंधित फर्म/दुकान/श्रमिक को सीधे भुगतान न करके या तो ग्राम प्रधान द्वारा नकद या प्रधान पति श्री वीरपाल को किया गया है, विवरण निम्नलिखित है -

तिथि	चैक संख्या	व्यय का विवरण	धनराशि
07.06.2019	000206	ईट क्रय ईटभट्टा	10000.00
07.06.2019	000203	ईट क्रय ईटभट्टा	5000.00
09.07.2019	000207	में०अजय कुमार, प्रमोद कुमार सीमेंट स्टोर	11600.00
10.07.2019	000209	लोहे के जाल क्रय हेतु हरीनिवास को	10000.00

10.07.2019	000210	लोहे के जाल क्रय हेतु हरीनिवास को	10500.00
10.07.2019	000234	मजदूरी भुगतान प्रधान द्वारा नकद	15180.00
10.07.2019	000235	मिटटी ढुलाई व सम्मान ढुलाई का प्रधान द्वारा नकद-	10000.00
11.07.2019	000232	राज मिस्त्री व मजदूरी को मजदूरी द्वारा नकद भुगतान-	12200.00
11.07.2019	000233	राज मिस्त्री व मजदूरी को प्रधान पति श्री वीरपाल सिंह द्वारा -	12200.00

**योग :- 109480.00**

उक्त व्यय हेतु सम्बंधित फर्म/पंजिका को सीधे भुगतान न करके प्रधान पति श्री वीरपाल को चैक द्वारा भुगतान दर्शाया गया है, जो आपत्तिजनक है और कार्य की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, समिति की स्वीकृति एवं अनुमोदन भी प्रस्तुत नहीं रही ।

इस प्रकार उक्त सामाग्री/मजदूरी पर अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है । जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मुकेश कुमार एवं गा०वि०अ० श्री रामवीर उत्तरदाई हैं, जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं०256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु, वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है **(ग्राम पंचायत- झाऊनगला - विकास खंड- मझगवा)**

**प्रस्तर संख्या-81**

ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में प्राप्त अनुदान की राशि में से विगत वर्ष में प्राप्त परफार्मेंस ग्रांट की धनराशि रु 3312059.00 वापस किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत द्वारा कुल रु 3312059.00 की धनराशि वापस की गयी है, जबकि 01-04-2019 में ग्राम पंचायत के पास प्रारंभिक शेष के रूप में मात्र रु 2230792.30 की ही धनराशि ही थी। इस प्रकार गत वर्ष के परफार्मेंस ग्रांट की राशि में से रु 1081267.00 गत वर्ष ही बिना शासन/सक्षम विभागीय अधिकारी की स्वीकृति के व्यय कर दिया गया था। जबकि प्रदत्त जानकारी के अनुसार परफार्मेंस ग्रांट की राशि के व्यय पर शासन स्तर से रोक लगी हुई थी। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा मनमाने ढंग से रु 1081267.00 का व्यय अनियमित रूप से किया गया है। जिसके प्रति तात्कालीन पंचायत स्तर पर ऐसा कोई अभिलेख ही प्रस्तुत रहा जिससे तात्कालीन पंचायत सचिव के नाम की जानकारी हो सके, जिसकी जानकारी विभागीय स्तर से प्राप्त करते हुए व प्रधान के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। **ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है (ग्राम पंचायत- पंडरी -विकास खंड- शेरगढ)**

**प्रस्तर संख्या-82**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्रामपंचायत ढकिया खैरुद्दीन विकासखण्ड-नवाबगंज जनपद बरेली के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से केशबुक के अनुसार 611266.00 का आहरण किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में खाते से आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम0बी0, स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्राणपत्र, टेंडर कुटेशन पत्रावली, मस्टरराल, मानदेय पंचिका, प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रमाणपत्र आदि अनुपलब्ध रहे।

लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग ऑनलाईन वेबसाईट के अलावा पत्र दिनांक 15-12-2020, 06-01-2021, 02-02-2021, 18-02-2021, 23-03-2021, 04-02-2021, 12-03-2021 द्वारा की गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक माँग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 611266.00 का अपहरण कर लिया है। ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था की गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जाएगी। एवं उसके विरुद्ध आई.पी.सी की धारा 409 के अनुसार मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उरकोक्त वर्षित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 611266.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि 611266.00 की वसूली ब्याज सहित उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- ढकिया खैरुद्दीन -विकास खंड- नवाबगंज बरेली)**

**प्रस्तर संख्या-83**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्रामपंचायत मसीतवली नगर विकासखण्ड- नवाबगंज जनपद बरेली के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से 2674112.00 रुपये व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट/इ ग्रामस्वराज वेबसाईट पर दर्शित है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग आडिट ऑनलाईन वेबसाईट पर एवं पत्र दिनांक 15-12-2020, 06-01-2021, 02-02-2021, 18-02-2021, 23-03-2021, 04-02-2021, द्वारा की गयी। लेकिन इंटीमेशन स्वीकार कर कोई भी अभिलेख यथा केशबुक, बैंक स्टेटमेंट, स्वीकृत कार्ययोजना, बजट, स्वीकृत एस्टीमेट, निविदा कुटेशन पत्रावली, एम.आर. व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, आय पुस्तिका, अचल संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, मानदेय पंचिका, टेंडर कुटेशन पत्रावली उपलब्ध नहीं कराये गए। ग्रामपंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक

अनुपलब्ध हैं तो दर्शित व्ययित धनराशि का अपहरण मानते हुए उसकी वसूली सचिव व प्रधान से किये जाने एवं आई. पी. सी. की धारा 409 के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित करने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व अन्य सुसंगत अभिलेख अनुपलब्ध रहे। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है की सचिव व प्रधान ने आहरित धनराशि 2674112.00 रुपये का अपहरण कर लिया है। अतः प्रावधान के आलोक में दर्शित व्ययित धनराशि 2674112.00 रुपये की वसूली समभाग में प्रधान व सचिव से ब्याज सहित एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम 256 से 259 के अनुसार की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- मसीतवली नगर -विकास खंड- नवाबगंज बरेली)**

#### **प्रस्तर संख्या-84**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्रामपंचायत शाहपुर जीसुखराय विकासखण्ड-नवाबगंज जनपद बरेली के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से 99822.00 रुपये व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट/इ ग्रामस्वराज वेबसाईट पर दर्शित है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग आडिट ऑनलाईन वेबसाईट पर एवं पत्र दिनांक 15-12-2020, 06-01-2021, 02-02-2021, 18-02-2021, 23-03-2021, 04-02-2021, द्वारा की गयी। लेकिन इंटीमेशन स्वीकार कर कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, स्वीकृत कार्ययोजना, बजट, स्वीकृत एस्टीमेट, निविदा कुटेशन पत्रावली, एम.आर. व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, आय पुस्तिका, अचल संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, मानदेय पंजिका, टेण्डर कुटेशन पत्रावली उपलब्ध नहीं कराये गए। ग्रामपंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध हैं तो दर्शित व्ययित धनराशि का अपहरण मानते हुए उसकी वसूली सचिव व प्रधान से किये जाने एवं आई. पी. सी. की धारा 409 के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित करने का प्रावधान है।

लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व अन्य सुसंगत अभिलेख अनुपलब्ध रहे। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है की सचिव व प्रधान ने आहरित धनराशि 99822.00 रुपये का अपहरण कर लिया है। अतः प्रावधान के आलोक में दर्शित व्ययित धनराशि 99822.00 रुपये की वसूली समभाग में प्रधान व सचिव से ब्याज सहित एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम 256 से 259 के अनुसार की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- शाहपुर जीसुखराय -विकास खंड- नवाबगंज बरेली)**

#### **प्रस्तर संख्या-85**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत अटंगायोगी विकासखण्ड-नवाबगंज जनपद बरेली के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से 793679.00 रुपये व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट/इ ग्रामस्वराज वेबसाईट पर दर्शित है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग आडिट ऑनलाईन वेबसाईट पर एवं पत्र दिनांक 15-12-2020, 06-01-2021, 02-02-2021, 18-02-2021, 23-03-2021, 04-02-2021, के माध्यम से की गयी। लेकिन इंटीमेशन स्वीकार कर कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, स्वीकृत कार्ययोजना, बजट, स्वीकृत एस्टीमेट, निविदा कुटेशन पत्रावली, एम.आर. व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, आय पुस्तिका, अचल संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, मानदेय पंजिका, टेण्डर कुटेशन पत्रावली उपलब्ध नहीं कराये गए। ग्रामपंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध हैं तो दर्शित व्ययित धनराशि का अपहरण मानते हुए उसकी वसूली सचिव व प्रधान से किये जाने एवं आई. पी. सी. की धारा 409 के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित करने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व अन्य सुसंगत अभिलेख अनुपलब्ध रहे। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है की सचिव व प्रधान ने आहरित धनराशि 793679.00 रुपये का अपहरण कर लिया है। अतः प्रावधान के आलोक में दर्शित व्ययित धनराशि 793679.00 रुपये की वसूली समभाग में प्रधान व सचिव से ब्याज सहित एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम 256 से 259 के अनुसार की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- अटंगायोगी -विकास खंड- नवाबगंज बरेली)**

#### **प्रस्तर संख्या-86**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत कल्याणपुर हिकमतली विकासखण्ड-नवाबगंज जनपद बरेली के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से 1134085.00 रुपये व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट/इ ग्रामस्वराज वेबसाईट पर दर्शित है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग आडिट ऑनलाईन वेबसाईट पर एवं पत्र दिनांक 15-12-2020, 06-01-2021, 02-02-2021, 18-02-2021, 23-03-2021, 04-02-2021, के माध्यम से की गयी। लेकिन इंटीमेशन स्वीकार कर कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, स्वीकृत कार्ययोजना, बजट, स्वीकृत एस्टीमेट, निविदा कुटेशन पत्रावली, एम.आर. व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, आय पुस्तिका, अचल संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, मानदेय पंजिका, टेण्डर कुटेशन पत्रावली उपलब्ध नहीं कराये गए। ग्रामपंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध हैं तो दर्शित व्ययित धनराशि का अपहरण मानते हुए उसकी वसूली सचिव व प्रधान से किये जाने एवं आई. पी. सी. की धारा 409 के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित करने का प्रावधान है।

लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व अन्य सुसंगत अभिलेख अनुपलब्ध रहे। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है की सचिव व प्रधान ने आहरित धनराशि 1134085.00 रुपये का अपहरण कर लिया है। अतः प्रावधान के आलोक में दर्शित व्ययित धनराशि 1134085.00 रुपये की वसूली समभाग में प्रधान व सचिव से ब्याज सहित एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम 256 से 259 के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है की प्रियासॉफ्ट/इ-ग्रामस्वराज में दर्शित व्ययित धनराशि में निरस्त पेमेंट भी सामिल किये गए हैं अतः वास्तविक व्ययित धनराशि का निर्धारण बैंक स्टेटमेंट के आधार पर किया जाना उचित होगा। **(ग्राम पंचायत- कल्याणपुर हिकमतली -विकास खंड- नवाबगंज बरेली)**

### **प्रस्तर संख्या-87**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत गेला टांडा विकासखण्ड-नवाबगंज जनपद बरेली के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से 2023034.00 रुपये व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट/इ ग्रामस्वराज वेबसाईट पर दर्शित है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग आडिट ऑनलाईन वेबसाईट पर एवं पत्र दिनांक 15-12-2020, 06-01-2021, 02-02-2021, 18-02-2021, 23-03-2021, 04-02-2021, के माध्यम से की गयी। लेकिन इंटिमेशन स्वीकार कर कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, स्वीकृत कार्ययोजना, बजट, स्वीकृत एस्टीमेट, निविदा कुटेशन पत्रावली, एम.आर. व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, आय पुस्तिका, अचल संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, मानदेय पंजिका, टेण्डर कुटेशन पत्रावली उपलब्ध नहीं कराये गए। ग्रामपंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध हैं तो दर्शित व्ययित धनराशि का अपहरण मानते हुए उसकी वसूली सचिव व प्रधान से किये जाने एवं आई. पी. सी. की धारा 409 के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित करने का प्रावधान है।

लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व अन्य सुसंगत अभिलेख अनुपलब्ध रहे। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है की सचिव व प्रधान ने आहरित धनराशि 2023034.00 रुपये का अपहरण कर लिया है। अतः प्रावधान के आलोक में दर्शित व्ययित धनराशि 2023034.00 रुपये की वसूली समभाग में प्रधान व सचिव से ब्याज सहित एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम 256 से 259 के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है की प्रियासॉफ्ट/इ-ग्रामस्वराज में दर्शित व्ययित धनराशि में निरस्त पेमेंट भी सामिल किये गए हैं अतः वास्तविक व्ययित धनराशि का निर्धारण बैंक स्टेटमेंट के आधार पर किया जाना उचित होगा। **(ग्राम पंचायत- गेला टांडा -विकास खंड- नवाबगंज बरेली)**

### **प्रस्तर संख्या-88**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत रूपपुर विकासखण्ड-नवाबगंज जनपद बरेली के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से 2980966.00 रुपये व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट/इ ग्रामस्वराज वेबसाईट पर दर्शित है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग आडिट ऑनलाईन वेबसाईट पर एवं पत्र दिनांक 15-12-2020, 06-01-2021, 02-02-2021, 18-02-2021, 23-03-2021, 04-02-2021, के माध्यम से की गयी। लेकिन इंटिमेशन स्वीकार कर कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, स्वीकृत कार्ययोजना, बजट, स्वीकृत एस्टीमेट, निविदा कुटेशन पत्रावली, एम.आर. व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, आय पुस्तिका, अचल संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, मानदेय पंजिका, टेण्डर कुटेशन पत्रावली उपलब्ध नहीं कराये गए। ग्रामपंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध हैं तो दर्शित व्ययित धनराशि का अपहरण मानते हुए उसकी वसूली सचिव व प्रधान से किये जाने एवं आई. पी. सी. की धारा 409 के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित करने का प्रावधान है।

लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व अन्य सुसंगत अभिलेख अनुपलब्ध रहे। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है की सचिव व प्रधान ने आहरित धनराशि 2980966.00 रुपये का अपहरण कर लिया है। अतः प्रावधान के आलोक में दर्शित व्ययित धनराशि 2980966.00 रुपये की वसूली समभाग में प्रधान व सचिव से ब्याज सहित एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम 256 से 259 के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है की प्रियासॉफ्ट/इ-ग्रामस्वराज में दर्शित व्ययित धनराशि में निरस्त पेमेंट भी सामिल किये गए हैं अतः वास्तविक व्ययित धनराशि का निर्धारण बैंक स्टेटमेंट के आधार पर किया जाना उचित होगा। **(ग्राम पंचायत- रूपपुर -विकास खंड- नवाबगंज बरेली)**

### **प्रस्तर संख्या-89**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत सैदपुर सरौरा विकासखण्ड-नवाबगंज जनपद बरेली के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से 1180351.00 रुपये व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट/इ ग्रामस्वराज वेबसाईट पर दर्शित है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग आडिट ऑनलाईन वेबसाईट पर एवं पत्र दिनांक 15-12-2020, 06-01-2021, 02-02-2021, 18-02-2021, 23-03-2021, 04-02-2021, के माध्यम से की गयी। लेकिन इंटिमेशन स्वीकार कर कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, स्वीकृत कार्ययोजना, बजट, स्वीकृत एस्टीमेट, निविदा कुटेशन पत्रावली, एम.आर. व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, आय पुस्तिका, अचल संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, मानदेय पंजिका, टेण्डर कुटेशन पत्रावली उपलब्ध नहीं कराये गए। ग्रामपंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध हैं तो दर्शित व्ययित धनराशि का अपहरण मानते हुए उसकी वसूली सचिव व प्रधान से किये जाने एवं आई. पी. सी. की धारा 409 के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित करने का प्रावधान है।

लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व अन्य सुसंगत अभिलेख अनुपलब्ध रहे। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है की सचिव व प्रधान ने आहरित धनराशि 1180351.00 रुपये का अपहरण कर लिया है। अतः प्रावधान के आलोक में दर्शित व्ययित धनराशि 1180351.00 रुपये की वसूली समभाग में प्रधान व सचिव से ब्याज सहित एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम 256 से 259 के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है की प्रियासॉफ्ट/इ-ग्रामस्वराज में दर्शित व्ययित धनराशि में निरस्त पेमेंट भी सामिल किये गए हैं अतः वास्तविक व्ययित धनराशि का निर्धारण बैंक स्टेटमेंट के आधार पर किया जाना उचित होगा। **(ग्राम पंचायत- सैदपुर सरौरा -विकास खंड- नवाबगंज बरेली)**

#### **प्रस्तर संख्या-90**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत लाईखेडा विकासखण्ड-नवाबगंज जनपद बरेली के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से 1524990.00 रुपये व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट/इ ग्रामस्वराज वेबसाईट पर दर्शित है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग आडिट ऑनलाईन वेबसाईट पर एवं पत्र दिनांक 02-02-2021, 18-02-2021, 23-03-2021, 04-02-2021, व 06-01-2021 के माध्यम से की गयी। लेकिन इंटिमेशन स्वीकार कर कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, स्वीकृत कार्ययोजना, बजट, स्वीकृत एस्टीमेट, निविदा कुटेशन पत्रावली, एम.आर. व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, आय पुस्तिका, अचल संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, मानदेय पंजिका, टेण्डर कुटेशन पत्रावली उपलब्ध नहीं कराये गए। ग्रामपंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध हैं तो दर्शित व्ययित धनराशि का अपहरण मानते हुए उसकी वसूली सचिव व प्रधान से किये जाने एवं आई. पी. सी. की धारा 409 के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित करने का प्रावधान है।

लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व अन्य सुसंगत अभिलेख अनुपलब्ध रहे। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है की सचिव व प्रधान ने आहरित धनराशि 1524990.00 रुपये का अपहरण कर लिया है। अतः प्रावधान के आलोक में दर्शित व्ययित धनराशि 1524990.00 रुपये की वसूली समभाग में प्रधान व सचिव से ब्याज सहित एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम 256 से 259 के अनुसार की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- लाईखेडा -विकास खंड- नवाबगंज बरेली)**

#### **प्रस्तर संख्या-91**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत टांडा सादात विकासखण्ड-नवाबगंज जनपद बरेली के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से 4058191.00 रुपये व्यय किया जाना प्रियासॉफ्ट/इ ग्रामस्वराज वेबसाईट पर दर्शित है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग आडिट ऑनलाईन वेबसाईट पर एवं पत्र दिनांक 15-12-2020, 06-01-2021, 02-02-2021, 18-02-2021, 23-03-2021, 04-02-2021, के माध्यम से की गयी। लेकिन इंटिमेशन स्वीकार कर कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, स्वीकृत कार्ययोजना, बजट, स्वीकृत एस्टीमेट, निविदा कुटेशन पत्रावली, एम.आर. व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, आय पुस्तिका, अचल संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, मानदेय पंजिका, टेण्डर कुटेशन पत्रावली उपलब्ध नहीं कराये गए। ग्रामपंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध हैं तो दर्शित व्ययित धनराशि का अपहरण मानते हुए उसकी वसूली सचिव व प्रधान से किये जाने एवं आई. पी. सी. की धारा 409 के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित करने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व अन्य सुसंगत अभिलेख अनुपलब्ध रहे। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है की सचिव व प्रधान ने आहरित धनराशि 4058191.00 रुपये का अपहरण कर लिया है। अतः प्रावधान के आलोक में दर्शित व्ययित धनराशि 4058191.00 रुपये की वसूली समभाग में प्रधान व सचिव से ब्याज सहित एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम 256 से 259 के अनुसार की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- टांडा सादात -विकास खंड- नवाबगंज बरेली)**

#### **प्रस्तर संख्या-92**

आलोच्य वर्ष में रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 06-02-2020 को ग्लोबल डेवलपमेंट से प्रा0 वि0 हेतु रु० 196000.00 का फर्नीचर क्रय दर्शाया गया है। फर्नीचर क्रय से सम्बंधित स्कूल प्रबन्धन द्वारा मांग-पत्र, सक्षम अधिकारी का आदेश, टेण्डर/कुटेशन, स्कूल प्रबन्धन द्वारा फर्नीचर प्राप्त रसीद, स्टॉक बुक, गुणवत्ता प्रमाणन संबंधी प्रमाण-पत्र, व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं रहा। उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार दर्शाए गये व्यय के संबंध में बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं रहने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन न्ते हुए संबंधित धनराशि की वसूली उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं० 256 से 259 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी (कार्य अवधि अनुसार) से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- जोखनपुर -विकास खंड- दमखोदा बरेली)**

#### **प्रस्तर संख्या-93**

दिनांक 21-03-2020 में मानदेय 10 माह का अंकित कर रुपए 35,000.00 का भुगतान किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। जिसकी पुष्टि में मानदेय पंजीका/प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। प्रदत्त जानकारी के अनुसार यह मानदेय विगत 10 माह का है। स्पष्ट है कि यह भुगतान महा मई 2019 से फरवरी 2020 तक का है, जबकि प्रमाणक संख्या 2 दिनांक 07-07 2020 से 04 महा मार्च-अप्रैल मई व जून 2019 तक का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है। स्पष्ट है कि महा मई 2019 व जून 19 का डबल भुगतान रुपए 7000.00 का किया गया है। जिसकी वसूली प्रधान व सचिव से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप नियम अनुसार की जानी चाहिए।

मानदेय पंजीका/प्रमाणक प्रस्तुत कर उक्त भुगतान की पुष्टि भी कराई जानी चाहिए। अन्यथा स्थिति में ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 के में दी गई व्यवस्था कि यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए अधिभारित धनराशि की वसूली संबंधित पक्षों (ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव से

की जानी चाहिए एवं अधिभारित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अनुरूप भी आवश्यक कार्यवाही भी किया जाना चाहिए। **(ग्राम पंचायत- कस्बापुर -विकास खंड- शेरगढ बरेली)**

#### **प्रस्तर संख्या-94**

वर्ष दौरान किए गए व्ययों/कार्यों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पंजिका, कार्य योजना, स्टीमेट, टेंडर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, स्टॉक पंजिका, संपत्ति पंजिका, सार्वजानीक कार्यों का निर्माण पंजिका आदि लेखा परीक्षा के समय अपेक्षा के उपरान्त भी जाँच में प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में संबंधित सचिव से बार बार माँग के बावजूद व तत्क्रम में कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, बरेली के पत्रांक-3627-सी दिनांक-20-11-2020 व पत्रांक-3753-सी दिनांक- 24-11-2020 जिसमें आडिट आनलाईन हेतु संबंधित सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराने की दशा में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने व सन्निहित धनराशि को अनियमितता/अपहरण मानते हुए संबंधित के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए धनराशि की वसूली वेतन से करने के निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, के बावजूद संबंधित सचिव श्री राजपाल द्वारा लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि श्री राजपाल सचिव व प्रधान श्रीमती पार्वती देवी द्वारा अनियमित रूप से ग्राम निधि खाते से रु 959963.00 (बैंक स्टेटमेंट/ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार) का आहरण कर उसका अपहरण कर लिया गया है। जिसे छुपाने के उद्देश्य से ही अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः जिला पंचायत राज अधिकारी के उक्त पत्रों के आलोक में एवं ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुयुल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में दी गई व्यवस्था की यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए अधिभारित धनराशि की वसूली संबंधित पक्षों (ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव) से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप नियमानुसार करते हुए अधिभारित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी किया जाना चाहिए। **(ग्राम पंचायत- बकैनिया बीरपुर -विकास खंड- शेरगढ बरेली)**

#### **प्रस्तर संख्या-95**

वर्ष दौरान किए गए व्ययों/कार्यों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पंजिका, कार्य योजना, स्टीमेट, टेंडर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, स्टॉक पंजिका, संपत्ति पंजिका, सार्वजानीक कार्यों का निर्माण पंजिका आदि लेखा परीक्षा के समय अपेक्षा के उपरान्त भी जाँच में प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में संबंधित सचिव से बार बार माँग के बावजूद व तत्क्रम में कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, बरेली के पत्रांक सी-3627 दिनांक-20-11-2020 व पत्रांक-3753-सी दिनांक- 24-11-2020 जिसमें आडिट आनलाईन हेतु संबंधित सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराने की दशा में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने व सन्निहित धनराशि को अनियमितता/अपहरण मानते हुए संबंधित के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए धनराशि की वसूली वेतन से करने के निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, के बावजूद संबंधित सचिव श्री राजपाल द्वारा लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि श्री राजपाल सचिव व प्रधान श्रीमती पार्वती देवी द्वारा अनियमित रूप से ग्राम निधि खाते से रु 1901248.00 (बैंक स्टेटमेंट/ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार) का आहरण कर उसका अपहरण कर लिया गया है। जिसे छुपाने के उद्देश्य से ही अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः जिला पंचायत राज अधिकारी के उक्त पत्रों के आलोक में एवं ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुयुल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में दी गई व्यवस्था की यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए अधिभारित धनराशि की वसूली संबंधित पक्षों (ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव) से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप नियमानुसार करते हुए अधिभारित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी किया जाना चाहिए। **(ग्राम पंचायत- मानपुर पूर्वी -विकास खंड- शेरगढ बरेली)**

#### **प्रस्तर संख्या-96**

वर्ष दौरान किए गए व्ययों/कार्यों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पंजिका, कार्य योजना, स्टीमेट, टेंडर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, स्टॉक पंजिका, संपत्ति पंजिका, सार्वजानीक कार्यों का निर्माण पंजिका आदि लेखा परीक्षा के समय अपेक्षा के उपरान्त भी जाँच में प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में संबंधित सचिव से बार बार माँग के बावजूद व तत्क्रम में कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, बरेली के पत्रांक सी-3627 दिनांक-20-11-2020 व पत्रांक-3753-सी दिनांक- 24-11-2020 जिसमें आडिट आनलाईन हेतु संबंधित सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराने की दशा में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने व सन्निहित धनराशि को अनियमितता/अपहरण मानते हुए संबंधित के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए धनराशि की वसूली वेतन से करने के निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, के बावजूद संबंधित सचिव श्री राजपाल द्वारा लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि श्री राजपाल सचिव व प्रधान श्रीमती पार्वती देवी द्वारा अनियमित रूप से ग्राम निधि खाते से रु 626434.00 (बैंक स्टेटमेंट/ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार) का आहरण कर उसका अपहरण कर लिया गया है। जिसे छुपाने के उद्देश्य से ही अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः जिला पंचायत राज अधिकारी के उक्त पत्रों के आलोक में एवं ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुयुल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में दी गई व्यवस्था

की यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए अधिभारित धनराशि रु 626434.00 की ब्याज सहित वसूली संबंधित पक्षों (ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव) से उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप नियमानुसार करते हुए अधिभारित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी किया जाना चाहिए। **(ग्राम पंचायत- सुल्तानपुर -विकास खंड- शेरगढ बरेली)**

#### **प्रस्तर संख्या-97**

वर्ष दौरान किए गए व्ययों/कार्यों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पंजिका, कार्य योजना, स्टीमेट, टेंडर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, स्टॉक पंजिका, संपत्ति पंजिका, सार्वजनीक कार्यों का निर्माण पंजिका आदि लेखा परीक्षा के समय अपेक्षा के उपरान्त भी जाँच में प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में संबंधित सचिव से बार बार माँग के बावजूद व तत्क्रम में कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, बरेली के पत्रांक सी-3627 दिनांक-20-11-2020 व पत्रांक-3753-सी दिनांक- 24-11-2020 जिसमें आडिट आनलाईन हेतु संबंधित सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराने की दशा में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने व सन्निहित धनराशि को अनियमितता/अपहरण मानते हुए संबंधित के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए धनराशि की वसूली वेतन से करने के निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, के बावजूद संबंधित सचिव श्री राजपाल द्वारा लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि श्री राजपाल सचिव व प्रधान श्रीमती पार्वती देवी द्वारा अनियमित रूप से ग्राम निधि खाते से रु 1953025.00 (बैंक स्टेटमेंट/ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार) का आहरण कर उसका अपहरण कर लिया गया है। जिसे छुपाने के उद्देश्य से ही अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः जिला पंचायत राज अधिकारी के उक्त पत्रों के आलोक में एवं ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुयल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में दी गई व्यवस्था की यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए अधिभारित धनराशि रु 1953025.00 की ब्याज सहित वसूली शासनादेश संख्या 06/ 201/ 2325/ 33- 1- 2017- 1988/ 17 पंचायत राज अनुभाग-1 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 के बिन्दु सं0-2 में दी गयी व्यवस्था कि ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे के अनुरूप पृथम दृष्टया तात्कालीन पंचायत सचिव से नियमानुसार करते हुए उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी किया जाना चाहिए। **(ग्राम पंचायत- डेलपुर -विकास खंड- शेरगढ बरेली)**

#### **प्रस्तर संख्या-98**

ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में प्राप्त अनुदान की राशि में से विगत वर्ष में प्राप्त परफार्मेंस ग्रांट की धनराशि रु 1980110.00 वापस किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत द्वारा कुल रु 1980110.00 की धनराशि वापस की गयी है, जबकि 01-04-2019 में ग्राम पंचायत के पास प्रारंभिक शेष के रूप में मात्र रु 1277298.00 की ही धनराशि ही थी। इस प्रकार गत वर्ष के परफार्मेंस ग्रांट की राशि में से रु 702812.00 गत वर्ष ही बिना शासन/सक्षम विभागीय अधिकारी की स्वीकृति के व्यय कर दिया गया था। जबकि प्रदत्त जानकारी के अनुसार परफार्मेंस ग्रांट की राशि के व्यय पर शासन स्तर से रोक लगी हुई थी। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा मनमाने ढंग से रु 702812.00 का व्यय अनियमित रूप से किया गया है। जिसके प्रति तात्कालीन पंचायत सचिव (जिसका विवरण लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया व न ही ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसा कोई अभिलेख ही प्रस्तुत रहा जिससे तात्कालीन पंचायत सचिव के नाम की जानकारी हो सके, जिसकी जानकारी विभागीय स्तर से प्राप्त करते हुए पंचायत सचिव व प्रधान के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली व आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- मवई जरेल-विकास खंड- शेरगढ)**

#### **प्रस्तर संख्या-99**

ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में प्राप्त अनुदान की राशि में से विगत वर्ष में प्राप्त परफार्मेंस ग्रांट की धनराशि रु 1755953.00 वापस किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत द्वारा कुल रु 1755953.00 की धनराशि वापस की गयी है, जबकि 01-04-2019 में ग्राम पंचायत के पास प्रारंभिक शेष के रूप में मात्र रु 821805.25 की ही धनराशि ही थी। इस प्रकार गत वर्ष के परफार्मेंस ग्रांट की राशि में से रु 934147.75 गत वर्ष ही बिना शासन/सक्षम विभागीय अधिकारी की स्वीकृति के व्यय कर दिया गया था। जबकि प्रदत्त जानकारी के अनुसार परफार्मेंस ग्रांट की राशि के व्यय पर शासन स्तर से रोक लगी हुई थी। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा मनमाने ढंग से रु 934147.75 का व्यय अनियमित रूप से किया गया है। जिसके प्रति तात्कालीन पंचायत सचिव (जिसका विवरण लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया व न ही ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसा कोई अभिलेख ही प्रस्तुत रहा जिससे तात्कालीन पंचायत सचिव के नाम की जानकारी हो सके, जिसकी जानकारी विभागीय स्तर से प्राप्त करते हुए पंचायत सचिव व प्रधान के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली व आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है **(ग्राम पंचायत- सराय -विकास खंड- शेरगढ)**

#### **प्रस्तर संख्या-100**

ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में प्राप्त अनुदान की राशि में से विगत वर्ष में प्राप्त परफार्मेंस ग्रांट की धनराशि रु 2621075.00 वापस किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत द्वारा कुल रु 2621075.00 की धनराशि वापस की गयी है, जबकि 01-04-2019 में ग्राम पंचायत के पास प्रारंभिक शेष के रूप में मात्र रु 1696835.35 की ही धनराशि ही थी। इस प्रकार गत वर्ष के परफार्मेंस ग्रांट की राशि में से रु 924239.65 गत वर्ष ही बिना शासन/सक्षम विभागीय अधिकारी की स्वीकृति के व्यय कर दिया गया था। जबकि

प्रदत्त जानकारी के अनुसार परफार्मेंस ग्रांट की राशि के व्यय पर शासन स्तर से रोक लगी हुई थी। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा मनमाने ढंग से ₹ 924239.65 का व्यय अनियमित रूप से किया गया है। जिसके प्रति तात्कालीन पंचायत सचिव (जिसका विवरण लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया व न ही ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसा कोई अभिलेख ही प्रस्तुत रहा जिससे तात्कालीन पंचायत सचिव के नाम की जानकारी हो सके, जिसकी जानकारी विभागीय स्तर से प्राप्त करते हुए पंचायत सचिव व प्रधान के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली व आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- परेवा -विकास खंड- शेरगढ़)**

**प्रस्तर संख्या-101**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत हाफिजगंज विकासखण्ड-नवाबगंज जनपद बरेली के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार 5149251.00 रुपये का आहरण किया गया। लेखा परीक्षा में खाते से आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेट, व्यय परमाणक, एम0.बी0, स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाणपत्र, टैंड कुटेशन पत्रावली, देय विद्युत संयोजन पत्रावली, देय विद्युत बिलों की प्रति आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग आडिट ऑनलाईन वेबसाइट पर एवं पत्र दिनांक 15-12-2020, 06-01-2021, 02-02-2021, 18-02-2021, 23-03-2021, 04-02-2021, 12-03-2021 के माध्यम से की गयी।

श्री विपिन सक्सेना सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाईन ऑडिट हेतु केवल इन्टीमेशन स्वीकार कर लेखा परीक्षा हेतु मात्र बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराया गया। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 5149251.00 का अपहरण कर लिया है। ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था कि गयी है कि यदि दर्शाए व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जाएगी। एवं उसके विरुद्ध आई.पी.सी की धारा 409 के अनुसार मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 5149251.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री विपिन सक्सेना व प्रधान श्री अकील से धनराशि ₹0-5149251.00 की वसूली ब्याज सहित उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- हाफिजगंज - विकास खंड- नवाबगंज बरेली)**

**प्रस्तर संख्या-102**

आलोच्य वर्ष में कतिपय तिथियों में शौचालय मरम्मत/निर्माण में निम्न विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शाया गया है-

दिनांक	विवरण	धनराशि
01-04-2019	चेक सं0 265012 राकेश ट्रेडिंग एंड कंपनी को नेफ्ट द्वारा	30000.00
17-12-2019	पीएफएमएस द्वारा	27624.00
17-12-2019	पीएफएमएस द्वारा	48555.00
17-12-2019	पीएफएमएस द्वारा	40847.00
17-12-2019	पीएफएमएस द्वारा	52474.00
	<b>योग</b>	<b>199500.00</b>

शौचालय मरम्मत/निर्माण से संबंधित मांग-पत्र शौचालय बनाये जाने का स्थलीय विवरण तथा संबंधित तकनीकी आंकलन प्रस्तुत नहीं रहा और न ही व्यय से संबंधित प्रमाणक उपलब्ध रहा। उक्त विवरण के बिना कार्य की पुष्टि एवं पारदर्शिता का अभाव रहा। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 (क) के अनुसार दर्शाए गये व्यय के संबंध में बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं रहने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी (कार्य अवधि अनुसार) से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- भुइवा -विकास खंड- दमखोदा बरेली)**

**प्रस्तर संख्या-103**

आलोच्य वर्ष में कतिपय तिथियों में SBI बैंक में खुले ग्राम निधि खाता सं0 3154644277 से पीएफएमएस द्वारा निम्न विवरणानुसार आहरित धनराशियों को रोकड वही के न ही आय एवं न ही व्यय पक्ष में अंकित किया गया है-

दिनांक	धनराशि
24-12-2019	2461.00
24-12-2019	6050.00
24-12-2019	2655.00
24-12-2019	2950.00

24-12-2019	4425.00
24-12-2019	144801.00
30-12-2019	19000.00
30-12-2019	11391.00
30-12-2019	14000.00
30-12-2019	14000.00
<b>योग</b>	<b>221733.00</b>

जिसके कारण ही वर्षांत में उक्त धन राशि 221733.00 से कैशबुक के अनुसार बैंक में जमा ज्यादा दर्शित है। जबकि बैंक में इस राशि से कम दर्शित है। इस प्रकार आहरित धन राशि का प्रदान व सचिव द्वारा सीधे अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी (कार्य अवधि अनुसार) से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- देवीपुरा -विकास खंड- दमखोदा बरेली)**

**प्रस्तर संख्या-104**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में रोकड़ बही के अनुसार कतिपय तिथियों में निम्न विवरणानुसार स्ट्रीट लाइट क्रय पर व्यय दर्शाया गया है :-

दिनांक	विवरण	धनराशि
17-12-2019	मदार सेनेटरी एंड हैंड पंप स्टोर को पीएफएमएस द्वारा	59925.00
17-12-2019	मदार सेनेटरी एंड हैंड पंप स्टोर को पीएफएमएस द्वारा	59925.00

**योग- 119850.00**

शासनादेश सं० आरजीएसए/197/2019-4/379/2015 दी० 02.05.2019 के बिन्दु सं० 8 के अनुरूप स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य नहीं कराया गया है | बिंदु संख्या 8 के अनुसार विधुत विभाग से वैध कनेक्शन प्राप्त का कोई विवरण तथा स्ट्रीट लगाने का कार्यस्थल, सम्बन्धित कार्य योजना प्रस्तुत नहीं किया गया | इसके अतिरिक्त इसके क्रय से सम्बंधित टेन्डर/कोटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये | उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं रहा | उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 "क" के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं रहने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं० 256 से 259 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी "कार्य अवधि अनुसार" से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है | **(ग्राम पंचायत-देवीपुरा -विकास खंड- दमखोदा)**

**प्रस्तर संख्या-105**

क्रम सं	दिनांक	चेक सं	धनराशि	फर्म जिसको भुगतान हुआ
1	18.02.2019	460	59392.00	आसिफ कृषि उद्योग
2	18.02.2019	457	53818.00	आसिफ कृषि उद्योग
3	12.03.2019	464	49735.00	आसिफ कृषि उद्योग
4	29.03.2019	371	96829.00	आसिफ कृषि उद्योग

**योग 259774.00**

उपरोक्त तालिकानुसार ग्रामपंचायत पिपरा निगाही विकासखण्ड - नवाबगंज जनपद बरेली के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से कैशबुक के अनुसार 259774.00 रु का आहरण विभिन्न तिथियों में किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में खाते से आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम० बी०, स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्राणपत्र, टैंडर कुटेशन पत्रावली, मस्टरराल, मानदेय पंजिका, प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति प्रमाणपत्र आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग ऑडिट पत्र दिनांक 02.02.2021, 18.02.2021, 23.03.2021, 04.02.2021 व 06.01.2021 के माध्यम से की गयी | स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 259774.00 का अपहरण कर लिया है। ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क मे व्यवस्था कि गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल / बाँउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जाएगी। एवं उसके विरुद्ध आई.पी.सी की धारा 409 के अनुसार मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 259774.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि 259774.00 की वसूली ब्याज सहित उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत-पिपरा निगाही -विकास खंड- नबाबगंज बरेली)**

**प्रस्तर संख्या-106**

आलोच्य वर्ष 2019 - 2020 में ग्राम पंचायत औरंगाबाद विकास खण्ड - नवाबगंज जनपद बरेली के ग्राम निधि प्रथम के खाते से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार 943520.00 रु का आहरण प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर / सहमति से किया गया। लेखा परीक्षा में खाते से आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम0 बी0, स्टॉक रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्राण पत्र, टेंडर कुटेशन पत्रावली, मस्टर राल, मानदेय पंजिका, प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रमाण पत्र आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की मांग किए जाने का विवरण निम्नवत है

क्रम सं०	कर्मचारी / अधिकारी	अभिलेखों की मांग किए जाने का माध्यम	मांग किए जाने का विवरण / दिनांक
1	सहायक विकास अधि० (पंचा) / खण्ड वि० अधि० नवाबगंज	पत्र	पत्र दि० 15.12.2020, 02.02.2021, - 18.02.2021, 23.03.2021
2	जिला पंचायत राज अधिकारी	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021, 12.03.2021
3	उप निदेशक पंचायत बरेली मण्डल बरेली	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021
4	उपमुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली मण्डल बरेली	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021
5	जिला लेखा परीक्षा आधिकारी बरेली	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021, 12.03.2021
6	समस्त सचिव	पत्र, प्रारूप व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के संबंध में	04.02.2021, 06.01.2021
7	श्री मुकेश शर्मा	आडिट आनलाइन वेबसाइट	-
		पत्र	06.01.2021, 15.03.2021, 22.03.2021, 04.02.2021,
		टेलीफोनिक / व्हाट्सएप वार्ता	25.11.2020, 09.12.2020, 15.12.2020, 16.12.2020, 17.12.2020, 04.01.2021, 26.03.2021

श्री मुकेश शर्मा सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाइन ऑडिट हेतु केवल इन्टीमेशन स्वीकार कर लेखा परीक्षा हेतु मात्र बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराया गया। उल्लेखनीय है की श्री मुकेश शर्मा जी द्वारा पिछले वर्ष भी स्वयं से संबंधित ग्रामपंचायतों की लेखा परीक्षा नहीं करायी गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 943520.00 का अपहरण कर लिया है। ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था क गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल / बाँउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जाएगी। उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 943520.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री मुकेश शर्मा व प्रधान श्रीमती चम्पादेवी से धनराशि 94352000 की ब्याज सहित वसूली वैधानिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित। **(ग्राम पंचायत-औरंगाबाद -विकास खंड- नबाबगंज बरेली)**

**प्रस्तर संख्या-107 (1)-**

आलोच्य वर्ष में दिनांक 10.11.2019 को ग्राम निधि के खाता सं० 06580100015555 के माध्यम से RTGS द्वारा रू० 263860.00 ग्राम निधि 6 में ट्रांसफर किया गया है। परन्तु ग्राम निधि 6 का बैंक स्टेटमेंट कोषवही / व्यय प्रमाणक, विभागीय आदेश आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

तत्संबंधी पत्रावली अनुपलब्ध रहने से तत्संबंधी स्थिति अज्ञात रही अनियमित रूप से धन ट्रांसफर किये जाने के प्रति तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी (जिसका विवरण लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया, कार्य अवधि की जानकारी विभागीय स्तर से प्राप्त करते हुए) व प्रधान के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है **॥(ग्राम पंचायत-भूला भूलैनिया -विकास खंड- दमखोदा बरेली)**

**प्रस्तर संख्या-107(2):-**

आलोच्य वर्ष में कतिपय तिथियों में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर वाल पेंटिंग का व्यय दर्शाया गया है :-

दिनांक	विवरण	धनराशि
27.12.2019	पीएफएमएस द्वारा	16366.00
27.12.2019	पीएफएमएस द्वारा	16366.00
27.12.2019	पीएफएमएस द्वारा	37496.00
27.12.2019	पीएफएमएस द्वारा	16366.00

**योग- 86594.00**

वाल पेंटिंग किये जाने वाले स्थल का विवरण अंकित नहीं रहा और न ही उक्त व्यय से संबंधित प्रमाणक उपलब्ध रहा। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में बिल वाउचर उपलब्ध नहीं रहने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से कार्य अवधि अनुसार प्रधान एवं ग्राम पंचायत के नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत-भूला भूलैनिया -विकास खंड- दमखोदा बरेली)**

**प्रस्तर संख्या-108**

आलोच्य वर्ष 2019 2020 में ग्राम पंचायत प्रथीपुर नवदिया विकासखण्ड - नवाबगंज जनपद बरेली के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार 901515.00 रु का आहरण प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर / सहमति से किया गया। लेखा परीक्षा में खाते से आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम0 बी0, स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्राणपत्र, टैंडर कुटेशन पत्रावली, मस्टरराल, मानदेय पंजिका, प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रमाणपत्र आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की मांग किए जाने का विवरण निम्नवत है

क्रम सं०	कर्मचारी / अधिकारी	अभिलेखों की मांग किए जाने का माध्यम	मांग किए जाने का विवरण / दिनांक
1	सहायक विकास अधि0 (पंचा) / खण्ड वि0 अधि0 नवाबगंज	पत्र	पत्र दि० 15.12.2020, 02.02.2021, - 18.02.2021, 23.03.2021
2	जिला पंचायत राज अधिकारी	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021, 12.03.2021
3	उप निदेशक पंचायत बरेली मण्डल बरेली	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021
4	उपमुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली मण्डल बरेली	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021
5	जिला लेखा परीक्षा आधिकारी बरेली	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021, 12.03.2021
6	समस्त सचिव	पत्र, प्रारूप व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के संबंध में	04.02.2021, 06.01.2021
7	श्री मुकेश शर्मा	आडिट आनलाइन वेबसाइट	-
		पत्र	06.01.2021, 15.03.2021, 22.03.2021, 04.02.2021,
		टेलीफोनिक / व्हाट्सएप वार्ता	25.11.2020, 09.12.2020, 15.12.2020, 16.12.2020, 17.12.2020, 04.01.2021, 26.03.2021

श्री मुकेश शर्मा सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाइन ऑडिट हेतु केवल इन्टीमेशन स्वीकार कर लेखा परीक्षा हेतु मात्र बैंक स्टैटमन्ट ही उपलब्ध कराया गया। उल्लेखनीय है की श्री मुकेश शर्मा जी द्वारा पिछले वर्ष भी स्वयं से संबंधित ग्रामपंचायतों की लेखा परीक्षा नहीं करायी गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 901515.00 का अपहरण कर लिया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 05-07-2019 को खाते से ब्रह्म धनराशि 400000.00 रु0 एवं दिनांक 28-01-2020 को 474515 रु0 का आहरण खाते से किया गया जो कि वर्ष में कुल आहरित धनराशि का लगभग 96 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि ब्रह्म धनराशि का आहरण कर धनराशि के अपहरण को सुगमता प्रदान की गयी। ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था क गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल / बाँउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जाएगी।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणों के अभाव में दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 901515.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री मुकेश शर्मा व प्रधान श्रीमती हीराकली से धनराशि 901515.00 की ब्याज सहित वसूली वैधानिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित। **(ग्राम पंचायत-प्रथीपुर नवदिया -विकास खंड- नबाबगंज बरेली)**

#### **प्रस्तर संख्या-109**

आलोच्य वर्ष 2019 2020 मे ग्राम पंचायत गुरुगावा विकासखण्ड - नवाबगंज जनपद बरेली के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से बैंक स्टैटमेंट के अनुसार **974579.00 रु** का आहरण प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर / सहमति से किया गया। लेखा परीक्षा मे खाते से आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम0 बी0, स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूति प्राणपत्र, टैंडर कुटेशन पत्रावली, मस्टरराल, मानदेय पंजिका, प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रमाणपत्र आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की मांग किए जाने का विवरण निम्नवत है

क्रम सं०	कर्मचारी / अधिकारी	अभिलेखों की मांग किए जाने का माध्यम	मांग किए जाने का विवरण / दिनांक
1	सहायक विकास अधि० (पंचा) / खण्ड वि० अधि० नवाबगंज	पत्र	पत्र दि० 15.12.2020, 02.02.2021, - 18.02.2021, 23.03.2021
2	जिला पंचायत राज अधिकारी	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021, 12.03.2021
3	उप निदेशक पंचायत बरेली मण्डल बरेली	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021
4	उपमुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली मण्डल बरेली	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021
5	जिला लेखा परीक्षा आधिकारी बरेली	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021, 12.03.2021
6	समस्त सचिव	पत्र, प्रारूप व कार्यपूति प्रमाणपत्र के संबंध मे	04.02.2021, 06.01.2021
7	श्री मुकेश शर्मा	आडिट आनलाइन वेबसाइट	-
		पत्र	06.01.2021, 15.03.2021, 22.03.2021, 04.02.2021,
		टेलीफोनिक / व्हाट्सएप वार्ता	25.11.2020, 09.12.2020, 15.12.2020, 16.12.2020, 17.12.2020, 04.01.2021, 26.03.2021

श्री मुकेश शर्मा सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाइन ऑडिट हेतु केवल इन्टीमेशन स्वीकार कर लेखा परीक्षा हेतु मात्र बैंक स्टैटमन्ट ही उपलब्ध कराया गया। उल्लेखनीय है की श्री मुकेश शर्मा जी द्वारा पिछले वर्ष भी स्वयं से संबंधित ग्रामपंचायतों की लेखा परीक्षा नहीं करायी गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 974579.00 का अपहरण कर लिया है। ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था क गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल / बॉउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जाएगी।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 974579.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री मुकेश शर्मा व प्रधान श्री ओमपाल से धनराशि 974579.00 की ब्याज सहित वसूली वैधानिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित। **[[ग्राम पंचायत-गुरुगावा -विकास खंड- नवाबगंज बरेली]**

#### **प्रस्तर संख्या-110**

आलोच्य वर्ष 2019 2020 मे ग्राम पंचायत लावाखेडा तालिबहुसैन विकासखण्ड - नवाबगंज जनपद बरेली के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से बैंक स्टैटमेंट के अनुसार **1162555.00 ₹** का आहरण प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर / सहमति से किया गया। लेखा परीक्षा मे खाते से आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम0 बी0, स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूति प्राणपत्र, टेंडर कुटेशन पत्रावली, मस्टरराल, मानदेय पंजिका, प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रमाणपत्र आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की मांग किए जाने का विवरण निम्नवत है

क्रम सं०	कर्मचारी / अधिकारी	अभिलेखों की मांग किए जाने का माध्यम	मांग किए जाने का विवरण / दिनांक
1	सहायक विकास अधि० (पंचा) / खण्ड वि० अधि० नवाबगंज	पत्र	पत्र दि० 15.12.2020, 02.02.2021, - 18.02.2021, 23.03.2021
2	जिला पंचायत राज अधिकारी	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021, 12.03.2021
3	उप निदेशक पंचायत बरेली मण्डल बरेली	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021
4	उपमुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली मण्डल बरेली	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021
5	जिला लेखा परीक्षा आधिकारी बरेली	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021, 12.03.2021
6	समस्त सचिव	पत्र, प्रारूप व कार्यपूति प्रमाणपत्र के संबंध मे	04.02.2021, 06.01.2021
7	श्री मुकेश शर्मा	आडिट आनलाइन वेबसाइट	-
		पत्र	06.01.2021, 15.03.2021, 22.03.2021, 04.02.2021,
		टेलीफोनिक / व्हाट्सएप वार्ता	25.11.2020, 09.12.2020, 15.12.2020, 16.12.2020, 17.12.2020, 04.01.2021, 26.03.2021

श्री मुकेश शर्मा सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाइन ऑडिट हेतु केवल इन्टीमेशन स्वीकार कर लेखा परीक्षा हेतु मात्र बैंक स्टैटमन्ट ही उपलब्ध कराया गया। उल्लेखनीय है की श्री मुकेश शर्मा जी द्वारा पिछले वर्ष भी स्वयं से संबंधित ग्रामपंचायतों की लेखा परीक्षा नहीं करायी गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 1162555.00 का अपहरण कर लिया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 17-12-2019 को खाते से व्रहद धनराशि 690000.00 ₹0 एवं दिनांक 28-01-2020 को 474515 ₹0 का आहरण खाते से किया गया जो कि वर्ष में कुल आहरित धनराशि का लगभग 60

प्रतिशत है। स्पष्ट है कि ब्रह्म धनराशि का आहरण कर धनराशि के अपहरण को सुगमता प्रदान की गयी। ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था क गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल / बाँउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जाएगी। उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 1162555.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री मुकेश शर्मा व प्रधान श्री देवदत्त से धनराशि 1162555.00 की ब्याज सहित वसूली वैधानिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित। **(ग्राम पंचायत-लावाखेडा तालिबहुसैन -विकास खंड- नबाबगंज बरेली)**

**प्रस्तर संख्या-111**

आलोच्य वर्ष 2019 2020 मे ग्राम पंचायत औरंगाबाद विकासखण्ड - नवाबगंज जनपद बरेली के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से बैंक स्टैटमेंट के अनुसार 1313791.00 ₹ का आहरण प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर / सहमति से किया गया । लेखा परीक्षा मे खाते से आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम0 बी0, स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूति प्राणपत्र, टेंडर कुटेशन पत्रावली, मस्टरराल, मानदेय पंजिका, प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रमाणपत्र आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की मांग किए जाने का विवरण निम्नवत है

क्रम सं०	कर्मचारी / अधिकारी	अभिलेखों की मांग किए जाने का माध्यम	मांग किए जाने का विवरण / दिनांक
1	सहायक विकास अधि० (पंचा) / खण्ड वि० अधि० नवाबगंज	पत्र	पत्र दि० 15.12.2020, 02.02.2021, - 18.02.2021, 23.03.2021
2	जिला पंचायत राज अधिकारी	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021, 12.03.2021
3	उप निदेशक पंचायत बरेली मण्डल बरेली	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021
4	उपमुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली मण्डल बरेली	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021
5	जिला लेखा परीक्षा आधिकारी बरेली	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021, 12.03.2021
6	समस्त सचिव	पत्र, प्रारूप व कार्यपूति प्रमाणपत्र के संबंध मे	04.02.2021, 06.01.2021
7	श्री मुकेश शर्मा	आडिट आनलाइन वेबसाइट	-
		पत्र	06.01.2021, 15.03.2021, 22.03.2021, 04.02.2021,
		टेलीफोनिक / व्हाट्सएप वार्ता	25.11.2020, 09.12.2020, 15.12.2020, 16.12.2020, 17.12.2020, 04.01.2021, 26.03.2021

श्री मुकेश शर्मा सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाइन ऑडिट हेतु केवल इन्टीमेशन स्वीकार कर लेखा परीक्षा हेतु मात्र बैंक स्टैटमन्ट ही उपलब्ध कराया गया। उल्लेखनीय है की श्री मुकेश शर्मा जी द्वारा पिछले वर्ष भी स्वयं से संबंधित ग्रामपंचायतों की लेखा परीक्षा नहीं करायी गयी । स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बाबजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये । सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 1313791.00 का अपहरण कर लिया है। ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था क गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल / बाँउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जाएगी।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 1313791.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री मुकेश शर्मा व प्रधान श्रीमती दीपचन्द्रा से धनराशि 1313791.00 की ब्याज सहित वसूली वैधानिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित। **(ग्राम पंचायत- अख्तयारपुर नवदिया -विकास खंड- नबाबगंज बरेली)**

### प्रस्तर संख्या-112

आलोच्य वर्ष 2019 2020 में ग्राम पंचायत त्यारजागीर विकासखण्ड - नवाबगंज जनपद बरेली के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से बैंक स्टैटमेंट के अनुसार 975292.00 ₹ का आहरण प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर / सहमति से किया गया। लेखा परीक्षा में खाते से आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम0 बी0, स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्राणपत्र, टैंडर कुटेशन पत्रावली, मस्टरराल, मानदेय पंजिका, प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रमाणपत्र आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की मांग किए जाने का विवरण निम्नवत है

क्रम सं०	कर्मचारी / अधिकारी	अभिलेखों की मांग किए जाने का माध्यम	मांग किए जाने का विवरण / दिनांक
1	सहायक विकास अधि० (पंचा) / खण्ड वि० अधि० नवाबगंज	पत्र	पत्र दि० 15.12.2020, 02.02.2021, - 18.02.2021, 23.03.2021
2	जिला पंचायत राज अधिकारी	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021, 12.03.2021
3	उप निदेशक पंचायत बरेली मण्डल बरेली	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021
4	उपमुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी बरेली मण्डल बरेली	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021
5	जिला लेखा परीक्षा आधिकारी बरेली	पत्र	पत्र दि० 04.02.2021, 12.03.2021
6	समस्त सचिव	पत्र, प्रारूप व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के संबंध में	04.02.2021, 06.01.2021
7	श्री मुकेश शर्मा	आडिट आनलाइन वेबसाइट	-
		पत्र	06.01.2021, 15.03.2021, 22.03.2021, 04.02.2021,
		टेलीफोनिक / व्हाट्सएप वार्ता	25.11.2020, 09.12.2020, 15.12.2020, 16.12.2020, 17.12.2020, 04.01.2021, 26.03.2021

श्री मुकेश शर्मा सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाइन ऑडिट हेतु केवल इन्टीमेशन स्वीकार कर लेखा परीक्षा हेतु मात्र बैंक स्टैटमेंट ही उपलब्ध कराया गया। उल्लेखनीय है कि श्री मुकेश शर्मा जी द्वारा पिछले वर्ष भी स्वयं से संबंधित ग्रामपंचायतों की लेखा परीक्षा नहीं करायी गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 975292.00 का अपहरण कर लिया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 08-07-2019 को खाते से ब्रह्म धनराशि 350000.00 ₹ का आहरण खाते से किया गया जो कि वर्ष में कुल आहरित धनराशि का लगभग 35 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि ब्रह्म धनराशि का आहरण कर धनराशि के अपहरण को सुगमता प्रदान की गयी। ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था क गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल / बॉउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जाएगी।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों व प्रमाणकों के अभाव में दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 975292.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री मुकेश शर्मा व प्रधान श्री छेदालाल से धनराशि 975292.00 की ब्याज सहित वसूली वैधानिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित। (ग्राम पंचायत- त्यारजागीर -विकास खंड- नवाबगंज बरेली)

### प्रस्तर संख्या-113(1)-

आलोच्य वर्ष 2019-20 में रोकड़ बही के अनुसार कतिपय तिथियों में निम्न विवरणानुसार फर्नीचर एवं क्रीडा सामग्री क्रय दर्शाया गया है-

दिनांक	विवरण	धनराशि
21.3.2020	भारत इंटरप्राइजेज (बंच निर्माण)	191120.00

21.3.2020

भारत इंटरप्राइजेज (क्रीड़ा सामग्री)

199000.00

योग - 390120.00

फर्नीचर एवं क्रीड़ा सामग्री क्रय से संबंधित स्कूल प्रबंधन द्वारा मांग-पत्र, सक्षम अधि कारी का आदेश, टेण्डर/कोटेशन, स्कूल प्रबंधन द्वारा फर्नीचर / क्रीड़ा सामग्री प्राप्त रसीद, स्टॉक बुक, गुणवत्ता प्रमाणन संबंधी प्रमाण-पत्र, व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं रहा। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं रहने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0 256 से 259 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी (कार्य अवधि अनुसार) से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- पुरैनिया -विकास खंड- दमखोदा बरेली)**

**प्रस्तर संख्या-113(2)-**

आलोच्य वर्ष में रोकड़ बही के अनुसार कतिपय तिथियों में निम्न विवरणानुसार हैंड पंप रिबोर (आ०सं० )/ मम्मत पर व्यय दर्शाया गया है-

दिनांक	विवरण	धनराशि
9.7.2019	चेक नं0 986318, राज कुमार को रिबोर हेतु	22400.00
16.7.2019	चेक नं0 986319, राकेश ट्रेडिंग कम्पनी रिबोर सामग्री हेतु	12979.00
22.7.2019	चेक नं0 986323, राज कुमार को बल मरम्मत हेतु	17980.00
21.3.2020	पीएफएमएस केवल ट्रेडर्स, नल मरम्मत हेतु	11319.00

योग

64678.00

लाभार्थियों के द्वारा हैंड पंप मरम्मत/ रिबोर की मांग तथा संबंधित तकनीकी आंकलन प्रस्तुत नहीं रहा और न ही व्यय से संबंधित प्रमाणक उपलब्ध रहा। उक्त विवरण के बिना कार्य की पुष्टि एवं पारदर्शिता का अभाव रहा जल प्रबंधन समिति की संस्तुति व अनुमोदन भी प्रस्तुत नहीं रहा। शासनादेश सं0 1134/38-5-56/2010 दिनांक 29 जून 2011 एवं शासनादेश सं 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितम्बर 2017 में दिये गये नियमों व निर्देशों का पालन नहीं कर हैंडपंप मरम्मत कराया गया है। इसलिए किया गया कार्य अनियमित रहा। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में बिल वाउचर उपलब्ध नहीं रहने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0 256 से 259 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी (कार्य अवधि अनुसार) से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**(ग्राम पंचायत- पुरैनिया -विकास खंड- दमखोदा बरेली)****प्रस्तर संख्या-114**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में रोकड़ बही के अनुसार कतिपय तिथियों में निम्न विवरणानुसार हैंड पंप मरम्मत / रिबोर पर व्यय दर्शाया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि
28.6.2019	चेक नं0 419130, दीक्षित ट्रेडर्स	22,000.00
3.7.2019	चेक नं0 419131- रामचन्द्र	8,000.00
23.7.2019	चेक नं0 419135- रामचन्द्र	1500.00
23.7.2019	चेक नं0 419136- विशाल प्रताप इंटरप्राइजेज	3,000.00
12.11.2019	पीएफएमएस विशाल प्रताप इंटरप्राइजेज	42,000.00
18.11.2019	पीएफएमएस विशाल प्रताप इंटरप्राइजेज	45,000.00
12.12.2019	पीएफएमएस विशाल प्रताप इंटरप्राइजेज	11,700.00

योग-

133200.00

किन्तु व्यय से संबंधित न तो प्रमाणक उपलब्ध रहा और न ही लाभार्थियों के द्वारा हैंड पंप खराब होने की सूचना व उसके मरम्मत/ रिबोर की मांग तथा संबंधित तकनीकी आंकलन ही प्रस्तुत रहा। उक्त विवरण के बिना कार्य की पुष्टि एवं पारदर्शिता का अभाव रहा। जल प्रबंधन समिति की संस्तुति व अनुमोदन भी प्रस्तुत नहीं रहा। शासनादेश सं0 1134/38-5-56 सम /2010 दि0 29 जून 2011 एवं शासनादेश सं0 85 / 2017 / 2244/33-3-2017-46 /2015 दि0 28 सितम्बर 2017 में दिये गये नियमों/निर्देशों का पालन नहीं कर हैंड पंप मरम्मत / रिबोर कराया गया है इसलिए किया गया कार्य अनियमित रहा। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये। व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं रहने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0 256 से 259 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- प्रेमराजपुर -विकास खंड- आलमपुर जाफराबाद बरेली)**

**प्रस्तर संख्या-115**

आलोच्य वर्ष में कतिपय तिथियों में प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा चेक द्वारा धन आहरित करके निम्न विवरणानुसार कार्यों हेतु भुगतान किया गया है--

दिनांक	विवरण	भुगतान प्राप्त करना	धनराशि
4.5.2019	चेक नं० 408,	यात्रा भत्ता, श्रीमती शिप्रा (ग्रा०प०अ०)	20,000.00
1.6.2019	चेक नं० 411,	सफाई कार्य श्रीमती शिप्रा (ग्रा०प०अ०)	30,000.00
25.6.2019	चेक नं० 414,	तालाब सफाई, श्रीमती ललिता (प्रधान)	20,000.00
8.7.2019	चेक नं० 419,	MRपरंजा व मिट्टी श्रीमती ललिता (प्रधान)	14,000.00
8.7.2019	चेक नं० 418,	MRपरंजा व मिट्टी श्रीमती ललिता (प्रधान)	45000.00
16.7.2019	चेक नं० 420,	MRपरंजा व मिट्टी श्रीमती शिप्रा (ग्रा०प०अ०)	10,000.00
23.7.2019	चेक नं० 423,	MR सफाई कार्य, श्रीमती ललिता (प्रधान)	20,000.00
7.8.2019	चेक नं० 425,	MR नाली श्रीमती ललिता (प्रधान)	40000.00
21.8.2019	चेक नं० 444,	नाली मरम्मत, श्रीमती शिप्रा (ग्रा०प०अ०)	30,000.00

**योग - 229000.00**

उपरोक्त दर्शित कार्यों हेतु संबंधित को भुगतान किये जाने कि पुष्टि में लेखा परीक्षा दौरान कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखीय है कि ग्राम पंचायत के वित्र एवं लेखा प्राबन्ध हेतु लेखा मनुयल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के समबन्ध मे बिल /बउचर प्रस्तुत नहीं करने पर उसे अपहरण की श्रेणी में रखा गया है। स्पष्ट है कि प्रधान व सचिव द्वारा एक सुनियोजित तरीके से नियम विरुद्ध धन का आहरण कर फर्जी भुगतान दर्शित कर उक्त धन ₹ 229000.00 कर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी बसूली प्रधान व सचिव से 30 प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम स० 256 से 259 में दी गई व्यवस्था अनुरूप किया जाना चाहिए। **(ग्राम पंचायत- उरला-विकास खंड- आलमपुर जाफराबाद बरेली)**

#### **प्रस्तर संख्या-116**

आलोच्य वर्ष 2019 2020 मे ग्रामपंचायत ज्योरा मकरंदपुर विकासखण्ड नवाबगंज जनपद बरेली के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से बैंक स्टैटमेंट के अनुसार 1184811.00 रु का आहरण प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर / सहमति से किया गया। लेखा परीक्षा मे खाते से आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषवही, कार्यवाही पंजिका, स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, एम० बी०, स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूति प्राणपत्र, टैंडर कुटेशन पत्रावली, मस्टरराल, मानदेय पंजिका, प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति प्रमाणपत्र आदि अनुपलब्ध रहे। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग ऑनलाइन वेबसाइट के अलावा पत्र दिनांक 15.12.2020, 06.01.2021, 02.02.2021, 18.02.2021, 23.03.2021, 04.02.2021, 12.03.2021 श्री मुकेश शर्मा सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाइन ऑडिट हेतु केवल इन्टीमेशन स्वीकार कर लेखा परीक्षा हेतु मात्र बैंक स्टैटमेंट ही उपलब्ध कराया गया। उल्लेखनीय है की श्री मुकेश शर्मा द्वारा पिछले वर्ष भी स्वयं से संबंधित ग्रामपंचायतों की लेखा परीक्षा नहीं करायी गयी। स्पष्ट लिखित व मौखिक मांग व उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बाबजूद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। सचिव व प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध न करवाया जाना इस तथ्य को पुष्टित करता है कि इन्होंने काल्पनिक व फर्जी व्यय दर्शित कर आहरित धनराशि 1184811.00 का अपहरण कर लिया है। ग्राम पंचायत के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क में व्यवस्था कि. गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के संबंध में कोई बिल / बॉउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली सचिव व प्रधान से नियमानुसार की जाएगी। एवं उसके विरुद्ध आई.पी.सी की धारा 409 के अनुसार मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में दी गयी व्यवस्थानुसार आहरित धनराशि 1184811.00 का प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया जाना स्पष्ट है। अतः सचिव श्री मुकेश शर्मा व प्रधान श्रीमती कांतिदेवी से धनराशि 1184811.00 की वसूली ब्याज सहित उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- ज्योरामकरंदपुर -विकास खंड- नवाबगंज बरेली)**

)

#### **प्रस्तर संख्या-117**

टिप्पणी- ग्राम पंचायत जोगीठेर, क्षेत्र पंचायत मझगांवा एवं जनपद- बरेली के उपलब्ध अभिलेख एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी, जिसमे निम्न लिखित अपहरण, दुरुपयोग एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये। "वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय के 8 (क) के अनुसार उल्लेख है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्रा०वि०अ० से कि जाएगी"। विवरण निम्न प्रकार है- **(ग्राम पंचायत- जोगीठेर -विकास खंड- मझगांवा बरेली)**

#### **प्रस्तर संख्या-118(1)-**

वर्ष 2019 20 मे ग्राम पंचायत के स्वच्छता कार्य पर दिनांक 02.04.19 को चेक संख्या 238904 से विनीत द्वारा रु० 1000000 बैंक से आहरण एवं कैशबुक मे विनीत द्वारा श्रमिकों को भुगतान दर्शाया गया है और दिनांक 02.04.19 को ही प्रधान द्वारा रु० 1500000 बैंक से आहरण एवं कैशबुक मे स्वच्छता कार्य पर श्रमिकों को भुगतान किया गया है किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में मस्टररोल / व्यय प्रमाणक कार्यवाही, कार्य योजना आदि प्रस्तुत

नहीं रहा। अतः स्वच्छता कार्य पर अवास्तविक व्यय रु० 25000.00 दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री चरन सिंह एवं गा०वि०अ० श्री रामवीर उत्तरदाई है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं० 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- जोगीठेर -विकास खंड- मझगंवा बरेली)**

**प्रस्तर संख्या-118(2)-**

वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत के प्राईमरी स्कूल मंशा रामपुर के मरम्मत कार्य पर केश बुक मे दिनांक 03.08.19 को मस्टर रोल द्वारा श्रमिकों को मजदूरी रु० 10000.00 भुगतान किया गया है किन्तु उक्त मरम्मत कार्य हेतु न तो कोई सामाग्री आमद केशबुक मे दर्शित रही और न ही मजदूरी की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल प्रस्तुत रहा। इस प्रकार विना सामाग्री के किस कार्य पर मजदूरी व्यय किया गया है, कि पुष्टि में न तो निर्माण कार्य रजिस्टर और न ही कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, परिसंपत्ति रजिस्टर आदि ही प्रस्तुत रहा। अतः उक्त मरम्मत कार्य पर अवास्तविक व्यय दर्शाकर रु० 10000.00 अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री चरन सिंह एवं गा०वि०अ० श्री रामवीर उत्तरदाई है, जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं० 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु, वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**(ग्राम पंचायत- जोगीठेर -विकास खंड- मझगंवा बरेली)**

**प्रस्तर संख्या-118(3)-**

पंचायत राज अनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13-6-18 के गाइड लाइन के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा स्ट्रीट लाइट की स्थापना की जा सकती है। वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.01.2020 को सोलर स्ट्रीट लाइट हेतु टी०के०इंटर प्राइजेज को रु० 195300.00 भुगतान दर्शाया गया है किन्तु केश बुक मे स्ट्रीट लाइट की स्थापना संबन्धित न तो कार्य स्थल का उल्लेख रहा और न ही व्यय प्रमाणक उपलब्ध रहा। इसी प्रकार ग्राम प्रधान / सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और उत्तरप्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के मध्य विधुत कनेक्शन तथा बिल के भुगतान संबंधी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किए जाने संबंधी पत्रावली और स्थापना प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार सोलर स्ट्रीट लाइट क्रय प्रमाणक कार्य स्थल एवं स्ट्रीट लाइट स्थापना संबन्धित पत्रावली के अभाव में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री चरन सिंह व गा०वि०अ० श्री रामवीर उत्तरदाई है, जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं० 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु, वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- जोगीठेर -विकास खंड- मझगंवा बरेली)**

**प्रस्तर संख्या-118(4)-**

वर्ष 2019-20 के केशबुक में निम्न विवरणानुसार सामाग्री एवं मजदूरी पर व्यय दर्शाया गया है, किन्तु सामाग्री एवं मजदूरी प्रयुक्त की पुष्टि में न तो केशबुक में निर्माण कार्य का नाम व कार्य स्थल का उल्लेख किया गया है और न ही निर्माण कार्यों से संबन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत रहा। क्रय सामाग्री की पुष्टि में प्रमाणक / वाउचर भी प्रस्तुत नहीं रहा। विवरण निम्न प्रकार है

तिथि	विवरण	धनराशि
07.02.2020	मस्टररोल द्वारा श्रमिकों को भुगतान	25600.00
07.02.2020	जय दुर्गे सीमेंट स्टोर को सीमेंट, बजरफुट हेतु	27477.00
07.02.2020	गौस आजम ब्रिक फील्ड को ईट	34715.00
07.03.2020		76765.00
07.03.2020		35499.00
07.03.2020	राम सेवक को मिट्टी ढुलाई	10000.00
07.03.2020	मस्टररोल द्वारा श्रमिकों को भुगतान	59185.00
07-03-2020	महाबली ट्रेडर्स को सीमेंट, बजरफुट	28840.00
<b>योग-</b>		<b>298081.00</b>

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मजदूरी एवं सामाग्री हेतु भुगतान तो दर्शाया गया है, किन्तु सामाग्री क्रय की पुष्टि में न तो व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही सामाग्री प्रयुक्त की पुष्टि में निर्माण कार्य का नाम एवं कार्य स्थल का उल्लेख रहा, इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों की पुष्टि में निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण- पत्र, एम०बी०आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा। इस प्रकार उक्त सामाग्री / मजदूरी पर अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री चरन सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रामवीर उत्तरदाई है, जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं० 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु, वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- जोगीठेर -विकास खंड- मझगंवा बरेली)**

**प्रस्तर संख्या-118(5)-**

वर्ष 2019-20 के केशबुक के अनुसार हैंडपंप मरम्मत पर रु० 59000.00 व्यय किया गया दर्शित है, किन्तु व्यय से संबन्धित न तो व्यय प्रमाणक रहा और न ही मरम्मत कार्य की पुष्टि में अन्य आवश्यक अभिलेख ही प्रस्तुत रहा। विवरण निम्न प्रकार रहा-

तिथि	विवरण	धनराशि
02.04.2019	धर्मवीर मिस्त्री को भुगतान	10000.00

20.04.2019		12500.00
02.08.2019	भगवान दास मिस्त्री को	3000.00
30.08.2019	धर्मवीर मिस्त्री को भुगतान	3500.00
07.03.2020	भगवान दास मिस्त्री को	15000.00
30.03.2020	शिवम इंटर प्राइजेज़ को सामाग्री का	10000.00
30.03.2020	धर्मवीर मिस्त्री को भुगतान	5000.00

**योग- 59000.00**

इस प्रकार हैंडपंप मरम्मत पर व्यय से संबन्धित न तो व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहा और न ही लाभार्थियों के द्वारा हैंड पम्प खराब होने की सूचना व उनके मरम्मत की मांग तथा संबन्धित तकनीकी आकलन प्रस्तुत रहा। उक्त विवरण के बिना कार्य की पुष्टि एवं पारदर्शिता का अभाव रहा। जल प्रबंधन समिति की संस्तुति व अनुमोदन भी प्रस्तुत नहीं रहा। डेड स्टॉक व स्क्रैप की बिक्री से आय की स्थिति अज्ञात रही। इस प्रकार हैंड पंप पर अवास्तविक: व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री चरन सिंह एवं गा०वि०अ०श्रीरामवीर उत्तरदाई है, जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं० 256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज हेतु, वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- जोगीठेर -विकास खंड- मझगंवा बरेली)**

**प्रस्तर संख्या-119**

आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत पनुआ विकासखंड-नवाबगंज के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से 2383154.00 रुपये व्यय किया जाना बैंक स्टेटमेंट में दर्शित है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग पत्र दिनांक-15-12-2020, 06-01-2021, 02-02-2021, 18-02-2021, 23-03-2021, 04-02-2021, के माध्यम से की गयी। लेकिन इंटिमेशन स्वीकार कर कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, स्वीकृत कार्ययोजना, बजट, स्वीकृत एस्टीमेट, निविदा कुटेशन पत्रावली, एम.आर. व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, आय पुस्तिका, अचल संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, मानदेय पंजिका, टेण्डर कुटेशन पत्रावली उपलब्ध नहीं कराये गए। ग्रामपंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध हैं तो दर्शित व्ययित धनराशि का अपहरण मानते हुए उसकी वसूली सचिव व प्रधान से किये जाने एवं आई. पी. सी. की धारा 409 के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित करने का प्रावधान है।

लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व अन्य सुसंगत अभिलेख अनुपलब्ध रहे। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है की सचिव व प्रधान ने आहरित धनराशि 2383154.00 रुपये का अपहरण कर लिया है। अतः प्रावधान के आलोक में दर्शित व्ययित धनराशि 2383154.00 रुपये की वसूली समभाग में प्रधान व सचिव से ब्याज सहित एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम 256 से 259 के अनुसार की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- पनुआ -विकास खंड- नवाबगंज बरेली)**

**प्रस्तर संख्या-120**

आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत सदरपुर विकासखंड- नवाबगंज के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से 2661083.00 रुपये व्यय किया जाना बैंक स्टेटमेंट में दर्शित है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग पत्र दिनांक-15-12-2020, 06-01-2021, 02-02-2021, 18-02-2021, 23-03-2021, 04-02-2021, के माध्यम से की गयी। लेकिन इंटिमेशन स्वीकार कर कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, स्वीकृत कार्ययोजना, बजट, स्वीकृत एस्टीमेट, निविदा कुटेशन पत्रावली, एम.आर. व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, आय पुस्तिका, अचल संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, मानदेय पंजिका, टेण्डर कुटेशन पत्रावली उपलब्ध नहीं कराये गए। ग्रामपंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध हैं तो दर्शित व्ययित धनराशि का अपहरण मानते हुए उसकी वसूली सचिव व प्रधान से किये जाने एवं आई. पी. सी. की धारा 409 के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित करने का प्रावधान है।

लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व अन्य सुसंगत अभिलेख अनुपलब्ध रहे। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है की सचिव व प्रधान ने आहरित धनराशि 2661083.00 रुपये का अपहरण कर लिया है। अतः प्रावधान के आलोक में दर्शित व्ययित धनराशि 2661083.00 रुपये की वसूली समभाग में प्रधान व सचिव से ब्याज सहित एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम 256 से 259 के अनुसार की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- सदरपुर -विकास खंड- नवाबगंज बरेली)**

**प्रस्तर संख्या-121**

आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत सदरपुर विकासखंड- नवाबगंज के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से 1575924.00 रुपये व्यय किया जाना बैंक स्टेटमेंट में दर्शित है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग पत्र दिनांक-15-12-2020, 06-01-2021, 02-02-2021, 18-02-2021, 23-03-2021, 04-02-2021, के माध्यम से की गयी। लेकिन इंटिमेशन स्वीकार कर कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, स्वीकृत कार्ययोजना, बजट, स्वीकृत एस्टीमेट, निविदा कुटेशन पत्रावली, एम.आर. व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, आय पुस्तिका, अचल संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, मानदेय पंजिका, टेण्डर कुटेशन पत्रावली उपलब्ध नहीं कराये गए। ग्रामपंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध हैं तो दर्शित व्ययित धनराशि का अपहरण

मानते हुए उसकी वसूली सचिव व प्रधान से किये जाने एवं आई. पी. सी. की धारा 409 के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित करने का प्रावधान है।

लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व अन्य सुसंगत अभिलेख अनुपलब्ध रहे। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है की सचिव व प्रधान ने आहरित धनराशि 1575924.00 रुपये का अपहरण कर लिया है। अतः प्रावधान के आलोक में दर्शित व्ययित धनराशि 1575924.00 रुपये की वसूली समभाग में प्रधान व सचिव से ब्याज सहित एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम 256 से 259 के अनुसार की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- फाजिलपुर -विकास खंड- नवाबगंज बरेली)**

#### **प्रस्तर संख्या-122**

आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत विथरी विकासखंड- नवाबगंज के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से 3789430.00 रुपये व्यय किया जाना बैंक स्टैटमेन्ट में दर्शित है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग पत्र दिनांक-15-12-2020, 06-01-2021, 02-02-2021, 18-02-2021, 23-03-2021, 04-02-2021, के माध्यम से की गयी। लेकिन इंटीमेशन स्वीकार कर कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बैंक स्टैटमेंट, स्वीकृत कार्ययोजना, बजट, स्वीकृत एस्टीमेट, निविदा कुटेशन पत्रावली, एम.आर. व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाणपत्र, आय पुस्तिका, अचल संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, मानदेय पंजिका, टेण्डर कुटेशन पत्रावली उपलब्ध नहीं कराये गए। ग्रामपंचायतों के वित्त लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध हैं तो दर्शित व्ययित धनराशि का अपहरण मानते हुए उसकी वसूली सचिव व प्रधान से किये जाने एवं आई. पी. सी. की धारा 409 के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित करने का प्रावधान है।

लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व अन्य सुसंगत अभिलेख अनुपलब्ध रहे। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है की सचिव व प्रधान ने आहरित धनराशि 3789430.00 रुपये का अपहरण कर लिया है। अतः प्रावधान के आलोक में दर्शित व्ययित धनराशि 3789430.00 रुपये की वसूली समभाग में प्रधान व सचिव से ब्याज सहित एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम 256 से 259 के अनुसार की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- विथरी -विकास खंड- नवाबगंज बरेली)**

#### **प्रस्तर संख्या-123**

आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत बहोर नगला विकासखंड- नवाबगंज के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से 4735875.00 रुपये व्यय किया जाना बैंक स्टैटमेन्ट में दर्शित है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग पत्र दिनांक-15-12-2020, 06-01-2021, 02-02-2021, 18-02-2021, 23-03-2021, 04-02-2021, के माध्यम से की गयी। लेकिन इंटीमेशन स्वीकार कर कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बैंक स्टैटमेंट, स्वीकृत कार्ययोजना, बजट, स्वीकृत एस्टीमेट, निविदा कुटेशन पत्रावली, एम.आर. व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाणपत्र, आय पुस्तिका, अचल संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, मानदेय पंजिका, टेण्डर कुटेशन पत्रावली उपलब्ध नहीं कराये गए। ग्रामपंचायतों के वित्त लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध हैं तो दर्शित व्ययित धनराशि का अपहरण मानते हुए उसकी वसूली सचिव व प्रधान से किये जाने एवं आई. पी. सी. की धारा 409 के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित करने का प्रावधान है।

लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व अन्य सुसंगत अभिलेख अनुपलब्ध रहे। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है की सचिव व प्रधान ने आहरित धनराशि 4735875.00 रुपये का अपहरण कर लिया है। अतः प्रावधान के आलोक में दर्शित व्ययित धनराशि 4735875.00 रुपये की वसूली सम भाग में प्रधान व सचिव से ब्याज सहित एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम 256 से 259 के अनुसार की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- बहोर नगला -विकास खंड- नवाबगंज बरेली)**

#### **प्रस्तर संख्या-124**

आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत दुआवट विकासखंड- नवाबगंज के ग्रामनिधि प्रथम के खाते से 1909040.00 रुपये व्यय किया जाना बैंक स्टैटमेन्ट में दर्शित है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग पत्र दिनांक-15-12-2020, 06-01-2021, 02-02-2021, 18-02-2021, 23-03-2021, 04-02-2021, के माध्यम से की गयी। लेकिन इंटीमेशन स्वीकार कर कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, बैंक स्टैटमेंट, स्वीकृत कार्ययोजना, बजट, स्वीकृत एस्टीमेट, निविदा कुटेशन पत्रावली, एम.आर. व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाणपत्र, आय पुस्तिका, अचल संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, मानदेय पंजिका, टेण्डर कुटेशन पत्रावली उपलब्ध नहीं कराये गए। ग्रामपंचायतों के वित्त लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध हैं तो दर्शित व्ययित धनराशि का अपहरण मानते हुए उसकी वसूली सचिव व प्रधान से किये जाने एवं आई. पी. सी. की धारा 409 के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित करने का प्रावधान है।

लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व अन्य सुसंगत अभिलेख अनुपलब्ध रहे। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है की सचिव व प्रधान ने आहरित धनराशि 1909040.00 रुपये का अपहरण कर लिया है। अतः प्रावधान के आलोक में दर्शित व्ययित धनराशि 1909040.00 रुपये की वसूली समभाग में प्रधान व सचिव से ब्याज सहित एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम 256 से 259 के अनुसार की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत- दुआवट -विकास खंड- नवाबगंज बरेली)**

#### **प्रस्तर संख्या-125**

आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत हाफिजगंज के ग्राम निधि प्रथम के खाता सं०- 00760100006679 से निम्न विवरणानुसार कुल धनराशि 1953000.00 रुपये प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से आहरित कर लाईट लगवाने हेतु व्यय किया जाना रोकड वही में दर्शित है-

क्रम सं०	चेक सं०	दिनांक	धनराशि	फर्म जिसको भुगतान किया गया
1	859	09-08-2018	21000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
2	858	09-08-2018	42000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
3	880	24-08-2018	49000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
4	881	24-08-2018	49000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
5	882	24-08-2018	49000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
6	883	24-08-2018	48000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
7	925	24-08-2018	32500.00	जे० के० इलेक्ट्रिकल्स
8	922	13-09-2018	45500.00	जे० के० इलेक्ट्रिकल्स
9	923	13-09-2018	45500.00	जे० के० इलेक्ट्रिकल्स
10	924	13-09-2018	45500.00	जे० के० इलेक्ट्रिकल्स
11	890	13-09-2018	45500.00	जे० के० इलेक्ट्रिकल्स
12	921	13-09-2018	45500.00	जे० के० इलेक्ट्रिकल्स
13	928	17-09-2018	75000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
14	932	17-09-2018	75000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
15	927	17-09-2018	40000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
16	926	17-09-2018	75000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
17	929	17-09-2018	40000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
18	930	17-09-2018	75000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
19	931	17-09-2018	40000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
20	933	17-09-2018	40000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
21	898	16-10-2018	40000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
22	899	17-09-2018	75000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
23	900	17-09-2018	40000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
24	891	17-09-2018	75000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
25	892	17-09-2018	40000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
26	893	17-09-2018	75000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
27	894	17-09-2018	40000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
28	895	17-09-2018	75000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
29	896	17-09-2018	40000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
30	897	17-09-2018	75000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
31	917	13-11-2018	48000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
32	918	13-11-2018	48000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
33	919	13-11-2018	48000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
34	912	13-11-2018	48000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
35	651	13-11-2018	48000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
36	652	13-11-2018	48000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
37	653	13-11-2018	48000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
38	654	13-11-2018	48000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
39	655	13-11-2018	16000.00	टी० के० इन्टरप्राइजेज
		<b>योग</b>	<b>1953000.00</b>	

लेखा परीक्षा में उपरोक्त भुगतानित धनराशि 1953000.00 से संबंधित व्यय प्रमाणक, स्थापन प्रमाणपत्र, विधुत विभाग में खंबों पर स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु अनापति पत्र, चयनित स्थानों की सूची, टेंडर कुटेशन पत्रावली, शासनदेश सं 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दि० 13.06.2018 के

अनुसार लिए गए विद्युत कनेक्शन व उनके बिलों के भुगतान संबंधी पत्रावली, जिला स्तरीय समिति द्वारा ( भारतिये मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ) निर्धारित नियत दरों की सूची, रिवाइज वित्तीय पुस्तिका वॉल्यूम-1 में वित्तीय स्वीकृति हेतु शासनादेश सं A-2 / 1602 (1) x-95-24(14)/14 दि० 01.06.1995 के क्रम में 5 लाख रु से अधिक के कार्यों हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा देय प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति पत्र व जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिशासी अभियन्ता द्वारा देय तकनीकी स्वीकृति पत्र, कार्यवाही पंजिका, स्टॉक रजिस्टर, नेडा द्वारा फर्म को देय प्रमाणपत्र आदि अनुपलब्ध रहे जिससे दर्शित व्ययित धनराशि 1953000.00रु अप्रमाणित व आपत्तिजनक रही। धनराशि का भुगतान एक ही समय में दो फर्मों यथा टी० के० इन्टरप्राइजेज व जे० के० इलेक्ट्रिकल्स को किया जाना, नियमित टेंडर न लिये जाने का दध्योतक है।

ग्राम पंचायतों के वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8क के अंतर्गत यदि दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध हैं तो व्ययित धनराशि को अपहरित मानते हुये, उसकी वसूली प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करने एवं डी० पी० आर० ओ० द्वारा उनके विरुद्ध भारतीयदंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत कार्यवाही करने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख अनुपलब्ध रहे अतः उक्त प्रावधान के प्रकाश में प्रधान व सचिव से रु 1953000.00 की वसूली मय ब्याज के ( 30 प्र० पंचायती राज नियमावली के नियम 256 से 259 अनुसार ) भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करते हुये की जानी अपेक्षित है। (ग्राम पंचायत- हाफिजगंज - विकास खंड- नवाबगंज बरेली)

#### प्रारूप- 04

**जनपद- पीलीभीत।**

**मण्डल- बरेली**

**ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियाँ-**

**प्रस्तर सं०- 01** दिनांक- 26.12.2019 को प्रमाणक संख्या- 53 से रु० 159624.00 तालाब खुदाई हेतु श्री पलास बोर्ड को भुगतान कैश बुक में दर्शाया गया है। प्रमाणक के रूप में सादे कागज पर रु० 159624.00 भुगतान अंकित है, जिस पर धनराशि प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। तालाब खुदाई पर भुगतान किए जाने की स्थिति में मस्टर रोल तैयार कर मजदूरों के खाते में पीएमएस द्वारा भुगतान किया जाना था जबकि समस्त भुगतान एक ही व्यक्ति श्री पलास बोर्ड के खाते में किया गया है। स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्री राम नारायण तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा श्री पलास बोर्ड से मिली भगत कर रु० 159624.00 का अपहरण किया गया। रु० 159624.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री रामनारायण तथा गाम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

**(सा०आ०सं०- 05 गा०पंचा०- बूंदीभूड वि०ख०- पूरनपुर/ माधौटांडा)**

**प्रस्तर सं०- 02** लेखा परीक्षा वर्ष में ह्यूम पाइप क्रय पर दिनांक 07.01.2020 को रु० 133655.00 का भुगतान राज पाइप इंडस्ट्रीज को किया जाना दर्शित है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं

- कय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- ह्यूम पाइप स्थापना पर मजदूरी भूगतान नहीं किया गया है। मजदूरी भूगतान के अभाव में स्थापना किए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- स्थापना की पर वालू, सीमेन्ट, गिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है
- स्थापना की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटोग्राफी उपलब्ध नहीं है।
- स्थापना स्थल का विवरण लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मनमाने तरह से व्यय दर्शाकर धनराशि रु० 133655.00 का अपहरण किया गया। प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड - 8 ( क ) के दृष्टिगत रु० 133655.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री रामनारायण तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

**(सा०आ०सं०- 06 गा०पंचा०- बूंदीभूड वि०ख०- पूरनपुर/ माधौटांडा)**

**प्रस्तर सं0- 03** लेखा परीक्षा वर्ष में ह्यूम पाइप क्रय पर दिनांक 04.01.2020 को रू0 156807.00 का भुगतान राज पाइप इंडस्ट्रीज को किया जाना दर्शित है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं

- 1.कय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।
- 2.ह्यूम पाइप स्थापना पर मजदूरी भूगतान नहीं किया गया है। मजदूरी भूगतान के 3.अभाव में स्थापना किए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
- 4.स्थापना की पर वालू, सीमेन्ट, गिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है
- 5.स्थापना की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटोग्राफी उपलब्ध नहीं है ।
- 6.स्थापना स्थल का विवरण लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धनराशि रू. 156807.00 का अपहरण किया गया। प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के दृष्टिगत रू0 156807.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती वंदना तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0- 04 ग्रा0पंचा0- मटैया लालपुर वि0ख0- पूरनपुर/ माधौटांडा)**

**प्रस्तर सं0- 04** लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत मटैया लालपुर, विकास खण्ड पूरनपुर ( माधौटांडा ) जनपद - पीलीभीत का निधि प्रथम का कैशबुक वर्ष - 2019-20 जो प्रस्तुत किया गया, में प्रविष्टि माह अगस्त - 2019 से किया गया। ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा अवगत कराया गया की पूर्व ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राजीव सक्सेना से अप्रैल - 2019 से जुलाई - 2019 तक का कैश बुक तथा प्रमाणक चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ जिसके कारण कैश बुक में प्रविष्टि अगस्त - 2019 से किया गया है। सामान्यता किसी भी संस्था का एक वित्तीय वर्ष का एक ही कैश बुक तैयार किया जाता है। एक कैशबुक पूर्ण होने के उपरान्त ही दूसरे कैशबुक में प्रविष्टि किया जाता है। ग्राम पंचायत के आय-व्यय के दृष्टिगत अप्रैल - 2019 से जुलाई- 2019 तक एक कैश बुक के पूर्ण होने की संभावना से इन्कार किया जाता है । अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत का कैशबुक तैयार नहीं किया गया और न ही चार्ज में दिया गया ।

अप्रैल - 2019 से जुलाई - 2019 तक निम्न विवरण अनुसार धनराशि के आहरण की पुष्टि ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या - 537710100139 कैनरा बैंक के स्टेटमेन्ट से होती है।

दिनांक	आहरित धनराशि	प्राप्तकर्ता/ आहरणकर्ता का नाम
03.04.2019	18498.00	आजम ब्रिक्स
11.04.2019	47550.00	ओमपाल
11.04.2019	39080.00	खंडेलवाल टाइल्स
11.04.2019	37075.00	श्री गणेश
11.04.2019	53447.00	श्री गणेश
11.04.2019	55550.00	राधा लक्ष्मी ट्रेडर्स
15.04.2019	18498.00	आजम ब्रिक्स
20.04.2019	9605.00	अजय ब्रिक्स
01.05.2019	87300.00	शिवराज
01.05.2019	58394.00	शिवराज
01.05.2019	25508.00	ओमपाल
01.05.2019	95538.00	राधा लक्ष्मी
01.05.2019	18498.00	अजय ब्रिक्स
01.05.2019	84699.00	अजय ब्रिक्स
12.07.2019	4000.00	योगेश गुप्ता
16.07.2019	1700.00	सुचित्रा
योग-	608940.00	

प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 ( क ) के दृष्टिगत व्यय / आहरित धनराशि को गबन मानते हुए रू0 608940.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती वंदना तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राजीव सक्सेना से किया जाना अपेक्षित है ।

(सा0आ0सं0- 05 ग्रा0पंचा0- मटैया लालपुर वि0ख0- पूरनपुर/ माधौटांडा)

**प्रस्तर सं0- 05** लेखा परीक्षा वर्ष में ह्यूम पाइप क्रय पर दिनांक - 06.01.2020 को रू0 145635.00 का भुगतान राज पाइप इंडस्ट्रीज को किया जाना दर्शित है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं

- कय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।
- ह्यूम पाइप स्थापना पर मजदूरी भूगतान नहीं किया गया है। मजदूरी भूगतान के अभाव में स्थापना किए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
- स्थापना की पर वालू, सीमेन्ट, गिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है
- स्थापना की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटोग्राफी उपलब्ध नहीं है ।
- स्थापना स्थल का विवरण लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धनराशि रू0 145635.00 का अपहरण किया गया। प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के दृष्टिगत रू0 145635.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती चंपा रानी तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 04 ग्रा0पंचा0- नगरिया खर्द कलां वि0ख0- पूरनपुर/ माधौटांडा)

**प्रस्तर सं0- 06** लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत नगरिया खर्द कलां, विकास खण्ड पूरनपुर, जनपद पीलीभीत का निधि प्रथम का कैश बुक वर्ष 2019-20 जो प्रस्तुत किया गया में प्रविष्टि माह जुलाई-2019 से किया गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राजीव सक्सेना से अप्रैल - 2019 से जून-2019 तक का कैश बुक तथा प्रमाणक चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण कैश बुक में जुलाई - 2019 से प्रविष्टि किया गया है। सामान्यतया किसी भी संस्था का एक वित्तीय वर्ष का एक ही कैश बुक तैयार किया जाता है। एक कैशबुक पूर्ण होने के उपरान्त ही दूसरे कैशबुक में प्रविष्टि किया जाता है। ग्राम पंचायत के आय-व्यय के दृष्टिगत अप्रैल - 2019 से जून-2019 तक एक कैशबुक पूर्ण होने की संभवना से इनकार किया जाता है ।

अतः स्पष्ट है कि पूर्व सचिव द्वारा ग्राम पंचायत का कैशबुक ही नहीं तैयार किया और न ही चार्ज में दिया गया ।

अप्रैल - 2019 से जून-2019 तक निम्न विवरण अनुसार धनराशि के आहरण की पुष्टि ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या - 5377101001139 कैनरा बैंक के स्टेटमेंट से होती

दिनांक	आहरित धनराशि	प्राप्तकर्ता/ आहरणकर्ता का नाम
02-04-2019	45000.00	परितोष
02-04-2019	30000.00	जयप्रकाश
03-04-2019	30000.00	लतीफ
21-06-2019	1700.00	सुचिता
25-06-2019	21000.00	श्री गणेश
25-06-2019	50000.00	श्री गणेश
26-06-2019	50000.00	राधा लक्ष्मी ट्रेडर्स
योग-	227700.00	

प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के दृष्टिगत व्यय / आहरित धनराशि को गबन मानते हुए रू0 227700.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती चंपारानी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजीव सक्सेना से किया जाना अपेक्षित है ।

(सा0आ0सं0- 05 ग्रा0पंचा0- नगरिया खर्द कलां वि0ख0- पूरनपुर/ माधौटांडा)

**प्रस्तर सं0- 07** लेखा परीक्षा वर्ष में हह्यूम पाइप कय पर दिनांक - 28.11.2019 को रू0 30000.00 तथा रू0 55000.00 कुल 85000.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

- कय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।
- हयूम पाइप स्थापना पर मजदूरी भूगतान नहीं किया गया है। मजदूरी भूगतान के अभाव में स्थापना किए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
- स्थापना की पर वालू, सीमेन्ट, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है
- स्थापना की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटोग्राफी उपलब्ध नहीं है ।
- स्थापना स्थल का विवरण लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0 85000.00 का अपहरण किया गया। प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के दृष्टिगत ₹0 85000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शिवकुमार तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी मो० इरफान से किया जाना अपेक्षित है ।

**(सा0आ0सं0- 06 ग्रा0पंचा0- मल्लपुर खजुरिया वि0ख0- पूरनपुर/ माधौटांडा)**

**प्रस्तर सं0- 08** लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरण अनुसार ग्राम निधि प्रथम खाता से आहरित धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में केश बुक में कोई भी विवरण अंकित नहीं की गई है और न व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया ।

दिनांक-	आहरित धनराशि
29.10.2019	16000.00
26.12.2019	8000.00
योग	24000.00

प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के दृष्टिगत व्यय / आहरित धनराशि को गबन मानते हुए ₹. 24000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शिव कुमार तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी मो० इरफान से किया जाना अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0- 06 ग्रा0पंचा0- मल्लपुर खजुरिया वि0ख0- पूरनपुर/ माधौटांडा)**

**प्रस्तर सं0- 09** दिनांक 17.11.2019 को प्रमाणक संख्या - 20 से ₹0 91200.00 तालाब की खुदाई हेतु श्री सपन मिस्त्री को भुगतान केश बुक में दर्शाया गया है। प्रमाणक के रूप में सादे कागज पर ₹0 91200.00 भुगतान अंकित है, जिस पर धनराशि प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। तालाब खुदाई पर भुगतान किए जाने की स्थिति में मस्टर रोल तैयार कर मजदूरों के खाते में पी०एफ०एम०एस० द्वारा भुगतान किया जाना था जबकि समस्त भुगतान एक ही व्यक्ति श्री सपन मिस्त्री के खाते में किया गया है । स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्रीमती आशा मिस्त्री तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा श्री सपन मिस्त्री से मिली भगत कर ₹0 91200.00 का अपहरण किया गया। ₹0 91200 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती आशा मिस्त्री तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है ।

**(सा0आ0सं0- 05 ग्रा0पंचा0- महाराजपुर वि0ख0- पूरनपुर/ माधौटांडा)**

**प्रस्तर सं0- 10** लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत - महाराजपुर, विकास खण्ड- पूरनपुर, जनपद- पीलीभीत का निधि प्रथम का केशबुक वर्ष - 2019-20 को प्रस्तुत किया गया, में प्रविष्टि जुलाई-2019 से किया गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राजीव सक्सेना से अप्रैल - 2019 से जून-2019 तक का केश बुक तथा प्रमाणक चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण केश बुक में प्रविष्टि जुलाई-2019 से किया गया है। सामान्यता किसी भी संस्था का एक वित्तीय वर्ष में एक ही केश बुक में तैयार किया जाता है। ग्राम पंचायत के आय-व्यय के दृष्टिगत अप्रैल - 2019 से जून-2019 तक एक केश बुक पूर्ण होने की संभावना से इंकार किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि पूर्व सचिव द्वारा ग्राम पंचायत का केश बुक तैयार नहीं किया गया और न ही चार्ज में दिया गया। अप्रैल - 2019 से जून-2019 तक निम्न विवरण अनुसार धनराशि के आहरण की पुष्टि ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 06970100025070 बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टेटमेन्ट से होती है ।

दिनांक	आहरित धनराशि	प्राप्तकर्ता/ आहरणकर्ता का नाम
15-05-2019	2400.00	राशीद
20-05-2019	10000.00	इमरान अहमद
28-05-2019	30000.00	बलराम
21-06-2019	1700.00	सुचित्रा

योग-	65700.00	
------	----------	--

प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड - 8 ( क ) के दृष्टिगत व्यय / आहरित धनराशि को गबन मानते हुए रू0 65700.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती आशा मिस्त्री तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव सक्सेना से किया जाना अपेक्षित है ।

(सा0आ0सं0- 06, ग्रा0पंचा0- महाराजपुर, वि0ख0- पूरनपुर/ माधौटांडा)

**प्रस्तर सं0- 11** प्रमाणक संख्या 37 दिनांक- 06.01.2020 से रू0 170520.00 का भुगतान हिन्द सोलन इंडस्ट्रीज के स्ट्रीज लाइट मरम्मत एवं क्रय हेतु किया गया । उक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां है

- कय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।
- स्ट्रील लाइट की संख्या, दर एवं स्थापना का स्थान तथा मरम्मत कराये गए। स्ट्रीट लाइट की संख्या
- स्थान एवं धनराशि लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।
- ग्राम पंचायत द्वारा विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे विद्युत कनेक्शन नहीं लिए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नियमनुसार व्यय नहीं किया गया है। प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 ( क ) के दृष्टिगत स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से स्ट्रीट लाइट कय पर व्यय दर्शाकर रू0 170520.00 का अपहरण किया गया। रू0 170520.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती आशा मिस्त्री तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 07 ग्रा0पंचा0- महाराजपुर वि0ख0- पूरनपुर/ माधौटांडा)

**प्रस्तर सं0- 12** लेखा परीक्षा वर्ष में ह्यूम पाइप कय पर दिनांक - 03.03.2020 को रू0 131071.00 का भुगतान राज पाइप इंडस्ट्रीज को किया जाना दर्शित है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां है ।

- कय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।
- ह्यूम पाइप स्थापना पर मजदूरी भुगतान नहीं किया गा है। मजदूरी भुगतान के अभाव में स्थापना किए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
- स्थापना की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटोग्राफी उपलब्ध नहीं है ।
- बालू, सीमेन्ट, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है, जिससे स्थापना की पुष्टि नहीं की जा सकी
- स्थापना स्थल का विवरण लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से व्यय दर्शाकर धनराशि रू0 131071.00 का अपहरण किया गया । प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड - 8 (क) के दृष्टिगत रू0 131071.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती आशा मिस्त्री तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है

(सा0आ0सं0- 08 ग्रा0पंचा0- महाराजपुर वि0ख0- पूरनपुर/ माधौटांडा)

**प्रस्तर सं0- 13** लेखा परीक्षा वर्ष में ह्यूम पाइप कय पर दिनांक- 10.02.2020 को रू0 133665.00 का भुगतान राज पाइप इंडस्ट्रीज को किया जाना दर्शित है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां है -

- क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं किया गया।
- ह्यूम पाइप स्थापना पर मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। मजदूरी भुगतान के अभाव में स्थापना किए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
- स्थापना की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटोग्राफी उपलब्ध नहीं है ।
- स्थापना पर बालू, सीमेन्ट, गिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है।
- स्थापना स्थल का विवरण लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धनराशि रू0 133665.00 का अपहरण किया गया। प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के दृष्टिगत रू0 133665.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती संध्या राय तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 04 ग्रा0पंचा0- पुरैना ता0 महाराजपुर वि0ख0- पूरनपुर/ माधौटांडा)

**प्रस्तर सं0- 14** लेखा परीक्षा वर्ष में हयूम पाइप क्रय पर दिनांक - 06.01.2020 को रू0 133665.00 का भुगतान राज पाइप इन्डस्ट्रीज को किया जाना दर्शित है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं

- क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं किया गया।
- हयूम पाइप स्थापना पर मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। मजदूरी भुगतान के अभाव में स्थापना किए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकती।
- स्थापना की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटोग्राफी उपलब्ध नहीं है।
- स्थापना पर बालू, सीमेन्ट, गिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है।
- स्थापना स्थल का विवरण लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धनराशि रू0 133665.00 का अपहरण किया गया। प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के दृष्टिगत रू0 133665.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अंजली रानी गोलदार तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 04

**ग्रा0पंचा0- नौजल्हा नकटा वि0ख0- पूरनपुर/ माधौटांडा)**

**प्रस्तर सं0- 15** लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरण अनुसार ग्राम निधि प्रथम खाता से आहरित धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में केश बुक में कोई भी विवरण अंकित नहीं है और न ही व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। व्यय का उद्देश्य भी अस्पष्ट रहा।

दिनांक	आहरित धनराशि	प्राप्तकर्ता/ आहरणकर्ता का नाम
03-07-2019	18900-00	श्री छत्रपाल
05-07-2019	40998-00	श्री गणेश
योग-	59898.00	

प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड - 8 (क) के दृष्टिगत व्यय / आहरित धनराशि को गबन मानते हुए रू. 59898.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अंजली रानी गोलदार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 04, ग्रा0पंचा0- नौजला नकटा, वि0ख0- पूरनपुर/ माधौटांडा)

**प्रस्तर सं0- 16** ग्राम पंचायत पिंजरा वमनपुरी विकास खंड अमरिया जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है।

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
प्रारम्भिक अवशेष	2768672=50	443894=62
वर्ष में प्राप्त	1920000=00	2479125=00
वर्ष में आहरित / व्यय	1774290=00	2270126=00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	2914382=50	652893=62

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, मॉप पुस्तिका, केश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक 27-01-2021 को प्रस्तावित किया गया परंतु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक 26-03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया गया। मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हैं से भी इस संबंध में पत्रांक मेमो 48 दिनांक 27-02-2021 के माध्यम से अभिलेखों की मांग की गई (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संपरेश/आ०डि० / 08-09दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शासनादेश संख्या - ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०)को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, पीलीभीत के पत्रांक 1262-65 दिनांक 01-03-2021, पत्रांक 1362-65 दिनांक 20-03-2021, पत्रांक 32-33 दिनांक 08-04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा भी जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया, जिसके अनुपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत द्वारा भी पत्रांक 5024 / यो०वि० / 2020-21 दिनांक 25-03-2021 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध करने हेतु पत्र निर्गत किए गए। (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमाविर गंगवार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 2270126=00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमाविर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 01 ग्रा0पंचा0- पिंजरा वमनपुरी वि0ख0- अमरिया)

**प्रस्तर सं0- 17** ग्राम पंचायत मुगलाखड़ा विकास खंड अमरिया जनपद- पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

	मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
उक्त	प्रारम्भिक अवशेष	1253367=10	1253367=10
	वर्ष में प्राप्त	2649351=00	2607182=00
	वर्ष में आहरित / व्यय	2785262=00	2809721=50
	वर्षांत में अवशेष धनराशि	1117456=10	1050827=60

विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, मॉप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक 19-02-2021 को प्रस्तावित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक 26-03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया गया। मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हैं से भी इस संबंध में पत्रांक मेमो 47 व 48 दिनांक 27-02-2021 के माध्यम से अभिलेखों की मांग की गई (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संपरेश/आ०डि० / 08-09दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं, साथ ही शासनादेश संख्या - ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०)को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, पीलीभीत के पत्रांक 1262-65 दिनांक 01-03-2021 पत्रांक 1362-65 दिनांक 20-03-2021, पत्रांक 32-33 दिनांक 08-04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा भी जिला पंचायत राज अधिकारी

पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया , जिसके अनुपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत द्वारा भी पत्रांक 5024 / यो०वि० / 2020-21 दिनांक 25-03-2021 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध करने हेतु पत्र निर्गत किए गए।(पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी ।

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमावीर गंगवार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है ।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु. 2809721=50 “गबन” की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राजकुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमावीर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है ।

**(सा0आ0सं0- 04, गा0पंचा0- मुगलाखड़ा, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 18** ग्राम पंचायत सरैनी तिरकुनिया, विकास खंड अमरिया, जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई | प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
प्रारम्भिक अवशेष	371692=50	371692=40
वर्ष में प्राप्त	2003109=00	3195691=00
वर्ष में आहरित / व्यय	577176=00	577176=00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	1797625=50	2990207=40

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्ट्रीट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक 06-03-2021 को प्रस्तावित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक 26-03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया गया। मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हैं से भी इस संबंध में पत्रांक मेमो 49 दिनांक 06-03-2021 के माध्यम से अभिलेखों की मांग की गई (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी ।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संपरेश/आ०डि० / 08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं | साथ ही शासनादेश संख्या - ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०)को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, पीलीभीत के पत्रांक 1362-65 दिनांक 20-03-2021, पत्रांक 32-33 दिनांक 08-04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा भी जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया , जिसके अनुपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत द्वारा भी पत्रांक 5024 / यो०वि० / 2020-21 दिनांक 25-03-2021 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध करने हेतु पत्र निर्गत किए गए |(पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी ।

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमावीर गंगवार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है ।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 577176=00 “गबन”की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री निसार अहमद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमावीर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है ।

**(सा0आ0सं0- 01, गा0पंचा0- सरैनी तिरकुनिया, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 19** ग्राम पंचायत तुमरिया, विकास खंड अमरिया, जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया शाफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है।

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
प्रारम्भिक अवशेष	771725=34	768467=34
वर्ष में प्राप्त	1957143=00	1819062=00
वर्ष में आहरित / व्यय	1520829=00	1517839=00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	1208039=34	1141690=34

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक 08-03-2021 को प्रस्तावित किया गया परंतु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक 26-03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया गया । मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हैं से भी इस अभिलेखों की मांग की गई परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी । उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के

द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संपरेश/आ०डि० / 08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं । साथ ही शासनादेश संख्या - ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०)को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, पीलीभीत के पत्रांक 1362-65 दिनांक 20-03-2021, पत्रांक 32-33 दिनांक 08-04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा भी जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया, जिसके अनुपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत द्वारा भी पत्रांक 5024 / यो०वि० / 2020-21 दिनांक 25-03-2021 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध करने हेतु पत्र निर्गत किए गए । (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी ।

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमावीर गंगवार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है ।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 1517839=00 “गबन” की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमावीर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है ।

**(सा0आ0सं0- 01 गा0पंचा0- तुमरिया वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 20** वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध कराये गए अभिलेखों में दिनांक 01-04-2019 से 01-07-2019 तक के आहरित/व्यय की गयी धनराशि 267506=00 के पुष्टि में मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्ययोजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे उक्त समयावधि में आहरित /व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रम सं०	दिनांक	विवरण जिसे भुगतान किया गया सर्वश्री	चेक न०	धनराशि

1	02-04-2019	श्री खान	88	66678=00
2	03-04-2019	श्री तसलीम	89	42910=00
3	20-04-2019	मैसर्स शाहजी	92	83909=00
4	23-04-2019	मैसर्स रजा ब्रिक्स फील्ड	91	40669=00
5	24-05-2019	श्री तसलीम	95	7000=00
6	27-06-2019	श्री राहुल	93	22073=00
7	01-07-2019	श्री मो: रशीद	94	4267=00
		योग		267506=00

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि 267506=00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री तसलीम अहमद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोरंजन सिंह से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 01 ग्रा0पंचा0- गायबोझ वि0ख0- अमरिया)

**प्रस्तर सं0- 21** ग्राम पंचायत जेठानियाँ, विकास खंड अमरिया, जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
प्रारम्भिक अवशेष	442582=00	442582=42
वर्ष में प्राप्त	3675744=00	3655744=00
वर्ष में आहरित / व्यय	3175710=00	3155710=27
वर्षांत में अवशेष धनराशि	942616=00	942616=15

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक 17-02-2021 को प्रस्तावित किया गया परंतु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक 26-03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया गया। मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हैं से भी इस संबंध में पत्रांक मेमो 47 एवं 48 दिनांक 27-02-2021 के माध्यम से अभिलेखों की मांग की गई (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/आ०रि०/08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शासनादेश संख्या - ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०)को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, पीलीभीत के पत्रांक 1262-65 दिनांक 01-03-2021, पत्रांक 1362-65 दिनांक 20-03-2021, पत्रांक 32-33 दिनांक 08-04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा भी जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया, जिसके अनुपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत द्वारा भी पत्रांक 5024 / यो०वि० / 2020-21 दिनांक 25-03-2021 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध करने हेतु पत्र निर्गत किए गए। (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए | पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है |

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 3155710=27 “गबन” की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री लालचन्द एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है |

**(सा0आ0सं0- 01 ग्रा0पंचा0- जिठनिया वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 22** ग्राम पंचायत देवरनियाँ, विकास खंड अमरिया, जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया शाफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई | प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
प्रारम्भिक अवशेष	900361=00	170530=00
वर्ष में प्राप्त	2379473=00	2379494=00
वर्ष में आहरित / व्यय	2473539=00	1743708=27
वर्षांत में अवशेष धनराशि	806295=00	806315=73

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्ट्रीट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका, केश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए|

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक 04-03-2021 को प्रस्तावित किया गया परंतु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक 26-03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया गया | मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हैं से भी इस संबंध में पत्रांक मेमो 49 दिनांक 06-03-2021 के माध्यम से अभिलेखों की मांग की गई (पत्र की छाया प्रतियां हाई कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी|

उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संपरेश/आ०डि० / 08-09दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं |साथ ही शासनादेश संख्या - ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०)को नोडल अधिकारी नामित किया गया है|कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, पीलीभीत के पत्रांक 1362-65 दिनांक 20-03-2021, पत्रांक 32-33 दिनांक 08-04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा भी जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया, जिसके अनुपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत द्वारा भी पत्रांक 5024 / यो०वि० / 2020-21 दिनांक 25-03-2021 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध करने हेतु पत्र निर्गत किए गए |(पत्र की छाया प्रतियां हाई कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी |

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए | पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है |

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 1743708=27 “गबन” की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सायरा बी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है |

**(सा0आ0सं0- 01, ग्रा0पंचा0- देवरनियां वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 23** वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा में कैश बुक के अनुसार पाया कि निम्नलिखित कार्य के सापेक्ष ₹ (62004=00+65177=00+69118=00)= ₹ 196299=00 भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। वो गत वर्ष से संबन्धित है, परन्तु व्यय की पुष्टि में उक्त कार्य से सम्बन्धित संगत अभिलेख यथा बिल/प्रमाणक, गत वर्ष के कैश बुक, कार्य योजना, प्राक्कलन, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार बार माँगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। व्यय अपुष्टित रहने के कारण किया गया भुगतान संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है, वित्त लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क)के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है। अभिलेखों के अभाव में स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा फर्म से सांठ गाँठ कर कूटरचित ढंग से बिल / अभिलेख तैयार कर आहरित धन ₹ 196299=00 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या- 256 से 259 की व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधान श्री दाताराम वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है।

1-कार्य का नाम -राम कुमार से वीरपाल के घर तक नाला एवं सी सी रोड निर्माण

क्रं सं	चेक नं /दिनांक	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट अनुसार भुगतान	कैश बुक अनुसार सामग्री क्रय
01	231/05-04-2019	62004=00	मैसर्स सहारा	सीमेंट,मौरंग,बजरी

2- कार्य का नाम - वीरपाल से राम किशोर के घर तक नाली एवं सी सी रोड निर्माण

क्रं सं	चेक नं /दिनांक	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट अनुसार भुगतान	कैश बुक अनुसार सामग्री क्रय
01	228/05-04-2019	65177=00	मैसर्स सहारा	सीमेंट,मौरंग, बजरी

3- कार्य का नाम - आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण

क्रं सं	चेक नं /दिनांक	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट अनुसार भुगतान	कैश बुक अनुसार सामग्री क्रय
01	245/20-04-2019	17986=00	श्री त्रिपाठी	सेनेटरी/हार्डवेयर क्रय
02	246/25-04-2019	9341=00	श्री कटियार	बिजली फिटिंग सामग्री क्रय
03	244/30-04-2019	9507=00	मैसर्स न्यू रंगोली	पेन्ट क्रय
04	247/03-05-2019	2550=00	श्री सज्जाद	बिजली फिटिंग मजदूरी
05	243/04-05-2019	18486=00	मैसर्स सहारा	सीमेंट,मौरंग,बजरी,सरिया
06	242/06-05-2019	3900=00	श्री बबलू	06 इनलप महीन रेता
07	248/17-05-2019	4000=00	श्री इमरान	टंकी व सेनेटरी फिटिंग मजदूरी
08	241/31-05-2019	3348=00	श्री अजहरी	फर्श हेतु रोड़ा क्रय
	योग	69118=00		

(सा0आ0सं0- 01, ग्रा0पंचा0- सुस्वार, वि0ख0- अमरिया)

**प्रस्तर सं0- 24** वर्ष दौरान ग्राम पंचायत में किए गए कार्य गंगा राम से चुन्नी लाल के घर तक नाली व सी सी रोड निर्माण पर निम्न प्रकार ₹255365=15 व्यय किया गया है ।

क्रं सं	प्रमा०सं/दिनांक	चेक सं/दिनांक	धनराशि	फर्मबिलसं/दिनांक	फर्म का नाम	विवरण सामग्री क्रय
01	04/30-07-19	252/30-07-2019	75000=00	167/20-08-2019	न्यू मौर्या सीमेंट स्टोर	सीमेंट,बजरी,मौरंग
03	-	259/05-08-2019	51183=00	167/20-02-2019	न्यू मौर्या सीमेंट स्टोर	अवशेष भुगतान
04	08/31-08-19	254/29-07-2019	40000=00	एमआर/22से31अग	39894+106=40000	एम आर, फोटो स्टेट
05	13/15-11-19	/15-11-19	9000=00	-	श्री मेघनाथ	देशी रेता क्रय
06	14/15-11-19	„	2500=00	-	„	मिट्टी „
07	16/15-11-19	„	3840=00	-	श्री मेहंदी हसन	मजदूरी
08	17/15-11-19	„	4800=00	-	श्री अफरोज	„
09	18/15-11-19	„	50802=15	155/10-08-2019	के जी एन ब्रिक फील्ड	रोड़ा क्रय
10	19/15-11-19	„	4800=00	-	श्री शकील	मजदूरी
		योग	255365=15			

संदर्भित कार्य की अनुमोदित कार्य योजना,प्राक्कलन,एमबी,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,उपलब्ध नहीं रहा। चेक सं 254/29-07-2019 से ₹ 40000=00 का भुगतान 01/5036 पीलीभीत को किया गया है तथा इसे माह के अन्त में अन्तिम अवशेष के रूप में दर्शाया गया है। ₹ 106=00 का व्यय फोटो स्टेट के रूप में व शेष ₹ 39894=00 एवं ₹ 13440=00का भुगतान आर टी जी एस के द्वारा (कुल ₹53334=00) का भुगतान एम आर पर दर्शित है। एम आर भुगतान के अनुसार जब कार्य अगस्त में पूर्ण हो गया तब माह नवम्बर 2019

मे बिलो के भुगतान का औचित्य अस्पष्ट रहा। उक्त विवरणों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा फर्म से साँठ गांठ कर मनमाने ढंग से कार्य दर्शा कर कूट रचित ढंग से अभिलेख तैयार कर आहरित धन ₹255365=15 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री हरी ओम से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 02, ग्रा0पंचा0- सुस्वार, वि0ख0- अमरिया)

**प्रस्तर सं0- 25** वर्ष दौरान ग्राम पंचायत में किए गए कार्य ताराचन्द्र के घर से हीरालाल के घर तक नाली व सी सी रोड निर्माण पर निम्न प्रकार ₹254764=00 व्यय किया गया है

क्रमसं0	प्रमा0 सं0/ दिनांक	चैक सं0/ दिनांक	धनराशि	फर्म बिल सं0/ दिनांक	फर्म का नाम	विवरण सामग्री क्रय
01	03/30-07-19	251/30-07-19	75000=00	166/10-08-2019	न्यू मौर्या सीमेंट स्टोर	सीमेंट, बजरी, मौरंग
03	07/21-08-19	253/29-07-19	40000=00	एमआर/11से21अग	39894+106=40000	मजदूरी, फोटो स्टेट
04	06/01-08-19	255/01-08-19	20000=00	129/28-07-2019	केजीएन ब्रिक फील्ड	ईट क्रय प्रथम श्रेणी
05	--/05-08-19	256/05-08-19	51183=00	166/10-08-2019	न्यू मौर्या सीमेंट स्टोर	सीमेंट, बजरी, मौरंग
06	37/20-02-20	पी एफ एम एस/20-02-20	30201=00	156/10-08-2019	केजीएन ब्रिक फील्ड	ईट क्रय
07	38/20-02-20	„	9000=00		श्री मेघनाथ	देशी रेत क्रय
08	39/21-02-20	पी एफ एम एस/21-02-20	2500=00		„	मिट्टी „
09	40/21-02-20	„	3840=00		श्री मेहंदी हसन	मजदूरी
10	41/21-02-20	„	4800=00		श्री शकील	„
11	42/21-02-20	„	4800=00		श्री अफरोज	„
		योग	254764=00			

संदर्भित कार्य की अनुमोदित कार्य योजना, प्राक्कलन, एमबी, कार्यपूति प्रमाणपत्र, उपलब्ध नहीं रहा। चेकसं 253/29-07-2019 से ₹40000=00 का भुगतान मो अफरोज को किया गया है तथा इसे माह के अन्त में अन्तिम अवशेष के रूप में दर्शाया गया है। ₹106=00 का व्यय फोटो स्टेट के रूप में व शेष ₹ 39894=00 एवं ₹ 13440=00 का भुगतान आरटीजीएस के द्वारा (कुल ₹53334=00) का भुगतान एम आर पर दर्शित है। एम आर भुगतान के अनुसार जब कार्य अगस्त में पूर्ण हो गया तब माह फरवरी 2020 में बिलो के भुगतान का औचित्य अस्पष्ट रहा। उक्त विवरणों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा फर्म से साँठ गांठ कर मनमाने ढंग से कार्य दर्शा कर कूट रचित ढंग से अभिलेख तैयार कर आहरित धन ₹254764=00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री हरी ओम से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 03, ग्रा0पंचा0- सुस्वार, वि0ख0- अमरिया)

**प्रस्तर सं0- 26** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में अभिलेख की जांच में पाया गया कि वाउचर संख्या 15 दिनांक 20-04-2019 में इण्डिया मार्का नलों की मरम्मत व उच्चीकरण पर व्यय व चवतरी निर्माण पर व्यय रुपये 38600.00 का व्यय निम्न विवरण अनुसार कैश बुक में दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार से है।

फर्म का नाम- मोहम्मद इमरान हैण्ड पंप मिस्त्री, ग्राम- सरैनी तुरकुनिया, विकास समिति- अमरिया, जनपद- पीलीभीत।

क्र० सं०	बिल न० / दिनांक	धनराशि	स्थान / कार्य
----------	-----------------	--------	---------------

1	28 / 03-01-2019	10790.00	युसूफ नेता जी के सामने
2	29 / 03-03-2019	8355.00	कुडिया वाला नल
3	30/ 03-03-2019	5675.00	ईट वालों
4	31 / 04-03-2019	2915.00	जु० ह० स्कूल
5	32 / 04-03-2019	4835.00	इस्तिकार प्रधान जी के सामने
6	33 / 05-03-2019	6215.00	-
	योग	38785.00	

उपरोक्त व्यय का भुगतान बैंक संख्या 418 दिनांक 20-04-2019 से रुपये 19050.00 एवं बैंक संख्या 413 दिनांक 20-04-2019 से रुपये 19550.00 कुल रुपये 38600.00 का भुगतान मोहम्मद इरफान से कराकर , किया जाना दर्शित है । जबकि यह भुगतान फर्म के नाम बैंक जारी कर किया जाना चाहिए था । इस प्रकार कुल व्यय रुपये 38785.00 के सापेक्ष केवल रुपये 38600.00 का ही भुगतान किया गया है । शेष रुपये 185.00 से कम भुगतान किया गया है। उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 से सम्बंधित है गत वर्ष की कैश बुक एवं अन्य अभिलेख वार-वार मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराए जाने से यह अस्पष्ट रहा कि यह भुगतान गत वर्ष किया गया है अथवा नहीं ।

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्म से साठ - गाँठ कर कूटरचित ढंग से बिल तैयार कर आहरित धनराशि रु० 38600=00 का अपहरण किया गया है , जिसकी वसूली ब्याज सहित उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के अनुसार ग्राम प्रधान श्री इशारार अहमद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0- 01, ग्रा0पंचा0- सहगवा नगिरया वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 27** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में अभिलेख की जाँच में पाया गया, विभिन्न स्थलों पर नल रीबोर पर गत वर्ष का व्यय कैश बुक में दर्शाया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है ।

क्र० सं०	बिल सं० / दिनांक	वाउचर नं० / दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान बैंक सं० / दिनांक
1	271 / 06-02-2019	3 / 03-04-2019	24675-00	नल मिस्त्री व लेवर	425/ 03-04-2019
2	272 / 06-03-2019	4 / 03-04-2019	24700.00	मस्जिद के पास नल रीबोर हेतु मिस्त्री एवं लेवर	422/ 03-04-2019
3	273 / 06-03-2019	5 / 03-04-2019	24655.00	प्रधान जी के घर के पास नल रीबोर हेतु मिस्त्री एवं लेवर	423/ 03-04-2019
4	277 / 06-03-2019	6 / 03-04-2019	24650.00	नल रीबोर पर मिस्त्री एवं लेवर	424/ 03-04-2019
5	306,07,08 / 06-03-2019	7 / 03-04-2019	32760.00	इंडिया मार्का नल रीबोर हेतु सामग्री क्रय	421/ 03-04-2019
		योग -	131440.00		

उपरोक्त के क्रम में स्पष्ट करना है कि क्रम संख्या 01 से 04 तक का भुगतान श्री नदीम मिस्त्री, पता सुकटिया, अमरिया, पीलीभीत तथा क्रम 05 का भुगतान मैसर्स अजमेरी हार्ड वेयर, सितारगंज रोड , हाजीपुरा , अमरिया पीलीभीत को किया गया है । जिसके केवल 03 बिल ही उपलब्ध रहे ।

उपरोक्त भुगतान गत वर्ष से सम्बंधित है गत वर्ष की कैश बुक, स्टीमेट, माप - पुस्तिका, प्रशासनिक - तकनीकी - वित्तीय स्वीकृति, पंजिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बार बार मांगे जाने पर भी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस कारण दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। पंचायती राज अनुभाग 03 के आदेश संख्या - 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक-19-06-2017 के इंडिया मार्का हैंड पम्प के रीबोर की गाइड लाइंस के अनुसार तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0/आर0ई0डी0/मंडी परिषद/जिला पंचायत /जिला अधिकारी के द्वारा नामित अधिकारी एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु जी0पी0डी0पी0 के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइड लाइंस के पालन की स्थिति अज्ञात रही।

इस प्रकार स्पष्ट है कि फर्म से साठ - गाँठ कर , कूट रचित ढंग से बिल तैयार कराकर (उपलब्ध बिलों पर इ० पोथी राम मनरेगा टी.ए.के हस्ताक्षर हैं जो कि ग्राम निधि में मापांकन कार्य हेतु अधिकृत ही नहीं है एम बी की पेज संख्या का भी उल्लेख नहीं किया गया है) धन का अपहरण किया गया है । अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से

259 तक के प्रावधान अनुसार रूपये 13144.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री इशरार अहमद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है ।

**(सा0आ0सं0- 02 ग्रा0पंचा0- सहगवा नगरिया वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 28** लेखा परीक्षा में अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वाउचर संख्या 01/02-04-2019 से रूपये 17359.00 का भुगतान बैंक संख्या 411/02-04-2019 के द्वारा मैसर्स सहारा सीमेंट स्टोर , ग्राम निसरा, पीलीभीत के बिल संख्या 128/16-02-2019 से क्रय की गई सामग्री सीमेंट, मोरंग, बजरी, एवं सरिया का किया जाना दर्शित है बिल गत वर्ष से सम्बंधित है केश बुक अनुसार उक्त सामग्री का प्रयोग समीर के घर के पास पुलिया निर्माण हेतु दर्शित है . बार - बार अभिलेख मांगे जाने पर भी गत वर्ष की केश बुक, स्टीमेट, कार्य योजना, माप पुस्तिका अन्य बिल / वाउचर एवं मस्टर रोल सम्बन्धी विवरण जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कार्य का स्टीमेट क्या था कितना भुगतान किया जा चुका है एवं कितना शेष है तथा कार्य किन तिथियों में कराया गया है, अप्राप्त रहे ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से कूटरचित तरीके से , फर्म से सांठ-गांठ कर, बिल तैयार कर, भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली मय ब्याज उ०प्र० पंचायती राज नियमावली - 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधान अनुसार ग्राम प्रधान श्री इशरार अहमद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित रही ।

**(सा0आ0सं0- 03, ग्रा0पंचा0- सहगवा नगरिया, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 29** लेखा परीक्षा में अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वाउचर संख्या - 02/02-04-2019 से रूपये 25280-00 का भुगतान मैसर्स सहारा सीमेंट स्टोर, ग्राम निसरा पीलीभीत से क्रय (79 बोरी सीमेंट, दर 320.00 प्रति बोरी ) सामग्री , बिल संख्या 129/17-02-2019 का भुगतान बैंक संख्या 395/02-04-2019 से तथा वाउचर न० व दिनांक 04-04-2019 (एम आर दिनांक 22-02-2019 से 05-03-2019 तक ) का रूपये 18575-00 का भुगतान बैंक संख्या 393/04-04-2019 से ताहिर से कराकर माजिद से सफीक तक सी० सी० नाली निर्माण पर किया जाना दर्शित है। कार्य गत वर्ष से सम्बंधित है। कुल व्यय रूपये 43855-00, जिसकी पुष्टि हेतु अनुमोदित कार्य योजना, स्टीमेट, माप पुस्तिका, प्रशासनिक तकनीकी वित्तीय स्वीकृति, बिल / वाउचर आदि, जिससे यह अस्पष्ट रहा कि यह कार्य कब प्रारंभ हुआ तथा कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है । बार-बार मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गए ।

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से कूटरचित तरीके से बिल / मस्टर रोल तैयार कर धन का अपहरण किया गया है । अतः रूपये 43855-00 की वसूली मय ब्याज उ० प्र० पंचायत राज नियमावली- 1947 के नियम संख्या- 256 से 259 के प्रावधान अनुसार ग्राम प्रधान श्री इशरार अहमद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0- 04, ग्रा0पंचा0- सहगवा नगरिया, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 30** लेखा परीक्षा में अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जलील के घर से मोहम्मद उमर के घर तक सी० सी० रोड व नाली निर्माण कार्य पर निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शाया गया है .

वाउचर न० / दिनांक	धनराशि	बिल न० / दिनांक / विवरण	बैंक संख्या / दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता
10/ 04-04-2019	18000.00	एम आर 13-03-2019 से 25-03-2019 तक	401/ 05-04-2019	ताहिर
11/ 05-04-2019	15324.00	रसीद मिट्टी, 53.15 घन मी० दर 160.00/ प्रति रेत, 8.12 घन मी० दर 840.00/ प्रति	398/ 05-04-2019	जमील
11/ 05-04-2019	18225.00	एम आर 13.03-2019 से 25-03-2019	400/ 05-04-2019	रहीस
11/ 05-04-2019	13329.00	रसीद मिट्टी, 46.56 घन मी० दर 160.00/ प्रति रेत, 7.00 घन मी० दर 840.00/ प्रति	405/ 05-04-2019	जमील
योग	64878.00			

उपरोक्त कार्य से सम्बंधित अनुमोदित कार्य योजना, स्टीमेट, प्रशासनिक तकनीकी वित्तीय स्वीकृति पंजिका, गत वर्ष की केश बुक, बिल / वाउचर, माप पुस्तिका की बार-बार मांग किये जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराये गए, जिससे यह अस्पष्ट रहा कि कार्य कब प्रारंभ हुआ और उस पर कितना व्यय हो चुका है ।

उक्त के अभाव में स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से, कूटरचित तरीके से मस्टर रोल एवं रसीद तैयार कर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली (रूपये 64878.00) उ० प्र० पंचायत राज नियमावली- 1947 के नियम संख्या- 256 से 259 के प्रावधान अनुसार ग्राम प्रधान श्री इशरार अहमद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0- 05, ग्रा0पंचा0- सहगवा नगरिया, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 31** वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध कराये गए अभिलेखों में दिनांक 01-04-2019 से 18-07-2019 तक के आहरित/व्यय की गयी धनराशि ` 100300=00 के पुष्टि में मूल अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक, अनुमोदित कार्ययोजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए। जिससे उक्त समयावधि में आहरित /व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र स	दिनांक	विवरण जो दर्शित है जिसे भुगतान किया गया सर्वश्री	चेक नं०	धनराशि
1	19-06-2019	पिजरा	358	10000=00
2	15-07-2019	सना	365	22000=00
3	16-07-2019	अरोरा ऑइल कंपनी	366	8100=00
4	16-07-2019	अरोरा ऑइल कंपनी	364	8100=00
5	16-07-2019	अरोरा ऑइल कंपनी	363	8100=00
6	18-07-2019	सना	362	22000=00
7	18-07-2019	सना	361	22000=00
		योग		100300=00

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि ` 100300=00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान मो इरफान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोरंजन सिंह से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0- 04, गा0पंचा0- भौनी वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 32** ग्राम पंचायत अमरिया, विकास खंड अमरिया, जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
प्रारम्भिक अवशेष	12136919=75	12146575=75
वर्ष में प्राप्त	3058290=00	8148837=00
वर्ष में आहरित / व्यय	3887041=00	3887041=00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	11308168=75	16408371=75

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक 24-03-2021 को प्रस्तावित किया गया परंतु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक 26-03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया गया, मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हैं से भी इस संबंध में मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गई, परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संपरेश/आ०डि० / 08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शासनादेश संख्या - ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०)को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कार्यालय

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी , सहकारी समितियां एवं पंचायते ,पीलीभीत के पत्रांक 32-33 दिनांक 08-04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया ।(पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न )

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमावीर गंगवार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है ।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 3887041=00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीबा खान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमावीर गंगवार से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है ।

**(सा0आ0सं0- 01, ग्रा0पंचा0- अमरिया, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 33** ग्राम पंचायत अमखेड़ा, विकास खंड अमरिया, जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
प्रारम्भिक अवशेष	62313=00	52313=10
वर्ष में प्राप्त	1769239=00	3077166=00
वर्ष में आहरित / व्यय	1506838=00	1506902=90
वर्षांत में अवशेष धनराशि	324712=00	1622576=20

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि मे बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टेटमेंट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका , माँप पुस्तिका , कैश बुक , व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र , लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक 23-03-2021 को प्रस्तावित किया गया परंतु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक 26-03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया गया । मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हैं से भी इस संबंध में मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गई परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी ।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संपरेश/आ०डि० / 08-09दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं । साथ ही शासनादेश संख्या - ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०)को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी , सहकारी समितियां एवं पंचायते ,पीलीभीत के पत्रांक 32-33 दिनांक 08-04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया । (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न )

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज आर्या द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है ।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 1506902=90 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राहिल बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज आर्या से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है ।

**(सा0आ0सं0- 01, ग्रा0पंचा0- अमखेड़ा, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 34** ग्राम पंचायत भगाडांडी, विकास खंड अमरिया जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया शाफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
प्रारम्भिक अवशेष	992442=00	986862=10
वर्ष में प्राप्त	616770==00	1146781=00
वर्ष में आहरित / व्यय	344160=80	344213=90
वर्षांत में अवशेष धनराशि	1265051=20	1789429=20

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक 23-03-2021 को प्रस्तावित किया गया परंतु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक 26-03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया गया। मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हैं से भी अभिलेखों की उपलब्धता हेतु मौखिक रूप से मांग की गई परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संपरेश/आ०डि० / 08-09दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शासनादेश संख्या - ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०)को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, पीलीभीत के पत्रांक 32-33 दिनांक 08-04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया। (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न )

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज आर्या द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 344213=90 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान मो० आफाक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज आर्या से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0- 01, ग्रा0पंचा0- भगाडांडी, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 35** ग्राम पंचायत बरहा विक्रम, विकास खंड अमरिया जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया शाफ्ट पर अंकित व्यय/ बैंक स्टेटमेंट/ कैश बुक के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
प्रारम्भिक अवशेष	491244=00	491284=90
वर्ष में प्राप्त	682438=00	1269719=00
वर्ष में आहरित / व्यय	1083589=00	762110=00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	90093=00	998893=90

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक 04-03-2021 को प्रस्तावित किया गया परंतु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक 26-03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया

गया । मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हैं से भी इस संबंध में पत्रांक मेमो 49 दिनांक 06-03-2021के माध्यम से अभिलेखों की मांग की गई (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी । उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संपरेश/आ०डि० / 08-09दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं । साथ ही शासनादेश संख्या - ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०)को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, पीलीभीत के पत्रांक 1362-65 दिनांक 20-03-2021, पत्रांक 32-33 दिनांक 08-04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा भी जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया , जिसके अनुपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत द्वारा भी पत्रांक 5024 / यो०वि० / 2020-21 दिनांक 25-03-2021 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध करने हेतु पत्र निर्गत किए गए (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी । इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज आर्या द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है ।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 762110=00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सर्वेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज आर्या से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है ।

**(सा0आ0सं0- 01, ग्रा0पंचा0- बरहा विक्रम, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 36** ग्राम पंचायत डांग, विकास खंड अमरिया, जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय/ बैंक स्टेटमेंट/ कैश बुक के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
प्रारम्भिक अवशेष	1474383=00	1474378=80
वर्ष में प्राप्त	1022935=00	2193333=00
वर्ष में आहरित / व्यय	2066949=00	2067344=60
वर्षांत में अवशेष धनराशि	430369=00	1600367=20

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, मॉप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक 15-02-2021 को प्रस्तावित किया गया परंतु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक 26-03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया गया। मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हैं से भी इस संबंध में पत्रांक मेमो 47 व 48 दिनांक 27-02-2021 के माध्यम से अभिलेखों की मांग की गई (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संपरेश/आ०डि० / 08-09दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं । साथ ही शासनादेश संख्या - ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०)को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, पीलीभीत के पत्रांक 1262-65 दिनांक 01-03-2021, पत्रांक 1362-65 दिनांक 20-03-2021, पत्रांक 32-33 दिनांक 08-

04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा भी जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया, जिसके अनुपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत द्वारा भी पत्रांक 5024/ यो०वि०/ 2020-21 दिनांक 25-03-2021 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध करने हेतु पत्र निर्गत किए गए। (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज आर्या द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 2067344=60 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरवर जहां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज आर्या से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0- 01, ग्रा0पंचा0- डांग, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 37** ग्राम पंचायत जगत, विकास खंड अमरिया, जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
प्रारम्भिक अवशेष	494161=35	494161=35
वर्ष में प्राप्त	936241=00	1544933=00
वर्ष में आहरित / व्यय	1143367=00	1143367=00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	1430402=35	895727=35

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक 18-01-2021 को प्रस्तावित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक 26-03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया गया। मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हैं से भी इस संबंध में पत्रांक मेमो 29 दिनांक 18-01-2021 व मेमो 48 दिनांक 27-02-2021 के माध्यम से अभिलेखों की मांग की गई (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संपरेश/आ०डि० / 08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शासनादेश संख्या - ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०)को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, पीलीभीत के पत्रांक 1362-65 दिनांक 20-03-2021, पत्रांक 32-33 दिनांक 08-04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा भी जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया, जिसके अनुपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत द्वारा भी पत्रांक 5024 / यो०वि० / 2020-21 दिनांक 25-03-2021 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध करने हेतु पत्र निर्गत किए गए। (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज आर्या द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 1143367=00 “गबन” की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री विश्राम सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज आर्या से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है ।

(सा0आ0सं0- 01, ग्रा0पंचा0- जगत, वि0ख0- अमरिया)

**प्रस्तर सं0- 38** ग्राम पंचायत धुंधरी, विकास खंड अमरिया, जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया शाफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
प्रारम्भिक अवशेष	1098465=00	1098465=75
वर्ष में प्राप्त	6053743=00	3881133=00
वर्ष में आहरित / व्यय	3776350=29	3744850=29
वर्षांत में अवशेष धनराशि	3375857=71	1234748=46

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि के पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक 14-01-2021 को प्रस्तावित किया गया परंतु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक 26-03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया गया । मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हैं से भी इस संबंध में पत्रांक मेमो 25 दिनांक 14-01-2021 एवं पत्रांक मेमो 48 दिनांक 27-02-2021के माध्यम से अभिलेखों की मांग की गई (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी। उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संपरेश/आ०डि० / 08-09दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं ।साथ ही शासनादेश संख्या - ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०)को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, पीलीभीत के पत्रांक 1262-65 दिनांक 01-03-2021, पत्रांक 1362-65 दिनांक 20-03-2021, पत्रांक 32-33 दिनांक 08-04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा भी जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया, जिसके अनुपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत द्वारा भी पत्रांक 5024/ यो०वि०/ 2020-21 दिनांक 25-03-2021 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध करने हेतु पत्र निर्गत किए गए ।(पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी ।

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज आर्या द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रु 3744850=29 “गबन” की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री दिलशाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज आर्या से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है ।

(सा0आ0सं0- 01, ग्रा0पंचा0- धुंधरी, वि0ख0- अमरिया)

**प्रस्तर सं0- 39** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में कराये गए कार्यों हेतु मैसर्स के०जी०एन० सीमेंट स्टोर, बकैनिया स्वाले, रिछा रोड, बरेली से कुल रु० 533014=58 के निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है।

क्रं०	दिनांक	बिल क्रं०	धनराशि	प्रमा०सं०/दिनांक	सामग्री क्रय	फर्म का नाम-मैसर्स के०जी०एन० सीमेंट स्टोर, बरेली

01	03-07-2019	24	65536=00	51/21-11-2019	सीमेंट	-
02	29-07-2019	22	40128=00	06/02-08-2019	बजरी	-
03	29-07-2019	23	40060=25	05/02-08-2019	बजरी,रेता	-
04	30-07-2019	25	22705=00	34/21-11-2019	मोटा रेता	-
05	30-07-2019	26	64552=12	19/19-09-2019	सीमेंट	-
06	30-07-2019	27	21326=60	14/19-09-2019	मोटा रेता	-
07	18-08-2019	28	11141=12	27/03-10-2019	सीमेंट	-
08	18-08-2019	30	10232=04	28/03-10-2019	बजरी,मोटारेता	-
09	01-11-2019	61	11796=48	37/21-11-2019	सीमेंट	-
10	02-11-2019	57	11141=00	30/21-11-2019	सीमेंट	-
11	02-11-2019	63	11064=78	45/21-11-2019	बजरी,मोटारेता	-
12	02-11-2019	64	10330=10	35/21-11-2019	बजरी,मोटारेता	-
13	03-11-2019	55	10240=00	36/21-11-2019	सीमेंट	-
14	03-11-2019	65	12311=25	33/21-11-2019	बजरी,मोटारेता	-
15	11-12-2019	87	65536=00	55/20-01-2020	सीमेंट	-
16	11-12-2019	88	59562=72	56/20-01-2020	बजरी,मोटारेता	-
17	28-12-2019	03	15073=28	63/12-02-2020	सीमेंट	-
18	28-12-2019	04	11902=90	67/13-02-2020	बजरी,मोटारेता	-
19	11-02-2020	85	12779=52	76/10-03-2020	सीमेंट	-
20	11-02-2020	86	6153=94	75/10-03-2020	मोटा रेता	-
21	15-02-2020	35	9830=00	73/25-03-2020	सीमेंट	-
22	15-02-2020	37	9611=48	69/25-03-2020	बजरी,मोटारेता	-
	कुल योग		533014=58			

उक्त विवरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि फर्म द्वारा जो क्रमवार व दिनांकवार बिल जारी किया है उसमें से निम्न बिल दिनांक व क्रम के अनुसार संदिग्ध व सत्य से परे प्रतीत होता है। जिसके कारण निम्न बिलों पर किए गए भुगतान रु० 166920=37(रु० एक लाख छ्यासठ हजार नौ सौ बीस व सैंतिस पैसे मात्र) अनियमित व संदिग्ध है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा फर्म से साँठ गाँठ करके कूटरचित ढंग से बिल / अभिलेख तैयार कर आहरित धन रु०166920=37 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या- 256 से 259 की व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधान श्री फरमूद अली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है। संदिग्ध/अनियमित बिलों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं.सं	दिनांक	बिल क्रं.सं	धनराशि	प्रमा०सं०/दिनांक	सामग्री क्रय	फर्म का नाम मैसर्स के०जी०एन० सीमेंट स्टोर, बरेली
02	29-07-2019	22	40128=00	06/02-08-2019	बजरी	-
03	29-07-2019	23	40060=25	05/02-08-2019	बजरी,रेता	-
10	02-11-2019	57	11141=00	30/21-11-2019	सीमेंट	-
13	03-11-2019	55	10240=00	36/21-11-2019	सीमेंट	-
17	28-12-2019	03	15073=28	63/12-02-2020	सीमेंट	-
18	28-12-2019	04	11902=90	67/13-02-2020	बजरी,मोटारेता	-

19	11-02-2020	85	12779=52	76/10-03-2020	सीमेंट	-
20	11-02-2020	86	6153=94	75/10-03-2020	मोटा रेता	-
21	15-02-2020	35	9830=00	73/25-03-2020	सीमेंट	-
22	15-02-2020	37	9611=48	69/25-03-2020	बजरी,मोटारेता	-
	योग		166920=37			

(सा0आ0सं0- 01, ग्रा0पंचा0- नवादा कंजा, वि0ख0- अमरिया)

प्रस्तर सं0- 40 आलोच्य वर्ष 2019-20 मे ग्राम पंचायत मे कराये गए कार्यो हेतु मैसर्स सहारा सीमेंट स्टोर, निसरा, पीलीभीत से निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है।

क्रं सं	दिनांक	बिल क्रं सं	धनराशि	प्रमा०सं०/दिनांक	सामग्री क्रय	फर्म का नाम
01	02-12-2019	129	19261=14	25/08-01-2020	सीमेंट,मौरंग	मैसर्स सहारा सीमेंट स्टोर, निसरा, पीलीभीत
02	08-12-2019	122	46202=80	22/08-01-2020	सीमेंट	
03	08-12-2019	123	43676=11	22/08-01-2020	मोटा रेता, बजरी	

उक्त विवरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 08-12-2019 को फर्म द्वारा बिल क्रं सं 122 व 123 जारी किया है जबकि दिनांक 02-12-2019 को ही फर्म द्वारा बिल क्रं सं 129 जारी किया जा चुका था। जिसके कारण उक्त बिल काल्पनिक व संदिग्ध प्रतीत होता है। इसलिए उक्त बिलो पर किए गए भुगतान अनियमित व संदिग्ध है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा फर्म से साँठ गाँठ करके कूटरचित ढंग से बिल / अभिलेख तैयार कर आहरित धन रु०(46202+43676)=रु० 89878=00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 से 259 की व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मनंद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 01, ग्रा0पंचा0- वगवा, वि0ख0- अमरिया)

प्रस्तर सं0- 41 वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा मे केश बुक के अनुसार पाया कि निम्नलिखित कार्य के सापेक्ष रु० (12824=00+6301=00+15711=00)= रु० 34836=00 भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। वो गत वर्ष से संबन्धित है, परन्तु व्यय की पुष्टि में उक्त कार्य से सम्बंधित संगत अभिलेख यथा बिल/प्रमाणक, गत वर्ष के केश बुक, कार्य योजना, प्राक्कलन, एम०वी०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार बार माँगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। व्यय अपुष्टित रहने के कारण किया गया भुगतान संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है, अभिलेखों के अभाव में स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा फर्म से साँठ गाँठ कर कूटरचित ढंग से बिल / अभिलेख तैयार कर आहरित धन रु०34836=00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या- 256 से 259 की व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधान श्री दाताराम वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मनंद कुमार से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है।

1-कार्य का नाम - मुकेश के घर से बालक राम के घर तक नाला निर्माण

क्रं सं	चेक नं /दिनांक	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट अनुसार भुगतान	कैश बुक अनुसार सामग्री क्रय
01	206/02-04-2019	12824=00	श्री आशीष	मोटा रेता,सीमेंट

2- कार्य का नाम - छोटेलाल से झाड़न लाल व अनोखेलाल के घर तक नाली एवं खड़जा निर्माण

क्रं सं	चेक नं /दिनांक	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट अनुसार भुगतान	कैश बुक अनुसार सामग्री क्रय
01	204/02-04-2019	6301=00	श्री आशीष	सीमेंट,मौरंग

3- कार्य का नाम - प्राथमिक विधालय नवादाश्यामपुर शौचालय व टाइल्स निर्माण

क्रं सं	चेक नं /दिनांक	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट अनुसार भुगतान	कैश बुक अनुसार सामग्री क्रय
213	213/18-04-2019	5695=00	श्री दाताराम वर्मा	मस्टर रोल

212	212/30-04-2019	3600=00	मैसर्स ओम ट्रेडर्स	टाइल्स क्रय
211	211/03-05-2019	6416=00	श्री आरिश	सीमेंट,मौरंग
	योग	15711=00		

**(सा0आ0सं0- 01, ग्रा0पंचा0- नवादा श्यामपुर, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 42** आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में कराये गए कार्यों हेतु मैसर्स सहारा सीमेंट स्टोर, निसरा, पीलीभीत से निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है।

क्रं.सं	दिनांक	बिल सं	धनराशि	प्रमा०सं०/दिनांक	सामग्री क्रय	फर्म का नाम
01	28-11-2019	125	15712=00	27/09-12-2019	मोटा रेटा,सीमेंट	मैसर्स सहारा
02	12-12-2019	119	40304=00	42/12-12-2019	सीमेंट	सीमेंट स्टोर,
03	12-12-2019	120	40861=00	43/12-12-2019	मोटा रेटा,बजरी,सरिया	निसरा, पीलीभीत

उक्त विवरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 12-12-2019 को फर्म द्वारा बिल क्रं सं 119 व 120 जारी किया है जबकि दिनांक 28-11-2019 को ही फर्म द्वारा बिल क्रं सं 125 जारी किया जा चुका था | जिसके कारण उक्त बिल काल्पनिक व संदिग्ध प्रतीत होता है। इसलिए उक्त बिलो पर किए गए भुगतान अनियमित व सदिग्ध है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा फर्म से साँठ गाँठ करके कूटरचित ढंग से बिल / अभिलेख तैयार कर आहरित धन रु०(40304+40861)=रु०81165=00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या- 256 से 259 की व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधान श्री दाताराम वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0- 02, ग्रा0पंचा0- नवादा श्यामपुर, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 43** कलाम के घर से मोहम्मद मिया के घर तक खडंजा व नाली निर्माण हेतु मैसर्स सहारा सीमेंट स्टोर, निसरा पीलीभीत के बिल संख्या 124 दिनांक 04-03-2019 से मोटा रेटा व सीमेंट क्रय का भुगतान चेक संख्या 209 दिनांक 02-04-2019 के द्वारा रुपये 13365.00 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार मैसर्स सहारा सीमेंट स्टोर को भुगतान किया गया है, बिल के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कार्य गत वित्तीय वर्ष से सम्बंधित है, परन्तु व्यय की पुष्टि में उक्त कार्य से सम्बंधित संगत अभिलेख यथा गत वर्ष के कार्य योजना , प्राक्कलन, एम०वी०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र,कैश बुक बार बार माँगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने के कारण किया गया भुगतान संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है, अभिलेखों के अभाव में स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा फर्म से साँठ गाँठ कर कूटरचित ढंग से बिल / अभिलेख तैयार कर आहरित धन रुपये 13365.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या- 256 से 259 की व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधान श्री फारुक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0- 01, ग्रा0पंचा0- निसरा, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 44** रईस के घर से तालाब तक खडंजा व नाली निर्माण हेतु मैसर्स सहारा सीमेंट स्टोर, निसरा पीलीभीत के बिल संख्या 121 दिनांक 01-03-2019 से मोटा रेटा व सीमेंट क्रय का भुगतान चेक संख्या 213 दिनांक 02-04-2019 के द्वारा रुपये 13365.00 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार मैसर्स सहारा सीमेंट स्टोर को किया गया है, बिल के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कार्य गत वित्तीय वर्ष से सम्बंधित है . परन्तु व्यय की पुष्टि में उक्त कार्य से सम्बंधित संगत अभिलेख यथा गत वर्ष के कार्य योजना , प्राक्कलन, एम०वी०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, ,कैश बुक बार बार माँगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने के कारण किया गया भुगतान संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है, अभिलेखों के अभाव में स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा फर्म से साँठ गाँठ कर कूटरचित ढंग से बिल / अभिलेख तैयार कर आहरित धन रुपये 13365.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या - 256 से 259 की व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधान श्री फारुक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0- 02, ग्रा0पंचा0- निसरा, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 45** मुन्नी के घर से खालिद के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण पर रुपया 61420.00 निम्न प्रकार भुगतान किया जाना दर्शित है .

क्र०सं०	चेक न०/ दि०	धनराशि	बिल न० /दि०	फार्म का नाम	क्रय सामग्री का विवरण
1	236/02-04-2019	24200.00	071/01-03-2019	शाहजी ग्राम उधोग अमरिया पीलीभीत	इंटरलॉकिंग, टाइल्स

2	235/02-04-2019	14480.00	175/30-03-2019	मै० शाहजी ब्रिक फील्ड धुन्धरी अमरिया पीलीभीत	ईट न० 1, रोड़ा
3	233/02-04-2019	13427.00	-	श्री फारुक (प्रधान)	एम आर/29-03-2019 To 31-03-2019 मिटटी कार्य / 01-03- 2019
4	234/02-04-2019	9313.00	135/28-03-2019	मै० सहारा सीमेंट स्टोर निसरा पीलीभीत	सीमेंट, मोटा रेटा
	योग	61420.00			

बिलों के अबलोकन से स्पष्ट होता है कि कार्य गत वित्तीय वर्ष से सम्बंधित है . परन्तु व्यय की पुष्टि में उक्त कार्य से सम्बंधित संगत अभिलेख यथा गत वर्ष के कार्य योजना, प्राक्कलन, एम०वी०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कैश बुक बार बार माँगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने के कारण किया गया भुगतान संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है, अभिलेखों के अभाव में स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा फर्म से साठ गाँठ कर कूटरचित ढंग से ₹ 61420=00 का बिल / अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या- 256 से 259 की व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधान श्री फारुक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0- 03, ग्रा0पंचा0- निसरा, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 46** ग्राम पंचायत के वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि दिनांक 15-06-2019 में रुपये 7000.00 का व्यय रमजान माह में ग्राम पंचायत के नालों की गाद सफाई पर व्यय का एम० आर० तथा दिनांक 16-06-2019 में रुपये 30000.00 का व्यय गाद निकासी ट्राली द्वारा भुगतान रसीद के रूप में कैश बुक में दर्शाया गया है, जिसका भुगतान बैंक संख्या 698714 दिनांक 15-06-2019 रुपये 50000.00 का आहरण मोहम्मद अहमद से तथा 698715 दिनांक 16-06-2019 रुपये 50000.00 का आहरण मोहम्मद अकील अहमद से कराकर भुगतान दर्शाया गया है। पुष्टि में मस्टर रोल एवं भुगतान रसीद उपलब्ध नहीं रही | इस प्रकार स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार बैंक से आहरित धन के व्यय की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, विभागीय आदेश व्यय प्रमाणक / बिल वाउचर उपलब्ध नहीं रहने पर व्यय दर्शित धनराशि को "गबन" मानते हुए वसूली किये जाने का प्रावधान है। अतः रुपये 100000.00 ( रु० एक लाख मात्र) की वसूली ग्राम प्रधान मो खुशतर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता से उ० प्र० पंचायती राज नियमावली- 1947 के नियम संख्या - 256 से 259 के प्रावधान अनुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0- 01, ग्रा0पंचा0- भिखारीपुर, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 47** लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक संख्या 698724 दिनांक 01-08-2019 से रुपये 50000.00 का आहरण श्री शमशुल हसन, बैंक संख्या 698725 दिनांक 02-08-2019 से रुपये 50000.00 का आहरण श्री माजिद एवं बैंक संख्या 698726 दिनांक 03-08-2019 से रुपये 49000.00 का आहरण श्री अंसार अहमद कुल रुपये 149500.00 का आहरण कराया गया है, जिससे दिनांक 05-08-2019 में जेसीबी द्वारा बुर्रिया वाला तालाब गाद सफाई व खुदान कराई पर रुपये 149000.00 का व्यय दर्शाया गया है। बैंक बुक में दर्शित व्यय की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, विभागीय आदेश, स्टीमेट, माप पुस्तिका, मस्टर रोल, बिल/वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, अप्राप्त रहने से दर्शित कार्य अपुष्ट रहा |

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार बैंक से आहरित धन के व्यय की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, विभागीय आदेश व्यय प्रमाणक / बिल वाउचर उपलब्ध नहीं रहने पर व्यय दर्शित धनराशि को "गबन" मानते हुए वसूली किये जाने का प्रावधान है। अतः रुपये 149000.00 (रु० एक लाख उन्नचास हजार मात्र) की वसूली ग्राम प्रधान मो खुशतर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता से उ० प्र० पंचायती राज नियमावली- 1947 के नियम संख्या - 256 से 259 के प्रावधान अनुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0- 02, ग्रा0पंचा0-भिखारीपुर, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 48** ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 की कैश बुक में दिनांक 04-04-2019 को लालता प्रसाद के घर से रामचंद्र के घर तक नाली व खडंजा निर्माण हेतु रुपये 20500.00 मस्टर रोल पर व्यय दर्शित है । जिसका भुगतान बैंक संख्या 177 दिनांक 04-04-2019 से ग्राम प्रधान श्री खजान सिंह से रुपये 20500.00 आहरण कराकर दिया जाना दर्शित है । पुष्टि में मस्टर रोल उपलब्ध नहीं रहा । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उपलब्ध पत्रावली अनुसार कार्य 2018-19 से सम्बंधित है । स्टीमेट अनुसार 53 मीटर खडंजा एवं नाली श्रमांश 19793.00 सामग्री 68427.00 कुल 88220.00 उपरोक्त कार्य की माप दिनांक 18-03-

2019 में की गई है, जिसके अनुसार इस कार्य हेतु सामग्री 66267.24 एवं श्रमांश 19088.73 कुल रुपये 85355.97 के व्यय को प्रमाणित किया गया है। संलग्न पत्रावली में कोई भी बिल/ वाउचर, मस्टर रोल संलग्न नहीं रहा, और न ही वर्ष 2018-19 की कैश बुक ही उपलब्ध कराई गई, जिससे इस कार्य पर गत वर्ष किये गए व्यय की जानकारी नहीं की जा सकी। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 18-03-2019 में मापांकन पूर्ण होने के बाद भी मस्टर रोल का भुगतान नहीं किया गया। जो प्रमाणित रुपये 19088.73 से रुपये 1411.27 अधिक है, स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से एम. आर. दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार बैंक से आहरित धन के व्यय की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, विभागीय आदेश व्यय प्रमाणक / बिल वाउचर उपलब्ध नहीं रहने पर व्यय दर्शित धनराशि को "गबन" मानते हुए वसूली किये जाने का प्रावधान है। अतः रुपये 85355.97 (₹ पचासी हजार तीन सौ पचपन एवं सनतानवे पैसे मात्र) की वसूली ग्राम प्रधान मो खुशतर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता से उ० प्र० पंचायती राज नियमावली- 1947 के नियम संख्या- 256 से 259 के प्रावधान अनुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0- 01, गा0पंचा0- सदरपुर, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 49** मदन लाल के घर से लाल बाबा के घर तक 65 मीटर X 2.40 मीटर में मिटटी व खडंजा कार्य (स्टीमेट अनुसार सामग्री रुपये 53980.37, श्रमांश रुपये 14747.56 कुल रुपये 68800.00 ) स्टीमेट पर किसिस भी समय अधिकारी द्वारा तिथि का उल्लेख नहीं क्या गया है। संलग्न माप पुष्टिका की छाया प्रति के अवलोकन में पाया गया कि इस पर कार्य प्रारंभ समाप्त एक मापांकन की तिथि अंकित नहीं पाई, जिससे यह अस्पष्ट रहा कि कार्य किन तिथियों में संपन्न हुआ है। अवर अभियंता (आर ई डी) द्वारा भी अपना नाम पद नाम की मोहर तथा तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। माप पुस्तिका अनुसार सामग्री रुपये 46585.14 एवं श्रमांश रुपये 12762.52 कुल रुपये को प्रमाणित किया है।

1. आज ब्रिक कंपनी गाँव - अभय राजपुर उर्फ नूरपुर जगत रोड, अमरिया, पीलीभीत के बिल संख्या 301/17-02-2020 से 7970 खंजर ईंट 5300 / हजार की दर से कुल 42241.00 तथा 5% GST, 2112.05 कुल रुपये 44353.05 का क्रय दर्शित है। स्टीमेट अनुसार खडंजा 65 X 2.4 = 156 वर्ग मीटर में लगना था। परन्तु माँप अनुसार कार्य 50 X 2.70 = 135 वर्ग मीटर में लगाया जाना दर्शाया गया है। इस प्रकार कुल प्रयुक्त ईंटों की संख्या 50 X 2.7 X 56 = 7965 ईंट, जबकि क्रय 7970 ईंट।
2. भगबन दास पुत्र श्री खेमकरन निवासी- हैदराबाद, विकास खंड अमरिया, को रुपये 2200.00 का भुगतान मिटटी ढुलाई भाग के रूप में किया जाना दर्शित है। उपलब्ध रशीद में कार्य अबधि एवं कितनी मिटटी ढुलाई गई है का विवरण अंकित नहीं है।
3. संलग्न मस्टर रोल अनुसार 2 राज एवं 04 मजदूरों ने कुल 06 लोगों ने 08 दिन कार्य किया है। यह आठ दिन किस माह के है। विवरण अज्ञात रहा। मस्टर रोल पर रुपये 12400.00 का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही 2.40 मीटर चौड़ाई के स्थान पर 2.70 मीटर एवं 65 मीटर लम्बाई के स्थान पर 50 मीटर में खडंजा लगाया जाना, मस्टर रोल में स्पष्ट समय अवधि नहीं दर्शाकर मनमाने ढंग से कार्य कराया जाना दर्शित है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्म से सांठ-गाँठ कर कूटरचित ढंग से अभिलेख तैयार कर व्यय/आहरित धन ₹(44353.05+12400.00+2200.00)=₹58953.05 ₹ अठ्ठावन हजार नौ सौ तिरपन एवं पाँच पैसे मात्र का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उ० प्र० पंचायत राज नियमावली- 1947 के नियम संख्या- 256 से 259 के प्रावधान अनुसार ग्राम प्रधान श्री खजानसिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0- 02, गा0पंचा0- सदरपुर, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 50** हैदरावाद मेन रोड से दयाल सिंह के घर तक 200 मीटर X 3 मीटर = 600 वर्ग मीटर में मिटटी एवं खडंजा कार्य/ पत्रावली में संलग्न स्टीमेट अनुसार कार्य 2018-19 का है, तथा श्रमांश रुपये 50800.00 सामग्री रुपये 197251.00 कुल रुपये 248051.00 का तैयार किया गया है। स्टीमेट यशवीर सिंह तकनीकी सहायक द्वारा तैयार किया गया है जो अधिकृत ही नहीं है, कार्य की एम बी की संलग्न छाया प्रति पर कार्य प्रारंभ एवं समाप्त की तिथि अंकित नहीं है। परन्तु मापांकन की तिथि 30-03-2019 अंकित है तथा मापांकन के अंत में यशवीर सिंह तकनीकी सहायक ने दिनांक 31-03-2019 कि ही तिथि अंकित की है (छाया प्रति संलग्न) इससे स्पष्ट है कि कार्य दिनांक 31-03-2019 में पूर्ण हो चुका है। परन्तु इस कार्य हेतु क्रय की गई सामग्री का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र० सं०	फर्म का नाम	बिल न०/ दिनांक	संख्या	दर (5300/हजार)
1	आज ब्रिक कंपनी, अभय राजपुर उर्फ नूरपुर जगत रोड, अमरिया, पीलीभीत	221/20-11-2019	700	38955
2	आज ब्रिक कंपनी, अभय राजपुर उर्फ नूरपुर जगत रोड, अमरिया, पीलीभीत	220/20-11-2019	7300	40624.50

3	आज ब्रिक कंपनी, अभय राजपुर उर्फ नूरपुर जगत रोड, अमरिया, पीलीभीत	222/20-11-2019	7000	38955
4	आज ब्रिक कंपनी, अभय राजपुर उर्फ नूरपुर जगत रोड, अमरिया, पीलीभीत	219/20-11-2019	7000	38955
5	आज ब्रिक कंपनी, अभय राजपुर उर्फ नूरपुर जगत रोड, अमरिया, पीलीभीत	218/20-11-2019	7000	38955
		योग	35300	196444.50

उपरोक्त विवरणानुसार कुल 35300 ईट की खरीद दिनांक 20-11-2019 को की गई है, जबकि एम बी अनुसार कार्य दिनांक 31-03-2019 को पूर्ण दर्शया गया हैं ।

इसी प्रकार मस्टर रोल पर अवधि वर्ष 2019-20 अंकित है तथा 01 से 25 तक उपस्थिति भी लगी हुई है . परन्तु यह कौन से माह की है अस्पष्ट है जब कार्य की माप दिनांक 31-03-2019 में की जा चुकी है तो फिर 2019-20 में एम आर पर दर्शया गया व्यय संदिग्ध रहा ।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्मों से सांठ-गाँठ कर मनमाने ढंग से अभिलेख/ बिल/ एमआर तैयार कर आहरित धन रुपये (196444.00 + 50000.00)= कुल रुपये 246444.00) ₹ दो लाख छयालीस हजार चार सौ चौवालीस मात्र का अपहरण किया गया है। अतः उ० प्र० पंचायत राज नियमावली- 1947 के नियम संख्या- 256 से 259 के प्रावधान अनुसार ग्राम प्रधान श्री खजानसिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0- 03, गा0पंचा0- सदरपुर, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 51** मंजीत सिंह के घर से रंजीत सिंह के घर तक खडंजा मिटटी कार्य 180 X 2.70 मीटर, स्टीमेट, अनुसार, श्रमांश रुपये 45944.31 सामग्री रुपये 167841.43 समाप्त एवं मापांकन की तिथि अंकित नहीं की गई है और न ही जे ई (आर ई डी) नरेन्द्र जैसल ने अपने हस्ताक्षर के नीचे तिथि का उल्लेख किया है, जिस कारण यह अपष्ट रहा कि कार्य किस अवधि में किया गया है । इस कार्य पर निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

एम आर में कुल 08 श्रमिकों कि उपस्थिति दर्ज की गई है । परन्तु नाम और निवासी अंगूठा सात लोगों के ही है । उपस्थिति भी 01 से 17 तक अंकित है परन्तु यह कौन सा ग्राम है, अंकित अनहि है, जिस कर्ण दर्शित व्यय रुपये 34000.00 अपष्ट रहा ।

**आज ब्रिक कंपनी, अभय राजपुर उर्फ नूरपुर जगत रोड अमरिया पीलीभीत**

बिल / दिनांक	सामग्री	संख्या	दर	धनराशि
303/17-02-2020	खंजर ईट	8360	5300/हजार	46523.40
307/18-02-2020	खंजर ईट	7000	5300/हजार	38955.00
307/18-02-2020	खंजर ईट	6000	5300/हजार	33390.00
309/18-02-2020	खंजर ईट	7000	5300/हजार	38955.0
	योग	28360		157823.40

**मिटटी ढुलाई / फैलाई / भाडा पर**

चिरौंजी लाल पुत्र सालिक राम ,निवासी हैदराबाद	10500.00	अज्ञात
भगबन दास पुत्र खेमकरन , निवासी हैदराबाद	8000.00	अज्ञात

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि संदर्भित कार्य पर कुल रुपये (34000 + 157823 + 18500) = कुल रुपये 210323.00(₹ दो लाख दस हजार तीन सौ तेईस मात्र) का अपहरण फर्मों से सांठ-गाँठ कर, मनमाने ढंग से अभिलेख तैयार कर किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उ० प्र० पंचायत राज नियमावली- 1947 के नियम संख्या- 256 से 259 के प्रावधान अनुसार ग्राम प्रधान श्री खजान सिंह,ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता एवं श्री नरेन्द्र जैसल जे ई (आर ई डी) (सहयोग करने के कारण) से की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0- 04, गा0पंचा0- सदरपुर, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 52** वर्ष दौरान कराये गए कार्य प्रमोद के घर से प्राथमिक विद्यालय तक नाली व इंटरलॉकिंग कार्य की पत्रावली/फाइल की जांच में निम्न अन्तर पाये गए। मैसर्स शाहजी ग्राम उद्योग, अमरिया, पीलीभीत बिल न० - 115/27-10-19/ पेपर ब्लाक 3692 नग रु० 74061=52

क्र सं	सामग्री का नाम	मात्रा क्रय बिल अनुसार	मात्रा प्रयुक्त एमबी अनुसार	अप्रयुक्त अन्तर मात्रा	दर	अन्तर धनराशि
01	पेपर ब्लॉक टाइल्स	3692	2420	1272	20.06	25516.32

एम बी के अनुसार उक्त कार्य मे 2420 नग पेपर ब्लॉक ही प्रयुक्त कि गयी है परन्तु बिल के अनुसार 3692 नग पेपर ब्लॉक क्रय किया गया है, इसप्रकार अप्रयुक्त क्रय मात्रा 1272 नग अधिक क्रय कर राजकीय राजस्व कि क्षति पहुंचाई गयी | जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी का है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानुसार अन्तर राजस्व क्षति की धनराशि रु०25516.32 (रु० पच्चीस हजार पाँच सौ सोलह व बत्तीस पैसे मात्र) कि ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नसरीन बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0- 01, ग्रा0पंचा0- हरायपुर, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 53** वर्ष दौरान कराये गए कार्य बाबू चाचा के घर से शकील के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य पर कैश बुक के अनुसार रु० 131856=00 निम्न प्रकार किया जाना दर्शित है।

क्र सं	दिनांक	चेक सं	धनराशि	चेक जिसके नाम जारी किया गया	सामग्री जो क्रय की गयी
01	12-07-2019	434	5000=00	श्री रहीस अहमद	मिट्टी कार्य
02	15-07-2019	433	63710=00	मैसर्स शाहजी ग्राम उद्योग	पेपर ब्लॉक ईट
03	18-07-2019	431	18990=00	मैसर्स आरिस सीमेंट स्टोर	सीमेंट,मौरंग
04	19-07-2019	430	20000=00	श्री लईक	एम आर
05	25-07-2019	432	24156=00	मैसर्स ज़रा ब्रिक फील्ड	ईट प्रथम, अदधा ईट
	योग		131856=00		

परन्तु उक्त से संबंधित फाइल/पत्रावली मे मात्र स्टीमेट व एम बी ही उपलब्ध रहे, बार-बार मांग किए जाने के बावजूद प्रमाणक/ बिल,प्रशासनिक,तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पंजिका,कार्य योजना इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहे।जिस कारण दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय अपुष्टित रहने के कारण किया गया भुगतान संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है,वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क)के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बंध मे कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है। अभिलेखों के अभाव में स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा फर्म से सांठ गाँठ कर कूटरचित ढंग से बिल / अभिलेख तैयार कर आहरित धन रु० 131856=00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256 से 259 की व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधान श्रीमती नसरीन बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0- 02, ग्रा0पंचा0- हरायपुर, वि0ख0- अमरिया)**

**प्रस्तर सं0- 54** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत मसीत वि० ख० बरखेड़ा, जनपद पीलीभीत के लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम की कोशबही में प्रविष्टि माह जुलाई 2019, से किया गया है। ग्राम विकास अधिकारी श्री पूरण सिंह राना द्वारा अवगत कराया गया की पूर्व ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री राजेश गौतम से माह अप्रैल 2019 से जून 2019 की कोशबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कोटेशन / टेंडर पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण कोशबही में प्रविष्टि जुलाई 2019 से किया गया है ।

सामान्यतया किसी भी संस्था की एक वित्तीय वर्ष की एक ही कोशबही तैयार किया जाता है । एक कोशबही पूर्ण होने के उपरांत ही दूसरी कोशबही में प्रविष्टि किया जाता है । ग्राम पंचायत के लेखे के दृष्टीसे अप्रैल 2019 से जून 2019 तक एक कोशबही पूर्ण होने की सम्भावना से इंकार किया जाता है। अतः स्पष्ट है की पूर्व सचिव द्वारा ग्राम पंचायत की कोशबही तथा अन्य अभिलेख तैयार ही नहीं किया गया, और नहीं, चार्ज में दिया गया ।

अप्रैल 2019 से जून 2019 तक निम्न विवरण अनुसार आहरण की पुष्टि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बरखेड़ा के बैंक खाता संख्या 31542462210 ग्राम निधि प्रथम से होती है -

दिनांक	आहरित धनराशि	प्राप्तकर्ता / आहरणकर्ता
04.04.2019	13800.00	रिजवान
04.04.2019	1200.00	रिजवान
04.04.2019	11300.00	राकेश

04.04.2019	5100.00	राकेश
04.04.2019	25000.00	राजू
04.04.2019	1163.00	ट्रान्सफर
04.04.2019	4674.00	ट्रान्सफर
04.04.2019	7438.00	ट्रान्सफर
04.04.2019	9848.00	ट्रान्सफर
04.04.2019	9162.00	ट्रान्सफर
04.04.2019	6896.00	ट्रान्सफर
06.04.2019	2334.00	अप्राप्त विवरण
06.04.2019	8607.00	अप्राप्त विवरण
15.04.2019	7500.00	नकद आहरण
15.04.2019	20000.00	नकद आहरण
25.04.2019	20000.00	नकद आहरण
26.04.2019	8000.00	ट्रान्सफर
30.04.2019	30100.00	नकद आहरण
09.05.2019	6000.00	दिनेश कुमार
09.05.2019	25000.00	राकेश
16.05.2019	4500.00	ट्रान्सफर
23.05.2019	15300.00	हरीश कुमार
27.05.2019	58212.00	ट्रान्सफर
27.05.2019	26976.00	ट्रान्सफर
01.06.2019	7000.00	तारावती
03.06.2019	2000.00	नकद आहरण
योग	337110.00	

उपरोक्त आहरित/व्यय दर्शित धनराशि रुपये 337110.00 अभिलेखों से पुष्टि नहीं कराये जाने के कारण वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 ( क ) तथा उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256(1) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण रुपये 337110.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती तारावती देवी तथा सचिव श्री राजेश गौतम से ब्याज सहित की जानी चाहिए ।

**(सा0आ0सं0- 11, ग्रा0पंचा0-मसीत, वि0ख0- बरखेड़ा)**

**प्रस्तर सं0- 55** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत पुरैना, वि ख - बरखेड़ा, जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी । लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से ऑनलाइन (रूक्वीजीशन द्वारा ) तथा ऑफलाइन (पत्र के माध्यम से) मूल अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु मांग करने के उपरांत भी, तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिवो (भगवत सरन गंगवार और श्री धरम दास वर्मा) द्वारा वर्ष दौरान आहरित धनराशि की पुष्टि में कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन,टेंडर/कोटेशन पत्रावली, कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । प्रिया सॉफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान आय व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

मद	प्रिया साफ्ट के अनुसार	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार
प्रारम्भिक अवशेष	523857.00	523857.25
वर्ष में प्राप्त	3054027.00	1995004.00
वर्ष में आहरित/ व्यय	2025949.00	1957957.00
वर्षान्त अवशेष	1551935.00	560904.25

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है की, प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष दौरान आय - व्यय की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है, जिसकी पुष्टि भी बैंक अभिलेखों से नहीं होती है ।

वित्त वर्ष 2019-20 में ग्राम प्रधान श्रीमती देव कुमारी तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री भगवत सरन गंगवार तथा श्री धरम दास वर्मा द्वारा क्रमिक रूप से (अपने कार्यकाल के समय) कुल रुपये 1957957.00 का आहरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा-बरखेड़ा के खाता संख्या 31542462414 से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है । परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में कोषबही,व्यय प्रमाणक,प्राक्कलन, टेंडर/कोटेसन पत्रावली, कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ।

पुनः, वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के पुष्टि में अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर ग्राम प्रधान श्रीमती देव कुमारी तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी देव्य श्री भगवत सरन गंगवार तथा श्री धरम दास वर्मा द्वारा आहरित कुल धनराशि रुपये 1957957.00 को अपहरण मानते हुए, उसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती देव कुमारी तथा सचिव श्री भगवत सरन गंगवार तथा श्री धरम दास वर्मा से बराबर - 2 अंशों में (उनके कार्यकालों की पुष्टि उपरांत) उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के किया जाना चाहिए ।

**(सा0आ0सं0- 01गा0पंचा0-पुरैना वि0ख0- बरखेड़ा)**

**प्रस्तर सं0- 56** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत जगीपुर जैतपुर, वि० ख० बरखेड़ा, जनपद पीलीभीत के लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम की कोशबही में प्रविष्टि माह जुलाई 2019 से किया गया है । ग्राम विकास अधिकारी श्री मो. रिजवान द्वारा अवगत कराया गया की पूर्व ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री हरीश भारती से माह अप्रैल 2019 से जून 2019 की कोशबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कोटेसन/टेंडर पत्रावली,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण कोशबही में प्रविष्टि जुलाई 2019 से किया गया है ।

सामान्यतया किसी भी संस्था की एक वित्तीय वर्ष की एक ही कोशबही तैयार किया जाता है । एक कोशबही पूर्ण होने के उपरांत ही दूसरी कोशबही में प्रविष्टि किया जाता है । ग्राम पंचायत के लेखे के दृष्टी से अप्रैल 2019 से जून 2019 तक एक कोशबही पूर्ण होने की सम्भावना से इंकार किया जाता है । अतः स्पष्ट है की पूर्व सचिव द्वारा ग्राम पंचायत की कोशबही तथा अन्य अभिलेख तैयार ही नहीं किया गया, और नहीं, चार्ज में दिया गया ।

अप्रैल 2019 से जून 2019 तक निम्न विवरण अनुसार आहरण की पुष्टि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बरखेडा के बैंक खाता संख्या 31542462378 ग्राम निधि प्रथम से होती है -

दिनांक	आहरित धनराशि	प्राप्तकर्ता/ आहरणकर्ता
04.04.2019	6026.00	नकद / आहरणकर्ता
18.04.2019	55757.00	ट्रान्सफर
24.05.2019	3150.00	नकद आहरण
योग-	64933.00	

उपरोक्त आहरित/व्यय दर्शित धनराशि रुपये 64933.00 अभिलेखों से पुष्टि नहीं कराये जाने के कारण वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 ( क ) तथा उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण रुपये 64933.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सोमवती तथा सचिव श्री हरीश भारती से ब्याज सहित की जानी चाहिए ।

**(सा0आ0सं0- 11, गा0पंचा0-जगीपुर जैतपुर, वि0ख0- बरखेड़ा)**

**प्रस्तर सं0- 57** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत कबूलपुर, वि० ख० बरखेड़ा, जनपद पीलीभीत के लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम की कोशबही में प्रविष्टि माह जुलाई- 2019 से किया गया है । ग्राम विकास अधिकारी श्री मो. रिजवान द्वारा अवगत कराया गया की पूर्व ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री हरीश भारती से माह अप्रैल 2019 से जून 2019 की कोशबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कोटेसन /टेंडर पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण कोशबही में प्रविष्टि जुलाई 2019 से किया गया है ।

सामान्यतया किसी भी संस्था की एक वित्तीय वर्ष की एक ही कोशबही तैयार किया जाता है । एक कोशबही पूर्ण होने के उपरांत ही दूसरी कोशबही में प्रविष्टि किया जाता है । ग्राम पंचायत के लेखे के दृष्टीसे अप्रैल 2019 से जून 2019 तक एक

कोशबही पूर्ण होने की सम्भावना से इंकार किया जाता है। अतः स्पष्ट है की पूर्व सचिव द्वारा ग्राम पंचायत की कोशबही तथा अन्य अभिलेख तैयार ही नहीं किया गया, और नहीं, चार्ज में दिया गया।

अप्रैल 2019 से जून 2019 तक निम्न विवरण अनुसार आहरण की पुष्टि स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, बरखेड़ा के बैंक खाता संख्या 31542462436 ग्राम निधि प्रथम से होती है।

दिनांक	आहरित धनराशि	प्राप्तकर्ता/ आहरणकर्ता
02.04.2019	27825.00	ट्रान्सफर
02.04.2019	22260.00	ट्रान्सफर
02.04.2019	97387.00	ट्रान्सफर
02.04.2019	4612.00	ट्रान्सफर
04.04.2019	28700.00	नकद आहरण
04.04.2019	2350.00	नकद आहरण
04.04.2019	27000.00	नकद आहरण
08.05.2019	1690.00	नकद आहरण
20.05.2019	2449.00	ट्रान्सफर
30.05.2019	11000.00	नकद आहरण
18.06.2019	5000.00	नकद आहरण
योग	230273.00	

उपरोक्त आहरित/व्यय दर्शित धनराशि रुपये 230273.00 अभिलेखों से पुष्टि नहीं कराये जाने के कारण वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) तथा उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण रुपये 230273.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामकुमार तथा सचिव श्री हरीश भारती से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0- 11, ग्रा0पंचा0-कबूलपुर, वि0ख0- बरखेड़ा)**

**प्रस्तर सं0- 58** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत- पतरासा कुंवरपुर, वि० ख० बरखेड़ा, जनपद पीलीभीत के लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम की कोशबही में प्रविष्टि माह जुलाई 2019 से किया गया है। ग्राम विकास अधिकारी श्री मो. रिजवान द्वारा अवगत कराया गया की पूर्व ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री हरीश भारती से माह अप्रैल 2019 से जून 2019 की कोशबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कोटेसन/टेंडर पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण कोशबही में प्रविष्टि जुलाई 2019 से किया गया है।

सामान्यतया किसी भी संस्था की एक वित्तीय वर्ष की एक ही कोशबही तैयार किया जाता है एक कोशबही पूर्ण होने के उपरांत ही दूसरी कोशबही में प्रविष्टि किया जाता है। ग्राम पंचायत के लेखे के दृष्टीसे अप्रैल 2019 से जून 2019 तक एक कोशबही पूर्ण होने की सम्भावना से इंकार किया जाता है। अतः स्पष्ट है की पूर्व सचिव द्वारा ग्राम पंचायत की कोशबही तथा अन्य अभिलेख तैयार ही नहीं किया गया, और नहीं, चार्ज में दिया गया।

अप्रैल 2019 से जून 2019 तक निम्न विवरण अनुसार आहरण की पुष्टि स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, बरखेड़ा के बैंक खाता संख्या 31542462367 ग्राम निधि प्रथम से होती है-

दिनांक	आहरित धनराशि	प्राप्तकर्ता/ आहरणकर्ता
05.04.2019	15000.00	नकद आहरण
24.05.2019	1700.00	नकद आहरण
30.05.2019	51000.00	दिनेश कुमार
31.05.2019	16000.00	नकद आहरण
12.06.2019	24700.00	नकद आहरण
18.06.2019	9350.00	ट्रान्सफर
24.06.2019	11000.00	शमशेर सिंह
28.06.2019	3058.00	ट्रान्सफर
योग-	131808	

उपरोक्त आहरित / व्यय दर्शित धनराशि रुपये 131808.00 अभिलेखों से पुष्टि नहीं कराये जाने के कारण वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) तथा उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानों

के अनुरूप नहीं होने के कारण रुपये 131808.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चमेली देवी तथा सचिव श्री हरीश भारती से ब्याज सहित की जानी चाहिए ।

(सा0आ0सं0- 11, ग्रा0पंचा0-पतरासा कुवंरपुर, वि0ख0- बरखेड़ा)

**प्रस्तर सं0- 59** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत नवादा महेश, वि ख -बरखेड़ा, जनपद- पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित आय - व्यय के आधार पर की गयी । लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से ऑनलाइन (रिक्वीजिशन द्वारा) तथा ऑफलाइन (पत्र के माध्यम से) मूल अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु मांग करने के उपरांत भी, तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिवो (भगवत सरन गंगवार और श्री धरम दास वर्मा) द्वारा वर्ष दौरान आहरित धनराशि की पुष्टि में कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेंडर/कोटेशन पत्रावली, कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । प्रिया सॉफ्ट एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान आय - व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

मद	प्रिया साफ्ट के अनुसार	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार
प्रारम्भिक अवशेष	800025.00	800025.85
वर्ष में प्राप्त	2291967.00	2055051.00
वर्ष में आहरित/ व्यय	2095024.00	2095046.00
वर्षान्त अवशेष	996968.00	760030.85

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है की, प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष दौरान आय व्यय की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है, जिसकी पुष्टि भी बैंक अभिलेखों से नहीं होती है ।

वित्त वर्ष 2019-20 में ग्राम प्रधान श्री महेंद्र पाल तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी द्वय श्री भगवत सरन गंगवार तथा श्री धरम दास वर्मा द्वारा क्रमिक रूप से ( अपने कार्यकाल के समय ) कुल रुपये 2095046.00 का आहरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा - बरखेड़ा के खाता संख्या 31542462323 से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है । परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेंडर / कोटेशन पत्रावली, कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, प्रशासनिक

वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ।

पुनः, वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के पुष्टि में अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर ग्राम प्रधान श्री महेंद्र पाल तथा ग्राम पंचा/विकास अधिकारी द्वय श्री भगवत सरन गंगवार तथा श्री धरम दास वर्मा द्वारा आहरित कुल धनराशि रुपये 2095046 . 00 को अपहरण मानते हुए, उसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेंद्र पाल तथा सचिव श्री भगवत सरन गंगवार तथा श्री धरम दास वर्मा से बराबर - 2 अंशों में (उनके कार्यकालों की पुष्टि उपरांत) उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के किया जाना चाहिए ।

(सा0आ0सं0-01, ग्रा0पंचा0-नवादा महेश, वि0ख0- बरखेड़ा)

**प्रस्तर सं0- 60** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत मुडिया हुलास, वि० ख० बरखेड़ा, जनपद पीलीभीत के लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम की कोषबही में प्रविष्टि माह जुलाई 2019 से किया गया है । ग्राम विकास अधिकारी श्री मो. रिजवान द्वारा अवगत कराया गया की पूर्व ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री हरीश भारती से माह अप्रैल 2019 से जून 2019 की कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कोटेशन/ टेंडर पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण कोषबही में प्रविष्टि जुलाई 2019 से किया गया है ।

सामान्यतया किसी भी संस्था की एक वित्तीय वर्ष की एक ही कोषबही तैयार किया जाता है। एक कोषबही पूर्ण होने के उपरांत ही दूसरी कोषबही में प्रविष्टि किया जाता है । ग्राम पंचायत के लेखे के दृष्टी से अप्रैल 2019 से जून 2019 तक एक कोषबही पूर्ण होने की सम्भावना से इंकार किया जाता है । अतः स्पष्ट है की पूर्व सचिव द्वारा ग्राम पंचायत की कोषबही तथा अन्य अभिलेख तैयार ही नहीं किया गया, और नहीं, चार्ज में दिया गया।

अप्रैल 2019 से जून 2019 तक निम्न विवरण अनुसार आहरण की पुष्टि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बरखेड़ा के बैंक खाता संख्या 31542462378 ग्राम निधि प्रथम से होती है

दिनांक	आहरित धनराशि	प्राप्तकर्ता/ आहरणकर्ता
--------	--------------	-------------------------

02.04.2019	198637.00	ट्रान्सफर
02.04.2019	20834.00	ट्रान्सफर
02.04.2019	15891.00	ट्रान्सफर
02.04.2019	3322.00	ट्रान्सफर
15.04.2019	16275.00	नकद आहरण
18.04.2019	18613.00	ट्रान्सफर
18.04.2019	26067.00	ट्रान्सफर
29.04.2019	19125.00	माखन लाल
29.04.2019	3110.00	माखन लाल
08.05.2019	1690.00	ट्रान्सफर
24.05.2019	7000.00	नकद आहरण
29.06.2019	3058.00	ट्रान्सफर
योग-	154622.00	

उपरोक्त आहरित व्यय दर्शित धनराशि रुपये 154622.00 अभिलेखों से पुष्टि नहीं कराये जाने के कारण वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) तथा उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण रुपये 154622.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नाखन लाल तथा सचिव श्री हरीश भारती से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

(सा0आ0सं0-01, ग्रा0पंचा0-मुडिया हुलास, वि0ख0- बरखेड़ा)

**प्रस्तर सं0- 61** लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत रम्बोड़ा, वि० ख० बरखेड़ा, जनपद पीलीभीत के लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम की कोशबही में प्रविष्टि माह जुलाई 2019 से किया गया है। ग्राम विकास अधिकारी श्री लाल बहादुर मौर्या द्वारा अवगत कराया गया की पूर्व ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री राजेश गौतम से माह अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019 की कोशबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कोटेशन/टेंडर पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण कोशबही में प्रविष्टि अक्टूबर 2019 से किया गया है।

सामान्यतया किसी भी संस्था की एक वित्तीय वर्ष की एक ही कोशबही तैयार किया जाता है। एक कोशबही पूर्ण होने के उपरांत ही दूसरी कोशबही में प्रविष्टि किया जाता है। ग्राम पंचायत के लेखे के दृष्टी से अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019 तक एक कोशबही पूर्ण होने की सम्भावना से इंकार किया जाता है। अतः स्पष्ट है की पूर्व सचिव द्वारा ग्राम पंचायत की कोशबही तथा अन्य अभिलेख तैयार ही नहीं किया गया, और नहीं, चार्ज में दिया गया।

अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019 तक निम्न विवरण अनुसार आहरण की पुष्टि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बरखेड़ा के बैंक खाता संख्या 31542462016 ग्राम निधि प्रथम से होती है।

दिनांक	आहरित धनराशि	प्राप्तकर्ता/ आहरणकर्ता
04.04.2019	20000.00	नकद आहरण
04.04.2019	5000.00	नकद आहरण
04.04.2019	2000.00	नकद आहरण
04.04.2019	6026.00	अप्राप्त विवरण
06.04.2019	7000.00	अप्राप्त विवरण
09.04.2019	7000.00	गंगा देवी
03.05.2019	12000.00	चन्द्रपाल
03.05.2019	8000.00	अभिषेक
07.05.2019	10400.00	विवण अप्राप्त
20.05.2019	19722.00	विवण अप्राप्त
30.05.2019	5000.00	अभिषेक
05.07.2019	3058.00	ट्रान्सफर
05.07.2019	50000.00	ट्रान्सफर

06.07.2019	15000.00	चन्द्रपाल
06.07.2019	25000.00	हरनन्दन
06.07.2019	6200.00	ट्रान्सफर
10.07.2019	5000.00	सोमपाल
10.07.2019	10000.00	ट्रान्सफर
10.07.2019	15000.00	ट्रान्सफर
10.07.2019	10000.00	चन्द्रपाल
10.07.2019	20000.00	चन्द्रपाल
10.07.2019	15000.00	चन्द्रपाल
10.07.2019	10500.00	ट्रान्सफर
10.07.2019	2000.00	हजारी
10.07.2019	50000.00	ट्रान्सफर
10.07.2019	25000.00	ट्रान्सफर
10.07.2019	15000.00	ट्रान्सफर
10.07.2019	40000.00	ट्रान्सफर
11.07.2019	1708.00	ट्रान्सफर
07.08.2019	944.00	EXcess dr.
योग-	421558.00	

उपरोक्त आहरित/व्यय दर्शित धनराशि रुपये 421558.00 अभिलेखों से पुष्टि नहीं कराये जाने के कारण वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) तथा उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 (1) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण रुपये 421558.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गंगा देवी तथा सचिव श्री राजेश गौतम से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-11 ग्रा0पंचा0- रम्बोड़ा वि0ख0- बरखेड़ा)**

**प्रस्तर सं0- 62** ग्राम पंचायत - दुक्सी ,विकास खंड- बीसलपुर जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । प्रिया साफ्ट एवं बैंक खाता संख्या - 06550100032748 बीओबी शाखा बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है-

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
वर्षका प्रारम्भिक अवशेष	91564=00	91564=00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	1179762=00	1058900=00
वर्ष में आहरित / व्यय	709573=00	715599=00
वर्षांत में अवशेषधनराशि	561753=00	434865=00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि रु 715599=00 के सापेक्ष रु 1030 =00 की कटौती बैंक द्वारा चैक बुक चार्ज एवं स्टेटमेंट चार्ज के रूप में की गयी है, शेष शुद्ध आहरण रु 714569=00 की पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए। जिस कारण उक्त आहरित धनराशि पूर्णतः अपुष्टित रही ।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक 28-01-2021 को प्रस्तावित किया गया परंतु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक 10-03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया गया । मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हैं से भी इस संबंध में पत्रांक मेमो -25 दिनांक -28-01-2021, मेमो -38 दिनांक- 24-03-2021, मेमो- 41 दिनांक- 27-03-2021, मेमो- 42 दिनांक- 31-03-2021, मेमो-43 दिनांक-31-03-2021 के माध्यम से अभिलेखों की मांग की गई (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी ।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संपरेश/आ०डि० / 08-09दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शासनादेश संख्या- ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०)को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, पीलीभीत के पत्रांक 1362-65 दिनांक 20-03-2021, पत्रांक 32-33 दिनांक 08-04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा भी जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया, जिसके अनुपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत द्वारा भी पत्रांक 5024 / यो०वि० / 2020-21 दिनांक 25-03-2021 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध करने हेतु पत्र निर्गत किए गए। (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मानेन्द्र सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि रु 714569=00 को अभिलेखों के आभाव में "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री तेजबहादुर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मानेन्द्र सिंह से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- टुक्सी, वि0ख0- बीसलपुर)

**प्रस्तर सं0- 63** ग्राम पंचायत -कितनापुर विकास खंड- बीसलपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक खाता संख्या- 05650100004306 बीओबी शाखा बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है-

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
वर्षका प्रारम्भिक अवशेष	35528.00	35528.90
वर्ष में प्राप्त अनुदान	1448026.00	1817645.00
वर्ष में आहरित / व्यय	1225068.00	1225808.80
वर्षांत में अवशेष धनराशि	258486.90	627365.10

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित / व्यय की गयी धनराशि रु 1225808=80 की पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका, केश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक 16-02-2021 को प्रस्तावित किया गया तथा दिनांक- 15.02.2021 को इन्टीमेशन लैटर प्रेषित किया गया एवं दिनांक- 28.02.2021 को इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किये जे के बाद भी मेरे द्वारा क्रमशः मेमो- -29 दिनांक-16-02-2021, मेमो -34 दिनांक- 05-03-2021, मेमो -38 दिनांक- 24-03-2021, मेमो- 39 दिनांक- 24-03-2021, मेमो-42 दिनांक-31-03-2021, मेमो-43 दिनांक- 31-03-2021 को सहायक विकास अधिकारी (पंच०) /खंड विकास अधिकारी को संबोधित पत्रों के माध्यम से अभिलेखों की मांग की गयी (पत्र की छाया प्रतियां संलग्न) परन्तु न तो लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख ही उपलब्ध कराये गये और न ही किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई पत्राचार ही किया गया। जबकि-

(क) शासनादेश संख्या- ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक- 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली- 1947 के नियम संख्या 199 के अन्तर्गत रोकड वही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ(पी) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु ऐसा न कर एडीओ(पी) द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। जिससे अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि रु 1225808=80 को अभिलेखों के आभाव में "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मानेन्द्र सिंह से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- कितनापुर, वि0ख0- बीसलपुर)

**प्रस्तर सं0- 64** ग्राम पंचायत – अर्जुनपुर विकास खंड- बीसलपुर जनपद – पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक खाता संख्या -06550100004259 बीओबी शाखा बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है –

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	44508=50	44508=00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	1544777=00	1689953=00
वर्ष में आहरित / व्यय	1362095=00	1362538=00
वर्षांत में अवशेषधनराशि	227190=50	371923=00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि रु 1362538=00 के सापेक्ष बैंक कटौती बैंक चार्ज एवं बैंक स्टेटमेंट हेतु के रूप में रु 443=00 की गयी है, इस प्रकार शुद्ध आहरण रु 1362095=00 की पुष्टि मे बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक 03-03-2021 को प्रस्तावित किया गया परंतु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक 10-03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया गया। मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हैं से भी इस संबंध में मेमो -37 दिनांक-15-03-2021, मेमो -38 दिनांक-24-03-2021, 39 दिनांक-24-03-2021 मेमो- 40 दिनांक- 24-03-2021, मेमो- 42 दिनांक- 31-03-2021, मेमो-43 दिनांक- 31-03-2021 के माध्यम से अभिलेखों की मांग की गई (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संपरेश/आ०डि० / 08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शासनादेश संख्या – ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०)को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, पीलीभीत के पत्रांक 1362-65 दिनांक 20-03-2021, पत्रांक 32-33 दिनांक 08-04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा भी जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया, जिसके अनुपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत द्वारा भी पत्रांक 5024 / यो०वि० / 2020-21 दिनांक 25-03-2021 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध करने हेतु पत्र निर्गत किए गए। (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मानेन्द्र सिंहद्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित / व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि रु 1362095=00 को अभिलेखों के आभाव में "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री नरेश चन्द एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मानेन्द्र सिंह से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- अर्जुनपुर, वि0ख0- बीसलपुर)

**प्रस्तर सं0- 65** ग्राम पंचायत - नगरिया फतेहपुर विकास खंड- बीसलपुर जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक खाता संख्या -06550100001499 बीओबी शाखा बीसलपुर,जनपद पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
वर्षका प्रारम्भिक अवशेष	45483=00	45483=55
वर्ष में प्राप्त अनुदान	2016977=00	2136851=00
वर्ष में आहरित / व्यय	1925271=00	1925625=00
वर्षांत में अवशेषधनराशि	137189=00	256709=55

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि रु 1925625=00 के सापेक्ष रु 354 =00 की कटौती बैंक द्वारा चैक बुक चार्ज एवं स्टेटमेंट चार्ज के रूप में की है शुद्ध आहरण रु 1925271=00 की पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका , माँप पुस्तिका , कैश बुक , व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र , लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए। जिस कारण उक्त आहरित धनराशि पूर्णतः अपुष्टित रही ।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक 04-03-2021को प्रस्तावित किया गया परंतु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक 10--03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया गया । मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हैं से भी इस संबंध में पत्रांक मेमो -38 दिनांक-24-03-2021, मेमो- 41 दिनांक-27-03-2021, मेमो-42 दिनांक-31-03-2021, मेमो-43 दिनांक-31-03-2021 के माध्यम से अभिलेखों की मांग की गई (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न )परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी ।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संपरेश/आ०डि० / 08-09दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं । साथ ही शासनादेश संख्या - ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०)को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, पीलीभीत के पत्रांक 1362-65 दिनांक 20-03-2021, पत्रांक 32-33 दिनांक 08-04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा भी जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया, जिसके अनुपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत द्वारा भी पत्रांक 5024 / यो०वि० / 2020-21 दिनांक 25-03-2021 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध करने हेतु पत्र निर्गत किए गए ।(पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न )परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी ।

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमानेन्द्र सिंहद्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है ।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि रु 1925271=00 को अभिलेखों के आभाव में "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चम्पा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मानेन्द्र सिंहसे उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- नगरिया फतेहपुर, वि0ख0- बीसलपुर)

**प्रस्तर सं0- 66** ग्राम पंचायत - पकडिया मंगली विकास खंड- बीसलपुर जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया शाफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । प्रिया शाफ्ट एवं बैंक खाता संख्या -06550100001498 बीओबी शाखा बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया शाफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
वर्षका प्रारम्भिक अवशेष	62207=10	62198=20
वर्ष में प्राप्त अनुदान	1676341=00	1760722=00
वर्ष में आहरित / व्यय	1475641=00	1663861=10
वर्षांत में अवशेष धनराशि	262907=10	159059=10

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि रु 1663861=10 के सापेक्ष बैंक कटौती रु 330=90 एवं ग्राम पंचायत रिछोला सबल को दिनांक 25-11-2019 को बैंक सं. 325 के द्वारा आगनबाडी निर्माण हेतु रु 200000=00 हस्तांतरित किये जाने के उपरांत अवशेष धनराशि रु 1463530=20 की पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पूर्ण लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए। जिस कारण उक्त आहरित धनराशि रु 1463530=20 पूर्णतः अपुष्टित रहा ।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक- 19-02-2021 को प्रस्तावित किया गया परंतु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक 17-03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया गया । मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हैं से भी इस संबंध में पत्रांक मेमो-32 दिनांक-19-02-2021, मेमो -38 दिनांक-24-03-2021, मेमो- 41 दिनांक-27-03-2021, मेमो-42 दिनांक-31-03-2021, मेमो-43 दिनांक-31-03-2021, मेमो-39 दिनांक-24-03-2021, मेमो-45 दिनांक-31-03-2021 के माध्यम से अभिलेखों की मांग की गई। (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संपरेश/आ०डि० / 08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं । साथ ही शासनादेश संख्या - ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०)को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, पीलीभीत के पत्रांक 1362-65 दिनांक 20-03-2021, पत्रांक 32-33 दिनांक 08-04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा भी जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया, जिसके अनुपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत द्वारा भी पत्रांक 5024 / यो०वि० / 2020-21 दिनांक 25-03-2021 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध करने हेतु पत्र निर्गत किए गए । (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी ।

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक वर्मा द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि रु 1463530=20 को अभिलेखों के आभाव में "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राकेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक वर्मा से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के, की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- पकडिया मंगली वि0ख0- बीसलपुर)**

**प्रस्तर सं0- 67** ग्राम पंचायत -चौसर हरदौपट्टी विकास खंड- बीसलपुर जनपद -पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया शाफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । प्रिया शाफ्ट एवं बैंक खाता

संख्या -06550100004262- बीओबी शाखा बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	1596828=00	1596818=00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	733599=00	1578287=00
वर्ष में आहरित / व्यय	1871829=00	2060509=00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	458598=00	1114596=00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि रु 2060509=00 के सापेक्ष बैंक कटौती बैंक चार्ज एवं बैंक स्टेटमेंट हेतु के रूप में रु 0=00 की गयी है, इस प्रकार शुद्ध आहरण रु 2060509=00 की पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, मॉप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक 25-03-2021 को प्रस्तावित किया गया परंतु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक- 24-03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया गया। मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हैं से भी इस संबंध में मेरे पत्रांक -मेमो -40 दिनांक-24-03-2021, मेमो-42 दिनांक-31-03-2021, मेमो-43 दिनांक-31-03-2021 के माध्यम से अभिलेखों की मांग की गई (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संपरेश/आ०डि० / 08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शासनादेश संख्या -ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, पीलीभीत के पत्रांक 1362-65 दिनांक 20-03-2021, पत्रांक 32-33 दिनांक 08-04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा भी जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया, जिसके अनुपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत द्वारा भी पत्रांक 5024 / यो०वि० / 2020-21 दिनांक 25-03-2021 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध करने हेतु पत्र निर्गत किए गए। (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी- श्री मानेन्द्र सिंहद्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार आहरित / व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित / व्यय की गई धनराशि रु 2060509=00 को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित / व्यय की गई धनराशि रु 2060509=00 को अभिलेखों के आभाव में "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेंद्र प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री मानेन्द्र सिंह से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- चौसर हरदोपट्टी, वि0ख0- बीसलपुर)**

**प्रस्तर सं0- 68** ग्राम पंचायत - सितारगंज नवदिया विकास खंड- बीसलपुर जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक खाता संख्या -06550100001504 बीओबी शाखा बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
वर्षका प्रारम्भिक अवशेष	70320	40605.05
वर्ष में प्राप्त अनुदान	1370120.00	2016584.00

वर्ष में आहरित / व्यय	1421258.00	1422343.60
वर्षात में अवशेष धनराशि	19182.00	634845.45

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि रु 1422343.60 के सापेक्ष बैंक कटौती (बैंक चार्ज एवं बैंक स्टेटमेंट हेतु रु. 377.60 एवं दिनांक- 04.04.2019 को चैक सं0- 278 के द्वारा रु. 28200.00 का गलत लेखा बैंक द्वारा पारित होने के कारण वर्ष के आय-व्यय जमा व निकासी का विवरण अंकित हो गया है। इस प्रकार रु.28577.60 को छोड़कर अवशेष शुद्ध आहरण रु 1393766.00 की पुष्टि में बार-बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, मॉप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए रही।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक- 24.02.2021 को प्रस्तावित किया गया परंतु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक 10-03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया गया । मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हैं से भी इस संबंध में मेरे पत्रांक- 37 दिनांक- 15.03.2021 पत्रांक मेमो -38 दिनांक-24-03-2021, मेमो- 41 दिनांक-27-03-2021, मेमो-42 दिनांक-31-03-2021, मेमो-43 दिनांक-31-03-2021 के माध्यम से अभिलेखों की मांग की गई (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी ।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संपरेश/आ०डि० / 08-09दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं साथ ही शासनादेश संख्या - ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०)को नोडल अधिकारी नामित किया गया है कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, पीलीभीत के पत्रांक 1362-65 दिनांक 20-03-2021, पत्रांक 32-33 दिनांक 08-04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा भी जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया , जिसके अनुपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत द्वारा भी पत्रांक 5024 / यो०वि० / 2020-21 दिनांक 25-03-2021 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध करने हेतु पत्र निर्गत किए गए ।(पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न )परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी ।

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमानेन्द्र सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है ।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि रु 1393766.00 को अभिलेखों के आभाव में "गबन" की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मती शहाना बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मानेन्द्र सिंह से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- सितारगंज नवदिया, वि0ख0- बीसलपुर)**

**प्रस्तर सं0- 69** ग्राम पंचायत - परसिया उर्फ परासी विकास खंड- बीसलपुर जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक खाता संख्या -06550100004171 बीओबी शाखा बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
वर्षवका प्राम्भिक अवशेष	853085=00	853085=00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	196268=00	1518973=00
वर्ष में आहरित / व्यय	426489=00	1738472=00
वर्षात में अवशेषधनराशि	622864=00	633586=00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि रु 1738472=00 के सापेक्ष बैंक कटौती बैंक चार्ज एवं बैंक स्टेटमेंट हेतु के रूप में रु 974=00 की गयी है ,इस प्रकार शुद्ध आहरण रु 1737498=00 की पुष्टि में बार बार मांगे

जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक 19-02-2021 को प्रस्तावित किया गया परंतु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक 04-03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया गया। मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हैं से भी इस संबंध में मेरे पत्राक -मेमो -33 दिनांक-19-02-2021, पत्राक -मेमो -37 दिनांक-15-03-2021, पत्राक -मेमो -38 दिनांक- 24-03-2021, पत्राक -मेमो-39 दिनांक- 24-03 2021-, मेमो-42 दिनांक-31-03-2021, मेमो-43 दिनांक-31-03-2021 के माध्यम से अभिलेखों की मांग की गई (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न )परन्तुअभिलेखोके उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी ।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संपरेश/आ०डि० / 08-09दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओ से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं ।साथ ही शासनादेश संख्या - ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०)को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत,पीलीभीत के पत्रांक 1362-65 दिनांक 20-03-2021, पत्रांक 32-33 दिनांक 08-04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा भी जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया , जिसके अनुपालन मे जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत द्वारा भी पत्रांक 5024 / यो०वि० / 2020-21 दिनांक 25-03-2021 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध करने हेतु पत्र निर्गत किए गए। (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी ।

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीविवेक वर्मा द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसारआहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है ।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि रु 1737498=00 को अभिलेखों के आभाव में “गबन” की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री विद्यास्वरूप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक वर्मा से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- परसिया उर्फ परासी, वि0ख0- बीसलपुर)**

**प्रस्तर सं0- 70** ग्राम पंचायत -अकबर गंज सिमरा विकास खंड- बीसलपुर जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई। प्रिया साफ्ट एवं बैंक खाता संख्या -06550100001479 बीओबी शाखा बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
वर्षका प्रारम्भिक अवशेष	635894=50	635894=50
वर्ष मेंप्राप्त अनुदान	1313229=00	1562610=00
वर्ष में आहरित / व्यय	1720020=00	1662374=00
वर्षांत में अवशेषधनराशि	229103=50	536130=50

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि रु1662374=00 के सापेक्ष बैंक कटौती बैंक चार्ज एवं बैंक स्टेटमेंट हेतु के रूप में रु 620=00 की गयी है ,इस प्रकार शुद्ध आहरण रु 1661754=00 की पुष्टि मे बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माँप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक 23-03-2021 को प्रस्तावित किया गया परंतु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक 24-03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया गया । मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा

करते हैं से भी इस संबंध में, 39 दिनांक-24-03-2021-, मेमो-42 दिनांक-31-03-2021, मेमो-43 दिनांक-31-03-2021के माध्यम से अभिलेखों की मांग की गई (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी ।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संपरेश/आ०डि० / 08-09दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं । साथ ही शासनादेश संख्या - ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, पीलीभीत के पत्रांक 1362-65 दिनांक 20-03-2021, पत्रांक 32-33 दिनांक 08-04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा भी जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया, जिसके अनुपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत द्वारा भी पत्रांक 5024 / यो० वि० / 2020-21 दिनांक 25-03-2021 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध करने हेतु पत्र निर्गत किए गए । (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी ।

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक वर्मा द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है ।

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि रु 1661754=00 अभिलेखों के आभाव में “गबन” की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री छोटे लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक वर्मा से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0-01 गा0पंचा0- अकबरगंज सिमरा, वि0ख0- बीसलपुर)**

**प्रस्तर सं0- 71** ग्राम पंचायत- कनगवा विकास खंड- बीसलपुर जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि के आधार पर संपन्न की गई । प्रिया साफ्ट एवं बैंक खाता संख्या- 06550800032738 बीओबी शाखा बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	प्रिया साफ्ट अनुसार	बैंक स्टेटमेंट अनुसार
वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	184203=00	25327=00
वर्ष में प्राप्त अनुदान	620802=00	1119500=00
वर्ष में आहरित / व्यय	517735=00	977971=00
वर्षांत में अवशेष धनराशि	287270=00	166856=00

उक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष में आहरित की गई धनराशि रु 977971=00 के व्यय की पुष्टि में बार बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, मॉप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए। जिस कारण उक्त आहरित धनराशि पूर्णतः अपुष्टित रही ।

लेखा परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रोग्राम दिनांक 29-01-2021 को प्रस्तावित किया गया परंतु लेखा परीक्षा हेतु समस्त संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया दिनांक 04-03-2021 को बिना अभिलेख उपलब्ध कराये ही मात्र इन्टीमेशन लैटर स्वीकार किया गया । मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायत के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हैं से भी इस संबंध में पत्रांक मेमो- 34 दिनांक 05-03-2021, मेमो -35 दिनांक-10-03-2021 , मेमो-36 दिनांक- 12-03-2021, मेमो -37 दिनांक-15-03-2021, मेमो -38 दिनांक- 24-03-2021, मेमो- 41 दिनांक- 27-03-2021, मेमो-42 दिनांक- 31-03-2021, मेमो-43 दिनांक- 31-03-2021के माध्यम से अभिलेखों की मांग की गई (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी ।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास महोदय के द्वारा भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संपरेश/आ०डि० / 08-09 दिनांक 15-01-2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेखों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एवं पंचायतों को ऑडिट कार्य संपन्न कराए

जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं | साथ ही शासनादेश संख्या - ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनांक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचा०)को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायते, पीलीभीत के पत्रांक 1362-65 दिनांक 20-03-2021, पत्रांक 32-33 दिनांक 08-04-2021 एवं पत्रांक 67-68 दिनांक 17-04-2021 के द्वारा भी जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को अभिलेख उपलब्धता हेतु अवगत कराया गया , जिसके अनुपालन में जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत द्वारा भी पत्रांक 5024 / यो०वि० / 2020-21 दिनांक 25-03-2021 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध करने हेतु पत्र निर्गत किए गए | (पत्र की छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ संलग्न ) परन्तु अभिलेखों के उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी |

इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक वर्मा द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए | पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार आहरित /व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित /व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है |

अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित /व्यय की गई धनराशि रु 977971=00 को अभिलेखों के आभाव में "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मती अर्चना गंगवार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक वर्मा से उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्रावधानानुसार मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- कनगवां, वि0ख0- बीसलपुर)**

**प्रस्तर सं0- 72** लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत -खान्डेपुर विकास खण्ड-बीसलपुर जनपद- पीलीभीत की ग्राम निधि प्रथम की उपलब्ध करायी गयी कैश बुक कि जाँच में पाया गया, कि कैशबुक में माह सितम्बर - 2019 से आगे की आय - व्यय से सम्बन्धी प्रविष्टियाँ अंकित की गयी हैं | इस प्रकार स्पष्ट है कि माह अप्रैल-2019 से माह अगस्त - 2019 तक की कैशबुक में व्यय सम्बन्धी कोई भी प्रविष्टि अंकित नहीं पायी गयी | ग्राम पंचायत पर कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश गौतम द्वारा अबगत कराया गया, कि तत्कालीन ग्रा0पंचायत / वि० अधि0 श्री विवेक वर्मा द्वारा चार्ज में व्यय सम्बन्धी कोई भी अभिलेख ( कैशबुक, व्यय प्रमाणक प्राक्कलन, कार्यपूति प्रमाण पत्र ) उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे स्पष्ट है कि पूर्व में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक वर्मा द्वारा दिनांक 01-04-2019 से दिनांक 30-09-2019 तक कैशबुक को तैयार ही नहीं किया गया और न ही चार्ज में दिया गया जबकि उक्त अवधि में बैंक खाता संख्या - 17470100004287 बीओबी शाखा अमृता खास - बीसलपुर जनपद पीलीभीत से निम्न विवरण अनुसार धनराशि को आहरित किया गया है | आहरण का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं०	दिनांक	चैक सं०	आहरण कर्ता का नाम	आहरित धनराशि रु. में
1	02.04.2019	297	वर्क आई डी	7875.00
2	02.04.2019	302	वर्क आई डी	5600.00
3	02.04.2019	324	वर्क आई डी	23000.00
4	02.04.2019	323	नगद	26250.00
5	02.04.2019	320	ईईईडी पीलीभीत	19187.00
6	03.04.2019	298	ओम ब्रिक्स फील्ड	20000.00
7	03.04.2019	296	ओम ब्रिक्स फील्ड	12469.00
8	03.04.2019	300	नेशनल कान्ट्रेक्टर्स	48000.00
9	03.04.2019	301	नेशनल कान्ट्रेक्टर्स	58500.00
10	04.04.2019	325	बालाजी बिल्डिंग मेटेरियल	9175.00
11	04.04.2019	299	बालाजी बिल्डिंग मेटेरियल	2475.00
12	04.04.2019	322	बालाजी बिल्डिंग मेटेरियल	12500.00
13	09.04.2019	303	श्री इमरान अहमद	5000.00
14	09.04.2019	305	श्रीमती प्रेमो देवी	10500.00
15	09.04.2019	306	नेशनल कान्ट्रेक्टर्स	82000.00
16	09.04.2019	307	नेशनल कान्ट्रेक्टर्स	61500.00
17	10.04.2019	304	कुमार एग््रीकल्चर मशीनरी स्टोर	19500.00

18	15.04.2019	309	श्रीमती प्रेमो देवी	7000.00
19	16.04.2019	308	महेश सिंह	8000.00
20	06.05.2019	266	श्री विवेक वर्मा	14924.00
21	06.05.2019	267	श्रीमती प्रेमो देवी	24934.00
22	06.05.2019	310	ओम ब्रिक्स फील्ड	40000.00
23	06.06.2019	268	सुचित्रा	1700.00
24	13.06.2019	270	श्री पातीराम	3000.00
25	02.07.2019	273	श्रीमती प्रेमो देवी	10500.00
26	02.07.2019	274	श्री मोहित कुमार	4750.00
27	02.07.2019	275	ओम ब्रिक्स फील्ड	55650.00
28	03.07.2019	271	साइकृपा	63485.00
29	05.07.2019	272	कुमार एग्रीकल्चर मशीनरी स्टोर	17853.00
30	08.07.2019	278	श्रीमती प्रेमो देवी	20000.00
31	08.07.2019	277	श्रीमती प्रेमो देवी	20000.00
32	09.07.2019	276	श्री पातीराम	5860.00
33	12.07.2019	279	श्री विवेक वर्मा	45000.00
34	12.07.2019	328	श्री महेश	5000.00
35	12.07.2019	280	श्रीमती प्रेमो देवी	15000.00
36	12.07.2019	327	श्रीमती प्रेमो देवी	35000.00
37	12.07.2019	326	श्रीमती प्रेमो देवी	35000.00
38	16.07.2019	331	श्री विवेक वर्मा	15000.00
39	16.07.2019	329	ओम टाइल्स	130550.00
40	16.07.2019	330	श्रीमती प्रेमो देवी	20000.00
41	20.07.2019	333	टू ट्रान्सफर	60900.00
42	20.07.2019	332	टू ट्रान्सफर	60900.00
43	01.08.2019	334	श्रीमती प्रेमो देवी	20000.00
			<b>योग-</b>	<b>1163537.00</b>

उक्त विवरण अनुसार दिनांक 01-04-2019 से 16-07-2019 तक कुल ₹0 1163537=00 का आहरण किया गया है, जिसके व्यय की पुष्टि में बार बार अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख (केशबुक, व्यय प्रमाणक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, उपभोग प्रमाण पत्र, राक्षम अधिकारी की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट संबंधित कार्यों के फोटो ग्राफ्स ) लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिस कारण आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जिससे ₹ 116353700 का आहरण पूर्णतः अपुष्ट रहा। जबकि वित्त लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय के पुष्टि में व्यय प्रमाणक / संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आहरित धनराशि ₹ 1163537=00 को अभिलेखों के आभाव में गबन मानते हुए | वसूली किये जाने का प्रावधान है। जिसकी वसूली उ०प्र० पंचायती राज नियमावली - 1947 के नियम संख्या - 256 से 259 तक के प्रावधान अन्तर्गत उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री मती प्रेमो देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विवेक वर्मा से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

(सा0आ0सं0-01 गा0पंचा0- खाण्डेपुर, वि0ख0- बीसलपुर)

**प्रस्तर सं0- 73** लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत - अहिरवाडा, विकास खण्ड - बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत की ग्राम निधि प्रथम की उपलब्ध करायी गयी केश बुक कि जाँच में पाया गया, कि केशबुक में दिनांक 17-07-2019 से आगे की आय व्यय से सम्बन्धी प्रविष्टियाँ अंकित की गयी हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि माह अप्रैल - 2019 से दिनांक 16-07-2019 तक की केशबुक में कोई भी प्रविष्टि अंकित नहीं पायी गयी | ग्राम पंचायत पर कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश गौतम द्वारा अबगत कराया गया, कि तत्कालीन गा0पंचायत / वि० अधि0 श्री विवेक वर्मा द्वारा चार्ज में व्यय सम्बन्धी कोई भी अभिलेख ( केशबुक, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ) उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे स्पष्ट है कि पूर्व में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक वर्मा द्वारा दिनांक 01-04-

2019 से दिनांक 16-07-2019 तक केशबुक को तैयार ही नहीं किया गया और न ही चार्ज में दिया गया जबकि उक्त अवधि में बैंक खाता संख्या - 17470100004287 - बीओबी शाखा - अमृता खास बीसलपुर जनपद पीलीभीत से निम्न विवरण अनुसार धनराशि आहरित किया गया है आहरण का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं०	दिनांक	चैक सं०	आहरण कर्ता का नाम	आहरित धनराशि रु. में
1	03.04.2019	350	नेशनल	21500.00
2	03.04.2019	348	नेशनल	88000.00
3	03.04.2019	349	नेशनल	88000.00
4	06.04.2019	311	श्री इमरान अहमद	5000.00
5	08.04.2019	352	श्रीराम लडैते ग्राम प्रधान	7000.00
6	08.04.2019	354	मै० अंकित पाइप एंड मशीनरी स्टोर	16750.00
7	09.04.2019	351	श्री पंकज वर्मा	2000.00
8	16.04.2019	355	श्री नन्हेलाल	4900.00
9	03.05.2019	356	श्री नन्हेलाल	6400.00
10	06.06.2019	357	श्रीमती सुचित्रा	1700.00
11	01.07.2019	260	श्री विवेक वर्मा	15000.00
12	04.07.2019	257	श्री विवेक वर्मा	27500.00
13	01.07.2019	258	श्रीराम लडैते ग्राम प्रधान	27500.00
14	01.07.2019	261	श्रीराम लडैते ग्राम प्रधान	15000.00
15	01.07.2019	262	श्री नवनीत कुमार	9990.00
16	01.07.2019	259	मै० भारत इंटर प्रा.	99990.00
17	01.07.2019	256	मै० भारत इंटर प्रा.	54000.00
18	01.07.2019	359	ओम ब्रिक फील्ड	22240.00
19	01.07.2019	258	ओम ब्रिक फील्ड	22240.00
20	02.07.2019	263	श्रीराम लडैते ग्राम प्रधान	10500.00
21	05.07.2019	366	श्री विवेक वर्मा	36300.00
22	05.07.2019	365	श्रीराम लडैते ग्राम प्रधान	36300.00
23	05.07.2019	361	श्रीराम लडैते ग्राम प्रधान	65125.00
24	05.07.2019	364	श्री विवेक वर्मा	30000.00
25	05.07.2019	264	श्रीराम लडैते ग्राम प्रधान	10000.00
26	05.07.2019	363	श्री सत्यवान अवस्थी	2000.00
27	05.07.2019	362	श्री पातीराम	5860.00
28	05.07.2019	367	श्रीराम लडैते ग्राम प्रधान	20000.00
29	05.07.2019	369	श्रीराम लडैते ग्राम प्रधान	21500.00
30	05.07.2019	370	श्री विवेक वर्मा	21500.00
31	05.07.2019	371	श्री विवेक वर्मा	25000.00
32	05.07.2019	368	श्री विवेक वर्मा	20000.00
33	05.07.2019	372	श्रीराम लडैते ग्राम प्रधान	18000.00
34	05.07.2019	373	श्री विवेक वर्मा	18000.00
35	05.07.2019	374	श्री विवेक वर्मा	6800.00
36	05.07.2019	375	श्रीराम लडैते ग्राम प्रधान	15000.00
37	05.07.2019	335	श्रीराम लडैते ग्राम प्रधान	15000.00
38	05.07.2019	331	श्री विवेक वर्मा	15000.00

39	05.07.2019	336	श्री विवेक वर्मा	25000.00
40	05.07.2019	332	ओम ब्रिक्स	25000.00
41	05.07.2019	334	ओम ब्रिक्स	55650.00
42	05.07.2019	337	मै0 कश्यप सीमेंट स्टोर	6000.00
			<b>योग-</b>	<b>1038245.00</b>

उक्त विवरण अनुसार दिनांक 01-04-2019 से 16-07-2019 तक कुल रू0 1038245=00 का आहरण किया गया है, जिसके व्यय की पुष्टि में बार बार अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख (कैशबुक, व्यय प्रमाणक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, उपभोग प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट, संबंधित कार्यों के फोटो ग्राफ्स ) लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये | जिस कारण आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जिससे रू 1038245=00 का आहरण पूर्णतः अपुष्ट रहा | जबकि वित लेखा मैनुयल के अध्याय -8 के पैरा -8 क के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय के पुष्टि में व्यय प्रमाणक / संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आहरित धनराशि रू 1038245=00 को अभिलेखों के आभाव में गबन मानते हुए | वसूली किये जाने का प्रावधान है। जिसकी वसूली उ०प्र० पंचायती राज नियमावली - 1947 के नियम संख्या - 256 से 259 तक के प्रावधान अन्तर्गत उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री राम लडेटे एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विवेक वर्मा से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- अहिरवाडा, वि0ख0- बीसलपुर)**

**प्रस्तर सं0- 74** लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत चन्दपुरा विकास खण्ड - बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत की ग्राम निधि प्रथम की उपलब्ध करायी गयी कैश बुक कि जाँच में पाया गया, कि कैशबुक में माह मई- 2019 से माह जनवरी 2020 तक की आय व्यय से संबंधित प्रविष्टियाँ अंकित पायी गयी हैं | शेष प्रविष्टियाँ माह अप्रैल-2019 एवं माह फरवरी -2020, माह मार्च - 2020 तक की कैशबुक में अंकित नहीं पायी गयी, और न ही में व्यय सम्बन्धी कोई भी प्रविष्टि अंकित नहीं पायी गयी | और न ही उक्त माहों में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक वर्मा द्वारा व्यय सम्बन्धी कोई भी अभिलेख ( कैशबुक, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ) उपलब्ध कराये गये। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक वर्मा द्वारा माह अप्रैल - 2019 एवं माह फरवरी - 2020 माह मार्च - 2020 तक की कैशबुक व अन्य संगत अभिलेखों को तैयार ही नहीं किया गया है। जबकि उक्त अवधि में बैंक खाता संख्या - 06550100001496 बीओबी शाखा - बीसलपुर, जनपद पीलीभीत से निम्न विवरण अनुसार धनराशि को आहरित किया गया है | आहरण का विवरण निम्न प्रकार से है-

क्रम सं0	दिनांक	चैक सं0	आहरण कर्ता का नाम	आहरित धनराशि रू. में
1	13.03.2020	पी एफ एम एस- आर032000723415	विवरण अंकित नहीं	11700.00
2	13.03.2020	पी एफ एम एस- आर032000724326	विवरण अंकित नहीं	5460.00
3	13.03.2020	पी एफ एम एस- आर032000720891	विवरण अंकित नहीं	4550.00
4	13.03.2020	पी एफ एम एस- आर032000728230	विवरण अंकित नहीं	10530.00
5	13.03.2020	पी एफ एम एस- आर032000726532	विवरण अंकित नहीं	5460.00
6	13.03.2020	पी एफ एम एस- आर032000726510	विवरण अंकित नहीं	133560.00
7	13.03.2020	पी एफ एम एस- आर032000733387	विवरण अंकित नहीं	9280.00
8	13.03.2020	पी एफ एम एस- आर0320007733401	विवरण अंकित नहीं	5460.00
9	13.03.2020	पी एफ एम एस- आर032000734269	विवरण अंकित नहीं	7915.00

			योग-	193915.00
--	--	--	------	-----------

उक्त विवरण अनुसार केवल दिनांक 13-03-2020 में ही कुल रु 193915=00 का आहरण किया गया है, और माह अप्रैल - 2020 माह फरवरी - 2020 मार्च - 2020 की अन्य तिथियों में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरण नहीं किया गया है, मात्र दिनांक 13-03-2020 में ही आहरण किया गया है 1 जिसके व्यय की पुष्टि हेतु बार - बार अभिलेखों की मांग किये जाने के वावजूद कोई भी अभिलेख (कैशबुक, व्यय प्रमाणक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट, संबंधित कार्यों के फोटो ग्राफ्स ) लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिस कारण आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी एव रु 193915 - 00का आहरण अभिलेखों के आभाव में पूर्णतः अपुष्ट रहा । जबकि वित्त लेखा मैनुयल के अध्याय -8 के पैरा -8 क के अनुसार आहरित धनराशि के व्यय के पुष्टि में व्यय प्रमाणक / संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने कीस्थिति में आहरित धनराशि रु 193915=00 को अभिलेखों के आभाव में गबन मानते हुए। वसूली किये जाने का प्रावधान है। जिसकी वसूली उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 तक के प्रावधान अन्तर्गत उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री नूरहसन एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विवेक वर्मा से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- चन्दपुरा, वि0ख0- बीसलपुर)**

**प्रस्तर सं0- 75** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत हरचुड़या के ग्राम निधि-1 प्रिया साफ्ट के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 668592.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एव पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका अनुमोदित कार्ययोजना टेण्डर/कुटेशन पत्रावली प्रशासनिक वित्तीय तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन कोषवही सामग्री क्रय आदेश बिल-बाउचर एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पभोग प्रमाण पत्रमस्टर रोल जी0एस0टी0 पंजिका टी0डी0एस0 कटौती पंजिका स्टोर पंजिका परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे अंकन रु 668592.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः उ0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 668592.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री श्याम बिहारी तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री कमल किशोर, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- हरचुड़या, वि0ख0- ललौरीखेड़ा)**

**प्रस्तर सं0- 76** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत भगवन्तपुर बड़ेडा के ग्राम निधि-1 प्रिया साफ्ट के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 1984873.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एव पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 1984873.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः उ0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 1984873.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ओमवती सरोज तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री कमल किशोर, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- भगवन्तपुर बड़ोड़ा, वि0ख0- ललौरीखेड़ा)**

**प्रस्तर सं0- 77** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत प्यास के ग्राम निधि-1 प्रिया साफ्ट के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 821332.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एव पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 821332.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 821332.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री कमल किशोर, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- प्यास, वि0ख0- ललौरीखेड़ा)**

**प्रस्तर सं0- 78** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत मगरासा के ग्राम निधि-1 प्रिया साफ्ट के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 727924.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एव पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 727924.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 727924.00.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुरजा देवी तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री कमल किशोर, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- मगरासा, वि0ख0- ललौरीखेड़ा)**

**प्रस्तर सं0- 79** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत खरुआ के ग्राम निधि-1 प्रिया साफ्ट के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 999690.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एव पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश,

बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 999690.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 999690.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ती देवी तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री कमल किशोर, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- खरुआ, वि0ख0- ललौरीखेड़ा)**

**प्रस्तर सं0- 80** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत शिवपुरिया के ग्राम निधि-1 प्रिया साफ्ट के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 1362932.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 1362932.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 1362932.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री कमल किशोर, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- शिवपुरिया, वि0ख0- ललौरीखेड़ा)**

**प्रस्तर सं0- 81** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत भानपुर के ग्राम निधि-1 खाते के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 1101674.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 1101674.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 1101674.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती दयावती तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री कमल किशोर, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- भानपुर, वि0ख0- लनौरीखेड़ा)**

**प्रस्तर सं0- 82** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत हाण्डा के ग्राम निधि-1 प्रिया साफ्ट के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 776032.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एव पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 776032.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 776032.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नत्थो देवी तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री कमल किशोर, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- हाण्डा, वि0ख0- लनौरीखेड़ा)**

**प्रस्तर सं0- 83** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत पौटा कलां के ग्राम निधि-1 खाते के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 4123288.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एव पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 4123288.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 4123288.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रूखसाना बेगम तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्रीमती रोशनी वर्मा, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- पौटाकलां, वि0ख0- लनौरीखेड़ा)**

**प्रस्तर सं0- 84** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम रुरिया धुरिया के ग्राम निधि-1 के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 888635.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एव पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर

पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 888635.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 4123288.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लज्जावती देवी तथा ग्राम विकास अधिकारी, विजय तिवारी, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 गा0पंचा0- रुरिया धुरिया, वि0ख0- बिलसण्डा)**

**प्रस्तर सं0- 85** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत तिल्छी के ग्राम निधि-1 खाते के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 1015795.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (गा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन गा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 1015795.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 1015795.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता देवी तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री रितेश शुक्ला, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 गा0पंचा0- तिल्छी, वि0ख0- बिलसण्डा)**

**प्रस्तर सं0- 86** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत मरैना के ग्राम निधि-1 खाते के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 1886974.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (गा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन गा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 1886974.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 1015795.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता देवी तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री विजय तिवारी, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- मरैना, वि0ख0- बिलसण्डा)**

**प्रस्तर सं0- 87** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत इलाहाबास सिमरा के ग्राम निधि-1 के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 957697.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एव पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 957697.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः उ0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 1015795.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री छेदालाल तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री रफीउल्लाह, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- इलाहाबास सिमरा, वि0ख0- बिलसण्डा)**

**प्रस्तर सं0- 88** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत मन्निया के ग्राम निधि-1 खाते के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 427071.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एव पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 427071.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः उ0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 1015795.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विरेश सिंह तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री विजय तिवारी, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- मन्निया, वि0ख0- बिलसण्डा)**

**प्रस्तर सं0- 89** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत लिलहर के ग्राम निधि-1 खाते के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 2427804.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एव पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 2427804.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 2427804.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री रजत सक्सेना, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 गा0पंचा0- लिलहर, वि0ख0- बिलसण्डा)**

**प्रस्तर सं0- 90** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत ढकिया जलालपुर के ग्राम निधि-1 खाते के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 505875.00.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (गा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन गा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 505875.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 505875.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रिन्द्र कौर तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री रजत सक्सेना, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 गा0पंचा0- ढकिया जलालपुर, वि0ख0- बिलसण्डा)**

**प्रस्तर सं0- 91** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत बिलासपुर के ग्राम निधि-1 खाते के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 1418079.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (गा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन गा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 1418079.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 1418079.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रमावती तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री विजय तिवारी, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 गा0पंचा0- बिलासपुर, वि0ख0- बिलसण्डा)**

**प्रस्तर सं0- 92** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत मीरपुर हरयापुर के ग्राम निधि-1 प्रथम के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रू. 1620454.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रू 1620454.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रू. 1620454.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री विजय तिवारी, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- मीरपुर हरयापुर, वि0ख0- बिलसण्डा)**

**प्रस्तर सं0- 93** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत पिपरिया सिंगीपुर के ग्राम निधि-1 प्रथम के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रू. 738083.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रू 738083.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रू. 738083.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लालू सिंह तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री विजय तिवारी, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- पिपरिया सिंगीपुर, वि0ख0- बिलसण्डा)**

**प्रस्तर सं0- 94** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत कल्याणपुर ता0 करेली के ग्राम निधि-1 प्रथम के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रू. 633539.50 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रू 633539.50 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली

तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 633539.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नायब खां तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री विजय तिवारी, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- कल्याणपुर ता0 करेली, वि0ख0- बिलसण्डा)**

**प्रस्तर सं0- 95** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत तिलसण्डा हसौआ के ग्राम निधि-1 प्रथम के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 280583.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 280583.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 280583.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कुलदीप सिंह तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री विजय तिवारी, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- तिलसण्डा हसौआ, वि0ख0- बिलसण्डा)**

**प्रस्तर सं0- 96** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत बबूरा के ग्राम निधि-1 प्रथम के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 1195467.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्ति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 1195467.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः 30 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 1195467.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जया तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री रजत सक्सेना, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- बबूरा, वि0ख0- बिलसण्डा)**

**प्रस्तर सं0- 97** वित्तीय वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत भदेनकंजा के ग्राम निधि-1 प्रथम के अनुसार व्यय की गयी धनराशि अंकन रु. 2030118.00 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव (ग्रा0वि0/पं0) द्वारा दिनांक- 01.04.2019 से 31.03.2020 के

मध्य किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय 14 वे/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने के पुष्टि में बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी तत्कालीन ग्रा0 पं0/वि0अधि0 और ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे- कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कोषवही, सामग्री क्रय आदेश, बिल-बाउचर, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, जी0एस0टी0 पंजिका, टी0डी0एस0 कटौती पंजिका, स्टोर पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अंकन रु 2030118.00 का आहरण अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रहे।

वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 (क) के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित (ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा) समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना चाहिए। पुनः उ0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम सं0- 256(1) प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि को व्यय नियम संगत नहीं किये जाने पर आहरित समस्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से किये जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित समस्त धनराशि अंकन रु. 2030118.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना देवी तथा ग्राम विकास अधिकारी, श्री रजत सक्सेना, (उनके कार्यकाल की पुष्टि उपरान्त) किया जाना अपेक्षित है

**(सा0आ0सं0-01 ग्रा0पंचा0- भदेनकंजा, वि0ख0- बिलसण्डा)**

**प्रस्तर सं0- 98** ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में दिनांक 01/04/2019 से 24/07/2019 तक विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी धनराशि रु० 917477.00 की पुष्टि में कोषवही ,बिल वाउचर /,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका ,स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा जिससे व्यय की पुष्टि की जा सके। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है । अतः उक्त धनराशि रु० 917477.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विस्पन्ता एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री लाल बहादुर मोर्य से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित रहा।

**(सा0आ0सं0-05 ग्रा0पंचा0- महोफ, वि0ख0- मरौरी)**

**प्रस्तर सं0- 99** ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की कैशबुक में कैश बुक में वाउचर संख्या 3 द्वारा 18000.00 नल मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है परन्तु पुष्टि में बिलवाउचर/, निरीक्षण रिपोर्ट, मरम्मत किए गए नलों का विवरण, उनकी अवस्थिति आदि उपलब्ध नहीं रहने के कारण किया गया व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा | वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है | अतः उक्त धनराशि रु० 18000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रूपदेई एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मदास वर्मा से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित रहा।

**(सा0आ0सं0-04 ग्रा0पंचा0- मंडरिया, वि0ख0- मरौरी)**

**प्रस्तर सं0- 100** ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की कैशबुक में कैश बुक में वाउचर संख्या 4 द्वारा ग्राम प्रधान के मानदेय पर 10500.00 एवं वाउचर संख्या 5 एवं 6 द्वारा नल मरम्मत पर क्रमशः 9000.00 एवं 7000.00 रुपए व्यय दर्शाया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है -

क्र.सं.	कैशबुक में वा.सं.	दिनांक	कैशबुक में व्यय दर्शित धनराशि	कैशबुक में व्यय की मद	चेक संख्या	बैंक स्टेटमेंट में व्यय धनराशि	बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्तकर्ता
01	04	06.04.19	10500	ग्राम प्रधान का मानदेय	293	8000	वेद प्रकाश
02	05	06.04.19	9000	नल मरम्मत	291	2000	सुशील
					295	3000	महेंद्र
					273	3500	जवाहर
					296	3000	प्रदीप
03	06	03.05.19	7000	नल मरम्मत	294	3000	सरलक लखनऊ

				301	4000	प्रेम
		26500			26500	

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि कैशबुक में दर्शित व्यय और बैंक स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता में बिसंगति है। अतः स्पष्ट है कि कूटरचना द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। अतः रुपये 26500.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रूपदेई एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मदास वर्मा से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित रहा।

**(सा0आ0सं0-05 ग्रा0पंचा0- मंडरिया, वि0ख0- मरौरी)**

**प्रस्तर सं0- 101** ग्राम पंचायत द्वारा स्ट्रीट लाइट क्रय पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शाया गया है -

क्र.सं.	चेक संख्या	दिनांक	व्यय धनराशि रु० में	व्यय की मद	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
01	311	15.07.2019	48000.00	12 स्ट्रीट लाइट क्रय	हिन्द सोलर इंटरप्राइजेज बरखेड़ा
02	312	15.07.2019	48000.00	12 स्ट्रीट लाइट क्रय	हिन्द सोलर इंटरप्राइजेज बरखेड़ा
03	313	15.07.2019	48000.00	12 स्ट्रीट लाइट क्रय	हिन्द सोलर इंटरप्राइजेज बरखेड़ा
04	314	15.07.2019	24000.00	06 स्ट्रीट लाइट क्रय	हिन्द सोलर इंटरप्राइजेज बरखेड़ा
05	योग		168000.00		

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष पुष्टि में फर्म के बिल, क्रय आदेश, टेंडर / कुटेशन पत्रावली, लगाई गयी लाइट्स की अवस्थिति, स्थलीय निरीक्षण / सत्यापन रिपोर्ट आदि के आभाव में दर्शित व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु० 168000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रूपदेई एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मदास वर्मा से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित रहा।

**(सा0आ0सं0-12 ग्रा0पंचा0- मंडरिया, वि0ख0- मरौरी)**

**प्रस्तर सं0- 102** ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शाया गया है-

क्र.सं.	चेक संख्या	दिनांक	व्यय धनराशि रु० में	व्यय की मद	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
01	138	11.04.2019	25088.00	10.61 घन मी. मोरंग	शना ट्रेडर्स एंड ट्रांसपोर्ट न्यूरिया
02	459	12.04.2019	19372.00	20.50 घन मी. रोड़ा	बालाजी
03	136	15.04.2019	38955.00	7000 नग ईट प्रथम	हिन्द ब्रिक फील्ड न्यूरिया
04	143	15.04.2019	50085.00	9000 नग ईट प्रथम	शान ब्रिक फील्ड न्यूरिया
05	444	06.05.2019	38363.00	16.59 घन मी. बजरी	शना ट्रेडर्स एंड ट्रांसपोर्ट न्यूरिया
06	462	04.06.2019	35773.00	शना ट्रेडर्स को भुगतान	शना ट्रेडर्स एंड ट्रांसपोर्ट न्यूरिया
07	468	02.07.2019	42140.00	शना ट्रेडर्स को भुगतान	शना ट्रेडर्स एंड ट्रांसपोर्ट न्यूरिया
08	469	02.07.2019	8840.00	शना ट्रेडर्स को भुगतान	शना ट्रेडर्स एंड ट्रांसपोर्ट न्यूरिया
09	योग		258616.00		

उपरोक्त व्यय धनराशि रु० 258616.00 के सापेक्ष पुष्टि में फर्म का बिल, कराये गये कार्य का नाम, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूति प्रमाण पत्र, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा जिससे कृत कार्य एवं उन पर किए गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सके। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु० 258616.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ओमवती एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मदास वर्मा से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित रहा।

**(सा0आ0सं0-04 ग्रा0पंचा0- पंडरी, वि0ख0- मरौरी)**

**प्रस्तर सं0- 103** ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15.07.2019 को चेक संख्या 471, 472 एवं 473 द्वारा क्रमशः रूपए 48000.00, 48000.00 एवं 39000 का भुगतान हिन्द सोलर इंटरप्राइजेज बरखेड़ा को किया गया है। कैशबुक में व्यय प्रमाणक संख्या 31 से 33 तक व्य की मद हिन्द सोलर को भुगतान दर्शाया गया है कहीं भी क्रय की गयी सामग्री का नाम एवं मात्रा का उल्लेख नहीं है, साथ ही व्यय की पुष्टि में फर्म के बिल सामग्री क्रय आदेश आदि भी उपलब्ध नहीं रहे जिससे किया गया व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। वित्त एवं लेखा मैनुअल

के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त धनराशि रु० 137000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ओमवती एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मदास वर्मा से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0-05 ग्रा0पंचा0- पंडरी, वि0ख0- मरौरी)

**प्रस्तर सं0- 104** ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शाया गया है -

क्र० सं०	चेक संख्या	दिनांक	व्यय दर्शायी गयी धनराशि (रुपये में )	व्यक्ति /फर्म जिसके नाम भुगतान किया गया है
1	58432	02/04/2019	77000.00	चाँद ब्रिक फील्ड
2	58434	02/04/2019	37751.00	चाँद ब्रिक फील्ड
3	योग		114751.00	

उपरोक्त व्यय धनराशि रु० के सापेक्ष पुष्टि में फर्म का बिल , कराये गये कार्य का नाम ,सामग्री क्रय आदेश , कार्यपूति प्रमाण पत्र ,प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका ,स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा जिससे व्यय की पुष्टि की जा सके। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रु० 114751.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रकाश राम आर्य से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0-05 ग्रा0पंचा0- मकतूल, वि0ख0- मरौरी)

**प्रस्तर सं0- 105** ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शाया गया है-

क्र० सं०	चेक संख्या	दिनांक	व्यय दर्शायी गयी धनराशि (रुपये में )	कार्य का नाम /व्यक्ति जिसके नाम भुगतान किया गया है
01	619437	04.07.2019	29500.00	नल मरम्मत /मोहन सिंह
02	619432	08.07.2019	29500.00	साफ -सफाई पर व्यय /मानसिंह
03	योग		59000.00	

उपरोक्त व्यय में क्रमांक 1 पर दर्शाया गया व्यय को कैश बुक में नल मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है परन्तु पुष्टि में बिल/वाउचर , निरीक्षण रिपोर्ट , मरम्मत किए गए नलों का विवरण उनकी अवस्थिति आदि उपलब्ध नहीं रहने के कारण किया गया व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। इसी प्रकार क्रमांक-2 पर दर्शित व्यय को कैशबुक में साफ-सफाई पर व्यय दर्शाया गया है परन्तु पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया साथ ही ग्राम पंचायत में नियमित सफाई कर्मों की नियुक्त होने के वावजूद सफाई पर व्यय क्यों किया गया ये अपुष्ट रहा।

अतः स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त धनराशि रु० 59000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जगदीश एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री तुलाराम से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0-05 ग्रा0पंचा0- टाह पौटा, वि0ख0- मरौरी)

**प्रस्तर सं0- 106** ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शाया गया है-

क्र० सं०	चेक संख्या	दिनांक	व्यय दर्शायी गयी धनराशि (रुपये में )	व्यक्ति जिसके नाम भुगतान किया गया है
01	437	30.04.2019	10500.00	नकद आहरण
02	415	05.07.2019	10000.00	यूसुफ
03	416	08.07.2019	12000.00	मानसिंह
04	योग		32500.00	

उपरोक्त व्यय में क्रमांक 1 पर दर्शित व्यय को कैशबुक में साफ-सफाई पर व्यय दर्शाया गया है परन्तु पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया साथ ही ग्राम पंचायत में नियमित सफाई कर्मों की नियुक्त होने के वावजूद सफाई पर व्यय क्यों किया गया ये अपुष्ट रहा | इसी प्रकार क्रमांक 2 पर दर्शित व्यय को कैशबुक में प्रियासॉफ्ट पर व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में बिल/वाउचर अनुपलब्ध रहा जबकि क्रमांक 3 पर दर्शित व्यय को कैश बुक में नल मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है परन्तु पुष्टि में बिल/वाउचर , निरीक्षण रिपोर्ट , मरम्मत किए गए नलों का विवरण उनकी अवस्थिति आदि उपलब्ध नहीं रहने के कारण किया गया व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा | अतः स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है | वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है | अतः उपरोक्त धनराशि रु० 32500.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती वोजी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री तुलाराम से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित रहा |

(सा0आ0सं0-04 ग्रा0पंचा0- गौहर, वि0ख0- मरौरी)

**प्रस्तर सं0- 107** ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में बैंक स्टेटमेंट में और कैशबुक में दर्शाए गए व्यय निम्न विवरण के अनुसार अंतर पाया गया है -

क्र० सं०	चेक संख्या	दिनांक	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता	व्यय धनराशि रु० में	कैश बुक में वा.सं	व्यय धनराशि रु० में	कैशबुक में व्यय की मद	कैशबुक के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
01	037037	03/04/19	दिलीप कुमार	18000.00	01	18000.00	नल मरम्मत पर व्यय	मोहन स्वरुप हैंडपंप मिस्त्री
02	037036	03/04/19	दिलीप कुमार	6000.00	02	6000.00	ठेली मरम्मत	उस्मान बिल्डिंग स्टोर
03	037038	03/04/19	मनोज कुमार	36000.00	03	36000.00	नल रिबोर	मोहन स्वरुप हैंडपंप मिस्त्री
04	037039	18/04/19	दिलीप कुमार	11500.00	04	3000.00	स्वच्छता हेतु प्रचार-प्रसार पर व्यय	नरवीर सिंह
					05	2000.00	स्वच्छता हेतु प्रचार-प्रसार पर व्यय	हरिओम
					06	2500.00	टाइपिंग एवं फोटोस्टेट पर व्यय	आर्या फोटोस्टेट पिपरिया अगरु
					07	4000.00	नल मरम्मत पर व्यय	मोहन स्वरुप हैंडपंप मिस्त्री
05	037041	04/05/19	दिलीप कुमार	5000.00	08	3000.00	स्वच्छता हेतु प्रचार-प्रसार पर व्यय	हरिओम
					09	2000.00	स्वच्छता हेतु प्रचार-प्रसार पर व्यय	नरवीर सिंह
06	037040	07/05/19	दुलारों देवी	14000.00	10	5000.00	साफ-सफाई हेतु सामग्री क्रय	उमाशंकर जनरल स्टोर
					11	9000.00	नल मरम्मत पर व्यय	मोहन स्वरुप हैंडपंप मिस्त्री

07	037043	13/05/19	दिलीप कुमार	12000.00	12	12000.00	नल मरम्मत पर व्यय	मोहन स्वरुप हैंडपंप मिस्त्री
08	स्टेटमेंट में चेक संख्या नहीं	01/06/19	डेबिट	64600.00	14	64600.00	17 एलईडी स्ट्रीट लाइट क्रय	एम/एस गंगाराम जहानाबाद
09	स्टेटमेंट में चेक संख्या नहीं	01/06/19	डेबिट	72200.00	15	72200.00	19 एलईडी स्ट्रीट लाइट क्रय	एम/एस गंगाराम जहानाबाद
10	037052	04/06/19	दुलारों देवी नकद	5500.00	18	5500.00	नल मरम्मत पर व्यय	मोहन स्वरुप हैंडपंप मिस्त्री
11	037053	07/06/19	नकद आहरण	36500.00	22	36500.00	नल रिबोर	मोहन स्वरुप हैंडपंप मिस्त्री
12	037057	19/06/19	दुलारों देवी नकद	5000.00	25	5000.00	नल मरम्मत पर व्यय	मोहन स्वरुप हैंडपंप मिस्त्री
13	037061	26/06/19	शाजी ब्रिक्स फील्ड	15604.00	28	15604.00	नल मरम्मत पर व्यय	मोहन स्वरुप हैंडपंप मिस्त्री
14	037064	15/07/19	दयाराम	16000.00	32	16000.00	नल मरम्मत पर व्यय	मोहन स्वरुप हैंडपंप मिस्त्री
15	992066	22/07/19	नकद आहरण	20000.00	34	3500.00	ग्राम प्रधान मानदेय	श्रीमती दुलारों देवी
					35	16500.00	नल मरम्मत पर व्यय	मोहन स्वरुप हैंडपंप मिस्त्री
16	992075	03/08/19	नकद आहरण	17000.00	38	17000.00	नल मरम्मत पर व्यय	मोहन स्वरुप हैंडपंप मिस्त्री
17	योग			354904.00		354904.00		

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि बैंक स्टेटमेंट में भुगतान प्राप्तकर्ता एवं कैशबुक में दर्शित भुगतान प्राप्तकर्ता में अंतर है। अतः स्पष्ट है कि कूटरचना द्वारा सांठगाँठ कर फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (ख) के अनुसार संप्रेक्षा में किया गया व्यय अमान्य होने पर पर इसकी वसूली का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि ₹ 354904.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती दुलारों देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मदास वर्मा से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0-4 गा0पंचा0- भमौरा, वि0ख0- मरौरी)

**प्रस्तर सं0- 108** ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में दिनांक 04/06/19 को चेक संख्या 037050, 037051 एवं 037049 द्वारा कुल ₹ 39953.00 का भुगतान श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल को किया गया है परन्तु फर्म के बिल केवल ₹ 21000.00 के हैं। इस प्रकार ₹ 18953.00 का अधिक भुगतान किया गया है। विवरण निम्नलिखित है -

क्र० सं०	चेक संख्या	दिनांक	कैश बुक में वा.सं	कैशबुक में व्यय धनराशि (₹ में)	कैशबुक में व्यय की मद	बिल /वाउचर में दर्शित धनराशि( ₹ में)	बिल का विवरण	अंतर रूप में
01	037050	04/06/19	19	11445.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल को भुगतान	7000.00	53/02.06.19	4445.00
02	037051	04/06/19	20	19200.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल को भुगतान	7000.00	51/02.06.19	12200.00
03	037049	04/06/19	21	9308.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल को भुगतान	7000.00	52/02.06.19	2308.00

04	योग		39953.00		21000.00		18953.00
----	-----	--	----------	--	----------	--	----------

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि फर्म से सांठगाँठ कर अधिक भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है | अतः रु० 18953.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती दुलारों देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मदास वर्मा से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित रहा।

(सा0आ0सं0-10 गा0पंचा0- भमौरा, वि0ख0- मरौरी)

**प्रस्तर सं0- 109** ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में माह अगस्त 2019 हैंडपंप रिबोर पर निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शाया गया है

क्र० सं०	चेक संख्या	दिनांक	कैश बुक में वा.सं	व्यय धनराशि रु० में	भुगतान प्राप्तकर्ता
01	992073	03.08.19	39	35900.00	मोहन स्वरूप हैंडपंप मिस्त्री
02	992068	03.08.19	40	36500.00	मोहन स्वरूप हैंडपंप मिस्त्री
03	992070	03.08.19	41	36000.00	मोहन स्वरूप हैंडपंप मिस्त्री
04	992067	03.08.19	42	36750.00	मोहन स्वरूप हैंडपंप मिस्त्री
05	992078	05.08.19	43	36600.00	मोहन स्वरूप हैंडपंप मिस्त्री
06	992077	09.08.19	44	36250.00	मोहन स्वरूप हैंडपंप मिस्त्री
07	योग			218000.00	

पंचायतीराज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इंडिया मार्का हैण्ड पंप के रिबोर की गाइड लाइन के अनुसार तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे.ई.एम.आई./आर.ई.डी./मंडी परिषद/जिला पंचायत /जिलाधिकारी के द्वारा नामित अधिकारी एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु जी.पी.डी.पी. के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइड लाइन्स के पालन की स्थिति अज्ञात रही | हैण्ड पंप रिबोर के उपलब्ध कराये गए प्राक्कलन उत्तर प्रदेश सामान्य निर्वाचन 2017 के लगाये गए हैं | स्पष्ट है कि कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार नहीं कराये गए हैं | इसके अतिरिक्त उपलब्ध कराये गए बिल पर सामग्री एवं लेबर दोनों का भुगतान किया गया है साथ ही संलग्न बिल हैंडपंप मिस्त्री के हैं बिल जो सामग्री विक्रय हेतु रजिस्टर्ड भी नहीं हैं | इसके अतिरिक्त स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे किया गया व्यय पूर्णतः अपुस्त रहा | अतः स्पष्ट है कि कूटरचना द्वारा फर्जी व्यय धन का अपहरण किया गया है | वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में बैध प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है | वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (ख) के अनुसार संप्रेक्षा में किया गया व्यय अमान्य होने पर पर इसकी वसूली का प्रावधान है | अतः उक्त धनराशि रु० 218000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती दुलारों देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मदास वर्मा से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली के नियम 256(1) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित रहा

(सा0आ0सं0-12 गा0पंचा0- भमौरा, वि0ख0- मरौरी)

**प्रारूप-4**

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष- 2019-20

मण्डल का नाम- बरेली

आबंटन वर्ष- 2020-21

जनपद- शाहजहांपुर

**ग्राम पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियां-**

**प्रस्तर-1 :**

ग्राम पंचायत- पटई, विकास खण्ड- सिंधौली, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष आलोच्य 2019-20 में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0वि0 आयोग का रु० 100930/- तथा चौदहवें वि0आ0 से रु० 1471054.00 कुल रु० 1571984/- व्यय किया गया है। लिखित मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः रू0 1571984/- की वसूली ब्याज सहित कु0 साधना सिंह सचिव/ग्रा0वि0अधि0 व प्रधान श्री रामसनेही से करते हुआ प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0प0/वि0अधि0 हैं।

**प्रस्तर-2 :**

**ग्राम पंचायत- पटई, विकास खण्ड- सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष 2018-19 में कु0 साधना सिंह सचिव/ग्रा0प0अधि0 के रूप में दि0 11.01.2019 से 31.12.2019 तक कार्यरत रही हैं। कु0 साधना सिंह द्वारा आलोच्य वर्ष 2018-19 में अपने कार्यकाल में ग्राम निधि प्रथम के खाते से रू0 560244/-आहरित किये गये हैं।

वर्तमान में सचिव के रूप में श्री मो0 इलियास अहमद कार्यरत है। उनके द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि कु0 साधना सिंह के कार्यकाल के व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं हुए हैं।

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा- 8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख विहीन व्यय धन को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रू0 560244/-की वसूली ब्याज सहित कु0 साधना सिंह तत्का0 सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

**प्रस्तर-3 :**

**ग्राम पंचायत-गनपतपुर हरैया, विकास खण्ड- सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष आलोच्य 2019-20 में 31.08.2019 से 31.03.2020 के मध्य प्रिया साफ्ट में फीड व्यय के अनुसार कुल रू0 933842/- व्यय किया गया है। किये व्यय के व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रू0 933842/- की वसूली तारीख ब्याज सहित श्री विवेकशील पाल सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 व प्रधान श्री राज बहादुर से करते हुआ प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। चूंकि अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 का है अतः वह प्रमुख उत्तरदायी हैं।

**प्रस्तर-4 :**

**ग्राम पंचायत- कटिया बुजुर्ग, विकास खण्ड- सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में 31.08.2019 से 31.03.2020 के मध्य प्रिया साफ्ट में फीड व्यय के अनुसार कुल रू0 2162732/- व्यय किया गया है। किये व्यय के व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रू0 2162732/- की वसूली ब्याज सहित श्री उमर सिद्दीकी सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 व प्रधान श्री विमल कुमार से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। चूंकि अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 का है अतः वह प्रमुख उत्तरदायी हैं।

**प्रस्तर-5 :**

**ग्राम पंचायत- उमरा पैगापुर, विकास खण्ड- सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0वि0 आयोग का रू0 2091492/- तथा चौदहवें वि0आ0 से रू0 451925/- कुल रू0 2543417/-व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि को अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः रू0 2543417/- की वसूली ब्याज सहित श्री विवेकशील पाल सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 व प्रधान श्री इंदुवीर सिंह से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 हैं।

**प्रस्तर-6 :**

**ग्राम पंचायत- आलमपुर, विकास खण्ड- सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0वि0 आयोग का रू0 276636/- तथा चौदहवें वि0आ0 से रू0 1589322/- कुल रू0 1865958/-व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि को अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः रू0 1865958/- की वसूली ब्याज सहित श्री विवेकशील पाल सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 व प्रधान श्रीमती मंजू देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 हैं।

**प्रस्तर-7 :**



भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि को अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः रु0 54117/- की वसूली ब्याज सहित श्री राजीव श्रीवास्तव सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 व प्रधान श्रीमती विमला देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 हैं।

**प्रस्तर-14 :**

**ग्राम पंचायत- सिसैय्या, विकास खण्ड- सिंधौली, जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष आलोच्य 2018-19 में ग्राम पंचायत में श्री राजीव श्रीवास्तव सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 के रूप में 01.04.2018 से 02.10.2019 तक कार्यरत रहे हैं। वर्तमान में श्री प्रदीप कुमार दि0 03.10.2019 से सचिव पद पर कार्यरत हैं।

वर्तमान सचिव द्वारा बताया कि श्री राजीव श्रीवास्तव द्वारा अभिलेखों का चार्ज नहीं दिया गया है।

श्री राजीव श्रीवास्तव द्वारा अपने कार्यकाल में 01.04.2018 से 31.03.2019 तक रु0 1099815/-का आहरण ग्राम निधि प्रथम से किया गया है, जिसमें रु0 89/-बैंक चार्ज भी शामिल है।

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रु0 1099726/-की वसूली ब्याज सहित श्री राजीव श्रीवास्तव तत्का0 सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 व प्रधान श्रीमती विमला देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

**प्रस्तर-15 :**

**ग्राम पंचायत- चेना रुरिया, विकास खण्ड- सिंधौली, जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0वि0 आयोग का रु0 330317/- तथा चौदहवें वि0आ0 से रु0 1591933/- कुल रु0 1922250/-व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि को अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः रु0 1922250/- की वसूली ब्याज सहित श्री यूनस खान व श्री उमर सिद्दीकी सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 व प्रधान श्रीमती गीता देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 हैं।

**प्रस्तर-16 :**

**ग्राम पंचायत- चेना रुरिया, विकास खण्ड- सिंधौली, जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष आलोच्य 2018-19 की ले0प0 हेतु सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 द्वारा मात्र रोकड़ बही एवं बैंक स्टेटमेण्ट प्रस्तुत किया गया।

रोकड़ बही एवं बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के खाते से रु0 2127773/- धन आहरित कर विभिन्न कार्यों पर धन व्यय किया जाना दर्शित है। रु0 89/- बैंक चार्ज कटौती के बाद रु0 2127684/-शुद्ध व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/प्रस्तर-8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रु0 2127684/-की वसूली ब्याज सहित श्री मो0 यूनस तत्का0 सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 व प्रधान श्रीमती गीता देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

**प्रस्तर-17 :**

**ग्राम पंचायत- सिंधौली, विकास खण्ड- सिंधौली, जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0वि0 आयोग का रु0 4435897/- तथा चौदहवें वि0आ0 से रु0 1030580/- कुल रु0 5466477/-व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि को अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः रु0 5466477/- की वसूली ब्याज सहित श्री सर्वेश यादव व श्री उमर सिद्दीकी सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 व प्रधान श्रीमती वीरमती से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 हैं।

**प्रस्तर-18 :**

**ग्राम पंचायत- कलुवापुर, विकास खण्ड- सिंधौली, जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0वि0 आयोग का रु0 546439/- तथा चौदहवें वि0आ0 से रु0 2143543/- कुल रु0 2689982/-व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि को अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः रू0 2689982/- की वसूली ब्याज सहित श्री विवेकशील पाल सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 व प्रधान श्री रामकृष्ण से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 हैं।

**प्रस्तर-19 :**

**ग्राम पंचायत- कोटावारी, विकास खण्ड- सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0वि0 आयोग का रू0 352531/- तथा चौदहवें वि0आ0 से रू0 1973946/- कुल रू0 2326477/-व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि को अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः रू0 2326477/- की वसूली ब्याज सहित श्री विनीत चौधरी सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 व प्रधान श्री कमलेश कुमार से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 हैं।

**प्रस्तर-20 :**

**ग्राम पंचायत- अनावा, विकास खण्ड- सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष आलोच्य 2019-20 में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0वि0 आयोग का रू0 230714/- तथा चौदहवें वि0आ0 से रू0 893501/- कुल रू0 1124215/-व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि को अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः रू0 1124215/-की वसूली ब्याज सहित श्री साधना सिंह सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 व प्रधान श्री सदानंद शर्मा से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 हैं।

**प्रस्तर-21 :**

**ग्राम पंचायत- बगडेर, विकास खण्ड- सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष आलोच्य 2019-20 में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0वि0 आयोग का रू0 43830/- तथा चौदहवें वि0आ0 से रू0 1530437/- कुल रू0 1574267/-व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि को अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः रू0 1574267/-की वसूली ब्याज सहित श्री नारायण सिंह सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 व प्रधान श्री राजेश कुमार से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 हैं।

**प्रस्तर-22 :**

**ग्राम पंचायत- मियांपुर अख्तियारपुर, विकास खण्ड- सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष 2018-19 के वर्ष आलोच्य में श्री प्रेम सागर यादव सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 के पद पर 01.04.18 से 31.08.2018 तक कार्यरत रहे हैं। उनके कार्यकाल के ग्राम निधि प्रथम से आहरित धन के व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख ले0प0 में प्रस्तुत न थे। उक्त के अतिरिक्त रोकड़ बही में दर्शित व्यय एवं भुगतान का तरीका धन के अपहरण की पुष्टि करता है। व्यय निम्नवत कोष बही में अंकित है-

क्र0सं0	मद	धन राशि	विवरण
1	प्रा0वि0 अख्तियार मियांपुर में मिट्टी ट्राली द्वारा पटान।	50000.00	नगद भुगतान
2	हैण्डपम्प मरम्मत	61970.00	नगद भुगतान। स्थल अज्ञात।
3	ग्रा0प0 में 10 जगह ट्राली द्वारा मिट्टी पटान।	160400.00	नगद भुगतान 8 चेक
4	स्टेशनरी क्रय।	30000.00	नगद भुगतान
5	हयूम पाइप क्रय	50000.00	नगद भुगतान। प्रयोग अज्ञात
6	प्रधान मानदेय	21000.00	नगद भुगतान
7	टेण्डर	3570.00	संजय मिश्रा को भुगतान
8	कूड़ादान क्रय	58000.00	मे0 माँ गायत्री बैट्री व इनवर्टर को भुगतान।
	<b>योग-</b>	<b>434940.00</b>	

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा 8 (क) के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय को धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रू0 434940.00/- की वसूली ब्याज सहित श्री प्रेमसागर यादव सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 व प्रधान श्री अत्येन्द्र कुमार से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

**प्रस्तर-23 :**

ग्राम पंचायत- **कठपुरा, विकास खण्ड- सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष 2018-19 के ले0प0 में ग्राम निधि प्रथम की वर्ष 2018-19 की रोकड़ बही प्रस्तुत की गयी। सचिव/ग्रा0प0अधि0 श्री प्रेम सागर यादव के कार्यकाल से सम्बंधित व्यय प्रमाणक एवं संगत अन्य अभिलेख ले0प0 में प्रस्तुत न थे।

आनलाइन, लिखित एवं मौखिक सूचना के बावजूद श्री सर्वेश कुमार यादव सचिव/ग्राम पंचायत अधि0 द्वारा वर्ष 2018-19 की मात्र रोकड़ बही व बैंक स्टेटमेण्ट प्रस्तुत किये गये। श्री प्रेम सागर यादव के कार्यकाल के व्यय प्रमाणक एवं संगत अन्य अभिलेख ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा- 8 (क) के अनुसार लेखा परीक्षा के व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने पर धन का अपहरण माना जायेगा।

श्री प्रेम सागर यादव तत्का0 सचिव/ग्राम पंचा0अधि0 द्वारा कुल रू0 1861091/-का आहरण ग्राम निधि प्रथम से किया गया है।

अतः अपहरित धन रू0 1861091/-की वसूली ब्याज सहित श्री प्रेम सागर यादव तत्का0 सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 व प्रधान श्री मुनेश्वर सिंह से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

**प्रस्तर-24 :**

ग्राम पंचायत- **सिसौरा, विकास खण्ड- सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर** में आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में श्री राजीव श्रीवास्तव सचिव/ग्राम पंचा0अधि0 के रूप में 01.04.2018 से 02.10.2019 तक कार्यरत रहे हैं। वर्तमान में श्री प्रदीप कुमार दि0 03.10.19 से सचिव पद पर कार्यरत है।

वर्तमान सचिव द्वारा बताया गया कि श्री राजीव श्रीवास्तव द्वारा अभिलेखों का चार्ज नहीं दिया गया है।

श्री राजीव श्रीवास्तव द्वारा अपने कार्यकाल में 01.04.2018 से 31.03.2019 तक रू0 1216300/- का आहरण ग्रा0निधि प्रथम से किया गया है। उक्त आहरित धन में रू0 266/-बैंक चार्ज भी है।

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर/पैरा-8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय को धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रू0 1216034/-की वसूली ब्याज सहित श्री राजीव श्रीवास्तव तत्का0 सचिव/ग्रा0प0अधि0 व प्रधान श्रीमती खातून बेगम से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

**प्रस्तर-25 :**

ग्राम पंचायत- **खिरिया पाठक, विकास खण्ड- सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर** में आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में श्री श्रवण कुमार सचिव/ग्रा0प0अधि0 के पद पर कार्यरत रहे हैं। श्री श्रवण कुमार के कार्यकाल से सम्बंधित रोकड़ बही व बैंक स्टेटमेण्ट के अतिरिक्त अन्य व्यय प्रमाणक तथा संगत अन्य अभिलेख लिखित व मौखिक मांग पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा- 8 (क) के अनुसार प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण माना जायेगा।

श्री श्रवण कुमार सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 के कार्यकाल में रू0 821772/-का आहरण ग्राम निधि प्रथम से किया गया है।

अतः अपहरित धन रू0 821772/-की वसूली ब्याज सहित श्री श्रवण कुमार तत्का0 सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 व प्रधान श्रीमती जेबा नहीद से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

**प्रस्तर-26 :**

ग्राम पंचायत-**मूर्छा , विकास खण्ड- सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष 2018-19 के ग्राम पंचायत में श्री प्रेमसागर यादव दि0 01.04.2018 से 31.08.2018 तक कार्यरत रहे हैं। श्री प्रेम सागर यादव सचिव/ग्रा0प0अधि0 के कार्यकाल की मात्र रोकड़ बही व बैंक स्टेटमेण्ट ही ले0प0 में प्रस्तुत थे। अन्य व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख ले0प0 में प्रस्तुत न थे। रोकड़ बही के अनुसार श्री प्रेमसागर यादव सचिव/ग्रा0प0अधि0 द्वारा निम्नानुसार व्यय किया जाना दर्शित किया गया है-

क्र0सं0	मद	धन राशि	विवरण
1	मिट्टी पटाई कार्यों पर	341000.00	नगद। श्रमिकों द्वारा
2	ह्यूम पाइप क्रय	30000.00	नगद। प्रयोग अज्ञात
3	प्रचार-प्रसार	20000.00	नगद।
4	नल रिबोर	34593.00	कार्य स्थल अज्ञात
5	हैण्डपम्प मरम्मत	113390.00	रू0 25390/-ट्रांसफर द्वारा शेष नगद। स्थल अज्ञात
6	फर्नीचर क्रय	35000.00	नगद। स्कन्ध पंजिका प्रस्तुत नहीं। चार्ज न देना बताया गया।

7	स्टेशनरी/कम्प्यूटर कार्य	40000.00	नगद।
8	विज्ञापन	9613.00	नगद। योगेश कुमार-6148.00, रामपाल-3465.00
	<b>योग-</b>	623596.00	

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु संख्या/पैरा- 8 (क) के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय को धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन ₹0 623596/-की वसूली ब्याज सहित श्री प्रेम सागर यादव तत्का0 सचिव/ग्रा0पं0अधि0 व प्रधान श्री अरुण कुमार से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

**प्रस्तर-27 :**

**ग्राम पंचायत- बबरा, विकास खण्ड-सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष 2018-19 के निम्न विवरण के अनुसार स्ट्रीट लाइट क्रय पर धन व्यय किया जाना दर्शित है-

क्र0सं0	दिनांक	चेक नं0	धनराशि	फर्म
1	16.03.2019	177	49000.00	मे0 चंद्रा इलेक्ट्रिक स्टोर
2	26.03.2019	180	49000.00	उपरोक्त

उक्त से

सम्बंधित स्टीमेट, एम0बी0, कोटेशन आदि ले0प0 में प्रस्तुत न होने से तत्संबंधी तथ्य अपुष्टित रहे। बिना विद्युत कनेक्शन के उक्त व्यय दुरुपयोजित रहा है।

अतः ₹0 98000/-की वसूली तत्का0 सचिव/ग्रा0पं0अधि0 श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव व प्रधान श्री धर्मराज से ब्याज सहित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित रही।

**प्रस्तर-28 :**

**ग्राम पंचायत- बबरा, विकास खण्ड-सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष 2018-19 के ग्राम पंचायत में 01.04.2018 से 31.01.2019 तक श्री विनीत चौधरी सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 कार्यरत रहे हैं। श्री विनीत चौधरी के द्वारा अपने कार्यकाल में ₹0 708282.00 का आहरण ग्रा0 नि0 प्रथम के खाते से किया गया है।

आहरित धन के व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख ले0प0 में प्रस्तुत न थे। प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु/पैरा 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन ₹0 708282/-की वसूली ब्याज सहित श्री विनीत चौधरी सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 व प्रधान श्री धर्मराज से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

**प्रस्तर-29 :**

**ग्राम पंचायत- गहरा, विकास खण्ड-सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में श्री विवेकशील पाल सचिव/ग्राम पंचा0अधि0 के रूप में जून-19 तक कार्यरत रहना बताया गया। वर्तमान में श्री प्रदीप कुमार सचिव पद पर कार्यरत है।

कई बार लिखित, मौखिक व आनलाइन अभिलेखों की मांग करने पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्तमान सचिव ने बताया कि उन्हें चार्ज में अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। मात्र बैंक स्टेटमेण्ट ही ले0प0 में प्रस्तुत किया गया।

श्री विवेकशील पाल ने अपने कार्यकाल में ग्राम पंचा0 के ग्राम निधि प्रथम के खाते से बैंक चार्ज काटकर कुल ₹0 1267694/-आहरित किये हैं।

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन ₹0 1267694/-की वसूली ब्याज सहित श्री विवेकशील पाल तत्का0 सचिव/ग्रा0पं0अधि0 व प्रधान श्रीमती अफसाना बेगम से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

**प्रस्तर-30 :**

**ग्राम पंचायत- सकुलिया, विकास खण्ड-सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष 2018-19 में श्री राजीव श्रीवास्तव ग्राम पंचायत में सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 के रूप में 01.04.2018 से 31.01.2019 तक कार्यरत रहे हैं। इनके कार्यकाल में ग्राम निधि प्रथम के खाते से कुल ₹0 941571/-का आहरण किया गया है।

ले0प0 में रोकड़ बही व बैंक स्टेटमेण्ट के अतिरिक्त अन्य व्यय प्रमाणक तथा संगत अन्य अभिलेख प्रस्तुत न थे। व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख विहीन व्यय ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा- 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रू0 941571/-की वसूली ब्याज सहित श्री राजीव श्रीवास्तव सचिव/ग्रा0पं0अधि0 व प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

**प्रस्तर-31 :**

ग्राम पंचायत- भायपुर, विकास खण्ड-सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2018-19 में श्री प्रेमसागर यादव ग्रा0पं0अधि0 सचिव के रूप में ग्राम पंचायत में दिनांक 01.04.2018 से 31.08.2018 तक कार्यरत रहे हैं। उनके कार्यकाल की रोकड़ बही व बैंक स्टेटमेण्ट ही ले0प0 में प्रस्तुत थे। व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख ले0प0 में प्रस्तुत न थे। दि0 01.04.18 से 31.08.2018 तक निम्नानुसार व्यय दर्शित है-

क्र0सं0	मद	धन राशि	विवरण
1	हयूम पाइप क्रय	121750-00	एक चेक छोड़कर शेष रू0 100000/-नगद भुगतान।
2	हैण्डपम्प मरम्मत	90390-00	रू0 24890/-के अतिरिक्त अन्य भुगतान रू0 65500/-नगद। हैण्ड पम्पों के स्थल अज्ञात।
3	हैण्ड पम्प रिबोर	69321-00	कहां के हैण्डपम्प और कितने रिबोर हुऐ अज्ञात।
4	खडण्जा निर्माण जगदीश के घर से महादेव के घर तक	42850-00	खडण्जा निर्माण जगदीश के घर से महादेव के घर तक
5	ग्राम पंचा0 के विभिन्न स्थानों पर ट्राली द्वारा मिट्टी भराव	224000-00	नगद भुगतान
6	मानदेय भुगतान	21000-00	नगद भुगतान
7	प्रचार-प्रसार (टेण्डर)	3570-00	श्री संजय मिश्रा को भुगतान।
8	फर्नीचर क्रय	20000-00	नगद भुगतान।
9	ठेली क्रय	38000-00	नगद भुगतान।
10	स्टेशनरी क्रय	20000-00	नगद भुगतान।
11	कूड़ा दान क्रय	58000-00	माँ गायत्री इन्वर्टर बैट्री को
	<b>योग-</b>	<b>708881-00</b>	

उक्त में-

- 1- मिट्टी पटाई/क्रय की रायल्टी की रसीद (रवन्ना एम एम-11) नहीं है।
- 2- नगद भुगतान नियम विरुद्ध है।
- 3- हयूम पाइप कहां व कब लगवाये गये अस्पष्ट/श्रमांश पर व्यय शून्य।
- 4- विज्ञापन का भुगतान प्रकाशन को न कर संजय मिश्रा को करना नियम विरुद्ध है।
- 5- स्टॉक रजि0 नहीं पाया गया।

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा- 8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रू0 708881/-की वसूली ब्याज सहित श्री प्रेम सागर यादव सचिव/ग्रा0पं0अधि0 व प्रधान श्री प्रकाश से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

**प्रस्तर-32 :**

ग्राम पंचायत- अनावा , विकास खण्ड-सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में कु0 साधना सिंह सचिव/ग्रा0पं0अधि0 के रूप में फरवरी 2019 से दिसम्बर 2019 तक कार्यरत रही हैं। वर्ष आलोच्य में कु0 साधना सिंह द्वारा ग्राम निधि प्रथम से बैंक चार्ज छोड़कर रू0 565570/-आहरित किया गया है।

वर्तमान सचिव/ग्रा0पं0अधि0 द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि कु0 साधना सिंह ने अपने कार्यकाल के अभिलेख चार्ज में नहीं दिये हैं।

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा- 8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख विहीन व्यय धन के अपहरण के श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रू0 565570/-की वसूली ब्याज सहित कु0 साधना सिंह तत्का0 सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 व प्रधान श्री सदानंद शर्मा से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। पत्र संलग्न है।

**प्रस्तर-33 :**

ग्राम पंचायत- गोलारायपुर , विकास खण्ड-सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2018-19 में श्री प्रेमसागर यादव ग्राम पंचायत में सचिव/ग्रा0प0अधि0 के पद पर 31.08.2018 तक कार्यरत रहे हैं। उनके द्वारा निम्न विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम से धन व्यय किया जाना दर्शाया गया है-

दिनांक	व्यय राशि	व्यय बाबत	नगद/चेक
26-04-18	13000-00	ट्राली द्वारा ग्रा0प0 के विभिन्न स्थानों पर मिट्टी पटान	नगद
26-04-18	10000-00	“	“
26-04-18	10000-00	“	“
18-05-18	22000-00	“	“
21-05-18	22000-00	“	“
02-07-18	28000-00	“	नगद रामपाल
06-08-18	10500-00	प्रा0वि0 गोलारायपुर में मिट्टी ट्राली द्वारा पटान	नगद
08-08-18	20000-00	“	“
08-08-18	20000-00	“	“
17-07-18	34408-00	हैण्डपम्प रिबोर मे0 दिव्यांश कां0	अकाउंट पेयी
17-07-18	34833-00	“	“
17-07-18	34740-00	“	“
01-05-18	8500-00	नल मिस्त्री हैण्ड पम्प मरम्मत	नगद
03-05-18	30000-00	“	“
21-04-18	14000-00	मानदेय	नगद
03-07-18	10500-00	“	“
03-04-18	3127-00	योगेश कुमार (टेण्डर)	नगद
13-08-18	3127-00	टेण्डर विज्ञापन	अकाउंट पेयी
<b>योग-</b>	<b>328735-00</b>		

उक्त व्ययों के सम्बंध में आपतिजनक रहा कि-

- 1- व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक एवं संगत अन्य अभिलेख नहीं हैं।
- 2- इतनी बड़ी मात्रा में मिट्टी पर धन व्यय किया गया है। मिट्टी क्रय सम्बंधी रायल्टी एम एम-11 नहीं है।
- 3- भुगतान नियमानुसार नहीं है।
- 4- कौन-कौन से और कहां के हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर हुए स्पष्ट नहीं है।
- 5- मानदेय वितरण सम्बंधी प्रमाणक नहीं है व नगद भुगतान स्वयं में स्थिति संदिग्ध करता है।
- 6- टेण्डर सम्बंधी प्रमाणक व अन्य अभिलेख नहीं फर्म को भुगतान किया जाना था।

प्रमाणक एवं संगत अन्य अभिलेख विहीन व्यय ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा-8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रू0 328735/-की वसूली ब्याज सहित श्री प्रेम सागर यादव सचिव/ग्रा0प0अधि0 व प्रधान श्री जाहिद से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

**प्रस्तर-34 :**

ग्राम पंचायत- चड़ारी , विकास खण्ड-सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2018-19 में श्री प्रेमसागर यादव ग्राम पंचायत चड़ारी में सचिव/ग्रा0प0अधि0 के पद पर 01.04.18 से 31.08.2018 तक कार्यरत रहे हैं। श्री प्रेम सागर यादव सचिव/ग्रा0प0अधि0 के कार्यकाल

की मात्र रोकड़ बही व बैंक स्टेटमेंट ही ले0प0 में प्रस्तुत थे। ग्राम निधि प्रथम के खाते से आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व संगत अन्य अभिलेख ले0प0 में प्रस्तुत न थे। रोकड़ बही के अनुसार श्री प्रेमसागर यादव द्वारा निम्नलिखित कार्यों पर धन व्यय किया जाना दर्शित किया गया है-

क्र0सं0	मद	धन राशि	विवरण
1	हैण्डपम्प मरम्मत	87000-00	सभी पांचों भुगतान नगद।
2	हैण्डपम्प रिबोर	145570-00	सभी नगद फर्म दि व्यास कंसल्टेशन को एक भी नहीं।
3	नाली मरम्मत कार्य मेन खडण्जा से नंदलाल के घर तक	102955-00	-
4	फर्नीचर क्रय	75000-00	सभी तीनों भुगतान नगद।
5	हयूम पाइप क्रय	72700-00	दोनों भुगतान नगद। फर्म को भुगतान नहीं है।
6	वाल पेन्टिंग	45000-00	नगद प्रधान व रामपाल को
7	सफाई कर्मी किट	10500-00	नगद प्रधान आशा राम को। फर्म में माया देवी कं0 को नहीं।
8	प्रधान मानदेय	20500-00	नगद दि0 15.06.18 को रू0 10000/-जो कि रू0 3500/-के हिसाब से नहीं होती है।
9	ठेली मरम्मत	14900-00	रामपाल को। इतने में नई ठेली आती है।
10	ठेली खरीद	28000-00	नगद।
11	आकस्मिक निधि	22200-00	नगद प्रधान को।
12	टाइपिंग/फोटो स्टेट	20000-00	नगद
13	प्रशासनिक व्यय	30000-00	नगद प्रधान को।
14	प्रचार-प्रसार	6615-00	योगेश कुमार को 34651/-नगद।
	<b>योग-</b>	<b>680940-00</b>	

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा 8 (क) के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। नगद व्यय स्वयं में गबन की पुष्टि करता है।

अतः अपहरित धन रू0 680940.00/-की वसूली ब्याज सहित श्री प्रेमसागर यादव सचिव/ग्रा0पं0अधि0 व प्रधान श्री आशाराम से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर-35 :**

ग्राम पंचायत- चड़ारी , विकास खण्ड-सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2018-19 में श्री हरिश्चंद्र शुक्ल सचिव/ग्रा0पं0अधि0 चड़ारी द्वारा प्रधान ग्राम पंचायत श्री आशाराम को आकस्मिक निधि के रूप में चेक न0 149 से दि0 20.12.2018 को रू0 17500/- दिये, किन्तु उक्त धन का समायोजन नहीं किया गया। साथ ही उक्त धन किस शासनादेश के आधार पर और किस दर पर दिया गया स्पष्ट न था।

इस प्रकार रू0 17500/-का गबन प्रमाणित पाया गया।

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/पैरा 8 (क) के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय को धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रू0 17500/-की वसूली ब्याज सहित श्री हरिश्चंद्र शुक्ल सचिव/ग्रा0पं0अधि0 व प्रधान श्री आशाराम से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर-36 :**

ग्राम पंचायत- शहजादपुर, विकास खण्ड-सिंधौली,जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में श्री विवेकशील पाल सचिव/ग्रा0पं0अधि0 के रूप में जून-2019 तक कार्यरत रहना बताया गया। वर्तमान में श्री प्रदीप कुमार सचिव पद पर कार्यरत है।

कई बार लिखित, मौखिक व आनलाइन अभिलेखों की मांग करने पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्तमान सचिव ने बताया कि उन्हें चार्ज में अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। मात्र बैंक स्टेटमेंट ही 2018-19 का ले0प0 में प्रस्तुत किया गया।

श्री विवेकशील पाल ने अपने कार्यकाल में ग्राम पंचा0 के ग्राम निधि प्रथम के खाते से बैंक चार्ज रू0 1295/-काटकर कुल रू0 3693423/-आहरित किये हैं। ।

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु/प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः अपहरित धन रू0 3693423/-की वसूली ब्याज सहित श्री विवेकशील पाल तत्का0 सचिव/ग्रा0पं0अधि0 व प्रधान श्री हरिश्चंद्र से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-37 :**

**ग्राम पंचायत- बांसखेड़ा, वि0ख0-कांट, जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष आलोच्य- 2019-20 में व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा में अभिलेखों की मांग करने पर ग्राम पंचायत के वर्तमान सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री गोपाल सिंह द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया है कि उक्त व्यय ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री नरेश पाल यादव की कार्य अवधि से सम्बन्धित है। श्री सिंह के अनुसार, पूर्व सचिव श्री नरेश पाल यादव द्वारा चार्ज हस्तांतरण के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई अभिलेख/प्रमाणक हस्तांतरित नहीं किया गया। जिससे उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

बिना समुचित प्रमाणक, बिल बाउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रू0 864130.00 आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री नरेश पाल यादव, सचिव/ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री कृष्ण कुमार समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रू0 864130.00 की वसूली ब्याज सहित श्री नरेश पाल यादव, सचिव/ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री कृष्ण कुमार से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिए प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्राम पंचायत अधिकारी हैं।

#### **प्रस्तर-38 :**

**ग्राम पंचायत- रामखेड़ा, वि0ख0-कांट, जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष आलोच्य- 2019-20 व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा में अभिलेखों की मांग करने पर ग्राम पंचायत के वर्तमान सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री पीयूष अवस्थी द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया है कि उक्त व्यय ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री नरेश पाल यादव की कार्य अवधि से सम्बन्धित है। श्री सिंह के अनुसार, पूर्व सचिव श्री नरेश पाल यादव द्वारा चार्ज हस्तांतरण के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई अभिलेख/प्रमाणक हस्तांतरित नहीं किया गया। जिससे उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

बिना समुचित प्रमाणक, बिल बाउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रू0 1221018.00 आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री नरेश पाल यादव, सचिव/ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री कृष्ण कुमार समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रू0 1221018.00 की वसूली ब्याज सहित श्री नरेश पाल यादव, सचिव/ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री गौतम सिंह से अपेक्षित है। उक्त के लिए प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्राम पंचायत अधिकारी हैं।

#### **प्रस्तर-39 :**

**ग्राम पंचायत- हरनोखा, वि0ख0-कलान, जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है, तदनुसार लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20.09.2021, 04.01.2021, 18.01.2021, 29.01.2021, 04.02.2021 तथा 10.02.2021 को पत्र लिखे गये।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।

वर्ष आलोच्य में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत में कुल रू0 1202444.00 व्यय किया जाना दर्शित किया गया है किन्तु व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी बाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त धनराशि का व्यय फर्जी तरीके से आहरित करके किया गया है।

अतः व्यय की गयी धनराशि रू0 1202444.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामलली एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री कुलदीप सक्सेना से की जानी अपेक्षित रही।

#### **प्रस्तर-40 :**



वर्ष आलोच्य में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत में कुल ₹0 1588312.00 व्यय किया जाना दर्शित किया गया है किन्तु व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी बाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त धनराशि का व्यय फर्जी तरीके से आहरित करके किया गया है।

अतः व्यय की गयी धनराशि ₹0 1588312.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कमलेश एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रोहित सोनकर से की जानी अपेक्षित रही।

**प्रस्तर-44 :**

**ग्राम पंचायत- महमदपुर अजमाबाद वि0ख0-ददरौल, जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष आलोच्य 2019-20 में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है, तदनुसार लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 20.09.2021, 04.01.2021, 18.01.2021, 29.01.2021, 04.02.2021 तथा 10.02.2021 को पत्र लिखे गये।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।

वर्ष आलोच्य में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत में कुल ₹0 1261620.00 व्यय किया जाना दर्शित किया गया है किन्तु व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी बाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त धनराशि का व्यय फर्जी तरीके से आहरित करके किया गया है।

अतः व्यय की गयी धनराशि ₹0 1261620.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सोनी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सर्वेश सिंह से की जानी अपेक्षित रही।

**प्रस्तर-45 :**

**ग्राम पंचायत- हैदलपुर, विकास खण्ड- मिर्जापुर, जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की अनिवार्यता है, तदनुसार लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार दिनांक 12.11.2020 तथा 18.01.2021 को पत्र लिखे गये।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।

वर्ष आलोच्य में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत में कुल ₹0 1130427-00 (2018-19) + ₹0 961391-00 (2019-20)= 2091818-00 व्यय किया जाना दर्शित किया गया है किन्तु व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी बाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त धनराशि का व्यय फर्जी तरीके से आहरित करके किया गया है।

अतः व्यय की गयी धनराशि ₹0 2091818-00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सत्य प्रकाश शर्मा, श्री कीन्स राजपूत व अन्य तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही।

**प्रस्तर-46 :**

**ग्राम पंचायत- इटौली, वि0ख0-पुवायां, जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0वि0 आयोग का ₹0 353128.80 तथा चौदहवें वित्त आयोग से ₹0 1076943.00 कुल ₹0 1430071.80 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत की वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः ₹0 1430071.80 की वसूली ब्याज सहित श्री राकेश कुमार शुक्ल सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधि0 व प्रधान श्री सर्वेश कुमार से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिए प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 है।

**प्रस्तर-47 :**

**ग्राम पंचायत- लखनापुर वि0ख0-पुवायां, जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0वि0 आयोग का ₹0 128520.00 तथा चौदहवें वित्त आयोग से ₹0 852310.00 कुल ₹0 980830.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत की वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः ₹0 980830.00 की वसूली ब्याज सहित श्री अनिल सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधि0 व प्रधान श्रीमती राजरानी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिए प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 है।

**प्रस्तर-48 :**





**ग्राम पंचायत- सतवा बुजुर्ग, वि0ख0-पुवायां,जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष आलोच्य 2019-20 में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0वि0 आयोग का रू0 150265.00 तथा चौदहवें वित्त आयोग से रू0 952832.00 कुल रू0 1103097.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत की वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः रू0 1103097.00 की वसूली ब्याज सहित श्री मो0 यूनुस सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधि0 व प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिए प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 है।

**प्रस्तर-62 :**

**ग्राम पंचायत- मुकीमपुर, वि0ख0-पुवायां,जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष आलोच्य 2019-20 में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0वि0 आयोग का रू0 129266.00 तथा चौदहवें वित्त आयोग से रू0 1052169.00 कुल रू0 1181435.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत की वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः रू0 1181435.00 की वसूली ब्याज सहित श्री हिमांशू सिंह सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधि0 व प्रधान श्री कंचन मिश्रा से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिए प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 है।

**प्रस्तर-63 :**

**ग्राम पंचायत- भिलावां, वि0ख0-पुवायां,जनपद-शाहजहांपुर** के वर्ष आलोच्य 2019-20 में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0वि0 आयोग का रू0 270829.80 तथा चौदहवें वित्त आयोग से रू0 864732.00 कुल रू0 1135561.80 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत की वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः रू0 1135561.80 की वसूली ब्याज सहित श्री अशोक गंगवार सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधि0 व प्रधान श्री विजय वर्मा से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिए प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्रा0प0/वि0अधि0 है।

**प्रस्तर-64 :**

**ग्राम पंचायत-महोलिया बीरान, वि0ख0- खुटार, जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0 वि0 आयोग का रू0365095.00 तथा चौदहवें वि0 आ0 से रू0781943.00 कुल रू01147038.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः रू0 1147038.00 की वसूली ब्याज सहित श्री प्रदीप सिंह,सचिव/ ग्रा0 पं0 अधि0व प्रधान श्री दलवीर सिंह से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही । उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0पं0 वि0 अधि0 हैं।

**प्रस्तर-65 :**

**ग्राम पंचायत- अण्डहा, वि0ख0- खुटार, जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0 वि0 आयोग का रू052401.00 तथा चौदहवें वि0 आ0 से रू01346361.00 कुल रू01398762.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः रू0 1398762.00 की वसूली ब्याज सहित श्री आदर्श यादव,सचिव/ ग्रा0 पं0 अधि0व प्रधान श्री अरविन्द बाजपेयी से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही । उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0पं0 वि0 अधि0 हैं।

**प्रस्तर-66 :**

**ग्राम पंचायत- बिनौरा-बिनौरिया , वि0ख0- खुटार, जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष आलोच्य 2019-20 में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0 वि0 आयोग का रू061712.00 तथा चौदहवें वि0 आ0 से रू0509624.00 कुल रू0571336.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः रू0571336.00 की वसूली ब्याज सहित श्री अजयपाल सिंह,सचिव/ ग्रा0 पं0 अधि0व प्रधान श्री जीतेन्द्र सिंह से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही । उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0पं0 वि0 अधि0 हैं।

**प्रस्तर-67 :**

**ग्राम पंचायत- बुझिया, वि0ख0- खुटार, जनपद-शाहजहांपुर** में वर्ष आलोच्य-2019-20 में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0 वि0 आयोग का रू0213940.00 तथा चौदहवें वि0आ0 से रू0 1217741.00, कुल रू01431681.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः ₹01431681.00 की वसूली ब्याज सहित श्री आदर्श यादव सचिव/ ग्रा0 पं0 अधि0व प्रधान श्री अखिलेश वर्मा से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0पं0 वि0 अधि0 हैं।

प्रस्तर-68 :

ग्राम पंचायत- कैमरिया मतलूमपुर, वि0ख0- खुटार, जनपद-शाहजहांपुर के वर्ष आलोच्य 2019-20 में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0 वि0 आयोग का ₹0243715.00 तथा चौदहवें वि0 आ0 से ₹0179991.00, कुल ₹0423706.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड -7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः ₹0423706.00 की वसूली ब्याज सहित श्री प्रमोद वर्मा, सचिव/ ग्रा0 पं0 अधि0व प्रधान श्री सभकनिशा से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0पं0 वि0 अधि0 हैं।

प्रस्तर-69 :

ग्राम पंचायत- कोल्हूगाढ़ा, वि0ख0- खुटार, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0 वि0 आयोग का ₹042000.00 तथा चौदहवें वि0 आ0 से ₹0812194.00, कुल ₹0854194.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः ₹0854194.00 की वसूली ब्याज सहित श्री सुशील अग्निहोत्री, सचिव/ ग्रा0 पं0 अधि0व प्रधान श्रीमती मधुवाला से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0पं0 वि0 अधि0 हैं।

प्रस्तर-70 :

ग्राम पंचायत-खमरिया गदियाना, वि0ख0- खुटार, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0 वि0 आयोग का ₹0279220.00 तथा चौदहवें वि0 आ0 से ₹01052919.00, कुल ₹01332139.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः ₹01332139.00 की वसूली ब्याज सहित श्री आदर्श यादव, सचिव/ ग्रा0 पं0 अधि0व प्रधान श्री सतनाम सिंह से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0पं0 वि0 अधि0 हैं।

प्रस्तर-71 :

ग्राम पंचायत- गढ़िया सरेली, वि0ख0- खुटार, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0 वि0 आयोग का ₹0 222572.00 तथा चौदहवें वि0 आ0 से ₹02997229.00, कुल ₹03219801.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड - 7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः ₹03219801.00 की वसूली ब्याज सहित श्री प्रमोद वर्मा, सचिव/ ग्रा0 पं0 अधि0व प्रधान श्री अनिल कुमार से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0पं0 वि0 अधि0 हैं।

प्रस्तर-72 :

ग्राम पंचायत-चांदपुर, वि0ख0- खुटार, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0 वि0 आयोग का ₹0364014.00 तथा चौदहवें वि0 आ0 से ₹01585777.00, कुल ₹01949791.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड -7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः ₹01949791.00 की वसूली ब्याज सहित श्री आदर्श यादव, सचिव/ ग्रा0 पं0 अधि0व प्रधान श्रीमती प्रतिभा मिश्र से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0पं0 वि0 अधि0 हैं।

प्रस्तर-73 :

ग्राम पंचायत- छापाबोड़ी, वि0ख0- खुटार, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0 वि0 आयोग का ₹0193947.00 तथा चौदहवें वि0 आ0 से ₹0885582.00, कुल ₹01079529.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः ₹01079529.00 की वसूली ब्याज सहित श्री प्रमोद वर्मा, सचिव/ ग्रा0 पं0 अधि0व प्रधान श्रीमती सुमन देवी से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0पं0 वि0 अधि0 हैं।

प्रस्तर-74 :



अतः ₹01385128.00 की वसूली ब्याज सहित श्री अशोक गंगवार, सचिव/ ग्रा0 पं0 अधि0व प्रधान श्री विद्यावती मिश्र से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0पं0 वि0 अधि0 हैं।

प्रस्तर-81 :

ग्राम पंचायत- हरिहरपुर, वि0ख0- खुटार, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0 वि0 आयोग का ₹0 9810.00 तथा चौदहवें वि0 आ0 से ₹0 637779.00, कुल ₹0 647589.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः ₹0647589.00 की वसूली ब्याज सहित श्री सुशील अग्निहोत्री, सचिव/ ग्रा0 पं0 अधि0व प्रधान श्री सुनील शुक्ला से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0पं0 वि0 अधि0 हैं।

प्रस्तर-82 :

ग्राम पंचायत- मोहनपुर, वि0ख0- खुटार, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0 वि0 आयोग का ₹0100950.00 तथा चौदहवें वि0 आ0 से ₹0755088.00, कुल ₹0856038.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः ₹0856038.00 की वसूली ब्याज सहित श्री अशोक गंगवार, सचिव/ ग्रा0 पं0 अधि0व प्रधान श्रीमती सुमन बाजपेयी से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0पं0 वि0 अधि0 हैं।

प्रस्तर-83:

ग्राम पंचायत- रसवां कला, वि0ख0- खुटार, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0 वि0 आयोग का ₹0 396391.00 तथा चौदहवें वि0 आ0 से ₹0 1573654.00, कुल ₹0 1970045.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड - 7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः ₹01970045.00 की वसूली ब्याज सहित श्री आदर्श यादव, सचिव/ ग्रा0 पं0 अधि0व प्रधान श्री ओम प्रकाश से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0पं0 वि0 अधि0 हैं।

प्रस्तर-84 :

ग्राम पंचायत- रामपुर कला, वि0ख0- खुटार, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0 वि0 आयोग का ₹0102958.00 तथा चौदहवें वि0 आ0 से ₹0565495.00 कुल ₹0668453.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः ₹0668453.00 की वसूली ब्याज सहित श्री प्रमोद वर्मा, सचिव/ ग्रा0 पं0 अधि0व प्रधान श्री विजय वर्मा से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0पं0 वि0 अधि0 हैं।

प्रस्तर-85 :

ग्राम पंचायत- रौतापुर कला, वि0ख0- खुटार, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0 वि0 आयोग का ₹0116025.00 तथा चौदहवें वि0 आ0 से ₹01313396.00 कुल ₹01429421.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः ₹01429421.00 की वसूली ब्याज सहित श्री प्रमोद वर्मा, सचिव/ ग्रा0 पं0 अधि0व प्रधान श्रीमती रेनू तिवारी से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0पं0/ वि0 अधि0 हैं।

प्रस्तर-86 :

ग्राम पंचायत- सिलुहा, वि0ख0- खुटार, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0 वि0 आयोग का ₹0 253123.00 तथा चौदहवें वि0 आ0 से ₹0 1970864.00 कुल ₹0 2223987.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः ₹0 2223987.00 की वसूली ब्याज सहित श्री आदर्श यादव, सचिव/ ग्रा0 पं0 अधि0व प्रधान श्रीमती शशी देवी से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0पं0/ वि0 अधि0 हैं।

प्रस्तर-87 :

ग्राम पंचायत- लक्ष्मीपुर, वि0ख0- खुटार, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0 वि0 आयोग का रू0 78516.00 तथा चौदहवें वि0 आ0 से रू0 1086511.00, कुल रू0 1165027.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः रू0 1165027.00 की वसूली ब्याज सहित श्री धर्मन्द्र अवस्थी, सचिव/ ग्रा0 पं0 अधि0व प्रधान श्री बलजीत कौर से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0पं0/ वि0 अधि0 हैं।

प्रस्तर-88 :

ग्राम पंचायत- हरनई, वि0ख0-खुटार, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0 वि0 आयोग का रू0 401595.00 तथा चौदहवें वि0 आ0 से रू0 2012120.00, कुल रू0 2413715.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड -7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः रू0 2413715.00 की वसूली ब्याज सहित श्री आदर्श यादव, सचिव/ ग्रा0 पं0 अधि0व प्रधान श्री जीवेन्द्र सिंह से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0पं0/ वि0 अधि0 हैं।

प्रस्तर-89 :

ग्राम पंचायत- बगडेर, वि0ख0-सिंधौली, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0 वि0 आयोग का रू043830.00 तथा चौदहवें वि0 आ0 से रू01530437.00 कुल रू01574267.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः रू01574267.00 की वसूली ब्याज सहित श्री नरायण सिंह, सचिव/ ग्रा0 पं0 अधि0व प्रधान श्री राजेश कुमार से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0पं0/ वि0 अधि0 हैं।

प्रस्तर-90 :

ग्राम पंचायत- अनावा, वि0ख0-सिंधौली, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एवं समुचित अन्य अभिलेखों के रा0 वि0 आयोग का रू0 230714.00 तथा चौदहवें वि0 आ0 से रू0 893501.00, कुल रू0 1124215.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन व्यय धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण है।

अतः रू01124215.00 की वसूली ब्याज सहित कु0 साधना सिंह, सचिव/ ग्रा0 पं0 अधि0व प्रधान श्री सदानन्द शर्मा से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिये प्रमुख उत्तरदायी सचिव / ग्रा0पं0/ वि0 अधि0 हैं।

प्रस्तर-91 :

ग्राम पंचायत- गढ़िया रंगीन, वि0ख0-जैतीपुर, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2019-20 के वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि प्रथम के खाते से आहरित धन इ-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित व्यय के सापेक्ष संगत उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली /और व्यय प्रमाणकों विहीन अन्य अभिलेखों के रू0 234230.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत न थे व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शायी गई धनराशि गबन/ अपहरण मानते हुए रू234230.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से बराबर-बराबर संयुक्त रूप से ब्याज सहित अधिभार की कार्यवाही की जानी चाहिए इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों का ध्यान पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256(के)प्राविधानानुसार विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-92 :

ग्राम पंचायत- गढ़िया रंगीन, वि0ख0-जैतीपुर, जनपद-शाहजहांपुर में आलोच्य वर्ष 2019-2020 में ग्राम निधि प्रथम के खाते से आहरित धन इ ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित व्यय के सापेक्ष संगत उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली /और व्यय प्रमाणकों विहीन अन्य अभिलेखों के रू0 5161779.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत न थे व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शायी गई धनराशि गबन/ अपहरण मानते हुए रू05161779.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल





सिंह से बराबर -बराबर संयुक्त रूप से ब्याज सहित अधिभार की कार्यवाही की जानी चाहिए इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों का ध्यान पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256(के)प्राविधानानुसार की और विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-102 :

ग्राम पंचायत- बौरी, वि0ख0- मदनापुर, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2019-20 के ग्राम निधि प्रथम के खाते से आहरित धन इ ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित व्यय के सापेक्ष संगत उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली /और व्यय प्रमाणकों विहीन अन्य अभिलेखों के रू02931500.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत न थे। व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शायी गई धनराशि गबन/ अपहरण मानते हुए रू2931500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वैभव सिंह से बराबर -बराबर संयुक्त रूप से ब्याज सहित अधिभार की कार्यवाही की जानी चाहिए इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों का ध्यान पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256(के)प्राविधानानुसार की और विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-103 :

ग्राम पंचायत- बरखेड़ाजयपाल, वि0ख0- मदनापुर, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2019-20 के ग्राम निधि प्रथम के खाते से आहरित धन इ ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित व्यय के सापेक्ष संगत उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली /और व्यय प्रमाणकों विहीन अन्य अभिलेखों के रू0125740.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत न थे। व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शायी गई धनराशि गबन/ अपहरण मानते हुए रू0125740.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री धर्मपाल तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मोहम्मद शकील खान से बराबर -बराबर संयुक्त रूप से ब्याज सहित अधिभार की कार्यवाही की जानी चाहिए इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों का ध्यान पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256(के)प्राविधानानुसार की और विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-104 :

ग्राम पंचायत- बरखेड़ाजयपाल, वि0ख0- मदनापुर, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2019-20 के ग्राम निधि प्रथम के खाते से आहरित धन इ ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित व्यय के सापेक्ष संगत उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली /और व्यय प्रमाणकों विहीन अन्य अभिलेखों के रू01125307.00 व्यय किया गया है। मांग पर भी अभिलेख प्रस्तुत न थे। व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शायी गई धनराशि गबन/ अपहरण मानते हुए रू1125307.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री धर्मपाल तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मोहम्मद शकील खान से बराबर -बराबर संयुक्त रूप से ब्याज सहित अधिभार की कार्यवाही की जानी चाहिए इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों का ध्यान पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256(के)प्राविधानानुसार की और विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-105 :

ग्राम पंचायत-मदनापुर, वि0ख0- मदनापुर, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2019-20 के समीक्ष्य वर्ष 2018-2019 में श्री वीरसेन सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे हैं। श्री वीरसेन के कार्यकाल से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य व्यय प्रमाणक तथा संगत अन्य अभिलेख लिखित व मौखिक मांग पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये । ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु /पैरा-8(क)के अनुसार प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण माना जायेगा।

श्री वीरसेन सचिव /ग्राम पंचायत अधिकारी के कार्यकाल में रू02615162.00का आहरण ग्राम निधि प्रथम के खाता संख्या 22460100007163के बैंक आफ बड़ौदा शाखा मदनापुर से किया गया है।

अतः अपहरित धन रू02615162.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विश्वकान्ती तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरसेन तत्कालीन से ब्याज सहित अधिभार की कार्यवाही की जानी चाहिए । इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों का ध्यान पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या256(1)के प्राविधानानुसार की और विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रारूप -4

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

## ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियां

### जनपद-बस्ती

### मण्डल-बस्ती

**प्रस्तर-1-** विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर की ग्राम पंचायत छनवतिया के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के अभिलेख मांगोपरान्त भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। ऑनलाइन फीड आंकड़ों (ई- ग्रामस्वराज) में आलोच्य वर्ष में कुल ₹ 1162589.00 की निकासी की गयी है लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबंधित कोषबही, प्रस्ताव व स्वीकृति, व्यय प्रमाणक/ कार्यपत्रावली, कार्यपूति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, मस्टररोल आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं अतः ₹ 1162589.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती साधना व सचिव श्री महेन्द्र यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-2-** विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर की ग्राम पंचायत मझौवाबैकुण्ठ के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के अभिलेख मांगोपरान्त भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। ऑनलाइन फीड आंकड़ों (ई- ग्रामस्वराज) में आलोच्य वर्ष में कुल ₹ 798391.00 की निकासी की गयी है लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबंधित कोषबही, प्रस्ताव व स्वीकृति, व्यय प्रमाणक/ कार्यपत्रावली, प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, मस्टररोल आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं अतः ₹ 798391.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र व सचिव श्री सुशील श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-3-** विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर की ग्राम पंचायत मुडबरा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के अभिलेख मांगोपरान्त भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। ऑनलाइन फीड आंकड़ों (ई- ग्रामस्वराज) में आलोच्य वर्ष में कुल ₹ 1108583.00 की निकासी की गयी है लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबंधित कोषबही, प्रस्ताव व स्वीकृति, व्यय प्रमाणक/ कार्यपत्रावली, प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, मस्टररोल आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं अतः ₹ 1108583.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री दिवाकर विक्रम व सचिव श्रीमती अर्चिता द्विवेदी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-4-** विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत थन्वा मुडयारी के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत मद में निम्नविवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है-

दिनांक	धनराशि	धन प्राप्तकर्ता
31/12/2019	49000.00	उन्नति का0 एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर
17/02/2020	30000.00	उन्नति का0 एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर
10/03/2020	28420.00	उन्नति का0 एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर
योग	107420.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि ₹ 107420.00 की उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं अतः ₹ 107420.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गीता व सचिव श्री राहुल कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-5-** विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत दैजी के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार दिनांक 31/03/2020 तक कुल ₹ 169982.00 की निकासी कर व्यय किया गया जिसके व्यय प्रमाणक एम0बी0 रजिस्टर भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूति बैंक स्टेटमेण्ट/कैशबुक कार्ययोजना वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी की धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि ₹ 169982.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं अतः ₹ 169982.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री वेचन प्रसाद व सचिव श्री विरेन्द्र कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-6-** विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार दिनांक 31/03/2020 तक कुल ₹ 720212.00 की निकासी कर व्यय किया गया है जिसके व्यय प्रमाणक

एम0बी0 रजिस्टर भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति बैंक स्टेटमेण्ट/कैशबुक कार्ययोजना वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि रु 720212.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं अतः रु 720212.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता व सचिव श्री विरेन्द्र कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-7-** विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत कडसरी मिश्र के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-। की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार दिनांक 31/03/2020 तक कुल रु 839543.00 की निकासी कर व्यय किया गया है जिसके व्यय प्रमाणक एम0बी0 रजिस्टर भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति बैंक स्टेटमेण्ट/कैशबुक कार्ययोजना वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि रु 839543.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं अतः रु 839543.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री उजागिर व सचिव श्री विरेन्द्र कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-8-** विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत रसूलपुर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-। के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे विकास खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेण्ट व कैशबुक के अनुसार दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2020 के अवधि में कुल रु 956454.00 की निकासी की गयी है विवरण निम्नवत है-

दिनांक	अहरित धनराशि
8/4/2019	10000.00
26/4/2019	10000.00
27/5/2019	15000.00
01/6/2019	10000.00
04/6/2019	20000.00
10/07/2019	10000.00
11/7/2019	28600.00
11/7/2019	48200.00
12/7/2019	36400.00
12/7/2019	16800.00
12/7/2019	57800.00
12/7/2019	33000.00
17/8/2019	110300.00
17/8/2019	15800.00
20/8/2019	6000.00
21/8/2019	12000.00
11/12/2019	69662.00
17/2/2020	73440.00
17/2/2020	35456.00
17/2/2020	18830.00
17/2/2020	59933.00
17/2/2020	11363.00
26/2/2020	6562.00
26/2/2020	65628.00
26/2/2020	8000.00
17/3/2020	1422.00
17/3/2020	4720.00
17/3/2020	2273.00
17/3/2020	14158.00
17/3/2020	3107.00
24/3/2020	42000.00

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय सम्बन्धी कैशबुक प्रस्ताव व स्वीकृति व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 स्टॉक बुक सा0नि0कार्य रजिस्टर कार्यपत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता पुष्टि नहीं करायी गयी व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं अतः रु 956454.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विश्वनाथ पाल व सचिव श्री राहुल कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-9-** विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत पिपरपातीएहतमाली के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार सी0सी0रोड से काली जी के स्थान तक इ0ला0 कार्य पर सामग्री मद में दिनांक 29/6/2019 को रु 241500.00 व दिनांक-7/7/2019 को रु 9949.00 श्रमांश मद पर व्यय कुल रु 251449.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक स्वीकृति स्टीमेट आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा पुनः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दिनांक-29/6/2019 को रु 241500.00 केवल ईट क्रय पर भुगतान फीड किया गया है आलोच्य वर्ष में सामग्री व्यय रु 241500.00 के सापेक्ष केवल रु 9949.00 ही श्रमांश पर व्यय किया जाना वास्तविक रूप कार्य को संदिग्ध प्रमाणित करता है। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल

के अध्याय-8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं अतः रु 251449.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री पट्टू व सचिव श्री अजित सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-10-** विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत बरतनिया के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार प्रा0वि0 कायाकल्प कार्य पर सामग्री मद में दिनांक'27/11/2019 को रु 157000.00 व दिनांक-30/11/2019 को रु 88576.00 श्रमांश मद पर कुल रु 245576.00 व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक स्वीकृति स्टीमेट विगत पांच सालों में कार्य न कराये जाने का प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा व्यय सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं अतः रु 245576.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू व सचिव श्री अजित सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-11-** विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत बरतनिया के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 की कैशबुक में क्रमशः रु 96000.00 व रु 144500.00 कुल रु 240500.00 ग्राम पंचायत द्वारा सोलर लाईट क्रय पर व्यय दर्शित है आडिट में यह पाया गया कि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर आई0डी0 सं0-18254219.00 कार्ययोजना के सापेक्ष अन्य व्यय शीर्षक मद पर स्वीकृति दर्शित है जिसकी कुल अनुमानित लागत राज्य वित्त के सापेक्ष रु 50000.00 अनुमन्य है। जबकि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल ऑनलाइन कैशबुक के अनुसार आई0डी0 सं0-18254219.00 पर उक्त माह में 14 वां वित्त से केशमोड में भुगतान कर सोलर लाईट फर्म का नाम अंकित न करते हुये केवल स्टरीट लाईट फर्म को भुगतान दर्शित है। लेखापरीक्षा में उक्त भुगतान के सापेक्ष कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। व न ही राज्य वित्त मद से स्वीकृत आइडी 18254219.00 के सापेक्ष चौदहवां वित्त से व्यय करने के वावत व बिना कार्ययोजना के काय कराये जाने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः रूपष्ट है कि बिना कार्ययोजना बिना आइडी, बिना रूपष्ट स्वीकृति के नकद धन निकासी के सापेक्ष काल्पनिक व्यय दर्शित कर ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार धनराशि रु 240500.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः रु 240500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू व तात्कालिक सचिव श्री अजीत सिंह से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-12-** विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत लालगंज के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं पर आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण अनुसार व्यय किया गया है।

क्र0सं0	परियोजना/मद का नाम	व्यय विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	ख0 कार्य-प्रेम नारायन के घर से चिरोँजी के घर तक	159057.00 सामग्री 36036.00 मजदूरी	खाता सं0- 03492467879 खाता सं0-03492467879
2	ख0कार्य- हीरा के से रामजीत के घर तक	159149.00 सामग्री 36218.00 मजदूरी	खाता सं0- 03492467879 खाता सं0-03492467879
3	पोल स्टरीट लाईट स्थापना	190120.00 सामग्री	खाता सं0- 03492467879 खाता सं0-03492467879
4	मनोरमा नदी के घाट पर 10 मी0 सीढी निर्माण पार्ट-1	119862.00 सामग्री 37022.00 मजदूरी	खाता सं0- 03492467879 खाता सं0-03492467879
5	मनोरमा नदी के घाट पर 10 मी0 सीढी निर्माण पार्ट-2	126180.00 सामग्री 39592.00 मजदूरी	खाता सं0- 03492467879 खाता सं0-03492467879
6	मनोरमा नदी के घाट पर 10 मी0 सीढी निर्माण पार्ट-3	126180.00 सामग्री 37204.00 मजदूरी	खाता सं0- 03492467879 खाता सं0-03492467879
7	चौका घाट का निर्माण कार्य पार्ट-4	157619.00 सामग्री 30018.00 मजदूरी	खाता सं0- 03492467879 खाता सं0-03492467879
8	ख0 कार्य प्रा0वि0 के प्रांगण में	158660.00 सामग्री 35308.00 मजदूरी	खाता सं0- 03492467879 खाता सं0-03492467879
9	टी0डी0एस0 जमा	26767.00	खाता सं0- 03492467879
10	प्रशासनिक कार्य	17831.00 स्टेशनरी फीडिंग आदि	खाता सं0- 03492467879
	योग	1492823.00	

उपरोक्त व्ययों से संबंधित स्वीकृति कार्ययोजना स्टीमेट वित्तीय स्वीकृति वर्क आई0डी0 व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिकसत्यापन प्रमाण पत्र एम0बी0 आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त दर्शित व्यय धनराशि एक ही खाता सं0 03492467879 में ट्रांसफर है जिससे सामग्री क्रय व मजदूरी दिया गया है जोकि संभव नहीं है पूछे जाने पर संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया एवं उक्त दर्शित कार्यों के अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार रु 1492823.00 का अपहरण किया गया है अतः रु 1492823.00 की ब्याज सहित वसूली श्री रामदौड ग्राम प्रधान एवं श्री अजित कुमार सिंह ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-13-** विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत बगही उर्फ बेनीपुर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 की कैशबुक एवं अन्य अभिलेख कार्यक्रम अनुसार अनेक बार मांगोपरान्त ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया ऐसा प्रतीत होता है कि कैशबुक एवं फाइल तैयार ही नहीं किया गया आलोच्य वर्ष में 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार कुल रु 792791.00 व्यय दर्शित है उक्त अंकित धनराशि/व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका कार्ययोजना स्टीमेट वर्क आई0डी0 एम0बी0 कैशबुक पासबुक बिल बाउचर मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रधान मानदेय रजिस्टर निर्माण समिति की संस्तुति ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के 8 प्रपत्र प्राप्ति यां व भुगतान लेखा समेकित सार बैंक समाधान विवरण प्राप्त व योग भुगतान विवरण स्टॉक पंजिका मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका व त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के की धारा-8 में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिलापंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के अवलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 792791.00 गबन की श्रेणी आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री कमल सिंह व तत्कालीन ग्रामपंचायत/विकास अधिकारी श्री विरेन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 07 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उक्त ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ-साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

**प्रस्तर-14-** विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत छरदही के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 की कैशबुक एवं अन्य अभिलेख कार्यक्रम अनुसार अनेक बार मांगोपरान्त ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया ऐसा प्रतीत होता है कि कैशबुक एवं फाइल तैयार ही नहीं किया गया आलोच्य वर्ष में 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार कुल रु 407072.00 व्यय दर्शित है उक्त अंकित धनराशि/व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका कार्ययोजना स्टीमेट वर्क आई0डी0 एम0बी0 कैशबुक पासबुक बिल बाउचर मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रधान मानदेय रजिस्टर निर्माण समिति की संस्तुति एम0ए0एस0 पंजी के 8 प्रपत्र प्राप्ति यां व भुगतान लेखा समेकित सार बैंक समाधान विवरण प्राप्त व योग भुगतान विवरण स्टॉक पंजिका मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका व त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के की धारा-8 में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिलापंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के अवलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 407072.00 गबन की श्रेणी आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्रामपंचायत प्रधान श्री अखिलेश व तत्कालीन ग्रामपंचायत/विकास अधिकारी श्री विरेन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 07 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत

का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उक्त ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ-साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

**प्रस्तर-15-** विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत कोप के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं पर आलोच्य वर्ष में निम्नविवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र0सं	परियोजना	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	कुल व्यय
0				
1	नाली निर्माण पिच रोड से-----	113400.00 अजय-विजय टेडर्स 48840.00 पाल इण्टर प्राइजेज 51282.00 पाल इण्टर प्राइजेज 95297.00 चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल	9938.00	
2	कूप मरम्मत	59035.00 चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल	शून्य	
	योग	367854.00	9938.00	377792.00

उपरोक्त व्ययों से संबंधित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, वर्क आई0डी0, व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाणपत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि क्रमांक-02 पर अंकित कूप मरम्मत कार्य पर कैशबुक अनुसार मजदूरी मद में भुगतान ही नहीं हुआ है तो कार्य कैसे हुआ, जिससे स्वयं सिद्ध होता है कि कार्य हुआ ही नहीं है एवं उक्त दर्शित कार्यों के अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान व ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 क के अनुसार रु 377792.00 का अपहरण किया गया है अतः रु 377792.00 की ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित श्री रामललित ग्राम प्रधान एवं श्री अजित कुमार सिंह ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-16-** विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत कोप के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नविवरण अनुसार व्यय दर्शित है-

क्र0सं0	परियोजना/मद का नाम	व्यय विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	सी0सी0 रोड निर्माण मनोज के घर से ----- स्थान तक	168036.00सामग्री 27630.00मजदूरी	खाता सं0-0087502004555 खाता सं0-0087502004555
2	नाली निर्माण साहबराम के घर से सोक्ता तक	155820.00सामग्री 38682.00मजदूरी	खाता सं0-0087502004555 खाता सं0-0087502004555
3	नाली निर्माण	66027.00सामग्री 9392.00मजदूरी	खाता सं0-0087502004555 खाता सं0-0087502004555
4	प्रशासनिक व्यय	22170.00स्टेशनरी फीडिंग आदि	खाता सं0-0087502004555
5	योग	487757.00	

उपरोक्त व्ययों से संबंधित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, वर्क आई0डी0, व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व समीक्षा व पुष्टि नहीं की जा सकी, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त दर्शित व्यय धनराशि एक ही खाता सं0-0087502004555 में टांसफर है जिससे सामग्री क्रय एवं मजदूरी दिया गया है जो कि संभव नहीं है एवं उक्त दर्शित कार्यों के अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 क के अनुसार रु 487757.00 का अपहरण किया गया है अतः रु 487757.00 की ब्याज सहित वसूली श्री रामललित ग्राम प्रधान एवं श्री अजित कुमार सिंह ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-17-** विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत जमरांव के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि दिनांक23/11/2019 को ग्राम पंचायत द्वारा रु 84672.00 तथा रु 42336.00 कुल रु 127008.00 का स्टीट लाइट क्रय किया जाना दर्शित किया गया है। लेखापरीक्षा में उक्त के क्रय के बावत टेण्डर/कोटेशन/स्वीकृति दर, व्यय पत्रावली, व्यय प्रमाणक, क्रय आदेश, सत्यापन प्रमाणपत्र, आदि प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता एवं औचित्य की पुष्टि नहीं करायी गयी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 क के

अनुसार अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः रु 127008.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती धनपता व तत्कालीन सचिव श्री जगदीश यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-18-** विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत जमरांव के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-6/12/19 को ग्राम पंचायत द्वारा 20 नग स्ट्रीट लाइट मरम्मत मद में रु 37240.00 व्यय किया जाना दर्शित है। उल्लेखनीय है कि व्यय प्रमाणक/पत्रावली के अभाव में उक्त व्यय की वास्तविकता व औचित्य की पुष्टि न हो सकी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः रु 37240.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती धनपता व तत्कालीन सचिव श्री जगदीश यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-19-** विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत जमरांव के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-23/3/20 को ग्राम पंचायत द्वारा सफाई कर्मी किटमद में रु 58000.00 व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/पत्रावली/कोटेशन/विभागीय कार्यादेश अनुपलब्ध रहने से यह जानकारी न हो सकी कि उक्त क्रय में विभागीय क्रयादेश के सापेक्ष किन-किन सामग्रियों की खरीद की गयी है तथा उनकी दरें आदि मानक के अनुरूप रहे अथवा नहीं। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः रु 58000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती धनपता व तत्कालीन सचिव श्री जगदीश यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-20-** विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत पचीसा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 की कैशबुक में साधु के घर से मेन नाली तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण सामग्री मद में रु 40425.00 की सामग्री क्रय के सापेक्ष टी0डीएस0 रु 808.00 की कटौती उपरान्त रु 39617.00 का भुगतान फर्म को किया जाना दर्शित है। वर्ष दौरान उक्त परियोजना पर कैशबुक व स्टेटमेंट के अनुसार कही भी श्रमांश का भुगतान किया जाना नहीं पाया और न ही लेखा परीक्षा में मस्टररोल व पत्रावली उपलब्ध रही तत्कालीन जे0ई0 द्वारा यदि उक्त भुगतान पर कोई कार्यवाही/निरीक्षण की गयी होती तो ऐसा सम्भव न होता। इस प्रकार परियोजना पर श्रमांश में व्यय न होने मस्टररोल व पत्रावली प्रस्तुत न होने से स्पष्ट है कि कार्य कराया ही नहीं गया है। व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण के श्रेणी में आता है अतः भुगतानित धनराशि रु 39617.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी मिश्रा व तत्कालीन सचिव श्री आशीष श्रीवास्तव व तत्कालीन जे0ई0 से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-21-** विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत अवस्थीपुर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष निम्न कार्यों के पत्रावली/व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे-

क्र0सं	वर्क आई0डी0	कार्य	कैशबुक में कार्य का दिनांक	सामग्री	श्रमांश	कुल व्यय
0						
1	17152333	हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान	8/7/19	36340.00	00	36340.00
2	17152334	4 अदद सोलर लाईट मरम्मत	9/8/19	40500.00	00	40500.00
3	20461864	10 हैण्डपम्प मरम्मत	19/2/20	28900.00	00	28900.00
			योग			105740.00

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/कार्यपत्रावली कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि क्रमांक-2 पर उल्लेखित कार्य सोलर लाईट मरम्मत हेतु आवश्यक प्रक्रिया अर्थात पूर्व में लगे सोलर लाईट के गारण्टी अवधि समाप्त होने अथवा न होने सम्बन्धी समुचित उत्तर लेखापरीक्षा में नहीं दिया गया तथा कैशबुक में उक्त का भुगतान मे0 निसार अहमद कां0 को जबकि ई-ग्रामस्वराज पर उक्त का भुगतान यादव कां0 को किया जाना दर्शित है। इस प्रकार उक्त भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः धनराशि रु 105740.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री श्यामलाल यादव व तत्कालीन सचिव श्री रामकिशोर शर्मा से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-22-** विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत भैंसहिया के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 की कैशबुक में हैण्डपम्प मरम्मत व चौकी निर्माण पर सामग्री मद पर रु 24180.00 व रु 14345.00 की सामग्री क्रय के सापेक्ष क्रमशः टी0डी0एस0 रु 483.00 व रु 286.00 की कटौती उपरान्त रु 23697.00 व रु 14059.00 कुल रु 37756.00 का भुगतान फर्म को किया जाना दर्शित है जोकि ऑनलाईन फीड विवरण के अनुसार आई0डी0 सं0-14691989.00 के सापेक्ष भुगतान से भी प्रमाणित है। वर्ष दौरान उक्त परियोजना पर कैशबुक व स्टेटमेण्ट के अनुसार कहीं भी श्रमांश का भुगतान किया जाना नहीं पाया गया और न ही लेखापरीक्षा में मस्टररोल व पत्रावली उपलब्ध रही तत्कालीन जे0ई0 द्वारा यदि उक्त भुगतान पर कोई कार्यवाही/निरीक्षण की गयी होती तो ऐसा सम्भव न होता। इस प्रकार परियोजना पर श्रमांश में व्यय न होने मस्टररोल व पत्रावली प्रस्तुत न होने से स्पष्ट है कि कार्य कराया ही नहीं गया है। व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण के श्रेणी में आता है अतः भुगतानित धनराशि रु 37756.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सोना देवी व तत्कालीन सचिव श्री आशीष श्रीवास्तव व तत्कालीन संबंध जे0ई0 से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-23-** विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत साहूपार के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 की दिनांक-9/7/19 को कैशबुक अनुसार कूप मरम्मत हेतु सामग्री खरीद पर रु 56057.00 की निकासी की गयी है जिसकी पुष्टि स्टेट मेण्ट से भी उक्त तिथि को आहरण से होती है। उक्त निकासी सामग्री मूल्य रु 57201.00 के सापेक्ष रु 1144.00 टी0डी0एस0 की कटौती उपरान्त हुई है वर्ष दौरान उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान कैशबुक पर दर्शित नहीं है। केवल सामग्री खरीद से यह स्पष्ट होता है कि कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया न ही लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की व्यय पत्रावली उपलब्ध रही व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं अतः धनराशि रु 56057.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र व तत्कालीन सचिव श्री अशोक तिवारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-24-** विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत भरौलीबाबू के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। लेखा परीक्षा में केवल ऑनलाईन फीड कैशबुक परिशिष्ट-1 प्रस्तुत रहा जिसके अनुसार 1/4/19 से 31/3/20 की अवधि में कुल रु 3457867.00 की निकासी की गयी है।

लेखापरीक्षा में उक्त व्यय सम्बन्धी कैशबुक स्टेट मेण्ट, प्रस्ताव व स्वीकृति, व्ययप्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, एम0बी0, स्टॉक बुक, सा0नि0कार्य रजिस्टर, कार्यपत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं अतः धनराशि रु 3457867.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उमा सिंह व तत्कालीन सचिव श्री अनुरोध श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-25-** विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत रामपुर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। लेखा परीक्षा में केवल ऑनलाईन फीड कैशबुक परिशिष्ट-1 प्रस्तुत रहा जिसके अनुसार 1/4/19 से 31/3/20 की अवधि में कुल रु 1070970.00 की निकासी की गयी है।

लेखापरीक्षा में उक्त व्यय सम्बन्धी कैशबुक स्टेट मेण्ट, प्रस्ताव व स्वीकृति, व्ययप्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, एम0बी0, स्टॉक बुक, सा0नि0कार्य रजिस्टर, कार्यपत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं अतः धनराशि रु 1070970.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तराना अंजुम व तत्कालीन सचिव श्री जगदीश यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

ऑनलाईन फीड कैशबुक व प्रदत्त स्टेटमेण्ट व्यय विवरण निम्न प्रकार है-

वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	राज कांस्ट्र0	अंश इन्टरप्रा0	स्नेहा ट्रेडर्स	केसामल सिन्धी	अंश ट्रेडर्स	बाबा ट्रेडर्स	ताराना अंजुम
	प्रशासनिक व्यय							8000.00
	प्रशासनिक व्यय							7400.00
	मानदेय							31500.00
	हैण्डपम्प मरम्मत	19270.00						
9601861	हैण्डपम्प रिबोर	56056.00						
9691877	हैण्डपम्प मरम्मत	40342.00						

9601874	सफाई कर्मी किट		14063.00					
9601936	यासीन हाफीज के घर से सडक तक सी0सी0 रोड मरम्मत			123215.00	3601.00			19071.00
9601919	हुकुमदार घर के सामने से अतिउल्लाह के दुकान तक नाली निर्माण			16625.00	29018.00			
9601942	रामपुर इस्लाम मार्केट से बैंक के आगे तक सी0सी0 रोड			121989.00 व 4361.00	30911.00			24746.00
9601899	कूडादान					37240.00		
9601900	प्रशासनिक व्यय फोटोकॉपी						9975.00	
20881806	निजामुद्दीन से मजीद मास्टर के घर तक सी0सी0 रोड			123330.00	30551.00			24200.00
20881810	बैंक से दक्षिण पक्की सडक तक सी0सी0 रोड			90526.00	22956.00			17968.00
20881811	मेन रोड से दाउद के घर तक सी0सी0 रोड			140220.00				23836.00
	योग	115668.00	14063.00	620266.00	117037.00	37240.00	9975.00	156721.00
	सकल योग- 1070970.00							

टिप्पणी- वर्क आई0डी0-19601919 पर कोई मजदूरी का भुगतान नहीं केवल सामग्री पर भुगतान हुआ है।

**प्रस्तर-26-** विकास खण्ड बस्ती सदर के ग्राम पंचायत हवेली खास के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 की कैशबुक व स्टेटमेंट अनुसार दिनांक 1/7/19 को रु 8000.00 व 8/7/19 को रु 14000.00 का भुगतान क्रमशः अंश ट्रेडर्स को कैमरा क्रय तथा प्रधान श्री अजय सिंह को मानदेय भुगतान हेतु किया जाना दर्शित है। उल्लेखनीय है कि कैमरा क्रय का भुगतान किसी इलेक्ट्रॉनिक फर्म को न करना व पत्रावली/बाउचर अप्रस्तुत रहना भुगतान को काल्पनिक प्रमाणित करता है। पुनः ऑनलाईन आंकड़ों को देखने पर स्पष्ट होता है कि मानदेय व कैमरा क्रय का भुगतान एक ही केश रिकार्ड सं0/वर्क आई0डी0 सं0-9044785 के सापेक्ष ही हुआ है। कैशबुक में मानदेय भुगतान के बाबत केवल रु 14000.00 दर्शित है। उक्त भुगतान किस माह के सापेक्ष किया गया यह दर्शित नहीं होने व उक्त भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक अप्रस्तुत रहने से निकासी काल्पनिक प्रतीत होती है व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः भुगतानित रु 22000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री अजय सिंह व सचिव श्री अनुरोध श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-27-** विकास खण्ड बस्ती सदर के ग्राम पंचायत बन्तला खास के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि-1 से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष निम्न कार्यो की पत्रावली/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे

क्र०सं०	वर्क आई०डी०	कार्य	सामग्री	श्रमांश	कुल व्यय
1	19226234	गौशाला पर हैण्डपम्प कार्य	30000.00	-	30000.00
2	19226233	गौवंश स्थल पर सेड व चरनी निर्माण	282713.00	49713.00	332426.00
3				योग-	362426.00

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय सम्बन्धी व्यय प्रमाणक/कार्यपत्रावली, प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः भुगतानित रु 362426.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती नीतू शुक्ला व सचिव श्री अनुरोध श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-28** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत पकरीछब्बर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक एवं अन्य अभिलेख कार्यक्रम अनुसार अनेकबार मांगोपरान्त ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि कैशबुक एवं फाइल तैयार ही नहीं किया गया है। आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार कुल रु० 969542.00 व्यय दर्शित है। उक्त अंकित धनराशि / व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी०, एम०बी०, कैशबुक, पासबुक, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण समिति की संस्तुति, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जासकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 969542.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती अर्चना देवी व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती निकुंजनी देवी एवं श्री अन्कुर कुमार से कालक्रमानुसार किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 07 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उक्त ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ-साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

**प्रस्तर-29** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक एवं अन्य अभिलेख कार्यक्रम अनुसार अनेकबार मांगोपरान्त ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि कैशबुक एवं फाइल तैयार ही नहीं किया गया है। आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार कुल रु० 1340540.00 व्यय दर्शित है। उक्त अंकित धनराशि / व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी०, एम०बी०, कैशबुक, पासबुक, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण समिति की संस्तुति, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली

के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जासकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1340540.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री विरेन्द्र कुमार व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री गोरखनाथ यादव से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 07 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उक्त ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ-साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

**प्रस्तर-30** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत सिल्लो के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक एवं अन्य अभिलेख कार्यक्रम अनुसार अनेकबार मांगोपरांत ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि कैशबुक एवं फाइल तैयार ही नहीं किया गया है। आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार कुल रु0 1850719.00 व्यय दर्शित है। उक्त अंकित धनराशि / व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण समिति की संस्तुति, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जासकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1850719.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती गायत्री व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री गोरखनाथ यादव से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 07 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उक्त ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ-साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

**प्रस्तर-31** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत खड्डाजाट के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक एवं अन्य अभिलेख कार्यक्रम अनुसार अनेकबार मांगोपरांत ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि कैशबुक एवं फाइल तैयार ही नहीं किया गया है। आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार कुल रु0 432207.00 व्यय दर्शित है। उक्त अंकित धनराशि / व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण समिति की संस्तुति, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जासकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 432207.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री मनोज कुमार व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती पूनम श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 07 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उक्त ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ-साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

**प्रस्तर-32** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत भेडिहा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक एवं अन्य अभिलेख कार्यक्रम अनुसार अनेकबार मांगोपरांत ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि कैशबुक एवं फाइल तैयार ही नहीं किया गया है। आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार कुल ₹0 1059919.84 व्यय दर्शित है। उक्त अंकित धनराशि / व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण समिति की संस्तुति, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 1059919.84 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती कलावती व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री गोरखनाथ यादव से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 07 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उक्त ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ-साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

**प्रस्तर-33** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत पाल्हा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक एवं अन्य अभिलेख कार्यक्रम अनुसार अनेकबार मांगोपरांत ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि कैशबुक एवं फाइल तैयार ही नहीं किया गया है। आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार कुल ₹0 465809.00 व्यय दर्शित है। उक्त अंकित धनराशि / व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण समिति की संस्तुति, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 465809.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री कृष्णन्द्र किशोर व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती पूनम श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 07 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उक्त ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और

साथ-साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

**प्रस्तर-34** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत कुसौरी के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक एवं अन्य अभिलेख कार्यक्रम अनुसार अनेकबार मांगोपरांत ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि कैशबुक एवं फाइल तैयार ही नहीं किया गया है। आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार कुल ₹0 996271.00 व्यय दर्शित है। उक्त अंकित धनराशि / व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण समिति की संस्तुति, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जासकेगा"

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 996271.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री नसीर अहमद व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री तनवीर अहमद से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 07 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उक्त ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ-साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

**प्रस्तर-35** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत भैलवल के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक एवं अन्य अभिलेख कार्यक्रम अनुसार अनेकबार मांगोपरांत ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि कैशबुक एवं फाइल तैयार ही नहीं किया गया है। आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार कुल ₹0 546622.00 व्यय दर्शित है। उक्त अंकित धनराशि / व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण समिति की संस्तुति, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जासकेगा"

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 546622.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री मुन्ना व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री अविनाश कुमार पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 07 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उक्त ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ-साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

**प्रस्तर-36** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत धोबहट के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक एवं अन्य अभिलेख कार्यक्रम अनुसार अनेकबार मांगोपरांत ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि कैशबुक एवं फाइल तैयार ही नहीं किया गया है। आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार कुल ₹0

465767.00 व्यय दर्शित है। उक्त अंकित धनराशि / व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण समिति की संस्तुति, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जासकेगा"

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 465767.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री अजहर नसीम व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री तनवीर असरफ से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 07 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उक्त ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ-साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

**प्रस्तर-37** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत कम्हरिया-2 के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक एवं अन्य अभिलेख कार्यक्रम अनुसार अनेकबार मांगोपरांत ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि कैशबुक एवं फाइल तैयार ही नहीं किया गया है। आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार कुल रु0 986378.72 व्यय दर्शित है। उक्त अंकित धनराशि / व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण समिति की संस्तुति, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जासकेगा"

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 986378.72 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री रामअवध व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती पूनम श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 07 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उक्त ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ-साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

**प्रस्तर-38** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत जुआंजाता के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक एवं अन्य अभिलेख कार्यक्रम अनुसार अनेकबार मांगोपरांत ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि कैशबुक एवं फाइल तैयार ही नहीं किया गया है। आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार कुल रु0 1112610.00 व्यय दर्शित है। उक्त अंकित धनराशि / व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण समिति की संस्तुति, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ

आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जासकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1112610.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती गीता देवी व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 07 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उक्त ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ-साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

**प्रस्तर-39** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत कनैलाखास के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक एवं अन्य अभिलेख कार्यक्रम अनुसार अनेकबार मांगोपरांत ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि कैशबुक एवं फाइल तैयार ही नहीं किया गया है। आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार कुल रु0 1248664.00 व्यय दर्शित है। उक्त अंकित धनराशि / व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण समिति की संस्तुति, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्त व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जासकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1248664.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राकेश कुमार व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 07 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उक्त ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ-साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

**प्रस्तर-40** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत सोनहा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक एवं अन्य अभिलेख कार्यक्रम अनुसार अनेकबार मांगोपरांत ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि कैशबुक एवं फाइल तैयार ही नहीं किया गया है। आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार कुल रु0 679193.00 व्यय दर्शित है। उक्त अंकित धनराशि / व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण समिति की संस्तुति, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्त व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8

(क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जासकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 679193.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती प्रेमशीला व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 07 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उक्त ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ-साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

**प्रस्तर-41** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत बिरउपुर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक एवं अन्य अभिलेख कार्यक्रम अनुसार अनेकबार मांगोपरांत ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि कैशबुक एवं फाइल तैयार ही नहीं किया गया है। आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार कुल रु0 708709.00 व्यय दर्शित है। उक्त अंकित धनराशि / व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण समिति की संस्तुति, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्त व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जासकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 708709.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती निर्मला देवी व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 07 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उक्त ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ-साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

**प्रस्तर-42** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत कलवारी एहतमाली के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक एवं अन्य अभिलेख कार्यक्रम अनुसार अनेकबार मांगोपरांत ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि कैशबुक एवं फाइल तैयार ही नहीं किया गया है। आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के अनुसार कुल रु0 786921.00 व्यय दर्शित है। उक्त अंकित धनराशि / व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, निर्माण समिति की संस्तुति, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्त व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जासकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 786921.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती पूनम यादव व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री तनवीर असरफ से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 07 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उक्त ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ-साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

**प्रस्तर-43** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत नेवरीगडा कुसरौत के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में 1.निधि-1 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजना पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र०सं०	परियोजना	दिनांक	चेक नं० / डोंगल	धनराशि	जिसे भुगतान / फर्म का नाम
1	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	27-06-2019 01-07-2019 17-01-2020	071738 071741 डोंगल	117500.00 29400.00 162397.00	ट्रांसफर सुनील डोंगल
<b>योग-</b>				<b>309297.00</b>	

उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित हैण्डपम्प खराब होने का लाभार्थी द्वारा दिया गया प्राथनापत्र, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, वर्क आई0डी0, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 एवं हैण्डपम्प ठीक होने का लाभार्थी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी, अतः उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार ₹0 309297.00 का अपहरण किया गया है अतः ₹0 309297.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती उर्मिला ग्राम प्रधान एवं श्री पंकज सिंह ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-44** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत नेवरीगडा कुसरौत के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजना पर आलोच्य वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र०सं०	परियोजना	दिनांक	चेक नं०	धनराशि	जिसे भुगतान / फर्म का नाम
1	सोलर लाइटमरम्मत/स्थापनाकार्य	28-06-2019 28-06-2019 28-06-2019 01-07-2019	071742 071743 071740 071739	94000.00 94000.00 94000.00 46200.00	बलवन्त ट्रेडर्स अमित ट्रेडर्स अमित ट्रेडर्स सुनील
<b>योग-</b>				<b>328200.00</b>	

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, वर्क आई0डी0, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र /भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0, लाभार्थियों / स्थल के नाम की सूची आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी, उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार ₹0 328200.00 का अपहरण किया गया है अतः ₹0 328200.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती उर्मिला ग्राम प्रधान एवं श्री पंकज सिंह ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-45** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत कन्हौली के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजना पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र०सं०	परियोजना	दिनांक	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	कुल व्यय
1	इण्टरलाकिंग कार्य- रामपाल के घर से छोटेलाल के घर तक	3/12/19 3/12/19 3/12/19	16013- एम0ए0 ट्रेडर्स 20734- कोहिनूर ब्रिक फील्ड 57675- किशन इण्टरप्राइजेज 4528- एम0ए0 ट्रेडर्स	- - - -	16013- 20734- 57675- 4528-

		16/12/19 16/12/19	6774- कोहिनूर ब्रिक फील्ड	-	6774-
	<b>योग-</b>		<b>105724-</b>	-	<b>105724-</b>

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी, तथा **जब मजदूरी मद में भुगतान ही नहीं हुआ तो कार्य कैसे हुआ, जिससे स्वयं सिद्ध होता है कि कार्य हुआ ही नहीं** एवं उक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0 **105724-** का अपहरण किया गया है अतः रू0 **105724-** की ब्याज सहित वसूली श्री निसार अहमद ग्राम प्रधान एवं श्री तनबीर अशरफ ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **प्रस्तर-46** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत चन्दो के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजना पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र0सं0	परियोजना	दिनांक	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	कुल व्यय
1	इण्टरलाकिंग कार्य- रामलौट के मकान से हीरालाल यादव के मकान तक	12/7/19	166939.00मानस विल्डिंगमैटेरियल	-	166939.00
	<b>योग-</b>		<b>166939.00</b>	-	<b>166939.00</b>

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी, तथा **जब मजदूरी मद में भुगतान ही नहीं हुआ तो कार्य कैसे हुआ, जिससे स्वयं सिद्ध होता है कि कार्य हुआ ही नहीं** एवं उक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0 **166939.00** का अपहरण किया गया है अतः रू0 **166939.00** की ब्याज सहित वसूली श्री धुवचन्द ग्राम प्रधान एवं श्रीमती पूनम श्रीवास्तव ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-47** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत चन्दो के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजना पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र0 सं0	परियोजना	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	कुल व्यय
1	खडण्जा कार्य- विद्यासिंह के घर से भानुप्रताप सिंह के मकान तक	197240.00 दिनांक 11/7/19 दुर्गेश एण्डकम्पनी ब्रिक क्रय	19838.00 20020.00	
	<b>योग-</b>	<b>197240.00</b>	<b>39858.00</b>	<b>237098.00</b>

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, वर्क आईडी0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी, तथा एवं उक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0 **237098.00** का अपहरण किया गया है अतः रू0 **237098.00** की ब्याज सहित वसूली श्री धुवचन्द ग्राम प्रधान एवं श्रीमती पूनमश्रीवास्तव ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-48** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत सरैयाखुर्द के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजना पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र0सं0	परियोजना	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय बनता है	मजदूरी दिया गया है
1	प्रा0 वि0 रानीपुर का बाउन्डरीवाल निर्माण कार्य दिनांक 29/1/20	--	एम- 42 X375=15750- एल- 222 X 182 =40404	56000.00

	योग-	--	56154.00	56000.00
--	------	----	----------	----------

उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, वर्क आई0डी0, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी, तथा केवल **मजदूरी मद में भुगतान किया जाना एवं सामग्री पर भुगतान ही नहीं होने**, से स्पष्ट होता है कि कार्य हुआ ही नहीं है, साथ ही उक्तानुसार मजदूरी बनती है रू 56154.00 एवं भुगतान मात्र रू 56000.00 करने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से एवं काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0 56000.00 का अपहरण किया गया है अतः रू0 56000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री हमीद ग्राम प्रधान एवं श्री अरिमर्दन प्रताप मणि ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-49** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत कम्हरिया-1 के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजना पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

आ0सं0	परियोजना	दिनांक	सामग्री पर व्यय
1	सोलर लाइट स्थापना कार्य	05-07-2019	110000.00अनवर अहमद
	योग-		110000.00

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, वर्क आई0डी0, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उसकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी तथा **फर्म को भुगतान न कर अनवर अहमद**, व्यक्तिविशेष को भुगतान का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया एवं उक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0 110000.00 का अपहरण किया गया है अतः रू0 110000.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती तबस्सुम निशा ग्राम प्रधान एवं श्रीमती गिरिजा आम्रपाली ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-50** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत कम्हरिया-1 के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजना पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

आ0सं0	परियोजना	दिनांक	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	कुल व्यय
2	इण्टरलाकिंग कार्य- वजीरके घर से आसमोहम्मद के घर तक	29-11-2019	128358.00मे0 मनोज कांस्ट्रक्शन	-	128358.00
		17-12-2019	27890.00मे0 मनोज कांस्ट्रक्शन	-	27890.00
		17-12-2019	66606.00सुपर ब्रिक फील्ड	-	66606.00
		17-12-2019	71661.00मे0 मनोज कांस्ट्रक्शन	-	71661.00
	योग-		294515.00	-	294515.00

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, वर्क आई0डी0, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी, तथा उल्लेखनीय है कि कैशबुक अनुसार उक्त परियोजना पर **मजदूरी मद में भुगतान हुआ ही नहीं है** अतः उक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी पर भुगतान न होने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0 294515.00 का अपहरण किया गया है अतः रू0 294515.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती तबस्सुम निशा ग्राम प्रधान एवं श्रीमती गिरिजा आम्रपाली ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-51** विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत कम्हरिया-1 के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजना पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

आ0सं0	परियोजना	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
3	इ0ला0-सददाम के घर से अख्तरके घर तक एवं कूप मरम्मत कार्य	29-11-2019	36968.00सामग्री क्रय	असफाक अहमद
		27-12-2019	23450.00मजदूरी	असफाक अहमद
		27-12-2019	19740.00मजदूरी	असफाक अहमद
	योग-		80158.00	

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, वर्क आई0डी0, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उसकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी तथा सामग्री क्रय हेतु फर्म को भुगतान न कर असफाक अहमद, व्यक्तिविशेष को भुगतान का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया एवं उक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रु0 80158.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 80158.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती तबस्सुम निशा ग्राम प्रधान एवं श्रीमती गिरिजा आम्रपाली ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-52** विकास खण्ड बनकटी के ग्राम पंचायत पडियापार के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 खाता की कैशबुक में 08 अदद सोक्ता गड्डा निर्माण मद में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है-

दिनांक	धनराशि	विवरण
23/12/2019	30801.00	सामग्री
23/12/2019	33009.00	सामग्री
23/12/2019	10438.00	मजदूरी
योग	74248.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटड वर्क आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, सम्पति रजिस्टर, स्टॉक बुक, आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु 74248.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्रीमती शर्मिला ग्राम प्रधान तथा श्री रणविजय सिंह तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-53** विकास खण्ड बनकटी के ग्राम पंचायत अहिरौली के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 खाता की कैशबुक में हृदयतुल्ला के घर से चनुआ सिवान तक इ0ला0 कार्य मद में निम्न विवरणानुसरा व्यय दर्शित किया गया है-

दिनांक	धनराशि	विवरण
20/11/2019	159520.00	सामग्री
20/11/2019	53411.00	सामग्री
20/11/2019	32930.00	मजदूरी
योग	245861.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटड वर्क आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, सम्पति रजिस्टर, स्टॉक बुक, आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु 245861.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री पलटू राम ग्राम प्रधान तथा श्री शिवनन्दन त्रिपाठी तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-54** विकास खण्ड बनकटी के ग्राम पंचायत डेल्हापार के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में आडिट हेतु निर्धारित ऑनलाईन/ऑफलाईन कार्यक्रम अनुसार अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मांगोपरान्त ग्राम पंचायत के अभिलेख ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मदनगोपाल पाण्डेय द्वारा आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग फिडिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में निधि-1 खाते से कुल रु 789271.00 व्यय किया जाना दर्शित है आलोच्य वर्ष में दर्शित व्यय की पुष्टि कैशबुक, प्रमाणकों तथा अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु श्री अब्दुल कादिर ग्राम प्रधान व श्री मदनगोपाल पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः रु 789271.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

**प्रस्तर-55** विकास खण्ड बनकटी के ग्राम पंचायत एकमा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में आडिट हेतु निर्धारित ऑनलाईन/ऑफलाईन कार्यक्रम अनुसार अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मांगोपरान्त ग्राम पंचायत के अभिलेख ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रणविजय सिंह द्वारा आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग फिडिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में निधि-1 खाते से कुल रु 1074061.00 व्यय किया जाना दर्शित है आलोच्य वर्ष में दर्शित व्यय की पुष्टि कैशबुक, प्रमाणकों तथा अभिलेखों से



**प्रस्तर-62** विकास खण्ड बनकटी के ग्राम पंचायत पिकौरा शुक्ल के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में आडिट हेतु निर्धारित ऑनलाईन/ऑफलाईन कार्यक्रम अनुसार अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मांगोपरान्त ग्राम पंचायत के अभिलेख ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवनन्दन त्रिपाठी द्वारा आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग फिडिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में निधि-1 खाते से कुल ₹ 803330.00 व्यय किया जाना दर्शित है आलोच्य वर्ष में दर्शित व्यय की पुष्टि कैशबुक, प्रमाणकों तथा अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु श्री मोहम्मद ताहिर ग्राम प्रधान व श्री शिवनन्दन त्रिपाठी ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः ₹ 803330.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-63** विकास खण्ड बनकटी के ग्राम पंचायत नेवारी के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 खाता की कैशबुक में मो0 इंद्रेश के घर के पीछे से पूरब पिच रोड तक खण्डजा तथा नाली निर्माण कार्य मद में निम्न विवरणानुसरा व्यय दर्शित किया गया है-

दिनांक	धनराशि	विवरण
05/07/2019	75137.00	सामग्री
05/07/2019	67000.00	सामग्री
05/07/2019	50782.00	मजदूरी
योग	192919.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटड वर्क आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, सम्पति रजिस्टर, स्टॉक बुक, आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय ₹ 192919.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्रीमती नूरजहाँ खातून ग्राम प्रधान तथा श्री पवन कुमार पाण्डेय तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-64** विकास खण्ड हरैया के ग्राम पंचायत मजगवां के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक- 01/04/19 से 31/3/20 तक कुल ₹ 915928.22 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0, तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि ₹ 915928.22 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती उर्मिला ग्राम प्रधान तथा श्रीमती चांदनी सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-65** विकास खण्ड हरैया के ग्राम पंचायत सरैया तिवारी के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक- 01/04/19 से 31/3/20 तक कुल ₹ 911946.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0, तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि ₹ 911946.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती कांती ग्राम प्रधान तथा श्रीमती पिंकी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-66** विकास खण्ड हरैया के ग्राम पंचायत दौलतपुर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक- 01/04/19 से 31/3/20 तक कुल ₹ 1688885.07 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0, तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि ₹ 1688885.07 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती कौशल्या ग्राम प्रधान तथा श्री प्रमोद कुमार मिश्र ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-67** विकास खण्ड हरैया के ग्राम पंचायत अमारी के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक- 01/04/19 से 31/3/20 तक कुल ₹ 801039.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0, तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि ₹ 801039.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती ममता देवी ग्राम प्रधान तथा श्री हीरा सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-68** विकास खण्ड हरेया के ग्राम पंचायत महेवा कुंवर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 खाते की कैशबुक अनुसार दिनांक- 01/04/19 से 31/3/20 तक कुल रू 1022400.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। जिनके व्यय प्रमाणक, एम0बी0, तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय की धनराशि रू 1022400.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती फूला देवी ग्राम प्रधान तथा श्री हीरा सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-69** विकास खण्ड दुबौलिया के ग्राम पंचायत मरवटिया के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 खाते की कैशबुक की जांच में पाया गया कि चन्द्रमणि के घर से मोरई के पशु सेडतक इ0ला0 निर्माणमद में कुल रू 199705.00 का व्यय दर्शित है उक्त लेखा परीक्षा में स्वीकृति कार्ययोजना, आई0डी0, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक , मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे जिनके अभाव में जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त अभिलेख न प्रस्तुत किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू 199705.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री फौजदार मौर्य ग्राम प्रधान तथा श्री शिवकुमार लाल ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-70** विकास खण्ड दुबौलिया के ग्राम पंचायत बरदिया कुंवर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 खाते की कैशबुक की जांच में पाया गया कि दिनांक- 10/2/20 को बरदिया कुंवर में रामअवतार यादव के घर से दक्षिण हासिम नाई के घर तक नाली निर्माण मद में कुल रू 202236.00 का व्यय दर्शित है उक्त लेखा परीक्षा में स्वीकृति कार्ययोजना, आई0डी0, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक , मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे जिनके अभाव में जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त अभिलेख न प्रस्तुत किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू 202236.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विरेन्द्र सिंह ग्राम प्रधान तथा श्री राजेश पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-71** विकास खण्ड दुबौलिया के ग्राम पंचायत सेमरा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 खाते की कैशबुक की जांच में पाया गया कि काली जी के मंदिर से देवता के घर तक खण्डजा मरम्मत मद में कुल रू 195377.00 का व्यय दर्शित है उक्त लेखा परीक्षा में स्वीकृति कार्ययोजना, आई0डी0, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक , मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे जिनके अभाव में जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त अभिलेख न प्रस्तुत किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू 195377.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती निर्मला ग्राम प्रधान तथा श्री शिवकुमार लाल ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-72** विकास खण्ड विक्रमजोत के ग्राम पंचायत पूरे दिवान वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 कैशबुक अनुसार दिनांक- 31/3/20 को बैंक खाते में रू 1421851.00 अवशेष दर्शित है जबकि पूरे वर्ष में रू 35685.40 का ही व्यय मानदेय तथा बैंक कटौती दर्शित है। इस प्रकार शासन द्वारा प्रदत्त धनराशि रू 1386166.00 का शासन की मंशानुसार जनहित/विकास कार्यों में खर्च न कर बैंक खाते में रखकर अनियमितता की गयी है जिसके लिये ग्राम प्रधान दीपक कुमार व सचिव राजमंगल दूबे उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर-73** विकास खण्ड विक्रमजोत के ग्राम पंचायत करमिया के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 कैशबुक अनुसार दिनांक- 31/3/20 को बैंक खाते में रू 1500825.00 अवशेष दर्शित है जबकि पूरे वर्ष में रू 236.00 का ही व्यय मानदेय तथा बैंक कटौती दर्शित है। इस प्रकार शासन द्वारा प्रदत्त धनराशि रू 1500589.00 का शासन की मंशानुसार जनहित/विकास कार्यों में खर्च न कर बैंक खाते में रखकर अनियमितता की गयी है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला व सचिव राजमंगल दूबे उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर-74** विकास खण्ड रामनगर के ग्राम पंचायत सिसवाखुर्द के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 कैशबुक में दिनांक-30/12/19 को रू 32046.00 निकासी दर्शित है। उपरोक्त दर्शित निकासी किस व्यय हेतु प्रयुक्त की गयी है का उल्लेख कैशबुक में अंकित नहीं पाया गया ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फिडिंग कैशबुक अनुसार उक्त व्यय स्ट्रीट लाईट हेतु क्रय हेतु किया गया है।

उपरोक्त दर्शित निकासी/ व्यय से संबंधित स्वीकृति प्रस्ताव, स्वीकृति कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, जनरेडट वर्क आई0डी0, सत्यापित कार्यपूति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर, एम0बी0 आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में निकासी/ व्यय की गयी धनराशि रू 32046.00 की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार निकासी धनराशि रू 32046.00 बिना विवरण व्यय दर्शित कर एवं उक्त व्यय के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल

के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुमन चौधरी ग्राम प्रधान तथा श्री विरेन्द्र पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-75** विकास खण्ड रामनगर के ग्राम पंचायत बेदौला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 केशबुक में निम्नविवरणानुसार परियोजनाओं पर व्ययदर्शित किया गया है-

क्र0सं	परियोजना/कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि	सामग्री	फर्म का नाम
0					
1	07 नग सोलर लाईट स्थापना कार्य	6/12/19	155482.00	सोलर लाईट	मां वैष्णो ट्रेडिंग कं0
2	60 नग स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य	6/12/19	191100.00	स्ट्रीट लाईट	मां वैष्णो ट्रेडिंग कं0
3	विभिन्न स्थानों पर ह्यूम पाईप स्थापना कार्य	6/12/19	138924.00	ह्यूम पाईप	मां वैष्णो ट्रेडिंग कं0
4		योग	485506.00		

उपरोक्त दर्शित निकासी/ व्यय से संबंधित स्वीकृति प्रस्ताव, स्वीकृति कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, जनरेडट वर्क आई0डी0, सत्यापित कार्यपूति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर, एम0बी0 आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में निकासी/ व्यय की गयी धनराशि रु 485506.00 की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। उल्लेखनीय है कि परियोजना विभिन्न स्थानों पर ह्यूम पाईप स्थापना कार्य हेतु केशबुक में वर्ष दौरान मजदूरी पर भी कोई व्यय दर्शित नहीं है इस प्रकार विभिन्न परियोजनाओं निकासी धनराशि रु 485506.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती शैलमति गौतम ग्राम प्रधान तथा श्री विरेन्द्र पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-76** विकास खण्ड रामनगर के ग्राम पंचायत असुरैना के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 केशबुक में निम्नविवरणानुसार विभिन्न तिथियों में ह्यूम पाइप क्रय किये गये हैं-

क्र0सं	विवरण	वर्क आई0डी0	दिनांक	धनराशि
0				
1	ह्यूम पाईप	29435262	8/7/19	13810.00
2	ह्यूम पाईप	29433775	6/12/19	156187.00
3	ह्यूम पाईप	33084807	7/12/19	41683.00
4			योग	211680.00

केशबुक में उक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृति प्रस्ताव, स्वीकृति कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, जनरेडट वर्क आई0डी0, सत्यापित कार्यपूति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर, एम0बी0 आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में व्यय की गयी धनराशि रु 211680.00 की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। साथ ही उल्लेखनीय है कि ह्यूम पाईप क्रय के सापेक्ष केशबुक में सामग्री एवं मजदूरी पर भी कोई व्यय दर्शित नहीं है अतः कुल दर्शित व्यय रु 211680.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री जंगबहादुर ग्राम प्रधान तथा श्री विरेन्द्र पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-77** विकास खण्ड रुधौली के ग्राम पंचायत पडरी के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 केशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजना मजदूरी मद में व्यय/भुगतान नहीं किया गया है-

क्र0सं	परियोजना	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	कुल व्यय
0				
1	प्रा0वि0 मरम्मत दिनांक 19/1/20	202469.00	00	202469.00

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृति प्रस्ताव, स्वीकृति कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, जनरेडट वर्क आई0डी0, सत्यापित कार्यपूति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर, एम0बी0 आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। मजदूरी मद में भुगतान न होने एवं उक्त अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रु

202469.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती कुसुम त्रिपाठी ग्राम प्रधान तथा श्री राजेश ग्राम पंचायत अधिकारी से अर्थदण्ड सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-78** विकास खण्ड रूधौली के ग्राम पंचायत डडवा भईया के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 कैशबुक की जांच में पाया गया कि दिनांक-16/7/19 को ह्यूम पाईप फीक्सिंग मद में रु 117152.00 का ह्यूम पाईप क्रय दर्शित है किन्तु आलोच्य वर्ष में उक्त परियोजना में मजदूरी पर व्यय नहीं हुआ है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृति प्रस्ताव, स्वीकृति कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, जनरेट वॉर्क आई0डी0, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर, एम0बी0 आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत रहे चार्ज में अप्राप्त बताया गया जिसके अभाव में जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। मजदूरी मद में भुगतान न होने एवं उक्त अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रु 117152.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती संगीता ग्राम प्रधान तथा श्री राजेश पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी से अर्थदण्ड सहित संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

**प्रस्तर-79** विकास खण्ड रूधौली के ग्राम पंचायत धेन्सा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजना मजदूरी मद में भुगतान नहीं किया गया है-

क्र0सं 0	परियोजना	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	कुल व्यय
1	नाली निर्माण- गणेश के घर से गढही तक	140804.00	00	140804.00
2	खण्डजा निर्माण- अब्दुलसमद के घर से गढही तक	119700.00	00	119700.00
3	खण्डजा निर्माण रामकिशोर के घर से तुलसीराम के घर तक	59283.00	00	59283.00
4	खण्डजा निर्माण सायरा के घर से ताहिर के घर तक	89548.00	00	89548.00
5	खण्डजा निर्माण रामसूरत के घर से चकरोड तक	63176.00	00	63176.00
6	नाली निर्माण नईम के घर से अशोक के घर तक	113141.00	00	113141.00
7	हैण्डपम्प मरम्मत	25600.00	00	25600.00
8	ह्यूम पाईप फीक्सिंग	80850.00	00	80850.00
9	योग	692102.00		692102.00

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृति प्रस्ताव, स्वीकृति कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, जनरेट वॉर्क आई0डी0, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर, एम0बी0 आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये चार्ज में अप्राप्त बताया गया जिसके अभाव में जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। मजदूरी मद में भुगतान न होने एवं उक्त अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रु 692102.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती शशिकला ग्राम प्रधान तथा श्री रामसहाय ग्राम पंचायत अधिकारी से अर्थदण्ड सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-80** विकास खण्ड रूधौली के ग्राम पंचायत केरौना के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजना मजदूरी मद में भुगतान नहीं किया गया है-

क्र0सं 0	परियोजना	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	कुल व्यय
1	आर0सी0सी0 रोड- कृष्णलाल के घर से प्रेमलाल के घर तक	143080.00	00	143080.00
2	खण्डजा निर्माण- राधेश्याम के घर से अनिल के घर तक	135828.00	00	135828.00
3	प्रा0वि0 केरौना में टाईल्स कार्य	130605.00	00	130605.00
4	नाली निर्माण- सुदामा के घर से गढहे तक	112231.00	00	112231.00
5	सामुदायिक शौचालय निर्माण	142555.00	00	142555.00
9	योग	664299.00		664299.00

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृति प्रस्ताव, स्वीकृति कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, जनरेट वॉर्क आई0डी0, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोटेशन/टेण्डर, एम0बी0 आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये चार्ज में अप्राप्त बताया गया जिसके अभाव में जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। मजदूरी मद में भुगतान न होने एवं उक्त अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के

नियम 8 (क) के अनुसार रु 664299.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती निर्मला ग्राम प्रधान तथा श्री विवेक कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से अर्थदण्ड सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-81** विकास खण्ड सांडघाट के ग्राम पंचायत मझौवाजगत के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 खाता की कैशबुक में मझौवाजगत में अन्तेयेष्टी स्थल अवशेष कार्य मद में निम्न विवरणानुसरा व्यय दर्शित किया गया है-

दिनांक	धनराशि	विवरण
15/4/19	152250.00	मजदूरी
15/4/19	183750.00	मजदूरी
16/4/19	140824.00	सामग्री
16/4/19	150340.00	सामग्री
16/4/19	76279.00	सामग्री
16/4/19	43684.00	सामग्री
16/4/19	158672.00	सामग्री
16/4/19	56250.00	सामग्री
16/4/19	135240.00	सामग्री
16/4/19	90160.00	सामग्री
29/2/20	93394.00	सामग्री
29/2/20	39200.00	सामग्री
योग	1320043.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटड वर्क आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, सम्पति रजिस्टर, स्टॉक बुक, आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु 1320043.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्रीमती श्वेता यादव ग्राम प्रधान तथा श्री लालजी कन्नौजिया तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-82** विकास खण्ड सांडघाट के ग्राम पंचायत गन्धरिया फैज के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 खाता की कैशबुक में पिच रोड से शोभा के घर तक खण्डजा कार्य मद में निम्नविवरणानुसार व्यय दर्शित है-

दिनांक	धनराशि	विवरण
3/7/19	7860.00	मजदूरी
3/7/19	35377.00	सामग्री
3/7/19	5850.00	सामग्री
योग	49087.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबंधित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटड वर्क आई0डी0, मस्टररोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, सम्पति रजिस्टर, स्टॉक बुक, आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शित व्यय रु 49087.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री शजाउद्दीन ग्राम प्रधान तथा श्री मायावती त्रिपाठी तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-83** विकास खण्ड परसरामपुर के ग्राम पंचायत सलेमपुर कुंवर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 खाता की कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर मरम्मत मद में दिनांक 30.10.19 को रु 194500.00 व्यय दर्शित किया गया है उक्त व्यय से संबंधित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय रु 194500.00 के उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की

ब्याज सहित वसूली श्रीमती गीता देवी ग्राम प्रधान तथा श्री कमलेश सिंह तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-84** विकास खण्ड परसरामपुर के ग्राम पंचायत मिश्रौलिया दुर्वासा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 खाता की कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत मद में निम्नविवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है-

दिनांक	धनराशि
11/12/19	63210.00
11/12/19	11500.00
योग	74710.00

उक्त व्यय से संबंधित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। कुल व्यय रु 74710.00 के उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री विनय कुमार ग्राम प्रधान तथा श्री वीरेन्द्र कुमार तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप -04

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

(ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपतियाँ)

जनपद- संतकबीरनगर

संभाग -बस्ती

प्रस्तर -01

ग्राम पंचायत सियरासांथा विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत सियरासांथा के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आनलाइन आकड़े / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवे वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे उक्त दर्शित कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्रम सं.	वर्क आई.डी.	वित्त आयोग	ई ग्राम स्वराज के अनुसार कृत कार्य	धनराशि
1	19419663	चौदहवा वि.आ.	गां. पं. सियरासांथा में खदेरु के घर से सिद्धी के घर तक मिट्टी एवं खडंजा कार्य	231508.00
2	19419661	चौदहवा वि.आ.	गा.प. सियरासांथा में बाग से अर्जुन के घर तक मिट्टी एवं खडंजा कार्य	240981.00
3	19419671	चौदहवा वि.आ.	गां. प. सियरासांथा में कूड़ादान पात्र क्रय	157500.00
			योग	629989.00

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व उनसे सम्बन्धित अभिलेख यथा स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, एम.बी. बुक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर ग्राम प्रधान श्री राम संवर और सचिव श्रीमती भारती शर्मा द्वारा

रुपया 629989.00का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव ग्राम पंचायत भारती शर्मा व ग्राम प्रधान श्री राम संवर से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
629989.00	-	-	629989.00

प्रस्तर -02

ग्राम पंचायत गिरधरपुर विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत गिरधरपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आनलाइन आकड़े / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवे वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे उक्त दर्शित कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्रम सं.	वर्क आई.डी.	वित्त आयोग	ई ग्राम स्वराज के अनुसार कृत कार्य	धनराशि
1	19419483	चौदहवा वि.आ.	ए.एन0एम0 सेंटर का मरम्मत कार्य भाग -1	136030.00
2	19419501	चौदहवा वि.आ.	ए0एन0एम0 सेंटर का मरम्मत कार्य भाग -2	126682.00
3	19419480	चौदहवा वि.आ.	सुदर्शन के घर से पिचरोड पुलिया तक नाली निर्माण कार्य	218895.00
			योग	481607.00

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व उनसे सम्बन्धित अभिलेख यथा स्टाक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, एम.बी. बुक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी और सचिव श्री आनंद मोहन द्वारा रुपया 481607.00 का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री आनंद मोहन व ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
481607.00	-	-	481607.00

प्रस्तर -03

ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर कठार विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर कठार के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आनलाइन आकड़े / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवे वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे उक्त दर्शित कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्रम सं.	वर्क आई.डी.	वित्त आयोग	ई ग्राम स्वराज के अनुसार कृत कार्य	धनराशि
1	19419566	चौदहवा वि.आ.	पिचरोड से श्यामलाल की मड़ई तक ह्यूमपाइप नाली निर्माण कार्य	150955.00
2	19419552	चौदहवा वि.आ.	पिचरोड से श्यामलाल की मड़ई तक मिट्टी खडंजा कार्य	232787.00
3	19419544	चौदहवा वि.आ.	राजेन्द्र प्रसाद के घर से फूला देवी के घर तक मिट्टी खडंजा कार्य	157300.00
			योग	541042.00

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व उनसे सम्बन्धित अभिलेख यथा स्टाक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, एम.बी. बुक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर ग्राम प्रधान श्री रवीन्द्र कुमार और सचिव श्री आनंद मोहन द्वारा रुपया 541042.00का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री आनंद मोहन व ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
541042.00	--	--	541042.00

प्रस्तर -04

ग्राम पंचायत भक्ठी विकास खण्ड बघौली के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि प्रथम के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। विकास खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट अनुसार दिनांक 1-4-2019 से 31.3.2020 तक की अवधि में कुल रु. 2432915.00 की निकासी की गयी है।

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय सम्बन्धी कैशबुक, प्रस्ताव व स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी 0 बुक स्टाक बुक, सा0नि0 कार्य रजि0, कार्य पत्रावली, आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः रु. 2432915.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुमित्रा व तत्कालीन सचिव श्री राजदेव शुक्ला से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2432915.00	---	-	2432915.00

प्रस्तर -05

ग्राम पंचायत गंगौली विकास खण्ड बघौली के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि प्रथम के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। विकास खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट अनुसार दिनांक 1-4-2019 से 31.3.2020 तक की अवधि में कुल रु. 1156460.00 की निकासी की गयी है।

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय सम्बन्धी कैशबुक, प्रस्ताव व स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी 0 बुक स्टाक बुक, सा0नि0 कार्य रजि0, कार्य पत्रावली, आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः रु. 1156460.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मजहरुन्निशा व तत्कालीन सचिव श्री राजदेव शुक्ला से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1156460.00	-	-	1156460.00

प्रस्तर -06

ग्राम पंचायत बढ़या विकास खण्ड बघौली के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कार्यों पर कैशबुक व ई. ग्राम स्वराज अनुसार केवल सामग्री क्रय पर ही विवरण अंकित किया गया है।

कार्य / आई0 डी0	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता
9224756/ कमला से पारस के घर तक नाली	7.5.2019	44392.00	सिंह खाद भंडार - ई0 ग्राम स्वराज पर फीड

19013120 / हैंडपंप चबुतरा कार्य	30.7.2019	8000.00	स्पष्ट नहीं
---------------------------------	-----------	---------	-------------

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त परियोजनाओं पर पूरे वर्ष मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। जबकि उक्त परियोजनाएं बिना श्रमांश के पूर्ण होना संभव नहीं है। स्पष्ट है कि निकासी के सापेक्ष अपहरण की कार्यवाही से बचने के लिए ही उक्त विवरण अंकित किया गया है। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत न किया जाना उक्त आहरण को ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में लाता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः रु. 52392.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गिरजेश चन्द व तत्कालीन सचिव श्रीमती विमला से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
52392.00	-	-	52392.00

प्रस्तर -07

ग्राम पंचायत बढ़या विकास खण्ड बघौली के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में दिनांक 20.7.2019 को रु. 20000.00 निकासी कर कोषबही में व्यय पक्ष में विवरण अंकित न कर केवल प्रधान लिखकर छोड़ दिया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय के बाबत कोई स्पष्टीकरण / प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त व्यय लेखा परीक्षा द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है। अतः उक्त आहरण ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 ख के अनुसार ग्राम प्रधान श्री गिरजेश चन्द्र व तत्कालीन सचिव श्रीमती विमला से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली योग्य है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
20000.00	-	-	20000.00

प्रस्तर -08

ग्राम पंचायत नाउडाडविकास खण्ड बघौली के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 19-7-2019 को स्टेटमेंट अनुसार रु. 50000.00 आहरण के सापेक्ष कैशबुक में उक्त तिथि को धनराशि का भुगतान प्रहलाद से अब्दुल्लाह के घर तक इ0ला0 कार्य के सापेक्ष आयुष कन्सटरक्शन कं. को किया जाना दर्शित है। किंतु उक्त कार्य पर आलोच्य वर्ष में न ही मजदूरी पर व नही अन्य सामग्री पर व्यय किये गये हैं जबकि इ0ला0 कार्य को कराने हेतु इ0ला0 ईट व अन्य सामग्री की आवश्यकता होती है। पुनः कार्य के सापेक्ष श्रम पर व्यय न होना कार्य का न कराया जाना प्रमाणित करता है। इस प्रकार केवल सामग्री क्रय दर्शित कर धनराशि रु. 50000.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजदेव शुक्ला व ग्राम प्रधान श्री रामसुभग द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
50000.00	-	-	50000.00

प्रस्तर -09

ग्राम पंचायत भगवानपुर विकास खण्ड बघौली के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि प्रथम के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। विकास खण्ड द्वारा उपलब्ध कारये गये बैंक स्टेटमेंट अनुसार दिनांक 1-4-2019 से 31.3.2020 तक की अवधि में कुल रु. 1919059.00की निकासी की गयी है।

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय सम्बन्धी कैशबुक, प्रस्ताव व स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी 0 बुक, स्टॉक बुक, सा0नि0 कार्य रजि0, कार्य पत्रावली, आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः रु. 1919059.00की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री व तत्कालीन सचिव श्री राजदेव शुक्ला से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1919059.00	-	-	1919059.00

प्रस्तर -10

ग्राम पंचायतकरौंदा विकास खण्ड बघौली के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि प्रथम के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे । विकास खण्ड द्वारा उपलब्ध कारये गये बैंक स्टेटमेंट अनुसार दिनांक 1-4-2019 से 31.3.2020 तक की अवधि में कुल रु. 355736.00 की निकासी की गयी है।

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय सम्बन्धी कैशबुक, प्रस्ताव व स्वीकृति , व्यय प्रमाणक , मस्टररोल , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी 0 बुक स्टाक बुक, सा0नि0 कार्य रजि0 , कार्य पत्रावली , आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी । व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेका मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है । जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः रु. 355736.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला व तत्कालीन सचिव श्री कुसुमावती से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
355736.00	-	-	355736.00

प्रस्तर सं. 11

ग्राम पंचायत गुलरिहा विकास खण्ड बघौली के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि वर्ष 2019-20 में कैशबुक में दर्शित कतिपय कार्यों पर व्यय का विवरण निम्नलिखित है।

क्रम सं	कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	श्रमांश
1	डस्टबिन क्रय	19-10-2019 योग -	99000.00 99000.00	- -
2	प्रा0 वि0 बाउंड्री वाल निर्माण	26-3-2020 26-3-2020 26-3-2020 26.3.2020 योग	34552.00 - - - 34552.00	- 11950.00 22200.00 5767.00 39917.00

लेखा परीक्षा में डस्टबिन क्रय हेतु प्रमाणक / कार्य पत्रावली , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , टेंडर / कोटेशन आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी पुनः प्रा0वि0 बाउंड्रीवाल निर्माण तत्समय कोविड लाकडाउन के समय कराया जाना दर्शित है। जबकि तत्समय समस्त कार्यालय, दुकानों के बन्द रहने के आदेश के बावजूद सामग्री किस प्रकार प्राप्त किया गया व मजदूरों को बाहर निकालकर कार्य कैसे प्रारंभ किया गया । इस बावत कोई स्पष्ट उत्तर लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुआ । पुनः इस कार्य पर सामग्री मद में केवल रु. 34552.00 व श्रमांश पर रु. 39917.00 व्यय हुआ व लेखा परीक्षा तिथि तक अन्य कोई व्यय न होना उक्त परियोजना को संदिग्ध घोषित करता है । स्पष्ट है कि प्रा0 वि0 बाउंड्रीवाल निर्माण पर कुल आहरित धनराशि रु. 74469.00 का अपहरण कर लिया गया है ।

पुनः लेखा परीक्षा में उक्त समस्त व्यय सम्बन्धी प्रमाणक / कार्य पत्रावली , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि भी नहीं करायी गयी । व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है । जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः रु. 173469.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद व तत्कालीन सचिव श्रीमती विमला यादवसे संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
173469.00	-	-	173469.00

प्रस्तर सं. 12

ग्राम पंचायत सुरदहिया विकास खण्ड बघौली के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 14.5.2019 को कैशबुक अनुसार रु. 10000.00 ( स्टेटमेंट अनुसार दिनांक 9-5-2019 / चेक सं0-027829 प्रधान द्वारा स्वयं) चुनाव में कर्मचारियों के भोजन आदि पर व्यय संस्था द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि चुनाव में भोजन पर व्यय हेतु जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की

नहीं होती है। बल्कि उक्त पर मिड - डे मिल आदि द्वारा पूर्व से ही व्यय के आदेश शासन द्वारा निर्गत किये जाते हैं। पुनः व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में आधे - अधूरे विवरण ही उपलब्ध कराये गये। अतः नियमविरुद्ध व बिना आदेश के उक्त पर व्यय कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती कुसुमावती मिश्रा व ग्राम प्रधान श्रीमती राजिदा खातून संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	10000.00	-	10000.00

इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 13

ग्राम पंचायत दुधरा विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि -1 खाते ( राज्य वित्त /14 वां वित्त ) से वित्तीय वर्ष 2019-20 में ई - ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित एकाउंटिंग विवरण के अनुसार कुल रु. 1953180.00 निकासी कर ई - ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय के रूप दर्शित किया गया है। आनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक ई - ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कार्यों एवं उसके सापेक्ष किये गये व्यय संबंधी अभिलेख यथा कैशबुक, वर्ष 2019-20 का ग्राम निधि 1 खाते ( राज्य वित्त /14 वां वित्त ) का बैंक स्टेटमेंट , कार्य प्रस्ताव, व स्वीकृति , व्यय प्रमाणक, मस्टररोल , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , एम0बी 0 , स्टॉक बुक, सा0 नि0 कार्य रजि0, कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त भी प्रस्तुत न कर ग्राम पंचायत में वर्ष 2019-20 में कराये गये कार्यों ( ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित ) के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि रु. 1953180.00 के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु. 1953180.00 अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः धनराशि रु. 1953180.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह व तत्कालीन सचिव श्री सौरभ चौधरी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1953180.00	-	-	1953180.00

प्रस्तर संख्या 14

ग्राम पंचायत कुल्हड़िया विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि -1 खाते ( राज्य वित्त /14 वां वित्त ) से वित्तीय वर्ष 2019-20 में ई - ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित एकाउंटिंग विवरण के अनुसार कुल रु. 1029579.00 निकासी कर ई - ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय के रूप दर्शित किया गया है। आनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक ई - ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कार्यों एवं उसके सापेक्ष किये गये व्यय संबंधी अभिलेख यथा कैशबुक, वर्ष 2019-20 का ग्राम निधि 1 खाते ( राज्य वित्त /14 वां वित्त ) का बैंक स्टेटमेंट , कार्य प्रस्ताव, व स्वीकृति , व्यय प्रमाणक, मस्टररोल , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , एम0बी 0 , स्टॉक बुक, सा0 नि0 कार्य रजि0, कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त भी प्रस्तुत न कर ग्राम पंचायत में वर्ष 2019-20 में कराये गये कार्यों ( ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित ) के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि रु. 1029579.00 के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु. 1029579.00 अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः धनराशि रु. 1029579.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री समीउल्लाह व तत्कालीन सचिव श्री सौरभ चौधरी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1029579.00	-	-	1029579.00

प्रस्तर संख्या 15

ग्राम पंचायत छपवा विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि -1 खाते ( राज्य वित्त /14 वां वित्त ) से वित्तीय वर्ष 2019-20 में ई - ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित एकाउंटिंग विवरण के अनुसार कुल रु. 439520.00 निकासी कर ई - ग्राम स्वराज पोर्टल पर विभिन्न कार्यों में व्यय के रूप दर्शित किया गया है। आनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक ई - ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कार्यों एवं उसके सापेक्ष किये गये व्यय संबंधी अभिलेख यथा कैशबुक, वर्ष 2019-20 का ग्राम निधि 1 खाते ( राज्य वित्त /14 वां वित्त ) का

बैंक स्टेटमेंट , कार्य प्रस्ताव, व स्वीकृति , व्यय प्रमाणक, मस्टररोल , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , एम0बी 0 , स्टॉक बुक, सा0 नि0 कार्य रजि0, कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त भी प्रस्तुत न कर ग्राम पंचायत में वर्ष 2019-20 में कराये गये कार्यों ( ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित ) के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि रु. 439520.00 के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी । व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु. 439520.00 अपहरण की श्रेणी में आता है । जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः धनराशि रु. 439520.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हनुमंत प्रसाद व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश पांडेय से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
. 439520.00	-	-	. 439520.00

प्रस्तर संख्या 16

ग्राम पंचायत खटियावा विकास खण्ड बेलहर कला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर चौदहवां वित्त मद से दिनांक 9-12-2019 को रु. 220000.00 वर्क आईडी संख्या 19227368 द्वारा ग्राम पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतु सुमन ट्रेडर्स को दिया जाना दर्शित है। कोषबही एवं बैकस्टेटमेंट से भी उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि होती है, परंतु उक्त कार्य से संबंधित कार्य पत्रावली , व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये । जिससे सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापना के स्थान , संख्या , टेंडर प्रक्रिया के पालन किये जाने की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी।

व्यय के सापेक्ष जाँच में व्यय प्रमाणक , कार्य पत्रावली प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार धन रु. 220000.00 अपहरण की श्रेणी में आता है । जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः धनराशि रु. 220000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शमीम अहमद व तत्कालीन सचिव श्री बबलू निषाद से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
220000.00	-	-	220000.00

प्रस्तर संख्या 17

ग्राम पंचायत लंगड़ाबार विकास खण्ड बेलहर कला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किया गया है।

क्रम सं.	कार्य का नाम	चेक सं. / पी.एफ.एम.एस संख्या / दिनांक	धनराशि	कोषबही अनुसार प्राप्त कर्ता
1	स्ट्रीट लाइट स्थापना	12058758/4-4-2019	48500.00	राज इंटरप्राइजेज
2	आनुषंगिक मद व्यय	R111900291466/25.11.19	34120.00	सौम्या इंटरप्राइजेज
3	स्ट्रीट लाइट मरम्मत	R121901495860/26.12.2019	65000.00	सौम्या इंटरप्राइजेज
4	प्रशासनिक मद व्यय	R012001131268/5.3.2020	25000.00	सौम्या इंटरप्राइजेज
	योग		172620.00	

परंतु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय सम्बन्धी प्रस्ताव व स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, एम0बी0 , स्टॉक बुक, सा0 नि0 कार्य रजि0 , कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी । व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार धन रु. 172620.00 के अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः धनराशि रु. 172620.00की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम चंद्र व तत्कालीन सचिव श्री पवन पाण्डेय से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
172620.00	-	-	172620.00

प्रस्तर संख्या 18.

ग्राम पंचायत लंगड़ाबार विकास खण्ड बेलहर कला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 7.1.2020 को प्रधान मानदेय के रूप में रु. 38500 ( 11 माह रु. 3500.00 प्रति माह की दर से )लिया जाना कोषबही में दर्शित है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में ही दिनांक 5-4-2019 को रु. 10500.00 तीन माह का प्रधान

मानदेय ( माह जनवरी 2019 से मार्च 2019) प्राप्त किया जाना कोषबही में दर्शित है। अतः दिनांक 7-1-2020 को अप्रैल 2019 से दिसम्बर 2019 तक कुल नौ माह का ही प्रधान मानदेय 3500.00 प्रति माह की दर से 31500.00 प्राप्त किया जा सकता है। अतः रु 38500.00-31500=7000.00 अधिक मानदेय ग्राम निधि 1 खाते से आहरित एवं प्राप्त कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए ग्राम प्रधान रामचन्द्र व सचिव श्री पवन पाडे संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	7000.00	7000.00

प्रस्तर संख्या 19.

ग्राम पंचायत बरैनिया विकास खण्ड बेलहर कला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ई - ग्राम स्वराज पोर्टल पर चौदहवां वित्त मद से दिनांक 26-11-2019 को रु. 122770.00 वर्क आई डी संख्या 19358811 द्वारा ग्राम पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतु सुमन ट्रेडर्स को दिया जाना दर्शित है। कोषबही एवं बैंक स्टेटमेंट से भी उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि होती है, परंतु उक्त कार्य से संबंधित कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापना के स्थान, संख्या, टेंडर प्रक्रिया के पालन किये जाने की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी।

व्यय के सापेक्ष जाँच में व्यय प्रमाणक, कार्य पत्रावली प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार धन रु. 122770.00 अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः धनराशि रु.122770.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शफीउद्दीन व तत्कालीन सचिव श्री बबलू निषाद से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
122770.00	-	-	122770.00

प्रस्तर संख्या 20.

ग्राम पंचायत बरैनिया विकास खण्ड बेलहर कला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ई - ग्राम स्वराज पोर्टल पर चतुर्थ राज्य वित्त मद से दिनांक 16-1-2020 को रु. 32000.00 वर्क आइडी संख्या 19358791 द्वारा ग्राम पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु कुमार एसोसिएट को दिया जाना दर्शित है। कोष कोषबही एवं बैंक स्टेटमेंट से भी उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि होती है, परंतु उक्त कार्य से संबंधित कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे सोलर स्ट्रीट लाइट मरम्मत के स्थान, संख्या, की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो नहीं हो सकी।

व्यय के सापेक्ष जाँच में व्यय प्रमाणक, कार्य पत्रावली प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार धन रु. 32000.00 अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः धनराशि रु.32000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शफीउद्दीन व तत्कालीन सचिव श्री बबलू निषाद से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
32000.00	-	-	32000.00

प्रस्तर संख्या 21.

ग्राम पंचायत कुसहरा विकास खण्ड बेलहर कला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1 के वित्तीय वर्ष 2019-20 के अभिलेख तथा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक मांगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम निधि 1 खाते ( राज्य वित्त /14 वां वित्त ) से वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह अप्रैल 2019 से माह मार्च 2020 तक कुल रु. 1412318.00 व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय सम्बन्धी केवल ग्राम निधि 1 कोषबही तथा बैंक स्टेटमेंट ही प्राप्त रहा लेखा परीक्षा में उक्त व्यय सम्बन्धी, प्रस्ताव व स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र, एम0बी 0 बुक, स्टाक बुक, सा0नि0 कार्य रजि0, कार्य पत्रावली, आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि रु. 1412318.00 के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार धन रु. 1412318.00 अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः धनराशि रु.1412318.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम व तत्कालीन सचिव श्री पवन पाण्डेय से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1412318.00	-	-	1412318.00

प्रस्तर संख्या 22.

ग्राम पंचायत सियाकटाई विकास खण्ड बेलहर कला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दिनांक 19.12.2019 को नेम प्रकाश के घर से समशुल हुदा के घर तक भूमिगत नाली कार्य ( वर्क आईडी संख्या 16364892) पर द्यूम पाइप क्रय हेतु रु. 90000.00 एम0 पी0 कन्स्ट्रक्शन को दिया जाना दर्शित है। कोषबही एवं बैंक स्टेटमेंट से भी उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि होती है , परंतु उक्त कार्य पर न तो आलोच्य वर्ष में और न ही आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में मजदूरी दिये जाने का प्रमाण और न ही उक्त कार्य से संबंधित कार्य पत्रावली ही प्रस्तुत की गयी । अतः स्पष्ट है कि काल्पनिक कार्य पर कूटरचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर धन रु 90000.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसक लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः धनराशि रु. 90000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवशंकर चौरसिया व तत्कालीन सचिव श्री विपिनचंद से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
90000.00	-	-	90000.00

प्रस्तर संख्या 23

ग्राम पंचायत पिपराहसनपुर विकास खण्ड सेमरियावा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आपत्तियों का विस्तृत विवरण निम्नवत है-

ग्राम पंचायत- पिपरा हसनपुर वि0ख0-सेमरियावा के वर्ष 2019-20 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि रु01027634.00(ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ई0 ग्राम स्वराज पर अंकित धनराशियों के आधार पर आडिट किये जाने के निम्न कारण हैं-

- (1) शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों के शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा आडिट आनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु ई0 ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक/आफलाइन अभिलेख लेखा परीक्षा में अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाने हैं। इस क्रम में ग्राम पंचायत- पिपरा हसनपुर की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक- 08.03.2021 को अनुरोध किया गया, परन्तु इण्टिमेशन द्वारा तय निर्धारित तिथि तथा आनलाइन रिपोर्ट जनरेशन की तिथि तक अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।
- (2) शा0सं0-आडिट-2953/2009-101(64)/2009 दिनांक-07अक्टूबर 2009 द्वारा आडिट हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है, परन्तु उनके द्वारा भी अभिलेख आडिट हेतु सुलभ नहीं कराए जा सके।
- (3) शा0सं0-1829/33-03-2015/03/2015 दिनांक-31जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशियों के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु सं0-4(घ) में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना व पत्रावली की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी जो कि आडिट हेतु सुलभ नहीं रहा।
- (4) उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत रोकड़ बही(रूपपत्र-06)का त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)द्वारा किए जाने के निर्देश हैं जो नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण आख्या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत- पिपरा हसनपुर के वर्ष-2019-20 के कोई भी अभिलेख संस्था के पास नहीं है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- पिपरा हसनपुर के वर्ष-2019-20 में व्यय की गयी धनराशि रु01027634-00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवमूरत मौर्य व ग्राम प्रधान श्रीमती फूलरा से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1027634-00	-	-	1027634-00

प्रस्तर संख्या 24

ग्राम पंचायत पुरवा विकास खण्ड सेमरियावा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आपत्तियों का विस्तृत विवरण निम्नवत है-ग्राम पंचायत- पुरवा वि0ख0-सेमरियावा के वर्ष 2019-20 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि रु0667619.00(ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ई0 ग्राम स्वराज पर अंकित धनराशियों के आधार पर आडिट किये जाने के निम्न कारण हैं-

(1) शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों के शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा आडिट आनलाईन पोर्टल के माध्यम से किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु ई0 ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक/आफलाइन अभिलेख लेखा परीक्षा में अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाने हैं। इस क्रम में ग्राम पंचायत- पुरवा की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक-22.02.2021 को अनुरोध किया गया, परन्तु इण्टिमेशन द्वारा तय निर्धारित तिथि तथा आनलाईन रिपोर्ट जनरेशन की तिथि तक अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

(2) शा0सं0-आडिट-2953/2009-101(64)/2009 दिनांक-07अक्टूबर 2009 द्वारा आडिट हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है, परन्तु उनके द्वारा भी अभिलेख आडिट हेतु सुलभ नहीं कराए जा सके। उल्लेखनीय है कि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेमो-1 दिनांक-24-03-2021 के माध्यम से अन्तिम बार अनुरोध किया गया था।

(3) शा0सं0-1829/33-03-2015/03/2015 दिनांक-31जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशियों के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु सं0-4(घ) में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना व पत्रावली की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी जो कि आडिट हेतु सुलभ नहीं रहा।

(4) उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत रोकड़ बही(रूपपत्र-06)का त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)द्वारा किए जाने के निर्देश हैं जो नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण आख्या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत- पुरवा के वर्ष-2019-20 के कोई भी अभिलेख संस्था के पास नहीं है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- पुरवा के वर्ष-2019-20 में व्यय की गयी धनराशि रू0 667619-00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राम प्यारे व ग्राम प्रधान श्री अब्दुल रहीम से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
667619-00	-	-	667619-00

प्रस्तर संख्या- 25

ग्राम पंचायत रक्षा कला विकास खण्ड सेमरियांवा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि

01-ग्राम पंचायत रक्षा कला के ग्राम निधि प्रथम के वर्ष 2019-20 की आनलाईन आडिट में यह तथ्य प्रकाशमें आया कि निम्नलिखित विवरणानुसार बिना कार्य कराये मात्र सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान पर फर्जी व्यय दर्शित कर फर्म की मिलीभगत से धन का अपहरण सचिव ग्राम पंचायत मो0 अफजल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सेरातुनिनशा द्वारा कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उनसे बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा में उक्त व्यय की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी तथा मजदूरी भुगतान सचिव द्वारा स्वयं प्राप्त किए जाने के औचित्य के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

क्र0 सं0	योजना का नाम	तिथि	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
01	राज्य वित्त	15-04-2019	109441-00	नवीन इण्टरप्राइजेज
02	„	16-04-2019	4200-00	मो0 अफजल, ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी
		योग-	113641-00	

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
113641-00	-	-	113641-00

प्रस्तर संख्या 26

ग्राम पंचायत रक्षा कला विकास खण्ड सेमरियांवा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत रक्षा कला में निम्नलिखित विवरणानुसार चतुर्थ राज्य वित्त से वर्ष दौरान विभिन्न तिथियों में प्रशासनिक मद पर भुगतान किया गया है जिसके भुगतान का औचित्य तथा विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि उक्त धन का फर्म/व्यक्तियों की मिलीभगत से अपहरण कर लिया गया है जिसकेलिये सचिव ग्राम पंचायत श्री मो0 अफजल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सेरातुनिनशा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं, जिनसे धनराशि रू048000-00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	योजना का नाम	तिथि	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
01	चतुर्थ राज्य वित्त	22-05-2019	18000-00	श्री इल्ताफुर्रहमान
02	„	14-03-2020	30000-00	एस0एम0 कम्प्यूटर एण्ड एसोसिएट
		योग-	48000-00	

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
48000-00	-	-	48000-00

प्रस्तर संख्या- 27

ग्राम पंचायत- रायपुरछपिया उर्फ ठोका विकास खण्ड सेमरियांवा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2019-20 में संस्था द्वारा कोई व्यय न होने के बाबत अभिलेख के रूप में ई0ग्राम स्वराज पर फीड आय-व्यय प्रस्तुत किया गया । जिसके अनुसार वर्ष दौरान राज्य वित्त व 14 वां वित्त अन्तर्गत अनुदान रू0 2667878-34 की प्राप्ति के सापेक्ष रू0 शून्य विकास कार्यों पर व्यय हुआ है । इस प्रकार अनुदान को रोककर व व्यय न कर तथा विकास कार्य को प्रभावित कर तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आनन्द व प्रधान श्रीमती सलेहा खातून द्वारा गंभीर अनियमितता की गयी है । स्पष्टिकरण प्राप्त करते हुए उचित कार्यवाही अपेक्षित है । उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट अप्रस्तुत रहा जिससे वास्तविक व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	2667878.34	2667878.34

प्रस्तर संख्या- 28

ग्राम पंचायत-सैथवलिया सुतेहराविकास खण्ड सेमरियांवा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आपत्तियों का विस्तृत विवरण निम्नवत है-

1-आलोच्य वर्ष 2019-20 की कैशबुक अनुसार दिनांक 9-5-2019 को दर्शित कार्य 30 अदद हैण्डपम्प मरम्मत पर 14 वां वित्त से व्यय रू0 246000-00 के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत हैं-

-कार्य की फाईल अप्रस्तुत रहने से उक्त कार्य की स्वीकृति की स्थिति अज्ञात रही। चूंकि समस्त भुगतान एक ही आई0 डी0 सं0-18996218 पर एक ही दिन की गई है। अतः बाउचर के अप्रस्तुत रहने व ई ग्राम स्वराज पर पर भी भुगतान किसको हुआ यह फीड न होने से वास्तविक स्थिति अज्ञात रही।

-लेखा परीक्षा में भुगतान के बाबत बताया गया कि उक्त भुगतान मरम्मतकर्ता को 30 अदद हैण्डपम्प हेतु रू0 8200-00 की दर से किया है, जिसकी पुष्टि कैशबुक से भी होती है। यह समझ से परे है कि क्या सभी 30 हैण्डपम्प में एक ही खराबी थी। कि एक ही सामान सभी में लगाने पड़े।

-लेखा परीक्षा में हैण्डपम्पों के खराब होने व मरम्मत के उपरान्त सही होने तथा जल प्रबंधन समिति की संस्तुति आदि पत्रावलियां अप्राप्त रहने से कार्य की वास्तविकता संदिग्ध हो जाती है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतान केवल आहरण कर अपहरण करने की नीयत से हुआ है। अतः आहरित धनराशि रू0 246000-00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री अश्वनी गौतम व प्रधान श्रीमती समराजि से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
246000-00			246000-00

प्रस्तर संख्या -29

ग्राम पंचायत-सैथवलिया सुतेहरा विकास खण्ड सेमरियांवा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि

आलोच्य वर्ष 2019-20 की कैशबुक अनुसार दिनांक 9-5-2019 को दर्शित कार्य 5 अदद हैण्डपम्प रिबोर पर 14 वां वित्त से व्यय रू0 139720-00 के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत हैं-

-कार्य की फाईल अप्रस्तुत रहने से उक्त कार्य की स्वीकृति की स्थिति अज्ञात रही।चूंकि समस्त भुगतान एक ही आई0 डी0 सं0-18996216 पर एक ही दिन की गई है।अतः बाउचर के अप्रस्तुत रहने व ई ग्राम स्वराज पर पर भी भुगतान किसको हुआ यह फीड न होने से वास्तविक स्थिति अज्ञात रही।

-लेखा परीक्षा में भुगतान के बाबत बताया गया कि उक्त भुगतान रिबोरकर्ता को 5 अदद हैण्डपम्प हेतु रू0 27944-00 की दर से किया है, जिसकी पुष्टि कैशबुक से भी होती है।यह समझ से परे है कि क्या सभी 5 हैण्डपम्प में एक ही खराबी थी।कि एक ही सामान सभी में लगाने पड़े।

-लेखा परीक्षा में हैण्डपम्पों के रिबोर की जरूरत होने व रिबोर के उपरान्त सही होने तथा जल प्रबंधन समिति की संस्तुति आदि पत्रावलियां अप्राप्त रहने से कार्य की वास्तविकता संदिग्ध हो जाती है।

-पुनः रिबोर के उपरान्त निकले खराब सामानों की बिक्री आदि की स्थिति भी अज्ञात रही।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतान केवल आहरण कर अपहरण करने की नीयत से हुआ है।अतः आहरित धनराशि रू0 139720-00 की ब्याज सहितवसूली सचिव श्री अश्वनी गौतम व प्रधान श्रीमती समराजि से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
139720-00	-	-	139720-00

प्रस्तर संख्या -30

ग्राम पंचायत सौरहवा सिंघोरवा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- सौरहा सिंघोरवा की वर्ष-2019-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कैशबुक में निम्नलिखितविवरणानुसार माह- दिसम्बर-2019 एवं जनवरी-2020में ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से निकासी कर बिना विवरण के व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में वाउचर एवं पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे स्पष्ट है कि कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शित कर धन का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री अश्वनी गौतम एवं प्रधान श्रीमती सावित्री द्वारा कर लिया गया है जिनसे बराबर-बराबर ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है-

क्र0 सं0	निकासी का दिनांक	आहरित धनराशि	व्यय धनराशि	अभ्युक्ति
01	04.12.2019	48090.00	48090.00	बिना विवरण
02	04.12.2019	25514.00	25514.00	बिना विवरण
03	05.12.2019	297857.00	297857.00	बिना विवरण
04	11.12.2019	6090.00	6090.00	बिना विवरण
05	11.12.2019	5180.00	5180.00	बिना विवरण
06	16.12.2019	363213.00	363213.00	बिना विवरण
07	26.12.2019	46287.00	46287.00	बिना विवरण
08	13.01.2020	7000.00	7000.00	बिना विवरण
	<b>योग</b>	<b>799231-00</b>	<b>799231-00</b>	

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
799231-00	-	-	799231-00

प्रस्तर संख्या-31

ग्राम पंचायत सेहुड़ा विकास खण्ड सेमरियावां के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- सेहुड़ा वि0ख0-सेमरियावां के वर्ष 2019-20 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि रू0820355.00(ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ई0 ग्राम स्वराज पर अंकित धनराशियों के आधार पर आडिट किये जाने के निम्न कारण हैं-

- (1) शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों के शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा आडिट आनलाईन पोर्टल के माध्यम से किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।इस हेतु ई0 ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक/आफलाइन अभिलेख लेखा परीक्षा में अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाने हैं। इस क्रम में ग्राम पंचायत- सेहुड़ा की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक-19.02.2021 को अनुरोध किया गया, परन्तु इण्टिमेशन द्वारा तय निर्धारित तिथि तथा आनलाईन रिपोर्ट जनरेशन की तिथि तक अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

- (2) शा0सं0-आडिट-2953/2009-101(64)/2009 दिनांक-07अक्टूबर 2009 द्वारा आडिट हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है,परन्तु उनके द्वारा भी अभिलेख आडिट हेतु सुलभ नहीं कराए जा सके। उल्लेखनीय है कि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेमो-1 दिनांक-24-03-2021 के माध्यम से अन्तिम बार अनुरोध किया गया था।
- (3) शा0सं0-1829/33-03-2015/03/2015 दिनांक-31जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशियों के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु सं0-4(घ) में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना व पत्रावली की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी जो कि आडिट हेतु सुलभ नहीं रहा।
- (4) उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत रोकड़ बही(रूपपत्र-06)का त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)द्वारा किए जाने के निर्देश हैं जो नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण आख्या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत- सेंहुडा के वर्ष-2019-20 के कोई भी अभिलेख संस्था के पास नहीं है।ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- सेंहुडा के वर्ष-2019-20 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 820355-00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहितवसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राम प्यारे व ग्राम प्रधान श्रीमती आलिया खातून से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
820355-00	-	-	820355-00

प्रस्तर संख्या- 32

ग्राम पंचायत सिसवा दाखिली वि0ख0 सेमरियांवा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- सिसवा दाखिली वि0ख0-सेमरियांवा के वर्ष 2019-20 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹01887512.00(ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ई0 ग्राम स्वराज पर अंकित धनराशियों के आधार पर आडिट किये जाने के निम्न कारण हैं-

- (1) शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों के शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा आडिट आनलाईन पोर्टल के माध्यम से किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।इस हेतु ई0 ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक/आफलाइन अभिलेख लेखा परीक्षा में अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाने हैं। इस क्रम में ग्राम पंचायत- सिसवा दाखिली की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक-02.02.2021 को अनुरोध किया गया, परन्तु इण्टिमेशन द्वारा तय निर्धारित तिथि तथा आनलाईन रिपोर्ट जनरेशन की तिथि तक अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।
- (2) शा0सं0-आडिट-2953/2009-101(64)/2009 दिनांक-07अक्टूबर 2009 द्वारा आडिट हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है,परन्तु उनके द्वारा भी अभिलेख आडिट हेतु सुलभ नहीं कराए जा सके। उल्लेखनीय है कि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेमो-1 दिनांक-24-03-2021 के माध्यम से अन्तिम बार अनुरोध किया गया था।
- (3) शा0सं0-1829/33-03-2015/03/2015 दिनांक-31जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशियों के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु सं0-4(घ) में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना व पत्रावली की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी जो कि आडिट हेतु सुलभ नहीं रहा।
- (4) उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत रोकड़ बही(रूपपत्र-06)का त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)द्वारा किए जाने के निर्देश हैं जो नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण आख्या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत- सिसवा दाखिली के वर्ष-2019-20 के कोई भी अभिलेख संस्था के पास नहीं है।ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- सिसवा दाखिली के वर्ष-2019-20 मे व्यय की गयी धनराशि रू01887512-00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी मे आती है जिसकी ब्याज सहितवसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अश्वनी गौतम व ग्राम प्रधान श्रीमती समीउन्निशा से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1887512-00	-	-	1887512-00

प्रस्तर संख्या- 33

ग्राम पंचायत सुजिया विकास खण्ड सेमरियांवा के वर्ष 2019-20की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत सुजिया के ग्राम निधि- प्रथम के वर्ष 2019-20 की आनलाइन आडिट मे यह तथ्य प्रकाशमे आया कि निम्नलिखित विवरणानुसार बिना मस्टररोल पर कार्य कराये मात्र सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शित कर फर्म की मिलीभगत से धन का अपहरण सचिव ग्राम पंचायत श्री शिवमूरत मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्री इम्तियाज अहमद द्वारा कर लिया गया है ।जिसकी ब्याज सहितवसूली उनसे बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है ।

क्र0सं0	योजना का नाम	तिथि	धनराशि	कार्य का नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता
01	14 वां वित्त	29-1-2020	100844-00	विवरण अप्रस्तुत	एवन टेडर्स एण्ड जनरल सप्लायर्स
02	14 वां वित्त	23-2-2020	51456-00	विवरण अप्रस्तुत	एवन टेडर्स एण्ड जनरल सप्लायर्स
		योग-	152300-00		

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
152300-00	-	-	152300-00

प्रस्तर संख्या- 34

ग्राम पंचायत सुजिया विकास खण्ड सेमरियांवा के वर्ष 2019-20की लेखा परीक्षा में पाया गया कि-दिनोक 1-2-2020 को राल्ज्य वित्त मद से रोजगार सेवक हेतु एक अदद मोबाईल क्रय पर रू0 14990-00 का भुगतान मे0 गुरुनानक टेलिकाम को किया गया है । जिसके क्रय हेतु किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं ली गयी है । उल्लेखनीय है कि रोजगार सेवक की नियुक्ति मनरेगा योजना के अन्तर्गत की गयी है । तथा उसके वेतन तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों का भुगतान मनरेगायोजना से ही किये जाने का प्रावधान किया गया है । ऐसे मे रोजगार सेवक हेतु किसी भी प्रकार का व्यय राज्य वित्त से किया जाना अनौचित्यपूर्ण है, तथा फण्ड डायवर्जन की श्रेणी मे आने के कारण धन का स्पष्ट दुरुपयोग है । जिसके लिये सचिव ग्राम पंचायत श्री शिवमूरत मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्री इम्तियाज अहमद संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं, जिनसे धनराशि रू014990-00 की ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	14990-00	-	14990-00

प्रस्तर संख्या- 35.

ग्राम पंचायत तेनुहारी दोयम विकास खण्ड सेमरियांवा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 01-ग्राम पंचायत तेनुहारी दोयम के ग्राम निधि-प्रथम के वर्ष-2019-20 के आनलाइन आडिट मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि बिना टेण्डर के दिनांक-11-07-2019 को मे0 लकी इण्टरप्राइजेज को रू0 193740-00 का भुगतान ल्युम पाइप खरीद हेतु काया गया है । उल्लेखनीय है कि वित्तिय अनुशासन हेतु रू0 1-00 लाख से अधिक की खराद हेतु टेण्डर आमन्त्रित किए जाने की व्यवस्था है जिसका पालन न किया जाना गम्भीर अनियमितता का विषय है । अतः इस अनियमित क्रय हेतु तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री शिवमूरत मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यककार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यानआकृष्ट किया जाता है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	193740.00	193740.00

प्रस्तर संख्या- 36

ग्राम पंचायत तेनुहारी दोयम विकास खण्ड सेमरियांवा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि - ग्राम पंचायत तेनुहारी दोयम के ग्राम निधि-प्रथम के वर्ष-2019-20 के आनलाइन आडिट मे यह तथ्य प्रकाश मे आया किनिम्नलिखित विवरणानुसार बिना व्यय बाउचर एवं मस्टररोल के फर्जी व्यय दर्शित कर फर्म की मिलीभगत से धन का अपहरण सचिव ग्राम पंचायत श्री शिवमूरत मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है ।जिसकी ब्याज

सहितवसूली उनसे बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यों पर सामग्री एवं श्रमांश का भुगतान एक ही चेक से किया है। चूंकि लेखा परीक्षा में व्यय बाउचर एवं मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि वास्तव में भुगतान केवल सामग्री पर अथवाकेवल मस्टररोल पर किया गया है-

क्र०सं०	योजना का नाम	तिथि	भुगतानित धनराशि	कार्य का नाम
01	14 वां वित्त	22-7-2019	54450-00	प्रा० वि० डडवा में भवन मरम्मत कार्य परव्यय
02	14 वां वित्त	24-7-2019	54450-00	प्रा० वि० डडवा में बाउण्डरीवाल निर्माण कार्य हेतु
03	राज्य वित्त	29-7-2019	20460-00	प्रा० वि० डडवा में स्कूल शौचालय निर्माण
		योग-	129360-00	

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
129360-00	-	-	129360-00

प्रस्तर संख्या -37

ग्राम पंचायत तेनुहारी दोयम विकास खण्ड सेमरियांवा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि

ग्राम पंचायत तेनुहारी दोयम के ग्राम निधि-प्रथम के वर्ष-2019-20 के आनलाइन आडिट में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्नलिखित विवरणानुसार बिना मस्टररोल पर कार्य कराए मात्र सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शित कर फर्म की मिलीभगत से धन का अपहरण सचिव ग्राम पंचायत श्री शिवमूरत मोर्य एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उनसे बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष में उल्लिखित कार्यों पर मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है और बिना मजदूरी के सामग्री का क्रय औचित्यपूर्ण नहीं रहा।

क्र०सं०	योजना	तिथि	धनराशि	कार्य का नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता
01	14 वां वित्त	03-08-2019	150000-00	संवारे के घर से छेदी के घर तक सी०सी० रोड निर्माण	एवन टेडर्स एण्ड जनरल सप्लायर्स
02	14 वां वित्त	21-10-2019	40000-00	मंगरू के घर से गड्डी तक नाली निर्माण	एवन टेडर्स एण्ड जनरल सप्लायर्स
		योग-	190000-00		
अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग		
190000-00	-	-	190000-00		

प्रस्तर संख्या -38

ग्राम पंचायत थुरण्डा विकास खण्ड सेमरियांवा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- थुरण्डा वि०ख०- सेमरियांवा के वर्ष 2019-20 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि रु०860783.00(ई०ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ई० ग्राम स्वराज पर अंकित धनराशियों के आधार पर आडिट किये जाने के निम्न कारण हैं-

- (1) शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों के शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा आडिट आनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु ई० ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक/आफलाइन अभिलेख लेखा परीक्षा में अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाने हैं। इस क्रम में ग्राम पंचायत- थुरण्डा की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक- 19.02.2021 को अनुरोध किया गया, परन्तु इण्टिमेशन द्वारा तय निर्धारित तिथि तथा आनलाइन रिपोर्ट जनरेशन की तिथि तक अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।
- (2) शा०सं०-आडिट-2953/2009-101(64)/2009 दिनांक-07अक्टूबर 2009 द्वारा आडिट हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है, परन्तु उनके द्वारा भी अभिलेख आडिट हेतु सुलभ नहीं कराए जा सके। उल्लेखनीय है कि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेमो-1 दिनांक- 24-03-2021 के माध्यम से अन्तिम बार अनुरोध किया गया था।

- (3) शा0सं0-1829/33-03-2015/03/2015 दिनांक-31जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशियों के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु सं0-4(घ) में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना व पत्रावली की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी जो कि आडिट हेतु सुलभ नहीं रहा।
- (4) उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत रोकड़ बही(रूपपत्र-06)का त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)द्वारा किए जाने के निर्देश हैं जो नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण आख्या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत- थुरण्डा के वर्ष-2019-20 के कोई भी अभिलेख संस्था के पास नहीं है।ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- थुरण्डा के वर्ष-2019-20 में व्यय की गयी धनराशि रु0 860783-00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आनन्द कुमार व ग्राम प्रधान श्री रामचेत से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
860783-00	-	-	860783-00

प्रस्तर संख्या -39

ग्राम पंचायत उसरा शहीद विकास खण्ड सेमरियावां के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया कि ग्राम पंचायत- उसरा शहीद वि0ख0-सेमरियावां के वर्ष 2019-20 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि रु02523956.00(ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ई0 ग्राम स्वराज पर अंकित धनराशियों के आधार पर आडिट किये जाने के निम्न कारण हैं-

- (1) शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों के शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा आडिट आनलाईन पोर्टल के माध्यम से किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।इस हेतु ई0 ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक/आफलाइन अभिलेख लेखा परीक्षा में अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाने हैं। इस क्रम में ग्राम पंचायत- उसरा शहीद की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक-04.02.2021 को अनुरोध किया गया, परन्तु इण्टिमेंशन द्वारा तय निर्धारित तिथि तथा आनलाईन रिपोर्ट जनरेशन की तिथि तक अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।
- (2) शा0सं0-आडिट-2953/2009-101(64)/2009 दिनांक-07अक्टूबर 2009 द्वारा आडिट हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है,परन्तु उनके द्वारा भी अभिलेख आडिट हेतु सुलभ नहीं कराए जा सके। उल्लेखनीय है कि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेमो-1 दिनांक-24-03-2021 के माध्यम से अन्तिम बार अनुरोध किया गया था।
- (3) शा0सं0-1829/33-03-2015/03/2015 दिनांक-31जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशियों के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु सं0-4(घ) में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना व पत्रावली की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी जो कि आडिट हेतु सुलभ नहीं रहा।
- (4) उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत रोकड़ बही(रूपपत्र-06)का त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)द्वारा किए जाने के निर्देश हैं जो नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण आख्या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत- उसरा शहीद के वर्ष-2019-20 के कोई भी अभिलेख संस्था के पास नहीं है।ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- उसरा शहीद के वर्ष-2019-20 में व्यय की गयी धनराशि रु02523956-00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अश्वनी गौतम व ग्राम प्रधान श्रीमती सुमैया खातून से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2523956-00	-	-	2523956-00

प्रस्तर संख्या -40

ग्राम पंचायत वासिन विकास खण्ड-सेमरियावां के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- वासिन वि0ख0-सेमरियावां के वर्ष 2019-20 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹0125820.00(ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ई0 ग्राम स्वराज पर अंकित धनराशियों के आधार पर आडिट किये जाने के निम्न कारण हैं-

- (1) शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों के शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा आडिट आनलाईन पोर्टल के माध्यम से किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु ई0 ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक/आफलाइन अभिलेख लेखा परीक्षा में अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाने हैं। इस क्रम में ग्राम पंचायत- वासिन की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक-20.02.2021 को अनुरोध किया गया, परन्तु इण्टिमेशन द्वारा तय निर्धारित तिथि तथा आनलाईन रिपोर्ट जनरेशन की तिथि तक अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।
- (2) शा0सं0-आडिट-2953/2009-101(64)/2009 दिनांक-07अक्टूबर 2009 द्वारा आडिट हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है, परन्तु उनके द्वारा भी अभिलेख आडिट हेतु सुलभ नहीं कराए जा सके। उल्लेखनीय है कि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेमो-1 दिनांक-24-03-2021 के माध्यम से अन्तिम बार अनुरोध किया गया था।
- (3) शा0सं0-1829/33-03-2015/03/2015 दिनांक-31जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशियों के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु सं0-4(घ) में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना व पत्रावली की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी जो कि आडिट हेतु सुलभ नहीं रहा।
- (4) उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत रोकड़ बही(रूपपत्र-06)का त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)द्वारा किए जाने के निर्देश हैं जो नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण आख्या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत- वासिन के वर्ष-2019-20 के कोई भी अभिलेख संस्था के पास नहीं है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- वासिन के वर्ष-2019-20 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 125820-00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राम प्यारे व ग्राम प्रधान श्री ताजुददीन से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
125820-00	-	-	125820-00

प्रस्तर संख्या- 41

ग्राम पंचायत- वत्सी-वत्सा वि0ख0-सेमरियावां के वर्ष 2019-20 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹0776388.00(ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ई0 ग्राम स्वराज पर अंकित धनराशियों के आधार पर आडिट किये जाने के निम्न कारण हैं-

- (1) शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों के शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा आडिट आनलाईन पोर्टल के माध्यम से किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु ई0 ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक/आफलाइन अभिलेख लेखा परीक्षा में अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाने हैं। इस क्रम में ग्राम पंचायत- वत्सी-वत्सा की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक-15.02.2021 को अनुरोध किया गया, परन्तु इण्टिमेशन द्वारा तय निर्धारित तिथि तथा आनलाईन रिपोर्ट जनरेशन की तिथि तक अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।
- (2) शा0सं0-आडिट-2953/2009-101(64)/2009 दिनांक-07अक्टूबर 2009 द्वारा आडिट हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है, परन्तु उनके द्वारा भी अभिलेख आडिट हेतु सुलभ नहीं कराए जा सके। उल्लेखनीय है कि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेमो-1 दिनांक-24-03-2021 के माध्यम से अन्तिम बार अनुरोध किया गया था।
- (3) शा0सं0-1829/33-03-2015/03/2015 दिनांक-31जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशियों के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु सं0-4(घ) में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना व पत्रावली की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी जो कि आडिट हेतु सुलभ नहीं रहा।

- (4) 30प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत रोकड़ बही(रूपपत्र-06)का त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)द्वारा किए जाने के निर्देश हैं जो नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण आख्या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत- वत्सी-वत्सा के वर्ष-2019-20 के कोई भी अभिलेख संस्था के पास नहीं है।ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग,30प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- वत्सी-वत्सा के वर्ष-2019-20 में व्यय की गयी धनराशि रू0 776388-00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवमूरत मौर्य व ग्राम प्रधान श्री रघुवीर प्रसाद से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
776388-00	-	-	776388-00

प्रस्तर संख्या- 42

ग्राम पंचायत विगरामीर विकास खण्ड सेमरियावां के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि

ग्राम पंचायत- बिगरामीर वि0ख0-सेमरियावां के वर्ष 2019-20 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि रू02058812.00(ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ई0 ग्राम स्वराज पर अंकित धनराशियों के आधार पर आडिट किये जाने के निम्न कारण हैं-

(1) शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों के शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा आडिट आनलाईन पोर्टल के माध्यम से किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।इस हेतु ई0 ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक/आफलाइन अभिलेख लेखा परीक्षा में अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाने हैं। इस क्रम में ग्राम पंचायत- बिगरामीर की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक-16.02.2021 को अनुरोध किया गया, परन्तु इण्टिमेशन द्वारा तय निर्धारित तिथि तथा आनलाईन रिपोर्ट जनरेशन की तिथि तक अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

(2) शा0सं0-आडिट-2953/2009-101(64)/2009 दिनांक-07अक्टूबर 2009 द्वारा आडिट हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है,परन्तु उनके द्वारा भी अभिलेख आडिट हेतु सुलभ नहीं कराए जा सके। उल्लेखनीय है कि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेमो-1 दिनांक-24-03-2021 के माध्यम से अन्तिम बार अनुरोध किया गया था।

(3) शा0सं0-1829/33-03-2015/03/2015 दिनांक-31जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशियों के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु सं0-4(घ) में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना व पत्रावली की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी जो कि आडिट हेतु सुलभ नहीं रहा।

(4) 30प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत रोकड़ बही(रूपपत्र-06)का त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)द्वारा किए जाने के निर्देश हैं जो नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण आख्या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत- बिगरामीर के वर्ष-2019-20 के कोई भी अभिलेख संस्था के पास नहीं है।ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग,30प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- बिगरामीर के वर्ष-2019-20 में व्यय की गयी धनराशि रू0 2058812-00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आनन्द कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती शकीना से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2058812-00	-	-	2058812-00

प्रस्तर संख्या- 43

ग्राम पंचायत कुसुरु खुर्द विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतु निम्न विवरण अनुसार भुगतान किया गया है-

क्र. सं.	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1	स्ट्रीट लाइट स्थापना	3-3-2020	238200.00
2	स्ट्रीट लाइट स्थापना	3-3-2020	114500,00
	योग		352700.00

परंतु उक्त कार्य से संबंधित कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये । जिससे स्ट्रीट लाइट स्थापना के स्थान ,संख्या ,टेंडर प्रक्रिया के पालन किये जाने की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। यहाँ उल्लेखनीय है कि स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतु समस्त भुगतान कोषबही एवं ई - ग्राम स्वराज पोर्टल पर फीड विवरण के अनुसार बालाजी ब्रिक फील्ड एण्ड सप्लायर को किया गया है।व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक, कार्य पत्रावली प्रस्तुत न किया जाना एवं मनमाने रूप से ईट सप्लाइ करने वाली फर्म को स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतु भुगतान किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रुपया 352700.00 अपहरण की श्रेणी में आता है । जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । अतः धनराशि रुपया 352700.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा देवी व तत्कालीन सचिव श्री बबलू निषाद से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
352700.00	-	-	352700.00

प्रस्तर संख्या- 44

ग्राम पंचायत कुसुरु खुर्द विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि -1 खाते से दिनांक 28-1-2020 को रुपया 39500.00 निकासी कर उक्त धनराशि को ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर कार्य पर व्यय किया जाना कोषबही एवं ई -ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक ,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहने से कार्य कराये जाने के स्थान , जल संसाधन समिति की संस्तुति, इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर कार्य में जल निगम की मार्गदर्शिका का अनुपालन किया गया है या नहीं इत्यादि की जानकारी नहीं हो सकी। यहाँ उल्लेखनीय है कि इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर कार्य पर समस्त भुगतान ग्राम प्रधान शारदा देवी द्वारा प्राप्त किया जाना ई -ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित है। लेखा परीक्षा में हैंडपंप रिबोर कार्य की कार्य पत्रावली , सामग्री क्रय एवं श्रमांश का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न रहने , रु 2000.00 से अधिक का भुगतान पी.एफ.एम.एस. माध्यम से फर्म को न कर ग्राम प्रधान को करने से उक्त कार्य को कराये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक, कार्य पत्रावली प्रस्तुत न किया जाना एवं मनमाने रूप से भुगतान किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रुपया 39500.00 अपहरण की श्रेणी में आता है । जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । अतः धनराशि रुपया 39500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा देवी व तत्कालीन सचिव श्री बबलू निषाद से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
39500.00	-	-	39500.00

प्रस्तर संख्या- 45

ग्राम पंचायत कुसुरु खुर्द विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि -1 खाते से दिनांक 28-1-2020 को रुपया 30000.00 निकासी कर उक्त धनराशि को ग्राम पंचायत में प्रशासनिक मद पर व्यय किया जाना कोषबही एवं ई -ग्राम पोर्टल पर दर्शित है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने से प्रशासनिक मद पर किस हेतु व्यय किया गया इसकी जानकारी नहीं हो सकी। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक मद पर समस्त भुगतान ग्राम प्रधान शारदा देवी द्वारा प्राप्त किया जाना ई -ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न रहने , रु 2000.00 से अधिक का भुगतान पी.एफ.एम.एस. माध्यम से न कर ग्राम प्रधान को करने से उक्त मद पर व्यय किया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने एवं मनमाने रूप से भुगतान किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रुपया 30000.00 अपहरण की श्रेणी में आता है । जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । अतः धनराशि रुपया 30000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा देवी व तत्कालीन सचिव श्री बबलू निषाद से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
30000.00	-	-	30000.00

प्रस्तर संख्या- 46

ग्राम पंचायत सोनौरा गुमान राय विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1के वित्तीय वर्ष 2019-20 के अभिलेख तथा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक माँगोपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम निधि 1 खाते (राज्य वित्त /14 वॉ वित्त )से वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह अप्रैल 2019 से माह मार्च 2020 तक कुल रुपया 2596688.00 व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित है।

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय सम्बन्धी प्रस्ताव व स्वीकृति , व्यय प्रमाणक ,मस्टररोल ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , एम0बी0 ,स्टाक बुक , सा0 नि0 कार्य रजि0 , कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी। व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु 2596688.00 के अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः धनराशि रुपया 2596688.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र व तत्कालीन सचिव श्री राजेश पांडे से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2596688.00	-	-	2596688.00

प्रस्तर संख्या- 47

ग्राम पंचायत मोहददीनपुर विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाइन ऑकड़े / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे , जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है।

क्रम सं.	वर्क आईडी	ईग्राम स्वराज के अनुसार कृत कार्य	वित्त आयोग	धनराशि
1	34592809	पशु प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य पार्ट 1	चतुर्थ रा0वि0आ0	122091
2	32401961	इंटरलाकिंग से सुखारी के खेत तक मिट्टी / खडंजा कार्य	चतुर्थ रा0वि0आ0	111509
3	33561049	ग्राम पंचायत मोहददीनपुर में इंडिया मार्का हैडपंप रिबोर कार्य	चतुर्थ रा0वि0आ0	102000
4	33562623	प्रिया साफ्ट की फीडिंग का भुगतान	चतुर्थ रा0वि0आ0	3000
5	33562801	प्रशासनिक मद पर व्यय	चतुर्थ रा0वि0आ0	6500
6	33561277	ग्राम पंचायत मोहददीनपुर में इंडिया मार्का हैडपंप मरम्मत कार्य	चतुर्थ रा0वि0आ0	30000
			योग	375100-00

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व उनसे सम्बन्धित अभिलेख यथा स्टाक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, एम.बी. बुक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र , जल प्रबंधन समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव , स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र एवं लाभार्थी द्वारा निर्गत कृत कार्य प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर ग्राम प्रधान श्रीमती गेंदा देवी और सचिव श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा रुपया 375100.00 का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी व्यय सहित ब्याज सहित वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री अनिल सिंह ग्राम प्रधान श्रीमती गेंदा देवी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-------	----------	-----------	-----

375100.00	-	-	375100.00
-----------	---	---	-----------

प्रस्तर संख्या- 48

ग्राम पंचायत मोहददीनपुर विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाइन आँकड़े / ई ग्राम स्वराज के अनुसार 14वां वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे , जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । विवरण निम्नवत है।

क्रम सं.	वर्क आईडी	ईग्राम स्वराज के अनुसार कृत कार्य	वित्त आयोग	धनराशि
1	2875283	इंडिया मार्का हंडपंप में क्लोरीनेशन कार्य	चौ०वि०आ०	23491
2	32402721	टेंडर विज्ञापन पर व्यय	चौ०वि०आ०	3300
3	32401912	इंटरलाकिंग से हलीमा खातून के घर तक खडंजा कार्य	चौ०वि०आ०	90000
4	32402175	झिनकाने के घर से सदरे आलम के घर तक खडंजा कार्य	चौ०वि०आ०	111700
5	32411003	ग्राम पंचायत में गऊआश्रय केन्द्र पर व्यय	चौ०वि०आ०	90000
6	28751988	सफाई कर्मी हेतु किट	चौ०वि०आ०	7000
7	32402556	प्रधान मानदेय	चौ०वि०आ०	14000
8	28752457	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हंडपंप रिबोरकार्य	चौ०वि०आ०	30100
9	32402034	इंटरलाकिंग से बसंत के खेत तक मिट्टी सिलिंग कार्य	चौ०वि०आ०	64200
10	32402640	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर इंडिया मार्का हंडपंप मरम्मत / रिबोर कार्य	चौ०वि०आ०	64000
11	32402115	पिचरोड से राम अशीष मौर्य के घर तक खडंजा एवं सोलिंग कार्य	चौ०वि०आ०	109500
12	28751928	प्रशासनिक मद	चौ०वि०आ०	10100
13	32401849	रामचन्द्र के घर से रोड तक इंटरलाकिंग कार्य	चौ०वि०आ०	32400
14	32402223	हाजी रमजान के घर से खडंजा तक खडंजा कार्य	चौ०वि०आ०	60000
15	33055599	राम केवल के घर से मैलानी संपर्क मार्ग तक इंटरलाकिंग एवं पी.वी. सी पाइप नाली निर्माण कार्य	चौ०वि०आ०	144963
16	33055249	राम सहाय के घर से मैलानी संपर्क मार्ग तक इंटरलाकिंग एवं पी०वी०सी० पाइप नाली निर्माण कार्य	चौ०वि०आ०	90476
17	33056433	कमरुद्दीन के घर से कुदूस के घर तक नाली निर्माण कार्य	चौ०वि०आ०	67629
18	33562019	इंटरलाकिंग से कमबल के खेत तक मिट्टी खडंजा निर्माण कार्य	चौ०वि०आ०	160725
19	33561698	गुलाब के घर से काली स्थान मार्ग पर मिट्टी खडंजा निर्माण कार्य	चौ०वि०आ०	79147
20	33562306	मुस्तफा के घर से वसीउल्लाह के घर तक नाली मरम्मत कार्य	चौ०वि०आ०	160241
			योग	1412972-00

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व उनसे सम्बन्धित अभिलेख यथा स्टाक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, एम.बी. बुक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र , जल प्रबंधन समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव , स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र एवं लाभार्थी द्वारा निर्गत कृत कार्य प्रमाण पत्र , मानदेय रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर ग्राम प्रधान श्रीमती गेंदा देवी और सचिव श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा रुपया 1412972.00 का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित सहित वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री अनिल सिंह ग्राम प्रधान श्रीमती गेंदा देवी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1412972.00	-	-	1412972.00

प्रस्तर संख्या -49

ग्राम पंचायत सेमरा विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाइन ऑकड़े / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे , जिससे दर्शित कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । विवरण निम्नवत है।

क्रम सं.	वर्क आईडी	ईग्राम स्वराज के अनुसार कृत कार्य	वित्त आयोग	धनराशि
1	33656001	ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी निर्माण कार्य	चौ0वि0आ0	200000.00
2	3291077	प्रशासनिक व्यय	चौ0वि0आ0	6477.00
3	3365581	ग्राम प्रधान का मानदेय	चौ0वि0आ0	38500.00
			योग	244977.00

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व उनसे सम्बन्धित अभिलेख यथा स्टाक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, एम.बी. बुक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,तथा मानदेय रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर ग्राम प्रधान श्री सुरेंद्र और सचिव श्री अवधेश अग्रहरि द्वारा रुपया 244977.00 का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी व्यय सहित ब्याज सहित वसूली सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
244977.00	-	-	244977.00

प्रस्तर संख्या -50

ग्राम पंचायत सेमरा विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाइन ऑकड़े / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे , जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । विवरण निम्नवत है।

दर्शित कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । विवरण निम्नवत है।

क्रम सं.	वर्क आईडी	ईग्राम स्वराज के अनुसार कृत कार्य	वित्त आयोग	धनराशि
1	32910458	कोमल के घर से राम बहाल के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	चौ0वि0आ0	106031.00
2	32910825	प्रदीप के घर से रामचन्द्र के घर तक इंटरलाकिंग	चौ0वि0आ0	165745.00
3	33655528	दीवाल लेखन	चौ0वि0आ0	16000.00
4	33655648	सफाई किट का क्रय	चौ0वि0आ0	8800.00

5	33655458	इंडिया मार्का हैंड पंप मरम्मत का कार्य	चौ0वि0आ0	20800.00
6	33655740	टैंडर का कार्य व स्टेशनरी का कार्य	चौ0वि0आ0	10000.00
7	32910514	जगदीश चौधरी के घर से रामाजा एवं शिवाकांत के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	चौ0वि0आ0	157706.00
8	32910859	प्रदीप के घर से सर्वजीत के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य	चौ0वि0आ0	115658.00
			योग	600740.00

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व उनसे सम्बन्धित अभिलेख यथा स्टाक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, एम.बी. बुक . जल प्रबंधन समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव , प्रमाणित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र/ स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र एवं लाभार्थी द्वारा निर्गत कृत कार्य प्रमाण पत्र और स्टाक बुक ( वस्तुओं का रजिस्टर / रूप पत्र -25) , आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर ग्राम प्रधान श्री सुरेंद्र और सचिव श्री अवधेश अग्रहरि द्वारा रुपया 600740.00 का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित सहित वसूली सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
600740.00	-	-	600740.00

प्रस्तर संख्या- 51

ग्राम पंचायत कटका विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाइन ऑकड़े / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे , जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । विवरण निम्नवत है।  
दर्शित कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । विवरण निम्नवत है।

क्रम सं.	वर्क आईडी	ईग्राम स्वराज के अनुसार कृत कार्य	वित्त आयोग	धनराशि
1	28745139	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर	चौ0वि0आ0	105000
2	28745255	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर कार्य	चौ0वि0आ0	111349
3	34639410	प्रशासनिक मद पर व्यय	चौ0वि0आ0	3000
4	34639133	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंड पंप मरम्मत कार्य	चौ0वि0आ0	20000
				239349

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष जल प्रबंधन समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव , व्यय प्रमाणक, प्रमाणित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र/ स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र एवं लाभार्थी द्वारा निर्गत कृत कार्य प्रमाण पत्र और स्टाक बुक

( वस्तुओं का रजिस्टर / रूप पत्र -25) तथा अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर ग्राम प्रधान श्री जोगेंदर सचिव श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा रुपया 239349.00 का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित सहित वसूली सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
239349.00	-	-	239349.00

प्रस्तर संख्या- 52

ग्राम पंचायत कटका विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाइन आँकड़े / ई ग्राम स्वराज के अनुसार 14 वां वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे , जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । विवरण निम्नवत है।  
दर्शित कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । विवरण निम्नवत है।

क्रम सं.	वर्क आईडी	ईग्राम स्वराज के अनुसार कृत कार्य	वित्त आयोग	धनराशि
1	32768682	प्रसिद्धि सिंह के घर से गडढे तक नाली मरम्मत कार्य	चौ०वि०आ०	40100
2	28744685	प्रशासनिक व्यय	चौ०वि०आ०	26800
3	32767238	रंजीत के घर से गढढे तक नाली मरम्मत एवं ढक्कन निर्माण कार्य	चौ०वि०आ०	94000
4	32778751	तपस्सया के खेत से पुलिया होते हुए ज्ञानदास के खेत तक खडंजा निर्माण एवं मरम्मत कार्य	चौ०वि०आ०	115000
5	28741943	ग्राम पंचायत इंडिया मार्का हैडपंप मरम्मत कार्य	चौ०वि०आ०	18000
6	32768953	पिच रोड से चंद्रभान , सरयू, एवं खडंजा से कोदई के घर तक मिट्टी एवं खडंजा कार्य	चौ०वि०आ०	60000
7	32778881	प्रियासाफ्ट की फीडिंग का भुगतान	चौ०वि०आ०	3000
8	32768194	नागेंद्र के घर से नहर तक मिट्टी खडंजा निर्माण कार्य	चौ०वि०आ०	210000
9	32769042	फेरई के घर से गढढे तक नाली मरम्मत एवं ढक्कन निर्माण	चौ.वि.आ.	114900
10	32768097	अभय के घर से राकेश के घर तक मिट्टी खडंजा निर्माण कार्य	चौ०वि०आ०	25000
11	33156777	ग्राम पंचायत कटका में नहर से तरकुल तक मिट्टी / खडंजा मरम्मत कार्य	चौ०वि०आ०	187050
12	33156721	ग्राम पंचायत कटका में पुलिया से कोडरी सिवान तक मिट्टी खडंजा मरम्मत कार्य	चौ०वि०आ०	181275
13	36088284	सचिवालय का बाउंड्री निर्माण एवं मरम्मत कार्य	चौ०वि०आ०	82663
14	36088864	रामप्रेम घर से महेंद्र के खेत तक नाली निर्माण कार्य	चौ०वि०आ०	35569
15	36087577	पिच रोड से परमात्मा के खेत तक मिट्टी खडंजा मरम्मत कार्य	चौ०वि०आ०	39669
16	36086148	जितेंद्र के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	चौ०वि०आ०	39673
17	36084844	विक्रम के घर से मेन रोड तक मिट्टी खडंजा निर्माण कार्य	चौ०वि०आ०	35238
18	36086928	राम बहादुर के घर से सरकारी नल तक नाली मरम्मत एवं नाली निर्माण कार्य	चौ०वि०आ०	101045
			योग	1408982.00

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व उनसे सम्बन्धित अभिलेख यथा स्टाक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, एम.बी. बुक , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर ग्राम प्रधान श्री जोगेंदर सचिव श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा रुपया 1408982.00 का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1408982.00	-	-	1408982.00

प्रस्तर संख्या- 53

ग्राम पंचायत करमुआ माफी विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20में ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे ।

क्रम सं.	दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	मद का नाम
1	26-6-2019	एफएफसी /2019-2014	195860.00	इंटरलाकिंग
2	27-6-2019	एफएफसी/2019-2016	235469.00	इंटरलाकिंग
		योग	431329.00	

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभारयोग्य है।

इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर ग्राम प्रधान श्री सत्या पाण्डेय और सचिव श्री आनन्द मोहन द्वारा रुपया 431329.00 का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
431329.00	-	-	431329.00

प्रस्तर संख्या- 54

ग्राम पंचायत गोरया भार विकास खण्ड खलीलाबाद के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि -1 खाता की कैशबुक में आलोच्य वर्ष में " हरिशचन्द्र के घर से खडंजा तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य " परियोजना में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित है।

क्रम सं	दिनांक	मद	धनराशि
1	24-7-19	मजदूरी	24000.00
2	24-7-19	सामग्री	55000.00
3	25-7-19	सामग्री	100000.00
		योग	179000.00

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय संबंधित प्रस्ताव एवं स्वीकृत प्रमाणक , मस्टर रोल, प्रमाणित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र / स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र, सम्पत्ति रजिस्टर, एम0 बी0 बुक आदि मागोपरान्त प्रस्तुत न कर, दर्शित कार्यों की वास्तविकता , व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता एवं निर्माण कार्य समिति की संस्तुति की पुष्टि नहीं करायी गयी । इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय रु. 179000.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8(क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहितवसूली श्री राजकुमार , प्रधान तथा श्री राजनरायन शुक्ल, ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए । .

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
179000.00	-	-	179000.00

प्रस्तर संख्या -55

ग्राम पंचायत भगता विकास खण्ड खलीलालबाद के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि 1 खाता की कैशबुक में दिनांक 12.7.2019 को " ग्राम पंचायत भगता में 5 अदद हैंड पंप रिबोर कार्य " दर्शित कर रु. 180000.00 की निकासी की गयी है,

जिसकी पत्रावली मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर, दर्शित कार्य की वास्तविकता एवं व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी ।

इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय की वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि जल प्रबन्धन समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, प्रामाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र / स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र एवं लाभार्थी द्वारा निर्गत कृत कार्य प्रमाण पत्र, और स्टाक बुक ( वस्तुओं का रजिस्टर / रुप पत्र -25) तथा अन्य अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के नियम -7 एवं 8 (क) के अनुसार रु. 180000.00 अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री कृष्णचन्द्र प्रधान तथा श्रीमती मंजूषा ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रुप से की जानी चाहिए।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
180000.00	-	-	180000.00

प्रस्तर संख्या- 56

ग्राम पंचायत भगता विकास खण्ड खलीलालबाद के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि 1 खाता की कैशबुक में दिनांक 12.7.2019 को "नैनाझाला में 6 अदद हैंड पंप रिबोर कार्य " दर्शित कर रु. 220000.00 की निकासी की गयी है, जिसकी पत्रावली मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर, दर्शित कार्य की वास्तविकता एवं व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी ।

इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय की वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि जल प्रबन्धन समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, प्रामाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र / स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र एवं लाभार्थी द्वारा निर्गत कृत कार्य प्रमाण पत्र, और स्टाक बुक ( वस्तुओं का रजिस्टर / रुप पत्र -25) तथा अन्य अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के नियम -7 एवं 8 (क) के अनुसार रु. 220000.00 अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री कृष्णचन्द्र प्रधान तथा श्रीमती मंजूषा ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रुप से की जानी चाहिए।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
220000.00	-	-	220000.00

प्रस्तर संख्या- 57

ग्राम पंचायत भीटीमाफी विकास खण्ड नाथनगर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि 1 खाते कैशबुक / पासबुक अनुसार दिनांक 1.4.19 से 31.3.2020 तक कुल रु. 1211447.00 का आहरण किया गया तथा व्यय दर्शित रहा । जिनके व्यय प्रमाणक एमबी रजिस्टर तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र / कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे । जिससे उक्त आहरित धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं किया जा सका कुल व्यय की धनराशि रु. 1211447.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से कराकर ग्रा0प0 वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री सुभाष चन्द्र प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेन्द्र कुमार गौड ग्रा0प0अ0 संयुक्त रुप से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1211447.00	-	-	1211447.00

प्रस्तर संख्या- 58

ग्राम पंचायत बन्धूपुर विकास खण्ड नाथनगर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि1 खाते कैशबुक / पासबुक अनुसार दिनांक 1.4.19 से 31.3.2020 तक कुल रु. 2179448.00 का आहरण किया गया तथा व्यय दर्शित रहा । जिनके व्यय प्रमाणक एमबी रजिस्टर तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र / कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे । जिससे उक्त आहरित धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं किया जा सका कुल व्यय की धनराशि रु. 2179448.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्रा0प0 वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती वासमती देवी प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव श्री इन्देश कुमार यादव संयुक्त रुप से उत्तरदायी है । वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2179448.00	-	-	2179448.00

प्रस्तर संख्या -59

ग्राम पंचायत डुहिया खुर्द विकास खण्ड हैंसरबाजार के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आपतियों का विस्तृत विवरण निम्नवत है-

1-आलोच्य वर्षों में निम्नानुसार प्रधान मानदेय पर भुगतान किया गया है-

क्र०सं०	दिनांक	मानदेय की धनराशि
1	24-10-2018	35000-00
2	05-04-2019	21000-00
3	19-01-2020	31500-00
	योग-	87500-00

लेखा परीक्षा में मानदेय भुगतान रजिस्टर अप्रस्तुत रहने तथा किस माह का मानदेय भुगतान किया गया है विवरण अप्राप्त रहने से भुगतान अनियमित रहा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	87500.00	87500.00

प्रस्तर संख्या -60

दिनांक 29-5-2018 को ग्राम पंचायत डुहिया खुर्द विकास खण्ड हैंसरबाजार द्वारा 14 वें वित्त से प्रा० वि० के प्रांगण में मिट्टी पटाई कार्य पर रू० 83049-00 का व्यय किया है के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कार्य की स्वीकृति, कार्यपत्रावली, बाउचर आदि अप्रस्तुत रहने से यह स्पष्ट न हो सका कि वास्तव में कार्य कराया गया है अथवा नहीं तथा 14 वें वित्त के गाईडलाईन के अनुसार कार्य आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर सम्पादित की गयी है अथवा नहीं। किए गए व्यय की पुष्टि में यदि संस्था द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय ग्राम पंचायत के मैन्युअल के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए प्रधान व सचिव उत्तरदायी होते हैं। अतः रू० 83049-00 की वसूली प्रधान श्रीमती मनसा देवी व सचिव श्री देवेन्द्र नाथ यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
83049.00	-	-	83049.00

प्रस्तर संख्या -61

वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत डुहिया खुर्द विकास खण्ड हैंसरबाजार द्वारा दिनांक 14-8-2019 को दर्शित कार्य हैण्डपम्प मरम्मत पर 14 वां वित्त से व्यय रू० 102300-00 के सम्बन्ध में आपतियां निम्नवत हैं-

-कार्य की फाईल अप्रस्तुत रहने से उक्त कार्य की स्वीकृति की स्थिति अज्ञात रही। चूंकि भुगतान एक ही आई० डी० सं०-30543942 पर एक ही दिन की गई है। अतः बाउचर के अप्रस्तुत रहने व कोषबही में भी भुगतान किसको हुआ व कितने हैण्डपम्पों की मरम्मत की गयी विवरण अंकित न होने से वास्तविक स्थिति अज्ञात रही।

-लेखा परीक्षा में हैण्डपम्पों के खराब होने व मरम्मत के उपरान्त सही होने तथा जल प्रबंधन समिति की संस्तुति आदि पत्रावलियां अप्राप्त रहने से कार्य की वास्तविकता संदिग्ध हो जाती है।

उपरोक्त आपतियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतान केवल आहरण कर अपहरण करने की नीयत से हुआ है। अतः आहरित धनराशि रू० 102300-00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री देवेन्द्र नाथ यादव व प्रधान श्रीमती मनसा देवी से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
102300-00	-	-	102300-00

प्रस्तर संख्या- 62

ग्राम पंचायत रजनौली विकास खण्ड हैंसर बाजार के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आपतियों का विस्तृत विवरण निम्नवत है-

वर्ष 2018-19 में निम्नानुसार सोलर लाईट क्रय पर व्यय किया गया है-

क्र०सं० वर्क आई० डी० दिनांक भुगतानित धनराशि

1	18965585	08-05-2018	229950-00
2	18966149	04-07-2018	91980-00
3	18966026	31-07-2018	229950-00
	योग-	551880-00	

आपतियां निम्नवत हैं-

- 1-भुगतान की पत्रावली अप्रस्तुत रहने से स्वीकृति,टेण्डर/कोटेशन,दर,वास्तविक भुगतान की स्थिति संदिग्ध रही।
- 2-दिनांक 04-07-2018 , 31-07-2018, 08-05-2018 को एक ही कार्य हेतु धनराशि का बार-बार भुगतान किया जाना भुगतान की व्यवहारिकता को संदिग्ध बनाता है।ऐसा उच्चाधिकारियों की स्वीकृति से बचने के लिए किया गया है।
- 3-एक ही कार्य हेतु भुगतान के लिए अलग-अलग आई0 डी0 जनरेट करना कार्य की वास्तविकता व गंभीरता को संदिग्ध बनाता है। उक्त आपतियों से स्पष्ट है कि धनराशि रू0 551880-00 का आहरण अनियमित रूप से किया गया है।जिसके लिए सचिव श्री देवेन्द्र नाथ यादव व प्रधान श्री राममिलन यादव उत्तरदायी हैं।यथोचित कार्यवाही हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	551880-00	551880-00

प्रस्तर संख्या -63

ग्राम पंचायत हैंसरबाजार विकास खण्ड हैंसर बाजार के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018-19 से 2019-20 में निम्नानुसार इस्टबिन क्रय पर व्यय किया गया है-

क्र0सं0	दिनांक	भुगतानित धनराशि
1	15-9-2018	165000.00
2	5.12.2019	165000.00
3	5.12.2019	165000.00
	योग-	495000.00

आपतियां निम्नवत हैं-

- 1-भुगतान की पत्रावली व बाउचर अप्रस्तुत रहने से स्वीकृति,टेण्डर/कोटेशन,दर,वास्तविक भुगतान की स्थिति अज्ञात रही।
  - 2-एक समान आयतन व प्रकार के इस्टबिन क्रय तथा एक समान भुगतानित धनराशि विभिन्न तिथियों व वर्षों में किया जाना भुगतान को संदिग्ध बनाता है।
  - 3-दिनांक 5-12-2019 को एक ही धनराशि का दो बार भुगतान किया जाना भुगतान की व्यवहारिकता को संदिग्ध बनाता है।
  - 4-जब वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में इस्टबिन क्रय कर लिया गया था तो पुनः वर्ष 2019-20 में क्रय किए जाने का औचित्य समझ से परे है।
- उक्त आपतियों से स्पष्ट है कि धनराशि रू0 495000-00 का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री देवेन्द्र नाथ यादव व प्रधान श्रीमती रूपाली देवी से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
495000-00	-	-	495000-00

प्रस्तर संख्या -64

ग्राम पंचायत बाघनगर विकास खण्ड सेमरियावांवा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2019-20 में संस्था द्वारा कोई व्यय न होने के बावत अभिलेख के रूप में ई0ग्राम स्वराज पर फीड आय-व्यय प्रस्तुत किया गया । जिसके अनुसार वर्ष दौरान राज्य वित्त व 14 वां वित्त अन्तर्गत अनुदान रू0 3116580-00 की प्राप्ति के सापेक्ष रू0 शून्य विकास कार्यों पर व्यय हुआ है । इस प्रकार अनुदान को रोककर व व्यय न कर तथा विकास कार्य को प्रभावित कर तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रामप्यारे व प्रधान श्रीमती इमराना खातून द्वारा गंभीर अनियमितता की गयी है । स्पष्टिकरण प्राप्त करते हुए उचित कार्यवाही अपेक्षित है । उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट अप्रस्तुत रहा जिससे वास्तविक व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	3116580-00	3116580-00

प्रस्तर संख्या- 65

ग्राम पंचायत भाटपारा विकास खण्ड सेमरियावा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि-

आलोच्य वर्ष 2019-20 में संस्था द्वारा कोई व्यय न होने के बावत अभिलेख के रूप में ई0ग्राम स्वराज पर फीड आय-व्यय प्रस्तुत किया गया । जिसके अनुसार वर्ष दौरान राज्य वित्त व 14 वां वित्त अन्तर्गत अनुदान रू0 3518877-00 की प्राप्ति के सापेक्ष रू0 शून्य विकास कार्यों पर व्यय हुआ है । इस प्रकार अनुदान को रोककर व व्यय न कर तथा विकास कार्य को प्रभावित कर तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रामप्यारे व प्रधान श्रीमती सहीदुन्निसा द्वारा गंभीर अनियमितता की गयी है । स्पष्टिकरण प्राप्त करते हुए उचित कार्यवाही अपेक्षित है । उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट अप्रस्तुत रहा जिससे वास्तविक व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	3518877-00	3518877-00

प्रस्तर संख्या -66

ग्राम पंचायत बूधा कला विकास खण्ड सेमरियावा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- बूधा कला वि0ख0-सेमरियावा के वर्ष 2019-20 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि रू01537530.00(ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ई0 ग्राम स्वराज पर अंकित धनराशियों के आधार पर आडिट किये जाने के निम्न कारण हैं-

- (1) शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों के शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा आडिट आनलाईन पोर्टल के माध्यम से किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।इस हेतु ई0 ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक/आफलाइन अभिलेख लेखा परीक्षा में अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाने हैं। इस क्रम में ग्राम पंचायत- बूधा कला की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक-16.02.2021 को अनुरोध किया गया, परन्तु इण्टिमेशन द्वारा तय निर्धारित तिथि तथा आनलाईन रिपोर्ट जनरेशन की तिथि तक अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।
- (2) शा0सं0-आडिट-2953/2009-101(64)/2009 दिनांक-07अक्टूबर 2009 द्वारा आडिट हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है,परन्तु उनके द्वारा भी अभिलेख आडिट हेतु सुलभ नहीं कराए जा सके। उल्लेखनीय है कि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेमो-1 दिनांक-24-03-2021 के माध्यम से अन्तिम बार अनुरोध किया गया था।
- (3) शा0सं0-1829/33-03-2015/03/2015 दिनांक-31जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशियों के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु सं0-4(घ) में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना व पत्रावली की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी जो कि आडिट हेतु सुलभ नहीं रहा।
- (4) उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत रोकड़ बही(रूपपत्र-06)का त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)द्वारा किए जाने के निर्देश हैं जो नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण आख्या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत- बूधा कला के वर्ष-2019-20 के कोई भी अभिलेख संस्था के पास नहीं है।ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- बूधा कला के वर्ष-2019-20 में व्यय की गयी धनराशि रू0 1537530-00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आनन्द कुमार व ग्राम प्रधान श्री जोखन से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1537530-00	-	-	1537530-00

प्रस्तर संख्या- 67

ग्राम पंचायत बुढान नगर विकास खण्ड सेमरियावा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- बुढान नगर वि0ख0-सेमरियावा के वर्ष 2019-20 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि रू0483834.00(ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के

अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ई0 ग्राम स्वराज पर अंकित धनराशियों के आधार पर आडिट किये जाने के निम्न कारण हैं-

- (1) शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों के शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा आडिट आनलाईन पोर्टल के माध्यम से किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु ई0 ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक/आफलाइन अभिलेख लेखा परीक्षा में अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाने हैं। इस क्रम में ग्राम पंचायत- बुढान नगर की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक-17.02.2021 को अनुरोध किया गया, परन्तु इण्टिमेशन द्वारा तय निर्धारित तिथि तथा आनलाईन रिपोर्ट जनरेशन की तिथि तक अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।
- (2) शा0सं0-आडिट-2953/2009-101(64)/2009 दिनांक-07अक्टूबर 2009 द्वारा आडिट हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है, परन्तु उनके द्वारा भी अभिलेख आडिट हेतु सुलभ नहीं कराए जा सके। उल्लेखनीय है कि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेमो-1 दिनांक-24-03-2021 के माध्यम से अन्तिम बार अनुरोध किया गया था।
- (3) शा0सं0-1829/33-03-2015/03/2015 दिनांक-31जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशियों के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु सं0-4(घ) में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना व पत्रावली की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी जो कि आडिट हेतु सुलभ नहीं रहा।
- (4) उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत रोकड़ बही(रूपपत्र-06)का त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)द्वारा किए जाने के निर्देश हैं जो नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण आख्या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत- बुढान नगर के वर्ष-2019-20 के कोई भी अभिलेख संस्था के पास नहीं है। ग्राम पंचायतों में विल्ट एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- बुढान नगर के वर्ष-2019-20 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 483834-00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राम प्यारे व ग्राम प्रधान श्रीमती मेराजुन्निशा से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
483834-00	-	-	483834-00

प्रस्तर संख्या -68

ग्राम पंचायत देवरिया लाल विकास खण्ड सेमरियावां के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- देवरिया लाल वि0ख0-सेमरियावां के वर्ष 2019-20 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹0734798.00(ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ई0 ग्राम स्वराज पर अंकित धनराशियों के आधार पर आडिट किये जाने के निम्न कारण हैं-

- (1) शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों के शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा आडिट आनलाईन पोर्टल के माध्यम से किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु ई0 ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक/आफलाइन अभिलेख लेखा परीक्षा में अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाने हैं। इस क्रम में ग्राम पंचायत- देवरिया लाल की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक-06.03.2021 को अनुरोध किया गया, परन्तु इण्टिमेशन द्वारा तय निर्धारित तिथि तथा आनलाईन रिपोर्ट जनरेशन की तिथि तक अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।
- (2) शा0सं0-आडिट-2953/2009-101(64)/2009 दिनांक-07अक्टूबर 2009 द्वारा आडिट हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है, परन्तु उनके द्वारा भी अभिलेख आडिट हेतु सुलभ नहीं कराए जा सके।
- (3) शा0सं0-1829/33-03-2015/03/2015 दिनांक-31जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशियों के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु सं0-4(घ) में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना व पत्रावली की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी जो कि आडिट हेतु सुलभ नहीं रहा।
- (4) उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत रोकड़ बही(रूपपत्र-06)का त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)द्वारा किए जाने के निर्देश हैं जो नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण आख्या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत- देवरिया लाल के वर्ष-2019-20 के कोई भी अभिलेख संस्था के पास नहीं है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, 30 प्र 0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- देवरिया लाल के वर्ष-2019-20 में व्यय की गयी धनराशि ₹0734798-00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवमूरत मौर्य व ग्राम प्रधान श्री कलीमुल्लाह से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
734798-00	-	-	734798-00

प्रस्तर संख्या- 69

ग्राम पंचायत इनायत पुर विकास खण्ड सेमरियावां के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- इनायतपुर वि०ख०-सेमरियावां के वर्ष 2019-20 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹01150240.00(ई०ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ई० ग्राम स्वराज पर अंकित धनराशियों के आधार पर आडिट किये जाने के निम्न कारण हैं-

- (1) शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों के शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा आडिट आनलाईन पोर्टल के माध्यम से किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु ई० ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक/आफलाइन अभिलेख लेखा परीक्षा में अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाने हैं। इस क्रम में ग्राम पंचायत- इनायतपुर की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक-23.02.2021 को अनुरोध किया गया, परन्तु इण्टिमेशन द्वारा तय निर्धारित तिथि तथा आनलाईन रिपोर्ट जनरेशन की तिथि तक अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।
- (2) शा०सं०-आडिट-2953/2009-101(64)/2009 दिनांक-07अक्टूबर 2009 द्वारा आडिट हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है, परन्तु उनके द्वारा भी अभिलेख आडिट हेतु सुलभ नहीं कराए जा सके। उल्लेखनीय है कि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेमो-1 दिनांक-24-03-2021 के माध्यम से अन्तिम बार अनुरोध किया गया था।
- (3) शा०सं०-1829/33-03-2015/03/2015 दिनांक-31जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशियों के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु सं०-4(घ) में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना व पत्रावली की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी जो कि आडिट हेतु सुलभ नहीं रहा।
- (4) 30 प्र 0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत रोकड़ बही(रूपपत्र-06)का त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)द्वारा किए जाने के निर्देश हैं जो नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण आख्या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत- इनायतपुर के वर्ष-2019-20 के कोई भी अभिलेख संस्था के पास नहीं है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, 30 प्र 0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- इनायतपुर के वर्ष-2019-20 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 1150240-00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आनन्द कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1150240-00	-	-	1150240-00

प्रस्तर संख्या- 70

ग्राम पंचायत जिगिना विकास खण्ड सेमरियावां के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- जिगिना वि०ख०-सेमरियावां के वर्ष 2019-20 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹01244304.00(ई०ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ई० ग्राम स्वराज पर अंकित धनराशियों के आधार पर आडिट किये जाने के निम्न कारण हैं-

- (1) शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों के शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा आडिट आनलाईन पोर्टल के माध्यम से किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु ई० ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक/आफलाइन अभिलेख

लेखा परीक्षा में अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाने हैं। इस क्रम में ग्राम पंचायत- जिगिना की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक-22.02.2021 को अनुरोध किया गया, परन्तु इण्टिमेशन द्वारा तय निर्धारित तिथि तथा आनलाइन रिपोर्ट जनरेशन की तिथि तक अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

(2) शा0सं0-आडिट-2953/2009-101(64)/2009 दिनांक-07अक्टूबर 2009 द्वारा आडिट हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है, परन्तु उनके द्वारा भी अभिलेख आडिट हेतु सुलभ नहीं कराए जा सके। उल्लेखनीय है कि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेमो-1 दिनांक-24-03-2021 के माध्यम से अन्तिम बार अनुरोध किया गया था।

(3) शा0सं0-1829/33-03-2015/03/2015 दिनांक-31जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशियों के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु सं0-4(घ) में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना व पत्रावली की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी जो कि आडिट हेतु सुलभ नहीं रहा।

(4) उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत रोकड़ बही(रूपपत्र-06)का त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)द्वारा किए जाने के निर्देश हैं जो नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण आख्या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत- जिगिना के वर्ष-2019-20 के कोई भी अभिलेख संस्था के पास नहीं है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- जिगिना के वर्ष-2019-20 में व्यय की गयी धनराशि ₹0 1244304.00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आनन्द कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती विद्या देवी से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1244304.00	-	-	1244304.00

प्रस्तर संख्या- 71

ग्राम पंचायत कांट ठेस विकास खण्ड सेमरियावां के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- कांट ठेस वि0ख0-सेमरियावां के वर्ष 2019-20 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि ₹01477395.00(ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ई0 ग्राम स्वराज पर अंकित धनराशियों के आधार पर आडिट किये जाने के निम्न कारण हैं-

(1) शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों के शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा आडिट आनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु ई0 ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक/आफलाइन अभिलेख लेखा परीक्षा में अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाने हैं। इस क्रम में ग्राम पंचायत- कांट ठेस की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक-17.02.2021 को अनुरोध किया गया, परन्तु इण्टिमेशन द्वारा तय निर्धारित तिथि तथा आनलाइन रिपोर्ट जनरेशन की तिथि तक अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

(2) शा0सं0-आडिट-2953/2009-101(64)/2009 दिनांक-07अक्टूबर 2009 द्वारा आडिट हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है, परन्तु उनके द्वारा भी अभिलेख आडिट हेतु सुलभ नहीं कराए जा सके। उल्लेखनीय है कि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेमो-1 दिनांक-24-03-2021 के माध्यम से अन्तिम बार अनुरोध किया गया था।

(3) शा0सं0-1829/33-03-2015/03/2015 दिनांक-31जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशियों के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु सं0-4(घ) में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना व पत्रावली की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी जो कि आडिट हेतु सुलभ नहीं रहा।

(4) उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत रोकड़ बही(रूपपत्र-06)का त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)द्वारा किए जाने के निर्देश हैं जो नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण आख्या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत- कांट ठेस के वर्ष-2019-20 के कोई भी अभिलेख संस्था के पास नहीं है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- कांट ठेस के वर्ष-2019-20 मे व्यय की गयी धनराशि रू0 1477395-00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी मे आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आनन्द कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1477395.00	-	-	1477395.00

प्रस्तर संख्या -72

ग्राम पंचायत मूडाडीहा खुर्द विकास खण्ड सेमरियावां के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- मूडाडीहा खुर्द वि0ख0-सेमरियावां के वर्ष 2019-20 मे निधि प्रथम मे कुल व्यय धनराशि रू01692040.00(ई0ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ई0 ग्राम स्वराज पर अंकित धनराशियों के आधार पर आडिट किये जाने के निम्न कारण हैं-

- (1) शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों के शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा आडिट आनलाईन पोर्टल के माध्यम से किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु ई0 ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक/आफलाइन अभिलेख लेखा परीक्षा मे अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाने हैं। इस क्रम मे ग्राम पंचायत- मूडाडीहा खुर्द की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक-29.12.2020 को अनुरोध किया गया, परन्तु इण्टिमेसन द्वारा तय निर्धारित तिथि तथा आनलाईन रिपोर्ट जनरेशन की तिथि तक अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।
- (2) शा0सं0-आडिट-2953/2009-101(64)/2009 दिनांक-07अक्टूबर 2009 द्वारा आडिट हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है, परन्तु उनके द्वारा भी अभिलेख आडिट हेतु सुलभ नहीं कराए जा सके। उल्लेखनीय है कि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेमो-1 दिनांक-24-03-2021 के माध्यम से अन्तिम बार अनुरोध किया गया था।
- (3) शा0सं0-1829/33-03-2015/03/2015 दिनांक-31जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशियों के उपभोग के सन्दर्भ मे बिन्दु सं0-4(घ) मे स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना व पत्रावली की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के कार्यालय मे रखी जायेगी जो कि आडिट हेतु सुलभ नहीं रहा।
- (4) उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत रोकड़ बही(रूपपत्र-06)का त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)द्वारा किए जाने के निर्देश हैं जो नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण आख्या लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत- मूडाडीहा खुर्द के वर्ष-2019-20 के कोई भी अभिलेख संस्था के पास नहीं है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की धारा-8(क) मे प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- मूडाडीहा खुर्द के वर्ष-2019-20 मे व्यय की गयी धनराशि रू0 1692040-00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी मे आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अश्वनी गौतम व ग्राम प्रधान श्री अब्दुल वफा से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1692040-00	-	-	1692040-00

प्रस्तर संख्या -73

ग्राम पंचायत निपनिया विकास खण्ड सेमरियावां के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2019-20 मे संस्था द्वारा कोई व्यय न होने के बाबत अभिलेख के रूप मे ई0ग्राम स्वराज पर फीड आय-व्यय प्रस्तुत किया गया । जिसके अनुसार वर्ष दौरान राज्य वित्त व 14 वां वित्त अन्तर्गत अनुदान रू0 979378-00 की प्राप्ति के सापेक्ष रू0 शून्य विकास कार्यो पर व्यय हुआ है । इस प्रकार अनुदान को रोककर व व्यय न कर तथा विकास कार्य को प्रभावित कर तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रामप्यारे व प्रधान श्री अबूबकर द्वारा गंभीर अनियमितता की गयी है । स्पष्टिकरण प्राप्त करते हुए उचित कार्यवाही अपेक्षित है । उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा मे बैंक स्टेटमेण्ट अप्रस्तुत रहा जिससे वास्तविक व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	979378-00	979378-00

प्रस्तर संख्या -74

ग्राम पंचायत पिड़वा विकास खण्ड सेमरियावां के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 1-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत पिड़वा में ग्राम निधि प्रथम से हुए व्यय का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत केशबुक व पत्रावली अनुसार निम्नवत है-

क्र०सं०	कार्य का नाम	दिनांक	भुगतानित धनराशि	फर्म का नाम	मस्टररोल पर भुगतान
1	अकबाल के घर से गड़ही तक नाली निर्माण कार्य	2019-4-3	00-11620	मेपटेल सप्लायर्स 0	शून्य
2	निजामुद्दीन के घर से मो. रजा के घर तक एवं रहीम के घर से सड़क तक इ.ला.	2019-4-3	00-81200	मेपटेल सप्लायर्स 0	शून्य
3	मुस्ताक अली के घर से नजीर के घर तक सी रोड निर्माण 0सी0	-7-11 2019	00-14062	मे 0न्यू चन्दन ब्रिक फील्ड	शून्य
4	वकील के घर से उमर के घर के पास सरकारी नल तक भूमिगत नाली निर्माण	-12-27 2019	00-205160	मे 0उजियार टेडर्स	शून्य
		-02-25 2020	00-151871	मे 0उजियार टेडर्स	
5	शरीफ के घर से रईस के आबादी तक खणन्जा व नाली	-12-31 2019	00-77263	मे 0उजियार टेडर्स	शून्य
6	हैण्डपम्प चबूतरा निर्माण	-1-22 2020	00-20947		शून्य
		योग-	00-562123		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पूरे वर्ष उपरोक्त परियोजनाओं पर मस्टररोल पर व्यय शून्य है। जिससे स्पष्ट है कि वास्तविक रूप से कार्य नहीं कराया गया है। तथा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शित कर उपरोक्त धनराशि रु0 562123-00 का अपहरण सचिव श्री मो0 अफजल तथा प्रधान श्री इम्ताज अली द्वारा फर्म की मिलीभगत से कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
562123-00	-	-	562123-00

प्रस्तर संख्या- 75

ग्राम पंचायत पिड़वा विकास खण्ड सेमरियावां के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत पिड़वा में ग्राम निधि प्रथम से पूरे वर्ष मस्टररोल पर कोई भी धनराशि व्यय न किए जाने से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया है ऐसे में आलोच्य वर्ष में दिनांक 19-7-2019 को रु0 10000-00 तथा दिनांक 13-3-2020 को रु0 20000-00 कुल रु0 30000-00 प्रशासनिक व्यय हेतु धन का आहरण किया जाना औचित्यहीन है तथा स्पष्ट है कि उपरोक्त धनराशि रु0 30000-00 का अपहरण सचिव श्री मो0 अफजल तथा प्रधान श्री इम्ताज अली द्वारा कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उनसे संयुक्तरूपसे से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
30000-00	-	-	30000-00

प्रस्तर संख्या- 76

ग्राम पंचायत - पिपरा गोविंद विकास खण्ड सेमरियावां के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत- पिपरा

गोविन्द वि०ख०-सेमरियावां के वर्ष 2019-20 में निधि प्रथम में कुल व्यय धनराशि रु0957162.00(ई०ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ई० ग्राम स्वराज पर अंकित धनराशियों के आधार पर आडिट किये जाने के निम्न कारण हैं-

- (1) शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायतों के शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा आडिट आनलाईन पोर्टल के माध्यम से किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु ई० ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक/आफलाइन अभिलेख लेखा परीक्षा में अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाने हैं। इस क्रम में ग्राम पंचायत- पिपरा गोविन्द की लेखा परीक्षा हेतु

दिनांक-18.02.2021 को अनुरोध किया गया, परन्तु इण्टिमेंशन द्वारा तय निर्धारित तिथि तथा आनलाइन रिपोर्ट जनरेशन की तिथि तक अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

- (2) शा0सं0-आडिट-2953/2009-101(64)/2009 दिनांक-07अक्टूबर 2009 द्वारा आडिट हेतु ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है, परन्तु उनके द्वारा भी अभिलेख आडिट हेतु सुलभ नहीं कराए जा सके। उल्लेखनीय है कि अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेमो-1 दिनांक-24-03-2021 के माध्यम से अन्तिम बार अनुरोध किया गया था।
- (3) शा0सं0-1829/33-03-2015/03/2015 दिनांक-31जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशियों के उपभोग के सन्दर्भ में बिन्दु सं0-4(घ) में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना व पत्रावली की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) के कार्यालय में रखी जायेगी जो कि आडिट हेतु सुलभ नहीं रहा।
- (4) उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-199 के अन्तर्गत रोकड़ बही(रूपपत्र-06)का त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)द्वारा किए जाने के निर्देश हैं जो नहीं किया गया क्योंकि निरीक्षण आख्या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत- पिपरा गोविन्द के वर्ष-2019-20 के कोई भी अभिलेख संस्था के पास नहीं है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की धारा-8(क) में प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः ईग्राम स्वराज पर दर्शित ग्राम पंचायत- पिपरा गोविन्द के वर्ष-2019-20 में व्यय की गयी धनराशि रु0 957162-00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आनन्द कुमार व ग्राम प्रधान श्री हलीम से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
957162-00	-	-	957162-00

प्रस्तर संख्या- 77

ग्राम पंचायत बेलहर कला विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि -1 खाते ( राज्य वित्त /14 वां वित्त ) से वित्तीय वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर माह जुलाई 2019 से माह मार्च 2020 तक ग्राम निधि प्रथम खाता से कुल रुपया 1,26,68,847.00 निकासी कर विभिन्न कार्यों यथा-प्राथमिक विद्यालय मरम्मत एवं रंगाई पुताई ग्राम पंचायत में इंटरलाकिंग कार्य , स्ट्रीट लाइट की स्थापना , खडंजा आदि कार्य पर व्यय के रूप दर्शित किया गया है। आनलाइन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक ई - ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कार्यों एवं उसके सापेक्ष किये गये व्यय संबंधी अभिलेख यथा केशबुक, वर्ष 2019-20 का ग्राम निधि 1 खाते ( राज्य वित्त /14 वां वित्त ) का बैंक स्टेटमेंट , कार्य प्रस्ताव, व स्वीकृति , व्यय प्रमाणक, मस्टररोल , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , एम0बी 0 , स्टॉक बुक, सा0 नि0 कार्य रजि0, कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त भी प्रस्तुत न कर ग्राम पंचायत में वर्ष 2019-20 में कराये गये कार्यों ( ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित ) के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि रु. 1,26,68,847.00 के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी । व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु1,26,68,847.00 अपहरण की श्रेणी में आता है । जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः धनराशि रु. 1,26,68,847.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शशि कला व तत्कालीन सचिव श्री जगलाल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। ( यहाँ उल्लेखनीय है कि उक्त ग्राम पंचायत नगर पंचायत में सम्मिलित की जा चुकी है। )

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1,26,68,847.00	-	-	1,26,68,847.00

प्रस्तर संख्या -78

ग्राम पंचायत बेलहर खुर्द विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि -1 खाते ( राज्य वित्त /14 वां वित्त ) से वित्तीय वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर माह मई 2019 से माह मार्च 2020 तक ग्राम निधि प्रथम खाता से कुल रुपया 61,23,706.00 निकासी कर विभिन्न कार्यों यथा-प्राथमिक विद्यालय मरम्मत एवं रंगाई पुताई ग्राम पंचायत में इंटरलाकिंग कार्य , स्ट्रीट लाइट की स्थापना , खडंजा आदि कार्य पर व्यय के रूप दर्शित किया गया है। आनलाइन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक ई - ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कार्यों एवं उसके सापेक्ष किये गये व्यय संबंधी अभिलेख यथा केशबुक, वर्ष 2019-20 का ग्राम निधि 1 खाते ( राज्य वित्त /14 वां वित्त ) का बैंक स्टेटमेंट , कार्य प्रस्ताव, व स्वीकृति , व्यय प्रमाणक, मस्टररोल , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , एम0बी 0 , स्टॉक बुक, सा0 नि0 कार्य

रजि0, कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त भी प्रस्तुत न कर ग्राम पंचायत में वर्ष 2019-20 में कराये गये कार्यों ( ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित ) के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि रु. 61,23,706.00के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी । व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु61,23,706.00अपहरण की श्रेणी में आता है । जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः धनराशि रु. 61,23,706.00की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गोरखनाथ यादव व तत्कालीन सचिव श्री जगलाल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। ( यहाँ उल्लेखनीय है कि उक्त ग्राम पंचायत नगर पंचायत में सम्मिलित की जा चुकी है। )

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
61,23,706.00	-	-	61,23,706.00

प्रस्तर संख्या -79

ग्राम पंचायत दुल्हीपार विकास खण्ड बेलहरकला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि -1 खाते ( राज्य वित्त /14 वां वित्त ) से वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रस्तुत कोषबही तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार माह अप्रैल 2019 से माह फरवरी 2020 तक ग्राम निधि प्रथम खाता से कुल रुपया 1002235.00निकासी कर विभिन्न कार्यों यथा-प्रधान मानदेय, हैंडपंप रिबोर/ मरम्मत , इंटरलाकिंग , प्रशासनिक मद व्यय, स्ट्रीट लाइट की स्थापना , खडंजा आदि कार्य पर व्यय के रूप दर्शित किया गया है। आनलाईन लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लेखा परीक्षा तिथि एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाने की तिथि तक उक्त कार्यों के कार्य प्रस्ताव, व स्वीकृति , व्यय प्रमाणक, मस्टररोल , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , एम0बी 0 , स्टॉक बुक, सा0 नि0 कार्य रजि0, कार्य पत्रावली आदि मांगोपरान्त भी प्रस्तुत न कर ग्राम पंचायत में वर्ष 2019-20 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि रु. 1002235.00 के उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी । व्यय के सापेक्ष जांच में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना ग्राम पंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार धन रु1002235.00अपहरण की श्रेणी में आता है । जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः धनराशि रु. 1002235.00की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हीरालाल व तत्कालीन सचिव श्री पवन पाण्डेय से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1002235.00	-	-	1002235.00

#### प्रारूप-04 जनपद - सिद्धार्थनगर

ग्राम पंचायतो से सम्बंधित आपत्तियाँ

प्रस्तर सं-01-ग्राम पंचायत जिगनीहवा उर्फ धनोहरी (विकास खंड -बढ़नी) के वर्ष 18-19 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का केश बुक नहीं बनाया गया है ।निर्माण पत्रावली,व्यय वाउचर ,कार्यवाही रजिस्टर,एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए ।स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि 875618.00 आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है ।जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सबा नाज़ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

875618.00	0	0	875618.00
-----------	---	---	-----------

प्रस्तर सं-02-ग्राम पंचायत जिगनीहवा उर्फ धनोहरी (विकास खंड -बढ़नी) के वर्ष 18-19 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रु० 117900.00 का भुगतान दर्शाया गया है। भुगतान की वास्तविकता कि जांच के क्रम में लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली, रोकड़बही तथा मस्टररोल एवं परियोजना स्वीकृत प्राक्कलन की मांग की गयी जो प्रस्तुत नहीं रहा इसके अभाव में कुशल, अकुशल मजदूरों की संख्या, उनकी उपस्थिति की अवधि, श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका। स्पष्ट है कि बिना निर्माण पत्रावली तैयार किये विभिन्न तिथियों में परियोजना के सापेक्ष कुल रु० 117900.00 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है। भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल के अभाव में भुगतान की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सबा नाज़ द्वारा श्रमांश मद में कुल रु० 117900.00 काल्पनिक भुगतान दर्शा कर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सबा नाज़ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
117900.00	0	0	117900.00

प्रस्तर सं-03-ग्राम पंचायत चम्पापुर (विकास खंड -बढ़नी) के वर्ष 18-19 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। निर्माण पत्रावली, व्यय वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 721802.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री हीरा लाल यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
721802.00	0	0	721802.00

प्रस्तर सं-04-ग्राम पंचायत चंपापुर (विकास खंड -बढ़नी) के वर्ष 18-19 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रु० 314150.00 का भुगतान दर्शाया गया है। भुगतान की वास्तविकता की जांच के क्रम में लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली, रोकड़बही तथा मस्टररोल एवं परियोजना स्वीकृत प्राक्कलन की मांग की गयी जो प्रस्तुत नहीं रहा इसके अभाव में कुशल, अकुशल मजदूरों की संख्या, उनकी उपस्थिति की अवधि, श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका। स्पष्ट है कि बिना निर्माण पत्रावली तैयार किये विभिन्न तिथियों में परियोजना के सापेक्ष कुल रु० 314150.00 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है। भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल के अभाव में भुगतान की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल एवं ग्राम प्रधान श्री हीरा लाल यादव श्रमांश मद में कुल रु० 314150.00 काल्पनिक भुगतान दर्शा कर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री हीरा लाल यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
314150.00	0	0	314150.00

प्रस्तर सं-05-ग्राम पंचायत मुजहना (विकास खंड -बढ़नी) के वर्ष 18-19 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। निर्माण पत्रावली, व्यय वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 1082819.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर

धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री बेचन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
1082819.00	0	0	1082819.00

प्रस्तर सं-06-ग्राम पंचायत मुजहना (विकास खंड -बढ़नी)के वर्ष 18-19 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रु० 209300.00 का भुगतान दर्शाया गया है। भुगतान की वास्तविकता की जांच के क्रम में लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली ,रोकड़बही तथा मस्टररोल एवं परियोजना स्वीकृत प्राक्कलन की मांग की गयी जो प्रस्तुत नहीं रहा। इसके अभाव में कुशल ,अकुशलमजदूरों की संख्या ,उनकी उपस्थिति की अवधि ,श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश कि धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका। स्पष्ट है कि बिना निर्माण पत्रावली तैयार किये विभिन्न तिथियों में परियोजना के सापेक्ष कुल रु० 209300.00 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है। भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल के अभाव में भुगतान की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल एवं ग्राम प्रधान श्री बेचन श्रमांश मद में कुल रु० 209300.00 काल्पनिक भुगतान दर्शा कर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री बेचन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
209300.00	0	0	209300.00

प्रस्तर सं-07-ग्राम पंचायत चौहटा (विकास खंड -शोहरतगढ़) के वर्ष 18-19 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। निर्माण पत्रावली,व्यय वाउचर ,कार्यवाही रजिस्टर,एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 718936.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संत अखिलेश्वर से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
718936.00	0	0	718936.00

प्रस्तर सं-08-ग्राम पंचायत चौहटा (विकास खंड -शोहरतगढ़) के वर्ष 18-19 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रु० 149125.00 का भुगतान दर्शाया गया है। भुगतान की वास्तविकता की जांच के क्रम में लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली ,रोकड़बही तथा मस्टररोल एवं परियोजना स्वीकृत प्राक्कलन की मांग की गयी जो प्रस्तुत नहीं रहा। इसके अभाव में कुशल ,अकुशल मजदूरों की संख्या ,उनकी उपस्थिति की अवधि ,श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका। स्पष्ट है कि बिना निर्माण पत्रावली तैयार किये विभिन्न तिथियों में परियोजना के सापेक्ष कुल रु० 149125.00 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है। भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल के अभाव में भुगतान कि धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संत अखिलेश्वर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी श्रमांश मद में कुल रु० 149125.00 काल्पनिक भुगतान दर्शा कर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संत अखिलेश्वर से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
149125.00	0	0	149125.00

प्रस्तर सं-09-ग्राम पंचायत रमवापुर तिवारी(विकास खंड -शोहरतगढ़) के वर्ष 18-19 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। निर्माण पत्रावली,व्यय वाउचर ,कार्यवाही रजिस्टर,एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा

में उपलब्ध नहीं कराये गए। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 1160190.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अकालमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संत अखिलेश्वर से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
1160190.00	0	0	1160190.00

प्रस्तर सं-10-ग्राम पंचायत रमवापुर तिवारी (विकास खंड -शोहरतगढ़)के वर्ष 18-19 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रु० 199900.00 का भुगतान दर्शाया गया है। भुगतान की वास्तविकता की जांच के क्रम में लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली, रोकड़बही तथा मस्टररोल एवं परियोजना स्वीकृत प्राक्कलन की मांग की गयी जो प्रस्तुत नहीं रहा। इसके अभाव में कुशल, अकुशल मजदूरों की संख्या, उनकी उपस्थिति की अवधि, श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका। स्पष्ट है कि बिना निर्माण पत्रावली तैयार किये विभिन्न तिथियों में परियोजना के सापेक्ष कुल रु० 199900.00 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है। भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल के अभाव में भुगतान की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संत अखिलेश्वर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी श्रमांश मद में कुल रु० 199900.00 काल्पनिक भुगतान दर्शा कर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अकालमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संत अखिलेश्वर से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
199900.00	0	0	199900.00

प्रस्तर सं-11-ग्राम पंचायत दहियाड़ (विकास खंड -शोहरतगढ़) के वर्ष 18-19 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। निर्माण पत्रावली, व्यय वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 943397.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संत अखिलेश्वर से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
943397.00	0	0	943397.00

प्रस्तर सं-12-ग्राम पंचायत दहियाड़ (विकास खंड -शोहरतगढ़) के वर्ष 18-19 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रु० 220800.00 का भुगतान दर्शाया गया है। भुगतान की वास्तविकता की जांच के क्रम में लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली, रोकड़बही तथा मस्टररोल एवं परियोजना स्वीकृत प्राक्कलन की मांग की गयी जो प्रस्तुत नहीं रहा। इसके अभाव में कुशल, अकुशल मजदूरों की संख्या, उनकी उपस्थिति की अवधि, श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका। स्पष्ट है कि बिना निर्माण पत्रावली तैयार किये विभिन्न तिथियों में परियोजना के सापेक्ष कुल रु० 220800.00 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है। भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल के अभाव में भुगतान की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संत अखिलेश्वर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी श्रमांश मद में कुल रु० 220800.00 काल्पनिक भुगतान दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संत अखिलेश्वर से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
220800.00	0	0	220800.00

प्रस्तर सं-13-ग्राम पंचायत सेवरा (विकास खंड-बढ़नी) के वर्ष 18-19 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। निर्माण पत्रावली, व्यय वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 962142.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमलावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
962142.00	0	0	962142.00

प्रस्तर सं-14-ग्राम पंचायत सेवरा(विकास खंड-बढ़नी) के वर्ष 18-19 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रु० 188875.00 का भुगतान दर्शाया गया है। भुगतान की वास्तविकता की जांच के क्रम में लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली, रोकड़बही तथा मस्टररोल एवं परियोजना स्वीकृत प्राक्कलन की मांग की गयी जो प्रस्तुत नहीं रहा। इसके अभाव में कुशल, अकुशल मजदूरों कि संख्या, उनकी उपस्थिति की अवधि, श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका। स्पष्ट है कि बिना निर्माण पत्रावली तैयार किये विभिन्न तिथियों में परियोजना के सापेक्ष कुल रु० 188875.00 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है। भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल के अभाव में भुगतान कि धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कमलावती श्रमांश मद में कुल रु० 188875.00 काल्पनिक भुगतान दर्शा कर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमलावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
188875.00	0	0	188875.00

प्रस्तर सं-15-ग्राम पंचायत बेलगडी (विकास खंड-मिठवल) के वर्ष 18-19 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। निर्माण पत्रावली, व्यय वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 732971.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तकदिरुनीशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
732971.00	0	0	732971.00

प्रस्तर सं-16-ग्राम पंचायत बेलगडी(विकास खंड-मिठवल) के वर्ष 18-19 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रु० 93245.00 का भुगतान दर्शाया गया है। भुगतान की वास्तविकता की जांच के क्रम में लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली, रोकड़बही तथा मस्टररोल एवं परियोजना स्वीकृत प्राक्कलन की मांग की गयी जो प्रस्तुत नहीं रहा। इसके अभाव में कुशल, अकुशल मजदूरों कि संख्या, उनकी उपस्थिति की अवधि, श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका। स्पष्ट है कि बिना निर्माण पत्रावली तैयार किये विभिन्न तिथियों में परियोजना के सापेक्ष कुल रु० 93245.00 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है। भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल के अभाव में भुगतान की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती तकदिरुनीशाद्वारा श्रमांश मद में कुल रु० 93245.00 का काल्पनिक भुगतान दर्शा कर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तकदिरुनीशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग

93245.00	0	0	93245.00
----------	---	---	----------

प्रस्तर सं-17-ग्राम पंचायत बेलगडी (विकास खंड-मिठवल)की वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष ऑन लाइन पोर्टल पर अभिलेख और कंटीजेंसी/हैण्ड पंप रेबोर/सफाई कर्मी टूल /टेंडर /प्रशासनिक मद पर व्यय आदि मद में कुल रु०110200.00 का भुगतान दर्शाया गया है।लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी भौतिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ,न ही उपरोक्त भुगतान के सापेक्ष कोई वाउचर ही प्रस्तुत किया गया।उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुएल हेतु मैनुएल के अध्याय -08 के खंड -07 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह सयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।साथ ही साथ खंड -08 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्त व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को सयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा।

स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किये ही खाते से विभिन्न तिथियों में वर्ष दौरान कुल रु० 110200.0 का व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपहरण के लिया गया है।जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तकदिरुनीशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
110200.00	0	0	110200.00

प्रस्तर सं-18-ग्राम पंचायत कटबंध (विकास खंड-मिठवल) के वर्ष 18-19 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है।निर्माण पत्रावली,व्यय वाउचर ,कार्यवाही रजिस्टर,एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए।स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 2001050.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सलीमुन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शेषदत्त मिश्र से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
2001050.00	0	0	2001050.00

प्रस्तर सं-19-ग्राम पंचायत पेडारी (विकास खंड -इटवा) के वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष में कुल 52500.00 प्रधान के मानदेय पर व्यय दर्शित है।जबकि आलोच्य वर्ष का कुल मानदेय 3500.00 प्रतिमाह की दर से रु० 42000.00 ही होता है।अतः कुल मानदेय 10500.00 अधिक मानदेय का भुगतान किया गया है।जिसके बकाया होने की पुष्टि मानदेय पंजिका के अभाव में नहीं किया जा सका। इस प्रकार तत्कालीन ग्राम सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा अधिक मानदेय का भुगतान कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसके वसूली ग्राम सचिव श्री मोतीलाल एवं ग्राम प्रधान श्री बालविनोद से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
10500.00	0	0	10500.00

प्रस्तर सं-20-ग्राम पंचायत पेडारी (विकास खंड -इटवा)के वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष में विभिन्न कार्यों पर रु० 44975.00 का मजदूरी मद में व्यय दर्शित है ,परन्तु उक्त कार्य से सम्बंधित मस्टररोल संख्या अंकित नहीं है।मजदूरी का भुगतान भी नगद किया गया है।जो वित्तीय अनियमितता है ,जिसके लिए ग्राम सचिव श्री मोतीलाल एवं ग्राम प्रधान श्री बालविनोद संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
0	0	44975.00	44975.00

प्रस्तर सं-21-ग्राम पंचायत पेडारी (विकास खंड -इटावा)के वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रोकड़बही में नाला मरम्मत कार्य हेतु सामग्री व मजदूरी पर व्यय रु० 112847.00 दर्शित है। उक्त व्यय से सम्बंधित निर्माण पत्रावली व प्रमाणक ,एम०बी ,कार्यपूति प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अभिलेख के अभाव में किये गए नाली मरम्मत कार्य पर व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ,इस प्रकार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बाल विनोद व सचिव श्री मोतीलाल द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम सचिव श्री मोतीलाल एवं ग्राम प्रधान श्री बालविनोद से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
112847.00	0	0	112847.00

प्रस्तर सं-22-ग्राम पंचायत गोविंदपुर(विकास खंड -इटावा) के वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष में विभिन्न कार्यों पर रु० 46002.00 का मजदूरी मद में व्यय दर्शित है ,परन्तु उक्त कार्य से सम्बंधित मस्टररोल संख्या अंकित नहीं है। मजदूरी का भुगतान भी नगद किया गया है। जो वित्तीय अनियमितता है ,जिसके लिए ग्राम सचिव श्री मोतीलाल एवं ग्राम प्रधान श्री अवधेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
0	0	46002.00	46002.00

प्रस्तर सं-23-ग्राम पंचायत गोविंदपुर(विकास खंड -इटावा)के वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रोकड़बही में प्राथमिक विद्यालय में किचन एवं बरामदा का फर्श मरम्मत कार्य हेतु सामग्री व मजदूरी पर व्यय रु० 30952.00 दर्शित है। उक्त व्यय से सम्बंधित निर्माण पत्रावली व प्रमाणक ,एम०बी ,कार्यपूति प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः उक्त अभिलेख के अभाव में किये गए नाली मरम्मत कार्य पर व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ,इस प्रकार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अवधेश कुमार व सचिव श्री मोतीलाल द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसके वसूली ग्राम सचिव श्री मोतीलाल एवं ग्राम प्रधान श्री अवधेश कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
30952.00	0	0	30952.00

प्रस्तर सं-24-ग्राम पंचायत पनेरी (विकास खंड-लोटन )के वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि लेखा परीक्षा में सामग्री क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया ,परियोजना पर सामग्री का भुगतान तो किया गया है परन्तु वर्ष दौरान मजदूरी मद में कोई भी भुगतान नहीं किया गया है ,जिससे स्पष्ट है कि कार्य प्रारंभ ही नहीं कराया गया। लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका,कार्यपूति प्रमाणपत्र,तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ,टेंडर/कोटेशन प्रस्तुत नहीं किया गया। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर इस बात को मानने का पूरा आधार है कि ग्राम प्रधान श्री अब्दुल कलाम एवं ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन रु० 1413988.00 का अपहरण कर लिया जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अब्दुल कलाम एवं ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
1413988.00	0	0	1413988.00

प्रस्तर सं-25-ग्राम पंचायत खखरा(विकास खंड-लोटन ) के वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि लेखा परीक्षा में सामग्री क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी। परियोजना पर सामग्री का भुगतान तो किया गया है परन्तु वर्ष दौरान मजदूरी मद में कोई भी भुगतान नहीं किया गया है ,जिससे स्पष्ट है कि कार्य प्रारंभ ही नहीं कराया गया। लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका,कार्यपूति प्रमाणपत्र,तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ,टेंडर/कोटेशन प्रस्तुत नहीं किया गया उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर इस बात को मानने का पूरा

आधार है कि ग्राम प्रधान श्रीमती चम्पा एवं ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन रु० 1801955.00 का अपहरण कर लिया है ,जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चम्पा एवं ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
1801955.00	0	0	1801955.00

प्रस्तर सं-26-ग्राम पंचायत खखरा(विकास खंड-लोटन ) के वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकश में आया है कि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विभिन्न तिथियों में रु० 679365.00 ,फर्मो को ट्रांसफर किया गया है अथवा नगद आहरित किया गया है (रु०119875 श्री अवधेश द्वारा नगद आहरित एवं रु 559490.00 विभिन्न फर्मो को ट्रांसफर किया गया है )।परन्तु ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर कैशबुक फीडिंग में उक्त आहरित की गयी धनराशि का विवरण अंकित नहीं है और न ही धनराशि को व्यय ही दर्शाया गया है ।स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्रीमती चम्पा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश पंकज द्वारा बिना कार्य कराये ही रु० 679365.00 आहरित कर अपहरण कर लिया है । जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चम्पा एवं ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
679365.00	0	0	679365.00

प्रस्तर सं-27-ग्राम पंचायत गुजरौलिया (विकास खंड-लोटन )के वर्ष 18-19 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकश में आया है कि लेखा परीक्षा में सामग्री क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी । परियोजना पर सामग्री का भुगतान तो किया गया है परन्तु वर्ष दौरान मजदूरी मद में कोई भी भुगतान नहीं किया गया है ,जिससे स्पष्ट है कि कार्य प्रारंभ ही नहीं कराया गया ।लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ,टेंडर/कोटेशन,मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया ।उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर इस बात को मानने का पूरा आधार है कि ग्राम प्रधान श्री दूधनाथ एवं ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन रु० 929719.00 का अपहरण कर लिया है ,जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री दूधनाथ एवं ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश पंकज से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
929719.00	0	0	929719.00

प्रस्तर सं-28-ग्राम पंचायत कमहरिया खुर्द (विकास खंड -मिठवल) की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है ।निर्माण पत्रावली,व्यय वाउचर ,कार्यवाही रजिस्टर,एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए ।स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 739168.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है । जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आरती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हीरा सिंह से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
739168.00	0	0	739168.00

प्रस्तर सं-29-ग्राम पंचायत कमहरिया खुर्द (विकास खंड -मिठवल)की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष दौरान कुल व्यय के सापेक्ष ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ग्राम प्रधान मानदेय/डस्टबिन/फोगिंग मशीन /स्ट्रीट लाइट क्रय मद हेतु व्यय आदि मद में कुल रु० 282550.00 का भुगतान दर्शाया गया है ।लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय की पुष्टि में भी कोई भौतिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उपरोक्त भुगतान के सापेक्ष कोई व्यय वाउचर अथवा प्रधान मानदेय भुगतान पंजिका ही प्रस्तुत रही ।स्पष्ट है कि बिना उचित माध्यम के ,वांछित अभिलेखों

के तैयार किये बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में चेक /पी०ऍफ०एम०एस के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल रु० 282550.00 प्रधान मानदेय /डस्टबिन क्रय/फोगिंग मशीन क्रय /स्ट्रीट लाइट क्रय मद में भुगतान दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आरती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हीरा सिंह से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
282550.00	0	0	282550.00

प्रस्तर सं-30-ग्राम पंचायत रमवापुर दूबे(विकास खंड -मिठवल)की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। निर्माण पत्रावली,व्यय वाउचर ,कार्यवाही रजिस्टर,एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन क्र स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 1165810.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
1165810.00	0	0	1165810.00

प्रस्तर सं-31-ग्राम पंचायत रमवापुर दूबे (विकास खंड -मिठवल)की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांक्षित अभिलेखों को तैयार किये बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में चेक/पी०ऍफ०एम०एस/ के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल रु० 213920.00 श्रमांस मद में भुगतान दर्शाया गया है ,जिससे सम्बंधित व्यय वाउचर /मस्टररोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुएल के अध्याय -08 के खंड -7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह सयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्त व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान एवं सचिव को सयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जायेगा। अतः उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव सयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
213920.00	0	0	213920.00

प्रस्तर सं-32-ग्राम पंचायत रमवापुर दूबे (विकास खंड -मिठवल)की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष दौरान कुल व्यय के सापेक्ष ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ग्राम प्रधान मानदेय/प्रिय सॉफ्ट फीडिंग /पत्रकार व्यय /प्रशासनिक व्यय आदि मद में कुल रु० 54708.00 का भुगतान दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय की पुष्टि में भी कोई भौतिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उपरोक्त भुगतान के सापेक्ष कोई व्यय वाउचर अथवा प्रधान मानदेय भुगतान पंजिका ही प्रस्तुत रही। स्पष्ट है कि बिना उचित माध्यम के ,वांछित अभिलेखों के तैयार किये बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में चेक /पी०ऍफ०एम०एस के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल रु० 54708.00 प्रधान मानदेय / सॉफ्ट फीडिंग /पत्रकार व्यय /प्रशासनिक व्यय आदि मद में भुगतान दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
54708.00	0	0	54708.00

प्रस्तर सं-33-ग्राम पंचायत बेलगडी (विकास खंड -मिठवल)की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। निर्माण पत्रावली,व्यय वाउचर ,कार्यवाही रजिस्टर,एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 612967.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तकदीरुनिशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
612967.00	0	0	612967.00

प्रस्तर सं-34-ग्राम पंचायत बेलगडी (विकास खंड -मिठवल)की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष दौरान कुल व्यय के सापेक्ष ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ग्राम प्रधान मानदेय/प्रिय सॉफ्ट फीडिंग /टैंडर /प्रशासनिक व्यय आदि मद में कुल रु० 59708.00 का भुगतान दर्शाया गया है।लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय की पुष्टि में भी कोई भौतिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उपरोक्त भुगतान के सापेक्ष कोडव्यय वाउचर अथवा प्रधान मानदेय भुगतान पंजिका ही प्रस्तुत रही। स्पष्ट है कि बिना उचित माध्यम के ,वांछित अभिलेखों के तैयार किये बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों में चेक /पी०एँफ०एम ०एस के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल रु० 59708.00 प्रधान मानदेय / सॉफ्ट फीडिंग /पत्रकार व्यय /प्रशासनिक व्यय आदि मद में भुगतान दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तकदीरुनिशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
59708.00	0	0	59708.00

प्रस्तर सं-35-ग्राम पंचायत मैनभरिया(विकास खंड -खुनियाव)की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। निर्माण पत्रावली,व्यय वाउचर ,कार्यवाही रजिस्टर,एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 889049.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री /श्रमांश पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमलावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
889049.00	0	0	889049.00

प्रस्तर सं-36-ग्राम पंचायत बढया (विकास खंड -खुनियाव) की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। निर्माण पत्रावली,व्यय वाउचर ,कार्यवाही रजिस्टर,एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 628098.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री /श्रमांश पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जुबैदा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सैदुल्लाह से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
628098.00	0	0	628098.00

प्रस्तर सं-37-ग्राम पंचायत सागराजोत(विकास खंड -इटवा) वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रोकड़बही निधि प्रथम में दिनांक 12.01.2020 को रु0 12670.00 की सामग्री रेबोर हेतु क्रय किया गया है। परन्तु उक्त सामग्री से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु प्रमाणक के अभाव में उक्त पुष्टि नहीं किया गया जा सका। बिना प्रमाणक के तत्कालीन ग्राम सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार एवं ग्राम सचिव श्री कर्णजीत सिंह यादव से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
12670.00	0	0	12670.00

प्रस्तर सं-38-ग्राम पंचायत कामदालालपुर(विकास खंड -इटवा) वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रोकड़बही निधि प्रथम में दिनांक 08.07.2019 को रु0 60224.00 की सामग्री नंदू के घर से सेमरा पचपेड़वा पी०डब्लू०डी रोड तक सी०सी रोड निर्माण हेतु क्रय किया दर्शित है। परन्तु उक्त सामग्री से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु प्रमाणक के अभाव में उक्त पुष्टि नहीं किया गया जा सका। बिना प्रमाणक के तत्कालीन ग्राम सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री जैसराम एवं ग्राम सचिव श्री कर्णजीत सिंह यादव से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
60224.00	0	0	60224.00

प्रस्तर सं-39-ग्राम पंचायत खरगवार(विकास खण्ड -शोहरतगढ़) की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। निर्माण पत्रावली, व्यय वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 646677.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रमेश प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संत अखिलेश्वर से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
646677.00	0	0	646677.00

प्रस्तर सं-40-ग्राम पंचायत गजहड़ा (विकास खण्ड -शोहरतगढ़)की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। निर्माण पत्रावली, व्यय वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 784481.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री जमील अहमद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संत अखिलेश्वर से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
784481.00	0	0	784481.00

प्रस्तर सं-41-ग्राम पंचायत सेवरा(विकास खंड-बढ़नी) की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। निर्माण पत्रावली, व्यय वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं

का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 921925.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमलावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
921925.00	0	0	921925.00

प्रस्तर सं-42-ग्राम पंचायत सेवरा(विकास खंड-बढ़नी)के वर्ष 19-20 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रु० 88186.00 का भुगतान दर्शाया गया है।भुगतान की वास्तविकता की जांच के क्रम में लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली ,रोकड़बही तथा मस्टररोल एवं परियोजना स्वीकृत प्राक्कलन की मांग कि गयी जो प्रस्तुत नहीं रहा।इसके अभाव में कुशल ,अकुशल मजदूरों कि संख्या ,उनकी उपस्थिति की अवधि ,श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका । स्पष्ट है कि बिना निर्माण पत्रावली तैयार किये विभिन्न तिथियों में परियोजना के सापेक्ष कुल रु० 88186.00 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है।भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल के अभाव में भुगतान कि धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कमलावती द्वारा श्रमांश मद में कुल रु० 88186.00 का काल्पनिक भुगतान दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है । जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमलावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
88186.00	0	0	88186.00

प्रस्तर सं-43-ग्राम पंचायत मुजहना (विकास खंड-बढ़नी) की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है।निर्माण पत्रावली,व्यय वाउचर ,कार्यवाही रजिस्टर,एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए।स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 550345.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री बेचन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
550345.00	0	0	550345.00

प्रस्तर सं-44-ग्राम पंचायत मुजहना (विकास खंड-बढ़नी) के वर्ष 19-20 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रु० 86384.00 का भुगतान दर्शाया गया है।भुगतान की वास्तविकता की जांच के क्रम में लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली ,रोकड़बही तथा मस्टररोल एवं परियोजना स्वीकृत प्राक्कलन की मांग की गयी जो प्रस्तुत नहीं रहा।इसके अभाव में कुशल ,अकुशल मजदूरों की संख्या ,उनकी उपस्थिति की अवधि ,श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका । स्पष्ट है कि बिना निर्माण पत्रावली तैयार किये विभिन्न तिथियों में परियोजना के सापेक्ष कुल रु० 86384.00 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है।भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल के अभाव में भुगतान की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी।स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल एवं ग्राम प्रधान श्री बेचन द्वारा श्रमांश मद में कुल रु० 86384.00 का काल्पनिक भुगतान दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है । जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री बेचन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
86384.00	0	0	86384.00

प्रस्तर सं-45-ग्राम पंचायत जिगनिहवा उर्फ धनोहरी (विकास खंड-बढ़नी की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का केश बुक नहीं बनाया गया है। निर्माण पत्रावली, व्यय वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 416510.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सबा नाज़ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
416510.00	0	0	416510.00

प्रस्तर सं-46-ग्राम पंचायत जिगनिहवा उर्फ धनोहरी(विकास खंड-बढ़नी)के वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रु० 42924.00 का भुगतान दर्शाया गया है। भुगतान की वास्तविकता की जांच के क्रम में लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली, रोकड़बही तथा मस्टररोल एवं परियोजना स्वीकृत प्राक्कलन की मांग कि गयी जो प्रस्तुत नहीं रहा। इसके अभाव में कुशल, अकुशल मजदूरों की संख्या, उनकी उपस्थिति की अवधि, श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका। स्पष्ट है कि बिना निर्माण पत्रावली तैयार किये विभिन्न तिथियों में परियोजना के सापेक्ष कुल रु० 42924.00 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है। भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल के अभाव में भुगतान की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सबा नाज़ द्वारा श्रमांश मद में कुल रु० 42924.00 का काल्पनिक भुगतान दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सबा नाज़ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
42924.00	0	0	42924.00

प्रस्तर सं-47-ग्राम पंचायत चम्पापुर (विकास खंड-बढ़नी)की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का केश बुक नहीं बनाया गया है। निर्माण पत्रावली, व्यय वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 654184.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री हीरा लाल यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
654184.00	0	0	654184.00

प्रस्तर सं-48-ग्राम पंचायत चम्पापुर (विकास खंड-बढ़नी)के वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रु० 53149.00 का भुगतान दर्शाया गया है। भुगतान की वास्तविकता की जांच के क्रम में लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली, रोकड़बही तथा मस्टररोल एवं परियोजना स्वीकृत प्राक्कलन की मांग कि गयी जो प्रस्तुत नहीं रहा। इसके अभाव में कुशल, अकुशल मजदूरों की संख्या, उनकी उपस्थिति की अवधि, श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका। स्पष्ट है कि बिना निर्माण पत्रावली तैयार किये विभिन्न तिथियों में परियोजना के सापेक्ष कुल रु० 53149.00 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है। भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल के अभाव में भुगतान की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल एवं ग्राम प्रधान श्री हीरालाल यादव द्वारा श्रमांश मद में

कुल रु० 53149.00 का काल्पनिक भुगतान दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री हीरा लाल यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप पटेल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
53149.00	0	0	53149.00

प्रस्तर सं-49-ग्राम पंचायत दहियाड(विकास खंड-शोहरतगढ़)की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। निर्माण पत्रावली,व्यय वाउचर ,कार्यवाही रजिस्टर,एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 824264.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संत अखिलेश्वर से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
824264.00	0	0	824264.00

प्रस्तर सं-50-ग्राम पंचायत दहियाड(विकास खंड-शोहरतगढ़) के वर्ष 19-20 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रु० 33025.00 का भुगतान दर्शाया गया है। भुगतान की वास्तविकता की जांच के क्रम में लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली ,रोकड़बही तथा मस्टररोल एवं परियोजना स्वीकृत प्राक्कलन की मांग की गयी जो प्रस्तुत नहीं रहा। इसके अभाव में कुशल ,अकुशल मजदूरों कि संख्या ,उनकी उपस्थिति की अवधि ,श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका। स्पष्ट है कि बिना निर्माण पत्रावली तैयार किये विभिन्न तिथियों में परियोजना के सापेक्ष कुल रु० 33025.00 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है। भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल के अभाव में भुगतान की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संत अखिलेश्वर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता द्वारा श्रमांश मद में कुल रु० 33025.00 का काल्पनिक भुगतान दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संत अखिलेश्वर से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
33025.00	0	0	33025.00

प्रस्तर सं-51-ग्राम पंचायत रमवापुर तिवारी (विकास खंड-शोहरतगढ़) की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। निर्माण पत्रावली,व्यय वाउचर ,कार्यवाही रजिस्टर,एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 1167860.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अकालमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संत अखिलेश्वर से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
1167860.00	0	0	1167860.00

प्रस्तर सं-52-ग्राम पंचायत रामवापुर तिवारी(विकास खंड-शोहरतगढ़)के वर्ष 19-20 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रु० 37090.00 का भुगतान दर्शाया गया है। भुगतान की वास्तविकता की जांच के क्रम में लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली ,रोकड़बही तथा मस्टररोल एवं परियोजना स्वीकृत प्राक्कलन की मांग की गयी जो प्रस्तुत नहीं रहा। इसके अभाव में कुशल ,अकुशल मजदूरों की संख्या ,उनकी उपस्थिति की अवधि ,श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका। स्पष्ट है

कि बिना निर्माण पत्रावली तैयार किये विभिन्न तिथियों में परियोजना के सापेक्ष कुल रु० 37090.00 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है। भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल के अभाव में भुगतान कि धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संत अखिलेश्वर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अकालामती द्वारा श्रमांश मद में कुल रु० 37090.00 का काल्पनिक भुगतान दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अकालामती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संत अखिलेश्वर से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
37090.00	0	0	37090.00

प्रस्तर सं-53-ग्राम पंचायत चौहट्टा(विकास खंड-शोहरतगढ़) की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। निर्माण पत्रावली, व्यय वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 701906.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संत अखिलेश्वर से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
701906.00	0	0	701906.00

प्रस्तर सं-54-ग्राम पंचायत चौहट्टा (विकास खंड-शोहरतगढ़) के वर्ष 19-20 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रु० 78639.00 का भुगतान दर्शाया गया है। भुगतान की वास्तविकता की जांच के क्रम में लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली, रोकड़बही तथा मस्टररोल एवं परियोजना स्वीकृत प्राक्कलन की मांग की गयी जो प्रस्तुत नहीं रहा। इसके अभाव में कुशल, अकुशल मजदूरों की संख्या, उनकी उपस्थिति की अवधि, श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका। स्पष्ट है कि बिना निर्माण पत्रावली तैयार किये विभिन्न तिथियों में परियोजना के सापेक्ष कुल रु० 78639.00 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है। भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल के अभाव में भुगतान की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संत अखिलेश्वर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी द्वारा श्रमांश मद में कुल रु० 78639.00 का काल्पनिक भुगतान दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संत अखिलेश्वर से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
78639.00	0	0	78639.00

प्रस्तर सं-55-ग्राम पंचायत अमौली एकडेगवा(विकास खंड-भनवापुर) के वर्ष 19-20की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रिय सॉफ्ट /ऑनलाइन फीडिंग में विभिन्न आई0डी/कार्य हेतु कुल रु0 1251279.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त क्रय से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त कार्य से सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी, स्टॉक बुक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, टेंडर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। मजदूरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक एवं ग्राम पंचायत श्री पुजारी द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री पुजारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश पाठक से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
1251279.00	0	0	1251279.00

प्रस्तर सं-56-ग्राम पंचायत अमौली एकडेगवा (विकास खंड-भनवापुर) के वर्ष 19-20की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रिया सॉफ्ट /ऑनलाइन फीडिंग में सामग्री क्रय पर रु0 37500.00 का व्यय दर्शित है ,परन्तु उक्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक,स्टॉक तथा मृत पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा ।उक्त अभिलेखों के अभाव में उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।अतः तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक एवं ग्राम पंचायत श्री पुजारी द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन अपहरण किया गया है ।जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री पुजारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश पाठक से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
37500.00	0	0	37500.00

प्रस्तर सं-57-ग्राम पंचायत अमौली एकडेगवा(विकास खंड-भनवापुर) के वर्ष 19-20की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रिया सॉफ्ट /ऑनलाइन फीडिंग पर मजदूरी मद में रु० 101700.00 का व्यय दर्शित है ,परन्तु उक्त कार्य से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही उक्त कार्य से सम्बंधित पारित कार्ययोजना ,स्टीमेट ,एम०बी ,तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा ।सम्बंधित मजदुरों की मजदूरी उनके बैंक खाते में भुगतानित होने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अभाव में नहीं किया जा सका ।अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पुजारी द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है । जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री पुजारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश पाठक से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
101700.00	0	0	101700.00

प्रस्तर सं-58-ग्राम पंचायत हथपरा (विकास खंड-भनवापुर) के वर्ष 19-20की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रिय सॉफ्ट /ऑनलाइन फीडिंग में विभिन्न आई0डी/कार्य हेतु कुल रु0 708717.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है ,परन्तु उक्त क्रय से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।साथ ही उक्त कार्य से सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना ,स्टीमेट,एम0बी ,स्टॉक बुक ,तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ,टेंडर ,कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र,कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । मजदूरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका ।अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक एवं ग्राम पंचायत श्रीमती मालती द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन अपहरण किया गया है ।जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मालती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश पाठक से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
708717.00	0	0	708717.00

प्रस्तर सं-59-ग्राम पंचायत हथपरा (विकास खंड-भनवापुर) के वर्ष 19-20की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रिया सॉफ्ट /ऑनलाइन फीडिंग पर मजदूरी मद में रु० 109800.00 का व्यय दर्शित है ,परन्तु उक्त कार्य से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही उक्त कार्य से सम्बंधित पारित कार्ययोजना ,स्टीमेट ,एम०बी ,तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा ।सम्बंधित मजदुरों की मजदूरी उनके बैंक खाते में भुगतानित होने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अभाव में नहीं किया जा सका ।अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मालती द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है । जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मालती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश पाठक से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
109800.00	0	0	109800.00

प्रस्तर सं-60-ग्राम पंचायत लोहरौला(विकास खंड-भनवापुर)के वर्ष 19-20की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रिय सॉफ्ट /ऑनलाइन फीडिंग में विभिन्न आई0डी/कार्य हेतु कुल रु0 331712.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है ,परन्तु उक्त क्रय से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।साथ ही उक्त कार्य से सम्बंधित ग्राम पंचायत

द्वारा पारित कार्ययोजना ,स्टीमेट,एम0बी ,स्टॉक बुक ,तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ,टेंडर ,कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र,कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा ।मजदूरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका ।अतः उक्त अभिलेखों के आभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री लाले एवं ग्राम पंचायत श्रीमती सरिता देवी द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन अपहरण किया गया है ।जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाले से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
331712.00	0	0	331712.00

प्रस्तर सं-61-ग्राम पंचायत लोहरौला (विकास खंड-भनवापुर)के वर्ष 19-20की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रिय सॉफ्ट /ऑनलाइन फीडिंग में आई0डी0सं 21008305 से दिनांक 23.03.2020 को विज्ञापन हेतु श्री रवि प्रकाश पाण्डेय को रु0 2500.00 भुगतान दर्शित है परन्तु भुगतान से सम्बंधित प्रमाणक ,समाचार पत्र इसमें विज्ञापन प्रकाशित हुआ था ,विज्ञापन का औचित्य /विषय वस्तु का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा ।अस्तु अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री लाले एवं ग्राम पंचायत श्रीमती सरिता देवी द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन अपहरण किया गया है ।जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाले से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
2500.00	0	0	2500.00

प्रस्तर सं-62-ग्राम पंचायत लोहरौला (विकास खंड-भनवापुर) के वर्ष 19-20की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रिय सॉफ्ट /ऑनलाइन फीडिंग में आई0डी0सं 21009534 से दिनांक 07.03.2020 को में० रामनाथ स्पलायर्स से डस्टबिन क्रय हेतु रु0 25200.00 का भुगतान दर्शित है परन्तु भुगतान से सम्बंधित प्रमाणक ,स्टॉक तथा मृत स्कंध पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा ।उक्त अभिलेखों में अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अस्तु अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री लाले एवं ग्राम पंचायत श्रीमती सरिता देवी द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन अपहरण किया गया है ।जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाले से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
25200.00	0	0	25200.00

प्रस्तर सं-63-ग्राम पंचायत लोहरौली (विकास खंड-भनवापुर) के वर्ष 19-20की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रिय सॉफ्ट /ऑनलाइन फीडिंग में विभिन्न आई0डी/कार्य हेतु कुल रु0 643356.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है ,परन्तु उक्त क्रय से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।साथ ही उक्त कार्य से सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना ,स्टीमेट,एम0बी ,स्टॉक बुक ,तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ,टेंडर ,कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र,कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा ।मजदूरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका ।अतः उक्त अभिलेखों के आभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री लाले एवं ग्राम पंचायत श्रीमती रीना द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन अपहरण किया गया है ।जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रीना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाले से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
643356.00	0	0	643356.00

प्रस्तर सं-64-ग्राम पंचायत लोहरौली (विकास खंड-भनवापुर) के वर्ष 19-20की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रिय सॉफ्ट /ऑनलाइन फीडिंग में आई0डी0सं 20310383 से दिनांक 28.12.2019 को सफाई किट हेतु मे0 कु०उपाध्याय ट्रेडर्स को रु0 30000.00 काभुगतान दर्शित है परन्तु भुगतान से सम्बंधित प्रमाणक ,स्टॉक तथा मृत स्कंध पंजिका

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त अभिलेखों में अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अस्तु अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री लाले एवं ग्राम पंचायत श्रीमती रीना द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रीना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाले से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
30000.00	0	0	30000.00

प्रस्तर सं-65-ग्राम पंचायत लोहरोली(विकास खंड-भनवापुर) के वर्ष 19-20की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रिया सॉफ्ट /ऑनलाइन फीडिंग पर मजदूरी मद में रु० 56898.00 का व्यय दर्शित है ,परन्तु उक्त कार्य से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही उक्त कार्य से सम्बंधित पारित कार्ययोजना ,स्टीमेट ,एम०बी ,तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।सम्बंधित मजदूरी की मजदूरी उनके बैंक खाते में भुगतानित होने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अभाव में नहीं किया जा सका।अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री लाले तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रीना द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रीना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाले से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
56898.00	0	0	56898.00

प्रस्तर सं-66-ग्राम पंचायत खखराव(विकास खंड-भनवापुर) के वर्ष 19-20की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रिय सॉफ्ट /ऑनलाइन फीडिंग में विभिन्न आई0डी/कार्य हेतु कुल रु0 808394.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है ,परन्तु उक्त क्रय से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।साथ ही उक्त कार्य से सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना ,स्टीमेट,एम0बी ,स्टॉक बुक ,तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ,टैंडर ,कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र,कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।मजदूरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका।अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक एवं ग्राम पंचायत श्रीमती भाना द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन अपहरण किया गया है।जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती भाना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश पाठक से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
808394.00	0	0	808394.00

प्रस्तर सं-67-ग्राम पंचायत खखराव (विकास खंड-भनवापुर) के वर्ष 19-20की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रिया सॉफ्ट /ऑनलाइन फीडिंग पर मजदूरी मद में रु० 33031.00 का व्यय दर्शित है ,परन्तु उक्त कार्य से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही उक्त कार्य से सम्बंधित पारित कार्ययोजना ,स्टीमेट ,एम०बी ,तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।सम्बंधित मजदूरी की मजदूरी उनके बैंक खाते में भुगतानित होने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अभाव में नहीं किया जा सका।अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती भाना द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती भाना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश पाठक से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
33031.00	0	0	33031.00

प्रस्तर सं-68-ग्राम पंचायत परसोहिया तिवारी (विकास खंड-भनवापुर) के वर्ष 19-20की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रिय सॉफ्ट /ऑनलाइन फीडिंग में विभिन्न आई0डी/कार्य हेतु कुल रु0 294898.00 सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है ,परन्तु उक्त क्रय से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।साथ ही उक्त कार्य से सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा पारित कार्ययोजना ,स्टीमेट,एम0बी ,स्टॉक बुक ,तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ,टैंडर ,कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र,कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।मजदूरी का भुगतान का विवरण प्रस्तुत नहीं रहने से कार्य पूर्णता पर टिप्पणी नहीं किया जा सका।अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश

पाठक एवं ग्राम पंचायत श्रीमती कुबेरमती द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कुबेरमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश पाठक से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
294898.00	0	0	294898.00

प्रस्तर सं-69-ग्राम पंचायत परसोहिया तिवारी (विकास खंड-भनवापुर) के वर्ष 19-20की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रिया सॉफ्ट /ऑनलाइन फीडिंग पर मजदूरी मद में रु० 145000.00 का व्यय दर्शित है ,परन्तु उक्त कार्य से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही उक्त कार्य से सम्बंधित पारित कार्ययोजना ,स्टीमेट ,एम०बी ,तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा ।सम्बंधित मजदुरो की मजदूरी उनके बैंक खाते में भुगतानित होने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अभाव में नहीं किया जा सका ।अस्तु तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुबेरमती द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है । जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कुबेरमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश पाठक से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
145000.00	0	0	145000.00

प्रस्तर सं-70-ग्राम पंचायत परसोहिया तिवारी(विकास खंड-भनवापुर) के वर्ष 19-20की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रिय सॉफ्ट /ऑनलाइन फीडिंग में आई0डी0सं 15939746 से दिनांक 07.10.2019 को प्रशासनिक मद में रु0 3322.00 का भुगतान दर्शित है परन्तु भुगतान से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा ।अस्तु प्रमाणको के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः अभिलेखो के अभाव में तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राकेश पाठक एवं ग्राम पंचायत श्रीमती कुबेरमती द्वारा सामग्री क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कुबेरमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश पाठक से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
3322.00	0	0	3322.00

प्रस्तर सं-71-ग्राम पंचायत गरदहिया(विकास खंड-डुमरियागंज )की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड -5 वर्ग एक पैरा -27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का केशबुक नहीं बनाया गया है ।लेखा परीक्षा में सिर्फ बैंकस्टेटमेंट उपलब्ध कराया गया अन्य सुसंगत अभिलेख जैसे केशबुक ,निर्माण पत्रवाली ,व्यय वाउचर ,मस्टररोल ,स्वीकृत प्राक्कलन ,कार्यवाही पंजिका लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया ।स्पष्ट है कि ग्राम प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैक्षिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री तथा श्रमांश पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर कुल रु 1417191.00 का अपहरण कर लिया गया है ।जिसकी वसूली सचिव श्री लवकुश प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सबरुनिशा से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
1417191.00	0	0	1417191.00

प्रस्तर सं-72--ग्राम पंचायत हिसमुद्दीनपुर (विकास खंड-डुमरियागंज )की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड -5 वर्ग एक पैरा -27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का केशबुक नहीं बनाया गया है ।लेखा परीक्षा में सिर्फ बैंकस्टेटमेंट उपलब्ध कराया गया अन्य सुसंगत अभिलेख जैसे केशबुक ,निर्माण पत्रवाली ,व्यय वाउचर ,मस्टररोल ,स्वीकृत प्राक्कलन ,कार्यवाही पंजिका लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया ।स्पष्ट है कि ग्राम प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैक्षिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री तथा श्रमांश पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर कुल रु

1012693.00 का अपहरण क्र लिया गया है जिसकी वसूली ग्राम पसचिव श्री लवकुश प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्री इन्द्रासन से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
1012693.00	0	0	1012693.00

प्रस्तर सं-73-ग्राम पंचायत धौरहरा (विकास खंड-डुमरियागंज )की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड -5 वर्ग एक पैरा -27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का केशबुक नहीं बनाया गया है ।लेखा परीक्षा में सिर्फ बैंकस्टेटमेंट उपलब्ध कराया गया अन्य सुसंगत अभिलेख जैसे केशबुक ,निर्माण पत्रावाली ,व्यय वाउचर ,मस्टररोल ,स्वीकृत प्राक्कलन ,कार्यवाही पंजिका लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । स्पष्ट है कि ग्राम प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैक्षिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री तथा श्रमांश पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर कुल रु 938491.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ग्राम पसचिव श्री लवकुश प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्री इन्द्रासन से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
938491.00	0	0	938491.00

प्रस्तर सं-74-ग्राम पंचायत भानपुररानी(विकास खंड-डुमरियागंज )की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड -5 वर्ग एक पैरा -27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का केशबुक नहीं बनाया गया है ।लेखा परीक्षा में सिर्फ बैंकस्टेटमेंट उपलब्ध कराया गया अन्य सुसंगत अभिलेख जैसे केशबुक ,निर्माण पत्रावाली ,व्यय वाउचर ,मस्टररोल ,स्वीकृत प्राक्कलन ,कार्यवाही पंजिका लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । स्पष्ट है कि ग्राम प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैक्षिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री तथा श्रमांश पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर कुल रु 1717541.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ग्राम पसचिव श्री लवकुश प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
1717541.00	0	0	1717541.00

प्रस्तर सं-75-ग्राम पंचायत भानपुररानी (विकास खंड-डुमरियागंज ) की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि प्रधान मानदेय मद में वर्ष दौरान कुल भुगतान रु0 70000.00 किया गया है ,जबकि मानदेय हेतु निर्धारित मानदेय हेतु निर्धारित दर रु० 3500.00 प्रति माह की दर वर्ष 19-20 हेतु कुल भुगतान रु० 42000.00 ही होना चाहिए ।मानदेय पंजिका भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही ,न ही अधिक भुगतान के कारणों से लेखा परीक्षा को अवगत कराया गया ।स्पष्ट है कि एक वित्तीय वर्ष हेतु मानदेय मद में देय धनराशि कुल रु० 42000.00 के सापेक्ष रु0 70000.00 का भुगतान किया गया है ।इस प्रकार कुल रु० 28000.00 बिना किसी आधार के प्रधान मानदेय मद में अधिक भुगतान कर व्यय समायोजन लेखा पारित कर तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं ग्राम सचिव श्री लवकुश प्रसाद द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है । जिसकी वसूली सचिव श्री लवकुश प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
28000.00	0	0	28000.00

प्रस्तर सं-76-ग्राम पंचायत परसा जमाल(विकास खंड-डुमरियागंज ) की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड -5 वर्ग एक पैरा -27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का केशबुक नहीं बनाया गया है ।लेखा परीक्षा में सिर्फ बैंकस्टेटमेंट उपलब्ध कराया गया अन्य सुसंगत अभिलेख जैसे

कैशबुक ,निर्माण पत्रावली ,व्यय वाउचर ,मस्टररोल ,स्वीकृत प्राक्कलन ,कार्यवाही पंजिका लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । स्पष्ट है कि ग्राम प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैक्षिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री तथा श्रमांश पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर कुल रू 1000790.00 का अपहरण कर लिया गया है ।जिसकी वसूली सचिव श्री लवकुश प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्री अनवारुल हक से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
1000790.00	0	0	1000790.00

प्रस्तर सं-77-ग्राम पंचायत परसा जमाल(विकास खंड-डुमरियागंज )की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि प्रधान मानदेय मद में वर्ष दौरान कुल भुगतान रू0 49000.00 किया गया है ,जबकि मानदेय हेतु निर्धारित मानदेय हेतु निर्धारित दर रू० 3500.00 प्रति माह की दर वर्ष 19-20 हेतु कुल भुगतान रू० 42000.00 ही होना चाहिए ।मानदेय पंजिका भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही ,न ही अधिक भुगतान के कारणों से लेखा परीक्षा को अवगत कराया गया ।स्पष्ट है कि एक वित्तीय वर्ष हेतु मानदेय मद में देय धनराशि कुल रू० 42000.00 के सापेक्ष रू0 49000.00 का भुगतान किया गया है ।इस प्रकार कुल रू० 7000.00 बिना किसी आधार के प्रधान मानदेय मद में अधिक भुगतान कर व्यय समायोजन लेखा पारित कर तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनवारुल हक एवं ग्राम सचिव श्री लवकुश प्रसाद द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है । जिसकी वसूली सचिव श्री लवकुश प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्री अनवारुल हक से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
7000.00	0	0	7000.00

प्रस्तर सं-78-ग्राम पंचायत भानपुर मस्जिदिया (विकास खंड-डुमरियागंज ) की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड -5 वर्ग एक पैरा -27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है ।लेखा परीक्षा में सिर्फ बैंकस्टेटमेंट उपलब्ध कराया गया अन्य सुसंगत अभिलेख जैसे कैशबुक ,निर्माण पत्रावली ,व्यय वाउचर ,मस्टररोल ,स्वीकृत प्राक्कलन ,कार्यवाही पंजिका लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । स्पष्ट है कि ग्राम प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैक्षिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री तथा श्रमांश पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर कुल रू 970325.00 का अपहरण कर लिया गया है ।जिसकी वसूली ग्राम सचिव श्री लवकुश प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मनोरमा से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
970325.00	0	0	970325.00

प्रस्तर सं-79-ग्राम पंचायत भैसहिया (विकास खंड-डुमरियागंज )की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड -5 वर्ग एक पैरा -27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है ।लेखा परीक्षा में सिर्फ बैंकस्टेटमेंट उपलब्ध कराया गया अन्य सुसंगत अभिलेख जैसे कैशबुक ,निर्माण पत्रावली ,व्यय वाउचर ,मस्टररोल ,स्वीकृत प्राक्कलन ,कार्यवाही पंजिका लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । है कि ग्राम प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैक्षिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री तथा श्रमांश पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर कुल रू 556254.00 का अपहरण कर लिया गया है ।जिसकी वसूली ग्राम सचिव श्री लवकुश प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
556254.00	0	0	556254.00

प्रस्तर सं-80-ग्राम पंचायत भैसहिया (विकास खंड-डुमरियागंज )की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रु० 13376.00 का भुगतान दर्शाया गया है। भुगतान की वास्तविकता की जांच के क्रम में लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावली ,रोकड़बही तथा मस्टररोल एवं परियोजना की स्वीकृत प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं रहा। भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल के अभाव में भुगतान की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम सचिव लवकुश की मिलीभगत से अनुदान में प्राप्त धनराशि में से कुल रु० 13376.00 श्रमांश मद में काल्पनिक भुगतान दर्शाकर अपहरण कर लिया गया ,जिसकी वसूली ग्राम सचिव श्री लवकुश प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
13376.00	0	0	13376.00

प्रस्तर सं-81-ग्राम पंचायत भैसहिया(विकास खंड-डुमरियागंज ) की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष दौरान कुल रु० 739803.00 खाते से आहरित है ,जिसकी पुष्टि सम्बंधित बैंक स्टेटमेंट से की गयी।लेकिन आहरित धनराशिसे सम्बंधित व्यय विवरण की पुष्टि में रोकड़बही नहीं बनाया गया है।ऑनलाइन पोर्टल व्यय विवरण की जांच में पाया गया कि उक्त आहरित धन के सापेक्ष कुल रु० 732803.00 का ही व्यय विवरण उपलब्ध है।शेष रु० 7000.00 का कोई व्यय विवरण ऑफ़लाइन अथवा ऑनलाइन दर्ज नहीं है। स्पष्ट है कि बिना किसी व्यय विवरण के खाते से रु० 7000.00 नगद आहरित कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी वसूली ग्राम सचिव श्री लवकुश प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
7000.00	0	0	7000.00

प्रस्तर सं-82-ग्राम पंचायत भैसहिया (विकास खंड-डुमरियागंज ) की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष दौरान कुल व्यय के सापेक्ष ऑनलाइन पोर्टल पर टेंडर मद में कुल रु० 11437.00 तथा प्रधान मानदेय मद में कुल रु० 31500.00 अर्थात कुल रु 42937.00 का भुगतान दर्शाया गया है ,जिसका विवरण प्रतिवेदन से संलग्नक प्रारूप में दिया गया है।लेखा परीक्षा में इससे सम्बंधित कोई भौतिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा।ऑनलाइन पोर्टल पर दर्शित भुगतान के सापेक्ष कोई वाउचर तथा मानदेय भुगतान पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न रहने से उक्त भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। है कि बिना व्यय वाउचर के खाते से धनराशि आहरित क्र कुल रु० 42937.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम सचिव लवकुश द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली ग्राम सचिव श्री लवकुश प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
42937.00	0	0	42937.00

प्रस्तर सं-83-ग्राम पंचायत पिपरा पाण्डेय (विकास खंड -नौगढ़ )के वर्ष 19-20 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है।निर्माण पत्रावली,व्यय वाउचर ,कार्यवाही रजिस्टर,एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए।स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन क्र स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित क्र फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 506216.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री उमेश चन्द्र मिश्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सुमन श्रीवास्तव से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
506216.00	0	0	506216.00

प्रस्तर सं-84-ग्राम पंचायत भीमापार (विकास खंड -नौगढ़ ) के वर्ष 19-20 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है।निर्माण पत्रावली,व्यय वाउचर ,कार्यवाही रजिस्टर,एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए।स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के

सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 1754460.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राम चन्द्र यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सुमन श्रीवास्तव से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
1754460.00	0	0	1754460.00

प्रस्तर सं-85-ग्राम पंचायत बरगदी (विकास खंड -बर्डपुर ) के वर्ष 19-20 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। निर्माण पत्रावली, व्यय वाउचर , कार्यवाही रजिस्टर, एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म कि मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 1453023.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सुमन श्रीवास्तव से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
1453023.00	0	0	1453023.00

प्रस्तर सं-86-ग्राम पंचायत छितरापार के(विकास खंड -उसका )वर्ष 19-20 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि डेने के घर से इंटरलॉकिंग तक नाला निर्माण कार्य पर दिनांक 17/09/19 को रु0 14700.00 का भुगतान किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सामग्री क्रय कि पुष्टि नहीं की जा सकी , सामग्री का भुगतान फर्म को न कर के ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश राय को किया गया है। स्पष्ट है की ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सामग्री व्यय पर फर्जी दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश राय एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
14700.00	0	0	14700.00

प्रस्तर सं-87--ग्राम पंचायत छितरापार (विकास खंड -उसका )की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की स्ट्रीट लाइट क्रय पर कुल रु० 247000.00 का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक , वित्तीय स्वीकृति , तकनीकी स्वीकृति , माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र टैंडर पत्रावली , प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायत राज अनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.6.2018 के गाइड लाइनके अनुसार ग्राम प्रधान / सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के मध्य विद्युत कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने सम्बन्धी पत्रावली अस्तुत रही , फोटो और स्थापना प्रमाणपत्र भी संलग्न प्रस्तुत नहीं रहे। अतिरिक्त उर्जास्रोत विभाग के शा. स. 33/2017/977/45-वि/2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के गाइडलाइन के अनुसार सौर उर्जा आधारित संयंत्रों की मानक और गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने के लिए इसकी स्थापना का कार्य एकमात्र अधिकृत नोडल एजेंसी यूपी नेडा से कराये जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन ग्रामपंचायत के द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में स्ट्रीट लाइट पर किये गए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार अपुष्ट धनराशि रु० 247000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल एवं ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश राय से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
247000.00	0	0	247000.00

प्रस्तर सं-88-ग्राम पंचायत छितरापार (विकास खंड -उसका )के लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि ग्रामपंचायत में सामग्री की आपूर्ति के लिये समाचारपत्र में विज्ञापन निकाला गया था। नियमानुसार दो समाचारपत्रों में विज्ञापन निकाला जाना

चाहिए जिससे की अधिक से अधिक लोग टेंडर के लिए आवेदन कर सके। परन्तु ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सिर्फ सहारा इंडिया समाचारपत्र में दो बार रु 4000.00 की दर से विज्ञापन का भुगतान कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री विजयपाल एवं ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश राय से किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
0	4000.00	0	4000.00

प्रस्तर सं-89-ग्राम पंचायत छितरापार (विकास खंड -उसका)की वर्ष 19-20 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 19-20 में विभिन्न कार्यों पर कुल 667870.00 की धनराशि की निकासी कर व्यय किया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपतिया पाई गयी है।

- 1- लेखा परीक्षा में सामग्री क्रय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सामग्री क्रय पर किया गए भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। सामग्री का क्रय प्रधान श्री ओमप्रकाश राय के ईट भट्टे (ओमप्रकाश राय ब्रिक फिल्ड) से किया गया है। जबकि इस बात के स्पष्ट निर्देश है की ग्राम प्रधान या उसके किसी निकट सम्बन्धि को टेंडर की प्रक्रिया में शामिल न किया जाय। परन्तु ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल द्वारा सुनियोजित तरीके से ग्राम प्रधान के साथ मिलकर राजकीय धन का अपहरण करने के दृष्टि से ग्राम प्रधान के ईट भट्टे को भुगतान किया गया है।
  - 2-परियोजना पर सामग्री का भुगतान तो किया गया है परन्तु पूरे वित्तीय वर्ष में मजदूरी पर भुगतान नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि कार्य प्रारम्भ ही नहीं कराया गया। जिससे सामग्री क्रय पर किए गए भुगतान का औचित्य सिद्ध नहीं है।
  - 3-लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं रहा जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कार्य पर किया गया भुगतान माप पुस्तिका के अनुसार किया गया है कि नहीं।
  - 4-लेखा परीक्षा में वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि परियोजना शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ली गयी थी या नहीं। पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 3107.2015 विभिन्नसोत्रों से उपलब्ध होनेवाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4क में यह स्पष्ट है कि 50 हजार की सीमातक की कार्य-योजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2बके माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है। टेक्निकल परीक्षण- 2 से 2.5लाख तक- जेई आर ईएस/ जेई एमआई / जेई जिला पंचायत / जेई मंडी परिषद द्वारा किया जायेगा 2.5 लाख से ऊपर -अभियंता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति 2 लाख से 2.50 लाख तक सहा.वि.अधि (प०), 2.5 लाखसे 5 लाख तक जिला पंचायत राज अधिकारी और 5 लाख से ऊपर जिलाधिकारी द्वारा दिया जायेगा।
  - 5-वित्तीयनियमसंग्रह खंड-1 एवं शा.सं०-ए-1-864/दस दिनांक 23-9-2008 के अनुसार निर्माण हेतु कोई सामग्री क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एकलाख से अधिक)की प्रक्रियाका पालन किया जाना चाहिये, जब की टेंडर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिस कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रक्रिया का पूर्णतया पालन नहीं किया जा रहा है।
  - 6-लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण -इस हेतु से कि कार्य का निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओं /प्राक्कलन/ मानचित्र के अनुसार किया गया है- के देने का उल्लेख करती है।
- उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर इस बात को मानने का पूरा आधार है कि ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश राय एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल द्वारा राजकीय धन को आहरित कर अपहृत कर लिया गया है जिसकी वसूली संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
667870.00	0	0	667870.00

प्रस्तर सं-90-ग्राम पंचायत छितरापार (विकास खंड -उसका)के वर्ष 19-20 के बैंक पास बुक के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल 74560.00 की धनराशि बियरर चेक से आहरित की गयी है। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपतिया पाई गयी है -

- 1-लेखा परीक्षा में रोकड़ बही प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे आहरित धनराशि किन परियोजनाओं पर व्यय किया गया है इसकी जानकारी नहीं हो सकी।

2-लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक यथा वाउचर ,मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया ।

3-लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका ,कार्यादेश ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किया गया ।

2-ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी उपर्युक्त धनराशि किन परियोजनाओं पर व्यय की गयी है इसकी प्रविष्टि नहीं किया गया ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल एवं ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश राय द्वारा राजकीय धन की फर्जी निकासी दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित से बराबर-बराबर अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
74560.00	0	0	74560.00

प्रस्तर सं-91-ग्राम पंचायत कठहा (विकास खंड -उसका )की वर्ष 19-20 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 19-20 में विभिन्न कार्यों पर कुल 1223891.00 की धनराशि की निकासी कर व्यय किया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपतियाँ पाई गयी है ।

1-पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेख प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है -ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षण हेतु संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक /वाउचर प्रस्तुत नहीं रहे ।

2-लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं रहा जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कार्य पर किया गया भुगतान माप पुस्तिका के अनुसार किया गया है कि नहीं ।

3-लेखा परीक्षा में वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि परियोजना शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ली गयी थी या नहीं । पंचायतराजअनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 3107.2015 विभिन्नस्रोतों से उपलब्ध होनेवाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4क में यह स्पष्ट है कि 50 हजार की सीमातक कि कार्य-योजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा.बाद मेंपंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 केबिंदु 2ब के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है. टेकनिकल परीक्षण- 2 से 2.5 लाख तक- जेई आर ईएस/ जेई एमआई / जेई जिला पंचायत / जेई मंडी परिषद द्वारा किया जायेगा 2.5 लाख से ऊपर -अभियंता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है .वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति 2 लाख से 2.50 लाख तक सहा०वि०अधि (प०), 2.5 लाखसे 5 लाख तक जिला पंचायत राज अधिकारी और 5 लाख से ऊपर ज़िलाधिकारी द्वारा दिया जायेगा ।

4-वित्तीयनियमसंग्रह खंड-1 एवं शा०सं०-ए-1-864/दस दिनांक 23-9-2008 के अनुसार निर्माण हेतु कोई सामग्री क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एकलाख से अधिक)की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये, जब कि टेंडर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिस कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रक्रिया का पूर्णतया पालन नहीं किया जा रहा है ।

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रवालियाँ एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।इस प्रकार उक्त धनराशि रु० 1223891.00 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद-8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।अतः उक्त धनराशि रु० 1223891.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु० 611945.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल तथा रु० 611945.50 ग्राम प्रधान श्री महबूब आलम से ) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
1223891.00	0	0	1223891.00

प्रस्तर सं-92-ग्राम पंचायत कठहा(विकास खंड -उसका ) की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की स्ट्रीट लाइट क्रय पर कुल रु० 150550.00 का भुगतान किया गया है।लेखा परीक्षा में व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक

,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति ,माप पुस्तिका ,कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र टैंडर पत्रावली , प्रस्तुत नहीं किया गया ।जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।पंचायत राजअनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.6.2018 के गाइड लाइनके अनुसार ग्राम प्रधान / सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और उत्तर प्रदेशपाँवर कारपोरेशन के मध्यविद्युत्कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जानेसम्बन्धी पत्रावली अप्रस्तुतरही और फाइलमें फोटो और स्थापना प्रमाणपत्र भी संलग्न नहीं रहे।अतिरिक्त उर्जास्रोत विभाग के शा. स. 33/2017/977/45-वि/2017 दिनांक 29अगस्त 2017 केगाइडलाइनके अनुसार सौरउर्जा आधारित संयंत्रों की मानक और गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने के लिए इसकीस्थापना काकार्य एकमात्रअधिकृत नोडल एजेंसी यूपी नेडा से कराये जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन ग्रामपंचायत के द्वारा इसकापालन नहीं कियागया है ।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में स्ट्रीट लाइट पर किये गए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।इस प्रकार अपुष्ट धनराशि रु० 150550.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल एवं ग्राम प्रधान श्री महबूब आलम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
150550.00	0	0	150550.00

प्रस्तर सं-93-ग्राम पंचायत कठहा (विकास खंड -उसका ) की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की कुल 10 हैण्ड पंप मरम्मत कार्य पर कुल 137754.00 रु० का भुगतान किया गया है ।लेखा परीक्षा में व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति ,माप पुस्तिका ,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र,मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया ।जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।हैंडपंप मरम्मतके सन्दर्भ में स्थल की सूची और हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया. जिसके अभाव मे यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया । अपुष्ट व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल एवं ग्राम प्रधान श्री महबूब आलम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
137754.00	0	0	137754.00

प्रस्तर सं-94--ग्राम पंचायत कठहा (विकास खंड -उसका )के वर्ष 19-20 के बैंक पास बुक के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल 109432.00 की धनराशि बियरर चेक से आहरित की गयी है ।जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तिया पाई गयी है -

1-लेखा परीक्षा में रोकड़ बही प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे आहरित धनराशि किन परियोजनाओं पर व्यय किया गया है इसकी जानकारी नहीं हो सकी ।

2-लेखा परीक्षा में व्यय से सम्न्धित कोई भी व्यय प्रमाणक यथा वाउचर ,मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया ।

3-लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका ,कार्यादेश ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किया गया ।

4-ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी उपर्युक्त धनराशि किन परियोजनाओं पर व्यय की गयी है इसकी प्रविष्टि नहीं किया गया ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है की ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल एवं ग्राम प्रधान श्री महबूब आलम द्वारा राजकीय धन की फर्जी निकासी दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बंधित से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
109432.00	0	0	109432.00

प्रस्तर सं-95-ग्राम पंचायत परसपुर (विकास खंड -उसका )में वर्ष 19-20 में कुल रु० 1618685.00 का व्यय किया गया है ।पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रवधान है -“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये ।परन्तु लेखा परीक्षा में कार्यो /मदों से सम्बंधित पत्रावलियाँ (प्राक्कलन ,तकनीकी स्वीकृति ,मापी ,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र ,टैंडर पत्रावली )एवं उनपर किये गए व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल /कैश बुक प्रस्तुत नहीं रहे ।इस प्रकार उक्त कार्यो से सम्बंधित पत्रावलिया एवं व्यय प्रमाणक

प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुएल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद-8 (क) के अनुसार “ यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी ” ।

इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु० 1618685.00 लेखा मैनुएल के अध्याय -8 के अनुच्छेद-8 (क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है ,जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल एवं ग्राम प्रधान श्री बेचन राम संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रु० 1618685.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु० 809342.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल से तथा रु० 809342.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री बेचन राम से ) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
1618685.00	0	0	1618685.00

प्रस्तर सं-96-ग्राम पंचायत सोहास दरमियानी (विकास खंड -उसका )की वर्ष 19-20 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की वर्ष 19-20 में विभिन्न कार्यों पर कुल 1073676.00 की धनराशि की निकासी क्र व्यय किया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पाई गयी है ।

- 1-लेख परीक्षा में सामग्री क्रय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सामग्री क्रय पर किया गए भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
  - 2-मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टरोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं लिया गया। जिससे मजदूरी पर किए गए भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न क्रेके ग्राम प्रधान द्वारा बियरर चेक से स्वयं आहरित किया गया है। जो नियम विरुद्ध है ।
  - 3-लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं रहा जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की कार्य पर किया गया भुगतान माप पुस्तिका के अनुसार किया गया है की नहीं ।
  - 4-लेखा परीक्षा में वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की परियोजना शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ली गयी थी या नहीं । पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 3107.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होनेवाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4क में यह स्पष्ट है की 50 हजार की सीमा तक की कार्य-योजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2बके माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है. टेकनिकल परीक्षण- 2 से 2.5 लाख तक- जेई आर ईएस/ जेई एमआई / जेई जिला पंचायत / जेई मंडी परिषद द्वारा किया जायेगा 2.5 लाख से ऊपर -अभियंता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है .वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति 2लाख से 2.50 लाख तक सहा.वि.अधि (प०), 2.5 लाख से 5 लाख तक जिला पंचायत राज अधिकारी और 5 लाख से ऊपर जिलाधिकारी द्वारा दिया जायेगा ।
  - 5-वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा.सं.ए-1-864/दस दिनांक 23-9-2008 के अनुसार निर्माण हेतु कोई सामग्री क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रुबीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये, जबकी टेंडर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिस कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रक्रिया का पूर्णतया पालन नहीं किया जा रहा है
  - 6-लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया । उ० प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण -इस हेतु से कि कार्य का निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओं /प्राक्कलन/ मानचित्र के अनुसार किया गया है- के देने का उल्लेख करती है।
- उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर इस बात को मानने का पूरा आधार है की ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल द्वारा राजकीय धन को आहरित कर अपहृत कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित से किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
1073676.00	0	0	1073676.00

प्रस्तर सं-97-ग्राम पंचायत सोहास दरम्यानी (विकास खंड -उसका )के वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की ग्राम पंचायत में सफाई कार्य /ठेला मरम्मत ,चूना छिडकाव के लिए के लिए कुल रु० 47129.00 की धनराशि व्यय किया गया है ,परन्तु उपर्युक्त धनराशि का भुगतान फर्म को न कर के बियरर चेक के माध्यम से ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं के नाम से आहरित किया गया है ।लेखा परीक्षा में व्यय धनराशि के पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं क्या गया है । जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।प्रतीत होता है कि ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती एवं ग्राम विकास अधिकारी विजय पाल द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर रु० 47129.00 का अपहरण कर लिया जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित से बराबर -बराबर किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
47129.00	0	0	47129.00

प्रस्तर सं-98-ग्राम पंचायत सोहास दरमियानी (विकास खंड -उसका )की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की हैण्ड पंप मरम्मत कार्य पर ग्राम प्रधान द्वारा विभिन्न तिथियों में बियरर चेक के माध्यम से कुल 60000.00 रु० आहरित किया गया है ।लेखा परीक्षा में व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति ,माप पुस्तिका ,कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया ।जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।हैंडपंप मरम्मतके सन्दर्भ में स्थल की सूची और हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप केखराब होने की सूचनाएवंउसके मरम्मत कीमांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं कियागया. जिसकेअभाव मे यहजानकारी नहोसकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराबथे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्रीखरीद केलिए कियागया।अपुष्ट व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
60000.00	0	0	60000.00

प्रस्तर सं -99-ग्रामपंचायत सोहास दरमियानी (विकास खंड -उसका )की वर्ष 19-20 में की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सोहास दरमियानी में पिच रोड से प्राथमिक विद्यालय तक मिट्टी खडंजा कार्य में मजदूरी रु0 53985.00 का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके किसी असगर नाम के व्यक्ति के खाते में किया गया है ।जबकि शासनादेश सं 1017/33-3-2020-11/2020 दिनांक 16 /06/2020 में स्पष्ट निर्देश दिए गया है लाभार्थियों को भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से उनके खाते में किया जाना है ।परन्तु ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती द्वारा मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके श्री असगर के खाते में कर के अपहरण कर लिया है जिसकी वसूली ग्राम सचिव श्री विजय पाल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती सम्बंधित से बराबर -बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
53985.00	0	0	53985.00

प्रस्तर सं-100-ग्राम पंचायत सोहास दरमियानी (विकास खंड -उसका )की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि स्ट्रीट लाइट क्रय पर कुल रु० 246000.00 एवं स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर रु० 20000 कुल रु० 266000.00का भुगतान किया गया है ।लेखा परीक्षा में व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति ,माप पुस्तिका ,कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र टेंडर पत्रावली , प्रस्तुत नहीं किया गया ।जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।पंचायत राजअनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.6.2018 के गाइड लाइनके अनुसार ग्राम प्रधान / सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और और उत्तर प्रदेशपॉवर कारपोरेशन के मध्यविद्युत्कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जानेसम्बन्धी पत्रावली अप्रस्तुतरही फोटो और स्थापना प्रमाणपत्र भी अप्रस्तुत रहे।अतिरिक्त उर्जास्रोत विभाग के शा. स. 33/2017/977/45-वि/2017 दिनांक 29अगस्त 2017 केगाइडलाइनके अनुसार सौरउर्जा आधारित संयंत्रों की मानक और गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने के लिए इसकीस्थापना काकार्य एकमात्रअधिकृत नोडल एजेंसी यूपी नेडा से कराये जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन ग्रामपंचायत के द्वारा इसकापालन नहीं कियागया है ।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में स्ट्रीट लाइट पर किये गए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार अपुष्ट धनराशि रु० 266000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कमलावती से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
266000.00	0	0	266000.00

प्रस्तर सं-101-ग्राम पंचायत सोहास सोमाली(विकास खंड -उसका ) की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 19-20 में विभिन्न कार्यों पर कुल 1199100.00 की धनराशि की निकासी क्र व्यय किया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पाई गयी है।

1-पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेख प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है -ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षण हेतु संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक /वाउचर/मस्टररोल प्रस्तुत नहीं रहे।

2-लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं रहा जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कार्य पर किया गया भुगतान माप पुस्तिका के अनुसार किया गया है या नहीं।

3-लेखा परीक्षा में वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि परियोजना शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ली गयी थी या नहीं। पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होनेवाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4क में यह स्पष्ट है की 50 हजार की सीमातक की कार्य-योजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है। टेक्निकल परीक्षण- 2 से 2.5 लाख तक- जेई आर ईएस/ जेई एमआई / जेई जिला पंचायत / जेई मंडी परिषद द्वारा किया जायेगा 2.5 लाख से ऊपर -अभियंता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति 2 लाख से 2.50 लाख तक सहायक अधि (प०), 2.5 लाख से 5 लाख तक जिला पंचायत राज अधिकारी और 5 लाख से ऊपर जिलाधिकारी द्वारा दिया जायेगा।

4-वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा०सं०-ए-1-864/दस दिनांक 23-9-2008 के अनुसार निर्माण हेतु कोई सामग्री क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एक लाख से अधिक)की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये, जब की टेंडर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिस कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रक्रिया का पूर्णतया पालन नहीं किया जा रहा है।

5-लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण -इस हेतु से कि कार्य का निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओं /प्राक्कलन/ मानचित्र के अनुसार किया गया है- के देने का उल्लेख करती है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर इस बात को मानने का पूरा आधार है कि ग्राम प्रधान श्रीमती कमलावती एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल द्वारा राजकीय धन को आहरित कर अपहृत कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
1199100.00	0	0	1199100.00

प्रस्तर सं-102-ग्राम पंचायत सोहास सोमाली(विकास खंड -उसका ) की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि स्ट्रीट लाइट क्रय पर कुल रु० 334500.00 का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र टेंडर पत्रावली, प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायत राज अनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.6.2018 के गाइड लाइनके अनुसार ग्राम प्रधान / सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के मध्य विद्युत् कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये

जानेसम्बन्धी पत्रावली अप्रस्तुतरही और फाइलमें फोटो और स्थापना प्रमाणपत्र भी संलग्न नहीं रहे। अतिरिक्त उर्जास्रोत विभाग के शा. स. 33/2017/977/45-वि/2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 केगाइडलाइनके अनुसार सौरउर्जा आधारित संयंत्रों की मानक और गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने के लिए इसकीस्थापना काकार्य एकमात्रअधिकृत नोडल एजेंसी यूपी नेडा से कराये जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन ग्रामपंचायत के द्वारा इसकापालन नहीं कियागया है ।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में स्ट्रीट लाइट पर किये गए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार अपुष्ट धनराशि रु० 334500.00 की वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कमलावती से बराबर-बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
334500.00	0	0	334500.00

प्रस्तर सं-103-ग्राम पंचायत सोहास सोमाली (विकास खंड -उसका )की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुल 17 हैण्ड पंप मरम्मत कार्य पर कुल 199596.00 रु० का भुगतान किया गया है।लेखा परीक्षा में व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति ,माप पुस्तिका ,कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया।जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।हैंडपंप मरम्मतके सन्दर्भ में स्थल की सूची और हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप केखराब होने की सूचनाएवंउसके मरम्मत कीमांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं कियागया. जिसकेअभाव मे यहजानकारी नहोसकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराबथे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्रीखरीद केलिए कियागया।अपुष्ट व्यय धनराशि की वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कमलावती से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
199596.00	0	0	199596.00

प्रस्तर सं-104-ग्राम पंचायत सोहास जनूबी (विकास खंड -उसका )की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की वर्ष 19-20 में विभिन्न कार्यों पर कुल 392203.00 की धनराशि की निकासी क्र व्यय किया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपतियां पाई गयी है

1-लेखा परीक्षा में सामग्री क्रय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।जिससे सामग्री क्रय पर किया गए भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

2-परियोजना पर सामग्री का भुगतान तो किया गया है परन्तु पूरे वित्तीय वर्ष में मजदूरी पर भुगतान नहीं किया गया है ,जिससे यह स्पष्ट है की कार्य प्रारम्भ ही नहीं कराया गया .जिससे सामग्री क्रय पर किए गए भुगतान का औचित्य सिद्ध नहीं है ।

3-लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं रहा जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कार्य पर किया गया भुगतान माप पुस्तिका के अनुसार किया गया है की नहीं ।

4-लेखा परीक्षा में वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि परियोजना शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ली गयी थी या नहीं । पंचायतराजअनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्नस्रोतों से उपलब्ध होनेवाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4क में यह स्पष्ट है की 50 हजार की सीमातक कीकार्य-योजना काअनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों मेंविभाजित नहीं कियाजायेगा.बाद मेंपंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 केबिंदु 2के माध्यम सेराज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दीगयी है. टेकनिकलपरीक्षण- 2 से 2.5लाख तक- जेई आर

ईएस/ जेई एमआई / जेई जिला पंचायत / जेई मंडी परिषद द्वारा किया जायेगा 2.5 लाख से ऊपर -अभियंता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है .वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति 2 लाख से 2.50 लाख तक सहा०वि०अधि (प०), 2.5 लाखसे 5 लाख तक जिला पंचायत राज अधिकारी और 5 लाख से ऊपरजिलाधिकारी द्वारा दिया जायेगा ।

5-वित्तीयनियमसंग्रह खंड-1 एवं शा०सं०-ए-1-864/दस दिनांक 23-9-2008 के अनुसार निर्माण हेतुकोई सामग्री क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एकलाख से अधिक)की प्रक्रियाका पालन किया जाना चाहिये, जब की टेंडर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुतनहीं रही जिस कारण इसबात की संभावनासे इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रक्रिया का पूर्णतया पालन नहीं किया जा रहा है ।

6-लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण -इस हेतु से कि कार्य का निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ /प्राक्कलन/ मानचित्र के अनुसार किया गया है- के देने का उल्लेख करती है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर इस बात को मानने का पूरा आधार है कि ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल द्वारा राजकीय धन को आहरित कर अपहृत कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
392203.00	0	0	392203.00

प्रस्तर सं-105-ग्राम पंचायत सोहास जनुबी (विकास खंड -उसका )की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की हैण्ड पंप मरम्मत कार्य पर ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 16/05/19 को चेक सं० 10066821 से रु 10000.00 स्वयं को एवं दिनांक 26/12/19 को रस्तोगी ट्रे० को 52551.00 रु० का भुगतान (कुल 62251.00 रु०) किया गया है।लेखा परीक्षा में व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति ,माप पुस्तिका ,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र,मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया।जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।हैंडपंप मरम्मतके सन्दर्भ में स्थल की सूची और हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सुचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया. जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपंप खराबथे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया।अपुष्ट व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
62551.00	0	0	62551.00

प्रस्तर सं-106-ग्रामपंचायत सोहास जनुबी (विकास खंड -उसका )की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है किएक ही आई०डी से दो परियोजना पर भुगतान किया गया है।जबकि हर परियोजना की अलग आई०डी होनी चाहिए।लेखा परीक्षा में सामग्री क्रय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक ,माप पुस्तिका ,तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ,कार्यपूर्ति ,मस्टररोल आदि भी प्रस्तुत नहीं रहे ,मजदूरी का भुगतान ग्राम प्रधान को बीयरर चेक के माध्यम से किया गया है।जिससे कार्यों पर किये गए भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी।अपुष्ट धनराशि रु० 56221.00 (सामग्री -रु 50293 श्रमांश रु० 5928) की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
56221.00	0	0	56221.00

प्रस्तर सं-107-ग्राम पंचायत सोहास जनुबी(विकास खंड -उसका ) की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि भूमिगत नाली के निर्माण पर कुल रु० 173628.00 का भुगतान किया गया है।जिसमें सामग्री मद में रु० 166848.00 एवं मजदूरी मद में रु 6780.00 का भुगतान किया गया है।जिसके सम्बन्ध में निम्न पाई गयी है।

1-लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

2- लेखा परीक्षा में कार्य की वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किया गया।

3- लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया।

4-लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं रहा।

5-मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल द्वारा चेक सं० 10005291 दिनांक 01/08/19 को स्वयं के नाम से आहरित किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है की ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता की दुरभिसंधि से रु० 173628.00 का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित से बराबर-बराबर लिया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
173628.00	0	0	173628.00

प्रस्तर सं-108-ग्राम पंचायत सोहस खास (विकास खंड -उसका )में वर्ष 19-20 में कुल रु० 1499806.00 का भुगतान सामग्री/श्रमांश के रूप में दर्शाया गया है।पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है -“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।परन्तु लेखा परीक्षा में कार्यो /मदों से सम्बंधित पत्रावलियाँ (प्राक्कलन ,तकनीकी स्वीकृति ,मापी ,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र ,टैंडर पत्रावली )एवं उनपर किये गए व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल /कैश बुक प्रस्तुत नहीं रहे ।

इस प्रकार उक्त कार्यो से सम्बंधित पत्रावलिया एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद-8 (क) के अनुसार “ यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम ग्राम पंचायत से की जाएगी “ ।

इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु० 1499806.00 मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद-8 (क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है ,जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल एवं ग्राम प्रधान श्री श्रीशप्रताप संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।अतः उक्त धनराशि रु० 1499806.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु० 749903.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय पाल से तथा रु० 749903.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री श्रीशप्रताप से ) अदयावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
1499806.00	0	0	1499806.00

प्रस्तर सं-109-ग्राम पंचायत गुजरौलिया(विकास खंड -लोटन )की वर्ष 19-20 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष में विभिन्न कार्यो पर कुल 242175.00 की धनराशि की निकासी कर व्यय किया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपतियाँ पाई गयी है

1-लेख परीक्षा में सामग्री क्रय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।जिससे सामग्री क्रय पर किया गए भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

2-परियोजना पर सामग्री का भुगतान तो किया गया है परन्तु पूरे वित्तीय वर्ष में मजदूरी पर भुगतान नहीं किया गया है ,जिससे यह स्पष्ट है कि कार्य प्रारम्भ ही नहीं कराया गया .जिससे सामग्री क्रय पर किए गए भुगतान का औचित्य सिद्ध नहीं है ।

3-लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं रहा जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कार्य पर किया गया भुगतान माप पुस्तिका के अनुसार किया गया है कि नहीं ।

4-लेखा परीक्षा में वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की परियोजना शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ली गयी थी या नहीं । पंचायतराजअनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 3107.2015 विभिन्नसोत्रों से उपलब्ध होनेवाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4क में यह स्पष्ट है कि 50 हजार की सीमातक कीकार्य-योजना काअनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों मेंविभाजित नहीं कियाजायेगा.बाद मेंपंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 केबिंदु 2बके माध्यम सेराज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दीगयी है. टेकनिकलपरीक्षण- 2 से 2.5लाख तक- जेई आर ईएस/ जेई एमआई / जेई जिला पंचायत / जेई मंडी परिषद जेई द्वारा किया जायेगा 2.5 लाख से ऊपर -अभियंता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है .वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति 2 लाख से 2.50 लाख तक सहा०वि०अधि (प०), 2.5 लाखसे 5 लाख तक जिला पंचायत राज अधिकारी और 5 लाख से ऊपरजिलाधिकारी द्वारा दिया जायेगा ।

5-वित्तीयनियमसंग्रह खंड-1 एवं शा०सं०-ए-1-864/दस दिनांक 23-9-2008 के अनुसार निर्माण हेतुकोई सामग्री क्रयक्रने के क्रम में कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टैंडर (रु एकलाख से अधिक)की प्रक्रियाका पालन किया जाना चाहिये, जब की टैंडर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुतनहीं रही जिस कारण इसबात की संभावनासे इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रक्रिया का पूर्णतया पालन नहीं किया जा रहा है ।

6-लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया । उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यो के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण -इस हेतु से कि कार्य का निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ /प्राक्कलन/ मानचित्र के अनुसार किया गया है- के देने का उल्लेख करती है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर इस बात को मानने का पूरा आधार है की ग्राम प्रधान श्री दूधनाथ एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश पंकज द्वारा राजकीय धन को आहरित कर अपहृत कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
242175.00	0	0	242175.00

प्रस्तर सं-110-ग्रामपंचायत खखरा(विकास खंड -लोटन )कीवर्ष19-20 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष में विभिन्न कार्यों पर कुल 1573972.00 की धनराशि की निकासी क्र व्यय किया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपतियाँ पाई गयी है।

1-लेख परीक्षा में सामग्री क्रय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सामग्री क्रय पर किया गए भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

2-परियोजना पर सामग्री का भुगतान तो किया गया है परन्तु पूरे वित्तीय वर्ष में मजदूरी पर भुगतान नहीं किया गया है ,जिससे यह स्पष्ट है की कार्य प्रारम्भ ही नहीं कराया गया .जिससे सामग्री क्रय पर किए गए भुगतान का औचित्य सिद्ध नहीं है ।

3-लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं रहा जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की कार्य पर किया गया भुगतान माप पुस्तिका के अनुसार किया गया है की नहीं ।

4-लेखा परीक्षा में वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की परियोजना शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ली गयी थी या नहीं । पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 3107.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4क में यह स्पष्ट है की 50 हजार की सीमा तक की कार्य-योजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा. बाद में पंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2ब के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा क्र 2 लाख क्र दी गयी है. टेकनिकल परीक्षण- 2 से 2.5लाख तक- जेई आर ईएस/ जेई एमआई / जेई जिला पंचायत / जेई मंडी परिषद द्वारा किया जायेगा 2.5 लाख से ऊपर - अभियंता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है .वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति 2 लाख से 2.50 लाख तक सहा०वि०अधि (प०),2.5 लाख से 5 लाख तक जिला पंचायत राज अधिकारी और 5 लाख से ऊपर जिलाधिकारी द्वारा दिया जायेगा ।

5-वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा०सं०-ए-1-864/दस दिनांक 23-9-2008 के अनुसार निर्माण हेतु कोई सामग्री क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एक लाख से अधिक)की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये, जब की टेंडर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिस कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रक्रिया का पूर्णतया पालन नहीं किया जा रहा है ।

6-लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया । उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण -इस हेतु से कि कार्य का निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ /प्राक्कलन/ मानचित्र के अनुसार किया गया है- के देने का उल्लेख क्रती है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर इस बात को मानने का पूरा आधार है की ग्राम प्रधान श्रीमती चंपा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश पंकज द्वारा राजकीय धन को आहरित कर अपहृत कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
1573972.00	0	0	1573972.00

प्रस्तर सं-111-ग्राम पंचायत खखरा(विकास खंड -लोटन ) की वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 01/06/19 को चेक संख्या 164325 से लोकसभा चुनाव में व्यय हेतु ग्राम प्रधान द्वारा रु० 15000.00 की नगद निकासी की गयी है परन्तु प्रिय सॉफ्ट फीडिंग में रु० 1500.00 दर्शाया गया है ।(लेखा परीक्षा में रोकड़ बही प्रस्तुत नहीं किया गया अतः प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर ) इस प्रकार ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 13500.00 का

कम व्यय दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चंपा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश पंकज से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
13500.00	0	0	13500.00

प्रस्तर सं-112-ग्राम पंचायत पनेरी (विकास खंड -लोटन ) की वर्ष 19-20 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष में विभिन्न कार्यों पर कुल 872573.00 की धनराशि की निकासी क्र व्यय किया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पाई गयी है

- 1-लेख परीक्षा में सामग्री क्रय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सामग्री क्रय पर किया गए भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
- 2-परियोजना पर सामग्री का भुगतान तो किया गया है परन्तु पूरे वित्तीय वर्ष में मजदूरी पर भुगतान नहीं किया गया है ,जिससे यह स्पष्ट है की कार्य प्रारम्भ ही नहीं कराया गया .जिससे सामग्री क्रय पर किए गए भुगतान का औचित्य सिद्ध नहीं है ।
- 3-लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं रहा जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की कार्य पर किया गया भुगतान माप पुस्तिका के अनुसार किया गया है की नहीं ।
- 4-लेखा परीक्षा में वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की परियोजना शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ली गयी थी या नहीं । पंचायतराजअनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 3107.2015 विभिन्नसोत्रों से उपलब्ध होनेवाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4क में यह स्पष्ट है की 50 हजार की सीमातक कीकार्य-योजना काअनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों मेंविभाजित नहीं कियाजायेगा.बाद मेंपंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 केबिंदु 2बके माध्यम सेराज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा क्र 2 लाख क्र दीगयी है. टेकनिकलपरीक्षण- 2 से 2.5लाख तक- जेई आर ईएस/ जेई एमआई / जेई जिला पंचायत / जेई मंडी परिषद द्वारा किया जायेगा 2.5 लाख से ऊपर -अभियंता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है .वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति 2 लाख से 2.50 लाख तक सहा०वि०अधि (प०), 2.5 लाखसे 5 लाख तक जिला पंचायत राज अधिकारी और 5 लाख से ऊपरजिलाधिकारी द्वारा दिया जायेगा ।
- 5-वित्तीयनियमसंग्रह खंड-1 एवं शा०सं०-ए-1-864/दस दिनांक 23-9-2008 के अनुसार निर्माण हेतुकोई सामग्री क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एकलाख से अधिक)की प्रक्रियाका पालन किया जाना चाहिये, जब की टेंडर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुतनहीं रही जिस कारण इसबात की संभावनासे इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रक्रिया का पूर्णतया पालन नहीं किया जा रहा है ।
- 6-लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया । उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण -इस हेतु से कि कार्य का निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ /प्राक्कलन/ मानचित्र के अनुसार किया गया है- के देने का उल्लेख करती है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर इस बात को मानने का पूरा आधार है की ग्राम प्रधान श्री अब्दुल कलाम एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश पंकज द्वारा राजकीय धन को आहरित कर अपहृत कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
872573.00	0	0	872573.00

प्रस्तर सं-113-ग्राम पंचायत पनेरी (विकास खंड -लोटन )वर्ष 19-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है

कि मजदूरी रु०-56031.00 का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते में न कर उपाध्याय ट्रेडर्स के खाता संख्या - 36958727156 में किया गया है ।जबकि शासनादेश संख्या -1017/33-3-2020-11/2020 दिनांक 16/06/20 में स्पष्ट निर्देश दिए गए है कि लाभार्थियों का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जाना है ।परन्तु ग्राम विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश पंकज एवं ग्राम प्रधान श्री अब्दुल कलाम द्वारा मजदूरी का भुगतान मजदूरों के व्यक्तिगत बैंक खाते में न करके उपाध्याय ट्रेडर्स के खाते में करके अपहरण कर लिया गया है ।जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अब्दुल कलाम एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश पंकज से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है । विवरण निम्न है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	मजदूरी की धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	भगतान प्राप्तकर्ता
1	बासु के घर से मस्जिद तक नाली मरम्मत	49164.00	674081	19/07/19	उपाध्याय ट्रेडर्स
2	मस्जिद से के०जी बाँध तक इन्टरलॉकिंग कार्य	6867.00	674085	03/08/19	उपाध्याय ट्रेडर्स
	योग	56031.00			

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
56031.00	0	0	56031.00

प्रस्तर सं-114-ग्राम पंचायत मधुकरपुर(विकास खंड -नौगढ़ ) के वर्ष 19-20 कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27-अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैश बुक नहीं बनाया गया है। निर्माण पत्रावली, व्यय वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, एवं अन्य सुसंगत अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिलीभगत व आपसी दुरभिसंधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि रु 1936530.00 का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती वंदना मिश्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सुमन श्रीवास्तव से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमिता	योग
1936530.00	0	0	1936530.00

प्रारूप -04

जनपद - बांदा मंडल- चित्रकूटधाम

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

**प्रस्तर संख्या 1-** विकास खण्ड बबेरू की ग्राम पंचायत अरमार की लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में बैंक स्टेटमेंट/ प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त/तेरवाँ/चौदहवाँ वित्त आयोग) के खाते से रुपये 2134914.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषवही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। एवं पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार " यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी। "वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा। चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः लेखा मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में रुपये 2134914.00 को गबन मानते हुए उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रुपये 2134914.00 की उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री जयराम आर्य तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री भवानी सिंह से ब्याजसहित वसूली की अपेक्षा की जाती है। साथ की राजकीय धन के अपहरण के लिये उत्तरदायी उक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाये।

**प्रस्तर संख्या 2-** विकास खण्ड बबेरू की ग्राम पंचायत बनबरोली की लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में बैंक स्टेटमेंट/ प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त/तेरवाँ/चौदहवाँ वित्त आयोग) के खाते से रुपये 1013765.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषवही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। एवं पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार “ यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी। “ वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा।

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः लेखा मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में रुपये 1013765.00 को गबन मानते हुए 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रुपये 1013765.00 की उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री श्रीकांत गुप्ता से ब्याजसहित वसूली की अपेक्षा की जाती है। साथ की राजकीय धन के अपहरण के लिये उत्तरदायी उक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाना-409 के अन्तर्गत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाये।

**प्रस्तर संख्या 3-** विकास खण्ड बबेरू की ग्राम पंचायत अछाह की लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में बैंक स्टेटमेंट/ प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त/तेरवाँ/चौदहवाँ वित्त आयोग) के खाते से रुपये 2988586.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषवही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। एवं पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार “ यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी। “ वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा।

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः लेखा मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में रुपये 2988586.00 को गबन मानते हुए 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रुपये 2988586.00 की उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री श्रवण कुमार तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री भवानी सिंह से ब्याजसहित वसूली की अपेक्षा की जाती है। साथ की राजकीय धन के अपहरण के लिये उत्तरदायी उक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाना-409 के अन्तर्गत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाये।

**प्रस्तर संख्या 4-** विकास खण्ड बबेरू की ग्राम पंचायत समगरा की लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में बैंक स्टेटमेंट/ प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त/तेरवाँ/चौदहवाँ वित्त आयोग) के खाते से रुपये 1865769.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषवही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। एवं पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार “ यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी। “ वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा।

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः लेखा मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में रुपये 1865769.00 को

गबन मानते हुए 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रुपये 1865769.00 की उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती जय कुमारी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री भवानी सिंह से ब्याजसहित वसूली की अपेक्षा की जाती है। साथ की राजकीय धन के अपहरण के लिये उत्तरदायी उक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाना-409 के अन्तर्गत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाये।

**प्रस्तर संख्या 5-** विकास खण्ड बबेरू की ग्राम पंचायत कुचेन्दू की लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में बैंक स्टेटमेंट/ प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त/तेरवाँ/चौदहवाँ वित्त आयोग) के खाते से रुपये 1667814.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषवही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। एवं पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार " यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी। " वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा।  
चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः लेखा मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में रुपये 1667814.00 को गबन मानते हुए 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रुपये 1667814.00 की उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री आल्हनभान सिंह तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री श्रीकांत गुप्ता से ब्याजसहित वसूली की अपेक्षा की जाती है। साथ की राजकीय धन के अपहरण के लिये उत्तरदायी उक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाना-409 के अन्तर्गत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाये।

**प्रस्तर संख्या 6-** विकास खण्ड बबेरू की ग्राम पंचायत औगासी की लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में बैंक स्टेटमेंट/ प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त/तेरवाँ/चौदहवाँ वित्त आयोग) के खाते से रुपये 2002095.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषवही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। एवं पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार " यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी। " वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा।  
चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः लेखा मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में रुपये 2002095.00 को गबन मानते हुए 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रुपये 2002095.00 की उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती हसीन फातिमा तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री श्रीकांत गुप्ता से ब्याजसहित वसूली की अपेक्षा की जाती है। साथ की राजकीय धन के अपहरण के लिये उत्तरदायी उक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाना-409 के अन्तर्गत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाये।

**प्रस्तर संख्या 7-** विकास खण्ड बबेरू की ग्राम पंचायत पारा बिहारी की लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में बैंक स्टेटमेंट/ प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त/तेरवाँ/चौदहवाँ वित्त आयोग) के खाते से रुपये 2140299.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषवही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। एवं पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार " यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम

पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी। " वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा।

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः लेखा मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में रुपये 2140299.00 को गबन मानते हुए उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रुपये 2140299.00 की उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री अल्ताब खान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री श्रीकांत गुप्ता से ब्याजसहित वसूली की अपेक्षा की जाती है। साथ की राजकीय धन के अपहरण के लिये उत्तरदायी उक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाना-409 के अन्तर्गत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाये।

**प्रस्तर संख्या 8-** विकास खण्ड बबेरू की ग्राम पंचायत जलालपुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में बैंक स्टेटमेंट/ प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त/तेरवाँ/चौदहवाँ वित्त आयोग) के खाते से रुपये 2559260.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषवही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। एवं पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार " यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी। " वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा।

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः लेखा मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में रुपये 2559260.00 को गबन मानते हुए उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रुपये 2559260.00 की उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सुनैना तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री श्रीकांत गुप्ता से ब्याजसहित वसूली की अपेक्षा की जाती है। साथ की राजकीय धन के अपहरण के लिये उत्तरदायी उक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाना-409 के अन्तर्गत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाये।

**प्रस्तर संख्या 9-** विकास खण्ड जसपुरा की ग्राम पंचायत नरौली की लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में बैंक स्टेटमेंट/ प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त/तेरवाँ/चौदहवाँ वित्त आयोग) के खाते से रुपये 1685092.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषवही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। एवं पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार " यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी। " वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा।

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः लेखा मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में रुपये 1685092.00 को गबन मानते हुए उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रुपये 1685092.00 की उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजकुमार से ब्याजसहित वसूली की अपेक्षा की जाती है। साथ की राजकीय धन के अपहरण के लिये उत्तरदायी उक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाना-409 के अन्तर्गत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाये।

**प्रस्तर संख्या 10-** विकास खण्ड तिन्दवारी की ग्राम पंचायत भुजौली की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। चूंकि पंचायत के तत्कालीन सचिव श्री बृजेन्द्र कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के

अभिलेखों की माँग की गयी, परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गयी किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में आय पक्ष में रूपये 1054282.00 एवं व्यय पक्ष में रूपये 542686.00 दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/लेखा परीक्षा दो/पी-81(ए) दिनांक- 06-12-2019 के आधार पर लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गयी। अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गये राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रूपये 542686.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है। जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती शिवमती तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर संख्या 11-** विकास खण्ड तिन्दवारी की ग्राम पंचायत माटा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। चूँकि पंचायत के तत्कालीन सचिव श्री बृजेन्द्र कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की माँग की गयी, परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गयी किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में आय पक्ष में रूपये 2516441.00 एवं व्यय पक्ष में रूपये 2352177.00 दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/लेखा परीक्षा दो/पी-81(ए) दिनांक- 06-12-2019 के आधार पर लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गयी। अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गये राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रूपये 2352177.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है। जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती कल्ली तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/ नियमतः कार्यवाही अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर संख्या 12-** विकास खण्ड तिन्दवारी की ग्राम पंचायत मुंगुस की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। चूँकि पंचायत के तत्कालीन सचिव श्री बृजेन्द्र कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की माँग की गयी, परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गयी किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में आय पक्ष में रूपये 4237702.00 एवं व्यय पक्ष में रूपये 2662735.00 दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/लेखा परीक्षा दो/पी-81(ए) दिनांक- 06-12-2019 के आधार पर लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गयी। अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गये राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रूपये 2662735.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है। जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/ नियमतः कार्यवाही अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर संख्या 13-** उत्तर प्रदेश प्रचालनी राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत अतर्रा ग्रामीण विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2019-20 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री मुकेश तिवारी से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की माँग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में व्यय पक्ष में रूपये 12857105.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में

उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई मूल धनराशि रूपए 12857105.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती आशा उर्फ शेष कुमारी तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुकेश तिवारी उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या 14-** उत्तर प्रदेश प्रचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत करतल विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2019-20 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूंकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री सुशील कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूंकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में व्यय पक्ष में रूपये 5079755.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई मूल धनराशि रूपए 5079755.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती तुलसा देवी तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या 15-** उत्तर प्रदेश प्रचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत हड़हामाफी विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2019-20 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूंकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री योगेश कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूंकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में व्यय पक्ष में रूपये 1921552.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई मूल धनराशि रूपए 1921552.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा कुमारी तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश कुमार उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या 16-** उत्तर प्रदेश प्रचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत गुदाकलां विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2019-20 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूंकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री सतीश कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूंकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में व्यय पक्ष में रूपये 7835935.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस



2019-20 में व्यय की गई मूल धनराशि रूपए 2517512.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती रानी तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरुण कुमार उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या 20-** उत्तर प्रदेश प्रचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत डडवामानपुर विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2019-20 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूंकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री मुकेश तिवारी से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूंकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में व्यय पक्ष में रुपये 5184329.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई मूल धनराशि रूपए 5184329.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती सारिका देवी तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुकेश तिवारी उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या 21-** उत्तर प्रदेश प्रचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत बढौसा विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2019-20 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूंकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री योगेश कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूंकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में व्यय पक्ष में रुपये 4896113.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई मूल धनराशि रूपए 4896113.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश कुमार उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या 22-** उत्तर प्रदेश प्रचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत बरछा डडिया विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2019-20 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूंकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री मुकेश तिवारी से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूंकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में व्यय पक्ष में रुपये 1327585.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई मूल धनराशि रूपए 1327585.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है